6369
6369

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

REFERENCE BOOK
NOT TO BE ISSUED

खण्ड पचीस

26 JUL 1968

प्रकाशन विभाग

તિથિપત્ર

Gandhi Heritage Portal

6369

REFERENCE BOOK
NOT TO BE ISSUED

6369

REFERENCE BOOK
NOT TO BE ISSUED

ગાંધી સ્મારક સંગ્રહાલય

ક્રા. સં. 6369

પરિ. સં. વાંચવા માટે મુક્ત કર્યા તારીખ 11 JAN 1967

આ પુસ્તક છેલ્લે દર્શાવેલી તારીખ પહેલાં અથવા તે જ દિવસે પાછું આપી દેવું જોઈએ. તે તારીખ પછી જો પુસ્તક પાછું આપવામાં આવશે તો દરરોજના ૦૦.૦૩ ન. પૈ. લેખે અતિદેય આપવું પડશે.

Gandhi Heritage Portal

Gandhi Heritage Portal

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

२५

(अगस्त १९२४ – जनवरी १९२५)

1D

6369

REFERENCE BOOK
NOT TO BE ISSUED

26 JUL 1968

Gandhi Heritage Portal

Gandhi Heritage Portal

Gandhi Heritage Portal

उपवासके दिनोंमें, शुश्रूषामें डॉ० जीवराज मेहता

Gandhi Heritage Portal

सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

२५

(अगस्त १९२४ – जनवरी १९२५)

सत्यमेव जयते

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

Gandhi Heritage Portal

मार्च १९६८ (चैत्र १८९०)

6369

© नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९६८

GAN
6369

साढ़े सात रुपये

-X:152
GAN

कापीराइट
नवजीवन ट्रस्टकी सौजन्यपूर्ण अनुमतिसे

12 DEC 1968

निदेशक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली-६ द्वारा प्रकाशित
और शान्तिलाल हरजीवन शाह, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद-१४ द्वारा मुद्रित

Gandhi Heritage Portal

भूमिका

इस खण्डमें १६ अगस्त, १९२४ से लेकर १५ जनवरी, १९२५ तककी सामग्री दी गई है। इस अवधिमें गांधीजीने राष्ट्रीय एकता, हिन्दू-मुस्लिम एकता, कांग्रेसकी हदतक स्वराज्यवादियों और अपरिवर्तनवादियोंके बीच मेल-जोल स्थापित करने तथा कांग्रेस और देशके अन्य राजनीतिक दलोंको एक मंचपर लानेके लिए उत्कट प्रयास किया। यह खण्ड उसी प्रयासका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। उन्होंने असहयोग आन्दोलनके स्थगित कर दिये जानेसे उत्पन्न निराशा और अवसादकी भावनाको विनाशकारी लड़ाई-झगड़ों और पारस्परिक कटुताका कारण ठहराया और उस आन्दोलनके प्रणेताकी हैसियतसे देशमें व्याप्त हिंसाके वातावरणको दूर करना अपना कर्त्तव्य माना; और इस कर्त्तव्यको पूरा करनेका प्रयत्न किया –– तपश्चर्या और विरोधियोंके सामने स्वेच्छासे आत्मसमपर्ण करनेके तरीकेसे। सितम्बर-अक्तूबरका २१ दिनोंका उपवास, स्वराज्यवादी नेताओंके साथ नवम्बर महीनेमें कलकत्तामें किया गया समझौता, बम्बईमें (नवम्बरमें) आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन और उन्हींकी अध्यक्षतामें सम्पन्न कांग्रेसका अधिवेशन –– इस कालकी ये तमाम घटनाएँ, उस विनय-भावनाकी साक्षी भरती हैं जिसके द्वारा उन्होंने देशमें मेल-जोल स्थापित करनेका प्रयत्न किया।

हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच तनाव चल रहा था और कुछ मास पूर्व गांधीजीने उसके कारणोंका विश्लेषण करते हुए उसका उपचार भी बताया था। (देखिए खण्ड २४)। जब अगस्त १९२४में कई स्थानोंसे मन्दिरोंकी पवित्रता भंग किये जानेके समाचार मिले तो गांधीजीको बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने इस विषयपर अपना रवैया साफ शब्दोंमें पेश करते हुए कहा : "मैं मूर्ति-पूजक भी हूँ और मूर्ति-भंजक भी, पर उस अर्थमें जिसे मैं इन शब्दोंका सही अर्थ मानता हूँ। मूर्ति-पूजाके पीछे जो भाव है, मैं उसका आदर करता हूँ। मनुष्य-जातिके उत्थानमें उससे बहुत सहायता मिलती है और मैं चाहूँगा कि अपने प्राण देकर भी उन हजारों पवित्र देवालयोंकी रक्षा करनेकी सामर्थ्य मुझमें हो, जो हमारी इस जननी-जन्मभूमिको पुनीत कर रहे हैं। . . . मैं मूर्ति-भंजक इस मानीमें हूँ कि मैं उस धर्मान्धताके रूपमें छिपी सूक्ष्म मूर्ति-पूजाको खण्डित करता हूँ जो अपनी ईश्वर-पूजाकी विधिके अलावा दूसरे लोगोंकी पूजाविधिमें किसी गुण और अच्छाईको देखनेसे इनकार करती है।" (पृष्ठ ४८-४९)। उन्होंने अज्ञात् अपराधियोंको अपने हृदयकी व्यथा सुनाई : "ये घटनाएँ मेरे हृदयके टुकड़े-टुकड़े कर रही हैं।" (पृष्ठ ५०)। उन्हें इस सबके पीछे कोई योजनाबद्ध प्रयास होनेका आभास हुआ और उन्होंने यह बात सार्वजनिक रूपसे भी कही। उन्होंने हिन्दुओंको प्रतिशोधकी भावनाके वशीभूत न होनेकी सलाह देते हुए इन कुकृत्योंके लिए जिम्मेदार मुसलमानोंसे कहा : "याद रखो, इस्लामकी जाँच तुम्हारी करतूतोंसे हो रही है। . . . बदला भी आखिर एक हदतक ही लिया जा सकता है। हिन्दू लोग अपने देवालयोंको जानसे अधिक मानते हैं। हिन्दुओंकी जानको नुकसान पहुँचानेकी बात तो किसी

Gandhi Heritage Portal

हदतक समझमें आ सकती है, पर उनके मन्दिरोंको हानि पहुँचानेकी बात समझमें नहीं आ सकती। धर्म जीवनसे बढ़कर है।" (पृष्ठ ४९-५०)। इस साम्प्रदायिक वैमनस्यकी चरम-परिणति पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तमें कोहाटमें हुई। वहाँ ९ और १० सितम्बरको हिन्दुओंपर सामूहिक रूपसे हमले किये गये और समस्त हिन्दू परिवारोंको अपना घर-बार छोड़कर रावलपिंडीमें शरण लेनी पड़ी।

इस आपसी कलहसे गांधीजीकी आत्मा व्यथित हो उठी। उन्होंने सी० एफ० एन्ड्रयूजको लिखे एक छोटे-से पत्रमें अपनी इस व्यथाको प्रकट करते हुए कहा: "किन्तु, अब तो मेरे मनको शीघ्र ही शान्ति मिल जायेगी। मैं अपने कर्त्तव्यका स्पष्ट संकेत पानेके लिए व्याकुल था।...क्या कोई मनुष्य अपना जीवन देनेसे अधिक कुछ कर सकता है?" (पृष्ठ १६७) उन्होंने आत्मशुद्धिके लिए २१ दिनोंका उपवास करनेका निश्चय किया था। उन्हें लगा कि इन सारे फसादोंकी जिम्मेदारी उनपर है। "क्या जनताकी भारी शक्तिको जाग्रत कर देनेके लिए मैं ही जिम्मेवार नहीं था? अगर यह शक्ति आत्म-विनाशका कारण बन रही है तो मुझे कोई उपचार ढूँढ़ना ही है।" (पृष्ठ २१३)।

गांधीजीके इस उपवासके मर्मको महादेव देसाई-जैसे उनके अन्तरंग सहयोगी भी नहीं समझ पाये। उनकी शंकाओंका समाधान करते हुए गांधीजीने कहा: "आज देखता हूँ कि अहिंसाकी गंधको भी जाने बिना लोग एक-दूसरेके साथ असहयोग करने लगे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यह है कि मैं खुद ही अहिंसक नहीं हूँ। मेरी अहिंसा भी कोई अहिंसा है? अगर वह पराकाष्ठापर पहुँच जाती तो आज मैं जो हिंसा देख रहा हूँ वह न देखनेको मिलती। इसलिए मेरा उपवास प्रायश्चित्त है, तपश्चर्या है। मैं किसीको दोष नहीं देता। मैं तो अपनेको ही दोष दे रहा हूँ। मेरी शक्ति चली गई है। हार-थककर, अपनी शक्ति खोकर अब मुझे सिर्फ ईश्वरके ही दरबारमें अर्ज करना है।" (पृष्ठ १८८)। निदान तारीख १७को दिल्लीमें मुहम्मद अलीके घर उन्होंने उपवास शुरू कर दिया। इसने एकताके पक्षमें वातावरण तैयार किया, जिसका परिणाम प्रकट हुआ ऐक्य सम्मेलनके रूपमें। सम्मेलनने २७ तारीखको एक प्रस्ताव पास करके इस झगड़ेकी तीव्र निन्दा की और साम्प्रदायिक दंगोंको बर्बर तथा धर्मविरुद्ध व्यवहार बता कर उनकी भर्त्सना की। इसी प्रस्तावके द्वारा पंचोंका एक बोर्ड भी नियुक्त किया गया, जिसका काम दोनों सम्प्रदायोंके बीचके झगड़ोंका निबटारा करना और अल्पसंख्यकोंके अधिकारोंकी रक्षाके लिए एक योजना तैयार करना था। सम्मेलनने गांधीजीसे उपवास समाप्त करनेके लिए एक अपील भी जारी की। गांधीजीने इस अनुरोधको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उपवासको वे सीधे अपने और ईश्वरके बीचका मामला मानते थे।

कांग्रेसके भीतर स्वराज्यवादियोंकी स्थितिकी समस्या अत्यन्त जटिल थी। अपरिवर्तनवादी लोग चाहते थे कि कांग्रेसके मूल असहयोग कार्यक्रमका पालन निष्ठापूर्वक और कड़ाईसे किया जाये, लेकिन स्वराज्यवादियोंने कौंसिलोंमें जाकर वहाँ रोध-अवरोधकी नीतिसे काम लेनेका कार्यक्रम स्वीकारा था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी जून महीनेकी बैठकके बाद इन दोनों पक्षोंके बीच कांग्रेसको अपने-अपने नियन्त्रणमें

Gandhi Heritage Portal

रखनेके लिए बड़ी खींच-तान शुरू हो गई थी। गांधीजीने इसपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा: "देशमें इस समय जो घरेलू झगड़ा चल रहा है, उससे मैं अब बहुत परेशान हो गया हूँ।" (पृष्ठ ६९)। उनका निश्चित मत था कि स्वराज्य-वादियोंका कार्यक्रम देशके आन्तरिक विकासके लिए बाधक है, लेकिन अब उसका विरोध करनेकी उनकी कोई इच्छा नहीं रह गयी थी। ६ सितम्बरको च० राज-गोपालाचारीको उन्होंने लिखा: "मुझे तो दिनके उजालेकी तरह स्पष्ट नजर आ रहा है कि हमारे कार्यकर्त्ताओंमें जो बुराई घर कर गई है, हमें उसका सीधा प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। हमें पूर्णरूपसे सत्ताका परित्याग कर देना चाहिए। अगर अपने उद्देश्यमें हमारी आस्था है, तो हमें सफलता मिलनी ही चाहिए।" (पृष्ठ १०५)। लेकिन आम परिवर्तनवादी सदस्योंको यह रवैया ठीक नहीं लगा। उन्होंने इसे आत्म-समर्पण कहा। मगर गांधीजीका उद्देश्य भी तो आत्म-समर्पण ही था। 'यंग इंडिया' में अपनी स्थितिपर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लिखा: "अब मेरे अन्दर संघर्षका भाव बिलकुल नहीं रह गया है। मैं एक जन्मजात लड़ाका हूँ। मेरे लिए इतना ही कहना बहुत है। मैं अपने सर्वाधिक प्रिय जनोंतक से लड़ा हूँ। पर मैं लड़ा हूँ प्रेम-भावसे प्रेरित होकर ही। स्वराज्यवादियोंसे भी प्रेम-भावसे प्रेरित होकर ही लड़ा जा सकता है। पर मैं देखता हूँ कि पहले मुझे अपने प्रेम-भावको साबित करना होगा। मैं समझता था कि मैं इसे साबित कर चुका हूँ। लेकिन देखता हूँ कि नहीं, मैं गलती-पर था। इसीलिए मैं अपने कदम वापस ले रहा हूँ।" (पृष्ठ १३२)। और फिर "प्रेमका नियम" शीर्षक लेखमें उन्होंने कहा: "मुझे हरएकको दिखा देना चाहिए कि मैं जो कहता हूँ, वही हूँ——अर्थात् मैं हरएकका मित्र और सेवक हूँ।" (पृष्ठ २७९)। जब गांधीजी स्वराज्यवादी दलसे समझौता करनेके उद्देश्यसे मोतीलाल नेहरूसे वार्ता चला रहे थे, तभी बंगालमें सरकारी दमनका चक्र जोरोंसे चल पड़ा और बहुतसे लोग बिना मुकदमा चलाये ही जेलोंमें बन्द कर दिये गये। कांग्रेसके अन्दर एकताकी आवश्यकता और भी बढ़ गई, क्योंकि अब उसे एक ऐसा अनुशासित संगठन बनाना था जो वक्तके हर तकाजेका सही जवाब दे सके। निदान ६ नवम्बरको कलकत्तामें गांधीजी और स्वराज्यवादी नेताओंके बीच समझौता हो गया। इसके अनुसार तय पाया गया कि स्वराज्यवादी दलको अपना कौंसिल-कार्यक्रम कांग्रेसके नामपर चलाने-की छूट दी जायगी और बदलेमें वह रचनात्मक कार्यक्रम तथा कांग्रेसकी सदस्यताकी योग्यताके रूपमें प्रतिदिन सूत कातनेके नियमको दाखिल करनेका समर्थन करेगा। अन्य दलोंको कांग्रेसके भीतर एक मंचपर लानेके उद्देश्यसे समझौतेमें यह प्रस्ताव भी रखा गया कि असहयोग आन्दोलनके अंगके रूपमें जो विभिन्न बहिष्कार आरम्भ किये गये थे, उनमें से विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारको छोड़कर अन्य सबको स्थगित कर दिया जाये। २३ नवम्बरको बम्बईमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें इस समझौतेको उचित ठहराते हुए गांधीजीने कहा: "मैं एक तरहसे यह स्वीकार करता हूँ कि असहयोगकी लड़ाईका या सविनय अवज्ञा आन्दोलनका नेतृत्व करना मैं तबतक असम्भव समझता हूँ जबतक हमारे साथ देशका . . . प्रबुद्ध लोगोंका एक ऐसा बहुत बड़ा समूह न हो, जिसकी सहानुभूति हमारे पक्षमें हो और यहाँतक कि वह

Gandhi Heritage Portal

सक्रिय रूपसे हमारे साथ सहयोग करे। इसकी अपेक्षा हम तबतक नहीं कर सकते जबतक कि कुछ मामलोंमें हम उनकी बात न मानें।" (पृष्ठ ३७४)।

स्वराज्यवादी दलके प्रति समझौतेके इस रवैयेसे अपरिवर्तनवादी लोग बड़ी विषम स्थितिमें पड़ गये। गांधीजी उनकी परेशानीको समझते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें समझाया कि कांग्रेसमें उनकी स्थिति चाहे जैसी रहे, वे उसकी कोई चिन्ता न करते हुए एकाग्रचित्त होकर रचनात्मक कार्यक्रमको पूरा करनेमें जुट जायें। सबसे कट्टर असहयोगी च० राजगोपालाचारीको लिखे अपने १५ सितम्बरके पत्रमें उन्होंने कहा: "मैं जानता हूँ कि मैं आपके और दूसरे लोगोंके लिए अपने-आपको इन आकस्मिक परिवर्तनोंके अनुकूल ढाल लेना कितना मुश्किल होगा। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या! मैं जानता हूँ कि मैं अपने साथियोंकी निष्ठा और आस्थापर अनुचित दबाव डाल रहा हूँ।" (पृष्ठ १५८)। उन्होंने असहयोगियोंको इन शब्दोंमें समझाया: "अपना उद्देश्य पानेके लिए हमें थोड़ा झुकना है। हम व्यक्तिगत रूपसे असहयोगके छोटेसे-छोटे अंशको भी कायम रखें, किन्तु साथ ही हमें चाहिए कि जो लोग इसमें विश्वास नहीं रखते, हम उनका मार्ग इसके लिए सुगम बनायें कि वे हमें और रचनात्मक प्रयत्नोंमें देशको सहायता दें। . . . क्या यह देख सकना बिलकुल आसान नहीं है कि सेवाके लिए न सत्ताकी आवश्यकता है, न पद-प्रतिष्ठाकी? मैं तो चाहता हूँ कि हममें से हर आदमी केवल देशका सेवक बन जाये। मैं चाहूँगा कि अपरिवर्तनवादी लोग ऐसा व्यवहार करें कि स्वराज्यवादी, लिबरल तथा अन्य सब उनकी आवश्यकता महसूस करें।" (पृष्ठ २७८-७९)। अपने सहयोगियोंकी उन्हें कितनी चिन्ता रहती थी, इसका परिचय हमें राजाजीके नाम लिखे उनके पत्रकी इन पंक्तियोंमें मिलता है: "मेरी यही कामना है कि यह आपके व्यथित हृदयके लिए मरहमका काम करे। . . . बारडोलीमें मैंने अहिंसाके क्षेत्रमें एक दिशामें सबसे साहसपूर्ण प्रयोग किया था। यह समझौता दूसरी दिशामें सबसे साहसपूर्ण प्रयोग है।" (पृष्ठ ३४५-४६)।

कलकत्ता-समझौतेकी तजवीजके मुताबिक बम्बईमें २१ और २२ नवम्बरको एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। इसका उद्देश्य सरकारके विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा तैयार करना था। सरकारने सम्भवतः मुख्य रूपसे स्वराज्यवादी दलको कुचलनेके लिए बंगालमें दमनकी नीति आरम्भ कर दी थी। देशके राष्ट्रवादी तत्त्वोंके आपसी मतभेदों और फूटसे लाभ उठानेकी सरकारी चालको गांधीजी भली-भाँति समझ गये थे। उनके कहनेपर सर्वदलीय सम्मेलनने एक प्रस्ताव पास करके सरकारकी कारगुजारियोंकी तीव्र भर्त्सना की और "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके साथ देशके अन्य राजनीतिक दलोंको फिरसे मिलाने और स्वराज्यकी एक योजना तैयार करनेका सर्वोत्तम रास्ता क्या हो, इसपर विचार करनेके लिए एक समिति नियुक्त की। (पृष्ठ ३६५)। यह कोई सरल काम नहीं था। लिबरलों और इंडिपेंडेंटोंके कांग्रेसमें शामिल होनेके रास्तेमें कुछ अड़चनें थीं। इनमें से एक तो थी स्वराज्यका सिद्धान्त, जिसका अर्थ पूर्ण स्वराज्य भी लगाया जा सकता था। फिर, उन्हें कांग्रेसमें स्वराज्यवादी दलके दर्जे और सदस्यताके लिए प्रतिदिन सूत कातनेकी शर्तपर भी आपत्ति थी। इन सभी प्रश्नोंपर गांधीजीके विचार बिलकुल निश्चित थे। फिर भी, उन्होंने दूसरे दलोंको

Gandhi Heritage Portal

आश्वस्त करते हुए कहा: "यह समिति सभी दलोंको एकताके सूत्रमें बाँधनेके लिए जो भी समुचित उपाय करना वांछनीय समझेगी, मैं उसके रास्तेमें हठपूर्वक कोई बाधा नही डालूँगा। . . .मैं बहुत विनम्रतापूर्वक उनके दृष्टिकोणको जानने-समझानेका प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मेरा अपना कोई निजी उद्देश्य तो है नहीं। . . .तो सभी दल ऐसा रास्ता ढूँढ़ निकालनेके लिए ईमानदारी और लगनके साथ कोशिश करें। एक संयुक्त मंच खोज निकालनेके लिए वे समितिकी कार्यवाहीके प्रति विश्वास और संकल्पका रवैया अपनायें।" (पृष्ठ ३८८)।

गांधीजीको आगामी कांग्रेसका अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने ईश्वरका निर्देश पानेके लिए बहुत प्रार्थना और आत्म-चिन्तन करनेके बाद ही इस सम्मानको स्वीकार किया। उन्होंने कहा, "मेरे और . . . भारतके समस्त शिक्षित समुदायके बीच भेदकी जबरदस्त खाई दिखाई दे रही है और . . . देशका पूरा बौद्धिक वर्ग मेरी विचार-पद्धति और कार्य-विधिके विरुद्ध खड़ा जान पड़ता है।" (पृष्ठ ३८०)। अपने अध्यक्षीय भाषणमें उन्होंने राष्ट्रकी स्थितिका, कलकत्तेके समझौतेका और उससे उठनेवाले प्रश्नोंका अत्यन्त सम्यक् और आधिकारिक विवरण प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने स्वराज्यवादी दलके महत्त्वके सम्बन्धमें, असहयोग आन्दोलन स्थगित करनेके बाद राष्ट्रीय शालाओंकी भूमिकाके विषयमें और बंगालके दमनके बारेमें भी अपने विचार स्पष्ट किये। उन्होंने अपनी कल्पनाके स्वराज्यकी एक रूप-रेखा भी प्रस्तुत की और कहा, "मैं साम्राज्यके भीतर स्वराज्य लेनेका उद्योग करना चाहता हूँ, किन्तु यदि ब्रिटेनके दोषके कारण उससे सम्बन्ध तोड़ लेना आवश्यक हुआ तो मैं पूर्णत: सम्बन्ध तोड़नेमें भी नहीं झिझकूँगा। यदि ऐसा हो तो मैं ब्रिटेनसे अलग होनेकी जिम्मेदारी अंग्रेज लोगोंपर ही डालूँगा।" (पृष्ठ ५१६)। अपने भाषणके अन्तमें उन्होंने असहयोग और सत्याग्रहमें अपनी दृढ़ आस्था फिरसे व्यक्त करते हुए कहा: "एक कांग्रेसीकी हैसियतसे कांग्रेसको ज्योंका-त्यों कायम रखनेके लिए मैं असहयोगको मुल्तवी रखनेकी सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि राष्ट्र इसके लिए अभी तैयार नहीं है। लेकिन एक व्यक्तिकी हैसि-यतसे मैं तबतक ऐसा नहीं कर सकता —— न करूँगा ही —— जबतक कि यह सरकार जैसीकी-तैसी बनी हुई है। . . . असहयोग और सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह नामक एक ही वृक्षकी अलग-अलग शाखाएँ हैं। यह मेरा कल्पद्रुम —— जाम-ए-जम —— है। . . .इस सत्याग्रहने दक्षिण आफ्रिका, खेड़ा या चम्पारनमें मुझे निराश नहीं किया। मैं ऐसे और भी बहुत-से प्रसंग गिना सकता हूँ जब इसने, इससे जितनी भी आशाएँ की गईं थीं, सब पूरी कीं। इसमें किसी किस्मकी हिंसा या घृणा-भावके लिए जगह नहीं है। इसलिए मैं अंग्रेजोंसे नफरत नहीं कर सकता और न करूँगा। पर साथ ही मैं उनके जुएको भी गवारा नहीं कर सकता।" (पृष्ठ ५२४)

इस खण्डमें समाविष्ट पत्रोंमें से कुछ तो अपने सहयोगियोंके साथ गांधीजीके व्यक्तिगत सम्बन्धकी सुन्दर झाँकी प्रस्तुत करते हैं। सी० एफ० एन्ड्रयूजको लिखे अपने २५ अगस्तके पत्रमें उन्होंने निम्न सलाह दी: "क्या तुम कुछ समय सन्तोषके साथ आराम करनेमें नहीं बिताना चाहोगे? कर्म प्रार्थना है, पर यह पागलपन भी हो सकता है।" (पृष्ठ ४०)। और पत्रके अन्तमें उन्होंने लिखा: "अगाध स्नेहके

Gandhi Heritage Portal

साथ।" (पृष्ठ ४०)। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरूको लिखे पत्रोंसे प्रकट होता है कि उन्हें पिता-पुत्र दोनोंकी कितनी चिन्ता लगी रहती थी। मोतीलाल नेहरूको अपने २ सितम्बरके पत्रमें उन्होंने लिखा, "पिछले पत्रकी तरह ही यह पत्र भी मैं जवाहरलालकी सिफारिश करनेके लिए ही लिख रहा हूँ। भारतमें बहुत अकेलापन महसूस करनेवाले जिन नौजवानोंसे मिलनेका मुझे मौका मिला है, वह उनमें से एक है। आपके मानसिक रूपसे उसका त्याग कर देनेके खयालसे मुझे बहुत दुःख होता है। . . . मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरहसे इस अद्‌भुत प्रेम-सम्बन्धमें बाधक नहीं बनना चाहता।" (पृष्ठ ६८-६९)। जवाहरलाल नेहरूके एक पत्रके उत्तरमें उन्होंने लिखा: "अभी तो पिताजी चिढ़े हुए हैं और मैं बिलकुल नहीं चाहता कि तुम या मैं उनकी झुँझलाहट बढ़नेका जरा भी मौका दें। . . . उन्हें दुखी देखकर मुझे दुःख होता है। उनकी चिढ़ जानेकी प्रवृत्तिसे साफ जाहिर है कि वे दुःखी हैं।" (पृष्ठ १५७) और फिर रोमाँ रोलाँ को लिखे पत्रमें वे मीराबहनके बारे में कहते हैं: "कैसी अमूल्य निधि आपने मुझे सौंपी है। मैं आपके इस अगाध विश्वासके योग्य बननेकी कोशिश करूँगा। मैं कुमारी स्लेडकी हर तरसे सहायता करनेकी कोशिश करूँगा, ताकि वे पूर्व और पश्चिमके बीच एक लघुसेतु बन सकें।" (पृष्ठ ३४१)

इस खण्डमें आपको यत्र-तत्र गांधीजीकी निजी मान्यताओंकी स्वीकृति भी देखनेको मिलेगी। "मेरे जेलके अनुभव" में यह इतिहास-निर्माता इतिहासके अध्ययन-के सम्बन्धमें अपने विचार व्यक्त करते हुए निष्कर्ष-रूपमें कहता है: "जो शाश्वत है और इसलिए महत्त्वपूर्ण है, वह मात्र घटनाओंको दर्ज करनेवाले इतिहासकारकी पकड़में नहीं आता। सत्य इतिहाससे परे है।" (पृष्ठ १३६) धर्म और राजनीतिके प्रति अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा: "मेरे लिए मानवकी या प्राणि-मात्रकी सेवा धर्म बन गई है और मैं इस धर्म और राजनीतिमें अन्तर नहीं करता।" (पृष्ठ ५५)। मानव-जातिके कल्याणके लिए अपने हृदयकी आकुलता व्यक्त करते हुए एक और स्थलपर उन्होंने लिखा है: "आप मुझे महात्मा कहते हैं। इसका कारण न तो मेरा सत्य है और न मेरी अहिंसा-वृत्ति बल्कि इसका कारण दीन दुखियोंके प्रति मेरा अगाध प्रेम है। चाहे कुछ भी हो जाये, पर मैं इन फटेहाल नर-कंकालोंको नहीं भूल सकता, नहीं छोड़ सकता।" (पृष्ठ ६३)। लेकिन गांधीजीकी मानवीयताका उत्स उनकी भगवद्‌भक्ति ही थी। जैसा कि उन्होंने "बोलशेविज्म या आत्मसंयम" शीर्षक लेखमें स्वयं कहा है, उनका आन्दोलन नास्तिक नहीं था। "वह ईश्वरको नहीं नकारता। वह तो उसीके नामपर शुरू किया गया है और निरन्तर उसकी प्रार्थना करते हुए चलाया जा रहा है।" (पृष्ठ १९)। उनके सार्वजनिक जीवनमें उनके सामने जब भी कोई विचिकित्साका प्रसंग आता था, वे सही उत्तर पानेके लिए अपनी अन्तरात्माको टटोलते थे, ईश्वरसे प्रार्थना करते थे और जब कुछ कालके लिए उन्हें अन्तरात्मा अथवा ईश्वरसे कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता था, वे बहुत परेशान हो उठते थे। 'फाउस्ट'की मार्गरेटकी दशाको स्मरण करते हुए उन्होंने एक ऐसे ही प्रसंगपर लिखा, "जान पड़ता है, मैं भी अपने प्रियतमसे हाथ

Gandhi Heritage Portal

बो बैठा हूँ, और ऐसा मालुम होता है कि मैं इधर-उधर भटक रहा हूँ। मुझे अनुभव तो ऐसा होता है कि मेरा सखा निरन्तर मेरे आसपास है, पर फिर भी वह मुझसे दूर प्रतीत होता है, क्योंकि वह मुझे ठीक-ठीक राह नहीं दिखा रहा है। . . . बल्कि उलटा, गोपियोंके छलिया नटखट कृष्णकी तरह वह मुझे चिढ़ाता है। कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है, और कभी फिर दिखाई दे जाता है।" (पृष्ठ ८३)। वे बार-बार चरखेके पास जाकर बैठते रहे और अन्तमें तब जब उन्हें शान्तिकी तलाश नहीं रह गई थी, वह "अनायास ही मिल गई।" उनकी अन्तरात्माने उनसे कहा, "यदि तुम और किसी भी बातकी परवाह न करो, बल्कि केवल जिसे तुम अपना कर्त्तव्य समझते हो उसीका पालन करो तो सबकुछ ठीक होगा।" (पृष्ठ ४८२)। गांधीजीने स्वयं ही पाठकोंका ध्यान "नियमित रूपसे कार्य करनेकी उपयोगिता" की ओर दिलाया और बताया कि उनके लिए अनुक्रमणिका तैयार करने-जैसा शुष्क और उबानेवाला काम किस तरह एक दैनिक व्यायाम और व्यक्तिको तन्मय कर देनेवाला काम बन गया। (पृष्ठ १६५)। स्वच्छता और दृढ़ता सही कर्मसे आती है। "किसी बातको अपने आचरणमें उतारना ही उसके पक्षमें दिया गया सबसे अच्छा भाषण है और उसके लिए किया गया सबसे अच्छा प्रचार है; यह काम हर व्यक्ति कर सकता है तथा इसमें कोई विघ्न-बाधा भी नहीं डालेगा। दूसरोंकी चिन्ता न करना अहुरमज्दका तरीका है। अहरमन हमें हमारे विश्वाससे डिगाकर अपने जालमें फँसाता है। ईश्वर काबा या काशीमें नहीं है। वह तो हम सबके भीतर है। इसलिए स्वराज्य भी हमें अपने भीतर खोजनेसे ही मिलेगा। यदि हम दूसरोंसे या अपने साथी कार्यकर्त्ताओंसे भी यह आशा करें कि वे स्वराज्य लेकर हमें दे देंगे, तो हमारी यह आशा व्यर्थ होगी।" (पृष्ठ ४८३)

Gandhi Heritage Portal

Gandhi Heritage Portal

आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम साबरमती आश्रम संरक्षक तथा स्मारक न्यास (साबरमती आश्रम प्रिजर्वेशन ऐंड मेमोरियल ट्रस्ट) और संग्रहालय; नवजीवन ट्रस्ट; गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद; गांधी स्मारक निधि व संग्रहालय, नई दिल्ली; बम्बई सरकार; सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी) बम्बई प्रान्तीय समिति, बम्बई; श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, नई दिल्ली; श्रीमती राजकुमारी अमृतकौर, नई दिल्ली; श्री छगनलाल गांधी, अहमदाबाद; श्री डाह्याभाई मनोहरभाई पटेल, अहमदाबाद; श्रीमती गंगाबहन वैद्य, बोचासण; श्री घनश्यामदास बिड़ला, कलकत्ता; श्री कपिल ठक्कर, भावनगर; श्री काशीनाथ केलकर, पूना; श्रीमती लक्ष्मीबाई खरे, साबरमती आश्रम; कुमारी मेडेलिन स्लेड (मीराबहन) गाडेन, आस्ट्रिया; श्री महेश पट्टणी, भावनगर; श्री नारणदास गांधी, राजकोट; श्री नारायण देसाई, बारडोली; श्री परशुराम मेहरोत्रा, नई दिल्ली; आर० के० प्रभु; श्रीमती राधाबहन चौधरी, कलकत्ता; श्री शान्तिकुमार मोरारजी, बम्बई; श्रीमती शारदाबहन शाह, वढवान; श्रीमती वसुमती पंडित, सूरत; श्री विष्णुदयाल, अजमेर; 'अमृतबाजार पत्रिका'; 'आज', 'इंडियन रिव्यू', 'गुणसुन्दरी', 'ट्रिब्यून', 'नवजीवन', 'न्यू इंडिया', 'बॉम्बे क्रॉनिकल', 'यंग इंडिया', 'हिन्दी नवजीवन', 'हिन्दुस्तान टाइम्स', 'हिन्दू' समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं और निम्नलिखित पुस्तकोंके प्रकाशकोंके आभारी हैं: 'बापुना पत्रो मणिबहन पटेलने', 'बापुना पत्रो-सरदार वल्लभभाई पटेलने', 'बापुनी प्रसादी', 'ए बन्च ऑफ ओल्ड लेटर्स', 'गांधीजीकी छत्रछायामें', 'लैटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री', 'लाइफ ऑफ श्रीरामकृष्ण', 'महादेवभाईनी डायरी खण्ड – ७' 'महात्मा-खण्ड – २', 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट, 'द स्टोरी ऑफ माई लाइफ खण्ड – २'।

अनुसंधान व संदर्भ सम्बन्धी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पुस्तकालय, इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स पुस्तकालय, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय अनुसंधान ओर संदर्भ विभाग (रिसर्च ऐंड रिफरेंस डिविजन), नई दिल्ली, श्री प्यारेलाल नय्यर हमारे धन्यवादके पात्र हैं। प्रलेखोंकी फोटोनकल तैयार करनेमें मदद देनेके लिए हम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयके फोटो विभाग, नई दिल्लीके आभारी हैं।

Gandhi Heritage Portal

पाठकोंको सूचना

हिन्दीकी जो सामग्री गांधीजीके स्वाक्षरोंमें मिली है उसे अविकल रूपमें दिया गया है। किन्तु दूसरों द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा लेख आदिमें हिज्जोंकी स्पष्ट भूलोंको सुधार कर दिया गया है।

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करनेमें अनुवादको मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है, किन्तु साथ ही भाषा सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। छापेकी स्पष्ट भूलें सुधारनेके बाद अनुवाद किया गया है और मूलमें प्रयुक्त शब्दोंके संक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये हैं। नामोंको सामान्य उच्चारणके अनुसार ही लिखनेकी नीतिका पालन किया गया है। जिन नामोंके उच्चारणमें संशय था उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गांधीजीने अपने गुजराती लेखोंमें लिखा है।

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गांधीजीने किसी लेख, भाषण आदिका जो अंश मूल रूपमें उद्धृत किया है, वह हाशिया छोड़-कर गहरी स्याहीमें छापा गया है, लेकिन यदि ऐसा कोई अंश उन्होंने अनूदित करके दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर साधारण टाइपमें छापा गया है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजीके कहे हुए नहीं हैं, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये हैं। भाषणों और भेंटकी रिपोर्टोंके उन अंशोंमें जो गांधीजीके नहीं हैं कुछ परिवर्तन किया गया है और कहीं-कहीं कुछ छोड़ दिया गया है।

शीर्षककी लेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध है, वहाँ दायें कोनेमें ऊपर दे दी गई है; परन्तु जहाँ वह उपलब्ध नहीं है वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोंमें की गई है और आवश्यक होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोंमें केवल मास या वर्षका उल्लेख है उन्हें आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमें रखा गया है। शीर्षकके अन्तमें साधन-सूत्रके साथ दी गई तिथि प्रकाशनकी है। गांधीजीकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ और लेख, जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी दृढ़ आधारपर उसका अनुमान किया जा सका है, वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव नहीं हुआ है वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये हैं।

साधन-सूत्रोंमें 'एस० एन०' संकेत साबरमती संग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध सामग्रीका, 'जी० एन०' गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्लीमें उपलब्ध कागज-पत्रोंका और 'सी० डब्ल्यू०' सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी) द्वारा संग्रहीत पत्रोंका सूचक है।

सामग्रीकी पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये गये हैं। अन्तमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालका तारीखवार जीवन-वृत्तान्त दिया गया है।

Gandhi Heritage Portal

विषय-सूची

पृष्ठ

भूमिका ५

आभार १३

पाठकोंको सूचना १४

चित्र-सूची २८

१. पत्र : वसुमती पण्डितको (१६-८-१९२४) १

२. पत्र : राधा गांधीको (१६-८-१९२४) १

३. मलाबार संकट-निवारण (१७-८-१९२४) २

४. शिक्षक और चरखेकी शिक्षा (१७-८-१९२४) ५

५. टिप्पणियाँ : मौलाना शौकत अली काठियावाड़में; तकलीकी उपयोगिता; राष्ट्रीय स्कूलोंमें दण्ड-नीति; क्या वे राक्षस थे?; अन्त्यजोंके प्रति तिरस्कार; अन्त्यज स्कूलों की कमी; करुणाजनक; सहानुभूतिका अभाव; परदेशी बनाम स्वदेशी खाँड; काठियावाड़में खादी–प्रचार; अमरेली खादी-कार्यालय (१७–९–१९२४) ५

६. गांधीजीके लिए या देशके लिए? (१७-८-१९२४) ११

७. क्षमा-प्रार्थना (१७-८-१९२४) १२

८. पत्र : अजमेरके यातायात अधीक्षकको (१८-८-१९२४) १२

९. तार : एन० एच० बेलगाँववालाको (१९-८-१९२४ या उसके पश्चात्) १४

१०. टिप्पणियाँ : पहली किस्त; अली भाइयोंका हिस्सा; आचार्य गिडवानी; मन्दिरोंकी पवित्रताका भंग; नेटालके भारतीय; केनियाका फैसला (२१-८-१९२४) १४

११. बोल्शेविज्म या आत्म-संयम? (२१-८-१९२४) १९

१२. शक्तिका अपव्यय? (२१-८-१९२४) २१

१३. अन्तःकरणकी आड़में (२१-८-१९२४) २४

१४. मार्गकी कठिनाइयाँ (२१-८-१९२४) २६

१५. हब्शियोंकी सहानुभूति (२१-८ १९२४) २८

१६. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको (२१-८-१९२४) २९

१७. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको (२२-८-१९२४) ३०

१८. भेंट : हिन्दू-मुस्लिम एकतापर (२२-८-१९२४) ३१

१९. पत्र : जमनालाल बजाजको (२३-८-१९२४) ३१

२०. पत्र : भवानी दयालको (२३-८-१९२४) ३२

२१. पत्र : अब्बास तैयबजीको (२३-८-१९२४) ३२

२२. भाषण : मजदूरोंकी सभा, अहमदाबादमें (२३-८-१९२४) ३३

२३. पहली परीक्षा (२४-८-१९२४) ३३

Gandhi Heritage Portal

२४. टिप्पणियाँ : वंध्या पार्लियामेंट; अन्तरात्माकी पुकार (२४-८-१९२४) ३६
२५. पत्र : च० राजगोपालाचारीको (२४-८-१९२४) ३७
२६. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रचूजको (२५-८-१९२४ से पूर्व) ३९
२७. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रचूजको (२५-८-१९२४) ४०
२८. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको (२५-८-१९२४) ४१
२९. भाषण : अहमदाबाद नगरपालिकाके अभिनन्दनके उत्तरमें (२६-८-१९२४) ४१
३०. पत्र : अब्दुल मजीदको (२७-८-१९२४) ४३
३१. टिप्पणियाँ : लॉर्ड लिटनकी सफाई; अधीनताका बिल्ला; मिलकी खादी; विदेशोंमें रहनेवाले भारतीय; ध्यान दीजिए (२८-८-१९२४) ४४
३२. गुलबर्गाका पागलपन (२८-८-१९२४) ४८
३३. आँकड़ोंपर विचार (२८-८-१९२४) ५१
३४. दो पहलू (२८-८-१९२४) ५२
३५. दक्षिण भारतके बाढ़-पीड़ितोंको सहायता (२८-८-१९२४) ५५
३६. भाषण : बम्बई-निगमके अभिनन्दनके उत्तरमें (२९-८-१९२४) ५५
३७. पत्र : मोतीलाल नेहरूको (३०-८-१९२४) ५६
३८. वक्तव्य : राष्ट्रीय एकताके बारेमें (३१-८-१९२४) ५८
३९. भाषण : एक्सेलिसयर थियेटर, बम्बईमें (३१-८-१९२४) ५९
४०. भाषण : बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें (३१-८-१९२४) ६६
४१. पत्र : वाइकोम सत्याग्रह आश्रमके मन्त्रीको (१-९-१९२४) ६७
४२. पत्र : शुएब कुरैशीको (१-९-१९२४) ६७
४३. पत्र : बम्बईके यातायात महाप्रबन्धकको (१-९-१९२४ या उसके पश्चात्) ६८
४४. पत्र : मोतीलाल नेहरूको (२-९-१९२४) ६८
४५. पत्र : एक मित्रको (२-९-१९२४) ६९
४६. पत्र : कान्ति गांधीको (२-९-१९२४) ७०
४७. भाषण : नेशनल मैडिकल कालेज, बम्बईमें (२-९-१९२४) ७०
४८. भाषण : कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें (२-९-१९२४) ७१
४९. तार : मोतीलाल नेहरूको (२-९-१९२४ या उसके पश्चात्) ७१
५०. पत्र : सन्तोक गांधीको (३-९-१९२४) ७२
५१. अविस्मरणीय (४-९-१९२४) ७३
५२. बम्बईका खादी-भण्डार (४-९-१९२४) ७७
५३. बनारसमें कताई (४-९-१९२४) ७७
५४. पतितोंके लिए (४-९-१९२४) ७९
५५. टिप्पणियाँ : न्यूनतम समान कार्यक्रम; कब खत्म होगी ? ; सभापतिके बारेमें ? फिर नागपुर; आन्ध्रमें प्रगति (४-९-१९२४) ८०
५६. कसौटीपर (४-९-१९२४) ८५
५७. जेलके अनुभव – ११ (४-९-१९२४) ८८
५८. भाषण : पूनाकी सार्वजनिक सभामें (४-९-१९२४) ९४

Gandhi Heritage Portal

५९. भाषण : तिलक महाविद्यालय, पूनाके दीक्षान्त समारोहमें (४-९-१९२४) ९६
६०. पूनाके कार्यकर्त्ताओंके साथ चर्चा (४-९-१९२४) ९७
६१. भाषण : सूरतके कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओंके समक्ष (५-९-१९२४) ९९
६२. भाषण : सूरतकी सार्वजनिक सभामें (५-९-१९२४) ९९
६३. सन्देश : 'साँझ वर्तमान'को (६-९-१९२४ से पूर्व) १०१
६४. तार : पण्डित मदनमोहन मालवीयको (६-९-१९२४) १०२
६५. तार : मुहम्मद अलीको (६-९-१९२४) १०२
६६. पत्र : गोपबन्धु दासको (६-९-१९२४) १०३
६७. पत्र : मोतीलाल नेहरूको (६-९-१९२४) १०३
६८. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (६-९-१९२४) १०४
६९. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको (६-९-१९२४) १०५
७०. पत्र : जमनालाल बजाजको (६-९-१९२४) १०६
७१. टिप्पणी : खादी प्रचार (७-९-१९२४) १०७
७२. सूतकी जाँच (७-९-१९२४) १०८
७३. दादाभाई नौरोजीकी जयन्ती (७-९-१९२४) १०९
७४. बम्बईकी उदारता (७-९-१९२४) १११
७५. दो प्राचीन पुस्तकें (७-९-१९२४) ११२
७६. पत्र : कनिकाके राजा साहबको (७-९-१९२४) ११३
७७. पत्र : मुहम्मद अलीको (८-९-१९२४) ११३
७८. पत्र : सतीशचन्द्र मुखर्जीको (८-९-१९२४) ११५
७९. पत्र : वसुमती पण्डितको (८-९-१९२४) ११६
८०. पत्र : आनन्दानन्दको (८-९-१९२४) ११७
८१. पत्र : जमनालाल बजाजको (१०-९-१९२४) ११८
८२. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको (१०-९-१९२४) ११८
८३. पत्र : तारामती मथुरादासको (१०-९-१९२४) ११९
८४. टिप्पणियाँ : आगामी १५ तारीख; कुछ और आँकड़े; प्रतिनिधियोंके अतिरिक्त; योग्य कार्य; वाइकोम-सत्याग्रह; राष्ट्रीय स्वयंसेवक; एक भद्दी तुलना; असन्तोषजनक उत्तर; अनुकरणीय उदाहरण; कांग्रेसियों द्वारा जालसाजी (११-९-१९२४) ११९
८५. वास्तविकताएँ (११-९-१९२४) १२७
८६. जेलके अनुभव – ११ [चालू] (११-९-१९२४) १३३
८७. पत्र : एक मित्रको (११-९-१९२४) १३७
८८. पत्र : इन्द्र विद्यावाचस्पतिको (११-९-१९२४) १३८
८९. तार : कृष्णदासको (१२-९-१९२४ से पूर्व) १३९
९०. तार : बालमुकुन्द वाजपेयीको (१२-९-१९२४) १३९
९१. तार : अब्दुल बारीको (१२-९-१९२४) १३९

REFERENCE BOOK
12 DEC 1989
Gandhi Heritage Portal

९२. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको (१३-९-१९२४) १४०
९३. पत्र : फूलचन्द शाहको (१३-९-१९२४) १४०
९४. पत्र : राधा गांधीको (१३-९-१९२४) १४१
९५. पत्र : सन्मुखरायको (१३-९-१९२४) १४२
९६. पत्र : शरद् कुमार घोषको (१३-९-१९२४ के पश्चात्) १४२
९७. हिन्दू-मुस्लिम एकता (१४-९-१९२४) १४३
९८. असफलताके कारण (१४-९-१९२४) १४७
९९. टिप्पणियाँ : कातनेवालोंको निर्देश; काठियावाड़ियोंसे क्षमायाचना; प्रचार कैसे करें?; बुनाईके कामसे कमाई (१४-९-१९२४) १५२
१००. पत्र : एनी बेसेंटको (१४-९-१९२४) १५४
१०१. पत्र : आनन्दानन्दको (१४-९-१९२४ या उसके पश्चात्) १५५
१०२. तार : अब्दुल बारीको (१४-९-१९२४ के पश्चात्) १५६
१०३. टिप्पणी : आधी रातका कतैया (१५-९-१९२४) १५६
१०४: पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (१५-९-१९२४) १५७
१०५. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको (१५-९-१९२४) १५८
१०६. भाषण : 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दिल्लीके उद्घाटन-समारोहके अवसरपर (१५-९-१९२४) १५९
१०७. तार : जमनादास द्वारकादास को (१५-९-१९२४ या उसके पश्चात्) १६०
१०८. सन्देश : लाहौरके 'हिन्दू' को (१५-९-१९२४ या उसके पश्चात्) १६०
१०९. पत्र : वल्लभभाई पटेलको (१६-९-१९२४) १६१
११०. टिप्पणियाँ : किसी कांग्रेसीका सम्बन्ध नहीं; किसीके जरिये नहीं (१७-९-१९२४) १६१
१११. जेलके अनुभव — ११ [चालू] (१७-९-१९२४ से पूर्व) १६३
११२. पत्र : मुहम्मद अलीको (१७-९-१९२४) १६६
११३. मौन-दिवसकी टीप (१७-९-१९२४) १६६
११४. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको (१७-९-१९२४) १६७
११५. पत्र : मोतीलाल नेहरूको (१७-९-१९२४) १६८
११६. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको (१७-९-१९२४) १६८
११७. पत्र : वसुमती पण्डितको (१७-९-१९२४) १६९
११८. पत्र : रुक्मिणी गांधीको (१७-९-१९२४) १६९
११९. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको (१८-९-१९२४ से पूर्व) १७०
१२०. टिप्पणियाँ : डा० एनी बेसेंटकी घोषणा; स्थगित किया जा रहा है या रद?; हृदयकी एकता; वाइकोम-सत्याग्रह; दक्षिण भारतके लिए सहायता; अपने प्रान्तका गर्व (१८-९-१९२४) १७१
१२१. सबसे बड़ा प्रश्न (१८-९-१९२४) १७७
१२२. स्पष्टीकरण (१८-९-१९२४) १८२
१२३. गांधीजीका खुलासा (१८-९-१९२४) १८४

Gandhi Heritage Portal

१२४. पत्र : एनी बेसेंटको (१८-९-१९२४) १८५
१२५. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको (१८-९-१९२४) १८५
१२६. पत्र : राधा गांधीको (१८-९-१९२४) १८६
१२७. महादेव देसाईके साथ बातचीत (१८-९-१९२४) १८७
१२८. तार : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको (१८-९-१९२४ या उसके पश्चात्) १८९
१२९. तार (१८-९-१९२४ के पश्चात्) १८९
१३०. ईश्वर एक है (१९-९-१९२४) १९०
१३१. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (१९-९-१९२४) १९३
१३२. पत्र : लक्ष्मीको (१९-९-१९२४) १९३
१३३. शौकत अलीसे बातचीत (१९-९-१९२४) १९४
१३४. तार : 'आउट लुक' को (१९-९-१९२४ या उसके पश्चात्) १९८
१३५. टिप्पणियाँ : कताईमें मासिक बढ़ती; सभापतिकी तरफसे इनाम (२०-९-१९२४) १९८
१३६. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको (२०-९-१९२४) २००
१३७. पत्र : वसुमती पण्डितको (२०-९-१९२४) २००
१३८. टिप्पणी : निराश नहीं, असहाय (२१-९-१९२४) २०१
१३९. आधे घंटेका अभ्यास (२१-९-१९२४) २०२
१४०. उनके प्रति हमारा कर्त्तव्य (२१-९-१९२४) २०४
१४१. धर्मके लिए "अधर्म" (२१-९-१९२४) २०६
१४२. 'नवजीवन' के पाठकोंसे (२१-९-१९२४) २०७
१४३. श्रद्धाकी परीक्षा (२१-९-१९२४) २०७
१४४. पत्र : हरनाम सिंहको (२१-९-१९२४) २०९
१४५. पत्र : अब्बास तैयबजीको (२१-९-१९२४) २१०
१४६. पत्र : देवदास गांधीको (२१-९-१९२४) २१०
१४७. पत्र : गंगाबहन वैद्यको (२१-९-१९२४) २११
१४८. पत्र : तुलसी मेहरको (२१-९-१९२४) २११
१४९. उपवासकी कहानी (२२-९-१९२४) २१२
१५०. टिप्पणी : पाठकोंको सूचना (२२-९-१९२४) २१६
१५१. तार : एस० श्रीनिवास आय्यंगारको (२२-९-१९२५) २१७
१५२. पत्र : सरलादेवी चौधरानीको (२२-९-१९२४) २१७
१५३. काम नहीं तो राय नहीं (२३-९-१९२४) २१७
१५४. तार : मु० रा० जयकरको (२३-९-१९२४) २२०
१५५. तार : कुम्भकोणम् कांग्रेस कमेटीको (२३-९-१९२४) २२१
१५६. पत्र : सतीशचन्द्र मुखर्जीको (२३-९-१९२४) २२१
१५७. पाठकोंसे (२४-९-१९२४) २२२
१५८. पत्र : सरलादेवी चौधरानीको (२४-९-१९२४) २२४

Gandhi Heritage Portal

१५९. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको (२४-९-१९२४) २२४
१६०. टिप्पणियाँ : एक मित्रका निधन; अमानुषिक व्यवहार (२५-९-१९२४) २२५
१६१ तार : घनश्यामदास बिड़लाको (२५-९-१९२४) २२८
१६२. पत्र : मणिबहन पटेलको (२६-९-१९२४) २२८
१६३. हिन्दू-मुस्लिम एकता सम्बन्धी प्रस्तावका मसविदा (२७-९-१९२४) २२९
१६४. पत्र : मोतीलाल नेहरूको (२७-९-१९२४) २३०
१६५. पत्र : नरहरि परीखको (२८-९-१९२४) २३२
१६६. हृदय-परिवर्तन (२९-९-१९२४) २३२
१६७. पत्र : श्रीमती हॉजकिन्सनको (३०-९-१९२४) २३३
१६८. सन्देश : 'गुणसुन्दरी' को (अक्तूबर १९२४) २३३
१६९. सन्देश : एनी बेसेंटके जन्म-दिवसपर (१-१०-१९२४) २३४
१७०. बम्बईके महिला-शिष्टमण्डलको उत्तर (१-१०-१९२४) २३५
१७१. क्या गुजरात हार जायेगा? (१-१०-१९२४) २३५
१७२. सन्देश : अन्तर्राष्ट्रीय अफीम सम्मेलनको (२-१०-१९२४से पूर्व) २३६
१७३. भाई परमानन्दके सन्देशका उत्तर (२-१०-१९२४) २३६
१७४. टिप्पणी : मैं मुसलमान क्यों नहीं होता (५-१०-१९२४) २३७
१७५. पत्र : जमनादास गांधीको (५-१०-१९२४) २३८
१७६. मेरा अवलम्ब (६-१०-१९२४) २३८
१७७. पत्र : ना० मो० खरेको (७-१०-१९२४) २३९
१७८. वक्तव्य : उपवास तोड़नेके पूर्व (८-१०-१९२४) २४०
१७९. तपकी महिमा (८-१०-१९२४) २४१
१८०. तार : मथुरादास त्रिकमजीको (८-१०-१९२४) २४१
१८१. पत्र : मुहम्मद अलीको (८-१०-१९२४) २४२
१८२. सन्देश : 'स्टेट्समैन' को (९-१०-१९२४ से पूर्व) २४२
१८३. सन्देश : अखबारोंको (९-१०-१९२४) २४३
१८४. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको (११-१०-१९२४) २४३
१८५. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको (१४-१०-१९२४) २४४
१८६. पत्र : स्वामी श्रद्धानन्दको (१४-१०-१९२४) २४५
१८७. असहयोगीका कर्त्तव्य (१५-१०-१९२४) २४५
१८८. पत्र : गंगाबहन वैद्यको (१५-१०-१९२४) २४६
१८९. एन्ड्र्यूजके साथ बातचीत (१५-१०-१९२४) २४७
१९०. गंगाबहन वैद्यके लिए पुस्तकोंके सम्बन्धमें टिप्पणी (१५-१०-१९२४ के पश्चात्) २५२
१९१. कताई सदस्यता (१६-१०-१९२४) २५३
१९२. इलाहाबाद और जबलपुर (१६-१०-१९२४) २५४
१९३. गुरुकुल काँगड़ी (१६-१०-१९२४) २५४

Gandhi Heritage Portal

१९४. पत्र : वाइसरायके निजी सचिवको (१६-१०-१९२४) २५४
१९५. ख्वाजा हसन निजामीके साथ बातचीत (१६-१०-१९२४ के आसपास) २५५
१९६. तार : मोतीलाल नेहरूको (१७-१०-१९२४ या उसके पश्चात्) २५७
१९७. तार : शाहजी अहमद अलीको (१७-१०-१९२५ या उसके पश्चात्) २५७
१९८. तार : डा० बी० एस० मुंजेको (१७-१०-१९२४ या उसके पश्चात्) २५८
१९९. पत्र : एनी बेसेंटको (१८-१०-१९२४) २५८
२००. तार : मोतीलाल नेहरूको (१९-१०-१९२४ या उसके पश्चात्) २५९
२०१. तार : चित्तरंजन दासको (१९-१०-१९२४ या उसके पश्चात्) २५९
२०२. एक रास्ता (२०-१०-१९२४) २५९
२०३. सन्देश : ट्रान्सवालके भारतीयोंको (२०-१०-१९२४) २६१
२०४. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको (२०-१०-१९२४) २६१
२०५. तार : पीलीभीत कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीको (२०-१०-१९२४ या उसके पश्चात्) २६२
२०६. तार : मोतीलाल नेहरूको (२०-१०-१९२४ या उसके पश्चात्) २६२
२०७. तार : डा० बी० एस० मुंजेको (२१-१०-१९२४ या उसके पश्चात्) २६३
२०८. तार : अबुल कलाम आजादको (२१-१०-१९२४ या उसके पश्चात्) २६३
२०९. तार : मोतीलाल नेहरूको (२१-१०-१९२४ या उसके पश्चात्) २६३
२१०. तार : पीलीभीत कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीको (२१-१०-१९२४ या उसके पश्चात्) २६४
२११. तार : कोण्डा वेंकटप्पैयाको (२१-१०-१९२४ या उसके पश्चात्) २६४
२१२. जी० रामचन्द्रन्के साथ बातचीत (२१ व २२-१०-१९२४) २६४
२१३. पत्र : वसुमती पण्डितको (२२-१०-१९२४) २७४
२१४. पत्र : डाह्याभाई एम० पटेलको (२२-१०-१९२४) २७५
२१५. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको (२२-१०-१९२४) २७६
२१६. पत्र : ना० मो० खरेको (२२-१०-१९२४) २७६
२१७. तार : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको (२२-१०-१९२४ या उसके पश्चात्) २७७
२१८. प्रेमका नियम (२३-१०-१९२४) २७७
२१९. तार : अबुल कलाम आजादको (२३-१०-१९२४ या उसके पश्चात्) २७९
२२०. तार : वाइसरायके निजी सचिवको (२४-१०-१९२४) २८०
२२१. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको (२५-१०-१९२४) २८०
२२२. हिन्दू और मुसलमान (२५-१०-१९२४) २८१
२२३. तार : वाइसरायके निजी सचिवको (२७-१०-१९२४) २८२
२२४. पत्र : लाला लाजपतरायको (२७,२८-१०-१९२४) २८३
२२५. पत्र : देवदास गांधीको (२७-१०-१९२४) २८४
२२६. तार : अब्दुल बारीको (२७-१०-१९२४ या उसके पश्चात्) २८४
२२७. तार : वाइसरायके निजी सचिवको (२८-१०-१९२४) २८५
२२८. पत्र : लाला लाजपतरायको (२८-१०-१९२४) २८६

Gandhi Heritage Portal

२२९. पत्र : वसुमती पण्डितको (२९-१०-१९२४) २८६
२३०. सन्देश : संयुक्त प्रान्त राजनीतिक परिषद्, गोरखपुरको (३०-१०-१९२४) २८७
२३१. पत्र : मोतीलाल नेहरूको (३०-१०-१९२४) २८८
२३२. पत्र : गंगाबहन वैद्यको (३०-१०-१९२४) २९०
२३३. पत्र : देवदास गांधीको (३०-१०-१९२४) २९०
२३४. पत्र : मणिबहन पटेलको (३०-१०-१९२४) २९१
२३५. दो दृश्य (३१-१०-१९२४) २९१
२३६. हितोंका संघर्ष (३१-१०-१९२४) २९३
२३७. सफलताकी कुंजी (३१-१०-१९२४) २९६
२३८. सन्देश : गुजराती पत्रकारोंको (२-११-१९२४) २९८
२३९. मेरा असन्तोष (२-११-१९२४) २९९
२४०. टिप्पणी : गुजरात नहीं हारा (२-११-१९२४) ३००
२४१. तार : चित्तरंजन दासको (२-११-१९२४) ३०१
२४२. तार : घनश्यामदास बिड़लाको (२-११-१९२४) ३०१
२४३. सन्देश : 'बंगाली' को ३०२
२४४. पत्र : हिन्दी साहित्य सम्मेलनको (३-११-१९२४) ३०२
२४५. तार : हिन्दी साहित्य सम्मेलनको (३-११-१९२४के पश्चात्) ३०२
२४६. तार : जफर अली खाँको (५-११-१९२४ या उसके पश्चात्) ३०३
२४७. समयकी पाबन्दी (६-११-१९२४) ३०३
२४८. टिप्पणी : अध्यक्षीय पुरस्कार (६-११-१९२४) ३०४
२४९. केनियाकी शिकायत (६-११-१९२४) ३०५
२५०. गांधीजी और स्वराज्यवादियोंका संयुक्त वक्तव्य (६-११-१९२४) ३०७
२५१. भाषण : कलकत्ता नगर-निगम द्वारा दिये मानपत्रके उत्तरमें (६-११-१९२४) ३०८
२५२. भाषण : कलकत्ताके कताई-प्रदर्शनमें (६-११-१९२४) ३१०
२५३. अपरिवर्तनवादियोंके साथ बातचीत (७-११-१९२४) ३१०
२५४. भाषण : हावड़ा नगरपालिका द्वारा दिये मानपत्रके उत्तरमें (७-११-१९२४) ३१४
२५५. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे (७-११-१९२४) ३१५
२५६. समयका मूल्य (९-११-१९२४) ३१६
२५७. पत्र : सतीश चन्द्र मुखर्जीको (९-११-१९२४) ३१८
२५८. पत्र : कृष्टोदासको (९-११-१९२४) ३१९
२५९. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे (१०-११-१९२४) ३१९
२६०. पत्र : मुहम्मद अलीको (११-११-१९२४) ३२१
२६१. पत्र : फूलचन्द शाहको (११-११-१९२४) ३२२
२६२. पत्र : लक्ष्मीको (११-११-१९२४) ३२२
२६३. तार : बी० सुब्रह्मण्यमको (११-११-१९२४ के पश्चात्) ३२३

Gandhi Heritage Portal

२६४. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको (१२-११-१९२४) ३२३
२६५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (१२-११-१९२४) ३२४
२६६. पत्र : शुएब कुरैशीको (१२-११-१९२४) ३२५
२६७. पत्र : लाला लाजपतरायको (१२-११-१९२४) ३२६
२६८. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको (१२-११-१९२४) ३२८
२६९. पत्र : वसुमती पण्डितको (१२-११-१९२४) ३२८
२७०. तार : अबुल कलाम आजादको (१२-११-१९२४ या उसके पश्चात्) ३२९
२७१. समझौता (१३-११-१९२४) ३२९
२७२. समझौतेपर टिप्पणियाँ (१३-११-१९२४) ३३४
२७३. टिप्पणियाँ : राष्ट्र ऋण; राष्ट्रीय क्षति (१३-१९२४) ३३८
२७४. सम्मति : मॉडर्न स्कूलकी दर्शक-पुस्तिकामें (१३-११-१९२४) ३३९
२७५. पत्र : कर्नल मेलको (१३-११-१९२४) ३४०
२७६. पत्र : रोमाँ रोलाँको (१३-११-१९२४) ३४१
२७७. भाषण : रामजस कालेज, दिल्लीमें (१३-११-१९२४) ३४१
२७८. पत्र : मगनलाल गांधीको (१३-११-१९२४ के पश्चात्) ३४३
२७९. सन्देश : 'वर्ल्ड टुमारो' को (१४-११-१९२४) ३४३
२८०. पत्र : आर० शर्माको (१४-११-१९२४) ३४४
२८१. पत्र : काका कालेलकरको (१४-११-१९२४) ३४५
२८२. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको (१५-११-१९२४) ३४५
२८३. पत्र : जीवतराम बी० कृपलानीको (१५-११-१९२४) ३४६
२८४. पत्र : स्वामीजीको (१५-११-१९२४) ३४७
२८५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको (१६-११-१९२४) ३४८
२८६. वक्तव्य : कोहाटके प्रश्नपर (१६-११-१९२४) ३४८
२८७. सन्देश : तमिलनाड परिषद्, तिरुवन्नामलईको (१७-११-१९२४ से पूर्व) ३४९
२८८. पत्र : सतीशचन्द्र मुखर्जीको (१७-११-१९२४) ३५०
२८९. पत्र : लाजपतरायको (१७-११-१९२४) ३५१
२९०. पत्र : अमीरचन्द सी० बम्बवालको (१८-११-१९२४ से पूर्व) ३५१
२९१. पत्र : कनिकाके राजाको (१८-११-१९२४) ३५३
२९२. टिप्पणियाँ : बी-अम्माँ; स्वर्गीय पारसी रुस्तमजी; अन्धविश्वासपूर्ण रिवाज; आगामी पंजाब सम्मेलन (२०-११-१९२४) ३५४
२९३. कसौटीपर (२०-११-१९२४) ३५७
२९४. सन्देश : 'बॉम्बे क्रॉनिकल' को (२१-११-१९२४से पूर्व) ३६०
२९५. भाषण : कांग्रेस कार्य समितिकी बैठकमें (२१-११-१९२४) ३६१
२९६. भाषण : सर्वदलीय सम्मेलन, बम्बईमें (२१-११-१९२४) ३६२
२९७. भाषण : सर्वदलीय सम्मेलन, बम्बईमें (२१-११-१९२४) ३६४
२९८. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे, (२१-११-१९२४) ३६४

Gandhi Heritage Portal

२९९. भाषण : सर्वदलीय सम्मेलन, बम्बईमें (२२-११-१९२४) ३६५
३००. एककी सो देशकी (२३-११-१९२४) ३६६
३०१. गुजरातका धर्म (२३-११-१९२४) ३६८
३०२. विद्यार्थी क्या करें? (२३-११-१९२४) ३७०
३०३. भाषण : अ० भा० कांग्रेस कमेटी, बम्बईमें (२३-११-१९२४) ३७२
३०४. भाषण : शोक सभामें (२३-११-१९२४) ३७८
३०५. तार : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (२४-११-१९२४) ३७९
३०६. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको (२४-११-१९२४) ३८०
३०७. ईश्वर हम सबकी सहायता करे! (२६-११-१९२४) ३८०
३०८. पत्र : सतीशचन्द्र मुखर्जीको (२६-११-१९२४) ३८३
३०९. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको (२६-११-१९२४) ३८३
३१०. पत्र : बाबू भगवानदासको (२६-११-१९२४ या उसके पश्चात्) ३८४
३११. क्या हममें एकता होगी? (२७-११-१९२४) ३८५
३१२. अपरिवर्तनवादियोंकी दशा (२७-११-१९२४) ३८९
३१३. टिप्पणियाँ : यदि मैं वाइसराय होता; एक गलतफहमी (२७-११-१९२४) ३९१
३१४. राष्ट्रवादके सम्बन्धमें सचाई (२७-११-१९२४) ३९३
३१५. पत्र : छगनलाल गांधीको (२७-११-१९२४ के पश्चात्) ३९४
३१६. तार : जवाहरलाल नेहरूको (२८-११-१९२४) ३९५
३१७. तार : डा० सत्यपालको (२९-११-१९२४ या उसके पश्चात्) ३९५
३१८. तार : अबुल कलाम आजादको (२९-११-१९२४ या उसके पश्चात्) ३९६
३१९. टिप्पणियाँ : बी-अम्माँ; पारसी रुस्तमजी (३०-११-१९२४) ३९६
३२०. विरोधी मित्र (३०-११-१९२४) ४००
३२१. अब क्या करें? (३०-११-१९२४) ४०२
३२२. विविध विषय (३०-११-१९२४) ४०३
३२३. भाषण : गुजरात राष्ट्रीय विद्यापीठ, अहमदाबादमें (३०-११-१९२४) ४०४
३२४. पत्र : मगनलाल गांधीको (१-१२-१९२४ से पूर्व) ४०५
३२५. पत्र : मगनलाल गांधीको (१-१२-१९२४) ४०६
३२६. पत्र : रमाबाई पट्टणीको (१-१२-१९२४) ४०७
३२७. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको (२-१२-१९२४) ४०८
३२८. पत्र : अब्बास तैयबजीको (२-१२-१९२४) ४०८
३२९. टिप्पणियाँ : बेलगाँवमें; अडयारमें हाथ-कताई; विश्वासघात?; एक बड़ी चूक; प्रागजी देसाई; दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय; कताई क्लब; शिक्षाके बारेमें बड़ो दादाके विचार (४-१२-१९२४) ४०९
३३०. ध्वजको झुकाया तक नहीं (४-१२-१९२४) ४१४
३३१. स्थगित करें या त्याग दें? (४-१२-१९२४) ४१९
३३२. राजद्रोहात्मक किसे कहें? (४-१२-१९२४) ४२०

Gandhi Heritage Portal

३३३. फीजीकी वह रिपोर्ट (४-१२-१९२४) ४२२
३३४. पत्र : कर्नल मरेको (४-१२-१९२४ के आसपास) ४२३
३३५. क्या अस्पृश्यताका बचाव हो सकता है? (५-१२-१९२४) ४२३
३३६. केनियाके हैरी थुकू (५-१२-१९२४) ४२४
३३७. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको (५-१२-१९२४) ४२५
३३८. भाषण : अमृतसरके स्वर्ण मन्दिरमें (५-१२-१९२४) ४२६
३३९. भाषण : अमृतसरकी सार्वजनिक सभामें (५-१२-१९२४) ४२७
३४०. भाषण : अमृतसरके खिलाफत सम्मेलनमें (६-१२-१९२४) ४२९
३४१. दीक्षान्त भाषण : पंजाब कौमी विद्यापीठमें (६-१२-१९२४) ४३०
३४२. तेरह आदेश (७-१२-१९२४) ४३४
३४३. किस आशासे? (७-१२-१९२४) ४३५
३४४. कपास बचाओ (७-१२-१९२४) ४३७
३४५. अध्यक्षीय भाषण : पंजाब प्रान्तीय सम्मेलनमें (७-१२-१९२४) ४३८
३४६. भाषण : पंजाब प्रान्तीय सम्मेलनमें (७-१२-१९२४) ४४१
३४७. भाषण : रावलपिंडीमें (९-१२-१९२४) ४४२
३४८. मेरी पंजाब यात्रा (११-१२-१९२४) ४४४
३४९. एक चेतावनी (११-१२-१९२४) ४५१
३५०. मेरा पथ (११-१२-१९२४) ४५२
३५१. कला और राष्ट्रीय विकास (११-१२-१९२४) ४५४
३५२. भेंट : 'ट्रिब्यून' के प्रतिनिधिसे (११-१२-१९२४) ४५५
३५३. प्रस्तावना : 'श्री रामकृष्णकी जीवनी' की (१२-१२-१९२४) ४५८
३५४. पाटीदार और अन्त्यज (१४-१२-१९२४) ४५८
३५५. पत्र : ए० वरदन्को (१४-१२-१९२४) ४६०
३५६. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको (१४-१२-१९२४) ४६०
३५७. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको (१४-१२-१९२४) ४६१
३५८. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको (१४-१२-१९२४) ४६१
३५९. पत्र : कुँवरजी विट्ठलभाई मेहताको (१५-१२-१९२४) ४६२
३६०. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको (१६-१२-१९२४) ४६२
३६१. पत्र : भगवानजी अनूपचन्द मोदीको (१६-१२-१९२४) ४६३
३६२. सन्देश : देवचन्द पारेखको (१५-१२-१९२४के पश्चात्) ४६३
३६३. पत्र : जी० ए० नटेसनको (१७-१२-१९२४) ४६५
३६४. पत्र : डाह्याभाई म० पटेलको (१७-१२-१९२४) ४६५
३६५. पत्र : 'फारवर्ड' को (१७-१२-१९२४ के आसपास) ४६६
३६६. टिप्पणियाँ : क्या लालाजी भीरू हैं?; हत्या कब उचित है?; फिर अपरिवर्तनवादी; सबको आना चाहिए (१८-१२-१९२४) ४६६
३६७. कोहाटका दुष्काण्ड (१८-१२-१९२४) ४७०

Gandhi Heritage Portal

३६८. देशभक्तिके आवेशमें पागलपन (१८-१२-१९२४) ४७३
३६९. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको (१८-१२-१९२४) ४७५
३७०. पत्र : वि० ल० फड़केको (१८-१२-१९२४) ४७५
३७१. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको (१८-१२-१९२४) ४७६
३७२. असहयोगी विद्यार्थी (२१-१२-१९२४) ४७६
३७३. भाषण : अपरिवर्तनवादियोंके समक्ष (२१-१२-१९२४) ४७९
३७४. भाषण : मानपत्रोंके उत्तरमें (२१-१२-१९२४) ४८१
३७५. अहुरमज्द और अहरमन (२२-१२-१९२४) ४८२
३७६. भाषण : बेलगाँव कांग्रेसकी विषय-समितिमें (२३-१२-१९२४) ४८४
३७७. वक्तव्य : बेलगाँवमें कांग्रेसकी फिजूलखर्चीपर (२५-१२-१९२४) ४८५
३७८. भाषण : बेलगाँव कांग्रेसकी विषय समितिमें (२५-१२-१९२४) ४८६
३७९. तार : अनन्तरामको (२६-१२-१९२४ से पूर्व) ४९३
३८०. टिप्पणियाँ : नपी-तुली बात; दो मानपत्र; दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय; एक नमूना (२६-१२-१९२४) ४९३
३८१. उद्घाटन भाषण : बेलगाँव कांग्रेसमें (२६-१२-१९२४) ४९७
३८२. अध्यक्षीय भाषण : बेलगाँव कांग्रेसमें (२६-१२-१९२४) ५०४
३८३. भाषण : बेलगाँव कांग्रेसमें शोक-प्रस्तावपर (२६-१२-१९२४) ५२५
३८४. प्रस्ताव : कलकत्ता-समझौते तथा कताई-सदस्यताके बारेमें (२६-१२-१९२४) ५२६
३८५. भाषण : कलकत्ता समझौतेपर (२६-१२-१९२४) ५२९
३८६. भाषण : अ० भा० छात्र सम्मेलन, बेलगाँवमें (२७-१२-१९२४) ५३२
३८७. भाषण : बेलगाँव कांग्रेसमें शोक-प्रस्तावपर (२७-१२-१९२४) ५३२
३८८. प्रस्ताव : सरोजिनी नायडूकी सराहनामें (२७-१२-१९२४) ५३३
३८९. भाषण : कोहाट और गुलबर्गाके दंगोंसे सम्बन्धित प्रस्तावपर (२७-१२-१९२४) ५३४
३९०. भाषण : अस्पृश्यता-सम्बन्धी प्रस्तावपर (२७-१२-१९२४) ५३५
३९१. भाषण : बेलगाँव कांग्रेसमें (२७-१२-१९२४) ५३६
३९२. भाषण : एनी बेसेंटके वक्तव्यपर (२७-१२-१९२४) ५३६
३९३. प्रस्ताव : बेलगाँव कांग्रेसमें (२७-१२-१९२४) ५३७
३९४. भाषण : पदाधिकारियोंसे सम्बन्धित प्रस्तावपर (२७-१२-१९२४) ५३९
३९५. भाषण : कताई-प्रतियोगिताके सम्बन्धमें (२७-१२-१९२४) ५४०
३९६. समापन-भाषण : बेलगाँव कांग्रेसमें (२७-१२-१९२४) ५४१
३९७. भाषण : बेलगाँवकी अस्पृश्यता-परिषद्‌में (२७-१२-१९२४) ५४५
३९८. भाषण : गोरक्षा-परिषद्‌में (२८-१२-१९२४) ५४९
३९९. भाषण : अ० भा० देशी रियासत-परिषद्‌में (३०-१२-१९२४) ५५५
४००. पत्र : कुमारी मैडिलीन स्लेडको (३१-१२-१९२४) ५५७

Gandhi Heritage Portal

४०१. भाषण : अ० भा० मुस्लिम लीग अधिवेशनमें (३१-१२-१९२४) ५५७
४०२. बेलगाँवके संस्मरण [-१] (१-१-१९२५) ५५८
४०३. कैसे करना चाहिए? (१-१-१९२५) ५६२
४०४. टिप्पणियाँ : दो वादे; एक इनाम (१-१-१९२५) ५६४
४०५. बोल्शेविज्मका अर्थ (१-१-१९२५) ५६५
४०६. पत्र : न० चि० केलकरको (२-१-१९२५) ५६६
४०७. भाषण : दाहोदकी सार्वजनिक सभामें (२-१-१९२५) ५६६
४०८. भाषण : अन्त्यज आश्रम गोधरामें (२-१-१९२५) ५६७
४०९. भाषण : गोधराकी सार्वजनिक सभामें (२-१-१९२५) ५६९
४१०. काठियावाड़ियोंसे (४-१-१९२५) ५७१
४११. मनसे और बेमनसे (४-१-१९२५) ५७२
४१२. पत्र : रेहाना तैयबजीको (५-१-१९२५) ५७३
४१३. पत्र : फूलचन्द शाहको (५-१-१९२५) ५७४
४१४. पत्र : अवन्तिकाबाई गोखलेको (५-१-१९२५) ५७४
४१५. पत्र : कपिल ठक्करको (५-१-१९२५) ५७५
४१६. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको (५-१-१९२५) ५७५
४१७. पत्र : लक्ष्मीनिवास बिड़लाको (५-१-१९२५) ५७६
४१८. तार : प्रभाशंकर पट्टणीको (७-१-१९२५) ५७६
४१९. कार्य समिति (८-१-१९२५) ५७७
४२०. बेलगाँवके संस्मरण [-२] (८-१-१९२५) ५७८
४२१. टिप्पणियाँ : प्रान्तीय कमेटियोंके लिए; कतैयोंसे; पुरस्कार-निबन्ध; गरीबी एक कारण (८-१-१९२५) ५८१
४२२. भाषण : विषय समितिकी बैठकमें, (८-१-१९२५) ५८४
४२३. अध्यक्षीय भाषण : काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्में (८-१-१९२५) ५८५
४२४. भाषण : काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्, भावनगरमें (८-१-१९२५) ५९९
४२५. समापन भाषण : काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्में (९-१-१९२५) ६०४
४२६. भाषण : शामलदास कालेज, भावनगरमें (९-१-१९२५) ६०९
४२७. स्वराज्यके व्यापारी (११-१-१९२५) ६१३
४२८. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको (१२-१-१९२५) ६१५
४२९. पत्र : देवचन्द पारेखको (१२-१-१९२५) ६१५
४३०. भाषण : गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें (१४-१-१९२५) ६१६
४३१. दीक्षान्त भाषण : गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबादमें (१४-१-१९२५) ६१६
४३२. तार : सुरेन्द्रनाथ बिस्वासको (१५-१-१९२५ या उससे पूर्व) ६२१
४३३. मेरी आस्था (१५-१-१९२५) ६२२
४३४. नोटिस? (१५-१-१९२५) ६२२
४३५. शाबास! (१५-१-१९२५) ६२५

Gandhi Heritage Portal

४३६. काठियावाड़ राजनीतिक परिषद् (१५-१-१९२५) ६२६
४३७. घूमता चक्र (१५-१-१९२५) ६२८
४३८. अब्राह्मण (१५-१-१९२५) ६२९
४३९. सदस्यताकी नई शर्त कार्यान्वित करनेकी विधि (१५-१-१९२५) ६३०
४४०. भाषण : खेडूत परिषद्में (१५-१-१९२५) ६३४
परिशिष्ट
१. बोलशेविज्मपर मानवेन्द्रनाथ रायके विचार ६३९
२. चरखेके सम्बन्धमें च० राजगोपालाचारीकी टिप्पणीका अंश ६४४
सामग्रीके साधन-सूत्र ६४५
तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ६४७
शीर्षक-सांकेतिका ६५२
सांकेतिका ६५७

चित्र-सूची

उपवासके दिनोंमें, शुश्रूषामें डॉ० जीवराज मेहता मुखचित्र
"पत्र : जवाहरलाल नेहरूको", (१९-९-२४) पृष्ठ १९२ के सामने
उपवासके दिनोंमें इन्दिराके साथ „ १९३ „

Gandhi Heritage Portal

१. पत्र : वसुमती पण्डितको

दिल्ली जाते हुए गाड़ीमें
श्रावण बदी २ [१६ अगस्त, १९२४]

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं यह पत्र दिल्ली जाते हुए गाड़ीमें लिख रहा हूँ। मेरे साथ देवदास, प्यारेलाल, महादेव और मंजरअली हैं। मैं दो-चार दिनमें वापस आऊँगा। तुम अपने स्वास्थ्यका ध्यान रखना।

बापूके आशीर्वाद

चि० वसुमती
मार्फत दौलतराय काशीराम ऐंड कं०
[सूरत]

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५४) से।
सौजन्य : वसुमती पण्डित

२. पत्र : राधा गांधीको

शनिवार, श्रावण बदी २ [१६ अगस्त, १९२४][1]

चि० राधा,

तुम्हारा कार्ड और केशूके साथ भेजे हुए पत्र मिले। मैं यह पत्र गाड़ीमें लिख रहा हूँ। तुम्हें वह जगह अनुकूल आई है, यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अहमदाबादका पानी कब्ज करता है। तुम दोनों बहनें जी भरकर और खुलकर घूमना-फिरना। उम्मीद है, मैं दिल्लीसे शुक्रवारको लौटूंगा। देवदास, प्यारेलाल और महादेव तीनों साथ हैं।

बापूके आशीर्वाद

चि० राधा
मार्फत वोरा शिवलाल करसनजी
राजकोट शहर

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०२९) से।
सौजन्य : राधाबहन चौधरी

१. डाकखानेकी मुहरसे।

Gandhi Heritage Portal

३. मलाबार संकट-निवारण[1]

इस अपीलका उत्तर अपेक्षासे भी ज्यादा शीघ्रतासे मिला है, यह मुझे मानना पड़ेगा। ईश्वरका अनुग्रह है कि लोगोंके दिलोंमें दया-भाव है और यह बात एक बार नहीं बल्कि अनेक बार साबित हो चुकी है। इसके लिए अनेक सहायता-कोष आरम्भ हुए हैं। जिसको जिसमें देना ठीक जँचे वह उसमें चन्दा दे, किन्तु दे अवश्य, मेरी यही प्रार्थना है। मलाबारके कष्टोंकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। मरनेकी आशा रखनेवाला मनुष्य जब जीता बच जाता है तब खुशीसे नाच उठता है। जीवित बच गया, यह नशा जबतक उसे रहता है तबतक उसे भूख-प्यास और गर्मी-सर्दीकी सुध नहीं रहती। यही हालत मलाबारके भाई-बहनोंकी समझनी चाहिए। जो गये सो तो गये; जो बचे हैं वे जीवित बचनेके नशेमें खुश हैं। किन्तु ज्यों-ज्यों दिन जायेंगे त्यों-त्यों उनके कष्ट बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। हम ईश्वरके आगे पामर प्राणी हैं। अपनी मगरूरीमें चींटीको कुचलनेकी जितनी शक्ति हम अपने भीतर मानते हैं उससे हजारों गुनी शक्ति हमें चींटीकी तरह कुचल डालनेके लिए ईश्वरने अपने पास रखी है और मौका पड़नेपर वह उसका उपयोग भी करता है। परन्तु उसकी हिंसा हिंसा नहीं होती, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। वह दयाका सागर है। उसके भेदको हम समझ नहीं सकते। इससे हम उसे कर्त्ता, भर्त्ता और संहर्त्ता मानते हैं। किन्तु वह न तो कर्त्ता है, न भर्त्ता है, न संहर्त्ता है। हम न जाने किस नियमके वशवर्ती होकर जन्मते हैं, जीते हैं और मरते हैं?

कुछ भी हो, जबतक हम जीवित रहना चाहते हैं तबतक दूसरोंके जीनेमें मदद करना हमारा सहज और अनिवार्य धर्म है।

पाठक यह पढ़कर खुश होंगे कि कुछ भाइयों और बहनोंने एक जूनका खाना छोड़ दिया है, कुछने दूध पीना छोड़ दिया है और कुछने किसी दूसरी चीजका त्याग कर दिया है और ऐसा करते हुए जो बचत होती है उसे वे इस कोषमें दे देते हैं। बालक भी उसमें अपनी मर्जीसे शरीक हुए हैं। इससे भी अच्छी रकम मिलनेकी सम्भावना है। एक लड़कीने तीन पैसे चुराकर रखे थे, वे भी इस कोषमें आये हैं। एक बहनने अपनी ठोस सोनेकी चार चूड़ियाँ और जंजीर दी हैं। एक और बहनने अपनी वजनदार कण्ठी दी है। एक लड़केने अपनी सोनेकी बाली दी है। एक बहनने अपने चाँदीके कड़े दिये हैं और एकने पैरके अँगूठेके दो छल्ले दिये हैं। एक अन्त्यज लड़कीने अपनी इच्छासे अपने पैरकी तोड़ियाँ दी हैं। एक नवयुवकने अपने कफोंके सोनेके बटन दिये हैं।

१. बाढ़ सहायता कोषके सम्बन्धमें ऐसी ही एक अपील **यंग इंडिया**में छपी थी, देखिए खण्ड २४, पृष्ठ ५८५-८७।

Gandhi Heritage Portal

आजतक नकद रकम ६,९९४ रु०, १३ आ०, ३ पा०, आये हैं। (देखें, अन्तिम पृष्ठ[1])। बम्बईकी शाखामें नीचे लिखे अनुसार रकम आई है:

एक सज्जन ५ रु०, डाह्यालाल हरिवल्लभ जोशी १० रु०, विश्वेश्वर मणिलाल १०१ रु०, एक सज्जन १ रु०।

मुझे आशा है कि यह रकम जिस प्रकार आनी शुरू हुई है उसी प्रकार जारी रहेगी।

कपड़े

कपड़ेके ढेरके-ढेर चले आ रहे हैं। उनकी कीमत लगाना मुश्किल है। ऐसे समय ये तमाम कपड़े बहुत काम आयेंगे। जब आसमान फट पड़ा है तब स्वदेशी-विदेशीका खयाल नहीं रह सकता। इसलिए जो भी कपड़े मिल जायें, हमने उनको ले लेनेका विचार किया है। जो लोग बिना कपड़ेके मारे-मारे फिरते हैं उन्हें भी विदेशी कपड़े मैं अपने हाथों तो नहीं दूँगा, यह कहनेकी हिम्मत मुझे नहीं होती। यदि आज भारत खादीमय हो गया होता तो मैं जरूर यही आवाज उठाता। जब हम यह शक्ति प्राप्त नहीं कर पाये हैं तब तरह-तरहके कपड़ोंसे लदे हुए हम लोग वस्त्र-विहीन लोगोंको कपड़ा पहनाते समय यह भेद कैसे रख सकते हैं? मैं तो इस संकट-निवारणके लिए सहयोग-असहयोगको भी भूल गया हूँ। मैं सरकारी कर्मचारियोंके मातहत भूखोंकी सेवा करनेके लिए तैयार हूँ और असहयोगियोंको तैयार रहनेकी सलाह देता हूँ। हाँ, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें सरकारी सभाओंमें भी जाना चाहिए। इस काममें हमें सही अन्दाज नहीं हो सकता। अतः हम तो सिपाहीका काम करेंगे। यदि हम चन्दा एकत्र कर सकें तो जहाँ उससे सरकारी मददमें बाधा न पड़ती हो और जहाँ सरकार न जा सके या न जाना चाहे वहाँ हम नम्रतापूर्वक मदद पहुँचायें। सरकार यदि चाहे तो बहुत मदद कर सकती है। फिर भी काम इतना बड़ा है कि इसमें गैर-सरकारी साहस और दानके लिए बहुत गुंजाइश है। अकेला गैर-सरकारी कोई उपक्रम इसका मुकाबला करनेमें असमर्थ है। परन्तु सरकारी मददके अलावा जो-कुछ काम बाकी रह जाये वह तो गैर-सरकारी सहायतासे ही हो सकता है। मैं वल्लभभाईसे इस बातपर सलाह-मशविरा कर रहा हूँ कि इस धनका अच्छेसे-अच्छा उपयोग किस तरह किया जाये। इसका निर्णय तो अधिकांशतः चन्देकी रकमकी तादादपर निर्भर होगा।

यदि 'नवजीवन'में किसीकी भेजी रकमकी पहुँच न छपे तो वे मुझे जरूर पत्र लिखें। तमाम रकमोंकी पहुँच देनेका संकल्प अवश्य ही कायम है। हमने छोटी-छोटी रकमोंको मिलाकर ही छापनेकी तजवीज की है। जो अपना नाम गुप्त रखना चाहें वे सूचित करनेकी कृपा करें।

कपड़े भेजनेवाले सज्जन नीचे लिखी हिदायतोंपर ध्यान देंगे तो सहूलियत होगी:

१. **नवजीवन**का १७-८-१९२४का अंक।

Gandhi Heritage Portal

१. मैले कपड़े धुलाकर दें,

२. फटे कपड़े सीकर दें,

३. सब कपड़ोंको तह कर उनके बंडल बाँधें और उनपर देनेवालेके नामकी और कपड़ोंकी चिटें लगायें।

ये कपड़े हम भिक्षुओंको नहीं भेज रहे हैं। इनमें हमारी तरह ही अच्छी हालतमें रहनेवाले मध्यमवर्गके हजारों भाई-बहन होंगे। अपने सगे भाई-बहनोंको हम जिस स्नेह, सतर्कता और विवेकके साथ कोई चीज भेजते या देते हैं, मैं आपसे उसी प्रेम, विवेक और सतर्कताकी आशा इसमें भी रखता हूँ। सच बात तो यह है कि यदि हम भिक्षुकको भी कुछ दें तो विवेक और सतर्कताके साथ ही दें। मैले कपड़ोंको धोनेमें, फटे कपड़ोंको सीनेमें और उनकी तह बनानेमें बहुत वक्त नहीं लगता। उसमें केवल प्रेमकी परीक्षा है।

महाविद्यालयके विद्यार्थी

पाठकोंको यह तो मालूम ही है कि महाविद्यालयके विद्यार्थियोंने सूत दिया है। परन्तु इसके अलावा उन्होंने श्रम भी किया है, जैसा स्वामी श्रद्धानन्दके शिष्योंने दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहके समय किया था। विद्यापीठकी जो इमारत बन रही है उसमें कोई पौन सौ विद्यार्थी मजदूरी कर रहे हैं। वे उसमें मिली रकम इस चन्देमें देंगे। मैं विद्यार्थियोंको धन्यवाद देता हूँ और आशा रखता हूँ कि वे समय-समयपर ऐसा ही श्रम करेंगे। यही उपार्जित विद्याका शुद्ध उपयोग है।

यह सब कहाँ दें?

यह धन अहमदाबादमें प्रान्तीय कमेटीके कार्यालय, 'नवजीवन' कार्यालय या सत्याग्रहाश्रममें दें। वे इसे बम्बईमें प्रान्तीय कमेटीको भेजनेकी व्यवस्था करें अथवा प्रिन्सेस स्ट्रीटमें 'नवजीवन' के शाखा कार्यालयको दें। मेरी सलाह है कि सभी लोग हर जगहसे धन, सूत और कपड़ोंकी रसीद जरूर ले लें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १७-८-१९२४

Gandhi Heritage Portal

४. शिक्षक और चरखेकी शिक्षा

इस विषयपर भाई हरिशंकर त्रिवेदीने निम्नलिखित विचारणीय पत्र लिखा है :[1]

मेरे मनमें तो तनिक भी शंका नहीं है कि यदि शिक्षक कताई और उससे सम्बन्धित सभी अगली और पिछली क्रियाओंको सम्पूर्ण रूपसे सीख लें तथा उनमें उनकी अभिरुचि उत्पन्न हो जाये तो विद्यार्थी भी अवश्य कातना सीखेंगे। किस विद्यार्थीका यह अनुभव नहीं है कि उसकी किसी विषयमें दिलचस्पी उस विषयके कारण नहीं होती, बल्कि शिक्षकोंके कारण होती है। मेरा अनुभव तो यह है कि जिस रसायन-शास्त्रको पढ़ाते समय एक शिक्षक मुझे निद्रावश कर देता था उसी विषयको पढ़ाते समय दूसरा शिक्षक मुझे जाग्रत रखता और उसमें मेरे लिए रस उत्पन्न कर देता था। एक शिक्षक गणितका सवाल पढ़ाता है, विद्यार्थीको वह समझमें नहीं आता इसलिए अच्छा नहीं लगता और दूसरा शिक्षक पढ़ाता है तो ऐसा लगता है कि उसका घंटा समाप्त ही न हो। सवाल तो वही होता है, विद्यार्थी भी वही; अन्तर सिर्फ यह है कि एकके पढ़ानेका ढंग सरस होता है और दूसरेका नीरस। चरखेमें रसकी गागर भरी है। ऐसा मालूम होता है कि दक्षिणामूर्ति भवनमें इस रसके पारखी शिक्षक हैं।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १७-८-१९२४

५. टिप्पणियाँ

मौलाना शौकत अली काठियावाड़में

मौलाना शौकत अली दिल्लीसे भेजे अपने तारमें सूचित करते हैं कि वे अपने साथियों सहित काठियावाड़की यात्राके लिए रवाना हो रहे हैं और १८ तारीखको राजकोट पहुँचेंगे। काठियावाड़की खिलाफत समितियों, अंजुमनों, जमातों और अन्य ऐसी संस्थाओंको, जो अपने क्षेत्रमें मौलाना साहब और उनके साथियोंको आनेका न्यौता देना चाहती हों, चाहिए कि वे समय रहते मौलाना साहबको राजकोटके पतेपर पत्र लिखें, ताकि वे अपना कार्यक्रम तय कर सकें। मुझे उम्मीद है कि काठियावाड़में मौलाना शौकत अली और उनके साथी जहाँ-जहाँ जायेंगे वहाँ-वहाँ हिन्दू और मुसलमान सब उनका स्वागत करेंगे।

१. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है।

Gandhi Heritage Portal

तकलीकी उपयोगिता

यह तो अनेक अनुभवोंमें से मात्र एक अनुभव है।[1] अभी तो तकलीकी प्रारम्भिक अवस्था है। अभीतक इसके द्वारा प्रति घंटा ७० गज सूत कातनेकी रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। चरखेपर अधिकांश लोग इससे ज्यादा कातते हैं; लेकिन तकलीकी चरखेके साथ यों कोई तुलना नहीं हो सकती। तकली तो पाँच मिनटकी फुरसत मिलनेपर भी इस्तेमाल की जा सकती है। रेलगाड़ीमें चरखा नहीं चलाया जा सकता इसलिए कांग्रेसने सफरमें न कातनेकी छूट दे रखी है। मुझे यदि उस समय तकलीकी उपयोगिताका ज्ञान होता तो सफरका अपवाद स्वीकार न किया जाता। इस तरह विचार करनेपर घूमने-फिरनेवाले मनुष्यको अथवा अन्य कार्योंके बीच सूत कातनेवाले मनुष्यको चरखेकी अपेक्षा तकली अधिक काम दे सकती है। तथापि तकली चरखेकी जगह नहीं, किन्तु चरखेके अलावा कातनेका एक लगभग मुफ्त साधन अवश्य है और यदि वह ठीकरीके टुकड़ेसे बनाई जाये तो बिलकुल मुफ्त पड़ेगी।

राष्ट्रीय स्कूलोंमें दण्डनीति

एक भाई लिखते हैं कि आपने शिक्षा-परिषद्में कई प्रस्ताव पास करवाये हैं। वे सब प्रस्ताव शिक्षकोंने आपको प्रसन्न करनेके लिए चाहे-अनचाहे पास किये हैं। उनमें से कदाचित् ही किसीपर अमल किया जाये। फिर, आप एक प्रस्ताव पास करना तो बिलकुल ही भूल गये हैं -- हमारी राष्ट्रीय शालाओंमें विद्यार्थियोंको जो शारीरिक दण्ड दिया जाता है उसके निषेधका प्रस्ताव।

मुझे उम्मीद है कि शिक्षा-परिषद्के प्रस्ताव मुझे प्रसन्न करनेके उद्देश्यसे पास नहीं किये गये हैं, वरन् अमलमें लाये जानेके उद्देश्यसे पास किये गये हैं। जैसा अविश्वास इस भाईने व्यक्त किया है वैसा अविश्वास मेरे मनमें नहीं है। राष्ट्रीय स्कूलोंमें दण्डनीति सर्वथा त्याज्य है, ऐसी मेरी मान्यता है। यदि ऐसा न होता तो कोई-न-कोई शिक्षक अवश्य ही इस बातकी चर्चा करता। दूसरा अनुमान यह किया जा सकता है कि सम्भवतः दण्डनीति इतनी अधिक प्रचलित है कि इसमें किसीको आश्चर्य ही नहीं होता। लेकिन मैं यह अनुमान करनेके लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस भाईने कुछ ही जगह शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियोंको सजा देते हुए देखा होगा। जो शिक्षक सजा देता है वह शिक्षक नहीं, वह तो जेलका दारोगा हुआ। शिक्षकका धर्म विद्यार्थीको रिझाकर प्रेमसे आगे ले जाना है। दण्डसे बालक पढ़ते हैं, यह वहम अब तो दूर हो जाना चाहिए। संसारके सहस्रों शिक्षकोंका यह अनुभव है कि धीरजसे बच्चोंको ज्यादा सिखाया जा सकता है। दण्ड तो शिक्षकके अज्ञानका सूचक है। शिक्षकका काम है कि वह प्रत्येक विषयको दिलचस्प बना दे। अच्छा शिक्षक अंक-गणित-जैसी चीजको भी दिलचस्प बना सकता है।

१. एक भाईने अपने पत्रमें तकलीका अपना अनुभव लिख भेजा था; उक्त पत्र यहाँ नहीं दिया गया है।

Gandhi Heritage Portal

क्या वे राक्षस थे?

एक भाईने रामचन्द्र, युधिष्ठिर तथा नलपर आक्षेप लगाये हैं और मुझसे उनका उत्तर देनेकी माँग की है। रामचन्द्रने सीताको अग्निमें प्रवेश करवाया और उसका त्याग किया, युधिष्ठिरने जुआ खेला और द्रौपदीकी रक्षा करने तककी हिम्मत खो बैठा, नलने अपनी स्त्रीके साथ धोखा किया और उसे अर्ध नग्नावस्थामें घोर जंगलमें भटकती छोड़ गया। इन तीनोंको मनुष्य कहा जाये कि राक्षस?

इसका उत्तर तो केवल दो व्यक्ति दे सकते हैं। या तो कवि अथवा वे सती-साध्वी स्त्रियाँ। मैं तो एक सामान्य मनुष्यकी दृष्टिसे देखता हूँ अतः मेरे लिए तो ये तीनों पुरुष वन्दनीय हैं। रामकी बात तो एक ओर रख देनी चाहिए। किन्तु हम क्षण-भरके लिए ऐतिहासिक रामको अन्य दोनोंकी पंक्तिमें रख दें। अगर तीनों सती महिलाएँ इन महापुरुषोंकी अर्धांगनियाँ न होतीं तो वे इतिहासमें सतीके रूपमें प्रख्यात न होतीं। दमयन्ती नलका ही नाम रटती रही, सीताके लिए रामके सिवा इस जगत्में कोई दूसरा पुरुष न था और द्रौपदी धर्मराजपर क्रुद्ध होनेके बावजूद उसका साथ नहीं छोड़ती थी। जब-जब इन तीनों महापुरुषोंने इन सती-साध्वियोंको दुःख दिया तब-तब यदि हम उनकी हृदय-गुहामें पैठ पाते तो वहाँसे झरनेवाली दुःखाग्नि हमें जलाकर भस्म कर देती। रामको जो दुःख हुआ था भवभूतिने उसका चित्रण किया है। द्रौपदीको फूलकी तरह रखनेवाले ये ही पाँच भाई थे और उसके क्रोधसे भरे वचनोंको सहनेवाले भी वही लोग थे। नलने जो-कुछ किया सो अपनी भ्रान्तावस्थामें किया। नलकी पत्नीपरायणताको तो, जब वह ऋतुपर्णको साथ लेकर चला तब देवता लोग भी आकाशसे झाँक-झाँककर देख रहे थे। इन तीनों स्त्रियोंके प्रमाणपत्र मेरे लिए तो पर्याप्त हैं। हाँ, इतना सच है कि कवियोंने इन तीनों स्त्रियोंको उनके पतियोंकी अपेक्षा अधिक गुणी चित्रित किया है। सीता बिना राम क्या, दमयन्ती बिना नल क्या और द्रौपदी बिना धर्मराज क्या हैं? पुरुष स्वभावसे अधीर होते हैं, उनका धर्म भी प्रसंगानुसार बदलता रहता है, उनकी भक्ति "व्यभिचारी" होती है। जबकि इन सतियोंकी भक्ति स्फटिक मणिके समान स्वच्छ है। इन स्त्रियोंकी क्षमाशीलताकी तुलनामें पुरुषकी क्षमाशीलता कुछ भी नहीं और चूँकि क्षमा वीरताका लक्षण है इसलिए ये सती महिलाएँ अबला नहीं वरन् सबला थीं। उनकी वीरताके आगे पुरुषोंकी वीरता पानी भरती है। लेकिन यह दोष हमें गिनना ही हो तो पुरुष-मात्रका गिनना होगा, ऐसा नहीं कह सकते कि वह नलादिमें ही था। कवियोंने इन स्त्रियोंको सहनशीलताकी मूर्तिके रूपमें चित्रित किया है। मैं इनको सती स्त्रियोंमें शिरोमणि मानता हूँ; लेकिन मैं उनके पुण्यात्मा पतियोंको राक्षस नहीं मान सकता। उनको राक्षस माननेसे क्या ये सतियाँ भी दोषी नहीं ठहरेंगी? सतीके समीप आसुरी भावना कदापि नहीं रह सकती। पतियोंको इन सतियोंसे भले ही कम माना जाये; परन्तु उनकी जाति तो एक ही है — वे दोनों पूजनीय हैं। मुझे इस मान्यतामें कि "जो-कुछ पुराना है वह सब पवित्र है", जितना दोष दिखाई देता है उतना ही दोष इस विचारमें भी दिखाई देता है कि "जो-कुछ पुराना है वह सब दूषित है।"

Gandhi Heritage Portal

स्त्रियोंके अधिकारोंकी माँग करते हुए हमें स्त्रियोंके धर्मकी बलि नहीं देनी चाहिए। स्त्रियोंके अधिकारोंका समर्थन करते हुए भी मैंने पुरातन कालके पुरुषोंकी निन्दा अथवा भर्त्सना करना आवश्यक नहीं समझा।

अन्त्यजोंके प्रति तिरस्कार

अन्त्यजोंके प्रति तिरस्कारभावके जितने उदाहरण काठियावाड़में देखनेमें आते हैं उतने गुजरातमें अन्यत्र नहीं। काठियावाड़से आनेवाले अन्त्यज भाई ऐसे समाचार देते हैं और अन्य उनकी सत्यताकी पुष्टि करते हैं। एक सज्जन लिखते हैं कि काठियावाड़की रेलगाड़ियोंमें अन्त्यजोंको अभीतक उतनी ही तकलीफें उठानी पड़ती हैं जितनी पहले उठानी पड़ती थीं। उन्हें गाड़ियोंमें बैठने नहीं दिया जाता। अगर वे बैठते हैं तो अन्य सवारियाँ उन्हें दूर बिठाती हैं, उनका तिरस्कार करती हैं और उन्हें गालियाँ देती हैं। यह तिरस्कार भी धर्मका एक अंग माना जाता होगा, क्योंकि ऐसा व्यवहार करनेवालोंमें तिलकधारी भी शामिल होते हैं। यह तिरस्कार उनकी मलिनताको लेकर नहीं किया जाता क्योंकि यदि अन्त्यज भाई तनिक झूठ बोलें तो उनका काम निकल जाता है, इतना ही नहीं बलिक उनका आदर-सम्मान भी किया जाता है। उन्हें बस अपनी जाति ठाकुर, राठौर अथवा ऐसी ही कोई बतानेकी जरूरत होती है। अतएव जो-कुछ तिरस्कार सहना पड़ता है सो सत्यवादीको सहन करना पड़ता है। अन्त्यज भाई झूठ बोलकर क्षणिक सुख प्राप्त नहीं करना चाहते, इसके लिए वे बधाईके पात्र हैं। ऐसा करके वे यह भी सिद्ध करते हैं कि वे अवगणना करनेवाले लोगोंसे अधिक गुणवान हैं। यदि रेलवेके अधिकारी दयावान हों तो वे निरपराध अन्त्यजोंकी रक्षा कर सकते हैं। सारी सवारियाँ ही अन्त्यजोंका तिरस्कार नहीं करतीं। जो लोग उनका तिरस्कार नहीं करते, उन्हें उनका रक्षक बनना चाहिए। अन्त्यजोंको इस बातका विश्वास हो जाना चाहिए कि जो मनुष्य खादीकी टोपी पहने हुए है वह उनकी रक्षा अवश्य करेगा।

अन्त्यज स्कूलोंकी कमी

एक सज्जन लिखते हैं:

> भावनगरके अन्तर्गत गढ़डा, उमराला, महुवा, तलाजा और शिहोर गाँवोंमें अन्त्यज बालकोंकी संख्या इतनी है कि वहाँ अन्त्यज स्कूल स्थापित किये जा सकते हैं। महुवाके लिए तो बम्बईके एक सज्जन खर्च देनेके लिए भी तैयार हैं; लेकिन कोई स्थानीय सज्जन ऐसी व्यवस्थाके लिए तैयार नहीं है इसी कारण स्कूल खोलनेकी बात मुलतवी कर दी गई है।

क्या महुवा और अन्य गाँवोंमें कोई मनुष्य व्यवस्था करनेके लिए भी तैयार नहीं है? यदि उन गाँवोंमें ऐसे लोग नहीं हैं तो क्या काठियावाड़के अन्य भागोंके स्वयंसेवक इसके लिए तैयार न होंगे?

Gandhi Heritage Portal

करुणाजनक

धोलका ताल्लुकेसे प्राप्त निम्नलिखित विवरण पढ़कर पाठकोंको दुःख होगा :[1]

अच्छे दाम मिलते हैं इस कारण सब कपास अथवा सब अनाज बेच डालना अपने हाथों दुःख मोल लेना है। मनुष्य इस तरह आये हुए पैसेकी रक्षा भी नहीं कर सकता और इसलिए अन्तमें उसके हाथमें 'मिट्टीकी-मिट्टी' ही रह जाती है। उसे कमसे-कम अपने उपयोगके लिए पर्याप्त कपास और अनाज अवश्य रखना चाहिए।

सहानुभूतिका अभाव

इसी ताल्लुकेकी दशाका एक और चित्रण नीचे दिया जाता है :[2]

सारा दुःख 'वहाँसे चला आया' में समाहित है। हम कुटुम्बकी भावनासे अधिक आगे नहीं बढ़े हैं, इसलिए गाँवके स्वार्थमें अपना स्वार्थ नहीं देखते। मलाबारके दुःखसे हम सब दुःखी नहीं होते। सारी जनताके विषयमें कुटुम्बकी भावनाका प्रसार करनेमें मात्र उपदेश बहुत कम प्रभावकारी होगा। आरम्भ भले ही उपदेशसे किया जाये; लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। बीज बोने-भरसे ही वृक्ष तैयार नहीं हो जाता। उसे खाद और पानीकी जरूरत होती है और जबतक वह बड़ा नहीं हो जाता तबतक बाड़की आवश्यकता भी रहती है, नहीं तो सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। ठीक यही बात उपदेशके सम्बन्धमें भी लागू होती है। इसीलिए जब हर गाँवमें बैठकर, प्रत्यक्ष कार्यकी मार्फत गाँवोंमें जागृतिका प्रयास किया जायेगा तभी हमें सफलता मिलेगी। यदि हमारा उद्देश्य केवल चन्दा उगाहना है तो अलग बात है। लेकिन जब हम लोगोंके हृदयोंमें प्रवेश करना चाहते हैं; जब उनसे हम सूत प्राप्त करना चाहते हैं तब हमें गाँवोंमें जाकर रहना ही पड़ेगा। जनताके विरुद्ध शिकायत करनेकी बजाय यदि हम अपनी कार्य-दक्षताकी त्रुटिको देख लें तो प्रगति जल्दी हो।

परदेशी बनाम स्वदेशी खाँड

एक सज्जन लिखते हैं कि मैंने इस बारेमें विस्तारसे चर्चा नहीं की है कि "किस खाँडको शुद्ध मानना चाहिए, और किस खाँडको विदेशी मानना चाहिए?" स्वदेशी खाँडको शुद्ध करनेके लिए हड्डियों आदिका इस्तेमाल नहीं किया जाता, यह माननेका कोई कारण नहीं है। हिन्दुस्तान प्रतिवर्ष १८ करोड़ रुपयेकी खाँड विदेशोंसे मँगवाता है। मुझे नहीं लगता कि वह अपनी इतनी खाँडकी आवश्यकता थोड़े अर्सेमें खुद ही पूरी कर सकता है। मैं स्वयं तो अधिकतर खाँडका उपयोग नहीं करता। जहाँतक पोषणका सवाल है, इसकी जरूरत बहुत कम है। हमें जितने पोषणकी जरूरत है उतना मीठे फलोंसे मिल जाता है। खाँडका इस्तेमाल करनेका उत्तम तरीका गन्ना

१. यह यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया था कि किसान पैसेके लिए अपनी तमाम पैदावारको बड़ी तेजीसे बेच रहे हैं

२. यह यहाँ नहीं दिया गया है। लेखकने लिखा था कि लोग अपने लिए पीनेके पानीका कुँआ बनानेके बारेमें भी उदासीन हैं, अतः "मैं ऊबकर वहाँसे चला आया"।

Gandhi Heritage Portal

चूसना है। जब गन्नेका मौसम न हो तब हमें गुड़का उपयोग करना चाहिए। यदि तिसपर भी किसीका काम न चले तो उसे स्वदेशी खाँडकी खोज करनी चाहिए किन्तु उसमें दूकानदार द्वारा मिलावट किये जानेकी जोखिम तो उठानी ही होगी।

काठियावाड़में खादी-प्रचार

श्री एम्हर्स्टने 'विश्वभारती' में काठियावाड़की शोचनीय दशाका जो वर्णन किया है, उसे मैंने अभी-अभी पढ़ा। उसमें वे कहते हैं कि काठियावाड़के जंगलोंका नाश होनेकी वजहसे वहाँकी जमीनमें खुश्की बढ़ती जा रही है और अकालका भय भी बढ़ रहा है। चरागाह कम हो रहे हैं, इसलिए जो पशु कभी स्वस्थ दिखाई देते थे उनका भी नाश होता जा रहा है। शहरोंमें कारखाने खुलनेके कारण गाँवोंकी आबादी कम होती जा रही है और अन्तमें किसानोंके यहाँ न रहनेसे शहर भी नष्ट हो जायेंगे। ऐसे परिवर्तनोंके कारण काठियावाड़की कला भी श्रीहीन होती जा रही है।

यह लगभग भविष्यवाणी है। यह बात जिस हदतक काठियावाड़पर लागू होती है, उसी हदतक हिन्दुस्तानपर भी लागू होती है। लेकिन काठियावाड़ बहुत छोटा-सा प्रायद्वीप है, इस कारण अभी उसकी रक्षा की जा सकती है। इसीसे श्री एम्हर्स्ट वर्तमान संक्रान्तिकालमें भूत और भविष्य दोनों स्थितियोंको एक साथ देख सके हैं। मैंने अनेक बार लिखा है कि वर्तमान [यन्त्रोद्योग-प्रधान] प्रवृत्ति उन्हीं देशोंमें निभ सकती है जहाँ दूसरे देशोंसे कच्चा माल आता हो। दूसरे शब्दोंमें एक औद्योगिक देश किसी दूसरे देशको नुकसान पहुँचाकर ही समृद्ध हो सकता है। हिन्दुस्तानका निर्वाह दूसरे देशोंसे नहीं होता बल्कि वह स्वयं इंग्लैंड और अन्य देशोंका खाद्य है। अगर हमारे शहर भी इन देशोंका अनुकरण करेंगे तो ग्रामीण किसानोंपर दूना बोझ आ पड़ेगा।

काठियावाड़ कुछ हदतक ऐसी भयंकर स्थितिसे बच सकता है। वह घर-घर वृक्ष बोये और उगाये; गोचर-भूमिको बढ़ाये तथा मिलों और फैक्टरियोंकी प्रवृत्तिको कम करे। छोटेसे-छोटे प्रदेशमें मिलें और फैक्टरियाँ लोगोंपर असह्य भारस्वरूप हैं, इस बातको तो सामान्य कोटिका गणितज्ञ भी समझ सकता है। यदि राजा लोग और उनके दीवान शान्त चित्त होकर परोपकारकी भावनासे विचार करें तो उन्हें मालूम होगा कि किसानोंके पोषणमें उनका पोषण भी है। किसानोंके पोषणमें केवल दो वस्तुओंकी सावधानी रखनी पड़ती है: उनके खेत हरे-भरे रहें और उन्हें खेतीसे बचे समयके लिए उद्योग मिले। यह उद्योग सम्पूर्णतः रुईकी क्रियाओंपर आधारित होनेके कारण किसानोंके घरमें होता है। इसका केन्द्रबिन्दु चरखा है। उसको जो पोषित करता है वह प्रजाका पोषण करता है। काठियावाड़में विदेशी अथवा मिलका कपड़ा आये, यह बात असह्य होनी चाहिए।

अमरेली खादी-कार्यालय

आजकल चरखेकी प्रवृत्तिका प्रसार करनेके जो प्रयत्न चल रहे हैं उसमें काठियावाड़ भी भाग ले, यह वांछनीय है और मैं उससे ऐसी आशा भी रखता हूँ। इसलिए

Gandhi Heritage Portal

अमरेलीके खादी-कार्यालयने जो पत्रिका प्रकाशित की है उसका मैं स्वागत करता हूँ। जो व्यक्ति कपाससे सम्बन्धित सभी क्रियाओंको सीखना चाहता हो अथवा जो सूत कातकर कांग्रेसको चन्दा देना चाहता हो उसके लिए इस पत्रिकामें सारी सुविधाओंकी जानकारी दी गई है। जो चाहे उसके लिए तालीमकी व्यवस्था भी की गई है। मुझे उम्मीद है कि बहुतसे काठियावाड़ी भाई-बहन इन सुविधाओंसे लाभ उठायेंगे। इतना याद रखनेकी जरूरत है कि कांग्रेसके प्रस्तावका उद्देश्य जनताके मध्यम वर्गसे धार्मिक क्रियाके रूपमें कताई करवाना है। यदि यह प्रयास फलीभूत हो तो कताई-धर्मका पालन फिर होने लगे और गरीबोंके पेटमें जो गड्ढा पड़ गया है वह भी भरे। इस तरह चरखेका घर-घरमें प्रचार तभी होगा जब पहले उसके प्रति लोगोंमें श्रद्धा उत्पन्न कर दी जायेगी। यह श्रद्धा तभी उत्पन्न हो सकती है जब जनताका मध्यम वर्ग उसे धर्मके रूपमें अंगीकार करे। जितनी जरूरत चरखेको लोकप्रिय बनानेकी है उतनी ही खादीको भी लोकप्रिय बनानेकी है। हिन्दुस्तानमें जब यह स्थिति आयेगी कि घीके समान खादीको बेचनेमें भी कोई दिक्कत न हो, उसी दिन समझना चाहिए कि हिन्दुस्तानसे भुखमरी चली गई। इस महायज्ञमें काठियावाड़ पूरा-पूरा योगदान दे, ऐसी मेरी कामना है। इस यज्ञकी यह खूबी है कि जो इसे करता है उसे तात्कालिक लाभ मिलता है। यदि छब्बीस लाख काठियावाड़ी प्रति व्यक्तिके हिसाबसे एक रुपयेकी मजदूरी करें तो काठियावाड़ प्रतिवर्ष छब्बीस लाख रुपया बचायेगा।

खादी-कार्यालयके कार्यकर्त्ताओंको मेरी सलाह है कि वे अपने कामके सम्बन्धमें तनिक भी निराश न हों। इस समय देशमें निराशा और अश्रद्धा घर कर गई दिखाई पड़ती है। ऐसे समयमें यदि थोड़ी-सी भी दृढ़तासे काम लिया गया तो निराशाके बादलोंको छँटते देर नहीं लगेगी।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १७-८-१९२४

६. गांधीजीके लिए या देशके लिए?

एक मित्र कहते हैं कि आजकल गांधीजीके नामसे विद्यार्थियोंको कातनेके लिए जोर देकर कहनेका एक रिवाज-सा पड़ गया है। वे पूछते हैं कि क्या यह ठीक है?

जबतक मैं देशके लिए और देश ही के लिए कार्य करता रहूँ, तबतक इस प्रकारकी अपील खास परिस्थितिमें और कुछ हदतक अनुचित नहीं है। मेरे लिए कातनेकी अपील, देशके लिए कातनेकी अपीलसे अधिक सीधा असर पहुँचा सकती है। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि सबको देशके लिए कातना ही उचित है। अपने लिए उसके आदर्श अर्थमें कातना और भी अच्छा है। क्योंकि हरएक कार्यकर्त्ता जो देशके लिए कार्य करता है, वह अपने लिए भी कार्य करता है। जो सिर्फ अपने लिए काम करता है, वह अपना ही नुकसान करता है। हमारा लाभ देशके लाभके अनुकूल होना चाहिए। वह उससे जुदा न हो जाना चाहिए। जो लोग केवल दिखानेके

Gandhi Heritage Portal

लिए कभी-कभी कातते हैं और फिर बन्द कर देते हैं, वे आँखोंमें धूल झोंकनेका ही प्रयत्न करते हैं।

हिन्दी नवजीवन, १७-८-१९२४

७. क्षमा-प्रार्थना

'हिन्दी नवजीवन'का तीसरा वर्ष आज पूरा होता है। मुझे कहते हुए रंज होता है कि मैं 'हिन्दी नवजीवन'के लिए स्वतन्त्र लेख बहुत न लिख सका। पाठक इस बातको मानें कि इसका कारण अनिच्छा नहीं, बल्कि समयका अभाव है और इसके लिए वे मुझे क्षमा करें।

'हिन्दी नवजीवन' अबतक स्वावलम्बी नहीं हुआ है। मैंने एक समय जाहिर किया है कि किसी अखबारको नुकसान उठाकर चलाना प्रजाकी दृष्टिसे अच्छा नहीं है। 'हिन्दी नवजीवन' केवल सेवा-भावसे ही निकलता है। इसीलिए प्रत्येक पाठक उसपर अपना स्वामित्व समझे और उसे स्वावलम्बी बनानेकी कोशिश करे। अब २,७०० प्रतियाँ बिकती हैं। स्वावलम्बी बननेके लिए कमसे-कम ३,००० प्रतियाँ बिकनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि पाठकगण कोशिश करके इस कमीको दूर करेंगे।

हिन्दी नवजीवन, १७-८-१९२४

८. पत्र : अजमेरके यातायात अधीक्षकको

पता : आश्रम
साबरमती
१८ अगस्त, १९२४

सेवामें
यातायात अधीक्षक
अजमेर

महोदय,

पिछले शनिवार अर्थात् इसी महीनेकी १६ तारीखको मैंने द्वितीय श्रेणीमें अहमदाबादसे दिल्लीकी यात्रा की थी। मेरे साथ तीन परिचारक थे, जिनके पास तृतीय श्रेणीके टिकट थे। इनमें से एक अहमदाबादके उप-स्टेशनमास्टरकी अनुमतिसे तथा मेरे अस्वस्थताके प्रमाणपत्रके आधारपर मेरे साथ मेरे डिब्बेमें ही बैठा सफर कर रहा था। दो वर्ष पूर्व अपने कारावासके पहले मैं आपकी तथा दूसरी भारतीय रेलवे लाइनोंपर इसी प्रकार यात्रा किया करता था। एक बार जी० आई० पी० के[1] एक

१. ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे।

Gandhi Heritage Portal

टिकट निरीक्षकने एतराज किया था। तबतक मैं अपने पास डाक्टरी प्रमाणपत्र नहीं रखता था, क्योंकि मेरा शरीर देखकर ही मेरी अस्वस्थताका पता चल जाता था। परन्तु इस अवसरपर जी० आई० पी०के यातायात अधीक्षकने मेरा ध्यान उस नियमकी ओर आकृष्ट किया जिसके अन्तर्गत उच्च दरजेके बीमार यात्रीके साथ निचले दर्जेके परिचारक यात्रीको चलनेकी अनुमति है और तबसे मैं अपने साथ डाक्टरी प्रमाणपत्र रखने लगा। इसलिए इस बार भी मैंने अहमदाबादके स्टेशन अधिकारियोंके समक्ष प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया — जिसकी प्रतिलिपि यहाँ संलग्न है।

१७ तारीखको जब हम दिल्ली स्टेशनपर उतरे तो एक टिकट कलेक्टरने, जिसको यह बतला दिया गया था कि एक परिचारकने जिसके पास तृतीय श्रेणीका टिकट था मेरे साथ द्वितीय श्रेणीमें यात्रा की है, मय जुर्मानेके, अतिरिक्त किरायेकी माँग की। मेरे परिचारकने उप-अधीक्षकको उन परिस्थितियोंके बारेमें बतलाया, जिनके कारण उसे मेरे साथ द्वितीय श्रेणीमें यात्रा करनी पड़ी थी। वह डाक्टरी प्रमाणपत्र दिखलानेके लिए और उस नियमको भी पढ़कर सुना देनेके लिए तैयार था, जिसके अनुसार ऊँचे दर्जेके यात्रीको अपने साथ उसी डिब्बेमें तृतीय श्रेणीके टिकटपर एक परिचारकको ले जानेका अधिकार प्राप्त है। (कोचिंग टैरिफ, पार्ट १, पैरा ६९ से उसकी एक प्रतिलिपि लेकर उसने अपने पास रख ली थी)। मुझे यह बताया गया है कि उसने उसको देखा तक नहीं। इसके बाद उप-अधीक्षकके द्वारा स्टेशन अधीक्षकसे मिलनेकी कोशिश की गई; पर उसने मेरे परिचारकसे मिलनेसे ही इनकार कर दिया। मैं इस व्यवहारको अत्यन्त अशिष्टतापूर्ण मानता हूँ। झगड़ेको बचानेके लिए मेरे परिचारकने विरोधके साथ २३ रु० अदा कर दिये। मैं उसकी रसीद यहाँ नत्थी कर रहा हूँ और अब आपसे निवेदन करता हूँ कि उपर्युक्त कारणोंके आधारपर आप इन रुपयोंको लौटानेकी कृपा करें।

आपका विश्वस्त,

मो० क० गांधी

संलग्न :

१. अस्वस्थताका डाक्टरी प्रमाणपत्र

२. अतिरिक्त किरायेका टिकट नं० ए–९०२५७

अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १०१२०) की फोटो-नकलसे।

Gandhi Heritage Portal

९. तार: एन० एच० बेलगाँववालाको[1]

[१९ अगस्त, १९२४ या उसके पश्चात्]

कोई समझौता[2] नहीं। मोतीलालके[3] साथ हुआ पत्र-व्यवहार भेज रहा हूँ। तेईस तारीखको अहमदाबाद पहुँच रहा हूँ।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २३-८-१९२४

१०. टिप्पणियाँ

पहली किस्त

अ० भा० कांग्रेस कमेटीके कताई सम्बन्धी प्रस्तावके[4] जवाबमें सूतकी जो पहली किस्त मिली है, उसका विश्लेषण करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि पाठक भी उसमें शरीक हों। अभीतक तो गुजरातके भेजे हुए सूतका हिसाब ही मुझे मिला है, क्योंकि अ० भा० खादी बोर्डका प्रधान कार्यालय अहमदाबादमें है। जिन प्रतिनिधियोंके लिए सूत भेजना लाजिमी है उनकी संख्या ४०८ है। उनमें से सिर्फ १६९ प्रतिनिधियोंने सूत भेजा है अर्थात् फी सैकड़ा ४२ लोगोंने अपने जिम्मेका सूत भेजा है और ५८ लोगोंने नहीं भेजा। कहा जाता है कि जिन्होंने अपने जिम्मेका सूत नहीं भेजा वे नौसिखिया हैं। किन्तु यह कारण ठीक नहीं है। श्री तैयबजी और श्री वल्लभभाई नौसिखिया होनेपर भी निश्चयपूर्वक काम करनेके कारण ५,००० गजसे भी अधिक सूत भेज सके हैं। इसलिए मुझे आशा है कि दूसरे महीनेमें सब प्रतिनिधि अपना-अपना सूत अवश्य भेज देंगे। जिन व्यक्तियोंने प्रतिनिधि न होनेपर भी सूत भेजा है उनकी संख्या सूत न भेजनेवाले प्रतिनिधियोंकी संख्यासे भी अधिक है, क्योंकि गुजरातमें कुल मिलाकर ६७२ लोगोंने अर्थात् ५०३ गैर-प्रतिनिधियोंने सूत भेजा है। यह संख्या सचमुच उत्साहवर्धक है। थोड़े और संगठनसे और अधिक अच्छा नतीजा दिखाई देगा। सच तो यह है कि यदि त्याग-

१. यह तार बेलगाँववालाके १९ अगस्तके निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गया था:

"अखबारोंमें बहुत उत्तेजनापूर्ण बयान। श्रीमती नायडूको समझौता करनेका अधिकार दिया जा रहा है। आंग्ल-भारतीय अखबार कांग्रेससे आपके अलग होनेका अनुमान लगा रहे हैं। अपना दृष्टिकोण तारसे सूचित करें।"

२. स्वराज्यवादियोंके साथ।

३. मोतीलाल नेहरू।

४. देखिए "पहली परीक्षा", २४-८-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

भावसे कातनेका यह आन्दोलन फैल जाये तो महीने-दर-महीने उसका बड़ा आश्चर्यकारी फल दिखाई देगा। इनमें से किसी भी व्यक्तिने ३,००० गजसे कम सूत नहीं भेजा है। बहुतोंने ५,००० गज भेजा है। एक सज्जनने तो ४३,००० गज भेजा है। यह बहुत बड़ा काम है। सूत भी बराबर अच्छा और बटदार है। पाठकोंको यह न समझना चाहिए कि सूत कातना उनका पेशा है। उन्हें बहुत थोड़े समयका ही अभ्यास है। एक दूसरे सज्जनने १२,००० गज सूत दिया है। उन्होंने २४,००० गज काता था। लेकिन १२,००० गज खुद अपने उपयोगके लिए रख लिया है। एक तीसरे सज्जनने यद्यपि काता तो है २७,००० गज पर भेजा है ११,००० गज ही। ये दोनों कार्य-व्यस्त प्रतिनिधि हैं और बड़ी जिम्मेवारीके पदोंपर हैं। हर रोज बगैर तीन घंटे काते वे इतना अधिक सूत नहीं भेज सकते थे। उनका कहना है कि हमारे सुपुर्द जो दूसरा काम है हमने उसको नुकसान पहुँचाकर यह सूत नहीं काता। उनके इतना काम कर सकनेका कारण यह है कि वे सुबह जल्दी उठ बैठते हैं और अपने एक-एक मिनटका हिसाब रखते हैं। एक युवकने ४६,००० गज सूत काता है; किन्तु सिर्फ उतना ही भेजा है जितना कमसे-कम माँगा गया था। वह अधिक नहीं भेज सकता था। मैं यह भी कह देता हूँ कि बहुतोंने ३,००० गजसे अधिक सूत काता है लेकिन वे खुद अपने कपड़ेके लिए भी कातते हैं और इसलिए कमसे-कम जितना माँगा गया उससे अधिक नहीं भेज सकते। जिलोंके हिसाबसे खेड़ा जिलेका नम्बर पहला है और पंचमहालका आखिरी।

अली भाइयोंका हिस्सा

बड़े भाईने खूब प्रयत्न किया लेकिन वे सिर्फ एक तोला खराब कता हुआ सूत ही भेज पाये हैं। यदि पाठकोंकी तरफसे मुझपर इन भाइयोंके प्रति पक्षपात रखनेका दोष लगाये जानेका भय न होता तो मैं यह कहता कि जो हमेशा घूमता-फिरता रहता है और जिसका शरीर कातनेके लिए लगातार बैठे रहने योग्य नहीं, उसके लिए यह कुछ बुरा नहीं। फिर भी मौलाना शौकत अलीने मुझे यह यकीन दिलाया है कि वे अगले महीने अपना हिस्सा पूरा-पूरा भेज देंगे। मौलाना मुहम्मद अलीने कुछ अधिक किया है। उनकी बात उन्हींके मुँहसे सुन लीजिए :

> मैं, शौकतके साथ कांग्रेसके सभापतिके कातनेकी कोशिशका जो-कुछ भी मामूली-सा नतीजा निकला है, भेज रहा हूँ। मेरे कातनेकी कहानी इस तरह है। मैंने जिन्दगी-भरमें एक बार भी सूत नहीं काता था किन्तु अहमदाबादके बाद मैंने तय किया कि जिस रोजसे मैं दिल्लीमें पक्की तरहसे रहने लगूँगा उसी दिनसे कातना शुरू कर दूँगा। लगातार सफर करनेके बाद मुझे बीमारीने घेर लिया। लेकिन दूसरी अगस्तको बहुत दिनों बाद मैं आखिर कातने बैठ ही गया। दो और तीन अगस्तको जो-कुछ भी काम किया उसका नतीजा है बराबर न कते हुए खराब सूतकी दो आँटियाँ, लेकिन उसमें से कुछ तो मेरी स्त्रीका काता हुआ है जो मुझे कातना सिखा रही थी और फिर कुछ आरिफ

Gandhi Heritage Portal

हस्वीका भी। मुझे कताई सिखानेमें कुछ हिस्सा इनका भी है। ४ तारीखको मैंने तीसरी आँटी काती, लेकिन कितने गज सूत काता यह गिनना ही भूल गया। मेरा खयाल है कि वह ११० गज होगा। ५, ६, ७ तारीखको मैंने ३०० गज काता और उसके बाद मुझे माताजीको देखनेके लिए रामपुर जाना पड़ा। मुझे बड़ा अफसोस है कि जानेकी हड़बड़ी और जल्दबाजीके कारण मेरा चरखा पीछे रह गया। वहाँसे लौटनेके बाद १५० गजके करीब फिर काता लेकिन हिन्दू-मुस्लिम समझौता कराने, माँकी बीमारी और खुद मेरे पैरकी वजहसे -- जिसका एक फोड़ा अभी अच्छा नहीं हो पाया है कि दूसरा निकल आया है -- मैं काममें बड़ा उलझा रहा। आखिरकी चौथी आँटीमें ४६२ गज सूत है। यह चार दिनका काम है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि खुदाने चाहा तो १५ सितम्बरतक सिर्फ २,००० गज ही न कातूँगा बल्कि अगस्तकी कमीको भी पूरा कर दूँगा। तबतक क्या आप कामके बजाय कामकी इच्छाको ही कबूल कर लेंगे?

जो हमेशा सफरमें रहता है और बीमार रहता है, उसके लिए यह बहुत है। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि अपने अनुयायियोंसे काम लेनेकी आशा रखनेके पहले सभापतिको खुद अपने काममें नियमित रहना और उसपर खूब ध्यान देना चाहिए। अली भाई सिर्फ कांग्रेसके ही नहीं, मुसलमानोंके भी प्रतिनिधि हैं। सब तरफसे यही आवाज उठती है कि मुसलमान कांग्रेसके कार्यक्रमके प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाते। उनको उनके कर्त्तव्यके प्रति जागरूक बनानेके लिए बड़े प्रयत्नकी आवश्यकता है। कातनेमें यदि मुसलमान हिन्दुओंकी बराबरी करने लगें तो उसका असर हिन्दुओंपर भी पड़ेगा। तब विदेशी कपड़ेका बहिष्कार सफल होगा और उसके फलस्वरूप प्रजाको आर्थिक मुक्ति मिल जायेगी। आर्थिक मुक्तिसे आत्मविश्वास प्रकट होगा और आत्म-विश्वाससे स्वराज्य अवश्य ही प्राप्त होगा।

आचार्य गिडवानी

ऐसा बताया जाता है कि नाभा जेलमें आचार्य गिडवानीका वजन ३० पौंड कम हो गया है और श्रीमती गिडवानीके बार-बार लिखकर पूछनेपर भी कि वे अपने पतिसे कब मिल सकेंगी, कोई उत्तर नहीं मिला है। यह उदासीनता हृदयहीन है। राज्यके प्रशासक महोदय कमसे-कम आचार्य गिडवानीके स्वास्थ्यके बारेमें नियमित रूपसे बुलेटिन जारी कर सकते हैं, जिससे जनताको उनकी तन्दुरुस्तीका सही हाल मालूम हो सके। यह समझना भी बड़ा मुश्किल है कि श्रीमती गिडवानीको जितनी मर्तबा वे चाहें उनके पतिसे क्यों नहीं मुलाकात करने दी जाती। मेरी उनके साथ सहानुभूति है। लेकिन मैं जानता हूँ कि वे बहादुर पतिकी बहादुर पत्नी हैं। मैं सिर्फ उनको यही सलाह दे सकता हूँ कि वे किसी बातकी भी चिन्ता न करें और विश्वास रखें कि मनुष्यकी अपेक्षा ईश्वर उनके पतिकी सँभाल अधिक अच्छी तरह रख सकता है। उन्हें और हमें यह महसूस करना चाहिए कि सत्याग्रही और असहयोगी होनेके

Gandhi Heritage Portal

6369

नाते हम ऐसे ही बरतावकी आशा रख सकते हैं जैसा बरताव उनके और उनके पतिके साथ किया गया है। यदि आचार्य गिडवानी अपने सिद्धान्तको छोड़ दें तो उन्हें आज ही रिहाई मिल सकती है। उन्हें सिर्फ नाभाकी सीमामें पैर रखनेके अपने वीरोचित और मानवीय कार्यके लिए माफी माँगनी पड़ेगी। बस वे छोड़ दिये जायेंगे। किन्तु वे ऐसा न करेंगे। सत्याग्रहियोंका तो धर्म ही है कि अपमानजनक स्वतन्त्र जीवनकी बजाय वे कैद को ही पसन्द करते हैं।

मन्दिरोंकी पवित्रताका भंग

यदि मुरादाबादके जिला मजिस्ट्रेटकी विज्ञप्तिपर विश्वास किया जाये तो उसमें जो समाचार प्रकाशित हुए हैं वे बड़े ही गम्भीर और चिन्ताजनक हैं। कहा जाता है कि दो मन्दिर अपवित्र किये गये और वहाँ एकत्र हिन्दुओंको बुरी तरह पीटा गया। मन्दिरोंको इस प्रकार महज दुष्टतावश अपवित्र करनेका कोई कारण नहीं बताया गया है। कहा जाता है कि जिला लखनऊमें अमेठी नामक स्थानपर भी ऐसी ही घटना हुई है। कहते हैं वहाँ मजिस्ट्रेटके हुक्मके खिलाफ हिन्दुओंने शंख फूंके। यदि उन्होंने ऐसा किया तो यह काम मस्जिट्रेटका था कि वह उन शंख बजानेवालोंको सजा देता। किन्तु मुसलमानोंका यह काम हरगिज न था कि वे एक बड़ी तादादमें मन्दिरमें घुस जाते और हमला करते और उसे अपवित्र कर देते। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी घटनाओंके पीछे कोई संगठित जमात है। यह जमात उन लोगोंकी है जो जान-बूझकर हिन्दू-मुसलमानोंमें मनमुटाव पैदा करते हैं और हिन्दू-मुस्लिम एकतामें बाधा डालते हैं। समझमें नहीं आता कि ऐसे काम करनेसे उस जमातको क्या हासिल होगा। इससे इस्लामकी इज्जत नहीं बढ़ सकती और वह लोकप्रिय नहीं हो सकता। यदि किसी दुनियावी लाभके लिए ऐसे काम किये जाते हैं तो वह भी नहीं मिल सकता। यदि ऐसे उपायोंसे इस जमातके संगठनकर्त्ता सरकारी कृपा पानेकी आशा रखते हों तो उनका यह भ्रम थोड़े ही दिनोंमें दूर हो जायेगा।

नेटालके भारतीय

नेटाल सरकारने एक अध्यादेश पास करके वहाँ रहनेवाले हिन्दुस्तानियोंको नगरपालिकाके चुनावोंके मताधिकारसे वंचित कर दिया है। वहाँके हिन्दुस्तानियोंने इसके प्रति विरोध प्रकट करते हुए एक करुणाजनक तार भेजा है। इस लड़ाईकी शुरुआत १८९४ में हुई थी। अन्ततः इस झगड़ेका फैसला वहाँ बसनेवाले हिन्दुस्तानियोंके हकमें हो गया था। तत्कालीन नेटाल सरकारने इस बातको कबूल किया था कि हिन्दुस्तानी कर-दाताओंके नगरपालिका मताधिकारको छीनना अत्यन्त अन्यायपूर्ण होगा। अलबत्ता, वहाँके हिन्दुस्तानियोंने राजनैतिक मताधिकारसे वस्तुतः वंचित रहना तो कबूल कर लिया था। परन्तु कोई सरकार जब किसी नीति या सिद्धान्तको बदलना चाहती है तब पिछले वचन या प्रतिज्ञाएँ उसके रास्तेमें बाधक नहीं बनतीं। दक्षिण आफ्रिकाके हिन्दुस्तानियोंके इतिहासमें हमने इसके अनेक उदाहरण देखे हैं। मौका

6369 26 JUL 1968 2 DEC 1969 Gandhi Heritage Portal

पड़ते ही, उन्हें दिया गया प्रायः हर आश्वासन तोड़ा गया है। नेटाल-स्थित हमारे देशभाई इस हुक्मसे बड़े पसोपेशमें पड़ गये हैं। उन्होंने हिन्दुस्तानकी जनतासे करुण स्वरमें सहायता माँगी है। पर वे शायद यह नहीं जानते कि उन्हें कोई वास्तविक सहायता देनेकी सामर्थ्य हममें नहीं है। हाँ, हमदर्दी तो है ही। अखबारोंमें लेख भी उनके लिए लिखे जायेंगे, पर मुझे अन्देशा है कि इससे अधिक सहायता उन्हें नहीं मिल पायेगी। यदि भारत सरकार, शर्मके कारण उनके सिरपर मँडरानेवाली इस लूट-खसोटसे उन्हें बचानेके लिए कुछ करना चाहे तो सचमुच कारगर कदम उठा सकती है। मैं इसे 'सिरपर मँडरानेवाली' इसलिए कह रहा हूँ कि इस अध्यादेशके लिए दक्षिण आफ्रिका संघके गवर्नर-जनरलकी मंजूरी जरूरी होती है। पहले एक बार वे एक ऐसे ही अध्यादेशको नामंजूर कर चुके हैं। अगर अपने विशेषाधिकारका प्रयोग करें तो वे इस अध्यादेशसे हिन्दुस्तानियोंका जो अपमान होगा उससे उन्हें बचा सकते हैं। जब श्रीमती सरोजिनी नायडू दक्षिण आफ्रिकामें अपना गौरवशाली कार्य कर रही थीं तब जितने पत्र वहाँसे आते थे उनमें मैं अपने देश-भाइयोंको उसपर बड़ी-बड़ी आशाएँ लगाते हुए देखता था। परन्तु दक्षिण आफ्रिकाके यूरोपीय जहाँ सभ्यतासे व्यवहार कर सकते हैं, वहाँ वे अपने इरादोंको पूरा करनेका निश्चय भी रखते हैं — फिर भले ही वह सरासर अन्याय हो — जैसा कि यह मामला है। जनरल स्मट्सकी देख-रेखमें उन्होंने मीठी-मीठी बातें करके अन्याय करते जानेकी कला सीख ली है। इसका आखिरी इलाज तो खुद हमारे देश-भाइयोंके ही पास है।

केनियाका फैसला

केनियाके भारतीयोंके बारेमें उपनिवेश-मन्त्रीकी घोषणा बहुत चतुराई भरी है। पढ़नेपर वह बिलकुल निर्दोष मालूम होती है लेकिन इस घोषणाने केनियाके हमारे देशवासियोंसे लगभग वह सब छीन लिया है जिसके लिए वे संघर्षकर रहे थे। श्री टामसने आव्रजन कानूनका विचार त्याग दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कानूनको बनानेकी कोई जल्दी भी नहीं थी। अन्य मुद्दोंपर प्रतिकूल निर्णय होनेके कारण आव्रजन अपने-आप ही कम हो जायेगा। भारतीय लोग पहाड़ी क्षेत्रोंमें भू-सम्पत्ति रखनेके अधिकारको बरकरार रखनेकी माँग कर रहे थे। उनकी माँग सामान्य मताधिकारमें बराबरीके दर्जेके लिए थी। वे न्यायोचित ढंगसे संघर्ष करनेका अधिकार चाहते हैं, दयाकी भीख नहीं चाहते। उक्त घोषणा उन्हें केनियाके सबसे स्वास्थ्यवर्धक भागमें भू-सम्पत्ति रखनेके अधिकारसे वंचित कर देती है। उसमें जातिगत मताधिकार देनेकी व्यवस्था है, जिसका वास्तवमें यह अर्थ है कि हमारे देशवासियोंकी कोई प्रभावकारी राजनीतिक शक्ति नहीं रह जायेगी। यह संघर्ष कई वर्षोंसे चल रहा है। पिछले वर्ष नरमदलीय और अन्य विचारधाराओंके भी सब भारतीय एक हो गये थे। उन्होंने ब्रिटिश मालके बहिष्कारकी भी घोषणा कर दी। लेकिन ब्रिटिश मालके आयातपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और केनियाके भारतीयोंको अपने आन्दोलनसे कोई लाभ नहीं हुआ। हमारे पास शक्ति नहीं है, बल्कि यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि हमारे पास जो शक्ति है, हम नहीं जानते कि उसका उपयोग कैसे करें। पाठकोंको

Gandhi Heritage Portal

केनिया और नेटालका भेद समझ लेना चाहिए। नेटालको उपनिवेशका दर्जा मिल चुका है पर केनियाको अभीतक नहीं मिला। नेटालका निर्णय स्थानीय विधान-मण्डलका निर्णय है। अतः वहाँ अब भी राहत पानेकी आशा है। केनियामें इस समय जो फैसला हुआ है वह साम्राज्य सरकारका फैसला है; अतः वह लगभग अन्तिम है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २१-८-१९२४

११. बोल्शेविज्म या आत्म-संयम ?[१]

दो अमेरिकी मित्रोंने मुझे बड़े भावावेशमें एक पत्र लिखा है। वे कहते हैं कि मैं धर्मके नामपर शायद भारतमें बोल्शेविज्मका प्रचार कर रहा हूँ, जो न तो ईश्वरको मानता है, न नैतिकताको और स्पष्टतः नास्तिक है। वे कहते हैं कि मुसलमानोंकी और आपकी मैत्री एक नापाक मैत्री है और दुनियाके लिए एक खतरा है; क्योंकि वे कहते हैं, आज मुसलमान बोल्शेविक रूसकी सहायतासे पूर्वी देशोंमें अपना प्रभुत्व जमानेकी फिक्रमें हैं। मेरे ऊपर यह आरोप इससे पहले भी लगाया गया है, पर अबतक मैंने उसपर कोई ध्यान नहीं दिया। पर अब तो जिम्मेवार विदेशी मित्रोंने शुद्ध भावसे यह इलजाम लगाया है, इसलिए मेरी समझमें इसपर विचार करनेका समय अब आ पहुँचा है। सबसे पहले तो मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मुझे पता नहीं बोल्शेविज्मके मानी क्या हैं? मैं इतना ही जानता हूँ कि इस मामलेमें दो परस्पर विरोधी दल हैं—एक तो उसका बड़ा भद्दा और काला चित्र खींचा करता है और दूसरा उसे संसारकी तमाम दलित-पतित और पीड़ित जातियोंके उद्धारका आन्दोलन बताता है। अब मैं नहीं कह सकता किसकी बातपर विश्वास करना चाहिए। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा आन्दोलन नास्तिक नहीं है। वह ईश्वरको नहीं नकारता। वह तो उसीके नामपर शुरू किया गया है और निरन्तर उसकी प्रार्थना करते हुए चलाया जा रहा है। निस्सन्देह, वह एक जन-आन्दोलन है। परन्तु वह जनतातक उसके हृदयके द्वारा, उसकी धर्मबुद्धिको जगाकर ही पहुँचना चाहता है। यह आन्दोलन है क्या? यह तो एक प्रकारसे आत्म-संयमकी प्रक्रिया है और यही कारण है कि इसने मेरे कुछ अच्छेसे-अच्छे साथियोंको अधीर बना दिया है।

मुसलमानोंसे अपनी मित्रतापर मुझे गर्व है। इस्लाम ईश्वरको नकारता नहीं बल्कि वह तो केवल एक सर्वशक्तिमान् ईश्वरको कट्टरतासे मानता है। इस्लामके बुरेसे-बुरे टीकाकारने भी इस्लामपर नास्तिकताका दोषारोपण नहीं किया। ऐसी हालतमें यदि बोल्शेविज्म अनीश्वरवाद है तो उसमें और इस्लामके बीच मैत्रीका कोई समान आधार नहीं हो सकता। उस अवस्थामें इन दोनोंके बीच एक मरणांतक

१. एम० एन० राय द्वारा दिये गये इस लेखके उत्तरके लिए देखिए परिशिष्ट १; उत्तरपर गांधीजीकी टिप्पणीके लिए देखिए "बोल्शेविज्मका अर्थ", १-१-१९२५।

Gandhi Heritage Portal

संघर्ष अनिवार्य है। ये दोनों मित्रोंकी तरह गले नहीं मिलेंगे बल्कि परस्पर वैरियोंकी तरह जूझेंगे। मैंने अमेरिकी मित्रोंके पत्रकी भाषाका ही प्रयोग किया है। पर मैं अपने अमेरिकी पाठकों तथा औरोंको सूचित करता हूँ कि मैं किसी भ्रमका शिकार नहीं हूँ। मेरा दावा तो बहुत ही मामूली-सा है। जो मित्रता है वह तो अली भाइयोंके और मेरे बीच है, अर्थात् कुछ बड़े ही सम्माननीय मुसलमान मित्रोंके और मेरे बीच है। यदि मैं इसे मेरे नहीं, मुसलमानों और हिन्दुओंके बीच मित्रता कह सकूँ तो फिर पूछना ही क्या! पर हिन्दू-मुस्लिम मित्रता तो लगता है दिवा-स्वप्न-जैसी सिद्ध हुई। इसलिए वास्तवमें तो यही कह सकते हैं कि यह मित्रता कुछ मुसलमानों, जिनमें अली भाई भी हैं, और कुछ हिन्दुओंके बीच है, जिनमें एक मैं भी हूँ, अब यह हमें कहाँतक आगे ले जायेगी, यह भविष्य ही बता सकता है। इस मित्रतामें कोई बात गोलमोल या अस्पष्ट नहीं है। यह तो संसारमें सबसे अधिक स्वाभाविक चीज है। दुःखकी बात तो यह है कि इसपर लोगोंको आश्चर्य ही नहीं, आशंकाएँ भी हैं। भारतके हिन्दू और मुसलमान यहीं जन्मे और यहीं पले हैं। एक-दूसरेके दुख-सुख, आशा-निराशाके साथी हैं। ऐसी हालतमें इससे बढ़कर स्वाभाविक बात क्या हो सकती है कि दोनों स्थायी तौरपर परस्पर मित्र और भाई, एक ही माताके पुत्र बनकर रहें? ताज्जुब तो इस बातपर होना चाहिए कि दोनोंमें झगड़े क्यों होते हैं; इस बातपर नहीं कि दोनोंमें एकता कैसे हो रही है। दोनोंका यह सम्मिलन संसारके लिए एक संकट क्यों माना जाना चाहिए? दुनियाका सबसे बड़ा संकट तो आज वह साम्राज्यवाद है, जो दिनपर-दिन अपने पैर फैलाता जाता है, दुनिया-को लूटता जाता है, जिसे अपनी जवाबदारीका भान नहीं है और जो भारतको गुलाम बनाकर उसके द्वारा दुनियाकी तमाम निर्बल जातियोंके स्वतन्त्र अस्तित्व और विकासके लिए खतरा उपस्थित कर रहा है। यह साम्राज्यवाद ही ईश्वरको धता बता रहा है। वह ईश्वरके नामपर उसके आदेशके खिलाफ करतूतें करता है। वह अपनी अमानुषिक-ताओं, डायरशाही और ओ'डायरशाहीको मानवता, न्याय और नेकीके आवरणमें छिपा लेता है और इसमें भी अत्यन्त दुःखकी बात यह है कि अधिकांश अंग्रेज नहीं जानते कि इसमें उनके ही नामका दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे भी बढ़कर करुणा-जनक बात यह है कि सौम्य और ईश्वर भीरु अंग्रेजोंके दिलमें यह जँचा दिया जाता है कि भारतमें तो चैनकी बंसी बज रही है — जबकि दर हकीकत यहाँ करुण-क्रन्दन हो रहा है; और आफ्रिकी जातियाँ भी अमन-चैन कर रही हैं, हालाँकि वाकई वे उनके नामपर लूटी और अपमानित की जा रही हैं। यदि जर्मनी और यूरोपके मध्यवर्ती राज्योंकी शिकस्तने जर्मन-रूपी संकटका अन्त किया है, तो मित्र-राष्ट्रोंकी विजयने एक नये संकटको जन्म दे दिया है, जो संसारकी शान्तिके लिए उससे कम खतरनाक और घातक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हिन्दुओं और मुसलमानोंकी यह मित्रता एक स्थायी सत्य बन जाये और उसका आधार दोनोंके प्रबुद्ध हितोंकी परस्पर स्वीकृति हो। तब जाकर वह घृणित साम्राज्यवादके लोहेको मानव-धर्मके सोनेमें बदल सकेगी। हम चाहते हैं कि हिन्दू-मुस्लिम मित्रता भारत और सारे संसारके लिए एक

Gandhi Heritage Portal

मंगलमय वरदान बने, क्योंकि उसकी कल्पनाके मूलमें सबके लिए शान्ति और सद्भावकी भावना है। उसने भारतमें सत्य और अहिंसाको अनिवार्य रूपसे स्वराज्य प्राप्त करनेका साधन स्वीकार किया है। उसका प्रतीक है चरखा, जो कि सादगी, स्वावलम्बन, आत्म-संयम और करोड़ों लोगोंमें स्वेच्छा प्रेरित सहयोगका प्रतीक है। यदि ऐसी मैत्री संसारके लिए संकट-रूप हो तो समझना चाहिए कि दुनियामें कोई ईश्वर है ही नहीं, अथवा यदि है तो वह कहीं गहरी नींदमें सो रहा है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २१-८-१९२४

१२. शक्तिका अपव्यय ?

गत मई मासके 'वेलफेयर' नामक अंग्रेजी पत्रके एक लेखकी ओर एक मित्रने मेरा ध्यान खींचा है, जो कि श्री एम० एन० रायका[1] लिखा हुआ है और जिसमें उन्होंने कोकोनाडाकी खादी प्रदर्शनीके उद्घाटनके अवसरपर दिये गये आचार्य रायके[2] भाषणकी आलोचना की है। मेरे कागज-पत्रोंमें उस पत्रिकाकी प्रति कोई दो महीनेसे रखी हुई थी। खेद है कि मैं उसे अबतक पढ़ न पाया था। पढ़ चुकनेके बाद ऐसा मालूम हुआ कि आचार्य रायके विचारोंका श्री एम० एन० रायने जो खण्डन किया है उसका निरसन इन पृष्ठोंमें कई बार किया जा चुका है। पर पाठकोंकी स्मृति अल्पजीवी होती है, इसलिए अच्छा होगा कि फिर एक बार यहाँ मैं अपने तर्कोंको सिलसिलेवार पेश कर दूँ। आचार्य रायके ये आलोचक महाशय मानते हैं कि चरखेके लिए जो इतना उद्यम किया जा रहा है यह महज 'शक्तिका अपव्यय' है। आचार्य रायकी दलीलोंका मुख्य मुद्दा यह है कि चरखा खासकर किसानोंके लिए अपना एक सन्देश रखता है और वह यों कि इसके जरिये किसान अपने फुरसतके वक्तका सदुपयोग कर सकते हैं। पर श्री रायका कहना है कि किसानोंके पास फुरसतका वक्त होता ही नहीं और जितनी कुछ फुरसत उन्हें मिलती है, उतनी उनके लिए जरूरी है। यदि उन्हें चार महीने फुरसत रहती है तो इसकी वजह यह है कि वे आठ महीनोंतक हदसे ज्यादा काम करते हैं और अगर इन फुरसतके चार महीनोंमें भी उन्हें चरखेपर काम करना पड़े तो उन आठ महीनोंमें काम करनेकी उनकी शक्ति हर साल कम होती जायेगी। दूसरे शब्दोंमें कहें तो आलोचक महाशयकी रायमें भारतके पास चरखा कातनेका समय नहीं है।

ऐसा जान पड़ता है कि आलोचक महोदयको भारतके किसानोंका बहुत ही कम अनुभव है और न ही वे इस बातका चित्र अपनी आँखोंके सामने खड़ा कर पाये हैं कि चरखा किस तरह काम करेगा — बल्कि आज कर रहा है। किसानोंको

१. प्रसिद्ध विचारक और लेखक; रैडिकल डेमॉक्रेटिक दलके संस्थापक।
२. आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय।

Gandhi Heritage Portal

चरखेपर गुलामोंकी तरह कड़ी मेहनत करनेकी जरूरत नहीं। बल्कि उसके जरिये कड़ी मेहनतके बाद किसानोंको एक अच्छे किस्मके मनोरंजनका मौका मिलता है। हाँ, भारतकी महिलाओंको अलबत्ता यह स्थायी वस्तुके रूपमें भेंट किया गया है। जब-जब उनके पास समय होगा वे चरखा कातेंगी। यदि अधिकांश मेहनत-मजदूरी अर्थात् शारीरिक श्रम करनेवाले लोग औसतन सिर्फ आधा घंटा रोज चरखा कातें तो न केवल अपने लिए काफी सूत कात सकेंगे बल्कि दूसरोंके लिए भी सूत जुटा सकेंगे। ऐसा मेहनतकश अपनी आयमें हर साल कमसे-कम १ रु०, ११ आ० की वृद्धि तो कर ही लेगा, जो कि लगभग भूखों मरते आदमीके लिए कम नहीं है। इस बातको सब लोग मानते हैं कि आज भारतमें हाथ-करघे और जुलाहे तो इतनी तादादमें मौजूद हैं कि वे हमारी जरूरतका तमाम कपड़ा बुन सकते हैं। ऐसी हालतमें सवाल सिर्फ हाथ-कताईका ही रह जाता है। यदि किसान भाई इसे अपने हाथमें ले लें तो बहुत बड़ी पूंजी बिना लगाये कपड़ेके मामलेमें आत्म-निर्भर बननेकी भारतकी समस्या हल हो सकती है। इसके मानी यह होंगे कि कमसे-कम ६० करोड़ रुपया उन करोड़ों कतैयों, हजारों धुनियों और जुलाहोंके बीच घूमता-फिरता रहेगा जो कि अपनी झोपड़ीमें काम करेंगे और उसी हदतक किसानोंकी कमाईकी क्षमता भी बढ़ेगी।

तमाम दुनियाका यह अनुभव है कि किसानोंको एक ऐसे धन्धेकी जरूरत रहती है, जिससे वे फुरसतके समयमें कुछ कमाई कर सकें -- अपनी आमदनी बढ़ा सकें। इस मौकेपर यह बात हरगिज न भूलनी चाहिए कि बहुत दिनोंकी बात नहीं है जब भारतकी महिलाएँ देशके कपड़ेकी आवश्यकता-भरका सूत फुरसतके वक्तमें कातकर तैयार करती थी और चरखेके इस पुनरुत्थानने तो इस बातकी सत्यताको बड़ी अच्छी तरह प्रदर्शित कर दिया है। यह खयाल करना गलत है कि चरखेका आन्दोलन असफल हुआ है। हाँ, कार्यकर्त्ता अलबत्ता कुछ अंशोंमें काम नहीं कर पाये हैं। लेकिन जहाँ कहीं उन्होंने दिल लगाकर काम किया है वहाँ बराबर चरखेका काम चल रहा है। यह सच है कि अभी उसमें स्थायित्व नहीं आ पाया है। इसका कारण है व्यवस्था और संगठनकी अपूर्णता। एक कारण यह भी है कि कतैयोंको अभी यह यकीन नहीं हो पाया है कि उनको काम निरन्तर मिलता रहेगा। मैं श्री रायसे प्रार्थना करता हूँ कि वे पंजाब, कर्नाटक और आन्ध्र तथा तमिलनाडके कुछ हिस्सोंमें स्थितिको खुद देखें-समझें। वे खुद देख लेंगे कि चरखेमें कितनी सम्भावनाएँ हैं।

भारतवर्ष अकालोंका देश है। हमारे भाई-बहनोंके लिए सड़कोंपर गिट्टी तोड़ना अच्छा है या रुई धुनना और सूत कातना? लगातार अकालोंसे पीड़ित रहनेके कारण उड़ीसाकी जनता कंगालीकी हालतमें पहुँच गई है। यहाँतक कि अब उनसे काम कराना भी बहुत मुश्किल हो गया है। वे धीरे-धीरे मौतके मुँहमें जा रहे हैं। उनके लिए अगर जिन्दगीकी कोई आशा है तो वह चरखेका पुनरुत्थान ही है।

श्री राय उन्नत तरीकोंसे खेती करनेपर जोर देते हैं। हाँ, इसकी जरूरत है, पर चरखेकी तजवीज कृषि-सुधारके साधनोंकी जगह नहीं की जा रही है, बल्कि उलटे यह तो सुधारकी दिशामें पहला कदम है। इस सुधारके रास्तेमें भारी कठिनाइयाँ

Gandhi Heritage Portal

हैं। हमें सरकारकी अनिच्छा, पूंजीका अभाव और नये तरीकोंके प्रति किसानोंका विरोध-भाव, इन तीनों कठिनाइयोंको पार करना होगा। परन्तु चरखा-कताईके निस्बत जिन बातोंका दावा किया जाता है वे ये हैं:

१. चरखेसे उन लोगोंको एक सुलभ धंधा मिलता है, जिन्हें फुरसत रहती है और दो पैसे ज्यादा कमानेकी जरूरत रहती है;

२. हजारों लोग इससे वाकिफ हैं;

३. इसे आसानीसे सीख सकते हैं;

४. इसके लिए पूंजीकी वस्तुतः बिलकुल जरूरत नहीं है;

५. चरखा आसानीसे बहुत कम दाममें बन सकता है। बहुतेरे लोग यह भी नहीं जानते कि किसी मामूली तकलीपर भी सूत काता जा सकता है;

६. लोग उसे हिकारतकी निगाहसे नहीं देखते;

७. अकाल और अभावके दिनोंमें तुरन्त संकट-निवारणका सबसे अच्छा साधन है;

८. विलायती कपड़ेकी खरीदके रूपमें हिन्दुस्तानके बाहर जानेवाले धनके प्रवाह-को बन्द करनेकी सामर्थ्य अकेले चरखेमें ही है;

९. इस तरह बची हुई रकमको वह करोड़ों गरीबोंके घर पहुँचा देता है;

१०. थोड़ी-सी सफलता भी उसी हदतक लोगोंको तुरन्त फायदा पहुँचाती है;

११. लोगोंके अन्दर सहयोग उत्पन्न करने और फैलानेका सबसे समर्थ साधन है।

इसके रास्तेमें ये कठिनाइयाँ हैं: मध्यवर्गके लोगोंके मनमें इसके प्रति श्रद्धाका अभाव है जबकि मध्यम श्रेणीके ही लोगोंमें अच्छी तादादमें कार्यकर्त्ता मिल सकते हैं। और भी बड़ी कठिनाई है बारीक और चिकने दिखाई देनेवाले मिलके बने कपड़ोंके बजाय खादी पहननेकी ओर लोगोंकी अरुचि और संक्रमण-अवस्थामें खादीका महँगापन। यदि लोग अच्छी तादादमें कताईके प्रस्तावको अपना लें तो खादी मिलके कपड़ेका मुकाबला कर सकती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस आन्दोलनकी सफलताके लिए लोगोंको कुछ त्याग करनेकी जरूरत है। यदि सरकार हमारी अपनी होती, जो किसानोंकी जरूरतोंका ध्यान रखती और विदेशी प्रतिद्वन्द्वितासे उनकी रक्षा करनेका निश्चय रखती, तो हमें इस प्रत्यक्ष त्यागकी जरूरत न पड़ती। पर राष्ट्रीय सरकारके अभावमें वही काम जो राष्ट्रीय सरकार कर सकती है, मध्यवर्गके लोगोंके कुछ समयके लिए थोड़ा-सा त्याग करनेसे हो सकता है।

शक्तिके अपव्ययका तो सवाल ही नहीं है। आचार्य राय पहले गरीब बहनोंको मुफ्तमें अन्न बाँटा करते थे। अब वे चरखेके रूपमें उन्हें एक प्रतिष्ठित पेशा देकर कुछ अंशोंमें या सर्वांशमें स्वावलम्बी बना रहे हैं। क्या यह शक्तिका अपव्यय है? भीख माँगने या भूखों मरनेके अलावा उनके पास दूसरा कोई काम करनेको नहीं था। क्या नवयुवकोंका गाँवोंमें जाना, उनकी जरूरतें मालूम करना, उनके दुःखसे दुःखी होना और उनकी सहायता करना शक्तिका अपव्यय है? क्या हजारों खाते-पीते नवयुवकों और नवयुवतियोंका करोड़ों अध-पेट रहनेवाले दरिद्र लोगोंका खयाल रखना और निष्ठापूर्वक उनके लिए आधा घंटा चरखा कातना शक्तिका अपव्यय

Gandhi Heritage Portal

है? जबकि हाथमें कोई भी काम न हो, किसी पुरुष या स्त्री द्वारा चरखा कातकर कुछ पैसे कमा लेने जितना लाभ तो यह है ही। इसी प्रकार त्यागभावसे किसीका चरखा कातना भी एक लाभ ही है। अगर कोई ऐसा कार्य है जिसमें हर तरह लाभ-ही-लाभ है, हानि कुछ नहीं, तो वह चरखा-कताई ही है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २१-८-१९२४

१३. अन्तःकरणकी आड़में

एक भाईने मुझे पत्र लिखा है, जिसका आशय कुछ इस प्रकार है:

> क्या आप जानते हैं कि आपके बार-बार अन्तःकरणकी दुहाई देनेका परिणाम क्या हुआ है? मैं देखता हूँ, किशोर और वयस्क लोग अन्तःकरणकी आड़ लेकर किस प्रकार निरी बकवास किया करते हैं। इससे भी बुरी बात तो यह है कि किशोर ढीठ हो गये हैं तथा वयस्क लोगोंका कोई दीन-ईमान नहीं रह गया है; क्या आप इस दुर्वृत्तिको रोक नहीं सकते? यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कृपया इस शब्दका प्रयोग न कीजिए और उस बकवासको बन्द कराइए, जो इस शब्दकी आड़में की जा रही है। यह एक पवित्र शब्द है, किन्तु इसका बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है। कृपया हमें बताइए कि अन्तःकरण किसके होता है? क्या वह सबके होता है? जब बिल्लियाँ चूहेका शिकार करती हैं, तब क्या वे अन्तःकरणकी प्रेरणापर ही वैसा करती हैं?

मैंने पत्र-लेखकका प्रश्न उनके अपने शब्दोंमें नहीं दिया है। मैंने उसका भावार्थ देनेकी कोशिश की है। मैं समझता हूँ, इस कोशिशमें मैंने उनके साथ अन्याय नहीं किया है।

मुझे यह स्वीकार करना होगा कि इस आरोपमें कुछ सार अवश्य है। किन्तु उन्होंने केवल बुरे पहलूको ही पेश किया है। हर अच्छी चीजका दुष्टों द्वारा दुरुपयोग किये जानेका उदाहरण मिलता है। किन्तु हम इस कारण उस अच्छी चीजको छोड़ नहीं देते। हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि उसके दुरुपयोगकी रोक-थामके उपाय करें। जब लोग खुद सोचना छोड़ देते हैं और हर मामलेमें उनके लिए जो-कुछ तय कर दिया जाता है, उसीको अपना दीन मानने लगते हैं, तब कभी-कभी व्यक्तियोंके इस अधिकारपर जोर देना जरूरी हो जाता है कि वे लोकमत, या दूसरे शब्दोंमें कानूनके खिलाफ चल सकते हैं। जब व्यक्ति ऐसा आचरण करते हैं तब उनका दावा होता है कि उन्होंने अपने अन्तःकरणके आदेशका पालन किया है। मैं पत्र-लेखककी इस बातसे सर्वथा सहमत हूँ कि किशोरोंको आमतौरपर अपने अन्तःकरणको जाननेका दावा नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसा गुण या स्थिति है जो बहुत प्रयास और अभ्याससे प्राप्त होती है। मनमानीको अन्तःकरणकी प्रेरणापर

Gandhi Heritage Portal

किया गया आचरण नहीं कहते। बच्चेमें अन्तःकरण नहीं होता। पत्र-लेखकने जो बिल्लीका उदाहरण दिया है, सो वह अपने अन्तःकरणके आदेशका पालन करनेके लिए चूहेका शिकार नहीं करती। वह तो वैसा अपने स्वभावके कारण करती है। अन्तःकरण तो कठोरतम साधनाका मीठा फल है। इसलिए गैर-जिम्मेदार किशोरोंमें, जो अपनी पशु-वृत्तिकी प्रेरणाके अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु या किसी व्यक्तिके आदेशपर चले ही नहीं, अन्तःकरण नहीं होता। इसी प्रकार सभी वयस्क लोगोंमें भी अन्तःकरणका गुण नहीं होता। उदाहरणके लिए बर्बर जातियोंके लोगोंमें दरअसल अन्तःकरणका कोई गुण नहीं होता। अन्तःकरण तो केवल संवेदनशील हृदयके अन्दर ही रहता है। इसलिए व्यक्तियोंके अन्तःकरणसे भिन्न सार्वजनिक अन्तःकरण नामकी कोई वस्तु नहीं है। अतः यह कहनेमें कोई हर्ज नहीं कि जब कोई व्यक्ति प्रत्येक बातमें अन्तःकरणकी दुहाई देता है तब समझ लीजिए वह अन्तकरणसे सर्वथा अपरिचित है। यह लोकोक्ति सत्य ही है कि अन्तःकरण हमें फूँक-फूँककर कदम रखना सिखाता है। अन्तःकरणवाला व्यक्ति अपनी बातमें बहुत आग्रही नहीं होता; वह हमेशा नम्र होता है; कभी उग्रतासे काम नहीं लेता; हमेशा समझौता करनेको, दूसरोंकी सुननेको तैयार रहता है; वह अपनी भूल स्वीकार करनेके लिए सदैव इच्छुक, यहाँतक कि उत्सुक रहता है।

पत्र-लेखक महोदय व्यर्थ ही परेशान हैं। यदि पचास हजार लोग यह कहते हैं कि वे अपने अन्तःकरणकी खातिर ही अमुक काम कर रहे हैं, या अमुक नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई सचमुच अन्तःकरणके गुणसे युक्त है या अहंकार अथवा अज्ञानके वशीभूत होकर इस गुणसे विभूषित होनेका झूठा दावा कर रहा है, इन दोनों तथ्योंमें भेद करनेमें दुनियाको कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसे लोग तो अन्तःकरणकी आड़ लिये बिना भी समान परिस्थितियोंमें ऐसा ही आचरण करते हैं। यदि सार्वजनिक जीवनमें अन्तःकरणकी बातको दाखिल करनेसे बहुत कम लोग भी कठिनसे-कठिन परिस्थितिके मुकाबले मानवीय गरिमा और मानवीय अधिकारोंके लिए खड़े होना सीख पाये हैं तो इस तरह सार्वजनिक जीवनमें अन्तःकरणको स्थान देनेपर खुशी होनी चाहिए। ये सत्कार्य सदैव जीवित रहेंगे, जबकि पाखण्डपूर्ण कार्य साबनके झागकी तरह क्षण-भंगुर हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २१-८-१९२४

Gandhi Heritage Portal

१४. मार्गकी कठिनाइयाँ

दक्षिणके एक कार्यकर्त्ताने पंचमोंके बारेमें निम्न प्रकार लिखा है:

मैं अभी-अभी पंचमोंकी एक सभासे लौटा हूँ। सभामें जो-कुछ हुआ, बहुत ठीक और उत्साहवर्धक था। लेकिन पंचमोंके मोहल्लेसे लौटते हुए जब हम बीच गाँवसे गुजरे तो वहाँ जो देखा वह उत्साहवर्धक नहीं था। वहाँ एक बरगदके पेड़के नीचे उस गाँवके अब्राह्मण किसान इकट्ठे थे। दुआ-सलामके लिए जब हम वहाँ रुके तो वे सब खड़े हो गये। फिर उनसे जो बातचीत हुई उससे मेरे सारे सपने टूट गये। इस गाँवमें खादी तैयार होती है। लेकिन बातचीतसे स्पष्ट था कि यह काम अब बन्द होने जा रहा है, क्योंकि अस्पृश्यता-निवारणकी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। मुख्य सड़कतक पहुँचनेके लिए हमें कोई बैलगाड़ी भी नहीं मिली। जैसे-तैसे काफी रात गये हम मुख्य सड़कपर खड़ी अपनी मोटर गाड़ीतक पहुँचे। टायर पंचर हो जानेके कारण हम रुकते-ठहरते आधी रातको घर वापस आये। मन बहुत उदास था और नींद भी नहीं आ रही थी। खैर, यह कोई ऐसी बात नहीं जिससे हम हारकर बैठ जायें। लेकिन इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिण भारतमें अस्पृश्यता-निवारणका काम इतना बड़ा है कि हम सबको अपनी पूरी शक्ति और साधन लगाकर भी इसे पूरा करनेमें वर्षों लग जायेंगे। अभी तो हम इस कामको कांग्रेस कार्यक्रमके एक गौण हिस्सेके रूपमें ही कर रहे हैं। मगर इससे बात बननेवाली नहीं है।

बेशक, इससे बात बननेवाली नहीं है। अस्पृश्यता एक भयानक वास्तविकता है। अस्पृश्य लोग यदि शिकायत कर सकते, तो धर्मके नामपर उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उसके विरुद्ध वे इतनी शिकायतें करते कि उसके शोरसे हमारी नींद हराम हो जाती।

अभीतक तो हम इस समस्यासे अपना मन बहलाव ही करते रहे हैं। इस कार्यके लिए हमने, जितना चाहिए उस अनुपातमें न तो अपना आराम छोड़ा है, न समय ही लगाया और पैसा तो और भी कम खर्च किया है, जबकि परिस्थितिका तकाजा यह है कि हम हिन्दुओंको इस ध्येयकी सिद्धिके लिए अपना खून पानीके समान बहाना होगा। हम सुधारक लोगोंको तत्काल यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस सवालपर हमारे पक्षके लोगोंकी संख्या बहुत ही कम है। मगर मैं सचमुच ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेसने इस सुधार-कार्यको अंगीकार करके इसे बहुत बल प्रदान किया है। किन्तु फिर भी अभीतक वह इस समस्याका केवल कोर-किनारा ही छू पाई है। हमने इसे सुलझानेका कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किया है। हम एक प्रकारकी सरगर्मी पैदा करना चाहते थे। किन्तु अस्पृश्यताके कार्यसे इस प्रकारकी सरगर्मी नहीं

Gandhi Heritage Portal

पैदा हो सकती। इसके लिए तो यश-प्रतिष्ठाकी अपेक्षा रखे बिना चुपचाप काम करते रहनेकी जरूरत है! एक ओर तो हमें हिंसाके जरिये नहीं बल्कि धैर्यपूर्ण प्रयत्नोंसे, जो केवल प्रेमकी प्रेरणासे ही सम्भव है, पूर्वग्रहोंकी दीवार ढाहनी है और कट्टरपंथियोंके साथ धीरज खोनेका मतलब अपना काम बिगाड़ना और अपनी तथा पंचमोंकी स्थितिको और भी खराब कर देना है। हमें दलील देकर उन्हें अपनी बात समझानी है, उनके व्यंग, उनके अपमान सहने हैं, यहाँतक कि बदलेके तौरपर अपना हाथ उठाये बिना उनकी लातें भी सहनी हैं। तब हम ऐसा वातावरण तैयार कर सकेंगे कि जिसमें कट्टरपन्थियोंके सामने सत्य प्रकट हो जायेगा।

हमें अपने मनमें यह तय कर लेना है कि हम सचमुच क्या चाहते हैं। इस प्रश्नके सम्बन्धमें हमारे विचार जुदा-जुदा नहीं होने चाहिए। हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह अन्तर्जातीय खान-पान या अन्तर्जातीय विवाहका प्रश्न नहीं है। साथ ही इस सवालका सम्बन्ध वर्ण-धर्मके, जिसे मतलबी लोग गलतीसे जाति-प्रथा मान बैठे हैं, उन्मूलनसे भी नहीं है। इसका तो सीधा-सादा सम्बन्ध अस्पृश्यता-निवारणसे, अकारण ही जो एक पंचम वर्ण बना दिया गया है, उसके उन्मूलनसे है। हमारे बीच ऐसे विचारोंवाले सुधारकोंका भी एक दल है जो वर्णधर्मको सर्वथा मिटा देना चाहता है। यहाँ हमें इस सुधारके गुण-दोषपर विचार नहीं करना है। अस्पृश्यता-आन्दोलनका उद्देश्य तो केवल इस पापपूर्ण अन्धविश्वासको दूर करना है कि किसी खास जातिमें उत्पन्न व्यक्तिके स्पर्शसे कोई इतना अपवित्र नहीं हो जाता कि उसके लिए प्रायश्चित्त करना आवश्यक हो। यह आन्दोलन जितना ज्यादा फैलता जायेगा, इसमें जितनी अधिक तीव्रता आती जायेगी इसकी मर्यादाओंको समझना और उनका सावधानीके साथ पालन करना भी उतना ही जरूरी होता जायेगा। इस प्रकार जहाँ हमें कट्टरपन्थियोंको ललकारना है वहाँ उन्हें यह विश्वास भी दिलाना है कि हम जो कुछ कह रहे हैं उससे अधिक हमारा और कोई मतलब नहीं। उन्हें इस आन्दोलनके प्रयोजनको पूरा-पूरा समझ सकनेका मौका देना है। मुझे हर हफ्ते जो पत्र मिलते हैं, उनसे मालूम होता है कि हम आन्दोलनकी मर्यादाओंको बराबर अपने सामने नहीं रखते। इसलिए कट्टरपन्थी लोग स्वभावतः सशंक हो गये हैं। इससे सुधारकोंका कार्य जितना चाहिए, उससे कहीं अधिक कठिन हो जाता है।

दूसरी ओर पंचम भाइयोंके साथ भी हमें समान रूपसे धैर्यके साथ काम लेना होगा। वे हमेशा हमारे प्रयत्नोंकी कद्र नहीं करते। वे प्रायः हमपर अविश्वास करते हैं। मैं जानता हूँ, जब अछूत बच्चोंको यह सिखाया जाता है कि स्पृश्योंकी थालीसे जूठा खाना अधःपतन है और अस्वास्थ्यकर भी है तो उनके माता-पिता बुरा मानते हैं। कुछ तो सफाईको भी बुरा समझते हैं। वे अपनी आदतोंसे उसी प्रकार दुराग्रहपूर्वक चिपके हुए हैं जिस प्रकार कट्टरपन्थी लोग इस विश्वाससे बँधे हुए हैं कि आदमी आदमीके स्पर्शसे भी अपवित्र हो सकता है।

इसलिए कोई भी साधारण सुधारक जब यह अनुभव करेगा कि उसके सामने कितना भारी काम पड़ा हुआ है तो उसका निराश हो जाना स्वाभाविक ही है।

Gandhi Heritage Portal

गनीमत समझिए, वह यह न सोचने लगे कि अछूतके साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, वे उसीके पात्र हैं, मानो वे जिस परिस्थितिमें पड़े हुए हैं उसके लिए स्वयं ही जिम्मेदार हों।

अब शायद यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि मैं क्यों कहता हूँ कि इस अभिशापको दूर कर हिन्दू धर्मको शुद्ध बनानेके लिए हमें अपना रक्त पानीकी तरह बहाना पड़ेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २१-८-१९२४

१५. हब्शियोंकी सहानुभूति

न्यूयार्कसे प्राप्त निम्नलिखित तारकी प्राप्ति मैं कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ और उसे सहर्ष प्रकाशित कर रहा हूँ:

> **विश्वके हब्शी हमारे जरिये आपको अपने देश तथा देशवासियोंकी आजादीके संघर्षके लिए शुभकामनाएँ भेजते हैं। हम आपके साथ हैं। संसार-भरके हब्शी लोगोंका चौथा वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मैरियस गार्नी, अध्यक्ष।**

उनका कार्य हमारे कार्यसे शायद ज्यादा कठिन है। किन्तु उनके बीच कुछ अत्यन्त योग्य कार्यकर्त्ता हैं। इतिहासके बहुतसे अध्येताओंका विचार है कि भविष्य उनके साथ है। उनका शारीरिक गठन बहुत अच्छा है। उनकी कल्पनाशक्ति बहुत ऊँची है। वे जितने बहादुर हैं, उतने ही सीधे-सादे भी। श्री एम० फीनोने अपने वैज्ञानिक अनुसन्धानोंसे दिखा दिया है कि यह आम खयाल कि उनमें दूसरोंकी तुलनामें किसी तरहकी वंशानुगत हीनता है, गलत है। आवश्यकता केवल इस बातकी है कि उन्हें अवसर मिले। मेरा विश्वास है कि यदि उन्होंने भारतीय आन्दोलनकी भावनाको समझ लिया है, तो वे निश्चय ही बहुत तेजीसे प्रगति करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २१-८-१९२४

Gandhi Heritage Portal

१६. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

श्रावण कृष्ण ७ [बृहस्पतिवार, २१ अगस्त, १९२४][1]

भाई श्रीयुत घनश्यामदास,

ईश्वरने मुझको नीति रक्षक दीये हैं। उन्हींमें से मैं आपको समझता हूँ। मेरे कई बालक भी ऐसे हैं कई बहिन भी है और आप, जमनालालजी जैसे प्रौढ़ भी हैं जो मुझको सम्पूर्ण पुरुष बनाना चाहते हैं। ऐसा समझते हुए आपके पत्रसे मुझे दुःख कैसे हो सकता है। मैं चाहता हुं कि हर वखत आप ऐसे ही मुझे सावधान बनाते रहें।

आपकी तीन फरीयाद हैं। एक मेरा स्वराज दलको रिश्वतके आरोपसे मुक्त रखना। दूसरा सोहरावर्धीको प्रमाणपत्र देना और तीसरा सरोजिनी देवीको सभापतित्व दिलानेकी कोशिश करना।

प्रथम बात तो यह है कि मनुष्यका धर्म है कि साधनाके पश्चात जो अपनेको सत्य लगे उसी चीझको कहना भले जगत्को वह भूलसा प्रतीत हो—इसके सिवा मनुष्य निर्भय नहि बन सकता है। अपना मोक्षके सिवा और किसी चीझका मैं पक्षपाती नहि बन सकता हुँ। परन्तु यदि मोक्ष भी सत्य और अहिंसाका प्रतीकुल हो तो मुझे मोक्ष भी त्याज्य है। उक्त तीनों बातोंमें मैंने सत्यका हि सेवन किया है। आपने जो कुछ मुझे जुहूमें कहा था मुझे स्मरणमें रखते हुए जो कुछ भी कहा है वह कहा। जब मेरे नजदीक कुछ भी प्रमाण न हो तो मेरा धर्म है कि मैं स्वराज दलको आरोपसे मुक्त समजुं। यदि आप मुझको प्रमाण दे देंगे तो मैं अवश्य निरीक्षण करूंगा। और आप उसका उपयोग करने देंगे तो मैं जाहेरमें भी कह दुंगा। वरना मेरे दिलमें समझकर मैं खामोश रहुंगा।

सोहरावर्धीजीको मैंने प्रमाणपत्र उनकी हुशियारीका दीया है। मैं अब भी उनकी हुशियारीका अनुभव कर रहा हूँ।

सरोजिनी देवीके लिये आप खामखा घभराते हैं। मेरा दृढ विश्वास है कि उन्होंने भारतवर्षकी अच्छी सेवा की है और कर रही हैं। उनके सभापतित्वके लीये मैंने कुछ प्रयत्न इस समय नहि कीया है परन्तु मेरा विश्वास है कि वह उस पदके लीये योग्य है यदि दूसरे जो आजतक हो गये वे योग्य थे तो उसके उत्साहपर सब कोई मुग्ध हैं। उसकी वीरताका मैं साक्षी हूं। मैंने उनका चरित्र दोष नहि देखा है।

१. वर्ष, प्रेषीकी पुस्तक **इन द शैडो ऑफ द महात्मा**में दी गई तिथिके अनुसार।

Gandhi Heritage Portal

इन सब बातोंका आप यह अर्थ न करें कि उनके या किसीके सब कार्योंको मैं पसंद करता हुं।

जड़-चेतन गुण-दोषमय, विश्व कीन्ह करतार।
संत हंस गुण गहहिं पय, परिहरि वारि विकार।

आपका,
मोहनदास गांधी

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३०) से।
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

१७. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

श्रावण कृष्ण ८ [२२ अगस्त, १९२४][1]

भाई घनश्यामदासजी,

पं० सुंदरलालजी मुझको यहाँ मीले हैं और आपके पत्रके बारेमें मुझको पूछते हैं। मैंने कहा आपका पत्र मुझको मीला था और मैंने ऊत्तर भी दे दीया था। सुंदरलालजी कहते हैं आपको हरदवार जानेतक मेरा ऊत्तर नहिं मीला था [इसलिए] और दूसरा चाहते हैं। मैं आपको सहायके बारेमें कुछ लीखना नहिं चाहता हुं। सुंदरलालजीको सहाय देना न देना इस बारेमें यदि आप किसीकी सलाह लेना चाहें तो जमनालालकी सलाह ले लें। सुंदरलालजी कहते हैं, वह आपकी स्वतंत्र सहाय चाहते हैं और मैं सिर्फ आपको उनके कार्यके बारेमें लिखुं। मैं अवश्य इतना कह सकता हुं कि सुंदरलालजी देशप्रेमी हैं असहयोगी हैं उत्साही हैं और कार्य करनेकी शक्ति अच्छी रखते हैं। यूवक वर्गपर उनका प्रभाव है। स्वभावमें बहोत स्वतंत्र हैं।

आपको मैंने अमदाबाद छोडनेके समय तार भेज दीया था। मैं आज आश्रम जाता हुं। अब तक तो कुछ यहां नहि हो सका है। दोनों पक्ष मेरी सलाहपर विचार कर रहे हैं।

आपका,
मोहनदास गांधी

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३१) से।
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

१. गांधीजी दिल्लीसे अहमदाबादके लिए २२ अगस्तको रवाना हुए थे।

Gandhi Heritage Portal

१८. भेंट : हिन्दू-मुस्लिम एकतापर[1]

दिल्ली
२२ अगस्त, १९२४

गांधीजी आज सुबह अहमदाबादसे बम्बई जानेके लिए रवाना हुए। भेंटकर्त्ताके पूछनेपर उन्होंने बताया कि समझौतेके लिए हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच अब भी बातचीत चल रही है और स्थिति पहलेकी तरह ही आशाजनक है।[2] अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ।

यह पूछनेपर कि आप दिल्ली कब लौट रहे हैं, श्री गांधीने कहा कि अगर मुहम्मद अली चाहेंगे कि मैं आऊँ तो अवश्य आऊँगा।

फिर जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आप कोई ज्यादा आशाजनक बात नहीं कह सकते, तो श्री गांधीने उसका उत्तर प्रश्नके ही रूपमें दिया। उन्होंने कहा, "क्या यह काफी आशाजनक नहीं है?"

विदा होनेसे पहले उन्होंने मुहम्मद अलीसे खूब काम करनेको कहा। चूँकि वे दिल्लीकी स्थितिको सिर्फ स्थानीय स्थिति ही नहीं मानते और चूँकि कहा जाता है कि वे जैसे-तैसे जोड़-तोड़कर किये गये समझौतेके खिलाफ हैं, इसलिए कहते हैं, इस बातचीतमें ज्यादा समय लगा है और अभी और भी लग सकता है।

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २२-८-१९२४

१९. पत्र : जमनालाल बजाजको

श्रावण बदी ९ [२३ अगस्त, १९२४]

चि० जमनालाल,

मैं इस वक्त ट्रेनमें हूँ। दिल्लीसे वापस आश्रम जा रहा हूँ। दिल्लीमें समझौतेकी बातें चल रही हैं। मोतीलालजीका पत्र नहीं आया। तुम्हारे प्रान्तमें शुद्ध रीतिसे जो हो वह होने दो। हम तटस्थ रहकर अपना काम करते रहें, इतना ही जरूरी है।

घनश्यामदास दिल्लीमें नहीं थे। उनकी ओरसे रुपये मिल गये थे। वे रुपये बिना खर्चके किस तरह तुम्हें भेजे जायें, यह लिखकर पूछनेके लिए छगनलालको कहा था। साथमें महादेव, देवदास और प्यारेलाल हैं।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (जी० एन० २८४९) की फोटो-नकलसे।

१. यह भेंट एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिको दी गई थी।
२. गांधीजी स्वयं झगड़ेके स्थानपर गये थे।

Gandhi Heritage Portal

२०. पत्र : भवानीदयालको

ट्रेनमें,
श्रावण कृष्ण ९ [२३ अगस्त, १९२४][1]

भाईश्री भवानीदयाल,

तुमारे खतका उत्तर आज हि दे सकता हुं। क्षमा मागनेकी कुछ आवश्यकता नहिं। तुम अब द० आ० की लड़तको ज्यादा समझते हो यह बात सन्तोषजनक है। मुझे एक क्षणकी भी फुरसद नहिं है। इतना हि लेख भेजता हुं। मैं देखता हुं की उन्नतिके लीये तपश्चर्यासे अधिक शक्तिप्रद कोई दूसरी चीज नहिं है।

मोहनदास गांधी

श्रीयुत भवानीदयाल
पो० ओ० —— जेकोब्स
नेटाल
दक्षिण आफ्रिका

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३२) से।
सौजन्य : विष्णुदयाल

२१. पत्र : अब्बास तैयबजीको

२३ अगस्त, १९२४

भाई साहब,

भुर्र . . .।[2]

आपका पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। जब आपको चरखा चलानेकी ज्यादा आदत हो जायेगी तब आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। आप उस ओर देखें ही नहीं।

आपने मुस्लिम छात्रावासके लिए बहुत अच्छी रकम जमा की है।

श्रीमती अब्बासको और लड़कियोंको —— सभीको —— मेरा वन्देमातरम् अथवा सलाम, जो भी वे चाहें, कहें।

आपका,
मोहनदास गांधी

गुजराती पत्र (एस० एन० ९५४८) की फोटो-नकलसे।

१. डाककी मुहरसे।
२. गांधीजी और तैयबजी एक-दूसरेका अभिवादन इसी प्रकार किया करते थे।

Gandhi Heritage Portal

२२. भाषण : मजदूरोंकी सभा, अहमदाबादमें

२३ अगस्त, १९२४

लगभग ५,००० मजदूर मो० क० गांधीको ३,००० रुपयेकी थैली भेंट करनेके लिए २३ अगस्तको अहमदाबाद शहरमें शाहपुर दरवाजेके बाहर नदीके किनारे एकत्र हुए। मजदूर-संघके मन्त्री श्री गुलजारीलाल नन्दाने अहमदाबादके मजदूरोंको समय-समयपर महात्माजी द्वारा दी गई मददका जिक्र किया।

गांधीजीने मजदूरोंसे पूछा कि क्या आप लोग मेरे सामने कोई शिकायत रखना चाहते हैं। संघकी आन्तरिक आर्थिक स्थितिसे सम्बन्धित अनेक प्रश्न उठाये गये। गांधीजीने उन्हें आत्म-निर्भर बनने तथा अपनी संस्थाओंको अपने नियन्त्रणमें रखनेके लिए कहा। उन्होंने कहा, आप संघके मालिक हैं। आपको ऐसे पदाधिकारी चुनने चाहिए जो आपकी सच्ची सेवा कर सकें, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान। उन्होंने उनसे खादी पहननेका भी आग्रह किया।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रैक्ट्स

२३. पहली परीक्षा

गुजरातके प्रतिनिधि पहली परीक्षामें अनुत्तीर्ण हो गये हैं। ४०८ प्रतिनिधियोंमें से केवल १६९ ने अपना सूतका हिस्सा भेजा है। २३९ नहीं भेज सके हैं। ४२ प्रतिशत सूतका हिस्सा भेजें और ५८ प्रतिशत न भेजें, इसका अर्थ क्या हुआ? यदि स्वराज्य सूतके तागेमें हो तो प्रतिनिधियोंका इतना बड़ा भाग परीक्षामें कैसे अनुत्तीर्ण हो सकता है? जिस पेढ़ीके हिस्सेदारोंका बड़ा भाग पेढ़ीके नियमोंका अनुसरण नहीं करता उस पेढ़ीका क्या हाल होता है?

समुद्रमें आग लगे तो उसे कौन बुझा सकता है? यदि नमक ही अपना खारापन छोड़ दे तो उसे खारा कौन बना सकता है? यदि प्रतिनिधि अपनी प्रतिज्ञाका पालन न करें तो सामान्य जनतासे क्या उम्मीद की जा सकती है?

गुजरातका प्रस्ताव तो कड़ा है। जिन्होंने सूत नहीं भेजा है उन्हें अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी। जिन प्रतिनिधियोंके पास सूत न कातनेका खास कारण हो वे तो अपने द्वारा निश्चित किये गये दण्डसे बच सकते हैं। किन्तु जिनके पास प्रामाणिक कारण न हो, मुझे तो ठीक रास्ता यही जान पड़ता है कि उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। त्यागपत्रकी शोभा इसीमें है कि उसे देनेमें दु:ख अथवा वैमनस्य न हो। जिनकी चरखेमें श्रद्धा नहीं उनका त्यागपत्र देना ही उचित है। जिन्होंने आलस्यवश

Gandhi Heritage Portal

न काता हो वे त्यागपत्र दें, आलस्य छोड़कर नियमपूर्वक कातनेका अभ्यास करें और तब कांग्रेसमें फिर प्रवेश करें। इस तरह कांग्रेस दिन-प्रतिदिन शुद्ध और शक्तिमान संस्था बनती जायेगी।

लेकिन गुजरातमें जो लोग प्रतिनिधि नहीं हैं उन्होंने काफी मात्रामें सूत भेजकर प्रतिनिधियोंके इस दोषको ढँक दिया है। १५ अगस्ततक सूत भेजनेवालोंकी कुल संख्या ६७२ थी। इसका अर्थ यह है कि प्रतिनिधियोंके अलावा अन्य ५०३ भाइयों और बहनोंने अपना सूतका हिस्सा भेजा है। मैं इस स्थितिको आशाजनक मानता हूँ। इतनी संख्यासे मुझे आश्चर्य नहीं होता। कांग्रेसके प्रस्तावका मुद्दा ही यह है कि प्रतिनिधियोंकी देखा-देखी, उनके प्रयाससे लाखों भाई और बहन हमें यज्ञके रूपमें अर्थात् मुफ्त प्रतिदिन अपनी आधे घंटेकी मेहनत दें। अतएव मुझे उम्मीद है कि आगामी मासमें ५०३ के बजाय बहुत अधिक भाई और बहन हमें अपने हाथका कता हुआ सूत भेजेंगे।

सूत भेजनेवाले प्रतिनिधियोंका विवरण इस तरह है:

	कुल प्रतिनिधि	सूत भेजनेवाले	सूत न भेजनेवाले
अ० भा० कां० कमेटी	११	१०	१
प्रान्तीय कमेटी	६८	४६	२२
अहमदाबाद	५२	२३	२९
खेड़ा	११७	३८	७९
भड़ौंच	८२	२६	५६
सूरत	७८	२६	५२
पंचमहाल	—	—	—
	४०८	१६९	२३९

फुटकर सूत भेजनेवालोंका विवरण निम्न प्रकार है:

	सूत भेजनेवाले
अहमदाबाद	५३
आश्रम	८४
खेड़ा —	
बोरसद	९९
पेटलाद	२६
कपडवंज	२३
नडियाद	६५
भादरण	१५
बड़ौदा	५
आनन्द	१८
महमदाबाद	३
खम्भात	२

Gandhi Heritage Portal

सूरत --

बारडोली	६१
अन्य	२१
भड़ौंच	१२
खादी मंडल	१६
कुल	५०३

इन आँकड़ोंसे हमें बहुत-कुछ सीखनेको मिलता है। जहाँ अधिक काम हुआ है वहाँसे हमें अधिक सूत मिला है। खेड़ा जिलेके लोगोंको अधिक सूत कातना आता है इससे खेड़ाने ज्यादा सूत भेजा है, सो बात नहीं। बल्कि वहाँपर ज्यादा काम हुआ है इसीलिए वहाँके ज्यादा भाइयों और बहनोंने सूत भेजा है। पंचमहालसे सूतका ढेर मिलना चाहिए था। यह खेदकी बात है कि वहाँके प्रतिनिधियोंके नामोंके आगे कुछ भी नहीं मिलता। भड़ौंचके केवल १२ लोग ही सूत कातें, इसका क्या अर्थ हो सकता है? काठियावाड़का एक भी नाम फुटकर सूत कातनेवालोंमें नहीं है, इससे क्या पता चलता है?

पैसा देना आसान था। आधे घंटेकी मेहनत देना मुसीबतकी बात जान पड़ती है!

कुछ लोग कह सकते हैं कि हम तो अपनी इच्छासे जैसे चाहें वैसे मेहनत करनेके लिए स्वतन्त्र हैं। यदि कोई ऐसा कहता है तो वह संगठनकी कीमत नहीं जानता। वर्षा ऋतुमें बूंदकी कोई कीमत नहीं होती; परन्तु अनेक बूंदें मिलकर अकालको सुकालमें बदल सकती हैं। अनेक होनेके बावजूद यदि ये सारी बूंदें स्वेच्छाचारी बन जायें और एक निश्चित नियमका अनुसरण न करें तो ये सब बूंदे निष्फल हो जायेंगी। इसी तरह यदि अनेक स्त्री-पुरुष अपनी इच्छानुसार सेवा करते रहें तो भी वह सेवा व्यर्थ सिद्ध होगी। किन्तु यदि अनेक स्त्री-पुरुष किसी नियमके अधीन होकर कुछ कार्य करें तो वह कार्य चमक उठता है। इसलिए जो सेवा करना चाहते हैं उन्हें एक नियमके अधीन रहकर कार्य करना चाहिए, इसीमें उनकी और देशकी भलाई है।

अतएव गुजरातने फुटकर संख्यामें जो सूत भेजा है वह यद्यपि आशाजनक है, तथापि आश्चर्यजनक नहीं। वह आशाजनक इस तरह है कि प्रत्येक मास सूत भेजने-वालोंकी संख्या बढ़ती जायेगी। मुझे उम्मीद है कि जिन ६७२ लोगोंने शुरुआत की है वे लोग तो नियमका पालन करते हुए प्रति मास सूत कातकर भेजते रहेंगे।

अभी एक खुशीकी बात लिखनी बाकी है और वह यह कि कुछ लोगोंने बहुत ज्यादा सूत काता है। अब्बास साहब और वल्लभभाई दोनोंमें से प्रत्येकने ५,००० गज सूत भेजा है। एक भाईने ४३,००० गज सूत काता और भेजा है। दूसरेने २७,००० गज काता है और इसमें से ११,००० गज भेजा है। तीसरेने २४,००० गज सूत काता है और उसमें से १२,००० गज भेजा है। अन्तिम दो व्यक्ति तो बहुत ज्यादा कार्य-व्यस्त रहनेके बावजूद इतना कात सके हैं। एक युवकने ४६,००० गज सूत काता है; किन्तु उसने दान केवल ३,००० गजका ही किया है, क्योंकि सारेके-सारे सूतको दानमें देना उनकी शक्तिसे बाहर है। इस तरह अधिक कातनेवाले लोग

Gandhi Heritage Portal

मेरी जानकारीमें बहुत हैं; लेकिन वे अपने काते हुए सूतसे अपना कपड़ा बनवानेका आग्रह रखनेके कारण अधिक सूत दानमें नहीं दे सकते। लेकिन इन आँकड़ोंसे पता चलता है कि प्रत्येक मास ३,००० गज सूत कातना बहुत ही आसान है किन्तु इतनेपर भी वह जितना आसान है उतना ही महत्त्वपूर्ण भी है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २४-८-१९२४

२४. टिप्पणियाँ

वन्ध्या पार्लियामेन्ट

एक पत्रकारने ये विचार व्यक्त किये हैं:[1]

पार्लियामेन्ट तो सचमुच ही वन्ध्या होगी। मुझे यह भरोसा नहीं कि हिन्दुस्तानमें उसका यह अवगुण बदला जा सकेगा। लेकिन मैंने इतनी आशा अवश्य रखी है कि हमारी पार्लियामेन्ट वन्ध्या ही रहेगी, कपूत तो नहीं जनेगी। मैं व्यावहारिकताके विचारको नहीं छोड़ सकता। रामका राज्य ही एक आदर्श है। लेकिन हम राम कहाँसे लायेंगे? पत्रकार लिखते हैं: "प्रजा जिसको माने।" किन्तु प्रजा क्या है? पार्लियामेन्ट जिसे मान्य करे वही पुरुष या स्त्री चरित्रवान् है — ऐसी है हमारी दृष्टि। प्रजाकी आवाज प्रजाकी ही होनी चाहिए, वह आवाज किरायेके मत देनेवाले लोगोंकी न हो। इस हेतुसे मैं बहुतेरी मर्यादाएँ सुझा रहा हूँ और इसी हेतुसे ऐसी युक्तियाँ ढूंढ़ रहा हूँ कि हम सारी प्रजाकी आवाज सुन सकें। जितनी पद्धतियाँ हैं सभी सदोष हैं। आज तो हम ऐसी पद्धति ढूंढ़ रहे हैं जिससे हिन्दुस्तानको अधिकसे-अधिक लाभ मिल सके। अच्छे आदमी बुरी पद्धतिको भी अच्छा बना लेते हैं; जैसे बुद्धिमान गृहिणी धूलमें से भी धान पैदा कर लेती है। दुष्ट आदमी अच्छीसे-अच्छी पद्धतिका भी दुरुपयोग करते हैं, जैसे मूर्ख गृहिणी अच्छी धानको भी धूल बना देती है। इसलिए मैं भारतमें अच्छे आदमियोंको ढूंढ़ रहा हूँ और ऐसे लोग बाहर निकल आयें, ऐसी युक्तियाँ कर रहा हूँ। लेकिन मनुष्य क्या कर सकता है? वह तो केवल शुभ प्रयत्न ही कर सकता है। उसका परिणाम तो ईश्वरके अधीन है। परिणामका परिपाक एक मनुष्यके नहीं, अनेक मनुष्योंके प्रयत्नपर निर्भर है। उसमें अनेक अनुकूल परिस्थितियोंका योग होता है। इसलिए हमारे लिए तो "एक कदम आगे बढ़ना ही पर्याप्त होगा।"

अन्तरात्माकी पुकार

पूर्वोक्त पत्रकार आगे कहते हैं:[2]

लेखककी ये बातें यथार्थ हैं; परन्तु ये दोष अनिवार्य हैं। यदि सच्चोंके नामपर झूठे लोग ठगते फिरें तो क्या इससे हम सच्चोंको त्याग देते हैं? अन्तरात्मा-

१. ये यहाँ नहीं दिये गये हैं। इनमें इंग्लैंडकी संसदीय पद्धतिकी आलोचना की गई थी।

२. यहाँ नहीं दिया गया है।

Gandhi Heritage Portal

तो अभ्याससे जाग्रत होती है। वह मनुष्य-मात्रमें स्वभावतः जाग्रत नहीं होती। इस अभ्यासके लिए बहुत पवित्र वातावरणकी जरूरत रहती है, सतत प्रयत्नकी जरूरत है। यह अत्यन्त नाजुक चीज है। बालकोंमें अन्तरात्माकी पुकार-जैसी कोई चीज नहीं होती। जो लोग जंगली माने जाते हैं उनमें अन्तरात्माकी पुकार नहीं होती। अन्तरात्माकी पुकार क्या चीज है? परिपक्व बुद्धि द्वारा हमारे अन्तरतममें उत्पन्न प्रतिध्वनि। अतएव यदि हर शख्स अन्तरात्माकी पुकारका दावा करे तो वह हास्य-जनक होगा।

ऐसा होते हुए भी यदि सब लोग उसका दावा करते हैं तो उससे परेशान होनेकी जरूरत नहीं। जो अधर्म अन्तरात्माकी पुकारके नामपर किया जाता है वह ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। फिर वे लोग जो अन्तरात्माकी पुकारका बहाना लेकर काम करते हैं, कष्ट-सहनके लिए तैयार नहीं होते। उनका रोजगार दो दिन चलकर अवश्य ही बन्द हो जायेगा। अतः भले ही सैकड़ों लोग ऐसा दावा करते रहें उससे संसारकी हानि न होगी। हाँ, जो ऐसी सूक्ष्म वस्तुके साथ खिलवाड़ करेंगे उनके नाशकी सम्भावना जरूर है, औरोंके नाशकी नहीं। एक हदतक अखबार इसकी मिसाल हैं। कितने ही अखबार आज लोकसेवाके नामपर जहर-ही-जहर फैला रहे हैं। परन्तु यह रोजगार ज्यादा दिन नहीं चल पायेगा। लोग जरूर उससे ऊब जायेंगे। पंजाब इस बातमें महा अपराधी है। ताज्जुबकी बात तो यह है कि ऐसे अखबार भी चल पाते हैं। किन्तु लोग उन्हें उत्साहित क्यों करते हैं? जबतक सेठ-साहूकार होंगे तबतक चोर भूखों नहीं मर सकते। इसी प्रकार वहाँ जबतक लोगोंका एक हिस्सा जहरीले लेख पढ़नेके लिए तैयार रहेगा तबतक ऐसे अखबार जरूर चलेंगे। इसकी एकमात्र दवा शुद्ध लोकमतका निर्माण है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २४-८-१९२४

२५. पत्र : च० राजगोपालाचारीको

साबरमती
२४ अगस्त, १९२४

प्रिय राजगोपालाचारी,

आपने महादेवको जो पत्र लिखा था वह उसने मुझे दिखाया है। आप निराश न हों। श्रीमती नायडूका यह कहना कि मैं निराश हो चुका हूँ, एक लांछन है। यह सत्य है कि मैं अँधेरेमें रास्ता टटोल रहा हूँ। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारेमें मैं साफ-साफ कोई निर्णय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन यह तो सिर्फ इस बातकी स्वीकृति है कि हमारा जहाज समुद्रमें अज्ञात पथपर चल रहा है।

याद रखिए कि हम सब सत्याग्रही हैं। हमारे सामने जो परिस्थिति है, उसपर हम पारिवारिक नियमको लागू करके देखें। मान लीजिए कि दो भाई उत्तराधिकारके

Gandhi Heritage Portal

सवालपर झगड़ रहे हैं। दोनों इसका उपयोग परिवारके हितमें ही करना चाहते हैं। एक कमसे-कम यह जानता है कि परिवारकी सेवाके लिए उसे इस सम्पत्तिकी आवश्यकता नहीं है। जातिके अधिकांश लोग चाहते हैं कि वह सम्पत्तिका अपना उत्तराधिकार छोड़े नहीं। लेकिन क्या सत्याग्रही भाईका कर्त्तव्य यह नहीं कि उत्तराधिकारका त्याग करके झगड़ेको और उसमें नष्ट होनेवाले समय और शक्तिको बचा ले? हमारे सामने जो सवाल है, वह क्या इससे भिन्न है? फिर भी मैं अपने कदम बड़ी सावधानीसे उठा रहा हूँ। मैं जो-कुछ करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ वह यही है कि अशोभन विवादकी स्थिति न आये। अध्यक्ष बनना[१] मैं स्वीकार कर लूँगा, बशर्ते कि मुझे यह यकीन हो जाये कि इससे देशका हित होगा। इसका निर्णय करनेके लिए अभी काफी समय है। कहाँ कितनी कताई हो रही है, इसके जो आँकड़े प्राप्त हो रहे हैं, उनसे काफी-कुछ सीखनेको मिल रहा है। यदि कताईका ऐसा ही बुरा हाल रहा तो मेरे अध्यक्ष बननेसे क्या कोई ज्यादा लाभ होगा?[२] उस हालतमें कांग्रेससे अलग होकर एक कठोर कार्यक्रम बनाना और उसके लिए ईमानदार तथा इच्छुक लोगोंको ही सदस्य बनाना क्या ज्यादा अच्छा नहीं होगा? क्या उस व्यक्तिसे जो स्वयं विदेशी कपड़ा पहनता हो, चरखेके पक्षमें मत प्राप्त करनेका कोई उपयोग है? फिर कांग्रेसपर अधिकार जमानेके लिए भोली-भाली जनताको बहकाकर उससे लाभ उठानेकी बात भी सोचिए। क्या तथाकथित अपरिवर्तनवादी पूर्ण रूपसे ईमानदार रहेंगे? आप सारी चीजकी तनिक कल्पना तो कीजिए। यदि हम कांग्रेसको इस रस्साकशीके बिना अपने हाथमें नहीं रख सकते तो हमें स्वेच्छासे इसका त्याग कर देना चाहिए। मैंने आपके पत्रोंपर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार किया है, पर मुझे निश्चित तौरपर यही लगा है कि मैं ऐसे किसी मुकाबलेसे अपनेको अलग रखूँ। लेकिन फिलहाल तो मैं स्थितिको देख ही रहा हूँ। मैं मोतीलालजीके उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

अब मलाबारपर आइए। अनेक सूत्रोंसे मेरे पास प्रार्थनापत्र आये हैं। आप मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं? मैं सोच रहा था कि किसीको वहाँ आपके साथ मिलकर एक विशेष रिपोर्ट तैयार करनेके लिए भेजूँ। परन्तु चूँकि अभी ऐसा कुछ नहीं हो पाया है इसलिए अब मैं चाहूँगा कि आप मुझे इस विषयमें अपनी राय दें। बहुत बड़ी मात्रामें कपड़े इकट्ठे किये जा चुके हैं। उनके वितरणके विषयमें भी आप मुझे सुझाव दें।

मैं दिल्लीमें कुछ ज्यादा प्रगति नहीं कर पाया हूँ। कुछ ठीक समझौता हो जायेगा, ऐसी आशा अब भी है। लेकिन बात बहुत नाजुक है।

हाँ, आपका अनुमान ठीक है। वे मित्र सरलादेवी[३] ही हैं। वे मुझपर और भी सामग्री लादना चाहती हैं, पर मैंने और गुंजाइश निकालनेसे इनकार कर दिया है।

१. बेलगाँव कांग्रेसका।
२. देखिए "पहली परीक्षा", २४-८-१९२४।
३. सरलादेवी चौधरानी।

Gandhi Heritage Portal

आरोपका खण्डन करते हुए कुछ ब्राह्मणोंने बहुत रोचक पत्र भेजे हैं। एक तो मैंने प्रकाशित भी कर दिया है।

आपका,
मो० क० गांधी

[पुनश्च :]

मेरा कार्यक्रम :

२९ अगस्तसे ३ सितम्बरतक बम्बईमें, ४थीको पूना, ५वींको बम्बई। फिर अनिश्चित, सम्भवतः ५ को ही बम्बईसे दिल्लीको रवाना हो जाऊँ।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

२६. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

[२५ अगस्त, १९२४ के पूर्व][1]

परम प्रिय चार्ली,

रंगूनसे भेजा हुआ तुम्हारा तार[2] मिला। तुम्हारे भेजे सभी लेख मुझे मिल गये हैं।

मेरे खयालमें अफीमके बारेमें तुम मुझसे जो-कुछ भी करनेकी अपेक्षा रख सकते हो, वह सब मैं कर चुका हूँ। कह नहीं सकता क्यों, किन्तु मुझे लगता है कि इस मामलेमें मैं जितना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ उतना खुद इस समस्याके लिए नहीं कर रहा हूँ।

इस सवालपर तुम्हीं विचार करो कि तुम्हारे मलाया हो आनेके बाद भी क्या बनारसीदास और वझेको[3] वहाँ जानेकी जरूरत रह जाती है।

मैं आशा करता हूँ कि परिवर्तनसे तुम अवश्य लाभान्वित हुए होगे।

तुम्हें मेरे लिए परेशान होनेकी जरूरत नहीं। यहाँ तो सब-कुछ बिलकुल विपर्यस्त है, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ और काफी अच्छी तरह हूँ।

सस्नेह,

तुम्हारा,
मोहन

१. पत्रमें उल्लिखित सी० एफ० एन्ड्र्यूज द्वारा प्रेषित लेखोंकी प्राप्तिके आधारपर; देखिए अगला शीर्षक।
२. उक्त तार सकुशल पहुँचनेकी सूचना देते हुए १४ अगस्तको भेजा गया था।
३. एस० ए० वझे, साम्राज्यीय नागरिकता संघ (इम्पीरियल सिटीजनशिप एसोसिएशन) के मन्त्री।

Gandhi Heritage Portal

[पुनश्च :]

गुरुदेवको मेरी याद दिलाना। मैं आशा करता हूँ कि वे प्रसन्न हैं। बड़ो दादाके पत्र आते रहते हैं।

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २६३८) की फोटो-नकलसे।

२७. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

२५अगस्त, १९२४

प्रिय चार्ली,

श्री ओल्डहमकी लिखी 'क्रिश्चियनिटी ऐंड द रेस प्रॉब्लम' तुमने देखी है क्या? कैसी है? के० टी० पॉलका बड़ा आग्रह है कि मैं इसे प्राप्त करूँ और पढ़ूँ। यदि तुम भी ऐसा चाहते हो तो मेरे लिए एक प्रति कहींसे प्राप्त करो।

बर्मापर तुम्हारा लेख[1] मैंने पढ़ा। स्थिति बहुत आघात पहुँचानेवाली है, पर तुमने इसे जल्दीमें लिखा है। मैं समझता हूँ कि तुमने वहाँ इतना ज्यादा देखा है कि तुम्हारे लिए उसका ठीक-ठीक विश्लेषण करना और उसके कारणोंका पता लगाना कठिन सिद्ध हुआ। इसके सिवा जल्दी-जल्दी सारी दुनियाका चक्कर लगा आनेवालोंकी टीका करते हुए हम जो कहते हैं, वही तुमने किया लगता है। क्या तुम कुछ समय सन्तोषके साथ आराम करनेमें नहीं बिताना चाहोगे? कर्म प्रार्थना है, पर यह पागलपन भी हो सकता है। बर्माके सम्बन्धमें जब तुमने लेख लिखा था, ऐसा लगता है उस समय तुम्हारा मन बहुत क्षुब्ध था। फिर भी मैं इसे प्रकाशित कर रहा हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे पवित्र हृदयका उद्गार है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि कोई काम पूरी तैयारीके बिना न किया करो।

अगाध स्नेहके साथ,

तुम्हारा,
मोहन

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २६१२) की फोटो-नकलसे।

१. २८ अगस्त, १९२४के **यंग इंडिया**में "बर्मामें भारतीय मजदूर" शीर्षकसे प्रकाशित लेखमें मजदूरोंकी भरती करनेवाले ठेकेदारों द्वारा भारतीय मजदूरोंके शोषण और उनपर किये जा रहे अन्यायपूर्ण अत्याचारोंका तथा स्त्रियोंकी दयनीय दशा और जहाजोंमें होनेवाली बेशुमार भीड़का वर्णन था।

Gandhi Heritage Portal

२८. पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको

श्रावण कृष्ण ११ [२५ अगस्त, १९२४]

भाईश्री घनश्यामदासजी,

आपका पत्र मीला है। पिताजीकी तबीयत अब अच्छी होगी। पं० सुंदरलालजीके लीये जो कुछ में लीख सकता था मेंने लीखा।[1]

हिंदु-मुसलमान झगडेका काम दिन-प्रति-दिन कठिनतर होता जाता है। मेरी सूचना आप चाहते हैं उसीकी बुनियाद है। यदि दिल्लीके झगडेकी अच्छी तरहसे तेहकीकात हो सके तो उसपर से ज्यादा काम हो सकता है। में बिलकुल मानता हुं कि आखरमें कई नेताओंको अपना शरीरका बलीदान देना पडेगा।

आपका,
मोहनदास

१३७, केनिंग स्ट्रीट
कलकत्ता

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३४) से।
सौजन्य : घनश्यामदास बिड़ला

२९. भाषण : अहमदाबाद नगरपालिकाके अभिनन्दनके उत्तरमें[2]

[२६ अगस्त, १९२४][3]

आपने जो यह सुन्दर अभिनन्दन-पत्र मुझे दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पर मैं बड़े दुःखके साथ महसूस करता हूँ कि मैं अहमदाबादके नागरिककी हैसियतसे इसके योग्य कदापि नहीं हूँ। यह मत समझिए कि मैं अनावश्यक शिष्टता या झूठे संकोचवश ऐसा कह रहा हूँ। किसी नगरकी नगरपालिकाकी ओरसे अभिनन्दन-पत्र पानेका अधिकारी वही नागरिक हो सकता है जिसने उस नगरकी खास सेवा की हो। मैंने अहमदाबादकी ऐसी कोई सेवा नहीं की। मेरा खयाल है कि मेरी जिन सेवाओंके उपलक्ष्यमें आपने यह अभिनन्दन-पत्र दिया है, उसको देनेकी आपको बिलकुल जरूरत न थी। पर एक तो आपमें से बहुतेरे सज्जन दूसरे क्षेत्रमें

१. देखिए "पत्र : घनश्यामदास बिड़लाको", २२-८-१९२४।

२. म्युनिसिपल हालमें आयोजित इस सभामें यह अभिनन्दन-पत्र सरदार वल्लभभाई पटेलने पढ़कर सुनाया था।

३. बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रैक्ट्ससे।

Gandhi Heritage Portal

मेरे सहकर्मी हैं और दूसरे हमारा देश स्वभावतः उदारताके लिए प्रसिद्ध है, जिसके निवासी होनेका आपको और मुझे अभिमान है। मैं जानता हूँ कि इन दो कारणोंसे ही मैं इस अभिनन्दन-पत्रके योग्य समझा गया हूँ।

मैं जब अपने कुछ मित्रोंके अनुरोधपर कुछ वर्ष पहले अहमदाबादमें आकर बसा था, तब मैंने सोचा था कि मुझे नगरकी कुछ सेवा करनी चाहिए और अपनेको इस नगरका निवासी कहलानेके लायक बनाना चाहिए। उस समय मैं आप बहुतेरे सज्जनोंसे परिचित न था; पर मैं डा० हरिप्रसादसे अपनी भावी कल्पनाओं और आदर्शोंकी बातें किया करता था। उनसे मेरी मुलाकात अकसर होती रहती थी। दक्षिण आफ्रिकामें मैंने विभिन्न नगरोंकी जो-कुछ सेवा की उसका हाल मैं उन्हें सुनाया करता था। आप लोगोंको उसका कुछ भी पता नहीं है और इस बातकी मुझे खुशी है। सच्ची सेवा वही है जिसका दुनियामें ढींढोरा नहीं पीटा जाता। मैं डाक्टर हरिप्रसादके साथ अहमदाबादके स्वास्थ्य-सुधार और सफाई-सम्बन्धी तजवीजोंकी चर्चा करता था। हमने सोचा था कि एक ऐसी सेवा-समिति बनाई जाये जो नगरके कोने-कोनेमें घूमकर खुद गटरे, पाखाने तथा सड़कें साफ करे और लोगोंके सामने अपनी खुदकी मिसाल पेश करके उन्हें इन्हें साफ करना सिखाये। हमने नगर-विस्तारकी तजवीजें भी सोची थीं और हम लोगोंको यह सलाह देना चाहते थे कि वे गन्दी और तंग गलियोंमें रहना छोड़कर नगरके बाहर खुली जगहोंमें जा बसें। हमने सोच लिया था कि यह काम नये कर लगाकर संतोषजनक ढंगसे नहीं किया जा सकेगा। इसलिए हमने विचार किया था कि हम लोग भिक्षा-पात्र लेकर लक्ष्मी-पुत्रोंके घर पहुँचकर उनसे नगरके बीचमें जगह-जगह जमीनें माँगेंगे, जहाँ छोटे बालकोंके खेलनेके लिए बगीचे बनाये जा सकें। अहमदाबादके बच्चे-बच्चेको शिक्षा प्राप्त करनेकी पूरी-पूरी सुविधायें सुलभ बनानेकी तजवीज भी हमने सोची थी। हमने यह भी सोचा था कि नगरकी तमाम दूध-शालाओंको नगरपालिकाके अधीन करके शुद्ध और सस्ता दूध लोगोंतक पहुँचानेका प्रबन्ध करें। श्री जीवनलाल देसाईने[1] तो यह भी सुझाया था कि मैं नगरपालिकामें शरीक हो जाऊँ और अपने सोचे उपायोंको काममें लानेकी कोशिश करूँ। पर होनहार कुछ और ही था। रौलट कानूनके रूपमें देशमें ऐसा भारी बवण्डर उठा, जो हम सबको अपनी लपेटमें ले उड़ा। उसमें कुछ लोगोंकी जानें भी गईं जिनमें कसूरवार और बेकसूर दोनों ही थे। मुझे अपनी भयंकर भूलके लिए प्रायश्चित्त करना पड़ा।[2] वह बवण्डर आज भी मौजूद है -- हाँ, उसकी शक्ल बदल गई है। हम लोग अपने बस-भर उसे रोकनेकी कोशिश कर रहे हैं, पर वह काफी नहीं है और कमसे-कम मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी मैं अपनी उन तजवीजोंको कार्य-रूपमें परिणत करानेकी फुरसत न निकाल सकूँगा। पर मैं यह दावा भी क्यों करूँ

१. बेरिस्टर; अहमदाबादके सार्वजनिक कार्यकर्त्ता; १९१५ में सत्याग्रह आश्रमकी स्थापनामें गांधीजीके सहायक।

२. १४ अप्रैल, १९२० को गांधीजीने तीन दिनका उपवास करनेका निश्चय किया था; देखिए खण्ड १५, पृष्ठ २३१।

Gandhi Heritage Portal

कि यदि मैं नगरपालिकामें शामिल हो गया होता तो निश्चय ही अपनी योजनाओंको कार्यान्वित करा लेता? मैं कैसे कह सकता हूँ कि आपके पिछले सभापतियों या आपने ये सब बातें न सोची होंगी या अब न सोच रहे होंगे? मैं यह कहनेकी धृष्टता कैसे कर सकता हूँ कि इस बातके लिए अबतक किसी तरहकी कोशिश नहीं की गई? मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जब-जब मैं अहमदाबादकी सड़कोंसे गुजरता हूँ तब-तब सड़कोंकी गन्दगी, धूल और दुर्दशा देखकर मेरा हृदय रो उठता है। ऐसी धनिक और महान् परम्परावाली नगरीमें इतनी गन्दगी, यह फाकेकशी क्योंकर रह सकती है?

पर मैं यह अभिमान नहीं कर सकता कि यदि मैं नगरपालिकामें शामिल हुआ होता तो मैं इन तमाम बुराइयोंको दूर कर देता। बहुत मुमकिन है वहाँ भी मुझे वही बदनामी नसीब होती, जो कि दूसरे क्षेत्रोंमें हो रही है। शायद ईश्वरने मेरे वहाँ न जानेमें कुछ भलाई ही सोची हो। परन्तु फिर भी आज मेरे माथेपर यह कलंक तो लगा ही हुआ है कि मैं इस नगरकी कुछ भी सेवा न कर सका और तिसपर भी आज यह अभिनन्दन-पत्र ग्रहण कर रहा हूँ, जिसके मैं सर्वथा अयोग्य हूँ। अतः परमात्मासे मेरी प्रार्थना है कि वह सिर्फ मेरे शुभ हेतुओंपर ही ध्यान रखे और मेरी त्रुटियोंके लिए मुझे क्षमा करे। आप सज्जनोंसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे क्षमा कीजिए और आज आदर्श नगरके स्वप्नका जो वर्णन मैंने आपके सम्मुख किया है उसे याद रखिए। मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २८-८-१९२४

३०. पत्र : अब्दुल मजीदको

२७ अगस्त, १९२४

भाई अब्दुल मजीद[1],

आपका खत मुझे मिला है। आपका अहसान मानता हूँ। आप मुझे याद हैं।

आपका,

गांधी

उर्दू पत्र (जी० एन० ६२१३) की फोटो-नकलसे।

१. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अलीगढ़के उप-कुलपति।

Gandhi Heritage Portal

३१. टिप्पणियाँ

लॉर्ड लिटनकी सफाई

लॉर्ड लिटनने कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुरको एक पत्र लिखकर अपनी सफाई दी है। उनके खुलासेसे मेरी रायमें उनके द्वारा किया गया भारतीय स्त्री-जातिका अपमान घटता नहीं, उलटे बढ़ जाता है। वाइसराय महोदयने व्याकरणके सूक्ष्म भेदोंकी जो दुहाई दी है, उससे मेरी समझमें स्थिति सुधरती नहीं। मुझे यकीन है कि जब वाइसराय महोदयने वे अविवेकपूर्ण उद्‌गार प्रकट किये थे तब भी किसीने यह तो नहीं माना था कि उनका कथन हिन्दुस्तानकी स्त्रियोंके सम्बन्धमें आमतौरपर था। लोगोंकी शिकायत तो यह है कि वाइसराय महोदयने वह बात ही क्यों कही? जब कोई जिम्मेदार आदमी किसीपर कोई दोषारोपण करता है तब उसके सम्बन्धमें हमेशा दो अनुमान होते हैं: एक तो यह कि खुद उसने उन बातोंके सम्बन्धमें अपनी पूरी तसल्ली कर ली है और वह दुनियाके सामने उसे साबित कर सकता है। दूसरा यह कि आरोपसे सम्बन्धित बुराई लगभग सर्व-सामान्य है। अब पुलिसके सबूतके अलावा क्या वाइसराय महोदयके पास अन्य कोई ऐसा सबूत है, जिससे वे सर्वसाधारणको, उदाहरणके लिए कविवरको ही, अपनी बातका यकीन करा सकें? क्या वे इस बातको नहीं जानते कि सर्वसाधारणका विश्वास पुलिसपर नहीं रह गया है? क्या वे यह नहीं जानते कि जहाँतक सर्वसाधारणका ताल्लुक है, पुलिसकी स्थिति आमतौरपर प्रतिवादी-जैसी होती है? थोड़ी देरके लिए यह मान भी लें कि यह तोहमत कुछ मर्दों और कुछ औरतोंकी निस्बत सच है, तो क्या वे यह साबित कर सकते हैं कि यह बुराई इतनी व्यापक हो गई है कि उन्हें उसकी सार्वजनिक निन्दा करनेकी जरूरत पड़ी? यदि कोई जिम्मेदार हिन्दुस्तानी यह कहे कि अंग्रेज सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार और चरित्रहीनताके अपराधी हैं, क्योंकि उसकी जानकारीमें ऐसे इक्के-दुक्के अधिकारियोंके मामले हैं, तो क्या उसका यह कहना न्याययुक्त होगा? अगर कोई ऐसा कहे तो क्या उससे रोषपूर्वक नहीं कहा जायेगा कि उनके नाम बताओ और उन्हें अदालतमें ले जाओ और साथ ही, उससे इस बातपर माफी न मँगवाई जायेगी कि जो बुराई केवल कुछ लोगोंपर घटती है उसे उसने एक पूरे समाजपर थोप दिया है? ऐसी अवस्थामें क्या वह मुलिजम 'कुछ' शब्दकी ओटमें अपना बचाव कर पायेगा? यदि लॉर्ड लिटनके कहनेका अभिप्राय सिर्फ इतना ही था कि अन्य राष्ट्रोंकी तरह हिन्दुस्तानी जन-समाजमें भी कुछ पतित लोग हैं, तब फिर उनकी शिकायतके लिए जगह ही कहाँ रह जाती है, और वह भी ऐसे भाषणमें जो कि गम्भीर विषयपर था, जिसके बारेमें वे जानते थे कि उसका एक-एक शब्द यहाँ बड़े ध्यानसे पढ़ा जायेगा और विदेशोंमें भी उसका काफी वजन माना जायेगा। अतएव मैं अदबके साथ यह कहे बिना नहीं रह सकता कि यदि उनका उद्देश्य यह न रहा

Gandhi Heritage Portal

हो कि भारतीय स्त्रियों और पुरुषोंपर लांछन लगाये जायें, तो उनको बिना शर्त अपने आरोप वापस लेकर माफी माँग लेनी चाहिए। ऐसा करके वे अपनी प्रतिष्ठा और गौरवकी वृद्धि ही करेंगे। इसके विपरीत, अगर उनके पास वैसे सबूत हों, जैसे कि मैंने सुझाये हैं, तो उन्हें हिम्मतके साथ अपने आरोपोंकी पुष्टि करनी चाहिए और जन-साधारणके सामने वे सबूत उपस्थित कर देने चाहिए। लचर किस्मकी सफाई कोई सफाई नहीं होती। वह तो जलेपर नमक छिड़कना होता है।

अधीनताका बिल्ला

भारतका हरएक पत्रकार इस बातको जानता है कि जब बाहरसे आयात होनेवाले सूती कपड़ेपर चुंगी लगाई गई, तब सिर्फ लंकाशायरके हितके लिए भारतके बने कपड़ेपर उत्पादन-कर लगा दिया गया था। उसके खिलाफ विरोधकी आवाजें उठाई गईं और इस बातका वचन भी दिया गया कि इसपर फिरसे विचार किया जायेगा। फिर भी वह आजतक ज्योंका-त्यों कायम है। यह कर हमें निरन्तर इस बातकी याद दिलाता रहता है कि भारतका हित इंग्लैंडके हितके अधीन है — उसके आगे गौण है। इसलिए मैं विदेशी मिलोंके मुकाबले हिन्दुस्तानी मिलोंके कपड़ेको तरजीह देता हूँ। पर कितने ही लोग इससे चक्करमें पड़ जाते हैं। वे उसका आशय ठीक-ठीक नहीं समझ पाते, क्योंकि एक ओर तो मैं मिलके कपड़ेके मुकाबले हाथके बने कपड़ेकी सिफारिश जोर-शोरसे — लगभग आवेशपूर्वक — करता हूँ और दूसरी ओर विदेशी कपड़ेके मुकाबले देशी मिलके बने कपड़ेकी रक्षाकी आवाज उठाता हूँ। पर जरा गौर करनेसे ही उन्हें ये दोनों नीतियाँ परस्पर सुसंगत लगने लगेंगी। यदि भारतवर्षको आर्थिक रूपसे एक स्वाधीन राष्ट्र बनना हो, यदि उसके किसानोंकी सदियों पुरानी फाकेकशी मिटानी हो, यदि उन्हें अकालों और ऐसे ही दूसरे संकटोंके समय कोई प्रतिष्ठित काम दरकार हो तो देशसे विदेशी कपड़ेका मुंह काला किये बिना चारा नहीं। अपने कपड़ा-उद्योगकी रक्षा करना उसका जन्म-सिद्ध अधिकार है। अतएव मैं विदेशी मिलोंकी होड़से भारतीय मिलोंकी रक्षा जरूर करूँगा — भले ही उसका फल यह होता हो कि चन्द रोजके लिए गरीबोंको दण्ड भुगतना पड़े। ऐसा दण्ड उन्हें तभी भुगतना पड़ेगा जबकि मिल-मालिक देश-प्रेमको इतना खो बैठे हों कि कपड़ेका बाजार पूरी तरह अपने हाथमें आ जानेपर वे उसके दाम बढ़ा दें। इसलिए मैं कपास तथा भारतके कपड़ेपर लगे उत्पादन-करको हटाने और आयातपर भारी चुंगी लगानेके लिए बिना हिचकिचाहटके जोर दे सकता हूँ।

इसी तरह और बिना किसी प्रकारकी असंगतिके, मैं देशी मिलोंके मुकाबले हाथ-कती खादीकी रक्षा करूँगा। मैं जानता हूँ कि यदि सिर्फ विदेशोंके साथ होड़ा-होड़ी बन्द हो जाये तो खादीकी रक्षा बिना दिक्कत हो सकती है। ज्यों ही लोकमत इतना प्रबल हुआ कि उसका प्रभाव पड़ सके, त्यों ही यहाँसे विदेशी कपड़ेका मुँह काला हो जायेगा और वही शक्ति मिलोंके मुकाबलेमें खादीकी रक्षा करेगी। पर मुझे तो यह दृढ़ विश्वास है कि खादी तो मिलोंसे बिना किसी अशोभन टकरावके ही अपने पैर जमा लेगी। परन्तु यह जरूरी बात है कि जबतक खादीके भक्तोंकी

Gandhi Heritage Portal

संख्या बहुत थोड़ी है तबतक उन्हें लाजिम है कि वे देशी मिलोंतक में बने अथवा मिलके सूतसे बने कपड़ोंकी बजाय एकमात्र खादीका प्रचार करें। लोगोंको देशी मिलोंके कपड़े या खादीका विकल्प देना, मानो खादीको निर्मूल कर देना है।

मिलकी खादी

इसपर कोई अधीर देशप्रेमी कहेगा "जब कि मिल-मालिक नकली खादी भोली-भाली जनताके सिर मढ़कर उनकी आँखोंमें धूल झोंकते नहीं हिचकते तब आपके दिलमें मिलोंके लिए कैसे गुंजाइश हो सकती है?" हाँ, मुझे इस नकली खादीका पता है। मैंने जान-बूझकर ऐसी नकली खादीके कुछ बढ़िया नमूने अपने सामने रख छोड़े हैं, जिससे कि वे मुझे मेरे इस कर्त्तव्यकी याद दिलाते रहें कि मुझे ऐसे मिल-मालिकोंके इस राष्ट्र-विरोधी आचरणके बावजूद उनपर गुस्सा नहीं करना है। मैं यह भी जानता हूँ कि बिना खादीकी होड़ा-होड़ीमें पड़े भी वे अपना रोजगार अच्छी तरह कर सकते थे। उन्हें कमसे-कम अपने मोटे कपड़ेको झूठ-मूठ खादीके नामपर बेचनेके पापसे तो बचना ही चाहिए था; क्योंकि यह तो वे अच्छी तरह जानते हैं कि 'खादी' नाम केवल उसी कपड़ेके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि हाथ-कता और हाथ-बुना हो। परन्तु यों बुराईका जवाब बुराईसे देनेसे वह भलाई नहीं हो सकती। मेरा सत्याग्रह-धर्म मुझसे कहता है कि बदला लेनेकी नीयत न रखो। उनके राष्ट्र-विरोधी आचरणका अनुकरण मैं तो नहीं कर सकता। मुझे निश्चय है कि खादीके अनुरागी लोग यदि अपने विश्वासपर दृढ़ और सच्चे बने रहे तो तमाम कठिनाइयोंके होते हुए भी हाथ-कती खादी फूलने-फलने लगेगी। इसलिए असहयोगियोंको चाहिए कि कपासपर लगे उत्पादन-करको हटानेकी ही नहीं, बल्कि मिलोंके महान् उद्योगकी रक्षाके लिए भी बराबर आवाज उठाते रहें और कुछ मिलें जो जानमें या अनजानमें खादीको हानि पहुँचा रही हैं, उसका कुछ खयाल न करें।

विदेशोंमें रहनेवाले भारतीय

मैं श्री एन्ड्रयूज द्वारा भेजे गये एकाधिक लेख एक ही अंकमें छाप रहा हूँ। ये सब इसी सप्ताहके दौरान प्राप्त हुए हैं। इनसे पता चलता है कि उनके मनमें भारतके लिए कितना उत्कट प्रेम है और हर अन्यायके विरुद्ध उनके मनमें कितना रोष है। इन लेखोंसे एक ही नजरमें पता चल जाता है कि दुनियाके विभिन्न भागोंमें बिखरे हुए हमारे देश-भाइयोंसे सम्बन्धित हमारा काम कितना कठिन है। जिन दिनों श्रीमती नायडू दक्षिण आफ्रिकामें थीं, उन्हीं दिनों नेटाल अध्यादेशको बनानेकी तैयारी बड़े जोर-शोरसे चल रही थी। अब इस अध्यादेशसे स्पष्ट हो गया है कि श्रीमती नायडूके महत्त्वपूर्ण कामको और आगे बढ़ाना है। केनियामें आफ्रिकियों और भारतीयोंके साथ जो धोखा किया गया है वह तो इतना बड़ा अन्याय है कि बेचारा भारत उससे निपट नहीं सकता। जिस प्रणालीके अन्तर्गत हमारे देशवासी बर्मा जाते हैं वह तो इतने भयंकर रूपसे अनैतिकतापूर्ण है कि हमें निरन्तर जागरूक रहनेकी आवश्यकता है। जिन दिनों मैं तीसरे दर्जेमें सफर किया करता था तब मैंने अपनी आँखों देखा कि

Gandhi Heritage Portal

कलकत्ता और बर्माके बीच स्टीमरके डेकपर सफर करनेवालोंपर क्या गुजरती थी। उस समय मैंने डेक-यात्रियोंकी दशाको अमानवीय बताया था। उस समय मैं समझता था कि मद्रास और रंगूनके बीच यात्रा इससे भी कहीं बदतर थी। इसका कारण स्टीमर कम्पनीकी कभी न बुझनेवाली पैसेकी प्यास थी। वह जानते हुए भी जहाजों-पर गन्दगी और जिल्लतको चलने देती थी, बल्कि उसे शह भी देती थी। सरकार, जो कम्पनीको डेक-यात्रियोंके शारीरिक और नैतिक स्वास्थ्यकी घोर अवहेलना करते हुए अपनी स्टीमर-सेवा चलाने देती है अथवा कम्पनी, जो यह अन्याय करती है, अथवा यात्री, जिन्हें विदेशमें आजीविका कमानेकी खातिर शारीरिक और नैतिक दोनों ही दृष्टियोंसे गन्दगीमें लोटना भी कबूल है — इनमें से किसका दोष है, सबसे बड़ा अपराधी कौन है, यह कहना मुश्किल है। श्री एन्ड्रयूज एक निजी पत्रमें कहते हैं कि वे शीघ्र ही डेकपर यात्रा करनेवालोंकी दशामें निश्चित सुधार होनेकी आशा करते हैं। हम आशा करते हैं कि इस नेक अंग्रेजकी आशा पूर्ण होगी।[1]

ध्यान दीजिए

अ० भा० खादी बोर्डके मन्त्रीने सभी सम्बन्धित लोगोंके लाभार्थ नीचे लिखी सूचनाएँ भेजी हैं:

> **(१) अधिकांश सूत भेजनेवाले सदस्योंने अपना रजिस्टर-नम्बर नहीं लिखा है। इसका कारण शायद यह हो कि प्रान्तीय खादी मण्डलोंने अपने-अपने सदस्योंको उनके रजिस्टर-नम्बरकी सूचना न दी हो।**
>
> **(२) रजिस्टरोंमें वर्णानुक्रमसे सदस्योंकी सूची नहीं दी गई है; उनमें उनके नाम खोजनेमें भी दिक्कत पड़ती है। इस तरहकी वर्णानुक्रमणिकाके सम्बन्धमें जो हिदायतें दी गई हैं, उनका पालन बहुत कम प्रान्तोंने किया है। जिन सदस्योंने अपना रजिस्टर-नम्बर नहीं लिखा है, रजिस्टरमें वर्णानुक्रमसे सूची न होनेपर उनके नाम छाँटना प्रायः असम्भव हो जाता है।**
>
> **(३) हिदायतोंके विपरीत कितने ही सदस्यों और गैर-सदस्योंने अपना सूत सीधा यहाँ, इस दफ्तरको भेज दिया है। उन्हें सूचित कर दिया जाना चाहिए कि आगेसे सदस्य और गैर-सदस्य, दोनों अपना-अपना सूत अपने प्रान्तके ही दफ्तरमें भेजा करें।**
>
> **(४) बहुतेरे लोगोंने सूतकी लम्बाई नापकर नहीं भेजी है। प्रान्तीय मन्त्री-को चाहिए कि वे पार्सल रवाना करनेके पहले यह देख लें कि हर शख्सके सूतपर पर्ची लगी है या नहीं और उसपर आवश्यक तफसील दर्ज है या नहीं।**

सूत-कताईकी व्यवस्था उसी हालतमें पुर-असर और कामयाब हो सकती है जब कि दी गई हिदायतोंका पालन कामिल तौरपर किया जाये। इसलिए मैं आशा करता

१. सी० एफ० एन्ड्रयूजके लेखके सारांशके लिए देखिए "पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको", २५-८-१९२४ की पाद-टिप्पणी।

Gandhi Heritage Portal

हूँ कि अगले माहसे अ० भा० खादी-बोर्ड द्वारा समय-समयपर दी गई हिदायतोंका पूरा-पूरा पालन किया जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २८-८-१९२४

३२. गुलबर्गाका पागलपन

पिछले सप्ताह मैंने इशारा किया था[1] कि हिन्दुओंके मन्दिरोंको अपवित्र करनेकी जो हवा आजकल बह रही है उसके पीछे जरूर कोई संगठित जमात है। इस सिलसिलेमें गुलबर्गाकी मिसाल सबसे ताजा है। हिन्दुओंकी ओरसे मुसलमानोंको अगर उत्तेजनाका कोई कारण दिया गया हो तो वह चाहे कैसा भी क्यों न रहा हो, लेकिन मुसलमानोंकी हिंसात्मक कार्रवाइयाँ किसी बड़ी विपत्तिकी सूचक हैं। मन्दिरोंको अपवित्र करना तो किसी भी हालतमें उचित नहीं कहा जा सकता। मौलाना शौकत अलीने जब शम्भर और अमेठीमें मन्दिरोंको अपवित्र करनेका हाल सुना तो वे गुस्सेमें कह उठे थे कि अगर किसी दिन हिन्दू लोग मुसलमानोंकी मसजिदोंको नापाक करके इसका बदला लें तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। मौलाना साहबके इन क्रोधपूर्ण वचनोंको सुनकर मुमकिन है, हिन्दू लोग फूल उठें या उनको खुशी हो; लेकिन मुझे नहीं होती और मैं हिन्दुओंको सलाह देता हूँ कि वे भी इसपर खुश न हों। वे इस बातको अच्छी तरह समझ लें कि मुसलमानोंके हर धर्मान्धतापूर्ण कृत्यसे बहुतेरे हिन्दुओंके मुकाबले कहीं अधिक चोट मेरे दिलको पहुँचती है। मुझे इस बातका पूरा ध्यान है कि इस मामलेमें मेरी जिम्मेदारी क्या है। मैं जानता हूँ कि बहुतेरे हिन्दुओंका दिल यह कहता है कि ऐसे बहुतेरे दंगे-फसादोंका जिम्मेदार मैं हूँ। क्योंकि, उनका कहना है, सोई हुई मुसलमान-जनताको जाग्रत करनेमें मेरा सबसे ज्यादा हाथ है। मैं इस इलजामकी कद्र करता हूँ। यद्यपि इस जागृतिमें अपने योगदानके लिए मुझे जरा भी पछतावा नहीं, तथापि मैं महसूस करता हूँ कि उनके कथनमें वजन है। इसलिए अगर और किसी वजहसे नहीं तो अपनी बढ़ी हुई इसी जिम्मेदारीके खयालसे मुझे बहुतेरे हिन्दुओंकी अपेक्षा, इन मन्दिरोंके अपवित्र किये जानेकी दुर्घटनाओंपर अधिक दुःख होना चाहिए। मैं मूर्तिपूजक भी हूँ और मूर्तिभंजक भी, पर उस अर्थमें जिसे मैं इन शब्दोंका सही अर्थ मानता हूँ। मूर्ति पूजाके पीछे जो भाव है मैं उसका आदर करता हूँ। मनुष्य-जातिके उत्थानमें उससे बहुत सहायता मिलती है और मैं चाहूँगा कि अपने प्राण देकर भी उन हजारों पवित्र देवालयोंकी रक्षा करनेकी सामर्थ्य मुझमें हो, जो हमारी इस जननी जन्मभूमिको पुनीत कर रहे हैं। मुसलमानोंके साथ जो मेरी मित्रता है, उसके अन्दर यह बात पहलेसे ही ग्रहीत है कि वे मेरी मूर्तियों और मेरे मन्दिरोंके प्रति पूरी-पूरी सहिष्णुता बरतेंगे। मैं मूर्तिभंजक इस मानीमें हूँ कि मैं उस धर्मान्धताके रूपमें

१. देखिए "टिप्पणियाँ", २१-८-१९२४, उप-शीर्षक "मन्दिरोंकी पवित्रताका भंग"।

Gandhi Heritage Portal

छिपी सूक्ष्म मूर्तिपूजाको खण्डित करता हूँ जो अपनी ईश्वर-पूजाकी विधिके अलावा दूसरे लोगोंकी पूजा-विधिमें किसी गुण और अच्छाईको देखनेसे इनकार करती है। इस किस्मकी सूक्ष्म मूर्तिपूजा, बुतपरस्ती ज्यादा घातक है; क्योंकि यह उस स्थूल और प्रत्यक्ष पूजासे, जिसमें कि एक पत्थरके टुकड़े या सोनेकी मूर्तिमें ईश्वरकी कल्पना कर ली जाती है, अधिक सूक्ष्म और प्रच्छन्न है।

हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यके लिए यह आवश्यक है कि मुसलमान लोग न तो आपद्धर्मके तौरपर और न व्यवहार-नीतिके तौरपर बल्कि अपने मजहबका एक अंग समझकर दूसरोंके मजहबके प्रति तबतक सहिष्णुता बरतें जबतक कि दूसरे लोग अपने-अपने मजहबोंको सच्चा मानते रहें और इसी तरह हिन्दुओंसे भी यह आशा की जाती है कि वे धर्म और ईमान समझकर दूसरोंके धर्मोंके प्रति उसी सहिष्णुताका परिचय दें — फिर चाहे दूसरोंके धर्म उनको कितने ही प्रतिकूल क्यों न मालूम होते हों। इसलिए हिन्दुओंको चाहिए कि वे बदला लेनेकी इच्छाको अपने दिलोंमें जगह न दें। सृष्टिकी उत्पत्तिसे लेकर आजतक हम बदले अर्थात् प्रतिहिंसाकी नीतिकी आजमाइश करते आ रहे हैं और अबतक का अनुभव हमें बतलाता है कि वह बुरी तरह बेकार साबित हुई है। उसके जहरीले असरसे हम आज बेतरह छटपटा रहे हैं। जो भी हो; पर हिन्दुओंको चाहिए कि मन्दिरोंके तोड़े जानेपर भी वे मसजिदोंकी ओर अँगुली-तक न उठायें। यदि वे बदलेका अवलम्बन करेंगे तो उनकी बेड़ियाँ और भी मजबूत हो जायेंगी और ईश्वर जाने, उनकी क्या-क्या दुर्गति होगी। इसलिए चाहे हजारों मन्दिर तोड़-फोड़कर मिट्टीमें क्यों न मिला दिये जायें, मैं एक भी मसजिदको न छुऊँगा और इस तरह धर्मान्ध, दीवाने लोगोंके तथाकथित धर्मसे अपने धर्मको ऊँचा साबित करनेकी उम्मीद रखूँगा। अलबत्ता यदि मैं यह सुनूँगा कि पुजारी लोग अपने मन्दिरों और मूर्तियोंकी रक्षा करते-करते काम आ गये तो मेरे दिलकी कली खिल उठेगी। ईश्वर घट-घट व्यापी है। वह मूर्तिमें भी विद्यमान है। फिर भी वह अपने और अपनी मूर्तिके अपमान और तोड़-फोड़को चुपचाप सहनकर लेता है। पुजारियोंको भी चाहिए कि वे अपने भगवान्की तरह ही अपने मन्दिरोंकी रक्षाके लिए कष्ट-सहन करना और मरना सीखें। यदि हिन्दू लोग बदलेमें मसजिदें तोड़ने लगेंगे तो वे अपनेको भी उन्हीं लोगोंकी तरह धर्मान्ध साबित करेंगे जो कि मन्दिरोंको अपवित्र करते हैं और इस तरह वे अपने धर्म अथवा अपने मन्दिरोंकी रक्षा तो कर ही नहीं पायेंगे।

अब उन अज्ञात मुसलमानोंसे, जो निःसन्देह इन मन्दिरोंकी तोड़-फोड़में भीतर-ही-भीतर शरीक हैं, मैं कहता हूँ :

याद रखो, इस्लामकी जाँच तुम्हारी करतूतोंसे हो रही है। मैंने अभीतक एक भी ऐसा मुसलमान नहीं देखा, जिसने इन हमलोंकी ताईद की हो — फिर वे भले ही किसीके उभारे जानेपर ही क्यों न किये गये हों। मुझे जहाँतक दिखाई देता है, हिन्दुओंकी तरफसे आपको उत्तेजित होनेका मौका या तो दिया ही नहीं गया है या दिया भी गया है तो बहुत ही कम। पर अच्छा, फर्ज कीजिए कि बात इसके खिलाफ हुई है अर्थात् हिन्दुओंने मुसलमानोंको दिक करनेके लिए मसजिदके नजदीक

Gandhi Heritage Portal

बाजे बजाये और यहाँतक कि किसी मीनारपर से एक पत्थर उखाड़ लिया, तो भी मैं कहनेका साहस करता हूँ कि मुसलमानोंको मन्दिरोंको अपवित्र नहीं करना चाहिए था। बदला भी आखिर एक हदतक ही लिया जा सकता है। हिन्दू लोग अपने देवालयको जानसे अधिक मानते हैं। हिन्दुओंकी जानको नुकसान पहुँचानेकी बात तो किसी हदतक समझमें आ सकती है; पर उनके मन्दिरोंको हानि पहुँचानेकी बात समझमें नहीं आ सकती। धर्म जीवनसे बढ़कर है। इस बातको याद रखिए कि दूसरे धर्मोंके साथ तात्त्विक दृष्टिसे तुलना करनेमें चाहे किसीका धर्म नीचा बैठता हो, परन्तु उसे तो अपना वही धर्म सबसे सच्चा और प्रिय मालूम होता है। परन्तु जहाँतक अनुमान किया जा सकता है, हिन्दुओंकी तरफसे मुसलमानोंको उत्तेजनाका मौका ही नहीं दिया गया। मुलतानमें जब मन्दिर अपवित्र किये गये तब बिना-किसी उत्तेजनाके ही किये गये थे। हिन्दू-मुस्लिम तनावके विषयमें लिखे अपने लेखमें[1] मैंने कुछ ऐसे स्थानोंकी चर्चा की है, जहाँ हिन्दुओं द्वारा मसजिदोंके अपवित्र किये जानेकी बात कही जाती है। मैं इन आरोपोंके सम्बन्धमें सबूत एकत्र करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। परन्तु अबतक मुझे उनका कुछ भी सबूत नहीं मिला है। अमेठी, शम्भर और गुलबर्गाकी जो खबरें प्रकाशित हुई हैं, ऐसे काम करके आप इस्लामकी कीर्तिको बढ़ाते नहीं हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूँगा कि इस्लामकी इज्जतका भी मुझे उतना ही खयाल है जितना कि खुद अपने मजहबका। यह इसलिए कि मैं मुसलमानोंके साथ पूरी, खुली और दिली दोस्ती रखना चाहता हूँ। पर मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि मन्दिरोंको अपवित्र करनेकी ये घटनाएँ मेरे हृदयके टुकड़े-टुकड़े कर रही हैं।

दिल्लीके हिन्दुओं और मुसलमानोंसे मैं कहता हूँ:

यदि आप इन दो जातियोंमें मेल-मिलाप कराना चाहते हों, तो आपके लिए यह अनमोल अवसर है। अमेठी, शम्भर और गुलबर्गामें जो-कुछ हुआ है, उसे देखनेके बाद आपका यह दुहरा कर्त्तव्य हो जाता है कि आप इस मसलेको हल कर डालें। आपको अपने बीच हकीम अजमलखाँ साहब और डा० अंसारी-जैसे मुसलमान सज्जनोंके होनेका सौभाग्य प्राप्त है, जो अभी कलतक दोनों जातियोंके विश्वासपात्र थे। इस तरह आपकी परम्परा उच्च रही है। अपनी दलबन्दियोंको तोड़कर और ऐसी दिली दोस्ती कायम करके जो किसी तरह न टूट पाये, आप इन लड़ाई-झगड़ोंकी शुभ परिणति कर सकते हैं। मैंने तो अपनी सेवाएँ आपके हवाले कर ही दी हैं। यदि आप मुझे दोनोंका मध्यस्थ बनाना पसन्द करें तो मैं दिल्लीमें जमकर बैठनेके लिए तैयार हूँ और उन दूसरे सज्जनोंके साथ, जिन्हें आप चुनें, सच्ची बातोंका पता लगानेकी कोशिश करूँ। इस सवालके स्थायी निपटारेके लिए यह आवश्यक है कि पहले हम इस बातकी पूरी तहकीकात करें कि पिछली जुलाईमें दरहकीकत क्या-क्या हुआ और वह क्योंकर हो पाया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप शीघ्र ही इस सम्बन्धमें कोई निर्णय लीजिए। हिन्दू-मुसलमानोंका सवाल एक ऐसा सवाल है जिसके ठीक-ठीक हल होनेपर ही निकट भविष्यमें भारतका भाग्य निर्भर करता है। दिल्ली इस

१. देखिए खण्ड २४, पृष्ठ १३९-५९।

Gandhi Heritage Portal

सवालको हल कर सकती है क्योंकि दिल्ली जो कुछ करेगी, उसीका अनुसरण दूसरी जगहोंपर होगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २८-८-१९२४

३३. आँकड़ोंपर विचार

१५ अगस्तको खत्म होनेवाले महीनेके लिए आये सूतकी आखिरी फेहरिस्त नीचे दी जाती है। २५ अगस्ततक जितना सूत आया है, वह इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद जो सूत आयेगा वह अगले महीनेमें गिना जायेगा।

प्रान्तका नाम	प्रतिनिधियोंकी संख्या	सदस्य कतैये	गैर-सदस्य कतैये	कुल सूत भेजनेवाले
आन्ध्र	१,६५३	३०२	१२७	४२९
असम	२५०	३४	२	३६
अजमेर	५७	९	६	१५
बम्बई	२४२	६४	२१	८५
बर्मा	३६	१	१	२
बिहार	१,०७४	१७४	३४	२०८
बंगाल	१,५४९	४०१	४३	४४४
बरार	२५५	१	—	१
मध्य प्रान्त (मराठी)	९४२	४४	२३	६७
मध्य प्रान्त (हिन्दी)	१,३२४	६६	५	७१
दिल्ली	१८५	६	६	१२
गुजरात	४०८	१७७	६६८	८४५
*कर्नाटक	१६३	२३	१८	४१
केरल	५३	२	—	२
महाराष्ट्र	६७४	१३७	२५	१६२
*पंजाब	२५५	२३	—	२३
*सिन्ध	२६२	३६	१२	४८
*तमिलनाड	८२६	७९	११	९०
संयुक्त प्रान्त	१,५८१	१३५	२७	१६२
उत्कल	४१३	३२	५	३७
कुल योग	१२,२०२[१]	१,७४६	१,०३४	२,७८०

*यहाँके रजिस्टर अधूरे हैं।

१. साधन-सूत्रमें यह संख्या '११,३०२' है।

Gandhi Heritage Portal

कांग्रेसके प्रस्तावके अनुसार जिन सदस्योंने सूत भेजा है उनकी तादाद रजिस्टरमें दर्ज संख्याकी सिर्फ १४ फीसदी है। गैर-सदस्य सूत भेजनेवालोंकी संख्या सूत कातनेवाले सदस्योंकी ६७ फीसदी है। प्राय: हरएक प्रान्तने इस बार कम सूत भेज पानेके लिए माफी चाही है। अगले महीनेमें वे इससे कहीं अच्छा नतीजा दिखानेकी आशा रखते हैं। इस सूचीमें गुजरातका नम्बर सबसे पहला है। पर इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं। क्योंकि सूत कातनेकी शिक्षा देनेकी सुविधाएँ और व्यवस्था यहाँ सबसे अच्छी है। बरार सबसे फिसड्डी रहा। मैं तो आशा कर रहा था कि बरारका विश्वास चरखेपर न होनेपर भी वह कांग्रेसकी आज्ञाका पालन अवश्य करेगा और मैं उसे बधाई दूँगा। मैं बरारकी प्रान्तिक समितिसे अनुरोध करता हूँ कि वह नियमोंका पालन करे। फिर क्या बरारमें ऐसे लोग नहीं हैं, सदस्य चाहे न हों, जो चरखेके कायल हैं? गुजरातके बाद दूसरा नम्बर है बंगालका। यह बात ध्यान देने लायक है। ऐसा मालूम होता है कि वह गुजरातको हरा देगा। होना भी यही चाहिए। क्योंकि बंगाल तो उन नफीस कतैयोंकी जन्मभूमि है जिनकी टक्करके कतैये दुनियामें कहीं पैदा ही नहीं हुए। बंगालको ही ईस्ट इंडिया कम्पनीकी क्रूरताका पूरा-पूरा शिकार होना पड़ा था। ऐसी हालतमें इससे बढ़कर ठीक बात दूसरी हो ही नहीं सकती कि बंगाल भारतको सबसे अधिक सूत कातनेवाले स्वयंसेवक देकर औरोंको रास्ता दिखाये। गुजरातके बाद बंगालके दूसरे नम्बरपर होनेका रहस्य वहाँ डाक्टर राय द्वारा किया गया संगठन और व्यवस्था है। यदि नेता लोग आगे बढ़ें तो कार्यकर्त्ता बढ़नेके लिए तैयार हैं। मैं आशा करता हूँ कि मैं अगले सप्ताह सूतकी अच्छाई-बुराई आदिकी तफसील दे सकूँगा। फिलहाल तो इतना ही कहना काफी होगा कि यदि लोगोंके उत्साहका यही क्रम रहा तो हम बिना दिक्कत ऊँचे नम्बरका बुनने लायक सूत प्राप्त करनेकी समस्या हल कर सकेंगे। खादी-प्रचारके रास्तेमें यही सबसे बड़ी बाधा रही है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २८-८-१९२४

३४. दो पहलू

कांग्रेसका कताई सम्बन्धी प्रस्ताव कांग्रेसियोंकी मनोवृत्तिके अध्ययनकी खासी सामग्री पेश कर रहा है। जब अ० भा० कांग्रेस कमेटीने चरखा कातनेका प्रस्ताव किया तब कहीं कांग्रेसियोंकी समझमें आया कि चरखा कातना तभी लोकप्रिय और सार्वत्रिक हो सकता है जब कमसे-कम कांग्रेसके प्रतिनिधि केवल कताई सीखना ही नहीं बल्कि रोज चरखा कातना भी अपना कर्त्तव्य मानें। अब वे इस बातका महत्त्व समझने लगे हैं। अबतक तो कांग्रेसके इस आशयके एक पिछले प्रस्तावके रहते हुए भी कि तमाम कांग्रेसियोंको कमसे-कम चरखा कातनेकी कला सीख लेनी चाहिए, बहुतोंने उसे छुआतक न था।

Gandhi Heritage Portal

ऐसी अवस्थामें क्या आश्चर्य कि चरखा-कताई इतनी नहीं बढ़ पाई जिससे विदेशी कपड़ेका बहिष्कार सफलतापूर्वक हो सके। पर अब तो वे लोग भी कातने लगे हैं जो यह समझते थे कि हम तो कभी कात ही न सकेंगे; यही नहीं, वे उसे पसन्द भी करने लगे हैं। एक महाशयके पत्रका कुछ अंश मैं नीचे देता हूँ, जिससे यह बात और स्पष्ट हो जाती है:

> कातनेका काम मैंने कुछ देरसे शुरू किया। सामग्री जुटानेमें कुछ दिन और बीत गये। फिर, कुछ दिनोंतक मुझे अपने औजारोंसे झगड़ना पड़ा। इस तरह पता चला कि मैं किस किस्मका कारीगर हूँ। जब चरखेने बुद्धिके आगे सिर झुकाया, तो पूनियोंने बगावत शुरू कर दी। नालायक पूनियाँ अड़ने लगीं, धागा देनेसे इनकार करने लगीं, लेकिन दिल्लगी यह कि ये सबकी-सब एक रस्सा बनकर निकलनेमें जरा न सकुचाती थीं। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि तत्वज्ञानकी कुर्सीपर पड़े-पड़े सूक्ष्म काल्पनिक विचार-मालाका महीन तार निकालना बड़ा आसान था। चरखेपर वास्तविक सूत कातना कहीं कठिन है। यदि मुझे यह पहलेसे मालूम होता कि नटखट महात्मा हमें आगे चलकर इस झंझटमें फँसायेंगे तो मैं १९२१में उनकी पुकारके अनुसार कालेजकी अपनी आरामकुर्सीसे असहयोग करनेसे पहले हजार बार सोचता। उस समय मैंने यह खयाल किया था कि मैं तो एक नेताकी हैसियतसे सैकड़ों सभा-मंचोंपर जाकर चरखेपर लम्बे-लम्बे व्याख्यान झाड़ा करूँगा। यह तो मैंने ख्वाबमें भी न सोचा था कि मुझे चरखा कातना पड़ेगा। पर अब मेरा भ्रम बुरी तरह दूर हो गया। अच्छा, तो मैं इस होनहारके आगे सिर झुकाता हूँ। अब पीछे कदम हटानेका तो सवाल ही कैसे खड़ा हो सकता है? मैं अपनी मेहनतका तुच्छ फल आपकी सेवामें भेज रहा हूँ। जो शर्तें लगाई हैं, उनमें से एकका भी पालन नहीं हो पाया है। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा दिल निराश नहीं हुआ है और अब भी मुझे आशा है कि मैं बहुत बढ़िया नतीजा दिखा सकूँगा।

मैं ऐसे और भी कितने ही उदाहरण दे सकता हूँ, जिनमें लोग जरा देर करके, पर झपाटे और दृढ़ताके साथ कताईमें जुट पड़े हैं।

पर पाठकोंको दूसरा पक्ष भी जता देना उचित है। मैं नीचे एक पत्र देता हूँ। यह एक कांग्रेस कमेटीके सभापतिका भेजा हुआ है। इस किस्मका यह एक ही खत मुझे अबतक मिला है। वे कहते हैं:

> मैं अ० भा० कांग्रेस कमेटीके इस प्रस्तावको नाजायज मानता हूँ। आज कहा जाता है कि या तो चरखा कातो या इस्तीफा दो। कल कहेंगे अपना खाना खुद पकाओ या इस्तीफा दे दो या यह भी कहा जा सकता है कि अपना सिर मुड़ाओ, नहीं तो इस्तीफा दो। इस चरखेके सिद्धान्तपर मुझे विश्वास

Gandhi Heritage Portal

नहीं। मुझे इसके फायदोंपर भी एतबार नहीं। थोड़में कहूँ तो मुझे इसपर इतना अविश्वास है जितना कि महात्मा गांधीको इसपर विश्वास है। यह उनके मनोविनोदका साधन है। मैं न तो इस प्रस्तावको मानूँगा और न इस्तीफा ही दूँगा। हाँ, समिति चाहे तो मुझे शौकसे निकाल दे।

किसी संस्थामें रहना कोई दिल्लगी नहीं है। उसका सभापति होना तो और भी बड़ी जिम्मेदारीकी बात है। जब-जब चरखेपर राय ली गई होगी तब-तब सम्भवतः ये महाशय भी उसके पक्षमें अपना हाथ ऊँचा उठाते रहे होंगे। पर अब, जब कि बिल्लीके गलेमें घंटी बाँधनेका वक्त आया, वे आसमानपर चढ़कर अपनी नाएतबारीका शोर मचाने लगे। दिन-भरका भूला-भटका शामको घर आ जाये तो बुरा नहीं। मैं उन्हें उनके दृढ़ विश्वासपर बधाई देता हूँ; पर मुझे भय है कि मैं उनकी अवज्ञाको अनुकरणीय नहीं बनने दे सकता। संस्थाओंके सदस्य और खास करके उनके पदाधिकारी ही यदि उनकी नीतिका पालन करनेसे इनकार कर दें और उसके खिलाफ रहते हुए भी पदासीन रहें तो इस तरह दुनियाकी किसी संस्थाका काम हरगिज नहीं चल सकता। स्वराज्य हासिल करनेके लिए हमें कठोर नियम-पालनकी जरूरत है। इनको तथा इनके सदृश विचार रखनेवाले सज्जनोंको जानना चाहिए कि हम एक बड़े कठिन और नाजुक काममें लगे हुए हैं। वह है सत्ताको उस संगठनके हाथसे छीननेका काम जिसके सदस्य बड़े काबिल, मेहनती, उद्योगशील, बुद्धिमान, पुरुषार्थी और सबसे बढ़कर यथावत् नियम-पालनके पूरे-पूरे आदी हैं। यदि हम बिना खून-खराबीके विजय पाना चाहते हों तो मैं बड़े अदबके साथ इन महाशयसे कहूँगा कि फर्ज कीजिए कि चरखा अपने मकसदके लिए बेकार है, तो भी अनुशासनके लिहाजसे उसके महत्त्वका अन्दाज नहीं किया जा सकता। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अनुशासन स्थापित करनेके एक साधनके तौरपर यदि किसीसे अपना खाना खुद ही बनाने या सिर मुड़ानेके लिए भी कहा जाये तो यह बुरी बात न होगी। ऐसी कसौटियाँ, फिर वे दूसरी तरहसे चाहे हास्यास्पद दिखाई दें, अपने ढंगसे अपना एक अलग महत्त्व रखती हैं। क्योंकि इससे इस बातका पता चलता है कि अनुशासनकी भावना कितनी विद्यमान है। किसी प्रस्तावके पास होनेके पहले उसका सब तरहसे विरोध करना न्यायसंगत है और कभी-कभी कर्त्तव्य-रूप भी होता है। पर उसके पास हो जानेके बाद दलीलकी गुंजाइश नहीं हो सकती। उस समय सदस्योंका एकमात्र यही कर्त्तव्य है कि या तो वे उसका तन-मनसे पालन करें या इस्तीफा देकर अलग हो जायें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २८-८-१९२४

Gandhi Heritage Portal

३५. दक्षिण भारतके बाढ़-पीड़ितोंको सहायता

दक्षिण भारतके पीड़ितोंकी ओरसे निकाली गई अपीलके प्रति लोग लगातार बहुत अच्छा उत्साह दिखा रहे हैं। प्रतिदिन नकद और कपड़े आ रहे हैं और उनका ढेर लगता जा रहा है। किन्तु सबसे अधिक सन्तोषजनक बात यह है कि गरीब लोग बड़ी तत्परतासे सहायताके लिए आगे आ रहे हैं। अछूत लोगोंने भी आगे बढ़कर उदारतापूर्वक सहायता दी है। मेरे सामने एक हृदयस्पर्शी पत्र पड़ा हुआ है। इसमें एक पूरे परिवारने विशेष रूपसे आत्म-त्याग करके बचाया हुआ धन भेजा है। प्रोप-राइटरी हाईस्कूलके अध्यापकों तथा छात्रोंने ७२० रुपये भेजे हैं। महाविद्यालयने ५०० रुपये इकट्ठे किये हैं, जिसमें से उन्होंने वस्त्रहीन लोगोंके लिए २०० रुपयेका खद्दर खरीदा है। मुझे विश्वास है कि इस प्रकारके दानके बारेमें जानकारी प्राप्त करके हमारे पीड़ित देशभाइयोंको सच्ची सान्त्वना प्राप्त होगी। मुझे आशा है, कार्यकर्त्ता इस बातको याद रखेंगे कि प्रकृतिने मुसलमान और हिन्दू, ईसाई और यहूदी किसीके बीच कोई भेद नहीं किया है, इसलिए वे भी अपने-अपने संगठनोंके जरिये सहायता भेजते समय इस प्रकारका कोई भेद-भाव नहीं बरतेंगे। किन्तु यदि वे सहायताको अपने ही सम्प्रदायतक सीमित रखेंगे तो यह असह्य होगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २८-८-१९२४

३६. भाषण: बम्बई-निगमके अभिनन्दनके उत्तरमें

२९ अगस्त, १९२४

निगमके अध्यक्ष महोदय, सदस्यगण, भाइयो और बहनो,

मैं आप लोगोंके सम्मुख पहले अपनी मातृभाषामें बोला। मैं इसके लिए माफी माँगनेकी जरूरत नहीं समझता। परन्तु बम्बई विभिन्न लोगोंका निवास-स्थान है, इस-लिए मुझे अपने उत्तरका आशय अंग्रेजीमें भी बताना चाहिए।

इस अभिनन्दन-पत्र[1] और इसमें प्रकट किये गये भावोंके लिए मैं आपको धन्य-वाद देता हूँ। आपने मेरी मानव-जातिके प्रति की गई सेवाओंका विशेष रूपसे उल्लेख किया है। मेरे लिए मानव या प्राणिमात्रकी सेवा धर्म बन गई है और मैं इस धर्म और राजनीतिमें अन्तर नहीं करता। मैं अवश्य ही राजनीतिसे सर्वथा पृथक्, पूर्ण सेवाके जीवनकी कल्पना नहीं कर सकता। मैं अपने प्रयोगोंसे यह साबित करनेका

१. यह सर कावसजी जहाँगीर भवनमें गांधीजीके रोगमुक्त होनेपर सन्तोष प्रकट करनेके लिए बुलाई गई सभामें दिया गया था और इसमें उनकी अमूल्य सेवाओंका उल्लेख था।

Gandhi Heritage Portal

प्रयत्न कर रहा हूँ कि राजनीति धर्मके बिना एक भयानक मनोविनोद या क्रीड़ा-मात्र है, जिसका परिणाम उसमें रत व्यक्तियों और राष्ट्रोंके लिए अहितकर ही होता है।

मगर मैं देखता हूँ कि अपने राजनीतिक जीवनमें ऊपर बताये गये धर्मको शामिल करनेके मेरे प्रयत्नसे मेरे कुछ परम मित्रों और साथियोंको डर लग रहा है। मेरे लिए एक ओर कुआँ और दूसरी ओर खाई है। जहाँ ये मित्र राजनीतिको धर्मके रूपमें चलानेके मेरे प्रयत्नसे डरते हैं वहाँ एक दूसरा दल चाहता है कि अपना कार्य-क्षेत्र उन्हीं कामोंतक सीमित रखूँ जिन्हें वह सामाजिक सेवा समझता है, किन्तु यदि मुझे अपने उद्देश्यपर विश्वास है तो मुझे अपने मार्गपर अडिग रहना चाहिए। मेरा विश्वास है कि वह समय तेजीसे पास आ रहा है जब राजनीतिज्ञ मानवताके धर्मसे डरना बन्द कर देंगे और मानव-हितवादियोंको राजनीतिक जीवनमें स्थान मिलेगा जो पूर्ण सेवाके लिए अनिवार्य है। मैं इसी कारण तो सारे भारतका आह्वान कर रहा हूँ कि वह चरखे और खद्दरके सन्देशको अपनाये और हिन्दू, मुसलमान, पारसी, क्रिस्तान, यहूदी आदि जातियोंमें, जो व्यर्थ ही यह सोचती हैं कि एकका ईश्वर दूसरेके ईश्वरसे अलग है, हार्दिक एकता स्थापित करें। मैं इसी कारण यह भी अनुभव करता हूँ कि हिन्दुओंका जन्मके कारण किसी स्त्री या पुरुषको अछूत मानना अधर्म है। ये कार्य मेरी समझमें जितने उच्च प्रकारके मानव-हितके कार्य हैं उतने ही राजनीतिक कार्य भी हैं। अतः आपके मानपत्रके लिए धन्यवाद देनेका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि मैं आपका आह्वान करूँ कि आप इस काममें मेरा साथ दें और मेरी सहायता करें और भारतमें अपना प्रधान निगम कहलाना सार्थक करें।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ३०-८-१९२४

३७. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

बम्बई

३० अगस्त, १९२४

प्रिय मोतीलालजी,

श्रीमती नायडूने मेरे नाम लिखा आपका पत्र[1] मुझे कल दिया। मूल पत्र अबतक साबरमती पहुँच गया होगा। पिछले दोनों पत्रोंमें[2] मैं पूरा, अर्थात् जितना कर सकता था उतना, समर्पण कर चुका हूँ। . . .

इसलिए अब तो आप मुझसे लगभग अपनी ही शर्तोंपर अपनी बात मनवा सकते हैं। "लगभग" इसलिए कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं अपने जीवन और दुनियाके सभी सम्बन्धोंसे ज्यादा महत्त्व देता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे कुछ चीजें

१. २५ अगस्त, १९२४ का।

२. देखिए खण्ड २४, पृष्ठ ५४१-४२ तथा ५८९-९०।

Gandhi Heritage Portal

इच्छापूर्वक और पूरे हृदयसे, अर्थात् यह मानते हुए कि यह देना ठीक है, दें तो मैं यह चाहता हूँ :

हमारे प्रस्तावमें —

(१) विधान सभाओंके बहिष्कार-सहित पूर्ण असहयोगकी नीति और सिद्धान्तमें कांग्रेसका विश्वास दुहराया जाये;

(२) लेकिन १९२५ के अन्ततक विदेशी कपड़ेके अलावा और सभी चीजोंसे सम्बन्धित बहिष्कार स्थगित कर दिया जाये;

(३) हर आदमीको कांग्रेसमें शामिल होनेको आमन्त्रित किया जाये;

(४) साम्राज्यके मालके बहिष्कारकी बातको शामिल न किया जाये;

(५) और कांग्रेसके कामको सिर्फ हाथ-कताई और हाथ-बुनी खादी, हिन्दू-मुस्लिम एकता और हिन्दुओं द्वारा अस्पृश्यता निवारणतक ही सीमित रखा जाये।

इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेसियोंके रूपमें कांग्रेसियोंका कौंसिलोंसे या बहिष्कारसे कोई सम्बन्ध नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर चाहें तो वे कौंसिलोंमें काम करने और जो दूसरे काम कांग्रेसकी नीतिके विरुद्ध न हों उन्हें करनेके लिए अपना स्वतन्त्र संगठन बना सकते हैं। अतः कौंसिलोंके बहिष्कार या इस प्रस्तावके अनुसार स्थगित दूसरे बहिष्कारोंको लागू करनेके लिए कोई संगठन नहीं हो सकता। वर्तमान राष्ट्रीय स्कूलोंको सहायता मिलती रहनी चाहिए और जहाँ सम्भव हो, नये स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन उनका सरकारसे कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए।

चार आनेकी सदस्यताको समाप्त कर देना चाहिए और उसके स्थानपर जो भी आदमी कांग्रेसका सदस्य बने वह खादी पहने और हर महीने सदस्यताकी शर्तके रूपमें अपने हाथका कता कमसे-कम २,००० गज सूत दे। अलबत्ता वह चाहे तो पूरे वर्षका सूत एक ही साथ दे सकता है।

कांग्रेसको सच्ची और जीवन्त संस्था बनानेका मैं और कोई उपाय नहीं देखता और चरखेके सिवा भारतके गरीबोंके लिए और कोई आशा भी दिखाई नहीं देती और जबतक हम खुद कताई नहीं करेंगे तबतक उनको प्रेरणा भी नहीं दे सकते।

संविधानमें मैं दूसरे परिवर्तन भी सुझाना चाहता हूँ, लेकिन अभी उनकी चर्चा करनेकी जरूरत नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ यह है कि काम प्रभावशाली ढंगसे और वेगसे चले। हमें एक ऐसी घोषणा करनी चाहिए कि कार्य-समितियोंको कार्यकारिणी संस्था माना जाये और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको विचारकर्तृ संस्था माना जाये तथा कमेटीमें सिर्फ वही लोग हों जो कांग्रेसके सम्पूर्ण कार्यक्रमको पूरा करनेके लिए वचनबद्ध हों। लेकिन मेरे प्रस्तावके अधीन कार्य-समितिमें चुने जानेका जितना अधिकार मुझे है उतना ही आपको भी होगा। मेरे कहनेका मतलब यह है कि यदि चार बहिष्कार स्थगित कर दिये जाते हैं तो कौंसिल-प्रवेश या अदालतमें वकालत करना अपने-आपमें इसके लिए प्रतिबन्धक नहीं रह जाता। वास्तवमें किसी भी व्यस्त वकील या कौंसिल-सदस्यके लिए कार्य-समितिमें आना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके सदस्योंसे कांग्रेस-कार्यक्रमकी तीनों बातोंके लिए पूरा समय देनेकी अपेक्षा की जायेगी।

Gandhi Heritage Portal

मेरी योजनामें फिर बंगालके पक्षमें कोई अपवाद[1] करनेका कारण नहीं रह जाता। स्वराज्यवादी दलके लोग कांग्रेसकी ओरसे बिना किसी बाधाके अपने-आपको हर प्रान्तमें संगठित कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस-संगठनका तो हर जगह एक ही कार्य-क्रम होना चाहिए। इस प्रकार श्री दास[2] कांग्रेस-संगठनको स्वराज्य-संगठनके रूपमें बदल सकते हैं और वे स्वयं एक ऐसा कांग्रेस-संगठन भी बना सकते हैं तथा दूसरोंको बनाने दे सकते हैं जो केवल उक्त तीन काम ही करेगा। उद्देश्य यह है: कांग्रेस-संगठन दूसरे संगठनोंको न तो सहायता देगा न उनके रास्तेमें बाधा डालेगा, लेकिन दूसरे सभी संगठनोंको, अगर उनके सदस्य कांग्रेसी हों तो, कांग्रेस-कार्यक्रममें सहायता देनी चाहिए। उसी प्रकार जो कांग्रेसी बहुत-सी दूसरी चीजोंमें विश्वास रखते हैं वे, यदि कांग्रेसने उनका निषेध नहीं किया है तो, अपनी इन दूसरी गति-विधियोंके लिए दूसरे संगठनोंमें शामिल हो सकते हैं।

जहाँतक मैं देख सकता हूँ, व्यावहारिक दृष्टिसे तो सिर्फ सदस्यताकी योग्यताएँ ही बाधा बन सकती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अगर हम सभी लोग आर्थिक आव-श्यकताके रूपमें भी खादीमें विश्वास करें तो मेरी बातको स्वीकार करना जरूरी है।

आप देखेंगे कि जैसे-जैसे मेरे मनमें विचार आते गये हैं वैसे-वैसे मैं लिखता गया हूँ। आप जो निर्णय करेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं तो आपकी मर्जीपर ही निर्भर रहना चाहता हूँ। मैं अब इस पारिवारिक विवादको समाप्त कर देना चाहता हूँ।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०१४०) की फोटो-नकलसे।

३८. वक्तव्य: राष्ट्रीय एकताके बारेमें[3]

३१ अगस्त, १९२४

मैंने निश्चय किया है कि बेलगाँव कांग्रेसके समय या उससे पहले मेरी ओरसे ऐसा कोई विरोध नहीं होना चाहिए जिससे कि देश दो दलोंमें बँट जाये। मैंने पण्डित मोतीलाल नेहरूसे कह दिया है कि मेरा भाव तो सम्पूर्ण समर्पणका है, क्योंकि हमारी दशा एक ऐसे घरकी-सी हो गई है जिसके सदस्य आपसमें ही लड़नेमें लग गये हैं। हमें मनसे सारा क्रोध और द्वेष-भाव दूर करके इस दशासे अपना उद्धार करनेके लिए भगीरथ प्रयत्न करना चाहिए और तब हमारा देश न केवल अपने कल्याणके लिए बल्कि सारी मानवताके कल्याणके लिए काम कर सकेगा।

१. वैसा अपवाद, जैसा कि पं० मोतीलाल नेहरूने अपने पत्रमें सुझाया था।

२. देशबन्धु चित्तरंजन दास।

३. बॉम्बे क्रॉनिकलने यह वक्तव्य न्यू इंडियासे उद्धृत किया था; न्यू इंडियाके अनुसार वह ३१ अगस्तको दिया गया था और उसने उसे १ सितम्बरको प्रकाशित किया था।

Gandhi Heritage Portal

ऊपर जो-कुछ कहा गया है उसमें हम लोगोंके बीच हुए समझौतेका सारांश आ जाता है। अलबत्ता उल्लिखित 'समर्पण'के सम्बन्धमें कुछ तफसीलकी बातोंको उसमें छोड़ दिया गया है; इनका प्रकाशन, जिन कतिपय लोगोंसे इस विषयमें चर्चा करना जरूरी है उन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान करनेके लिए आमन्त्रित करनेके बाद, कर दिया जायेगा। इस समझौतेमें हम दोनोंकी वृत्ति यह रही है कि हम अपनी कार्य-पद्धतियोंकी तुलनामें अपने देशको कहीं ज्यादा प्रेम करते हैं और हम यह विश्वास करते हैं कि मानव-जातिकी प्रगतिके लिए भारतका स्वतन्त्र होना आवश्यक है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ६-९-१९२४

३९. भाषण : एक्सेलिसियर थियेटर, बम्बईमें[1]

३१ अगस्त, १९२४

आज यहाँ इतने व्याख्यान हुए हैं कि यदि सरोजिनी देवीकी सलाहके अनुसार मैं चुप ही रहूँ तो हर्ज नहीं। परन्तु इसमें एक कठिनाई है। मैं अपना हथियार घर रख आया हूँ। यदि उसे यहाँ लाया होता तो आपको पदार्थ-पाठ देकर कहता कि आप सब चरखा लेकर मेरी तरह सूत कातने लग जायें।

मुझे पता नहीं था कि सरोजिनी बहनसे मुझे आज जैसी नसीहत मिलेगी, या मेरे भाग्यमें इतने स्तुति-स्तोत्रोंको सुनना बदा होगा। मैं अपनी प्रशंसा सुन-सुनकर थक गया हूँ। आप निश्चित मानें कि प्रशंसा मुझे जरा भी नहीं सुहाती। पर यहाँ इस बारेमें अधिक नहीं कहना चाहता। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जिन्होंने मेरी प्रशंसा की है उनका मैं कृतज्ञ हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे श्री जयकरके कथनानुसार चुपचाप मुझे सहायता दें। यदि आप सबकी मूक सहायता मुझे मिलेगी तो मैं इस भारी जिम्मेदारीके कामका भार उठा सकूँगा।

कुछ और कहनेसे पहले मैं कुछ भाइयोंसे प्रायश्चित्त कराना चाहता हूँ। हम किसी सभामें जायें उसके पहले हमें सभाका शिष्टाचार सीख लेना चाहिए। सभामें जिसे निमन्त्रित किया गया हो उसके मनोभावको देखकर हमें उसके अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। यदि हम ऐसा न कर सकें तो बेहतर है कि हम वहाँ न जायें। दो-तीन भाइयोंने सभाके इस नियमको भंग किया है। भाई जमनादासने[2] जो-कुछ कहा वह अक्षरशः सच था। 'महात्मा'के नामपर अनेक वाहियात काम हुए हैं। मुझे 'महात्मा' शब्दमें से दुर्गन्ध आती है। फिर जब कोई इस बातका इसरार करता है कि मेरे लिए 'महात्मा' शब्दका ही प्रयोग किया जाये तब तो मुझे असह्य पीड़ा

१. यह भाषण पारसी राजकीय मण्डलकी ओरसे जयकरकी अध्यक्षतामें गांधीजीके सम्मानार्थ और मलाबार सहायता कोषके लिए धन-संग्रहके निमित्त की गई सभामें दिया गया था।

२. जमनादास द्वारकादास मेहता, होमरूल लीगके एक प्रमुख सदस्य।

Gandhi Heritage Portal

होती है और मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता। यदि मैं यह न जानता होता कि मैं ज्यों-ज्यों 'महात्मा' शब्दका प्रयोग न करनेपर जोर देता हूँ त्यों-त्यों उसका प्रयोग अधिकाधिक होता है तो मैं जरूर लोगोंसे स्पष्ट 'ना' कह देता। आश्रममें, जहाँ मैं जीवन यापन करता हूँ, बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों, सभीको आज्ञा है कि वे 'महात्मा' शब्दका प्रयोग न करें। किसीको पत्र लिखें तो भी मेरा उल्लेख 'महात्मा' शब्दसे न करें, सिर्फ गांधी या गांधीजी कहा करें। जिन लोगोंने भाई जमनादासको रोका है उन्होंने मेरे प्रति अशिष्टता की है, शान्ति भंग की है। हमारा संग्राम शान्तिमय है। शिष्टताके बिना शान्ति कैसे हो सकती है? विनयहीन शान्ति, जड़ शान्ति होगी। हम तो चैतन्यके पुजारी हैं और चैतन्यमय शान्तिमें विवेक और विनय जरूर रहते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि जिन लोगोंने जमनादासजीके भाषणमें रोकटोक की है वे सब उनसे माफी माँगें। जमनादासजीने तो मेरी बड़ी स्तुति की है। परन्तु अगर उन्होंने यह भी कहा होता कि गांधीके बराबर दुःखदायी मनुष्य कोई भी नहीं है——और जो ऐसा मानता हो उसे ऐसा कहनेका पूरा अधिकार है——तो भी उसे रोकनेका अधिकार किसीको नहीं हो सकता। हमें उसके भाषणको शिष्टतापूर्वक सुनना चाहिए।

इतनी बात सुनते ही एक सज्जनने सामनेकी पहली गैलरीमें खड़े होकर प्रणाम करके सिर नवाया। गांधीजीने कहा:

इतना काफी है। किन्तु अभी एक-दो सज्जन ऊपर भी हैं। क्या वे माफी न माँगेंगे? मैं कहता हूँ कि जो माफी नहीं माँगेंगे वे स्वराज्य लेनेके अयोग्य हैं।

सभामें से भी 'खड़े हो जाओ', 'माफी माँगो' की आवाजें आईं। इसपर दो सज्जनोंने खड़े होकर माफी माँगी। गांधीजीको शांति मिली और जब उन्होंने फिर बोलना आरम्भ किया तब शेष एक सज्जनने भी खड़े होकर माफी माँग ली।

अच्छा, अब कोई ऐसा कुसूर न करे। जितने मनुष्य उतने मत हुआ करते हैं। यदि हम एक-दूसरेके विचारोंको बरदाश्त न करेंगे तो कैसे काम चल सकता है? आज हिन्दू मुसलमानको सहन नहीं कर सकते और मुसलमान हिन्दुओंको सहन नहीं करते और मन्दिरोंको तोड़ते हैं। यदि दोनों सहिष्णुताका पाठ सीख लें तो तमाम झगड़े बन्द हो जायें। सब लोगोंको अपने जीवनमें सर्वत्र सहिष्णुताका व्यवहार करना चाहिए। एक बार जहाँ उसका प्रचार हुआ कि फिर हिन्दू-मुसलमान और पारसी सब एक-दूसरेके विरोधको सहन करेंगे। हमारी प्रगतिमें बाधक सबसे बड़ी वस्तु असहिष्णुता है। मैं इस स्थितिको दूर करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, कोई महापुरुष नहीं। यदि महापुरुष होता तो इस असहिष्णुताको रोक देता। अभी मुझमें शुद्धता, प्रेम, विनय और विवेककी कमी है; नहीं तो आपको मेरी आँखों और जिह्वामें ऐसी शक्ति दिखाई देती कि आप क्षण-भरमें समझ जाते कि शान्तिमय असहयोगका तरीका यह नहीं है। मैं तो आपसे कह चुका हूँ कि डायर हमारा शत्रु नहीं है। ओ'डायर भी हमारा शत्रु नहीं है। उन्हें आप अपना शत्रु न मानें। भले ही उन्होंने शत्रुओंके समान काम किया होगा, फिर भी आप उनपर

Gandhi Heritage Portal

दयाभाव रखें। यदि हम उन तकका तिरस्कार नहीं कर सकते तो फिर जमनादासजी-का तिरस्कार किस तरह कर सकते हैं? हमारे यहाँ जब कोई अतिथि आता है तब हम अपने घरके लोगों और इष्ट-मित्रोंको दूर बैठाकर उसे आसनपर बिठाते हैं। यदि जमनादास हमारे विरोधी हों तो भी वे हमारे अतिथि हैं। अतः हम उनका तिरस्कार नहीं कर सकते और अगर वे हमारे भाई ही हैं तब तो उनका तिरस्कार करनेकी कोई बात ही नहीं।

आप लोगोंने जमनादासजीका जो अपमान किया, इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ था। परन्तु आपके अत्यन्त नम्रताके साथ माफी माँग लेनेसे वह दुःख सुखके रूपमें बदल गया है और यह मुझे बहुत अच्छा लगा है। जिन लोगोंने माफी माँगी है उनका तो कल्याण होगा ही, किन्तु हमारा भी कल्याण होगा जो इस दृश्यके साक्षी हैं। मैं यहाँ विधान सभाकी चर्चा नहीं छेड़ना चाहता। किन्तु भाई जयकरसे माफी माँगकर विनयपूर्वक इतना तो अवश्य कहूँगा कि ऐसे दृश्य हमें विधान सभाओंमें नहीं दिखाई दे सकते। इस प्रायश्चित्तमें मुझे सच्चे स्वराज्यकी जड़ दिखाई देती है।

श्री देवधरने[1] यदि मलाबारका जिक्र न किया होता तो भी हर्ज न था, क्योंकि आज हम मलाबारके भाई-बहनोंके प्रति आदर-भाव प्रदर्शित करनेके लिए ही एकत्र हुए हैं। आप लोगोंने तो यथाशक्ति टिकट खरीदकर उनके लिए धन-संग्रह किया है। श्री देवधरके भाषणका दुहरा हेतु था। उन्होंने इसके अलावा आपसे निःस्वार्थ सेवा भी माँगी है। और मैं इससे सहमत हूँ। 'नवजीवन' और 'यंग इंडिया' के पाठकोंको मालूम है कि मैं तो बच्चोंसे भी कहता हूँ कि जब हमारे सगे भाई-बहन भूखे हों तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उन्हें अपने कपड़े और खानेमें से कुछ हिस्सा न दोगे? तुम कम खाना खाओ, कम कपड़े पहनो और बचतकी रकम मलाबारके लोगोंकी सहायताके लिए दो। मैं इस तरहका दान आपसे माँगता हूँ। मुझसे बार-बार यह सवाल पूछा जाता है कि इस दानका सद्व्यय होता है या नहीं? यह टीका उचित भी है और अनुचित भी। जहाँ श्री देवधर हों वहाँ अप्रामाणिकता हो ही नहीं सकती। कितनी ही बातोंमें इनके और मेरे विचारोंमें जमीन-आसमानका अन्तर है। इनके कितने ही विचार मुझे पसन्द नहीं हैं। परन्तु इनकी पवित्रताके सम्बन्धमें मुझे जरा भी शक नहीं। मैं जब-जब इनकी गरीब कुटियामें जाता हूँ तब-तब मुझे मालूम होता है कि इसमें आत्माका वास है। ये जंगलोंमें घूमते हैं, धूप-छाँहकी परवाह नहीं करते और खराब आबोहवाको सहन करते हैं — यह सब महज शुद्ध सेवाके लिए। अतः हमें इनके काममें सहायता क्यों न देनी चाहिए?

हाँ, यदि ये चरखेके खिलाफ कुछ कहें तो मैं कहता हूँ, आप इनकी बात बिलकुल न सुनें।

हिन्दुस्तान मुझसे कुछ आशा करता है। वह समझता है कि मैं बेलगाँवमें कोई ऐसा रास्ता बताऊँगा जिससे हम सब एकमत हो जायेंगे अथवा विरोधी विचारोंको

१. जी० के० देवधर (१८७१-१९३५); भारत सेवक समाज (सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी) के सदस्य तथा बादमें उसके अध्यक्ष।

Gandhi Heritage Portal

सहन करने लगेंगे। मैं अपने आपको धोखा नहीं दे सकता। अपनी तारीफ सुनकर मैं यह नहीं मान लेता कि मैं उस तारीफके लायक हूँ। मेरी स्तुतिका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि अभी मुझसे अधिक आशा रखी जाती है — अधिक प्रेमकी, अधिक त्यागकी, अधिक सेवाकी आशा की जाती है। परन्तु मैं यह किस तरह कर सकूँगा? मेरा शरीर अब कमजोर पड़ गया है। इसका कारण है मेरे पाप। बिना पाप किये मनुष्य रोगी नहीं होता। ईश्वरने हमें शरीर नीरोग रखनेके लिए दिया है। पापका मतलब है कुदरतके नियमोंका जान व अनजानमें उल्लंघन। अनजानमें भी राज्यके कानूनका उल्लंघन करनेपर दण्ड मिलता है। फिर प्रकृतिके कानूनको भंग करनेका परिणाम दूसरा कैसे हो सकता है? चोरको माफी नहीं मिल सकती। हाँ, यदि अपराध अनजानमें हुआ हो तो सजा कुछ कम मिलती है। इसके अलावा और कोई भेद नहीं है। मैं जो बीमार हुआ उसका कारण मेरा ऐसा कोई पाप ही है और जबतक मेरे हाथों ऐसे पाप जानमें या अनजानमें होते रहेंगे तबतक समझना चाहिए कि मैं अपूर्ण मनुष्य हूँ। अपूर्ण मनुष्य पूर्ण सलाह कैसे दे सकता है? इससे मैं उलझनमें पड़ा हुआ हूँ।

तिसपर भी मेरे पास दूसरा कोई साधन नहीं है। मेरे पास बस एक ही साधन है — सत्याग्रह। अबतक मैंने सत्याग्रहका भीषण स्वरूप देशके सामने रखा है। अब मैं उसका शान्त, मधुर और गम्भीर स्वरूप रखना चाहता हूँ। यदि उसपर आचरण किया जाये तो फिर जय ही जय है। मैं मानता हूँ कि मुझे सत्याग्रह-शास्त्र पूरी तरह ज्ञात है। मुझे बराबर यह भय बना रहता है कि आजकी हालतमें भारत सत्याग्रहके उग्र स्वरूपको निभा न सकेगा। यदि हम समझदारीके साथ शान्त स्वरूपपर अमल करेंगे तो हम बेलगाँवके कांग्रेस अधिवेशनसे पहले बहुत-सा काम कर सकेंगे। इसमें सहयोगी, असहयोगी, कट्टर अपरिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी, स्वराज्यवादी, उदारदलीय, कनवेन्शनवादी, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई और यहूदी सब शामिल हो सकते हैं। सत्याग्रहका अर्थ केवल सविनय अवज्ञा ही नहीं है।

मैंने कल ही पण्डित मोतीलालजीको कई सुझाव भेजे हैं। पण्डितजीसे मेरी कितनी घनिष्ठता है, यह बात सब लोग जानते हैं। मैंने पत्रमें उनके सम्मुख अपना सारा हृदय खोलकर रख दिया है, क्योंकि यदि मैं उन्हें समझा सका तो औरोंको भी समझा सकूँगा। विदुषी बेसेंट कल मुझसे मिलने आई थीं। मैंने उनसे भी यही बातें कही थीं। विदुषी बेसेंटकी उम्र कहाँ? उनका अनुभव कहाँ? उनके सामने तो मैं एक बालक-सा हूँ। मैंने उनके सामने उसी तरह अपनी बात पेश की जिस तरह बच्चा माँके सामने करता है। इतनी ही नम्रतासे मैं अपने विचार श्री शास्त्रीजीके[1] सामने पेश करूँगा। मैं अंग्रेजोंसे भी यही बात करूँगा। यदि सब लोगोंकी समझमें यह बात आ जाये तो हमें तुरन्त इसका लाभ मिल सकता है। मैं यहाँ तफसीलमें नहीं जाना चाहता। किन्तु आप इतना जरूर समझ जायेंगे कि इसमें चरखा अवश्य ही शामिल था। मेरी तमाम योजनाओंके किसी-न-किसी कोनेमें चरखा जरूर होता

१. वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री।

Gandhi Heritage Portal

है। इसके बिना न मैं जी सकता हूँ और न भारत ही जी सकता है। मुझे तो लगता है कि ऐसा समय आ रहा है जब इसके बिना आपका भी काम न चल सकेगा।

आप मुझे 'महात्मा' मानते हैं। इसका कारण न तो मेरा सत्य है और न मेरी अहिंसावृत्ति; बल्कि इसका कारण दीन-दुखियोंके प्रति मेरा अगाध प्रेम है। चाहे कुछ भी हो जाये, पर मैं इन फटेहाल नरकंकालोंको नहीं भूल सकता, नहीं छोड़ सकता। इसीसे आप समझते हैं कि गांधी कुछ कामका आदमी है। इसलिए मैं अपने प्रेमियों, रतनशी, जमनादास, पिक्थॉल, जयकर सबसे कहता हूँ, आप यदि मेरे प्रति प्रेम-भाव रखते हैं तो ऐसी कोशिश करें कि देहातके लोग जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ, अन्न-वस्त्रके बिना न रहें। आप इन दीन-दुखियोंको भजें, उनकी सेवा करें। किस तरह भजें सो मैं बताता हूँ। आप झूठ-मूठको उनके नामकी माला न फेरें। जो झूठ-मूठको माला फेरकर भजेगा उसे मुक्ति कभी नहीं मिलेगी; उलटे उसकी अधोगति होगी; क्योंकि वह ऊपरसे माला फेरते हुए भी मन-ही-मनमें सानपर छुरी ही धरता है। मैं मानता हूँ कि चरखा चलाते हुए भी मेरे मनमें मलिनता होना सम्भव है। परन्तु मैं मलिनता होते हुए भी कातनेके बाह्य फलसे तो वंचित नहीं रह सकता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ईश्वर या खुदाका नाम लेकर मैं भारतके गरीब बच्चोंके लिए चरखा कातता हूँ और आपसे भी ऐसा ही करनेकी प्रार्थना करता हूँ। हो सकता है कि इसमें मेरी भूल हो। भविष्यमें शायद अर्थशास्त्री बतायेंगे कि इसमें भूल थी, परन्तु वे कबूल करेंगे कि इस भूलसे भी लाभ ही हुआ है; क्योंकि उससे थोड़ा-बहुत सूत तो मिला और देशमें कपड़ेकी बढ़ोतरी हुई। आप मुझे सर दिनशा वाछाका[1] शिष्य ही समझें। उन्होंने बताया कि भारतमें फी आदमी १३.५ गज कपड़ेकी दरकार है; परन्तु मिलता है सिर्फ ९.५ गज ही। अर्थात् फी आदमी ४ गज कपड़ा और तैयार करनेकी जरूरत है। यदि आप हर रोज १०० गज सूत कातेंगे तो उससे सूतका कितना बड़ा ढेर लग जायेगा। 'बहुतसे धागोंसे रस्सी बनती है' इस कहावतमें तथ्य है। यदि हम सब मिलकर सूत कातेंगे उससे हिन्दुस्तानको ढक सकेंगे और बाँध सकेंगे। मुझे तो अटल विश्वास है कि यदि आप एक बार कातने लगेंगे तो कहेंगे कि गांधी ठीक कहता था।

मुझे इस बातपर विश्वास है कि मेरे प्रति आपका जो प्रेम है उसका कारण इसके सिवाय और कुछ नहीं है कि मैंने दीन-दुखियोंके साथ तादात्म्य कर लिया है। मैं भंगीके साथ भंगी हो सकता हूँ और ढेढ़के साथ ढेढ़ होकर उसका काम कर सकता हूँ। यदि इस जन्ममें अस्पृश्यता न मिटे और मुझे दूसरा जन्म लेना पड़े तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जन्म भंगीके ही घरमें हो। यदि अस्पृश्यता कायम रहे और मेरे लिए हिन्दू धर्म छोड़ना सम्भव हो तो मैं उसे जरूर छोड़ दूँगा और कलमा पढ़ लूँगा या बपतिस्मा ले लूँगा। परन्तु मुझे तो अपने धर्मपर इतनी श्रद्धा है कि मुझे उसीमें जीना और उसीमें मरना है। सो इसके लिए भी यदि फिर जन्म लेना पड़े तो मैं भंगीके

१. दिनशा ईदुलजी वाछा (१८४४-१९३६); पारसी राजनीतिज्ञ; १९०१ के कांग्रेस अधिवेशनके अध्यक्ष।

Gandhi Heritage Portal

ही घरमें जन्म लूँगा। इसी कारण मैं कहता हूँ कि यदि भंगियों, ढेढ़ों और उड़ीसाके कंगालोंपर आपको दया आती हो तो आप विलायती कपड़े और मिलोंके कपड़ेको भूल जायें और उन गरीबों द्वारा कता और ढेढ़ों द्वारा बुना कपड़ा पहनें। वे हमें हमारी आवश्यकताके अनुसार कपड़ा किस तरह दे सकते हैं? वे तो भयभीत लोग हैं। काठियावाड़की कितनी ही कंगाल बहनोंको एक-दो आने रोज भी नहीं मिलते। उन्हें जब चरखे दिये गये तब कुछ पैसे मिलने लगे थे। आज उनके चरखे बन्द हो गये हैं। इसलिए वे दो-चार पैसोंके लिए रोती हैं। ऐसी बहनें बहुत हैं। यदि मैं इन बहनोंसे यह कह सकूँ कि जयकर कातते हैं, सरोजिनी कातती हैं, श्रीमती बेसेंट कातती हैं, दादाभाईकी[1] पौत्री कातती हैं और शास्त्रीजी कातते हैं, तो फिर उनके पास जाते हुए और उनसे फिर चरखा चलानेके लिए कहते हुए मुझे शर्म न लगेगी।

मैं हिन्दुस्तानमें सदाव्रत नहीं खोलना चाहता। मैं तो सदाव्रतोंको बन्द कराना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि सदाव्रत हमारे माथेपर कलंक हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब स्वावलम्बी बन जायें। मैं इन बहनोंको चार पैसे मुफ्त नहीं दिलाना चाहता। मैं तो उन्हें केवल स्वावलम्बी बनाना चाहता हूँ। यदि आप इन बहनोंको, दूसरे गरीबोंको और ढेढ़ भंगीको भी स्वावलम्बी बनाना चाहते हों तो आप यह यज्ञ शुरू करें। हरएक शख्स अपने हाथसे कता हुआ २,००० गज सूत दे। फिर मैं एक सालमें ही स्वराज्य दिला दूँगा।

लेकिन आप याद रखें, मैं मीआदका वादा नहीं करता। अकेले आप कातेंगे तो स्वराज्य मिल जायेगा, यह नहीं कहता। लेकिन सब कातेंगे तो स्वराज्य मिल जायेगा, यह अवश्य कहता हूँ। यदि आप कातेंगे तो यकीनन दूसरोंसे भी सूत कतवा सकेंगे। भगवद्गीतामें कहा गया है 'यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः।' श्रेष्ठ पुरुषोंके बरतावके अनुसार ही दूसरे लोग भी चलते हैं। कहा जाता है कि इंग्लैंडके युवराज जब अपनी पोशाकका प्रकार बदलते हैं तो दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करते हैं। आप लोग तो हिन्दुस्तानकी नाक समझे जाते हैं अथवा आप चाहते हैं कि आप वैसे समझे जायें। आप यदि सूत कातना शुरू कर देंगे तो क्या दूसरे वैसा नहीं करेंगे?

लेकिन इस बातको भी मैं छोड़ देता हूँ। आप लोगोंके सूत कातनेसे स्वराज्य मिले या न मिले; किन्तु मैं आप लोगोंसे इतनी भिक्षा जरूर माँगता हूँ कि यदि आपके हृदयमें भिखारियोंके प्रति कुछ भी दया हो तो उस दयाभावसे प्रेरित होकर ही आप उनके लिए सूत कातें। आप भिखारियोंके साथ एक हो जायें, आप उनसे अपना तादात्म्य करें। मीराबाईने तो कहा है:

सूतरने तांतणे मने हरिजीए बाँधी,
जेम ताणे तेम तेमनी रे,
मने लागी कटारी प्रेमनी रे।[2]

१. दादाभाई नौरोजी।

२. मुझे हरिने सूतके धागेसे बाँध लिया है। वह मुझे जैसे नचाता है, मैं वैसे ही नाचती हूँ। मुझे हरिके प्रेमकी कटारी लग गई है।

Gandhi Heritage Portal

यदि अपने करोड़ों भाई-बहनोंके प्रति हमारा ऐसा प्रेम हो तो हम उन्हें और वे हमको सूतके तारसे बाँध लेंगे। मैं तो यही अर्थशास्त्र जानता हूँ, दूसरा नहीं।

एक और बात भी कह देता हूँ। आपने नागपुरके दंगेकी बात तो सुनी ही होगी। हिन्दुओंके मनमें मैल है; मुसलमानोंके मनमें भी मैल है। इस स्थितिमें मैं अपनी तीन बातोंके सिवा और क्या पेश कर सकता हूँ। आप सत्याग्रहके वर्तमान शान्तिमय प्रयोगमें इन तीन बातोंको जरूर देखेंगे। यदि आप सब इतनी बात याद रखेंगे तो मेरा खयाल है कि हम सब एक ही मंचपर खड़े हो सकेंगे। अदालत, विधान सभा इत्यादिके त्यागकी बातें अलग रखें। हम सब इनमें एक नहीं हो सकते लेकिन जितनी बातोंमें हमारा मेल हो सकता है उतनी बातोंमें तो हम सबको साथ-साथ ही रहना चाहिए।

गांधीजीने इसके बाद इन्हीं विचारोंको गुजराती न समझनेवाले लोगोंके लिए अंग्रेजीमें कहा। विचार तो वे ही थे किन्तु उनमें कुछ नवीनता भी थी।

मैंने गुजरातीमें अपने हृदयका सारा उफान निकाल दिया है। अब मैं इतना थक गया हूँ कि अधिक नहीं कह सकता। मैंने बहुत-सारी बातें कह दी हैं। उनका सार यही है कि मेरे स्वभावके दो रूप हैं: एक उग्र और दूसरा शान्त। उग्र या भयंकर रूपके कारण अनेक लोग मुझसे अलग हो गये हैं। इसके कारण मेरा अपनी पत्नी, अपने पुत्र और अपने स्वर्गीय भाईसे भी मतभेद हो गया था। दूसरे रूपमें तो लबालब प्रेम-ही-प्रेम है। पहले रूपमें प्रेमको खोजना पड़ता है। मुझ जैसे कठोर आत्मनिरीक्षक दूसरे कम ही होंगे। मुझे विश्वास है कि पहले रूपमें द्वेषकी गन्धतक नहीं है; परन्तु उसमें हिमालय-जैसी भयंकर भूलोंकी सम्भावना रहती है। किन्तु मनोविज्ञानके ज्ञाता आपको बतायेंगे कि दोनों का उत्पत्ति-स्थान एक ही है। अथाह प्रेम भीषण रूप धारण कर सकता है। यदि मैंने अपनी पत्नीको दुःख पहुँचाया है तो उससे मेरे दिलमें गहरा घाव हुआ है। यदि मैंने दक्षिण आफ्रिकामें अपने रात-दिनके साथी अंग्रेजोंको दुःख पहुँचाया है तो उनसे अधिक दुःख मुझे हुआ है। यदि मैंने अपने यहाँके कार्योंसे अंग्रेजोंका जी दुखाया है तो उनसे अधिक दुःख मेरे जीको हुआ है।

मैं अंग्रेजोंसे कहता हूँ, "तुमने हमें खूब चूसा है, आज भी चूस रहे हो, परन्तु तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम हमपर अत्याचार करते हो। तुम इसके लिए पछताओगे।" मुझे इंग्लैंडकी आँखें खोलनेके लिए अपना भयंकर रूप प्रकट करना पड़ा है। मैं ऐसा कहता हूँ तो इसका कारण यह नहीं कि मैं उन्हें कम चाहता हूँ बल्कि यह है कि मैं उन्हें स्वजनोंकी ही तरह चाहता हूँ। परन्तु अब मेरा वह भीषणरूप नहीं रहा है। मैंने पण्डित मोतीलालजीसे कहा है कि अब तो मुझमें लड़नेकी भावना ही नहीं रह गई है। मैं तो शरणागत हूँ। जब हमारे घरमें ही फूट फैली हुई है और कटुता और शत्रुता बढ़ रही है, तब दूसरा विचार ही कैसे हो सकता है? मुझे तो इस हालतको दुरुस्त करनेके लिए भगीरथ प्रयत्न करना होगा। मैं इस तरहका कोई विरोध नहीं करना चाहता जिससे बेलगाँवके अधिवेशनमें या उससे पहले देशमें फूट

Gandhi Heritage Portal

फैले। मैं मान लूँगा कि मैं हार गया। मैं झुक जाऊँगा और झुककर सबको एकत्र करनेकी आशा रखूँगा। ऐसा करते हुए जब भारत अपनी विस्मृत दशासे जगकर अपनी आजादी हासिल करेगा तब मानव-जातिको उससे सबक मिलेगा। मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ? मैं तो ईश्वरसे इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सत्पथ दिखा, यदि मेरे अन्दर राग, द्वेष या क्रोधका कुछ भी अंश छिपा हुआ रह गया हो तो उसे दूर कर और मुझे ऐसा कार्यक्रम सुझा, जिसमें सब लोग उत्साह और उमंगसे सम्मिलित हों।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ७-९-१९२४

४०. भाषण: बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें[1]

३१ अगस्त, १९२४

स्थिति ऐसी है कि जिन लोगोंको चरखेकी स्वराज्य प्राप्त करनेकी शक्तिके सम्बन्धमें शंका हो उन्हें प्रस्ताव पास होनेतक उसका विरोध करना चाहिए। किन्तु यदि वे बहुमतसे हार जायें तो उन्हें बहुमतके प्रस्तावका आदर करना चाहिए। लेकिन जिनका सिद्धान्त चरखा न चलाना ही हो उन्हें तो कांग्रेससे बाहर निकल जाना चाहिए; इसीमें न्याय है, विनय है और विवेक है।

अन्य सब शंकाओंका उत्तर मैं आज नहीं दूँगा। मैं सलाह-मशविरा कर रहा हूँ और आपको उनका उत्तर थोड़े समयमें मिल जायेगा। मेरी घड़ी बहुत तेज चलती है, आपकी धीमी चलती है। लेकिन मुझे तो आपको साथ लेकर दौड़ना है और मुझे आप स्वराज्यवादी या अपरिवर्तनवादी जो भी कहें, मैं तो कार्यदक्ष हूँ। इसलिए मैं कोई-न-कोई रास्ता अवश्य निकालूँगा। जबतक वह न निकले तबतक आप लोगोंको मेरी सलाह है कि आप सब सिर नवाकर सूत कातें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ७-९-१९२४

१. कताईके सम्बन्धमें अहमदाबादमें पास किये गये प्रस्तावकी आलोचनाके उत्तरमें।

Gandhi Heritage Portal

४१. पत्र : वाइकोम सत्याग्रह आश्रमके मन्त्रीको[1]

[१ सितम्बर, १९२४][2]

प्रिय मित्रो,

आपको तथा अन्य सभी मित्रोंको सूतकी बहुमूल्य भेंटके लिए धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर आपके प्रयत्नोंको सफल बनाये। आप अपने प्रयत्नमें मृत्यु-पर्यन्त लगे रहें।[3]

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ४-९-१९२४

४२. पत्र : शुएब कुरैशीको

१ सितम्बर, १९२४

प्रिय शुएब,

ऐसी उम्मीद किये था कि कल तुम्हारे साथ सावकाश लम्बी बातचीत करूँगा, लेकिन यह सम्भव नहीं हुआ।

कृष्टोदासका ध्यान रखना और तुम दोनोंके कल्याणकी चिन्ता ईश्वर करेगा।

रेल-किराया तुम मत देना; उसका भुगतान मेरे हिसाबमें से होने देना।

हाँ, इसका खयाल रखना कि तुम्हें किसी भी रूपमें हैदराबादके अधिकारियोंका प्रतिरोध नहीं करना है। हम जो जाँच करना चाह रहे हैं वह सार्वजनिक किस्मकी जाँच नहीं है। असलमें तो जाँच शब्दके मान्य अर्थमें वह जाँच ही नहीं है। उसका मतलब इतना ही है कि तुम मेरे लिए कुछ जानकारी इकट्ठी कर रहे हो।

जो भी दल तुम्हें अपनेसे मिलने दे, तुम उन सबसे मिलना — दोनों दलोंके अधिकारियों और वकीलोंसे भी। अगर फोटो ला सको तो अवश्य ले आना।

हरएक चीज देखने-सुननेके बाद, मेरा सुझाव है कि तुम्हारे मनपर जो छाप पड़ी हो उसके अनुसार तुम दोनों अलग-अलग अपने विवरण लिख डालना, फिर उनकी तुलना करना और तब दोनोंको स्वीकार्य विवरण या वक्तव्य तैयार करना।

कृष्टोदासका कहना है कि तुम कुछ खिन्न और उदास हो। ऐसा क्यों? ईश्वरमें तो तुम्हारा गहरा विश्वास है। वह तो अपनी सृष्टिके तुच्छतम प्राणीकी भी चिन्ता

१. आश्रमवासियों द्वारा भेजे गये सूतकी प्राप्ति सूचित करते हुए।

२. एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया द्वारा इसी तारीखको प्रकाशित किया गया था।

३. वाइकोम सत्याग्रहमें।

Gandhi Heritage Portal

करता है। तब फिर उन्हें क्यों चिन्ता करनी चाहिए? क्या यह बस नहीं है कि हम अपनी समझके अनुसार उसकी इच्छाका पालन करें और निश्चिन्त रहें।

तुम्हारा,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ५६००) की फोटो-नकलसे।

४३. पत्र : बम्बईके यातायात महाप्रबन्धकको

[१ सितम्बर, १९२४ या उसके पश्चात्]

महोदय,

अजमेरके यातायात प्रबन्धकने मुझे[1] सूचित किया है कि मेरा पिछले महीनेकी १८ तारीखका लिखा हुआ पत्र वहाँसे आपके कार्यालयको भेज दिया गया है। यदि जल्दी उत्तर भेजें तो आभार मानूंगा।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०१२०) की फोटो-नकल से।

४४. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

बम्बई
२ सितम्बर [१९२४]

प्रिय मोतीलालजी,

सुबह तड़के ही प्रार्थनोपरान्त मैं आपको पुनः पत्र लिख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा लम्बा पत्र आपको मिल गया होगा। आपसे एक तारकी[2] उम्मीद कर रहा हूँ। अपना वह पत्र मैं दोबारा पढ़कर सुधार नहीं सका था। उसके व्यक्तिगत हिस्सेमें मैंने क्या कहा था, शब्दशः याद नहीं है। श्रीमती नायडू इसे नहीं ही पढ़ पाईं, क्योंकि पत्र उनके पढ़ सकनेसे पहले ही डाकमें डाल दिया गया था। लेकिन कामकाजसे सम्बन्धित अंशको, जिसकी प्रति मेरे पास मौजूद है, उन्होंने तथा अन्य साथियोंने भी पढ़ा है।

पिछले पत्रकी तरह यह पत्र भी मैं जवाहरलालकी सिफारिश करनेके लिए ही लिख रहा हूँ। भारतमें बहुत अकेलापन महसूस करनेवाले जिन नौजवानोंसे मिलनेका मुझे मौका मिला है, वह उनमें से एक है। आपके मानसिक रूपसे उसका त्याग कर

१. २३ अगस्त, १९२४ के पत्रमें।
२. देखिए "तार : मोतीलाल नेहरूको", २-९-१९२४ या उसके पश्चात्‌की पाद-टिप्पणी।

Gandhi Heritage Portal

देनेके खयालसे मुझे बहुत दुःख होता है। शारीरिक त्यागकी बातको तो मैं असम्भव मानता हूँ। कहनेकी जरूरत नहीं कि जब मंजर अली और मैं यरवदा जेलमें थे तो आप लोगोंके विषयमें प्रायः बातचीत हुआ करती थी। एक बार उन्होंने यह कहा भी था कि अगर कोई एक वस्तु ऐसी है जिसके लिए आपका जीवन और वस्तुओंसे ज्यादा समर्पित है तो वह जवाहरलाल है। उनका यह कथन बहुत सत्य जान पड़ा। मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरहसे इस अद्‌भुत प्रेम-सम्बन्धमें बाधक नहीं बनना चाहता।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १०१४६) की फोटो-नकलसे।

४५. पत्र : एक मित्रको

[२ सितम्बर, १९२४][1]

परमप्रिय मित्र,

यद्यपि हम एक-दूसरेको कभी मुश्किलसे ही लिखते हैं और इसी तरह मुश्किलसे ही कभी मिलते हैं, फिर भी ऊपर आपके लिए मैंने अपने सम्बोधनमें जो-कुछ कहा है वह तो आप हैं ही।

देशमें इस समय जो घरेलू झगड़ा चल रहा है उससे मैं अब बहुत परेशान हो गया हूँ। इसीलिए मैंने हारकर पूरी तरह आत्म-समर्पण कर दिया है। अगर मुझे कांग्रेसमें रहनेके लिए सभी पुराने मित्रोंसे अलग होना पड़ेगा, तब तो मैं कांग्रेसमें नहीं रहना चाहता। मैंने श्रीमती बेसेंटसे बात की है। पण्डित मोतीलालजीसे मेरा पत्र-व्यवहार चल रहा है तथा अब मैं आपको लिख रहा हूँ। क्या एक चरखेको ही आप बराबर बाधा मानते रहेंगे? क्या आप भारतके गरीबों तथा पद-दलित लोगोंके हितके लिए खद्दर और चरखा नहीं अपनायेंगे? अगर आप सिद्धान्ततः इसके विरुद्ध न हों तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातपर गम्भीरतासे विचार करें।

आशा है कि आप सकुशल हैं। उत्तर साबरमतीके पतेपर भेजें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १०१४६ ए) की फोटो-नकलसे।

१. ऐसा लगता है कि यह पत्र पिछले पत्रके साथ ही लिखा गया था। दोनों एक ही कागजपर टाइप हुए हैं। लेकिन जिस व्यक्तिको यह पत्र लिखा गया, उसका नाम नहीं दिया गया है।

Gandhi Heritage Portal

४६. पत्र : कान्ति गांधीको

भाद्रपद सुदी ३ [२ सितम्बर, १९२४][1]

चि० कान्ति,[2]

मैंने तुम्हें पत्र लिखनेके लिए तो कहा नहीं था। तुम बहुत समझदार हो गये हो; इसलिए मुझे कहनेकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन तुम्हें मुझे अपने विचार तो जरूर बताने चाहिए। मुझे पत्र स्पष्ट और सुन्दर अक्षरोंमें लिखा करो। रसिककी[3] देखभाल करना और उससे पत्र लिखनेके लिए कहना। यहाँ अच्छी बारिश हुई है। दिल्लीके बारेमें अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है।

बापूके आशीर्वाद

चि० कान्ति
सत्याग्रहाश्रम
साबरमती

गुजराती पत्र (एस० एन० १०१४९) की फोटो-नकलसे।

४७. भाषण : नेशनल मैडिकल कालेज, बम्बईमें[4]

२ सितम्बर, १९२४

अपने छोटे-से भाषणमें महात्माजीने नेशनल मैडिकल कालेजकी सन्तोषजनक प्रगतिपर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब डा० साठयेने पहले-पहल ऐसी संस्था शुरू करनेके सम्बन्धमें मेरी सलाह माँगी थी तो मैं कुछ हिचकिचा रहा था; क्योंकि काम बहुत बड़ा और बहुत-सी कठिनाइयोंसे भरा हुआ था। लेकिन अब खुद यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरा डर निराधार था और इस संस्थाने शानदार प्रगतिकी है। मैं आशा करता हूँ कि डाक्टरी पेशेमें लगे प्रमुख लोग इसे मदद देते रहेंगे और बम्बईके धनाढ्य लोग इसकी मकान सम्बन्धी कठिनाई दूर कर देंगे तथा इसकी आर्थिक सहायता भी करेंगे। अन्तमें उन्होंने विद्यार्थियोंसे खादी पहननेका अनुरोध किया और राष्ट्रीय कर्त्तव्यके रूपमें रोज आधा घंटा कातनेको भी कहा।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, ३-९-१९२४

१. डाककी मुहरसे।
२ और ३. गांधीजीके सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधीके पुत्र।
४. कालेजके तृतीय स्थापना-दिवस समारोहके अवसरपर।

Gandhi Heritage Portal

४८. भाषण : कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें[1]

[२ सितम्बर, १९२४][2]

माण्डवीमें कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें बोलते हुए श्री गांधीने कहा कि कांग्रेसके दो दलोंको आपसमें लड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं स्वयं लड़ना नहीं चाहता और अपनी हार स्वीकार करता हूँ। यह भारतका दुर्भाग्य है कि हमारे बीच ऐसे मतभेद व्याप्त हैं जिनसे देशकी प्रगतिमें रुकावट पड़ रही है। मैंने पण्डित मोतीलाल नेहरूको लिख दिया है कि मैं लड़ने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैंने तो हथियार डाल दिये हैं। वक्ताने सभी लोगोंसे सूत कातने, हिन्दू-मुसलमानोंके बीच एकता स्थापित करने तथा छुआछूतको दूर करनेकी अपील करते हुए कहा कि इन्हींपर हमारी स्वाधीनता निर्भर करती है। बम्बईके शिक्षित जनोंके लिए स्वराज्य खद्दरके बिना भले सम्भव हो, परन्तु खेतिहरोंके लिए स्वराज्य खद्दरके बिना सम्भव नहीं हो सकता। रुईके निर्यातका अर्थ है उन [खेतिहरों]की बरबादी। मसजिद और मन्दिरोंके नामपर हिन्दू और मुसलमानोंका आपसमें लड़ना कायरता है, न कि बहादुरी। श्रोताओंसे उन्होंने ईश्वरके नामपर सूत कातने तथा देशकी सेवा करनेकी अपील की।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, ४-९-१९२४

४९. तार : मोतीलाल नेहरूको[3]

[२ सितम्बर, १९२४ या उसके पश्चात्]

धन्यवाद; आपके तारसे बड़ी राहत मिली।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०१४७) की फोटो-नकलसे।

१. यह बैठक बम्बईमें हुई थी।

२. बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रैक्टससे।

३. यह तार मोतीलालजीके २ सितम्बरके इस तारके उत्तरमें था: "आपका पत्र मिला। जवाहरके बारेमें पूरी कहानी बिलकुल झूठी है। स्कूल जानेपर अनावश्यक आग्रह नहीं किया बल्कि इच्छा व्यक्त की, जिसे जवाहरने अपना कर्त्तव्य समझकर शिरोधार्य किया। स्कूलका सरकारसे कोई सम्बन्ध नहीं। जवाहरको वहाँ मिलनेवाली शिक्षाकी अनुपयोगितापर आपत्ति थी। मैं तो केवल इतना ही चाहता था कि शिक्षा जैसी भी हो, इन्दुको उसकी उम्रके बच्चोंका साथ मिले। अन्तमें जवाहर सहमत हो गया, . . ।"

Gandhi Heritage Portal

५०. पत्र : सन्तोक गांधीको

बुधवार, भाद्रपद सुदी ४ [३ सितम्बर, १९२४][1]

चि० सन्तोक[2]

तुम्हें पत्र लिखनेका यह कैसा दुःखद अवसर है! मैंने आज राजकोटके पतेसे तुम्हारे नाम जो तार दिया है वह तुम्हें मिल गया होगा और तुम सब आश्रममें आ गये होगे। तुमने आश्रममें रहकर जो ज्ञान लाभ किया है उसका उपयोग करना। मुझे उम्मीद है कि तुमने आँखोंसे एक भी आँसू न गिराया होगा। सारा संसार वियोगके दुःखको अनुभव करता है; लेकिन तुम उसे दबाना और मृत्युकी यथार्थताको समझना। जिसने गीताके द्वितीय अध्यायके अर्थको जान लिया है वह, जो अनिवार्य है उसपर शोक नहीं करता। हमें ऐसे अवसरोंपर शास्त्रोंका उपयोग अवश्य करना चाहिए।

शिवलालभाईके साथ मेरे निजी सम्बन्ध थे। मैं उन्हें अपना बुजुर्ग मानता था और अनेक बातोंमें उन्हींकी सलाह लिया करता था। हमारा यह सम्बन्ध अन्त तक बना रहा। यह सम्बन्ध प्रकट नहीं होता था। क्योंकि सलाह-मशविरा करनेके अवसर ही बहुत कम होते थे। लेकिन जब-जब हमारी आँखें चार होतीं तब-तब हम एक-दूसरेके मनोगत भावोंको जान लेते थे। मैंने सदा यह अनुभव किया है कि वे साहूकारोंमें एक ईमानदार साहूकार थे। हमें उनके पुण्योंका स्मरण करके उनका अनुकरण करना चाहिए।

जमनादास रुखीके[3] बारेमें क्या खबर लाया है? मुझे रुखीकी चिन्ता सदैव बनी रहती है। लेकिन जबतक जमनादासकी ओरसे कोई समाचार नहीं मिलता तबतक मैं दूसरी कोई बात नहीं सोचता। रुखीने कहलाया है कि उसे पत्र लिखना नहीं आता, यह ठीक नहीं है। रुखीको मुझे पत्र अवश्य लिखना चाहिए और अपने विचार खुलकर बताने चाहिए।

मैंने राजकोटमें किसीको अलगसे पत्र नहीं लिखा है क्योंकि वहाँ मैं किसीको नहीं जानता। यदि कोई वहाँ अब भी है तो उसे इस पत्रकी एक प्रतिलिपि भेज देना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१९९) की नकलसे।
सौजन्य : राधाबेन चौधरी

१. पत्रमें सन्तोक गांधीके पिताकी मृत्युका उल्लेख है। उनकी मृत्यु १९२४ में हुई थी।

२. मगनलाल गांधीकी पत्नी।

३. सन्तोककी लड़की।

Gandhi Heritage Portal

५१. अविस्मरणीय

गत रविवारको जब मैं एक्सेलसियर थियेटरमें वक्ताओंके मुँहसे अपनी प्रशस्ति सुन रहा था,[1] उस समय मुझे ऐसा लगा मानो श्री भरूचाने दक्षिणके पीड़ित लोगोंकी सहायताके लिए रंगमंचपर एक नाटक प्रस्तुत किया हो। किन्तु एक घटनाके कारण यह मेरे लिए नाटक न रहकर एक गम्भीर चीज बन गई। श्री भरूचाने विभिन्न राजनीतिक दलोंसे सम्बद्ध लोगोंको एक मंचपर एकत्र करनेका प्रयत्न किया था। इसलिए उन्होंने वक्ताओंमें श्री जमनादास द्वारकादासको भी शामिल कर लिया था। श्री जमनादासने मुझे "महात्मा" न कहकर गांधीजी कहा। श्रोताओंमें से दो-तीन व्यक्तियोंने, जो मुझे "गांधीजी "कहनेके अपमानको न सह सके, माँग की कि वे मुझे "महात्मा" कहें। श्री जमनादास, बहादुरी किन्तु शिष्टताके साथ मुझे गांधीजी ही कहते रहे, यद्यपि उन्होंने कहा कि मेरे प्रति उनका प्रेम किसी भी श्रोतासे कम नहीं है। उन्होंने आपत्ति करनेवालोंका विरोध करते हुए कहा कि सम्बोधनके उनके इस ढंगको मैं ज्यादा पसन्द करता हूँ। फिर भी रोक-टोक अन्ततक जारी रही। ऐसा होनेपर भी सभाके लिए यह अत्यन्त श्रेयकी बात थी कि श्री जमनादासके खिलाफ उठाई गई आवाजको श्रोताओंने अनसुना कर दिया। श्री जमनादासने बिना किसी कठिनाईके अपना भाषण पूरा किया। किन्तु यह रोक-टोक मुझे बराबर कचोटती रही। मुझे लगा कि जहाँ श्री जमनादासने मेरे कतिपय राजनीतिक विचारोंसे नम्रता, किन्तु दृढ़ताके साथ अपनी असहमति प्रकट करके और किसी अन्यके कहनेपर मुझे "महात्मा" कहनेसे इनकार करके मेरा समुचित आदर किया और मुझे सही रूपसे समझा, वहाँ मेरे उन प्रशंसकोंने अपने आचरणसे अपने इष्ट व्यक्तिका अपमान किया और उसे गलत रूपमें समझा। इसलिए मैंने ऐसी अशिष्टता दिखानेवाले भाइयोंसे सार्वजनिक रूपसे क्षमा-याचना करनेको कहा। मैंने उनका ध्यान इस बातकी ओर आकर्षित किया कि सार्वजनिक सभाओंके नियमानुसार विरोधियोंके साथ भी सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। मैंने कहा कि अहिंसक असहयोगियोंको तो शिष्टताके नियमोंका और भी अधिक आवश्यक रूपसे पालन करना चाहिए। असहयोगियोंके अहिंसा-व्रतका तकाजा है कि वे अपने विरोधियोंका भी उसी प्रकार आदर करें जिस प्रकार अपने मित्रोंका करते हैं। इसके अतिरिक्त श्रोताओंको उन लोगोंकी भावनाओंका आदर करना चाहिए जिनके सम्मानमें वे सभामें एकत्र हुए हों। रोक-टोक करनेवालोंको जानना चाहिए कि मैंने अकसर यह कहा है कि "महात्मा" शब्द मुझे बहुत बुरा लगता है। उदाहरणके लिए, १९२१में हुए बम्बईके दंगोंके समय यह शब्द मुझे बहुत बुरा लगा था। आश्रममें इस विशेषणका प्रयोग करना निषिद्ध है। इसलिए श्री जमनादासने वही किया जो मेरे मनको रुचता है। यह सब कहनेके बाद मैं क्षमा-याचनाके लिए रुक

१. देखिए "भाषण : एक्सेलसियर थियेटर, बम्बईमें", ३१-८-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

गया। इसमें श्रोताओंने मेरी मदद की। उन्होंने फुसफुसाकर मेरी बातका समर्थन किया और रोक-टोक करनेवालोंको क्षमा-याचनाकी सलाह दी और तब रोक-टोक करनेवालोंने बहादुरीके साथ खड़े होकर हाथ जोड़कर क्षमा-याचना की। यह एक ऐसा दृश्य था, जिसे मैं आसानीसे नहीं भूल सकता। अपना भाषण फिरसे प्रारम्भ करते हुए तथा रोक-टोक करनेवालोंको क्षमा-याचनाके लिए धन्यवाद देते हुए मैं यह कहे बिना न रह सका कि स्वराज्य-प्राप्तिके साधनके रूपमें विधान परिषदोंमें ओजस्वी भाषणों या बहस-मुबाहिसों तथा मतदानोंकी अपेक्षा इस प्रकारका सच्चा और सज्जनतापूर्ण आचरण कहीं अधिक कारगर है। श्रोतृसमूहमें शामिल ये पश्चात्ताप करनेवाले लोग अपनी भूलके लिए निर्भीकतापूर्वक खुले-आम पश्चात्ताप प्रकट करके स्वराज्यको निकटतर ले आये हैं।

इस घटनाने, जो दुःखद भी थी और सुखद भी, मेरे भाषणके लिए एक विशेष पृष्ठभूमि तैयार कर दी। उस दिन मैंने जो-कुछ कहा सब इसी पृष्ठ-भूमिमें कहा और मेरे भाषणमें एक अप्रत्याशित शालीनता आ गई।

मलाबारके विषयमें बोलते हुए इसी पृष्ठ-भूमिके सहारे मुझे इतने दिनों बाद श्री देवधरकी समाज-सेवाकी अपरिमित क्षमताकी प्रशंसा करनेका अवसर मिला और मैं लोगोंसे यह कह सका: यद्यपि राजनीतिके क्षेत्रमें हम एक-दूसरेसे दो ध्रुवोंकी तरह बिलकुल दूर-दूर दिखाई देते हैं, फिर भी उनके व्यक्तिगत चरित्र, कर्त्तव्यनिष्ठा और आत्म-त्यागके प्रति मेरे सम्मान-भावमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। इसके बाद मैंने चरखेकी चर्चा करते हुए उन्हें समझाया कि यह देशके गरीबोंके साथ आपके एकात्म-भावका सच्चा प्रतीक है। सिर्फ मुँहसे किसी बातपर हामी भर देना काफी नहीं है, और न सिर्फ हृदयसे उनके प्रति दयाका अनुभव करनेसे ही कुछ बननेवाला है। हम चाहते हैं कि गरीब लोग यह महसूस करें कि अगर वे हमारे लिए मेहनत करते हैं तो हम भी उनके लिए चरखा चलाते हैं। आधा पेट खाकर जीनेवाले ये करोड़ों लोग आज घोर निराशाकी स्थितिमें पड़े हुए हैं। उनका न अपने-आपपर विश्वास है और न हमपर। उनके मनमें पस्तीका यह भाव आ गया है कि उन्हें तो इसी तरह भूखकी पीड़ा झेलते हुए तिल-तिलकर मरना है, उनके लिए और कोई रास्ता नहीं है। उन्हें धर्मार्थ दिये गये दानोंपर जीनेकी ऐसी लत पड़ गई है कि वे काम करनेको लगभग तैयार ही नहीं हैं। यदि हम चाहते हैं कि ये करोड़ों दीन-हीन लोग ईमानदारी और सम्मानके साथ चार पैसे कमा सकें तो इसके लिए हम उन्हें जो एकमात्र साधन दे सकते हैं वह तो यह छोटा-सा सुन्दर चरखा है, जिसे कमजोरसे-कमजोर आदमी भी चला सकता है। इन करोड़ों लोगोंको भिखमंगोंके जड़ और निःसार जीवनको छोड़कर सुन्दर और सहज श्रमका जीवन अंगीकार करनेका प्रोत्साहन देनेका एकमात्र कारगर तरीका यही है कि हम स्वयं चरखा चलाकर उन्हें भी चरखेको अपनानेकी प्रेरणा दें। गीतामें कहा है कि जैसा आचरण श्रेष्ठ जन करते हैं, वैसा ही आचरण सामान्य जन भी करते हैं।[१]

१. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। ३-२१

Gandhi Heritage Portal

चरखेकी चर्चाके बाद मैंने कहा कि बहुत-से भाइयोंने ऐसी आशा व्यक्त की है कि आज हमारा राष्ट्रीय जीवन जिस विकट स्थितिमें पड़ गया है मैं उससे निकलनेका रास्ता दिखाऊँगा। मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ और कोई रास्ता ढूंढ़ निकालनेकी कोशिश कर रहा हूँ। पण्डित मोतीलालजीसे इस सम्बन्धमें पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। लेकिन, मैं सत्याग्रहके अलावा और किसी बातका सुझाव नहीं दे सकता। अबतक लोग इसके उग्र पक्ष — सविनय अवज्ञा तथा असहयोग — को ही जानते रहे हैं। लेकिन इसका एक सौम्य पक्ष भी है और यही इसका स्थायी पक्ष है। अब तो जनताके सामने इसके सौम्य पक्षको ही रखना है, वह चाहे जो भी रूप धारण करे। हम लोग काफी लड़-झगड़ चुके और अकसर बहुत छोटी-छोटी बातोंपर ही लड़े-झगड़े हैं। हम प्रमादमें पड़कर आपसमें विभक्त हो रहे हैं। कोई कारण नहीं कि हम कोई ऐसा कार्यक्रम न तय कर पायें, जिसपर सबकी सहमति हो। कुछ बातें तो ऐसी होनी ही चाहिए, जिनपर हम सभी एकमत हो सकें और जिनको अंजाम देनेके लिए हम एक ही झण्डेके नीचे एकत्र हो सकें। चरखा, साम्प्रदायिक एकता और हिन्दुओं द्वारा अस्पृश्यता निवारण — ये सब ऐसी बातें हैं जिनपर शायद सभी एक हो सकते हैं। मैं श्रीमती बेसेंटसे मिल चुका हूँ और नम्रतापूर्वक उनके सामने अपना विचार प्रस्तुत कर चुका हूँ। मैं दूसरे नेताओंसे भी इसी तरह मिलकर अपनी बात समझाऊँगा। मैं किसी भी कारण कांग्रेसको विरोधी पक्षोंमें नहीं बँटने दूँगा और यदि लोगोंमें झगड़नेकी इच्छा देखूंगा तो उसमें कोई भाग तो नहीं ही लूँगा, साथ ही चुपचाप पीछे जा बैठूंगा और ऐसे अशोभनीय संघर्षसे दूर ही रहूँगा। इसलिए जो भी कार्यक्रम हो, वह ऐसा हो जो बहुमतके द्वारा नहीं बल्कि अनौपचारिक रूपसे परस्पर बात-चीत करके सबकी सहमतिसे तय किया गया हो। अगर जरूरी हो जाये तो सभी पक्षोंकी सहमति हो जानेपर मत लिये जा सकते हैं। यदि मैं यह पाऊँगा कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसे कार्यान्वित करनेमें मैं शामिल हो सकता हूँ तो मैं विघ्न डालनेवालोंका नेतृत्व करनेके बजाय कांग्रेससे खुशी-खुशी बिलकुल अलग हो जाऊँगा। सत्याग्रहका सबसे सौम्य पक्ष सम्पूर्ण आत्म-समर्पण है। सौम्य सत्याग्रहमें अगर कोई विरोध किया जा सकता है तो ऐसे सिद्धान्तको लेकर ही, जिसे सम्बन्धित व्यक्तिने अपने आचरणमें उतारा हो और अपने जीवनमें गूंथ लिया हो। मैंने श्रोताओं-को बताया कि सत्याग्रह-शास्त्रका — अगर इसे शास्त्र कहा जा सके तो — विकास मैंने पारिवारिक जीवनके सुदीर्घ अनुभवके आधारपर किया है। इसके उग्र पक्षका प्रयोग मैंने स्वयं अपनी पत्नी, पुत्रों और उन भाइयोंपर, जो बहुत पहले दिवंगत हो चुके हैं किया है। इसके कारण मुझे उन सबकी नाराजगी और अलगाव भी सहना पड़ा। लेकिन, मैंने यह सब उनके प्रति गहरे प्रेमसे ही प्रेरित होकर किया था। मैं मानता हूँ कि मुझमें ईश्वरकी सृष्टिके दूसरे समस्त प्राणियोंसे भी उतना ही स्नेह करनेकी क्षमता है जितना कि मैं अपने प्रियसे-प्रिय परिजनोंसे कर सकता हूँ। प्रेमकी पीड़ा कभी-कभी प्रेम-पात्रपर गहरे निशान छोड़ जाती है, लेकिन प्रेमीके हृदयमें तो वह उससे भी कहीं अधिक गहरे निशान छोड़ती है। अंग्रेजोंके प्रति मेरे मनमें

Gandhi Heritage Portal

कोई दुर्भावना नहीं है। कुछ अंग्रेज तो मेरे घनिष्ठतम मित्रोंमें से हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुझे उनसे कहना पड़ा, "आप मेरे देशका शोषण नहीं कर सकते। इस शोषणने उसे असीम क्षति पहुँचाई है। आपमें से कुछ लोगोंको तो इसके कल्याण-का कोई खयाल नहीं है और वे इसे जहाँतक बने, अधिकसे-अधिक चूसना चाहेंगे। आपमें से कुछ लोग अज्ञानवश ऐसा मानते हैं कि भारतमें अंग्रेजी राज्य तो भारतके कल्याणके लिए ही कायम है और आप लोग इस देशके ट्रस्टी हैं। यह स्थिति समाप्त होनी है और जल्दी ही होनी है।" जब मैंने ऐसा कहा तो उसका यही मतलब था कि मैं इस काममें प्राणपणसे जुट जाऊँ। इस प्रयत्नके परिणामस्वरूप सत्याग्रहका उग्र पक्ष सामने आया है। इससे शोषक प्रणालीका अन्त नहीं हो पाया, लेकिन हम आपमें से विभक्त हो गये हैं। इसलिए अब मुझे पूरी शक्ति लगाकर सत्याग्रहके सौम्य पक्षको लोगोंके सामने रखना है। यह चीज आग्रहसे नहीं, सिर्फ समर्पणसे ही सम्भव है। यदि मैं सफल न होऊँ तो मैं जानता हूँ कि इसका कारण इस सिद्धान्तकी कम-जोरी नहीं बल्कि इस सिद्धान्तपर आचरण करनेवालेकी कमजोरी ही होगी। इसका मतलब यह होगा कि प्रयोगकर्त्ता जिस सिद्धान्तके बारेमें जानता था कि वह एक सच्चा सिद्धान्त है, उसे वह अपने आचरणमें नहीं उतार पाया है। मैं जानता हूँ कि मैं महात्मा नहीं हूँ; मैं तो अल्पात्मा हूँ। प्रेमकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं है; यह तो सबपर विजय प्राप्त कर सकता है। यह कठोरसे-कठोर हृदयको भी पिघला देता है। उसमें 'स्व' के लिए कोई स्थान नहीं है। कौन जानता है कि मेरे भीतर कहीं, किसी कोनेमें मुझसे भी छिपकर क्रोध या दुर्भावना घातमें नहीं बैठी हुई हो। लेकिन मुझे डिगना नहीं चाहिए। मुझे तो स्वपर विजय प्राप्त करनेका और उस प्रक्रियामें, हम सबके बीच जो दरारें दिखाई दे रही हैं, उन्हें पाटनेका प्रयत्न करना ही है। अन्तमें मैंने कहा, "तो अब मेरे लिए यही कामना कीजिए कि ईश्वर मुझे ऐसा करनेके लिए बल दे।"

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ४-९-१९२४

Gandhi Heritage Portal

५२. बम्बईका खादी-भण्डार

अखिल भारतीय खादी बोर्डने खादी-भण्डारको समुचित लिखा-पढ़ीके बाद लगभग पूरी तरह अपने हाथमें ले लिया है। अबतक इसका प्रबन्ध श्री विट्ठलभाई जेराजाणी करते थे। इसके पीछे विचार यह है कि विभिन्न प्रान्तोंकी अतिरिक्त खादीके वितरणकी ठीक व्यवस्था की जा सके और बम्बई-जैसे नगरोंकी आवश्यकता पूरी करनेके लिए खादी मुहैया की जा सके। अभीतक निजी एजेन्सीके जरिये ऐसा नहीं किया जा सकता था। यह काम तो कोई अखिल भारतीय संस्थान ही कर सकता है। कीमतें नियन्त्रित निर्धारित करनेका काम अब बोर्डके हाथमें रहेगा, ताकि खरीदारोंको यथासम्भव सस्तेसे-सस्ते दामोंपर खादी मिल सके। भण्डारके पूरे हिसाब-किताबकी जाँच-पड़ताल भी बोर्डके ही जिम्मे रहेगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ४-९-१९२४

५३. बनारसमें कताई

प्रोफेसर रामदास गौड़ने एक दिलचस्प रिपोर्ट भेजी है जिसमें बताया गया है कि उन्होंने किस प्रकार बनारस नगरपालिकाके स्कूलोंके बच्चोंमें चरखेका प्रवेश कराया। उन्होंने ४० पुराने चरखे और धुनकियाँ आदि खरीदीं। फिर उन्होंने १३ शिक्षकोंको सूत कातना सिखाया। उन शिक्षकोंने दूसरे साथी शिक्षकोंको सिखाया। इस तरह एक महीनेसे कुछ अधिक समयमें १७५ शिक्षक कताईके खासे उस्ताद बन गये। गौड़जीकी पत्नी और पुत्रीने इसमें उनकी सहायता की। अब गौड़जी अभिमानके साथ कहते हैं:

> हर पाठशालामें कोई चरखा-मास्टर अलगसे रखा जाता तो कमसे-कम १०,००० रुपये सालाना खर्च उठाना पड़ता। . . . कोई ५-६ सप्ताहतक मैंने अपना सिर्फ ४ घंटेका समय मौजूदा शिक्षकोंको कातना सिखानेमें लगाया और यह समस्या हल हो गई।

आगे वे कहते हैं:

> अब ऐसा कोई शिक्षक नहीं रह गया जो कातना या धुनना न जानता हो और आगे किसी भी ऐसी स्त्री या पुरुषको शिक्षककी जगह नहीं दी जायेगी जो धुनना और कातना न जानता हो।

गौड़जी अपनी आगेकी योजना इस तरह बयान करते हैं:

> जब यह कठिनाई हल हो गई तब मैंने बोर्डमें एक ब्योरेवार तजवीज पेश की -- अपर प्राइमरी २६ स्कूलोंमें ३५० चरखे दाखिल किये जायें, कमसे-

Gandhi Heritage Portal

कम ७०० लड़कोंको धुनना और कातना सिखाया जाये और खादीकी बुनाईके लिए बुनाई विभागमें ६ खड्डी करघे हों, एक बुनाई-शिक्षक, एक निरीक्षक, एक बढ़ई और इतनी कपास दी जाये, जिससे हर विद्यार्थी आध घंटेतक रोज काम कर सके। इसके लिए ६,००० रु० प्रति वर्ष दरकार थे। पर बोर्ड इसपर पशोपेशमें पड़ गया और अपनी बैठकोंमें दो महीनेतक इस सवालको टालता रहा। आखिर पिछली २६ जुलाईको बोर्डने एक सालके लिए सिर्फ ३,००० रु० मंजूर किये। ऐसी हालतमें मुझे कपासकी मद प्रायः बिलकुल निकाल देनी पड़ी और दूसरी मदोंमें भी इसी तरह काट-छाँट करनी पड़ी, जिससे काम छोटे पैमानेपर मजेमें चल सके। अब मैं सिर्फ ३०० चरखे और ६०० चमरखे साबरमती आश्रमके नमूनेके मँगा रहा हूँ। (आश्रममें मैंने जो-कुछ देखा उसके अनुसार) कुछ थोड़ा सुधार कर देनेसे मैं उम्मीद करता हूँ कि एक हजारसे अधिक लड़के-लड़कियाँ कातना सीख जायेंगे और रोज चरखा कातकर अच्छा सूत निकाल सकेंगे। अब सिर्फ चरखोंके बन जानेका इन्तजार है, और वे तो बनते-बनते ही बनेंगे। पर इस बीच लड़के-लड़कियोंके माँ-बाप और अभिभावकोंसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे कपासका इन्तजाम अपने घरसे कर दिया करें। चरखा वगैरह चीजें मैं दूँगा, जरूरी बातें मैं बता दिया करूँगा और माँ-बाप सिर्फ कपासका इन्तजाम करेंगे। सूतके मालिक वे रहेंगे और अगर वे चाहें तो हमें बुनाईका उचित मेहनताना देकर खादी बुनवा लेंगे। मैं सिलाई सिखानेका भी इन्तजाम कर रहा हूँ, जिससे खादीकी सिलाई सस्ती हो जाये।

लोग इस प्रयोगको दिलचस्पी और हमदर्दीके साथ देखेंगे। मुझे आशा करनी चाहिए कि अन्य शिक्षक भी प्रोफेसर रामदास गौड़का अनुकरण करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ४-९-१९२४

Gandhi Heritage Portal

५४. पतितोंके लिए

मुझे कोई तीन साल पहले बारीसालमें हमारी विषय-वासनाकी शिकार बनी पतित बहनोंसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था।[१] उनमें से कुछने मुझसे कहा था: "हमें दो से तीन रुपयेतक रोज आमदनी होती है। आप हमें ऐसा कोई काम बताइए जिससे हमें इतनी आमदनी हो जाया करे।" एक क्षणके लिए तो मेरा कलेजा बैठ गया, पर तुरन्त ही मैं सँभल गया और कहा, "नहीं, बहनो, मैं तुम्हें ऐसा तो कोई काम नहीं बता सकता जिससे तुम्हें दो या तीन रुपये रोज मिल सकें; पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि तुम यह पेशा छोड़ दो, भले ही तुम्हें भूखों मरना पड़े। हाँ, चरखा एक ऐसी चीज है, अगर तुम इसे अपनाओ तो यह तुम्हारी मुक्तिका साधन बन सकता है।"

ये पतित बहनें तो भारतके पतित समाजका एक अल्पांश-मात्र हैं। उड़ीसाके नर-कंकाल भी एक अर्थमें इसी पतित समाजके अंग हैं। पतित बहनें जिस प्रकार हमारी विषय-वासनाकी शिकार हो रही हैं, उसी तरह ये उड़ीसाके हाड़-चामके पुतले हमारे अज्ञानके शिकार हो रहे हैं। हमारी इन्द्रियोंकी पाशविक तृप्ति नहीं, बल्कि धनकी भोग-लालसाने उन्हें अस्थिचर्मावशिष्ट कर दिया। उनके कलेजेके खूनसे हम मालामाल हो रहे हैं।

पर, ईश्वरको धन्यवाद है कि अब हम मध्यवर्गके पढ़े-लिखे लोग अपनी पतित बहनों और क्षुधा-पीड़ित भाइयोंके दुःखोंको अपना दुःख बनानेके लिए उतावले हो रहे हैं। हम स्वराज्य इसीलिए चाहते हैं कि जिससे उन्हें जीवन मिले। पर हम सब लोग गाँवोंमें जाकर देहातियोंकी सहायता नहीं कर सकते। हमारी पतित बहनोंका चित्र हमें चौबीसों घंटे इस बातकी याद दिलाता रहता है कि हमें अपना चरित्र निर्मल, निष्कलंक बनाना चाहिए। तब सवाल है कि हम कौन-सा उपाय करें जिससे हमें बराबर उनका खयाल बना रहे, उनकी दुर्दशासे हमारा हृदय व्यथित होता रहे? हर रोज उनके लिए हमें क्या करना उचित है? हम तो इतने कमजोर हैं कि जो कमसे-कम हो, उतना-भर करना चाहते हैं। तो वह कमसे-कम भी क्या है जो हम कर सकते हैं? मुझे तो सिवा चरखेके और कुछ नहीं दिखाई देता। वह काम ऐसा होना चाहिए जिसे अपढ़ और पढ़े-लिखे, भले और बुरे, बालक और बूढ़े, स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़कियाँ, कमजोर और ताकतवर —— फिर वे किसी जाति और धर्मके हों —— कर सकें। फिर वह ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए एक-सा हो। तभी वह फलदायी हो सकता है। चरखा ही एक ऐसी वस्तु है जिसमें ये सब गुण हैं। अतएव जो कोई स्त्री या पुरुष रोज आध घंटा चरखा कातता है वह जन-समाजकी भरसक अच्छीसे-अच्छी सेवा करता है। यही नहीं, वह भारत-भूमिके पतित मानव-समाजकी सेवा तहेदिल और सेवाभावसे करता है और इस तरह स्वराज्यको दिन-दिन नजदीक लाता है।

१. देखिए खण्ड २१, पृष्ठ १०८-१०।

Gandhi Heritage Portal

हम भारतवासियोंके लिए तो चरखा हमारे तमाम सार्वजनिक और सामुदायिक जीवनका आधार ही है। उसके बिना किसी भी प्रकारके स्थायी सार्वजनिक जीवनका निर्माण करना असम्भव है। यही एक ऐसा प्रत्यक्ष प्रेम-पाश है, जो अपनी जन्म-भूमिके छोटे-छोटे व्यक्तियोंके साथ हमें बाँध देता है और उन्हें आशाका सन्देश पहुँचाता है। हाँ, यदि जरूरत हो तो हम चाहे अन्य चीजें भी उसके साथ शामिल कर लें; पर सबसे पहले हमें उसकी जड़ मजबूत कर लेनी चाहिए; वैसे ही जैसे होशियार कारीगर पहले इमारतकी बुनियादको पक्का कर लेता है, फिर उसपर मंजिलें उठाता है और इमारत जितनी ही बड़ी और ऊँची बनानी होती है वह नींवको उतनी ही अधिक गहरी और मजबूत बनाता है। अतएव यदि हम चाहें कि चरखेकी कुछ करामात हमें दिखाई दे तो हमें घर-घर उसका प्रचार करना चाहिए।

परन्तु चरखा देशके सिर्फ ऊँचे और नीचे लोगोंको ही एक सूत्रमें नहीं बाँधेगा बल्कि वह देशके विविध राजनीतिक दलोंको भी एक सूत्रमें बाँधनेका साधन होगा। तमाम दलोंके लिए यह चरखा एक समान वस्तु होगी। वे चाहें तो भले ही दूसरी तमाम बातोंमें मतभेद बनाये रहें, पर कमसे-कम इसपर सब सहमत हो सकते हैं।

अतएव मैं हरएक शख्ससे, जिसके हृदयमें अपने देशके प्रति प्रेम हो और जो देशके दरिद्र और पतित भाइयोंसे अनुराग रखता हो, प्रार्थना करता हूँ कि वह उनके लिए और ईश्वरके नामपर कृपाकर आध घंटेका दैनिक श्रम चरखा कातकर दें और एक-सा और मजबूत सूत भेजें। चूँकि राष्ट्रके लिए उनकी तरफसे यह दान होगा, अतएव वे अ० भा० खादी बोर्डके पास उसे भेज दें, नियमपूर्वक जैसे कि किसी धार्मिक नियमका पालन करते हों।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ४-९-१९२४

५५. टिप्पणियाँ

न्यूनतम समान कार्यक्रम

बम्बईके एक्सेलसियर थियेटरमें हुए मेरे भाषणके संक्षिप्त विवरणमें पाठक मेरी एक योजना देखेंगे, जिसका उद्देश्य देशके उन तमाम विभिन्न तत्त्वोंको साथ मिलानेका है, जो इस समय एक-दूसरेके खिलाफ काम कर रहे हैं। बहुतांशमें वे यह जानते भी नहीं कि वे ऐसा कर रहे हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि इन सब दलोंको एक कर लीजिए। इसलिए मैं इस बातकी चेष्टा कर रहा हूँ कि किस तरह ये भिन्न-भिन्न शक्तियाँ एक हो सकती हैं। दूसरे शब्दोंमें, वे कौन-सी बातें हैं, जिनपर उन लोगोंकी एक बड़ी तादाद -- जिन्होंने कि देशके सार्वजनिक जीवनको बनानेमें कुछ योग दिया है -- परस्पर सहमत है या हो सकती है, अथवा वे कौन-सी चीजें हैं जो हमारी आन्तरिक शक्तियोंके विकासके लिए अनिवार्य हैं। यद्यपि बाहरी बातोंसे भी

Gandhi Heritage Portal

कुछ काम बन सकता है, पर मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैंने जीवनमें सदा यही माना है कि सच्चा विकास तो भीतरसे ही होता है। यदि भीतरसे ही प्रतिक्रिया न हो तो बाहरी साधनोंका प्रयोग बिलकुल निरर्थक है। यदि शरीरकी भीतरी शक्तियाँ पूर्णताको पहुँच गई हों तो बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों और प्रभावोंका उसपर कुछ असर नहीं होता और न उसे बाहरी साधनोंकी सहायताकी ही जरूरत रहती है। एक बात और है, जब आन्तरिक अवयव सुदृढ़ हों तो बाहरी सहायता अपने-आप उनकी ओर खिंचती हुई चली जाती है। इसीसे यह कहावत पड़ गई है कि ईश्वर उन्हींका सहायक होता है जो अपनी सहायता आप करते हों। अतएव यदि हम सब मिलकर भीतरी पूर्णताके लिए प्रयत्न करना चाहते हैं तो हमें दूसरी किसी हलचलमें पड़नेकी बिलकुल जरूरत नहीं। पर हम चाहे ऐसा करें या न करें, कमसे-कम कांग्रेसको तो भीतरी विकासतक ही अपने कामकी सीमा बाँध लेनी चाहिए।

अच्छा, तो अब ऐसे विकासके लिए न्यूनतम समान कार्यक्रम क्या हो सकता है? मैं बराबर कहता आया हूँ कि वह है चरखा और खादी, तमाम धर्मोंकी एकता और हिन्दुओं द्वारा छुआछूतका परित्याग। आखिरी दो बातोंसे शायद ही किसीका मतभेद हो। पर मैं जानता हूँ कि चरखेके सम्बन्धमें अर्थात् सारे राष्ट्रके लिए चरखा कातने और खादी धारण करनेकी आवश्यकताके तथा चरखेको इतना व्यापक बनानेकी विधिके सम्बन्धमें अब भी कुछ मतभेद है। अन्यत्र मैं इस बातको दिखा चुका हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अस्तित्वके लिए खादी कितनी आवश्यक है और उसके उत्पादनके लिए घर-घर चरखा कातना ही एकमात्र उपाय है।

कब खत्म होगी?

पर लोग पूछते हैं कि यह "अनिश्चयकी स्थिति आखिर खत्म कब होगी?" मेरा जहाँतक ताल्लुक है; मेरी तरफसे तो खत्म ही समझिए। मुझमें लड़नेकी इच्छा नहीं रह गई है। आगामी कांग्रेस अधिवेशनमें स्वराज्यवादियोंसे लड़नेका मेरा कोई इरादा नहीं है और न मैं नरमदलवालोंसे ही लड़ना चाहता हूँ। मेरी कोई शर्त नहीं है या अगर कोई शर्त है तो वह है मेरा भिक्षापात्र। मैं स्वराज्यवादियों, नरमदल-वालों, लिबरलों और कन्वेन्शनवालों —— सबसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस भिखारीकी झोलीमें अपना खुदका काता हुआ सूत डाल दें। यही है मेरी मनोदशा। अतएव मैं तो राष्ट्रके तमाम कार्यकर्ताओंको सलाह दूँगा कि वे चरखा कातने, एकता बढ़ाने और जो हिन्दू हों वे छुआछूत दूर करनेमें ही अपनी सारी ताकत लगा दें।

लेकिन अपरिवर्तनवादी मुझसे पूछते हैं, "ऐसी हालतमें कांग्रेस कमेटियोंका क्या होगा?" मेरी धारणा तो यह है कि हमारा सारा संविधान छिन्न-भिन्न हो गया है। हमारे पास नाम लेने लायक मतदाता भी नहीं हैं और जहाँ-कहीं रजिस्टरोंमें उनकी थोड़ी-सी तादाद दिखाई भी देती है तो ये वे लोग नहीं हैं जो कांग्रेसकी कार्य-वाहियोंमें उत्साहके साथ दिलचस्पी लेते हैं। ऐसी हालतमें हम स्वयंभू मतदाता और स्वयंभू प्रतिनिधि हैं। जब मतदाताओंकी यह दशा है, तब उन जगहोंपर कटुता पैदा हुए बगैर नहीं रह सकती, जहाँ एक-दूसरेके खिलाफ उम्मीदवार खड़े होंगे।

Gandhi Heritage Portal

निष्पक्षता तभी सम्भव है जब कि मतदाताओंकी तादाद बहुत बड़ी हो, वे सब बातोंको अच्छी तरह समझते हों और स्वतन्त्र-रूपसे खुद किसी बातका फैसला कर सकते हों। इसलिए मेरी यही सलाह है कि जहाँ-कहीं जरा भी संघर्षकी सम्भावना हो और मत दोनों ओर बराबर-बराबर बँटा दिखाई दे, वहाँ अपरिवर्तनवादियोंको चाहिए कि उम्मीदवारीसे हट जायें। जहाँ-कहीं संघर्षकी सम्भावना न हो तथा जहाँ मत बहुत भारी तादादमें उनके पक्षमें हो, वहाँ वे पदाधिकारी बने रहें या अपना बहुमत बनाये रखें। किसी तरहकी चालाकी या धोखा-धड़ीसे काम न लिया जाये। मतदाताओंके साथ चालाकी बरतना ऐसी-वैसी बात नहीं है। कार्यकर्त्तागण ऐसा करके अपने सिरपर एक भारी जिम्मेदारी लेते हैं। बहुमत संचालित सरकारोंके लिए भ्रष्टाचार विनाशकारी साबित होता है। ऐसी हालतमें जो इन बातोंको ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं, उन्हें ऐसे तरीकोंसे दूर रहना चाहिए।

सभापतिके बारेमें ?

कांग्रेसका सभापति कौन होगा, यह भी बहुतोंके लिए शशोपंजका कारण बना हुआ है। मुझे दुःख है कि सार्वजनिक जीवनमें फिरसे लौटनेके बादसे मैं तमाम अनिश्चय और चिंताकी स्थिति पैदा होनेका कारण बन रहा हूँ। मुझे इस स्थितिपर बड़ा खेद है, पर किया क्या जाये ? जिस बातकी कुछ दवा नहीं हो सकती, उसे सहनेमें ही भलाई है। अभीतक मुझे पता नहीं कि मेरी स्थिति क्या है। मैं ऐसा सभापति होना नहीं चाहता जिससे देशमें फूट फैले। मैं उसी अवस्थामें इस गौरवको स्वीकार करना चाहता हूँ जब वास्तवमें उसके द्वारा देशकी कुछ भी सेवा हो सकती हो। बात यह है कि मैं इन दलबन्दियोंसे उकता गया हूँ। जब मैं यरवदा जेलमें था तब मैंने जर्मन कवि गेटेका 'फॉस्ट' नामक नाटक दुबारा पढ़ा था। बरसों पहले एक बार मैंने उसे पढ़ा था। पर उस समय उसकी कुछ भी छाप मेरे चित्तपर नहीं पड़ी थी। गेटेके सन्देशको मैं ग्रहण नहीं कर पाया था। मैं नहीं कह सकता कि अब भी मैं उसे पूरा-पूरा ग्रहण कर पाया हूँ। हाँ, मैं उसे थोड़ा-बहुत समझ जरूर पाया हूँ। उसकी एक स्त्री पात्र है, मार्गरेट। उसका हृदय दुःख और विषादसे व्याकुल रहता है। उसे चैन नहीं पड़ता, शान्ति नहीं मिलती। अपने क्लेशसे छुटकारेका कोई उपाय नहीं सूझ पड़ता। वह चरखेका आश्रय ग्रहण करती है और चरखा मानो अपने संगीतके द्वारा उसकी व्यथा और वेदनाको बाहर निकालता है। मैं इस पूरी कल्पनासे बहुत प्रभावित हुआ। मार्गरेट अपने कमरेमें अकेली है। उसका हृदय दुविधा और निराशासे टूक-टूक हो रहा है। कवि उसे कमरेके एक कोनेमें पड़े चरखेके पास भेजता है। यह बात नहीं कि सान्त्वनाके लिए वहाँ दूसरे साधन न थे। बढ़िया चुनी हुई पुस्तकोंका पुस्तकालय था, कुछ सुन्दर चित्र भी थे और एक हस्तलिखित और सचित्र 'बाइबिल' भी वहाँ रखी हुई थी। पर न तो चित्र, न वे पुस्तकें और न वह 'बाइबिल' ही उसे तसल्ली दे सकी। वह बरबस चरखेके नजदीक जाती है और जो शान्ति उसके पास आनेसे इनकार करती थी वह अनायास उसे मिल जाती है। उसकी वे हृदयद्रावक पंक्तियाँ यहाँ दी जाती हैं:

Gandhi Heritage Portal

मेरी शान्ति तिरोहित हो गई है, मेरा हृदय उद्विग्न है;
मैंने उसे खो दिया है, और जितना ही खोजती हूँ,
खोनेकी अनुभूति उतनी ही गहरी होती जाती है।
यह स्थान, जहाँ वह नहीं है, मेरे लिए श्मशानकी
भाँति निर्जीव हो गया है;
मेरा जीवन, मानो एक अपार निरानन्द है,
जहाँ प्रकाशकी एक रेखातक नहीं है।
मेरा मन व्याकुल है और मेरा हृदय टूक-टूक हो रहा है।
मेरी शान्ति तिरोहित हो गई है, मेरा हृदय उद्विग्न है;
क्योंकि मेरा प्रिय मुझसे बिछुड़ गया है।

आप इनके कुछ शब्दोंको इधर-उधर कर दीजिए — बस ये पंक्तियाँ मेरी मानसिक स्थितिका चित्र आपके सामने खड़ा कर देंगी। जान पड़ता है, मैं भी अपने प्रियतमसे हाथ धो बैठा हूँ और ऐसा मालूम होता है कि मैं इधर-उधर भटक रहा हूँ। मुझे अनुभव तो ऐसा होता है कि मेरा सखा निरन्तर मेरे आसपास है, पर फिर भी वह मुझसे दूर प्रतीत होता है क्योंकि वह मुझे ठीक-ठीक राह नहीं दिखा रहा है और स्पष्ट निर्देश नहीं दे रहा है। बल्कि उलटा, गोपियोंके छलिया नटखट कृष्णकी तरह वह मुझे चिढ़ाता है, कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है और कभी फिर दिखाई दे जाता है। जब मुझे अपनी आँखोंके सामने स्थिर और निश्चित रूपसे प्रकाश दिखाई देगा, तभी मुझे अपना पथ साफ-साफ मालूम होगा और तभी मैं पाठकोंसे कहूँगा कि आइए, अब मेरे पीछे-पीछे चलिए।

तबतक मैं सिर्फ इतना ही करूँगा कि अपना चरखा लेकर बैठ जाऊँगा और उसीके सम्बन्धमें कहता-सुनता रहूँगा या लिखता-लिखाता रहूँगा और पाठकोंको उसकी आवश्यकता और उपयोगिता जँचाता रहूँगा। अब, जब कि मैं सब तरह अकेला पड़ गया हूँ, चरखा ही मेरा मित्र है, यही मुझे तसल्ली देनेवाला है, मेरा अमोघ शान्ति-दाता है। परमात्मा करे, पाठकोंके लिए भी यह ऐसा ही साबित हो। मेरे एक और मित्र भी हैं, जो कि मार्गरेट और मेरी तरह दुःखाक्रान्त हैं। वे भी कहते हैं: "हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपने हमें चरखा दे रखा है। मुझसे जितना होता है, चरखा कातकर अपने दिलको तसल्ली दे लिया करता हूँ।"

फिर नागपुर

डा० मुंजेने[1] मुझे चेताया है कि मैं नागपुरके हिन्दू-मुस्लिम तनाजेके बारेमें कुछ न लिखूँ। नागपुरमें अब तीसरी दफा हिन्दू-मुसलमान लड़ पड़े हैं और उन्होंने एक-दूसरेके साथ मारपीट की है। क्या उन्होंने इस बातका अहद कर लिया है कि अपने पशुबलको आजमानेके बाद ही वे शान्तिके साथ रहेंगे? क्या दोनोंके वैमनस्यको मिटानेका

१. हिन्दू महासभाके नेता; १९३० में लन्दन गोलमेज सम्मेलनमें भाग लिया।

Gandhi Heritage Portal

दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता? ऐसा मालूम होता है कि नागपुरमें दोनों दलोंमें बराबर-बराबर दम-खम है। इतना होते हुए भी उन्हें जल्द ही पता लग जायेगा कि हमेशा लट्ठबाजी करते रहनेसे कुछ हासिल नहीं होता। अवश्य ही नागपुरमें ऐसे कितने ही समझदार और तटस्थ हिन्दू और मुसलमान होंगे जो दोनोंके झगड़ोंका निपटारा करा दें और पिछली बुराइयोंको भुला दें। मन्दिरोंके अपवित्र किये जानेकी तरह, इक्के-दुक्के राहगीरोंपर टूट पड़नेका एक नया तरीका और निकल पड़ा है। बहुतेरे झगड़े तो क्षणिक होते हैं और उनका कारण होता है छोटी-मोटी बातोंमें बातका बढ़ जाना और लोगोंका भड़क उठना। लेकिन बेकसूर लोगोंपर टूट पड़ना तो यही दिखलाता है कि दोनों ओरसे ऐसी कोशिशें जानबूझकर और किसी खास तजवीजके मुताबिक हो रही हैं, पर जबतक दोनों दलवालोंकी तरफसे ठीक-ठीक और विश्वसनीय समाचार न मिलें, तबतक मुझे चुपचाप सहन करना लाजिमी है। ऐसी अवस्थामें मैं सिर्फ इतनी आशा-भर कर सकता हूँ कि समझदार और तटस्थ लोग दोनों जातियोंमें राजी-रजामन्दीके साथ स्थायी शान्ति करा देनेमें कोई कसर न उठा रखेंगे।

आन्ध्रमें प्रगति

मैंने पूर्वी कृष्णा जिलेमें, जिसमें चार ताल्लुके शामिल हैं, हुए खादी-कार्यका विवरण पढ़ लिया है। स्थानीय खादी बोर्डने अपना कार्य रुई इकट्ठा करनेसे शुरू किया। यह उचित ही था। उसने रुई धुनने और पूनियाँ बनाने, पूनियोंको कताई करनेवालोंमें बाँटने और कते हुए सूतको इकट्ठा करनेका काम उठाया। बोर्डने जिलेमें ही खादीकी बिक्रीका इन्तजाम भी किया। इसके लिए उसने वहाँ कई खादी भण्डार खोले हैं। कताई करनेवालोंमें ब्राह्मण, मुसलमान, कप्पू और ताड़ी निकालनेवाले शामिल हैं। ये प्रतिमाह करीब १८० पौंड सूत कातते हैं। उनके सूतका नम्बर १५ से ३० तक होता है और उसकी कीमत औसतन प्रति पौंड २ रुपये होती है। उनके पास बतौर पूँजी ७,२५० रुपये थे। रुई और पूनियों सहित कुल बिक्री ३०,४०० रुपयेकी हुई। यों अपनी जगहपर यह ठीक है, लेकिन रिपोर्टमें जितनी अवधिका हवाला है, उस अवधिको देखते हुए यह परिणाम बहुत अच्छा नहीं है। ऐच्छिक कताई-आन्दोलनसे काम करनेका तरीका ही बिलकुल बदल जाता है। पैसा लेकर कताई करनेवालोंके जरिये भी सूतका उत्पादन-कार्य तो जारी रखा ही जाये। लेकिन अब हमें केवल कुछ सौ चरखे चलनेसे ही सन्तोष नहीं होना चाहिए। फिर भी यह आन्दोलन जन-साधारणमें फैले, इसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। जब कांग्रेसी लोग कुशल कतैये हो जायेंगे तब वे राष्ट्रको केवल आधा घंटा देकर ही सन्तुष्ट नहीं होंगे, बल्कि उनमें से कुछ लोग गाँवोंमें विशेषज्ञोंकी हैसियतसे जायेंगे और गाँवोंको आत्म-निर्भर इकाइयोंके रूपमें संगठित करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ४-९-१९२४

Gandhi Heritage Portal

५६. कसौटीपर

पिछले महीने भिन्न-भिन्न प्रान्तोंसे प्राप्त सूतकी, अखिल भारतीय खादी बोर्ड द्वारा की गई परीक्षाके निम्न परिणाम बड़े रोचक तथा शिक्षाप्रद होंगे।

आन्ध्र

भारतमें सर्वोत्तम कताई-क्षेत्रके रूपमें इस प्रान्तसे जो अपेक्षा की जाती थी उसे यह पूरा नहीं कर पाया।

कुल मिलाकर ४२९ पैकेट प्राप्त हुए। इनमें से ५० पैकेटोंमें ऐसा सूत है जिसमें बट जरूरतसे ज्यादा हैं और जिसकी कताई अच्छी नहीं कही जा सकती। गुंडियाँ लम्बाईकी दृष्टिसे बहुत ही अलग-अलग हैं। एक तो ६ फुट लम्बी है और कुछकी लम्बाई सिर्फ ९-१० इंच है। इन ९-१० इंचवाली गुंडियोंको सुलझानेमें समय और सूतकी बहुत बरबादी होगी। खासकर इसलिए कि उनकी लच्छियाँ बाँधी नहीं गई हैं। बहुतेरी गुंडियोंमें लगता है घटिया किस्मकी रुईसे ऊँचे नम्बरका सूत कातनेकी कोशिश की गई है और सूतपर छिड़काव नहीं किया गया है। नीचे उन लोगोंकी सूची दी जा रही है जिन्हें "सम्मानपूर्वक" उत्तीर्ण हुआ माना जा सकता है।

	गज	सूतका अंक	प्रकार
१. श्री एम० पापाराव	६६६	५५	बहुत अच्छा
२. ,, के० सूर्यनारायण	२६६०	४९	बहुत अच्छा
३. ,, एम० लक्ष्मी नरसिंह	५७००	४७	सामान्य
४. ,, पी० कनकम्मा	२०००	४८	अच्छा
५. ,, के० अश्वत्थाचार्युलु	२०००	४१	सामान्य

तके साथ नाम आदिकी पर्चियाँ और सूचियाँ बिलकुल ठीक हैं।

असम

यदि मात्रा बहुत कम न होती तो सूतके ऊँचे दर्जेको देखते हुए यह कमी पूरी हुई मानी जा सकती थी। अगर छिड़काव किया जाता तो सूतका दर्जा और भी अच्छा होता। सम्मानसहित उत्तीर्ण :

१. श्रीयुत शिवप्रसाद बर्मा	२९४०	४०	अच्छा

अजमेर

राजपूतानाके दूसरे हिस्सोंकी अपेक्षा यहाँसे ज्यादा अच्छा सूत प्राप्त हुआ है।

बम्बई

एक बड़ी विशेषता, जिससे दूसरी कमियाँ ढक जाती हैं, यह है कि यहाँ सूत कातनेवालोंमें स्त्रियोंकी संख्या पुरुषोंसे अधिक है और इनमें से चार तो पारसी स्त्रियाँ

Gandhi Heritage Portal

हैं। कुछ सूत पर्याप्त सावधानीसे नहीं काता गया है, जब कि कुछ ठीक तरहसे कता हुआ है, उसकी गुंडियाँ भी ठीक ढँगसे बनाई गई हैं और उसपर छिड़काव भी किया गया है।

बिहार

बिहारने तो सूतकी किस्म और मात्रा दोनों ही दृष्टियोंसे ऐसा परिणाम भी नहीं दिखाया है जिसे कामचलाऊ माना जा सके। सबसे ऊपर बाबू राजेन्द्रप्रसाद आते हैं, जिन्होंने बढ़िया कता और अच्छी तरह लच्छियोंमें बँधा हुआ १०,१४८ गज ८ नम्बरका सूत भेजा है। लेकिन उनके अलावा किसीने ऐसा काम नहीं किया है जिससे वह उनके मुकाबले सही मानीमें द्वितीय स्थानका भी पात्र हो।

बंगाल

बंगालने तो सबसे प्रशंसनीय कार्य किया है। खादी प्रतिष्ठानके १०७ सदस्योंने ऐसा सूत भेजा है जिससे प्रकट होता है कि वह कताईमें माहिर लोगोंके हाथका कमाल है। लेकिन गुंडियोंमें कुछ और एकरूपता होनी चाहिए, लच्छियाँ अच्छी तरह बँधी हुई होनी चाहिए और सूतपर छिड़काव भी होना चाहिए।

१८ वर्षकी एक महिलाने आसानीसे प्रथम स्थान प्राप्त किया है और वह पूरे भारतवर्षमें प्रथम आई है। उसका नाम श्रीमती अपर्णादेवी है। उसने ७६ नम्बरका ७,००० गज बढ़िया बटवाला और एक-सा सूत भेजा है।

पर्चियाँ बिलकुल ठीक हैं।

मध्य प्रान्त (हिन्दी)

कुल मिलाकर इसने अच्छा काम नहीं किया; तो भी कुछ अच्छे नमूने हैं:

१. देवी सुभद्राकुमारी	२०००	३०	अच्छा
२. उमरावसिंह चौहान	२०४८	२२	सामान्य

मध्य प्रान्त (मराठी)

अधिकांश सूत २० से ज्यादा नम्बरका नहीं है, लेकिन उसको देखनेसे यह जरूर प्रकट होता है कि वह सधे हुए हाथोंसे काता गया है। कुछ सूत इससे भी कम नम्बरका है; लेकिन अच्छा और एक-सा कता हुआ है। पर्चियाँ ठीकसे नहीं लगाई गई हैं -- यहाँतक कि कुछ अच्छे कातनेवालोंके नाम भी नहीं जाने जा सकते।

गुजरात

सूतकी मात्राकी दृष्टिसे इसका स्थान पहला है और इसके भेजे सूतको देखनेसे ज्ञात होता है कि यह बहुत ही कुशल हाथोंसे कता हुआ है। कच्छ और काठिया-वाड़ने भी जो मोटा सूत कातनेके लिए प्रसिद्ध हैं, अच्छा सूत भेजा है। लेकिन बाजी तो दरबार साहब गोपालदास देसाई, ढसावाले ले गये हैं जिन्होंने औसतन् ४५ नम्बरका ५,०७४ गज अच्छा सूत भेजा है। उनके द्वारा भेजी गुंडियोंमें से एकमें ७२ नम्बरका

Gandhi Heritage Portal

सूत है, दूसरीमें ५५ नम्बरका और शेषमें ४० या इसीके आसपासका। खादी मण्डल-के कुछ सदस्योंने ३० नम्बरतक का बहुत अच्छा सूत भेजा है।

सूचियाँ और पर्चियाँ ठीक हैं।

दिल्ली

सिर्फ १२ पैकेट भेजे गये हैं जिनमें से एक पैकेटमें अच्छा कता सूत है पर उसमें भी पर्ची ऐसी है कि भेजनेवालेका नाम भी नहीं पढ़ा जा सका।

कर्नाटक

मात्रा बहुत कम है लेकिन किस्म अच्छी है। सभी सूत बिना छिड़काव किया हुआ ही है। सर्वोत्तम कताई करनेवाले लोग निम्नलिखित हैं:

१.	श्रीयुत शंकर जी० गोलटगी	२०४०	३८	बहुत अच्छा
२.	,, डा० डी० आर० हुलियालकर	२०००	४०	सामान्य
३.	,, भीमराव नगावी	२०४०	३८	अच्छा

महाराष्ट्र

कुल मिलाकर बहुत मामूली। रत्नागिरी और भुसावल-जैसी एक दो जगहोंसे प्राप्त सूतको देखनेसे यह लगता है कि सधे हुए कातनेवालोंने काता है। श्री दास्तानेने १४ नम्बरका सूत भेजा है, जो अच्छा है। सूचियों और पर्चियोंका मेल नहीं बैठता।

पंजाब

मात्रा बहुत कम है और एक-दो नमूनोंको छोड़कर सूतकी किस्म भी पंजाबकी प्रतिष्ठाके अनुकूल नहीं है।

सिन्ध

स्थिति बहुत खेदजनक है।

सधी हुई कताईका कोई उदाहरण नहीं मिलता।

तमिलनाड

सूत आमतौरपर अच्छी किस्मका है। मात्राके सिवाय और बातोंमें यह बंगालकी बराबरी करता है। वाइकोमके स्वयंसेवकों द्वारा काफी बड़ी मात्रामें भेजा गया सूत विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। यह आमतौरपर अच्छा है। सम्मान विजेता:

१.	श्रीयुत मीनाक्षी सुन्दरम्	२०४०	९७	अच्छा
२.	,, षण्मुख सुन्दरम् पिल्लै	२५२०	८०	अच्छा

सूचियाँ भारत-भरमें सबसे अच्छी तैयार की गई हैं।

संयुक्त प्रान्त

अच्छी कताईके तो बहुत कम नमूने देखनेको मिले, लेकिन कुछ बहुत अच्छे अपवाद भी हैं:

Gandhi Heritage Portal

१. पण्डित जवाहरलाल नेहरू	४०५१	२३ से ४०	बहुत अच्छा
२. श्रीमती कमला नेहरू	२५४८	१७ से २२	अच्छा
३. श्रीयुत शम्भूनाथ	२२६५	१५	अच्छा
४. पुरुषोत्तमदास टण्डन	२८००	१४	सामान्य

उत्कल

कुल मिलाकर मामूली। लेकिन संयुक्त प्रान्तकी तरह कुछ अच्छे अपवाद भी हैं।

१. श्रीयुत विश्वनाथ परीडा	२०००	३०	अच्छा
२. ,, बिकनचरन होता	२०००	२८	अच्छा
३. ,, गोपबन्धु चौधरी	२०००	२१	अच्छा
४. ,, निरंजन पटनायक	२२२३	१९	अच्छा
५. ,, मोहम्मद हनीफ	२०००	१६	अच्छा

बर्मा, बरार, केरल

कहने लायक सूत प्राप्त नहीं हुआ।

इस प्रकार सब जगह सुधारकी गुंजाइश है। गुंडियोंकी लम्बाईमें कमसे-कम हर प्रान्तको तो एकरूपता प्राप्त करनी ही चाहिए। इससे बादके खर्चमें बचत होती है। यज्ञके भावसे स्वेच्छापूर्वक काम करनेकी प्रणालीके अधीन जहाँ हर आदमी प्रेमके कारण कताई करता है, हमें भी उसमें पूर्णता प्राप्त कर सकनी चाहिए बशर्ते कि अ० भा० खादी बोर्ड द्वारा समय-समयपर जारी की गई विस्तृत हिदायतोंको हम ध्यानमें रखें। मैं श्रीमती अपर्णादेवीको बधाई देता हूँ जो कताई प्रतियोगितामें प्रथम आई हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ४-९-१९२४

५७. जेलके अनुभव — ११[1]

मेरा पठन [–१]

जब मैं बच्चा था तब पाठशालाकी पुस्तकोंके अलावा और कुछ पढ़नेका मुझे कोई खास शौक नहीं था। पाठ्य-पुस्तकोंमें ही मुझे चिन्तनकी काफी सामग्री मिल जाती थी, क्योंकि पाठशालामें जो पढ़ता उसपर अमल करना मेरा सहज स्वभाव था। घरपर पढ़नेसे मुझे बहुत अरुचि थी। घरके लिए दिये गये पाठ मजबूरन ही पढ़ता था। जब मैं विलायतमें पढ़ रहा था तब भी परीक्षोपयोगी पुस्तकोंके अलावा कुछ न पढ़नेकी मेरी आदत बनी रही। परन्तु जब मैंने संसारमें प्रवेश किया तब मुझे खयाल हुआ कि सामान्य ज्ञान प्राप्त करनेके लिए भी मुझे पढ़ना चाहिए। लेकिन,

१. पहली किस्त १७-४-१९२४ के **यंग इंडिया**में प्रकाशित हुई थी; देखिए खण्ड २३, पृष्ठ ४७५-७८।

Gandhi Heritage Portal

मेरा जीवन बिलकुल प्रारम्भसे ही कठिनाइयों और संघर्षोंका जीवन बन गया। इसकी शुरुआत काठियावाड़के तत्कालीन पोलिटिकल एजेन्टके साथ झगड़ेसे हुई। इसलिए अध्ययन-मननमें दिलचस्पी लेनेका बहुत समय नहीं मिला। दक्षिण आफ्रिकामें स्वातन्त्र्य-युद्धका मुकाबला था, परन्तु उसके बावजूद वर्षभर मुझे काफी अवकाश रहा। १८९३ का वर्ष मैंने धार्मिक साधनामें बिताया। इसलिए सारा पठन धार्मिक ही हुआ। १८९४के बादसे मुझे जमकर पढ़नेका समय दक्षिण आफ्रिकाकी जेलोंमें ही मिला। मुझे न केवल पढ़नेका शौक उत्पन्न हुआ बल्कि संस्कृतका अपना ज्ञान पूरा करने और तमिल, हिन्दी और उर्दूका अभ्यास करनेकी रुचि भी जगी। तमिल इसलिए कि दक्षिण आफ्रिकामें अनेक तमिलभाषियोंसे मेरा सम्पर्क था और उर्दू इसलिए कि बहुतसे मुसलमानोंसे मुझे काम पड़ता था। दक्षिण आफ्रिकाकी जेलोंमें मेरी पढ़नेकी अभिरुचि तीव्र हो गई थी; इतनी कि दक्षिण आफ्रिकाके अपने अन्तिम कारावासके दौरान मीआद पूरी होनेसे पहले ही छोड़ दिये जानेपर मुझे बहुत दुःख हुआ।

इसलिए जब हिन्दुस्तानमें ऐसा अवसर आया, मैंने उसका सहर्ष स्वागत किया। मैंने यरवदामें अध्ययनका एक कठिन-सा कार्यक्रम तैयार कर लिया था, जिसे पूरा करनेके लिए छः वर्ष भी काफी नहीं थे। प्रथम तीन मासतक मुझे यह धुँधली-सी आशा थी कि भारत समयकी चुनौती स्वीकार करेगा और विदेशी कपड़ोंके बहिष्कारका कार्यक्रम पूरा करके जेलोंके दरवाजे खोल देगा। परन्तु मुझे शीघ्र ही मालूम हो गया कि ऐसा नहीं होगा। मैंने फौरन देख लिया कि ऐसा करनेके लिए परिश्रमके साथ शान्तिपूर्वक संगठन करनेकी जरूरत है, जिसमें देशको पाँच वर्षसे कम नहीं लगेंगे। सचमुच स्वराज्यके कारण न सही, फिर भी यदि लोगोंके शान्तिमय रचनात्मक कार्यके परिणामस्वरूप भी मैं जल्दी छूट जाता तो यह मंजूर था; किन्तु अन्यथा मीआद पूरी होनेसे पहले छूटनेकी मुझे लेशमात्र इच्छा नहीं थी। इसलिए जर्जरित शरीरवाला चौवन वर्षका बूढ़ा होनेपर भी, मैंने चौबीस वर्षीय तरुणके उत्साहसे अध्ययन शुरू किया। मैं अपने समयके एक-एक क्षणका उपयोग करता था और आशा करता था कि जब छूटूँगा तबतक उर्दू और तमिलका खासा पण्डित बन जाऊँगा और संस्कृतका भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। मैं अवश्य ही संस्कृतके मूल ग्रन्थ पढ़नेकी योग्यता प्राप्त कर लेनेकी अपनी कामना पूरी कर लेता। परन्तु ऐसा होना बदा नहीं था। दुर्भाग्यसे बीमारी आ गई। उसके परिणामस्वरूप मैं छूट गया और मेरे अध्ययनमें विघ्न पड़ गया। फिर भी इस अवधिमें मैं कितना पढ़ सका, इसकी कल्पना पाठकोंको नीचे दी हुई सूचीसे हो जायेगी:

'द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड'; 'द मास्टर ऐंड हिज़ टीचिंग'; 'आर्म ऑफ गॉड'; 'क्रिश्चियनिटी इन प्रैक्टिस'; तुलसी-कृत 'रामायण' (हिन्दी); 'सत्याग्रह और असहयोग' (हिन्दी); 'कुरान'; 'द वे टु बिगिन लाइफ'; लूशियन-कृत 'ट्रिप्स टु द मून'; ठाकोर-कृत 'इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन'; 'नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स'; 'द यंग क्रूसेडर'; 'बाइबिल व्यू ऑफ द वर्ल्ड मार्टियर्स'; फेरर-रचित 'सीकर्स आफ्टर गॉड'; 'मिस्त्रकुमारी' (गुजराती); 'स्टोरीज़ फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ रोम'; 'टॉम

Gandhi Heritage Portal

ब्राउन्स स्कूल डेज़'; बेकन-कृत 'विज़डम ऑफ द एंशेंट्स'; चन्द्रकान्त-लिखित 'भारतका इतिहास' (गुजराती); 'पातंजल योग-दर्शन' (प्रो० काणियाका अनुवाद); वाल्मीकि 'रामायण' का गुजराती अनुवाद; किपलिंग-रचित 'फाइव नेशन्स'; एडवर्ड बेलामीकी 'इक्वलिटी'; 'सेंट पॉल इन ग्रीस'; 'द स्ट्रेन्ज केस ऑफ डा० जेकिल ऐंड मि० हाइड'; रोज़बरी-कृत 'पिट'; किपलिंगकी 'जंगल बुक'; 'फॉस्ट'; 'लाइफ ऑफ जॉन हॉवर्ड'; 'महाभारत' के अठारहों पर्वोका गुजराती अनुवाद; जूल बर्न-कृत 'ड्रॉप्ड फ्रॉम द क्लाउड्स'; इरविंग-लिखित 'लाइफ ऑफ कोलम्बस'; गिरधरकी रामायण (गुजराती); विलबरफोर्स-कृत 'फाइव एम्पायर्स'; 'लेज़ आफ एंशेंट रोम'; 'द क्रूसेड्स'; गिबन-कृत 'राइज़ ऐंड फाल ऑफ द रोमन एम्पायर'; 'उर्दू वाचनमाला'; 'श्रीमद्भागवत' (गुजराती अनुवाद); बंकिमका 'कृष्ण-चरित्र' (झवेरी-कृत गुजराती अनुवाद); वैद्य-लिखित 'कृष्ण' (गुजराती अनुवाद); तिलककी 'गीता' (गुजराती अनुवाद); 'सरस्वतीचन्द्र' (गुजराती); 'मनुस्मृति' (गुजराती अनुवाद); 'ईशोपनिषद्' (अरविन्दकी टीका); 'कबीर्स सांग्स'; जैंकब बोहमैन-कृत 'सुपर-सेन्सुअल लाइफ'; 'प्रो क्रिस्टो एट एक्शेलिसिया'; 'कठवल्ली उपनिषद्' (हिन्दी-टीका); 'गैलीलियन'; 'ज्ञानेश्वरी' (गुजराती अनुवाद); 'फिलो क्रिस्टस,' 'सत्यार्थप्रकाश' (हिन्दी), 'प्रेममित्र' (अंग्रेजी); 'षड्दर्शन' (गुजराती अनुवाद); 'द गास्पेल ऐंड द प्लाउ'; नाथुराम शर्मा कृत 'गीता' की गुजराती टीका; शांकरभाष्य गीता; 'श्रीमद्राजचन्द्र' (गुजराती); जे० ब्रिअर्ली-कृत 'आवरसेलव्ज़ ऐंड द यूनिवर्स'; एबट-कृत 'व्हाट क्रिश्चियनिटी मीन्स टु मी'; 'स्टेप्स टु क्रिश्चियनिटी'; ट्राइन-कृत 'माई फिलॉसफी ऐंड रिलीजन'; रवीन्द्रनाथ-कृत 'साधना'; प्रो० भानु-कृत 'उपनिषद्-भाष्य' (मराठी); मैक्समूलरका 'उपनिषद्'; वेल्स-कृत 'आउट लाइन ऑफ हिस्ट्री'; 'बाइबिल'; भगवानदास-कृत 'साइन्स ऑफ पीस'; किपलिंग-कृत 'बैरकरूम बैलेड्स'; गेडिस-कृत 'इवोल्यूशन ऑफ सिटीज़'; 'लाइफ ऑफ रामानुज'; कनिंघम-रचित 'सिखोंका इतिहास'; गोकुलचन्द-लिखित 'सिखोंका इतिहास'; मेकॉलिफ रचित 'सिखोंका इतिहास'; 'एथिक्स ऑफ इस्लाम'; किड-कृत 'सोशल इवोल्यूशन'; बुहलरकी 'मनुस्मृति'; जेम्स-रचित 'आवर हेलेनिक हेरीटेज'; दादाचानजी-कृत 'अवेस्ता'; अरविन्दकी 'गीता'; स्पेन्सर-कृत 'एलिमेण्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी'; फेरवानी-कृत 'सोशल एफिशिएन्सी'; वाडिया-लिखित 'मेसेज़ ऑफ मुहम्मद'; वाडिया-लिखित 'मेसेज ऑफ क्राइस्ट'; हसन-कृत 'सेण्ट्स ऑफ इस्लाम'; मोल्टन-कृत 'अर्ली जोरोस्ट्रियनिज़्म'; 'हिमालयनो प्रवास' (गुजराती); 'सीताहरण' (गुजराती); 'बुद्ध अने महावीर' (गुजराती); 'राम अने कृष्ण' (गुजराती); 'मैन ऐंड सुपरमैन'; 'मार्कण्डेय पुराण' (गुजराती); 'पूर्वरंग' (गुजराती); 'हज़रत उमरकी जीवनी' (उर्दू); पैगम्बर साहबकी स्वीकारोक्तियाँ (उर्दू); बकल-कृत 'हिस्ट्री ऑफ सिविलिज़ेशन'; 'जया अने जयन्त' (गुजराती); रवीन्द्रनाथ-कृत 'प्राचीन साहित्य' (गुजराती); 'काउंटेस टाल्स्टाय-कृत 'डिफेन्स'; 'कालापानीनी कथा' (गुजराती); 'अर्थशास्त्र' (गुजराती); 'गीतगोविन्द' (गुजराती); जेम्स-कृत 'वेराइटीज़ ऑफ रिलीजिअस

Gandhi Heritage Portal

एक्सपीरिएन्स'; हॉपकिन्स-कृत 'ऑरिजिन ऐंड इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन'; लेकी-कृत 'यूरोपीयन मोराल्स'; विनोबा-कृत 'महाराष्ट्र-धर्म' (मराठी); होम्स-कृत 'फ्रीडम ऐंड ग्रोथ'; हैकेल-कृत 'इवोल्यूशन ऑफ मैन'; रवीन्द्रनाथकी 'मुक्तधारा' (गुजराती अनुवाद); रवीन्द्रनाथ-कृत 'डूबतुं वहाण' (गुजराती); मौलाना शिबलीकी लिखी पैगम्बर साहबकी जीवनी (उर्दू); डा० मुहम्मद अलीकी कुरान-सम्बन्धी कृति; विवेकानन्द-कृत 'राजयोग'; चम्पकराय जैन-कृत 'कन्फ्लुएन्स ऑफ रिलीजन्स'; निकलसन-कृत 'मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम'; पॉल कैरस-कृत 'गॉस्पेल ऑफ बुद्ध'; राइस डेविसका 'लेक्चर्स ऑन बुद्धिज़्म'; अमीर अली-कृत 'स्पिरिट ऑफ इस्लाम'; लॉज-कृत 'मॉडर्न प्रॉब्लेम्स'; वाशिंग्टन इरविंग-कृत 'मुहम्मद'; 'स्याद्वाद मंजरी' (हिन्दी); अमीर अली-कृत 'हिस्ट्री ऑफ द सेरेसन्स'; गीज़ो-कृत 'यूरोपीयन सिविलिज़ेशन'; शिबली-कृत 'अल फारूक' (उर्दू); मोटले-कृत 'राइज़ ऑफ द डच रिपब्लिक'; 'म्यूजिंग्स ऑफ सेंट टेरेसा'; राजम् अय्यर-कृत 'वेदान्त'; 'उत्तराध्ययनसूत्र' (हिन्दी); 'रोशीक्रुशियन मिस्ट्रीज़'; 'डायलॉग्स ऑफ प्लेटो'; शिबली-कृत 'अल-कलाम'; वुड्रुफ-कृत 'शाक्त ऐंड शक्ति'; 'भगवती-सूत्र' (गुजराती, अधूरी)।

लेकिन पाठक यह न मान लें कि ये सब पुस्तकें मैंने अपनी पसन्दसे पढ़ी थीं। इनमें से कुछ तो निकम्मी थीं और यदि मैं जेलसे बाहर होता तो उन्हें हरगिज न पढ़ता; कुछ परिचित और अपरिचित मित्रोंकी भेजी हुई थीं और मुझे लगा कि कमसे-कम उनकी भावनाका खयाल करके तो उन्हें पढ़ ही लेना चाहिए। यरवदा जेलमें अंग्रेजी पुस्तकोंका संग्रह बुरा नहीं कहा जा सकता। उनमें कुछ तो सचमुच अच्छी पुस्तकें थीं। उदाहरणके लिए, फेररकी 'सीकर्स ऑफ्टर गॉड', 'लूशियनकी 'ट्रिप्स टु द मून', अथवा जूल वर्नकी 'ड्रॉप्ड फ्रॉम द क्लाउड्स'—ये सब अपने-अपने ढंगकी उत्तम पुस्तकें थीं। फेररकी पुस्तकमें मार्कस ओरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटसके जीवन-चरित्रके उत्तम पक्ष देखनेको मिलते हैं। यह प्रेरणाप्रद पुस्तक है। लूशियनकी पुस्तक एक बढ़िया शिक्षाप्रद व्यंगात्मक कृति है। जूल वर्न कहानीके रूपमें विज्ञान सिखाता है। उसका ढंग निराला है, जिसका अनुकरण नहीं हो सकता।

इस बीच अनेक ईसाई मित्र मेरा बहुत खयाल रखते थे। उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड और भारतसे भी मुझे बहुत-सी पुस्तकें भेजीं। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि इसमें उनकी भलमनसाहत ही थी, परन्तु उनकी भेजी हुई अधिकांश पुस्तकें मुझे अच्छी नहीं लगीं। काश, मैं उनकी भेजी हुई पुस्तकोंके बारेमें उन्हें प्रसन्न करनेवाली कोई बात लिख सकता। परन्तु जीमें न होते हुए, वैसा लिखूँ तो अनुचित और असत्य होगा। ईसाई धर्मके बारेमें कट्टरपंथी ईसाइयोंकी लिखी हुई पुस्तकोंसे मुझे सन्तोष नहीं होता। ईसामसीहके जीवनके लिए मेरे मनमें अत्यन्त आदर है। उनकी नीति-विषयक शिक्षा, उनका व्यावहारिक ज्ञान, उनका बलिदान—इन सबके प्रति मेरे मनमें बड़ी श्रद्धा है, परन्तु ईसाई धर्म-पुस्तकोंमें जो यह उपदेश दिया गया है कि ईसा सर्वस्वीकृत अर्थमें ईश्वरके अवतार थे या हैं अथवा वे ईश्वरके एकमात्र पुत्र थे अथवा हैं, इसे मैं स्वीकार नहीं करता। दूसरेका पुण्य भोगनेका सिद्धान्त मैं स्वीकार नहीं करता। ईसाका बलिदान एक नमूना है और हम सबके लिए आदर्श-स्वरूप है।

Gandhi Heritage Portal

हम सबको मोक्षके लिए "सूलीपर" चढ़ना है––आत्म-बलिदान करना है। 'पुत्र', 'पिता' और 'पवित्र आत्मा'––'बाइबिल' के इन शब्दोंका केवल वाच्यार्थ करनेसे मैं इनकार करता हूँ। इन सबमें रूपक हैं। इसी प्रकार 'गिरि-शिखरके उपदेश' (सर्मन ऑन द माउण्ट) को जिन मर्यादाओंमें बाँधनेका प्रयत्न किया जाता है, उन्हें भी मैं स्वीकार नहीं करता। 'न्यू टेस्टामेंट' में मुझे युद्धका कहीं समर्थन नहीं मिलता। ईसा मसीहको मैं संसारमें जितने उपदेशक और पैगम्बर हो गये हैं, उनमें सबसे यशस्वी पुरुषोंमें गिनता हूँ। कहनेकी जरूरत नहीं कि 'बाइबिल' को मैं ईसाके जीवन और उपदेशका ऐसा विवरण नहीं मानता, जिसमें भूल न हो। इसी प्रकार मैं यह भी नहीं मानता कि 'न्यू टेस्टामेंट' का एक-एक शब्द ईश्वरका अपना शब्द है। नये तथा पुराने टेस्टामेंटोंमें एक महत्त्वपूर्ण अन्तर है। पुरानेमें कुछ गहन सत्य है, परन्तु मैं नयेको जितना आदर देता हूँ उतना पुरानेको नहीं। नयेको मैं पुरानेके उपदेशोंका विस्तृत संस्करण और कुछ बातोंमें पुरानेके उपदेशोंको त्याग देनेवाला मानता हूँ। लेकिन नये 'टेस्टामेंट' को भी मैं ईश्वरका अन्तिम शब्द नहीं मानता। विश्वमें जो विकास-क्रम वस्तु-मात्रपर लागू होता है, धार्मिक विचार भी उसी विकास-क्रमके अधीन हैं। केवल ईश्वर ही अव्यय है और उसका सन्देश अपूर्ण मनुष्यके माध्यमसे मिलता है। इसलिए माध्यम जितना शुद्ध या अशुद्ध होगा, उतनी ही मात्रामें सन्देशके शुद्ध या अशुद्ध होनेकी सम्भावना रहेगी। इसलिए मैं अपने ईसाई मित्रों और शुभ-चिन्तकोंसे आदरपूर्वक आग्रह करूँगा कि वे मुझे जैसा मैं हूँ, वैसा ही स्वीकार करें। जिस प्रकार मैं मुसलमान भाइयोंकी इस इच्छाका आदर करता हूँ और कद्र करता हूँ कि जैसा वे सोचते हैं, जैसे वे हैं, मैं भी वैसा ही सोचने लगूँ, वैसा ही बन जाऊँ; उसी प्रकार मैं ईसाई भाइयोंकी भी इस इच्छाका आदर और कद्र करता हूँ। मैं दोनों धर्मोंको अपने धर्मकी तरह ही सच्चा मानता हूँ। परन्तु मुझे अपने धर्मसे पूरी तरह सन्तोष मिल जाता है। अपने विकासके लिए मुझे जो-कुछ चाहिए, वह सब उसमें है। मेरा धर्म मुझे यह नहीं सिखाता कि मैं ऐसी प्रार्थना करूँ कि दूसरे लोग मेरे धर्मके हो जायें। वह तो मुझे यह सीख देता है कि तुम प्रार्थना करो कि सब अपने-अपने धर्ममें रहकर पूर्णता प्राप्त करें। इसलिए मेरी प्रार्थना ईसाईके लिए सदा यह रही है कि वह अधिक अच्छा ईसाई बने और मुसलमानके लिए यह कि वह अधिक अच्छा मुसलमान बने। मुझे विश्वास है, मैं जानता हूँ कि ईश्वर हमसे यह पूछेगा, बल्कि आज भी पूछ रहा है कि हम कैसे हैं, हमारे काम कैसे हैं, यह नहीं कि हम किस दीनके माननेवाले हैं। उसके लिए तो कर्म ही सब-कुछ है। कर्मसे रहित विश्वासका उसकी नजरोंमें कोई मोल नहीं है। उसके लिए तो कर्म ही विश्वासका सूचक है। लेकिन ईसाई भाइयोंने मेरे लिए जेलमें जिस ईसाई साहित्यका ढेर लगा दिया था, उसके अध्ययनसे मेरे मनमें जो विचार बने उन्हें और किसी कारणसे नहीं तो मेरे आध्यात्मिक कल्याणमें उनकी रुचिके लिए कृतज्ञता प्रकट करनेके लिए ही, कह देना आवश्यक था। इस विषयान्तरके लिए मैं पाठकोंसे क्षमा चाहता हूँ।

Gandhi Heritage Portal

जिन पुस्तकोंको पढ़े बिना मैं नहीं रह सकता था वे थीं, 'महाभारत' और 'उपनिषद्', 'रामायण' और 'भागवत्'। उपनिषदोंको पढ़नेसे वेदोंको मूल रूपमें पढ़कर वैदिक-धर्मके अध्ययनकी इच्छा जागृत हुई। उनकी उत्कट कल्पनाओंसे अपार आनन्द मिला और उनकी आध्यात्मिकतासे मेरी आत्माको शान्ति मिली। लेकिन मुझे यह भी कहना चाहिए कि उनमें से कुछमें ऐसी अनेक बातें थीं जिन्हें मैं प्रोफेसर भानुकी विस्तृत टीकाकी सहायताके बावजूद नहीं समझ सका और न ही उनमें रस ले सका; यद्यपि प्रोफेसर भानुने तो अपनी टीकामें सारा शांकरभाष्य और दूसरे कई भाष्योंका सार दे दिया है। 'महाभारत' के छुट-पुट अंशोंके अलावा इससे पहले मैंने इस ग्रन्थको कभी पढ़ा ही नहीं था। उलटे, मैंने उसके विरुद्ध राय बना ली थी (जो अब गलत साबित हुई है)। वह राय यह थी कि 'महाभारत' तो केवल रक्तपातके विस्तृत वर्णन और ऐसे विवरणोंसे भरा हुआ ग्रन्थ है जिन्हें पढ़कर नींद आने लगती है। 'महाभारत' के घनी छपाईवाले छः हजारसे ज्यादा पृष्ठोंको देखकर मैं घबराया था। परन्तु कुछ भागोंके सिवा वह इतना अधिक चित्ताकर्षक साबित हुआ कि एक बार शुरू कर देनेके बाद उस ग्रन्थको पूरा करनेको मैं अधीर हो गया। चार महीनेमें उसे पूरा करनेके बाद मुझे महसूस हुआ कि 'महाभारत' की तुलना थोड़े-से सुन्दर जवाहरातवाले किसी खजानेके साथ नहीं की जा सकती। वह किसी ऐसी अक्षय खानके समान है, जिसे जितना गहरा खोदिए उतने ही कीमती रत्न उसमें से निकलते हैं। मेरे मतानुसार 'महाभारत' कोई इतिहास नहीं; इतिहासके रूपमें तो मैं उसे बेकार-सा ग्रन्थ मानूँगा। उसमें तो रूपक द्वारा विश्वके सनातन सत्योंकी चर्चा की गई है। कविका आशय पुण्य और पाप, सत् और असत्, खुदा और शैतानके सनातन द्वन्द्वका वर्णन करना है और उस आशयके अनुकूल ही ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओंको ले-लेकर उसने उन्हें दैवी अथवा दानवी शक्तियोंके रूपमें चित्रित किया है। यह ग्रन्थ किसी महानदके समान है, जो आगेकी ओर बहता हुआ अनेक नदियोंको अपनेमें समेट लेता है, जिनमें कई मैली और गन्दी भी हैं। यह ग्रन्थ एक ही प्रतिभाकी अवधारणा है, परन्तु समय-समयपर उसमें इतने प्रक्षिप्त अंश मिल गये कि आज हमारे लिए यह कह सकना मुश्किल हो गया है कि क्या मूल है और क्या प्रक्षिप्त। ग्रन्थकी समाप्ति तो भव्य है ही। उसमें ऐहिक सत्ताकी नश्वरता प्रकट की गई है। गरीब भिखारी द्वारा अपना स्वल्प सर्वस्व, अन्तिम कौर भी दे डालनेवाले ब्राह्मणके हार्दिक बलिदानकी तुलनामें, पाण्डवोंका अन्तिम महायज्ञ भी कम पुण्यप्रद सिद्ध किया गया है। पुण्यशाली पाण्डवोंके भाग्यमें प्रखर शोक ही शेष बचा दिखाया गया है। कर्मवीर कृष्ण लाचार हालतमें मरते हैं। असंख्य और एकसे-एक बलशाली यादव अपने ही भ्रष्ट आचरणके कारण आपसी कलहमें कुत्तोंकी मौत मरते हैं। अजेय अर्जुन डाकुओंकी टोलीसे पराजित होते हैं, उनका गाण्डीव काम नहीं आता। पाण्डव युद्धके परिणाम-स्वरूप मिली हुई गद्दी एक बालकको सौंपकर वानप्रस्थी होते हैं। स्वर्गारोहणमें एकको छोड़, सारे यात्रामें ही मर-खप जाते हैं। और धर्मराज युधिष्ठिरको भी इसलिए नरककी भयंकर दुर्गंध सहनी पड़ती है कि उन्होंने संकटके समय एक बार असत्य

Gandhi Heritage Portal

भाषण किया था। कारण और कार्यके अटल नियमका सनातन रूपमें अमल होता हुआ बताया गया है, जिसका कोई अपवाद नहीं। इस चमत्कारी काव्यके लिए यह दावा किया जाता है कि उसमें ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी गई है जो उपयोगी और अच्छी हो और जो दूसरे ग्रन्थोंमें मिल सके। यह महाकाव्य इस दावेको सही सिद्ध करता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ४-९-१९२४

५८. भाषण : पूनाकी सार्वजनिक सभामें[1]

४ सितम्बर, १९२४

आप पूछते हैं कि [भारतीय] मिलोंका कपड़ा पहननेसे बहिष्कार क्यों नहीं हो सकता? यह प्रश्न भारी अज्ञान-जनित है। मिलका कपड़ा बहिष्कारके लिए काफी है ही नहीं। बंग-भंगके समय मिलवालोंने बंगालको किस तरह धोखा दिया, इसकी शिकायत बंगाल आज भी करता है। उनके अनुभवसे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि मिलके कपड़ेसे बहिष्कार असम्भव है। इसलिए हमें केवल खादीका ही प्रचार करना चाहिए। यह बात स्पष्ट है कि कांग्रेसकी हदमें मिलके कपड़ेको बिलकुल स्थान नहीं मिलना चाहिए।

श्रद्धाका[2] अर्थ है आत्म-विश्वास और आत्म-विश्वासके मानी हैं, ईश्वरपर विश्वास। जब चारों ओर काले बादल दिखाई देते हों, किनारा कहीं नजर न आता हो और ऐसा मालूम होता हो कि बस अब डूबे, तब भी जिसे यह विश्वास होता है कि मैं हरगिज न डूबूँगा, उसे कहते हैं श्रद्धावान्। द्रौपदीका वस्त्रहरण हो रहा था, उसकी रक्षा करनेमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब असमर्थ थे। तब भी द्रौपदीने श्रद्धा नहीं छोड़ी। वह कृष्ण-कृष्ण पुकारती रही; उसे इस बातपर श्रद्धा थी कि जबतक कृष्ण हैं तबतक किसीकी क्या मजाल कि मेरा वस्त्रहरण कर सके। आपमें ऐसी श्रद्धा है? यदि आपके अन्दर ऐसी श्रद्धा हो तो आप अकेले पूनाके ही बलपर स्वराज्य ले सकते हैं। जो श्रद्धावान् होता है वह ईश्वरके साथ सौदा नहीं करता, करार नहीं करता। हरिश्चन्द्रने कोई सौदा नहीं किया था। वे अपनी पत्नीका गला काटनेके लिए भी तैयार हो गये थे।

जो लोग खादीकी बातको पागलपन समझते हैं उन्हें सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा :

१. यह श्री एस० एम० परांजपेकी अध्यक्षतामें रे मार्केटमें हुई थी और इसमें लगभग दस हजार लोग उपस्थित थे।

२. गांधीजीने इससे पहले चिपलूणकरकी मूर्तिका अनावरण करते हुए कहा था, "महाराष्ट्रमें त्याग है किन्तु श्रद्धा नहीं"। उन्होंने यहाँ इसी बातको स्पष्ट किया है।

Gandhi Heritage Portal

मैंने कर्नल मैडॉकसे[1] पूछा था, क्या आप अपने विद्यार्थियोंको खादी न पहनने देंगे? उन्होंने मुझे नहीं कहा कि तुम पागल हो। उन्होंने तो कहा कि यदि विद्यार्थी खादी पहनना चाहते हों तो मैं क्यों इनकार करने लगा? और श्रीमती मैडॉक तो विलायत जाते वक्त खादी साथ ले गई हैं। जो काम नहीं करना चाहता वह अनेक बहाने बनाता है। मना कोई नहीं करता — मनाई करती है केवल हृदयकी दुर्बलता। अच्छा, मान लें कि गांधी पागल है। मैं कहता हूँ देहातके लोग जो कपड़ा पहनते हैं, आप वह कपड़ा पहनें। क्या यह कहना पागलपन है? दूसरी बातोंके लिए आप चाहे मुझे पागल कहें, परन्तु यदि आप मुझे खादीके लिए पागल कहेंगे तो मैं कहूँगा कि कहनेवाला ही पागल है, क्योंकि मैं तो अनुभवकी बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यदि आपसे और कुछ न हो सके तो आप गरीबोंपर कृपा करके कमसे-कम खादी जरूर पहनें। चम्पारन और उड़ीसामें लोगोंको चार पैसे रोज मिलनेमें भी साँसत पड़ती है। वहाँके लोग कच्चे चावल खाकर रहते हैं। उनके बदनमें हड्डी-चमड़ी भर रह गई है। आप उनपर रहम करके, उनके भीतर बसे ईश्वरके दर्शन करके २,००० गज सूत दें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है।

'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है' लोकमान्य तिलकका यह सन्देश अधूरा है। वे यह कहना भूल गए कि उसको प्राप्त करनेका साधन खद्दर है।[2]

मैं तो हार गया हूँ। पं० मोतीलालजी और श्री केलकर यदि मुझसे कहें कि तुम कांग्रेससे निकल जाओ तो मैं निकल जाऊँगा — यह मेरी प्रतिज्ञा है। मैं बेलगाँवमें मत नहीं माँगूंगा। हम अपरिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी दोनों मत माँग-माँगकर जनताको भ्रमित कर रहे हैं। मैंने अ० भा० कां० कमेटी [की अहमदाबादकी बैठक] में मत लिये। अब मैं देखता हूँ कि मैंने यह अपराध ही किया है। वहाँ मत लेना मेरा पागलपन था। मैं तो सिपाही ठहरा। मुझे समझना था कि लड़ाई तो वहीं लड़ी जा सकती है जहाँ कटुता पैदा न हो, दुश्मनी पैदा न हो। यदि पं० मोतीलालजी और श्री केलकरसे लड़नेमें कटुता बढ़ती हो तो मैं उनके चरणोंमें सीस झुकाना बेहतर समझता हूँ। मेरे दिलमें यदि किसीके प्रति भी द्वेष हो, दुश्मनी हो, तो बेहतर है कि मैं साबरमतीमें डूब मरूँ। हाँ, जहाँ सिद्धान्तकी लड़ाई हो वहाँ मैं लड़े बिना नहीं मानता, परन्तु जहाँ दुश्मनीकी बू आती हो, वहाँ किस तरह लड़ूँ? जहाँ ऐसी लड़ाईसे तीसरे पक्षकी ताकत बढ़ रही हो, वहाँ मैं कैसे लड़ सकता हूँ? इसलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं लड़ूँगा नहीं। पूना निवासियोंसे सिर्फ एक ही बात कहकर मैं विदा लूँगा। यह पागल बनिया आपको यह कहकर जा रहा है, 'पूनावासियों, श्रद्धा रखो और स्वराज्य लो।'

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १४-९-१९२४

१. शल्य चिकित्सक, जिन्होंने पूनाके सैसून अस्पतालमें १२ जनवरी, १९२४को गांधीजीका ऑपरेशन किया था।

२. यह अनुच्छेद बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रैक्ट्ससे लिया गया है।

Gandhi Heritage Portal

५९. भाषण: तिलक महाविद्यालय, पूनाके दीक्षान्त समारोहमें

४ सितम्बर, १९२४

तुम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हो उसका उद्देश्य स्वराज्य लेना है। मैं जो गुजरातमें कुलपति बनकर बैठा हूँ, वह भी स्वराज्यके लिए लड़नेवाले सैनिककी हैसियतसे और इस मकसदसे बैठा हूँ कि विद्यार्थियोंको स्वराज्यका सैनिक बनाकर निकालूँ। मैं ४ अगस्त, १९१४[1] के दिन विलायत पहुँचा था। वहाँ मैंने क्या देखा? जैसे-जैसे लड़ाई बढ़ती गई, वैसे-वैसे तमाम कानूनकी शिक्षा देनेवाली संस्थाएँ बन्द होती गईं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिजमें भी पढ़ाईका काम बहुत-कुछ बन्द हो गया। उन्होंने शिक्षाको लड़ाईके मुकाबले गौण स्थान दिया। और दें भी क्यों नहीं। शिक्षाका फल ही यह है कि विद्यार्थी श्रेष्ठ नागरिक बनें, उत्तम देशसेवक बनें——और देश, समाज एवं गृहस्थाश्रमको सुशोभित करें।

अबसे चौबीस वर्ष पूर्व दक्षिण आफ्रिकामें भी मैंने यही दृश्य देखा था। वहाँ कॉलेजोंके छात्र सेना और रेडक्रॉस सेवादलमें सम्मिलित हो रहे थे। जवान लड़के और लड़कियाँ सभी अपने-अपने कॉलेजोंको छोड़कर ऐसे ही कामोंमें लग रहे थे। मैं तो काला आदमी था। मैंने गोरे वकीलों और बैरिस्टरोंको अदालतें छोड़-छोड़कर लड़ाईमें जाते देखा। मैं जब अदालतोंमें गया और उन्हें खाली देखा तो मुझे शर्म मालूम हुई। मेरे जीमें आया कि मैं भी इसी काममें लग जाऊँ। जब देशपर कोई संकट आता है तब यही काम करना पड़ता है। यदि तुम इस बातको समझो तो तुम्हारे सम्मुख मुझ-जैसे अविद्वान्का खड़ा होना सार्थक हो, अन्यथा मुझे इस समारोहका अध्यक्ष बनाना तो मेरी हँसी उड़ाने-जैसा है।

कोई नया आया हुआ अंग्रेज सरकारी संस्थाओंको देखकर तुम्हारी संस्था देखने आये तो वह यहाँ क्या देखनेकी आशा रखेगा? क्या वह तुम्हारे मकान देखेगा, विद्वान् शिक्षक देखेगा, तुम्हें अंग्रेजीमें बोलते हुए सुननेकी उम्मीद रखेगा? नहीं, वह यहाँ कोई नई तस्वीर देखनेकी आशा रखेगा। दूसरी सब संस्थाओंमें उसे कताई देखनेको नहीं मिली होगी; यहाँ वह कताई और बुनाई देखना चाहेगा। वह तुम्हारे आँगनमें कपास पैदा होती देखना चाहेगा। तुम्हारा सूत देखना चाहेगा और यदि वह अच्छा सूत देखेगा तो मनमें कहेगा कि मैंचेस्टरपर आफत आ रही है। मोटा सूत देखेगा तो कहेगा कि मैंचेस्टरको चिन्ता नहीं। वह तुमको साहब बना हुआ देखनेकी उम्मीद नहीं रखेगा; वह तुम्हें गरीबों-जैसा देखनेकी आशा रखेगा। तुम्हें अपनी भाषामें ही काम-काज चलाते हुए देखनेकी आशा रखेगा। जनरल बोथा इंग्लैंड

१. मूलमें ६ अगस्त है जो स्पष्टतः भूल है; देखिए खण्ड १२, पृष्ठ ५१४।

Gandhi Heritage Portal

गये थे। वहाँ जब बादशाहसे बात करनेका अवसर आया तो उन्होंने अंग्रेजीमें बात करनेसे साफ मना कर दिया। उन्होंने डचोंकी अपभ्रंश भाषा 'टाल' में ही बात करनेका आग्रह किया और 'टाल' के जानकार दुभाषियेकी मार्फत बात की। यह बात नहीं थी कि वे अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे। वे मुझसे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, किन्तु उन्होंने अपनी ही भाषामें बात करनेमें अपना गौरव समझा। राष्ट्रपति क्रूगर भी 'टाल' के अतिरिक्त दूसरी भाषामें बातचीत करनेसे इनकार करते थे। इस तरीकेसे ही उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी। इसलिए मैं तुमसे यही आशा करता हूँ कि तुम मुझसे हिन्दी, उर्दू और मराठीमें ही बातचीत करो। तुम्हारे लिए अच्छे अंग्रेजी बोलनेवाले शिक्षक मिलें, इसमें कुछ नहीं। हिन्दी या मराठीके जरिये पढ़ानेवाले, अकिंचन, धार्मिक, सर्वस्वका त्याग करनेवाले शिक्षक तुम्हारे यहाँ हों, यही तुम्हारा भूषण है — भले ही विद्वत्तामें वे औरोंसे हार जायें। मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम विद्यापीठकी मर्यादा जानो और उसके ध्येयको अच्छी तरह समझो।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १४-९-१९२४

६०. पूनाके कार्यकर्त्ताओंके साथ चर्चा

४ सितम्बर, १९२४

प्रश्न: आप कांग्रेसको ये तीन वस्तुएँ ही सौंपते हैं; क्या इससे कांग्रेसका राजनीतिक स्वरूप मिट नहीं जायेगा?

गांधीजी: हाँ, घड़ी-भरके लिए मिट जायेगा; लेकिन मैं तो केवल एक सालके लिए ही, जबतक मैं विदेशी कपड़ेका बहिष्कार कर रहा हूँ, प्रयोगका समय माँगता हूँ।

लेकिन आप तो कातनेवाले लोगोंके अलावा अन्य सब लोगोंको कांग्रेससे निकालना चाहते हैं। क्या केवल खादीका काम करनेवालोंको ही कांग्रेसमें रहनेका अधिकार है? जो लोग बाकीके दो काम करें उन्हें कांग्रेसमें रहनेका अधिकार क्यों नहीं हो सकता?

मैं तो सैनिक हूँ, इसलिए लड़ाई किस तरह चलाई जाये यह समझकर बात करता हूँ। हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यताके लिए शारीरिक श्रमकी जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए तो प्रचार और शिक्षाकी जरूरत है। शुद्ध वृत्ति-भर हो तो यह काम बहुत ज्यादा हो सकता है, जब कि खादीके काममें शुद्ध वृत्तिके अतिरिक्त हाथ हिलाना भी आवश्यक है। मुझे तो कार्यकर्त्ताओं और सामान्य जनताको एक श्रृंखलामें बाँधना है। वह श्रृंखला केवल चरखेका सूत है। यदि कांग्रेसके सदस्य कातें तो करोड़ों देशवासी कातेंगे।

Gandhi Heritage Portal

तब जिन लोगोंको आपके अन्य दो कार्योंसे सहानुभूति हो उन्हें तो कांग्रेससे बाहर ही रहना होगा न?

बाहर रहकर वे भले ही मदद करें। मेरे सामने सहानुभूति दिखानेवाले लोग हजारोंकी संख्यामें इकट्ठे होते ही रहे हैं। उनसे मेरा क्या काम निकला? मुझे तो महीनेमें २,००० गज सूत कातनेवाले लोगोंकी सेना तैयार करनी है। क्या आपको २,००० गज सूत कातनेका समय नहीं मिल सकता? क्या आपके ऊपर मुझसे भी ज्यादा कार्य-भार है?

लेकिन मैंने आपसे पहले जो प्रश्न पूछा था उसे ही मैं फिर पूछता हूँ। सबसे बड़ा भय यह है कि एक राजनीतिक संस्थाके रूपमें कांग्रेसका अस्तित्व हमेशाके लिए मिट जायेगा।

नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज युद्धमें उतरे बिना मैं आपको राजनीतिक कार्य-क्रम नहीं दे सकता। लेकिन मैं जैसा कहता हूँ यदि आप वैसा करें तो मैं आपको तुरन्त ही राजनीतिक कार्यक्रम दूंगा। मैं सन्त नहीं हूँ, मैं राजनीतिज्ञ ही हूँ। फर्क केवल इतना ही है कि मैं कुछ सौम्य ढंगका राजनीतिज्ञ हूँ। दक्षिण आफ्रिकामें क्या मैं राजनीतिज्ञ नहीं था? क्या मैंने राजनीतिके ज्ञानके बिना ही जनरल स्मट्ससे टक्कर ली थी? भई, मुझे लड़ना है; लेकिन आप मुझे हथियार तो तेज कर लेने दें।

आप [कांग्रेस] कमेटियोंको छोड़नेकी बात कहते हैं तो क्या इससे कटुता कम हो जायेगी?

यदि आप रोषसे [कांग्रेस] कमेटियोंको छोड़ेंगे तो कटुता नहीं मिटेगी। हाँ, यदि आप कटुताको नष्ट करनेके उद्देश्यसे ऐसा करेंगे तो वह अवश्य मिट जायेगी।

यदि कोई आपकी खादीका और आपके सिद्धान्तका विरोध करने लगे तो आप उसका क्या करेंगे?

ऐसा कोई भी नहीं चाहता, यदि कोई चाहता भी हो, तो भी मुझे उसका कोई भय नहीं है।

लेकिन यदि कोई आपके सिद्धान्तपर आक्रमण करे तो आप सिद्धान्त छोड़नेका निर्णय तो नहीं करेंगे? बल्कि आपको तो लड़ाई करके ही उस सिद्धान्तकी रक्षा करनी होगी।

मेरे सिद्धान्तमें ही ऐसी शक्ति निहित है कि कोई उसे मिटा नहीं सकता। हमें सिद्धान्तका त्याग नहीं करना है; यदि जरूरत जान पड़े तो [कांग्रेस] कमेटीको त्याग देना है।

[कांग्रेस] कमेटी न हो तो हम पंगु बन जायेंगे। फिर हम किस अधिकारसे काम कर सकते हैं?

आप तनिक गहरा विचार करें। आप देखते हैं कि फर्ग्युसन कॉलेज आपकी राष्ट्रीय संस्थाओंके साथ-साथ चल रहा है, सो क्या कांग्रेसके भरोसे? कांग्रेसका आश्रय लेनेसे ही काम होता है, ऐसा मानना कोरा वहम है। आपमें जितनी शक्ति होगी आप उतना ही कार्य कर सकेंगे और ऐसे तन्त्रको रखनेका लाभ ही क्या है जिसकी

Gandhi Heritage Portal

सार-सँभालमें ही आपका सारा धन और बल खप जाये? इससे तो बेहतर यह है कि उस तन्त्रको नष्ट कर दिया जाये। यदि तन्त्र अनायास ही हाथमें रहे तो भले ही बना रहे। यदि इसमें आपकी सारी शक्ति खर्च होती है तो इसका आपके हाथसे निकल जाना ही श्रेयस्कर है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १४-९-१९२४

६१. भाषण : सूरतके कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओंके समक्ष

[५ सितम्बर, १९२४][1]

गांधीजी यहाँ कुछ ही घंटे ठहरे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओंसे स्थानीय मामलों और खासकर आगामी नगरपालिका चुनाव तथा राष्ट्रीय प्राथमिक स्कूलोंकी हालतके सम्बन्धमें बातचीत की। उन्होंने केवल उन्हीं उम्मीदवारोंको चुनने और खड़ा करनेकी सलाह दी जो राष्ट्रीय नीतिका समर्थन करनेका वादा करें। उन्होंने उन सभीसे एक होकर काम करनेको कहा, भले ही वे अलग-अलग दलोंके हों। राष्ट्रीय स्कूलोंके बारेमें गांधीजीने बताया कि अगर कांग्रेसी लोगोंको उन्हें चलानेके लिए काफी पैसा न मिले तो अच्छा होगा कि वे उन्हें बन्द कर दें। लेकिन वे उन्हें चलानेके लिए कर्ज लेनेकी नीतिके विरुद्ध थे।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, १६-९-१९२४

६२. भाषण : सूरतकी सार्वजनिक सभामें

५ सितम्बर, १९२४

कहाँ गया सूरतका तेज, संगठन और शौर्य? ये सब सूरतमें फिर कब आयेंगे, जिससे कि सूरतसे उनका प्रवाह गुजरातमें पहुँचे और गुजरातसे हिन्दुस्तानको मिले? जब मैं देखता हूँ कि मेरी इच्छानुसार काम नहीं हो रहा है, सब दाँव उलटे पड़ रहे हैं और पारस्परिक वैमनस्य बढ़ रहा है, तब मैं बहिष्कार और सविनय अवज्ञाकी बात कैसे कर सकता हूँ? सूरतमें खादी और मिलके कपड़ेके झगड़ेका तो प्रश्न ही नहीं था; यहाँ तो ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे खादी ज्यादासे-ज्यादा तैयार हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सार्वजनिक सभाओं द्वारा जगत्‌में किसीको स्वराज्य नहीं मिला है। स्वराज्यके लिए तो जी-तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। अपनी घर-

१. गांधीजी बम्बईसे अहमदाबाद जाते हुए सूरत गये थे।

Gandhi Heritage Portal

गृहस्थी हम भाषणों, लेखों और विवेचनोंसे नहीं चलाते। कुटुम्बका काम तभी चल सकता है जब कुटुम्बके लोग अपने-अपने हिस्सेका काम करें। यदि हमें स्वराज्य लेना है तो हरएकको कसकर काम करना शुरू कर देना चाहिए।

यदि हिन्दू अथवा मुसलमान दोनोंमें से एक भी बिलकुल सीधे हो जायें तो एकता हमारे हाथमें है। लेकिन यदि बदला लेनेकी इच्छा हो तो उचित यही है कि हम अपने युगमें एकताकी बात ही न करें। यदि हमें स्वराज्य लेनेकी गरज है तो दोनोंमें से किसी एकको सीधा होना ही चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि हिन्दू डरपोक और कमजोर हैं। डरपोकपन दूर करनेका रास्ता बदला लेना नहीं है। डरपोक दोनों कौमें हैं और इसी कारण दोनों गुलाम हैं। सरकार दोनोंको गुलाम मानती है। इसलिए सच्चे अर्थोंमें केवल एक नहीं, दोनों कौमें डरपोक हैं और उनका यह डरपोकपन अहिंसाके सिवा और किसी उपायसे दूर नहीं किया जा सकता। हाँ यह अहिंसा वीरोंकी होनी चाहिए। वीरताके लिए क्या लाठी चलानेकी जरूरत है? उसके लिए तो मरना सीखनेकी जरूरत है। हम हिन्दुओंके मन्दिर तोड़े जानेकी बात सुनते हैं। यदि पुजारी मन्दिरोंको टूटता हुआ छोड़कर भाग जायें, तो मन्दिर किस तरह बचाया जा सकता है? आप कहेंगे कि आक्रमणकारी और देव-मन्दिर-भंजककी आजिजी क्यों की जाये? मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप मरकर मूर्तिकी रक्षा करें। मारनेवाला जब देखेगा कि सामने कोई मरकर रक्षा करनेके लिए उद्यत बैठा है तब वह समझ जायेगा।

आप मारकर मूर्तिकी रक्षा नहीं कर सकते। मुसलमान भी हिन्दुओंको मारकर इस्लामकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। यदि वे मारकर इस्लामकी रक्षा करना चाहते हैं तो इसमें सन्देह नहीं कि इससे इस्लाम नेस्तनाबूद हो जायेगा। दुनियामें एक भी धर्म दूसरोंको मारकर अपने अस्तित्वको बनाये नहीं रख सकता। मैं तीस वर्षके अपने चिन्तन और अनुभवके आधारपर कहता हूँ कि जो लोग धर्म और देशकी रक्षा करना चाहते हैं, उनके लिए अहिंसाके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तलवार उठानेवालेकी मृत्यु तलवारसे ही होती है। आजतक कोई भी धर्म तलवारके बलपर नहीं चल सका है और न ही चल सकता है। इस्लाम फकीरोंके और हिन्दू-धर्म तपस्वियोंके कारण टिका रहा है। हिन्दू-धर्ममें ऐसे ऋषि-मुनि हुए हैं जिन्होंने मृत्युका रहस्य बताया है। आप अपने शास्त्रोंको अच्छी तरहसे सोच-समझकर पढ़ें। आप मुझे इस चर्चामें न डालें कि रामने क्या किया। पार्वतीने अनेक विघ्न-बाधाओंके बीच तपस्या की, द्रौपदीने भी उस समय अपनी रक्षा तपस्याके द्वारा ही की, जब धर्मराज युधिष्ठिर, बलवान भीम और गाण्डीवधारी अर्जुन टुकर-टुकर देख रहे थे।

मुसलमानोंको मैं यह सन्देश मौलाना अब्दुल बारी साहब और अली-भाइयों द्वारा दे सकता हूँ। लेकिन हिन्दू होनेके नाते मुझे यह बात प्रत्येक हिन्दूसे कहनेका अधिकार है। आज हिन्दू और मुसलमान दोनों ही ईश्वरमें अपनी श्रद्धा खो बैठे हैं, आत्मविश्वास खो बैठे हैं और गुण्डोंकी सहायतासे बहादुर बनना चाहते हैं। इससे न तो हिन्दू-धर्मकी रक्षा होगी और न इस्लामकी ही। ये दोनों तो तपश्चर्या और

Gandhi Heritage Portal

फकीरीसे ही बच पायेंगे। आप अपना डरपोकपन दूर कर दें। जमनालालजीके हाथमें चोट आई[1], इससे मुझे प्रसन्नता हुई। यदि झगड़े-फसादको शान्त करते हुए वे मर भी जाते तो भी मुझे प्रसन्नता ही होती, क्योंकि उससे हिन्दू-धर्मकी ज्यादा रक्षा होती। उनको अकस्मात् ही पत्थर लगा। लेकिन जो पत्थरोंकी बौछारमें जाकर खड़ा होता है उसे केवल पत्थर ही नहीं लगेगा बल्कि वह मर भी सकता है। यदि जमनालालजी मर जाते तो इससे लड़नेवाले दोनों पक्ष लज्जित होते और रोते।

इस तरहसे बहादुर बनकर आप मुसलमानोंके दिलोंको जीतें। मैं अखाड़ोंका विरोधी नहीं हूँ। शरीर कमजोर हो तो उसमें सुधार करनेके लिए आप भले ही अखाड़े खोलें। लेकिन हिन्दू-मुस्लिम विवादका निर्णय करनेके लिए नहीं। उसके निर्णयका उपाय तो तप और सत्य ही है। महाभारतकारने एक बहुत जोरदार बात कही है "तराजूके एक पलड़ेमें आप सहस्रों यज्ञोंको रखें और दूसरेमें सत्य; तो भी सत्यका पलड़ा भारी होगा।" मैं चालीस वर्षके अपने अनुभवके आधारपर कहता हूँ कि यह बात सच है। जब हम इन साधनोंसे विजय प्राप्त करेंगे तब हिन्दुओं और मुसलमानोंमें परस्पर विरोध नहीं रहेगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १४-९-१९२४

६३. सन्देश : 'साँझ वर्तमान' को[2]

[६ सितम्बर, १९२४ से पूर्व]

नये सालके उपलक्ष्यमें 'साँझ' के पारसी पाठकोंकी अपनी शुभकामना भेजते हुए मैं इसके सिवा और कुछ नहीं सोच पाता कि भारतीय जन-साधारणकी गरीबी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम पढ़े-लिखे लोग अपने निर्वाह और आमोद-प्रमोदके सभी साधन इन्हींसे प्राप्त करते हैं। जो भयंकर तथ्य हमारे सामने हमें चुनौती देते हुए खड़े हैं उनकी ओरसे अगर हम अपनी आँखें बन्द कर लेते हैं तो हमारी यह खुशी एक झूठी खुशी होगी। क्या 'साँझ' के पारसी पाठक नये सालमें वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त करना नहीं चाहेंगे? इसका सबसे अच्छा रास्ता यही है कि वे अपना ध्यान चरखे तथा उसके उत्पादन सूतकी ओर लगायें। यदि वे मातृभूमिके नामपर कुछ कताई करें तो गरीबोंको कताईके लिए प्रोत्साहन मिलेगा तथा खादी सस्ती होगी। यदि वे हाथ-कते सूतसे तैयार खादीका उपयोग करेंगे तो वे खादीकी बिक्रीमें सहायता पहुँचायेंगे।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ६-९-१९२४

१. यह चोट जमनालाल बजाजको नागपुरके हिन्दू-मुस्लिम दंगोंमें लगी थी।

२. इसके पारसी नववर्ष अंकके लिए।

Gandhi Heritage Portal

६४. तार : पण्डित मदनमोहन मालवीयको[1]

साबरमती
[६ सितम्बर, १९२४]

पण्डित मालवीयजी
शिमला

तारके लिए धन्यवाद। आपसे जितना बने सब सहायता चाहूँगा। क्या आप दिल्लीके हिन्दुओंसे सुझाई गई शर्तें माननेको कह सकेंगे?

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०१५१) की फोटो-नकलसे।

६५. तार : मुहम्मद अलीको

६ सितम्बर, १९२४

मौलाना मुहम्मद अली
कूचा चेलान
दिल्ली

अभी पहुँचा हूँ। मालवीयजीको तार दिया। आशा है आप सानन्द होंगे।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०१५१) की फोटो-नकलसे।

१. यह तार मालवीयजीके ५ सितम्बरके तारके उत्तरमें भेजा गया था। वह तार इस प्रकार था: "हार्दिक दुःख कि पिछले दो महीनोंके बहस-मुबाहिसेमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सका, पर आपके निर्णयसे बड़ी प्रसन्नता हुई। निर्णय आपके योग्य है। सुना है आप यहाँ आ रहे हैं। यदि आ रहे हों तो निश्चय ही आप मेरे साथ शान्तिकुटीरमें ठहरें।"

Gandhi Heritage Portal

६६. पत्र : गोपबन्धु दासको

६ सितम्बर, १९२४

प्रिय गोपबन्धु बाबू,

आपका पत्र मिला। यदि सार्वजनिक धनका गबन करनेवाले . . . तथा अन्य लोग पैसेवाले हों, तो मैं बिना किसी हिचकके यही सलाह दूँगा कि मुकदमे दायर कर दिये जायें। बहिष्कारका मतलब यह नहीं है कि हम नुकसान उठायें। हम अपनी सारी निजी सम्पत्ति भले ही गँवा दें, पर न्यासकी सम्पत्तिकी रक्षा तो करनी ही चाहिए। मैंने निरंजन बाबूको सलाह दी है कि मुकदमेकी कार्यवाही शुरू कर दें और इस्तीफा दे दें। बादमें उनको फिरसे चुना जा सकता है। आशा है, आप अब बिलकुल ठीक होंगे। अमृतलाल ठक्करने मुझे बताया है कि आपके स्कूलको सहायता दरकार है। कृपया जमनालालजीको लिखें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

६७. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

साबरमती
६ सितम्बर, १९२४

प्रिय मोतीलालजी,

मुझे कल सूरतमें आपका पत्र मिला। मैंने आपके तारका संक्षिप्त उत्तर[1] बम्बई-से भेज दिया था। कल मैंने आपके पत्रके उत्तरमें एक संक्षिप्त तार भेजा है। मुझे दुःख है कि मेरे पत्रसे आपको चोट पहुँची। कृपया क्षमा करें। मैंने जो-कुछ सुना था, उसे अपनेतक रखनेकी अपेक्षा आपको बतला देना क्या ज्यादा अच्छा नहीं था? आप विश्वास कीजिए, जो लोग सदा मेरे आसपास रहते हैं, वे शायद ही कभी मुझसे बातचीत करते हों? . . .[2]

१. देखिए "तार : मोतीलाल नेहरूको", २-९-१९२४ को या उसके बाद।
२. साधन-सूत्रमें यहाँ कुछ पंक्तियाँ छोड़ दी गई हैं।

Gandhi Heritage Portal

फिर भी मेरा प्रस्ताव आपके सामने है और मैं चाहता हूँ कि उसपर उसके गुण-दोषके आधारपर विचार किया जाये। क्या आप उसपर विचार करके कृपया मुझे अनुगृहीत करेंगे? आपको मालूम ही है कि मैं श्रीमती बेसेंट और सर्वश्री जयकर तथा नटराजनके[1] साथ इसके बारेमें चर्चा कर चुका हूँ। पूनामें स्वराज्यवादियोंसे भी इसके बारेमें बात कर ली है।

प्रस्ताव स्वीकृत हो या नहीं, पर मेरा यह निर्णय अन्तिम है कि मतदानकी स्थिति पैदा करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूपमें मैं कांग्रेसके विभाजनका कारण नहीं बनूँगा। जो भी हो, सबकी सहमतिसे होना चाहिए।

मो० क० गांधी

[पुनश्च:]

मुझे आपका तार मिल गया है। ऊपरके पत्रमें जो-कुछ कहा है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य: नारायण देसाई

६८. पत्र: जवाहरलाल नेहरूको

६ सितम्बर, १९२४

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारा तार मिला। तुम्हारे पिताजीका पत्र पहले ही आ चुका था। मुझे सचमुच बहुत दुःख है। मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी भावनाकी गहराई व्यक्त करते हुए एक निर्दोष-सा पत्र लिख रहा हूँ। . . .[2]

इसलिए मैंने तुम्हारे पिताजीसे अनुरोध किया है कि वे प्रस्तावके गुण-दोषोंके बारेमें मुझे अपनी राय दें। मैं कई स्वराज्यवादी मित्रोंके साथ इसपर चर्चा कर चुका हूँ। मुझे इस कठिनाईसे निकलनेका दूसरा कोई सम्माननीय मार्ग नहीं सूझ पड़ता। लिखो कि इसके बारेमें तुम क्या सोचते हो।

नाभासे जो जवाब[3] आया है, वह उसके अपने नजरियेसे आखिरी है। इसका बस एक यही जवाब हो सकता है कि गिरफ्तारीकी चुनौती स्वीकार कर ली जाये। लेकिन आजकलकी हालत देखते हुए, वैसा करना अक्लमन्दी नहीं मालूम पड़ता।

१. बम्बईसे निकलनेवाले **इंडियन सोशल रिफॉर्मर**के सम्पादक।
२. यहाँ साधन-सूत्रमें कुछ पंक्तियाँ छोड़ दी गई हैं।
३. देखिए "टिप्पणियाँ", ११-९-१९२४, उप-शीर्षक "असन्तोषजनक उत्तर"।

Gandhi Heritage Portal

इसलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि चुपचाप बैठकर बेहतर मौकेका इन्तजार किया जाये। . . .[1] अमेठीके बारेमें अत्यन्त मुस्तैदीसे भेजी गई तुम्हारी रिपोर्ट मिल गई है। उसको पढ़ते हुए दुःख होता है। समझमें नहीं आता कि क्या करूँ। मैंने शुएब और कृष्टोदासको निजी तौरपर सचाईका पता लगाने गुलबर्गा भी भेजा है। जितनी जल्दी हो सके, तुम नाभा चले जाओ। हयात और मोअज्जमको अपने साथ ले जा सकते हो। उनको जगहकी जानकारी होनी चाहिए। चूँकि एम० आगे कोई प्रगति नहीं कर पाया है, इसलिए मेरी हलचलके बारेमें कुछ भी कह सकना मुश्किल है। मैं कमसे-कम सोमवारतक यहीं हूँ।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

६९. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको

६ सितम्बर, १९२४

प्रियवर राजगोपालाचारी,

मेरे विचारोंमें तेजीसे परिवर्तन हो रहे हैं। पता नहीं आप उनपर ठीक-ठीक लक्ष्य कर रहे हैं या नहीं। मुझे तो दिनके उजालेकी तरह स्पष्ट नजर आ रहा है कि हमारे कार्यकर्त्ताओंमें जो बुराई घर कर गई है, हमें उसका सीधा प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। हमें पूर्ण रूपसे सत्ताका परित्याग कर देना चाहिए। अगर अपने उद्देश्यमें हमारी आस्था है और हमारा उद्देश्य सचमुच अच्छा है तो हमें सफलता मिलनी ही चाहिए। यदि इससे आन्दोलनको फिलहाल कुछ नुकसान भी पहुँचे, तो उसका खतरा हमें उठाना चाहिए। बहुमतके बलपर कोई भी निर्णय नहीं किया जाना चाहिए। हमें तबतक समर्पण करते जाना चाहिए जबतक कि हमारे सिद्धान्तपर ही आँच न आ जाये। इसी दृष्टिसे मैं चरखा, अस्पृश्यता और हिन्दू-मुसलमान एकताका कार्यक्रम पेश कर रहा हूँ।

हाँ, कताई-सम्बन्धी अपने प्रस्तावमें दण्डकी एक धारा जुड़वानेकी आपकी कोशिश-को लेकर यह क्या शोर-गुल मचा हुआ है? आपको कठिनाइयोंमें देखकर, मेरा हृदय आपके प्रति सहानुभूतिसे भर उठता है। अगर स्थानीय नियन्त्रण बनाये रखनेमें इतनी सारी शक्ति खर्च करनी पड़ती है, तो उसकी चिन्ता ही छोड़ दीजिए। क्या अब सारा झगड़ा शान्त हो गया है?

१. यहाँ साधन-सूत्रमें कुछ पंक्तियाँ छोड़ दी गई हैं।

Gandhi Heritage Portal

क्या आपने देवधर द्वारा स्थापित सहायता समितिकी कार्यप्रणालीका अध्ययन किया है? क्या आप उनके साथ सम्मिलित हो सकते हैं? उनका कार्य किस प्रकारका है? मैं तो आपको यही सलाह दूँगा कि यदि सम्भव हो तो एक ही गैर-सरकारी समिति बनवाइए। चारों ओरसे पैसा आ रहा है। क्या मैं सारी राशि आपको भेज दूँ? दक्षिण कनाराका क्या होगा? विभिन्न केन्द्रोंकी क्या स्थिति रहेगी? यहाँ वस्त्रोंका बड़ा ढेर लग गया है। कृपया ब्योरेवार हिदायत दें। मैं यहाँ कमसे-कम सोमवार तक तो हूँ ही। लेकिन हो सकता है कि यहाँ कमसे-कम हफ्ते-भर रहूँ।

आपका,

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य: नारायण देसाई

७०. पत्र: जमनालाल बजाजको

[६ सितम्बर, १९२४][1]

चि० जमनालाल,

तुम्हारा तार मिल गया और पत्र भी। बम्बई, पूना और सूरतकी यात्रामें लिखनेको एक क्षणका भी समय नहीं मिला। आज सुबह आश्रम पहुँचा।

तुमको चोट लगी, इससे मुझे बिलकुल दुःख नहीं हुआ। मैं तो मानता हूँ कि हम-जैसे बहुतोंको कदाचित् अपना बलिदान देना पड़े। जहर इतना ज्यादा व्याप्त हो गया है और अप्रामाणिकता इतनी ज्यादा फैल गई है कि कुछ शुद्ध व्यक्तियोंका बलिदान हुए बिना इस आपत्तिसे हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। हो सके तो झगड़ेकी जड़का पता लगाना। क्या कुछ ऐसे समझदार हिन्दू या मुसलमान नहीं हैं जो समझें और झगड़ेके कारणोंको दूर करें?

मेरे निश्चय तुमने समझ लिये होंगे। बेलगाँवमें मतदानसे किसी भी महत्त्वपूर्ण बातका फैसला न करनेका मैंने निश्चय किया है। झगड़े इतने बढ़ गये हैं कि फिलहाल तो हमको सत्याग्रहका प्रचण्ड स्वरूप बन्द ही रखना चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा ही नाश हो जायेगा। एक भी बात सही रूपमें नहीं समझी जाती। सबकुछका अनर्थ; चारों ओर अविश्वास! इस समय तो हम खुद अपनी जगह कायम रहें और दूसरे जो-कुछ करते हैं उसके साक्षी रहें।

१. गांधीजी आश्रम ६ सितम्बरको पहुँचे थे।

Gandhi Heritage Portal

'यंग इंडिया' के द्वारा तो मैंने बहुत-कुछ समझाया है। मुझे पता नहीं कि उसमें से कितनेका अनुवाद 'नवजीवन' में प्रकाशित हुआ होगा।

तुम्हारा हाथ बिलकुल अच्छा हो गया होगा। मौ० मुहम्मद अलीका पत्र या तार आनेतक मैं यहीं हूँ।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (जी० एन० २८५०) की फोटो-नकलसे।

७१. टिप्पणी

खादी-प्रचार

प्रिन्सेस स्ट्रीटके खादी भण्डारको, जिसे भाई जेराजाणी अपनी जोखिमपर चलाते थे, अब अखिल भारतीय खादी मण्डलने अपने हाथमें ले लिया है और उसका इरादा उस खादी भण्डारका विस्तार करनेका है। भण्डार अपने हाथमें लेते हुए आवश्यक जमानत भी ले ली गई है। इस भण्डारको लेनेका उद्देश्य यह है कि समस्त हिन्दुस्तानमें तैयार होनेवाली खादी, जो प्रान्तोंमें बच जाये, इस केन्द्रीय खादी भण्डारमें लाकर रखी जाये और बेची जाये। इस तरहकी सहायता पहले गुजरात प्रान्त किया करता था, लेकिन गुजरात प्रान्तीय कमेटीने स्थानीय उद्योगको विकसित करनेका जो निश्चय किया है उसे देखते हुए गुजरातने अब ऐसा करना बन्द कर दिया है। अतः इस भण्डारमें हर तरहकी खादी दिखाई देती है। इसमें महाराष्ट्रीय बहनोंको जिस तरहकी साड़ियाँ चाहिए वे भी मिलती हैं और पूरे अर्जकी धोतियाँ भी, जो अबतक नहीं मिलती थीं, मिल सकती हैं। इस भण्डारने संगठनकी जो योजना चलाई है वह प्रोत्साहन देने योग्य है। एक रुपया वार्षिक चन्दा देनेवाला कोई भी मनुष्य इसका सदस्य बन सकता है। भण्डारके व्यवस्थापकने यह जिम्मेदारी ली है कि वह खादीकी किस्म और भाव-सम्बन्धी पत्रिका प्रकाशित करके प्रत्येक सदस्यको पहुँचायेगा तथा इसके प्रत्येक सदस्यको खरीदी गई खादीपर एक रुपयेके पीछे एक पैसेकी छूट भी मिलेगी। अर्थात् यदि वह एक वर्षमें ६४ रुपयेकी खादी खरीदता है तो उसमें से एक रुपया तो अवश्य बचा सकता है। तथापि कोई मनुष्य संकुचित दृष्टिकोणसे सदस्य बने यह वांछनीय नहीं है। यदि कोई इसका सदस्य बने तो खादीको प्रोत्साहन देनेके विचारसे ही बने। वह खादीकी प्रगति-सम्बन्धी पत्रिका पढ़कर समस्त जानकारी प्राप्त करे तथा अन्य लोगोंमें उसका प्रचार करे। इस पत्रिकाके चतुर्थ अंकमें दो सुझाव दिये गये हैं वे उपयोगी हैं। चौमासेमें सब कपड़े जल्दी नहीं सूखते और खादीके कपड़ोंको सूखनेमें तो बहुत ज्यादा समय लगता है। इसके लिए यह उपाय बताया गया है कि एकके बदले, बीचमें दो फुटका अन्तर रखकर, दो रस्सियाँ बाँध ली जायें और उनपर कपड़ेको इकहरा फैलाया जाये। इस तरह कपड़ेके दोनों छोर मिलने न पायेंगे और इससे

Gandhi Heritage Portal

कपड़ेको हवा ज्यादा मिलेगी और वह तुरन्त सूख जायेगा। दूसरा सुझाव खादीकी टोपीको धोनेके बारेमें है। उसे धोते समय मरोड़नेसे उसपर सिलवटें पड़ जाती हैं और कभी-कभी तो सींवन भी खुल जाती है। लेकिन यदि उसे बिना मरोड़े निचोड़ा जाये और उसकी दो या तीन तहें करके हाथोंमें दबाकर सुखा दिया जाये तो उसमें कोई सिलवट न आयेगी और वह देखनेमें सुन्दर लगेगी। यह सच है कि इससे पानी अच्छी तरहसे नहीं निकल सकता, लेकिन टोपी तो तीन दिन पहनी जा सकती है। अतएव उतने समयमें धोई हुई टोपी सुखाई जा सकती है। यदि उसे दोनों हाथोंसे दबानेके बजाय दो चिकनी पट्टियोंके बीच दबाया जाये तो सारा पानी भी निकल जायेगा और सूखनेपर टोपी भी काफी सुन्दर रह सकेगी। सफेद खादी पहननेवाले लोगोंको भी मैली खादी कतई नहीं पहननी चाहिए। कपड़े धोनेकी आदत पड़नेके बाद मनुष्यको कपड़े धोना अच्छा लगता है। इसमें समय भी नहीं लगता और आनन्द आता है सो अलग। यह स्पष्ट है कि सफेद कपड़े कई बार धोये जाने चाहिए। काली बंडी पहननेवाला गरीब आदमी धोबीका खर्च नहीं उठा सकता। उसे अपने कपड़े आप धोनेकी आदत डालनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ७-९-१९२४

७२. सूतकी जाँच

अखिल भारतीय खादी बोर्डने प्राप्त सूतकी जो परीक्षा की है, उसके परिणाम जानने योग्य हैं, इसलिए मैं उन्हें नीचे दे रहा हूँ।[1]

प्रार्थना है कि प्रत्येक प्रान्त अगले महीने अपने सदस्यों तथा अन्य लोगोंके सूतके रजिस्टर नम्बर सही-सही लिख भेजें।

कुछ प्रान्तोंने अहमदाबाद स्टेशनके पतेसे अपने पार्सल भेजे हैं; इससे समय और पैसा व्यर्थ बरबाद हुआ है। सब पार्सल साबरमती स्टेशनके पतेसे भेजे जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त सब पार्सलोंपर 'किराया देय' लिखकर उसकी रकम टिकटोंके रूपमें अथवा मनीआर्डरसे भिजवाना नहीं भूलना चाहिए।

प्रथम पुरस्कार एक १८ वर्षीया बंगाली बाला लिये जा रही है, यह बात हम सबके लिए गर्वके योग्य है। भले ही कुछ लोगोंको यह बात न रुचे और भले ही कुछ लोग इसे तुच्छ समझें, लेकिन मेरे लिए तो यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। गुजरातमें दरबार साहब गोपालदास प्रथम आयेंगे, यह बात मैंने स्वप्नमें भी नहीं सोची थी। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। पण्डित जवाहरलाल और उनकी पत्नीके बारेमें भी ठीक यही बात हुई है। संयुक्त प्रान्तमें इन दोनों तथा श्री पुरुषोत्तमदास टण्डनके नाम विशेष रूपसे चमक रहे हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पण्डित जवाहरलालने कामका बोझ

१. यहाँ नहीं दिये गये हैं; देखिए "कसौटीपर", ४-९-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

बहुत ज्यादा होनेके बावजूद ४,००० गज सूत भेजा है। यह बात अन्य कार्यकर्त्ताओंको प्रोत्साहन देनेवाली है।

कुल संख्या और गुणको देखते हुए गुजरातका प्रथम आना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। आश्चर्यकी बात तो यह है कि गुजरातसे भी उसकी आबादीके अनुपातसे बहुत कम नाम आये हैं। जहाँ सिखानेवाले बहुत अधिक हैं और जहाँ कातनेकी कलाके विकासपर खूब ध्यान दिया गया है वहाँ तो आज हजारों स्त्री-पुरुषोंको सूत कातना चाहिए।

यह तो रहा एक पक्ष।

गुजरातकी संख्या सबसे ज्यादा है, इससे जो सन्तोष होता है वह है दूसरा पक्ष। जहाँ जितना ज्यादा काम हुआ है वहाँ उतना ही ज्यादा सूत काता गया है। गुजरातमें ज्यादा काम हुआ है इससे वहाँ ज्यादा सूत काता गया है। कातनेवालोंकी कम संख्यासे पता चलता है कि देशमें लोग अभीतक कातनेके महत्त्वको समझ नहीं सके हैं और यह कला जितनी लोकप्रिय होनी चाहिए, अभी उतनी लोकप्रिय नहीं हुई है।

अगले महीनेके परिणामोंसे इस सम्बन्धमें अधिक प्रकाश पड़ेगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ७-९-१९२४

७३. दादाभाई नौरोजीकी जयन्ती

भारतके पितामह दादाभाईकी जयन्ती ४ सितम्बरको थी, लेकिन मेरी सुविधाका खयाल करके राष्ट्रीय महिला परिषद्ने यह जयन्ती ३० अगस्तको मनाई, क्योंकि ४ सितम्बरको मुझे पूना जाना था। दादाभाईका जीवन एक ऋषिका-सा जीवन था। मेरे मनमें उनकी अनेक पावन स्मृतियाँ हैं। जिन महापुरुषोंने मेरे जीवनको प्रभावित किया है, उनमें से भारतके ये पितामह भी एक हैं और उनके जीवनसे मुझे आज भी प्रेरणा मिलती है। मैंने बहनोंको जो संस्मरण सुनाये थे, उनको मैं पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुत करने योग्य मानता हूँ।

मुझे पहले-पहल सन् १८८८ में दादाभाईके दर्शन हुए थे। मेरे पिताके एक मित्रने मुझे उनके नाम परिचय-पत्र दिया था। यह जानने योग्य है कि इस मित्रकी दादाभाईसे कोई जान-पहचान न थी, लेकिन उन्होंने ऐसा मान लिया था कि दादाभाई-जैसे साधु पुरुषको कोई भी पत्र लिख सकता है। मैंने जाकर देखा कि दादाभाई इंग्लैंडमें सब विद्यार्थियोंके सम्पर्कमें आते थे। वे उनके नेता थे और उनके सभी सभा-समारोहोंमें भाग लेते थे। मैंने तबसे लेकर अन्ततक उनका जीवन एक ही धारामें बहता देखा। मैं दक्षिण आफ्रिकामें बीस वर्षतक रहा और इस अरसेमें मेरे और दादाभाईके बीच सैकड़ों ही पत्रोंका आदान-प्रदान हुआ होगा। पत्रका उत्तर देनेकी उनकी नियमितताने मुझे तो चकित कर दिया था। मेरे पत्र तो टाइप किये होते थे, लेकिन मुझे उनका एक भी पत्र टाइप किया हुआ मिला हो, यह मुझे याद नहीं आता। वे अपने सब पत्र हाथसे लिखते थे; इतना ही नहीं, बल्कि बादमें

Gandhi Heritage Portal

मुझे विदित हुआ कि वे अपने हाथके लिखे पत्रोंकी नकलें भी अपने हाथसे टिशु-पेपर बुकमें उतार कर रखते थे। वे बहुत-से पत्रोंका उत्तर तो लौटती डाकसे ही दे दिया करते थे। उनसे जब-जब मेरी मुलाकात हुई तब-तब मुझे प्रेम और माधुर्यके सिवा अन्य किसी बातका अनुभव नहीं हुआ। पिता जिस भाँति पुत्रसे बात करता है, दादाभाई उसी भाँति मुझसे बात करते थे और मैंने अन्य लोगोंके मुँहसे सुना है कि इस सम्बन्धमें उनका अनुभव भी वही था जो मेरा था। हर घड़ी उनके मनमें यही विचार घूमता रहता था कि हिन्दुस्तान किस तरह उन्नति कर सकता है और उसे स्वराज्य कैसे मिल सकता है। हिन्दुस्तानकी दरिद्रताका प्रथम परिचय मुझे दादाभाईकी पुस्तकसे[१] ही हुआ था। उसी पुस्तकसे मुझे यह मालूम हुआ कि हमारे देशमें लगभग तीन करोड़ लोगोंको भरपेट अन्न नहीं मिलता। आज तो ऐसे लोगोंकी संख्या उससे भी अधिक हो गई है। दादाभाईकी सादगीकी तो कोई सीमा ही न थी। सन् १९०८ में ऐसा हुआ कि किसीने उनकी विपरीत आलोचना की। मुझे वह आलोचना असह्य जान पड़ी। तथापि मैं यह सिद्ध न कर सका कि वह आलोचना असत्य है और मेरे मनमें भी उसको लेकर कुछ शंका उठी। मुझे दादाभाई-जैसे महान् देशभक्तके बारेमें शंका करना पापपूर्ण लगा। इसलिए मैंने आलोचकसे अनुमति ले ली और मैं समय तय करके दादाभाईसे मिलने गया। उनके निजी कार्यालयमें जानेका मेरा यह पहला अवसर था। एक छोटी-सी कोठरी थी, जिसमें मात्र दो कुर्सियाँ थीं। यही उनका कार्यालय था। मैं उसमें घुस गया। उन्होंने मुझे एक खाली कुर्सीपर बैठनेका निर्देश किया; लेकिन मैं तो उनके पैरोंके पास ही बैठ गया। उन्होंने मेरे चेहरेपर व्यथाके चिह्न देखे और मुझसे पूछा, "कहो, साफ-साफ कहो, तुम्हारे मनको कौन-सी बात व्यथित कर रही है?" मैंने बहुत ही संकोचपूर्वक निन्दकों द्वारा की गई उनकी आलोचना बताई और कहा, "इन बातोंको सुनकर मेरे मनमें भी शंका उत्पन्न हुई और चूंकि मैं आपकी पूजा करता हूँ, मैंने अपनी इस शंकाको आपसे छिपाना पाप समझा।" उन्होंने हँसकर मुझसे पूछा, "मैं तुमको क्या जवाब दूं? क्या तुम इस बातको सच समझते हो?" जिस ढंगसे, जिस स्वरमें और जिस दुःखसे उन्होंने यह बात कही वह मेरे लिए पर्याप्त था। मैंने कहा, "अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरे मनमें अब कोई भी शंका नहीं रही है।" तथापि उन्होंने मुझसे इस सम्बन्धमें बहुत बातें कहीं। उनको यहाँ देनेकी जरूरत नहीं है। इस घटनाके बाद मुझे मालूम पड़ा कि दादाभाई फकीरोंका-सा सादा जीवन व्यतीत करनेवाले भारतीय हैं। फकीरीका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्यके पास एक कौड़ी भी न होनी चाहिए; लेकिन उस समय इनकी हैसियतके लोग जैसा जीवन व्यतीत करते थे और जिस सुख और ऐश्वर्यका उपभोग करते थे, दादाभाईने उस सबको त्याग दिया था; यही फकीरीका सच्चा अर्थ है।

इस पवित्र पुरुषके जीवनसे मैंने और मुझ जैसे अन्य अनेक लोगोंने नियमितता, अनन्य देशभक्ति, सादगी, गरीबी और अथक परिश्रमका पाठ सीखा है। जिस समय सरकारकी टीका करना राजद्रोह माना जाता था और सत्य बात कहनेका कदाचित्

१. पावर्टी ऐंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया।

Gandhi Heritage Portal

ही किसीको साहस होता था, उस समय दादाभाईने सरकारकी कड़ीसे-कड़ी आलोचना की थी और निडर होकर ब्रिटिश राज्यकी त्रुटियाँ बताई थीं। जबतक हिन्दुस्तानका इस दुनियामें अस्तित्व रहेगा तबतक हिन्दुस्तानकी जनता उन्हें प्रेमपूर्वक याद रखेगी, इस बारेमें मुझे तनिक भी शंका नहीं है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ७-९-१९२४

७४. बम्बईकी उदारता

मैं जानता हूँ कि बम्बईमें कई बुराइयाँ हैं और गन्दगी भी बहुत है। इस शहरके लोगोंमें धनका लोभ बहुत अधिक है। तिसपर भी मैंने अन्य स्थानोंकी अपेक्षा बम्बईके वातावरणमें हमेशा उदारता और भोलेपनका अनुभव अधिक किया है। यह कहा जाता है कि मैं अन्य शहरोंकी अपेक्षा बम्बईको ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ, इसी कारण मुझे ऐसा अनुभव होता है। लेकिन यह कथन सही नहीं है। भारतके चाहे किसी भी भागमें चन्दा उगाहा जाये, उसमें अधिकतर बम्बई ही सबसे आगे रहता है। मलाबारके लोगोंकी सहायताके लिए भी बम्बईसे ही अधिक रुपया मिल रहा है। पारसी राजनीतिक संघकी ओरसे जो सभा आयोजित की गई थी, उसमें केवल टिकटोंसे ही चार हजारसे अधिक रुपये मिल गये थे और इतनी ही रकम सभाके अन्तमें जो चन्दा इकट्ठा किया गया, उससे प्राप्त होनेकी आशा है। चन्दा देनेवाले भाई-बहनोंने इस बातको ध्यानमें रखकर पैसा दिया है कि चन्देकी राशि अपेक्षित रकमसे ज्यादा ही हो, कम नहीं। आजकल बम्बईके व्यापारमें बहुत ज्यादा गिरावट है तथापि बम्बईके लोग अब भी उसी तरह उदारतापूर्वक पैसा दे रहे हैं।

इसका क्या कारण है? मेरी तो मान्यता यह है कि यह पारसियोंकी दानशीलताका प्रभाव है। पाठक कहेंगे कि जिनके प्रति मेरा पक्षपात होता है, मैं हमेशा उन्हींकी ओर झुक जाता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। पारसियोंकी दानशीलता जगत्प्रसिद्ध है। यह देखनेमें आया है कि अन्य स्थानोंपर रहनेवाले हिन्दू और मुसलमान उतना पैसा नहीं देते, जितना बम्बईके हिन्दू और मुसलमान देते हैं। लेकिन मैं यह बात मानता हूँ कि पारसी सज्जनोंने सार्वजनिक कार्योंमें पैसा देनेकी जो प्रथा चलाई है उसका अन्य कौमोंने भी अनुकरण किया है। श्री डोंडेने सब कौमोंके दानके आँकड़ोंकी तुलना करके बता दिया है कि पारसी कौम दानशीलतामें संसारकी सभी कौमोंसे बढ़कर है।

लेकिन मेरा उद्देश्य तो बम्बईके नागरिकोंकी दानशीलताके कारणोंको बताकर उनसे और भी अधिक दान लेना है। मैं तो बम्बईके नागरिकोंसे सूतके दानकी आशा रखता हूँ। पारसी, हिन्दू और मुसलमान पैसा देते हैं तो इससे क्या हुआ? क्या वे आध घंटेका श्रम नहीं देंगे? क्या बम्बईके भाई और बहन अपने अन्य कार्य रोककर ईश्वरके नामपर आधा घंटा सूत कातकर देशको अर्पण न करेंगे? सूतका दान देनेमें पहल करनेके उद्देश्यसे पारसी भाई दूसरे लोगोंके समक्ष आदर्श पेश करेंगे? एक मनुष्य किसी गरीबको

Gandhi Heritage Portal

मदद करनेके लिए श्रम करे और दूसरा उसकी मदद करनेके लिए अपनी बचतमें से धन दे, इन दोनोंमें से भगवान्‌के पुण्यके खातेमें किसके दानको ऊँचा स्थान दिया जायेगा? [ऊँचा स्थान सूतके दानको ही दिया जायेगा], क्योंकि सूत तो हिन्दुस्तानके गरीबोंकी खातिर काता जायेगा। उसकी जो खादी बनेगी उसे बेचा जायेगा। लेकिन उस श्रमका वास्तविक उद्देश्य तो गरीबोंके सम्मुख उदाहरण रखना है। मेरी माँग है कि बम्बईकी पचरंगी जनता इस उद्देश्यको पूरा करे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ७-९-१९२४

७५. दो प्राचीन पुस्तकें

भाई करसनदास चितालियाने मुझे दो उत्तम पुरानी पुस्तकें दी हैं। ये पुस्तकें उन्हें एक पारसी बहनसे मिली हैं। दोनों पुस्तकें सन् १८२८ की हैं और लिथोमें छपी हैं। इनपर चमड़ेकी जिल्दें चढ़ी हैं तथा उनके ऊपरके पृष्ठोंपर सुनहरे अक्षरोंमें लिखा है, "दीनशा भीखाजीको: मेजर जनरल सर मालकम द्वारा समर्पित।" ये अंग्रेज सज्जन उस समय शिक्षा बोर्डके प्रमुख थे। पुस्तकोंमें अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और बही-खाता विषय दिये गये हैं। अंग्रेजीसे कप्तान जॉर्ज जर्विस इंजीनियरने जगन्नाथ 'शास्त्री क्रमवन्त [?] की सहायतासे इनका गुजरातीमें अनुवाद किया है।' ये पुस्तकें पहले जमानेके अंग्रेजोंकी सेवावृत्ति और उदारताका नमूना हैं। इनकी लिपि देवनागरी है। सम्भव है, ये पुस्तकें देवनागरीको एक सर्वसामान्य लिपिके रूपमें प्रतिष्ठित करनेके उद्देश्यसे ही लिखी गई हों। इनके अक्षर मोतीके समान हैं और अपार अंकोंसे युक्त पहाड़े भी बहुत सुघड़तासे दिये गये हैं। यदि ऐसा कहें कि इन पुस्तकोंमें हम शिक्षाके इतिहासका पहला अध्याय पढ़ सकते हैं, तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। उस कालकी पारिभाषिक शब्दावली आज भी लगभग उसी रूपमें कायम है। इतने वर्षोंकी लम्बी अवधि भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकी है। चूँकि ये महाराष्ट्रीय पण्डितकी सहायतासे लिखी गई हैं इसलिए इनमें "शून्य" के स्थानपर "पूज्य" और "जवाब" के स्थान "जबाप" शब्दोंका प्रयोग देखनेमें आता है।

आजके छापाखानों और रोटरी मशीनोंके युगमें, प्राचीन कालके लोगोंने कितना अधिक परिश्रम किया होगा इसकी कल्पनातक नहीं की जा सकती। ऐसी पुस्तकें उनके परिश्रमकी साक्षी देती हैं।

ये पुस्तकें पुरातत्त्व मन्दिरके[1] संग्रहमें भेजी जायेंगी। यदि किसी अन्य भाई या बहनके पास ऐसी पुस्तकें हों और वे उनका कोई उपयोग न करते हों तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे उन पुस्तकोंको पुरातत्त्व मन्दिरमें भेज दें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ७-९-१९२४

१. गुजरात विद्यापीठका एक विभाग।

Gandhi Heritage Portal

७६. पत्र: कनिकाके राजा साहबको

साबरमती
७ सितम्बर, १९२४

प्रिय राजा साहब,

मैं अब आपको दो विवरणोंकी प्रतिलिपियाँ भेज रहा हूँ। ये दोनों विवरण मेरे सचिवने मेरे लिए तैयार किये हैं। ये विवरण मेरे पास मौजूद कागजातके आधारपर तैयार किये गये हैं। आप देखेंगे कि अगर इनमें दिये गये तथ्य ठीक हैं तो यह जरूरी है कि कोई आदमी खुद जाकर उनकी जाँच करे। मेरा विचार तो श्री एन्ड्र्यूज या राजेन्द्रबाबू अथवा पण्डित जवाहरलालको आपके राज्यमें भेजनेका है। क्या आप इसे पसन्द करेंगे? मैं बहुत चाहता था कि खुद ही वहाँ आऊँ, लेकिन इन दिनों मेरे पास काम बहुत ज्यादा है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

कनिकाके राजा साहब

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य: नारायण देसाई

७७. पत्र: मुहम्मद अलीको

८ सितम्बर, १९२४

प्रिय भाई,

इस समय सोमवारकी सुबहके पाँच बजे हैं। मैंने स्याहीसे लिखना शुरू तो किया है, पर स्याहीकी कलमपर हाथ ठीकसे जम नहीं पाया है और मैं तो आपसे परिहार्य रुकावटको दूर करके भी बात करना चाहता हूँ।

अभी कल ही मेरी समझमें यह आया कि आप क्या चाहते हैं। इतना याद रखें कि दो प्रेसोंका सफलतापूर्वक संचालन कर चुकनेके बाद भी उसके ब्योरेके बारेमें मेरी जानकारी नहींके बराबर है। मैं अभीतक नवजीवन कार्यालयमें गया ही नहीं हूँ। मुझे कभी पता ही नहीं रहा कि दिल्लीसे क्या लाया गया है और क्या नहीं। मैं तो यही समझ रहा था कि जो ला रहा हूँ वह मेरा ही है। खैर, अब मैं जो भेज रहा हूँ उसे आप अपना समझें। मेरा जो-कुछ है, वह आपका है, और स्वामी[1] भी उसमें शामिल

१. स्वामी आनन्दानन्द, प्रबन्धक, नवजीवन प्रेस।

Gandhi Heritage Portal

है। लेकिन जहाँ भी वह चूके, या आपको उसमें कोई कमी दिखाई दे, वहाँ आपको मेरी सहायता लेनी चाहिए। जो-कुछ वह कर सकता है, वह तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर धनसे इस गँवाये हुए समयकी कमी पूरी हो सकती हो, तो मैं जैसे भी हो धन जुटा दूँगा। स्वामी कहता है कि वह इससे पहले आपको मशीनें भेजनेका इन्तजाम नहीं कर सकता था। मुझे उसकी बातपर यकीन है। आप कुछ समयके लिए 'कॉमरेड'[1] और 'हमदर्द'[2] दोनोंको किसी दूसरे प्रेसमें छपवानेका इन्तजाम क्यों नहीं कर लेते? और जो घाटा हो उसे पूरा करनेके लिए आप मुझसे कह सकते हैं?

स्वामीका कहना है कि प्रेसको ठीक ढंगसे जमानेमें समय लगेगा। वह कहता है कि उसने कभी ऐसा तो समझा ही नहीं था कि हर चीज उसे खुद ही जमानी पड़ेगी। वह और मैं भी यही समझते थे कि उसकी जरूरत सिर्फ मशीनोंके लिए ही है। उसका कहना है कि वह यहाँ सारे फर्नीचरकी ढुलाईके लिए तैयार नहीं था। उस समय न तो उसे और न उसके एजेंटको ही सारी आवश्यक जानकारी थी। जिस एजेंटको सचमुच माल सौंपा गया था, प्रेसके बारेमें उसकी जानकारी नहींके बराबर थी।

लेकिन सवाल यह नहीं है कि 'क' या 'ख'ने क्या समझा, बल्कि यह है कि आपको जरूरत किस चीजकी है और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जब दिल्लीमें था तब भी मेरा यह खयाल नहीं था कि इसमें जो देर हुई है वह केवल मेरी ओरसे हुई देरीके कारण ही हुई है। मेरा खयाल था कि दिल्लीमें मशीनें लग जानेके बाद भी आपको कई चीजें और करनी पड़ेंगी; तभी हम काम शुरू कर सकेंगे।

अब आप स्वामीसे जी-भरकर काम लें। आखिर वह उन लोगोंमें से है, जो मेरे ज्यादासे-ज्यादा करीब हैं। उसकी नाकामयाबीका मतलब है मेरी नाकामयाबी। जो आदमी दूसरोंको परख नहीं सकता, उसे असफल ही कहना होगा, फिर चाहे उसका हृदय बिलकुल कुन्दन-जैसा और इरादा नेकसे-नेक ही क्यों न हो। ऐसे आदमीको तो फिर लोगों और चीजोंसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशासे कहता आया हूँ कि जिस कसौटीपर मेरे सबसे निकटके साथी खरे उतरें उसके आधारपर आप मेरा भी मूल्यांकन करें। आप, स्वामी, महादेव, हयात, अशफाक, मोअज्जम, देवदास, कृष्णदास, शुएब मेरे ऐसे ही साथी हैं। इतना ही काफी नहीं है कि मैं आपके साथ अच्छी तरह निभा लूं, स्वामी, महादेव, देवदास वगैरहको भी तो निभाना चाहिए। अगर ये लोग ऐसा नहीं कर सकते तो उनको मेरे सार्वजनिक जीवनसे उसी तरह अलग हट जाना चाहिए जैसे बा कमसे-कम फिलहाल हट गई है। यही लोग तो मेरे साधन हैं, जिनके जरिये मैं काम करता हूँ — ठीक उसी तरह जैसे आप हयात, मोअज्जम वगैरहके जरिये करते हैं।

इसलिए मैं स्वामीको भेज रहा हूँ, ताकि आप दोनों एक-दूसरेके करीब आ सकें और एक-दूसरेको ज्यादा अच्छी तरह समझ सकें। मैं स्वराज्य और एकता प्राप्त करनेके

१ और २. मुहम्मद अली द्वारा सम्पादित क्रमशः अंग्रेजी और उर्दू पत्र।

Gandhi Heritage Portal

लिए इन निजी ताल्लुकातको ठीक-ठीक शक्ल देना हजारों सार्वजनिक दस्तावेजोंसे ज्यादा अहम मानता हूँ।

दिली मुहब्बतके साथ,

आपका,

मो० क० गांधी

मुहम्मद अली

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

७८. पत्र : सतीशचन्द्र मुखर्जीको

८ सितम्बर, १९२४

प्रिय सतीश बाबू,

आपका तार पढ़कर हार्दिक दुःख हुआ। मैं आपको सान्त्वनापूर्ण उत्तर भेज रहा हूँ।

कृष्टोदासको न किसीने हटाया है और न कोई हटाना ही चाहता है। मैं अभी भी उसके बिना काम नहीं चला सकता। पिछली बार कृष्टोदास मेरे साथ नहीं गया, क्योंकि हम दोनों इसी नतीजेपर पहुँचे कि ऐसा करना खुद उसके लिए भी और उद्देश्यके हितमें भी सर्वोत्तम है। वह उन चारों व्यक्तियोंमें सबसे अधिक बुद्धिमान है, जो मेरी वैयक्तिक सेवा तथा सचिवोंका काम कर रहे हैं। महादेव, देवदास और प्यारेलाल उसे बुद्धि और तपस्यामें अपनेसे बढ़कर मानते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि कृष्टोदासके दिमागमें ऐसा खयाल कैसे आया कि उनमें से कोई उसे उखाड़ फेंकनेकी कभी सोच सकता है। मुझे यात्राओंके दौरान चारोंकी जरूरत नहीं पड़ती। कमसे-कम एकको तो काम-काज देखनेके लिए पीछे रहना ही चाहिए और इस तरह या तो महादेवको या देवदासको ही आश्रममें छोड़ा जा सकता है, अन्य किसी कारणसे नहीं तो कमसे-कम इसलिए कि प्यारेलाल और कृष्टोदास दोनोंमें से कोई भी 'नवजीवन' और गुजरातीमें होनेवाले पत्र-व्यवहारका काम नहीं देख सकता। इसलिए कृष्टोदासको हमेशा मेरे साथ ही रहना है। वह गुलबर्गा इसलिए गया है कि शुएबको सिर्फ वही स्वीकार्य था। मैं अगर जोर देता तो शुएब अपने साथ महादेवको ले जा सकता था। लेकिन मैं जानता हूँ कि वह बड़ा भावुक है। मैं चाहता था कि वह अधिकसे-अधिक अनुकूल परिस्थितियोंमें वहाँ जाये। फिर जब मैंने देखा कि महादेवका नाम सुझानेपर भी शुएबने कृष्टोदासके लिए ही कहा तो मैंने बेहिचक उसकी बात मान ली। कृष्टोदास भी राजी था। उसकी और शुएबकी खूब पटती है। इसलिए आप कृष्टोदासके बारेमें चिन्ता मत कीजिए। वह मेरे साथ रहेगा। और

Gandhi Heritage Portal

यह सिर्फ इसीलिए नहीं कि आप ऐसा चाहते हैं। वह मेरे लिए मेरे साथ रहेगा। मैं उसे अपने साथ रखनेके लिए आपसे कहीं ज्यादा उत्सुक हूँ। मेरे जीवनका यह एक सौभाग्य रहा है कि मुझे ऐसे साथी मिलते रहे हैं जिनको अपने साथ रखनेमें मैं सम्मान और सुख महसूस करता हूँ। ऐसे साथियोंमें कृष्टोदासका एक खास स्थान है।

यह उत्तर मैंने आपकी कलमसे लिखा है। आपने जो पहली कलम मुझे भेजी थी, उसे मैं बहुत कीमती मानता था और हमेशा अपने साथ रखता था। मैंने जेलमें वह कलम इन्दुलालको लिखनेके लिए दी थी। उन्होंने उसे खराब कर दिया। फिर उन्होंने उसे मरम्मतके लिए बाहर भेजा। जिस मित्रको वह काम सौंपा गया, उसने वह बहुमूल्य कलम खो दी। इसलिए कृष्टोदासने मुझे यह कलम दी है। अभी उसीसे लिख रहा हूँ। मुझे छपाईके दो ऑर्डर भी मिले हैं। इतना ध्यान रखनेके लिए आप मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। एक और कृपा कीजिए — तार द्वारा वचन दीजिए कि आप कृष्टोदासके बारेमें आगेसे कभी चिन्ता नहीं करेंगे।

आपका,

मो० क० गांधी

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ५५९७) की फोटो-नकलसे।

७९. पत्र : वसुमती पण्डितको

भाद्रपद सुदी १० [८ सितम्बर, १९२४][1]

चि० वसुमती,

तुम्हारे दो पत्र मिले। तुम्हारा ठिकाना निश्चित न होनेके कारण मैंने तुम्हारे पहले पत्रका उत्तर नहीं दिया। वहाँ तो तुम्हारी तबीयत अच्छी रहनी चाहिए। अपना स्वास्थ्य पूरी तरह सुधार लो। मेरी यात्राके बारेमें अभी कुछ निश्चय नहीं हुआ है। इस सप्ताहमें पता चलेगा।

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती वसुमती पण्डित
मार्फत — श्री अम्बालाल मथुरादास
मेसर्स स्ट्रॉस ऐंड कम्पनी
बटाला
पंजाब

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५५) से।
सौजन्य : वसुमती पण्डित

१. पत्रपर प्राप्तिकी तारीख, १२-९-१९२४ दी हुई है।

Gandhi Heritage Portal

८०. पत्र : आनन्दानन्दको

आश्रम
८ सितम्बर, १९२४

भाई आनन्दानन्द,

तुम दिल्ली जा रहे हो तो कोई रामचन्द्रकी ओरसे अंगद बनकर नहीं और युधिष्ठिरकी ओरसे कृष्ण बनकर भी नहीं। तुम तो निषादराजकी-ओरसे रामकी कोई सेवा बन सके तो उसे करने, निषादराजको रामके पग धोनेकी अनुमति मिल जाये ऐसी व्यवस्था करनेके लिए जा रहे हो; अथवा सुदामाका कोई सेवक कहीं जाये और सुदामाका नाम उज्ज्वल करे उसी तरह तुम मेरा नाम उज्ज्वल करनेके लिए जा रहे हो। तुम न्याय लेने नहीं, देने जा रहे हो। जड़भरतपर जो बीती सो उसने चुपचाप शान्तिपूर्वक सहन की। तुम्हें रुद्र बनकर नहीं जाना है, विष्णु बनकर जाना है। मौलानाको क्या करना चाहिए प्रश्न यह नहीं है; प्रश्न तो यह है कि मुझे अर्थात् तुम्हें क्या करना चाहिए। मैंने 'नवजीवन'में जितना तत्त्वज्ञान उँड़ेला है, उसका यहाँ अक्षरशः आचरण करनेका मेरा अडिग निश्चय है। उसमें तुम मन, वचन और कर्मसे मदद करना। तुम्हें और मुझे यही शोभा देगा, ऐसा मानकर उसपर अमल करना। मैं आजकल लोगोंको जिस बातपर अमल करनेकी सलाह दे रहा हूँ, इस मामलेमें मुझे भी वही करना चाहिए। हमें 'यंग इंडिया' तथा 'नवजीवन'को और अधिक नुकसान पहुँचाकर भी मुहम्मद अलीका काम करना है। उनके पत्रका प्रथम अंक तुम्हारे हाथों निकले, इससे अधिक अच्छी बात और क्या हो सकती है? समझना कि 'कॉमरेड' और 'हमदर्द' तुम्हारे ही या मेरे ही पत्र हैं। तुम यह सोचकर वहाँ जा रहे हो कि ये पहले हैं और 'यंग इंडिया' तथा 'नवजीवन' बादमें। मैं तुम्हारी हार्दिक विनय और चतुराईमें हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यकी अर्थात् स्वराज्यकी चाबी देखता हूँ। दिल्लीसे जल्दी वापस आनेका विचार ही न करना।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

6369

Gandhi Heritage Portal

८१. पत्र : जमनालाल बजाजको

भाद्रपद सुदी १२ [१० सितम्बर, १९२४][1]

चि० जमनालाल,

तुम्हारा हाथ अब बिलकुल दुरुस्त हो गया होगा। मेरा पिछला पत्र मिला होगा।[2] मेरे चित्तमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। उसका पूरा दर्शन इस समयके 'यंग इंडिया'में आयेगा। वोट लेकर हमें बहुमत नहीं बनाना चाहिए, इतना मुझे अभी तो लगता है। बेलगाँवमें यदि हमको ज्योंका-त्यों काम करनेका अवसर न मिले तो हमें अलग होकर जितना बन सके उतना काम करना चाहिए। मैं यह देख रहा हूँ कि जो जहर अभी फैल रहा है वह उसके बिना नष्ट नहीं होगा। इतना तो मानता हूँ कि कैसे भी हो हम उसका मुकाबला कर सकेंगे। दिल्ली जानेके लिए तारकी राह देख रहा हूँ। वहाँ जाना पड़ा तो हिन्दू-मुस्लिम समस्याके विषयमें कुछ रास्ता निकलनेकी सम्भावना है।

अभीतक यह पता नहीं चला कि वहाँ दंगा कैसे हुआ।

घटवाईके[3] भाषण अभी देखे। यदि इसी तरह बोला हो तो मेरा धन्यवाद बेकार हो गया। इस भाषणमें अहिंसा नहीं है।

बालकृष्ण[4] आ गया यह ठीक हुआ। अपनी इच्छाके अनुसार भले वहाँ रहे। इसके साथ जो पत्र है वह उसे दे देना। अक्तूबरमें तुम भी आओगे न?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (जी० एन० २८५१) से।

८२. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

भाद्रपद सुदी १२ [१० सितम्बर, १९२४][5]

तुम्हें चिरंजीव तारामतीके[6] बीमार होनेका दुःख होना स्वाभाविक ही है। लेकिन उसे दुःख न मानना ही हमारे लिए स्वाभाविक होना चाहिए। जो भी परिस्थिति आ पड़े, उसका सामना तटस्थ भावसे करना ही धर्म है। ऐसा जाननेके बाद

१. आगामी बेलगाँव कांग्रेसके उल्लेखसे।

२. देखिए "पत्र : जमनालाल बजाजको", ६-९-१९२४।

३. नागपुर-क्षेत्रके एक कांग्रेसी।

४. बालकृष्ण न० भावे, सत्याग्रह आश्रमके एक अन्तेवासी।

५. साधन-सूत्रमें यही तारीख दी गई है।

६. मथुरादास त्रिकमजीकी पत्नी।

Gandhi Heritage Portal

हमें दुःख क्यों मानना चाहिए? दुःख न माननेका अर्थ कठोर होना नहीं है। जिन्हें हमसे सहायताकी अपेक्षा करनेका अधिकार है, उनकी सेवामें कोई कमी क्यों रहे? तारामतीकी यह बीमारी चली जायेगी; लेकिन मैं अब भी चाहता हूँ कि उसकी प्रसूति किसी अच्छे स्थानपर कराई जाये। दलालकी सलाहकी जरूरत जान पड़े तो ले लेना। आनन्दको हिम्मत देना। मुझे रोज समाचार देते रहना।

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी

८३. पत्र: तारामती मथुरादासको

भाद्रपद सुदी १२ [१० सितम्बर, १९२४][1]

तुम्हारे बीमार पड़नेका पत्र मुझे आज ही प्राप्त हुआ है। तुम तनिक भी चिन्ता न करना। स्वस्थ अवश्य होना है—ऐसा दृढ़ निश्चय रखना और रामका नाम जपती ही रहना। यह जप बीमारीके कष्टको कम करेगा और बीमारीको भी दूर करेगा। अभी तुम्हारी इसी देहमें, मुझे तुमसे बहुत सेवा लेनी है। स्वस्थ होकर मुझे अवश्य पत्र लिखना। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे!

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी,

८४. टिप्पणियाँ

आगामी १५ तारीख

सूतकी दूसरी किस्तका महीना जल्द ही आनेवाला है। पहले महीनेमें सूत कातनेवालोंकी संख्या २,७८० थी। इसमें प्रतिनिधि और अन्य लोग सभी शामिल हैं। कितने ही लोगोंसे और जगहोंसे सूत न भेज पानेके उचित कारण प्राप्त हुए हैं। कुछ लोग तो यह भी नहीं जानते थे कि जो प्रतिनिधि नहीं हैं, उनको भी सूत भेजना है। इसलिए इस दूसरे महीनेके दौरान सभी प्रान्तोंमें बहुत प्रगतिके प्रमाण मिलने चाहिए। कतैयोंसे अनुरोध है कि वे नीचे लिखी बातोंपर ध्यान देंगे:

१. सूत एक-सा भेजें। जब अच्छी पूनियाँ और अच्छी रुई मिले, तब २० अंकसे कमका सूत न कातें। उन्हीं कतैयोंने अलहदा-अलहदा अंकका सूत भेजा है। हर कतैयेको ध्यान रखना चाहिए कि बुनाईके समय एक अंकके सूतमें दूसरे अंकका सूत नहीं मिलाया जा सकता।

१. साधन-सूत्रमें यही तारीख दी गई है।

Gandhi Heritage Portal

२. किसी भी गुंडीमें ५०० गजसे ज्यादा सूत नहीं होना चाहिए। हर गुंडीमें यथासम्भव सौ-सौ गजकी पाँच लच्छियाँ होनी चाहिए और हर लच्छी एक मजबूत धागेसे बाँध दी जानी चाहिए। बुनकरोंको गुंडीसे खोलकर सूत नलकी (बाबिन)पर लपेटना पड़ता है, अतः उनकी सुविधाके लिए ऐसा करना नितान्त आवश्यक है। यदि सूत उलझा हुआ हो तो उसे खोलना प्रायः असम्भव हो जाता है। बीचमें जो गाँठें लगाई जाती हैं, उनसे नलकीपर सूत लपेटनेवालोंको, अगर सूत टूट गया हो तो, उसका छोर ढूँढ़नेमें कठिनाई नहीं होती। अगर उसे उस छोरको सिर्फ सौ तारोंमें ही ढूँढ़ना पड़े तो वह बहुत आसानीसे ढूँढ़ सकता है।

३. अटेरनसे उतारनेके पहले सूतपर थोड़ा-सा पानी छिड़कनेसे उसकी मजबूती बढ़ जाती है।

४. एक-से सूतकी हर गुंडीपर सूतके वजन, लम्बाई (गजोंमें) और अंककी चिट लगानी चाहिए। अंक निकालनेका तरीका बड़ा आसान है। सूत जितना गज लम्बा हो उस संख्याको २१ से तथा तोलेमें सूतका जो वजन हो उससे विभक्त कर दीजिए। उदाहरणके लिए, ८४० गजकी गुंडीका वजन यदि १ तोला है तो सूतका अंक $\frac{८४०}{२१ \times १} = ४०$ होगा। यदि उसका वजन $\frac{१}{२}$ तोला है तो उसका अंक $\frac{८४० \times २}{२१ \times १} = ८०$ होगा। कहनेकी जरूरत नहीं कि अंक निकालनेमें बटेको छोड़ देना चाहिए।

५. कुछ सदस्योंने सूतकी कूकड़ी तकुएसे निकालकर ज्योंकी-त्यों बिना गुंडी बनाये भेजी है। इस तरह तकुएसे निकलनेके बाद उसको काममें लाना निहायत मुश्किल है। यदि उसे बुनाईके लिए उपयोगमें लाना है तो उसकी गुंडी अवश्य बनानी चाहिए और उसपर ऊपर सुझाये तरीकेसे गाँठें दे देनी चाहिए।

यहाँ मुझे एक बात कह देनी चाहिए। एक-दो शख्स ऐसे भी हैं, जिन्हें मिलका सूत भेजनेमें भी कोई संकोच नहीं हुआ। मुझे आशा है, उन लोगोंने बिना यह जाने ही कि हमारा कर्त्तव्य क्या हैं, यह भेज दिया है। मिल-कते सूतकी पहचान करनेमें जरा भी कठिनाई नहीं होती। किसी भी किस्मका सूत भेज देनेमें कोई खूबी नहीं है। खूबी तो अपने हाथोंसे काता हुआ अच्छा और एक-सा सूत भेजनेमें है।

तमाम पार्सल साबरमतीके पतेपर भेजने चाहिए — अहमदाबाद नहीं। उनका किराया वहीं भर देना चाहिए।

कुछ और आँकड़े

प्राप्त सूतका विवरण प्रकाशित होनेके बाद आन्ध्र और तमिलनाडसे कुछ सूतके पार्सल और आये हैं। इससे यह मालूम होता है कि इन दोनों प्रान्तोंने रिपोर्टमें दिखलाये आँकड़ोंसे बहुत ज्यादा सूत भेजा है। आन्ध्रकी कुल संख्या ४८७ और तमिलनाडकी १९५ है।

कुल प्राप्त सूतका वजन २३ मन २३ पौंड है। इसमें गुजरातसे भेजे गये सूतका वजन १३ मन है और शेष दूसरे प्रान्तोंका है। अधिकसे-अधिक १०० अंक तकका सूत आया है। हमारी मिलोंमें आमतौरपर ४० से अधिक अंकका सूत नहीं काता जाता। कतैयोंको याद रखना चाहिए कि जब वे बिना कुछ मेहनताना लिये

Gandhi Heritage Portal

अपनी खुशीसे कातना मंजूर करते हैं, तब पैसेकी दृष्टिसे ऊँचे अंकका सूत कातनेमें ही बचत होती है। यदि कोई १० के बजाय २० अंकका सूत कातता है तो वह कपासकी करीब-करीब आधी कीमतकी बचत करता है। अतएव बेहतर होगा कि कतैये अँगुलियों और आँखोंके जरा सध जानेपर ऊँचे अंकका सूत कातनेकी कोशिश करें।

धर्मकी दृष्टिसे देखें तो कोई ४० मुसलमानों और लगभग इतने ही पारसियोंने अपने हिस्सेका सूत भेजा है। हाँ, कुछ ईसाइयोंके नाम भी मिलते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्योंमें से १०४ ने अपने हिस्सेका सूत भेजा है। कार्य-समितिके, सिर्फ तीनको छोड़कर, तमाम सदस्योंने अपना सूत भेजा है। देशके अत्यन्त प्रख्यात पुरुषोंमें, जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके सदस्य नहीं हैं, दो सज्जनोंने सूत भेजा है। वे हैं — मौलाना अब्दुल बारी साहब और आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय।

प्रतिनिधियोंके अतिरिक्त

आम तौरपर लोग अभी यह महसूस नहीं करते कि कांग्रेस प्रतिनिधियोंके लिए जहाँ नियमित रूपसे कताई करना अनिवार्य है, वहाँ कताईके सद्‌गुणमें विश्वास रखनेवाले अन्य सब लोग भी इस कर्त्तव्यसे बिलकुल मुक्त नहीं हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका प्रस्ताव तो इस बातका संकेत-मात्र है कि प्रत्येक देशभक्तका क्या कर्त्तव्य है। इसलिए यदि सभी प्रान्त स्वेच्छया कताईके लिए अपने-आपको संगठन-सूत्रमें बाँध लें, तो वे पायेंगे कि विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार अपेक्षाकृत सरल चीज है। इसमें जो दो बाधाएँ बतलाई जाती है, वे हैं खद्दरका मँहगापन और खुरदरापन। लेकिन जिस क्षण लोग पारिश्रमिकका खयाल किये बिना एक प्रेम-कार्यके रूपमें कताई करने लगेंगे उसी क्षण ये दोनों बाधाएँ दूर हो जायेंगी और जिस उद्देश्यके लिए हम स्वर्गीय शास्त्री चिपलूणकर और बंग-भंगके समयसे ही उद्योग करते आ रहे हैं, उसकी प्राप्तिके लिए प्रेम-भावसे कताई शुरू कर देना कोई बड़ा मूल्य चुकाना नहीं है। सदस्योंको इसकी राह भी नहीं देखते रहना चाहिए कि प्रान्तीय कमेटियाँ आगे आकर कताईका आयोजन करें। पर्याप्त जानकारी और क्षमता रखनेवाला प्रत्येक व्यक्ति कताई मण्डलका आयोजन कर सकता है। इसमें बहुत थोड़े पैसेकी जरूरत है। थोड़ी-सी कपास जमा करना, पूनियाँ तैयार करना और उनका वितरण करना तथा सूत इकट्ठा करना — बस इतनेकी ही जरूरत है। ज्यादा जगहकी भी जरूरत नहीं है। गरीबसे-गरीब आदमी भी यह काम करनेकी कोशिश कर सकता है। जहाँ चरखा न मिले वहाँ तकलीसे काम चल जायेगा। इसलिए मुझे आशा है कि दूसरे महीनेमें अब जो सूत प्राप्त होगा, वह न केवल कातनेवाले प्रतिनिधियोंकी संख्यामें वृद्धिका द्योतक होगा, बल्कि इस बातका भी प्रमाण होगा कि कताई करनेवाले गैर-प्रतिनिधि लोगोंने भी काफी ज्यादा सूत भेजा है।

योग्य कार्य

यह खुशकिस्मतीकी बात थी कि पिछले हफ्तेके हिन्दू-मुस्लिम दंगेमें जमनालालजी भी मौकेपर मौजूद थे। उसमें उन्हें जो चोट आई वह झगड़ा न बढ़नेका एकमात्र

Gandhi Heritage Portal

नहीं तो एक कारण अवश्य था। मुझे मालूम हुआ है कि स्थानीय कांग्रेस कमेटीके मन्त्री बाबू कालीचरण और श्रीयुत अवारी भी खुद बहुत जोखिम उठाकर लड़ाई रोकनेकी कोशिश कर रहे थे। मैं इन तीनों कार्यकर्त्ताओंको उनके साहस और विवेकके लिए बधाई देता हूँ। बहुत मुमकिन है कि स्थायी सुलह और शान्तिके लिए हममें से कुछ लोगोंको अपने-आपको बलिदान करदेना पड़े। दोनों जातियोंके बदमाशों और गुण्डोंको एक-दूसरेके खिलाफ संगठित करके हम अपनी पीढ़ीके दौरान ऐसी एकता स्थापित नहीं कर सकते। इस तरहका आपसी कलह हमारी शक्तिके निरर्थक क्षयकी प्रक्रिया है। इसके द्वारा प्राप्त की गई शान्ति शस्त्रबलपर प्राप्त की गई शान्ति होगी, जिसके कारण हमें दीर्घकालतक एक-दूसरेका सिर फोड़ते रहना होगा।

वाइकोम सत्याग्रह

त्रावणकोरकी संरक्षिका (रीजेंट) महारानीने सभी सत्याग्रही बन्दियोंको रिहा करके अपनी उदारताका परिचय दिया है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। राज्यकी यह एक बड़ी ही सुन्दर प्रथा है कि नये शासकके गद्दीनशीन होनेपर कुछ बन्दियोंको रिहा कर दिया जाता है। फिर इससे अधिक स्वाभाविक बात और क्या हो सकती है कि ऐसे बन्दियोंको रिहा किया जाये जिनके सिर अपराधका कोई कलंक न हो? मैं सत्याग्रहियोंको भी फिलहाल सत्याग्रह स्थगित कर देनेके लिए बधाई देता हूँ। इससे एक-दूसरेको समझानेका रास्ता सुगम हो गया है और राज्यके अधिकारियोंको भी बिना किसी परेशानीके सत्याग्रहियोंके प्रति अपने रुखके बारेमें फिरसे सोचनेका मौका मिला है। कहते हैं, स्वर्गीय महाराज कई मामलोंमें बड़े जागरूक होते हुए भी अस्पृश्यताके बारेमें बड़े ही कट्टर विचार रखते थे। मुझे आशा है कि अब महाविभव संरक्षिका महारानी यह महसूस करेंगी कि अस्पृश्यता हिन्दूधर्मके लिए कोई श्रेयकी नहीं, बल्कि कलंककी बात है। एक हिन्दू राज्य हिन्दू धर्मकी अच्छीसे-अच्छी सेवा यही कर सकता है कि हिन्दू धर्मको इस अभिशापसे मुक्त कराये और इस प्रकार ब्रिटिश भारतके हिन्दुओंके सामने धार्मिक उदारताका एक उदाहरण पेश करे। मुझे विश्वास है कि सत्याग्रही लोग भी अपना संयम कायम रखकर और अधिकारियोंको स्पष्ट रूपसे यह जताकर कि अनुपगम्यों और अस्पृश्योंके बिलकुल बुनियादी मानवीय अधिकारोंको मान्यता दिलानेसे अधिक वे कुछ नहीं चाहते, अधिकारियोंका मार्ग सुगम बनायेंगे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक

हुबलीसे मेरे पास एक काफी लम्बा पत्र आया है। उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवकोंके संगठनकी ओर मेरी तथाकथित उदासीनताके प्रति विरोध प्रकट किया गया है। मैं पत्र-लेखक और अन्य लोगोंको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उदासीन नहीं हूँ। मैं इसे एक बहुत ही जरूरी काम मानता हूँ। मैं इस मामलेमें डा० हार्डीकरकी योग्यताका बड़ा प्रशंसक हूँ। लेकिन मेरे सामने कठिनाई यह है कि सारे भारतको संगठित करनेके लिए हमारे पास काफी तादादमें आदमी नहीं हैं। इसीलिए मैंने सुझाया है कि

Gandhi Heritage Portal

डा० हार्डीकरको अभी किसी एक प्रान्त या जिलेमें ही अपनी सारी शक्ति लगानी चाहिए और उस क्षेत्रके स्वयंसेवकोंके दलको पूरे तौरपर सक्षम बना देना चाहिए। तब फिर दूसरे क्षेत्रोंको संगठित करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। यह काम ऐसा है कि समाचारपत्रोंके प्रचारके बलपर नहीं किया जा सकता। यह तो चुपचाप अथक परिश्रम करके ही सम्पन्न किया जा सकता है। हुबलीसे यह पत्र जिस सप्ताह मुझे मिला, उसी सप्ताह अलमोड़ासे भी एक पत्र आया। पत्र-लेखकका कहना है:

> **बालचर आन्दोलन तो फैल रहा है, लेकिन कुछ ही लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक बनते हैं।**

ऐसा क्यों? इसलिए कि वह आन्दोलन बहुत ही कुशल ढंगसे संगठित किया गया है। जो काम बालचर करते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे उस कामको, जो-कुछ हमें करना चाहिए, उससे बढ़-चढ़कर माना जाये। कमी सिर्फ इतनी ही है कि हमारे पास इस कामके लिए पर्याप्त संख्यामें उपयुक्त संगठनकर्त्ता नहीं हैं। कवायद, अनुशासन और शिक्षाकी राष्ट्रको जरूरत है और उसे जहाँ भी ये चीजें मिलती हैं, वह इनको ग्रहणकर लेता है। मैं जानता हूँ कि यह बात बुरी है, इससे विवेकका अभाव प्रकट होता है। लेकिन राष्ट्र तबतक इस परावलम्बनकी परवाह नहीं करता जबतक कि उसे वे चीजें मिल रही हैं, जिन्हें वह आवश्यक समझता है। इस बुराईको महसूस करनेवाले हम-जैसे कार्यकर्त्ताओंको यह करना है कि हम अपने-आपको प्रशिक्षित करें। लेकिन हम ऐसा लिखने या भाषण देनेसे नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले तो अपने-आपको प्रशिक्षित करना चाहिए। करनेके लिए तो बहुत-से काम हैं। हममें से प्रत्येकको अपना काम चुन लेना चाहिए और फिर बाधाओंके होनेपर भी हमें उसीमें जुटे रहना चाहिए। हमें बहुत विस्तारकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हमें तो उतना ही काम चुनना चाहिए, जितना कि हम अच्छेसे-अच्छे ढंगसे कर सकते हों। लोगोंको ऐसा समझनेकी गलती नहीं करनी चाहिए कि यदि मैं स्वयंसेवकोंके आन्दोलनके बारेमें लिखता नहीं हूँ तो मैं ठीकसे उसपर नजर भी नहीं रख रहा हूँ। मैं अध्यक्ष रहूँ या न रहूँ, पर मुझे पूरी आशा है कि आगामी दिसम्बर महीनेमें कर्नाटकमें हमारे लिए जो अनेक आकर्षण होंगे, उनमें कर्नाटकके स्वयंसेवक दलका भी एक खासा स्थान होगा।

एक भद्दी तुलना

एक रोमन कैथोलिक पत्र-लेखकने, जो कथोलिक इंडियन एसोसिएशनके मन्त्री हैं, मुझे एक लम्बा पत्र लिखा है। उसके कुछ अंश मैं नीचे दे रहा हूँ:[1]

पत्र-लेखकको ऐसी तुलनासे जो दुःख पहुँचा है, वह बिलकुल स्पष्ट है। उनके प्रश्नके उत्तरमें मैं जो बात पहले कह चुका हूँ उसीको फिर दोहराता हूँ; अर्थात् यह

१. इन अंशोंका अनुवाद यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र-लेखकने कुछ लोगों द्वारा गांधीजीकी तुलना ईसा मसीहसे करनेपर और उन्हें भारतीयोंके लिए आधुनिक ईसा मसीहका पद देनेपर आपत्ति की थी। उसने यह भी लिखा था कि जहाँ ईसा मसीह राजनीतिसे बिलकुल अलग रहे, गांधीजी उसमें डूबे हुए हैं।

Gandhi Heritage Portal

कि मैं ऐसी तुलना कतई पसन्द नहीं करता। इनसे कोई लाभ भी नहीं होता और जिन महान् आत्माओंके साथ मेरी तुलना की जाती है, उनके अनुयायियोंको ठेस भी लगती है। मैं ऐसी किसी दैवी शक्तिका दावा नहीं करता जो दूसरोंमें न हो। मैं नहीं कहता कि मैं कोई पैगम्बर हूँ। मैं तो सत्यका एक अकिंचन अन्वेषक-भर हूँ और मैं उसे पानेके लिए कटिबद्ध हूँ। ईश्वरका साक्षात्कार करनेके लिए मैं बड़ेसे-बड़े बलिदानको भी तुच्छ मानता हूँ। मेरी सभी गतिविधियाँ — आप उनको सामाजिक, राजनीतिक, मानवीय या नैतिक, जो भी कहें — इसी लक्ष्यकी ओर निर्दिष्ट हैं। और चूँकि मैं जानता हूँ कि ईश्वर उच्च और शक्तिशाली व्यक्तियोंकी अपेक्षा अपनी सृष्टिके तुच्छतम प्राणियोंमें ही अधिकतर मिलता है, इसलिए मैं उनके स्तरतक पहुँचनेके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैं उनकी सेवाके बिना वैसा नहीं कर सकता। इसीलिए दलित वर्गोंकी सेवाके लिए मेरे अन्दर इतना उत्साह है। चूँकि मैं राजनीतिमें उतरे बिना उनकी सेवा नहीं कर सकता, इसीलिए राजनीतिमें पड़ा हूँ। इस प्रकार मैं कोई मसीहा नहीं हूँ। मैं तो भारतका और इसीलिए समूची मानवताका केवल एक संघर्ष-रत, भ्रान्त और तुच्छ सेवक हूँ।

असन्तोषजनक उत्तर

पाठकोंको याद होगा कि पण्डित जवाहरलाल नेहरूने २५ जुलाईको नाभाके प्रशासकको लिखा था कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं कि मेरी, आचार्य गिडवानी और पण्डित सन्तानमकी कैद पूरी होनेसे पहले रिहाईपर कोई शर्तें भी लगाई गई थीं। प्रशासकको उसका उत्तर भेजनेमें २७ दिन लग गये। उत्तर इस प्रकार है:

> मैं आपके पिछली २५ जुलाईके पत्रके उत्तरमें बताना चाहता हूँ कि "मुलतवी" शब्दके अर्थके बारेमें आपको कुछ भ्रम है। सजा मुलतवी करनेका मतलब ही यह है कि उसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं। यदि बात ऐसी नहीं होती और आपकी दलील बिलकुल ठीक होती, तो बिना शर्त सजा मुलतवी करनेका मतलब सजा मंसूख करना होता, जो साफ गलत मालूम पड़ता है।
>
> ऐसी हालतमें मैं पत्र-व्यवहारका यह सिलसिला जारी रखनेमें कोई सार नहीं देखता।

इसमें पण्डित जवाहरलालको "मुलतवी" शब्दका अर्थ समझानेकी खूब कोशिश की गई है। लेकिन प्रशासकका दुर्भाग्य तो यह है कि पण्डितजीने उनसे यह नहीं पूछा था कि "मुलतवी" शब्दका क्या अर्थ है। वे तो यह जानना चाहते थे कि रिहाई पर लगाई गई शर्तोंके बारेमें उनको क्यों नहीं बतलाया गया। क्या कैदीको यह जाननेका अधिकार नहीं है कि उसकी सजा "मुलतवी" कर दी जानेपर उसे किन शर्तोंपर छोड़ा जा रहा है? प्रशासक महोदयको यह भी जानना चाहिए कि सजाकी माफी पर भी शर्तें लगाई जा सकती हैं। श्री सावरकरकी सजा शर्तोंके साथ माफ की गई है। इस तरह प्रशासकका जवाब खुद अपनी ही बात काट देता है; क्योंकि इस जवाबसे प्रकारान्तरसे स्पष्ट हो जाता है कि सजा मुलतवी करनेकी शर्तें पण्डितजीको

Gandhi Heritage Portal

नहीं बतलाई गईं और वास्तवमें अभीतक उनको उन शर्तोंकी ठीक-ठीक जानकारी नहीं है। उदाहरणके लिए, क्या सजाकी तारीखसे दो साल पूरे हो चुकनेके बाद भी नाभा क्षेत्रमें प्रवेश करनेपर उनको पुरानी सजाके अन्तर्गत फिर कारावास दिया जा सकता है? प्रशासकको चाहे "पत्र-व्यवहारका यह सिलसिला जारी रखनेमें कोई सार नहीं दिखाई देता" हो; लेकिन जनताको न केवल सजा मुल्तवी करनेकी शर्तें जानने-का हक है, बल्कि यह जाननेका भी अधिकार है—और यह जानना उसके लिए अधिक महत्त्वपूर्ण है—कि क्या यह सच नहीं कि पण्डित जवाहरलाल और उनके साथियोंको यह नहीं बताया गया कि उनकी रिहाईके साथ क्या शर्तें लगाई गई हैं, और यदि ऐसी बात है तो क्या आचार्य गिडवानीको जेलमें डाल देनेका औचित्य किसी आधारपर सिद्ध किया जा सकता है।

अनुकरणीय उदाहरण

मैं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समितिकी विज्ञप्ति (२०-८-२४) का एक अंश नीचे दे रहा हूँ:

> तहसील कसूरके काछा गाँवमें एक मसजिदमें मुसलमानोंके नमाज पढ़नेके समय अजान देनेके हकको लेकर सिखों और मुसलमानोंके बीच लम्बे अर्सेसे झगड़ा चल रहा था। बात इतनी बढ़ गई थी कि मामला अदालत तक पहुँच गया। अदालतने मुसलमानोंके खिलाफ फैसला दिया। नतीजा यह हुआ कि गाँवमें मुसलमान नमाजकी अजान नहीं दे सकते थे। १० और ११ अगस्तको भाई फेरूके लिए जाते हुए ५०० अकालियोंका एक जत्था जब गाँवमें पहुँचा तो मुसलमान भाइयोंने अपना मामला उनके सामने पेश किया और अनुरोध किया कि उसपर हमदर्दीके साथ गौर किया जाये। जत्थेने समाज-के सभी तबकोंके लिए धार्मिक पूजाकी स्वतन्त्रताके उसूलको मानते हुए, उसके मातहत फैसला किया कि सिखोंको किसी भी कौमकी धार्मिक पूजाके रास्तेमें बाधक नहीं बनना चाहिए और इसलिए मुसलमान लोग अजान दे सकते हैं। गाँवकी सिख संगतने जत्थेका यह फैसला सिर माथे लिया और अपने कियेपर पछतावा किया; साथ ही मसजिदकी मरम्मतके लिए २० रुपये चन्दा भी दिया। जत्थेके फैसलेपर तुरन्त अमल हुआ और इस तरह इतने लम्बे अर्सेसे चले आ रहे एक ऐसे झगड़ेका सौहार्दपूर्ण ढंगसे निबटारा हो गया, जिसे अदालतने और ज्यादा भड़का दिया था। इस शुद्ध न्यायके कार्यके लिए मुसलमान भाइयोंने जत्थेको धन्यवाद दिया और इसपर अपनी खुशी प्रकट करनेके लिए बैंड बाजेवालोंका एक दल भेजा जिसने जत्थेके शिविरमें आकर लगातार पाँच घंटेतक बैंड बजाया।

मैं इस झगड़ेको इतने अच्छे ढंगसे निबटानेके लिए सम्बन्धित सिखों और मुसल-मानों, दोनोंको बधाई देता हूँ। ध्यान देनेकी बात यह है कि सिखोंने अपना एक

Gandhi Heritage Portal

ऐसा हक छोड़ दिया जो उनको अदालतने दिलाया था। जिनको अदालतोंका अनुभव है वे जानते हैं कि अदालतें अक्सर ऐसे फैसले दे देती हैं जो न्याय और समझदारीके खिलाफ पड़ते हैं और इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं होती। उनके लिए भावनाओं या पूर्वग्रहोंकी ओर ध्यान देनेकी गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन धार्मिक झगड़ोंमें तो यही चीजें सबसे ज्यादा महत्त्व रखती हैं। इसलिए इस प्रकारके मामलोंमें न्यायपूर्ण फसला सिर्फ पंच ही कर सकते हैं, जो ऐसी तमाम बातोंका ध्यान रखना अपना कर्त्तव्य समझेंगे, जिनसे दोनों पक्षोंके बीच न्यायपूर्ण और सम्मानप्रद सुलह करानेमें सहायता हो सकती है।

कांग्रेसियों द्वारा जालसाजी

कहा जाता है कि गरीब उड़ीसा प्रान्तमें कांग्रेसी कहलानेवाले कुछ लोगोंने कांग्रेसके कोषमें से कई हजार रुपयेकी रकमका गबन किया है। एक शख्सने तो बिलकुल सन्तका बाना ले लिया और लोगोंको दिखाने लगा कि वह बड़ी लगनसे काम कर रहा है, जिसके फलस्वरूप उसका असर काफी बढ़ गया और जनताका विश्वास उसपर इतना जम गया कि उसे एक बड़े विश्वस्त पदपर नियुक्त कर दिया गया। इस जालसाजीके खिलाफ कार्रवाई करनेका सवाल बड़ा ही गम्भीर बन गया और अब भी बना हुआ है। यह मामला मेरे पास भेजा गया। मैंने बिना किसी हिचकके यही सलाह दी कि मुकदमा दायर किया जाना चाहिए और साथ ही यह सुझाव भी दिया कि जालसाजी करनेवाले शख्सको भरोसेका काम सौंपनेवाले कांग्रेस पदाधिकारीको मुकदमेकी कार्रवाई खत्म होनेपर यदि जरूरत पड़े तो अदालतोंके बहिष्कार-प्रस्तावका उल्लंघन करनेके अपराधपर अपने पदसे इस्तीफा दे देना चाहिए। अदालतोंके बहिष्कारके अपने इस प्रस्तावका हम तथाकथित कांग्रेसियोंको खुद कांग्रेसके ही साथ धोखा करनेके लिए इस्तेमाल नहीं करने दे सकते। वैसे तो साधारण लोगोंको भी, अगर वे असहयोगी हैं तो ऐसी हरकतोंसे होशियार रहना चाहिए जो उनको मुकदमोंमें फँसा दे सकती हैं। लेकिन जहाँतक खुद कांग्रेसियों और कांग्रेसके अपने अन्दरूनी मामलोंका — दूसरे शब्दोंमें विश्वासके मामलोंमें, — सवाल है, यदि मक्कार लोग कांग्रेसी बनकर और बहिष्कारकी आड़ लेकर इस संस्थाको ही धोखा देने लगें तो बहिष्कारका ध्येय ही खत्म हो जायेगा। यही कारण है कि कथनी और करनीमें भेद रखनेवाला माने जानेका खतरा मोल लेकर भी मैंने बिना किसी हिचकके उड़ीसाके कांग्रेस-पदाधिकारियोंको यह सलाह दी है कि वे न्यासकी रकम वसूल करनेके लिए जालसाजोंके खिलाफ मुकदमा दायर करें और तब यदि जरूरत पड़े तो अपने पदसे इस्तीफा दे दें। अगर मैं कांग्रेस कमेटीका अध्यक्ष होता तो न केवल सम्बन्धित पदाधिकारीको मुकदमेकी कार्रवाई शुरू करनेकी इजाजत देता, बल्कि उसके इस्तीफा दे देनेके बाद उसकी कर्त्तव्य-निष्ठाके पुरस्कार-स्वरूप उसे फिर उसी पदपर नियुक्त करनेकी भी पूरी कोशिश करता। कांग्रेस-कोषकी रकमको सुरक्षित रखना भी उतना ही बड़ा कर्त्तव्य है जितना कि अदालतोंका बहिष्कार जारी रखना। सच तो यह है कि कांग्रेसका पदाधिकारी व्यक्ति, जो प्रतिनिधिकी हैसियतसे वादी या मुद्दई हो,

Gandhi Heritage Portal

कांग्रेसके प्रस्तावका कोई उल्लंघन नहीं करेगा। उस सूरतमें, उल्लंघन तो कांग्रेस संस्था करती है और कांग्रेसको अपने हितमें अपने ही बनाये नियम तोड़नेका पूरा हक है। सुव्यवस्थित राज्यमें यह उक्ति कि "राजा कोई गलती नहीं करता" सही और सार्थक है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ११-९-१९२४

८५. वास्तविकताएँ

आजकल मेरे 'यं० इं०' के लेखोंमें आज एक बात तो कल दूसरी बात दिखाई देती है। बहुत सम्भव है, पाठक इससे चक्करमें पड़ते हों और हैरान होते हों। पर मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि इन्हें वे तब्दीलियाँ न समझें बल्कि यह समझें कि जिस दिशाकी ओर हम जा रहे हैं अथवा हमें जाना उचित है, उसमें हम एक-एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम जिन सिद्धान्तोंका पालन करनेका दावा करते हैं, उनके ये सहज परिणाम ही हैं।

यदि हम इस बातको याद रखें कि असहयोगकी अपेक्षा अहिंसा अधिक महत्त्वपूर्ण है और अहिंसाके बिना असहयोग पाप है, तो मैं आजकल जिन विचारोंका निरूपण इन पृष्ठोंमें कर रहा हूँ, वे सूर्यके प्रकाशकी तरह स्पष्ट हो जायेंगे। पर मुश्किल यह है कि पाठक इस बातको बहुतांशमें नहीं जानते कि परदेके पीछे क्या-कुछ हो रहा है। मैं अभीतक जो सब बातोंको खोलकर नहीं बता रहा हूँ, वह कुछ तो जान-बूझकर और कुछ लाचारीके कारण। पल-पलमें और दिन-दिन एकके बाद दूसरी बातका फैसला अपने साथियोंतक पहुँचाना मुश्किल है। मैं यही विश्वास करता हूँ कि चूंकि मेरी रायमें वे मुख्य सिद्धान्तके सहज परिणाम हैं, इसलिए मेरे नजदीक वे जितने स्पष्ट हैं उतने ही पाठकोंके निकट भी होंगे।

बात यह है कि परिस्थितिके साथ-साथ हमारी गतिविधिमें भी फर्क होना चाहिए। ऐसे फर्ककी उत्पत्ति यदि उसी एक उद्गमसे हो, तो वह असंगत नहीं हो सकता।

लेकिन यह बात तो हरएक समझ ही रहा है कि हमारे मतभेद दिनपर-दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर दलके लोग अपने कार्यक्रमको सिद्धान्तका रूप दे रहे हैं। हर दलवाले सच्चे दिलसे इस बातको मानते हैं कि उनके ही कार्यक्रम द्वारा हम लोग अपने ध्येयके ज्यादा नजदीक पहुँचेंगे। देशमें जबतक ऐसे लोग मौजूद हैं——और उनकी संख्या काफी बड़ी है, भले ही वह दिन-दिन बढ़ न रही हो——तबतक धारा-सभाओंके अन्दर जाकर काम करनेवाले दल भी मौजूद रहेंगे ही। पर हमारे इस असहयोगने तो अमली तौरपर सरकारसे असहयोगकी बनिस्बत आपसमें ही असहयोगका रूप धारण कर लिया है। अनचाहे ही हम एक-दूसरेको कमजोर बना रहे हैं और उस हदतक उस शासन-प्रणालीकी सहायता कर रहे हैं, जिसको मिटा देना हम सबका

Gandhi Heritage Portal

उद्देश्य है। हमें इस प्रणालीकी सबसे बड़ी खासियत समझ लेनी चाहिए। यह प्रणाली परजीवी है और राष्ट्रीय जीवनकी गन्दगीसे अपने लिये पोषण प्राप्त करती है।

इस शासन-तन्त्रके मूलमें हिंसा है। उसके खिलाफ जीवन्त और सक्रिय अहिंसात्मक शक्ति उत्पन्न करना हमारे असहयोगका उद्देश्य था। पर बदकिस्मतीसे हमारा असहयोग कभी सक्रिय रूपमें अहिंसात्मक हुआ ही नहीं। हम तो निर्बलों और असहायोंकी शारीरिक अहिंसासे ही सन्तुष्ट रहे। इस शासन-प्रणालीको नष्ट करनेका तात्कालिक प्रभाव न उत्पन्न कर सकनेके कारण हमारी यह असहयोगकी शक्ति दूनी ताकतसे हमपर ही उलट पड़ी है और यदि हम समय रहते न चेते तो वह हमको ही नष्ट करनेकी तैयारीमें है। ऐसी हालतमें मैंने तो अपनी तरफसे यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं इस घरेलू लड़ाईमें शरीक न होऊँगा और साथ ही सब सम्बन्धित लोगोंसे भी यही दरख्वास्त करूँगा। यदि हम इस काममें आगे बढ़कर सहायक नहीं हो सकते तो कमसे-कम हमें इसमें कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। मैं आज भी उसी दृढ़ताके साथ पाँचों बहिष्कारोंको मानता हूँ। पर अब मुझे यह साफ-साफ दिखाई देता है कि हम चाहे खुद निजी तौरपर उनपर अमल भले ही करें, पर आम तौरपर उनके अनुसार काम करनेके लायक वायुमण्डल नहीं है। यह बात [अहमदाबादकी] अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकके समय मेरी समझमें नहीं आई थी, पर अब स्पष्ट है। आज हमारे चारों ओर अविश्वास ही अविश्वास दिखाई देता है। हर कार्रवाई शककी नजरसे देखी जाती है और उसका गलत अर्थ लगाया जाता है। ऐसी हालतमें हम एक ओर जहाँ कैफियत-दर-कैफियतकी जंगमें मुब्तिला हैं, वहाँ दूसरी ओर दुश्मन हमारे दरवाजेपर खड़ा खुश हो रहा है और अपनी ताकतको जुटा और बढ़ा रहा है। हमें हर सूरतमें और हर हालतमें इससे बचना चाहिए।

इसलिए मैंने यह सुझाया है कि हम देशके तमाम मुख्तलिफ राजनीतिक दलोंका एक न्यूनतम समान कार्यक्रम तय करें और उसको प्राप्त करनेके लिए सबको कांग्रेसके मंचपर सहयोग करनेके लिए बुलायें। यह है हमारे आन्तरिक विकासका कार्य, जिसके बिना किसी प्रकारका बाहरी राजनीतिक प्रभाव सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकता। जो राजनीतिज्ञ लोग बाहरी कामको भीतरी कामसे अधिक महत्त्व देते हैं या जो समझते हैं कि यह भीतरी काम बहुत देरसे फल देगा (दोनोंका एक ही मतलब है), उन्हें अपनी शक्ति बढ़ानेकी पूरी-पूरी आजादी रहनी चाहिए; पर मेरी रायमें यह काम कांग्रेसके बाहर होना चाहिए। कांग्रेसको तो दिनपर-दिन जनताका अधिकाधिक प्रतिनिधित्व करना चाहिए। वह अभीतक राजनीतिसे अछूती है। उसके अन्दर वैसी राजनीतिक चेतना नहीं है जैसी कि हमारे राजनीतिज्ञ भाई चाहते हैं। जनताकी राजनीति तो नमक और रोटीतक ही सीमित है। मैं इसमें घी किस तरह जोड़ूँ, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो घी तो क्या तेलका भी स्वाद नहीं जानते। उनकी राजनीति तो जातिगत सम्बन्धोंमें तालमेल बैठानेतक ही सीमित है। फिर भी यह कहना बिलकुल ठीक है कि हम राजनीतिज्ञ लोग सरकारके खिलाफ जनताके प्रतिनिधिका काम जरूर करते हैं। पर यदि हम उसके तैयार होनेके पहले ही उसका

Gandhi Heritage Portal

इस्तेमाल करने लगें, तो हम उनके प्रतिनिधि नहीं रह जायेंगे। पहले हमें उनके अन्दर काम करके, उनके साथ अपना जीता-जागता रिश्ता जोड़ना चाहिए। हमें उनके दुःखको अपना दुःख समझना चाहिए, उनकी कठिनाइयोंको अनुभव करना चाहिए और उनके अभावों और जरूरतोंको जानना चाहिए। अछूत और बहिष्कृत लोगोंमें भी हमें उन-जैसा ही बनकर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि उच्च श्रेणीके लोगोंके पाखाने साफ करना और अपने सामने उनकी जूठी पत्तलोंका बचा हुआ खाना फेंका जाना कैसा लगता है। हमें बम्बईके मजदूरोंकी सन्दूकनुमा खोलियोंमें, जिन्हें लोगोंने झूठ-मूठ मकानका नाम दे दिया है, रहकर देखना चाहिए कि हमारे दिलको कैसा लगता है। हमें देहातियोंमें देहाती बन जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वे किस तरह जेठ-बैसाखकी कड़ी धूपमें कमर झुकाकर हल चलाते हैं और हमें जानना चाहिए कि उन पोखरोंसे पानी पीना हमें कैसा मालूम होगा जिनमें देहाती लोग नहाते हैं, कपड़े और बरतन धोते हैं और जिनमें उनके मवेशी पानी पीते हैं और लोटते हैं। हम उसी अवस्थामें अपनेको उनका सच्चा प्रतिनिधि कह सकते हैं, उसके पहले नहीं; और तभी वे यकीनन हमारी हरएक पुकारपर प्राणपणसे दौड़ पड़ेंगे, उसके पहले नहीं।

इसपर कुछ लोग कहेंगे, "हमसे यह सब नहीं हो सकता और अगर हमें यही करना हुआ तो फिर आगे एक हजार साल या उससे भी अधिक समयके लिए स्वराज्यको नमस्कार।" इस ऐतराजके साथ मेरी हमदर्दी होगी। पर मैं यह बात दावेके साथ कहूँगा कि हममें से कमसे-कम कुछ लोगोंको जरूर इन यन्त्रणाओंसे गुजरना पड़ेगा और उसी तपस्या से एक पूर्ण, बलशाली और स्वाधीन राष्ट्रका जन्म होगा। इसलिए मैं सब लोगोंको यह सुझाव देता हूँ कि वे अपना मानसिक सहयोग दें और मानसिक रूपसे वे जनताके साथ अपना तादात्म्य स्थापित करें तथा उसके दृश्य और ठोस प्रतीकके तौरपर वे उसके नामपर, उसके लिए रोज कमसे-कम तीस मिनट लगनपूर्वक चरखा कातें। यह कार्य मानो भारतके हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि जातियोंके प्रबुद्ध लोगोंकी तरफसे जनताकी अर्थात् भारतमाताकी मुक्तिके लिए ईश्वरसे की जानेवाली बलवती प्रार्थना होगी।

हिन्दुओं और मुसलमानोंका तनाव दिनपर-दिन बढ़ता जा रहा है। सिवा इसके कि देशके तमाम दल कांग्रेसके अन्दर एक होकर इस अत्यन्त जटिल समस्याको हल करनेका सबसे अच्छा उपाय सोचें, इसे दूर करनेका दूसरा कोई रास्ता मुझे नहीं दिखाई देता। इस समस्याके कारण तो पारस्परिक विश्वास और पारस्परिक सहायताकी बुनियादपर आधारित राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त करनेकी हमारी बड़ी-बड़ी उमंगें टूक-टूक हो रही हैं। अतएव यदि और किसी कारणसे नहीं तो महज इस एकताके लिए ही हमें अपनी अन्दरूनी राजनीतिक लड़ाई बन्द कर देनी चाहिए।

इसकी सिद्धिके लिए मेरा प्रस्ताव यह है:

(१) १९२५ के अधिवेशन तकके लिए कांग्रेस विदेशी कपड़ोंके बहिष्कारको छोड़कर अपने तमाम बाकी बहिष्कारोंको स्थगित कर दे।

Gandhi Heritage Portal

(२) कांग्रेस अंग्रेजी मालके बहिष्कारको बन्दकर दे, बशर्ते कि शर्त (१) अमलमें लाई जाये।

(३) हाथ-कती और बुनी खादीका प्रचार, हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए प्रयत्न और हिन्दू सदस्योंके द्वारा छुआछूत मिटाना -- इतने ही कामोंतक कांग्रेस अपने प्रयास सीमित रखे।

(४) कांग्रेस मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओंका संचालन करे; और अगर मुमकिन हो तो नवीन संस्थाएँ खोले तथा उन्हें सरकारके अंकुश या प्रभावसे अलग रखे।

(५) कांग्रेसके सदस्योंके लिए जो चार आना फीस है वह उठा ली जाये और उसकी जगह सदस्यताकी अर्हता हाथ कती-बुनी खादी पहनना, आध घंटा रोज सूत कातना और हर महीने कमसे-कम २,००० गज अपना काता सूत कांग्रेसको भेजना हो। जो सदस्य इतने गरीब हों कि रुईका खर्च न उठा सकें, उन्हें रुई मुहैया की जाये।

ऊपर मैंने कांग्रेसके संविधानमें जो क्रान्तिकारी परिवर्तन सुझाया है, उसके सम्बन्धमें कुछ खुलासा करनेकी जरूरत है। कांग्रेसके वर्तमान संविधानका मुख्य विधाता स्वयं मैं ही हूँ। इस उल्लेखके लिए पाठक मुझे क्षमा करेंगे। हमारा उद्देश्य इस संविधानको दुनियाका सबसे अधिक लोकतांत्रिक संविधान बनाना था और हमारी उम्मीद यह थी कि यदि उसे सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाये तो बिना कुछ और किये ही हमें स्वराज्य मिल जायेगा। पर उसके अनुसार यथेष्ट रूपसे काम ही नहीं किया गया। हमारे पास सच्चे और सुयोग्य कार्यकर्त्ता काफी तादादमें न थे। हमें यह बात कबूल करनी होगी कि जिस उद्देश्यके लिए वह बनाया गया था उसके लिहाजसे वह असफल रहा है। हमारे रजिस्टरमें कभी एक करोड़ सदस्य भी दर्ज नहीं हो पाये। इस समय शायद सारे भारतमें कुल मिलाकर सदस्योंकी संख्या कोई दो लाखसे अधिक नहीं होगी; और इन दो लाखमें भी अधिकतर लोग ऐसे हैं जो सिवा चार आना देने और राय देनेके वक्त हाथ ऊँचा उठा देनेके हमारे काम-काजमें आम तौरपर दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन हमें जरूरत तो एक ऐसी संस्थाकी है जो प्रभावकारी फुर्तीसे काम करनेवाली, सुसंगठित, काम ठीक-ठीक और तुरन्त बजानेवाली हो और जिसमें बुद्धिमान, परिश्रमी और उद्योगी राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता हों। एक ऐसी भीमकाय और सुस्त तथा जटिल संस्थाकी अपेक्षा जिसका अपना कोई दिमाग ही न हो, यदि थोड़े लोगोंका एक छोटा संगठन हो, तो हम अपने कार्यका अच्छा लेखा दे सकते हैं। इस प्रस्तावमें एक ही बहिष्कार कायम रखा गया है -- विदेशी कपड़ेका। यदि हम चाहते हैं कि उसमें सफलता मिले तो ऐसा हम कुछ समयतक कांग्रेसको मुख्यतया कतैयोंका संघ बनाकर ही कर सकते हैं। यदि हम एक ही भारी और महत्त्वपूर्ण रचनात्मक काममें सफल हो जायें तो यह हमारे लिए एक जबरदस्त फतह होगी। मैं मानता हूँ कि ऐसा महत्त्वपूर्ण रचनात्मक काम यदि कोई है तो वह है हाथ-कती और हाथ-बुनी खादीका उत्पादन। यदि हम चाहते हैं कि खादीका काम राष्ट्रीय दृष्टिसे सफल हो तो चरखा ही उसका एकमात्र साधन है। यदि हम चाहते हैं कि राष्ट्रके कल्याण-साधनमें जनता भी स्थायी रुचि लेती रहे तो चरखा ही उसका एकमात्र साधन

Gandhi Heritage Portal

है। यदि हम देशसे दरिद्रताका मुँह काला कर देना चाहते हैं, तो चरखेके सिवा दूसरी कोई रामबाण दवा नहीं है।

मेरे प्रस्तावसे नीचे लिखी बातें फलित होती हैं:

(क) स्वराज्यवादी, कांग्रेस या अपरिवर्तनवादियोंकी तरफसे बिना किसी विरोधके अपना दल संगठित करनेको स्वतन्त्र होंगे।

(ख) दूसरी राजनीतिक संस्थाओंके सदस्य कांग्रेसमें शरीक होनेके लिए निमन्त्रित किये जायें, इसके लिए उन्हें राजी किया जाये।

(ग) अपरिवर्तनवादियोंको कौंसिल-प्रवेशके खिलाफ जाहिरा तौरपर या दबे-छिपे आन्दोलन करनेसे मना कर दिया जाये।

(घ) जिन लोगोंका बाकी चार बहिष्कारोंमें व्यक्तिशः कोई विश्वास न हो वे पूरी आजादीके साथ यह मानकर चल सकते हैं कि ये बहिष्कार थे ही नहीं और उनके इस व्यवहारसे उनकी प्रतिष्ठापर कोई आँच नहीं आयेगी। इस तरह असहयोगी वकील यदि चाहें तो फिरसे वकालत शुरू कर सकते हैं और खिताबधारी, सरकारी स्कूलोंके शिक्षक आदि कांग्रेसमें शरीक होने और उसके पदाधिकारी होनेके पात्र समझे जायेंगे।

इस तजवीजके मुताबिक देशके तमाम राजनीतिक दल मिल-जुलकर [राष्ट्रके] आन्तरिक विकासके लिए एक साथ काम कर सकते हैं। इस तरह कांग्रेस तमाम राजनीतिक दलोंको अपने मंचपर सम्मिलित होनेका खासा मौका देती है और कांग्रेसके बाहर स्वराज्यकी एक ऐसी योजना तैयार करनेका मौका देती है जिसे सब मंजूर कर सकें और जो सरकारको पेश की जा सके। मेरी निजी राय तो यह है कि अभी ऐसी तजवीज पेश करनेका समय नहीं आया है। मैं तो यह मानता हूँ कि यदि हम सब मिलकर एक साथ पूर्वोक्त रचनात्मक कार्यक्रमको सफल बनानेका उद्योग करें तो उससे हमारी आन्तरिक शक्ति आशातीत रूपसे बढ़ जायेगी। पर देशके उन बहुतसे-सज्जनोंकी राय, जो अबतक लोगोंके अगुआ रहे हैं, इसके विपरीत है। जो भी हो, कमसे-कम हमारे सुभीतेके लिए तो एक स्वराज्य-योजनाकी जरूरत है ही। पाठक जानते ही होंगे कि इस मामलेमें मैं तो बाबू भगवानदासके विचारोंका पूरी तरह कायल हो गया हूँ। अतएव इसके लिए यदि कोई परिषद् होगी और उसमें मेरी हाजिरीकी जरूरत होगी तो उसमें हाजिर होकर उस योजनाको बनानेमें मैं जरूर मदद दूंगा। इस कामको कांग्रेसके बाहर रखकर चलानेपर जो मैं जोर दे रहा हूँ, उसका सबब यह है कि मैं पूरे एक सालतक कांग्रेसको सिर्फ आन्तरिक विकासके काममें लगाये रखना चाहता हूँ। जब हम अपने इस काममें काफी परिमाणमें सफलता प्राप्त कर चुकेंगे तब कांग्रेस शौकसे बाहरी राजनीतिक हलचलोंमें भी भाग ले सकती है।

अब सवाल है कि यदि यह प्रस्ताव मंजूर न हुआ और देशके तमाम राजनीतिक दलोंको कांग्रेसके अन्दर एकत्र करना मुश्किल हुआ और हमारे और स्वराज्यवादियोंके बीचकी इस खाईको पाटना नामुमकिन हुआ तो फिर क्या होगा? मेरा जवाब सीधा है। यदि सारा झगड़ा कांग्रेसपर कब्जा करनेके लिए ही हो तो मैं उसमें

Gandhi Heritage Portal

शरीक नहीं होऊँगा। जिन लोगोंके विचार मुझसे मिलते हैं उन्हें भी मैं ऐसा ही करनेकी सलाह दूंगा। मैं उन्हें यह भी सलाह दूंगा कि वे कांग्रेसको स्वराज्यवादियोंकी शर्तपर उनके हवाले कर दें और अपनी तरफसे बिना किसी तरहका विरोधी प्रचार-आन्दोलन किये उनको कौंसिल-कार्यक्रम निर्विघ्न रूपसे चलाने दें। मैं अपरिवर्तनवादियोंको सिर्फ रचनात्मक काममें लगाऊँगा और उन्हें सलाह दूंगा कि वे दूसरे दलवालोंसे —— जितनी वे दे सकें, सहायता लें।

जो लोग अपने राष्ट्रीय पुनरुज्जीवनके लिए महज रचनात्मक कार्यक्रमपर ही सारा दारोमदार रखते हैं उनका काम है कि वे स्वार्थ-त्यागके रास्तेमें पहले आगे कदम बढ़ायें। कांग्रेसमें पदाधिकारी बनने और स्वराज्यवादियोंका विरोध करनेसे हमें अपनी एक भी प्रिय वस्तु प्राप्त न होगी। हम स्वराज्यवादियोंकी सहमतिसे ही उन पदोंपर रहें। यदि हम 'कांग्रेस' नामकी पूजा करनेवाले सीधे-सरल लोगोंको इस आत्मघातक गज-ग्राहके युद्धमें फँसायेंगे तो उनको भ्रष्ट करनेका दोष हम दोनों दलोंके लोगोंपर होगा। अपनी शुद्ध सेवाके बलपर जो पद और सत्ता हमें मिलती है वह हमारे हृदयको उच्च बनाती है। जो सत्ता सेवाके नामपर हासिल की जाती है और महज कसरत रायके बलपर प्राप्त की जाती है, वह केवल भ्रम-जाल है। हमें उससे बचना चाहिए —— खासकर इस मौकेपर।

मैं पाठकोंको अपने इस प्रस्तावकी उपयोगिताका कायल कर सका होऊँ या न कर सका होऊँ, पर मैं तो अपनी तरफसे निश्चय कर चुका हूँ। इस विचारसे मेरे चित्तको व्यथा होती है कि जिन लोगोंके साथ मैंने अबतक कन्धेसे-कन्धा भिड़ाकर काम किया है, वे प्रतिकूल दिखाई देनेवाली दिशाओंमें काम करने लगें।

ऊपर मैंने जो बातें पेश की हैं वे मेरे शस्त्र रख देनेकी शर्तें नहीं हैं। मेरा आत्म-समर्पण तो बिना किसी शर्तके है। मैं कांग्रेसकी रहनुमाई अगले वर्ष उसी हालतमें कर सकता हूँ जबकि तमाम दलके लोग ऐसा चाहें। मैं इस घनघोर अन्धकारमें प्रकाश देखनेकी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे वह धुंधला-सा दिखाई भी देता है। मुमकिन है, अब भी मैं गलती कर रहा होऊँ। पर मैं इतनी बात जरूर जानता हूँ कि अब मेरे अन्दर संघर्षका भाव बिलकुल नहीं रह गया है। मैं एक जन्मजात लड़ाका हूँ। मेरे लिए इतना ही कहना बहुत है। मैं अपने सर्वाधिक प्रियजनों तकसे लड़ा हूँ। पर मैं लड़ा हूँ प्रेम-भावसे प्रेरित होकर ही। स्वराज्यवादियोंसे भी प्रेम-भावसे प्रेरित होकर ही लड़ा जा सकता है। पर मैं देखता हूँ कि पहले मुझे अपने प्रेम-भावको साबित करना होगा। मैं समझता था कि मैं इसे साबित कर चुका हूँ। लेकिन देखता हूँ कि नहीं, मैं गलतीपर था। इसलिए मैं अपने कदम वापस ले रहा हूँ। मैं हर शख्ससे अनुरोध करता हूँ कि वह इसमें मेरा हाथ बँटाए और इन दोनों पक्षोंको एक होनेमें मेरी सहायता करे। कमसे-कम कुछ समयके लिए तो अवश्य ही कांग्रेसको बहुतांशमें एक मतवालोंकी ही संस्था रहना आवश्यक है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ११-९-१९२४

Gandhi Heritage Portal

८६. जेलके अनुभव – ११ [चालू]

मेरा पठन [–२]

मेरा उर्दूका अध्ययन भी 'महाभारत' की तरह ही चित्ताकर्षक सिद्ध हुआ। मैं ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया, त्यों-त्यों वह मेरे दिमागपर अधिक छाने लगा। दो-तीन महीनेमें उर्दूपर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लूँगा, ऐसी मूर्खतापूर्ण धारणाके साथ उसके अध्ययनमें मैं कुछ हलके मनसे प्रवृत्त हुआ। परन्तु थोड़े ही दिनोंमें मुझे अपनी भूल समझमें आ गई और मैंने देखा कि इस भाषाको हिन्दीसे बिलकुल ही अलग कर दिया गया है और उसे ऐसा बनानेकी तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। परन्तु इस एहसाससे उर्दू साहित्यको पढ़ने और समझनेका मेरा निश्चय और भी दृढ़ हो गया। मैं उर्दू पढ़नेके लिए रोज लगभग तीन घंटे देने लगा। उर्दू लेखकोंने हिन्दू-मुसलमानोंमें प्रचलित शब्दोंका त्याग करके फारसी और अरबी शब्दोंका उपयोग जान-बूझकर बढ़ा दिया है। दोनों भाषाओंके सामान्य व्याकरण तकका उपयोग करना छोड़कर, उन्होंने अरबी और फारसीके व्याकरणको अपना लिया है। इसके परिणाम-स्वरूप, मुसलमानी विचार-परम्परासे परिचित रहनेके इच्छुक बेचारे देश-प्रेमियोंको उर्दूका अध्ययन एक बिलकुल भिन्न और नई भाषाके रूपमें ही करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि हिन्दीके लेखकोंने भी इस मामलेमें इससे कुछ अच्छा काम नहीं किया है; हिन्दीको बिलकुल एक अलग भाषा बना देनेके लिए कुछ कम कोशिश नहीं की गई है। हाँ, मैं यह जरूर सोचता था कि यह बुराई अभीतक बहुत गहरी नहीं गई है और हिन्दी और उर्दूको अलग कर डालनेकी वृत्ति केवल थोड़े समय ही चलेगी। परन्तु अब देखता हूँ कि यदि हमें हिन्दुस्तानके लिए हिन्दी और उर्दूको मिला-जुलाकर एक सर्व-सामान्य राष्ट्रीय भाषा बनानी हो तो आजकल एक-दूसरेसे अलग बहते दिखाई देनेवाले इन दो प्रवाहोंको एक करनेकी दिशामें लम्बे समयतक विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे। इसके बावजूद, मैं मानता हूँ कि हिन्दूको अपनी शिक्षा पूरी करनेके लिए शिष्ट उर्दू जान लेनेकी जितनी जरूरत है, उतनी ही मुसलमानको शिष्ट हिन्दी जान लेनेकी है। यह काम जल्दी ही आरम्भ कर दिया जाये तो बिलकुल आसान है। ऐसे अध्ययनसे कोई आर्थिक लाभ भले ही न हो और पश्चिमके ज्ञान-भण्डारके कपाट भी भले ही इससे न खुलें; परन्तु राष्ट्रीय दृष्टिसे इसकी उपयोगिता अमूल्य है। उर्दूके गहरे अध्ययनसे मुझे लाभ ही पहुँचा है। मैं चाहता हूँ कि मैं यह अध्ययन अब भी पूरा कर सकूँ।

दो वर्ष पहले मैं मुसलमानोंके मानसको जितना जानता था उसकी अपेक्षा आज कहीं अधिक जानता हूँ। मुझे उर्दू साहित्यके धार्मिक पहलूमें ज्यादा दिलचस्पी थी। इसलिए ज्यों ही सम्भव हुआ, मैं उर्दूकी धार्मिक पुस्तकोंमें डूब गया। नसीबने तो हमेशा मुझे मदद दी ही है। मौलाना हसरत मोहानीने[1] भाई मंजर अलीको 'उस्ब-ए-

१. १८७५-१९५१; राष्ट्रवादी मुसलमान नेता, खिलाफत आन्दोलनमें सक्रिय भाग लिया।

Gandhi Heritage Portal

सहाबा' नामक ग्रन्थमाला भेजी थी। चूँकि वे मुझे उर्दू सिखाते थे, इसलिए उन्होंने ये पुस्तकें मुझे सौंप दीं। मैंने पूरी लगनसे उन्हें पढ़ डाला। यद्यपि इन पुस्तकोंमें पुनरुक्ति दोष बहुत है और कई जगह लेखन संक्षिप्त होता तो बहुत सुन्दर लगता; फिर भी उनसे पैगम्बर साहबके अनेक साथियोंके किये हुए कामकी गहरी जानकारी मिलती थी, इसलिए उनमें मुझे बहुत ही आनन्द आने लगा। उनके जीवन जैसे एक जादूसा हुआ हो कैसे एकाएक बदल गये, पैगम्बरके प्रति उनकी कैसी अगाध भक्ति थी, दुनियाके धन-मानकी ओर वे कितने उदासीन थे, अपने जीवनकी सादगी साबित करनेके लिए उन्होंने राज्यशक्तिका भी किस तरह उपयोग किया, धनकी लालसासे वे कितने मुक्त रहे, अपने पवित्र माने हुए कार्यके लिए जीवन समर्पित करनेके बारे में वे सदा-सर्वदा कैसे तत्पर रहते थे –– इन सब बातोंका इन पुस्तकोंमें सविस्तार और अत्यन्त विश्वसनीय वर्णन है। यदि कोई उनके जीवनकी तुलना भारतमें इस्लामके आज-कलके प्रतिनिधियोंके जीवनके साथ करे तो उसकी आँखोंमें शोकके आँसू आये बिना न रहेंगे।

'सहाबा' पढ़नेके बाद, मैं खुद पैगम्बर साहबके चरित्रपर आया। मौलाना शिबलीके लिखे हुए ये दो बड़े-बड़े ग्रन्थ बेशक सुन्दर शैलीमें लिखे गये हैं। किन्तु मुझे जो शिकायत पैगम्बर साहबके साथियोंके विषयमें लिखी उक्त ग्रन्थ-मालाके सम्बन्धमें है, वही इन ग्रन्थोंके बारेमें भी है –– इनमें विस्तार बहुत ज्यादा है। परन्तु पश्चिममें जिसकी लगभग एक स्वरसे निन्दा की गई है और जिसे गालियाँ दी गई हैं, उसीके जीवनकी घटनाओंको एक मुसलमान लेखकने किस दृष्टिकोणसे देखा-परखा है, यह सब जाननेकी मेरी उत्सुकता इस विस्तारके बावजूद बनी रही। दूसरी पुस्तक पूरी हो जानेके बाद, उस महान् जीवनके बारेमें पढ़नेके लिए पासमें कुछ और न होनेके कारण मुझे अफसोस हुआ। उसमें कुछ घटनाएँ ऐसी अवश्य हैं, जिन्हें मैं समझ नहीं सका और कुछ ऐसी हैं, जिन्हें मैं समझा नहीं सकता। परन्तु मैंने यह अध्ययन मनोरंजन अथवा आलोचनाके लिए तो किया नहीं था। मुझे तो उस महापुरुषके जीवनकी उत्कृष्टता जाननी थी, जिसका आज करोड़ों मनुष्योंके हृदयपर साम्राज्य है और यह चीज मुझे इन पुस्तकोंमें पूरी मात्रामें देखनेको मिली। अब मेरा यह विश्वास पहलेसे भी अधिक पक्का हो गया है कि मानव-जीवनमें इस्लामने जो स्थान प्राप्त किया, वह तलवारके बलपर नहीं किया। उसका श्रेय तो कठोर सादगी, पैगम्बरके आत्म-विलोपनके भाव, उनकी टेक और अनुयायियोंके प्रति उनके गहरे प्रेम-भाव, उनके साहस और निडरता तथा अपने कार्यके प्रति और खुदाके प्रति उनके सम्पूर्ण विश्वासको है। अपने अभियानमें वे जो लगातार सफल होते गये और बाधाओंपर विजय पाते गये, उसका कारण उनके ये गुण ही थे, तलवार नहीं। पैगम्बर हो या अवतार, मैं किसी भी मनुष्यको पूर्ण नहीं मानता। इसलिए पैगम्बरके जीवनकी एक-एक घटना और किस्सेका स्पष्टीकरण चाहनेवाले आलोचकका मैं समाधान कर ही सकूँ, यह मेरे लिए जरूरी नहीं है। मेरे लिए तो इतना ही जानना पर्याप्त है कि वे लाखों-करोड़ोंमें एक ऐसे नर-रत्न थे, जिसने ईश्वरसे डरकर चलनेका प्रयास किया, जो

Gandhi Heritage Portal

गरीबीमें मरा, जिसने अपने मृत शरीरके लिए किसी शानदार मकबरेकी कामना नहीं की और जो मृत्यु-शय्यापर भी अपने छोटेसे-छोटे ऋण-दाताओंतकको नहीं भूला। आज-कलके मुसलमानोंमें जो पतनकारी असहिष्णुता या गलत तरीकोंसे परधर्मावलम्बियोंका धर्म-परिवर्तन करनेकी वृत्ति पाई जाती है, उसके लिए पैगम्बरको जिम्मेवार मानना उतना ही गलत है जितना कि आजके हिन्दुओंके अधःपतन और असहिष्णुताके लिए हिन्दू-धर्मको जिम्मेवार ठहराना।

पैगम्बरके जीवन-चरित्रके बाद मैंने दो खण्डोंमें लिखी अजेय हजरत उमरकी जीवनीका अध्ययन किया; और जब मैं अपने मनमें जेरूसलेमकी यात्रा करते उस महापुरुषकी कल्पना करता हूँ जो पड़ोसियोंकी शान-शौकतका अनुकरण करनेवाले अपने अनुयायियोंको फटकारता है, जो एक गिरजाघरमें इस भयसे इबादत नहीं करता कि इसी कारण भावी पीढ़ियाँ कहीं उसे मसजिद न बना डालें, जो पराजित ईसाइयोंके सामने भी समझौतेकी अत्यन्त उदार शर्तें रखता है और जब मैं अपने मनमें उस व्यक्तिकी तस्वीर खींचता हूँ जिसने यह घोषणा की कि इस्लामके किसी भी अनुयायीका वचन, भले ही उस अनुयायीको ऐसा कोई वचन देनेकी सत्ता प्राप्त न हो, उतना ही मूल्यवान है जितना कि स्वयं खलीफाका लिखित फरमान, तो मैं सहज ही उसके प्रति श्रद्धानत हो उठता हूँ। वे वज्रके समान सुदृढ़ इच्छाशक्तिवाले आदमी थे। उन्होंने अपनी बेटीके साथ भी वैसा ही न्याय किया जैसा कि वे किसी अजनबीके साथ करते। आज हमारे यहाँ मूर्तियाँ तोड़ने, मन्दिर नष्ट करने और हिन्दुओंके भजन-कीर्तनके प्रति अन्धी असहिष्णुताका जो जोर दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है, वह इस महानतम खलीफाके जीवनको एक बिलकुल उलटे अर्थमें समझनेका ही फल है। मुझे ऐसी आशंका है कि इस पवित्र और न्याय-परायण मनुष्यके कार्योंको आम मुसलमानोंके सामने विकृत रूपमें पेश किया जा रहा है। मुझे महसूस होता है कि अगर हजरत उमर खुद आज अपनी कब्रसे उठकर हमारे बीच आयें, तो इस्लामके कथित अनुयायियोंके बहुत-से ऐसे कामोंको वे निंद्य और अस्वीकार्य बतायेंगे जो उनके भद्दे अनुकरणके रूपमें किये जाते हैं।

इस चित्ताकर्षक अध्ययनके बाद, मैं 'अल-कलाम' नामक तत्त्वज्ञानसे सम्बन्धित ग्रन्थोंकी तरफ मुड़ा। ये पुस्तकें समझनेमें मुश्किल हैं। उनकी भाषा बहुत पारिभाषिक हैं। परन्तु भाई अब्दुल गनीने मेरे अध्ययनमें सहायता देकर काफी आसानी कर दी। इसलिए जब इन ग्रन्थोंको आधा पढ़ जानेके बाद ही मैं बीमार हो जानेके कारण, रिहा कर दिया गया तो मुझे बड़ा दुःख हुआ।

अंग्रेजी पुस्तकोंमें गिबन-कृत रोमका इतिहास पहले नम्बरपर आता है। बरसों पहले मेरे अनेक अंग्रेज मित्रोंने उसे पढ़नेकी मुझे सलाह दी थी। इस बार जेलमें गिबनको पढ़नेका मैंने निश्चय कर लिया था। लेखकने जिस ढंगसे एक विश्व-साम्राज्य स्थापित कर देनेवाले एक ही नगरके नागरिकोंके जीवनकी एकके बाद एक घटनाओंका वर्णन किया है, वह सचमुच पाठकोंके सामने आत्माके इतिहासके पन्ने खोलकर रख देता है। कारण, गिबन सिर्फ छोटी-छोटी बातोंका वर्णन करते बढ़ते हों, सो तो बात ही नहीं है। वे तो तथ्योंके समग्र समूहोंको लेकर चलते हैं और उन्हें पाठकोंके

Gandhi Heritage Portal

सामने इस रूपमें प्रस्तुत कर देते हैं जिसका कोई अनुकरण ही नहीं कर सकता। उन्होंने अर्ध-सभ्यों, ईसाइयों और मुसलमानों -- तीनोंकी संस्कृतियोंका विवेचन इतने विस्तारसे किया है कि हम उसके अध्ययनके बाद इनके विषयमें अपनी राय स्वयं बना सकते हैं। उनका अपना मत हमारा ध्यान खींचता है, परन्तु एक इतिहासकारके नाते उन्हें अपने कर्त्तव्यका बड़ा खयाल है। अपने पासके तमाम ब्योरे पाठकके सामने सच्चाईके साथ रखकर वे पाठकको अपना मत बनानेका अवसर देते हैं।

मोटले दूसरी ही तरहके इतिहासकार हैं। गिबन एक बड़े साम्राज्यके पतन और नाशके कारणोंकी खोज करते हैं, तो मोटले एक छोटेसे प्रजातन्त्रकी कहानीमें अपने प्रिय नायककी जीवन-कथा उभारते चलते हैं। गिबनके पात्र एक अतुल शक्तिशाली साम्राज्यकी कथाके सामने गौण बन जाते हैं। मोटले जो एक राज्य [हॉलैंड]की कहानी कहते हैं, वह एक ही व्यक्तिके जीवनकी कहानीकी कड़ियोंमें पिरोयी हुई, उसीके अधीन चलती है। उस गणतन्त्रका सारा इतिहास विलियम द साइलेंटमें समा जाता है।

इन दो इतिहास-ग्रन्थोंके साथ लॉर्ड रोजबरी द्वारा लिखित 'लाइफ ऑफ पिट' जोड़ दीजिए तो फिर आप भी मेरी ही तरह कहेंगे कि तथ्य और कल्पनाके बीचका भेद वास्तवमें बहुत ही थोड़ा है; और तथ्योंके भी कमसे-कम दो पहलू तो होते ही हैं; अथवा जैसा कि कानूनके पण्डित कहते हैं, तथ्य भी तो आखिर कुछ मतोंको ही पेश करते हैं। परन्तु इतिहास हमारी जातिके विकासमें किस तरह सहायक हो सकता है, इस दृष्टिसे इतिहासके मूल्यके बारेमें अपने विचारोंपर पाठकोंका ध्यान मैं रोके रखना नहीं चाहता। मैं स्वयं तो इस कहावतको मानता हूँ कि जिस जातिका इतिहास नहीं, वह सुखी है। मेरी प्रिय मान्यता तो यह है कि हमारे हिन्दू पूर्वजोंने, इतिहासका जो अर्थ आजकल समझा जाता है उस अर्थमें इतिहास लिखनेकी ओर ध्यान ही नहीं दिया बल्कि छोटी-छोटी बातोंका आधार लेकर तत्त्वज्ञानके प्रासाद रचे और हमारे लिए इस सवालको हल कर दिया है। 'महाभारत' ऐसा ही ग्रन्थ है; और मैं तो गिबन और मोटलेको 'महाभारत'के घटिया संस्करण ही मानूँगा। 'महाभारत'का अमर किन्तु अज्ञात ग्रन्थकार अपनी गाथामें अलौकिक तत्त्वोंको इस ढंगसे मिला देता है कि उसके शाब्दिक अर्थसे चिपटे रहनेके विरुद्ध आपको पर्याप्त चेतावनी मिल जाती है। गिबन और मोटले आपके दिलपर यह बात जमानेके लिए कि वे हमें सच्ची घटनाएँ और केवल सच्ची घटनाएँ ही बता रहे हैं, व्यर्थ ही जान मारते हैं। लॉर्ड रोजबरी इससे आपको बचा लेते हैं और कहते हैं कि जो अन्तिम शब्द पिटके कहे बताये जाते हैं, उनके बारेमें खुद उनका बावर्ची ही दूसरी बात कहता है। इन सारी गाथाओंका सारांश इतना ही है: नाम-रूप गौण वस्तु है। वे तो आते-जाते रहते हैं। जो शाश्वत है और इसलिए महत्त्वपूर्ण है, वह मात्र घटनाओंको दर्ज करनेवाले इतिहासकारकी पकड़में नहीं आता। सत्य इतिहाससे परे है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ११-९-१९२४

Gandhi Heritage Portal

८७. पत्र : एक मित्रको

साबरमती
११ सितम्बर, १९२४

प्रिय मित्र,

महादेवने आपके दोनों पत्र मुझे दे दिये हैं। उनके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे कोई भ्रम नहीं है। लिबरल दलवाले शामिल हों या न हों; स्वराज्यवादी लोग भी चाहें तो शामिल हों या अलग रहें; पर मुझे तो यही लगता है कि हम लोग आपसमें एक-दूसरेसे असहयोग कर रहे हैं। हमें इससे बचना होगा। फिर बाकी सब अपने-आप ठीक हो जायेगा। पहले पत्रके बारेमें बस इतना ही कहना था।

अब दूसरे पत्रके बारेमें। मैंने बिलकुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर [एकताके लिए] समर्पण करना है तो आपको अपनी ही प्रेरणासे करना होगा। मैं तो केवल अहिंसासे उद्भूत सिद्धान्त ही सुझा सकता हूँ। दास्ताने और देवधरने जुहूमें बेशक बहुत-सी बातें कही थीं। मेरे ऊपर उन बातोंका असर भी पड़ा, लेकिन उस तरहका नहीं जैसी आपको आशंका है। उनकी बातचीतसे मैंने यही अनुमान लगाया कि सभी प्रमुख सदस्य अहिंसा या खद्दरके काममें पूरा विश्वास नहीं रखते। श्री बापटका ही उदाहरण लीजिए। उन्होंने मूलशीपेटा आन्दोलनका[1] नेतृत्व किया था। मैंने सत्याग्रहके सम्बन्धमें उनकी पुस्तिका पढ़ी है। अहिंसामें उनका कोई विश्वास नहीं। श्री निम्बकरको लीजिए तो वे भी अहिंसामें विश्वास नहीं रखते। मैंने उनके भाषण सुने हैं और उनके लेख भी पढ़े हैं। उनके खिलाफ बार-बार शिकायतें आती रही हैं। लेकिन ये मामले ऐसे हैं कि इनमें अन्दरसे सुधारकी जरूरत है, हमारे समर्पणकी नहीं। समर्पणका विचार तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकके काफी बादकी चीज है। यह विचार तो मेरे मनमें तब आया जबकि मैंने कुछ जहरीले लेख पढ़े। अगर हम सब फरिश्ते होते तब भी मैं सबको समर्पणकी ही सलाह देता। अपने सिद्धान्तपर आग्रह करनेका मतलब ही यह है कि हम पदोंका त्याग कर रहे हैं, सिद्धान्तोंका नहीं। सिद्धान्तोंका तो हमें अपने जीवनमें आचरण करना ही है। यद्यपि सत्याग्रहके राजनीतिक परिणाम भी निकलते हैं, फिर भी वह शुद्ध आध्यात्मिक अवधारणा ही है। उसका सार है मानवीयता। यह बहस-मुबाहिसेकी चीज नहीं है। यदि आपका आचरण ठीक है तो यह आपके विरोधीपर अज्ञात रूपसे प्रभाव जमाता रहता है। आप पद-त्याग करेंगे भी तो इसीलिए कि आप पहलेसे कहीं अधिक अच्छा काम कर सकें। यह तरीका सामान्य तरीकोंसे सर्वथा भिन्न है। मैं अपनी भाषाको जान-बूझकर अस्पष्ट नहीं बना रहा हूँ। बात यह है कि मैं जो-कुछ सोचता हूँ, वह मौलिक है,

१. देखिए खण्ड २०, पृष्ठ ६६-६७।

Gandhi Heritage Portal

अर्थात् यह तरीका मौलिक है। उसे सजीव ढंगसे व्यक्त करने लायक भाषा मेरे पास नहीं है और इसीलिए उसमें अस्पष्टता आ जाती है। पर इतनी बात तो आसानीसे समझमें आ जाती है कि यदि पदपर बने रहनेसे घृणा पैदा होती हो तो पदसे चिपके न रहें और यदि कोई पद आपको अनायास ही मिल जाये अर्थात् इस कारणसे मिले कि लोकमत बहुत प्रबल रूपसे आपके पक्षमें है तो उसे ग्रहण किये रहें। मुझे इस बातमें तनिक भी शंका नहीं है कि सभी प्रान्तोंकी जनता उन्हीं लोगोंका साथ देगी जो मौजूदा सरकारके बिलकुल खिलाफ खड़े हैं और जनताकी सेवाकी खातिर बड़ेसे-बड़ा त्याग करनेको तैयार हैं। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे सेवक कांग्रेससे बाहर हैं या इसके अन्दर।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

८८. पत्र : इन्द्र विद्यावाचस्पतिको

साबरमती
भाद्र शुक्ल १३ [११ सितम्बर, १९२४][1]

चि० इन्द्र,

तुमारा खत मुझे मीला है। भोपालके बारेमें मैं सविस्तर हकीकत चाहता हुं। अत्याचारोंकी फेरिस्त अगर मील सके तो मैं इस बारेमें जो कुछ हो सकता है तुरत करूँगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

[पुनश्च :]
राय साहबका पत्र आ गया है। मौलाना साहबके खत या तारकी राह देखता हुं।

मूल पत्र (सी० डब्लू० ४८६१) की प्रतिसे।
सौजन्य : चन्द्रगुप्त विद्यालंकार

१. डाककी मुहरसे।

Gandhi Heritage Portal

८९. तार : कृष्णदासको

[१२ सितम्बर, १९२४][1]

कल सुबह दिल्ली जा रहा हूँ। वहाँ काम खतम करके सीधे दिल्ली आओ।

बापू

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०१६४) की फोटो-नकलसे।

९०. तार : बालमुकुन्द वाजपेयीको[2]

[१२ सितम्बर, १९२४][3]

यहाँके और दिल्लीके पतेपर पूरा विवरण तार द्वारा भेजिए। कल सुबह दिल्ली रवाना हो रहा हूँ।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४९२) की माइक्रोफिलमसे।

९१. तार : अब्दुल बारीको

[१२ सितम्बर, १९२४][4]

मौलाना अब्दुल बारी साहब
फिरंगी महल

आपके प्यारे लखनऊमें हिन्दू-मुसलमानोंके बीच क्या झगड़ा है? मैं जानता हूँ आप झगड़ा टालनेके लिए सब-कुछ करेंगे।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४९२) की माइक्रोफिलमसे।

१. गांधीजी १३ सितम्बरको अहमदाबादसे दिल्लीके लिए रवाना हुए थे।

२. यह तार संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेसके अध्यक्षकी हैसियतसे लखनऊसे भेजे गये श्री वाजपेयीके १० सितम्बरके तारके उत्तरमें दिया गया था। तार इस प्रकार था: "हिन्दू-मुसलमानोंके बीच बड़ा तनाव। स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक। मुसलमान नेता उदासीन। सहायता अविलम्बनीय।"

३. देखिए पाद-टिप्पणी १।

४. इस तार और बालमुकुन्द वाजपेयीको भेजे गये तार (देखिए पाद-टिप्पणी २) की विषय-वस्तुकी समानताको देखकर लगता है कि यह तार भी १२ सितम्बरको ही भेजा गया होगा।

Gandhi Heritage Portal

९२. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको

दिल्ली जाते हुए
१३ सितम्बर, १९२४

प्रियवर रा०,

मैं दिल्लीके रास्तेमें हूँ। मैं वहाँ झगड़ने जा रहा हूँ। मैंने एस० के नाम लिखा आपका पत्र पढ़ा है। मैं उदास हूँ क्योंकि आप उदास हैं। क्या ही अच्छा होता, अगर आप मेरे साथ होते! जब हमारे अन्दर इतनी फूट पड़ी हुई है तब फिर आप इस तरह कैसे चला सकते हैं? आप 'यंग इंडिया' के ताजा अंकमें प्रकाशित मेरा लेख[1] पढ़ें। जरूरत पड़े तो पचास बार पढ़ें, तब शायद आपके दिमागमें मेरा अर्थ स्पष्ट हो जायेगा। लेख सबसे अधिक आपके लिए ही लिखा गया है। एस० के नाम आपके पत्रसे ही मुझे उसे लिखनेकी प्रेरणा मिली। राष्ट्रीय कार्यक्रममें से बहिष्कारको फिलहाल हटा देनेका मतलब यह तो नहीं है कि हम उसे छोड़ रहे हैं। यदि हमारे अन्दर विश्वासका बल मौजूद है तो हम कभी भी उसे पुनरुज्जीवित कर सकते हैं। अगर हमें अपने ऊपर भरोसा है तो फिर मुल्तवी करनेका मतलब बिलकुल ही त्याग देना क्यों लगाया जाये?

आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

९३. पत्र : फूलचन्द शाहको

भाद्रपद सुदी १५, १८८० [१३ सितम्बर, १९२४]

भाईश्री५ फूलचन्द,[2]

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने नाम प्रकाशित करनेका जो सुझाव दिया है, उस-पर मैं अगले महीनेसे अवश्य अमल करूँगा। श्याम बाबू, राजगोपालाचारी आदि अन्य अपरिवर्तनवादियोंका सूत तो मिला है, किन्तु किसी भी प्रमुख स्वराज्यवादीका सूत नहीं मिला। मैं शिवलालभाईकी जमीनके बारेमें देखूँगा। काठियावाड़के नाम मुझे

१. देखिए "वास्तविकताएँ", ११-९-१९२४।
२. फूलचन्द कस्तूरचन्द शाह, सौराष्ट्रके एक राजनीतिक और रचनात्मक कार्यकर्ता।

Gandhi Heritage Portal

किसीने दिये ही नहीं। अब इस बार मैंने सुधार किया है। भाई केवलरामने[1] अभी कोई निश्चय नहीं किया है। तुम अन्त्यज आश्रमके बारेमें जो-कुछ करो सो बहुत सोच-विचार कर करो। मैं यह पत्र दिल्ली जाते हुए लिख रहा हूँ।

बापूके आशीर्वाद

भाईश्री फूलचन्द
केलवणी मण्डल कार्यालय
वढ़वान शहर

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २८२२) से।
सौजन्य : शारदाबहन शाह

९४. पत्र : राधा गांधीको

भाद्रपद सुदी १५ [१३ सितम्बर, १९२४][2]

चि० राधा,

मैं यह पत्र दिल्ली जाते हुए लिख रहा हूँ। मुझे कदाचित् पन्द्रह-एक दिन लगेंगे। मणिबहनके पेटमें दर्द है। उसका पता है : मार्फत वल्लभभाई पटेल, बैरिस्टर। दिल्लीमें मेरा पता है : मार्फत मौलाना मुहम्मद अली, 'कॉमरेड' कार्यालय, दिल्ली।

देवदास अहमदाबादमें ही रह गया है। रामदास भावनगर जा रहा है। कृष्णदास, प्यारेलाल और महादेव मेरे साथ हैं।

बापूके आशीर्वाद

चिरंजीव राधा
मार्फत वोरा शिवलाल करसनजी
लाल दरवाजाके पास
राजकोट

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३४) से।
सौजन्य : राधाबहन चौधरी

१. केवलराम जोशी, वढ़वानके दीवानके पुत्र।
२. डाककी मुहरसे।

Gandhi Heritage Portal

९५. पत्र : सन्मुखरायको

१३ सितम्बर, १९२४

भाई सन्मुखराय,

ब्रह्मचर्यका पालन करनेके लिए निम्न बातें आवश्यक हैं : (१) एकान्त-सेवन; (२) अल्पाहार; (३) अच्छी पुस्तकोंका अध्ययन; (४) नित्य मनन; (५) पर्याप्त शारीरिक और मानसिक श्रम; (६) मसालों और मादक द्रव्योंका त्याग; (७) नाटकादि शृंगारमय वस्तुओंका त्याग; (८) मानसिक रूपसे भी स्त्रीसंगका त्याग; (९) स्त्रीके साथ एकान्तमें न मिलना; (१०) रामनाम अथवा ऐसे ही किसी अन्य नामका जप।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

९६. पत्र : शरद् कुमार घोषको[1]

[१३ सितम्बर, १९२४ के पश्चात्]

आपका तार पाकर बड़ी खुशी हुई। मैं बड़ी उत्कटतासे प्रार्थना कर रहा हूँ कि ईश्वर मुझे राह दिखाये। मैंने मोतीलालजीको दो पत्र लिखे हैं। सिद्धान्तके मामलेमें समझौता करनेका कोई सवाल ही नहीं उठता। आपका प्रस्ताव मुझे पसन्द आया है।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १६-९-१९२४

१. यह पत्र **सर्वेंटके** संवाददाता शरद् कुमार घोषके १३ सितम्बरके तारके उत्तरमें भेजा गया था। तार इस प्रकार था : "... लगता है कि आप या तो स्वराज्यवादियोंके कार्यक्रमको, जिसमें उनका सरकारी ओहदे मंजूर करना भी शामिल है, स्वीकार कर लेंगे और अपने रचनात्मक कार्यक्रम-मात्रसे ही सन्तोष कर लेंगे या फिर आप कांग्रेससे बिलकुल ही बाहर निकल जायेंगे। हमें नहीं मालूम कि आप क्या करेंगे। ... जबतक आप कांग्रेसमें हैं, अपरिवर्तनवादियोंको कांग्रेसके पद प्राप्त करनेके लिए कोशिश करनी ही पड़ेगी। इसीलिए लगातार खींच-तान होती रहती है। आपके कांग्रेससे बाहर आ जानेपर अपरिवर्तनवादी लोगोंको भी बिना कोई संकोच-विकोच किये उससे बाहर आ जानेकी छूट मिल जायेगी। ... ऐसी परिस्थितिमें तो हम लोग जो आपके अनुयायी हैं, सोचते हैं कि सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप और आपके अनुयायी कांग्रेस छोड़ दें और एक स्वतन्त्र संस्था बना लें। ..."

Gandhi Heritage Portal

९७. हिन्दू-मुस्लिम एकता

मुझे सूरतकी सभामें हिन्दू-मुस्लिम एकताके सम्बन्धमें कुछ बोलनेका मौका मिला था।[1] कारण यह था कि कितने ही सज्जनोंने संगठनके विषयमें मेरे विचार जानने चाहे थे। उसके बाद मुझे एक मुसलमान सज्जनका पत्र मिला। उसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिये थे। अब मैं देखता हूँ कि गुजरातमें भी झगड़ेका भय दिखाई देता है। वीसनगरका मामला अभी तय हुआ नहीं माना जा सकता। मांडलमें कुछ उपद्रव हुआ है। अहमदाबादमें भी कुछ गड़बड़ी हुई है। उमरेठमें दंगेका डर है। ऐसी ही हालत अन्य प्रान्तोंमें, जैसे भागलपुर (बिहार) में भी हो रही है।

यह सवाल दिन-ब-दिन गम्भीर होता जा रहा है। एक बात तो शुरुआतमें ही स्पष्ट कर दी जानी चाहिए। यह बात बराबर कही जाती है कि इन झगड़ोंमें सरकारी लोगोंका हाथ है। यदि यह आरोप सच हो तो मुझे दुःख होगा, ताज्जुब तो कुछ भी न होगा, क्योंकि सरकारकी तो नीति ही हममें फूट डालनेकी है। इसलिए यदि सरकार यह चाहती हो कि हम लड़ें-झगड़ें तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं। दुःख तो इसपर होगा कि अभीतक दोनों कौमें अपना-अपना हित नहीं समझ पाई हैं। जिन्हें लड़ाई-झगड़ा करनेकी आदत पड़ गई है, उन्हीं लोगोंमें तीसरा पक्ष झगड़ा करा सकता है। ब्राह्मणों और बनियोंमें तो सरकारकी ओरसे झगड़ा कराये जानेकी बात अबतक नहीं सुनी गई और सुन्नी मुसलमानोंमें भी लड़ाई कराये जानेकी बात भी कभी नहीं सुनी। परन्तु वह हिन्दू-मुसलमानोंमें झगड़ा फसाद कराती है, ऐसा सन्देह और भय सदा रहा है; क्योंकि दोनों जातियाँ बहुत बार लड़ चुकी हैं। जब हम लड़नेका स्वभाव छोड़ देंगे तभी हम आसानीसे स्वराज्य ले सकते हैं, नहीं तो वह असम्भव है।

जबतक हिन्दू डरते रहेंगे तबतक झगड़े भी होते ही रहेंगे। जहाँ डरपोक होता है वहाँ डरानेवाला हमेशा मिल ही जाता है। हिन्दुओंको समझ लेना चाहिए कि जबतक वे डरते रहेंगे तबतक उनकी रक्षा कोई न करेगा। मनुष्यका डर रखना यह सूचित करता है कि हमारा ईश्वरपर अविश्वास है। जिसे यह विश्वास न हो कि ईश्वर हमारे चारों ओर है, सर्वव्यापी है या जिसका यह विश्वास शिथिल हो, वह अपने बाहुबलपर विश्वास रखता है। हिन्दुओंको दोनोंमें से एक बात प्राप्त करनी होगी। यदि ऐसा न करेंगे तो सम्भव है, हिन्दू जाति नष्ट हो जाये।

पहला मार्ग — केवल ईश्वरपर विश्वास रखकर मनुष्यका डर छोड़ देना — अहिंसाका मार्ग है और उत्तम है। दूसरा मार्ग बाहुबलका है, यह हिंसाका मार्ग है। संसारमें दोनों मार्ग प्रचलित हैं और हमें दोनोंमें से किसी भी एकको ग्रहण करनेका अधिकार है। परन्तु एक आदमी एक ही समय दोनोंका उपयोग नहीं कर सकता।

१. देखिए "भाषण: सूरतकी सार्वजनिक सभामें", ५-९-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

यदि हिन्दू और मुसलमान दोनों बाहुबलका ही रास्ता ग्रहण करना चाहते हों तो फिलहाल शीघ्र स्वराज्य मिलनेकी आशा छोड़ देना ही उचित है। यदि तलवारके रास्तेसे ही शान्ति प्राप्त करनी हो तो दोनोंको पहले खूब लड़ लेना होगा और इसमें खूनकी नदियाँ बहेंगी। दो-चार लोगोंका खून करने या दस-पाँच मन्दिर तोड़नेसे फैसला नहीं हो सकता। मैं संगठनके खिलाफ हूँ भी और नहीं भी हूँ। यदि संगठनका मतलब अखाड़े खोलना और अखाड़ोंके द्वारा हिन्दू गुण्डोंको तैयार करना हो तो यह हालत मुझे तो दयाजनक ही मालूम होती है। गुण्डोंके द्वारा धर्मकी अथवा अपनी रक्षा नहीं की जा सकती। यह तो एक आफतके बदले दूसरी, अथवा उसके सिवा एक और आफत मोल लेना हुआ। यदि ब्राह्मण, वैश्य आदि ही अखाड़ोंके द्वारा अपनी शारीरिक उन्नति करें और अपनी रक्षा करनेके लिए तैयार हों तो मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है। परन्तु मुझे तो यकीन है कि उन्हें लड़ाई लड़नेके लायक शक्ति प्राप्त करनेमें बहुत समय लगेगा। अखाड़ोंके लिए अखाड़े खोलना बिलकुल ठीक है। किन्तु मुसलमानोंको लड़ाईमें शिकस्त देनेके लिए अखाड़े खोलनेकी बात हमारी समस्याका हल नहीं है——इसमें मुझे जरा भी शक नहीं।

यदि हम मुसलमानोंके दिलको जीतना चाहते हों तो हमें तपश्चर्या करनी होगी। हमें पवित्र बनना होगा। हमें अपने दोषोंको दूर करना होगा। अगर वे हमसे लड़ें तो हमें उलटकर प्रहार न करते हुए हिम्मतसे मरनेकी कला सीखनी होगी। डर कर औरतों, बाल-बच्चों और घर-बारको छोड़कर भाग जाना और भागते हुए मर जाना, मरना नहीं कहाता; बल्कि उनके प्रहारके सामने खड़े रहना और हँसते-हँसते मरना हमें सीखना पड़ेगा।

मैं मुसलमानोंको भी यही सलाह दूँगा। परन्तु यह अनावश्यक है, क्योंकि वे डरानेवाले माने गये हैं। सामान्य अनुभव यह है कि वे मारनेमें बहादुर हैं। इसलिए उन्हें हिन्दुओंके बाहुबलसे बचनेका रास्ता दिखानेकी जरूरत नहीं रह जाती। उनसे तो यही विनती करनी होगी कि भाई आप अपनी तलवार म्यानमें रखें। अपने गुण्डोंको अपने कब्जेमें रखकर शान्तिसे काम लें। मुसलमानोंको हिन्दुओंसे दूसरे भय भी चाहे हों पर उनको हिन्दुओंसे आर्थिक भय तो अवश्य है। इसके सिवा उन्हें बकरीदके दिन अपने धार्मिक कृत्यमें रुकावट पड़नेका भी भय है। परन्तु उन्हें हिन्दुओंके हाथों पिटनेका डर हरगिज नहीं है। इसलिए मैं तो उनसे यही कहूँगा, आप लाठी या तलवारके बलपर इस्लामकी रक्षा नहीं कर सकते। लाठी या तलवारका युग अब चला गया। धर्मोंकी कसौटी उनके माननेवालोंकी पवित्रता ही होगी। यदि आप अपने धर्मकी रक्षा गुण्डोंके हाथोंमें सौंप देंगे तो आप इस्लामको भारी नुकसान पहुँचायेंगे। फिर इस्लाम फकीरोंका, खुदापरस्त लोगोंका धर्म न रहेगा।

यह तो साधारण विचार हुआ। मौलाना हसरत मोहानी कहते हैं कि मुसलमानोंको हिन्दुओंकी खातिर गायकी रक्षा करनी चाहिए और हिन्दुओंको उन्हें अछूत न मानना चाहिए। वे कहते हैं कि उत्तर भारतमें मुसलमान भी अस्पृश्य गिने जाते हैं। मैंने मौलाना साहबसे कहा कि मैं तो ऐसी बातमें सौदा या अदला-बदला न करूँगा। मुसलमान यदि हिन्दुओंकी खातिर गायकी रक्षा करना अपना धर्म समझें

Gandhi Heritage Portal

तो वे गायकी रक्षा करें; फिर हिन्दू उनसे अच्छा सलूक करें या बुरा। यदि हिन्दू मुसलमानोंको अस्पृश्य मानते हों तो यह पाप है। मुसलमान चाहे गोवध करें या न करें, परन्तु हिन्दुओंको उन्हें अछूत नहीं मानना चाहिए अर्थात् स्पर्श आदिके बारेमें चारों वर्ण एक-दूसरेके साथ जैसा व्यवहार रखते हैं, हिन्दुओंको वैसा ही व्यवहार मुसलमानोंके साथ रखना चाहिए। इस बातको मैं तो स्वयंसिद्ध मानता हूँ। यदि हिन्दू-धर्म मुसलमानोंके या अन्य धर्मियोंके तिरस्कारकी शिक्षा देता हो तो उसका नाश ही होगा। इसलिए किसी तरहका सौदा किये बिना दोनोंको अपना घर साफ करना चाहिए। गायकी रक्षाके लिए मुसलमानोंसे दुश्मनी करना गायको मारनेका रास्ता है और दुहरा पाप है। यदि विधर्मी लोग गोवध करें तो इससे हिन्दू धर्मका लोप न होगा। हिन्दू गायको न मारें, यह उनका धर्म है। परन्तु क्या विधर्मियोंसे जबरदस्ती करके गायको छीन लेना उनका धर्म हो सकता है? हिन्दू लोग भारतमें स्वराज्य चाहते हैं, हिन्दू-राज्य नहीं। हिन्दू-राज्यमें भी यदि सहिष्णुताका स्थान हो तो मुसलमान और ईसाई दोनोंके लिए जगह होनी चाहिए। यदि उसमें दोनों जातियाँ समझ-बूझकर अपनी खुशीसे गोकुशी बन्द करें तो ही हिन्दू-धर्मकी शोभा मानी जायेगी। परन्तु मैं तो हिन्दुओंके लिए हिन्दू-राज्यकी इच्छा करना भी देशद्रोह मानता हूँ।

अब रहा बाजेका झगड़ा। बाजेका झगड़ा दिन-पर-दिन बढ़ता दिखाई देता है। एक पत्रमें जो मुझे सूरतमें मिला था यह कहा गया है कि हिन्दू-धर्ममें बाजा बजाना अनिवार्य नहीं है। इसलिए हिन्दुओंको चाहिए कि वे मुसलमानोंकी भावनाको आघात न पहुँचानेके खयालसे मसजिदोंके सामने बाजे बजाना बन्द कर दें। मैं चाहता हूँ कि यह बाजेकी बात उतनी ही आसान होती जितनी कि पत्र-लेखक बताते हैं। परन्तु हकीकत इसके खिलाफ है। हिन्दू-धर्मकी कोई भी विधि ऐसी नहीं है जो बिना बाजा बजाये हो सकती है। कितनी ही विधियाँ तो ऐसी हैं जिनमें शुरूसे अखीर तक बाजा बजाना जरूरी है। हाँ, इसमें भी हिन्दुओंको इतनी चिन्ता जरूर रखनी चाहिए कि मुसलमानोंका दिल न दुखने पाये। बाजा धीमे बजाया जाये, कम बजाया जाये तथा यह सब लेन-देनकी नीतिके अनुसार हो सकता है और होना चाहिए। कितने ही मुसलमानोंके साथ बातें करनेसे मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस्लाममें ऐसा कोई फरमान नहीं है जिससे दूसरोंके बाजेको बन्द कराना लाजिमी हो। इसलिए मसजिदके सामने विधर्मियोंके बाजे बजानेसे इस्लामको धक्का नहीं पहुँचता। अतः यह बाजेका सवाल झगड़ेका मूल नहीं होना चाहिए।

ऐसा होते हुए भी कितनी ही जगह मुसलमान भाई हिन्दुओंके बाजे जबरदस्ती बन्द कराना चाहते हैं। यह स्थिति असह्य है। जो बात विनयसे कराई जा सकती है वह जोर-जबरदस्तीसे नहीं कराई जा सकती। विनयके सामने झुकना धर्म है, जोर-जबरदस्तीके सामने झुकना अधर्म है। यदि हिन्दू मारके डरसे बाजे बजाना छोड़ें तो वे हिन्दू न रहेंगे। इस सम्बन्धमें सामान्य नियम इतना ही बताया जा सकता है कि जहाँ हिन्दुओंने समझ-बूझकर बहुत समयसे मसजिदके सामने बाजे बन्द करनेका रिवाज रखा है वहाँ उन्हें उसका पालन अवश्य करना चाहिए। जहाँ वे हमेशा बाजे बजाते

Gandhi Heritage Portal

आये हैं वहाँ उन्हें बजानेका अधिकार होना चाहिए। जहाँ झगड़ेकी सम्भावना हो और तथ्योंके बारेमें मतभेद हो वहाँ हिन्दू और मुसलमान दोनों पक्षोंको पंचोंसे निर्णय करा लेना चाहिए।

जहाँ अदालतने बाजे बजानेकी मुमानियत की हो, वहाँ हिन्दू लोग कानूनको अपने हाथोंमें न लें। मुसलमानोंको भी हिन्दुओंका बाजा बजाना जबरदस्ती बन्द करानेकी जिद छोड़ देनी चाहिए।

जहाँ मुसलमान बिलकुल न मानें अथवा जहाँ हिन्दुओंके साथ जबरदस्ती होनेका अन्देशा हो और जहाँ अदालतसे बाजे बजानेकी मनाही न हो वहाँ हिन्दुओंको निडर होकर बाजे बजाते हुए निकलना चाहिए और मुसलमान चाहे कितनी ही मार-पीट करें उन्हें उसे सहन करना चाहिए। इस तरह जितने बाजे बजानेवाले मिलें सब वहाँ अपनी बलि दे दें। इससे उनके धर्म और आत्म-सम्मान दोनोंकी रक्षा होगी।

जहाँ हिन्दुओंमें इतना आत्मबल न हो, वहाँ उन्हें अपने बचावके लिए मार-पीट करनेका अधिकार है। मरकर अथवा मारते हुए मरकर धर्मकी रक्षा करनेकी जहाँ जरूरत दिखाई दे वहाँ दोनों दलोंको अदालत या सरकारकी शरणमें जानेका विचार छोड़ देना चाहिए। यदि एक पक्ष सरकारकी या अदालतकी सहायता ले तो भी दूसरेको वैसा न करना चाहिए। यदि अदालतमें गये बिना काम ही न चले तो भी वहाँ झूठे सबूत हरगिज न दिये जायें।

मारपीटका यह कानून है कि पेट भरके मार खाने और मारनेके बाद दोनों लड़नेवाले ठंडे पड़ जाते हैं और दूसरोंकी सहायता लेने नहीं जाते। जिस जगह दोनों पक्षोंने लड़नेका निश्चय किया हो वहाँ उन्हें पीछे बदला चुकानेका या औरोंकी सहायता लेनेका विचार छोड़ देना चाहिए।

उन्हें एक मुहल्लेका झगड़ा दूसरे मुहल्लेमें न ले जाना चाहिए और स्त्रियों, बूढ़ों, अपंगों और बालकोंपर तथा शान्त रहनेवाले लोगोंपर हमला न करना चाहिए। यदि इतने नियमोंका पालन होता रहेगा तो भी समझा जायेगा कि कुछ तो मर्यादा रखी गई है।

मुझे आशा है कि गुजरातके हिन्दू और मुसलमान सोचेंगे, समझेंगे और शान्तिकी रक्षा करेंगे। मुझे आशा है कि उमरेठमें दंगा होनेका भय अकारण सिद्ध होगा और दोनों जातियाँ पहलेसे मिलकर अपने मतभेद मिटा लेंगी।

डरकर भाग खड़ा होना, मन्दिर छोड़कर चला जाना या बाजे बजाना बन्द कर देना या अपनी रक्षा न करना, यह धर्म नहीं है, मनुष्यता नहीं है, यह तो नामर्दी है। अहिंसा वीरताका लक्षण है — भीरु, डरपोक मनुष्य तो यह जान भी नहीं सकता कि अहिंसा किस चिड़ियाका नाम है।

दोनों कौमोंके सर्वसाधारण लोग समझदारीसे काम लेने लगें, हिम्मत रखना सीखें, जो डरते हैं वे डर छोड़ दें और जो डराते हैं वे डराना छोड़ दें — इसमें तो अभी समय लगेगा। इस बीच दोनों जातियोंके समझदार लोगोंको हर झगड़ेके मौकेपर पंचायतके सिद्धान्तका पालन करनेका प्रयत्न करना चाहिए। समझदार वर्गकी

Gandhi Heritage Portal

हालत नाजुक है। परन्तु उसे चाहिए कि वह अपनी सारी शक्ति सर्व-साधारणको शान्त बनाये रखनेमें ही लगाये।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १४-९-१९२४

९८. असफलताके कारण

हम निर्धारित अवधिके भीतर स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे, इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि हम जिस स्थितिको समाप्त करना चाहते थे वह स्थिति दिन-प्रतिदिन और अधिक जड़ पकड़ती जा रही है। हमें स्वराज्य तो नहीं मिला, उलटे अब हमें स्वराज्यसे डर लग रहा है। हिन्दू कहते हैं, हमें स्वराज्य नहीं चाहिए; मुसलमान कहते हैं, हमें स्वराज्य नहीं चाहिए और ब्राह्मणेतर कहते हैं, हमें स्वराज्य नहीं चाहिए; तब स्वराज्य चाहिए किसको? जो राष्ट्र स्वतन्त्रतासे डरता है वह क्या राष्ट्र हुआ? तथापि आज हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही विचित्र हो गई है।

तो अब हम इसके कारणोंपर विचार करें। यदि कोई मनुष्य बिना सोचे-समझे तेज दवा लेता है तो उसका परिणाम उलटा होता है। असहयोग भी तेज दवा है, इसलिए इसका परिणाम भी यही हुआ है। इसका उपयोग असावधानीसे नहीं किया जा सकता। यदि इसका उपयोग करनेमें कोई भूल हो जाये तो गम्भीर हानि हो सकती है। पुत्र पितासे, पत्नी पतिसे और प्रजा राजासे सामान्य रूपसे तो सहयोग ही करते हैं। दोनोंके बीच प्रेमभाव होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसे प्रसंग भी आ जाते हैं जब दोनोंमें परस्पर असहयोग होता है और वह होना भी चाहिए। यदि वह असहयोग द्वेषपूर्ण हो तो त्याज्य है, पाप-रूप है। पिता-पुत्रके बीच वैर नहीं हो सकता। लेकिन अगर वैर हो जाता है तो वह सामान्य वैरसे भयंकर होता है। अंग्रेज और जर्मन चचेरे भाई हैं, लेकिन जब वे परस्पर लड़ पड़े तब एक तो तबाह हो गया। हमने ऐसे हिंसात्मक असहयोगको त्याज्य माना और इसलिए अपने असहयोगको 'शान्तिपूर्ण' असहयोग कहा और यह विशेषण जोड़कर उसके स्वरूपको बिलकुल ही बदल डाला। हमारे शान्तिपूर्ण असहयोगको विनाशक नहीं बल्कि रचनात्मक होना चाहिए था। प्रेमकी लड़ाईमें से विष नहीं निकलना चाहिए। हम तो अंग्रेजोंके साथ भी सारा वैर मिटाकर उन्हें मित्र बनाना चाहते थे, लेकिन वैसा नहीं हो सका। हमारे असहयोगमें "शान्तिपूर्ण" विशेषण गौण होकर रह गया। हमारा असहयोग असमर्थ लोगोंका असहयोग सिद्ध हुआ। तिसपर भी इसके कई सुन्दर परिणाम निकले। हममें उत्साह बढ़ा, जनताको अपनी सत्ताका भान हुआ और ऐसा भी लगा कि एक अमोघ शस्त्र हमारे हाथ आ गया; लेकिन हमें उसका पूरा-पूरा उपयोग करना नहीं आया।

इसलिए हम पीछे हटे। इसमें ऊपर-ऊपरसे प्रेमका रंग-मात्र चढ़ा हुआ था; वह उड़ गया, असहयोग रह गया और हम सरकारके विरुद्ध पूरी तरह सफल न हो

Gandhi Heritage Portal

सके। इसलिए अब आपसमें ही एक-दूसरेसे असहयोग करने लग गये। हाथसे निकला शस्त्र कदापि वापस नहीं आता, अतः उसने हमारा ही संहार करना आरम्भ कर दिया। हिन्दुओं और मुसलमानों तथा स्वराज्यवादियों और अपरिवर्तनवादियोंने परस्पर असहयोग आरम्भ कर दिया। दोनोंके असहयोगमें शान्तिके स्थानपर अशान्ति और प्रेमके स्थानपर वैर है। दोनोंके दिलोंमें एक-दूसरेके प्रति अविश्वास है, द्वेष है। ऐसी स्थितिमें शुद्ध प्रेमको सबल हथियार माननेवाले लोगोंको क्या करना चाहिए। ऐसी स्थितिमें मेरे-जैसे अहिंसावादी होनेका दावा करनेवाले लोगोंका धर्म क्या है? मैं स्वराज्यवादियोंसे लड़नेमें सबसे आगे हूँ। उनकी विधान-परिषदोंमें जानेकी नीति मुझे तनिक भी पसन्द नहीं आई। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीमें मैंने उनका डटकर विरोध किया, लेकिन अन्तमें हार मान ली। मगर मैंने फिर लड़नेका इरादा जाहिर किया। मैंने यह मान लिया कि जब दोनों पक्ष मेरे शुभ उद्देश्यको जान जायेंगे तब वे फिर अपने-अपने कार्यमें निरत हो एक-दूसरेकी मदद करने लगेंगे। लेकिन मेरा यह अनुमान गलत सिद्ध हुआ है। दोनोंके मन अशान्त हैं। बेलगाँवमें बहुमतके बलपर कांग्रेसपर कब्जा करनेकी तैयारियाँ की जा रही हैं। यह प्रेमकी निशानी नहीं है। जहाँ सैद्धान्तिक मतभेद हो, वहाँ बहुमतकी पद्धति काम नहीं देती। जहाँ दोनों पक्षोंमें अविश्वास आ जाता है, वहाँ वह दोनोंके बीच कटुताको बढ़ाता है। जहाँ मतदाता केवल अन्ध-श्रद्धासे ही मत देते हों और अपनी बुद्धिसे काम न लेते हों, वहाँ उन्हें सच्ची शिक्षा नहीं मिलती; अपितु उनका पतन होता है। जहाँ मतदाता भोले-भाले लोग होते हैं और सूक्ष्म बातोंको नहीं समझते वहाँ बहुमतकी पद्धति उनके नाशका कारण भी बन जाती है।

यह जानते हुए मैं कांग्रेसमें बहुमतके सिद्धान्तसे निर्णय कैसे करवा सकता हूँ? जो प्रतिनिधि आयेंगे वे गुण और दोषकी जाँच न करके, भाषणकर्त्ताओंका मुँह देखकर ही मत देंगे।

ऐसी स्थितिमें मुझे अपने अहिंसा-धर्मपर दृढ़ रहकर लोगोंके सामने प्रेमका पदार्थ-पाठ प्रस्तुत करना चाहिए। मैं कांग्रेसका कारोबार अपने हाथोंमें रखनेके मोहमें नहीं पड़ सकता। यदि मैं विनम्रतापूर्वक दलीलें देकर स्वराज्यवादियोंको नहीं समझा सकता तो मुझे सिर झुकाकर कांग्रेससे अलग हो जाना चाहिए। अहिंसावादी की पराजयमें भी उसकी जय ही होती है। अहिंसावादी सत्ताके लिए कदापि नहीं जूझेगा। अहिंसावादी अपने सिद्धान्तका प्रचार भी बहुमतके बलपर नहीं बल्कि आत्मबलसे करता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि यदि उसकी अहिंसा सच्ची होगी तो वह अकेला रहनेके बावजूद अन्तमें विजय प्राप्त करेगा अर्थात् यदि वह मृत्युपर्यन्त अपने सिद्धान्तका अनुसरण करता रहेगा तो अन्तमें उसके सिद्धान्तकी जीत अवश्य होगी। देहधारियोंमें सिद्धान्तका प्रचार करनेके लिए यही एक रास्ता है कि कोई उस सिद्धान्तको अपने जीवनमें मूर्तिमान करे। कहनेका तात्पर्य यह है कि सिद्धान्तके लिए किसी-न-किसीको तो अपने जीवनकी भेंट देनेकी तैयारी रखनी ही चाहिए। अतः मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं सिद्धान्तकी खातिर तो स्वराज्यवादियोंके साथ बहुमतकी

Gandhi Heritage Portal

लड़ाईमें नहीं उतरूँगा और जो लोग शान्तिपूर्ण असहयोगके पक्षमें हैं, उन्हें भी मैं यही सलाह देता हूँ। हमारे बीच जो गहरी दरार पड़ गई है, वह ऐसा करनेसे ही पट सकेगी। मैं तो केवल स्वराज्यवादियोंको ही नहीं वरन् सब पक्षोंको कांग्रेसमें भाग लेते हुए देखना चाहता हूँ। सरकारके विरुद्ध हमारा असहयोग तो तभी चमकेगा जब जनताका बड़ा हिस्सा आपसमें हार्दिक सहयोग करेगा।

तब क्या कोई ऐसा कार्यक्रम है, जिसके सम्बन्धमें सभी पक्ष एकमत हो सकें? यह कार्यक्रम जनताके लिए आवश्यक होना चाहिए। मेरी दृष्टिसे ऐसे कार्यक्रममें तीन बातें आतीं हैं; खादी, हिन्दू-मुस्लिम एकता और हिन्दुओंके लिए अस्पृश्यता-निवारण।

ये तीनों बातें ऐसी हैं जिनमें से यदि कोई एक भी असिद्ध रह जाये तो मैं स्वराज्य असम्भव मानता हूँ। अतः मेरे सुझाव ये हैं:

१. कांग्रेस एक वर्षके लिए पाँच बहिष्कारोंमें से चारको मुल्तवी रखे और केवल विदेशी कपड़ेका बहिष्कार कायम रखे। कपड़ेके अलावा ब्रिटेनके दूसरे मालका बहिष्कार भी वह रद कर दे।

२. कांग्रेस उपर्युक्त तीन कार्योंके अलावा मौजूदा राष्ट्रीय पाठशालाओंको चलाये और यदि सम्भव हो तो नई पाठशालाओंकी स्थापना करे। वह इनके अलावा किसी दूसरे काममें न पड़े।

३. स्वराज्यवादी और दूसरे दल इस कार्यक्रमके बाहर जो काम करें उनमें कांग्रेस न तो उनकी मदद करे और न कोई विघ्न डाले।

४. कांग्रेसकी कार्यकारिणी-समितियों आदिमें कांग्रेसमें शामिल किसी भी दलके लोगोंके चुने जा सकनेकी छूट होनी चाहिए।

५. कांग्रेसका सदस्य बननेके लिए चार आना चन्दा देनेकी शर्त हटा दी जानी चाहिए और उसके बदले प्रत्येक सदस्यके लिए प्रति मास अपने हाथका कता २,००० गज सूत देने और प्रतिदिन आधा घंटा सूत कातनेकी शर्त होनी चाहिए। सब सदस्य शुद्ध खादी पहननेवाले होने चाहिए।

इनमें पाँचवें सुझावके अलावा किसी और सुझावके बारेमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। यदि हम विदेशी कपड़ेके बहिष्कारको तुरन्त पूरा करना चाहते हैं तो मैं पाँचवें सुझावको आवश्यक मानता हूँ। खादीका प्रचार अपेक्षाकृत कम होनेके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

१. आलस्य;
२. [चरखेके सम्बन्धमें] दक्षताका अभाव;
३. गरीबोंके दुःखके प्रति उपेक्षा-भाव।

जिन्हें बहुत ज्यादा काम हो, उन लोगोंके बारेमें भी ऐसा नहीं कहा जाता कि वे देशके लिए प्रतिदिन आधे घंटेका समय नहीं निकाल सकते। हमें जो व्यर्थ ही समय खोनेकी आदत पड़ गई है, उसे कमसे-कम कांग्रेसमें शामिल होनेवाले लोगोंको त्याग ही देना चाहिए। चरखेके काममें दक्ष न होनेसे हम चरखेका प्रचार नहीं कर सकते।

Gandhi Heritage Portal

इस कामके लिए अभी हमें बहुत थोड़े लोग मिलते हैं। लेकिन पाँचवें सुझावपर अमल करनेसे अवश्य ही हजारों स्त्री-पुरुष चरखा-शास्त्रमें पारंगत हो जायेंगे।

यदि हममें गरीबोंके प्रति तनिक भी दया-भाव हो तो हम विदेशी कपड़ेको हाथ न लगायें और केवल हाथसे कती और बुनी खादीका ही उपयोग करें। नियमित रूपसे आधा घंटा सूत कातनेसे गरीबोंके साथ हमारा तादात्म्य निरन्तर बना रहता है और चूँकि ईश्वर हमेशा गरीबोंमें वास करता है, इसलिए इसके द्वारा ईश्वरसे भी हमारा सम्बन्ध स्थापित होता है। हम स्वराज्यकी जितनी कामना अपने लिए करते हैं, उतनी ही कामना यदि गरीबोंके लिए भी करते हों तो चरखा चलाना कांग्रेसमें शामिल होनेवाले प्रत्येक व्यक्तिका धर्म है। जब हजारों लोग चरखा चलाना अपना धर्म समझेंगे और उसका पालन करेंगे तब गरीब लोग भी अपनी कमाईमें बढ़ती करनेके लिए चरखा चलायेंगे। अनियमित रूपसे और अधूरे किये हुए बहुतसे कार्य निष्फल जाते हैं। केवल कातना ही एक ऐसा काम है जिसमें कोई हानि नहीं है। यह काम तो जितना कीजिए उतना ही फलदायी सिद्ध होता है। सूत तो जितना पाँच मिनटमें काता जा सकता है, उतनेको भी बेचा जा सकता है। लेकिन पाँच मिनटमें जितना कपड़ा बुना जा सकता है उतनेको नहीं बेचा जा सकता। यही बात पाँच मिनटमें धुनी रुईके साथ भी है। इसके अलावा यदि करोड़ों लोग बुनाई करें, तो सारे उत्पादनकी खपत नहीं हो सकती। जब करोड़ों लोग सूत कातेंगे, तभी जनताकी जरूरत पूरी होगी। यदि हजारों स्त्री-पुरुष धर्मार्थ सूत कातेंगे तो खादी महीन और सस्ती होगी। यदि ऐसा किया जाये तो छः मासके भीतर ही हमारे पास बारीक और अच्छा बटा सूत बड़ी मात्रामें इकट्ठा हो जाये।

इसपर कुछ लोग यह दलील दे सकते हैं कि यदि यह नियम रखा जायेगा कि केवल सूत कातनेवाले लोग ही कांग्रेसमें शामिल हों तो कांग्रेससे बहुतसे लोग निकल जायेंगे। तथ्य तो यह है कि आज भी हमारे रजिस्टरोंमें बहुत कम लोगोंके नाम हैं। गुजरातमें अन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा उनकी संख्या अधिक हो सकती है। लेकिन वहाँ भी बीस हजारसे कम सदस्य ही हैं। गुजरातमें ५० ताल्लुके हैं। इनमें से लगभग आधे ताल्लुकोंमें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, जिसका नाम हमारे रजिस्टरोंमें हो। मेरी मान्यता है कि अन्य प्रान्तोंकी हालत इससे ज्यादा खराब है। इसके अलावा इन नामोंका परिचय-मात्र दो अवसरोंपर ही होता है। एक चार आना उगाहते समय और दूसरे मत लेते समय। उनसे कांग्रेस कमेटियाँ अन्य ठोस काम नहीं लेती। कांग्रेसके रजिस्टरोंमें हम जनताके सेवकोंके नामोंकी अपेक्षा रखते हैं। ऐसे सेवक ही कांग्रेसको जनसंस्थाका रूप दे सकते हैं। मान लीजिये कि हम कोई चन्दा लिए बिना अपने रजिस्टरोंमें चार करोड़ नाम दर्ज कर लें। किन्तु उसका क्या उपयोग हो सकता है? लेकिन कल्पना कीजिए कि इसके बदले हमारे रजिस्टरोंमें चार लाख कातने-वालोंके नाम दर्ज हों तो इन चार लाख लोगोंसे आध घंटेके श्रमका और थोड़ी-सी रुईका दान लेकर कांग्रेस जनताकी सेवा करनेवाली एक जोरदार संस्था बन सकती है। इन चार लाख लोगोंका प्रतिमास कांग्रेसके सम्पर्कमें आना कोई छोटी-मोटी बात

Gandhi Heritage Portal

नहीं है। लेकिन प्रत्येक कातनेवालेके लिए घर बैठे-बैठे आध घंटे श्रम करना और थोड़ी-सी रुई दान देना अवश्य ही बहुत आसान और मामूली बात है। इस तरह बहुत-से लोगोंके अल्पश्रम और अल्पदानसे जनतामें ऐसी शक्ति आ सकती है, जिससे वह बड़े-बड़े काम कर दिखाये। इसीसे मैं अपने सुझावको कीमती समझता हूँ। और इस बातको कांग्रेस स्वीकार करे या न करे, लेकिन मेरी कामना यह अवश्य है कि गुजरात इसपर स्वेच्छासे अमल करने लगे। जो प्रान्त, जो ताल्लुका इसके अनुसार कार्य करेगा वह थोड़े ही समयमें इस प्रवृत्तिके शुभ परिणामोंको देख सकेगा।

तब क्या असहयोगियोंका असहयोग बन्द ही हो जायेगा? ऐसी शंका किसीको नहीं होनी चाहिए। असहयोगको माननेवाले असहयोगी तो अपने असहयोगको बढ़ायेंगे ही; लेकिन वे अपने मतसे विरुद्ध मत रखनेवालोंको भी अपने दिलोंमें स्थान देंगे। यह कोई नई बात नहीं है। मैं शुरूसे ही यह बात समझाता आया हूँ। लोगोंने इस बातको नहीं समझा इसीसे मैं असहयोग आन्दोलन और बहिष्कारको मुल्तवी करके तथा सहयोगियोंको अपने साथ मिलानेका सुझाव देकर प्रेमके सिद्धान्तपर अमल करना चाहता हूँ। अदालतोंके बहिष्कारमें विश्वास रखनेवाले वकील बेशक वकालत न करें, किन्तु उन्हें वकालत करनेवाले वकीलोंका कांग्रेसमें आदरपूर्वक स्वागत करना चाहिए। बहिष्कारके मुल्तवी किये जानेका अर्थ ही यह है कि बहिष्कारवादीको सहयोगियोंकी निन्दा करनेका कोई अधिकार नहीं रहा। यही बात कौंसिल-प्रवेशके लिए लागू होती है। कांग्रेसमें कौंसिल-प्रवेशके पक्षपातियों और विरोधियों, दोनोंको एक-सा स्थान और एक-सा अधिकार होगा। उन्हें बाँधनेवाली उपर्युक्त चार बातें होंगी। यह सच है कि कांग्रेसमें विदेशी अथवा मिलके कपड़े पहननेवालोंके लिए कोई स्थान नहीं होगा। जो इस कपड़ेका व्यापार करता है अथवा किसी मिलका मालिक है, वह भी कांग्रेसमें आ सकता है, लेकिन उसे स्वयं खादी पहनकर खादीकी महिमा स्वीकार करनी होगी, गरीबोंके साथ सहयोग करना होगा और चरखेके प्रचारमें मदद देनी होगी। विदेशी कपड़ेका बहिष्कार जनतन्त्रका शाश्वत अंग होगा; इसलिए यदि उसपर जोर न दिया जायेगा तो स्वराज्य मिलना असम्भव हो जायेगा। हमारी अपनी मिलोंके कपड़ेका बहिष्कार सदाके लिए नहीं है; लेकिन हमारे मनसे इस कपड़ेका मोह जाना चाहिए और खादीको प्रधान पद मिलना चाहिए। इसलिए जबतक खादी और चरखेका व्यापक प्रचार नहीं होता तबतक कांग्रेसके लिए मिलका कपड़ा भी त्याज्य होना चाहिए, इस बारेमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है।

लेकिन अगर मेरे इन विचारोंको भी स्वराज्यवादी स्वीकार न करें तो मेरा उत्तर सीधा-सादा है। तब भी मुझे लड़कर कांग्रेसपर अधिकार प्राप्त नहीं करना है।

यदि मैं उन्हें इतनी-सी बात भी नहीं समझा सकता तो स्वराज्यवादी कांग्रेसपर भले अधिकार कर लें। मैं उन्हें इस कार्यमें मदद दूंगा और अन्य लोगोंको भी मदद देनेके लिए प्रेरित करूँगा। मैं खादी-प्रचारके बिना हिन्दुस्तानके दारिद्र्यका कोई उपचार नहीं देखता। इससे इस वस्तुका त्याग मेरे और सब भारतीयोंके लिए दुःखद होना चाहिए। यदि स्वराज्यवादियोंको यह कार्य भी पसन्द न आये तो मैं

Gandhi Heritage Portal

झुककर उन्हें मार्ग दूँगा और खादीके प्रचारके लिए ऐसे साधनोंकी खोज करूँगा जो कांग्रेसके मार्गमें बाधक नहीं होंगे। इस घरसे वैमनस्यको मिटानेमें अपनी समस्त शक्तिका उपयोग करनेकी मेरी प्रतिज्ञा अडिग है, क्योंकि इससे हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य भी दूर होगा। लेकिन क्या गुजरात ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि मैंने खादीके प्रचार और उपयोगके बारेमें जो बातें कही हैं, कोई भी मनुष्यका उनका विरोध न करे। यदि गुजरातको खादीमें श्रद्धा हो तो वह इसे व्यापक करे। प्रभु उसे इस कार्यमें सहायता दे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १४-९-१९२४

९९. टिप्पणियाँ

कातनेवालोंको निर्देश

अखिल भारतीय खादी बोर्ड द्वारा नियुक्त सूत-परीक्षककी ओरसे निम्न निर्देश मिले हैं। ये निर्देश प्रत्येक कातनेवालेको ध्यानमें रखने चाहिए :[1]

इसका तात्पर्य यह है कि महीन सूत कातनेवालोंको सूतकी परीक्षा किये बिना महीन सूत कातनेका प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि महीन सूत कच्चा रह जाये तो बिलकुल व्यर्थ हो जाता है। इसके सिवा यदि रुई लम्बे रेशेकी न हो अथवा उसकी पूनियाँ बनानेमें खास होशियारी न बरती गई हो तो महीन सूत कातनेका लोभ छोड़ देना चाहिए। २० अंकतक का सूत महीन सूत नहीं गिना जाता। यदि सूत २० से ३० अंकतक का हो तो हम बहुत-सी रुई बचा सकते हैं और साड़ियाँ और धोतियाँ आदि, जो बहुत वजनदार होती हैं, हल्की और सस्ती बना सकते हैं।

काठियावाड़ियोंसे क्षमा-याचना

मेरे पास जब कातनेवालोंकी सूची आई तब मुझे काठियावाड़ियोंका नाम कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इससे मुझे दुःख हुआ और मैंने टीका की कि काठियावाड़से सूत बिलकुल नहीं आया है। दूसरे हफ्ते मेरे पास भूल-सुधारकी सूचना आई, जिसमें बताया गया था कि काठियावाड़के १३ नाम तो अवश्य थे; लेकिन वे प्रान्तीय कमेटीकी सूचीमें जुड़ गये थे। मुझे यह भूल-सुधार प्रकाशित करनी थी, लेकिन मेरी यात्राके कारण यह नहीं हो पाया। सौभाग्यसे अब मेरे पास नये आँकड़े आये हैं। उनके अनुसार काठियावाड़के ६३ नाम हैं और कच्छके तीन नाम। इतने आँकड़े प्राप्त हुए हैं इसलिए मैं और अधिककी आशा करता हूँ और काठियावाड़ और कच्छसे क्षमा माँगता हूँ। काठियावाड़की आबादी २.६ लाख कही जाती है और महागुजरातकी ९.२ लाख है, अतः काठियावाड़का हिस्सा कमसे-कम एक चौथाई होना चाहिए। इसके बजाय काठियावाड़से ६३ लोगोंने और कच्छसे केवल तीन लोगोंने सूत भेजा है। यह

१. ये यहाँ नहीं दिये गये हैं

Gandhi Heritage Portal

अधिक नहीं कहा जा सकता। उसमें मढडा आश्रमके २२, भावनगरके १७, राजकोटके १५ और अमरेलीके ५ नाम हैं। शायद इन आँकड़ोंमें भी सुधारकी गुंजाइश हो, लेकिन अब इसी सूचीमें और ज्यादा स्थानोंके जुड़नेकी सम्भावना नहीं है। काठियावाड़के पास ऐसे साधन हैं कि यदि वह चाहे तो कातनेमें पहला स्थान प्राप्त कर सकता है। इसके बावजूद इतना कम सूत मिला है, इससे पता चलता है कि अन्य प्रान्तोंकी भाँति काठियावाड़में भी व्यवस्थाका अभाव है। धर्मार्थ कातनेवाले अधिक लोग नहीं मिल सकते, मैं यह बात नहीं मानता। जिन्होंने सूत भेजा है यदि वे लोग अधिक उद्योग करें तो कातनेवालोंकी संख्यामें बहुत वृद्धि हो सकती है।

प्रचार कैसे करें ?

यदि हम स्वेच्छासे सूत कातनेकी प्रवृत्तिको व्यापक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कार्य-कुशलता और लगनकी आवश्यकता पड़ेगी। सूरतके एक धनिक परिवारके एक नवयुवक भाई रतनलाल खांडवालाने लोकमान्य तिलककी जयन्तीके अवसरपर एक मण्डलकी स्थापना की है। उसे स्थापित हुए अभी एक मास ही हुआ है। इसका कार्य चरखे, पूनियाँ तथा चरखेसे सम्बन्धित अन्य सामान मुहैया करना और चरखोंकी मरम्मत करना आदि है। यह मण्डल सूत कातनेवालोंके सूतको बुन भी देता है। जो लोग प्रति मास कमसे-कम तीन हजार गज सूत कातें वे इस मण्डलके सदस्य बन सकते हैं। एक महीनेमें इसके २७ सदस्य बने हैं और इन्होंने २,२७,५०० गज सूत काता है। उसके दो सदस्य बुनाईका काम भी जानते हैं और कपड़ा बुनते हैं। यदि ऐसे मण्डलोंकी स्थापना स्थान-स्थानपर की जाये तो थोड़े ही समयमें कताईका प्रचार घर-घर हो जाये। पूनियोंकी कमी सब जगह देखनेमें आती है। छोटी धुनकीसे थोड़ी-सी रुई धुन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि स्वेच्छासे कातनेवाले सावधानी रखें और अच्छी रुई चुनें तो वे भी अच्छा महीन सूत कात सकते हैं। यह बात याद रखनी चाहिए कि एक सीमातक अर्थात् ३० अंकतक महीन सूतके लिए कम रुईकी जरूरत होती है। और कम रुईका मतलब हुआ कम खर्च और कम धुनाई। इस तरह ३० अंकतक का महीन सूत कातनेमें तिहरा लाभ है — कम रुई, कम मेहनत और कम वक्त। ऐसा समझना चाहिए कि जिस तरह कम रुई लगनेसे पैसा बचता है उसी तरह कम धुनाई होनेसे भी कम पैसा खर्च होता है।

बुनाईके कामसे कमाई

काठियावाड़के एक भाईने, जिन्होंने स्वेच्छा और देश-प्रेमसे प्ररित होकर बुनकरका धन्धा अपनाया है, अपनी कमाईके आँकड़े भेजे थे। वे बहुत सावधानीसे काम कर रहे हैं। अब पहलेके आँकड़ोंमें सुधार होनेपर वे लिखते हैं।[1]

नौसिखियोंको मुसीबतें तो झेलनी ही पड़ती हैं। लेकिन अनुभवसे सुधार करते रहनेपर ज्यादा मेहनत किये बिना भी आयमें वृद्धि की जा सकती है, इस बारेमें

१. यह पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें पत्र-लेखकने लिखा था कि यदि अच्छी किस्मका सूत मिले तो आयमें कमसे-कम डेढ़ गुनी वृद्धि हो जाती है।

Gandhi Heritage Portal

मुझे तनिक भी शंका नहीं रही है। अनुभव हमारी छिपी शक्तियोंको प्रकाशमें लाता है और सोच-समझकर काम करनेसे समयकी बचत होती है। समयकी बचत धन ही है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १४-९-१९२४

१००. पत्र : एनी बेसेंटको

मार्फत : 'कॉमरेड' कार्यालय
दिल्ली
१४ सितम्बर, १९२४

प्रिय डा० बेसेंट,

आपके पत्र और हमारी बातचीतके सम्बन्धमें आपकी टिप्पणीके लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा। आपका पत्र आनेपर मैंने आपको तार भेजा था कि 'यंग इंडिया' पहले ही प्रकाशित हो चुका है। इसलिए मैं अब वह टिप्पणी एसोसिएटेड प्रेसको दे रहा हूँ। स्वराज्यवादियोंकी ओरसे अभी मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस मामलेमें क्या कहेगी। फिर भी आगे जो-कुछ होगा, उसकी सूचना आपको देता रहूँगा।

आप जब भी चाहेंगी, मैं अपने लड़केको तुरन्त अडयार भेज दूँगा। आपको कताई सिखाना वह अपना सौभाग्य मानेगा।

हृदयसे आपका,

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

Gandhi Heritage Portal

१०१. पत्र : आनन्दानन्दको

रविवार [१४ सितम्बर, १९२४ या उसके पश्चात्][1]

भाईश्री ५ आनन्दानन्द,

शाह नामके एक सज्जनने 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन'के चन्देकी टीका करते हुए पत्र लिखा था। यह पत्र मैंने तुम्हारे उत्तरके लिए भेजा था। उत्तर मुझे अभीतक नहीं मिला है। अब भेज देना।

मैं आज ८ नहीं, बल्कि ९ गैलियाँ भेज रहा हूँ। तुम पूरी तेजीसे छाप रहे हो; परन्तु लिखित सामग्रीके समाप्त होनेपर तो मैं तुम्हें बहुत कम सामग्री भेज पाऊँगा। लगता है कि मुझे आश्रममें आनेके बाद ही [लिखनेका] अवकाश मिल पायेगा। मैं प्रूफ संशोधित करके तो तुम्हें भेज दूँगा; लेकिन बादमें मैं बहुत कम सामग्री दे सकूँगा, इस बातका ध्यान रखना।

मैंने मुहम्मद अलीसे टाइप और अन्य बातोंके बारेमें बातचीत की है। उनका कहना है कि अभी तो जैसा चलता है वैसा ही चलने दिया जाये। मेरा ख्याल है, हमें इस सम्बन्धमें और कुछ नहीं कहना चाहिए।

व्यावसायिक पत्र-व्यवहार तो अच्छी तरह सँभाल कर रखते ही होगे। यदि तुम्हें मुश्किल महसूस हो रही हो तो बताना।

मुझे लगता है कि हमारा व्यावसायिक व्यवहार अब और भी बढ़ेगा। अवन्तिकाबाईका कहना है कि वे 'यंग इंडिया'के लेख और अनुवाद जब [बॉम्बे-] 'क्रॉनिकल' और 'नवाकाल'में पढ़ लेती हैं, 'यंग इंडिया' उन्हें उसके बाद मिलता है। ऐसा क्यों?

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (जी०एन० ७७५५) की फोटो-नकलसे।

१. पत्रमें मुहम्मद अलीसे टाइप और अन्य चीजोंके बारेमें बातचीत करनेकी जो चर्चा है उससे अनुमान होता है कि यह पत्र १९२४ में दिल्लीसे लिखा गया होगा। देखिए "पत्र: आनन्दानन्दको", ८-९-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

१०२. तार : अब्दुल बारीको

[१४ सितम्बर, १९२४ के पश्चात्][1]

मौलाना अब्दुल बारी
फिरंगी महल
लखनऊ

लखनऊ आनेके बारेमें हकीमजीसे सलाह की। हम इस नतीजेपर पहुँचे हैं कि मेरे लिए इस समय दिल्ली छोड़ना मुनासिब नहीं। इसलिए सोचता हूँ दोनों पक्षोंके प्रतिनिधियोंको यहाँ आ जाना चाहिए।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस०एन० १०४९२) की माइक्रोफिल्मसे।

१०३. टिप्पणी

[१५ सितम्बर, १९२४]

आधी रातका कतैया

मौलाना मुहम्मद अलीको अपनी प्रतिज्ञाका और अपनी जिम्मेदारीका कितना खयाल है, इसका अनुभव मुझे दिल्ली पहुँचते ही हुआ। १४ तारीखतक उनका २,००० गज सूत पूरा नहीं हुआ था। उसमें कोई ५०० गज सूत कातना बाकी था। इसलिए वे अपने दूसरे कामोंको खतम करके आधी राततक सूत कातते रहे। यह भी सुना कि वे इस तरह रातमें अकसर कातते हैं। आज १५ तारीख है और उन्होंने निश्चय किया है कि वे आज २,००० गज सूत पूरा कर देंगे। यह टिप्पणी लिखते समयतक कुछ गज सूत कातना ही बाकी रह गया है। शामतक पूरा कर सकेंगे या नहीं, यह सवाल नहीं। परन्तु ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि उन्हें अपना काम पूरा करनेकी चिन्ता कितनी है। मौलाना साहबको अनुभवसे मालूम होगा कि यदि वे अपने कामोंमें अधिक व्यवस्था रखेंगे तो वे अवश्य बिना दिक्कत सूत कात सकेंगे। कातनेके आग्रहमें से ही व्यवस्था उत्पन्न होगी। मनुष्य अपने सोचे हरएक काममें ज्यों-ज्यों अधिक व्यवस्था रखता है, त्यों-त्यों उसे अनुभव होता है कि वह पहलेसे ज्यादा काम करता है और बहुत बार तो उसका समय बच रहता है। व्यवस्थित आदमी दूना काम करते हुए भी दूसरे काम लेनेके लिए तैयार रह सकता

१. गांधीजीके दिल्लीमें ठहरनेके उल्लेखसे। गांधीजी १४ सितम्बर, १९२४ को दिल्ली पहुँचे थे।

Gandhi Heritage Portal

है। अव्यवस्थित आदमीका काम कभी पूरा नहीं होता। मुझे निश्चय है कि कातनेकी नियमित क्रियासे हर कतैया व्यवस्थित बनेगा और उसका समय बचेगा।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २१-९-१९२४

१०४. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको[1]

१५ सितम्बर, १९२४

प्रिय जवाहरलाल,

दिलको छू लेनेवाला तुम्हारा निजी पत्र मिला। मैं चाहता हूँ कि इन सब चीजोंको तुम बहादुरीके साथ झेल लोगे। अभी तो पिताजी चिढ़े हुए हैं और मैं बिलकुल नहीं चाहता कि तुम या मैं उनकी झुंझलाहट बढ़नेका जरा भी मौका दें। सम्भव हो तो उनसे जी खोलकर बातें कर लो और ऐसा कोई काम न करो, जिससे वे नाराज हों। उन्हें दुखी देखकर मुझे दुःख होता है। उनकी चिढ़ जानेकी प्रवृत्तिसे साफ जाहिर है कि वे दुःखी हैं। हसरत आज यहाँ आये थे। उनसे पता चला कि मेरे इस प्रस्तावसे भी उन्हें परेशानी होती है कि हर कांग्रेसीको कताई करनी चाहिए। सचमुच मेरा मन होता है कि कांग्रेससे हट जाऊँ और तीनों काम चुपचाप करने लगूँ। उनमें जितने भी सच्चे स्त्री-पुरुष हमें मिल सकते हैं, उन सबके खपनेकी गुंजाइश है। लेकिन इससे भी लोगोंको परेशानी होती है। पूनाके स्वराज्यवादियोंसे मेरी बातचीत काफी देरतक हुई। वे कातनेको भी राजी नहीं हैं और मेरे कांग्रेस छोड़ देनेसे भी सहमत नहीं हैं। उनकी समझमें यह नहीं आता कि ज्यों-ही मैं, 'मैं' नहीं रहूँगा मेरा कोई उपयोग नहीं रह जायेगा। यह स्थिति बड़ी बुरी है, मगर मैं निराश नहीं हूँ। मेरा ईश्वरपर विश्वास है। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि इस घड़ी मेरा क्या धर्म है। इससे आगेकी बात मुझे मालूम नहीं। फिर मैं क्यों चिन्ता करूँ।

क्या तुम्हारे लिए कुछ रुपयेका बन्दोबस्त करूँ? तुम कुछ कमाईका काम हाथमें क्यों न ले लो? आखिर तो तुम्हें अपने ही पसीनेकी कमाईपर गुजर करनी चाहिए, भले ही तुम पिताजीके घरमें रहो। कुछ समाचारपत्रोंके संवाददाता बनोगे या अध्यापकी करोगे?

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स

१. जवाहरलाल नेहरूने इसके सम्बन्धमें लिखा था: "मैंने गांधीजीको यह लिखा था कि खर्चकी दृष्टिसे पिताजीके ऊपर भार बनना मुझे ठीक नहीं लग रहा है और मैं अपने पैरोंपर खड़ा होना चाहता हूँ। मुश्किल यह थी कि मैं कांग्रेसका पूरे समय काम करनेवाला कार्यकर्ता था। मेरे पिताजीने जब यह सुना तो बड़े नाराज हुए।"

Gandhi Heritage Portal

१०५. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको

मार्फत : मौलाना मुहम्मद अली
'कॉमरेड' कार्यालय
दिल्ली
१५ सितम्बर, १९२४

प्रिय राजगोपालाचारी,

आपका पत्र पढ़ा, तभीसे मैं लगातार आपके बारेमें सोचता रहा हूँ। यह कैसी बात है कि मेरे उठाये गये कदमकी आवश्यकताको आप उतनी स्पष्टतासे नहीं देखते जितनी कि मैं देखता हूँ? मैं आपकी यह बात मानता हूँ कि अगर हम अपना कार्यक्रम चालू नहीं करा सकते तो कांग्रेसको छोड़ देना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। कठिनाई यह है कि इसे छोड़ा कैसे जाये। मुझे तो बार-बार यही लगता है कि हमें स्वराज्यवादियोंको अटपटी स्थितिमें नहीं डालना चाहिए। वे एक ऐसी जरूरत पूरी कर रहे हैं जिसे महसूस किया जा रहा है। वे छोटी-मोटी राहतें चाहनेवाले एक बहुत बड़े जन-समुदायका प्रतिनिधित्व तो करते ही हैं। क्या हम इसमें अड़चन पैदा करेंगे? हमारी प्रवृत्ति मुख्यतः आध्यात्मिक है। इसकी शक्ति अप्रत्यक्ष रूपसे बढ़ती है और महज बहस-मुबाहिसों या मतदान करानेसे नहीं बढ़ती। अभी भी मैं अपनी बातको पूरी स्पष्टतासे व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। यह तो मैंने जो रास्ता अपनाया है और अपने सब लोगोंको जिसे अपनानेकी सलाह दी है, उसके पक्षमें दी जा सकनेवाली कई दलीलोंमें से सिर्फ एक ही दलील पेश की है। जैसे भी हो, मुझे तो यही लगता है कि मैंने बिलकुल सही कदम उठाया है, यद्यपि मैं आपको उसके सही होनेका इस प्रकार यकीन नहीं दिला सकता कि आप सन्तुष्ट हो जायें। मैं जानता हूँ कि आपके और दूसरे लोगोंके लिए अपने-आपको इन आकस्मिक परिवर्तनोंके अनुकूल ढाल लेना कितना मुश्किल होगा। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या? मैं जानता हूँ कि मैं अपने साथियोंकी निष्ठा और आस्थापर अनुचित दबाव डाल रहा हूँ। परन्तु अपनी अन्तरात्माकी बिलकुल स्पष्ट आवाजको दबा देनेकी अपेक्षा क्या यह ज्यादा अच्छा नहीं है कि मैं यह कदम उठाऊँ? अगर मैं एक बार भी अपनी इस सचेतक (अन्तरात्माकी) आवाजको दबा दूँ तो फिर मैं किस कामका रह जाऊँगा। लेकिन यह सब तो यों ही प्रसंगवश लिख गया हूँ।[1]

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

१. साधन-सूत्रमें इसके आगे कोष्ठकमें यह वाक्य लिखा हुआ है, "पत्रके शेष भागमें दक्षिण भारतमें चलनेवाले बाढ़-सहायता कार्यकी चर्चा है।"

Gandhi Heritage Portal

१०६. भाषण : 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दिल्लीके उद्घाटन-समारोहके अवसरपर

१५ सितम्बर, १९२४

श्री गांधीने प्रेसका उद्घाटन करते हुए कहा कि मैंने उद्घाटन करनेके लिए सरदार मंगलसिंहका आमन्त्रण बिलकुल निस्संकोच भावसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मेरी अपनी पक्की राय है कि देशकी वर्तमान परिस्थितिको देखते हुए यदि मेरा बस चले तो मैं 'यंग इंडिया' के अलावा सभी समाचारपत्रोंको बन्द करा दूं। लेकिन सिखोंके प्रति अपने प्रेमके कारण मुझे यह आमन्त्रण स्वीकार करना पड़ा। आज सिखोंकी स्थिति बड़ी कठिन है और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप ईश्वरपर अडिग विश्वास रखें। मुझे विश्वास है कि इतनी अच्छी साइतमें शुरू किया जानेवाला यह समाचारपत्र इस दायित्वपूर्ण पेशेके योग्य सिद्ध होगा और इसका संचालन सचाई, नीति-कुशलता और निर्भयताके साथ किया जायेगा। यह एक धार्मिक अनुष्ठान है और मुझे आशा है कि ऐसा कोई काम नहीं किया जायेगा जिससे आपके महान् नारे -- 'सत श्री अकाल' -- की गरिमापर आँच आये। इस पत्रमें प्रकाशित प्रत्येक शब्द और वाक्य तुला हुआ होना चाहिए। इतना ही नहीं कि इसमें असत्य कथनको स्थान न दिया जाये, बल्कि ऐसी भी कोई चीज इसमें नहीं जानी चाहिए जो परोक्ष रूपमें भी असत्यको पनपानेमें सहायक हो या सत्यपर पर्दा डालती हो। आपका धर्म सत्य और बलिदानकी शिक्षा देता है और मुझे आशा है कि श्री के० एम० पणिक्करके सुयोग्य और प्रबुद्ध सम्पादन तथा सरदार मंगलसिंह-जैसे लोगोंके मार्ग-दर्शनमें यह पत्र इस शिक्षाको सिखों और भारतकी सेवाके लिए कार्य-रूपमें परिणत करेगा।[1]

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, १७-९-१९२४

१. मशीन खराब हो जानेके कारण दरअसल **हिन्दुस्तान टाइम्स**का प्रकाशन एक सप्ताह बाद हो पाया था।

Gandhi Heritage Portal

१०७. तार: जमनादास द्वारकादासको[1]

[१५ सितम्बर, १९२४ या उसके पश्चात्]

पत्र मिला। कांग्रेसका लक्ष्य स्वराज्य कायम है। कांग्रेसी सम्मेलनमें भाग लेंगे। कताईको अत्यावश्यक मानता हूँ। लिख रहा हूँ।

गांधी

अंग्रजी प्रति (एस० एन० १०१७२) की फोटो-नकलसे।

१०८. सन्देश: लाहौरके 'हिन्दू'को

[१५ सितम्बर, १९२४ या उसके पश्चात्][2]

प्रिय लाला करमचन्द,

लीजिए मेरा सन्देश:

मैं आजकी परिस्थितिमें समाचारपत्रोंकी संख्या बढ़ानेके विरुद्ध हूँ। ज्यादातर समाचारपत्र तो केवल परेशानी ही पैदा कर रहे हैं और हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच तनाव बढ़ा रहे हैं। आपका समाचारपत्र हिन्दुओंका पत्र है। इसलिए अगर यह हिन्दुओं द्वारा मुसलमानोंकी खातिर अपने हरएक भौतिक हितके त्यागके सिद्धान्तको लेकर नहीं चलता तो कमसे-कम मैं तो उसका स्वागत नहीं कर सकता।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य: नारायण देसाई

१. यह जमनादास द्वारकादासके १५ सितम्बर, १९२४ के पत्रके उत्तरमें भेजा गया था।

२. **महादेवभाईकी डायरी**, खण्ड ६ में इस पत्रको चक्रवर्ती राजगोपालाचारीके नाम १५ सितम्बरके और मोतीलाल नेहरूके नाम १७ सितम्बरके पत्रोंके बीच स्थान दिया गया है।

Gandhi Heritage Portal

१०९. पत्र : वल्लभभाई पटेलको

भाद्रपद बदी ३ [१६ सितम्बर, १९२४][1]

भाईश्री वल्लभभाई,

मेरा निश्चय तो इस पत्रके पहुँचनेसे पहले ही आप जान लेंगे। आप सिंह हैं, इसलिए घबरायें नहीं। अपना सोचा हुआ सब काम ज्यादा जोरोंसे करते रहिये। किसीको घबराने न दें। मैं उपवास यहीं पूरा करना चाहता हूँ। मुझे डर है मणिबहन बहुत घबरायेंगी। उसे समझाइय। मैं अलग पत्र नहीं लिख रहा हूँ।

बापू

भाईश्री वल्लभभाई पटेल, बैरिस्टर
अहमदाबाद

[गुजरातीसे]
बापूना पत्रो २ – सरदार वल्लभभाईने

११०. टिप्पणियाँ

[१७ सितम्बर, १९२४ से पूर्व][2]

किसी कांग्रेसीका सम्बन्ध नहीं

पाठकोंको याद होगा कि 'सवर्ण महाजन सभा' के अध्यक्षने कांग्रेसियोंपर लगभग उच्छृंखल आचरण करनेका आरोप लगाया था। अब मुझे तीन ऐसे पत्र मिले हैं, जिनमें इस आरोपको साफ-साफ अस्वीकार किया गया है। एक पत्र सभाके संयोजकोंने भेजा है। उस पत्रके कुछ अंश मैं नीचे दे रहा हूँ[3]:

> हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सभाका संचालन कांग्रेसके अनुयायियोंके तत्त्वावधानमें नहीं हुआ था। यह मध्य त्रावणकोरके सवर्ण हिन्दुओंकी सभा थी। इसका आयोजन चेंगनूरके सबसे प्रमुख-प्रतिष्ठित ब्राह्मण जमींदार, वंजीपुझाके प्रधानके कहनेपर कुछ प्रतिनिधि संयोजकोंने किया था। इन

१. पत्रमें गांधीजीके निश्चयका उल्लेख है; यह निश्चय अनुमानतः हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए किये गये २१ दिनके उपवासका है, जो ता० १७की रातसे प्रारम्भ हुआ था।

२. अन्तमें दी गई सम्पादकीय टिप्पणीसे।

३. गांधीजी द्वारा मूल अंग्रेजीमें उद्धृत सभी अंश यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं।

Gandhi Heritage Portal

संयोजकोंमें से चार तो वहींके ब्राह्मण थे और शेष तीन नय्यर। इनमें से कोई भी कांग्रेसका अनुयायी नहीं था।

... ...

हम आपको सूचित कर देना चाहते हैं कि वाइकोम-सत्याग्रहके सम्बन्धमें त्रावणकोरमें आम तौरपर शुद्ध अहिंसाकी भावना व्याप्त है।

पत्रमें 'यंग इंडिया' में उल्लिखित आरोपका पूरा और साँगोपाँग खण्डन किया गया है। लेकिन, चूँकि इस सभाका आयोजन स्पष्टतः कांग्रेसियोंने नहीं किया था और जनसाधारणको इस खण्डनकी तफसीलोंमें कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती, इसलिए बातको संक्षेपमें कहनेके लिए मैंने पत्रका अधिकांश छोड़ दिया है।

किसीके जरिये नहीं

एक सज्जनने लिखा है कि उनकी माँ कताईमें बहुत कुशल हैं और वे हर रोज लगभग २० तोला सूत कात लेती हैं। कताईके सम्बन्धमें प्रस्ताव पास होनेपर उन्होंने अपनी माँसे कताई सिखानेको कहा। बेचारी माँसे कुछ कहते नहीं बना। उनका खयाल था कि उनका सूत कातना ही उनके परिवार-भरके लिए पर्याप्त है, विशेषकर इस कारण कि एक व्यक्तिसे एक महीनेमें जितना सूत कातनेकी अपेक्षा रखी जाती है उससे दुगुना तो वे हररोज कात लेती हैं। यदि इस प्रस्तावमें सिर्फ मात्राको ही उद्देश्य रखा गया होता तब तो उनकी दलीलका कोई जवाब नहीं था; लेकिन कुछ ऐसे कर्त्तव्य हैं जो अपनी एवजमें किसी दूसरेसे नहीं कराये जा सकते। हमारे बदलेमें कोई दूसरा नहा ले या पढ़ ले या प्रार्थना कर ले — ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता है कि हमारे बदले कोई दूसरा व्यक्ति सूत काते; क्योंकि यहाँ उद्देश्य तो यह है कि हरएक व्यक्ति खुद कताई करके गरीबोंके साथ अपना तादात्म्य स्थापित करे। विचार यह है कि हर आदमी एक व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करे और हमारा मन्तव्य यह है कि इस कलाको इतने लोग सीख लें कि इस सरल प्रणालीसे हम हाथके बने कपड़ेको मिलके बने कपड़ेके साथ स्पर्धा करने लायक सस्ता बना दें। उस नेक माताने अपने पुत्रके सूत कातनेपर जो आपत्ति की उसके पीछे निःसन्देह यही भाव रहा होगा कि कताई तो स्त्रियोंका काम है। यह सही है कि आम तौरपर स्त्रियाँ ही यह काम करती हैं। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि कुछ ऐसे हलके-फुलके काम हैं, जिनके लिए स्त्रियाँ पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक उपयुक्त हैं। लेकिन, इसी कारण यह कहना कि ये काम पुरुषोंकी शानके खिलाफ हैं या ये पुरुषोंको स्त्रैण बना देते हैं, घोर अन्धविश्वासका द्योतक है। खाना पकाना मुख्यतः स्त्रियोंका काम है, लेकिन हर सिपाहीके लिए न केवल खाना पकाना जानना जरूरी है, बल्कि जब वह ड्यूटीपर रहता है, उस समय उसे सचमुच अपना खाना आप ही पकाना पड़ता है। आज दुनियामें जो अच्छेसे-अच्छे पाक-कलाकुशल लोग हैं वे पुरुष ही हैं। स्त्रियाँ आदत अथवा स्वभावसे घरकी रानी होती हैं। उन्हें ऐसा नहीं बनाया गया है कि वे कोई बड़े पैमानेपर संगठनकी अपेक्षा रखनेवाला काम करें।

Gandhi Heritage Portal

चूंकि वे, जो जैसा है, उसके उसी रूपसे सन्तुष्ट रहती हैं और उसे कायम रखना चाहती हैं, इसलिए उनमें आविष्कारकी प्रवृत्ति नहीं होती। इसके विपरीत, पुरुष वर्तमानसे असन्तुष्ट रहते हैं और उनका झुकाव अकसर तोड़-फोड़की ओर रहता है, इसलिए उनमें आविष्कारकी प्रवृत्ति होती है। यह बात चाहे सर्वत्र लागू होती हो या नहीं, लेकिन इस तथ्यसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि सभी बड़े-बड़े आविष्कार पुरुषोंने ही किये हैं। हमारे कताई-कार्यका भी संगठन पुरुष कतैयोंने ही किया है। उन्होंने ही इस यन्त्रमें तमाम जरूरी सुधार किये हैं। तो हम चाहे जिस दृष्टिकोणसे देखें, जबतक कताईका इतना प्रचार नहीं हो जाता कि वह हमारे गाँव-गाँवमें पुनः प्रतिष्ठित हो जाये और हम विदेशी कपड़ेका पूरा बहिष्कार कर सकें, तबतक भारतमें हाथ-कताई जितनी जरूरी स्त्रियोंके लिए है उतनी ही पुरुषोंके लिए भी है।

(उपर्युक्त दोनों टिप्पणियाँ गांधीजीने उपवाससे पहले ही लिखी थीं।)

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २५-९-१९२४

१११. जेलके अनुभव — ११ [चालू]

मेरा पठन [–३]

[१७ सितम्बर, १९२४से पूर्व][1]

एक प्रिय मित्रकी भेजी हुई एक छोटी-सी परन्तु मूल्यवान पुस्तकका भी उल्लेख करना मुझे भूलना नहीं चाहिए। यह पुस्तक है, जैकब बोहमन-कृत 'सुपरसेन्सुअल लाइफ' (अतीन्द्रिय जीवन) उसके कुछ आकर्षक उद्धरण पाठकोंके सम्मुख रख रहा हूँ। ये मैंने पुस्तकमें से उतार लिये थे।

> **तेरी अपनी श्रवणेन्द्रिय और तेरी इच्छा ही तुझे प्रभुके श्रवण और दर्शनमें बाधक होती है।**
>
> **यदि तू प्राणियोंपर अपने आन्तरिक स्वभावकी गहराईसे नहीं, केवल बाहर-से ही राज्य करता है, तो तेरी इच्छा, तेरा शासन पाशविक और जड़ है।**
>
> **तू वस्तु-मात्र जैसा है और ऐसी एक भी वस्तु नहीं जो तेरे जैसी न हो।**
>
> **यदि तुझे वस्तु-मात्र जैसा बनना हो तो तुझे तमाम वस्तुओंका त्याग करना चाहिए।**
>
> **तेरे हाथ और तेरी बुद्धि भले ही काममें लगी रहे, परन्तु तेरा हृदय तो ईश्वरमें ही तल्लीन रहना चाहिए।**

१. शीर्षकके अन्तमें दी गई सम्पादकीय टिप्पणीसे।

Gandhi Heritage Portal

स्वर्गका अर्थ है, अपनी इच्छा-शक्तिको भगवानके प्रेमकी प्राप्तिमें नियोजित करना।

नरकका अर्थ है, भगवानका कोप मोल लेना।

अपनी बेतरतीब-सी नोट-बुकके पन्ने पलटते हुए, दूसरी पुस्तकोंके पठनके दौरान संगृहीत कुछ और उद्धरण भी यहाँ दे रहा हूँ।

उनमें से निम्नलिखित अंश सत्याग्रहियोंके कामका है:

जो द्वेष, उपहास और गालियोंके भयसे मौन धारण करके उस सत्यसे पीछे हट जाते हैं जिसका शोध और मनन उनका धर्म है, वे गुलाम हैं।

दो या तीन आदमियोंके साथ मिलकर जो सत्यकी हिमायत करनेका साहस न करें, वे गुलाम हैं। —लॉवेल ('टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज'से)।

इसी विषयसे सम्बन्ध रखनेवाला एक और उद्धरण क्लॉड फील्डके 'मिस्टिक्स ऐंड सेंट्स ऑफ इस्लाम'से देता हूँ:

जब शाहजहाँके क्रोधसे बचनेके लिए सूफी शाह मुल्लाशाहको भाग जानेकी सलाह दी गई, तो उन्होंने कहा, "मैं कोई पाखण्डी नहीं हूँ जो भागकर अपनी जान बचाऊँ। मैं एक सत्यवक्ता हूँ। मृत्यु और जीवन मेरे लिए समान हैं। मैं तो चाहूँगा कि अगले जन्ममें भी मैं अपने खूनसे सूलीको रंग दूँ। मैं अमर और अनश्वर हूँ; मृत्यु मुझसे भय खाती है, क्योंकि मेरे ज्ञानने मृत्युको जीत लिया है। मैं उस धामका निवासी हूँ जहाँ सब रंग मिटकर एक हो जाते हैं।" मन्सूरी हलाजने कहा है, "बँधे हुए व्यक्तिके हाथ काट देना आसान है, परन्तु मुझे भगवानसे जोड़नेवाले बन्धनको काटना सचमुच बड़ा ही कठिन काम है।"

एक और उद्धरण लॉवेलसे देता हूँ। यह दाताओंको मलाबारके पीड़ितोंके लिए उदात्त भावनासे अपनी अच्छीसे-अच्छी वस्तु देनेकी प्रेरणा प्रदान करे।

ईसाके पवित्र भोजनकी क्रिया करनेका अर्थ यह नहीं कि जो तंगीमें हो उसे केवल कुछ दे दिया जाये; उसका अर्थ यह है कि हमारे पास जो हो उसमें से उसे हिस्सा दिया जाये। दाताकी भावनाके बिना दान व्यर्थ है। दानके साथ जो अपना तन, मन भी देता है वह तीन आदमियोंका पोषण करता है — अपना, भूखे पड़ोसीका और मेरा भी।

अहिंसा धर्मके माननेवालोंको निम्नलिखित वाक्यसे बल मिलेगा:

"किसीका बुरा चाहना, बुरा करना, बुरा बोलना या बुरी कल्पना करना, सबके लिए समान और निरपवाद रूपमें निषिद्ध है।" टर्टुलियन — (जे० ब्रीअर्ली-कृत 'अवरसेल्वज ऐंड द यूनिवर्स'से)

अन्तिम पुस्तकें, जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, कनिंघम-कृत मेकॉलिफ-कृत और गोकुलचन्द नारंग-कृत सिखोंके इतिहास हैं। ये सब पुस्तकें अपने-अपने ढंगकी अच्छी कृतियाँ हैं। सिखोंके पूर्व-इतिहास और उनके गुरुओंके जीवनको समझे

Gandhi Heritage Portal

बिना, सिखोंकी मौजूदा लड़ाईका रहस्य समझना असम्भव है। कनिंघमकी पुस्तक सिख-युद्धोंके मूल-कारणोंका सहानुभूतिपूर्वक लिखा गया इतिहास है। मेकॉलिफके इतिहासमें सिख-गुरुओंके जीवन-चरित्र हैं। इसमें उनकी रचनाओंसे विस्तृत उद्धरण दिये गये हैं। यह पुस्तक बड़े सुन्दर ढंगसे छपी हुई है। परन्तु अंग्रेजी शासनकी बेहद तारीफ और सिख-धर्मको हिन्दू-धर्मसे सर्वथा भिन्न बतानेके आग्रहके कारण इस पुस्तकका महत्त्व घट जाता है। गोकुलचन्द नारंगकी पुस्तक एक ऐसा प्रबन्ध है जिसमें ऐसी बहुत सी जानकारी है, जो ऊपरकी दोनों पुस्तकोंमें नहीं मिलती।

जेलके अपने अध्ययनका ब्यौरा पूरा करनेसे पहले मैं विद्यार्थी-पाठकोंको नियमित रूपसे कार्य करनेकी उपयोगिता तथा शुष्क विषयोंको रुचिकर बनानेके ढंगके बारेमें दो शब्द कहना चाहूँगा। मेरा कुछ ऐसा इरादा था कि अपने ही अध्ययनके उपयोगके लिए 'गीता'की एक शब्दानुक्रमणिका तैयार कर लूँ। शब्द और उनके सन्दर्भ लिखने और उनके दो-दो बार अनुक्रम तैयार करनेका काम बहुत रुचिकर नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि अपने कारावासके दौरान ही यह काम कर डालूँ। फिर भी इस कामके लिए बहुत समय देना मुझे पसन्द नहीं था। मेरे कार्यक्रममें इसके लिए कोई समय नहीं था। इसलिए मैंने रोज केवल २० मिनट इस कामके लिए देनेका निश्चय किया। जब इस कामको इतने थोड़े समयतक करने लगा तो पहले जो मुझे यह अखरता था, वह स्थिति समाप्त हो गई। उलटे रोज मैं प्रतीक्षा करता रहता था कि उस कामका समय कब आता है। जब दुबारा उसकी अनुक्रमणिका बनानेका समय आया तब तो मैं उसमें तल्लीन ही होने लगा। जिन्हें इस बातमें जिज्ञासा हो वे स्वयं ही इसका प्रयोग करके इसका गुर समझ सकते हैं। जिन शब्दोंका अनुक्रम मुझे तैयार करना था, उन्हें पहले तो मैंने उनके आद्याक्षरोंके अनुसार इकट्ठा किया। परन्तु प्रत्येक अक्षरके अन्तर्गत शब्दोंको उनके अक्षरानुक्रमके अनुसार कैसे बिठाया जाये, यह प्रश्न बड़ा पेचीदा हो गया है। मैंने कभी शब्द-कोष तैयार नहीं किया था। इसलिए मुझे स्वयं ही इसका तरीका सोच निकालना था और जब मैंने यह तरीका निकाल लिया तो बड़ा खुश हुआ। यह तरीका इतना सुन्दर था कि वह काम बड़ा रुचिकर बन गया। तरीका बड़ा सुघड़ और अचूक था और इससे काम भी जल्दी निबट जाता था। यह सारा काम पूरा करनेमें मुझे अठारह मास लगे। आज इस शब्दानुक्रमकी मददसे मैं तुरन्त जान सकता हूँ कि 'गीता'में कोई शब्द कहाँ और कितनी बार प्रयोग किया गया है। शब्दोंके साथ उनके अर्थ भी दिये गये हैं। यदि किसी समय मैं 'गीता'पर अपने विचार लिख पाया तो मैं यह शब्दानुक्रम और विचार दोनों जनताके सामने रखना चाहता हूँ।[१]

(इसे गांधीजीने उपवासके पहले लिखा था)

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २५-९-१९२४

१. यह कोष नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबादकी ओरसे **गीता पदार्थ-कोष**के नामसे गुजरातीमें प्रकाशित हुआ है। उसमें '**गीता**'के प्रत्येक पदका उसके अर्थ-सहित स्थान निर्देश किया गया है।

Gandhi Heritage Portal

११२. पत्र : मुहम्मद अलीको

बुधवार [१७ सितम्बर, १९२४][1]

प्यारे भाई,

मैं जानता हूँ कि मेरे फैसलेसे आपको सबसे ज्यादा दुःख पहुँचेगा। फिर भी मैं नहीं चाहता कि आप इस फैसलेसे पीछे हटनेकी सम्भावनाके बारेमें मुझसे कोई बात चलायें। यह तो मेरे और ईश्वरके बीचका मामला था। हाँ, इस फैसलेकी अच्छाई-बुराईके बारेमें आप जी-भरकर बहस कर सकते हैं। कृपया, इसे लेकर आँसू मत बहायें, वरना आप इसे मेरे लिए बरदाश्तसे बाहरकी चीज बना देंगे। बल्कि आपको खुशी मनानी चाहिए कि ईश्वरने मुझे राह दिखाई है और इसपर चलनेकी शक्ति भी दी है। हमारे बीच जो मतभेद है उसे दूर करनेकी दिशामें मैं जो भी प्रगति करूँगा वह मेरे लिए भोजनसे कहीं ज्यादा पोषक होगी।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २३-९-१९२४

११३. मौन-दिवसकी टीप

बुधवार [१७ सितम्बर, १९२४]

. . . घर[2] पहुँचनेपर मैंने[3] महात्माजीपर हकीम साहब, डा० अन्सारी, शौकत तथा मुझ-जैसे कई साथियोंके साथ बेवफाई करनेका इल्जाम लगाना शुरू किया और जी भरकर अपने मनकी भड़ास निकाली। महात्माजीका मौन-व्रत खत्म नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने सिर्फ मुस्कराते हुए एक पर्चीपर इतना लिख दिया :

आपने जो-कुछ कहा, आपको यह सब, बल्कि इससे ज्यादा भी कहनेका हक है। पहले आपका दिमाग ठण्डा हो जाये, फिर मैं आपसे रात-भर बातें करूँगा। बस इतना याद रखिए कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें खुदा और बन्देके बीच कोई तीसरा नहीं होता।

उससे कुछ ही देर पहले उनके एक साथीने मुझे एक पर्ची[4] दी थी, जो उन्होंने अपने हाथसे लिखी थी और जिसपर उर्दूमें उनके दस्तखत थे। . . .

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २३-९-१९२४

१. अपने हाथसे लिखे इस पत्रपर गांधीजीने उर्दूमें हस्ताक्षर किये थे। देखिए अगला शीर्षक।
२. मुहम्मद अलीके घर।
३. मुहम्मद अली।
४. देखिए पिछला शीर्षक।

Gandhi Heritage Portal

११४. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

दिल्ली
१७ सितम्बर, १९२४

प्रियवर चार्ली,

मेरे निर्णयपर परेशान मत होना। हार्दिक प्रार्थना और ईश्वरसे यथासम्भव स्पष्ट संकेत मिलनेके बाद ही मैंने यह निर्णय किया है। प्रसंग ऐसा है कि कमसे-कम २१ दिनका उपवास तो मुझे करना ही चाहिए। आह! इस सबके कारण मुझे कितनी वेदना हुई है। हर दिन भारी सन्ताप सहना पड़ा है। किन्तु अब तो मेरे मनको शीघ्र ही शान्ति मिल जायेगी। मैं अपने कर्त्तव्यका स्पष्ट संकेत पानेके लिए व्याकुल था। प्रकाश विद्युत् गतिसे आया है। क्या कोई मनुष्य अपना जीवन देनेसे अधिक कुछ कर सकता है?

हार्दिक प्रेमके साथ,

तुम्हारा,
मोहन

श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज
शान्तिनिकेतन
बरास्ता—बोलपुर
ई० आई० रेलवे

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २६१३) की फोटो-नकलसे।

Gandhi Heritage Portal

११५. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

दिल्ली
१७ सितम्बर, १९२४

प्रिय मोतीलालजी,

आपका तार मिला। कमसे-कम अभी कुछ दिन तो दिल्लीमें हूँ ही। इसलिए जब भी आप और श्री दास दिल्ली आयें, मुझे आपसे मिलकर प्रसन्नता होगी। अब तो मैंने गोता लगा दिया है, जो आखिरी भी साबित हो सकता है। मेरा २१ दिनका उपवास आजसे प्रारम्भ है। मैंने धर्मको इसी रूपमें समझना सीखा है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

११६. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

भाद्रपद बदी ४ [१७ सितम्बर, १९२४][1]

कामके बारेमें तुम्हें महादेव लिखेगा। तुम्हें मेरे उपवाससे दुःखी होनेकी बजाय प्रसन्न होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर भी धर्मका पालन करता है तो उससे उसके स्नेही जनोंको प्रसन्नता ही होनी चाहिए। यहाँ दौड़ आनेकी तुम्हें जरूरत नहीं है। अभी तो सब आयेंगे। हाँ, अन्तिम सप्ताहमें जरूर आ जाना, यदि उस समय तारामतीकी तबीयत अच्छी हो तो।

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी

१. मथुरादास त्रिकमजीकी दी हुई तिथि।

Gandhi Heritage Portal

११७. पत्र : वसुमती पण्डितको

भाद्रपद बदी ४ [१७ सितम्बर, १९२४][1]

चि० वसुमती,

तुम्हारा कार्ड मिला। कटिस्नान ठँडे पानीसे ही किया जाता है। उसका सामान्य स्नानसे कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन यह भोजनके कमसे-कम तीन घंटे बाद किया जाता है और इसके एक घंटे बादतक कुछ नहीं खाया जाता। कटिस्नान करते समय पाँव और शरीरका ऊपरी भाग पानीके बाहर रहता है। पेडु पानीमें डूबा रहता है। उसको गीले कपड़ेसे रगड़ना चाहिए। तुमने मेरे उपवासका समाचार पढ़ा होगा। यह उपवास २१ दिनका है; इसलिए इससे घबरानेकी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। मेरे पास दौड़ आनेका विचार भी न करना। मेरा खयाल है कि २१ दिनका उपवास मुझे भारी नहीं पड़ेगा।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५६) से।
सौजन्य : वसुमती पण्डित

११८. पत्र : रुक्मिणी गांधीको

बुधवार [१७ सितम्बर, १९२४][2]

चि० रुखी,

मैं तुम्हारे पत्रकी बाट ही जोह रहा था। सारा काम-काज करते हुए भी स्वास्थ्यका ध्यान रखना। यह बहुत जरूरी है कि वहाँ जबतक रहो तबतक तुम्हारा शरीर अच्छी तरह मजबूत हो जाये। संस्कृतको न भूलना। मोटी बा ठीक हो गई है, यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। उनको मेरा प्रणाम कहना।

बापूके आशीर्वाद

चि० रुक्मिणी गांधी
मार्फत—श्री खुशालभाई गांधी
नवुं परुं, राजकोट

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू ६०९५) से।
सौजन्य : राधाबहन चौधरी

१. पत्रमें गांधीजीके २१ दिनके उपवासके जिक्रसे स्पष्ट है कि यह १९२४ में लिखा गया था।
२. डाककी मुहरसे।

Gandhi Heritage Portal

११९. पत्र: सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

[१८ सितम्बर, १९२४ से पूर्व][1]

प्रिय चार्ली,

तुम्हारा पत्र और तार, दोनों मिले। तुम यात्रामें गुरुदेवका साथ नहीं दे रहे हो। आशा करता हूँ, इसका कारण तुम्हारी अस्वस्थता नहीं है, क्योंकि अबतक तो तुम स्वस्थ हो ही गये होगे।

इस विषयमें जैसा मैं महसूस करता हूँ, जबतक तुम भी वैसा ही महसूस न करने लगो, तबतक तुम्हें बहनके भेजे जुराब वगैरह स्वीकार करनेमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। मगर इस सम्बन्धमें मेरा मत तो जैसा पहले था, वैसा ही अब भी है। गरीबों द्वारा बनाई चीजोंका इस्तेमाल करके, उनके साथ तादात्म्य स्थापित करनेके स्पष्ट कर्त्तव्य-में बहनके प्रेमोपहारको भी बाधक नहीं बनने दिया जा सकता। यहाँ सही निर्णयपर पहुँचनेका तरीका यह है: सोचो कि यदि तुम्हारी ही तरह दस लाख दूसरे लोगोंको भी ऐसे ही दस लाख प्रेमोपहार मिलें तो क्या हम इस देशके गरीबोंको अपने बीच उनके द्वारा बनाये कपड़ेको खपानेके अवसरसे वंचित नहीं करेंगे? खैर, मैं तुमको समझानेकी कोशिश क्यों करूँ? तुम अपनी बहनके भेजे कपड़े स्वीकार करो और उनका इस्तेमाल करो, इससे तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कुछ कम तो नहीं हो जायेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम खुद जिस कामको जरूरी नहीं समझते, वह करो।

इसी प्रकार, तुम और मैं यदि ऐसी सेवामें प्रवृत्त हों, जिसका सम्बन्ध हमारे पड़ोसीसे — निकट परिवेशसे — नहीं है, तो इस स्थितिको भी स्वीकार करनेके लिए अपने मनको मना सकनेमें मुझे कोई कठिनाई नहीं दीखती। मैंने सिद्धान्त बता दिया है। उसे मैं बिलकुल सही ही मानता हूँ। जब ईसा मसीहने अपने सगे-सम्बन्धियोंका "त्याग" किया था तो वास्तवमें उन्होंने उनका त्याग नहीं किया था। उन्होंने जो महत्तर सेवा की, उसमें उन सगे-सम्बन्धियोंकी सेवा भी शामिल थी। लेकिन, इसके विपरीत, महावीरने अपनी माताकी आज्ञाका पालन करनेके लिए, जैसा कि हमें लग सकता है, महत्तर सेवासे मुँह मोड़ लिया था। किन्तु, दोनों ही सही थे। हम उनके कार्योंके सम्बन्धमें कोई निर्णय नहीं दे सकते। लेकिन नियमको तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। किसी दूरस्थ कर्त्तव्यकी पुकारपर तुम अपने निकटस्थ कर्त्तव्यकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अगर शान्तिनिकेतनको तुम्हारी आवश्यकता हो तो तुम सारे भारतको बचानेके कर्त्तव्यकी पुकारपर भी शान्तिनिकेतनको छोड़ नहीं सकते। सबको अपने-अपने कर्त्तव्य-स्थलपर डटे रहना है।

१. पत्रमें "बहनके प्रेमोपहार" के उल्लेख और "पत्र: सी० एफ० एन्ड्र्यूजको", १८-९-१९२४ के आधारपर।

Gandhi Heritage Portal

हार्दिक स्नेह सहित,

तुम्हारा,
मोहन

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २६३५) की फोटो-नकलसे।

१२०. टिप्पणियाँ

डा० एनी बेसेंटकी घोषणा

वर्तमान स्थितिके बारेमें डा० एनी बेसेंटकी घोषणाका मैं स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है कि पाठकगण भी मेरी ही तरह उसका स्वागत करेंगे। मेरे लिए यह बड़े महत्त्वकी बात है कि वे इस बातकी आवश्यकता महसूस करने लगी हैं कि राष्ट्र-कार्यके लिए हरएक कार्यकर्त्ताको सूत कातनेकी मिसाल पेश करनी चाहिए। डा० बेसेंटकी मिसालका कताई-आन्दोलनपर निश्चय ही बड़ा असर पड़ेगा। इन गुणी महिलाका इतनी उम्रमें अपनी व्यस्तताओंके बावजूद आधा घंटा कातनेपर राजी होना राष्ट्र-कार्यके प्रति उनकी निष्ठाका ज्वलन्त उदाहरण है।

कांग्रेसके संविधानके सम्बन्धमें स्पष्टतः कुछ भ्रम पैदा हो गया है। संविधानको स्थगित करनेका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, यदि मेरा कातनेका प्रस्ताव मंजूर कर लिया जायेगा तो उसमें कुछ संशोधन जरूर करना पड़ेगा। असहयोग-कार्यक्रम, जिसमें सविनय अवज्ञा भी आ जाती है, संविधानका अंग तो है ही नहीं। यदि मेरे प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जायेंगे तो असहयोग-कार्यक्रम अवश्य ही एक सालके लिए स्थगित हो जायेगा। स्वराज्यकी योजना तैयार करनेमें मेरा योगदान यह रहेगा: स्वराज्यकी योजना तैयार करनेके लिए विभिन्न दलोंके किसी भी निर्दलीय सम्मेलनमें यदि जरूरत हुई तो मैं अवश्य शरीक होऊँगा। बहुमतका निर्णय इस अर्थमें मेरे लिए बन्धनकारी होगा कि मैं सिर्फ इस कारण असहयोग या सविनय अवज्ञाकी धमकी नहीं दूँगा कि बहुमत द्वारा स्वीकृत योजनासे मुझे सन्तोष नहीं है। और यदि बहुमतको अपने निर्णयसे सन्तोष हुआ तो इस कार्यके लिए निर्धारित वर्ष-भरकी अवधि खतम हो जानेपर भी मैं ऐसी धमकी नहीं दूँगा, मैं तो उसे सफल बनानेके लिए सरगर्मीसे कोशिश करूँगा। यदि उस योजनामें मेरी न्यूनतम अपेक्षा पूरी कर दी गई। यहाँ मैं कांग्रेस-संविधानके विषयमें भी दो शब्द कहना चाहूँगा। मैं देखता हूँ कि कुछ आलोचकोंका कहना है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेसका वर्तमान संविधान सर्वथा असफल सिद्ध हुआ है। यदि उसे कांग्रेसके ही माप-दण्डसे मापा जाये तो वह जरूर कारामद नहीं हो पाया है। लेकिन मेरी रायमें गम्भीरतासे सोचनेपर इस बातसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि भारतमें जितनी भी संस्थाएँ हैं, उनमें कांग्रेस अब भी सबसे अधिक राष्ट्रीय और प्रातिनिधिक है। आज भी उसके बुनियादी सदस्योंकी संख्या सबसे बड़ी है और किसी भी संस्थाकी बनिस्बत उसमें काम करनेवाले स्वयं-

Gandhi Heritage Portal

सेवक और वेतनभोगी कार्यकर्त्ता भी अधिक हैं। मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरे कहनेका मतलब यह निकाला जाये कि असहयोग सर्वथा असफल सिद्ध हुआ है। इसके विपरीत, उसने तो राष्ट्रको इतनी शक्ति और ओज प्रदान किया है, जितना और किसी चीजने नहीं दिया; लेकिन जितनी आशा इससे रखी गई थी, उतनी वह पूरी नहीं कर सका। लोगोंने इसके प्रति काफी उत्साह दिखाया, लेकिन उतना नहीं जितना कि उस उद्देश्यके लिए जरूरी था, जिस उद्देश्यसे असहयोग शुरू किया गया था। लेकिन इन बातोंसे कार्यकर्त्ताओंको क्या तसल्ली मिल सकती है? उन्हें तो उसका फल चखनेके लिए अभी बहुत काम करना है।

स्थगित किया जा रहा है या रद?

एक भाई लिखते हैं: "बहिष्कारोंको स्थगित करनेका जो प्रस्ताव आपने रखा है, क्या वह वास्तवमें उन्हें रद करनेका ही प्रस्ताव नहीं है?" मेरा तो ऐसा मंशा नहीं। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि बहिष्कारोंको रद कराऊँ। अगर ऐसा इरादा होता, तो मैं उसे जाहिर करनेमें न हिचकिचाता। हाँ, यह आशा अवश्य करता हूँ कि उन्हें फिरसे चालू करनेकी जरूरत ही शायद न रहे। लेकिन राष्ट्रीय विकासके लिए बहिष्कारोंको स्थगित करनेकी जिस तरह आज मुझे आवश्यकता दिखाई दे रही है, उसी तरह अगर मुझे उसके लिए उनको फिरसे चालू करनेकी जरूरत मालूम हुई तो मैं उन्हें चालू करते हुए जरा भी न हिचकूंगा। वे आगे पूछते हैं: "क्या इस तरह आप घातक आन्तरिक कलहको एक सालके लिए टाल ही नहीं रहे हैं?" मैं फिर कहूँगा — नहीं। हमें तो सालके अन्तमें ही पता चलेगा कि हम हैं कहाँ। अगर सालके अन्तमें भी ऐसे ही तीव्र मतभेदोंकी सम्भावना रही तो निश्चय ही बहिष्कार फिर चालू नहीं किये जा सकेंगे। वे अब राष्ट्रके कार्यक्रममें उसी अवस्थामें दाखिल हो सकते हैं जब राजनीतिक क्षेत्रके सक्रिय कार्यकर्त्ताओंको उनकी जरूरत समझाई जा सके। जबतक ऐसा नहीं होता तबतक तो उन्हें कुछ थोड़े-से लोगोंकी नीति या सिद्धान्तके रूपमें ही बने रहना पड़ेगा। इस हकीकतकी तरफसे आँखें न मूंद लेनी चाहिए कि सरकार जो-कुछ देनेको राजी होगी, वह राष्ट्रके उस छोटे-से तबकेकी माँगोंका खयाल करके ही उतना कुछ देनेको राजी होगी, जिसकी आवाजमें जोर है और जो सक्रिय है। अगर यह तबका भी परस्पर एक-दूसरेसे लड़ते रहनेवाले गुटोंमें बँट जायेगा तो सरकार कुछ भी नहीं देगी। सालके अन्तमें मैं दोमें से एक बातकी उम्मीद रखता हूँ — या तो अपरिवर्तनवादी लोग विशुद्ध राजनीतिक अर्थात् बाहरी हलचलोंमें विश्वास करने लगेंगे या हमारे शुद्ध राजनीतिज्ञ लोग, महज बाहरी हलचलोंकी निरर्थकता महसूस करके अपने-आपको भीतरी मजबूतीके काममें लगा देंगे, जिसके लिए बहिष्कारोंको जरूरी तौरपर मंजूर करना होगा। हाँ, यह भी हो सकता है कि भीतरी मजबूती और उन्नतिका काम तथा राजनीतिक हलचल, दोनोंको ही आमतौरपर और भी अधिक लोग स्वीकार करनेमें लगें और इस तरह हम दोनों पक्षोंकी परस्पर सहायताके बलपर सरकारको सभी दलोंकी न्यूनतम संयुक्त माँगें स्वीकार करनेपर मजबूर कर दें।

Gandhi Heritage Portal

मेरे प्रस्तावके मूलमें मुख्य आशय यह है कि राष्ट्रको एक ही मंचपर सुसंगठित किया जाये और फिर यह आशा रखी जाये कि हरएक पक्ष ईमानदारीके साथ अपने कार्यसे दूसरे पक्षोंको प्रभावित करता चलेगा और इस तरह सारे पक्ष स्वेच्छापूर्वक एक सामान्य कार्यक्रमको स्वीकार कर लेंगे। अगर ये महान् उद्देश्य कामयाब न हों तो भी हम इतनी आशा तो कर ही सकते हैं कि सभी दल एक-दूसरेकी नीयतपर शक किये बिना यथासम्भव अधिकसे-अधिक शोभनीय ढंगसे एक दूसरेसे अलग होंगे। किसी भी आन्दोलनमें किसी योजनाको स्थगित कर देना कोई असाधारण बात नहीं है। उससे तो अकसर उस स्थगित की गई योजनाको, यदि उसमें आन्तरिक शक्ति हो तो, और भी बल मिलता है। इसलिए जो लोग इन बहिष्कारोंके वास्तविक गुणके कायल हैं, उन्हें थोड़ेसे समयके लिए इन्हें स्थगित करनेपर इनके सदाके लिए लुप्त हो जानेका डर मनमें नहीं पनपने देना चाहिए। बहिष्कारमें सच्ची आस्था रखनेवाले लोगोंको ऐसे किसी संकटको न आनेकी पक्कीसे-पक्की गारंटी होनी चाहिए।

हृदयकी एकता

एक भाई लिखते हैं:

> बम्बई नगर-निगमके अभिनन्दनके उत्तरमें[1] आपने एक मुहावरेका प्रयोग किया। वह था — हृदयकी एकता। मैंने इसपर खूब विचार और मनन किया और इस निष्कर्षपर पहुँचा कि ब्रह्माण्डके अभ्यन्तरमें हृदयकी एकताका रहस्य छिपा हुआ है। आवश्यकता सिर्फ इस बातकी है कि कोई इन अथाह गहराइयों-में उतरकर इस दिव्य पारसमणिको प्राप्त करे और उसके स्पर्शसे मानवीय सम्बन्धोंके विश्रृंखल और विवर्ण अंशोंको पुनः सौन्दर्य और आनन्दसे भर दे। सत्य और ऋतके अन्तरमें भी हृदयकी एकता ही विद्यमान है। जिस सूत्रसे नक्षत्र एक दूसरेसे बँधे और अन्तरिक्षमें टिके हुए हैं, वह भी हृदयकी एकता ही है। इसीने भौतिक तत्त्वोंको एक-दूसरेसे संयुक्त कर रखा है। रसायन-शास्त्रियोंने इस बातका तो पता लगा लिया था कि जल हाइड्रोजन और नाइट्रोजनका मिश्रण है, लेकिन इन दोनों तत्त्वोंके संयोगसे वे जल नहीं बना पाये। इसके लिए उन तत्त्वोंमें से एक विद्युत्-धारा प्रवाहित करनी पड़ी। प्रकृतिमें यही विद्युत्-धारा हृदयकी एकता है। हृदयकी एकता ही वस्तुओंका रूपान्तरण करती है — बर्फको पिघला कर पानी और पानीको जमा कर बर्फ बना देती है। . . . आत्म-तत्त्वका पदार्थके रूपमें प्रकट होना और पदार्थका आत्म-तत्त्वमें विलीन हो जाना, यह सब इसी हृदयकी एकताका व्यापार है।
>
> शिवके साथ हृदयकी एकता प्राप्त करनेके लिए पार्वतीकी तपस्या हिन्दू कल्पनाका एक अद्भुत उदाहरण है। पार्वती मानव-रूपमें ईश्वरीय शक्ति या ब्रह्माण्डका क्रियाशील सिद्धान्त है। मुझे लगता है कि इसकी कल्पना हमारे

१. देखिए "भाषण: बम्बई-निगमके अभिनन्दनके उत्तरमें", २९-८-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

किसी साधक पूर्वजने ईश्वरकी प्रत्यक्ष प्रेरणापर ही की होगी। इस स्थूल जगत्में प्राणस्य प्राणम्के लिए तपस्यारत पार्वतीके माध्यमसे सर्वशक्तिमानके कार्य-कलापकी शक्तिका उसके सुन्दरतम रूपमें उद्घाटन किया गया है। यह ऐसा पाठ है जिसे हृदयंगमकर मानव समाजको अपने जीवनमें उतारना चाहिए। आपने इस पाठको अपने जीवनमें उतारा है और अली-बन्धुओं तथा दूसरोंके साथ हृदयकी एकता प्राप्त करके इसे राजनीतिक क्षेत्रमें लागू किया है। परिणाम यह है कि आज हम विभिन्न जातियों और धर्मोंके अलग-अलग तत्त्वोंसे एक सामाजिक भारतीय राष्ट्रकी रचना करनेके मार्गपर भली-भाँति आरूढ़ हैं। ईश्वर करे, यह देश आपके संकेतको समझे और हृदयकी एकता प्राप्त करनेके लिए कर्म-रूप तपस्यापर दृढ़ रहे।

मैं इस पत्रको इसलिए नहीं छाप रहा हूँ कि इसमें मेरी प्रशंसा है। इसे मैं उस हृदयकी एकताके लिए छाप रहा हूँ, जिसपर पत्र-लेखकका आग्रह है और जिसे वे मेरे तथा अली-बन्धुओं और उन दूसरे लोगोंके बीच वास्तवमें लक्षित करते हैं जिनका धर्म ही नहीं बल्कि विचार-पद्धति भी मुझसे भिन्न है। पिछले हफ्ते बड़े भाईने मुझसे पूछा: "हालाँकि हम लोग अधिकांश बातोंमें एक-दूसरेसे इतने असमान हैं, फिर भी वह क्या चीज है जो हमें परस्पर अविच्छेद्य रूपसे बाँधे हुए हैं? क्या यह आखिरकार एक ही ईश्वरके प्रति निष्ठा और भयकी भावना नहीं है?" उन्होंने जो कहा वह बहुत स्वाभाविक और सच था। चूँकि हम ईश्वरको भिन्न-भिन्न माध्यमोंसे — 'कुरान', 'बाइबल', 'तालमुद', 'अवेस्ता' या 'गीता' के माध्यमसे — देखते हैं, इसी कारण हम आपसमें लड़कर उसकी निन्दा करनेके भागी क्यों बनें? जो सूरज पर्वतोंपर प्रकाश फेंकता है वही मैदानोंपर भी चमकता है। सूर्यका ताप दोनों जगहोंपर अलग-अलग होता है, क्या इसीलिए मैदानी लोगोंको हिम-प्रदेशमें रहनेवालोंसे झगड़ना चाहिए? हमें धर्मग्रन्थों और सूत्रोंका उपयोग अपनेको दास बनानेवाली जंजीरोंके रूपमें करनेके बजाय अपनी मुक्ति और हृदयकी एकता प्राप्त करनेके साधनोंके रूपमें क्यों नहीं करना चाहिए?

वाइकोम-सत्याग्रह

वाइकोम-सत्याग्रहका अर्थ जितना समझा जाता है, उससे शायद ज्यादा गहरा है। उसे संगठित करनेवाले नौजवान अनुशासनमें कठोर और कट्टरपन्थी वर्गके प्रति अपने व्यवहारमें शिष्ट हैं। लेकिन यह तो उनकी परीक्षाका एक मामूली-सा हिस्सा है। उनमें से तो कुछ सामाजिक बहिष्कारका उत्पीड़न भी सह रहे हैं। हम पश्चिमी प्रेसीडेन्सीके लोगोंको कल्पना भी नहीं हो सकती कि इस उत्पीड़नका क्या अर्थ हो सकता है। इस आन्दोलनमें भाग लेनेवाले इन नौजवानोंको न केवल सामाजिक सुविधाओंसे वंचित रखा जा रहा है बल्कि उनके सामने पारिवारिक सम्पत्तिमें अपने हिस्सेसे वंचित होनेका खतरा भी है। यदि वे कानूनकी शरण लें तो शायद उन्हें अपना हक मिल जाये। लेकिन एक सत्याग्रही वैयक्तिक अन्यायके निवारणके लिए कानूनकी

Gandhi Heritage Portal

शरण नहीं ले सकता। वह तो यह मानकर चलता है कि उसे उत्पीड़न सहना है। वाइकोम-सत्याग्रह द्वारा जैसा सुधार करानेकी कोशिश हो रही है, उसमें सत्याग्रहीका प्रयास यह होता है कि वह अपने चरित्र-बल और कष्ट-सहनके जरिए अपने विरोधीका हृदय-परिवर्तन कर दे। वह जितना ही अधिक शुद्ध होगा और जितना ज्यादा कष्ट-सहन करेगा, उतनी ही तेजीसे वह अपने उद्देश्यकी ओर प्रगति करेगा। इसलिए उसके लिए जरूरी है कि वह सामाजिक बहिष्कार, पारिवारिक सुविधाओंका विर्वाजित और पारिवारिक सम्पत्तिमें अपने हिस्सेसे वंचित किया जाना बरदाश्त करे। उसे न केवल ये कठिनाइयाँ खुशी-खुशी बरदाश्त करनी चाहिए, बल्कि उसे चाहिए कि वह अपने उत्पीड़कोंके प्रति सक्रिय प्रेम-भाव रखे। उत्पीड़क लोग ईमानदारीसे ऐसा मानते हैं कि सुधारक लोग कोई पापपूर्ण काम कर रहे हैं और इसलिए सुधारकोंको उस कल्पित गलत मार्गसे विरत करनेके लिए जो एकमात्र तरीका उन्हें कारगर लगता है, उसका वे इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर, सत्याग्रही दूसरोंको दण्डित करनेकी पद्धतिसे अपना सुधार लागू नहीं करना चाहता, बल्कि इसके लिए वह तपस्या, आत्म-शुद्धि और कष्ट-सहनका सहारा लेता है। अतः उत्पीड़नके प्रति किसी प्रकारका रोष, उसने अपनेको स्वेच्छासे जिस अनुशासनके बन्धनसे बाँध लिया है, उसमें बाधक होगा। यह रास्ता लम्बा हो सकता है, ऐसा लगता है कि यह कभी खतम ही नहीं होगा; ऐसा लगता है कि यदि तनिक शक्ति-प्रदर्शन अथवा नैतिक रूपसे समझाने-बुझाने या दबाव डालनेके तरीकेसे ही काम लिया जाये तो बात ज्यादा आसानीसे बन सकती है। लेकिन मैं यहाँ जो दिखानेकी कोशिश कर रहा हूँ वह यह नहीं है कि सत्याग्रह ज्यादा कारगर चीज है, बल्कि यह कि सत्याग्रही द्वारा समझ-बूझकर चुने गये तरीकोंका अमली मतलब क्या होता है। वैसे तो मैंने इन पृष्ठोंमें अकसर यह दिखाया है कि अगर हम अन्तिम परिणामकी दृष्टिसे देखें तो सबसे जल्दी सफलता दिलानेवाला साधन भी सत्याग्रह ही है। लेकिन यहाँ मेरा मंशा सिर्फ यह दिखानेका है कि वाइकोमके युवा सत्याग्रही क्या कर रहे हैं। धरनोंके रूपमें वे क्या कर रहे हैं, उसके बारेमें जनताको बहुत-कुछ मालूम है, लेकिन उनमें से कुछ लोग अपने परिवार और जातिवालोंके हाथों चुपचाप जो यातना सहन कर रहे हैं, उसका उसे कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मौन रहकर और प्रेम-भावसे किया जानेवाला यह कष्ट-सहन ही अन्ततः पूर्वग्रहकी दीवारोंको तोड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सुधारक लोग अपनी जिम्मेवारीको पूरी तरह समझें और स्वेच्छासे स्वीकार किये गये अनुशासनके नियमोंको रंच-मात्र भी भंग न करें।

दक्षिण भारतके लिए सहायता

श्री जॉर्ज जोजेफने जेलसे निकलते ही अपने एक मित्रको त्रावणकोरकी संकटापन्न स्थितिका निम्नलिखित विवरण[1] लिख भेजा:

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें बाढ़की विभीषिकाका वर्णन करते हुए सहायताके उपायोंके रूपमें कताई करने और रुई मुहैया करनेका सुझाव दिया गया था।

Gandhi Heritage Portal

बाढ़के तुरन्त बाद ही एक अन्य मित्रने जो-कुछ लिखा, वह भी काफी सच है। उन्होंने लिखा कि किसी विप्लवसे जितनी हानि महीनोंमें हो सकती है, वह निष्ठुर दिखनेवाली प्रकृतिने एक ही दिनमें कर दी। तात्कालिक सहायताका प्रारम्भिक कार्य समाप्त होनेके बाद असली सहायता-कार्य आरम्भ होगा। 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' के पाठक मेरी अपीलका बहुत ही उदारतापूर्वक जवाब दे रहे हैं। लेकिन वे विश्वास करें कि कार्यकर्त्ताओंके सामने जो कठिन काम है, उसे देखते हुए यह सहायता बहुत उदार नहीं कही जा सकती। मेरा सुझाव है कि रुईके व्यापारी जब नकद रुपया न भेज सकें तो वे रुई भेजें। जो हजारों लोग एक साल और अपनी भूमिपर खेती नहीं कर सकेंगे, उनके पास चरखेके सिवा दूसरा सहारा नहीं है। अपने देशके इन संकटग्रस्त भाई-बहनोंके लिए रोजगारका प्रबन्ध करनेकी योजनाएँ भेजनेके लिए मैं कार्यकर्त्ताओंको कह रहा हूँ। चरखा मेरे लिए कोई अन्धश्रद्धाकी चीज नहीं है और मैं दाताओंको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मैं हजारों व्यक्तियोंके लिए इसी ढंगका कोई दूसरा काम ढूंढ़ सका तो मैं उनके दानसे प्राप्त पैसे या चीजोंका उपयोग उस कामके लिए करनेमें तनिक भी आगा-पीछा नहीं करूँगा।

अपने प्रान्तका गर्व

अ० भा० खादी बोर्डके मन्त्रीने बिहारसे प्राप्त यह सर्वथा उचित शिकायत स्पष्टीकरण और सुधारके लिए मेरे पास भेजी है:

> हमारा ध्यान इसी ४ तारीखके 'यंग इंडिया' में विभिन्न प्रान्तोंके सदस्यों द्वारा भेजे गये सूतके बारेमें महात्मा गांधीकी टिप्पणीकी ओर दिलाया गया है। बिहारके बारेमें महात्माजी कहते हैं कि "किसीने भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे वह उनके [राजेन्द्रप्रसादके] मुकाबले सही मानेमें द्वितीय स्थानका भी पात्र हो।" चूंकि इससे हमारे कुछ अच्छे कातनेवाले सदस्य निरुत्साहित हो सकते हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप निम्नलिखित सदस्यों और गैर-सदस्योंके सूतको फिरसे जाँचें। अगर वे काम-चलाऊ तौरपर भी अच्छे साबित हों तो कृपया देखें कि उनका कुछ उल्लेख हो जाये।

मैंने पत्रमें दिये गये १७ नामोंको छोड़ दिया है। मैं मन्त्री और उक्त १७ सदस्योंके निकट क्षमाप्रार्थी हूँ। तथ्य यह है कि मैंने मूल रिपोर्ट, जो गुजरातीमें थी और जो पूरीकी-पूरी 'नवजीवन' में छपी है, संक्षिप्त अनुवादके लिए एक सहायकको दी थी और उस अनुवादको बिना मूलसे मिलाये ही छाप दिया। मूल रिपोर्टमें बिहारके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। बिहारसे सम्बन्धित मूल अंशका अनुवाद यह है।

> लगभग सब सूत सामान्य दर्जेका है। बहुत-सा सूत तो अत्यन्य अव्यवस्थित ढंगसे कता हुआ है। रुई अच्छी नहीं है। उसपर छिड़काव नहीं किया गया है। बाबू राजेन्द्रप्रसादने १०,१४८ गज सूत भेजा है। सूत ८ अंकके आस-पासका है और ठीक ढंगसे कता हुआ और अच्छी तरह लच्छियोंमें बाँधा हुआ है। इस प्रान्तसे ऐसा अच्छा सूत और किसीने नहीं भेजा है।

Gandhi Heritage Portal

'यंग इंडिया' की जिस टिप्पणीका उल्लेख किया गया है, उसमें बिहारके साथ हुए अन्यायके लिए मुझे दुःख है। सूतकी जाँच करनेवालेने जो नुक्स बताये हैं, आशा है दूसरे महीनेकी किस्तमें उन्हें दूर कर दिया जायेगा। मेरे लिए यह खुशकिस्मती होगी। जाँच करनेवालेने मेरा ध्यान सिन्धसे सम्बन्धित अंशके अनुवादकी ओर भी दिलाया है और कहा है कि अगर सिन्ध भी शिकायत करे तो उचित ही होगा। इसलिए मैं सिन्धसे सम्बन्धित अंशका भी पूरा अनुवाद नीचे दे रहा हूँ:

"दो या तीन बण्डलोंको छोड़कर, शेषमें अच्छी कताई देखनेमें नहीं आती। कुछ बण्डलोंमें तो गुंडियोंकी लम्बाई भी अलग-अलग है। छिड़काव करनेका तो कोई उदाहरण ही नहीं मिला। कुछने तो गुंड़ियाँ बनाये बिना ही सूत भेज दिया है।" हालाँकि सिन्धको इसपर एतराज हो सकता है, लेकिन मैं अनुवादकको निम्नलिखित संक्षिप्तीकरणके लिए क्षमा कर दूंगा। "स्थिति बहुत खेदजनक है। सधी हुई कताईका कोई उदाहरण नहीं मिलता।" निपुण सिन्धियो, सावधान!

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १८-९-१९२४

१२१. सबसे बड़ा प्रश्न

दिल्ली जाते हुए रास्तेमें अपनी डाक देखते हुए नीचे लिखा पत्र मुझे मिला। दो-तीन व्याकरण-दोषोंको सुधारकर उसे प्रायः शब्दशः यहाँ देता हूँ:

> नागपुरके मुसलमान पगला गये हैं। मैं यद्यपि हिन्दू हूँ फिर भी मैंने नागपुरमें हिन्दुओंकी तरफसे की गई हलचलसे अपनेको सावधानीके साथ दूर रखा है। मेरा अहिंसा और हिन्दू-मुसलमान एकता, दोनोंमें विश्वास है। आप विश्वास रखें कि मेरे मनमें साम्प्रदायिक भावना नहीं है। लेकिन नागपुर और दूसरी जगहोंमें की गई मुसलमानोंकी करतूतोंको देखकर तो मेरे इस विश्वासकी बड़ी कठोर परीक्षा हो रही है। सबसे अधिक दुःखकी बात तो यह है कि एक भी जिम्मेवार मुसलमानने सार्वजनिक रूपसे इन कार्योंकी निन्दा नहीं की है। यदि वीर डाक्टर मुंजे और वीर उदेराम तथा कोष्ठी[1] लोग न होते तो न मालूम इन मुसलमानोंने क्या-क्या अत्याचार किये होते। मैं यह जानता हूँ कि प्रेममें सौदा नहीं होता। इस बातको भी मानता हूँ कि प्रेममें देना-ही-देना होता है। लेकिन मैं इस बातको नहीं भूल सकता कि प्रेमके लिए जो आहुति दी जाये, जो दुःख सहन करना पड़े, वह सब स्वेच्छासे होना चाहिए। इसमें जबरदस्ती नहीं हो सकती। लेकिन हिन्दू शक्तिशाली होनेकी वजहसे या अपनी इच्छासे नहीं झुकता, बल्कि अपनी कमजोरीकी वजहसे और

१. बुनकरोंकी एक जाति।

Gandhi Heritage Portal

इच्छा न होनेपर भी दब जाता है। मुझे तो यह खयाल होता है कि हिन्दू लोग अंग्रेजोंकी गुलामीसे मुक्त होनेकी जो कोशिश कर रहे हैं सो उसका नतीजा यह होगा कि वे मुसलमानोंकी गुलामीमें पड़ जायेंगे। आपका दिलको हिला देनेवाला लेख[1] 'गुलबर्गाका पागलपन' इस मामलेमें खुद आपकी भावनाओंकी गहराईको जाहिर करता है।

आपने कई मरतबा यह जाहिर किया है कि आप कायरतासे हिंसाको अधिक पसन्द करते हैं। आपने कुछ दिनों पहले 'यंग इंडिया'में यह भी लिखा[2] था कि औसत मुसलमान गुंडा होता है और हिन्दू बुजदिल। अफसोस कि वह बिलकुल सच है। अन्यथा यह कैसे हो सकता था कि नागपुरके अल्पसंख्यक मुसलमान हिन्दुओंकी एक बहुत बड़ी संख्याके खिलाफ इस तरह बार-बार उठ खड़े होते हैं। सच बात तो यह है कि गरीब हिन्दूकी न तो कोई इज्जत करता है और न कोई उससे डरता है। डार्विनकी बात सही थी या नहीं, इसका निर्णय करना मेरा काम नहीं है। किन्तु एक बात तो बिलकुल स्पष्ट है कि कमजोरोंके लिए इस संसारमें स्थान नहीं है। उन्हें या तो शक्तिशाली बनना चाहिए नहीं तो उनका अस्तित्व ही मिट जायेगा। अगर हिन्दू लोग जीना चाहते हैं तो उन्हें अपना संगठन करना चाहिए और शक्तिशाली बनना चाहिए। उन्हें आन्दोलन करना चाहिए और अपनी स्त्रियों और अपने देवताओंके सम्मानकी रक्षाके लिए जान देनेकी दैवी कला सीखनी चाहिए।

लेकिन वे जो हद दरजेके कायर हैं, उनके लिए अहिंसाका कुछ भी अर्थ नहीं है। यह तो उनकी निरी कायरताको छिपानेके लिए एक आवरणका काम देती है। उन्हें अहिंसा सिखाना तो ऐसा मालूम होता है जैसे अकालमें भूखसे पीड़ित लोगोंको भूख मिटानेके लिए आवश्यक खाना दिये बिना ही खानेमें संयम रखनेकी शिक्षा देना या बीमार और कमजोर आदमीको वह खाना खिलाना जिसे हजम करना एक मजबूत आदमीके लिए भी मुश्किल हो। यह उन्हें कुछ भी फायदा पहुँचानेके बजाय सिर्फ नुकसान ही पहुँचायेगा।

यदि आप इस विचारधाराको स्वीकार करें तो क्या आपको यह स्वीकार न करना पड़ेगा कि सच्ची और स्थायी हिन्दू-मुसलमान एकताके लिए हिन्दुओंमें मर्दानगी पैदा होना लाजिमी है? क्या उन्हें अपनी स्त्रियों और मन्दिरोंके सम्मानकी रक्षा करना नहीं सीखना चाहिए? जो कमजोर हैं वही समाजके सबसे बड़े दुश्मन हैं। वे खुद अपनेको भ्रष्ट करते हैं और शक्तिशालीको भी, जिसे वे अपने ऊपर अत्याचार करनेका मौका देते हैं। कमजोरी उन दोनोंके लिए शाप बन जाती है, जो स्वयं कमजोर हों तथा जो कमजोरोंपर जुल्म

१. २८-८-१९२४ का।
२. देखिए खण्ड २४, पृष्ठ १३९-५९।

करते हों। हाँ, हिन्दुओंको उचित है कि वे 'दाँतके बदले दाँत' और 'आँखके बदले आँख'वाले अर्थमें बदला न लें; वे मुसलमान स्त्रियोंका शील-भंग न करें और मसजिदोंको अपवित्र या नष्ट न करें। पर चूँकि अहिंसा उनके बसके बाहरकी चीज है, इसलिए क्या आप उन्हें यह सलाह न देंगे कि वे इन बुराई करनेवालोंको अच्छा सबक सिखाना तो सीख लें? वे अहिंसाकी श्रेष्ठता समझें, इससे पहले क्या यह जरूरी नहीं है कि वे हिंसात्मक उपायोंसे अपनी रक्षा करनेकी क्षमता उत्पन्न करें। हिन्दुओंकी भलाई, सच्ची हिन्दू-मुसलमान मैत्री और खुद स्वराज्यका भी क्या यही रास्ता नहीं है?

ये विचार मुझे बहुत दिनोंसे उद्विग्न बनाये हुए हैं। मैंने उपर्युक्त सवालोंका उत्तर पानेके लिए हर पहलूसे सोचा, लेकिन सन्तोषप्रद उत्तर न मिला। इसलिए मैं मार्ग-दर्शनके लिए आपको कष्ट दे रहा हूँ। मैं 'यंग इंडिया' के स्तम्भोंमें आपका उत्तर देखनेकी उत्कण्ठापूर्वक प्रतीक्षा करूँगा। आप अपना सुभीता देखकर, जितनी जल्दी बन पड़े इसका उत्तर दीजिएगा।

मैं अपना पत्र तो नहीं, लेकिन नाम गुप्त रखना चाहता हूँ।

इस पत्रके हर वाक्यसे लेखककी ईमानदारी झलकती है। उनकी दलीलें अपनी जगह ठीक हैं। पर ज्यों-ही लेखकके विचारोंको और उनसे निकलनेवाले निष्कर्षोंको कार्यरूपमें परिणित करनेका विचार उठता है, त्यों-ही मेरे सामने कठिनाई खड़ी हो जाती है। गुजरातमें जो समस्या खड़ी हो गई है उसका सामना करनेके लिए और मेरे हिन्दू और मुसलमान मित्रों द्वारा जो प्रश्न पूछे गये हैं, उनके जवाबमें मैंने पिछले सप्ताह 'नवजीवन' में एक लेखमें अपनी योजनाकी रूपरेखा दी थी। पाठक उस लेखका महादेव देसाई द्वारा किया गया अनुवाद[1] अन्यत्र देखेंगे।

मेरी तो इस समय बहुत ही दयनीय हालत हो रही है। यह हमारे राष्ट्रकी परीक्षाका समय है और यह कहना गलत न होगा कि हजारों लोग इस मौकेपर रहनुमाईके लिएं मेरी ओर आँखें लगाये हैं। खिलाफत-आन्दोलनमें मैंने प्रमुख भाग लिया है। मैंने बदलेमें कुछ पानेकी आशाके बिना सब-कुछ दे देनेके सिद्धान्तका बेहिचक और बेखौफ होकर प्रतिपादन किया है। मेरी इस विचार-प्रणालीमें कुछ भी दोष नहीं है। पर पत्र-लेखकका सवाल यह है — "क्या मेरा विचार वर्तमान स्थितिके लिए ठीक है? क्या हिन्दुओंके पास देनेके लिए कुछ है? कोई बिना लिए उसी अवस्थामें दे सकता है जब खुद उसके पास काफी हो।"

आइए, अब इसपर जरा विचार करें।

पत्र-लेखक और मैं दोनों इस बातपर तो सहमत हैं कि औसत हिन्दू डरपोक हैं। तब सवाल यह है कि वे निर्भय और वीर कैसे बनें? उनका भय अपने बदनके रग-पुट्ठोंको मजबूत बनानेसे दूर होगा या उनकी आत्मामें वीरताका संचार होनेसे? पत्र-लेखक कहते हैं, "कमजोरोंके लिए इस संसारमें स्थान नहीं।" कमजोरसे

१. देखिए "हिन्दू-मुस्लिम एकता", १४-९-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

उनका मतलब, मैं समझता हूँ, 'शरीरसे कमजोर' है। यदि हाँ, तो उनका विचार ठीक नहीं है। दुनियामें ऐसे बहुत-से प्राणी हैं जो शारीरिक दृष्टिसे मनुष्योंसे बहुत ज्यादा बलवान् हैं और फिर भी मनुष्य-जाति जीवित है। शरीर-बलमें बढ़ी-चढ़ी बहुत-सी मानव-जातियाँ अबतक लुप्त हो चुकी हैं और कुछ तो इस समय भी लुप्त होती जा रही हैं। ऐसी अवस्थामें जहाँतक मनुष्य-जातिका सम्बन्ध है, यों कहना चाहिए कि "संसारमें उसके लिए जगह नहीं जिसकी आत्मा कमजोर है।"

जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो अपना पासा फेंक चुका हूँ। तमाम धर्मोंमें अहिंसा एक समान-तत्त्व है। कुछ धर्मोंमें उसपर औरोंकी अपेक्षा ज्यादा जोर दिया गया है। पर इस बातपर सभी सहमत हैं कि अहिंसाका जितना भी पालन किया जायेगा, थोड़ा होगा। पर हमें इस बातका निश्चय कर लेना चाहिए कि वह अहिंसा ही है, भीरुताको ढँकनेवाला पर्दा नहीं।

इस समस्याका हल खोजनेके लिए हमें आम आदमियोंका मुँह जोहनेकी जरूरत नहीं, बल्कि हमें अपनी ही स्थितिका विचार करना चाहिए, क्योंकि उन आम आदमियोंके पीछे हम लोग रहते हैं जो उनको कठपुतलियोंकी तरह नचाया करते हैं। इसलिए हमें इस बातकी चिन्ता रखनी चाहिए कि हम खुद कोई काम डरकी वजहसे न करें। मैं द्वन्द्व-युद्धसे नफरत करता हूँ, पर हाँ, उसका भी एक रोमानी पहलू है और उसे मैं अब लोगोंके सामने रख रहा हूँ। मैं बड़े शौकसे बड़े भाईके[1] साथ द्वन्द्व-युद्ध करना चाहूँगा। जब हम दोनोंको यह यकीन हो जायेगा कि अब तो बिना खून-खराबेके एकताका कोई उपाय ही नहीं रह गया है और जब हम देखेंगे कि हम दोनों भी सुलहसे एक साथ नहीं रह सकते, तब मैं जरूर बड़े भाईको दो-दो हाथ करनेके लिए कहूँगा। मैं जानता हूँ कि वे अपने बड़े-बड़े पंजोंसे मरोड़कर मेरे टुकड़े-टुकड़े कर सकते हैं। लेकिन बस, उसी दिन हिन्दू धर्म आजाद हो जायेगा अथवा यदि वे एक हट्टे-कट्टे पहलवानकी ताकत रखते हुए भी मेरे हाथों मर जायेंगे तो इस्लाम हिन्दुस्तानमें आजाद हो जायेगा। उस अवस्थामें वे मानो मुसलमानों द्वारा हिन्दुओंको डराने-धमकानेका प्रायश्चित्त कर लेंगे। पर मैं इस बातसे सख्त नफरत करता हूँ कि दोनों दलोंके गुंडोंके बीच यह खूनी खिलवाड़ होता रहे। ऐसे भुज-बलकी आजमाइशके सहारे जो सुलह होगी वह अन्ततः कटुतामें बदले बिना न रहेगी। हिन्दुओंकी भीरुता दूर करनेका उपाय तो यह है कि हिन्दुओंका पढ़ा-लिखा समुदाय इन गुंडोंसे लड़े। हम शौकसे लाठियोंका तथा दूसरे ठीक हथियारोंका इस्तेमाल करें। मेरी अहिंसा उसकी अनुमति देगी। इस लड़ाईमें हम मारे जायेंगे, पर उससे हिन्दू और मुसलमान दोनोंके दिलकी मलामत निकल जायेगी। उससे हिन्दुओंकी भीरुता एक क्षणमें दूर हो जायेगी। पर अगर मौजूदा तरीका जारी रहा तो हर जमात अपने-अपने गुंडोंकी गुलाम हो जायेगी। इसका मतलब होगा कि फौजी ताकतका दौर-दौरा हो जायेगा। इंग्लैंडने असैनिक सत्ताकी प्रधानताके लिए संघर्ष किया। उसकी जीत हुई और वह जीवित है। लॉर्ड कर्जनने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया है। पर

१. मौलाना शौकत अली।

Gandhi Heritage Portal

जब उन्होंने असैनिक सत्ताकी प्रधानताके लिए आवाज उठाई थी, उस समय उनका कहना बहुत ठीक था और उन्होंने बड़ी वीरताका परिचय दिया था। जब रोमपर सैनिक सत्ताका दौर-दौरा हुआ, उसका पतन हो गया। इस खयालसे ही कि हमारे धर्मकी रक्षाका सूत्र गुंडोंके हाथमें हो, मेरी अन्तरात्मा विद्रोह कर उठती है। इसलिए फिलहाल, हिन्दुओंको ही अपनी नजरमें रखकर, मैं बड़े अदब और सच्चे मनसे हर समझदार हिन्दूको चेतावनी देना चाहता हूँ कि वे अपने मंदिरोंकी, अपनी और अपने बीबी-बच्चोंकी रक्षाके लिए गुंडोंकी सहायताका भरोसा न रखें। अपने कमजोर शरीरको ही लेकर उन्हें खुद अपनी जगहपर खड़े रहकर बिना मारे अथवा मारकर, मर-मिटनेका निश्चय करना चाहिए। यदि जमनालालजी और उनके साथी शान्ति-रक्षा करते हुए मर भी जाते तो उनकी मृत्यु बड़ी गौरवपूर्ण होती। डा० मुंजे या मैं यदि अकेले अपने मन्दिरोंकी रक्षा करते हुए मर जायें तो वह हमारे लिए गौरवपूर्ण मृत्यु होगी। सचमें वही हमारे हृदयकी निर्भयता और वीरता होगी।

पर इसके अलावा भी ऐसे अनेक काम किये जा सकते हैं जिसमें उससे कम बहादुरी दरकार है। हमें नागपुरके बारेमें सच्चाई खोज निकालनी चाहिए। मैं डा० मुंजेसे इसके लिए लिखा-पढ़ी कर रहा हूँ। मैं दिल्लीके हिन्दू-मुसलमानोंसे अनुनय-विनय कर रहा हूँ कि वे मुझे वहाँके फसादका मूल कारण बतायें। मैंने उन्हें इस सम्बन्धमें पंच-फैसला करानेकी सलाह दी है और कहा है कि वे चाहें तो यह काम मैं अकेले या औरोंके साथ खुद करनेको तैयार हूँ। उन्होंने अभीतक मेरी कोशिशोंमें मेरी मदद करनेसे इनकार नहीं किया है। अभीतक वहाँकी दुर्घटनाका कोई प्रामाणिक विवरण नहीं मिला। मैं आपेसे बाहर कैसे होऊँ? मुझे इस बातका यकीन नहीं हुआ है कि हर बातमें और हर जगह अकेले मुसलमानोंका कसूर है। मुझे पता नहीं कि आरम्भिक कारण क्या था। पर हाँ, मैं यह जरूर जानता हूँ कि दोनों फरीकोंकी तरफसे सिद्धान्तहीन अखबार सीधे-सादे हिन्दुओं और सीधे-सादे मुसलमानोंके दिलोंमें जहर फैला रहे हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि खानगी बातचीतमें यह जहर और भी ज्यादा फैलाया जा रहा है और बातें इस तरह बढ़ा-चढ़ाकर कहीं जा रही हैं जिसकी कोई हद नहीं। इस अन्धकार, दुविधा और निराशाके सागरकी तहतक पहुँचनेमें मैं कोई कसर न उठा रखूँगा। इस हिन्दू-मुस्लिम तनावसे राष्ट्रके पूरे स्वच्छ सार्वजनिक जीवनके नष्ट होनेका खतरा पैदा हो गया है। उसके ठीक-ठीक निपटारेके लिए यह अनिवार्य है कि पहले आजतककी घटनाओं और तथ्योंका एक सच्चा विवरण तैयार किया जाये। इस तनाजेका निपटारा करनेकी मेरी आन्तरिक अभिलाषा भी इस बातका एक महत्त्वपूर्ण कारण है, जिसने मुझे स्वराज्यवादियों तथा अन्य सम्बन्धित पक्षोंके सामने पूर्ण आत्म-समर्पण करनेपर मजबूर किया है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १८-९-१९२४

Gandhi Heritage Portal

१२२. स्पष्टीकरण

दिल्ली-निवासी कुछ मुसलमान भाई मुझसे मिलने आये थे। उन्होंने २१ अगस्तके 'यंग इंडिया'में प्रकाशित मेरे इस कथनपर आश्चर्य प्रकट किया कि हिन्दू मन्दिरोंकी पवित्रता भंग करनेकी कार्रवाईके पीछे मुसलमानोंके एक संगठनका हाथ है, और ऐसा भी नहीं है कि वह कार्रवाई उत्तेजनाका कोई कारण मिलनेपर की गई हो। इन भाइयोंका कहना है कि मैंने जो संगठनकी बात कही, उसका मतलब सम्पूर्ण मुसलमान जातिकी ओरसे खड़ा किया गया संगठन लगाया गया है और उत्तेजनाके कारणकी जो चर्चा की गई है उसका अर्थ किसी भी प्रकारकी उत्तेजनाका कारण समझा गया है। मैंने मुलाकातियोंको बताया कि संगठनसे मेरा मतलब सम्पूर्ण मुसलमान जाति द्वारा या उसकी प्रेरणापर खड़ा किया गया संगठन नहीं, बल्कि कुछ खास लोगोंका संगठन है। मगर मेरे पास ऐसे आँकड़े नहीं हैं कि इन लोगोंकी संख्या बता सकूँ।

इन मित्रोंने मुझे बताया — और मेरे दिल्ली पहुँचनेपर हकीम साहब और मौलाना मुहम्मद अलीने भी ऐसा ही बताया कि उन्ह तो ऐसे किसी संगठनकी कोई जानकारी नहीं है और यदि सचमुच इस तरहका संगठन होता तो उन्हें मालूम जरूर होता। इसपर मैंने कहा कि चूंकि आप यह बात स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपने कथनकी सत्यतामें कुछ शंका तो मुझे भी होने लगी है, फिर भी मैं अपने मनसे इस खयालको बिलकुल निकाल देनेके लिए तैयार नहीं हूँ कि जैसे संगठनका मैंने जिक्र किया वैसा कोई संगठन सचमुच है। अभी हालमें जो पवित्रता-भंगकी घटनाएँ हुई हैं, उनसे पहले ही कई लोगोंने, जिनमें कुछ मुसलमान भी शामिल थे, मुझे बताया कि ऐसा कोई संगठन है। जब ये घटनाएँ घटीं तो मैं स्वभावतः इसी निष्कर्षपर पहुँचा कि ये कोई क्रोधके आवेगमें हठात् की गई कार्रवाइयाँ नहीं हैं; इसके विपरीत इनका जो एक विशेष स्वरूप है वह इस कारण है कि लोगोंने किसी संगठनके उकसानेपर ये कार्रवाइयाँ की। यदि मुझे यह मालूम हो जाये कि मेरा खयाल बिलकुल गलत है तो मुझे खुशी होगी और अपने निर्णयकी भूलकी प्रतीति होते ही मैं तत्काल आवश्यक भूलसुधार कर लूंगा। कहा गया है कि हो सकता है, यह संगठन किसी सरकारी एजेंसीकी ही करतूत हो। मैंने कहा कि इन उपद्रवोंमें सरकारका जो हिस्सा हो सकता है, उससे मैं भी इनकार नहीं कर सकता। बल्कि अगर मुझे पता चले कि इस सबके पीछे असली हाथ किसी सरकारी एजेंसीका ही है तो निश्चय ही मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा।

उत्तेजनाके कारणके सम्बन्धमें मैंने मुलाकातियोंको बताया कि 'यंग इंडिया'में प्रकाशित लेखसे[1] यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि मेरा तात्पर्य विशेष ढंगके उत्तेजनाके

१. देखिए "गुलबर्गाका पागलपन", २८-८-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

कारणसे ही है। लेखमें कहा गया है कि हिन्दुओंकी तरफसे मुसलमानोंको उत्तेजनाका मौका ही नहीं दिया गया। मुलतानमें जब मंदिर अपवित्र किये गये तब बिना किसी उत्तेजनाके ही किये गये। हिन्दू-मुस्लिम तनावके विषयमें लिखे अपने लेखमें मैंने कुछ ऐसे स्थानोंकी चर्चा की है, जहाँ हिन्दुओं द्वारा मसजिदोंको अपवित्र किये जानेकी बात कही जाती है। मैं इन आरोपोंके सम्बन्धमें सबूत एकत्र करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। परन्तु अबतक मुझे उनका कुछ भी सबूत नहीं मिला है।

मेरे मुलाकातियोंने मुझे हैदराबादसे प्रकाशित होनेवाली एक पत्रिका दिखाई। कहते हैं, उस पत्रिकाके अनुसार हिन्दू लोग इस प्रकारके उत्तेजनात्मक काम करते हैं। मैंने कहा कि वैसे तो किसी भी स्थितिमें मैं अपने दृष्टिकोणसे मन्दिर-मसजिद — किसीकी भी पवित्रताको भंग करना समान रूपसे अनुचित मानूंगा और इस पत्रिकाकी बातके सही सिद्ध हो जानेपर भी वैसा ही मानूंगा, फिर भी मैं स्वीकार करता हूँ कि यदि यह बात सिद्ध हो जाये तो इस कार्रवाईकी भर्त्सना करनेका उतना ज्यादा कारण मेरे पास नहीं रह जायेगा। गुलबर्गामें हिन्दुओं द्वारा मसजिदकी पवित्रता भंग करनेकी जो बात कही जाती है, वह अगर सिद्ध की जा सकती हो तो मैं सचमुच बहुत दुखी और लज्जित होऊँगा।

इसपर मुलाकातियोंने पूछा कि क्या हिन्दुओंका भी कोई ऐसा ही संगठन नहीं है। मैंने बताया कि मुझे तो हिन्दुओंके किसी ऐसे संगठनकी कोई जानकारी नहीं है, जो मसजिदोंकी पवित्रता भंग करनेके लिए लोगोंको उकसाता हो, लेकिन यह अवश्य देखता हूँ कि कुछ ऐसे हिन्दुओंका — इनकी संख्या कोई कम नहीं है — एक संगठन है, जो इस्लामके बारेमें अपमानजनक बातें लिखकर और मुसलमानोंकी शरारतोंको बहुत ही अतिरंजित रूपमें पेश करके उत्तेजना फैलानेपर तुला हुआ है। यह अक्षम्य है। लेकिन मामलेमें दोनों पक्ष समानरूपसे दोषी हैं। इस हालतमें देशके प्रत्येक शुभेच्छुका यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसी शरारतोंको बढ़ावा देनेवालोंकी निन्दा करे और इन्हें रोकनेके लिए कुछ भी उठा नहीं रखे। मैंने मुलाकातियोंसे कहा कि अगर दोनों समुदायोंके लोग मुझे इजाजत दें और पूरे मनसे सहयोग करें तो मैं इस बातके लिए तैयार हूँ कि जरूरत हुई तो अकेले और सम्भव हुआ तो साथियोंकी सहायतासे मामलेकी जाँच करके इस बातका पता लगाऊँ कि शरारत किसने शुरू की, यह कैसे फैल गई और इसका क्या इलाज है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १८-९-१९२४

Gandhi Heritage Portal

१२३. गांधीजीका खुलासा[1]

१८ सितम्बर, १९२४

श्री गांधीने दिल्लीमें अपने २१ दिनके उपवासकी घोषणा करते हुए १८ सितम्बरको निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया :

इधर हालकी घटनाएँ मेरे लिए असह्य हो गई हैं। और इसमें मेरी असहायावस्था तो मेरे लिए और भी असह्य हो रही है। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि जब भी कोई ऐसा संकट उपस्थित हो जिसपर हमारा बस न चले और कष्ट असह्य हो जाये तब उपवास और प्रार्थना करनी चाहिए। अपने घनिष्ठ आत्मीयोंके सम्बन्धमें भी मैंने ऐसा ही किया है। मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि मेरे हर तरहके लिखने और कहनेसे भी हिन्दुओं और मुसलमानोंमें एकता नहीं हो सकती। इसीलिए मैं आजसे २१ दिनका उपवास प्रारम्भ करता हूँ, जो बुधवार, ८ अक्तूबरको पूरा होगा। अनशनके दिनोंमें सिर्फ पानी और उसके साथ नमक लेनेकी मैंने छूट रखी है। यह अनशन प्रायश्चित्तके रूपमें भी है और प्रार्थनाके रूपमें भी।

यदि उपवास केवल प्रायश्चित्त-रूप होता तो इसे सर्वसाधारणके सामने प्रकाशित करनेकी आवश्यकता न थी। परन्तु इस बातके प्रकट करनेका सिर्फ एक ही प्रयोजन है। मैं यह आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रायश्चित्त हिन्दू और मुसलमानोंके लिए, जो कि आजतक मेल-मिलापसे काम करते आये हैं, आत्मघात न करनेके लिए एक कारगर प्रार्थना सिद्ध हो। मैं तमाम जातियोंके नेताओंसे, अंग्रेजों तकसे, सविनय प्रार्थना करता हूँ कि वे धर्म और मनुष्यताके लिए लांछन-रूप इन झगड़ोंको मिटानेके हेतु एक जगह एकत्र होकर विचार करें। आज तो ऐसा जान पड़ता है, मानो हमने ईश्वरको सिंहासनसे उतार दिया है। आइए, हम फिर अपने हृदयरूपी सिंहासनपर उसे अधिष्ठित करें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २५-९-१९२४

१. यह वक्तव्य गांधीजीके निजी सचिवने सुबह दो बजे एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाको दिया था।

Gandhi Heritage Portal

१२४. पत्र : एनी बेसेंटको

दिल्ली
१८ सितम्बर, १९२४

प्रिय डा० बेसेंट,

पत्रके लिए धन्यवाद। आप मेरे उपवासकी बात जानती ही हैं, इसलिए मुझे २ अक्तूबरके[1] समारोहकी अध्यक्षताके सौभाग्यसे वंचित रहना पड़ेगा। किन्तु सन्देश भेजनेकी आशा तो करता ही हूँ।

कांग्रेस द्वारा इस संविधानके पास किये जानेके सम्बन्धमें मुझे बहुत-सी कठिनाइयाँ दिखाई देती हैं। किन्तु मैं इस विषयमें दूसरोंकी बात सुनने-समझनेको तैयार हूँ। जब कभी हम मिल पायेंगे, इसपर बातचीत करेंगे। मुझे इस उपवाससे किसी बुरे परिणामकी आशंका नहीं है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

१२५. पत्र : सी० एफ० एन्ड्र्यूजको

१८ सितम्बर, १९२४

प्रिय चार्ली,

तुम्हारा पत्र मिला। मैंने तुम्हारा प्रश्न समझा नहीं। बेशक, तुम्हारी बहन मलाबारके गरीबोंके लिए अपनी बुनी जुराबें भेज सकती हैं। इस सम्बन्धमें मैंने पहले जो बात कही थी और अब जो छूट दी है, उसके पूरे कारणोंकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। यह इसलिए कि मैं तुम्हारा दृष्टिकोण भी समझ सकता हूँ और जो एक-मात्र सबसे अच्छा नजरिया है, उससे अपने दृष्टिकोणका भी औचित्य सिद्ध कर सकता

१. एनी बेसेंटकी ७८वीं वर्षगांठ तथा उनके सार्वजनिक जीवनकी जयन्तीके उपलक्ष्यमें। वस्तुतः यह समारोह १ अक्तूबरको कावसजी जहाँगीर हॉल, बम्बईमें मनाया गया था। गांधीजीके सन्देशके लिए देखिए "सन्देश : एनी बेसेंटके जन्म-दिवसपर", १-१०-१९२४ से पूर्व।

Gandhi Heritage Portal

हूँ। कुछ भी हो, इसमें कोई विरोध अथवा पक्षपातपूर्ण भेद-भावकी बात नहीं है। यह तो विशुद्ध रूपमें कर्त्तव्यका प्रश्न है।

सस्नेह,

तुम्हारा,
मोहन

[पुनश्च :]

तुम्हें कल मेरा कार्ड अवश्य मिला होगा। मैं बिलकुल ठीक हूँ।

श्री सी० एफ० एन्ड्रयूज
शान्तिनिकेतन
बरास्ता-बोलपुर
ई० आई० रेलवे

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २६१६)की फोटो-नकलसे।

१२६. पत्र : राधा गांधीको

भाद्रपद बदी ५ [१८ सितम्बर, १९२४][1]

चि० राधा,

तुम्हारा पत्र आज मिला। मेरे २१ दिनके उपवासकी खबर तुमने सुनी होगी। कोई चिन्ता न करना। धर्मका पालन करते हुए यदि दुःख आ पड़े तो उसे सहन करना ही उचित है और इसमें प्रियजनोंको सुख मानना चाहिए। आशा है कि अब तुम्हारी तबीयत बिलकुल ठीक होगी। तुम क्या पढ़ती हो, क्या खाती हो, कितनी घूमती-फिरती हो, कातती हो अथवा नहीं, आदि सब बातें तुम्हें मुझे लिखनी चाहिए। रुखी क्या पढ़ती है, उसकी तबीयत कैसी रहती है, यह भी लिखना। मुझे अभी तो यहीं रहना होगा। यह पत्र सबको पढ़वा देना।

बापूके आशीर्वाद

चि० राधा
मार्फत — खुशाल गांधी
नवुं परुं, राजकोट
काठियावाड़

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३५) से।
सौजन्य : राधाबहन चौधरी

१. डाककी मुहरसे।

Gandhi Heritage Portal

१२७. महादेव देसाईके साथ बातचीत[1]

[१८ सितम्बर, १९२४][2]

[गांधीजी :] अच्छा महादेव, चौरीचौरा[3] और बम्बईके काण्डोंको लेकर जो उपवास किये, उन्हें तो तुम समझते हो?

[महादेव देसाई :] हाँ, जरूर।

फिर इस उपवासको क्यों नहीं समझ पाते?

उनमें तो आपने अपना दोष माना था, लेकिन यहाँ तो अपना दोष माननेका कोई कारण ही नहीं है। यहाँ आपने कुछ गुनाह किया है, ऐसा कौन कह सकता है?

हैं! यह कैसी नासमझी है? चौरीचौराके गुनहगार तो ऐसे लोग थे, जिन्होंने मुझे न कभी देखा था, न वे मुझे जानते थे। यहाँ तो वे लोग गुनहगार हैं जो मुझे जानते हैं, जो मुझपर प्रेम रखनेका दावा करते हैं।

शौकत अली और मुहम्मद अली तो हिन्दू-मुस्लिम झगड़ोंको रोकनेका प्रयत्न कर ही रहे हैं। कुछ लोग इनकी न सुनें तो वे क्या कर सकते हैं और आप भी क्या कर सकते हैं? यह तो समय बीतनेपर ही ठीक होगा।

यह तो तुमने दूसरी बात कही। शौकत अली और मुहम्मद अली तो कुन्दन हैं। वे पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन यह बाजी अब हमारे हाथमें नहीं है। छः महीने पहले थी। मैं जानता हूँ कि इस उपवाससे लोगोंके अन्तरमें खलबली मच जायेगी। लेकिन यह तो उसका अप्रत्यक्ष असर होगा। यह उपवास मैं किसीपर असर डालनेके लिए नहीं कर रहा हूँ।

लेकिन आपने अपना कोई गुनाह तो बताया ही नहीं।

गुनाह! कहा जा सकता है कि मैंने, हिन्दू जातिके साथ विश्वासघात किया है। मैंने हिन्दुओंसे मुसलमानोंको गले लगानेको कहा, उनकी पाक जगहोंकी रक्षाके लिए अपना तन, मन, धन-अर्पित कर देनेको कहा। आज भी उन्हें अहिंसाकी —— मारकर नहीं, बल्कि खुद मरकर झगड़ा शान्त करनेकी —— सीख दे रहा हूँ; और उसका परिणाम

१. जब गांधीजीने २१ दिनका उपवास रखनेका निश्चय किया तो उनके निकटके कई लोगोंने उनसे अपना निर्णय बदल लेनेके लिए आग्रह किया। इन लोगोंसे उनकी जो बातचीत हुई उससे उपवासके मर्मपर बहुत प्रकाश पड़ा। इन्हीं बातचीतोंके आधारपर महादेव देसाईने **यंग इंडिया**में "द इनर मीनिंग ऑफ द फास्ट" (उपवासका मर्म) और **नवजीवन**में "अे तपश्चर्यानो मर्म" (इस तपश्चर्याका मर्म) शीर्षकसे लेख लिखे। यह बातचीत गुजराती लेखसे ली गई है।

२. साधन-सूत्रसे।

३. देखिए खण्ड २१, पृष्ठ ४८५-८९ तथा खण्ड २२, पृष्ठ ४३८-४४।

Gandhi Heritage Portal

क्या देख रहा हूँ? कितने मन्दिर तोड़े गये! कितनी बहनोंने मेरे आगे फरियाद की है! कल ही मैंने हकीमजीसे कहा कि बहनें मुसलमान गुंडोंके डरसे आतंकित रहती हैं, कई जगहोंमें उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। . . .भाईका पत्र आया है। उनके बच्चोंपर जो बीती उसे क्या सहा जा सकता है? अब मैं किस मुँहसे हिन्दुओंसे कहूँ कि आप सहन करते चले जायें। मैंने तो उन्हें विश्वास दिलाया था कि मुसलमानोंके साथ प्रेम रखनेका फल मीठा ही होगा, परिणामका विचार किये बिना आप उनके साथ प्रेम करें। इस विश्वासको सही सिद्ध करनेकी शक्ति आज मुझमें नहीं रही, न मुहम्मद अली और न शौकत अलीमें ही रही। मेरी बात कौन सुनता है? फिर भी हिन्दुओंसे मुझे मरनेको ही कहना है। ऐसा मैं मरकर ही कर सकता हूँ, मरकर ही उसकी कुंजी बता सकता हूँ। और किस तरह बताऊँ?

मैंने असहयोग आन्दोलन शुरू किया। आज देखता हूँ कि अहिंसाकी गन्धको भी जाने बिना लोग एक-दूसरेके साथ असहयोग करने लगे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यह है कि मैं खुद ही अहिंसक नहीं हूँ। मेरी अहिंसा भी कोई अहिंसा है? अगर वह पराकाष्ठापर पहुँच जाती तो आज मैं जो हिंसा देख रहा हूँ वह देखनेको न मिलती। इसलिए मेरा उपवास प्रायश्चित्त है, तपश्चर्या है। मैं किसीको दोष नहीं देता। मैं तो अपनेको ही दोष दे रहा हूँ। मेरी शक्ति चली गई है। हार-थककर, अपनी शक्ति खोकर अब मुझे सिर्फ ईश्वरके ही दरबारमें अर्ज करना है। अब वही सुनेगा, दूसरा कौन सुननेवाला है?

किन्तु प्रायश्चित्तका मतलब क्या यही है -- ऐसा उपवास ही है? ऐसे उपवासका विधान हिन्दू-धर्ममें है क्या?

वाह! जरूर है! ऋषि-मुनि क्या करते थे? वे जो घोर तपस्या करते थे वह क्या वनमें फल-मूल खाकर करते थे? और हजारों वर्षकी तपस्या करने, गुफाओंमें जाकर तपस्या करनेकी बात सुनते हैं, सो क्या है? पार्वतीने अपर्णाव्रत लिया था, वह क्या था? तप-जपसे तो हिन्दू धर्म भरा पड़ा है।

जितना गहरा विचार इस उपवासके पीछे रहा है, उतना गहरा विचार पहलेके उपवासोंके पीछे शायद ही रहा हो। इस उपवासकी कल्पना तो जिस दिन मैंने असहयोग शुरू किया उसी दिनसे कर रखी थी। असहयोग प्रारम्भ करते समय मनमें ऐसा खयाल आया कि लोगोंके हाथमें मैं जैसा भयंकर शस्त्र दे रहा हूँ, यदि इसका दुरुपयोग हुआ तब? तो प्राणोंकी बलि देनी होगी। आज वह समय आ गया है। आजतकके उपवासोंके उद्देश्य तो सीमित थे। इस बारके उपवासका उद्देश्य विश्वव्यापी है। इसमें प्रेमका पारावार उमड़ रहा है और मैं इस समुद्रमें आज नहा रहा हूँ।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २८-९-१९२४

Gandhi Heritage Portal

१२८. तार: चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको[1]

[१८ सितम्बर, १९२४ या उसके पश्चात्]

उपवास छोड़नेका मतलब तो अपने-आपको नकारना होगा। उपवास मरनेके लिए नहीं, जीनेके लिए कर रहा हूँ। ईश्वरकी मर्जी कुछ और हो तो दूसरी बात है। चिन्ता न करें।

गांधी

हिन्दू, २९-९-१९२४

१२९. तार[2]

[१८ सितम्बर, १९२४ के पश्चात्]

तार अभी मिला। ईश्वरने चाहा तो इक्कीस दिन बाद भी निश्चय ही जीवित रहनेकी आशा। इरादा चालीस दिन उपवास करनेका था। किन्तु बहुत कष्टके बिना ही इसे पूरा कर लूं, इस आशासे इक्कीस दिन ही रखना तय किया। ऐसा निर्णय करने तथा मित्रोंकी सलाह न लेनेका पूरा कारण है। जो स्पष्ट कर्त्तव्य हो उसका पालन चाहे जितना कष्टकर हो, उसपर चिन्ता नहीं करनी चाहिए। उपवास धर्मकी मेरी कल्पनाका सीधा परिणाम है।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०१७८) की फोटो-नकलसे।

१. यह राजगोपालाचारीके १८ सितम्बरके उस तारके उत्तरमें भेजा गया था जिसमें उन्होंने गांधीजीसे उपवास छोड़नेका अनुरोध करते हुए लिखा था: आपके वर्तमान स्वास्थ्यको देखते हुए उसका (उपवासका) अर्थ मृत्युके सिवा और कुछ नहीं होगा।

२. इस तारका मसविदा १८ सितम्बरको सी० एफ० एन्ड्रयूज द्वारा महादेव देसाईको भेजे गये पत्रके पीछे लिखा गया था।

Gandhi Heritage Portal

१३०. ईश्वर एक है[1]

१९ सितम्बर, १९२४

पिछले गुरुवारकी रातको पहलेसे वक्त मुकर्रर करके कुछ मुसलमान मित्र मुझसे मिलने आये थे। उनमें मुझे ईमानदारी और सचाई दिखाई देती थी। शुद्धि और संगठनके खिलाफ उन्हें बहुत कुछ कहना था। मैं इन आन्दोलनोंके बारेमें अपने विचार पहले ही प्रकट कर चुका हूँ।[2] जहाँतक हो सके, उपवासके इन विशेष दिनोंमें, मैं विवादास्पद विषयोंपर कुछ भी नहीं कहना चाहता। यहाँ तो मैं उनके बताये एकताके उपायकी ओर पाठकोंका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, "हम 'वेदों' की अपौरुषेयताको मानते हैं। हम श्रीकृष्णजी महाराज और रामचन्द्रजी महाराज (विशेषण उन्हींके हैं) को भी मानते हैं। फिर हिन्दू 'कुरान' को दैवी मानकर हमारे साथ यह क्यों नहीं कहते कि खुदा केवल एक है और मुहम्मद उसका पैगम्बर है? हमारा मजहब वर्जनशील नहीं है, वह तो तत्त्वतः ग्रहणशील और व्यापक है।"

मैंने उनसे कहा कि उनका उपाय उतना आसान नहीं जितना कि वे बताते हैं। उनका यह सूत्र चाहे कुछ सुशिक्षित लोगोंके लिए ठीक हो, पर सामान्य लोगोंके लिए वह काम न देगा। क्योंकि हिन्दुओंकी दृष्टिमें गो-रक्षा और रास्तेमें मसजिद हो तो भी वाद्य और संगीतके साथ हरि-कीर्तन करते हुए जाना हिन्दू-धर्मका सार है और मुसलमानोंके खयालमें गो-वध और बाजे बजानेपर रोक इस्लामका सार-सर्वस्व है। इसलिए यह जरूरी है कि हिन्दू लोग मुसलमानोंको गो-कुशी छोड़ देनेपर मजबूर करना छोड़ दें और मुसलमान लोग हिन्दुओंको बाजे बन्द करनेपर लाचार करना छोड़ दें। गो-कुशी और बाजे बजानेके नियमनका काम दोनों जातियोंके सद्भावपर छोड़ दिया जाये। ज्यों-ज्यों दोनोंमें सहनशीलताके भाव बढ़ते जायेंगे, त्यों-त्यों ये दोनों रिवाज अपने-आप सही रूप धारण कर लेंगे। पर मैं इस नाजुक सवालकी चर्चा यहाँ अधिक विस्तारसे नहीं करना चाहता।

मैं तो यहाँ उन मुसलमान मित्रोंके बताये आकर्षक सूत्रपर विचार करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि उसमें से कमसे-कम मैं क्या मान सकता हूँ; और चूँकि मेरा मन पूरी तरहसे वैसा ही है जैसा एक हिन्दूका होता है, मैं जानता हूँ कि इसपर मैं जो-कुछ कहूँगा वह हिन्दुओंके एक विशाल समुदायको भी पसन्द होगा।

१. मूल अंग्रेजी लेखके आरम्भमें महाकवि गेटेके फॉस्टसे एक उद्धरण दिया गया था। उसकी अन्तिम पंक्तियाँ, जिनमें उसका सारांश आ जाता है, इस प्रकार हैं: मैं उसे कोई नाम नहीं दे सकता? अनुभूति ही सब-कुछ है! नाम तो केवल शब्द है, वह तो धुआँ है—ऐसा कुहासा है जो उस स्वर्गिक ज्योतिको आवृत्त करता है।

२. देखिए "हिन्दू-मुस्लिम एकता", १४-९-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

सच पूछिए तो औसत दर्जेके मुसलमान ही 'वेदों' तथा दूसरे हिन्दू धर्म-ग्रन्थोंकी अपौरुषेयताको या कृष्ण अथवा रामके पैगम्बर या अवतार होनेकी बातको कुबूल नहीं करेंगे। हिन्दुओंके लिए तो 'कुरान शरीफ' या पैगम्बर साहबको भला-बुरा कहनेकी रीति एक बिलकुल ही नयी चीज है जो अभी-अभी शुरू हुई है। हिन्दुओंकी जमातमें मैंने पैगम्बर साहबके प्रति आदरभाव देखा है। यहाँतक कि हिन्दुओंके कुछ गीतोंमें भी इस्लामकी तारीफ पाई जाती है।

अब सूत्रके पहले भागको लीजिए। ईश्वर वाकई एक और अद्वितीय है। वह अगम, अगोचर और मानव-जातिके अधिकांशके लिए अज्ञात है। वह सर्वव्यापी है। वह बिना आँखोंके देखता है, बिना कानोंके सुनता है। वह निराकार और अखण्ड है। वह अजन्मा है, उसके न माता है, न पिता है, न सन्तान—फिर भी वह पिता, माता, पत्नी या सन्तानके रूपमें पूजा ग्रहण करता है। यहाँतक कि वह काष्ठ और पाषाणके रूपमें भी पूजा-अर्चनाको अंगीकार करता है, हालाँकि वह न तो काष्ठ है, न पाषाण ही। वह हाथ नहीं आता—पकड़में आता दिखता है और निकल जाता है। अगर हम उसे पहचान सकें तो वैसे वह हमारे बिलकुल नजदीक है। पर यदि हम उसकी सर्व-व्यापकताको अनुभव न करना चाहें तो, वह हमसे अत्यन्त दूर है। 'वेद'में अनेक देवता हैं। दूसरे धर्म-ग्रन्थ उन्हें देव-दूत आदि दूसरे नाम देते हैं। पर 'वेद' एक ही ईश्वरका गुण-गान करते हैं।

मुझे 'कुरान'को ईश्वर-प्रेरित माननेमें कोई संकोच नहीं होता, जिस प्रकार कि 'बाइबिल,' 'जेन्द-अवेस्ता,' या 'ग्रन्थ साहब' तथा दूसरे पुण्य-धर्मग्रन्थोंको माननेमें नहीं होता। ज्ञानका ईश्वरकृत प्रकाश किसी एक ही राष्ट्र या जातिकी सम्पत्ति नहीं है। यदि मुझे हिन्दू-धर्मका कुछ भी ज्ञान है, तो वह मूलतः ग्रहणशील, सदा वर्द्धमान और परिस्थितिके अनुरूप नवीन रूप धारण करनेवाला है। उसमें कल्पना, अनुमान और तर्कके लिए पूरी-पूरी गुंजाइश है। 'कुरान' और पैगम्बर साहबके प्रति आदर-भाव उत्पन्न करनेमें मुझे हिन्दुओंके नजदीक कभी जरा भी दिक्कत महसूस नहीं हुई। पर हाँ, मुसलमानोंके अन्दर वही आदर-भाव 'वेदों' और अवतारोंके प्रति उत्पन्न करनेमें मैंने अलबत्ता दिक्कत अनुभव की है। दक्षिण आफ्रिकामें मेरे एक बहुत अच्छे मुसलमान मुवक्किल थे। अफसोस है, अब वे दुनियामें नहीं रहे। हमारा वकील-मुवक्किलका रिश्ता आगे चलकर घनिष्ठ मैत्री और पारस्परिक आदरभावका हो गया था। हम बहुत बार धार्मिक चर्चाएँ भी किया करते थे। मेरे वे मित्र किसी अर्थमें विद्वान् तो नहीं कहे जा सकते, पर उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। वे 'कुरान'की सब बातें जानते थे। उन्हें दूसरे धर्मोंकी भी कुछ बातोंका ज्ञान था। मुझे इस्लाम स्वीकार करानेमें वे दिलचस्पी रखते थे। मैंने उनसे कहा, "मैं 'कुरान शरीफ' और पैगम्बर साहबके प्रति पूरा-पूरा आदर-भाव रख सकता हूँ; पर आप 'वेदों' और अवतारोंको न माननेका इसरार क्यों करते हैं? उन्हींकी मददसे तो मैं आज जो कुछ हूँ, हो पाया हूँ। 'भगवद्गीता' और तुलसी-दासकी 'रामायण'से मुझे अपार शान्ति मिलती है। मैं खुल्लमखुल्ला कबूल करता हूँ कि 'कुरान', 'बाइबिल' तथा दुनियाके अन्यान्य धर्मोंके प्रति मेरा अति आदर-

Gandhi Heritage Portal

भाव होते हुए भी मेरे हृदयपर उनका उतना असर नहीं होता जितना कि श्रीकृष्णकी 'गीता' और तुलसीदासकी 'रामायण' का होता है।" तब वे मुझसे ना-उम्मीद हो गये और उन्होंने बेहिचक मुझसे कहा कि आपके दिमागमें जरूर कुछ गड़बड़ है। यह एक उनकी ही मिसाल नहीं। उसके बाद ऐसे कितने ही मुसलमान मित्रोंसे मेरी मुलाकात हुई, जो ऐसे ही विचार रखते हैं। फिर भी मैं मानता हूँ कि यह मनःस्थिति चन्दरोजा है। मैं जस्टिस अमीरअलीके इस विचारसे सहमत हूँ कि हारूँ-अल-रशीद और मामूँ के जमानेमें इस्लाम दुनियाके तमाम मजहबोंमें सबसे ज्यादा सहिष्णु था। पर आगे चलकर उनके जमानेके धर्म-गुरुओंकी उदार-वृत्तिके खिलाफ प्रतिक्रिया शुरू हुई। प्रतिक्रियावादियोंमें भी बड़े विद्वान् और प्रभावशाली लोग थे और उनके प्रभावने इस्लामके उदार और सहिष्णु धर्मगुरुओं और तत्त्ववेत्ताओंकी शिक्षाको प्रायः दबा दिया। भारतमें उस प्रतिक्रियाके दुष्परिणाम हम आज भी भुगत रहे हैं। लेकिन इस बातमें तिल-मात्र भी सन्देह नहीं है कि इस्लामके अन्दर इस अनुदारता और असहिष्णुताको निकाल डालनेकी पूरी-पूरी क्षमता है। हम बड़ी तेजीसे उस दिनके नजदीक पहुँच रहे हैं जबकि इन मित्रोंका सुझाया सूत्र सारी मनुष्य-जातिको मान्य हो जायेगा। इस समय आवश्यकता इस बातकी नहीं कि सबका धर्म एक बना दिया जाये, बल्कि इस बातकी है कि भिन्न-भिन्न धर्मोंके अनुयायी और प्रेमी परस्पर आदर-भाव और सहिष्णुता रखें। हम निष्प्राण एकरूपता नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं, विविधतामें एकता। पूर्व परम्पराओं तथा आनुवंशिक संस्कार, जलवायु और दूसरी आसपासकी बातोंके प्रभावको उन्मूलित करनेका प्रयत्न निश्चय ही विफल होगा और ऐसा प्रयत्न करना अधर्म होगा। सब धर्मोंकी आत्मा एक है; हाँ, वह भिन्न-भिन्न रूपोंमें मूर्तिमान होती है। रूपोंकी यह विविधता कालके अन्ततक कायम रहेगी। इसलिए जो बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, वे तो ऊपरी कलेवरपर ध्यान न देकर भिन्न-भिन्न रूपोंमें उसी एक आत्माका दर्शन करेंगे। हिन्दुओंके लिए यह आशा करना कि इस्लाम, ईसाई-धर्म और पारसी-धर्म हिन्दुस्तानसे निकाल दिया जा सकेगा, एक निरर्थक स्वप्न है और इसी तरह मुसलमानोंका भी यह उम्मीद करना कि किसी दिन अकेले उनके काल्पनिक इस्लामका राज्य सारी दुनियामें हो जायेगा, कोरा ख्वाब है। पर अगर इस्लामके लिए एक ही खुदाको तथा उनके पैगम्बरोंकी अनन्त परम्पराको मानना काफी होता हो तो हम सब मुसलमान हैं, इसी तरह हम सब हिन्दू और ईसाई भी हैं। सत्य किसी एक ही धर्म-ग्रन्थकी ऐसी सम्पत्ति नहीं है जो अन्यत्र हो ही नहीं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २५-९-१९२४

Gandhi Heritage Portal

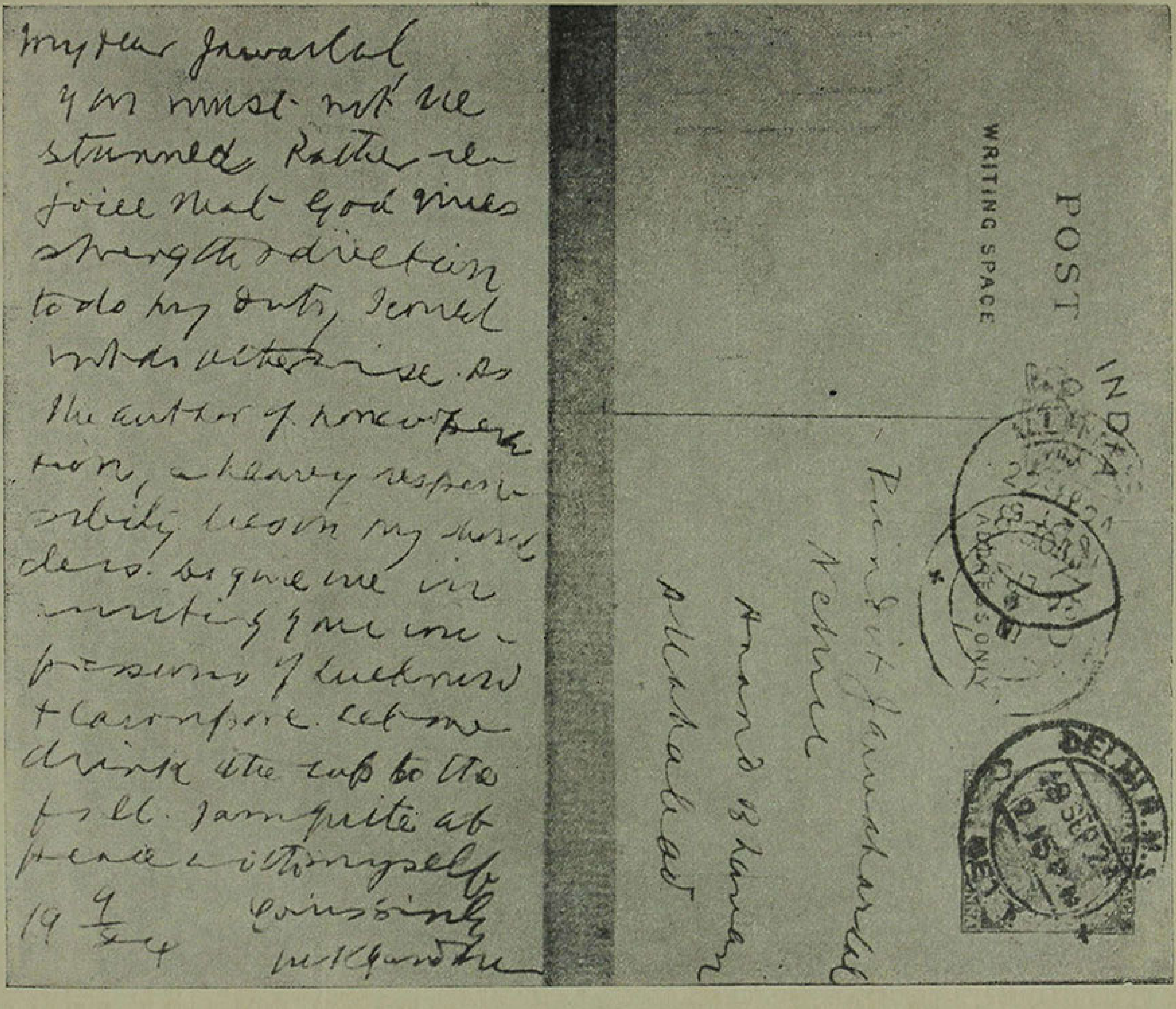

My dear Jawaharlal

You must not be stunned. Rather rejoice that God gives strength & direction to do my duty. I could not do otherwise. As the author of non-co-operation, a heavy responsibility lies on my shoulders. So give me in writing your impressions of Lucknow & Cawnpore. Let me drink the cup to the full. I am quite at peace with myself.

19/9/24

Yours sincerely

M. K. Gandhi

POST

WRITING SPACE

INDIA

ADDRESS ONLY

Pundit Jawaharlal Nehru

Anand Bhavan

Allahabad

"पत्र : जवाहरलाल नेहरूको", (१९-९-२४)

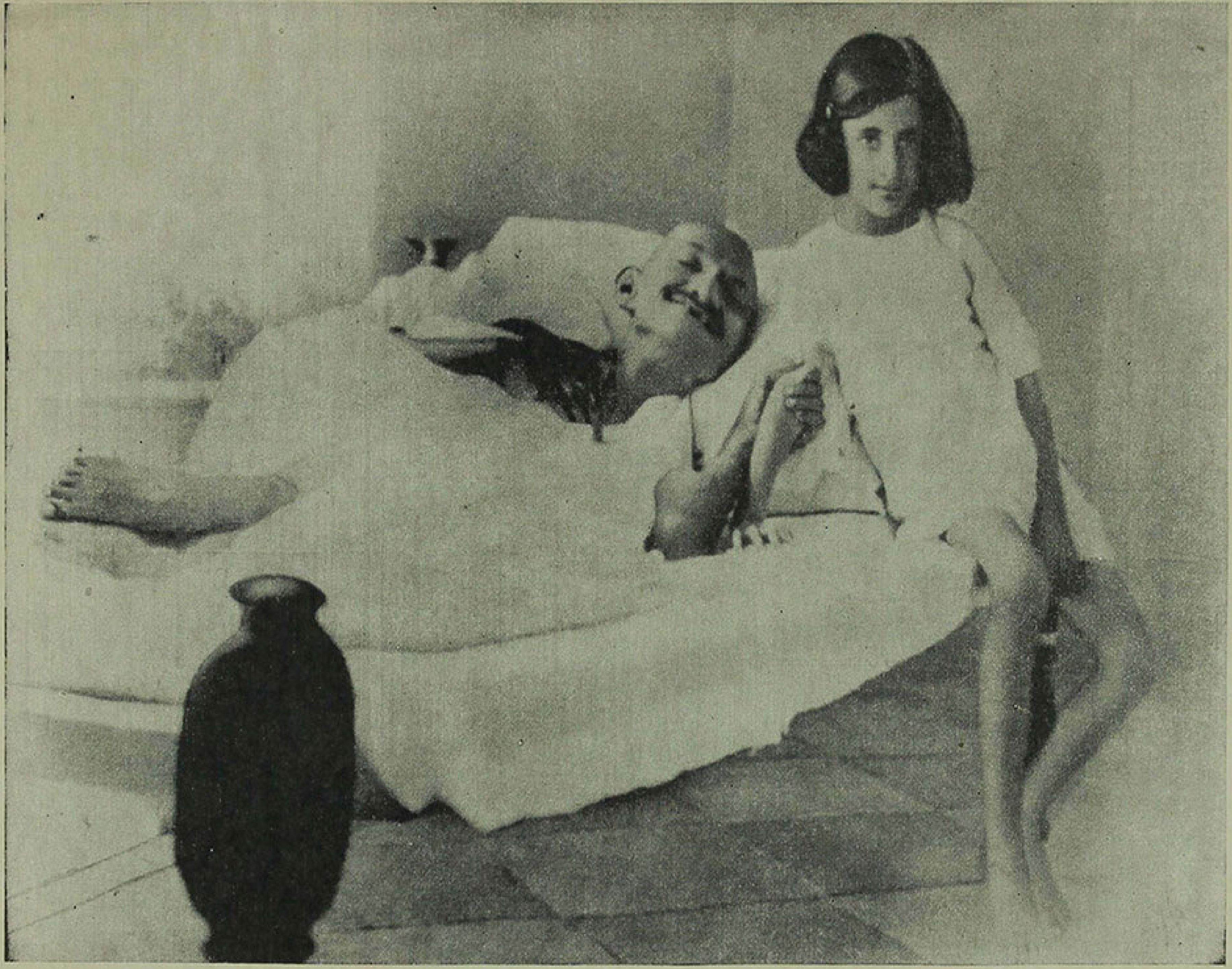

उपवासके दिनोंमें, इन्दिराके साथ

Gandhi Heritage Portal

१३१. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको[1]

१९ सितम्बर, १९२४

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हें स्तब्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी मनाओ कि ईश्वर मुझे अपना कर्त्तव्य-पालन करनेका बल और आदेश दे रहा है। मैं और कुछ कर ही नहीं सकता था। असहयोगके प्रवर्तककी हैसियतसे मेरे कन्धोंपर अधिक जिम्मेदारी है। लखनऊ और कानपुरके बारेमें अपने विचार मुझे जरूर लिख भेजो। मुझे यह प्याला पूरा पी लेने दो। मुझे पूर्ण आन्तरिक शान्ति है।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स

१३२. पत्र : लक्ष्मीको

[१९ सितम्बर, १९२४][2]

चि० लक्ष्मी,

यह पत्र भी सबके लिए है। लेकिन बच्चोंकी तरह लक्ष्मीको अच्छी लड़की कहूँ या बुरी? वह वचन तो देती है पर पत्र नहीं लिखती —— यह कैसी बात? मैं तो तुमसे सुन्दर अक्षरोंमें लिखे पत्रकी उम्मीद करता हूँ। मैं उपवासमें भी सब बच्चोंको याद करता हूँ और मेरे मनमें प्रश्न उठते हैं, "क्या सब बच्चे नियमसे कातते हैं? पढ़ते हैं? सच बोलते हैं? नियमोंका पालन करते हैं?" मुझे इन सब प्रश्नोंका उत्तर कौन देगा?

मुझे उपवाससे बहुत शान्ति मिलती है। मेरी चिन्ता किसीको भी नहीं करनी चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

चि० लक्ष्मी
सत्याग्रह आश्रम, साबरमती

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ५६४५) से।
सौजन्य : छगनलाल गांधी

१. देखिए पृष्ठ १९२ के सामनेका चित्र।
२. डाककी मुहरसे।

Gandhi Heritage Portal

१३३. शौकत अलीसे बातचीत[1]

[१९ सितम्बर, १९२४][2]

मौलाना शौकत अली अगले दिन आये। मौलाना मुहम्मद अलीने उनके आगमनपर बड़े-बड़े मंसूबे बाँध रखे थे, क्योंकि उन्होंने यही मान रखा था कि वे गांधीजीको शायद, अपने निश्चयसे डिगा देंगे। दरअसल, गांधीजीने उनसे वादा किया था कि अगर शौकत अली या खुद वे उन्हें इस बातकी प्रतीति करा दें कि उनका उपवास करना नैतिक अथवा किसी भी दृष्टिसे गलत है तो वे अपना संकल्प छोड़ देंगे। किन्तु, जहाँतक उपवास जारी रखनेका सम्बन्ध था, उनके साथ हुई लम्बी बातचीतका कोई नतीजा नहीं निकला। हाँ, उससे उपवासका भीतरी अर्थ और भी स्पष्ट अवश्य हुआ।

[शौकत अली:] महात्माजी, इस स्थितिका निराकरण करनेके लिए हमने सचमुच क्या किया है? लगभग कुछ नहीं। अपने अखबारके जरिये तो आप लोगोंसे अपनी बात अवश्य कहते रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपने अभीतक कोई लम्बा दौरा नहीं किया है। तो कृपया आप प्रभावित क्षेत्रोंका दौरा करके वातावरणको शान्त और निर्मल बनायें। यह उपवास तो इस गलतीको दूर करनेका तरीका नहीं है।

[गांधीजी:] मेरे लिए तो यह विशुद्ध रूपसे एक धार्मिक प्रश्न है। मैंने अपने आसपास देखा, अपने मनको पूछा, टटोला और पाया कि मैं असमर्थ हूँ। लम्बी यात्रा करके भी मैं क्या कर सकता था? आज जनसाधारण हमें सन्देहकी दृष्टिसे देखता है। आप यह भी न समझिए कि दिल्लीके हिन्दुओंका मुझपर पूरा विश्वास है। उन्होंने मुझसे मध्यस्थता करनेके लिए भी एक-मत होकर नहीं कहा और यह स्वाभाविक ही था; क्योंकि हत्याएँ भी हुई हैं। जिन्होंने दुःख उठाया है, वे मेरी सुनेंगे, यह आशा मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो उनसे उन लोगोंको माफ कर देनेको ही कहूँगा जिन्होंने उनके सगे-सम्बन्धियोंका खून किया है। लेकिन यह किसको स्वीकार होगा? अंजुमन भी तो हकीम साहबकी नहीं सुन रहा है। जब हम लोग उनके मामलेकी मध्यस्थता करनेके विषयमें सोच-विचार कर रहे थे, मैंने कोहाटके बारेमें सुना। मैंने अपने-आपसे पूछा, "अब तुम क्या करने जा रहे हो?" मैं अदम्य आशावादी आदमी हूँ, लेकिन मेरी आशा बराबर ठोस तथ्योंपर आधारित होती है। आप भी वैसे ही आशावादी हैं, लेकिन आप अपनी आशाका महल कभी-कभी बालूकी नींवपर भी खड़ा कर देते हैं। सच मानिए, आज आपकी कोई नहीं सुनेगा। गुजरातमें

१. महादेव देसाईकी डायरीमें छपे "द इनर मीनिंग ऑफ द फास्ट" (उपवासका मर्म) शीर्षक लेखसे उद्धृत।

२. **नवजीवन**के २८-९-१९२४ के अंकमें दी गई तिथि।

Gandhi Heritage Portal

वीसनगरमें श्री अब्बास तैयबजी और महादेवके पल्ले भी बेरुखी ही पड़ी। अहमदाबादमें भी आग भड़कने जा रही थी, लेकिन उसे प्रारम्भमें ही शमित कर दिया गया। जब मैं गुजरातसे चला, उस समय उमरेठमें कुछ मुसीबत खड़ी हो रही थी। मुझे हाथपर-हाथ धरे चुपचाप यह सब देखना पड़े, इससे प्रकट होता है कि मैं कितना असमर्थ हूँ। मैं अब भी सैकड़ों बहनोंके स्नेह-सौजन्यका भाजन हूँ। आज वे भयके मारे मरी जा रही हैं। मैं खुद ही एक उदाहरण पेश करके उन्हें मरनेका रास्ता दिखाना चाहता हूँ।

अगर दोनों जातियोंके बीच खरी, खुली और ईमानदारी तथा बहादुरीकी लड़ाई हो तो लड़ाईकी मुझे कोई चिन्ता नहीं। लेकिन आज तो यह लड़ाई लड़ाई नहीं, घोर कायरताकी शर्मनाक कहानी है। लोग पथराव करते हैं और भाग जाते हैं, हत्या करते हैं और भाग खड़े होते हैं। वे अदालतोंमें जाते हैं, झूठी गवाहियाँ देते हैं, झूठे सबूत पेश करते हैं। कितनी दर्दनाक स्थिति है? मैं कैसे, किस तरह उन्हें बहादुर बनाऊँ? आप अपने तईं पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे भी तो अपने-भर पूरी कोशिश करनी चाहिए। मुझे वह शक्ति प्राप्त करनी ही है, जिससे मैं उन्हें प्रभावित कर सकूं।

नहीं, आप असफल नहीं हुए हैं। उन्होंने आपकी बात सुनी थी; वे आपकी बात सुन भी रहे थे। लेकिन आपकी अनुपस्थितिमें उन्हें सलाह देनेवाले दूसरे लोग भी तो थे। उन्होंने उनकी बात सुनी और गलत रास्ता अख्तियार कर लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि वे अब भी अपनी गलती महसूस करेंगे। जनसाधारणके मनमें जहर कम करनेके लिए आपने बहुत-कुछ किया है। मैं तो इन उपद्रवोंकी कोई परवाह नहीं करूँगा। मैं तो सीधे उनसे जाकर कहूँगा, "शैतानो, यह शैतानियतका खेल जी भरकर खेल लो। लेकिन सबके ऊपर खुदा बराबर बैठा हुआ है। तुम एक-दूसरेको भले ही मार डालो, लेकिन उसे नहीं मार सकते।" तो प्यारे भाई, खुदाके आड़े न आइए। आप तो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अब वह होने दीजिए, जो वह चाहता है।

तो क्या मैं उससे लड़ रहा हूँ? अगर मुझमें कोई अभिमान या अहम् है तो वह अब समाप्त हो चुका है। सच मानो प्यारे भाई, यह उपवास मैंने निरन्तर कई दिनतक प्रार्थना करते रहनेके बाद ही शुरू किया है। मैंने रातके तीन-तीन बजेतक जगकर उससे पूछा है कि बताओ, अब क्या करूँ। १७ सितम्बरको उसका जवाब मेरे सामने बिजलीकी तरह कौंध गया। अगर मैंने गलती की है तो वह मुझे माफ करेगा। मैंने जो-कुछ भी किया है, जो-कुछ कर रहा हूँ, पूरी तरह मनमें उसका भय रखते हुए किया है, और कर रहा हूँ। और सो भी कहाँ? खुदासे डरकर चलनेवाले एक मुसलमानके घर। मेरा धर्म मुझे यह सिखाता है कि जो कष्ट-सहनके लिए तैयार है, वही ईश्वरसे प्रार्थना कर सकता है, याचना कर सकता है। मेरे धर्ममें उपवास और प्रार्थना दोनों एक ही तरहके विधान हैं। लेकिन, मैं तो इस्लाममें भी ऐसे तपके बारेमें जानता हूँ। मैंने पैगम्बर साहबकी जीवनीमें पढ़ा है कि वे अकसर उपवास और प्रार्थना किया करते थे, लेकिन दूसरोंको अपनी नकल

Gandhi Heritage Portal

करनेसे मना करते थे। किसीने उनसे पूछा कि जो चीज आप खुद करते हैं, उसे दूसरोंको क्यों नहीं करने देते। उनका उत्तर था: "क्योंकि मैं दैवी पोषणपर जीता हूँ।" उनकी बड़ी-बड़ी उपलब्धियोंमें से अधिकांश उपवास और प्रार्थनाका परिणाम थीं। मैंने उनसे यह सीखा है कि जिसका ईश्वरमें अनन्त विश्वास हो वही उपवास कर सकता है। पैगम्बर साहबको इलहाम ऐशो-आरामकी घड़ियोंमें नहीं हुआ करते थे। वे उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे, लगातार कई राततक जागते रहते थे और जब उन्हें इलहाम होता था उस समय वे सारी रात खड़े रहते थे। इस समय भी मैं अपने सामने उपवास और प्रार्थनारत पैगम्बर साहबका चित्र देख रहा हूँ। भाई शौकत, मैं यह सहन नहीं कर सकता कि लोग आपपर और आपके भाईपर मेरे साथ किये गये वादेको तोड़नेका इलजाम लगायें। आपपर ऐसा आरोप लगाया जाये, इस बातका खयाल भी मेरे लिए असह्य है। मुझे इसके लिए मर मिटना चाहिए। यह उपवास मैं सिर्फ अपनी शुद्धिके लिए, शक्ति प्राप्त करनेके लिए कर रहा हूँ। मुझे गलत न समझें। मैं आपसे इस तरह बातें कर रहा हूँ, मानो मैं मुसलमान होऊँ। इसका कारण यह है कि मैंने अपने मनमें इस्लामके प्रति वही श्रद्धा जगा ली है जो आपमें है। इस्लामके प्रति अपनी समस्त श्रद्धाका विश्वास दिलाते हुए मैं कहूँगा कि उपवास और प्रार्थनाके बाद मुझमें दोनों जातियोंको अपनी बात समझानेकी ज्यादा ताकत आ जायेगी। यह मेरा अपना पक्का विश्वास है कि शरीरको जितना ही तपाया जाये, आत्माका रंग उतना ही निखरता है। हमें हुल्लड़बाजीके खिलाफ लड़ना है, उसे रोकना है पर अभी हममें उसके लिए अपेक्षित पर्याप्त आत्मिक शक्ति नहीं है।

यहाँ आकर शौकत अलीने अपनी दलीलका रुख बदल दिया।

क्या यह सोचना भी आपका फर्ज नहीं है कि आपके इस लम्बे उपवाससे देशको कितना बड़ा सदमा पहुँचेगा?

नहीं, बिलकुल नहीं। क्योंकि आदमी बहुत बार अपने-आपको धोखा देता है। वह अकसर दूसरोंको खुश करनेके लिए ऐसे काम करता है, जिससे उसे बचना चाहिए। इसलिए मनुष्यके लिए धर्मकी सीख यही है कि कोई संकल्प लेनेके बाद वह दुनियाके सामने उसपर दृढ़ रहकर खड़ा रहे। और यह कितना बड़ा मिथ्याभिमान है कि कोई सोचे कि दुनिया उसकी भारी तपस्या देखकर स्तब्ध रह जायेगी। और हम किस-किसकी इच्छाका खयाल रखें? इसका तो कहीं अन्त ही नहीं है। अगर राम सलाह लेने और दलील करनेके लिए रुके रहते तो वे कभी भी वनवासको न जाते और धरतीके दुःख दूर नहीं कर पाते। वे किसीकी सलाहके लिए नहीं रुके। बस, निकल पड़े। क्यों? क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञाको अपने जीवनसे अधिक मूल्यवान मानते थे। कोई भी बड़ा संकल्प वही आदमी कर सकता है जिसकी ईश्वरमें प्रबल आस्था हो और जो ईश्वरसे डरकर चलनेवाला हो।

एक बात और। क्या ऐसा निश्चय करनेसे पहले आपको किसीसे सलाह नहीं कर लेनी चाहिए? क्या आपके लिए इसका भी खयाल करना जरूरी नहीं कि आपके स्वास्थ्य और शरीरपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

Gandhi Heritage Portal

नहीं, मैं इसकी कोई जरूरत नहीं समझता। यह तो मेरे और ईश्वरके बीचकी बात है। और अगर मुझे किसीसे सलाह लेनी ही चाहिए तो बेहतर यही होता कि मैं यह प्रतिज्ञा करता ही नहीं। आप मेरे शरीर और स्वास्थ्यपर इसके प्रभावकी बात करते हैं, तो सुनिए, अगर मैं इतना दुर्बल हूँ कि इसे बरदाश्त नहीं कर सकता तो मर जाऊँगा। यह शरीर किस कामका है? जब मैं जेलमें था, मैंने आनन्दसे आह्लादित हो-होकर पैगम्बर साहबके साथियोंकी जीवनियाँ पढ़ीं। कहते हैं, एक बार हजरत उमरने किसीको उपहार-स्वरूप ५०० दीनार भेजे। उन्हें देखकर उसका मन काँप गया और वह रोने लगा। उसकी पत्नीने पूछा कि क्यों रो रहे हो? उसने जवाब दिया, "मेरे पास माया आई है। अब मेरा क्या होगा?" यह उपहार हजरत उमर-जैसे पाक आदमीने भेजा था। फिर भी उसे देखकर वह काँप उठा, क्योंकि वह माया थी, नश्वर पदार्थ था। जीवन भी वैसा ही है। अगर ईश्वरको अब भी इस शरीरसे कुछ काम लेना हो तो वह इसे कायम रखे। और उसे इससे जो काम लेना था, वह अगर वह ले चुका हो तो फिर इसे नष्ट हो जाने दे। दरअसल तो मैंने ऐसा सोचा था कि अगर उपवासकी यह अवधि पूरी होनेतक स्थिति नहीं सुधरती तो मैं स्थायी उपवासका व्रत लूँगा। हकीमजीने मुझसे ऐसा विचार मनमें न लानेको कहा। इसपर मैंने कहा, "लेकिन, मैं इसे अपने मनसे कैसे निकाल सकता हूँ?" यह मेरी रग-रगमें समाया हुआ है, यह मेरे अस्तित्वका अंश है। अगर मुसलमान हिन्दुओंके साथ सद्भावना स्थापित करना अपने धर्मके विरुद्ध नहीं मानते तो उन्हें उनके साथ सद्भावना स्थापित करनी चाहिए। अगर वे ऐसा मानते हों और मुझसे ऐसा कहें कि नहीं, यह हमारे धर्मके विरुद्ध है तो मेरा निश्चित मत है कि फिर मेरे जीवित रहनेका कोई कारण नहीं रह जायेगा। उस हालतम तो मुझे मर ही जाना चाहिए। अभी पिछले दिनों ख्वाजा अहमद निजामी साहबसे भी मेरी साफ-साफ बातचीत हुई। मैंने उनसे कहा, "आप लावारिस बच्चों और अस्पृश्योंको ही मुसलमान क्यों बनाते हैं? अच्छा हो आप मुझे मुसलमान बनायें ताकि जब मैं इस्लामको स्वीकार कर लूँ तो दूसरे बहुत-से लोग भी मेरा अनुकरण करें। वे बेचारे इस्लाम कबूल करेंगे तो कुछ इस कारणसे नहीं कि वे उसकी खूबियोंको समझते हैं, उसके कारण तो कुछ और ही होंगे। इन लोगोंके मुसलमान बन जानेसे इस्लाम रंचमात्र भी समृद्ध नहीं होगा।

यह बातचीत बहुत ही प्रभावित करनेवाली थी। मैं इसके साथ न्यूनतम न्याय भी नहीं कर पाया हूँ। शौकत अली तो बिलकुल अभिभूतसे दिखाई पड़ रहे थे। वहाँसे उठते हुए उन्होंने कहा, "तीन बातोंके लिए मैं रोज ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ। एक तो है हिन्दू-मुस्लिम एकता; दूसरी यह कि मेरी माँ इस्लाम और भारतको आजाद देखनेके लिए जीवित रहे और तीसरी यह कि महात्मा गांधीका व्रत पूरा हो।"

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २३-१०-१९२४

Gandhi Heritage Portal

१३४. तार : 'आउट लुक'को[1]

[१९ सितम्बर, १९२४ या उसके पश्चात्]

आउट लुक
लाहौर

तारके लिए धन्यवाद। [प्रचार-संघर्षमें] अस्थायी विराम समस्याका पूरा समाधान नहीं। आवश्यकता इस बातकी है कि हिन्दुओं और मुसलमानों दोनोंके अखबारोंमें से अतिशयोक्ति, मिथ्या-प्रचार तथा उत्तेजनाका विष जड़से समाप्त हो। मैं पैबन्द लगी कृत्रिम एकताके लिए नहीं बल्कि हृदयोंकी एकताके लिए जीना चाहता हूँ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अपना प्रयत्न उसी एकताकी सिद्धिमें लगायें।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४९३) की माइक्रोफिल्मसे।

१३५. टिप्पणियाँ

२० सितम्बर, १९२४

कताईमें मासिक बढ़ती

कातनेवालोंकी संख्या २,७८० से बढ़कर एक महीनेमें ही ४,९०८ तक पहुँच जाना कोई बुरी प्रगति नहीं है। पाठक इस बातपर गौर करें कि सदस्यों और गैर-सदस्यों, दोनोंकी संख्यामें काफी बढ़ती हुई है। गुजरातका नम्बर अब भी अव्वल ही है। लेकिन आन्ध्र इस दौड़में उसके बिलकुल पीछे लगा हुआ है। कर्नाटकका ४१ से एकदम कूदकर ३६२ तक जाना और तमिलनाडका ९० से ४५६ तक पहुँच जाना बहुत उत्साहवर्द्धक है। इस साल कर्नाटकको कांग्रेसका अधिवेशन अपने यहाँ करनेका गौरव प्राप्त होने जा रहा है, इसलिए वस्तुतः उसे तो अव्वल नम्बरपर ही होना चाहिए। इस महीनेका अभी और सूत आना बाकी है। उससे तो वृद्धि और भी अधिक स्पष्ट प्रतीत होगी। यदि इसी तरह प्रगति होती रहेगी तो बहुत जल्द कातनेवालोंकी

१. यह आउट लुककी ओरसे १९ सितम्बर, १९२४ या उसके पश्चात् भेजे गये तारके उत्तरमें भेजा गया था। इस तारमें गांधीजीको यह सूचित करते हुए कि हिन्दुओं और मुसलमानों दोनोंके अखबारोंने एक सप्ताहतक एक-दूसरेके विरुद्ध प्रचारका अभियान बन्द रखनेका निर्णय किया है, उनसे प्रोत्साहनका सन्देश माँगा गया था।

Gandhi Heritage Portal

संख्या काफी बड़ी हो जायेगी। पाठक ध्यान रखें कि जितने स्वेच्छासे कातनेवाले हैं उन सबको इसमें शामिल नहीं किया गया है। जो लोग अनियमित रूपसे कातते हैं उनकी संख्या नियमित कातनेवालोंकी संख्यासे कमसे-कम दूनी होगी और मजदूरी लेकर कातनेवाले इसमें शुमार नहीं किये गये हैं। यदि सिर्फ वे जिन्होंने नियमित कातना शुरू कर दिया है, स्वराज्य मिलनेतक बराबर कातते रहें (यह कोई उनसे बहुत बड़ी अपेक्षा तो नहीं होगी) तो हम उसको कुछ जल्दी जरूर पा सकेंगे।

सभापतिकी तरफसे इनाम

कताईके प्रति मौलाना मुहम्मद अलीका आकर्षण रोज बढ़ रहा है। घंटों सार्वजनिक कार्योंमें लगे रहनेपर भी वे कताई करते रहे हैं और गत मासके २,००० गज पूरा करनेके लिए वे अकसर आधी-आधी राततक कातते रहे हैं। उन्होंने मुझे यह घोषित करनेको कहा है कि उनके कार्य-कालमें जो प्रान्त गुजरातसे बाजी ले जायेगा उसे पाँच बढ़िया चरखे इनाम दिये जायेंगे। जो प्रान्त यह बाजी मारेगा उसके सबसे लायक और गरीब कातनेवालोंको ये मिलेंगे। चरखे साबरमतीमें तैयार किये गये नवीनतम नमूनेके होंगे। जहाँतक कातनेवालोंकी संख्या और सूतकी मात्राका सम्बन्ध है, गुजरातसे कातनेमें बाजी मार ले जाना आसान बात नहीं है। सूतकी अच्छाई और बारीकीमें बंगाल, कर्नाटक, आन्ध्र और तमिलनाड गुजरातसे बाजी मार ले जा सकते हैं, लेकिन उसको स्वेच्छासे कातनेवालोंकी संख्यामें और सूतकी मात्रामें भी हरा देना, वह कभी आसानीसे न होने देगा। लेकिन मौलाना साहबने कातनेवालों-की संख्याका खयाल करके यह इनाम रखा है। इसलिए जहाँतक मेरा खयाल है होड़का जोर बंगाल, तमिलनाड और कर्नाटककी तरफसे ही पड़नेकी ज्यादा सम्भावना है। मुझे आशा है कि इस इनामकी कीमतकी ओर न देखकर कांग्रेसके सदस्य इसी बातका खयाल करेंगे कि यह इनाम कांग्रेसके सभापतिकी ओरसे दिया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि यह प्रतियोगिता गम्भीर और फलदायी हो। इस इनामको जीतनेके लिए केवल तीन महीने बाकी हैं। यदि सबके-सब प्रान्त प्रयत्न करेंगे तो मैं जानता हूँ कि मौलाना साहबको इससे बड़ा सन्तोष होगा। क्योंकि स्वेच्छासे कातने-का राष्ट्रीय महत्त्व वे समझ गये हैं। अपना काता हुआ सूत दिखानेमें और उसको रोजाना अधिक सुधारकर बारीक और बराबर कातनेका प्रयत्न करनेमें वे बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २५-९-१९२४

Gandhi Heritage Portal

१३६. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको

मार्फत 'कॉमरेड'
दिल्ली
२० सितम्बर, १९२४

परमप्रिय मित्र,

आपके स्वास्थ्यका समाचार जाननेके लिए आपको पहले ही पत्र लिखना चाहता था। हकीमजीको[1] भेजे आपके तारसे मुझे अपना वह इरादा याद आ गया। कृपया पूर्ण रूपसे विश्राम करें।

दु:खी न हों। मेरे लिए तो उपवास धार्मिक कर्त्तव्य था। मैं चाहता हूँ, मित्रगण इस बातसे प्रसन्न हों कि ईश्वरने मुझे इस अग्नि-परीक्षामें प्रवेश करनेकी शक्ति दी है।

सस्नेह,

आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री

१३७. पत्र : वसुमती पण्डितको

भाद्रपद बदी ७ [२० सितम्बर, १९२४][2]

चि० वसुमती,

मेरा उपवास २१ दिनका है। वह बुधवारको प्रारम्भ हुआ था; इसलिए आज उसका तीसरा दिन है। अक्तूबरकी ८वीं तारीखको, बुधवारके दिन समाप्त होगा। मुझे उपवास इस कारण करना पड़ा है कि इसके बिना मेरे लिए धर्मका पालन करना असम्भव हो गया था; इसलिए तुम निश्चिन्त रहना। मुझे परम शान्तिका अनुभव हो रहा है। भागकर मेरे पास आनेकी इच्छा न करना। तीसरे हफ्तेमें आ सकती हो; उस समय तो मैं भी तुम्हें देखना चाहूँगा। 'श्रीमती' तो पतेमें दिया हुआ है। पतेमें ऐसा ही लिखा जाता है। मेरे लिए तो तुम सदा सभी बेटी रहोगी। जब तुम देवलालीमें थी, तब मैं तुम्हें पत्रमें क्या लिखा करता था, यह तो मैं भूल

१. हकीम अजमलखाँ।
२. डाककी मुहरसे।

Gandhi Heritage Portal

गया हूँ। कटिस्नानके तुरन्त बाद नहानेमें कोई हर्ज नहीं है। एक दूसरा प्रयोग भी करना। एक छोटी-सी पीले रंगकी बोतल खरीद लेना। उसमें स्वच्छ पानी भरकर तीन घंटेतक धूपमें रखना। रातको उसमें से दो औंस पानी पीकर सो जाना। इस तरह धूपमें गरम किया हुआ इतना पानी रोज पीना। यदि वह गरम करनेके बाद ठण्डा हो जाये तो उसकी फिक्र न करना। उद्देश्य यह है कि पानीको सूर्यकी किरणें पीले पात्रके माध्यमसे मिलें। कहते हैं कि इस तरह तैयार किये गये पानीकी तासीर दस्तावर हो जाती है।

बापूके आशीर्वाद

श्रीमती वसुमती पण्डित
मार्फत मेसर्स स्ट्रॉस ऐंड कं०

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५७) से।
सौजन्य : वसुमती पण्डित

१३८. टिप्पणी

निराश नहीं, असहाय[1]

देखता हूँ, ऐसा कहा गया है कि अपनी उपवास-सम्बन्धी टिप्पणीमें मैंने कहा, "मेरी निराशा तो और भी असह्य है।" मैंने इस विषयमें जो बात कही है उसमें "निराशा" नहीं "असहायावस्था" शब्दका प्रयोग किया गया है। जिस व्यक्तिकी ईश्वरमें तनिक भी आस्था है, वह कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह सदा इस बातमें विश्वास रखता है कि अन्तमें सत्यकी ही विजय होती है। ईश्वरमें विश्वास रखनेवाला व्यक्ति कभी भी असत्यके पीछे नहीं भागता और इसलिए वह कभी निराश हो ही नहीं सकता। इसके विपरीत चारों ओर घिरते अंधकारमें उसकी आशा सबसे अधिक चमक उठती है। लेकिन, मेरी असहायावस्था मेरे सामने एक स्पष्ट तथ्यके रूपमें मौजूद है। मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। मुझे तो इसे बराबर स्वीकार ही करना चाहिए। तमिलमें एक बड़ी अच्छी कहावत है: "निराशकी एकमात्र आशा ईश्वर ही है।" इस कहावतमें छिपा सत्य मेरे सामने आज जितना उजागर कभी नहीं हुआ था। जिस व्यक्तिकी क्षमता ईश्वरने इतनी ज्यादा सीमित कर दी हो, उसके लिए इतने विशाल जन-समुदायको अपने साथ चलाना, उसे नियंत्रित रखना, उसके प्रतिनिधिके रूपमें बोलना और काम करना इतना आसान तो नहीं है। इसलिए बराबर सतर्क रहनेकी आवश्यकता है। पाठकगण इस बातके लिए आश्वस्त रहें कि यह आखिरी कदम मैंने अपनी असहायावस्थाकी पूरी प्रतीति हो

१. देखिए "पत्र: देवदास गांधीको", २१-९-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

जानेके बाद ही उठाया और मैंने ईश्वरको करुण स्वरमें उसी प्रकार टेरा जिस प्रकार द्रौपदीने उसे पुकारा था, जब लगता था कि उसके पाँच पराक्रमी संरक्षकोंने उसे छोड़ दिया है। ईश्वरके दरबारमें उसकी पुकार व्यर्थ नहीं गई। पुकारका यह स्वर मात्र होठोंसे नहीं बल्कि अन्तस्तलकी गहराईसे उठना चाहिए। इसलिए ऐसी पुकार तभी सम्भव है जब आदमी सचमुच आन्तरिक व्यथासे विह्वल हो। मेरी पुकार इस उपवासके रूपमें निकली है, यद्यपि यह उपवास इस मामलेमें निहित समस्याकी दृष्टिसे किसी भी प्रकार पर्याप्त नहीं है। मेरा हृदय बार-बार कहता है:

"प्रभो, तू ही मेरा आश्रय है;
मुझे शरण दे।"

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २५-९-१९२४

१३९. आधे घंटेका अभ्यास[1]

२१ सितम्बर, १९२४

मौलाना शौकत अलीकी यह स्नेहपूर्ण फटकार मुझे अच्छी ही लगी। यद्यपि इन दिनों मैं हर मामलेमें हार ही मान लिया करता हूँ, लेकिन यह नहीं जानता था कि मुझे 'बड़े भाई'के सामने भी हार माननी पड़ेगी। मैंने सोचा था कि उनका भारी-भरकम और बेडौल शरीर कताईकी कोमल कलाके उपयुक्त नहीं है। अब मैं उनकी हलके कामोंको करनेकी क्षमताको घटाकर आँकनेके लिए उनसे क्षमा माँगता हूँ। इस तरहसे तो हजार बार हारकर भी मैं सुखी ही रहूँगा। अगर देशको लाभ हो तो मेरी हार क्या चीज है? मौलानाने जो नाराजगीके साथ इस बातका विरोध किया है कि कोई भी व्यक्ति उनके भारी-भरकम शरीरको देखकर उन्हें हलके कामोंसे बरी करनेका साहस करे, उसे मैं अपनी कोई छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं मानता।

१. यह मौलाना शौकत अली द्वारा एक पत्रमें उठाये गये मुद्दोंके उत्तरमें लिखा गया था। प्रसंग यह था कि गांधीजीने मौलाना साहबके भारी-भरकम शरीरको देखते हुए उन्हें कताईकी शर्तसे मुक्त करनेकी बात लिखी थी। इसपर उन्होंने लिखा कि अगर मेरे कताई करनेसे देशको गुलामीसे छुटकारा मिल सकता है तो मैं रोज आधे घंटेतक ही नहीं, सारा दिन कातनेको तैयार हूँ। इसी सिलसिलेमें उन्होंने काठिया-वाड़में खिलाफत-कोषके लिए चन्दा उगाहनेके अपने प्रयत्नका भी जिक्र किया था और लिखा था कि किस प्रकार कुछ मुसलमानों द्वारा गांधीजीपर उनकी (मौलाना साहबकी) आस्था होनेके कारण उनपर काफिर होनेका आरोप लगाये जानेके बावजूद उन्होंने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया था। उन्होंने डा० अन्सारी और खिलाफत-कार्यालयके सभी कार्यकर्त्ताओंके कताईमें जुट जानेकी भी चर्चा की थी; और अन्तमें लिखा था कि "खुदाई फौज" में शामिल होनेके इच्छुक हर भारतवासीको — वह चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, सिख हो या यहूदी, गरीब हो या अमीर, सभीको — रोजाना आधा घंटा कताई करके अपनी योग्यता प्रमाणित करनी चाहिए। देखिए **यंग इंडिया**, २५-९-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

उनके लिए कोई भी काम उनकी सामर्थ्यसे बहुत हलका या भारी नहीं है, यदि उससे देशको कुछ लाभ पहुँचता हो। क्या ही अच्छा होता, अगर प्रत्येक कार्यकर्त्ता इसी कड़ी कसौटीको अपनाकर चलता। मौलाना साहबने सूचित किया है कि खिलाफत-कार्यालयके सभी कार्यकर्त्ता इस काममें जुट गये हैं; डा० अन्सारीने भी अपने धन्धेके सिलसिलेमें अत्यन्त व्यस्त रहनेके बावजूद कताई शुरू कर दी है। यह सब जानकर शंकरलाल बैंकरके मुँहमें तो पानी भर आया होगा। अगर यह उत्साह बना रहा तो मैं आशा करता हूँ कि मुसलमान लोग इस दिशामें बहुत शानदार काम कर दिखायेंगे। मौलानाकी लोकप्रियताका अनुमान इसी बातसे लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा उल्लिखित बदनाम करनेवाले पर्चे बँटवाये जानेके बावजूद, वे अपने काठियावाड़के दौरेमें खिलाफत-समितिके कोषके लिए २५,००० रुपये नकद ले आये और लगभग दस हजार रुपयेके वादे भी। इन पर्चोंके लेखकोंको मालूम नहीं कि हमारे सम्बन्धोंका आधार क्या है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ,[1] हम हर बातमें एक-दूसरेसे भिन्न हैं, फिर भी एक चीज ऐसी है जो हम दोनोंको बाँधे हुए है। हम दोनों ही गुलामीसे तंग आ चुके हैं। किसी भी मानवकी उचित स्वतन्त्रता-का अपहरण हमें नागवार गुजरता है। इसलिए हमने ईश्वरकी गुलामी स्वीकार की है। हम समस्त मानव-समाजके मुकाबले खड़े हो सकें, बल्कि जरूरत पड़े तो उसका विरोध भी कर सकें, इसी खयालसे हम दोनों सबकी रचना करनेवाले उस कुम्हारके हाथमें मिट्टीके पुतले बन गये हैं। वह चाहे हमें जैसे घड़ ले, मसल-कुचल दे, उलट-पुलट दे, फिर भी हम उसीके हैं। हम दोनोंको जोड़कर रखनेवाला यही एक तत्त्व है। मैं मानता हूँ कि उस तत्त्वमें बाँधनेकी, जोड़नेकी क्षमता है और इसलिए उसने हमें एक-दूसरेसे इस तरह जोड़ रखा है कि हम कभी भी अलग नहीं हो सकते। इसलिए ऐसा कहना कि मौलाना साहब मुझे ईश्वरकी तरह पूजते हैं, मौलाना साहबके ही शब्दोंमें ईश्वरकी निन्दा तो है ही, साथ ही हमारे सम्बन्धोंके बारेमें उनके घोर अज्ञानका भी द्योतक है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २५-९-१९२४

१. देखिए "टिप्पणियाँ", १८-९-१९२४, उप-शीर्षक "हृदयकी एकता"।

Gandhi Heritage Portal

१४०. उनके प्रति हमारा कर्त्तव्य

२१ सितम्बर, १९२४

श्री एन्ड्रयूजने अपने "आदिवासी जातियाँ" शीर्षक लेखमें[1] अपनी सधी लेखनीसे बड़े ही सुन्दर ढंगसे तीन चीजोंको एक साथ पिरो दिया है। श्री अ० वि० ठक्करने पंचमहालके 'भील-सेवा-मण्डल' के कोषमें धन देनेके लिए जो जोरदार अपील की थी, उसका उन्होंने समर्थन किया है। श्री एन्ड्रयूजके उद्‌गारोंसे मैं हार्दिक सहमति प्रकट करता हूँ। और श्री ठक्करका परिचय भला मैं क्या दे सकता हूँ! वे तो मेरे भारत लौटने और प्रसिद्धि अर्जित करनेसे पहले ही मातृभूमिकी सेवाके लिए अपना जीवन अर्पित कर चुके थे। गुजरातने उड़ीसाके अकाल-पीड़ितोंके लिए जो सहायता-कार्यका संगठन किया था, श्री ठक्कर द्वारा उसका सुयोग्य संचालन हमें आज भी अच्छी तरह याद है। गुजरातके अस्पृश्योंके प्रति अपने एकनिष्ठ सेवाभावके कारण वे उनकी आँखोंका तारा बन गये हैं। किन्तु, उन्हें तो सेवाकी धुन लगी हुई है, सो उनका ध्यान अब गुजरातके एक ऐसे वर्गकी ओर गया जो अस्पृश्योंसे भी अधिक गिरी हुई अवस्थामें है और जिसे सहारा देनेवाले हाथकी और ज्यादा जरूरत है। इसलिए वे पंचमहालके भोले-भाले भीलोंके त्राता बन गये हैं। आशा है, लोग श्री ठक्करकी अपील अनसुनी नहीं करेंगे।

आदिवासियोंके सम्बन्धमें लिखते हुए श्री एन्ड्रयूजके लिए भला यह कैसे सम्भव था कि वे अपने मित्र, शिष्य और सहयोगी विली पियर्सनकी चर्चा न करते? भारतकी सेवाके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देनेवाले और नेकसे-नेक अंग्रेजकी श्रेणीमें आनेवाले इस व्यक्तिकी स्मृतिमें समुचित प्रशंसाके दो शब्द कहनेका अवसर वे हाथसे कभी नहीं जाने देते। श्री गोखलेने जब श्री एन्ड्रयूजसे दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहियोंकी सहायताके लिए तत्काल वहाँ जानेको कहा तो विली पियर्सनने स्वेच्छासे अपनी सेवाएँ अर्पित कीं और वे श्री एन्ड्रयूजके साथ दक्षिण आफ्रिका गये थे। जब मैंने इन दोनों अंग्रेजोंको देखा तो मेरे साथ पहली नजरमें प्यार वाली बात चरितार्थ हो गई। ये पंक्तियाँ लिखाते समय भी पियर्सनकी सुन्दर मुखाकृति, उनकी आँखोंका निष्कपट, सौम्य और मोहक भाव मेरे सामने सजीव हो उठता है। मुझे पियर्सनको पहले दक्षिण आफ्रिकामें और फिर शान्तिनिकेतनमें कार्यरत देखनेका अवसर मिला। उनसे अधिक आत्म-त्यागी और कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्ति मिल पाना कठिन है। ईमानदारीका कोई भी काम वे अपनी शानके खिलाफ नहीं समझते थे। उनके लेखे तो काम जितना छोटा होता वह उतनी ही ज्यादा इज्जतका था। शान्तिनिकेतनमें रसोईघरकी नालियों और मेहतरोंके घरोंको साफ करनेके लिए अपनी सेवाएँ उन्होंने ही सबसे

१. २ अक्तूबर, १९२४ के **यंग इंडिया**में प्रकाशित।

Gandhi Heritage Portal

पहले अर्पित कीं। उनका काम परम्परागत अर्थोंमें राजनीतिक नहीं था, किन्तु सिर्फ इसी कारण वह कोई कम साहसपूर्ण काम नहीं था और फिर यह बात भी याद रखनी चाहिए कि जब वे जापानमें थे, उन्होंने ब्रिटेन द्वारा दूसरे देशोंके शासन और शोषणकी कटु आलोचना करते हुए एक लेख लिखा था, जिसके कारण वे परेशानीमें पड़ गये थे; किन्तु इसकी उन्होंने कोई परवाह नहीं की। जब वे मृत्यु-शय्यापर पड़े थे, उन्होंने एक वसीयतनामा लिखाया, जिसमें वे शान्तिनिकेतनके उस बालकको नहीं भूले जिसे वे पुत्रवत् प्यार करते थे। उनकी मृत्युके बाद महाकविने उनका स्मारक बनानेके लिए २५,००० रुपयेके लिए एक अपील निकाली। उस पैसेसे शान्तिनिकेतनमें 'पियर्सन अस्पताल' का निर्माण होना था। उन दिनों मैं जुहूमें स्वास्थ्य-लाभ कर रहा था और एन्ड्रयूज एक अभिभावककी भाँति मेरी देख-रेख कर रहे थे। एक दिन आकर उन्होंने प्रेम और व्यथा-विह्वल हृदयसे मुझे बताया कि लोगोंने महाकविकी अपीलकी ओर बहुत कम ध्यान दिया। मैंने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा कि भारतकी जनता तो उन्हें ज्यादा नहीं जानती थी और इसलिए हम लोगोंको, जो उनको इतनी अच्छी तरह जानते हैं, उसके सहयोग न करनेपर परेशान न होना चाहिए और न हमारे मनमें जनताके प्रति कोई कड़ुवाहट ही आनी चाहिए। मैंने उनसे यह भी कहा कि कोई अनुकूल अवसर आनेपर मैं महाकविकी अपीलका काम अपने हाथमें लूँगा और स्मारकके लिए जनताका सहयोग प्राप्त करनेकी कोशिश करूँगा। श्री एन्ड्रयूजने मुझे वह अवसर प्रदान किया है। अब मैं 'यंग इंडिया' के पाठकोंसे यथाशक्ति अपना-अपना योगदान करनेका अनुरोध करता हूँ। तीन हजारसे ऊपर तो इकट्ठा किया जा चुका है। अब शेष इक्कीस हजार रुपये जुटा पाना उदार जनताके लिए बहुत मामूली बात है।

श्री एन्ड्रयूजने इस लेखमें जिस तीसरी चीजको पिरोया है, वह है — चरखा। इसको उन्होंने शायद मेरा खयाल करके ही शामिल किया है। लेकिन, मैं जानता हूँ कि वह समय आ रहा है, जब चरखेको अपने अस्तित्वके लिए मुझपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। देशके बड़ेसे-बड़े आदमीको भी, यदि उसे गरीबोंके साथ सहानुभूति है तो चरखेका समर्थन करना ही पड़ेगा। सिर्फ चरखेमें ही यह खूबी है कि उसे जहाँ भारतके सभी लोग अपना सकते हैं, वहाँ उससे इतनी कमाई भी की जा सकती है जिससे देशके गरीब किसानोंके स्वल्प अर्थ-साधनकी यत्किंचित् पूर्ति हो सके, इतना ही नहीं इससे देशके करोड़ों भूख-पीड़ितोंको जीवित रहनेके लिए दो कौर भोजन भी प्राप्त हो सकता है। यह एक ऐसी चीज है जो अमीरोंकी ओरसे अकालपीड़ित जनताको दिये जानेवाले सदाव्रतोंकी पतनकारी प्रथाका स्थान ले सकती है और उनके मनमें ऐसा आत्म-विश्वास पैदा कर सकती है कि जबतक वे कताईके लिए तैयार हैं, उन्हें भूखों नहीं मरना पड़ेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २-१०-१९२४

Gandhi Heritage Portal

१४१. धर्मके लिए "अधर्म"

एक सज्जन पूछते हैं:

"मलाबार-संकट-निवारणके लिए यदि कोई जुआ खेले और जुएसे मिलनेवाला पैसा मलाबारके पीड़ितोंको देनेका प्रस्ताव करे तो उसके जुआ खेलनेको आप क्या कहेंगे -- उचित या अनुचित?"

जुआ खेलना सर्वथा त्याज्य है। यदि जुएके बिना संकट-निवारण न होता हो तो भले ही लाखों भाई-बहन भूख और दुःखसे मर जायें। अधर्मसे धर्मकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए मेरी सबको सलाह है कि कोई भी मलाबारके दुःखी भाई-बहनोंके लिए जुआ न खेले। परन्तु हाँ, वे जुआ खेलना बन्द करके उसकी बचतका रुपया मुझे जरूर भेज दें। इससे एक पन्थ दो काज होंगे। एक तो वे खुद इस कुटेवसे बचेंगे और दूसरे कुटेवमें लगनेवाली रकम बचेगी, जो उन लोगोंके काममें आ जायेगी जिन्हें उसकी जरूरत है। जो व्यक्ति संकट दूर करनेका विचार करता हो उसके मनमें जुआ खेलनेकी बात आ ही कैसे सकती है? वह तो खुद भूखा रहकर औरोंकी भूख बुझायेगा।

लेखक ओरपाड ताल्लुकेके अपने गाँव करमलामें प्रचलित भीषण जुएका हुबहू चित्र खींचकर कहते हैं कि उसमें लड़केतक शरीक होते हैं। कभी-कभी तो उसमें बड़े लड़ाई-झगड़े भी हो जाते हैं। वे इसका उपाय पूछते हैं। इलाज यह है कि वहाँ लोकमत उसके खिलाफ तैयार किया जाय। लोकमतका ऐसी बुराइयोंपर बड़ा असर होता है। जिस तरह उजाला होते ही चोर आदि छिप जाते हैं उसी तरह लोकमत रूपी सूर्यका प्रकाश होते ही ये बुराइयाँ दूर हो जाती हैं। यदि गाँवके ज्यादातर लोग जुआ खेलते हों और सिर्फ दो-चार लोग ही इस ऐबसे बरी हों तो वे पहले गाँव-वालोंको चेतावनी दें और यदि उसके बाद भी कुछ असर न हो तो वे गाँव छोड़कर चले जायें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २१-९-१९२४

१४२. 'नवजीवन' के पाठकोंसे

इस अंकके प्रकाशित होनेतक मेरे प्रायश्चित्तकी खबर तो आप लोगोंको मालूम हो ही गई होगी। मेरे अनशनसे आपको घबड़ा जानेकी जरूरत नहीं है। उसका अनुकरण तो आप हरगिज न कीजियेगा। प्रायश्चित्त जिसको करना हो उसीको करना चाहिए। दूसरे लोग सिर्फ उसे मदद करते रहें। आप सब गुजराती भाई-बहन उन कामोंमें तन, मन और धनसे मदद कीजिये, जिन्हें आपने अंगीकार किया है। इससे आपको ईश्वर भी मिलेगा और स्वराज्य भी।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २१-९-१९२४

१४३. श्रद्धाकी परीक्षा

मुझे आशंका थी कि बहिष्कारके त्यागकी बातसे राष्ट्रीय स्कूलोंके दुर्बल क्षेत्रोंमें कुछ अस्थिरताका वातावरण उत्पन्न हो जायेगा। लगता है कि उसका ऐसा असर हुआ है। कितने ही शिक्षक पूछने लगे हैं कि क्या अब राष्ट्रीय स्कूलोंको सरकारी स्कूलोंमें परिवर्तित न किया जायेगा?

उपर्युक्त उद्धरण मैंने एक पत्रमें से लिया है। पहली बात तो यह है कि मैंने बहिष्कारका 'त्याग' करनेकी बात नहीं कही है; 'त्याग' शब्दका उच्चारणतक नहीं किया है। मैंने तो उसे 'मुल्तवी' रखनेका सुझाव दिया है। दूसरी बात यह कही है कि वर्तमान राष्ट्रीय स्कूल जिस तरह अभी सरकारसे किसी तरहका सम्बन्ध रखे बिना चल रहे हैं, उसी तरह चलाये जायें और यदि हममें शक्ति हो तो हम नये राष्ट्रीय स्कूलोंकी स्थापना भी करें। तीसरी बात यह है कि मुल्तवी रखनेका अर्थ यह कदापि नहीं है कि जिनकी बहिष्कारमें अपनी स्वतन्त्र श्रद्धा है, उन्हें भी उसका त्याग करना चाहिए।

मेरे सुझावका अर्थ केवल इतना ही है कि जो लोग अपनी स्वतन्त्र श्रद्धासे प्रेरित होकर नहीं, बल्कि कांग्रेसके अनुशासनमें बद्ध होकर, बहिष्कार कर रहे हैं वे एक वर्षके लिए इससे मुक्त किये जाते हैं; और जो बहिष्कारके कारण कांग्रेससे बाहर रहे हैं वे कमसे-कम आगामी वर्षके लिए कांग्रेसमें शरीक हो जायें और जिन आवश्यक और सर्वमान्य कार्योंके बारेमें कोई मतभेद नहीं है, उनमें भाग लें और जनताको प्रशिक्षित करें।

मेरे सुझावसे जनताकी और व्यक्तियोंकी परीक्षा हो जायेगी। यदि चार वर्षके अनुभवके बाद यह मालूम हुआ कि स्वतन्त्र रूपसे बहिष्कारको माननेवालोंकी संख्या

Gandhi Heritage Portal

अल्प है तो कांग्रेसमें बहिष्कार कदापि नहीं चल सकता। कांग्रेस जनताकी इच्छाको ही व्यक्त कर सकती है, फिर वह चाहे अच्छी हो चाहे बुरी और तभी वह राष्ट्रीय संस्था मानी जानी चाहिए। अतः कांग्रेसकी प्रवृत्तिके रूपमें केवल ऐसी ही प्रवृत्ति सफलतापूर्वक चलाई जा सकती है जिसमें बहुसंख्यक लोगोंकी अपनी स्वतन्त्र श्रद्धा हो। किसी प्रवृत्तिको कांग्रेसके प्रस्तावके कारण ही स्वीकार करनेवालोंकी संख्या हमेशा कम ही होनी चाहिए। उनकी मददसे कांग्रेसका तन्त्र नहीं चल सकता, बल्कि कांग्रेस स्वयं उनके लिए सहारा सिद्ध होती है। वे कांग्रेसको कोई सहारा नहीं दे सकते। कांग्रेसका आधार तो स्वतन्त्र श्रद्धावाले लोग ही होने चाहिए। यदि पाठक संसारकी चालू संस्थाओंकी ओर दृष्टिपात करेंगे तो वे देखेंगे कि प्रत्येक प्राणवान् संस्थाका संचालन उपर्युक्त नियमके अनुसार ही होता है। कारण स्पष्ट है। संस्थाके अपने प्राण नहीं होते, उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता। संस्थाके प्राण उसके संचालक होते हैं। वे ही संस्थाको बल प्रदान करते हैं। मद्य-निषेध संघके प्राण उसके अडिग मद्य त्यागी सदस्य ही होते हैं। संघ त्यागियोंके त्यागमें वृद्धि नहीं कर सकता। लेकिन कल्पना कीजिए कि ऐसे सदस्य अच्छी संख्यामें न मिलें और इस कारण संघको बन्द करना पड़े तो क्या इसलिए वे लोग, जो मद्य-त्यागी हैं, मद्यपान करने लगेंगे या कि वे लोगोंको मद्यका त्याग करनेकी बात सिखानेके लिए तपश्चर्या करते हुए अन्य उपायोंकी खोज करेंगे?

मेरे सुझावका उद्देश्य यह स्पष्ट कर देना है कि हम बहिष्कारको लोगोंके साथ जोर-जबरदस्ती करके नहीं चलाना चाहते। जोर-जबरदस्तीमें हिंसा है। हमारे आन्दोलनकी कल्पना तो जोर-जबरदस्ती नहीं थी, परन्तु हमारे मनमें और हमारे कार्योंमें वह थी। इसका पक्का प्रमाण है, हिन्दू-मुसलमानोंके बीच फैला हुआ वर्तमान वैमनस्य। स्वराज्य-वादी और अपरिवर्तनवादीके बीच जो खाई है वह भी इसी ओर संकेत करती है। इसका निवारण करना स्वतन्त्रतावादीका प्रथम कार्य है। मैंने जिस तरह जोर-जबरदस्तीका अर्थ हिंसा किया है उसी तरह मैं स्वतन्त्रताका अर्थ अहिंसा करता हूँ। हम अहिंसा शब्दसे डरते हैं। हम सब स्वतन्त्रताके पुजारी होनेका दावा करते हैं; लेकिन उसके मूल स्वरूप, अहिंसा अथवा प्रेमकी हम उपेक्षा करते हैं। हम लोगोंमें व्याप्त इस दोषको मैंने देख लिया है। इसीसे मुझे अपने कर्त्तव्यका भान हो गया है और मैं प्रत्येक बहिष्कारवादीको यह बात समझानेकी कोशिश करता हूँ। यदि बहिष्कारमें कांग्रेसके अधिकांश सदस्योंकी श्रद्धा नहीं है तो बहिष्कारमें स्वतन्त्र श्रद्धा रखनेवाले चन्द लोगोंका कांग्रेसपर अधिकार बनाये रखना हिंसा है।

लेकिन ऐसे लोग कांग्रेसपर अधिकार बनाये रखें अथवा कांग्रेस बहिष्कारको स्थगित कर दे, इसका अर्थ यह तो कदापि नहीं है कि बहिष्कारमें जिनकी श्रद्धा और विश्वास है, वे बहिष्कारका त्याग कर दें। वस्तुतः तो हमें बहिष्कारको स्थगित करके यह देखना है कि कितने लोग सच्चे अर्थोंमें बहिष्कारवादी हैं। यदि ऐसे बहिष्कारवादियोंकी संख्या वर्षके अन्तम थोड़ी ही रह जाये तो यह बात सिद्ध हो जायेगी कि कांग्रेसमें बहिष्कारकी बात नहीं रखनी चाहिए। आज जो लोग अपने-आपको बहिष्कारवादी मानते हैं, यदि वर्षके अन्तमें भी वे अपने विचार और आचारपर

Gandhi Heritage Portal

कायम रहें तो कांग्रेस फिर बहिष्कार शुरू कर सकती है। लेकिन बहिष्कारके इस पुनरुद्धारमें एक यह खूबी होगी कि उसमें से बलात्कार-रूपी डंक बिलकुल निकल जायेगा। यदि वर्षके अन्तमें यह परिणाम न निकला और सरकारकी पद्धतिमें भी कोई परिवर्तन न हुआ तो बहिष्कारवादी कांग्रेसमें उसका पुनरुद्धार करनेका प्रयत्न तो न करेगा परन्तु अपने आचार-बलसे धीरे-धीरे अन्य लोगोंको बहिष्कारके प्रति आकर्षित करेगा। स्वतन्त्र इच्छासे किया जानेवाला शान्त बहिष्कार कोई आसान बात नहीं। यदि वह संकोचवश आरम्भ किया जाता है तो वह लम्बे समयतक नहीं चल सकता। आवेगमें किया गया बहिष्कार सोडेके उफानकी तरह क्षणिक होगा। ज्ञानपूर्वक और निश्चयपूर्वक किया गया बहिष्कार ही सब विघ्न-बाधाओंको पार कर सकेगा और डिगेगा नहीं। अतएव मैं बहिष्कारवादियोंसे यही उम्मीद करता हूँ कि यद्यपि कांग्रेसमें बहिष्कार स्थगित रहेगा, फिर भी वे उसपर टिके रहेंगे, इतना ही नहीं, वरन् उस-पर दृढ़तापूर्वक आचरण करेंगे। गुजरातसे तो मैं इसके आलावा कोई दूसरी आशा करता ही नहीं। यदि हम इस तरह अगले वर्षतक निजी बहिष्कारपर कायम रहकर भी सहयोगियोंका तिरस्कार न करनेका पूरा पाठ पढ़ लें, तो यह बात हमारी अमूल्य उन्नतिकी परिचायक होगी और उससे स्वराज्यकी अपनी यात्रामें हम बहुत आगे बढ़ जायेंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २१-९-१९२४

१४४. पत्र : हरनाम सिंहको

मार्फत 'कॉमरेड' कार्यालय
दिल्ली
२१ सितम्बर, १९२४

प्रिय राजा साहब,

अपने इस गहरे दुःखमें मेरी सादर संवेदना स्वीकार करें। ईश्वर श्रीमती हरनामसिंहकी आत्माको शान्ति दे।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

राजा सर एस० हरनाम सिंह
'मेनर'
शिमला

अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ३७११) से।
सौजन्य : राजकुमारी अमृत कौर

Gandhi Heritage Portal

१४५. पत्र : अब्बास तैयबजीको

मार्फत मौलाना मुहम्मद अली
दिल्ली
२१ सितम्बर, १९२४

भाई साहब,

मेरे उपवासके कारण आप सब चिन्तित हो रहे होंगे। लेकिन मैं क्या करता? मैं तो विवश था। मेरे पास खुदाके आगे रोनेके सिवा और कोई रास्ता ही न था। ऐसी हालतमें मैं कर ही क्या सकता था? खुदाकी मर्जी होगी तो वह मुझे मरने न देगा। इस समय मुझे रेहानाके भजन सुननेकी बड़ी इच्छा हो रही है। आपके खेड़ामें चरखे खूब चल रहे होंगे। भुर्रर . . .

सदैव आपका भाई,
मोहनदास गांधी

गुजराती पत्र (एस० एन० ९५४९) की फोटो-नकलसे।

१४६. पत्र : देवदास गांधीको

दिल्ली
भाद्रपद बदी ८ [२१ सितम्बर, १९२४][1]

चि० देवदास,

बा, रामदास आदि आ गये हैं। जमनाबहन और यशवन्तप्रसाद भी आये हुए हैं। 'नवजीवन' देखा। मुझे तो बहुत पसन्द आया। तुम्हारा वस्तु-विन्यास और बड़े अक्षरों द्वारा की गई सजावट भी अच्छी है। तुमने मेरे सन्देशका[2] जो अनुवाद किया है वह तो बहुत ही सुन्दर है। उसमें मुझे कहीं जरा भी सुधार करनेकी गुंजाइश दिखाई नहीं दी। "होपलेसनैस"[3] के स्थानपर "हैल्पलेसनेस"[4] का उपयोग करके तुमने मेरे उत्तराधिकारी होनेके अधिकारको सिद्ध कर दिया है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और तुममें आज जो चारित्र्य-सौन्दर्य और कौशल है, उसमें वृद्धि करे। मैं अत्यन्त आनन्दमें हूँ। अभी तो उपवास [का कोई प्रभाव] मालूम ही नहीं हो रहा है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (जी० एन० २१३३) की फोटो-नकलसे।

१. पत्रमें उपवासकी जो चर्चा की गई है उससे पता चलता है कि यह पत्र १९२४ में लिखा गया था।
२. देखिए "गांधीजीका खुलासा", १८-९-१९२४।
३ और ४. मूलमें ये दोनों शब्द अंग्रेजीमें दिये गये हैं। देखिए "टिप्पणी", २१-९-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

१४७. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

[दिल्ली]
भाद्रपद बदी ८ [२१ सितम्बर, १९२४][1]

पूज्य गंगाबहन,

आप चिन्ता न कीजिएगा। आप तो ज्ञानी हैं। मैं धर्मके पालनके लिए जो उपवास आदि करता हूँ, मेरी इच्छा है कि उससे आप सब प्रसन्न हों। यदि ईश्वरको इस देहसे मेरे द्वारा अभी कोई काम कराना होगा तो वह मुझे मरने न देगा। आप भी ऐसा ही विश्वास रखें।

अभ्यास लगनके साथ जारी रखना। सब बालकोंकी माँ बनना। यह आपकी शक्तिसे बाहर नहीं है।

भगवान आपको इतनी शक्ति दे जिससे आपका वैधव्य जगतके लिए उपकारी सिद्ध हो।

बापूके आशीर्वाद

पूज्य गंगाबहन
सत्याग्रह आश्रम
साबरमती

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१९७) से।
सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

१४८. पत्र : तुलसी मेहरको

दिल्ली
[२१ सितम्बर, १९२४][2]

चि० तुलसी मेहर,

आश्रमका पत्र तुमारे नामपर भेजनेका निश्चय मैंने कल ही कीया था। आज तो तुमारा पत्र आ गया। तुम और दुसरे आश्रमवासीयोंसे मेरी तो यही प्रार्थना है की सब सत्य और अहिंसाका सेवन करें। जगतमें किसी प्राणीकी घृणा न करें, और क्षुधासे पीड़ीत करोड़ो हिन्दवासीयों युवाकाते बुने और उसीका प्रचार करें। अक्षरज्ञान अवश्य हासिल करे। मानसिक शक्तिमें वृद्धि करें। प्रांत चरखाको प्रधान पद दे।

१. डाककी मुहरसे।
२. डाककी मुहरसे।

Gandhi Heritage Portal

मैं खूब आनंदमें हुँ। मेरी थोड़ी सी भी चिन्ता न करें।

बापूके आशीर्वाद

तुलसी मेहर
सत्याग्रह आश्रम
साबरमती

मूल पत्र (जी० एन० ६५२०) की फोटो-नकलसे।

१४९. उपवासकी कहानी

२२ सितम्बर, १९२४

मैं पाठकोंको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैंने उपवास बिना सोचे-समझे प्रारम्भ नहीं किया। सच तो यह है कि जबसे असहयोगका जन्म हुआ, तभीसे मेरी जिन्दगी बराबर दाँवपर लगी रही है। इसे मैंने खूब सोच-समझकर शुरू किया। इसमें जो खतरे हैं, उनके बारेमें मुझे काफी चेतावनी मिल चुकी थी। मैं कोई भी काम बिना प्रार्थनाके नहीं करता। मनुष्यसे भूल होती ही है। वह कभी भी विश्वास-पूर्वक यह नहीं कह सकता कि वह जो-कुछ करने जा रहा है, वह सही ही है। जिससे वह अपनी प्रार्थनाके परिणामस्वरूप ईश्वरसे प्राप्त इंगित समझ सकता है, वह मात्र उसके अहंकारकी प्रतिध्वनि भी हो सकती है। ईश्वरका अचूक मार्गदर्शन तो वह तभी प्राप्त कर सकता है, जब उसका हृदय सर्वथा निर्दोष हो और उसमें बुराईके लिए कोई गुंजाइश ही न हो। मैं अपने बारेमें ऐसा कोई दावा नहीं करता। मेरी आत्मा तो अपूर्ण है और वह अभी उठती-गिरती, भूलती-भटकती, सही मार्ग पानेका प्रयत्न ही कर रही है; लेकिन मैं अपने और दूसरोंके ऊपर प्रयोग करके ही तो ऊपर उठ सकता हूँ। मैं ईश्वरकी अखण्ड एकता, और इसीलिए मानव-समाजकी भी अखण्ड एकतामें विश्वास करता हूँ। हम शरीरसे अनेक हैं, लेकिन इससे क्या अन्तर पड़ता है? हमारी आत्मा तो एक ही है। परावर्तनके कारण सूर्यकी किरणें अनेक दिखाई देती हैं, लेकिन उनका उद्गम तो एक ही है। इसलिए मैं दुष्टसे-दुष्ट व्यक्तिसे भी अपनेको अलग नहीं कर सकता (और न सज्जनसे-सज्जन व्यक्तिसे मेरी तद्रूपताके बारेमें इनकार किया जा सकता है)। इसलिए मैं चाहूँ या न चाहूँ, मैं अपने प्रयोगमें समस्त मानव-जातिको शामिल किये बिना नहीं रह सकता और न इस प्रयोगके बिना ही मैं रह सकता हूँ। जीवन प्रयोगोंकी एक अन्तहीन शृंखला ही तो है।

मुझे मालूम था कि असहयोग एक खतरनाक प्रयोग है। असहयोग अपने-आपमें एक अस्वाभाविक, बुरी और पापमय वस्तु है। लेकिन, मेरा निश्चित विश्वास है कि अहिंसात्मक असहयोग कभी-कभी मनुष्यका कर्त्तव्य हो जाता है। यह बात मैंने अनेक

Gandhi Heritage Portal

प्रसंगोंपर सिद्ध करके दिखा दी है। लेकिन, जन-साधारणकी बहुत बड़ी संख्यापर उसका प्रयोग करनेमें गलतीकी बहुत सम्भावना थी। किन्तु, असाध्य रोगोंके लिए वैसे ही कड़े उपचारकी ही आवश्यकता होती है। सामने अराजकता और उससे भी बुरी स्थितिका खतरा मौजूद था। उसका एक-मात्र विकल्प अहिंसात्मक असहयोग ही था। और चूँकि असहयोगको अहिंसात्मक रखना था, इसलिए मुझे अपनी जिन्दगीको दाँव पर लगा देना पड़ा।

अभी दो साल पहले जो हिन्दू और मुसलमान मित्रोंकी तरह मिल-जुलकर काम करते दिखाई दे रहे थे, वे ही आज कुछ स्थानोंमें आपसमें भेड़ियोंकी तरह गुँथे हुए हैं। इससे यह बात असन्दिग्ध रूपसे सिद्ध हो जाती है कि उन्होंने जो असहयोग किया वह अहिंसात्मक नहीं था। इसके लक्षण मुझे बम्बईकी घटनाओं, चौरी-चौरा तथा बहुत-से दूसरे छोटे-मोटे मामलोंमें भी दिखाई दिये थे। तब मैंने प्रायश्चित्त किया था। उस हदतक उसका असर भी हुआ। लेकिन, हिन्दू-मुस्लिम तनाव तो कल्पनातीत बात थी। जब कोहाटके दुष्काण्डका हाल सुना तो वह असह्य हो उठा। जब मैं साबरमतीसे दिल्ली रवाना होनेवाला था, उससे पहले सरोजिनी देवीने मुझे लिखा कि शान्तिपर प्रवचन और उपदेश देनेसे काम नहीं चलेगा। आपको कोई कारगर उपाय ढूँढ़ना है। उनका यह जिम्मेवारी मेरे सिर लादना ठीक ही था। क्या जनताकी भारी शक्तिको जाग्रत कर देनेके लिए मैं ही जिम्मेवार नहीं था? अगर यह शक्ति आत्म-विनाशका कारण बन रही है तो मुझे कोई उपचार ढूँढ़ना ही है। मैंने उन्हें उत्तरमें लिखा कि इसे तो मैं परिश्रमसे ही पा सकूँगा। कर्महीन प्रार्थना निस्सार चीज है। तब मैं नहीं जानता था कि इसका उपचार यह दीर्घ उपवास होगा। फिर भी, मैं जानता हूँ कि मेरी आत्माकी व्यथा शान्त करनेकी दृष्टिसे यह उपवास काफी लम्बा नहीं है। क्या मुझसे कोई गलती हुई है; क्या मैंने धीरजसे काम नहीं लिया है? क्या मैंने बुराईके साथ कभी समझौता किया है? हो सकता है, मैंने यह सब किया हो और हो सकता है कि इसमें से कुछ भी न किया हो। मैं तो जो सामने देख रहा हूँ, वही जानता हूँ। जो लोग आज लड़ रहे हैं, उन्होंने अगर सच्ची अहिंसा और सत्यका आचरण किया होता तो जो रक्त-रंजित लड़ाई आज चल रही है, वह असम्भव थी। स्पष्ट है कि इसमें कहीं-न-कहीं मेरी जिम्मेवारी अवश्य है।

अमेठी, सम्भल और गुलबर्गाके काण्डोंसे मुझे जबरदस्त आघात पहुँचा। हिन्दू और मुसलमान भाइयों द्वारा अमेठी और सम्भलके बारेमें तैयार की गई रिपोर्टें मैंने पढ़ी थीं। गुलबर्गा जाकर मामलेकी जाँच करनेवाले हिन्दू और मुसलमान भाइयोंका संयुक्त निष्कर्ष भी मैंने देखा था। मैं पीड़ासे छटपटा रहा था, फिर भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। कोहाटका समाचार पाकर मेरे अन्तरकी सुलगती हुई आग भभक उठी। अब कुछ-न-कुछ करना ही था। दो रातें मैंने बेचैनी और कष्टमें काटीं। बुधवारको मुझे उपाय सूझ गया। मैंने निश्चय किया, मुझे प्रायश्चित्त करना होगा। सत्याग्रह आश्रममें प्रातःकालीन प्रार्थनामें हम शिवकी एक स्तुति करते हैं और कहते हैं: हे शिव,

Gandhi Heritage Portal

जाने-अनजाने मैंने जो पाप किये हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कर।[1] मेरा प्रायश्चित्त अनजानमें किये गये पापोंको क्षमा करनेके लिए एक व्यथित हृदयकी प्रार्थना ही है।

यह उन हिन्दुओं और मुसलमानके लिए एक चेतावनी है जो कहते हैं कि उन्हें मुझसे प्रेम है। अगर वे सचमुच मुझसे प्रेम करते रहे हैं और यदि मैं उनके प्रेमका योग्य पात्र रहा हूँ तो वे अपने आचरणके द्वारा ईश्वरकी अवज्ञा करनेके घोर पापके लिए मेरे साथ प्रायश्चित्त करेंगे। एक-दूसरेके धर्मकी निन्दा करना, बिना सोचे-समझे जो मनमें आये कहते रहना, झूठ बोलना, निरीह लोगोंके सिर फोड़ना, मन्दिरों या मसजिदोंकी पवित्रता भंग करना, यह सब ईश्वरकी अवज्ञा ही है। हमारे इस यादवी संघर्षको दुनिया देख रही है — कुछ खुशीके साथ और कुछ दुःखके साथ। हम शैतानका कहा मान बैठे हैं। धर्म चाहे कोई भी हो उसका पालन ऐसे आचरणसे नहीं होता; उसके लिए तो कठोर अनुशासनकी आवश्यकता होती है। हिन्दुओं और मुसलमानोंका प्रायश्चित्त उपवास करना नहीं, बल्कि उन्होंने जो गलत रास्ता ग्रहणकर लिया है उसे छोड़कर सही रास्तेपर आ जाना है। अपने हिन्दू भाइयोंके प्रति मनमें कोई दुर्भावना न रखना ही मुसलमानोंके लिए सच्चा प्रायश्चित्त है और उसी प्रकार मुसलमानोंके प्रति ऐसी कोई भावना न रखना हिन्दुओंके लिए सच्चा प्रायश्चित्त है।

मैं किसी भी हिन्दू या मुसलमानसे अपने धार्मिक सिद्धान्तको रंच-मात्र भी छोड़नेको नहीं कहता, बशर्ते कि उसे इस बातका इत्मीनान हो कि जिसे वह धार्मिक सिद्धान्त कह रहा है वह सचमुच धार्मिक सिद्धान्त ही है। लेकिन, यह तो मैं हर हिन्दू और मुसलमानसे कहता हूँ कि वह भौतिक लाभके लिए आपसमें न लड़े। अगर मेरे उपवासके कारण दोनोंमें से कोई भी पक्ष सिद्धान्तके मामलेमें कहीं झुकता है तो मुझे बहुत दुःख होगा। मेरा उपवास तो मेरे और ईश्वरके बीचकी बात है।

इस मामलेमें मैंने किसी मित्रसे कोई सलाह नहीं ली। बुधवारको हकीम साहबसे बिलकुल एकान्तमें काफी देरतक बातचीत हुई और मौलाना मुहम्मद अलीके घर तो मैं ठहरा हुआ ही हूँ। वे ही मेरे मेजबान हैं। किन्तु, इन लोगोंसे भी कोई सलाह नहीं ली। जब कोई व्यक्ति अपने स्रष्टासे अपना देना-पावना दुरुस्त करना चाहता है तो वह किसी तीसरेकी सलाह नहीं लेता — लेनी भी नहीं चाहिए। लेकिन, अगर उसके मनमें इस विषयमें कोई शंका हो तब तो उसे सलाह लेनी ही चाहिए। लेकिन, मैंने जो कदम उठाया, उसकी आवश्यकताके सम्बन्धमें मेरे मनमें कोई शंका नहीं थी। मित्र लोग तो मुझे उपवास करनेसे रोकना अपना कर्त्तव्य समझेंगे। ऐसी बातें सलाह-मशविरे और दलीलका विषय नहीं होतीं। ये तो हृदयकी अनुभूतिकी चीजें हैं। जब रामने एक बार कर्त्तव्य-पालनका निश्चय कर लिया तो न स्नेहमयी

१. मूल संस्कृत श्लोक इस प्रकार है :

"कर-चरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा
श्रवण-नयनजं वा मानसं वाऽपराधम् ।
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व
जय-जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो !"

Gandhi Heritage Portal

माताका रोना-धोना, न गुरुकी सलाह, न जनताका अनुनय-विनय और न यह निश्चित सम्भावना ही कि उनके ऐसा करनेसे उनके पिता जीवित नहीं रह पायेंगे, उन्हें अपने संकल्पसे डिगा पाये। ये बातें क्षणिक हैं। अगर रामने इन समस्त प्रलोभनोंके सामने अपना हृदय वज्र न कर लिया होता तो हिन्दू-धर्मको धर्मका सच्चा स्वरूप ही प्राप्त नहीं होता। वे जानते थे कि अगर उन्हें मानवताकी सेवा करनी है और भावी सन्ततिके लिए एक आदर्श बनना है तो उन्हें हर कष्टसे गुजरना होगा।

लेकिन, क्या एक मुसलमानके घर बैठकर मेरा उपवास करना उचित था? हाँ, बिलकुल उचित था। मेरे मनमें उपवासका विचार किसीके प्रति दुर्भावनासे प्रेरित होकर नहीं आया। मैं एक मुसलमानके घर बैठा हुआ हूँ, इससे मेरे उपवासका कोई ऐसा अर्थ समझे जानेकी गुंजाइश बिलकुल नहीं रह जाती। इसे एक मुसलमानके घर शुरू और खतम करना सर्वथा संगत है।

मुहम्मद अली हैं कौन? उपवाससे दो ही दिन पहले एक निजी मामलेपर हम दोनोंकी बातचीत हुई थी। उस दौरान मैंने उनसे कहा था कि जो मेरा है, वह आपका है और जो आपका है, वह मेरा भी है। मैं लोगोंको कृतज्ञतापूर्वक यह बता देना चाहता हूँ कि मेरा जैसा स्वागत-सत्कार मुहम्मद अलीके घर हो रहा है, उससे अच्छे स्वागत-सत्कारका सौभाग्य मुझे जीवनमें कभी नहीं मिला। मेरी हर जरूरतका अन्दाजा वे पहले ही कर लेते हैं। उनके घरके हर व्यक्तिको सबसे ज्यादा इसी बातकी लगी रहती है कि किस तरह मुझे और मेरे साथियोंको अधिकसे-अधिक सुख-सुविधा दी जा सकती है। डा० अन्सारी और डा० अब्दुर्रहमान तो मेरे स्वास्थ्य-सलाहकार ही बन गये हैं। वे हर रोज मुझे देखते हैं। जीवनमें मुझे अनेक सुखदायी अवसर मिले हैं; यह उनमें से किसीसे घटकर नहीं है। भोजन ही सब-कुछ नहीं है। यहाँ मुझे अगाध प्रेम प्राप्त हो रहा है और वह भोजनसे बढ़कर है।

कुछ लोग गुप-चुप ऐसी चर्चा करते हैं कि मैं मुसलमान भाइयोंमें इतना पगा रहता हूँ कि हिन्दुओंके मनका भाव जानने लायक रह ही नहीं गया हूँ। हिन्दुओंके मनका भाव तो मेरे ही मनका भाव है। जब मेरे अस्तित्वका कण-कण हिन्दू है तो हिन्दुओंके मनका भाव जाननेके लिए मुझको उनके बीच रहनेकी क्या जरूरत है? अगर मेरा हिन्दुत्व प्रतिकूलसे-प्रतिकूल वातावरणमें फूल-फल नहीं सकता तो अवश्य ही वह बहुत क्षुद्र वस्तु है। मुझे तो इस बातका सहज ज्ञान है कि हिन्दू-धर्मके लिए क्या कुछ जरूरी है। लेकिन, मुसलमानोंके मनका भाव जाननेके लिए तो मुझे परिश्रम और प्रयत्न करना ही है। अच्छेसे-अच्छे मुसलमानोंके मैं जितना निकट आता जाऊँगा, मुसलमानों और मुसलमानोंके कार्योंके बारेमें सही अनुमान लगानेकी मेरी उतनी ही सम्भावना होगी। मैं दोनों जातियोंको जोड़नेवाला सबसे अच्छा गारा बननेकी कोशिशमें हूँ। मेरी कामना ही यही है कि जरूरत पड़े तो इसे मैं अपने खूनके गारेसे जोड़ूँ। लेकिन, ऐसा करनेके लिए मुझे मुसलमानोंको यह दिखा देना चाहिए कि मैं जितना प्यार हिन्दुओंको करता हूँ, उतना ही उन्हें भी करता हूँ। मेरा धर्म मुझे सबको समानरूपसे प्यार करनेकी सीख देता है। ईश्वरसे यही प्रार्थना है कि वह इस काममें मुझे सहायता

Gandhi Heritage Portal

दे। मेरे उपवासका, और बातोंके अलावा, एक उद्देश्य यह भी है कि मैं ऐसा सम और निःस्वार्थ प्रेम-भाव प्राप्त करनेके योग्य बन सकूँ।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २५-९-१९२४

१५०. टिप्पणी

२२ सितम्बर, १९२४

पाठकोंको सूचना

'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' मेरे लिए प्रसन्नताके स्रोत हैं। मुझे इनके माध्यमसे प्रति सप्ताह जनताके लिए कुछ लिखना बहुत प्रिय है। किन्तु मुझे दुःखके साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मुझे दो या तीन सप्ताहके लिए सम्पादकीय लिखनेका काम बन्द रखना होगा। मेरे तानाशाह चिकित्सक यह काम करनेसे मुझे मना करते हैं। चार्ली एन्ड्रयूज मेरे शुद्धीकरण तथा स्वास्थ्य-लाभकी अवधिमें 'यंग इंडिया' का सम्पादन स्वयं करनेका आग्रह कर रहे हैं। मैं इस प्रस्तावको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। हम दोनों सगे भाई-जैसे हैं। जो सन्देश मैं देता रहा हूँ, वही सन्देश श्री एन्ड्रयूजकी प्रांजलतर तथा शुद्धतर शैलीमें पढ़कर आपको प्रसन्नता होगी। आखिर अंग्रेजी मेरे लिए विदेशी भाषा ही है। चार्ली एन्ड्रयूज उसके पण्डित हैं। इसलिए सम्पादकका दायित्व उन्हें सौंपते हुए मुझे प्रसन्नता ही हो सकती है। 'नवजीवन' के सम्पादकत्वका उत्तरदायित्व महादेव देसाईपर रहेगा। गुजरातियोंमें मेरे सन्देशका इतना सच्चा व्याख्याता दूसरा कोई नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि 'यंग इंडिया' या 'नवजीवन' में मैं स्वयं कुछ नहीं लिखूँगा। यदि मेरी शक्ति अन्त तक बनी रही — बहुत अधिक सम्भावना है कि वह अन्ततक बनी रहेगी — और यदि डाक्टरोंने मुझे अनुमति दी तो मैं आशा करता हूँ कि उनके प्रत्येक अंकमें कुछ अनुच्छेद मैं लिखता रहूँगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २५-९-१९२४

Gandhi Heritage Portal

१५१. तार : एस० श्रीनिवास आय्यंगारको

[२२ सितम्बर, १९२४][1]

धन्यवाद। उपवास छोड़नेका अर्थ होगा अपने गहनतम विश्वासोंको छोड़ना। क्या आप मुझसे वैसा कराना चाहेंगे? कृपया चिन्ता न करें।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २२-९-१९२४

१५२. पत्र : सरलादेवी चौधरानीको

दिल्ली

२२ सितम्बर, १९२४

तुम्हारा करुण अनुरोध पढ़ा। मैं जीवित जरूर रहना चाहता हूँ। मैं तो ४० दिनका व्रत ले रहा था; किन्तु गहराईसे विचार करनेपर मैंने देखा कि स्थितिका ध्यान रखते हुए जितना कमसे-कम आवश्यक हो, मुझे उतना ही उपवास करना चाहिए। यदि ईश्वर इस शरीरसे और अधिक सेवा कराना चाहता है तो वह निश्चित रूपसे इसको बनाये रखेगा।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, २७-९-१९२४

१५३. काम नहीं तो राय नहीं

२३ सितम्बर, १९२४

मौलाना हसरत मोहानीने अभी उस दिन मुझे सोवियत-संविधान देते हुए कहा कि इसे पढ़िए —— यदि और किसी वजहसे नहीं तो सिर्फ इसीलिए कि कांग्रेसके संविधान और सोवियत-संविधानमें कितनी स्पष्ट समता दिखाई देती है। मैंने उसे सरसरी तौरपर पढ़ा तो देखा कि दोनों संविधानोंके रूपमें निःसन्देह स्पष्ट समता है। यह समता बतलाती है कि इस भूमण्डलपर कोई बात मौलिक और नई नहीं है। दोनोंमें मुझे बहुत बुनियादी किस्मके कुछ फर्क भी दिखे, पर उनकी चर्चा करने की जरूरत नहीं। किन्तु, उसकी एक बातपर तो मैं लट्टू हो गया। वह थी "काम नहीं तो राय नहीं" का सूत्र। सोवियत-संविधानमें सदस्यकी पात्रता न पैसेसे परखी जाती

१. "एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया" ने इसे मद्रासते २२ सितम्बरको प्रकाशित किया।

6369

Gandhi Heritage Portal

है — चार आनेसे भी नहीं — न मिल्कियतसे और न तालीमसे, वह सिर्फ 'सच्ची मेहनतसे' परखी जाती है। इस तरह सोवियत कांग्रेसको सिर्फ काम करनेवालोंका संगठन समझिए। क्या दार्शनिक, क्या अध्यापक और क्या दूसरे तमाम लोग, सबके लिए कुछ-न-कुछ काम करना लाजिमी है। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें मेहनत किस तरहकी करनी पड़ती है। मैंने चन्द मिनटोंमें ही उसे उलट-पलट देखा। इससे अगर यह बात उसमें कहीं दिखाई भी गई हो तो मुझे मिल नहीं पाई। उसमें हमारे लिए जो महत्त्वपूर्ण और प्रासंगिक बात है वह यह कि हरएक मतदाताको कुछ-न-कुछ ठोस काम करके दिखाना पड़ता है। ऐसी अवस्थामें मेरा यह प्रस्ताव कि अबसे कांग्रेसका सदस्य होनेकी इच्छा रखनेवाले हर व्यक्तिको चाहिए कि वह अपने राष्ट्रके लिए शारीरिक श्रम करे, न तो मौलिक है और न हास्यास्पद ही। यह देखते हुए कि एक महान राष्ट्रने पहलेसे ही इस सूत्रको मंजूर कर लिया है, हमें उसका अनुकरण करनेमें झेंपनेकी कोई जरूरत नहीं। थोड़े समयतक रोज की जानेवाली मेहनत कभी फल दे सकती है, जब लाखों-करोड़ों लोग एक ही किस्मकी मेहनत करें और हमारे देशके सदृश विशाल देशमें ऐसा शारीरिक काम, जिसका घर-घर प्रचार हो सके, हाथ-कताईके सिवा दूसरा नहीं है।

लेकिन कहा जाता है कि यह प्रस्ताव महज शारीरिक कामका प्रस्ताव नहीं है; उसके अन्दर आर्थिक पात्रता छिपी हुई है। सूत कितना ही महीन क्यों न कते, एक सालके दौरान काते जानेवाले सूतका परिमाण इतना तो नहीं घटाया जा सकता कि चार आनेकी कीमतका सूत कातनेसे ही काम चल जाये। पर आलोचक इस बातको भूल जाते हैं कि मैंने अपने प्रस्तावकी रूप-रेखा जिस लेखमें दी है, उसमें मैंने कहा है कि जो लोग रुईकी व्यवस्था खुद नहीं कर सकते उन्हें प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंकी तरफसे रुई मिलनी चाहिए। इस प्रकार मेरी योजनाके अधीन लोग जो कपास बिना मूल्य प्रदान करेंगे, वह चन्दा नहीं, बल्कि दान होगा। अनुभव बताता है कि हजारों लोग हर साल २४,००० गज सूत कातनेके लिए जरूरी कपासकी व्यवस्था खुद ही सम्भव बना सकते हैं। इस बार अखिल भारतीय खादी बोर्डमें लगभग ५,००० लोगोंने सूत भेजा है। उन्होंने खादी-बोर्डसे रुई नहीं माँगी। मुमकिन है कि कुछ प्रान्तोंने कतैयोंको रुई देनेका इन्तजाम किया हो। अगर उन्होंने ऐसा किया हो तो कुछ बेजा नहीं; क्योंकि असली चीज तो है आधा घंटा शारीरिक श्रम करना। हमारे राष्ट्रके इस क्षयका कारण कच्चे मालकी कमी नहीं, बल्कि शारीरिक श्रम और कमसे-कम जरूरी हुनरका अभाव है। हमें अपने हाथोंसे मेहनत करनेकी आदत नहीं रह गई है। इसीसे मेरा यह प्रस्ताव कुछ लोगोंको अप्रिय मालूम होता दिखाई देता है और राष्ट्रकी एक ही आवश्यकताकी पूर्तिके लिए सारा देश अपनी राजी-खुशीसे रोजाना आधा घंटा समय देने लगे, इस बातसे होनेवाले लाभोंको समझना उन्हें कठिन मालूम हो रहा है। निश्चय ही मेरे प्रस्तावमें नैतिकताके विरुद्ध तो कुछ भी नहीं है। उसमें ऐसी भी कोई बात नहीं है जो किसीकी अन्तरात्माके खिलाफ पड़ सकती हो। यह काम कोई बहुत भारी भी नहीं है। सच तो यह है कि आधे घंटेका यह हलका

Gandhi Heritage Portal

श्रम इतना मामूली काम है कि इन अत्यन्त परिश्रमी कार्यकर्त्ताओंके लिए भारी पड़ ही नहीं सकता। ऐसी हालतमें इस प्रस्तावके खिलाफ जो कुछ ज्यादासे-ज्यादा कहा जा सकता है वह यही कि इस मेहनतका कुछ फल न निकलेगा। जरा फर्ज कीजिए कि स्वराज्य या चटपट आर्थिक मुक्तिकी दृष्टिसे इसका कुछ फल न होगा, पर अखिल भारतीय खादी-बोर्डके पास अगर हर माह मनों सूत आता रहे और उसकी बदौलत सस्ती खादी बनती रहे तो क्या यह निष्फल होगा? नहीं। राष्ट्रीय उत्पादनमें एक गज कपड़ेके योगको भी निष्फल श्रम नहीं कहा जा सकता।

दूसरा एतराज उसपर यह किया गया है कि उससे कांग्रेसके हजारों मतदाताओं-का मताधिकार छिन जायेगा। पर मैं कहनेका साहस करता हूँ कि यह एतराज बिलकुल बेबुनियाद है। मतदाता वही होता है जो अपनी संस्थाके काममें लगनसे दिलचस्पी लेता हो। हमारे मतदाता ऐसे नहीं हैं। कसूर उनका नहीं, हमारा है। हमने उनमें काफी दिलचस्पी नहीं ली और जबतक हमें एड़ न लगाई जाये तबतक हम ऐसा करेंगे भी नहीं। तकुआ ही वह एड़ है। हर महीने कांग्रेसके अधिकारियों-को हरएक मतदातासे अपना सीधा सम्पर्क रखना पड़ेगा। यह बिलकुल स्पष्ट बात है; ताज्जुब है कि इसे भी समझानेकी जरूरत पड़ती है। हर महीने अपने कामका हिसाब देनेवाले हजारों सच्चे कार्यकर्त्ताओंकी एक संस्थाकी सम्भावनाओंकी कल्पना तो कीजिए। क्या संख्यामें थोड़े, पर उत्साही काम करनेवालोंकी सजीव संस्था उस संस्थासे हजारों गुनी अच्छी नहीं है जिसमें हजारों ऐसे सदस्य हों, जिन्हें उनके काम-की परवाह ही न हो और जो कुछ आदमियोंके इशारेपर अपनी राय देनेसे अधिक अपना कोई कर्त्तव्य ही न समझते हों। पर आसार तो ऐसे दिखाई देते हैं कि यदि हम आवश्यक परिवर्तन करनेका साहस-मात्र दिखायें तो हमें इतनी बड़ी तादादमें मतदाता लोग मिलेंगे जो हमारे अन्दाजसे बहुत ज्यादा होंगे। दूसरे महीनेमें सूत भेजनेवालोंकी तादाद पहले महीनेके दुगुनेसे भी ज्यादा है। यदि हर प्रान्तका हर कार्यकर्त्ता राजी-खुशीसे कातनेवालोंका खासा संगठन करे तो कतैयोंकी संख्यामें हमें बराबर वृद्धि ही दिखाई देगी और ताज्जुब नहीं कि कुछ ही महीनोंमें यह तादाद दो लाखतक पहुँच जाये। दो लाखके मानी हैं हर प्रान्तमें दस हजार और हर प्रान्त औसतन दस हजार स्वेच्छापूर्वक कातनेवाले लोग तैयार कर सके, इसके लिए किसी असाधारण संगठन-क्षमताकी जरूरत नहीं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मेरा प्रस्ताव नामंजूर नहीं होगा।

मैंने जान-बूझकर अपने प्रस्तावको छोटेसे-छोटा समान माप कहा है, बड़ेसे-बड़ा नहीं। छोटेसे-छोटे मापका मतलब यह नहीं है कि वह सारे देश द्वारा स्वीकार किये जाने योग्य छोटेसे-छोटा है, बल्कि देशकी उद्देश्य-सिद्धिके लिए कमसे-कम आवश्यक माप है। मेरा मत है कि यदि हमें रक्तपातके बिना स्वराज्य प्राप्त करना हो तो मेरी बताई ये तीनों बातें परम आवश्यक हैं। यदि हमारा यह आदर्श हो कि कार्य-क्षमताकी परवाह किये बिना जितने सदस्य बनाये जा सकें, बनाये जायें, तब तो हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यताको भी नमस्कार कर लेना होगा। कारण, मैं जानता हूँ कि

Gandhi Heritage Portal

अस्पृश्यता-निवारणके लिए जहाँ-कहीं हमने जोर-शोरसे काम किया है, वहीं बहुतेरे लोग कांग्रेससे अलग हो गये हैं। वे अब भी उसे हिन्दू-धर्मका अभिन्न अंग मानकर उससे चिपटे हुए हैं। यही बात हिन्दू-मुस्लिम एकताके सम्बन्धमें भी कही जा सकती है। कारण, हालके अनुभवोंने यह दिखला दिया है कि कितने ही लोग ऐसे हैं जो न केवल हिन्दू-मुस्लिम एकताके इच्छुक नहीं हैं, बल्कि हमारे मतभेदोंको बराबर बनाये रखना चाहते हैं। जरा-जरा-सी बातपर वे झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं। वे बहाने बनानेमें भी नहीं हिचकते। ऐसी अवस्थामें यदि हम अपने आन्तरिक विकासके लिए आवश्यक सभी चीजोंकी उपेक्षा कर देते हैं तो फिर कांग्रेस राष्ट्रकी पुकारपर एकजुट होकर एक व्यक्तिकी तरह दौड़ पड़नेवाली संस्थाके बजाय मछुओंका बाजार बन जायेगी। कमसे-कम मैं तो ऐसी संस्थामें, जहाँ ये तीनों चीजें एक जीवन्त सत्यके रूपमें विद्यमान न हों, बिलकुल पथरा जाऊँगा और यदि इसे 'बाइबिल' की पवित्रता भंग करना न माना जाये तो उसके एक वचनका उपयोग करते हुए मैं कहूँगा — पहले तुम हिन्दू-मुस्लिम एकता प्राप्त करो, छुआछूत हटाओ, चरखा और खादीको अपनाओ, फिर दूसरी तमाम चीजें तुम्हें अपने-आप मिल जायेंगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २५-९-१९२४

१५४. तार: मु० रा० जयकरको[1]

[२३ सितम्बर, १९२४][2]

मैं अपने शास्त्रोंकी भावनाका वाच्यार्थ नहीं लेता। मेरा विचार है प्रायश्चित्त उचित है। कृपया मेरी चिन्ता न करें। स्वास्थ्य बिलकुल ठीक है।

[अंग्रेजीसे]

द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, खण्ड – २

१. गांधीजीके स्वास्थ्यके बारेमें जयकर द्वारा की गई पूछताछके उत्तरमें।

२. जयकरको यह तार इसी तारीखको मिला था।

Gandhi Heritage Portal

१५५. तार : कुम्भकोणम् कांग्रेस कमेटीको

[२३ सितम्बर, १९२४][१]

तारके लिए धन्यवाद। ईश्वर चाहेगा तो यह अग्नि-परीक्षा पार कर लूँगा।

गांधी

[अंग्रेजीसे]
हिन्दू, २३-९-१९२४

१५६. पत्र : सतीश चन्द्र मुखर्जीको

दिल्ली
२३ सितम्बर, १९२४

प्रिय सतीश बाबू,

यह पत्र आपको केवल यह बतानेके लिए लिख रहा हूँ कि मेरा उपवास बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है। मैं जानता हूँ, आप अन्दर-ही-अन्दर इस बातसे प्रसन्न हो रहे हैं कि ईश्वरने मुझे संकटमें से गुजरनेकी शक्ति दी है। यदि आप यहाँ आना ही चाहते हों तो मेरे उपवासके अन्तिम सप्ताहमें आयें। अब आप कृष्टोदासके बारेमें चिन्ता न करें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[पुनश्च:]

कृष्टोदासने मुझे अभी-अभी बताया है कि आपको तो बुखार है। यदि ऐसा हो तो आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए।

मो० क० गांधी

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ५५९६) की फोटो-नकलसे।

१. समाचारपत्रमें दी गई तारीखसे।

Gandhi Heritage Portal

१५७. पाठकोंसे

दिल्ली

बुधवार, भाद्रपद बदी ११ [२४ सितम्बर, १९२४]

मैं आपको क्या लिखूं? मेरा और आपका सम्बन्ध, मेरी दृष्टिमें असाधारण है। 'नवजीवन' के सम्पादकका पद मैंने न तो धन-लोभसे ग्रहण किया है और न कीर्ति-लोभसे। मैंने तो अपने शब्दोंके द्वारा आपके हृदयका स्पर्श करनेके लिए यह पद स्वीकार किया है। मेरे हाथ यह अनायास ही आ पड़ा। परन्तु जबसे आया है तबसे मैं आपका ही चिन्तन करता रहा हूँ। मैंने प्रति सप्ताह 'नवजीवन' में अपनी आत्मा उड़ेलनेका प्रयत्न किया है। इसमें मैंने एक भी शब्द ईश्वरको साक्षी रखे बिना नहीं लिखा है। आपको जो प्रसादी पसन्द हो, वही देना, मैंने अपना धर्म नहीं समझा। कितनी ही बार मैंने कड़वे घूंट भी पिलाये हैं। किन्तु कड़वे या मीठे हरएक घूंटमें मैंने वही बतानेकी कोशिश की है, जिसे मैंने निर्मल धर्म माना है, जिसे मैंने स्वच्छ देश-सेवा माना है।

आज जो मैं उपवास कर रहा हूँ, सो इस सम्पादक-पदके अधिक योग्य बननेके लिए। मैं जानता हूँ कि 'नवजीवन' के अनेक पाठक भाई-बहन मेरे लेखोंसे मार्ग-दर्शन ग्रहण करते हैं। कहीं मैंने उनका गलत मार्ग-दर्शन करके उन्हें हानि पहुँचाई हो तो? यह खयाल मुझे बराबर सालता रहता था।

अस्पृश्यताके बारेमें मुझे कभी लेश-मात्र भी शंका नहीं हुई। चरखेके विषयमें तो ऐसी शंकाके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। वह लँगड़ेकी लाठी है। वह भूखसे पीड़ितोंकी भूख मिटानेका साधन है, निर्धन स्त्रियोंके सतीत्वकी रक्षा करनेवाला किला है। जबतक इसे सब लोग स्वीकार नहीं करते, तबतक हिन्दुस्तानकी फाकाकशी मिटना मैं असम्भव मानता हूँ। इस कारण चरखा चलानेमें अथवा उसका प्रचार करनेमें भूलके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है।

हिन्दू-मुसलमान ऐक्यकी आवश्यकताके विषयमें भी संशयके लिए कोई स्थान नहीं है। उसके बिना स्वराज्य आकाश-कुसुमके समान है।

परन्तु मैं जिस महान अहिंसाकी बात करता हूँ, उसे ग्रहण करनेके लिए आप तैयार हैं या नहीं, इसके विषयमें मुझे सदा शंका बनी रही है। मैंने तो पुकार-पुकार कर कहा है कि अहिंसा -- क्षमा -- वीरका लक्षण है। जिसमें मारनेकी शक्ति है, वही मारनेसे अपनेको रोक सकता है। मेरे लेखोंको पढ़कर कहीं आप भीरुताको अहिंसा मान लें तो? अपनोंकी रक्षा करनेके धर्मको खो बैठें तो? तब तो मेरी अधोगति ही होगी। मैंने कितनी ही बार लिखा है और कहा है कि कायरता कभी धर्म हो ही नहीं सकती। इस संसारमें तलवारके लिए जगह जरूर है, लेकिन कायरताके लिए कोई जगह नहीं है। कायरका तो क्षय ही हो सकता है और उसका क्षय

Gandhi Heritage Portal

उचित भी है। परन्तु मैंने तो यह दिखानेका प्रयत्न किया है कि तलवार चलानेवालेका भी क्षय ही होगा। तलवारसे मनुष्य किसको बचा सकता है, किसको मार सकता है? आत्मबलके सामने तलवारबल तृणवत् है। अहिंसा आत्माका बल है; तलवार शरीरका बल है। तलवारका उपयोग करके आत्मा शरीरवत् बनती है। अहिंसाका उपयोग करके आत्मा आत्मवत् बनती है। जो इस बातको न समझ सकें उन्हें तो तलवार हाथमें लेकर भी अपने आश्रितोंकी रक्षा करनी ही चाहिए।

ऐसा अनमोल अहिंसा-धर्म मैं शब्दोंके द्वारा प्रकट नहीं कर सकता। खुद पालन करके ही उसका पालन कराया जा सकता है। इसीलिए मैं इस समय इस धर्मका पालन कर रहा हूँ। मेरे मन्दिरोंको तोड़नेवाले मुसलमानको भी मैं तलवारसे न मारूँगा। उसपर मैं क्रोध भी न करूँगा। उसे भी मैं केवल प्रेमसे ही जीतूँगा।

मैंने लिखा है कि हिन्दुस्तानमें यदि एक ही शुद्ध प्रेमी पैदा हो जाये तो वह स्वधर्मकी रक्षा कर सकता है। मैं ऐसा ही शुद्ध प्रेमी बनना चाहता हूँ। मैं हमेशा लिखता रहा हूँ कि आप भी ऐसे बनें।

मैं जानता हूँ कि मेरे अन्दर बहुत प्रेम है। पर प्रेमकी सीमा ही कहाँ है? मैं यह भी जानता हूँ कि मेरा प्रेम असीम नहीं है। मैं साँपके साथ कहाँ खेल सकता हूँ? मुझे पूरा विश्वास है कि अहिंसा-मूर्तिके सामने साँप भी शान्त हो जाता है।

उपवास करके मैं अपनेको परख रहा हूँ; विशेष प्रेमकी सामर्थ्य अर्जित कर रहा हूँ। मैं अपना कर्त्तव्य पूरा करके आपको आपका कर्त्तव्य बताना चाहता हूँ। आप यदि मेरे साथ उपवास करें तो यह निरर्थक है। उसके लिए समय, अधिकार, आदिकी जरूरत रहती है। आपका कर्त्तव्य तो यही है कि जो तीन चीज मैं भिन्न-भिन्न तरीकोंसे आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उनको साधिए। मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा दूसरी बहुत-सी बातें अपने-आप सध जायेंगी।

मेरे उपावासके औचित्यपर शंका करनेके बदले आप ईश्वरसे यही प्रार्थना कीजिए कि मेरा उपवास निर्विघ्न पूरा हो जाये, मैं फिर 'नवजीवन'के द्वारा आपकी सेवा करने लगूँ और मेरे शब्दोंमें अधिक बल आये।

आपका सेवक,
मोहनदास गांधी

[गुजरातीसे]
नवजीवन, २८-९-१९२४

Gandhi Heritage Portal

१५८. पत्र : सरलादेवी चौधरानीको

दिल्ली
२४ सितम्बर, १९२४

मेरा प्रायश्चित्त दूसरोंके पाप-शोधनके लिए नहीं है। यह उस गलतीके लिए है जो सम्भवतः मुझसे हो गई हो।...तुम ऐसा क्यों मान लेती हो कि मैंने ईसाइयोंके उदाहरणोंसे प्रेरणा ली है। अगर लेता भी तो इसमें मुझे कोई लज्जा न होती; किन्तु असलमें इस प्रायश्चित्तसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, २७-९-१९२४

१५९. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको[1]

दिल्ली
२४ सितम्बर, १९२४

मेरे लिए यह बड़े दुःखकी बात है कि मैं आगामी सम्मेलनमें शरीक नहीं हो सकूँगा। मैं जानता हूँ कि मेरा उपवास खुद ही सम्मेलनको अपना कार्य जिस वातावरणमें करना चाहिए, उसमें एक बाधा है। मेरी उपस्थिति तो और भी अधिक बाधक होगी। लेकिन, यद्यपि मुझे वहाँ शरीरतः उपस्थित नहीं रहना चाहिए, फिर भी मेरी आत्मा तो वहीं रहेगी।

यह सम्मेलन बुलानेका कारण मेरा उपवास ही है। यदि यह हमें आत्म-निरीक्षण करने, स्पष्टवादिता, निर्भीकता और सचाईसे काम लेनेकी प्रेरणा दे सके, अगर इससे हममें अनावश्यक बातोंको छोड़ सकने और सिर्फ आवश्यक बातोंपर ही आग्रह करनेकी वृत्ति आ सके तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। किन्तु, यदि इसके कारण एक भी हिन्दू या मुसलमान उस चीजमें से कुछ छोड़नेको बाध्य होता है, जिसे वह अपना सिद्धान्त मानता है तो मुझे बहुत दुःख होगा। अगर सम्मेलनका परिणाम पैबन्द और थेगली लगी कृत्रिम शान्तिके रूपमें प्रकट होता है, तो सम्मेलन निष्फल ही साबित होगा। उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। जिस चीजकी जरूरत है वह है हृदयकी एकता और यह तभी आ सकती है जब हर आदमी अपने हृदयकी बात कहे और हृदयसे कहे। अगर मुसलमान ऐसा मानते हों कि मन्दिरोंकी पवित्रता भंग करना उनका कर्त्तव्य है, यदि वे समझते हों कि जो व्यक्ति अपने हृदयकी प्रेरणापर

१. यह वक्तव्य २६ सितम्बर, १९२४ को दिल्लीमें होनेवाले एकता-सम्मेलनके सम्बन्धमें दिया गया था।

Gandhi Heritage Portal

इस्लामका त्याग करता है या जो उसे एक बार स्वीकार करके पुनः अपना धर्म बदल लेता है, वह उनके हाथसे दण्ड पानेका पात्र है, या अगर वे सोचते हों कि मसजिदोंके पास गाना-बजाना जबरदस्ती भी बन्द कराना चाहिए तो उन्हें स्पष्ट रूपसे ऐसा करना चाहिए। मैं इसके लिए उनका आदर करूँगा, यद्यपि तब मुझे यह स्पष्ट हो जायेगा कि इस अभागे देशके भाग्यमें शान्ति नहीं बदी है। मुसलमानोंके वैसा कहनेका परिणाम झेलना मैं हजार बार पसन्द करूँगा, किन्तु यह कभी नहीं चाहूँगा कि एक भी मुसलमान किसी बाहरी दबावके कारण अपने धार्मिक विश्वासको अपने मनमें ही दबा कर रखे।

हिन्दू होनेके नाते मैं यह जानता हूँ कि कोई भी हिन्दू ऐसा कहनेका साहस नहीं कर सकता कि उसका धर्म उसे मसजिदोंकी पवित्रता भंग करने या किसी मुसलमानको गो-वध करनेसे जबरदस्ती रोकनेकी सीख देता है। मैं जानता हूँ कि अगर वह इनमें से कोई भी काम करता है तो पाप करता है। लेकिन, अगर ऐसे हिन्दू हों जो दूसरोंके पूजा-स्थलोंकी पवित्रता भंग करना या जोर-जबरदस्ती गो-वध बन्द कराना अपना कर्त्तव्य समझते हों तो उन्हें ऐसा कहना चाहिए। तब फिर मैं यही समझूँगा कि आँसुओं और दुःखके इस देशके भाग्यमें शान्ति ही लिखी नहीं है।

मैं जो-कुछ कहना चाहता हूँ वह यही है कि मेरे उपवासके कारण लोग कोई भी बात अपने मनमें छिपाकर न रखें और यह कि नकली शान्तिसे मेरी व्यथा घटनेके बजाय बढ़ेगी ही तथा मेरी आगेकी अवस्था इससे भी बुरी होगी। इसलिए इस समस्यापर विचार करते समय मेरे उपवासका कोई खयाल न रखा जाये और अगर सदस्यगण ऐसा मानते हों कि यह असम्भव है तो मैं तो यही अनुरोध करूँगा कि उपवासका दबाव दूर हो जानेतक सम्मेलनको स्थगित रखा जाये।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दू, २५-९-१९२४

१६०. टिप्पणियाँ

एक मित्रका निधन

हम भारतमें रहनेवाले लोग अपने दक्षिण आफ्रिकी वीरोंके बारेमें कुछ नहीं जानते। वे उसी प्रकार अज्ञात हैं :

> **जिस प्रकार हैम्डन नामका वह ग्रामीण, जिसने अत्यन्त निर्भयतापूर्वक अपने छोटे अन्यायी जमींदारका विरोध किया था।**[1]

मुझे अभी-अभी जोहानिसबर्गसे एक तार मिला है, जिसमें समाचार दिया गया है कि श्री पी० के० नायडूकी निमोनियासे मृत्यु हो गई है। वे बहुत ही सच्चे भारतीय और अत्यन्त साहसी मनुष्य थे। उन्होंने कई बार जेल-जीवनके कष्ट सहन किये थे।

१. अंग्रेज कवि ग्रेकी कवितासे।

Gandhi Heritage Portal

उनकी पत्नीने भी उनका अनुसरण किया। वे सभी कार्य करनेके लिए तैयार रहते थे। वे सूचना मिलनेके बाद एक घंटेके भीतर ही उन निर्वासित भारतीयोंके एक दलकी जिम्मेदारी सँभालनेके लिए तैयार हो गये थे, जिन्हें जनरल स्मट्सने भारत वापस जानेका आदेश दे दिया था। देशकी आजादीके लिए किसी भी त्यागको वे बहुत बड़ा नहीं समझते थे। ऐसे समयमें उनकी मृत्यु दक्षिण आफ्रिकामें रहनेवाले हमारे देशवासियोंके लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वे अकेले ही शक्तिशाली दक्षिण आफ्रिकी सरकारको चुनौती देनेमें समर्थ थे। वास्तवमें कुछ ही दिन पूर्व मुझे उनका एक पत्र मिला था, जिसमें उन्होंने अपने आन्दोलनकी योजना बताई थी। किन्तु अफसोस! निष्ठुर नियतिकी योजना कुछ और ही थी। नायडू अब संसारमें नहीं रहे; किन्तु उनका कार्य सदा जीवित रहेगा। श्री पी० के० नायडू अंग्रेजीके अच्छे पण्डित थे। वे हिन्दी, तेलुगू, फ्रांसीसी तथा जुलू भाषाएँ भी जानते थे। उन्होंने सब-कुछ अपने प्रयत्नसे ही सीखा था। शरीरसे वे बड़े हट्टे-कट्टे थे। वे एक अच्छे मुक्केबाज भी थे। किन्तु उन्होंने अहिंसाका रहस्य समझ लिया था; इसलिए वे गम्भीरतम उत्तेजनाके क्षणोंमें भी अपने ऊपर नियन्त्रण रख सकते थे। वे जन्मजात श्रमिक थे। वे कभी किसी कामको करनेसे इनकार नहीं करते थे। वे एक कुशल नाई थे और चूँकि वे क्लर्क नहीं बनना चाहते थे, इसलिए बाल काटनेकी एक दूकान चलाते थे। जब टॉल्स्टॉय फार्ममें हमने चप्पल बनानेका काम शुरू किया तो उसमें भी उन्होंने बड़ी कुशलता हासिल कर ली। वे एक सच्चे सिपाही थे। वे आज्ञा-पालन करना जानते थे। मैं उनकी मृत्युपर श्रीमती नायडू और दक्षिण आफ्रिकाके अपने देशभाइयोंके प्रति अपनी विनम्र समवेदना प्रकट करता हूँ।

अमानुषिक व्यवहार

श्रीमती गंगाबाई गिडवानी[1] और डा० चौइथरामके[2] आचार्य गिडवानीसे मिलकर लौटनेपर इन दोनोंसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि आचार्य गिडवानी दिन-भर कोठरीमें बन्द रखे जाते हैं। उन्हें तीन महीनेमें केवल एक बार मुलाकातियोंसे मिलनेकी अनुमति है। उनका वजन ३० पौंडसे भी अधिक घट गया होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियोंने बहुत दिनोंसे आचार्यका वजन भी नहीं लिया है। जब उन्होंने सुपरिंटेंडेंटसे पूछा कि वजन क्यों नहीं लिया गया तो उसने अपने कन्धे हिलाकर कहा, "यहाँ ऐसा नियम नहीं है।" मैं जानता हूँ कि जेल कोई महल नहीं होता। जेलमें कैदीको घरकी तमाम सुविधाओंकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पर मैं ऐसी बहुत-सी जेलोंको भी जानता हूँ, जहाँ ऐसा व्यवहार असम्भव है जैसा आचार्य गिडवानीके साथ किया जा रहा है। हाँ, अधिकारियोंके साथ इन्साफ करनेके लिए मुझे यह भी बता देना चाहिए कि उन्होंने आचार्यको हर रोज सुबह-शाम आधे घंटेतक खुली हवामें घूमनेकी इजाजत दे रखी है; किन्तु उन्होंने इस

१. ए० टी० गिडवानीकी पत्नी।
२. डा० चोइथराम गिडवानी; सिन्धके कांग्रेसी नेता।

Gandhi Heritage Portal

सुविधाको तिरस्कारके साथ अस्वीकार कर दिया है। इसपर मुझे ताज्जुब नहीं होता। वे स्वाभिमानी और आत्मसम्मानी व्यक्ति हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। उन्होंने नाभाकी सीमा भी किसी दुराग्रहके कारण पार नहीं की। उनकी मनुष्यता उन्हें वहाँ खींचकर ले गई थी। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया, जिसे हम अभद्रतापूर्ण कह सकें। उन्होंने नाभा राज्यके खिलाफ कोई साजिश नहीं की। उनपर कोई हिंसात्मक इरादा रखनेका शकतक नहीं किया गया है। तब फिर उनके साथ एक सामान्य कैदीकी तरहका व्यवहार क्यों नहीं किया जाता, जिसे दिन-भर खुली हवामें रखा जाता है? खूनी कैदियोंतक को खूब खुली हवाकी और घूमने-फिरनेकी काफी सुविधा दी जाती है। इसलिए आचार्य गिडवानीको जो निर्दयतापूर्वक कोठरीमें तनहा बन्द रखा जाता है, उसका मेरे जानते तो कोई कारण नहीं है। ऐसी तनहाईकी सजा तो जेलके नियमोंका कोई गम्भीर उल्लंघन करनेपर ही दी जाती है। यदि आचार्य गिडवानीने ऐसा कोई कसूर किया हो तो वह सर्व-साधारणको बताया जाना चाहिए। हो सकता है कि नाभा राज्यमें ऐसी सुविधा न हो जिससे वह आचार्य गिडवानीको दिन-भर बाहर रख सके। यदि यह बात है तो मेरा सुझाव है कि उन्हें दूसरी जेलमें बदल दिया जाये। मैं जानता हूँ कि कैदियों-को एक जेलसे हटाकर दूसरीमें रखनेकी प्रथा सारे भारतकी जेलोंमें प्रचलित है। उदाहरणार्थ, मैंने यरवदा सेन्ट्रल जेलमें पंजाब, जूनागढ़ राज्य और मद्रास अहातेसे लाये हुए कैदी भी देखे थे। जब मैंने श्रीमती गिडवानी और डा० चोइथरामका यह कथन सुना तो मुझमें सविनय अवज्ञाकी भावना पूरी तरहसे जाग उठी और मेरा मन हुआ कि मुझे इसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। परन्तु जब मेरे मनमें यह खयाल आया कि इसके लिए मुझमें शक्ति ही कहाँ है तो मेरी गर्दन मारे शर्मके नीचे झुक गई। एक-दूसरेके खिलाफ खम ठोककर लड़ते हुए दलोंमें विभक्त और हिन्दुओं और मुसलमानोंके झगड़ोंसे जर्जर भारतमें सविनय अवज्ञा असम्भव ही दिखाई देती है। पण्डित जवाहरलाल मुझसे पूछते हैं कि क्या उन्हें नाभाके प्रशासकसे प्राप्त पत्रकी ललकारपर नाभाकी हदमें प्रवेश करके अपने साथीसे मिलने नहीं जाना चाहिए। काश, मैं उनसे 'हाँ' कह पाता। इस अवस्थामें तसल्लीकी बात सिर्फ इतनी ही है कि आचार्य गिडवानी वीर पुरुष हैं और उन्हें जेलमें जो भी कष्ट दिये जायें, उन्हें सहनेमें वे समर्थ हैं। ईश्वर उन्हें यह अग्नि-परीक्षा झेलनेका बल दे। स्वाधीनताकी यह कीमत हमें चुकानी ही पड़ेगी। स्वाधीनता बड़ी महँगी वस्तु है और जेल उसे तैयार करनेके कारखाने हैं।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २५-९-१९२४

Gandhi Heritage Portal

१६१. तार: घनश्यामदास बिड़लाको

दिल्ली
२५ सितम्बर, १९२४

घनश्यामदास बिड़ला
१३७, केनिंग स्ट्रीट
कलकत्ता

जानता था कि आप उपवासकी धार्मिक आवश्यकताका समर्थन करेंगे। आशा है आप जल्दी ही स्वस्थ हो जायेंगे। अभी आनेकी आवश्यकता नहीं। चाहता हूँ आप स्वस्थ होनेके बाद आयें।

गांधी

मूल अंग्रेजी तार (सी० डब्ल्यू० ५९९७) से।
सौजन्य: घनश्यामदास बिड़ला

१६२. पत्र: मणिबहन पटेलको

[२६ सितम्बर, १९२४][1]

चि० मणि,

मेरे उपवाससे तनिक भी घबरानेकी जरूरत नहीं। [जितने दिन उपवास कर चुका हूँ], उसको देखते हुए अब भी खूब शक्ति है। मेरा खयाल है, २१ दिनकी अवधि निर्विघ्न पार हो जायेगी। डाक्टरोंका भी यही खयाल है। अपने स्वास्थ्यका खूब ध्यान रखना। घूमनेकी आदत रखना। मुझे पत्र लिखना।

बापूके आशीर्वाद

चि० मणिबहन पटेल
मार्फत – बैरिस्टर वल्लभभाई
अहमदाबाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो ४ – मणिबहेन पटेलने

१. मणिबहन पटेल द्वारा दी गई तिथि।

Gandhi Heritage Portal

१६३. हिन्दू-मुस्लिम एकता सम्बन्धी प्रस्तावका मसविदा[1]

[२७ सितम्बर, १९२४ से पूर्व]

यह सम्मेलन भारतमें हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच बहुत-से स्थानोंपर चल रहे उस विरोध-वैमनस्य और उन झगड़े-फसादोंकी निन्दा करता है, जिनके परिणाम-स्वरूप लोगोंकी जानें गई हैं, सम्पत्ति जलाई[2] गई है और पूजा-स्थानोंकी पवित्रता भंग की गई है। सम्मेलन इस प्रकारके कार्योंको बर्बरतापूर्ण और धर्म-विरुद्ध[3] मानता है तथा इन उपद्रवोंमें नुकसान उठानेवाले लोगोंके प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता है। इस सम्मेलनका विचार है कि किसी भी मनुष्यके लिए[4] कानूनको अपने हाथमें लेना अवैध और धर्म-विरुद्ध है। सम्मेलनका मत है कि सभी मतभेदोंको, चाहे वे किसी प्रकारके हों, पंच-फैसलेके लिए सौंप देने चाहिए या[5] न्यायालयमें पेश करना चाहिए। यह सम्मेलन पंचोंके रूपमें . . . को (ये व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो इस कार्यमें अपना सारा समय लगायें) नियुक्त करता है और उन्हें यह अधिकार देता है कि वे ऐसे अभिकर्त्ता (एजेंट) नियुक्त कर सकते हैं जो दोनों सम्प्रदायोंके सभी झगड़ोंका निपटारा करें, पिछली ज्यादतियोंकी जाँच-पड़ताल करें तथा अपनी जाँचके निष्कर्षोंको प्रकाशित करें।

इस सम्मेलनका विचार है कि हिन्दुओंको गो-हत्या बलपूर्वक बन्द करानेकी आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके लिए उन्हें मुसलमानोंकी सद्भावनापर विश्वास करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि दोनों सम्प्रदायोंके सम्बन्ध अच्छे हो जानेपर इस सम्बन्धमें सहज ही उनकी भावनाका खयाल रखा जाने लगेगा और इसी प्रकार मुसलमानोंको भी मसजिदोंके पास हिन्दुओंका गाना-बजाना जबरदस्ती बन्द करानेकी आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हिन्दुओंकी सद्भावनापर विश्वास करते हुए मानना चाहिए कि जहाँ उनकी भावनाएँ प्रामाणिक होंगी, वहाँ हिन्दू लोग यथा-सम्भव उनका पूरा खयाल रखेंगे।

इस सम्मेलनका विचार है कि कुछ अखबारोंने, विशेषकर उत्तर भारतके कुछ अखबारोंने, घोर अतिशयोक्तिपूर्ण बातें लिखकर, एक-दूसरेके धर्मकी निन्दा करके और

१. अनुमानतः यह मसविदा गांधीजीने तैयार किया था। इसका पहला अनुच्छेद कुछ परिवर्तनोंके साथ, जिनका उल्लेख नीचे पाद-टिप्पणियोंमें किया गया है, २९-९-१९२४ के **बॉम्बे क्रॉनिकल**में शौकत अली द्वारा प्रस्तुत और एकता सम्मेलनकी विषय-समिति द्वारा २७ सितम्बर, १९२४ को स्वीकृत प्रस्तावके रूपमें छपा था।

२. स्वीकृत प्रस्तावमें यहाँ "और लूटी" शब्द जोड़ा गया है।

३. स्वीकृत प्रस्तावमें "धर्म-विरुद्ध" शब्द नहीं है।

४. यहाँ "बदला लेने या दण्ड देनेके तौरपर" ये शब्द जोड़े गये हैं।

५. यहाँ "अगर यह असम्भव हो तो" शब्द जोड़े गये हैं।

Gandhi Heritage Portal

हर तरहसे पूर्वग्रहों और आवेशको उत्तेजन देकर इस तनावको बढ़ाया है। यह सम्मेलन जनतासे अनुरोध करता है कि वह इस प्रकारके अखबारों तथा पुस्तिकाओंको खरीदना और पढ़ना बन्द कर दे और प्रस्तावमें उल्लिखित बोर्डको सलाह देता है कि वह इस प्रकारके लेखोंकी जाँच-पड़ताल[1] करे और समय-समयपर गलत-बयानियोंको सुधारकर प्रकाशित करे।

यह सम्मेलन प्रस्तावके अनुसार नियुक्त किये जानेवाले बोर्डको अधिकार देता है कि वह अल्पसंख्यकोंके अधिकारोंकी रक्षाकी एक योजना बनाये और इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए सभी दलों और वर्गोंसे आवेदन माँगे और अपने निष्कर्षोंको प्रकाशित करे। ये निष्कर्ष १९२९ के अन्ततक पाँच वर्षोंके लिए सभी दलों और वर्गोंपर लागू रहेंगे और उसके बाद भी जबतक सभी पक्षोंके प्रतिनिधियोंका एक संयुक्त सम्मेलन उसपर पुनर्विचार न करे तबतक लागू रहेंगे।

इस सम्मेलनका विचार है कि अवयस्कों और नासमझ तथा अशिक्षित वयस्कोंकी शुद्धि या तबलीग नैतिक भावनाके विपरीत है और इसे बन्द कर देना चाहिए। इस सम्मेलनका यह भी विचार है कि धनका प्रलोभन देकर तबलीग या शुद्धि करना गर्हित है; इसलिए जहाँ भी ऐसा किया जाता हो, उसे बन्द कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त सम्मेलनका विचार यह भी है कि तबलीग या शुद्धि कभी लुक-छिप कर नहीं करनी चाहिए और जिसका भी धर्म-परिवर्तन किया जाये, खुले तौरपर तथा उसके सम्बन्धियोंको सूचना देकर किया जाये।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १५८७०) की फोटो-नकलसे।

१६४. पत्र : मोतीलाल नेहरूको

२७ सितम्बर, १९२४

प्रिय मोतीलालजी,

आपने कल रात जो प्रस्ताव[2] मुझे पढ़कर सुनाया, उसे आपके निर्देशनमें सम्मेलनने स्नेह और करुणाकी भावनावश पास कर दिया है। मैं आपसे कहूँगा कि आप सम्मेलनको यह विश्वास दिलायें कि यदि मेरे लिए उसकी इच्छाओंका पालन कर सकना सम्भव होता तो मैं खुशीसे करता। मैंने अपने मनको बार-बार टटोला है और मैं देखता हूँ कि मेरे लिए उपवास समाप्त करना सम्भव नहीं है। मेरा धर्म

१. साधन-सूत्रमें "निरीक्षण करें" है।

२. सम्मेलनने गांधीजीके उपवासपर चिन्ता और दुःख प्रकट करते हुए अपने प्रस्तावमें धार्मिक स्थानोंके अपवित्र किये जानेकी निंदा की थी और गांधीजीको विश्वास दिलाया था कि सम्मेलनके सदस्य धार्मिक सद्भावके लिए प्रयत्न करेंगे। अन्तमें प्रस्तावमें गांधीजीसे अनुरोध किया गया था कि वे तुरन्त अपना उपवास समाप्त कर दें।

Gandhi Heritage Portal

मुझे सिखाता है कि एक बार वचन देनेके बाद या किसी अच्छे उद्देश्यके लिए कोई व्रत लेनेके बाद उसे तोड़ना नहीं चाहिए और आप जानते ही हैं कि मेरा जीवन पिछले ४० वर्षोंसे भी अधिक समयसे इसी आधारपर चलता आया है।

इस उपवासके कारण इतने गहरे हैं कि उन्हें इस पत्रमें समझाया नहीं जा सकता। एक चीज़ तो यही है कि मैं इस उपवासके द्वारा अपना विश्वास व्यक्त कर रहा हूँ। असहयोगकी कल्पना एक अंग्रेजके विरुद्ध घृणा अथवा दुर्भावके वशमें होकर नहीं की गई थी । उसके अहिंसात्मक स्वरूपका उद्देश्य यह था कि हम अंग्रेजोंको अपने प्रेमसे जीतें। लेकिन असहयोगका यह परिणाम तो नहीं ही निकला, उलटे उससे जो जोश और उत्साह उत्पन्न हुआ उसने हमारे ही बीच घृणा और दुर्भावको जन्म दे दिया है। यह इसी तथ्यका ज्ञान है जिससे विवश होकर मैंने पश्चात्ताप करनेका यह अटल निश्चय किया है।

अतः अब यह उपवास मेरे और ईश्वरके बीचकी बात है। इसलिए मैं इसे न तोड़नेके लिए आपसे क्षमा ही नहीं चाहूँगा, बल्कि आपसे यह भी कहूँगा कि मुझे प्रोत्साहन दें और मेरी तरफसे प्रार्थना करें कि यह व्रत सफलतापूर्वक समाप्त हो।

मैंने मरनेकी इच्छासे उपवास शुरू नहीं किया है, बल्कि देशकी सेवाके लिए एक बेहतर और ज्यादा पवित्र जीवन जीनेके लिए किया है। अतः यदि मैं किसी ऐसी संकटकी स्थितिमें पहुँच गया (जिसकी मुझे कोई सम्भावना नहीं दिखाई देती) जहाँ मुझे मौत और भोजनमें से किसी एकको चुनना हो तो मैं निश्चय ही उपवास[1] तोड़ दूँगा। डा० अन्सारी और डा० रहमान, जो बड़े ध्यान और सावधानीके साथ मेरी देख-रेख कर रहे हैं, आपको बतायेंगे कि मैं बिलकुल तरोताजा बना हुआ हूँ।

इसलिए मैं आदरपूर्वक सम्मेलनसे कहूँगा कि उसका प्रस्ताव जिस व्यक्तिगत स्नेहका सूचक है, उस स्नेहको उस एकताके लिए, जिसके लिए कि सम्मेलन बुलाया गया है, ठोस, हार्दिक और सच्चे कामका रूप दे।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २-१०-१९२४

१. गांधीजीके उपवासके सम्बन्धमें मथुरादास त्रिकमजीने महादेव देसाईको पत्र लिखा था। **बापुनी प्रसादी**में यह और इससे पहलेवाला वाक्य "मथुरादास त्रिकमजीके लिए टिप्पणी" के रूपमें दिया गया है।

Gandhi Heritage Portal

१६५. पत्र : नरहरि परीखको

भाद्रपद बदी ३० [२८ सितम्बर, १९२४][1]

भाई नरहरि,

महादेव तुमको रोज लिखता है, इसलिए मैंने कोई पत्र नहीं लिखा। लेकिन तुम्हारा और जुगतरामका ध्यान बराबर बना रहता है। मेरी लिखावट देखकर ही समझ जाओगे कि उपवासका मुझपर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है। मैं खूब शान्त हूँ और पूरे आनन्दका अनुभव कर रहा हूँ। मेरी कोई चिन्ता न करना। सभी भाई-बहनोंसे मेरा वन्देमातरम् कहना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (एस० एन० ९०४६) की फोटो-नकलसे।

१६६. हृदय-परिवर्तन

२९ सितम्बर, १९२४

अबतक तो हम, जिन अंग्रेजोंसे भारत सरकार बनी हुई है, उनके हृदय-परिवर्तनके लिए प्रयत्नशील और उत्कंठित रहे। वह परिवर्तन तो अभीतक नहीं आ पाया है। फिर भी हमें कुछ समयके लिए अंग्रेजोंके बजाय हिन्दुओं और मुसलमानोंके हृदय-परिवर्तनके लिए प्रयत्न करना है। जबतक उनमें इतनी बहादुरी नहीं आ जाती कि वे एक-दूसरेको प्यार कर सकें, एक-दूसरेके धर्म, बल्कि पूर्वग्रहों और अंधविश्वासोंके प्रति भी सहिष्णुता बरत सकें तथा एक-दूसरेका विश्वास कर सकें, तबतक उन्हें स्वराज्यकी बात सोचनेका साहस नहीं करना चाहिए। इस सबके लिए आत्म-विश्वासकी जरूरत है और आत्म-विश्वासका मतलब ईश्वरमें विश्वास रखना है। अगर हमारे अन्दर वह विश्वास पैदा हो जाये तो हम एक-दूसरेसे बिलकुल नहीं डरेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २-१०-१९२४

१. उपवासके उल्लेखसे।

१६७. पत्र : श्रीमती हॉजकिन्सनको

[३० सितम्बर, १९२४][1]

प्रिय श्रीमती हॉजकिन्सन,

पत्रके लिए धन्यवाद। मैं प्रतिदिन ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे राह दिखाये। प्रार्थना करनेके बाद ही मैंने उपवास प्रारम्भ किया। मैंने मरनेके लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि सेवाके उद्देश्यसे अधिक अच्छे और शुद्ध मनुष्यके रूपमें जीनेके लिए ही ऐसा किया है। किन्तु यदि ईश्वरकी ही इच्छा कुछ और हो तो उसे कौन टाल सकता है? मैं आपकी इस बातसे बिलकुल सहमत हूँ कि मानवीय प्रयत्नसे कभी एक दिनमें एकता स्थापित नहीं हो सकती, किन्तु आस्थाका बल और प्रार्थना तो चमत्कार उत्पन्न कर सकते हैं।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
ट्रिब्यून, ३-१०-१९२४

१६८. सन्देश : 'गुणसुन्दरी' को[2]

स्वराज्यकी डोर बहनोंके हाथमें है। वह डोर आज उनके हाथसे छूट गई है। अगर वे सुन्दर और मजबूत सूत कातें तो उसके बलपर वे अभी भी स्वराज्यको, वह जहाँ कहीं हो वहाँसे खींच ला सकती हैं।

मोहनदास गांधी

[गुजरातीसे]
गुणसुन्दरी, अक्तूबर, १९२४

१. यह पत्र श्रीमती हॉजकिन्सनको इसी दिन मिला था।
२. एक गुजराती मासिक पत्रिका।

Gandhi Heritage Portal

१६९. सन्देश : एनी बेसेंटके जन्म-दिवसपर[1]

[१ अक्तूबर, १९२४ से पूर्व]

मुझे अफसोस है कि मैं डा० एनी बेसेंटके जन्म-दिवस समारोहमें उपस्थित नहीं हो सकता। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे इस सिलसिलेमें बम्बईकी एक सभाकी अध्यक्षता करनेका सौभाग्य मिलेगा। किन्तु विधिकी इच्छाके सामने मनुष्यके संकल्पोंका क्या अर्थ होता है? मैं यह खयाल भी नहीं करता था कि मुझे यह प्रायश्चित्त करना पड़ेगा, जो ईश्वर मुझसे करा रहा है। आशा है, सभामें आये सभी लोग मुझे क्षमा करेंगे। किन्तु यद्यपि मेरा शरीर वहाँ उपस्थित नहीं रहेगा, फिर भी मेरी आत्मा वहीं रहेगी। डा० बेसेंटकी ख्याति दुनिया-भरमें है। यह भारतके लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं है कि उन्होंने भारत माताको अपनी माता माना है और अपने सारे अनुपम गुणोंको उसकी सेवामें अर्पित कर दिया है। वे इस आयुमें भी, जब कि लोग पूर्ण विश्राम करनेके अधिकारी होते हैं, अद्भुत स्फूर्ति और उत्साहसे लिख रही हैं और भाषण देने, यहाँ-वहाँ आने-जाने और भारतकी मुक्तिकी योजनाएँ तैयार करनेमें लगी हुई हैं। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियोंमें उनका अदम्य उत्साह, उनकी महान् संगठन-शक्ति, उनकी साहित्यिक प्रतिभा और वक्तृत्व-कला तथा बहुतसे दूसरे गुण, जिनका मैं उल्लेख कर सकता हूँ, हमारे लिए ऐसी निधियाँ हैं, जिनपर हमें गर्व होना चाहिए और जिनका सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए जब मेरा उनसे मतभेद हुआ तो मुझे दुःख हुआ था। लेकिन अब इस बातसे मुझे उतनी ही प्रसन्नता भी है कि हम एक-दूसरेके अधिक निकट आते दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर उन्हें लम्बी आयु दे और वे उस स्वराज्यको स्थापित हुआ देख सकें, जिसके लिए वे और हम कठिन प्रयास कर रहे हैं और जिसके लिए धैर्यपूर्वक सतत प्रयत्न करनेमें कोई भी उनसे आगे नहीं बढ़ सकता।

[अंग्रेजीसे]

न्यू इंडिया, २-१०-१९२४

१. यह १ अक्तूबरको कावसजी जहांगीर हॉल, बम्बईमें हुई एक सभामें पढ़ा गया था। यह सभा बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस, स्वराज्य-सभा तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओंके तत्त्वावधानमें डा० बेसेंटकी ७८ वीं वर्षगाँठ तथा उनके सार्वजनिक जीवनकी जयन्ती मनानेके लिए की गई थी। मुहम्मद अली जिन्नाने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें एनी बेसेंट भी उपस्थित थीं। देखिए "पत्र: एनी बेसेंटको", १८-९-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

१७०. बम्बईके महिला-शिष्टमण्डलको उत्तर

१ अक्तूबर, १९२४

बम्बईकी महिलाओंका एक शिष्टमण्डल, जिसमें राष्ट्रीय स्त्री सभाकी मन्त्री श्रीमती केप्टन, श्रीमती मीर अली, श्रीमती गोखले, श्रीमती ठाकुर और कुमारी पेटिट शामिल थीं, कल महात्मा गांधीसे मिला और उनसे उपवास तोड़नेका अनुरोध किया।

महात्माजीने उत्तरमें कहा कि मैंने निश्चय किया है कि मैं उपवास निर्धारित अवधितक जारी रखूँगा और मुझे विश्वास है कि मैं उसे बिना किसी विघ्न-बाधाके पूरा कर लूँगा।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, २-१०-१९२४

१७१. क्या गुजरात हार जायेगा?

बुधवार, आश्विन सुदी ३ [१ अक्तूबर, १९२४]

आन्ध्रदेश और बंगालने गुजरातको कतैयोंकी संख्यामें हरा देनेकी धमकी दी है। यदि इनमें से एक भी प्रान्त गुजरातको हरा देगा तो मैं उसे अवश्य मुबारकबाद दूँगा। लेकिन गुजरात हारे क्यों? पूर्ण प्रयत्न कर लेनेके बाद हारमें भी जीत ही है। गुजरातने तो अभी प्रयत्न शुरू ही किया है। तमाम शिक्षक लोग अभी कहाँ कातते हैं? विद्यार्थी कहाँ कातते हैं? अगर ये सब, और सभाओंमें हाजिर रहनेवाले गुजरातके असंख्य भाई-बहन कातने लगें और फिर गुजरात हार जाये तो कोई हर्ज नहीं। बाजी कार्यकर्त्ताओंके हाथ है। कार्यकर्त्ताओ, सावधान!

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ५-१०-१९२४

Gandhi Heritage Portal

१७२. सन्देश : अन्तर्राष्ट्रीय अफीम सम्मेलनको[1]

[२ अक्तूबर, १९२४ से पूर्व]

महात्मा गांधी और रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अपने हस्ताक्षरोंमें यह सन्देश दिया है :

हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले लोग नशीली चीजोंकी इस बढ़ती हुई लतको व्यक्तियों और राष्ट्रोंके लिए घातक खतरा मानते हैं। इन चीजोंसे मानव-जातिके शरीरमें अन्दर ही अन्दर बड़ी तेजीसे जहर फैल रहा है। हम इस बुराईको राष्ट्रोंके आपसी सहयोगसे ही रोक सकते हैं। अतः हम लोग नवम्बर १९२४ में जो अन्तर्राष्ट्रीय अफीम सम्मेलन हो रहा है उससे सादर निवेदन करते हैं कि जिन पौधोंसे ये नशीली चीजें बनती हैं, उनको पूर्णतः नष्ट करनेके लिए समुचित उपाय करे। केवल उतने ही पौधे छोड़े जायें जितनेको संसारके सर्वोत्तम चिकित्सा-शास्त्रियोंकी रायमें औषधियों और विज्ञानकी दृष्टिसे रखना आवश्यक हो।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २-१०-१९२४

१७३. भाई परमानन्दके सन्देशका उत्तर

[२ अक्तूबर, १९२४][2]

भाई परमानन्दके सन्देशके उत्तरमें श्री गांधीने तार भेजा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि केवल ईश्वर ही जानता है कि मैंने उपवास आरम्भ करके पाप किया है या नहीं। यदि कोहाटके शरणार्थियोंको मेरे प्राण देनेसे सान्त्वना मिले तो मैं वैसा करनेके लिए तैयार हूँ। यदि कोहाटका शिष्टमण्डल मुझसे उपवास त्यागनेका आग्रह करनेके लिए ही दिल्ली आना चाहता है तो उसका आना व्यर्थ है। यदि नहीं, तो वैसे उनसे भेंट करनेमें मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी।

[अंग्रेजीसे]

न्यू इंडिया ३-१०-१९२४

१. यह सम्मेलन जनेवामें हुआ था। **न्यू इंडियाके** २२-११-१९२४ के अंकमें निम्न समाचार छपा था : "जनेवा, २० नवम्बर : श्री अलेक्जेंडरने . . . कहा कि उन्हें आज श्री गांधीका एक तार मिला है जिसमें कहा गया है कि भारत दवाओंको छोड़कर दूसरे सभी उद्देश्योंके लिए अफीम-व्यापारका उन्मूलन चाहता है।"

२. यह समाचार 'एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया' ने अहमदाबादसे इसी तारीखको प्रकाशनके लिए भेजा था।

Gandhi Heritage Portal

१७४. टिप्पणी

मैं मुसलमान क्यों नहीं होता

एक मुसलमान भाई लिखते हैं :

> **आपका दावा है कि 'मैं सत्याभिलाषी, सत्य-शोधक और सत्य-ग्राहक हूँ।' साथ ही आपने यह भी लिखा है कि 'इस्लाम मिथ्या धर्म नहीं है।' खुदाका खास फरमान है कि दुनियाके हर शख्सको इस्लाम कबूल करना चाहिए। फिर भी आप मुसलमान क्यों नहीं होते? एक हिन्दू नेताका ध्यान जब मैंने परिशिष्टांक १४ की[1] ओर खींचा, तब उन्होंने कहा कि यह तो गांधीजीने मुसलमानोंको खुश रखनेके लिए लिख दिया है। गांधीजीके दिलमें इस्लामके लिए मुहब्बत नहीं है।**

इन भाईने आग्रहपूर्वक जवाब माँगा है। यह धर्म तो कहीं नहीं सुना कि जो मिथ्या न हो वह सब हर आदमीको करना ही चाहिए। जिस तरह मैं इस्लामको मिथ्या नहीं मानता, उसी तरह मैं ईसाई, पारसी, यहूदी धर्मोंको भी मिथ्या नहीं मानता। तो फिर मैं किस धर्मको कबूल करूँ? फिर, मैं हिन्दू-धर्मको भी मिथ्या नहीं मानता। ऐसी अवस्थामें मुझ-जैसे सत्य-शोधकको क्या करना चाहिए? मुझे इस्लाममें खूबियाँ दिखाई दीं और इसीलिए मैंने कहा कि यह धर्म मिथ्या नहीं है। यह कहनेकी जरूरत इसलिए हुई कि इस्लामपर चोट की गई है। और चूँकि मैं मुसलमान भाइयोंके साथ मित्रता रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उनके धर्मका बचाव किया। हर आदमीकी नजरमें उसका अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ होता है; इसीसे वह अपने ही धर्ममें रहता है। इसी तरह हिन्दू-धर्म मुझे मिथ्या नहीं मालूम होता; इतना ही नहीं, बल्कि सबसे श्रेष्ठ मालूम होता है। इसलिए मैं अपने धर्मसे उसी तरह चिपटा हुआ हूँ जिस तरह बालक अपनी माँसे चिपटा रहता है। परन्तु बालक जिस प्रकार परायी माताका तिरस्कार नहीं करता, उसी प्रकार मैं भी पर-धर्मका तिरस्कार नहीं करता। अपने धर्मके प्रति मेरा प्रेम, अपने-अपने धर्मके प्रति दूसरोंके प्रेमकी भी कद्र करना सिखाता है और मैं हमेशा ईश्वरसे यह प्रार्थना करता रहता हूँ कि यह बात हर हिन्दू और मुसलमान सीखे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ५-१०-१९२४

१. **नवजीवन**का १४वाँ परिशिष्टांक १ जून, १९२४ को प्रकाशित हुआ था और उसमें २९-५-१९२४ के **यंग इंडिया**में हिन्दू-मुस्लिम तनावपर लिखे एक लेखका अनुवाद छपा था। देखिए खण्ड २४, पृष्ठ १३९-१५९।

Gandhi Heritage Portal

१७५. पत्र : जमनादास गांधीको

रविवार, आश्विन सुदी ७ [५ अक्तूबर, १९२४][1]

चि० जमनादास,

आज उपवासके अठारह दिन पूरे हो गये; लेकिन [मेरे स्वास्थ्यपर] उसका कोई खास असर हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मैं बहुत आनन्दमें हूँ। मेवाकी[2] तबीयत ठीक होती ही नहीं। इसका क्या कारण है, पता लगाना चाहिए। तुम तो कुछ और स्वस्थ हो गये होगे! पैसेकी परेशानी तो अब मिट गई होगी। स्वेच्छासे कातनेवालोंकी संख्या बढ़ाना। जगन्नाथका उपयोग उनके अपने खास काममें ही करना। पूज्य खुशालभाई[3] और देवभाभीको[4] मेरा दण्डवत् कहना। अभी तो मुझे दिल्लीमें ही रहना है, इसलिए पत्र यहीं, मुहम्मद अलीके पतेपर लिखना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३६) से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

१७६. मेरा अवलम्ब

दिल्ली
६ अक्तूबर, १९२४

मेरे प्रायश्चित्त और प्रार्थनाका आज बीसवाँ दिन है। अब मैं फिर शान्तिके राज्यसे निकलकर तूफानी दुनियामें पड़नेवाला हूँ। इसके बारेमें मैं जितना सोचता हूँ अपने-आपको उतना ही अधिक असहाय अनुभव करता हूँ। कितने ही लोग एकता-सम्मेलन द्वारा शुरू किये गये कामको पूरा करनेके लिए मेरी ओर आशा भरी नजरोंसे देख रहे हैं। कितने ही लोग राजनीतिक दलोंको एकत्र करनेकी उम्मीद मुझसे रखते हैं। पर मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर ही सब-कुछ कर सकता है। प्रभो, मुझे अपना योग्य साधन बना और अपना इच्छित काम मुझसे ले!

मनुष्य कोई चीज नहीं। नैपोलियनने क्या-क्या मनसूबे नहीं बाँधे, पर सेंट हेलेनामें एक कैदी बनकर उसे रहना पड़ा। जर्मन सम्राट् कैसरने समस्त यूरोपका

१. डाककी मुहरसे।
२. जमनादास गांधीकी पत्नी।
३. जमनादास गांधीके पिता।
४. जमनादास गांधीकी माता।

Gandhi Heritage Portal

शाह बननेका ख्वाब देखा, पर आज वह एक मामूली आदमी है। ईश्वरकी यही इच्छा थी। हम ऐसे उदाहरणोंपर विचार करें और विनम्र बनें।

सौभाग्य और शान्तिके इन दिनोंमें, जबकि मुझे ईश्वरकी कृपाका अनुभव होता रहा है, मैं अकसर एक भजन गुनगुनाता रहा हूँ। वह सत्याग्रह आश्रममें अकसर गाया जाता है। वह इतना भावपूर्ण है कि मैं उसे पाठकोंके सामने उपस्थित करनेकी प्रसन्नताका संवरण नहीं कर सकता। मैं खुद जितना कह सकता हूँ उससे कहीं ज्यादा अच्छी तरह उस भजनका भाव ही मेरी स्थितिको प्रदर्शित करता है।

भजन इस प्रकार है:

रघुबर तुमको मेरी लाज।
सदा-सदा मैं सरन तिहारी, तुम बड़े गरीब निवाज।।
पतित उधारन बिरुद तिहारो श्रवणन सुनी अवाज।
हौं तो पतित पुरातन कहिये पार उतारो जहाज।।
अघ खण्डन दुख-भंजन जनके यही तिहारो काज।
तुलसीदासपर किरपा करिये भक्ति-दान देहु आज।।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ९-१०-१९२४

१७७. पत्र : ना० मो० खरेको

आश्विन सुदी ९–१० [७ अक्तूबर, १९२४][1]

भाई पण्डितजी,[2]

यह पत्र उपवासके अन्तिम दिन लिख रहा हूँ। आत्माके विकासके लिए संगीतके महत्त्वकी प्रतीति मुझे दिन-दिन होती जा रही है। मैं चाहता हूँ, आप इस बातके लिए खूब प्रयत्न करें कि हमारे भजन सब लोग अर्थ समझकर गाने लगें। आश्रम-वासी अभी जो भजन गाते हैं, उनमें लीन नहीं होते। इस समय बालकृष्णके[3] यहाँ होनेसे मुझे बड़ी मदद मिली। सब बालकृष्ण-जैसे क्यों नहीं हो सकते? सभी भक्त सदासे भजनोंमें लीन होते आये हैं। रामभाऊ[4] [प्रार्थनाके समय] तनकर नहीं बैठता। उसे तनकर बैठनेकी आदत डालिए।

१. डाककी मुहरसे।
२. नारायण मोरेश्वर खरे, आश्रममें संगीतके अध्यापक; डांडी यात्रा-दलके एक सदस्य।
३. बालकृष्ण न० भावे; सत्याग्रह आश्रमके निवासी।
४. पण्डित खरेका पुत्र।

Gandhi Heritage Portal

मेरा आनन्द अवर्णनीय है। बहुत दु:ख नहीं उठाना पड़ा। ईश्वर बड़ा दयालु है।

बापूके आशीर्वाद

पण्डितजी
सत्याग्रह आश्रम
साबरमती

महात्मा, खण्ड २, में दिये मूल गुजराती पत्रके चित्रसे।

१७८. वक्तव्य : उपवास तोड़नेके पूर्व

दिल्ली
८ अक्तूबर, १९२४

श्री गांधीने आज १२ बजे दोपहरको अपना उपवास छोड़ा। . . . हिन्दुओं, मुसलमानों तथा ईसाइयोंकी प्रार्थनाएँ समाप्त होनेके बाद . . . उन्होंने मन्द स्वरमें, जो कभी-कभी सुनाई नहीं पड़ता था, कहा :

हिन्दू-मुस्लिम एकतामें मेरी दिलचस्पी कोई नई चीज नहीं है। तीस वर्षोंसे मुझे मुख्य रूपसे इसीकी चिन्ता लगी रही है। किन्तु मैं इसे प्राप्त करनेमें असफल रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि ईश्वरकी इच्छा क्या है। आप जानते हैं कि मूल रूपमें मेरी प्रतिज्ञाके दो भाग थे। उनमें से एक तो पूरा हो गया है। दूसरेको मैंने उन मित्रोंके कहनेपर वापस ले लिया, जो उस रात श्री मुहम्मद अलीके घरपर उपस्थित थे। यदि मैं दूसरे भागको कायम रखता तो भी एकता-सम्मेलनकी सफलताके कारण मुझे अपना उपवास अब तोड़ना ही पड़ता।

हकीम अजमलखाँ और श्री मुहम्मद अलीकी मार्फत मुसलमानोंको सन्देश देते हुए श्री गांधीने कहा :

आज मैं आपसे यह वचन देनेका अनुरोध करता हूँ कि आवश्यकता पड़नेपर आप हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए अपने प्राणतक दे देंगे। यदि यह एकता स्थापित नहीं हुई तो मेरे लिए हिन्दू-धर्म अर्थहीन हो जायेगा और यही बात मैं इस्लामके लिए भी कहनेकी धृष्टता करता हूँ। हमें एक साथ रहने लायक बनना ही है। हिन्दुओंके लिए पूर्ण स्वतन्त्रतासे अपने मन्दिरोंमें पूजा कर सकने और इसी प्रकार मुसलमानोंके लिए भी उतनी ही स्वतन्त्रतासे अपनी मसजिदोंमें अजान देने तथा नमाज पढ़ सकनेकी सुविधा होनी चाहिए। यदि हम पूजाकी इस मूलभूत स्वतन्त्रताको भी सुनिश्चित नहीं कर सकते तो न तो हिन्दू-धर्मका कोई अर्थ रह जाता है और न इस्लामका। मैं आपसे यह वचन लेना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपने मुझे यह वचन दिया है; किन्तु अब चूँकि मैं उपवास तोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं उत्तर-

Gandhi Heritage Portal

दायित्वकी भावनासे विवश हो गया हूँ और आपसे अपने इस वचनको फिर दोहरानेका अनुरोध कर रहा हूँ।

[अंग्रेजीसे]

न्यू इंडिया, ९-१०-१९२४

१७९. तपकी महिमा

८ अक्तूबर, १९२४

हिन्दू-धर्ममें पग-पगपर तप है। पार्वती शंकरको पाना चाहती है तो तप करे। शिवसे भूल हुई तो उन्होंने तप किया। विश्वामित्र तो तपकी मूर्ति ही थे। राम जब वनको गये तो भरतने योगारूढ़ होकर घोर तपश्चर्या आरम्भ की और शरीरको सुखा लिया।

ईश्वर दूसरी तरह मनुष्यकी कसौटी कर ही नहीं सकता। यदि आत्मा देहसे भिन्न है तो हम देहको कष्ट देते रहें, फिर भी आत्माको प्रसन्न रहना चाहिए। शरीरकी खुराक अन्न है; आत्माकी ज्ञान और चिन्तन। यह बात प्रसंग आनेपर हर व्यक्तिको अपने लिए सिद्ध करनी पड़ती है।

परन्तु यदि तप आदिके साथ श्रद्धा, भक्ति और नम्रता न हो तो तप एक मिथ्या कष्ट है। वह दम्भ भी हो सकता है। ऐसे तपस्वीसे सुखपूर्वक भोजन करनेवाले ईश्वर-भक्त हजार गुना बेहतर हैं।

अपने तपकी कथा लिखने लायक शक्ति अभी मुझमें नहीं है; पर इतना कहे देता हूँ कि इस तपके बिना मेरा जीना असम्भव था। अभी मेरे नसीबमें फिरसे तूफानी समुद्रमें कूदना बदा है। प्रभो, दीन समझकर तू मुझे पार लगाना!

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १२-१०-१९२४

१८०. तार: मथुरादास त्रिकमजीको

[८ अक्तूबर, १९२४][१]

ईश्वरकी दया अपार है। उपवास पूरा हुआ। तबीयत ठीक है।

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी

१. साधन-सूत्रके अनुसार।

Gandhi Heritage Portal

१८१. पत्र: मुहम्मद अलीको

दिल्ली
८ अक्तूबर, १९२४

प्रिय भाई,

आप मेरे लिए भाईसे भी बढ़कर हैं। गाय देख ली।[1] उसे देखनेके लिए मेरी खाटको थोड़ा ऊपर उठा दिया गया था। धन्य है आपका प्रेम कि आपके मनमें यह विचार आया। ईश्वर करे मेरा और आप दोनों बन्धुओंका यह स्नेह-बन्धन हमारे अपने-अपने धर्मों, देश तथा मानवताके कल्याणके लिए हिन्दू और मुसलमानोंको अटूट और शाश्वत स्नेह-बन्धनमें बाँध दे। हाँ, ईश्वर महान् है; वह सब-कुछ कर सकता है।

सदैव आपका,
मो० क० गांधी[2]

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ११-१०-१९२४

१८२. सन्देश: 'स्टेट्समैन'को

[९ अक्तूबर, १९२४ से पूर्व]

एकता अन्य सभी वस्तुओंसे बढ़कर है।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, ९-१०-१९२४

१. १६-१०-१९२४ के **यंग इंडिया**में छपे अपने लेख "सम्मेलन और उसके पश्चात्" में मुहम्मद अलीने लिखा था: मैंने महात्मा गांधीको उनके उपवास तोड़नेपर किसी कसाईसे खरीदकर एक गाय भेंट दी थी।

२. गांधीजीने अपने हस्ताक्षर उर्दूमें किये थे।

Gandhi Heritage Portal

१८३. सन्देश: अखबारोंको[1]

दिल्ली
९ अक्तूबर, १९२४

महात्मा गांधीने अखबारोंके लिए निम्नलिखित सन्देश दिया है:

ईश्वर सचमुच महिमावान् और कृपाका आगार है। उसकी महिमा और कृपाका अनुभव मैं इस समय कर सकता हूँ। उसीकी कृपासे मैं इस अग्नि-परीक्षासे सफलतापूर्वक निकल आया हूँ। इस अवसरपर मुझे पत्रों और तारोंसे जो सन्देश भेजे गये हैं, उन सबको देखनेकी अनुमति मुझे नहीं है; फिर भी जो थोड़े-से सन्देश मैंने देखे हैं, उनसे मैं अभिभूत हो गया हूँ। इन सन्देशोंमें जो स्नेहका पारावार उमड़ रहा है, उसमें भी मैं ईश्वरकी ही कृपा देखता हूँ। ऐसे स्नेहपूर्ण सन्देश भेजनेवाले सभी भाइयों और बहिनोंको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं उनसे आशा करूँगा कि मेरे सामने जो काम पड़ा हुआ है, उसमें भी वे सहायता देंगे। यह ईश्वरका काम है। मैं जानता हूँ कि अबसे तीन हफ्ते पहले मेरे सिर जितनी जिम्मेदारी थी, आज उससे कहीं अधिक है। मैं भली-भाँति जानता हूँ कि उपवासके साथ मेरा काम पूरा नहीं हो गया। अभी तो वह शुरू ही हुआ है और मैं चाहता हूँ कि भारतके सभी भाई-बहन इस कार्यकी सफलताके लिए ईश्वरसे प्रार्थना करें और अपना पूरा सहयोग दें।

[अंग्रेजीसे]

न्यू इंडिया, ९-१०-१९२४

१८४. पत्र: शान्तिकुमार मोरारजीको

आश्विन सुदी १४ [११ अक्तूबर, १९२४][2]

भाई शान्तिकुमार,

तुम्हारा पत्र, सूतका हार और मेवा मिल गया है। तुमने नियमित रूपसे कातनेका निश्चय किया है, यह जानकर खुशी हुई। जो निश्चय किया है, ईश्वर तुम्हें उसपर दृढ़ रहनेकी शक्ति दे।

मेरी तबीयत अच्छी होती जा रही है।

१. अपने उपवासके सम्बन्धमें यह सन्देश गांधीजीने "एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया" के प्रतिनिधिके अनुरोधपर दिया था।

२. जुहू और गांधीजीके स्वास्थ्यकी चर्चासे प्रकट होता है कि यह पत्र १९२४ में ही लिखा गया होगा।

Gandhi Heritage Portal

जुहूमें तुमने जो प्रेम दिखाया, वह बराबर याद आता रहता है।

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४७९६) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य: शान्तिकुमार मोरारजी

१८५. पत्र: घनश्यामदास बिड़लाको

आश्विन कृष्ण २ [१४ अक्तूबर, १९२४][1]

भाई घनश्यामदासजी,

आपके पत्र मिलते रहते हैं। जबलपुरके मामलेसे मैं घबराता नहीं हूँ। मैंने जो आत्म-प्रायश्चित करनेकी मेरी शक्ति थी वह कर लिया, इसलिए मैं शान्त रह सकता हूँ। फलका अधिकार हमको नहीं है, यह तो ईश्वरके ही हाथमें है। मेरा स्वास्थ्य ठीक होनेसे कई अग्रगण्य नेताओंको साथ लेकर दौरा करनेका मेरा इरादा तो है ही, सबसे पहले मैं कोहाट जाना चाहता हूँ। सम्भव है कि मैं ८ दिनमें तैयार हो जाऊँगा।

समय आनेपर आपकी सब भाँतिकी सहाय मैं माँग लूँगा।

आपके लोगोंसे मुझे यहाँ खूब सहाय मिल रही है।

रुपये आप जमनालालजीको या तो आश्रम साबरमतीको भेजनेकी कृपा करें।

आपका,
मोहनदास गांधी

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३८) से।
सौजन्य: घनश्यामदास बिड़ला

१. उपवास और कोहाट-यात्राके उल्लेखसे यह स्पष्ट है कि यह पत्र १९२४ में लिखा गया था।

Gandhi Heritage Portal

१८६. पत्र : स्वामी श्रद्धानन्दको

आश्विन कृष्ण २ [१४ अक्तूबर, १९२४][1]

भाई साहब,

आपकी चीट्ठी मीली है। . . . वाइकोमके बारेमें मैं प्रबंध कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि सत्याग्रहीयोंको सहाय पहोंच जायगी। आपकी स्टेटमेंट मैंने ध्यानसे पढ़ ली है। उसको मेरे हि पास रखुंगा।

आपका,
मोहनदास गांधी

संन्यासी स्वामी श्री श्रद्धानन्द
बर्न बैशन रोड, दिल्ली

मूल पत्र (जी० एन० २२०६) की फोटो-नकलसे।

१८७. असहयोगीका कर्त्तव्य

बुधवार, आश्विन बदी ३ [१५ अक्तूबर, १९२४]

ऐसा कहा जा सकता है कि कांग्रेसके अगले अधिवेशनमें असहयोग स्थगित हो जायेगा। लेकिन, इससे असहयोगीका काम स्थगित नहीं होनेवाला है। सच तो यह है कि असहयोगका जो आभास-मात्र था, वही मुल्तवी रहेगा क्योंकि जहाँ प्रेम है, वहाँ वस्तुतः सहयोग और असहयोग एक ही हैं।

बेटा बापके साथ और बाप बेटेके साथ सहयोग करे अथवा असहयोग दोनों प्रेमके ही फल होने चाहिए। स्वार्थके वशीभूत होकर किया गया सहयोग सहयोग नहीं, घूस है। इसी प्रकार द्वेष-भावसे किया गया असहयोग महापाप है। ये दोनों त्याज्य हैं।

जो असहयोग १९२० में शुरू किया गया, उसके मूलमें प्रेम था, भले ही लोग उसे न देख पाये हों, भले ही वे उसमें द्वेष-भावसे शामिल हुए हों। फिर भी, अगर सभी नेताओंने उसके मूल स्वरूपको समझा होता और उसके अनुसार आचरण किया होता तो जो कटु परिणाम निकले, वे न निकलते।

हमने शान्तिपूर्ण असहयोगका तत्त्व नहीं समझा इसीलिए वैर-भाव बढ़ा और अब हम अपनी करनीका फल भोग रहे हैं। हमने जिस वैर-भावसे अंग्रेजोंके खिलाफ असहयोग किया, वह वैर-भाव अब हमारे ही बीच पैदा हो गया है।

यह वैर-भाव सिर्फ हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच ही नहीं, सहयोगियों और असहयोगियोंके बीच भी आ गया है।

१. डाककी मुहरसे।

Gandhi Heritage Portal

इसलिए, असहयोगके ऐसे उलटे परिणामोंको रोकनेके लिए हमें असहयोगको अभी स्थगित रखना है। असहयोगको स्थगित रखनेका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो वकील वकालत करना चाहें और जो विद्यार्थी फिरसे सरकारी स्कूलोंमें जाना चाहें उनके वैसा करनेमें अब शर्मकी कोई बात नहीं है। सच तो यह है कि जिन वकीलोंने असहयोगके सिद्धान्तको समझ लिया होगा, वे फिरसे वकालत करेंगे ही नहीं। इसी तरह, ऐसे विद्यार्थी भी दोबारा सरकारी स्कूलोंमें जानेवाले नहीं हैं। परन्तु असहयोगके स्थगित रहनेका परिणाम तो यह निकलना चाहिए कि हम पश्चात्ताप करें; असहयोगी सहयोगीको गले लगाये, उसे प्रेमसे जीते, उससे द्वेष न करे। भले ही वह सरकारी सहायता लेता हो, सरकारी वकील हो, सरकारी नौकर हो या विधान-सभाका सदस्य हो, असहयोगी उससे मिले-जुले और हिन्दू-मुस्लिम झगड़ेको निबटाने, अस्पृश्यताको दूर करने, विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार सम्पन्न करने, शराब-अफीमकी बुराई दूर करने और इसी तरहके दूसरे बहुत-से कामोंमें ऐसे सभी लोगोंकी मदद ले और उन्हें मदद दे।

ऐसे काममें पहल असहयोगियोंको ही करनी है। उसमें असहयोगियोंकी सूझ-बूझ, उनके विवेक, उनकी विनय, उनकी शान्तिप्रियता, उनकी नम्रता, सबकी परीक्षा होनी है। सहयोगियोंको प्रेमसे जीतनेमें असहयोगियोंकी योग्यताकी कसौटी होगी। एक ओर उन्हें झूठी खुशामदसे बचना है और दूसरी ओर उद्धततासे दूर रहना है। इन दोनों पक्षोंको साधनेके लिए हम सबको एक होकर रहना है, यही हमारे लिए पहला पाठ है। ईश्वर हमारी सहायता करे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १९-१०-१९२४

१८८. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

आश्विन बदी ३ [१५ अक्तूबर, १९२४]

पूज्य गंगाबहन,

आपका पत्र मिला। पढ़कर बड़ी खुशी हुई। मैं चाहता हूँ, आप वहाँ निश्चिन्त होकर रहें और सब-कुछ सीख लें। कोई उलझन आये तो मुझे सूचित करें। जो भी कठिनाइयाँ सामने आई हों, मुझे बतायें; मैं तुरन्त उत्तर लिख भेजूँगा। आपका अभ्यास कहाँतक पहुँचा है, लिखेंगी। बच्चे बम्बई क्यों गये?

मुझमें दिन-दिन शक्ति आती जा रही है। वहाँ आनेके लिए मैं अधीर हो रहा हूँ, लेकिन लगता है, कोहाट जानेसे पहले न आ सकूँगा।

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०९७) से।
सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

Gandhi Heritage Portal

१८९. एन्ड्रयूजके साथ बातचीत

दिल्ली

[बुधवार, १५ अक्तूबर, १९२४][१]

सुबह भागवतका पाठ हो जानेके बाद श्री एन्ड्रयूजको बुलाया गया। . . . एन्ड्रयूज एक भजन गुनगुनाते आये और . . . ऊपर आकर बापूजीसे बोले: आज मैं आपको ऐसा भजन सुनाना चाहता हूँ जो आपने कभी न सुना होगा। बाइबिलमें एक फौजी अधिकारी ईसा-मसीहको अपने घरके एक बीमार आदमीको नीरोग करनेकी प्रार्थना करता है। ईसा-मसीह उसके घर जानेको कहते हैं। वह जवाब देता है —— मैं बड़ा अधम हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। आप सिर्फ अपने श्री-मुखसे इतना कह दीजिए कि वह अच्छा हो जायेगा और वह जरूर नीरोग हो जायेगा। यह प्रसंग है।

इतनी प्रस्तावनाके बाद उन्होंने अपना भजन गाया। उसका भाव तुलसीदास-जीके ——

मम हृदय-भवन प्रभु तोरा।
तहँ आय बसे बहु चोरा।।
कह तुलसिदास सुनु रामा।
लूटहिं तस्कर तव धामा।।
चिन्ता यह मोहिं अपारा।
अपजस नहिं होइ तुम्हारा।।

इस भजनसे बहुत मिलता-जुलता था। उसकी कुछ कड़ियाँ सुनिए ——[२]

आपके प्रिय भजनोंसे यह कितना मिलता है! ' कहकर एन्ड्रयूज रुके। बापूजीने कहा ——

मैंने इसे सुना है। मैंने यह १८९३ में सुना था। तब मैं दक्षिण आफ्रिकामें[३] ईसाइयोंके अनेक सम्प्रदायोंके लोगोंसे मिलता था। हर रविवारको उनके गिरजामें जाकर प्रार्थनामें शरीक होता था। उस समय इसे सुना याद पड़ता है।

फिर वे उन ईसाई मित्रोंके संस्मरण सुनाने लगे। फिर बोले:

पर आपको जो ऊपर बुलाया था वह दूसरे ही कामसे। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेसका सदस्य होनेके लिए कताईकी शर्तके बारेमें आप मेरे सब विचार सुन लें।

१. साधन-सूत्रमें दी गई लेखन-तिथिके अनुसार।

२. अंग्रेजी भजनकी ये पंक्तियाँ यहाँ नहीं दी जा रही हैं।

३. देखिए 'आत्मकथा', भाग २, अध्याय ११।

Gandhi Heritage Portal

कल 'यंग इंडिया' में मेरा लेख[1] आपको अच्छा नहीं लगा। पर मैं कहता हूँ कि मेरी दलील लाजवाब है। आपको वह ठीक नहीं दिखाई देती, क्योंकि आप इस बातको भूल जाते हैं कि उसके अन्तमें मैंने लिखा है कि यह दलील उन लोगोंके लिए है जो देशके लिए ऐच्छिक कातना आवश्यक समझते हों। उन्हें तो कांग्रेसके सदस्योंके लिए आवश्यक २,००० गज सूत कातनेकी शर्त जरूर माननी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं अपनी मरजीसे कातूँगा तो उसे कातनेकी शर्तपर सदस्य बनानेवाले मण्डलका सभासद बननेमें कोई झिझक न होनी चाहिए। इसीसे मैंने यह कहा है कि जो देश सैनिक-शिक्षाको अत्यन्त महत्त्वकी बात मानता है — जैसे कि फ्रांस — वह सैनिक-शिक्षाको अपनी राष्ट्रीय सभाके सभासद होनेकी शर्तके तौरपर रख सकता है। यदि भारतवर्षमें कताईकी शक्ति, उपयोगिता और आवश्यकता मानी जाती हो तो फिर कताईको सभासद होनेकी शर्त मान लेना चाहिए।

आपकी दलील बहुत कमजोर है। आपका फ्रांसकी सैनिक-शिक्षासे तुलना करना मुझे भयानक मालूम होता है। मैं तो फौजमें भरती होनेके बदले जेलमें जाना पसन्द करूँगा — जिस तरह रसेल गया था और जिस तरह कि रोलाँने देश छोड़ दिया था।

हाँ, मैं भी जाना पसन्द करूँगा। पर इससे क्या? जिसके दिलमें यह बात खटकती हो वह जरूर उसका विरोध करे और जोखिम उठाये। परन्तु यदि आम तौरपर सारा देश सैनिक-शिक्षा शुरू करनेका कायल हो तो फिर उसके लिए कानून बना देनेमें क्या बाधा हो सकती है?

नहीं, आपकी यह कमजोर उपमा मुझे ठीक नहीं मालूम होती। इससे अधिक अच्छी उपमा लेनी चाहिए थी। अमेरिकाके मद्यपान-निषेधकी उपमा आप ले सकते थे। अमेरिकामें जब ८० फीसदी लोगोंने शराब छोड़नेकी तैयारी दिखाई तभी कानून बनाया जा सका। आप भी एक अखिल भारतीय कताई-मण्डल खोलिए और जब ८० फी सदी लोग कातने लग जायें तब अपनी शर्त रखिए। आज तो आप घोड़ेके पीछे गाड़ी रखनेके बदले गाड़ीके पीछे घोड़ा रखते हैं।

नहीं, मैं तो बिलकुल न्यायकी बात करता हूँ। किसी मण्डलको अपने सभासदोंसे किसी बातके करानेका हक है या नहीं? भले यह शर्त किसीको न पटती हो किन्तु इसलिए यह कहना तो ठीक नहीं है कि इस शर्तके रखे जानेका हक ही नहीं है।

अमेरिकामें कानून होनेके पहले सबको शराब पीनेका हक था। आज भी कानूनको रद करके शराब मँगानेका हक उन्हें है। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेसमें लोकमतका प्रतिबिम्ब पड़ता है या मुट्ठी-भर लोगोंका ही मत व्यक्त होता है? कांग्रेस एक महामण्डल रहेगी या एक छोटी-सी समिति बन जायेगी?

१. देखिए "कताई सदस्यता", १६-१०-१९२४। ऐसा जान पड़ता है कि गांधीजीने **यंग इंडिया** में प्रकाशित होनेसे पूर्व यह लेख श्री एन्ड्रयूज़को दिखाया था।

Gandhi Heritage Portal

महामण्डल ही रहेगी। आप मेरे अनुभवको गलत कर सकते हैं, पर यदि एक बार आप इस बातको स्वीकार कर लें कि कांग्रेसको अपने सदस्योंपर पाबन्दी लगानेका अधिकार है तो फिर मैं सब बातें साबित कर दूंगा।

आप कांग्रेसको एक टोली न बना दें, उसे तो राष्ट्रकी एक स्वेच्छा नियोजित संस्था ही बनाये रखना चाहिए।

आपको कांग्रेसकी ठीक-ठीक कल्पना नहीं है। आज तो वह एक अनिश्चित, अव्यवस्थित मण्डल है। उसके संविधानसे अधिक बातें उसमें आ जाती हैं। यदि कांग्रेस राष्ट्रकी सच्ची प्रतिनिधि संस्था बनना चाहती हो तो उसका संविधान अधिक जीवनदायी, अधिक सच्चा और राष्ट्रकी आवश्यकताका अधिक द्योतक होना चाहिए। संख्याकी कुछ जरूरत नहीं। मैंने तो जब चार आना फीस रखवाई तब ऐसी आशा रखी थी कि कांग्रेस एक विशाल संस्था बनेगी, लेकिन उसके अनुसार काम करनेवाले कार्यकर्त्ता न निकले। आज हमारा देश आलसियों और प्रमादियोंका देश हो गया है। यह मैं उन मूक गरीबोंकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्हें गुलामीने कुचल दिया है; बल्कि समझदार और ज्यादा बोलनेवालोंपर मैं यह कथन घटाना चाहता हूँ। इन सबको मैं दूसरे किस उपायसे राष्ट्र-कार्यमें लगा सकता हूँ? दूसरे किस तरीकेसे कांग्रेस एक कार्य-परायण संस्था हो सकती है? २,००० गज कातनेकी फीस रखनेके प्रस्तावसे मुझे आशा है कि यह चीज बन सकेगी। एक कहेगा 'मैं कुल्हाड़ी लेकर काटूँगा' दूसरा कहेगा 'मैं कपड़ा सीऊँगा' और तीसरा कोई और बात कहेगा तो इसका परिणाम कुछ न निकलेगा। मैं सबको एक चीजपर एकाग्र करके कुछ नतीजा निकालना चाहता हूँ।

मुझे डर है कि आप सूत कातने और खादी पहननेको एक नया धर्म बना देंगे। अमुक महाशय खादी पहनते हैं या विलायती कपड़ा, इससे मेरा क्या वास्ता? मुझे तो इस बातसे काम है कि वह आदमी कैसा है। ईसामसीहने भी कहा है कि मनुष्यका बाहरी आचार नहीं, हृदय देखो।

ईसाई और हिन्दू आदर्शमें भेद है।

आप तो यह भी कहेंगे कि अमुक प्रकारका भोजन करो तो आध्यात्मिकता बढ़ेगी। मैं ऐसा बिलकुल नहीं समझता। डरहमके बिशप वेस्टकोट जैसे सज्जनको लीजिए। उन्होंने तो शराब भी पी है और मांस भी खाया है। पर क्या वे आध्यात्मिक नहीं थे?

आप एक उदाहरणसे सामान्य नियम साबित करना चाहते हैं। यह नहीं हो सकता। आप सर्व-साधारणसे यह नहीं कह सकते कि जो चाहे सो खाओ, मन आये सो पियो और यह मानते रहो कि हमारा हृदय पवित्र है।

मैं फिर अपनी मूल आपत्तिपर आता हूँ। कानून बनानेके पहले अमेरिकामें जितने उपाय किये गये उतने यहाँ किये जा रहे हैं?

Gandhi Heritage Portal

मैं तो रोज उपाय किया ही करता हूँ। आजकी स्थिति चार वर्षके प्रयत्नका फल है। आप यदि कांग्रेसके प्रस्तावोंको देखेंगे तो पता चलेगा कि मैं जो प्रस्ताव करना चाहता हूँ वह कातनेकी आवश्यकताकी मूल स्वीकृतिका परिणाम है।

जब आप जेलमें गये तब भी वह तो स्वीकृत ही था?

जब मैं जेल गया तब मूल प्रस्ताव रद नहीं हो गया था।

जबतक आप अमेरिकाके तरीकोंसे काम न लेंगे, तबतक आपका प्रयोग सफल नहीं हो सकता।

अमेरिकाकी हालत यहाँसे भिन्न है। वहाँ तो पहलेसे ही शराबखोरी प्रचलित थी। उन्हें यह समझानेकी जरूरत थी कि शराब न पीओ। वहाँ उन्हें ऐसा काम करना था जो वहाँ तबतक हुआ ही नहीं था। यहाँ तो सिर्फ इतनी ही बात है कि लोग उस बातको करें जिसे उन्होंने बहुत अर्सेतक किया है और जिसे वे कुछ सालोंसे भूल गये हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ तो——

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्॥

नाश क्यों नहीं? ——है। हम सबकी शक्तियाँ भिन्न-भिन्न प्रकारकी हैं। हो सकता है कि हमें इतना जरूरी काम हो कि आधा घंटा न निकाल सकें। मैं इन महादेवको ही देखता हूँ। ये आधी रातको सूत कातते हैं अथवा मुहम्मद अली-जैसे भी जब आधी रातको चरखा कातते हैं तब मेरे मनमें आता है कि इसके क्या मानी हैं?

इन लोगोंको यदि ऐसे बेवक्त कातना पड़ता है तो यह उनकी व्यवस्था और समय-प्रबन्धकी खामीको सूचित करता है, और कुछ नहीं।

आधे घंटेकी बात तो एक ओर रही। जबसे आपने सूतपर एकाग्रता शुरू की है तबसे दूसरी तमाम बातें भुला दी गई हैं। इस खादीके ही काममें इतनी सारी शक्ति खर्च हो जाती है कि नशीली चीजों और शराबके निषेधको तो सब भूल ही गये हैं।

मैंने तो एक ऐसा ऐक्य-पोषक कार्यक्रम बनाया है जो सबकी समझमें आ जाये। इसमें दूसरे उपयोगी कार्योंका निषेध नहीं है। शराबकी दुकानपर पहरा रखनेकी बात तो सिर्फ हिंसा-काण्ड होनेके डरसे ही छोड़ देनी पड़ी है, खादीके कामके कारण नहीं; और दूसरी बात यह कि खादीपर जोर देना जितना जरूरी है उतना दूसरे कामोंपर नहीं। इसका कारण यह है कि सब लोग इस बातको मानते हैं शराब न पीनी चाहिए। इसके लिए लोगोंको नया पाठ पढ़ानेकी आवश्यकता नहीं है। स्वराज्य होनेपर भी कितने ही शराब पीनेवाले तो होंगे ही। उनका सवाल तो स्वराज्य प्राप्त होनेके बाद हाथमें लेना होगा।

क्या अफीम छोड़ देनेके लिए भारी आन्दोलन खड़ा करनेकी जरूरत नहीं है? क्या देश इसके महत्त्वको समझ गया है?

हाँ, मैं मानता हूँ कि समझ गया है।

Gandhi Heritage Portal

मिलोंमें काम करनेवाली स्त्रियाँ अपने बच्चोंको अफीम खिलाती हैं। आप इस बातको जानते हैं?

हाँ, पर इससे यह न कहिए कि अफीमके दुर्व्यसनकी जड़ जम गई है और देश उसे बढ़ने दे रहा है; और बच्चोंको अफीम न खिलानेके प्रस्तावमें तो मिलोंमें काम करनेवालोंमें शिक्षा-प्रचार करनेका सवाल है, दवा-दारूका सवाल है, स्त्रियोंको मिलोंमें कितने समयतक काम करने देना चाहिए——यह सवाल है।

मुझे तो यही चीज बहुत खटकती है कि जब आपने अस्पृश्यता, हिन्दू-मुस्लिम एकता और खादीका त्रिविध कार्यक्रम रचा तब आप मद्य-निषेधको भूल ही गये।

ना, भूल नहीं गया। बात यह है कि देशको इस विषयमें नये सिरेसे कुछ बताना बाकी नहीं है।

अजी, लोग अफीम-निषेध-सम्बन्धी साहित्यमें दिलचस्पी लें और लेते रहें, वह भी असम्भव हो गया है।

सो तो यदि आप और मैं दक्षिण और पूर्व आफ्रिकाके सम्बन्धमें लिखना बन्द कर देंगे तो लोग उनमें भी दिलचस्पी लेना छोड़ देंगे। यहाँ तो बड़े बेढब लोगोंको समझाना है। पर आप इस बातको भूलते हैं कि मद्य-निषेधका काम आज भी हो रहा है। जहाँ-जहाँ खादीकी जड़ जमी है, वहाँ-वहाँ उसके साथ यह शुद्धि-कार्य भी शुरू हो गया है। बोरसद, रामेसरा, बारडोलीमें जाकर यदि आप देखेंगे तो आपको इसका पता लगेगा कि वहाँ क्या-क्या हो रहा है। खादी केन्द्रके आसपास शराब-बन्दी तथा दूसरे तमाम आत्म-शुद्धिके कार्य भी हो रहे हैं।

पर यह बात मुझे नहीं जँचती कि आप खादी पहनने या सूत कातनेको एक धर्म-कार्य बना दें। लोग खादी न पहननेवाले और न कातनेवाले लोगोंका बहिष्कार करेंगे।

हाँ, धर्म-कार्य तो यह अवश्य रहेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि हरएक भारतवासी यदि इसे धर्म-कार्य न बनाये तो वह देशका कोई दूसरा काम करेगा? पर इसका यह मतलब नहीं कि खादी न पहननेवालोंका बहिष्कार किया जाये। हम खादी न पहननेवालेके गले मिलें, उसके साथ प्रेम करें और प्रेम-पूर्वक यदि उसे समझा सकें तो खादी पहननेके लिए समझायें——निन्दा करके हरगिज नहीं। मैं तो यह आशा रखता हूँ कि न पहननेवालेका बहिष्कार या उसपर अत्याचार न होगा। ऐसे अत्याचार न हों इसीलिए तो मैंने २१ दिनतक उपवास किया। अब भी लोग न समझेंगे? किसी भी काममें यदि बहिष्कारकी जरूरत पड़े तो वह सिर्फ एक ही किस्मका हो सकता है——उसके जरिये किसी तरहकी सेवा न लें या कोई लाभ न उठायें। मैं चाहूँगा कि शराबीका ऐसा बहिष्कार किया जाये। पर खादी न पहननेवाले या न कातनेवालेके साथ हरगिज नहीं। क्योंकि शराब पीना जिस तरहका पाप है, विलायती कपड़े पहनना वैसा नहीं।

आपके इस कथनसे मेरे दिलको बड़ी शान्ति मिली। आपके इस स्पष्टीकरणसे मुझे बड़ा सन्तोष हुआ। पर खादीको नैतिक योग्यताकी कसौटी बना देना मुझे अच्छा

Gandhi Heritage Portal

नहीं लगता। एक मित्र मुझे लिखते हैं कि मैंने खादी पहनना छोड़ दिया है, क्योंकि वह भले आदमी कहलानेका एक सस्ता साधन हो गया है।

यह उस मित्रकी भूल है। कोई यदि पाखण्ड करे तो क्या इससे मैं उस बातको करना छोड़ दूँ जो मुझे अच्छी लगती है। यह ऐसी बात हुई कि यदि कोई सत्यका ढोंग करे तो मैं झूठ बोलने लगूँ।

पर क्या आप खादीकी परिभाषामें से 'शुद्ध' और 'अशुद्ध' ये शब्द नहीं निकाल सकते?

कपड़ेको जरूर 'शुद्ध' 'अशुद्ध' कहूँगा। भारतवासीके शरीरपर विदेशी कपड़ा 'अशुद्ध' होगा। यदि वह विलायतमें हो तो वहाँ 'अशुद्ध' न मानूँगा। परन्तु अशुद्ध कपड़ेसे मनुष्य अशुद्ध नहीं हो सकता। उसी प्रकार शुद्ध कपड़ेसे अशुद्ध जीवन शुद्ध नहीं माना जा सकता। शुद्ध कपड़ेसे — खादीसे जो आर्थिक लाभ है वह तो जरूर होगा। इसीसे वेश्या भी शुद्ध खादी पहन सकती है और उस हदतक देशमें आनेवाला विदेशी कपड़ा रोक सकती है।

आप विदेशी कपड़ेको जो अशुद्ध कहते हैं, यह मेरी समझमें नहीं आता।

सो मैं जानता हूँ। हमारा यह मतभेद भले ही बना रहे। दिल्लीके मैदानकी हवा इकट्ठी करके शिमलामें रहनेवालोंके लिए भेजें तो वह उनके लिए अशुद्ध होगी। विदेशी वस्त्र इस अर्थमें और इसी तरह अशुद्ध हैं।

पर यह मेरी समझमें नहीं आता। बाकी दूसरी बहुत-सी चीजोंके आपके स्पष्टीकरणसे मैं बड़ा प्रसन्न हुआ।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १९-१०-१९२४

१९०. गंगाबहन वैद्यके लिए पुस्तकोंके सम्बन्धमें टिप्पणी[1]

[१५ अक्तूबर, १९२४ के पश्चात्]

पूज्य गंगाबहनके लिए
तुलसीदासकी 'रामायण'
'योगवाशिष्ठ'का वैराग्य प्रकरण
'भागवत'का एकादश स्कंध
'मणिरत्नमाला'
जयकृष्ण व्यास-कृत 'पंचीकरण'
'रायचन्द भाईना लेखो'

१. १५ अक्तूबरके पत्रमें गांधीजीने गंगाबहनसे पूछा कि उनका "अभ्यास कहाँतक पहुँचा है?" ऐसा अनुमान है कि उन्होंने यह पत्र अपने पत्रका उत्तर मिलनेके बाद लिखा होगा।

Gandhi Heritage Portal

('गीताजी'का गहरा अध्ययन)
'कठवल्ली उपनिषद्'
'पातंजल योगसूत्र'

'मणिरत्नमाला' बहुत करके आश्रममें ही है। यह तुलसीदासकी [रचनाओंका संग्रह] है और उसीका गुजराती अनुवाद है। है तो छोटी-सी, परन्तु बहुत अच्छी है। बम्बईमें तो मिलती ही है। यहाँ उसको ढूँढ़ना; न मिले तो देवदाससे कहना। वह बम्बईसे लेकर भेज देगा।

मूल गुजराती (सी० डब्ल्यू० ६०९७ ए०) से।
सौजन्य: गंगाबहन वैद्य

१९१. कताई सदस्यता

कताईको कांग्रेसकी सदस्यताकी शर्त बनानेके मेरे प्रस्तावके बारेमें जो आपत्ति सुननेमें आई है, उसका सारांश यह है: "त्यागकी भावनासे स्वेच्छापूर्वक कताई करना तो बहुत ठीक; परन्तु उसे सदस्यताकी शर्त बनाना संतापकारी है।" मुझे कहना पड़ता है कि इस आपत्तिको सुनकर मैं दंग रह जाता हूँ, क्योंकि आलोचकोंका आक्षेप कताईपर नहीं, बल्कि इस बातपर है कि वह एक प्रतिबन्ध है, बंधनरूप है। पर ऐसा क्यों होना चाहिए? यदि पैसेको इसकी शर्त बनाया जा सकता है अर्थात् धनका प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है तो फिर कामको इसकी शर्त क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्या स्वयं कुछ शारीरिक श्रम करनेकी बनिस्बत पैसे दे देना ज्यादा सम्माननीय है? क्या किसी मद्यपान-निषेधक संस्थामें हरएक सदस्यके लिए मद्य-त्यागका बिलकुल अनिवार्य होना संतापकारी है? क्या किसी जहाजरानी संस्थामें हरएक सदस्यसे जहाजरानीकी कुछ योग्यता रखनेकी अपेक्षा करना संतापकारी है? या उदाहरणके लिए, फ्रांसमें जहाँ युद्ध-कौशल राष्ट्रीय अस्तित्वके लिए आवश्यक समझा जाता है, हरएक सदस्यके लिए शस्त्र-विद्याका ज्ञान लाजिमी होना संतापकारी बात है? यदि इन तमाम उदाहरणोंमें पूर्वोक्त कसौटियोंको रखना संतापकारी नहीं है तो फिर भारतकी इस राष्ट्रीय संस्थामें कताई और खादीके पहनावेको, जो एक राष्ट्रीय आवश्यकता है, मताधिकारकी पात्रता या दूसरे शब्दोंमें सदस्यताकी शर्त रखना क्योंकर संतापकारी हो सकता है? क्या यह कताई और खादीके व्यापक प्रचारका और लोगोंको इसका महत्त्व समझानेका सबसे आसान तरीका नहीं है? हाँ, यह बात सच है कि मेरी दलील सिर्फ उन लोगोंके लिए है जो इस बातको परम आवश्यक मानते हैं कि जहाँतक वस्त्रोंका सम्बन्ध है, भारतको स्वावलम्बी होना चाहिए और सो भी मुख्यतः चरखे और हाथ-करघेके द्वारा।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १६-१०-१९२४

Gandhi Heritage Portal

१९२. इलाहाबाद और जबलपुर

मेरे उपवास और एकता-सम्मेलनके बावजूद इलाहाबाद और जबलपुरमें दंगे हुए हैं। यह खयाल तो किसीने भी न किया था कि सम्मेलन अथवा उपवासके फलस्वरूप दंगा वगैरह होना ऐसे बन्द हो जायेगा, मानो कोई जादू हो गया हो। पर मैं इतनी आशा जरूर करता हूँ कि पत्रकार ऐसे दंगोंके बारेमें लिखते समय संयमसे काम लेंगे और पक्षपात-पूर्वग्रह छोड़ देंगे। मैं यह भी आशा करता हूँ कि दोनों जातियोंके और तमाम दलोंके अगुआ उनके असली कारणोंको खोज निकालनेमें, उनका उपाय करने और सर्वसाधारणके सामने सही ब्यौरा प्रकाशित करनेमें सहयोग देंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६-१०-१९२४

१९३. गुरुकुल काँगड़ी

बाढ़ने तो इस साल चारों ओर ध्वंस-लीला मचा दी है। गुरुकुल भी, जो स्वामी श्रद्धानन्दजीके धैर्य और आत्म-त्यागपूर्ण प्रयत्नोंका कीर्ति-चिह्न है, गंगाकी बाढ़का शिकार होनेसे नहीं बचा। उनके प्रति, उस महान् संस्थाके व्यवस्थापकों और विद्यार्थियोंके प्रति मैं हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। मुझे आशा है कि चन्देके लिए की गई अपील पर लोग तुरन्त कार्रवाई करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १६-१०-१९२४

१९४. पत्र : वाइसरायके निजी सचिवको

रोशनआरा रोड
दिल्ली
१६ अक्तूबर, [१९२४]

प्रिय महोदय,

यदि मुझे अनुमति दे दी गई तो मैं शरीरमें पर्याप्त शक्ति आते ही अपने कुछ मुसलमान और हिन्दू मित्रोंके साथ कोहाट जाना चाहता हूँ। मैं कोहाट इसलिए जाना चाहता हूँ कि वहाँके निवासियोंसे हिन्दुओं और मुसलमानोंके झगड़ोंके कारणोंका पता लगा सकूँ और यदि सम्भव हो तो मित्रोंकी सहायतासे दोनों जातियोंमें मेलजोल करा सकूँ। यदि आप मुझे यथासम्भव शीघ्र यह बता दें कि वाइसराय महोदय मुझे

Gandhi Heritage Portal

और मेरे मित्रोंको ऊपर बताये गये उद्देश्यसे कोहाट जानेकी अनुमति देंगे या नहीं तो मैं आपका कृतज्ञ होऊँगा।

भवदीय,

मो० क० गांधी

अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १५९१२) की फोटो-नकलसे तथा **यंग इंडिया**, ३१-१०-१९२४ से भी।

१९५. ख्वाजा हसन निजामीके साथ बातचीत

[१६ अक्तूबर, १९२४ के आसपास][1]

तब गांधीजी बोले :

मुझे कहना चाहिए कि आपका यह लेख मैंने भी पढ़ा है और मुझे भी वह ठीक नहीं लगा। इसका कारण है। आपने आलोचना की सो तो भले की, लेकिन आपने तो पूरे [एकता–] सम्मेलनका ही मजाक उड़ाया है। आलोचना जिस वृत्तिसे करनी चाहिए, उस वृत्तिसे आपने नहीं की। इसमें कुछ ऐसा भाव झलकता है, जैसे आपको एकता ही पसन्द न हो और यह सम्मेलन हुआ, यह बात ही न रुची हो। आलोचना करनेमें कोई बुराई नहीं है — जरूर करें। पर इतना तो हमें स्वीकार करना ही चाहिए कि जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, वे कोई शुभ कार्य करनेके लिए ही एकत्र हुए थे और उन्होंने उसे करनेका सच्चा प्रयत्न भी किया। लेकिन, आपने तो केवल हँसी-मजाकका ढंग अपनाया और सो भी कैसे अखबारमें? 'मुबल्लिग' में — जिसके पृष्ठ अभी भी जहरसे भरे होते हैं, जिसका ढंग अभीतक नहीं बदला है। क्या आप किसी दूसरे अखबारमें नहीं लिख सकते थे? आप 'यंग इंडिया' में लिख सकते थे? आप सम्मेलनके शुभ उद्देश्यको तो स्वीकार करते! लेकिन आपने यह लेख ऐसे अखबारको दे दिया जो जहरीली और विरोधी बातें ही लिखता है। इससे किसी-किसीके मनमें ऐसा खयाल आ सकता है कि ख्वाजा साहब कहीं एकताके भी तो विरोधी नहीं हैं।

आप अब्दुल कादर जिलानीकी ही बात कर रहे हैं न?[2] जेलमें मैंने भी इनका किस्सा पढ़ा था। जब वे बच्चे थे, तब एक बार उनके सफरपर जाते समय उनकी माँने उन्हें कुछ अशर्फियाँ दी थीं। वे बालक थे, इसलिए उन्होंने अशर्फियाँ उनके कुरतेमें ही सीकर रख दी थीं। साथ ही उन्हें एक सीख भी दी थी कि

१. महादेव देसाईकी रिपोर्टके अनुसार यह बातचीत गांधीजीका उपवास शुरू होनेके बाद पाँचवें सप्ताहमें हुई थी।

२. बातचीतके दौरान ख्वाजा हसन निजामीने बताया था कि हजरत गौस या अब्दुल कादर जिलानीने नेक पड़ोसीका व्यवहार करके किस प्रकार एक उद्दण्ड पड़ोसीको मुसलमान बना लिया था।

Gandhi Heritage Portal

चाहे जो हो, जमीन-आसमान फट पड़े, पर सच ही बोलना, कभी झूठ न बोलना, रास्तेमें लुटेरे मिले। वे अब्दुल कादरके साथके काफलेके एक-एक आदमीको लूटने लगे। अब्दुल कादरकी बारी आई तो उनसे पूछा कि तेरे पास क्या है। उन्होंने कुरतेमें सी हुई अशरफी बताई। डाकू चकित रह गये और उन्होंने न केवल उनको छोड़ दिया, बल्कि उनकी सचाईका यह असर हुआ कि उन्होंने दूसरोंकी लूटी हुई सारी चीजें भी वापस कर दीं।

ऐसी मिसालें तो इस्लाममें भरी पड़ी हैं ही; पर आप [धर्मान्तिरणकी दृष्टिसे] इन्हें हिन्दुओंके सामने पेश करें, यह ठीक नहीं है। क्या अकेले इस्लाममें ही ऐसी मिसालें मिलती हैं? हिन्दू-धर्ममें भी ऐसी मिसालें कदम-कदमपर मिलती हैं। परन्तु जिस प्रकार ऐसी मिसालोंके कारण किसीको अपना धर्म छोड़कर हिन्दू बननेकी जरूरत नहीं है, उसी प्रकार अब्दुल कादरकी जैसी मिसालोंको देखकर भी किसीको इस्लाम स्वीकार करनेकी जरूरत नहीं है। इस्लाममें अब्दुल कादर-जैसे बहुत-से लोग हों और उन्हें देखकर सारा हिन्दुस्तान मुसलमान हो जाये तो उसकी मुझे जरा चिन्ता नहीं; परन्तु जिस प्रकार हिन्दुओंमें अच्छे और बुरे दोनों तरहके लोग हो गये हैं उसी प्रकार इस्लाममें अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। मैं नहीं चाहता कि आप अब्दुल कादरकी मिसाल इस्लाम कबूल करानेके लिए पेश करें। आप हिन्दुओंसे दूसरी बहुत-सी बात भी तो कह सकते हैं; फिर ढेढ़ और भंगियोंसे मुसलमान बन जानेको ही क्यों कहते हैं? आप हिन्दुओंसे कह सकते हैं: आपके बीच तो बड़े-बड़े उदार-चरित्र व्यक्ति हो गये हैं, आप तो प्राणि-मात्रमें अभेद-भाव मानते हैं, फिर आप किसी मनुष्यको अस्पृश्य किस तरह मान सकते हैं? इन्सानको अछूत बनाये रखनेमें आपको शर्म नहीं आती? इस प्रकार आप हिन्दू-धर्मकी सेवा कर सकते हैं। मैं अब्दुल कादर साहबकी मिसाल पेश करके मुसलमानोंसे कह सकता हूँ कि ऐसे सत्य-प्रेमी, अमन-पसन्द, दुश्मनको भी माफ करनेवाले, साधु पुरुष आपके मजहबमें पड़े हुए हैं। ऐसा कोई काम आप कैसे कर सकते हैं जिससे उनके नामको बट्टा लगे? यह कहकर मैं इस्लामकी सेवा करूँगा। फिर, यदि हम अपने धर्मको इतना स्वच्छ कर लें जिससे कि दूसरोंको खुद ही उसमें आनेकी इच्छा हो तो उन्हें कौन रोक सकता है?

पर किसीकी गरीबीसे फायदा उठाकर यदि कोई किसीसे कहे कि ले भाई, मैं तुझे इतना रुपया दूंगा, तेरा कर्ज उतार दूंगा; तेरे धर्मवाले तुझे परेशान करते हैं, आ तू हमारे मजहबमें आ जा तो यह बुरी बात है। ऐसी हालतमें वह इस्लाममें अपनी इच्छासे नहीं आता है, बल्कि पैसेके लालचसे आता है। मुहम्मद साहबके पास जो लोग आते थे, उन्हें क्या बढ़िया-बढ़िया खाना मिलता था? खजूर और पानी और अगर वह भी न मिले तो फाका! फिर भी उनके व्यक्तित्वसे आकर्षित होकर, उनकी रूहानी ताकतसे प्रेरित होकर बहुतेरे लोग उनके पास जाते थे और इस्लाम कबूल करते थे। यदि फिर कोई मुहम्मद साहब पैदा हों और उनके प्रभावसे सारा संसार मुसलमान हो जाये तो मैं उसकी तनिक भी चिन्ता न करूँगा।

मैं जो इतना कह रहा हूँ वह इसीलिए कि मैं इस्लामकी खूबियाँ समझता हूँ। मैं नहीं मानता कि इस्लामका प्रचार तलवारके बलपर हुआ है। इस्लामका

Gandhi Heritage Portal

प्रचार तो फकीरोंके द्वारा हुआ है। इस्लामका प्रचार हुआ है सचाई, फकीरी और बहादुरीके जरिये। यह बात तो सब लोग कबूल करेंगे कि इस्लामका बचाव तलवारसे हुआ है, पर उसके प्रचारका श्रेय तो फकीर लोग ही ले सकते हैं। इसीसे मैं कहता हूँ कि जबरदस्तीसे या लालच देकर अथवा ऐसे ही दूसरे तरीकोंसे इस्लामका प्रचार करना इस्लामकी सेवा करना नहीं, बल्कि उसकी हानि करना है। यह भी मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैं इस्लामको चाहता हूँ।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २६-१०-१९२४

१९६. तार: मोतीलाल नेहरूको

[१७ अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात्][1]

नागपुरके मुसलमानोंका तार आया है कि आप, दास या जवाहर नागपुर जायें और डा० महमूदके साथ मिलकर पंच-फैसला दें। वे उसको अन्तिम निर्णय मान लेंगे। क्या आप अभी नागपुर जा सकते हैं? यदि यह असम्भव हो तो इसे जवाहरलालको दिखायें। उसे भेजें।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९) की माइक्रोफिलमसे।

१९७. तार: शाहजी अहमद अलीको

[१७ अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात्]

मोतीलालजीको तार दिया कि स्वयं जायें या जवाहर को भेजें। दास शिमलामें स्वास्थ्य-लाभ कर रहे हैं।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९) की माइक्रोफिलमसे।

१. इसमें उल्लिखित तार नागपुरके मुसलमानोंकी ओरसे खिलाफत-समिति, नागपुरके शाहजी अहमद अलीने १७ अक्तूबर, १९२४ को भेजा था। यह तिथि उसीके आधारपर निश्चित की गई है।

Gandhi Heritage Portal

१९८. तार : डा० बी० एस० मुंजेको

[१७ अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात्]

डा० मुंजे

नागपुरके मुसलमानोंका तार आया है। वे मोतीलाल, जवाहरलाल या दास [में से किसी एक] और डा० महमूदके पंच-फैसलेको मान लेंगे। मुझे भरोसा है कि हिन्दू लोग भी सहमत होंगे। दास स्वास्थ्य-लाभ कर रहे हैं इसलिए मोतीलाल या जवाहरलालसे नागपुर जानेके लिए कहा है।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९) की माइक्रोफिल्मसे।

१९९. पत्र : एनी बेसेंटको

दिल्ली
१८ अक्तूबर, १९२४

प्रिय डा० बेसेंट,

डा० अन्सारीने कागजोंके साथ आपका पत्र मुझे आज दिया। आप संयोजकके रूपमें मेरा नाम लिख सकती हैं। स्थानके बारेमें मेरी अपनी कोई पसन्द नहीं है। यदि आयोजन नवम्बरके तीसरे सप्ताहमें रखा जाये तो मैं शामिल होनेका पूरा प्रयत्न करूँ। मेरा खयाल है, फिलहाल मन्त्री आपको ही होना चाहिए।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

Gandhi Heritage Portal

२००. तार: मोतीलाल नेहरूको[1]

[१९ अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात्]

तार के लिए धन्यवाद। जवाहरलालका समाचार सुनकर दुःख हुआ। कृपया मेरी ओरसे अनुरोध करें, अपने स्वास्थ्यका खयाल रखें।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९) की माइक्रोफिल्मसे।

२०१. तार: चित्तरंजन दासको[2]

[१९ अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात्]

खुशी हुई कि आप अच्छे हो रहे हैं। तिथि बढ़ानेकी बात सहर्ष स्वीकार करता हूँ।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९) की माइक्रोफिल्मसे।

२०२. एक रास्ता

आश्विन बदी ७, १९८० [२० अक्तूबर, १९२४]

शिक्षा-परिषद्में इस आशयका एक प्रस्ताव पास हुआ था कि विद्यापीठको प्राथमिक शिक्षाको प्रमुख स्थान देना चाहिए। मेरा इरादा इस प्रस्तावके विषयमें विद्यापीठको कुछ व्यावहारिक सुझाव देनेका था; लेकिन युग बीत गया और मैं दूसरे कामोंमें व्यस्त रहनेके कारण वैसा कर नहीं सका। फिर भी, प्राथमिक शिक्षाकी बात मैं भूल नहीं सकता था।

लेकिन विद्यापीठके सामने कुछ व्यावहारिक सुझाव पेश करनेसे पहले मैं शिक्षाके विषयमें शिक्षकोंके समक्ष कुछ विचार रखना चाहता हूँ। बहुत वर्षोंसे मैं ऐसा

१. यह मोतीलाल नेहरूके १८ तारीखके तारके उत्तरमें भेजा गया था। मोतीलालजीका वह तार जो गांधीजीको १९ तारीखको मिला, इस प्रकार था: "आपका तार; जवाहरको बुखार है। कल रात नागपुरको रवाना हूँगा। सोमवारको दोपहर बाद वहाँ पहुँचूँगा।"

२. यह देशबन्धु दासके १९ अक्तूबरके निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गया था: "अभी अच्छा हो रहा हूँ। ३० तक मुझे यहीं रहने दें। मोतीलालको तार दिया है। बैठक ३१ को रखें। कोहाट जानेकी तिथि एक दिन बढ़ा दें।"

Gandhi Heritage Portal

अनुभव कर रहा हूँ कि पाठ्यक्रममें हम अक्षरज्ञानपर, जितना चाहिए उससे, ज्यादा जोर देते हैं और उसके परिणामस्वरूप हम देख रहे हैं कि पाठ्य-पुस्तकोंकी संख्यामें दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है।

हम इस भ्रममें पड़े हुए हैं कि बालक जबतक ककहरा नहीं सीख लें, तबतक उन्हें और कोई ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता। मेरे जानते तो यह शिक्षा-संसारमें व्याप्त सबसे बड़ा भ्रम है। मेरी दृढ़ मान्यता है कि इस भ्रममें पड़कर हम बालकोंके विकासमें बाधा डालते हैं। मेरी यह मान्यता इस अनुभवपर आधारित है कि बालकोंको अक्षरज्ञान मिलनेसे पहले भी उनका मानसिक विकास हो सकता है। इतना ही नहीं पहले अक्षरज्ञान देनेसे तो बालकोंका विकास अवरुद्ध होता है। सात वर्षके बच्चेको ककहरा सीखनेमें रोक रखनेके बजाय अगर शिक्षक उसे मौखिक रूपसे कुछ सिखाये तो उसका कितना अधिक विकास होता है, यह हर शिक्षक एक ही मासके अनुभवसे जान सकता है। शिक्षक बातों ही बातोंमें बालकोंको इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदिकी शिक्षा दे सकते हैं। 'रामायण' और 'महाभारत' का सार बालक एक ही वर्षमें भली-भाँति सीख सकता है। सामान्यतया तो उनकी जानकारी उसे स्कूलमें चार-पाँच वर्ष पढ़ चुकनेके बाद ही मिलती है। 'माँ, पानी दो' इतना पढ़ने और समझनेमें बालकका एक वर्ष चला जाये, यह कितनी दयनीय स्थिति है? हम बालकपर अक्षरज्ञानका बोझ डालकर उसकी प्रगतिमें बाधा डालते हैं, उसे ज्ञानसे वंचित रखते हैं, उसकी स्मरणशक्तिको बढ़नेसे रोकते हैं और उसे जल्दीसे-जल्दी ककहरा सिखानेकी धुनमें उसकी लिखावट बिगाड़ देते हैं; उसे बचपनसे ही किताबी कीड़ा बना देते हैं और अन्तमें यह कि गरीब हिन्दुस्तानपर बेकारकी पुस्तकें खरीदनेका निरर्थक बोझ डालते हैं।

अगर मैं शिक्षकोंको समझा सकूँ तो प्राथमिक शिक्षाके लिए पाठ्य पुस्तकोंको बन्द करवा दूँ या उन्हें रखूँ भी तो सिर्फ शिक्षकोंके लिए ही रखूँ। ऐसी पुस्तकोंकी रचना अलग पद्धतिसे ही होगी। बालकोंको ककहरा सिखानेके बदले चित्र बनाना सिखाऊँ, जिससे वे प्रारम्भसे ही सुन्दर आकृतियाँ खींचना सीख लें। ककहरा सीखते-सीखते भले ही उसे दो-तीन वर्ष लग जायें; किन्तु इन तीन वर्षोंमें उन्हें मौखिक रूपसे काफी व्यावहारिक और धार्मिक ज्ञान सिखाया जा सकता है। 'गीताजी' आदिमें से उसे श्लोक रटाकर उसकी स्मरणशक्ति बढ़ाई जा सकती है। इससे उनके कानोंको शब्दोंको सही-सही सुनने, जीभको सही-सही उच्चारण करने और आँखोंको अवलोकनकी शिक्षा मिलेगी। इस तरह बालकोंमें अनेक शक्तियोंका विकास एक साथ किया जा सकता है। इस बीच एक विशेष कलाके रूपमें उन्हें अक्षर-ज्ञान भी कराया जा सकता है। आजकल तो नौजवानोंकी भी लिखावट इतनी खराब होती है कि उसे देखनेसे विरक्ति होती है, पढ़नेसे मन उकता जाता है। मैंने यह वाक्य व्यक्तिगत अनुभवसे लिखा है, क्योंकि मेरी लिखावट इतनी खराब है कि मुझे किसीको पत्र लिखते शर्म आती है और अपनी कच्ची और अनगढ़ लिखावटपर मेरा मन बराबर खिन्न होता रहता है। जिस प्रकार कच्चा अन्न खाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार कच्ची लिखावट लिखनेवाला

Gandhi Heritage Portal

आदमी जंगली माना जायेगा। मुझे अकसर ऐसा लगता है कि ऐसे लोगोंके लेख पढ़े जानेका बहिष्कार होना चाहिए।

अगर हम प्राथमिक शिक्षाके सम्बन्धमें यह प्रथम और आवश्यक कदम उठा लें तो बहुत सारे खर्चसे बच जायेंगे, इतना ही नहीं, बल्कि हम बालकोंकी आयुमें वृद्धि करेंगे, क्योंकि इस तरह हम उनके विकासमें वृद्धि करेंगे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, (शिक्षा-अंक), खण्ड १, संख्या ७, २६-१०-१९२४

२०३. सन्देश : ट्रान्सवालके भारतीयोंको[1]

२० अक्तूबर, १९२४

आशा है, ट्रान्सवालके भारतीय और इसी तरह संघके दूसरे भागोंके भारतीय भी कष्ट उठाकर दक्षिण आफ्रिकामें अपने सम्मानपूर्ण अस्तित्वके लिए अन्ततक संघर्ष करेंगे और कष्ट कितना ही बड़ा क्यों न हो उसकी परवाह नहीं करेंगे।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ९९९६) की माइक्रोफिलमसे।

२०४. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

२० अक्तूबर, १९२४

परमप्रिय चार्ली,

मैंने आज बड़ो दादाको लिखा है। आज मुझे हर क्षण तुम्हारी याद आती रही। अहा, कैसा है तुम्हारा प्रेम!

मेरा लेख आज डाकमें डाला जा रहा है। लेख बहुत लम्बा है, इसलिए तारसे नहीं भेजा जा सकता।

'केयर-टेकर' का लड़का आज पहलेसे अच्छा है। सरोजिनी फिर बीमार हो गई हैं। लीलामणिको अब भी बुखार है। कृष्टोदास बिलकुल स्वस्थ है। बेचारा मणिलाल! उसे जितना जल्दी हो सके, दक्षिण आफ्रिका लौट जाना है। इसलिए बहुत सम्भव है कि वह तुमसे मिले बिना ही रवाना हो जाये। स्वास्थ्यकी तो वह जीती-जागती तसवीर है। कैलनबेक[2] उसके साथ आते-आते रह गये।

हार्दिक स्नेह-सहित,

तुम्हारा,
मोहन

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २६१४) की फोटो-नकलसे।

१. गांधीजीने यह सन्देश इस्माइल अहमद नामक अपने एक अनुगामीके पत्रके उत्तरमें भेजा था। श्री अहमद सूरतसे ट्रान्सवाल जा रहे थे।

२. गांधीजीके दक्षिण आफ्रिकाके साथी।

Gandhi Heritage Portal

२०५. तार : पीलीभीत कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीको[1]

[२० अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात्]

मामलेका पूरा विवरण भेजें।

गांधी

यह तार मुहम्मद अलीको फोनपर पढ़कर सुना दीजिए। उनसे कहिए कि वे मुसलमानोंको तार दें। इसके बाद मुहम्मद अलीका उत्तर मन्त्रीको तार द्वारा सूचित करें। तारका हमारा उत्तर मुहम्मद अली जो-कुछ कहेंगे, उसपर निर्भर करेगा। क्या आपने मुसलमानोंको तार देनेका सुझाव दिया था?[2]

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४९१) की माइक्रोफिल्मसे।

२०६. तार : मोतीलाल नेहरूको[3]

[२० अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात्]

आप नागपुरमें डा० महमूदके रहते वहाँ जा सकें तो मेरा खयाल है, काम चल जायेगा। तिथि बढ़ानेकी बात मंजूर करते हुए दासको तार दिया।

कृपया पता करें कि तार किसने प्राप्त किया और मुझे क्यों नहीं दिखाया गया।[4]

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४२९) की माइक्रोफिल्मसे।

१. यह पीलीभीत कांग्रेसके मन्त्रीके २० अक्तूबरके तारके उत्तरमें भेजा गया था, जिसमें उन्होंने स्थानिक हिन्दू-मुस्लिम तनाव दूर करनेके लिए दो नेताओंको भेजनेका अनुरोध किया था।

२. गांधीजीने ये वाक्य प्राप्त तारके कागजपर गुजरातीमें लिखे थे।

३. यह पं० मोतीलाल नेहरूके २० अक्तूबरके निम्नलिखित तारके उत्तरमें दिया गया था: "स्थानीय हिन्दू-मुस्लिम वार्ताके कारण रुक गया। मुंजे जवाहरके साथ जा रहे हैं; उन्हें आपकी हिदायतोंका इन्तजार है। जवाहर पहलेसे अच्छा लेकिन सफर करनेमें असमर्थ। जरूरत हो तो मैं आज रात रवाना हो सकता हूँ। मुंजेको तार दिया है। दासका तार आया है कि दिल्ली की बैठक ३१को हो। तारसे निर्देश दें।"

४. यह वाक्य गांधीजीने पंडित मोतीलाल नेहरूसे प्राप्त तार वाले कागजपर ही लिख दिया था।

Gandhi Heritage Portal

२०७. तार: डा० बी० एस० मुंजेको[1]

[२१ अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात्]

सन्तानम्से वहाँ तुरन्त दिवालीसे पहले-पहले पहुँच जानेको कहा है।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९-ए) की माइक्रोफिल्मसे।

२०८. तार: अबुल कलाम आजादको

[२१ अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात्][2]

नागपुर के मुसलमानोंका कहना है कि आपके आये बिना समस्या . . .।[3] वे चाहते हैं कि आप मोतीलाल के साथ २८ तारीख से पहले-पहले वहाँ पहुँच जायें। क्या आप २८ तारीखसे पहले-पहले नागपुर प्रस्थान कर जायेंगे? मोतीलालको तदनुसार सूचित कर दें।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९–ए) की माइक्रोफिल्मसे।

२०९. तार: मोतीलाल नेहरूको

[२१ अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात्]

आपको तार दिया था। आजादको लेकर दिवालीसे पहले-पहले पहुँचें। आजादको तार[4] दे रहा हूँ। क्या आप भी तार देकर उनसे साथ जानेके लिए कहेंगे और उसके लिए दिन निश्चित कर देंगे?

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९-ए) की माइक्रोफिल्मसे।

१. यह तार तथा इसके बादके दो तार २१ अक्तूबरको डा० मुंजेसे प्राप्त निम्न तारपर लिखे मिले हैं: "कलका तार रद। डा० महमूद रुक रहे हैं। मुसलमानोंसे बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने आपको कल तार दिया था कि अबुल कलाम आजादको भेजें। मैंने मोतीलालजीको तार दिया है कि दिवालीके गाने-बजानेके कारण फिर दंगे हों इससे पहले ही वे उनके साथ आ जायें।"

२. देखिए पाद-टिप्पणी १।

३. साधन-सूत्रमें यह अंश पढ़नेमें नहीं आता।

४. देखिए पिछला शीर्षक।

Gandhi Heritage Portal

२१०. तार: पीलीभीत कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीको[1]

[२१ अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात्]

बरेलीके हिन्दू मुसलमान नेताओंसे कहा है कि वहाँ जायें।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४९१) की माइक्रोफिल्मसे।

२११. तार: कोण्डा वेंकटप्पैयाको[2]

[२१ अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात्]

नेलौर खिलाफत कमेटीके मंत्रीको दिवालीपर नेलौरमें उपद्रवका भय है। आप स्वस्थ हों तो किसी मुसलमानको लेकर वहाँ जायें अथवा इस कामका भार किसी औरको दे दें।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४९१)की माइक्रोफिल्मसे।

२१२. जी० रामचन्द्रन्के साथ बातचीत[3]

[मंगलवार व बुधवार,
२१ व २२ अक्तूबर, १९२४][4]

आत्मशुद्धि और प्रार्थनाके सप्ताहोंमें जो लोग दिलखुश आये, उनमें शान्ति-निकेतनके एक युवा छात्र भी थे। उनका नाम रामचन्द्रन् है और वे श्री एन्ड्रयूजके शिष्य

१. यह २१ अक्तूबरको प्राप्त निम्न तारके उत्तरमें दिया गया था: "ताजियेपर ईंट-पत्थर फेंकनेसे दंगा। चार मुसलमान गोलियोंसे घायल। चार हिन्दू भी गोलियोंसे घायल। बहुत लोग जख्मी। कुछ मन्दिरों और आर्यसमाज मन्दिरके अपवित्र किये जानेकी खबर। भारी उत्तेजना। छत्तीस हिन्दुओंपर मुकदमे। दण्ड विधान ३०७/३३८ के अधीन तीन मामले।"

२. इस तारका मसविदा पीलीभीत कांग्रेससे प्राप्त दूसरे तारके पीछे लिखा था। इसलिए इसकी तारीख वही है जो पीलीभीत कांग्रेसके मन्त्रीको दिये तारकी है। देखिए पिछले शीर्षककी पाद-टिप्पणी।

३. यह महादेव देसाईके हस्ताक्षरोंसे **यंग इंडिया**में दो किस्तोंमें छपी थी। शीर्षक था: "गांधीजीके साथ एक सुबह"।

४. "दिल्ली, बुधवार, २९ अक्तूबर, १९२४" की तारीखमें २-११-१९२४ के गुजराती **नवजीवन**में लिखते हुए महादेव देसाईने रामचन्द्रन्के "पिछले सप्ताह" प्रस्थान करनेकी चर्चा की है। इसलिए लगता है कि यह बातचीत उक्त तिथियोंको ही हुई थी।

Gandhi Heritage Portal

हैं। उन्होंने बिना किसी कठिनाईके अपने गुरुसे दिल्लीमें कुछ समय और रुकनेकी अनुमति प्राप्त कर ली थी। उस दिन शामको दिल्लीसे रवाना होनेसे पहले श्री एन्ड्रूज उन्हें लेकर ऊपरकी मंजिलमें आये और उन्होंने गांधीजीसे कहा कि "मैंने अभीतक आपसे रामचन्द्रन्‌का परिचय तो कराया ही नहीं, हालाँकि इन दिनों बराबर वह यहाँ साथ रहकर हमारी सहायता करता रहा है। यह आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कल यह शान्तिनिकेतन लौट जायेगा। अगर आप उससे पहले इससे थोड़ी देर बातचीत कर लें तो मुझे बड़ी खुशी होगी?" लेकिन 'कल' का दिन तो महात्माजीका मौन-दिवस, सोमवार था। इसलिए रामचन्द्रन् एक दिन और रुक गये। मंगलवारकी सुबह उन्हें कलकत्तेकी गाड़ी पकड़नी थी। इसलिए प्रातः प्रार्थनाके बाद ठीक साढ़े पाँच बजे उन्हें बुलाया गया। उन्होंने अपने सभी प्रश्न -- जिन शंकाओं और उलझनोंसे उनका मन परेशान था -- लिख रखे थे। फिर भी पहले तो उन्हें अपने-आपपर इतना भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वे जो-कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ भी सकेंगे। किन्तु, आखिर उन्होंने साहस बटोरा और तब बड़े आश्चर्यसे देखा कि बापूने उनसे उनके बारेमें, उनके घर-बार और अध्ययन आदिके सम्बन्धमें इतने सौजन्यसे पूछताछ की कि उनकी सारी हिचक और घबराहट हवा हो गई। उस दिन सुबह रामचन्द्रन्‌को गांधीजीसे जितनी बातचीत करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसे पूरा-पूरा दे सकना असम्भव है। यहाँ तो मैं बहुत संक्षेपमें उसका सार-मात्र दे सकता हूँ।

[रामचन्द्रन्:] आपको स्नेह और सराहनाकी दृष्टिसे देखनेवाले बहुतसे समझदार और प्रसिद्ध लोग भी ऐसा मानते हैं कि आपने जाने-अनजाने राष्ट्रीय पुनरुत्थानकी योजनामें कलाका कोई खयाल नहीं किया है। ऐसा क्यों?

[गांधीजी:] मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता है कि इस विषयमें लोगोंने आम तौरपर मुझे गलत ही समझा है। हर चीजके दो पक्ष होते हैं -- एक बाह्य और दूसरा आन्तरिक। यहाँ कुल सवाल यह है कि महत्त्व किसको दिया जाये। मैं ऐसा मानता हूँ कि बाह्य पक्षका महत्त्व उसी हदतक है जहाँतक कि वह आन्तरिक पक्षकी परिष्कृतिमें सहायक है; उससे अधिक उसका कोई महत्त्व नहीं है। इस प्रकार, सभी सच्ची कला आत्माकी अभिव्यक्ति होती है। कलाके बाह्य रूपोंका महत्त्व वहीं तक है जहाँतक उनसे मनुष्यकी आत्माकी अभिव्यक्ति होती है।

बड़े-बड़े कलाकारोंने तो स्वयं ही कहा है कि आत्माकी तृषा और आकुलताकी शब्दों, रंगों, आकृतियों आदिमें अभिव्यक्तिका नाम ही कला है।

हाँ, और ऐसी कला मेरे मनको सबसे ज्यादा छूती है। किन्तु, मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुतसे लोग हैं जो अपने-आपको कलाकार कहते हैं और कलाकार माने भी जाते हैं, लेकिन उनकी कृतियोंमें आत्माके ऊर्ध्वमुखी स्फुरण और आकुलताका लेश भी नहीं होता।

Gandhi Heritage Portal

क्या आपके मनमें इसका कोई उदाहरण है?

हाँ, है। ऑस्कर वाइल्डको ही लो। उनके विषयमें मैं इसलिए कुछ कह सकता हूँ कि जिन दिनों उनकी चर्चा बहुत गरम थी, उन दिनों मैं इंग्लैंडमें ही था।

मगर मुझे तो बताया गया है कि ऑस्कर वाइल्ड आधुनिक कालकी महानतम साहित्यिक विभूतियोंमें से थे।

हाँ, और यही तो मेरी भी परेशानीका कारण है। वाइल्डने बाह्य रूपोंमें ही कलाकी चरम परिणति देखी और इसलिए वे अनैतिकताको भी कलात्मक सौन्दर्य प्रदान करनेमें सफल हो गये। सच्ची कला तो वही है जो आत्म-दर्शनमें सहायक हो। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो देखता हूँ कि अपने आत्म-दर्शनके लिए बाह्य रूपोंका कोई सहारा लिये बिना भी मेरा काम चल सकता है। इसलिए, मैं अपने बारेमें यह दावा कर सकता हूँ कि मेरे जीवनमें सचमुच पर्याप्त कला है, यद्यपि जिन्हें तुम कला-कृतियाँ कहते हो, उन चीजोंको तुम मेरे आस-पास शायद न देख सको। मेरे कमरेकी दीवारें बिलकुल सादी, सूनी हो सकती हैं और हो सकता है, मैं अपने सिरपर कोई साया भी नहीं रहने दूँ ताकि दृष्टि ऊपर उठानेपर अनन्त सौन्दर्यका वितान फैलाये तारक मण्डित आकाशको देख सकूँ। ऊपर तारोंसे जगमगाते इस आकाशकी ओर दृष्टि डालनेपर मैं जिस विराट् दृश्यको देखता हूँ, वैसे विराट् दृश्यके दर्शन मुझे किस कला-कृतिमें हो सकते हैं? लेकिन, इसका मतलब यह नहीं कि जिन चीजोंको सामान्यतया कला-कृतियाँ माना जाता है, उन्हें मैं कोई महत्त्व ही नहीं देता; हाँ, यह अवश्य है कि व्यक्तिगत रूपसे मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि प्रकृतिके चिरन्तन सौन्दर्य-प्रतीकोंकी तुलनामें ये कृतियाँ कितनी अधूरी हैं। मनुष्यकी इन कला-कृतियोंका महत्त्व उसी सीमातक है जिस सीमातक ये आत्माके अन्तर्दर्शनमें सहायक हैं।

लेकिन कलाकार तो बाह्य सौन्दर्यके माध्यमसे सत्यके दर्शन और उसकी प्राप्ति-का दावा करते हैं। क्या इस तरह सत्यको देखना और पाना सम्भव है?

मैं इसी बातको उलटकर कहना चाहूँगा। मैं सत्यमें और सत्यके माध्यमसे सौन्दर्यको देखता और प्राप्त करता हूँ। समस्त सत्य और केवल सच्चे विचार ही नहीं, बल्कि सत्यपरक चित्र अथवा गीत भी अतीव सुन्दर होते हैं। लोग सामान्यतया सत्यमें सौन्दर्यके दर्शन नहीं कर पाते; साधारण लोग सत्यसे आँख चुराते हैं और इसलिए वे उसमें निहित सौन्दर्यको भी नहीं देख पाते। जिस दिन मनुष्य सत्यमें सौन्दर्य देखने लगेगा, उसी दिन सच्ची कलाका जन्म होगा।

किन्तु, क्या सत्यको सौन्दर्यसे और सौन्दर्यको सत्यसे अलग करके नहीं देखा जा सकता?

मैं यह जानना चाहूँगा कि सौन्दर्य दरअसल है क्या। लोग आम तौरपर इस शब्दसे जो-कुछ समझते हैं, यदि सौन्दर्य वही है तो दोनोंमें बड़ा अन्तर है। क्या यह जरूरी है कि कोई सुघड़ आकृतिवाली महिला सुन्दर ही होती है?

हाँ, वह सुन्दर तो होगी ही।

Gandhi Heritage Portal

दुश्चरित्र होते हुए भी?

किन्तु, उस दशामें तो उसकी मुखाकृति सुन्दर हो ही नहीं सकती। उसपर तो बराबर वही भाव प्रस्फुटित होगा जो उसके भीतर है। जिसे दृष्टि है ऐसा कलाकार उसकी मुखाकृतिपर ठीक भावको भी उभार देगा।

लेकिन, ऐसा कहकर तो तुम मेरे प्रश्नको ही दुहरा रहे हो। तुम अब यह स्वीकार कर रहे हो कि कोई वस्तु अपनी बाहरी सुघड़ताके कारण ही सुन्दर नहीं हो जाती। सच्चे कलाकारके लिए वही मुखाकृति सुन्दर है, जिसपर अन्तरका सत्य झलकता हो; बाह्य रूप क्या और कैसा है, इसको वह कोई महत्त्व नहीं देता। तो, जैसा कि मैंने कहा, सत्यसे अलग कोई सौन्दर्य नहीं है। दूसरी ओर, सत्य ऐसी रूपाकृतियोंमें अभिव्यक्त हो सकता है जो बाहरसे किसी तरह सुन्दर न हो। कहते हैं, सुकरात अपने समयके सबसे सत्यपरायण व्यक्ति थे, किन्तु ऐसा बताते हैं कि उनकी रूपाकृति यूनान-भरमें सबसे असुन्दर थी। मेरी दृष्टिमें वे बहुत सुन्दर थे, क्योंकि उनका समस्त जीवन सत्यकी अन्वेषणामें बीता और तुम्हें याद होगा कि उनकी असुन्दर रूपाकृतिके बावजूद फीडियस उनके अन्तरके सत्यमें निहित सौन्दर्यकी सराहना किये बिना नहीं रह सका, यद्यपि एक कलाकारके नाते वे बाह्य रूपोंमें भी सौन्दर्यको देखनेके अभ्यस्त थे।

लेकिन, बापूजी, सुन्दरतम कला-कृतियोंका निर्माण तो अकसर ऐसे व्यक्तियोंने किया है, जिनके अपने जीवन सुन्दर नहीं रहे हैं!

इसका मतलब तो यही है कि सत्य और असत्य अकसर साथ-साथ रहते हैं; बुराई और अच्छाई अकसर साथ-साथ मिलती हैं। कलाकारमें भी सम्यक् दृष्टि और असम्यक् दृष्टिका अस्तित्व बहुधा एक साथ देखनेको मिलता है। सचमुच सुन्दर कृतियोंका सृजन वह तब करता है जब उसकी सम्यक् दृष्टि क्रियाशील होती है। यदि ऐसे क्षण जीवनमें बहुत कम आते हैं तो कला-सृजनमें भी कम ही आते हैं।

यदि सिर्फ सत्यमूलक और अच्छी चीजें ही सुन्दर हो सकती हैं तो ऐसी कोई चीज जिसमें कोई नैतिक गुण न हो कैसे सुन्दर हो सकती है? . . . जो चीजें अपने आपमें न नैतिक हैं और न अनैतिक उनमें भी क्या सत्य होता है? उदाहरणके लिए, क्या सूर्यास्तमें या रातमें तारोंके बीच चमकनेवाले बंकिमचन्द्रमें भी कोई सत्य होता है?

बेशक, इनका सौन्दर्य भी सत्यमूलक है, क्योंकि ये मुझे उस स्रष्टाकी महिमाका भान कराते हैं, जिसका हाथ इनके पीछे है। सृष्टिके मूलमें जो सत्य है, उसके बिना ये सब सुन्दर कैसे हो सकते थे? जब मैं सूर्यास्तकी अद्भुत छटाको अथवा चन्द्रमाके सौन्दर्यको देखता हूँ तो मेरी आत्मा स्रष्टाकी आराधनामें प्रफुल्लित हो उठती है। मैं इन तमाम कृतियोंमें उसे और उसकी दयाको देखनेका प्रयत्न करता हूँ। किन्तु, यदि सूर्यास्त और सूर्योदय मुझे उसके चिन्तनकी प्रेरणा न दें तो मैं उन्हें भी अपने लिए बाधा ही मानूंगा। जो भी वस्तु आत्माके ऊर्ध्वगमनमें बाधक है, वह मोक्षके मार्गमें अकसर बाधा डालनेवाले शरीरकी ही तरह भ्रम है, पाश है।

Gandhi Heritage Portal

कलाके सम्बन्धमें आपके विचार सुनकर मैं सचमुच कृतार्थ हो गया। मैं उन्हें समझता और स्वीकार करता हूँ लेकिन अगर आप भावी पीढ़ीके सही मार्गदर्शनके लिए उन्हें सुबद्ध रूपमें प्रस्तुत कर दें तो क्या यह अच्छा नहीं हो?

ऐसा करनेकी तो मैं सपनेमें भी नहीं सोच सकता। उसका सीधा-सादा कारण यह है कि कलाके सम्बन्धमें ज्यादा कुछ कहना मेरे लिए धृष्टता होगी। मैं कोई कलाका अध्येता नहीं हूँ, यद्यपि उसके सम्बन्धमें ये मेरे बुनियादी विचार हैं। मैं अपनी सीमाओंसे भली-भाँति अवगत हूँ, इसलिए इस विषयपर मैं न बोलता हूँ और न लिखता हूँ और यही सीमाबोध मेरा बल है। मैं जीवनमें जो-कुछ भी कर पाया हूँ, उसका सबसे ज्यादा श्रेय इसी बातको है कि मुझे अपनी मर्यादाओंका ज्ञान है। मेरा काम कलाकारके कामसे भिन्न है इसलिए मुझे अपने क्षेत्रसे बाहर जाकर उसकी जगह नहीं लेनी चाहिए।

बापूजी, क्या आप यन्त्र-मात्रके खिलाफ हैं?

ऐसा कैसे हो सकता है? जब कि मैं जानता हूँ कि यह शरीर भी तो एक बहुत नाजुक यन्त्र ही है। चरखा तो खुद ही एक यन्त्र है और दाँत कुरेदनेकी एक छोटी-सी सींक भी तो यन्त्र ही है। मुझे यन्त्रोंपर नहीं, बल्कि उनके प्रति अन्ध-मोहपर आपत्ति है। यह मोह उन यन्त्रोंके लिए है जिन्हें वे श्रमकी बचत करनेवाले कहते हैं। इस तरह मनुष्य श्रमकी बचतके पीछे पड़ा रहता है और अन्तमें उसका परिणाम यह होता है कि हजारों लोग बेरोजगार हो जाते हैं और उनके लिए मारे-मारे फिरते हुए भूखकी पीड़ासे तड़प-तड़पकर अपने प्राण देनेके अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। मैं भी समय और श्रमकी बचत करना चाहता हूँ, लेकिन मुट्ठी-भर लोगोंके लिए नहीं, बल्कि सभीके लिए। सम्पत्तिका संचय मैं भी चाहता हूँ, किन्तु वह चन्द लोगोंके हाथोंमें नहीं, बल्कि समस्त समाजके हाथोंमें चाहता हूँ। आज यन्त्रोंकी बदौलत चन्द लोग लाखों-करोड़ोंकी पीठपर सवार हैं। इस सबके पीछे प्रेरणा श्रमकी बचतकी और परोपकार-वृत्तिकी नहीं, बल्कि लोभकी ही है। इसी वस्तु-व्यवस्थाके विरुद्ध मैं अपनी समस्त शक्तिसे जूझ रहा हूँ।

तब तो, बापूजी, आप यन्त्रके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके दुरुपयोगके खिलाफ, जिसकी मिसालें आज हम इतनी ज्यादा देख रहे हैं, लड़ रहे हैं?

मैं बेहिचक कहूँगा कि 'हाँ'; लेकिन इतना और जोड़ना चाहूँगा कि आज जो वैज्ञानिक तथ्यों और आविष्कारोंका उपयोग लोभको तुष्ट करनेके साधनके रूपमें हो रहा है, सबसे पहले यह स्थिति समाप्त होनी चाहिए। उस हालतमें श्रमिकोंपर कामका ज्यादा बोझ नहीं रहेगा और यन्त्र एक बाधाके बजाय सहायक साधन बन जायेगा। मैं यन्त्र-मात्रको समाप्त करनेका नहीं, बल्कि उसे सीमित करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ।

इसका तर्क-संगत निष्कर्ष तो यही होगा कि तमाम शक्तिचालित जटिल यन्त्रोंको समाप्त कर देना चाहिए।

Gandhi Heritage Portal

हो सकता है, इन सबको समाप्त कर देना पड़े; लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा। मानव-हितका विचार सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यन्त्र मनुष्यको पंगु बना दें। उदाहरणके लिए, मैं इस नियमके कुछ उचित और युक्तिसंगत अपवाद भी रखूँगा। सिलाईकी सिंगर मशीनको ही लो। यह चन्द उपयोगी आविष्कारोंमें से है और इस यन्त्रके साथ एक रोचक कहानी भी जुड़ी हुई है। सिंगर देखते कि उनकी पत्नी सीने और बखियानेका ऊबानेवाला काम करती रहती है और उसके प्रति प्रेमके कारण उन्होंने इस यन्त्रका आविष्कार कर डाला, ताकि वह गैर-जरूरी मेहनतसे बच सके। किन्तु, इस तरह उसने न केवल अपनी पत्नीकी, बल्कि इस यन्त्रको खरीदनेमें समर्थ हर आदमीकी मेहनत बचा ली।

लेकिन, उस हालतमें तो सिलाईकी सिंगर मशीनोंके निर्माणके लिए कारखाना खोलनेकी भी जरूरत होगी और उस कारखानेमें सामान्य ढंगके शक्ति-चालित यन्त्र भी होंगे ही।

हाँ, होंगे। लेकिन समाजवादमें मेरा इतना विश्वास तो है ही कि कह सकूँ कि ऐसे कारखानोंका या तो राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये या उन्हें राज्यके स्वामित्वमें रखा जाये। चाहिए यह कि ये कारखाने अत्यन्त आदर्श और आकर्षक ढंगसे चलाये जायें, मुनाफाखोरीके लिए नहीं, बल्कि मानव-समाजके हितके लिए चलाये जायें। इसमें प्रेरणा लोभकी नहीं, प्रेमकी होनी चाहिए। मैं जो चाहता हूँ वह यह कि श्रमिकों-को जिन स्थितियोंमें काम करना पड़ता है, उन स्थितियोंको बदला जाये। धनके लिए यह पागलपन-भरी आपा-धापी बन्द होनी चाहिए और मजदूरोंको आश्वस्त कर देना चाहिए कि उन्हें न केवल जीवन-निर्वाहके लायक मजदूरी मिलेगी, बल्कि प्रतिदिन ऐसा काम भी मिलेगा जो मात्र नीरस श्रम ही नहीं होगा। ऐसी स्थिति होनेपर यन्त्रसे जितनी सहायता राज्य अथवा यन्त्रके स्वामीको मिलेगी उतनी ही सहायता यन्त्र चलानेवालेको भी मिलेगी। तब आजकी पागलपन-भरी आपा-धापी बन्द हो जायेगी और मजदूर लोग (जैसा कि मैंने कहा) काम करनेकी आकर्षक और आदर्श स्थितियोंमें श्रम करेंगे। मेरे मनमें जो अपवाद हैं, उनमें से यह केवल एक है। सिलाई मशीनके आविष्कारके पीछे प्रेमकी प्रेरणा थी। व्यक्तिके हितका विचार ही सर्वोपरि है। तो इसका उद्देश्य व्यक्तिके श्रमकी बचत होना चाहिए और इसके पीछे प्रेरक तत्त्व लोभ नहीं, बल्कि सच्चा मानव-हित होना चाहिए। इस तरह, उदाहरणके लिए, मैं टेढ़े तकुएको सीधा करनेवाले यन्त्रके आविष्कारका स्वागत करनेके लिए बराबर तैयार हूँ। इससे ऐसा नहीं होगा कि लोहार लोग तकुए बनाना छोड़ देंगे। तकुएकी जरूरत तो तब भी वे ही पूरी करेंगे, लेकिन जब तकुआ खराब हो जायेगा तो उसे सीधा करनेके लिए हर कतैयेके पास अपना-अपना यन्त्र रहेगा। तात्पर्य यह कि लोभकी जगह प्रेमसे काम लेना शुरू कीजिए और फिर देखिए कि किस तरह सब-कुछ अपने-आप ठीक हो जाता है।

स्पष्ट था कि इतनेसे रामचन्द्रन् सन्तुष्ट नहीं हुए थे। उन्होंने तो ऐसा समझा था कि गांधीजी यन्त्र-मात्रके विरुद्ध हैं और लगता था कि उनका यह रवैया ठीक

Gandhi Heritage Portal

भी है। इसलिए वे इस सवालकी तहतक जाना चाहते थे। लेकिन काफी देर हो रही थी और अभी उन्हें अन्य अनेक सवाल पूछने थे। गांधीजी समझ गये और उन्होंने मुस्कराते हुए कहा :

गाड़ी छूट जानेकी फिक्र मत करो। तुम्हारी सारी शंकाओंका समाधान करनेके लिए तैयार हूँ। अभी तुम जितने सवाल चाहो, पूछ सकते हो। मैं उससे जरा भी नहीं थकूंगा।

अभी इन नौजवान भाईके प्रश्नोंकी सूची समाप्त नहीं हुई थी। गांधीजीसे यह आश्वासन मिल जानेके बाद कि अभी तुम जितने सवाल चाहो, पूछ सकते हो, वे बिलकुल निश्चिन्त हो गये। उन्होंने साहस बटोरकर अगला प्रश्न पूछा, जिसका सम्बन्ध विवाहकी प्रथासे था।

मैं तीसरा सवाल यह पूछना चाहूँगा कि क्या आप विवाह-प्रथाके विरुद्ध हैं!

इसका उत्तर मुझे किंचित् विस्तारसे देना पड़ेगा। मानव-जीवनका उद्देश्य मोक्ष है। एक हिन्दूके नाते मैं मानता हूँ कि मोक्षका अर्थ जन्म-बन्धनसे मुक्ति पाना है, शरीरके बन्धनोंको तोड़कर ईश्वरमें लीन हो जाना है। अब विवाह तो इस सर्वोपरि लक्ष्यकी सिद्धिके मार्गमें एक बाधा ही है, क्योंकि यह शरीरके बन्धनको दृढ़ करता है। इसमें ब्रह्मचर्य बहुत सहायक है, क्योंकि यह मनुष्यको अपना जीवन पूर्णतः ईश्वर-को अर्पित करनेमें सक्षम बनाता है। विवाहका उद्देश्य आम तौरपर वंशवृद्धि ही तो समझा जाता और फिर किसीको विवाह-प्रथाका पक्ष-पोषण करनेकी भी क्या जरूरत है? इसका प्रचार तो स्वयं ही होता रहता है। इसके प्रसारके लिए किसी प्रचार-तन्त्रकी आवश्यकता नहीं है।

लेकिन, ब्रह्मचर्यका पक्ष-पोषण करना और हरएकको उसका उपदेश देना क्या आप अपने लिए जरूरी मानते हैं?

हाँ, जरूरी ही मानता हूँ और तब तुम शायद यह कहोगे कि इस तरह तो सृष्टिका अन्त ही हो जायेगा? लेकिन नहीं, ऐसा कोई खतरा नहीं है। इसका जो बड़ेसे-बड़ा तर्क-संगत परिणाम होगा वह मानव-जातिका उन्मूलन नहीं, बल्कि उसका एक उच्चतर धरातलपर पहुँच जाना ही होगा।

लेकिन, क्या यह वांछनीय नहीं है कि कवि, कलाकार और महान् प्रतिभासे युक्त व्यक्ति अपनी सन्तानके माध्यमसे भावी पीढ़ीके लिए अपनी विरासत छोड़ जायें?

बिलकुल नहीं। उसे हर हालतमें अपनी सन्तानकी अपेक्षा शिष्य अधिक संख्यामें मिल जायेंगे और उन शिष्योंके माध्यमसे वह दुनियाको अपनी प्रतिभाका दान जितनी अच्छी तरह दे सकता है, उतनी अच्छी तरह और किसी तरीकेसे नहीं दे सकता। यह आत्मासे आत्माका परिणय होगा; शिष्य होंगे परिणयकी सन्तान। यह एक प्रकारकी अलौकिक प्रजोत्पत्ति होगी। तो विवाहकी प्रथाकी रक्षाके लिए हमें कोई चिन्ता ही नहीं करनी चाहिए, वह तो अपने ही बल-बूतेपर जीवित रहेगी। इसका परिणाम विकास नहीं, पुनरावृत्ति ही होगा, क्योंकि विवाह-व्यापारमें वासना ही सबसे प्रधान हो गई है।

Gandhi Heritage Portal

मगर ब्रह्मचर्यपर आपका यह आग्रह श्री एन्ड्रयूजको पसन्द नहीं है।

हाँ, मुझे मालूम है। उनका यह दृष्टिकोण प्रोटेस्टेंट पंथकी देन है। इस पंथको बहुतसे सत्कार्योंका श्रेय है, लेकिन इसमें जो-कुछ दोष थे, उनमें से एक ब्रह्मचर्यका उपहास करना भी था।

लेकिन ऐसा तो इसलिए हुआ कि इस पंथको, उस समयका पादरी-वर्ग जिन बुराइयोंमें डूबा हुआ था, उनसे लड़ना था।

लेकिन इन तमाम बुराइयोंका कारण यह तो नहीं था कि ब्रह्मचर्यमें कोई सहज दोष है। ब्रह्मचर्यके कारण ही कैथॉलिक पंथ आजतक फल-फूल रहा है।

रामचन्द्रन्‌का अन्तिम प्रश्न बहु-चर्चित 'कताई-सदस्यता'के बारेमें था। उन्होंने गांधीजीको प्रारम्भमें ही यह बता दिया कि वे खुद तो कातते हैं, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया कि शान्तिनिकेतनके अपने दो अन्य मित्रोंके साथ-साथ उन्होंने यह काम गांधीजीके उपवासका समाचार सुननेके बाद ही शुरू किया। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस बातमें विश्वास रखते हैं कि कताई सबको करनी चाहिए। लेकिन, यह चीज उनकी समझमें नहीं आ रही थी कि कांग्रेसको अपने सदस्योंको इस कामके लिए क्यों मजबूर करना चाहिए। यहाँ तो जबरदस्तीसे नहीं, बल्कि समझाने-बुझानेके तरीकेसे काम लेना चाहिए।

अच्छा तो, इस विषयमें तो तुम श्री एन्ड्रयूजसे भी एक कदम आगे हो। वे भी यह नहीं चाहते कि कांग्रेस अपने सदस्योंको इसके लिए मजबूर करे; लेकिन कताई-सम्बन्धी नियमोंसे बँधे, स्वेच्छया कताई करनेवाले किसी संगठनके सदस्य वे खुशी-खुशी बनना चाहेंगे। तुमको तो शायद ऐसे किसी संगठनपर भी आपत्ति है?

रामचन्द्रन् चुप बैठे रहे।

अच्छा तो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या कांग्रेसको ऐसा कहनेका कोई अधिकार है कि इसका कोई सदस्य मद्यपान न करे? क्या यह भी व्यक्तिकी स्वतन्त्रतापर रोक लगाना होगा? यदि कांग्रेस अपने सदस्योंपर मद्य-निषेधका नियम लादनेके अधिकारका प्रयोग करे तो उसपर कोई आपत्ति नहीं होगी। क्यों? इसी-लिए न कि मद्यपानकी बुराइयाँ जग-जानी हैं। तो मैं यह कहूँगा कि आज भारतमें, जहाँ करोड़ों लोग भुखमरीके किनारेपर खड़े हैं और दुःखके सागरमें डूबे हुए हैं, विदेशोंसे कपड़ेका आयात करना शायद अधिक बड़ी बुराई है। जरा उड़ीसाके लाखों क्षुधा-पीड़ित लोगोंका खयाल करो। जब मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँके अकाल-पीड़ित लोगोंको देखा था। एक नेक पुलिस सुपरिंटेंडेंटके सौजन्यसे, जो एक उद्योगशाला चलाते थे, मैंने उन अकाल-पीड़ितोंके स्वस्थ, प्रसन्न और हँसमुख बच्चोंको भी देखा, जो दरी, टोकरी वगैरह बनानेमें जुटे हुए थे। वहाँ कताई नहीं हो रही थी, क्योंकि उस समय वहाँ इन दूसरे कामोंका बड़ा प्रचलन था। लेकिन, उनकी मुखाकृतिसे श्रमके आनन्दकी आभा छिटक रही थी। लेकिन, अकाल-पीड़ितोंके बीच आकर मैंने क्या देखा? वे हड्डी-चमड़ीके ढाँचे-मात्र रह गये थे; उन्हें देखकर यही लगता था

Gandhi Heritage Portal

कि वे बस मृत्युकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी यह दशा इसलिए थी कि वे किसी भी हालतमें काम करनेको तैयार नहीं थे। अगर उन्हें काम करनेसे इनकार करनेपर कोई गोली मार देनेकी भी धमकी देता तो मेरा विश्वास है, वे कोई ईमानदारीका काम करनेके बजाय गोली मार दिया जाना अधिक पसन्द करते। कामसे यह अरूचि मद्यपानकी अपेक्षा कहीं अधिक बड़ी बुराई है। किसी मद्यसेवीसे तो तुम कुछ काम ले सकते हो। उसमें कुछ उत्साह होता है; समझदारी भी होती है। लेकिन, काम करनेसे इनकार करनेवाले ये भूखे लोग बिलकुल पशुओं-जैसे हो गये थे। सवाल यह है कि ऐसे लोगोंसे काम लेनेकी समस्याको हम कैसे हल कर सकते हैं? मुझे तो चरखेको घर-घर पहुँचा देनेके अलावा इसका और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। इसलिए, बाहरसे भारतमें मँगाये गये एक-एक गज कपड़ेका मतलब इन दीन-हीन क्षुधित लोगोंके मुँहसे एक-एक ग्रास छीन लेना है। अगर मेरी ही तरह तुम भी समयके सबसे बड़े तकाजेको समझ पाते — और वह तकाजा है भारतके करोड़ों क्षुधित लोगोंको आनन्द और हर्षके साथ अपनी रोटी कमानेका एक अवसर देना — तो तुम्हें कताई सदस्यतापर कोई आपत्ति नहीं होती। मैं तो कांग्रेसको कताईकी सर्वोपरि आवश्यकताको स्वीकार करनेवाले पुरुषों और स्त्रियोंकी ही संस्था मानता हूँ। फिर, उसे अपने हर सदस्यके लिए कताई अनिवार्य करके इस संस्थाकी सदस्यताकी प्रामाणिकताकी ओरसे आश्वस्त हो जानेकी कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए? और तुम समझाने-बुझानेकी बात कहते हो। समझाने-बुझानेका इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि कांग्रेसका हर सदस्य, हर महीने नियमित रूपसे एक निश्चित परिमाणमें सूत काते? अगर कांग्रेसी लोग खुद ही कताई नहीं करेंगे तो फिर लोगोंसे कताई करनेको कहना उनके लिए कसे उचित माना जा सकता है?

लेकिन कताई न करनेवाले लोगोंको आप कांग्रेससे बाहर कैसे रख सकते हैं? हो सकता है कि वे अन्य प्रकारसे देशकी महत्त्वपूर्ण सेवा कर रहे हों।

क्यों नहीं रख सकते? आखिर सम्पत्तिपर आधारित मताधिकारका कारण क्या है? किसी व्यक्तिके लिए सदस्य बननेके लिए चार आने देना क्यों जरूरी है और उम्रको एक आवश्यक योग्यता क्यों माना जाता है? क्या इटलीके उस आठ वर्षीय प्रतिभाशाली वायलिन-वादकको मताधिकार दिया जा सकता है? जॉन स्टुअर्ट मिल चाहे जितने भी मेधावी रहे हों, लेकिन जब वे सत्रह वर्षके थे तब ग्रीक और लैटिनके समस्त ज्ञानके बावजूद उन्हें मताधिकार नहीं प्राप्त था। अल्प वयमें ही अद्भुत प्रतिभाका परिचय देनेवाले इन व्यक्तियोंको मताधिकार क्यों नहीं दिया गया? मताधिकार चाहे किसी प्रकारका हो कुछ-न-कुछ लोग उससे वंचित रहेंगे ही। नहीं, यह ठीक है कि आज बहुतसे लोग मेरी स्थितिको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि कभी-न-कभी हो सकता है, मेरी मृत्युके बाद — वह दिन जरूर आयेगा जब लोग कहेंगे कि जो हो, गांधीका कहना तो ठीक ही था।

अब सात बज चुके थे और रामचन्द्रन्‌की गाड़ी छूट चुकी थी, लेकिन उन्हें जो-कुछ मिल चुका था वह उससे हजार गुना ज्यादा कीमती था। दूसरे दिन सुबह

Gandhi Heritage Portal

प्रस्थान करनेसे पूर्व उन्हें फिर गांधीजीसे बातचीत करनेका सौभाग्य मिला। इस बार बातचीत तो कम ही हुई, लेकिन उसके परिणामस्वरूप रामचन्द्रन्‌ने आखिरकार गांधीजीका दृष्टिकोण स्वीकार कर लिया।

तो बापूजी, मुख्य चीज सत्य ही है? सौन्दर्य और सत्य एक ही चीजके अलग-अलग पक्ष नहीं हैं——यही न?

सत्य ही वह वस्तु है, जिसकी खोज सबसे पहले करनी चाहिए और फिर सौन्दर्य और शिवत्वकी प्राप्ति तो तुम्हें उसके साथ अपने-आप हो जायेगी। मेरे लेखे, ईसामसीह एक श्रेष्ठ कलाकार थे, क्योंकि उन्होंने सत्यका साक्षात्कार किया और उसे अभिव्यक्ति दी। ऐसे ही मुहम्मद साहब भी थे और उनकी 'कुरान' अरबी साहित्यकी सबसे सुन्दर, सबसे पूर्ण कृति है——कमसे-कम विद्वान् लोग तो ऐसा ही कहते हैं। चूंकि दोनोंने सर्वप्रथम सत्यको पानेका प्रयत्न किया, इसलिए स्वभावतः उनकी अभिव्यक्तिमें प्रांजलता आ गई; मगर न तो ईसामसीहने और न मुहम्मद साहबने ही कलापर कुछ लिखा। इसी सत्य और सुन्दरके लिए मैं लालायित हूँ, इसीके लिए जीता हूँ और इसीके लिए मरना चाहता हूँ।

अगर आप सिंगर सिलाई मशीन और अपनी तकलीको अपवाद बनाते हैं तो फिर ऐसे अपवादोंका अन्त कहाँ होगा?

वहाँ, जहाँ यन्त्र व्यक्तिके लिए सहायक न रहकर उसकी वैयक्तिकतापर आक्रमण करने लगेंगे। यन्त्रको मनुष्यके हाथ-पैरोंको निकम्मा नहीं बनाने देना चाहिए।

लेकिन, बापूजी, इस समय मेरे मनमें व्यावहारिक पक्षका खयाल नहीं था। एक आदर्शके रूपमें क्या आप यन्त्र-मात्रका परित्याग नहीं चाहेंगे? जब आप सिलाई मशीनको अपवाद बना रहे हैं तब तो आपको साइकिल, मोटर गाड़ी आदिको भी अपवाद बनाना पड़ेगा?

नहीं, इन्हें अपवाद नहीं बनाऊँगा। क्योंकि इनसे मनुष्यकी कोई बुनियादी आवश्यकता पूरी नहीं होती। कारण, मोटरगाड़ीकी तेज रफ्तारसे दूरी तय करना मनुष्यकी कोई बुनियादी आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत सूई जीवनके लिए एक आवश्यक वस्तु है——बुनियादी आवश्यकता है। लेकिन आदर्शके रूपमें तो मैं तमाम यन्त्रोंका त्याग करनेको कहूँगा——ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं इस शरीरको, जो मोक्षके मार्गमें सहायक नहीं है, त्यागकर आत्माकी मुक्तिके लिए प्रयत्न करना चाहूँगा। इस दृष्टिकोणसे तो मैं यन्त्र-मात्रका त्याग कर देना चाहूँगा, लेकिन यन्त्र रहेंगे तब भी, क्योंकि वे भी शरीरकी तरह ही अनिवार्य हैं। जैसा कि मैंने बताया, शरीर तो स्वयं ही एक विशुद्धतम यन्त्र है, लेकिन यदि यह आत्माके उर्ध्वगमनमें बाधक है तो इसका त्याग करना होगा।

लेकिन यह एक अनिवार्य बुराई क्यों है? क्या आखिरकार कुछ कलाकार सौन्दर्यमें और सौन्दर्यके माध्यमसे सत्यको नहीं देख सकते?

Gandhi Heritage Portal

हाँ, कुछ कलाकार देख सकते हैं। लेकिन मुझे तो यहाँ भी करोड़ों लोगोंको ध्यानमें रखकर सोचना है; और करोड़ों लोगोंको हम सौन्दर्यबोधका ऐसा प्रशिक्षण नहीं दे सकते जिससे वे सौन्दर्यमें सत्यको देख सकें। पहले उन्हें सत्यके दर्शन कराओ और बादमें वे सौन्दर्यके दर्शन भी जरूर कर लेंगे। उड़ीसाकी बात सोच-सोचकर मैं सोते-जागते हमेशा परेशान रहता हूँ। उन लाखों-करोड़ों क्षुधित लोगोंके लिए जो-कुछ लाभदायक हो सकता है, वह मेरे लिए सुन्दर भी है। पहले हम जीवनके प्राथमिक और आवश्यक उपादान जुटा दें, फिर जीवनका लालित्य और सौन्दर्य तो उन्हें अपने-आप प्राप्त हो जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १३-११-१९२४ और २०-११-१९२४

२१३. पत्र : वसुमती पण्डितको

[२२ अक्तूबर, १९२४][1]

चि० वसुमती,

तुम्हें महादेव अथवा रामदास लिखता ही होगा, ऐसा सोचकर मैंने पत्र लिखनेमें ढिलाई की है। लिखनेकी बात तो मनमें थी ही। मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है। साढ़े तीन सेर दूध पी जाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह मात्रा कम करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा घूम-फिर भी लेता हूँ। यहाँ ३१ तारीखतक तो रहना ही है। उसके बाद कोहाट जाना पड़ेगा, ऐसा मानता हूँ। यह बात वाइसरायकी अनुमतिपर निर्भर करती है। आशा है, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। क्या पाखाना नियमित रूपसे हो जाता है? मणिलाल दक्षिण आफ्रिकासे यहाँ आ गया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५८) से।
सौजन्य : वसुमती पण्डित।

१. डाककी मुहरसे।

Gandhi Heritage Portal

२१४. पत्र : डाह्याभाई एम० पटेलको

आश्विन बदी ९ [२२ अक्तूबर, १९२४][1]

भाईश्री डाह्याभाई,

आपका पत्र मिला। आपकी पत्रिका तो मैं भूल गया हूँ। फिर भेज दीजिए। सन्देश यह है:

सत्यपर दृढ़ रहें। अपने प्रत्येक कार्यमें शान्ति बरतें। अपने और देशकी खातिर चरखा चलायें, खादी पहनें, हिन्दू और मुसलमान मिल-जुलकर रहें, हिन्दू अस्पृश्योंको अपना भाई समझें और उनका स्पर्श करनेमें संकोच न करें। शराब पीनेवाले शराबका त्याग करें; अन्य व्यसन करनेवाले भी अपने-अपने व्यसन छोड़ दें, यह हम सबका कर्त्तव्य है और यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें स्वराज्य जल्दसे-जल्द मिलेगा। 'नवजीवन' और 'यंग इंडिया' में फिलहाल जो कुछ प्रकाशित होता है, उसका मुझे भान है। मुझे लगता है कि वह सब निर्दोष है। ये अनुभव असामान्य नहीं हैं और सबके लिए उपयोगी हैं। इनके द्वारा अहिंसा और तपका पाठ मिलता है, जिसे सबको सीखना है। उनमें कुछ हदतक मेरी प्रशंसा आ जाती है, लेकिन वह अनिवार्य है और जबतक मैं सम्पादन-कार्य फिरसे अपने हाथमें न लूं, तबतक क्षम्य ही है। तथापि आपका दृष्टिकोण भी विचारणीय है। इस प्रशंसाके प्रति मुझे निर्लेप रहना चाहिए।

बापूके आशीर्वाद

भाई डाह्याभाई
ताल्लुका समिति
धोलका
बरास्ता अहमदाबाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २६९०) से।
सौजन्य: डाह्याभाई एम० पटेल

१. डाककी मुहरसे।

Gandhi Heritage Portal

२१५. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

आश्विन बदी ९ [२२ अक्तूबर, १९२४][1]

चि० तारामतीके बारेमें पढ़कर दुःख हुआ।[2] उसे कष्ट हुआ और आनन्दको बड़ा कष्ट हुआ होगा, यह सोचकर मनको बड़ा क्लेश पहुँचा। जन्म-मरणके विषयमें तो मैं इतना उदासीन हो गया हूँ कि उसका असर मुझपर शायद ही होता हो। जैसे-जैसे सोचता हूँ, जन्म और मरण मुझे एक ही वस्तुके दो रूप जान पड़ते हैं। अभी कल ही अनायास एक वाक्य पढ़नेको मिला 'मनुष्य तू मृत्युसे क्यों दुःखी होता है? मरणोपरान्त तो आत्माको सद्‌गति ही मिलती है। क्या तू विचार करके इतना भी नहीं देखता कि आत्मा नहीं मरती।' बुद्धि यह सब स्वीकार करती है, लेकिन बहुत बार हृदय स्वीकार नहीं करता, यही कठिनाई है। बल तो हृदयका ही सच्चा है। बुद्धि तो तुच्छ लगती है। बुद्धि कहे कि मुझे तुमसे प्रेम है, लेकिन हृदय स्वीकार न करे तो बुद्धिका कहा किस कामका?

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी

२१६. पत्र : ना० मो० खरे को

आश्विन बदी ९ [२२ अक्तूबर, १९२४][3]

भाई पण्डितजी,

आपका सुन्दर पत्र मिला। भक्त होना क्या कोई आसान बात है? तुलसीदासने अपने आपको शठ और सूरदासने पापी और अपंग कहा है। फिर भला हमारी क्या बिसात? हम सावधान रहें, इतना ही काफी है। आपका पत्र आपकी सावधानीका सूचक है। सँभलकर चलनेवाला और अपने आपको धोखा न देनेवाला व्यक्ति आगे बढ़ता ही जायेगा, क्योंकि वह हमेशा अपनी भूलोंकी ओर नजर रखता हुआ उनसे बचनेका प्रयत्न करता रहता है।

बापूके आशीर्वाद

भाई पण्डितजी
सत्याग्रह आश्रम, साबरमती

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २५४) से।
सौजन्य : लक्ष्मीबाई खरे

१. साधन-सूत्रमें दी गई तारीखके अनुसार।
२. तारामतीने एक मृत शिशुको जन्म दिया था।
३. डाककी मुहरसे।

Gandhi Heritage Portal

२१७. तार: चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको[1]

[२२ अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात्]

आपको डाकसे विवरण-सहित एक हजार भेज रहा हूँ।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०३२२) की फोटो-नकलसे।

२१८. प्रेमका नियम

एक भाईने मुझसे कहा है कि जहाँ मैं स्वराज्यवादियों, लिबरलों तथा अन्य लोगोंको खुश करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ वहाँ ऐसा लगता है कि अपरिवर्तनवादियोंका त्याग करता जा रहा हूँ और मुझमें जो परिवर्तन हो रहा है, उससे वे चकित-से हैं। इन भाईका कहना है कि मैं अपरिवर्तनवादियोंके दृष्टिकोणसे अपनी स्थिति बताऊँ और मेरे रवैयेमें जो परिवर्तन होता दीख रहा है, उसे समझाऊँ। उनका अनुरोध है कि बम्बईमें एक्सेल्सियर थिएटरकी सभामें मैंने सहयोग अथवा सत्याग्रहके जिस सौम्य पक्षकी रूप-रेखा बताई थी[2], उसकी स्पष्ट व्याख्या करूँ।

स्थितिको स्पष्ट करनेके लिए सबसे पहले तो मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मेरे अपने विचारोंमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अहिंसात्मक असहयोग और उससे फलित बहिष्कारोंमें अब भी मेरा पूरा विश्वास कायम है। लेकिन अब मैं दिनके उजालेकी तरह साफ-साफ देख रहा हूँ (मगर उस दिन जुहू-तटपर नहीं देख पाया था) कि देशने कुल मिलाकर अहिंसाका मर्म और इसलिए उसके सामने जो असहयोग प्रस्तुत किया उसका मर्म भी नहीं समझा है। इसलिए मैं इस चीजको भी उतना ही साफ-साफ देख रहा हूँ कि यदि असहयोगको, उसके प्रभावकारी सिद्धान्त अहिंसाके बिना जारी रखा गया तो उससे देशकी हानि होगी। बहुत-कुछ हानि तो यह कर चुका है, क्योंकि इसके कारण देश परस्पर-विरोधी दलोंमें विभक्त हो गया है। इन परस्थितियोंमें राष्ट्रीय कार्यक्रमके रूपमें असहयोगको कुछ कालके लिए स्थगित ही कर देना चाहिए। असहयोगका उद्गम सत्याग्रह है और सत्याग्रह और कुछ नहीं, प्रेम है। संसार प्रेमके नियमसे ही संचालित होता है — हम इस नियमको कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं; बस यह याद रखना है कि यह ऐसा तत्त्व है जो हमें एक-दूसरेके प्रति खींचता है और हमें बाँधकर एक बनाता है। मृत्युके रहते हुए भी जीवनका प्रवाह कायम है। ध्वंसका क्रम निरन्तर चल रहा है पर उसके बावजूद

१. यह २२ अक्तूबरको प्राप्त निम्नलिखित तारके उत्तरमें भेजा गया था: "सत्याग्रह निधिमें से वाइकोमके लिए एक हजार मासिक देनेकी सिफारिश करें। तत्काल आवश्यक है।"

२. देखिए "भाषण: एक्सेल्सियर थिएटर बम्बईमें", ३१-८-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

सृष्टिका क्रम बना ही हुआ है। असत्यपर सत्यकी विजय होती ही है। प्रेम घृणापर विजयी होता ही है और ईश्वर शैतानके विरुद्ध सदा विजय पाता रहता है।

मैंने जिस असहयोगकी कल्पना की थी, वह सबको प्रेम-सूत्रमें पिरोनेवाली चीज थी। लेकिन, कांग्रेसकी भीतरी फूटसे और उससे भी ज्यादा हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्यसे यह स्पष्ट हो गया है कि असहयोग पिरोनेवाली नहीं, बिखरानेवाली चीज साबित हुआ है। इसलिए अब मुझे इसे स्थगित करनेकी सलाह देकर और अपनी ओरसे पूरा समर्पण करके इसके सौम्य पक्षको दिखानेकी कोशिश करनी है। ऐसा करनेके लिए मुझे अपरिवर्तनवादियोंको खुश करनेकी जरूरत नहीं है। उनका तो दावा है कि वे अहिंसा और उसके फलितार्थोंको जानते-समझते हैं। उन्होंने सब-कुछ छोड़कर रचनात्मक कार्यक्रममें अपना विश्वास जमा रखा है। मैं उस कार्यक्रममें रंच-मात्र भी कमी नहीं करता। उसके विपरीत, मैं जो भी कदम उठा रहा हूँ, सबका उद्देश्य उसे बल देना ही है। हिन्दू-मुस्लिम समस्या सर्वोपरि महत्त्वका सवाल है। हम चाहते हैं कि इसके समाधानमें पूरे देशका लोक-मत तत्पर हो। अपना उद्देश्य पानेके लिए हमें थोड़ा झुकना है। हम व्यक्तिगत रूपसे असहयोगके छोटेसे-छोटे अंशको भी कायम रखें, किन्तु साथ ही हमें चाहिए कि जो लोग इसमें विश्वास नहीं रखते, हम उनका मार्ग इसके लिए सुगम बनायें कि वे हमें और रचनात्मक प्रयत्नोंमें देशको सहायता दें। गत चार वर्षोंके अनुभवोंने हमें राह दिखा दी है। हमने बहुत-कुछ पाया है, लेकिन खोया भी बहुत है। हमें इन उपलब्धियोंको स्थायी बनाना है और जो-कुछ खोया है, उसे प्राप्त करना है। जन-जागृति हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसे कायम रखना है। पारस्परिक वैर-वैमनस्यका उदय हमारी सबसे बड़ी क्षति है। हमें इस क्षतिको जल्दी ही पूरा करना है। जबतक हम असहयोगके उग्र पक्षको स्थगित नहीं करते, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अपरिवर्तनवादी लोग किसी लायक हैं तो उनका कर्त्तव्य अपने अहंभावको मिटाकर चुप-चाप काम करते जाना है। उन्हें शक्ति अथवा पद या नामके लिए झगड़ना नहीं चाहिए। परिणाम कुछ निकले या न निकले, उन्हें चुपचाप काम करते जाना चाहिए। अगर स्वराज्यवादी और लिबरल लोग कांग्रेसमें शामिल हो जायें तो उन्हें अपने इन सहयोगी भाइयोंकी मर्जीपर चलना चाहिए।

इसे करनेका तरीका दिखानेका सबसे अच्छा उपाय यह है कि मैं स्वयं यह करके दिखाऊँ। इसलिए अभी तो मैं स्वराज्यवादियों और लिबरलोंके सामने अपनी सामर्थ्य-भर अधिकसे-अधिक समर्पण करनेमें लगा हुआ हूँ। अपरिवर्तनवादियोंके सामने समर्पित करनेको मेरे पास कुछ है नहीं; क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनसे मेरा कोई मतभेद नहीं है।

मुझे किसी पक्ष-विशेषके आदमीके रूपमें नहीं रहना है और मैं अपरिवर्तनवादियोंको भी ऐसा ही करनेकी सलाह देता हूँ।

स्वराज्यवादियोंके सामने जो कठिन कार्य है, उसमें हमें बाधा नहीं डालनी है। जब कभी ऐसा प्रसंग आये कि अपरिवर्तनवादियोंके लिए तीव्र संघर्ष किये बिना बहुमतको अपने पक्षमें करना असम्भव हो जाये, उन्हें खुशी-खुशी और शोभनीय ढंगसे स्वराज्यवादियोंके सामने झुक जाना चाहिए। जहाँ-कहीं वे सत्ता या पदपर

Gandhi Heritage Portal

हों वहाँ उनकी यह स्थिति मत पानेके कौशलके बलपर नहीं, बल्कि अपनी सेवाकी बदौलत ही होनी चाहिए। मत देनेवाले लोग तो हैं ही, लेकिन मत प्राप्त करना है तो याचना किये बिना प्राप्त कीजिए। क्या यह देख सकना बिलकुल आसान नहीं है कि सेवाके लिए न सत्ताकी आवश्यकता है, न पद-प्रतिष्ठाकी ? मैं तो चाहता हूँ कि हममें से हर आदमी केवल देशका सेवक बन जाये। मैं चाहूँगा कि अपरिवर्तनवादी लोग ऐसा व्यवहार करें कि स्वराज्यवादी, लिबरल तथा अन्य सब उनकी आवश्यकता महसूस करें। लेकिन, वे ऐसा करें या न करें, मुझे तो अपने विश्वासके अनुसार बरतना ही है। ईश्वरने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी पिछली बैठकमें मुझे तौलकर देखा और पाया कि मुझमें कमी है। मेरे अहंकारने कहा कि स्वराज्यवादियोंसे मुझे अभी और जूझना चाहिए। लेकिन, मेरा तृप्तिहीन सेवाभाव मुझसे कहता है कि मुझे न स्वराज्यवादियोंका विरोध करना चाहिए, न लिबरलोंका और न अंग्रेजोंका ही। मुझे हरएकको दिखा देना चाहिए कि मैं जो कहता हूँ, वही हूँ —— अर्थात् मैं हरएकका मित्र और सेवक हूँ। मेरा धर्म ईश्वरकी, और इसलिए मानवताकी सेवा है। लेकिन, अगर मैं एक भारतीयके नाते भारतकी और हिन्दूके नाते भारतीय मुसलमानोंकी सेवा नहीं करता तो मैं न ईश्वरकी सेवा कर सकता हूँ, न मानवताकी। स्वेच्छासे सेवाका अर्थ है शुद्ध प्रेम। इसलिए अगले वर्ष मुझे इस बातके लिए अपनी शक्ति-भर पूरा प्रयत्न करना है कि अपने छोटेसे-छोटे काममें भी मैं अपने हृदयका सम्पूर्ण प्रेम उंडेल सकूँ।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २३-१०-१९२४

२१९. तार : अबुल कलाम आजादको[1]

[२३ अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात्]

मौ० अ० क०

कलकत्ता

मुहम्मद जानेमें असमर्थ। डा० महमूदसे कहें।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४८९) की माइक्रोफिल्मसे।

१. यह जबलपुरसे सुन्दरलालका २३ अक्तूबरका तार प्राप्त होनेके बाद भेजा गया था। वह तार इस प्रकार था: "समझौतेकी कोशिश कर रहा हूँ। मौलाना अबुल कलाम आजादको तत्काल सीधे जानेके लिए या अगर यह न हो तो मौलाना मुहम्मद अली अथवा उतने ही प्रतिष्ठित किसी अन्य मुसलमानको भेजनेके लिए तार दें। अविलम्बनीय। तार द्वारा उत्तर दें।"

Gandhi Heritage Portal

२२०. तार: वाइसरायके निजी सचिवको

२४ अक्तूबर, १९२४

वाइसरायके निजी सचिव
वाइसरीगल कैम्प

मेरे १६ तारीखके पत्रका[1] जवाब क्या मुझे तारसे भेज सकेंगे?

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १५९१२) की फोटो-नकलसे।

२२१. पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको

२५ अक्तूबर, १९२४[2]

परमप्रिय चार्ली,

तुम्हारे स्नेह-सिक्त सन्देश प्रति दिन मिल रहे हैं। तुम्हें भी ऐसा मान लेना चाहिए कि मैं भी अपना स्नेह-सन्देश प्रति दिन भेजता ही हूँ। मैं बिलकुल ठीक हूँ। पत्र लिखते समय यंग-परिवार मेरे पास ही है। मैं इस बंगलेमें आवश्यकता हुई तो नवम्बरके शुरूके भी कुछ दिनतक ठहरूँगा। रघुबीरसिंहने बहुत कृपा की है।

सस्नेह,

तुम्हारा,
मोहन

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २६२०) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र: वाइसरायके निजी सचिवको", १६-१०-१९२४।
२. डाककी मुहरसे; साधन-सूत्रमें "१९२५" है।

Gandhi Heritage Portal

२२२. हिन्दू और मुसलमान

एकता सम्मेलन तो एकताका आरम्भ-काल ही है। उसके प्रस्ताव अपूर्ण, उसम उपस्थित लोग अपूर्ण, सो उसका आरम्भ भी अपूर्ण ही रहा है। फिर भी यह सम्मेलन बहुत महत्त्वपूर्ण था। इसकी जड़ें गहरी जायेंगी। इसके रोपे कोमल वृक्षकी रक्षा करना, उसे पानी सींचना हमारा काम है।

गहरा विचार करनेपर हमें दिखाई देगा कि यह जटिल प्रश्न एक ही तरहसे हल हो सकता है। कोई कानूनको अपने हाथोंमें न ले। मैं मानता हूँ कि वह सामनेवाला घर मेरा है, सिर्फ इतनेसे ही उसपर कब्जा करके बैठ जाना जंगलीपन है। मुझे अपना हक पंचायतमें या अदालतमें साबित करना चाहिए और पंचके अथवा अदालतके निर्णयको शिरोधार्य करना चाहिए। जहाँ इस नियमका पालन नहीं होता, उस समाजका नाश होता है। यदि दोनों पक्ष इस सुनहले नियमके अधीन हो जायें तो फिर कुछ कहनेकी जरूरत ही नहीं रहती। परन्तु जहाँ एक पक्ष मार-पीट ही करना चाहता हो वहाँ भी यदि दूसरा पक्ष उक्त नियमका पालन करे तो इतना काफी है। अन्तमें उस पक्षकी हानि नहीं होगी, यह निश्चित बात है। फर्ज कीजिए कि मेरे घरपर एक तीसरे ही शख्सने कब्जा कर लिया। इस हालतमें किसी भी सुव्यवस्थित समाजमें पंच लोग मुझे मेरा हक फिरसे वापस दिलायेंगे ही। इससे घटिया किस्मके समाजमें यह काम अदालत करती है। पंचोंका दण्ड होता है लोक-मत, अदालतका दण्ड होता है कैदखाना या बन्दूक। हर प्रकारकी व्यवस्थामें मारपीट न करनेवालेको अपना हक फिरसे वापस मिल सकता है।

जबतक हम इस अनिवार्य नियमके अधीन न होंगे तबतक हमारे बीच झगड़े होते ही रहेंगे, इसमें कोई शंका न करे। और तबतक ऐसे झगड़े होते रहेंगे, तबतक शान्तिपूर्ण उपायोंके द्वारा हम कभी स्वराज्य न ले सकेंगे। इसे स्वयंसिद्धि-सा ही समझिए। हो सकता है कि हिन्दू और मुसलमान दोनोंमें से किसीको भी स्वराज्य दरकार न हो और स्वराज्यसे ज्यादा पसन्द झगड़े ही हों। ऐसे लोगोंको तो समझाना ही बेकार है। परन्तु जो स्वराज्य चाहते हैं उनका काम तो पूर्वोक्त नियम स्वीकार किये बिना चल ही नहीं सकता। हम लोगोंको, जिन्हें कि स्वराज्यके बिना जीवित रहना कठिन है, मारपीटके जंगली कानूनके अधीन कभी भी नहीं होना चाहिए।

परन्तु पंचायतमें या अदालतमें जानेके दृढ़ निश्चयके बावजूद कुछ ऐसे प्रसंग आ सकते हैं, जब मनसे या बेमनसे मार-पीटमें शरीक होना अथवा भाग जाना या शान्तिके साथ मृत्युको स्वीकार करना जरूरी हो जाता है। मैं भजन-कीर्तन करता हुआ मसजिदके सामनेसे निकलूँ और मुझपर कोई हमला करे तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ही घरमें कोई कब्र बनाने लग जाये तो मुझे क्या करना चाहिए अथवा कोई गरीब मुसलमान खानगी तौरपर अपने घरमें गो-वध करे और उसपर हिन्दू

Gandhi Heritage Portal

लोग टूट पड़ें तो उसे क्या करना चाहिए? इन तीनों मिसालोंमें इतना समय नहीं है कि कानूनकी राह देखी जाये। तब सम्बन्धित लोगोंको क्या करना उचित है?

यदि वे शान्तिके साथ मरना जानते हों तो यह उत्तम उपाय है। पंचोंसे निर्णय करानेका उपाय भी इस उपायकी बराबरी नहीं कर सकता। परन्तु सभी लोग ऐसा बलिदान नहीं कर सकते। तब क्या उन्हें मौकेपर से भाग जाना चाहिए? यह तो कायरका लक्षण है। तब आम तौरपर एक ही इलाज रह जाता है। ऐसे समय उन लोगोंको मारपीट करके भी अपनी रक्षा करनी ही चाहिए। सुव्यवस्थित तन्त्रमें यह हक हरएक व्यक्तिको है और होना भी चाहिए।

परन्तु ऐसे अवसर क्वचित् ही आते हैं। अच्छे आदमीकी सौमें शायद एक-आध बार ही ऐसी कसौटी होती है। सामान्यतया देखा यह गया है कि जो आदमी शान्त बैठा रहता है, उसकी कसौटी ईश्वर नहीं करता। यदि हम निष्पक्ष दृष्टिसे देखेंगे तो सौमें निन्यानवे उदाहरण हमें ऐसे दिखाई देंगे जहाँ कि मारपीटमें दोनों पक्ष थोड़े-बहुत जिम्मेदार होते हैं। इन तमाम मिसालोंमें यदि एक पक्ष भी दोष रहित रहनेका निश्चय करे तो रह सकता है और जो ऐसा दोष-रहित रह जायेगा उसीकी जीत समझिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २६-१०-१९२४

२२३. तार: वाइसरायके निजी सचिवको[1]

२७ अक्तूबर, १९२४

वाइसरायके निजी सचिव
वाइसरीगल कैम्प

तारके लिए धन्यवाद। मेरा विचार दिल्लीसे अपने साथियोंके साथ १ नवम्बरको अथवा उसके बाद यथासम्भव शीघ्र रवाना होनेका है। उसके बाद मैं दो या तीन दिन रावलपिंडीमें ठहरकर कोहाट जाना और वहाँ तीन-चार दिन रहना चाहता हूँ।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १५९१२) की फोटो-नकलसे।

१. यह वाइसरायके निजी सचिवके २६ अक्तूबरके निम्न तारके जवाबमें भेजा गया था: "आपने अपने १६ अक्तूबरके पत्रमें यह नहीं बताया है कि आप कोहाट कब जाना चाहते हैं। कृपा करके तार द्वारा अपना उत्तर भेजें।"

Gandhi Heritage Portal

२२४. पत्र: लाला लाजपतरायको

२७-२८ अक्तूबर, १९२४[1]

प्रिय लालाजी,

आपने शायद इस २४ तारीखका 'मिलाप' पढ़ा होगा। इसमें एक लड़कीका बयान छपा है, जिसमें उसने अली भाइयोंपर अपराधका आरोप किया है। वह बयान मैंने मौलाना मुहम्मद अलीको दिखा दिया। उनके उत्तरकी एक नकल साथ भेज रहा हूँ। क्या आप इस अखबारके सम्पादकसे मिलकर यह पूछेंगे कि उनके पास इस बयानमें लगाये गये आरोपोंको सिद्ध करनेके लिए क्या और भी प्रमाण हैं? मेरे विचारसे उन्हें वक्तव्यको छापनेसे पहले उसकी एक नकल मौलाना साहबको भेज देनी चाहिए थी। मेरे विचारसे अब जो करना चाहिए वह यह है कि सम्पादक महोदय सम्बन्धित लोगोंसे इन आरोपोंको या तो सिद्ध करनेके लिए कहें या जहाँतक जरूरी हो वहाँतक उन्हें वापस ले लेनेको कहें। पंचोंके रूपमें बयानकी सचाईकी जाँच करने दें तो हमें इस मामलेको अपने हाथमें ले लेना चाहिए। यदि यह बयान, अली भाइयों और दूसरोंपर लगाये गये आरोपोंको छोड़कर भी, अन्य बातोंमें काफी हदतक सही हो तो भी यह मामला ऐसा है जिसकी जाँचकी सुविधा दी जाये तो हमें अवश्य ही इसकी जाँच करनी चाहिए। अगर आप मुझसे सहमत हों और 'मिलाप' के सम्पादक हमारी सहायता करें तो मैं बोर्डके सदस्योंसे बातचीत करूँगा।

मैंने अपने और अपने साथियोंके लिए कोहाट जानेकी अनुमति माँगी है। यदि अनुमति मिल गई तो मैं पहली नवम्बरके आसपास यहाँसे रवाना होना चाहता हूँ। क्या आप चल सकते हैं? यदि आपका स्वास्थ्य इस योग्य न हो तो आप किसका नाम सुझाते हैं? यदि आपके आनेसे आपका स्वास्थ्य बिगड़नेकी तनिक भी आशंका हो तो मैं नहीं चाहता कि आप आयें। मेरा अन्तर्मन तो कहता है कि मैं आपसे इस बातके लिए कहूँ ही नहीं, लेकिन चूँकि ऐसी खबर है कि आप इस समय पहलेसे ठीक हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपसे निवेदन तो कर ही दूँ।[2] दो-तीन दिन रावलपिंडीमें और इतने ही दिन कोहाट भी ठहरनेकी सोच रहा हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १५९३७) की फोटो-नकलसे।

१. देखिए "पत्र: लाजपतरायको", २८-१०-१९२४।

२. मूल वाक्यमें कुछ शब्द पढ़े नहीं जा सके हैं। उन्हें अनुमानसे यथास्थान भरकर इसका अनुवाद किया गया है।

Gandhi Heritage Portal

२२५. पत्र : देवदास गांधीको

दीपावली [२७ अक्तूबर, १९२४][1]

चि० देवदास,

तुम्हारा पत्र मिला। श्री कैलनबैकका तार नहीं मिला। तुमने आजके पत्रमें जो-कुछ लिखा है, वही तुम्हारे पिछले पत्रमें भी था। तुम 'यंग इंडिया' के लिए जो टिप्पणियाँ चाहते हो, उन्हें भेजनेके लिए मैं अभी भी तैयार नहीं हो पाया हूँ। मेरा ज्यादा समय तो शरीरकी सार-सँभालमें ही चला जाता है। पाँच बार खाता हूँ, जिसका मतलब हुआ ढाई घंटे। १ घंटा सोना, १ घंटा मालिश कराना, २ घंटे घूमना, आधा घंटा नहाना —— इस तरह सात घंटे तो इसी प्रपंचमें निकल जाते हैं। फिर यह मान्यता भी है कि रातको कोई काम नहीं करूँ, उसे मैं आज पहली बार तोड़ रहा हूँ। सवेरेके सात बजेतक तो बिस्तरमें ही पड़ा रहता हूँ। अब बताओ कि कामके लिए कितने घंटे बचे? २१ दिन उपवासके पश्चात् मेरी स्थिति बालकों-जैसी हो गई जानो। मुझे अपनी देख-भाल इसी तरह होने देनी पड़ रही है जिस तरह बच्चोंकी की जाती है। इसके बावजूद उपवास मुझे प्रिय है, उसके बिना जीना दुश्वार हो जाता।

बापूके आशीर्वाद

देवदास
सत्याग्रह आश्रम

गुजराती पत्र (जी० एन० २१२७) की फोटो-नकलसे।

२२६. तार : अब्दुल बारीको[2]

[२७ अक्तूबर, १९२४ या उसके पश्चात्]

मौलाना अब्दुलबारी साहब
फिरंगी महल, लखनऊ

आपका तार मिला। कुछ विश्वसनीय गवाह यहाँ भेजे जाने चाहिए।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४९२) की माइक्रोफिलमसे।

१. डाककी मुहरसे।

२. यह अब्दुल बारीके २७ अक्तूबरके तारके जवाबमें भेजा गया था। इस तारमें अब्दुल बारीने लखनऊमें हिन्दू-मुस्लिम तनावसे सम्बन्धित एक मामलेके बारेमें गवाही लेनेकी जरूरत बताई थी और गांधीजीसे पूछा था कि क्या वे गवाही लेना चाहेंगे।

Gandhi Heritage Portal

२२७. तार: वाइसरायके निजी सचिवको[1]

[२८ अक्तूबर, १९२४]

तारके लिए धन्यवाद। यद्यपि मैं वाइसराय महोदयके निर्णयको माने लेता हूँ फिर भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि रावलपिंडीमें पड़े हुए हिन्दू शरणार्थियोंको कोहाट जानेके लिए तबतक उत्साहित करनेका मेरा कोई इरादा नहीं था जबतक कोहाटके मुलमान प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत करनेके लिए तैयार और उत्सुक न हों। यदि मुझे कोहाट जानेकी अनुमति दे दी जाती तो मेरा विचार यह था कि अपने मुसलमान मित्रोंकी सहायतासे मैं मुसलमानोंके साथ अपने मित्रतापूर्ण सम्बन्धोंका, जो मेरा विश्वास है कि मेरे और इनके बीच हैं, उपयोग एक प्रेमपूर्ण समझौता करवानेके लिए करता। मेरा खयाल यह था और अब भी है कि कोहाटमें दोनों जातियोंमें हार्दिक एकताकी स्थापना अधिकारियोंकी अपेक्षा गैर-सरकारी लोग अधिक अच्छी तरह करा सकते हैं। अधिकारी चुपचाप कई गैर-सरकारी तरीकोंसे इस काममें निस्सन्देह सहायता दे सकते हैं। किन्तु मेरा अबतकका सतत अनुभव यह है कि अधिकारी लोग दोनों पक्षोंको एक-दूसरेपर प्रहार करनेसे तो रोक सकते हैं, पर पारस्परिक शत्रुताकी भावना दूर करके उनमें फिरसे मित्रता नहीं करा सकते। चूँकि मैंने लोगोंको यह विश्वास दिलाया था कि मैं जल्दी ही कोहाट जाऊँगा इसलिए यदि वाइसराय महोदयकी अनिच्छा न हो तो मैं यह पत्र-व्यवहार प्रकाशित करना चाहता हूँ।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १५९१२) की फोटो-नकल तथा **यंग इंडिया**, ३१-१०-१९२४ से भी।

१. निजी सचिवके २८ अक्तूबरके तारके उत्तरमें। तारमें कहा गया था कि लॉर्ड रीडिंगकी रायमें गांधीजीका कोहाट जाना समझदारीका काम नहीं होगा।

Gandhi Heritage Portal

२२८. पत्र : लाला लाजपतरायको

(पिछले पत्रके सिलसिलेमें[1])

२८ अक्तूबर, १९२४

प्रिय लालाजी,

आपको पहला पत्र लिखनेके बाद वाइसरायके निजी सचिवने मुझे सूचित किया है कि कोहाटकी वर्तमान अवस्थाको देखते हुए मुझे वहाँ जानेकी अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं सारे पत्र-व्यवहारको शीघ्र ही प्रकाशित करनेकी आशा करता हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा खयाल है, अब रावलपिंडीमें मेरा कोई उपयोग नहीं रह गया। मैं बेचारे शरणार्थियोंको कोई तसल्ली तो दे नहीं सकता। मेरे सामने अब सवाल यह है कि हिन्दू-मुस्लिम प्रश्नके सम्बन्धमें मुझे पंजाब अभी जाना चाहिए या बादमें, इसका निर्णय आप ही करें।

बंगालमें स्थिति कितनी विषम है। पता नहीं ३० तारीखको यहाँ स्वराज्य परिषद्की बैठक हो रही है या नहीं। मुझे अबतक तो मोतीलालजीका कोई पत्र नहीं मिला है। श्री दास कल कलकत्ता चले गये।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १५९३८) की फोटो-नकलसे।

२२९. पत्र : वसुमती पण्डितको

कार्तिक सुदी २ [२९ अक्तूबर, १९२४][2]

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मिला। मेरे हजारों आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारे लिए सुखकी कामना नहीं करता, लेकिन यह कामना अवश्य करता हूँ कि तुममें दुःखको भी सुख माननेकी शक्ति आये। सुख किसे कहना चाहिए, यह कौन जानता है। जो दुःख प्रतीत होता है, कौन जाने, वही सुख हो। इस भावका एक श्लोक है, जिसका अर्थ यह है कि विपत्ति विपत्ति नहीं है, सुख सुख नहीं है; ईश्वरका

१. देखिए "पत्र : लाजपतरायको", २७/२८-१०-१९२४।

२. डाककी मुहरसे। कार्तिक सुदी २, वि० सं०, ३०-१०-२४ को पड़ी थी। इसलिए यह गलत मालूम पड़ती है। यहाँ "कार्तिक सुदी १" होना चाहिए था।

Gandhi Heritage Portal

विस्मरण ही विपत्ति है और उसका स्मरण ही सुख है।'[1] तुम्हें वही सुख प्राप्त हो। तुम्हें हजीरा जानेका विचार छोड़ना नहीं है। अगर वहाँ पाखाना साफ न होता हो तो हजीरा जानेका विचार करना ही ठीक है। तुम लिखना। फिर उसीके मुताबिक व्यवस्था करूँगा।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्च :]

अगर मैं रामदासका पता अंग्रेजीमें लिखूँ तो उसके नामके साथ "स्क्वायर" जोड़ूँगा। लेकिन, तुम देखोगी कि आज मैंने "श्रीमती" शब्द छोड़ दिया है।

वह शब्द "निरिक्षण" नहीं, 'निरीक्षण' है।

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४५९) से।

सौजन्य : वसुमती पण्डित

२३०. सन्देश : संयुक्त प्रान्त राजनीतिक परिषद्, गोरखपुरको[2]

दिल्ली

३० अक्तूबर, १९२४

बंगालमें सरकारने जो राजनीति अब ग्रहण की है उससे सबको दुःख हो रहा है, होना ही चाहिए। परन्तु वह दुःख राजनीतिकी अराजकताके कारण नहीं है, बल्कि उसका शीघ्र उत्तर देनेकी हमारी अशक्तिके कारण है। मुझे आशा है और मैं चाहता हूँ कि हम इस संकटके समय धैर्यका त्याग न करें। क्रोध और अधैर्यके वश होकर हम सच्चे उपायकी खोज न कर सकेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ मन्तव्य है। अमली कार्यका उत्तर अमली कार्य ही हो सकता है। हम दावा करते हैं कि सरकारकी अशान्त नीतिका उत्तर हम शान्त नीतिसे ही दे सकते हैं। अशान्त कार्यका उत्तर शान्त कार्यसे ही दे सकते हैं। यदि यह बात सत्य है तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह शान्त कार्यको कर सकते हैं। थोड़ा खयाल करके ही हम देख सकते हैं कि हमारे अमली कार्यमें बाधा डालनेवाली सबसे बड़ी वस्तु है, हिन्दू-मुसलमानके बीचमें अन्तर पड़ जाना, सर्व-साधारणको एकत्र करनेमें बाधा डालनेवाली वस्तु चरखा और खद्दरके प्रति हमारी उदासीनता और हिन्दू-जातिको नष्ट करनेवाली वस्तु अस्पृश्यता है। इस त्रिदोषको जबतक हम नहीं मिटाते तबतक मेरी अल्पमति मुझको यही

१. मूल श्लोक इस प्रकार है :

विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः।

विपद् विस्मरणं विष्णोः सम्पद् नारायणस्मृतिः।

२. यह 'सरकारी अराजकताकी दवा' शीर्षकसे छपा था।

Gandhi Heritage Portal

कहती है कि हमारे भाग्यमें सरकारी अराजकता, हमारी परतंत्रता और हमारी कंगाली बदी ही हुई है। इसलिए मैं कौमको कोई दूसरी सलाह नहीं दे सकता। अगर हम इन तीन कार्योंमें सफलता प्राप्त करें तो जो शक्ति हमने सन् १९२०-२१ में दिखाई थी उससे भी प्रचण्ड शक्ति आज दिखा सकते हैं और बंगालकी ही क्या, सारे भारतवर्षकी विपत्तिको हम दूर कर सकते हैं।

मोहनदास गांधी

हिन्दी नवजीवन, २-११-१९२४

२३१. पत्र: मोतीलाल नेहरूको

दिल्ली
३० अक्तूबर, १९२४

प्रिय मोतीलालजी,

जबसे वाइसराय महोदयने यह धड़ाका किया है, मैं बराबर यही सोचता रहा हूँ कि इस परिस्थितिमें हम क्या कर सकते हैं और अपनी लाचारीके भानने मुझे बेचैन कर दिया है। यही हमारा निष्कर्ष है। हमें उतावली या क्रोधमें कुछ नहीं करना चाहिए। इसलिए अभी तो हमें इस तूफानको अपने सिरपर ही झेलना है। कुछ दिनोंके लिए हमें सिर्फ अपने विचार प्रकट करते रहनेसे पुराने तरीकेको फिरसे अपना लेना चाहिए और भारतका समस्त जनमत इस बातपर केन्द्रित करना चाहिए कि सरकार बिलकुल ही मनमाने तरीकोंसे काम ले रही है। इसलिए हमें इस सिद्धान्त-पर ही प्रहार करना चाहिए कि सरकार असाधारण तरीकोंसे काम ले सकती है। इस उद्देश्यको ध्यानमें रखते हुए हमें सरकारसे १८१८ के विनियम ३ को भी रद करनेको कहना चाहिए। अगर सरकार यह कहती हो कि सरकारको असाधारण परिस्थितियोंमें असाधारण अधिकारोंकी जरूरत होती है तो हमारा कहना यह है कि ये अधिकार वह निर्वाचित प्रतिनिधियोंकी सम्मतिसे ही प्राप्त कर सकती है। मैं जानता हूँ कि इतना कर पाना भी हमारे लिए कठिन है और यह बात मुझे बहुत खटकती है। लेकिन, अभी तो मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता।

इतना तो जो-कुछ अखिल भारतीय पैमानेपर करना है, उसके बारेमें। अब, अगर मुझे आपका अर्थात् व्यक्तिशः आपका और स्वराज्यवादियोंका साथ मिल जाये तो मैं कार्य समिति या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीसे यह कहूँ कि वह, जिन तीन वस्तुओंकी बात हुई है, उन्हींके सम्बन्धमें जमकर प्रयत्न करे। अगर कांग्रेस सुबद्ध तथा अनुशासित हो जाये तो उसके बलपर मैं फिर सरकारकी कार्रवाईका जवाब जनताकी कार्रवाईसे देनेकी कोशिश करूँ। लेकिन, जबतक ऐसा नहीं होता, जबतक हिन्दू और मुसलमान एक मत नहीं होते और जबतक हम खादी तथा अस्पृश्यताके सम्बधमें कुछ ठोस कार्य करके नहीं दिखाते तबतक मुझे तो कारगर तरीकेसे कोई

Gandhi Heritage Portal

प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकनेकी सम्भावना नहीं दिखाई देती। बंगालकी गिरफ्तारियोंके समयसे ही मेरे मनमें बार-बार यह विचार आ रहा है कि अगर स्वराज्यवादियोंने मेरे प्रस्तावोंका उत्साहपूर्वक समर्थन नहीं किया तो मुझे कांग्रेससे अलग हो जाना चाहिए। मैं तो बस ऐसा सुबद्ध संगठन तैयार करना चाहता हूँ जो हर पुकारपर उत्साहके साथ उठ खड़ा हो। यह संगठन चाहे जितना छोटा हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। दूसरी तमाम अहिंसात्मक प्रवृत्तियाँ चालू रहें। उनकी उपयोगिता मैं एक हदतक समझ सकता हूँ। लेकिन मेरा निश्चित मत है कि अगर कोई व्यक्ति एक अनुशासित और प्रभावकारी संगठन तैयार करनेकी ओर ध्यान नहीं देता तो उन प्रवृत्तियोंसे कोई लाभ होनेवाला नहीं है। मुझे यह सोच-सोचकर बड़ा दुःख और अपमानका अनुभव होता है कि आज हम सरकारकी चुनौतीका कोई कारगर जवाब नहीं दे सकते; मेरा खयाल है, आप मुझसे जो-कुछ जाननेकी अपेक्षा रख सकते हैं, मैंने सब बता दिया है। मैं आपको निम्नलिखित तार भेज रहा हूँ:[1]

जब दास साहब दिल्लीसे गुजर रहे थे, उन्हें मैंने एक छोटा-सा पत्र भेजा था। आप उनसे कह दें कि मैं दिल्लीमें कुछ इस कारण नहीं पड़ा हुआ हूँ कि मुझे यहाँ से निकलनेकी इच्छा नहीं है। बात दरअसल यह है कि इससे पहले मैं अखबार देखता ही नहीं था। लेकिन गिरफ्तारियोंके बादसे मेरी नजरमें जो भी अखबार आते हैं, सबमें उनसे सम्बन्धित एक-एक बातको मैं बड़ी उत्सुकतासे पढ़ता और सुनता हूँ।

आप नागपुर जा सके, इस बातसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और यह जानकर तो और भी कि आपने दोनों पक्षोंको अपनी और मौलाना साहबकी पंचायत स्वीकार करनेको राजी कर लिया।

आशा है आप सकुशल होंगे।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

१. साधन-सूत्रमें नहीं दिया गया।

Gandhi Heritage Portal

२३२. पत्र : गंगाबहन वैद्यको

कार्तिक सुदी २ [३० अक्तूबर, १९२४][1]

पूज्य गंगाबहन,

मैं बराबर आपको लिखनेकी सोचता रहा, लेकिन लिख नहीं पाया। खोई हुई शक्ति प्राप्त करनेमें मैं इतना जुट गया हूँ। आपके दुःखमें पूरा हिस्सा बँटाना चाहता हूँ। आप जो ज्ञान और शक्ति प्राप्त करना चाहती हैं, उसमें पूरी मदद देनेकी मेरी इच्छा है। अधीर तो न ही हों। वातावरण अच्छा हो तो कुछ ज्ञान और शक्ति तो जाने-अनजाने, अनायास ही मिल जाती है। आपका समाचार चि० देवदास और चि० मगनलाल भेजते ही रहते हैं।

इस वर्ष आपकी सारी शुभेच्छाएँ पूरी हों, इसके लिए आपको मेरा बहुत-बहुत आशीर्वाद।

बापू

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०३९) से।
सौजन्य : गंगाबहन वैद्य

२३३. पत्र : देवदास गांधीको

कार्तिक सुदी २ [३० अक्तूबर, १९२४]

चि० देवदास,

स्वामीने शिकायत की है कि तुम अपने स्वास्थ्यका पूरा खयाल नहीं रखते। मैं चाहता हूँ, तुम शरीरकी सार-सँभाल करते हुए अपना काम करो। चिन्ता तो बिलकुल नहीं करना।

पूज्य गंगाबहनका पत्र दे देना। मन तो होता है कि बहुत लिखूँ, लेकिन जबतक शरीरकी खास सार-सँभाल करनी है, तबतक ज्यादा तो लिख ही नहीं सकता। वाइसरायकी ओरसे अस्वीकृति[2] आ गई है, इसलिए अगर मैं वहाँ तुरन्त पहुँच जाऊँ तो कोई आश्चर्य नहीं।

अब मेरा घूमने जानेका समय हो गया है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (जी० एन० २०४७) से।

१. खोई हुई शक्तिकी पुनः प्राप्तिके उल्लेखसे प्रकट होता है कि पत्र सन् १९२४ में उपवासके बाद लिखा गया होगा।

२. कोहाट जानेकी अनुमति माँगी थी, उसकी अस्वीकृति।

Gandhi Heritage Portal

२३४. पत्र : मणिबहन पटेलको

कार्तिक सुदी २ [३० अक्तूबर, १९२४][1]

चि० मणि,

तुम्हारा पत्र मिला। अधिक बार लिखो तो बहुत अच्छा।

बापूको[2] आज लिखा है। चिन्ता छोड़ देनेको कहा है।

तुम फिर हजीरा जानेका विचार नहीं करोगी? पास होनेके लिए बधाई चाहिए क्या? चाहिए तो समझ लेना, बधाई दे दी। डाह्याभाई एक विषयमें[3] असफल हो गया। कोई बात नहीं। असफल होनेका अर्थ है, उस विषयमें अधिक प्रवीण बनना। असफल होनेवाले विद्यार्थी अकसर निराश हो जाते हैं। यह भूल है। जो आलसी हों या जिनकी नजर नौकरीपर हो वही निराश हो सकते हैं। जो अध्ययनशील हैं उनके लिए तो असफलता अधिक प्रयत्नका सुअवसर होती है।

बापूके आशीर्वाद

चि० मणिबहन
मार्फत —— वल्लभभाई पटेल
खमासा चौकी, अहमदाबाद

[गुजरातीसे]
बापुना पत्रो ४ —— मणिबहेन पटेलने

२३५. दो दृश्य

जब मैं १९२१ में पुरी गया था, वहाँ मुझे कई ऐसी चीजें देखनेको मिलीं, जिन्हें मैं आसानीसे भूल नहीं सकता। लेकिन, उनमें से दो ऐसी थीं, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता। एकका खयाल तो मेरे मनमें दिन-रात बना रहता है।

उन दिनों पुरीमें एक बड़े परोपकारी पुलिस सुपरिटेंडेंट थे। वे एक अनाथालय चलाते थे। उन्होंने मुझे वह अनाथालय दिखाया। उसमें बहुत-से स्वस्थ, प्रसन्न और हँसमुख बच्चे थे। वे तरह-तरहके कामोंमें लगे हुए थे। कोई चटाई बुन रहा था तो कोई टोकरी बना रहा था, कोई कात रहा था तो कोई कपड़ा बुन रहा था। सुपरिटेंडेंटने मुझे बताया कि वे सबके-सब अकाल पीड़ितोंके बच्चे थे और

१. साधन-सूत्रमें तिथि १० नवम्बर, १९२४ दी गई है। लेकिन कार्तिक सुदी २, ३० अक्तूबर, १९२४ को पड़ी थी।

२. सरदार वल्लभभाई पटेल, मणिबहनके पिता।

३. गुजरात विद्यापीठकी स्नातक परीक्षा।

Gandhi Heritage Portal

उनमें से कुछके शरीरमें तो, जब उन्हें लाया गया था, हड्डी-चमड़ीके अलावा और कुछ रह ही नहीं गया था।

इसके बाद वे मुझे उस पवित्र पुरातन मन्दिरके बिलकुल पासके एक खुले क्षेत्रमें ले गये, जहाँ पुरीके इर्द-गिर्दके बारह मीलके भीतरके इलाकेमें रहनेवाले अकाल-पीड़ित लोग इकट्ठे किये गये थे। व्यवस्थाके लिए उन्हें पंक्तियोंमें बाँट दिया गया था। उनमें से कुछकी जानें तो बेशक गुजरातियोंके दान और अमृतलाल ठक्करकी प्रेमपूर्ण सेवाके कारण ही बची थीं। ठक्करने गुजरातियोंसे प्राप्त पैसेसे चावल खरीदकर इनके बीच बाँटा था। उनकी प्राण-शक्ति क्षीणसे-क्षीणतर होती जा रही थी। वे निराशाकी जीती-जागती तसवीरें थे। आप उनकी पसलियाँ आसानीसे गिन सकते थे, एक-एक नस साफ देख सकते थे और माँसपेशियाँ और माँस तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। जो-कुछ देख सकते थे, वह सिर्फ झुलसी, झुर्रीदार चमड़ी और हड्डियाँ ही थीं। उनकी आँखोंमें कोई चमक नहीं थी। ऐसा लगता था, मानो वे मरना चाहते हों, उन्हें जो मुट्ठी-भर चावल मिल जाता था, उसके अलावा और किसी चीजमें उनकी कोई रुचि नहीं थी। पैसेके लिए काम करनेको भी वे तैयार नहीं थे। शायद प्रेमवश तैयार हो जाते। कुछ ऐसा लगता था, मानो वे खाने और जीनेकी जिल्लत उठानेको भी तभी तैयार थे, जब आप स्वयं उन्हें मुट्ठी-भर चावल दे देते। ये पुरुष और स्त्रियाँ, हमारे ये भाई और बहन, तिल-तिलकर घुलते हुए धीरे-धीरे मौतके मुँहमें जा रहे हैं — यह मेरे जानते सबसे ज्यादा दु:खद घटना है। उनकी किस्मतमें सतत उपवास ही बदा हुआ है और जब वे कभी-कभी मुट्ठी-भर चावल पाकर अपना उपवास तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानों वे, हम जो आरामकी जिन्दगी जी रहे हैं, उसका उपहास कर रहे हों।

सुपरिंटेंडेंटसे मैंने पूछा: "इन लोगोंको अनाथोंकी तरह क्यों नहीं रखा जा सकता?" "वे काम नहीं करेंगे और न वहाँ रहनेको ही तैयार होंगे" — यह था सुपरिंटेंडेंटका जवाब। वे शायद इतना और कह सकते थे कि अगर ये हजारों स्त्री-पुरुष काम करनेको तैयार भी हो जायें तो भी इन सबके लिए किसी अनाथाश्रममें व्यवस्था कर सकना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

चिरकालसे भूखकी ज्वालामें तड़पते रहने और तिल-तिलकर मरनेकी यह समस्या भारतके अलावा दुनियाके और किसी देशमें नहीं है। मनुष्यको उसकी समस्त जातीय गरिमासे वंचित करनेकी यह प्रक्रिया और कहीं नहीं दिखाई देती। इसलिए इसका समाधान भी मौलिक होना चाहिए। इस समाधानको ढूंढ़नेके लिए हमें इस भारी दुर्घटनाके कारणोंका पता लगाना होगा। ये लोग भूखकी ज्वालामें इसलिए तड़प रहे हैं कि बाढ़ अथवा वर्षाकी कमीके कारण उड़ीसामें वर्षोंसे अकालकी स्थिति है, उनके पास कठिन समयमें सहारा देनेवाला और कोई धंधा नहीं है। इसलिए वे बराबर बेकार रहते हैं। यह बेकारी इतने दिनोंसे चली आ रही है कि उन्हें बेकार रहनेकी आदत पड़ गई है। उड़ीसाके हजारों लोगोंके लिए बेकारी और भुखमरी एक आम स्थिति हो गई है। लेकिन, जो बात उड़ीसाके साथ लागू होती है, वही बात कुछ कम पैमानेपर भारतके दूसरे बहुत-से हिस्सोंपर भी लागू होती है।

Gandhi Heritage Portal

हम बाढ़को रोकनेके उपाय खोज सकते हैं। लेकिन उसमें वर्षों लगेंगे। हम लोगोंको खेती-बाड़ीके अच्छे तरीकोंसे काम लेनेको भी प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन, उसमें और अधिक समय लगेगा और जब हम बाढ़ोंको रोक देंगे और करोड़ों लोगोंके बीच खेतीके आधुनिक तरीकोंका प्रचार कर देंगे तब भी अगर किसान काम करना चाहेंगे तो उसके लिए उनके पास काफी समय शेष रह जायेगा। लेकिन, इन सुधारोंमें कई पीढ़ियोंका समय लग जायेगा। इस बीच करोड़ों भूखे लोग भूखके भेड़िएको अपने दरवाजोंसे दूर कैसे रखें? उत्तर है — चरखेके बलपर। लेकिन, तब समस्या यह आती है कि जो लोग काम करनेको तैयार ही नहीं हैं, उनसे चरखा भी कैसे चलवाया जाये? उत्तर है — हम कार्यकर्त्ताओंके प्रयत्नोंसे, शिक्षित और अच्छे खाते-पीते लोगों द्वारा उसे अपना लेनेके जरिये। जब ऐसे हजारों लोग, जिन्हें खुद अपने लिए कताई करनेकी जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष और सच्चे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो भूखे स्त्री-पुरुष भी सहज ही उनका अनुकरण करनेको प्रेरित होंगे। इसके अलावा, जब हम खुद कताई करना शुरू करेंगे तभी हमें ऐसे पर्याप्त कुशल कतैये मिल सकेंगे जो आवश्यक प्रारम्भिक प्रशिक्षण दे सकेंगे, सही ढँगके चरखे चुन सकेंगे, मरम्मत आदि कर सकेंगे; और अन्तमें, बिना कोई पारिश्रमिक लिये प्रेम और सेवा-भावसे कताई करनेके कारण खादी भी अवश्य सस्ती हो जायेगी। हम अधिक अच्छे किस्मका सूत भी कात सकेंगे। इसलिए यदि हम अपने अकाल-पीड़ित भाइयोंसे तादात्म्य स्थापित करना चाहते हैं तो हम कताई सदस्यतापर आपत्ति करनेके बजाय उसे सर्वसाधारणकी निरन्तर बढ़ती हुई कष्टकर गरीबीकी समस्याके समाधानका सबसे अचूक तरीका मानकर उसका स्वागत करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ३१-१०-१९२४

२३६. हितोंका संघर्ष

आखिर जिसकी आशंका थी वह होकर रही। वाइसरायने जो बम विस्फोट किया है, उसका पूर्वाभास हमें अंग्रेजी अखबारोंसे मिल गया था। यह उनकी ओरसे हिन्दुओंके नव-वर्षपर बंगालको और बंगालके माध्यमसे सारे देशको दिया गया उपहार है! वाइसराय महोदयके इस कदमसे हमें कोई आश्चर्य अथवा भय नहीं होना चाहिए। रौलट अधिनियम मर चुका है, लेकिन उसके पीछे जो भावना थी, वह तो बराबर तरोताजा बनी हुई है। जबतक अंग्रेजोंके हित भारतीय हितोंके विरुद्ध हैं तबतक वैप्लविक अपराध या उनका खतरा कायम ही रहेगा और जबतक यह स्थिति बनी हुई है तबतक जवाबमें रौलट अधिनियमके नये-नये संस्करण सामने आते ही रहेंगे। अहिंसात्मक असहयोग इसका एक उपाय था। लेकिन, हममें इसे दीर्घकालतक और काफी दूरतक आजमाकर देखनेका धैर्य नहीं था। अब हम इसपर विचार करें

Gandhi Heritage Portal

कि अंग्रेजोंके हित भारतीयोंके हितोंके विरुद्ध कैसे हैं। लंकाशायरकी मिलें भारतकी आर्थिक प्रगतिके लिए सबसे अधिक बाधक हैं। स्पष्ट है कि भारतके हितका तकाजा है कि वह लंकाशायरका या कोई भी अन्य विदेशी कपड़ा या सूत गज-भर भी न मँगाये। लेकिन, लंकाशायरके मिल-मालिक राजी-खुशीसे और बिना संघर्षके भला इस अनैतिक व्यापारको क्यों छोड़ेंगे? मैं इसे अनैतिक इसलिए कहता हूँ कि इसने भारतीय किसानोंको बरबाद कर दिया है और उन्हें भुखमरीके कगारपर लाकर छोड़ दिया है। भारतको मोटी-मोटी तनख्वाहें पानेवाले अंग्रेज अधिकारियोंके एक विशाल वर्गका असह्य खर्च उठाना पड़ता है। स्पष्टतः उसके हितका तकाजा है कि ये अधिकारी चाहे जितने भी कार्य-कुशल हों, इनके स्थानपर भारतीयोंको ही रखा जाये, चाहे वे कितने भी अकुशल क्यों न हों। आदमी उधारके फेफड़ेसे साँस नहीं ले सकता। भारत अंग्रेज सिपाहियोंके लिए प्रशिक्षण-स्थलका काम करता है और इसलिए भारत सरकारके सम्पूर्ण राजस्वके अर्धांशसे भी अधिकको खपा लेनेवाले फौजी बजटके लिए पैसा जुटानेको करके रूपमें उसका रक्त-शोषण ही किया जाता है। यहाँ फिर भारतके हितका साफ तकाजा यह है कि वह अपनी रक्षा आप ही करना सीखे — भले ही फिलहाल वह यह काम भी ठीकसे नहीं कर पाये। वह अपनी बाह्य या आन्तरिक सुरक्षाके लिए विदेशियोंपर — वे विदेशी चाहे जितने भी समर्थ और नेकनीयत हों — निर्भर करे, इसका मतलब अपना तीन-चौथाई पौरुष गँवा देना है।

जो उचित है, उसे करनेके लिए अंग्रेज ज्यादा अच्छी स्थितिमें हैं; क्योंकि वे शासक हैं। जो लोग सरकारी नौकरीमें नहीं हैं उन्हें — अर्थात् सामान्य अंग्रेज स्त्रियों और पुरुषोंके विशाल समुदायको — अंग्रेजी हुकूमतके भयंकर परिणामोंको समझना चाहिए। कहते हैं, शान्ति और सुरक्षा अंग्रेजी हुकूमतका सहज वरदान है। किन्तु, यह वरदान स्वतन्त्रताके अपहरण और निरन्तर बढ़ती गरीबीके मुकाबले कुछ नहीं है। वाइसरायने अपनी कार्रवाईका बड़ा लम्बा-चौड़ा कारण बताया है। लेकिन, फिर भी मैं कहूँगा कि परमश्रेष्ठ अपनी स्वेच्छाचारितापूर्ण कार्रवाइयोंका औचित्य सिद्ध नहीं कर पाये हैं। बेशक हिंसात्मक कार्रवाई करनेवालोंको सजा दी जानी चाहिए। मैं अराजकताका पक्ष-पोषक नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि इससे देशकी कोई भलाई होनेवाली नहीं है। लेकिन, अपराध करनेके लिए या अपराध करनेका प्रयत्न करनेके लिए सजा देना एक बात है और अधिकारियोंको बिना वारंटके और सो भी सिर्फ सन्देहपर किसीको गिरफ्तार करनेका मनमाना अधिकार देना बिलकुल दूसरी बात है। अभी जो-कुछ हो रहा है, वह इतना ही है कि सन्दिग्ध लोगोंको आतंकित किया जा रहा है। लेकिन, पिछला अनुभव बताता है कि जब-कभी सरकार उतावलेपन और घबराहटमें कोई काम करती है तो दोषी लोगोंसे कहीं अधिक संख्यामें निर्दोष लोग ही सजा पाते हैं। हर व्यक्तिको मालूम है कि पंजाबमें १९१९ में[1] जिन लोगोंको सजा दी गई उनमें बहुत ज्यादा संख्या ऐसे लोगोंकी थी जिन्होंने कभी भी वे अपराध किये ही नहीं थे, जिन्हें करनेका उनपर आरोप लगाया गया था। जब-कभी कोई

१. साधन-सूत्रमें '१९१८' है।

Gandhi Heritage Portal

सरकार सत्ताका मनमाना उपयोग करती है तो उसका मतलब यही होता है कि जनमत उसके साथ नहीं है।

देशबन्धु दासने बंगाल कौंसिलमें अपने कार्योंसे यह साफ बता दिया है कि जनमत बंगाल सरकारके साथ नहीं है। इस सरकारी मान्यताको कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने आतंकवादका कोई सिलसिला कायम कर दिया है। इस आरोपके समर्थनमें कोई प्रमाण नहीं है। आतंकवादके बलपर सर्वसाधारणके बीच चुनाव नहीं जीते जा सकते और न किसी बड़े दलको ही एक करके रखा जा सकता है। उनमें ऐसी कोई सहज खूबी अवश्य है जिसके कारण जनताने उन्हें बंगालके अपने विशाल दलका निर्विवाद अधिनायक बना रखा है। कारण स्पष्ट है। वे सत्ता जनताके लिए चाहते हैं। वे शासकोंके सामने घुटने नहीं टेकते। वे इस तिहरे भारसे बंगाल और भारतको मुक्ति दिलानेके लिए व्यग्र हैं। जिस क्षण वे कोई और राग अलापना शुरू करेंगे, ज्यों ही वे कहेंगे कि वे जनताकी आजादी नहीं चाहते, त्यों ही वह आतंक-नीति, जिसका उनपर आरोप लगाया जाता है, उनके किसी काम नहीं आयेगी और वे अपना सारा प्रभाव खो बैठेंगे। यह ठीक है कि देशबन्धुसे मेरे कुछ मतभेद हैं, किन्तु उनके कारण मैं उनकी ज्वलन्त देशभक्ति या महान् त्यागकी ओरसे अपनी आँखें बन्द नहीं कर सकता। उन्हें अपने देशसे उतना ही प्रेम है जितना कि हममें से अच्छेसे-अच्छे व्यक्तिको हो सकता है। जो लोग उनके दाहिने हाथका काम करते थे, उन्हें उनसे अलग कर दिया गया है। वे सबके-सब बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं। उनमें जनताका विश्वास है। उन्हें यह लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए कि उनपर सामान्य रीतिके अनुसार अदालतमें खुला मुकदमा चलाया जाये? ऐसे लोगोंको असाधारण अधिकारोंके अधीन मनमाने तौरपर गिरफ्तार करना वर्तमान शासक-प्रणालीकी बुराईको सबसे अच्छी तरह खोलकर रख देता है। मुट्ठी-भर लोगोंका करोड़ों लोगोंके बीच संगीनों, गोला-बारूद और असाधारण अधिकारोंके बलपर रहना गलत और असभ्य आचरण है। इसमें सन्देह नहीं कि इससे संख्यामें अधिक लोगोंपर अपनी सत्ताकी धाक जमानेकी उनकी क्षमता प्रकट होती है, किन्तु साथ ही यह सभ्यताकी पतली परतके नीचे छिपी उनकी बर्बरताका भी द्योतक है।

आज बंगालियोंकी कसौटी हो रही है। उनसे मैं आदरपूर्वक यही कहूँगा:

यदि आप निर्दोष हैं और मैं मानता हूँ कि आपमें से अधिकांश निर्दोष ही हैं, तो अगर आप अपने कारावासको सही भावनासे स्वीकार करेंगे तो उससे आपके देशका और स्वयं आपका भी कल्याण ही हो सकता है। आप कष्ट-सहनके बिना स्वतन्त्रता नहीं पा सकते।

जो लोग सचमुच विप्लववादी हैं और हिंसामें विश्वास रखते हैं, उनसे मेरा यह निवेदन है:

आपके देश-प्रेमका मैं आदर करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आपके प्रेममें विवेक नहीं है। मेरे विचारसे भारतको हिंसा बलके नहीं, बल्कि बदलेमें अपना हाथ उठाये बिना शुद्ध कष्ट-सहनके द्वारा ही स्वतन्त्रता दिलाई जा सकती है।

Gandhi Heritage Portal

यह सबसे अचूक और सबसे जल्दी सफलता दिलानेवाला तरीका है। लेकिन, अगर आप हिंसात्मक तरीकेमें अपने विश्वासपर कायम ही रहना चाहते हैं तो मेरा अनुरोध है कि आप खुले तौरपर यह कहनेका साहस करें कि आप इस तरीकेमें विश्वास रखते हैं और उसका परिणाम, चाहे वह मृत्यु ही क्यों न हो, झेलनेकी हिम्मत दिखायें। इस तरह आप अपना साहस और ईमानदारी सिद्ध करेंगे और बहुत-से लोगोंको अनिच्छापूर्वक कष्ट सहनेसे बचा लेंगे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ३१-१०-१९२४

२३७. सफलताकी कुंजी[1]

[३१ अक्तूबर, १९२४]

यरवदा जेलमें कुछ उर्दू-साहित्य मेरे हाथ लग गया था। उसके द्वारा इस्लामका हार्द जाननेका मुझे अपूर्व लाभ मिला। मौलाना अबुल कलाम आजादकी दी हुई पुस्तक 'हिन्दुस्तानी शिक्षक' तो मेरे पास थी ही। उसे पढ़कर और भी आगे पढ़नेकी मेरी उत्सुकता बढ़ी। शुएब कुरैशीके पास जो पुस्तक मुझे पढ़ने लायक मालूम हुई, मैंने मँगा ली थीं। लेकिन मैं तो बड़ा अधीर हो उठा था; इसलिए भारतीय भाषाओंकी पुस्तकोंके लिए जेल-पुस्तकालय छानने बैठ गया। आनन्द और आश्चर्यके साथ मैंने पाया कि वहाँ उर्दू, मराठी, तमिल, कन्नड़ और गुजराती पुस्तकें भी थीं। जाहिर है कि पुस्तकें थोड़ी ही थीं, लेकिन उस समय मेरे कामके लायक पुस्तकें वहाँ मौजूद थीं। मुझे जो सूची मिली थी उसमें मुसलमान कैदियोंके लिए कुछ उर्दू धार्मिक पाठ्य-पुस्तकें भी थीं। मैंने उनको माँग लिया। वे पुस्तकें लाहौरकी किसी संस्थाकी तरफसे प्रकाशित की गई थीं। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरे मनमें विचार आया कि इससे मेरा उर्दूका ही ज्ञान न बढ़ेगा, बल्कि इन पाठ्य-पुस्तकोंके द्वारा मुझे यह भी देखनेको मिलेगा कि मुसलमान बालकोंको क्या-क्या सिखाया जाता है। दूसरी पाठ्य-पुस्तकमें कितने ही बड़े उपयोगी और शिक्षाप्रद पाठ हैं। एक पाठमें पैगम्बर साहबके कुछ जीवन-प्रसंगोंका वर्णन है। पैगम्बर साहबकी नम्रता, उदारता, शत्रु-मित्रके प्रति सम-भाव, क्षमाशीलता, समयकी पाबन्दी और ईश्वरके डरका परिचय देनेवाली — मनुष्यको भला और धर्मनिष्ठ बनानेवाले सब गुणोंको दिखानेवाली कथाएँ उसमें हैं। उदाहरणके तौरपर, जो यहूदी साहूकार पैगम्बर साहबको गाली देने और उनकी निन्दा करनेके लिए गया था, उसके साथ उनका बर्ताव लीजिए। हजरत उमरको लगा कि उसमें मुर्शिदका बड़ा अपमान हो रहा है। वे उसे सहन न कर सके। लेकिन पैगम्बर साहबने, अपने मुरीदको बुरा-भला कहकर कहा कि उसकी असली

१. मूल अंग्रेजी लेख मुहम्मद अलीके साप्ताहिक **कॉमरेड**में प्रकाशित हुआ था। इसके अन्तिम दो अनुच्छेदोंका मिलान **अमृतबाजार पत्रिका** द्वारा **कॉमरेड**से उद्धृत मूल अंग्रेजी पाठसे कर लिया गया है।

Gandhi Heritage Portal

रकम तो उसको दे ही दो लेकिन अपने कुसूरके प्रायश्चित्त स्वरूप उसे थोड़ी रकम और दो। इस अपूर्व बर्तावका परिणाम ऐसा हुआ कि जिसकी हजरत उमरने उस वक्त जरा भी आशा न की थी। कहा जाता है कि उस यहूदीने इस्लाम-धर्म स्वीकार कर लिया। इसी पाठमें एक गैर-मुस्लिमकी बात भी आती है। एक बार पैगम्बर साहबको एक पेड़के नीचे अकेले, बिना हथियार सोते देख, एक शख्स उनके पास गया और कहने लगा — 'बोल, मुहम्मद! इस वक्त तुझे कौन बचा सकता है?' उत्तर मिला — 'अल्लाह'। वह थर-थर काँपने लगा, उसके हाथसे तलवार गिर पड़ी। पैगम्बर साहबने तलवार उठा ली और फिर उससे पूछा — 'अब तू कह, तुझे कौन बचा सकता है?' उस नास्तिकने काँपते-काँपते जवाब दिया 'तेरे सिवा कोई नहीं।' पैगम्बर साहबने उसकी जान नहीं ली, उदारतासे उसे माफी बख्श दी। वह गैर-मुस्लिम उसी क्षण मुसलमान बन गया।

शत्रुओं और विरोधियोंके प्रति नम्रताके ये एक-दो उदाहरण ही नहीं हैं। मौलाना शिबलीके लिखे पैगम्बर साहबके जीवन-चरितमें ऐसे बड़े-बड़े प्रसंगोंके वर्णन हैं। तबलीग या शुद्धिका तरीका बताते हैं — आदर्श आचरण। यही मेरे नम्र विचारके अनुसार सच्चा और उचित धर्म-प्रचार है। आदर्श आचरण द्वारा प्रचार करना ही निर्दोष, निष्कलंक, अचूक और समर्थ प्रचार है।

केवल यह दिखानेके लिए मैं यह नहीं लिख रहा हूँ कि किस तरह प्रचार करना चाहिए। मेरा उद्देश्य तो है पैगम्बर साहबके जीवनसे सबको शिक्षा-ग्रहण कराना। यदि हम हार्दिक एकता स्थापित करना चाहते हैं तो पैगम्बर साहबकी क्षमाशीलता और सहिष्णुताका अनुकरण करना होगा।

यदि इस लेखको पढ़नेवाले हिन्दू-पाठकोंपर पैगम्बर साहबके जीवन-प्रसंगोंका असर न हो तो उन्हें 'रामायण' और 'महाभारत' के पन्ने उलटने चाहिए। उसमें उन्हें उदारतायुक्त सहिष्णुताके अनेक उदाहरण मिल जायेंगे। हमें बड़े-बड़े विधि-निषेधात्मक प्रस्तावोंकी आवश्यकता नहीं है। अपने स्वार्थको लक्ष्य बनाकर बात करनेकी भी जरूरत नहीं है। हम लोग यदि केवल अपने-अपने धर्मोंके मूल तत्त्वोंके अनुसार ही काम करें तो हम समझ जायेंगे कि गत दो वर्षोंमें हममें से कितने ही लोग धर्म-द्रोही और ईश्वर-द्रोही बन गये हैं। एक-दूसरेपर अपना अधिकार करनेके लिए बल-प्रयोग करके हम स्वयं अपनी आत्माके साथ बलात्कार कर रहे हैं। दोनों कौमें अपना कर्त्तव्य करनेके बजाय, कर्त्तव्य-पालनके द्वारा अधिकार प्राप्त करनेके बजाय, केवल अधिकारपर ही जोर दे रही हैं और अपना कर्त्तव्य भूल गई हैं।

भारतवर्ष एक पक्षी है। हिन्दू और मुसलमान उसके दो पंख हैं। आज ये दोनों अपंग हो गये हैं और पक्षी आकाशमें उड़कर स्वतन्त्रताकी आरोग्यप्रद, शुद्ध हवा लेनेमें असमर्थ हो गया है। इस प्रकार देशको अशक्त-असमर्थ बना देना न हिन्दुत्वका सिद्धान्त है, न इस्लामका। क्या मुसलमानोंको दुर्बल बना देना हिन्दुओंका धर्म है? क्या हिन्दुओंको दुर्बल बना देना मुसलमानोंका और मुसलमानोंकी मदद न करना हिन्दुओंका धर्म है? क्या धर्मको स्वातन्त्र्य और मानवकी सभी उत्तमोत्तम उपलब्धियोंका विनाश करके एक विनाशकारी शक्ति बनना चाहिए? हिन्दू हो या

Gandhi Heritage Portal

मुसलमान हो, पारसी हो या ईसाई, यहूदी हो या दूसरी कोई कौम हो, लेकिन हिन्दुस्तानी कहलानेवाले सब लोगोंमें परस्पर सहिष्णुताका होना ही एकता और स्वातन्त्र्यकी एकमात्र शर्त है। हिन्दुओंको और मुसलमानोंको यह समझानेके लिए ही 'कॉमरेड' और 'हमदर्द' फिर शुरू हुए हैं। 'कॉमरेड' और 'हमदर्द'को शुरू करके मौलाना मुहम्मद अली अपने सिरपर अवश्य ही एक बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं। किन्तु वे खुदासे डरनेवाले व्यक्ति हैं; उनको खुदापर भरोसा है। ईश्वर, हमें जो प्रगाढ़ अन्धकार लगता है, उसमें प्रकाश दिखाता है। इसलिए उनकी प्रार्थनाके साथ मैं भी ईश्वरसे यह प्रार्थना करूँगा कि उनके कार्यको सफलता मिले, उनकी कलमसे हमेशा शत्रु और मित्र, सबके लिए उचित शब्द ही निकलें, वे खुद और उनके सहायकगण कभी क्रोध या आवेशमें आकर कुछ न लिखें। 'कॉमरेड' और 'हमदर्द'में लिखा एक-एक शब्द अपने देश और उसके द्वारा मानव-जातिके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो और इस अनेक धर्मवाले देशमें उनके दोनों अखबार विभिन्न धर्मावलम्बियोंके बीच शान्ति और सद्‌भावना बढ़ायें।

अली भाइयों और मेरे दरम्यान जो दिली दोस्ती है, उसे जाहिर करनेका एक भी मौका मैंने नहीं गँवाया है। वे पक्के मुसलमान होनेका दावा करते हैं और हैं भी; मैं पक्का हिन्दू होनेका दावा करता हूँ; किन्तु इस बातसे हमारे दरम्यान सच्चा प्रेम और पूर्ण विश्वास कायम रहनेमें कभी कोई बाधा नहीं पड़ी। यदि ऐसी दोस्ती कुछ मुसलमानों और हिन्दुओंके बीच रह सकती है तो फिर गणितके सीधेसे नियमके अनुसार करोड़ों हिन्दुओं और करोड़ों मुसलमान भी, यदि वे चाहें तो, ऐसी दोस्ती अपने बीच पैदा कर सकते हैं। मुझे भरोसा है कि 'कॉमरेड' और 'हमदर्द' हर तरीकेसे और मुख्यतः इस्लामकी श्रेष्ठतम और उच्चतम विशेषताओंको पेश करके, इसी प्रकारकी दोस्तीको बढ़ावा देंगे। ईश्वर उनके इस प्रयासमें शीघ्र ही पूर्ण सफलता प्रदान करे।

हिन्दी नवजीवन, २-११-१९२४

२३८. सन्देश : गुजराती पत्रकारोंको[1]

मुझे लगता है कि हमारे देशमें जिसको दूसरा कोई काम नहीं मिलता वह यदि थोड़ा भी लिखना जानता हो तो अखबारनवीसी करने लग जाता है। इन दिनों मेरे सिर उत्तर भारतके बहुत-से उर्दू अखबार पढ़नेका काम आ पड़ा है। उनसे मेरे उपर्युक्त विचारकी बहुत पुष्टि होती है। गुजरातीके अखबारोंके सम्बन्धमें भी मेरा अनुभव कुछ ऐसा ही है। ऐसी हालतमें अखबारोंके सम्पादक एकत्र होकर यदि अपनी लेखनीपर कुछ अंकुश रखना तय कर सकें तो यह अभीष्ट है। इसमें दो मत हो ही नहीं सकते। सम्पादकका पद आजीविकाके लिए नहीं, बल्कि केवल लोक-सेवाके

१. अहमदाबादमें गुजराती पत्रकारोंका एक सम्मेलन होनेवाला था। यह सन्देश उसीके लिए दिया गया था।

Gandhi Heritage Portal

ही लिए है -- ऐसी जवाबदेही जो संस्था हमें सिखाती हो वह स्वागत योग्य है। मैं आशा करता हूँ कि हमारी संस्था ऐसी ही सिद्ध होगी।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २-११-१९२४

२३९. मेरा असंतोष

'यंग इंडिया' में मैंने वाइसराय साहबके 'बम' के बारेमें जो-कुछ लिखा[1] है, उससे मुझे जरा भी सन्तोष नहीं हुआ है। कड़ुवा लेख सत्यसे भरा होनेपर भी किसी कठोर कार्यका जवाब नहीं होता। बंगालमें सरकारने जो राजनीति अपनाई है, वह एक कठोर कार्य है। उसका जवाब किसी-न-किसी कार्यके ही द्वारा दिया जा सकता है। अंगारेको हम जिस तरह पानीसे ही बुझाते हैं, उसी तरह इस अंगारे-रूपी कार्यका भी शमन हम शान्तिपूर्ण कार्यके द्वारा ही कर सकते हैं।

पर वह शान्ति लायें कहाँसे? "शान्तिमय असहयोग" और "सविनय अवज्ञा", ये तो आज शब्द-मात्र रह गये हैं। यदि आज हिन्दू-मुसलमान आपसमें न लड़ते होते, यदि आज हिन्दुस्तानमें लाखों नर-नारी सूत कातते होते, यदि आज अस्पृश्यताके मैलको हिन्दुओंने धो डाला होता तो वाइसराय साहबका यह बम फूट ही नहीं सकता था।

पर हम शान्तिको भूल गये हैं। जरा भी बहाना मिला कि हिन्दू-मुसलमान आपसमें लड़ने लग जाते हैं। चरखेका प्रचार भी नगण्य ही हुआ है। विदेशी कपड़ा अभीतक हमें प्रिय है। अस्पृश्यताका प्रायश्चित्त थोड़े ही हिन्दुओंने किया है। ऐसी हालतमें सरकारके आतंकका जवाब देनेके लिए लोगोंके पास कोई भी साधन नहीं है। सरकारने देशबन्धु दासके पर काट लेनेका प्रयत्न किया है और बंगाल तथा दूसरे प्रान्त भी टुकुर-टुकुर देख रहे हैं! विरोध और नापसन्दगी जाहिर करनेवाले लेखोंका तो ढेर लग गया है, पर उससे अधिक करनेकी शक्ति हममें दिखाई नहीं देती।

यही है, मेरा असन्तोष।

जब कार्यकी दवा मुझे कार्यके रूपमें मिल जाती है तब तो मुझे मौन रह कर बैठ जाना ही अधिक प्रिय है। मैं यदि सम्पादक न होता तो शायद चुप ही रह जाता। पर मैंने सोचा कि एक सम्पादककी हैसियतसे मुझे अपनी राय जरूर प्रकाशित करनी चाहिए। इसीसे मैंने 'यंग इंडिया' में वह लेख लिखा। शायद आगे भी मुझे बोलना या लिखना पड़े।

पर यह सब मेरे लिए अतिशय कष्टकर है। १९२१ में जब सरकारने ऐसी नीति चलाई थी, तब मुझे जरा भी चिन्ता नहीं हुई थी; क्योंकि उस समय मैं यह समझता था कि हमारे पास तो अक्सीर इलाज है और उसका प्रयोग भी हम जानते

१. देखिए "हितोंका संघर्ष", ३१-१०-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

हैं। पर अब यह साबित हुआ है कि हम उसका प्रयोग करना नहीं जानते — इसीसे मैं दुःखी हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाठकोंको भी इस बातका इतना ही दुःख हो। एकताके सूत्रमें बँधे और शुद्ध बन चुके स्वावलम्बी भारतको कौन दुःख दे सकता है? उसे तो दूसरा कुछ करनेकी जरूरत ही नहीं रहेगी।

पर यह सीधी-सी बात मैं किसे, किस तरह समझाऊँ? मैं तो मुसलमानको गले लगाकर, अस्पृश्यको स्पृश्य समझकर तथा सूत कातकर रास्ता दिखानेकी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि बंगालके दुःखका निवारण इसीमें है, हिन्दुस्तानका छुटकारा इसीमें है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २-११-१९२४

२४०. टिप्पणी

गुजरात नहीं हारा

इस बार तो आन्ध्र प्रदेश गुजरातको मात नहीं दे पाया, लेकिन इसमें गुजरातके लिए प्रसन्न होनेकी कोई बात नहीं है। "जहाँ पेड़ नहीं होते, वहाँ एरण्ड ही पेड़ माना जाता है", इस न्यायसे गुजरात प्रथम स्थानका उपभोग कर रहा है। गुजरातको सच्ची शक्तिका विकास करना है और इसके लिए १,७०० कतैये ही पर्याप्त नहीं हैं। गुजरातकी नब्बे लाखकी आबादीमें से कताई-यज्ञ करनेवाले केवल १,७०० लोग निकलें, यह काफी नहीं है। ये तो दो प्रतिशत भी नहीं हुए। कमसे-कम दस हजार कतैये हों, तब कहीं लगभग दस प्रतिशत होंगे। मैं जानता हूँ कि कार्यकर्त्ता इसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। अतः, किसीको दोष नहीं दिया जा सकता। यदि इसमें दोष किसीका है तो वह हमारी परिस्थितिका है। इस दोषको समझना हमारा कर्त्तव्य है। यदि हम उसे समझ लेंगे तो उसे दूर करनेका विशेष प्रयत्न करेंगे। हम नियमित रूपसे कातनेवाले लोगोंको समझ लेना चाहिए कि केवल इसीमें — खादीके प्रचारमें और विदेशी कपड़ेके त्यागमें ही — हमारा आर्थिक और इसलिए राजनैतिक उद्धार निहित है। तभी हम इस अमूल्य काममें दृढ़तासे लगे रहेंगे और अपनी लगनसे औरोंको भी प्रभावित कर सकेंगे।

कातनेवाले भाइयों और बहनोंको यह भी जान लेना चाहिए कि मासकी १५ तारीखतक तो अखिल भारतीय खादी बोर्डको सूत मिल जाना चाहिए। १५ तारीख तो सभी स्थानोंसे केन्द्रमें सूत पहुँच जानेकी तिथि है। किन्तु, कतैयोंको अपना हिसाब महीनेकी आखिरी तारीखको ही कर लेना चाहिए और इसी कारण हमने अंग्रेजी मास अपनाया है, क्योंकि बहुत-से प्रान्तोंमें अलग-अलग संवत्सर चलते हैं और मुसलमान भाई हिसाब-किताब हिजरी सन्के अनुसार रखते हैं। अतः अंग्रेजी मासके अनुसार हिसाब करनेमें ही आसानी है। गुजरातको तो अपना सब सूत इकट्ठा करके

Gandhi Heritage Portal

प्रतिमास ५ अथवा ७ तारीखतक केन्द्रको पहुँचा देना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य नियमित रूपसे करे तो बहुत सारा समय बच जाये। लेकिन जब बहुत लोगोंको कोई कार्य सामूहिक रूपसे करना हो, तब यदि काम नियमित रूपसे नहीं किया जाये तो सब-कुछ अस्त-व्यस्त हो जाता है और बहुत समय नष्ट होता है। अतः मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक कतैया, प्रत्येक उप-समिति और प्रत्येक प्रान्तीय कमेटी अपना दिन निश्चित कर लेगी तथा उसके अनुसार नियमपूर्वक अपना सूत भेजेगी।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २-११-१९२४

२४१. तार: चित्तरंजन दासको

[२ नवम्बर, १९२४]

आपका तार मिला। रविवार[1] को पंजाब मेलसे चलूँगा। आपके यहाँ ठहरूँगा। आशा है भीड़-भाड़ न होने देंगे। अब भी स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि अधिक श्रम, शोरगुल, भीड़-भाड़ तथा अन्य प्रदर्शन सह सकूँ।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, ३-११-१९२४

२४२. तार: घनश्यामदास बिड़लाको

दिल्ली
२ नवम्बर, १९२४

घनश्यामदास बिड़ला
कैनिंग स्ट्रीट
कलकत्ता

मंगलवारको सुबह पंजाब मेलसे कलकत्ता पहुँच रहा हूँ।

गांधी

अंग्रेजी तार (सी० डब्ल्यू० ५९९८) से।
सौजन्य: घनश्यामदास बिड़ला

१. २ नवम्बर।

Gandhi Heritage Portal

२४३. सन्देश : 'बंगाली' को[1]

२ नवम्बर, १९२४

मेरे पास देने योग्य कोई सन्देश नहीं है। मैं क्या कहूँ? मैं सोच रहा हूँ। मैं इस अन्धेरेमें प्रकाश पानेका प्रयत्न कर रहा हूँ।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, ७-११-१९२४

२४४. पत्र : हिन्दी साहित्य सम्मेलनको

कलकत्ता

कार्तिक सुदी ७ [३ नवम्बर, १९२४]

आपके तार आये। भाई मनजीत सिंहने खूब समझाया। परन्तु मुझको समझानेकी आवश्यकता ही क्या है? हिन्दी भाषाके लिए मेरा प्रेम भारतवर्षके सब हिन्दी प्रेमी जानते हैं। मेरा आना असंभवित है, मेरे पास इतना काम पड़ा हुआ है, जिसको मैं पहुँच नहीं सकता हूँ। इसीलिए मुझको क्षमा कीजिए। मैं इन कामोंसे निकलना चाहता हूँ।

आपका,

मोहनदास गांधी

आज, ११-११-१९२४

२४५. तार : हिन्दी साहित्य सम्मेलनको[2]

[३ नवम्बर, १९२४ के पश्चात्]

मुझसे आग्रह करनेकी जरूरत नहीं है। अगर मैं आ सकता तो खुशीसे आता, परन्तु आना असम्भव है। सफलता चाहता हूँ।

आज, ११-११-१९२४

१. यह विपिनचन्द्र पालके एक तारके उत्तरमें दिया गया था।

२. मूल अंग्रेजी तार उपलब्ध नहीं है।

Gandhi Heritage Portal

२४६. तार : जफर अली खाँको[1]

[५ नवम्बर, १९२४ या उसके पश्चात्]

मौलाना जफर अली खाँ
'जमींदार'
लाहौर

मोर्चेपर वापसीका स्वागत। आशा है आप स्वस्थ होंगे। हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए ठोस कामकी आपसे उम्मीद है।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ११७१२) की फोटो-नकलसे।

२४७. समयकी पाबन्दी

समग्र राष्ट्रके रूपमें हमपर आमतौरपर एक आरोप लगाया जाता है कि हम समयकी पाबन्दी नहीं रखते; साधारणतया हम समयसे पीछे रहते हैं। जो देर करता है, वह तो स्पष्ट ही समयसे पीछे रहता है; लेकिन यह कहना भी उतना ही सही है कि जो समयसे चार घंटे आगे रहता है, दरअसल वह भी समयसे पीछे ही रहता है। सो इस तरह वह दूसरी सैकड़ों बातोंकी उपेक्षा करके ही तो समयसे चार घंटे आगे हो पाता है। जब कोई ग्रामीण ट्रेन पकड़ना चाहता है तो वह निश्चित समयसे घंटों पहले स्टेशन पहुँच जाता है। वह गाड़ी भले ही पकड़ ले, लेकिन बहुत-सी अन्य बातोंके सम्बन्धमें, जो शायद ज्यादा महत्त्वपूर्ण हों, वह समयसे पीछे ही होगा। हम शिक्षित लोग हर मामलेमें देर करनेके आदी हैं। हमारी सभाएँ समयपर हों, इसकी हम जरूरत ही नहीं समझते। नियत समयपर कार्यवाही शुरू न करना तो बिलकुल आम बात है। अकसर एक ही आदमीकी अनुपस्थितिको सैकड़ों और कभी-कभी तो हजारों लोगोंको प्रतीक्षा-रत रखनेका पर्याप्त कारण मान लिया जाता है। हम इतनी प्रतीक्षा कर सकते हैं, इससे प्रकट होता है कि हममें कितना अधिक धैर्य और क्षमा है। लेकिन साथ ही यह चीज हमारी प्रगतिकी दृष्टिसे बहुत अनिष्टकर है।

समयकी पाबन्दीका यही अभाव अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके कताई-सम्बन्धी प्रस्तावको कार्यान्वित करनेके सिलसिलेमें दिखाई दे रहा है। वैसे पढ़नेमें तो यह प्रस्ताव बहुत सीधा-सादा है; लेकिन उसे कार्यान्वित करनेके लिए अखिल भारतीय खादी बोर्डको अपनी तमाम शक्ति और साधन खपाने पड़ रहे हैं। सूतको एकत्र

१. ५ नवम्बर, १९२४ को **जमींदार** कार्यालयसे गांधीजीको निम्नलिखित तार मिला था: "आज मौलाना जफर अली खाँ रिहा कर दिये गये। कल शाम वे लाहौर पहुँच रहे हैं।"

Gandhi Heritage Portal

करने, एक स्थानसे दूसरे स्थानको भेजने और उसका वर्गीकरण करनेके लिए एक बड़े संगठन और बहुत ज्यादा संगठन-शक्तिकी जरूरत है और जब कार्यकर्त्ता समयकी पाबन्दी रखते हुए काम नहीं करते तो कठिनाई दस गुनी बढ़ जाती है। हर महीनेकी पन्द्रह तारीख सूत भेजनेका आखिरी दिन है। यह तारीख कताई करनेवालोंको ज्यादा समय देनेके लिए नहीं, बल्कि विभिन्न समितियोंके मन्त्रियोंको पर्याप्त समय देनेके लिए निश्चित की गई थी। सारा काम ठीक ढंगसे तभी चल सकता है जब कताई करनेवाले निश्चित तारीखको सूत दे दें और कार्यकर्त्ता लोग निर्धारित तिथितक उसे एकत्र कर लें। हर प्रान्त अपने लिए तिथियाँ निश्चित कर सकता है, ताकि वह सूतके पैकेट अखिल भारतीय खादी बोर्डको समयपर भेज सके। अगर अखिल भारतीय खादी बोर्डकी व्यवस्थाके अनुकूल पड़े तो हर प्रान्तको चाहिए कि वह पैकेटोंको किस्तोंमें भेजनेके बजाय हर महीने, जितना भेजना हो, एक ही साथ भेज दे। जबतक सारा काम, जिस नियमिततासे घड़ीकी सुई चलती है, उसी नियमिततासे नहीं किया जाता तबतक इसका सम्यक् संगठन कर पाना असम्भव है। जब हजारों छोटी-मोटी बातोंपर भी ध्यान देना जरूरी हो, तब समय सबसे महत्त्वका विषय बन जाता है। जिस तरह रेलवेमें समयका पालन करनेमें जरा-सी चूक होनेपर भारी अनर्थ हो सकता है, उसी तरह अखिल भारतीय खादी बोर्डकी समय-सूचीका ध्यान रखनेमें तनिक-सी चूकका परिणाम भी खादीको सार्वजनीन बनानेकी सम्भावनाके लिए उतना ही घातक सिद्ध हो सकता है। सच तो यह है कि सबकी सहमतिसे बनी समय-सूचीका नियमपूर्वक और पूरी बारीकीके साथ पालन किये बिना कोई संगठन सम्भव ही नहीं है। अतः मुझे भरोसा है कि कताईके संगठनमें लगे हुए तमाम कार्यकर्त्ता उस समय-सूचीका पालन धार्मिक निष्ठाके साथ करेंगे, जिसे उन्होंने स्वीकार या निर्धारित किया हो।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ६-११-१९२४

२४८. टिप्पणी

अध्यक्षीय पुरस्कार

आन्ध्र और उसके पीछे बंगाल, ये दोनों प्रान्त गुजरातके साथ लगभग बराबरीकी होड़ कर रहे हैं। अध्यक्षीय पुरस्कार जीतनेके लिए उनके पास अब सिर्फ एक महीनेका समय रह गया है। मुझे आशा है कि इनमें से कोई-न-कोई प्रान्त पुरस्कार ले ही जायेगा। लेकिन साथ ही मैं अपनी इस आशाको नहीं छिपाऊँगा —— यह आशा भी उतनी ही बलवती है कि गुजरात आसानीसे हार नहीं मानेगा। पर सबको पुरस्कारकी शर्तें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। इनसे प्राप्त सूतकी मात्रामें वह सूत नहीं शामिल किया जायेगा जो निश्चित समयके बाद मिला होगा। इसमें किसीके द्वारा भेजे गये उस पैकेटको भी नहीं शामिल किया जायेगा, जिसमें न्यूनतम मात्रामें अर्थात् कमसे-कम दो हजार गज एक-सा कता और ठीकसे बटा हुआ सूत न होगा।

Gandhi Heritage Portal

मौलाना मुहम्मद अली बड़ी उम्मीदमें हैं कि गुजरात हार जायेगा और आन्ध्र या बंगाल उनका इनाम ले जायेगा। गुजरातके खिलाफ उनके मनमें कोई भाव नहीं है। पर बेशक, वे चाहते हैं कि उनका इनाम इनमें से कोई ले और वे मानते हैं कि उचित होड़में यदि गुजरात हार भी जायेगा तो उसे कोई दुःख नहीं होगा। यदि गुजरातकी पराजयकी बदौलत कतैयोंकी संख्यामें अच्छी खासी वृद्धि हो तो उसकी यह हार उसकी जीत ही होगी। मौलाना साहब नहीं चाहते कि कोई प्रान्त संयोग-वश ही जीत जाये। बल्कि जीत सच्चे और कड़े परिश्रमके फलस्वरूप होनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ६-११-१९२४

२४९. केनियाकी शिकायत

एक केनियावासी भाई लिखते हैं:[1]

पत्र-लेखकने उपर्युक्त पत्र प्रकाशनार्थ नहीं, सिर्फ मेरी जानकारीके लिए लिखा है। फिर भी, उपनिवेशोंमें रहनेवाले बहुत-से भारतीयोंके मनमें ऐसे विचार उठते होंगे और यह स्वाभाविक भी है। किन्तु, तनिक ज्यादा सोचकर देखनेपर मालूम होगा कि यहाँसे याचकोंका [उनके पास] जाना भी स्वाभाविक ही है। राजनीतिक कष्ट तो दोनों स्थानोंमें हैं। चूँकि हिन्दुस्तानमें हमें राजनीतिक कष्ट है, इसलिए प्रवासी भारतीयोंको भी यह कष्ट भोगना ही पड़ता है। अगर हिन्दुस्तानमें यह दुःख दूर हो जाये तो विदेशोंमें भी उनका दुःख सहज ही दूर हो जाये। हिन्दुस्तान-में नेता लोग प्रवासी भारतीयोंके लिए ज्यादा नहीं करते, क्योंकि वे कर नहीं सकते। उन्हें इच्छा तो बहुत है, लेकिन लाचार आदमी क्या करे! रोगीकी खानेकी इच्छा किस कामकी? अपंगको अपनी दौड़नेकी इच्छा छोड़नी ही पड़ती है। भारत तो दो दृष्टियोंसे अपंग है — राजनीतिक दृष्टिसे और आर्थिक दृष्टिसे। ऐसी अपंग मातासे उसके प्रवासी पुत्र ऐसा तो नहीं कह सकते: "माँ, तुम तो मेरी कोई मदद करती नहीं और मुझसे पैसे माँगती हो — यह कैसा न्याय है?" मगर माता तो कहेगी ही: "तुमपर दुःख है, यह तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ठहरी विधवा। तुम्हारी क्या मदद करूँ? फिर, मैं गरीब भी हूँ। तू चार पैसे कमानेके लिए परदेश गया है। मैं समझती हूँ, तुम्हारी रोटियोंमें मेरा भी कुछ हक-हिस्सा है। इसीलिए तुम्हारी आशा रखती हूँ।" ऐसी विचित्र स्थिति है हिन्दुस्तानकी। अपने २० वर्षके प्रवासके अनुभवसे मैंने ऐसा ही देखा है। दक्षिण आफ्रिकामें हमें हिन्दुस्तानकी ओरसे कोई मदद नहीं मिल सकती थी, फिर भी हम वहाँसे स्वदेशको पैसा भेजते थे। हमें राजनीतिक कष्ट तो अवश्य था; पर आर्थिक कष्ट नहीं था। हिन्दुस्तानमें जहाँ एक रुपया देने या खर्च करनेमें मुश्किल पड़ती है, वहाँ दक्षिण आफ्रिकामें हम पूरी गिन्नी खर्च कर सकते थे। हिन्दुस्तानसे गया कोई भी याचक हमारे पाससे खाली हाथ

१. पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

Gandhi Heritage Portal

नहीं लौटता था। पाठक ऐसा न समझें कि उस समय हिन्दुस्तानसे कुछ अधिक राजनीतिक मदद मिलती थी। जैसा आन्दोलन आज केनियाके सम्बन्धमें चल रहा है, वैसा ही आन्दोलन तब दक्षिण आफ्रिकाके विषयमें चल रहा था और आज भी चल रहा है——अर्थात् देशकी सहानुभूति व्यक्त करते हुए कुछ सभाओंका आयोजन और विधान सभाओंमें भाषण आदि। फिर, हिन्दुस्तानसे दक्षिण आफ्रिकाको जो पैसे भेजे गये, उनके विषयमें भी पाठक किसी भ्रममें न पड़ें। हिन्दुस्तानसे दक्षिण आफ्रिकाको पैसा तभी भेजा गया जब दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके हाथसे उनकी अपनी धन-सम्पत्तिके भी निकल जानेकी स्थिति आ गई थी और उन्होंने जो बहुत सारा चन्दा किया था, वह भी अपने संघर्षमें खर्च कर दिया था। हिन्दुस्तानसे भेजे गये पैसेमें से बची हुई एक मोटी रकम फिर हिन्दुस्तानको वापस भेज दी गई थी। इसके सिवा, उस समय भी हिन्दुस्तानकी कुछ संस्थाओंका खर्च दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीय ही उठाते थे। दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंकी विजयका कारण भी वहाँ रहनेवाले भारतीयोंका प्रबल सत्याग्रह ही था। हजारों लोग जेल गये, जिनमें स्त्रियाँ भी शामिल थीं; कुछकी जानें गईं; कुछ निर्वासित कर दिये गये; बहुत-से लोग कंगाल हो गये; एक बाला जेलमें हुए रोगके कारण बादमें मृत्युको प्राप्त हुई[१]; दो युवकोंको प्राण गँवाने पड़े[२]——एक को जेलमें हुए कष्टोंके कारण और दूसरेको देश-निकालेके दौरान हुए कष्टोंके कारण; कुछको कोड़े सहने पड़े। इतना सब झेलने और आठ वर्षके सत्याग्रहके बाद उन्हें वह चीज मिल पाई जिसके लिए वे लड़ रहे थे। किन्तु, इसके बावजूद, लड़ना तो आज भी बाकी है ही। जिस हथियारसे विजय मिली, उसी हथियारसे अपनी उपलब्धि कायम रखी जा सकती है तथा नई पाई जा सकती है, यह अनिवार्य नियम है। जिस प्रकार क्षत्रिय जीतमें मिले हुए प्रदेशको शत्रुके सबल हो जानेपर या स्वयं दुर्बल हो जानेपर खो बैठता है, उसी प्रकार सत्याग्रही भी स्वयं दुर्बल हो जानेपर अथवा शत्रुके सबल हो जानेपर अपनी विजयमें मिली चीज खो देता है। दक्षिण आफ्रिकामें अथवा किसी भी अन्य देशमें रहनेवाले भारतीयोंके दुःखका इलाज स्वयं उन्हींके हाथमें है। उनमें चरम दुःख सहने और शुद्ध होने और शुद्ध रहनेकी जितनी ज्यादा शक्ति आयेगी, वे अपने स्वाभिमानकी रक्षा उतनी ही ज्यादा कर सकेंगे। प्रवासी भारतीयोंको इतना तो याद रखना ही चाहिए कि वे विदेश कमानेके इरादेसे जाते हैं। राजनीतिक दुःख सहकर भी वे यहाँकी अपेक्षा वहाँ अधिक कमाते हैं। जब ये दुःख भोगकर भी वे यहाँकी अपेक्षा अधिक कमाते हैं तब इन दुःखोंके कम हो जानेपर तो वे और भी ज्यादा कमायेंगे। इस बीच वे गरीब हिन्दुस्तानको यथाशक्ति पैसेकी मदद देनेमें पीछे न रहें, यही इष्ट है। वे प्रत्येक याचकको ठोक-बजाकर देखें। संस्था तथा संचालकके गुण-दोषोंकी जाँच करनेके बाद यदि दोनोंकी पात्रता सिद्ध हो जाये तो प्रवासियोंका धर्म है कि वे धनसे ऐसी संस्थाओंकी मदद करें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ६-११-१९२४

१ और २. देखिए खण्ड १५, पृष्ठ १६९।

Gandhi Heritage Portal

२५०. गांधीजी और स्वराज्यवादियोंका संयुक्त वक्तव्य

कलकत्ता
६ नवम्बर, १९२४

नीचे हम उस वक्तव्यका पाठ दे रहे हैं जो इसी ६ तारीखको कलकत्तामें श्री गांधी, श्री चित्तरंजन दास और पण्डित मोतीलाल नेहरूके हस्ताक्षरोंसे जारी किया गया है :

यद्यपि भारतके सभी दलोंका उद्देश्य स्वराज्य ही है, फिर भी चूँकि देश ऐसे अलग-अलग गुटोंमें बँट गया है जो विरोधी दिशाओंमें काम करते जान पड़ते हैं; चूँकि ऐसे परस्पर विरोधी कार्योंसे स्वराज्यकी दिशामें राष्ट्रकी प्रगतिमें बाधा पहुँचती हैं; चूँकि ऐसे सभी दलोंको यथासम्भव कांग्रेसके भीतर लाना और संयुक्त मंचपर खड़ा करना वांछनीय है; चूँकि कांग्रेस स्वयं भी दो विरोधी पक्षोंमें बँटी हुई है जिससे देशके हितकी हानि हो रही है; चूँकि इस सर्वसामान्य उद्देश्यकी सिद्धिकी दृष्टिसे इन दलोंको फिरसे एक कर देना वांछनीय है; चूँकि बंगालकी सरकारने गवर्नर-जनरलकी स्वीकृतिसे वहाँ दमनकी नीति शुरू कर दी है; चूँकि नीचे हस्ताक्षर करनेवाले लोगोंकी रायमें दरअसल इस दमनका लक्ष्य किसी हिंसावादी दलको नहीं, बल्कि बंगालकी स्वराज्य पार्टीको और इस प्रकार संविधान-सम्मत तथा अनुशासनबद्ध प्रवृत्तिको कुचलना है और चूँकि इन परिस्थितियोंको देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि इस दमन-नीतिके विरुद्ध राष्ट्रकी संयुक्त शक्ति लगा देनेके उद्देश्यसे तत्काल सभी दलोंको सहयोग देनेके लिए निमन्त्रित किया जाये और उनका सहयोग प्राप्त किया जाये; इसलिए हम नीचे हस्ताक्षर करनेवाले लोग सभी दलोंके और अन्ततः बेलगाँव कांग्रेसके स्वीकारार्थ निम्नलिखित बातोंकी सिफारिश करते हैं :

कांग्रेसको राष्ट्रीय कार्यक्रमके रूपमें अपना असहयोगका कार्यक्रम स्थगित कर देना चाहिए, लेकिन जहाँतक उसका सम्बन्ध भारतके बाहर बने हुए कपड़ेका इस्तेमाल करने अथवा उसे पहननेके वर्जनसे है, इस कार्यक्रमको जारी रखा जाये।

कांग्रेसको यह निश्चय भी करना चाहिए कि कांग्रेसके विभिन्न कार्योंको, जब जैसी जरूरत दिखाई दे उसके मुताबिक, कांग्रेसके अलग-अलग पक्ष करें। पर हाथ-कताई, हाथ-बुनाई और उनकी तमाम पूर्ववर्ती क्रियाओंका प्रचार और हाथ-कते सूतसे हाथ-बुनी खादीका प्रचार; विभिन्न जातियोंके बीच और विशेषकर हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच एकताको बढ़ावा देना और हिन्दुओं द्वारा अस्पृश्यता-निवारण —— इस सबके लिए कांग्रेसके भीतर मौजूद तमाम पक्ष प्रयत्न करें। पुनः उसे निश्चय करना चाहिए कि केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधानसभाओंसे सम्बन्धित कार्यको, कांग्रेसकी ओरसे और उसके एक अभिन्न अंगके रूपमें स्वराज्यवादी दल चलाये। तथा इस कामके लिए यह दल अपने नियम स्वयं बनाये तथा कोष एकत्र करने और उसकी व्यवस्था करनेका काम

Gandhi Heritage Portal

भी स्वयं करे। चूंकि अनुभवसे यही ज्ञात हुआ है कि जबतक भारतमें सब लोग सूत न कातें तबतक भारत कपड़ेकी आवश्यकताकी पूर्तिके सम्बन्धमें आत्मनिर्भर नहीं हो सकता और चूंकि हाथसे सूत कातना जनसाधारण और कांग्रेसजनोंके बीच स्पष्ट और सुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित करनेका सर्वोत्तम और अत्यन्त ठोस तरीका है, इसलिए हाथ-कताई और हाथ कते सूतसे बनी चीजोंको लोकप्रिय बनानेके उद्देश्यसे कांग्रेसको अपने संविधानकी धारा ७ को रद करके उसके स्थानमें निम्नलिखित धारा रखनी चाहिए:

जो व्यक्ति १८ वर्षका न हो, जो राजनीतिक समारोहों और कांग्रेसके जलसोंमें अथवा कांग्रेसका कार्य करते समय हाथ-कते सूतसे हाथ-बुनी खादी न पहने और प्रति मास अपने हाथका कता अथवा बीमारी, अनिच्छा या ऐसे ही किसी अन्य कारणसे स्वयं न कात सकनेपर किसी दूसरेसे कतवाकर, २,००० गज एक-सा सूत न दे, वह किसी भी कांग्रेस कमेटी या कांग्रेस संगठनका सदस्य नहीं बन सकता।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १३-११-१९२४

२५१. भाषण: कलकत्ता नगर-निगम द्वारा दिये मानपत्रके उत्तरमें[1]

कलकत्ता
६ नवम्बर, १९२४

कलकत्ता नगर-निगमके महापौर महोदय,
पार्षदगण और बहिनो तथा भाइयो,

मैं खड़ा होकर नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए क्षमा करेंगे। ऐसा मैं शिष्टताके अभावके कारण नहीं, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ कि इतने बड़े श्रोता-समुदायके सामने खड़े होकर बोलनेकी शक्ति मुझमें नहीं है। आपने जो मानपत्र भेंट किया है और उसमें जो अत्यंत ही उदार तथा स्नेहपूर्ण उद्गार व्यक्त किये हैं, उनके लिए मैं हृदयसे आपको धन्यवाद देता हूँ। इस विशाल नगरसे — इस प्रासादपुरीसे — मैं अपरिचित नहीं हूँ। नगर-कल्याण सम्बन्धी कर्तव्यके निर्वाहका कितना महत्त्व है, यह भी मुझे मालूम है। मुझे अकसर ऐसा लगता रहा है कि नगर-कल्याणके कार्यका क्षेत्र यद्यपि राजनीतिक कार्य जितना विशाल नहीं होता और उसमें चमक-दमक तो और भी कम होती है, फिर भी वह कुछ कम आवश्यक अथवा कम फलप्रद नहीं। मैंने बहुत बार मन-ही-मन सोचा है कि अगर मैं किसी नगर-निगमका सदस्य होऊँ तो क्या करूँगा; और वर्षों पूर्व जब मैं कलकत्ताकी गन्दी बस्तियोंमें घूमा करता था और

१. मानपत्र टाउन हॉलमें एक विशाल जनसमुदायके समक्ष भेंट किया गया था और उसे महापौर श्री चितरंजन दासने पढ़ा था।

Gandhi Heritage Portal

उनकी कुरूपता तथा गन्दगीकी तुलना प्रासादोंके सुन्दर तथा साफ-सुथरे परिवेशसे किया करता था तब अपने-आपसे यही कहा करता था कि कलकत्ता नगर-निगमकी योग्यता और सफलताका माप-दण्ड इन प्रासादोंकी संख्या और सुन्दरता नहीं बल्कि उन गन्दी बस्तियोंकी दशा ही होनी चाहिए। तब मुझे यही लगता था कि नगर-निगमने अपने कर्त्तव्यकी अवहेलना की है। बादमें मुझे यहाँकी कुछ गोशालाएँ देखनेका भी अवसर मिला। वहाँका दृश्य देखकर तो मेरा दिल दहल गया। न केवल पशुओंको बहुत ही बुरी दशामें रखा जाता था, बल्कि ग्वाले लोग दूधकी आखिरी बूँदतक निकाल लेनेके लिए ऐसे निर्दयतापूर्ण अकथनीय तरीके अपनाते थे कि दूधके साथ-साथ खूनतक उतर आता था। ये छुटपुट चीजें मैं आपके ध्यानमें इसी आशासे ला रहा हूँ कि इस नगरमें जहाँ भी गंदगी हो उसे दूर करने और यहाँ रहनेवाले इतने सारे लोगोंको सस्ता और शुद्ध दूध सुलभ हो, इसकी पक्की व्यवस्था करनेके लिए आपके कार्य-कालमें गोशालाओंको नगरपालिकाके अधिकार-क्षेत्रमें लानेकी दिशामें कोई बड़ा कदम उठाया जायेगा। मेरे विनम्र विचारसे नगर-निगमका यह बुनियादी कर्त्तव्य है कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे लोगोंको शुद्ध वायु और जल, सस्ता और शुद्ध दूध और फल तथा करदाताओंके बच्चोंको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। मेरी यही इच्छा है कि यहाँका निगम भारतके सभी नगरोंसे आगे बढ़कर इस दिशामें कदम उठाये।

आपने १८१८ के विनियम ३ के अधीन अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारीकी गिरफ्तारीकी ओर ध्यान आकृष्ट किया है। आपके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि जो सरकार सभ्य मानी जाती है उसके अधीन श्री सुभाष चन्द्र बोस-जैसे व्यक्तिको, बल्कि किसी भी व्यक्तिको, मनमाने ढंगसे गिरफ्तार करके जेलमें बन्द रखा जाये और उनके मामलेकी सुनवाईकी भी गुंजाइश न रखी जाये, बल्कि दरअसल उन्हें गिरफ्तारीका कारण जाननेका भी अवसर न दिया जाये। अराजकतावादी गतिविधियोंके सम्बन्धमें मेरे विचार सर्वविदित हैं। मैं अपने पूरे हृदयसे उनका विरोधी हूँ। मेरा विचार है कि उनसे भारतकी कोई भलाई नहीं हो सकती, लेकिन यह अवसर ऐसा नहीं कि इस विषयपर मैं अपने विचार व्यक्त करूँ। लेकिन इस सम्बन्धमें इतना और कह देनेके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे कि सरकार द्वारा उठाये गये ये असाधारण कदम मुझे उतने ही घृणित लगते हैं, जितनी कि अराजकतावादी गतिविधियाँ। मैं आशा तो यही करता हूँ कि सरकार अपने कदम वापस ले लेगी और अपने मनमाने गैरकानूनी तरीकोंसे बाज आयेगी। आशा है श्री सुभाष चन्द्र बोस मुक्त कर दिये जायेंगे और उन्हें निगममें अपना कार्यभार सँभालकर पुनः वह सेवा-कार्य करनेका अवसर मिलेगा, जैसा कि मुझे सभी सूत्रोंके अनुसार ज्ञात हुआ है, वे बहुत ही योग्यता, कार्य-क्षमता और ईमानदारीके साथ कर रहे थे (वन्दे मातरम्)।

[अंग्रेजीसे]

अमृत बाजार पत्रिका, ७-११-१९२४

Gandhi Heritage Portal

२५२. भाषण : कलकत्ताके कताई-प्रदर्शनमें[1]

६ नवम्बर, १९२४

आप सबको चरखे चलाते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आशा है, आपमें से जो लोग अभी कताई नहीं कर रहे हैं, वे भी तत्काल यह काम शुरू कर देंगे। संस्कृतमें एक कहावत है कि किसी बातका अनारम्भ तो बुद्धिमानी है, लेकिन एकबार कार्यारम्भ कर देनेपर उचित सफलता मिलनेतक बीचमें ही उसे नहीं छोड़ देना चाहिए।

जिन लोगोंने कताई शुरू कर दी है और जो लोग शुरू करनेवाले हैं उन्हें कमसे-कम स्वराज्य प्राप्तितक कताई करते जानेका संकल्प कर लेना चाहिए। आज आपके इस मौन स्वागतसे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ।

[अंग्रेजीसे]

अमृत बाजार पत्रिका, ७-११-१९२४

२५३. अपरिवर्तनवादियोंके साथ बातचीत[2]

७ नवम्बर, १९२४

प्रारम्भमें अपनी वृत्ति समझाते हुए गांधीजीने कहा :

खुद मुझे अपने कार्यके औचित्यके सम्बन्धमें तनिक भी शंका नहीं है। अबतक मैं कार्याकार्यके भँवरमें पड़ा हुआ था, लेकिन अब मेरा मन हलका हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो किया, उससे भिन्न कुछ कर ही नहीं सकता था। अहिंसावादीका धर्म ही यह है कि वह इतना त्याग करे कि फिर उसके पास त्यागनेको कुछ रह ही नहीं जाये। इसलिए मैं इस अन्तिम निष्कर्षपर पहुँचा हूँ अर्थात् मुझे इस सीमातक त्याग करना है कि प्रतिपक्षीको ऐसा लगे कि अब तो हद हो गई — इतना कि विरोधी मेरे त्यागको देखकर स्तम्भित रह जाये। फिर यह मेरा पहला अनुभव नहीं है। दानका धर्म ही यह कहता है कि इतना दो कि लेनेवाला खा-खाकर अघा जाये। वैसे मैंने यहाँ जो दान किया है वह उस तरहका दान नहीं है और न उस तरहका त्याग ही है। मैंने तो जो दिया है, उसे मैं कहीं ज्यादा तो नहीं तोल रहा हूँ या उसे उधार तो नहीं दे रहा हूँ, इसका विचार करके ही दिया है। मैं धीरे-धीरे, क्रमशः, एक-एक इंच करके पीछे हटा हूँ। हाँ, कुछ लोग ऐसा मानते जरूर हैं कि मैंने, जितना उन्होंने सोचा था, उससे आगे बढ़कर दिया है।

१. इस प्रदर्शनका आयोजन 'बंगाल कैमिकल फैक्टरी' के कर्मचारियोंने किया था।

२. गांधीजी कलकत्तेमें बंगालके अपरिवर्तनवादियोंसे मिले थे और उन्होंने उन्हें स्वराज्यवादियोंके साथ संयुक्त वक्तव्यपर अपने दस्तखत करनेके कारण समझाये थे।

Gandhi Heritage Portal

यदि आप एक बार ऐसा समझ जायें कि अभी असहयोग नहीं चल सकता तो यह बात आपकी समझमें तुरन्त आ जाये कि मैं जिस हदतक आगे बढ़ा हूँ, उस हदतक बढ़े बिना चारा नहीं था। जहाँ भी जाता हूँ, हिंसाके सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं देता है। गहराईमें, लोगोंके हृदयमें हिंसा ही भरी हुई है —— इतनी कि असहयोगको राष्ट्रीय पैमानेपर चालू रखना गुनाह माना जायेगा। लेकिन "राष्ट्रीय" असहयोग और "व्यक्तिगत" असहयोगमें भेद है। इसलिए व्यक्ति तो जिस हदतक असहयोग कर रहे थे, उस हदतक उसे जारी ही रखेंगे। सच तो यह है कि यदि वे उसे छोड़ देंगे तो उनका मूल असहयोग अर्थहीन कहा जायेगा।

सदस्यताके लिए कताईकी चर्चा बहुत हुई है। आपको लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा दे दिया है, खादीको एक औपचारिकता-मात्र बना दिया है। लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। इतिहासपर नजर डालिए तो मालूम होगा कि हम बढ़कर कहाँसे-कहाँ आ गये हैं। पहले शुद्ध, मिश्र आदि अनेक प्रतिज्ञाएँ थीं। फिर मिलके कपड़ेको तिलांजलि दी गई और खादी आई। बादमें चरखा दाखिल हुआ और फिर स्वयंसेवकोंके लिए खादी अनिवार्य हो गई। आगे चलकर कताईका ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य हो गया और उससे भी आगे चलकर सबके कातनेपर जोर दिया गया। फिर कार्यकर्त्ताओंके लिए कताईको अनिवार्य बनानेका प्रस्ताव हुआ और आज हमने कताईको सदस्यताकी शर्तमें रख दिया है।

हाँ, हर सदस्य नहीं कातेगा। लेकिन, आज जो कातते हैं वे इसे बन्द करनेवाले नहीं हैं। उलटे, आज जितने लोग कातते हैं, उनसे ज्यादा लोग ही कातेंगे। पैसा खर्च करके कितने लोग कतवा सकेंगे? इसलिए अधिकांश लोग तो अपना ही काता सूत भेजेंगे। जिन्होंने खुद दृढ़ निश्चय नहीं किया हो, उनसे हम जबरदस्ती कैसे कतवा सकते हैं? किन्तु, वे यदि दूसरोंसे सूत कतवाकर लायें तो इतनेसे ही हमें सन्तोष मानना चाहिए और तनिक बारीकीसे विचार करके देखें तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेसके हर सदस्यको कातना चाहिए, ऐसा कोई सिद्धान्त तो नहीं ही था। मुझे यह भी बता देना चाहिए कि यह विचार बहुत-से लोगोंका नहीं, सिर्फ मेरा ही था। बल्कि अगर कहूँ कि यह मेरा आदर्श था तो अनुचित नहीं होगा। हाँ, बहुत समय पहले लंकासे एक भाईने मुझे पत्र लिखकर यह जरूर पूछा था कि हरएक सदस्यके लिए कताई अनिवार्य क्यों नहीं कर दी जाती। लेकिन, उस समय मैंने इस सुझावको असम्भव मानकर उसपर विचार भी नहीं किया। बादमें मुझे वह सम्भव लगा और मैंने उसे देशके सामने रखा। इसलिए, अगर मैंने कुछ छोड़ा है तो अपने आदर्शमें से, अपनी सोची बातमें से ही कुछ छोड़ना पड़ा है। बस, इतना ही।

आपको लगता है कि खादीको मैंने एक औपचारिकता-मात्र बना दिया। नहीं, यह आशंका भी निराधार है। खादी पहननेका प्रस्ताव एक बात है और खादी न पहने तो कांग्रेसका सदस्य न बन सके, यह दूसरी बात है। मत देनेका काम एक निश्चित काम है; इसलिए इसकी शर्त भी निश्चित होनी चाहिए, उसे दु:साध्य नहीं होना चाहिए। कारपोरेशनके डिप्टी मेयर (उप-महापौर) श्री सुहरावर्दी कल सिरसे

Gandhi Heritage Portal

पैरतक खादी पहनकर आये थे। वे नियमित रूपसे खादी नहीं पहनते, लेकिन कलका अवसर उन्हें खादी पहनने लायक लगा। अब ऐसे लोगोंसे मैं कैसे कहूँ कि आप अदालतमें भी खादीका ही चोगा पहनकर खड़े हों? मैं तो सिर्फ यह आशा ही रख सकता हूँ कि जब ये राष्ट्रीय प्रसंगोंपर खादी पहनेंगे तो खानगी मौकोंपर सिर्फ जिदके कारण विदेशी या मिलके कपड़े नहीं पहनने लग जायेंगे। जो खादी पहनते हैं, वे तो पहनते ही रहेंगे। जो कभी खादी नहीं पहनते, उन्हें भी अमुक प्रसंगों पर खादीके वस्त्रोंसे शुद्ध होकर कांग्रेस मन्दिरमें प्रवेश करनेका मौका मिलेगा। आज तो कांग्रेसमें जो प्रतिनिधि आते हैं, वे भी कहाँ खादी पहनते हैं? आज तो ९० प्रतिशत लोग खादीकी नहीं, बल्कि मिलकी ही धोती पहनकर कांग्रेसमें आते हैं। इस शर्तके दाखिल हो जानेपर ऐसा तो नहीं होगा।

फिर यह सवाल उठा कि स्वराज्यवादियोंके साथ एका क्यों किया जाये। गांधीजीने अपने लेखमें इस सवालकी सविस्तार चर्चा की है।[1] उन्होंने अपनी उक्त दलीलको यह कहकर समाप्त कर दिया कि:

सरकारने स्वराज्यवादियोंको लोक-हितका खयाल करके पकड़ा है, यह बात तो मनको जँचती ही नहीं। मेरा यह विश्वास क्षण-क्षण बढ़ता जा रहा है और दृढ़से-दृढ़तर होता जा रहा है कि उन्हें तो स्वराज्यवादी दलको कुचलनेके लिए ही पकड़ा गया है।

उपसंहार करते हुए उन्होंने कहा:

मुझे विश्वास है कि मेरा त्याग, 'यंग इंडिया' में मैंने अपने जो आदर्श बताये हैं, उनमें से बहुत थोड़ेका ही त्याग है। मैंने किसी तत्त्व या सिद्धान्तका त्याग नहीं किया है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने तत्त्वका त्याग किया है, आपको ऐसा लगे कि मेरा त्याग अनुचित है तो आप मेरा पूरा विरोध करें। मैंने श्याम-बाबूको अपना उद्देश्य बताया था। आज मेरा उद्देश्य समस्त अव्यवस्थाको मिटाकर सुव्यवस्था कायम करना है, विवादको मिटाकर मेल-जोल कराना है, निष्प्राण जनताको एकताके सूत्रमें बाँध, उसमें शक्ति और निर्भयता लाना है। अगर मैंने कोई ऐसा दल खड़ा किया हो जो सिर्फ अन्ध-श्रद्धाको ही पोषण करता हो तो उसमें देशका अहित ही है। आम लोगोंको मैं क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन आप तो लेखक, वक्ता और बहस-मुबाहिसा करनेवाले लोग ठहरे। आपसे अपनी बुद्धि जैसा कहे, वैसा ही करें। ऐसा नहीं कि मुझसे भूल नहीं हो सकती। हाँ, मैं आपसे ज्यादा अनुभवी हूँ, इसलिए मैं शायद कम भूल करूँ। लेकिन सम्भव है कि जो कभी-कभी ही भूल करता हो वह जब भूल करे तो भयंकर भूल ही करे। सम्भव है कि स्वराज्यवादियोंके कार्यको मैं अनुचित महत्त्व देता होऊँ। हिन्दू-मुस्लिम एकतापर जरूरतसे ज्यादा जोर देता होऊँ। इस हालतमें आप बेशक कोई नया रास्ता चुन लें और उसीका अनुसरण करें। ऐसा करके आप लोग अपने-आपको सम्मान देंगे। त्याग दो प्रकारके होते

१. देखिए "समझौता" और "समझौतेपर टिप्पणियाँ", १३-११-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

हैं। एक तो है अपने व्यक्तिगत मतका त्याग और दूसरा है सिद्धान्तका त्याग। स्वर्गीय गोखले कहा करते थे कि जनकल्याणके लिए अपने व्यक्तिगत मतका त्याग तो किया जा सकता है, लेकिन सिद्धान्तका नहीं। इसे ध्यानमें रखकर आप खुशी-खुशी जो रास्ता चाहते हों, अख्तियार करें।

इसके बाद खूब सवाल-जवाब हुए।

प्रश्न: अब कांग्रेस गरीबोंकी नहीं, पैसेवालोंकी ही रहेगी। कारण, पैसेवाले तो चाहे जहाँसे सूत खरीद लेंगे।

उत्तर — नहीं, वह पूरी तरह गरीबोंकी ही रहेगी। गरीबोंको रुई देनेका काम कांग्रेसका होगा और मेहनत देनेका काम गरीबोंका। सामान्य वर्गके लोग भी सूत खरीदेंगे नहीं, बल्कि स्वयं कातेंगे। जिनके लिए कातना अरुचिकर होगा और जो आलसी होंगे, वे भले ही दूसरोंसे कतवा लें।

आपने इस दुष्ट सरकारके साथ असहयोग आरम्भ किया और अब उसे धीरे-धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो आप दुष्टताके साथ सहयोग करनेकी भी सीख दे रहे हैं। स्वराज्यवादियोंने ऐसे-ऐसे प्रपंच और झूठ चलाये हैं कि उनके साथ सहयोग कैसे किया जा सकता है?

मैंने ऐसा तो कभी कहा ही नहीं कि आप सब जगह असहयोग करें। असहयोग तो वहीं करना चाहिए जहाँ असहयोग न करनेका मतलब प्रतिपक्षीके दुष्टतापूर्ण कार्यमें भाग लेना हो। आप जो आक्षेप कर रहे हैं, वे अगर सही हों तो भी हमें उनके झूठमें तो हिस्सेदार बनना नहीं है और आप यह भूल जाते हैं कि हमने सरकारके साथ तीस वर्षतक सहयोग करनेके बाद ही असहयोगका सहारा लिया। स्वराज्यवादियों अथवा अपने भाइयोंके साथ असहयोग करनेका तो कोई प्रसंग ही नहीं आया। हमने उनके साथ इतना सहयोग ही कहाँ किया है कि उनके साथ असहयोग कर सकें? आज तो हिन्दुओं और मुसलमानोंके हृदयको बदलना ही मेरा काम है। मैं सबसे इसी काममें मदद माँगता हूँ। उनका हृदय-परिवर्तन हो जाये तो तुरन्त स्वराज्य प्राप्त करनेकी मेरी आशा कई गुना बढ़ जायेगी।

आप तो नरमदलवालोंको भी लेना चाहते हैं और हिंसावादियोंके लिए भी रास्ता खोल देना चाहते हैं। यह क्या है और इन सबके बीच मेल कैसे बैठ सकेगा?

मुझे तो सत्यके लिए ही जीना है और सत्यके लिए ही मरना है। मैं चाहता हूँ कि लोग और कुछ नहीं तो कमसे-कम सच्चे और ईमानदार तो बनें। मैं जो आदर्श स्थिति चाहता हूँ उसे यदि सबसे स्वीकार कराऊँ तो उससे ईमानदारी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन पाखण्ड पैदा होगा। आज मैंने जिस प्रस्तावपर सही की है, उससे प्रामाणिकता बढ़ेगी। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि लोग छोटीसे-छोटी बातकी ही प्रतिज्ञा करके उसका पूरी तरह पालन करें। इसीलिए मैं कहता था कि कांग्रेसके संकल्पमें से "शान्तिपूर्ण और उचित" शब्द निकाल दिये जायें। अहिंसाकी प्रतिज्ञा लेकर हिंसाके रास्तेपर चलनेसे क्या यही अच्छा नहीं है कि अहिंसाकी प्रतिज्ञा ही न ली जाये? मेरे आदर्श अगर देशको पसन्द हों तो वह उन्हें स्वीकार करे; अगर

Gandhi Heritage Portal

उसे वे स्वीकार नहीं हों तो फिर मैं उन्हें अपनी जेबमें रखे रहूँगा। फिर भी, जिन वस्तुओंका त्याग नहीं किया जा सकता, उनका त्याग तो मैंने नहीं किया। अगर कोई हिन्दू मुझसे आकर कहे कि मुझे हिन्दू-मुस्लिम एकताको उद्देश्यके रूपमें नहीं रखना चाहिए तो क्या मैं उसे स्वीकार कर लूँ? उसी तरह अगर कोई सदस्यताकी शर्तोंमें मिलके कपड़ोंके उपयोगकी छूट देनेको कहे तो उसे भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता था। कारण, वैसा करके तो मैं खादीका विनाश ही कर देता।

एक समय आप ऐसा कहते थे कि किसी सहयोगी वकीलसे तो ईमानदार बूट पालिश करनेवाला अच्छा है। लेकिन आज तो आप वकीलों और श्रीमन्तोंके बननेके लिए तैयार हैं।

हाँ, आप ठीक कहते हैं। मैंने जो कहा था, वह शब्दशः ठीक था। आज असहयोग है कहाँ? अगर असहयोग पूर्ण रूपसे व्याप्त हो, अगर बूट पालिश करनेवाले जैसे लोग भी पूरा असहयोग कर रहे हों तो वे सहयोगियोंको अलग रख सकते हैं। लेकिन, मैं कोई कांग्रेसका मालिक नहीं हूँ। अगर मैं नेता होना चाहूँ तो सदस्योंके लिए अशक्य शर्तें रखकर नहीं, बल्कि सहजसाध्य शर्तें रखकर ही हो सकता हूँ। अगर झगड़ा-तकरार नहीं होता, कटुता नहीं फैली होती तो मैं अपनी गाड़ी पहलेकी ही तरह चलाता। लेकिन, ऐसा कुछ रहा नहीं, इसलिए मुझे लगा कि अभी मुझे चुप ही रहना चाहिए और लड़ाईकी बात भूल जानी चाहिए।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १६-११-१९२४

२५४. भाषण: हावड़ा नगरपालिका द्वारा दिए मानपत्रके उत्तरमें[1]

७ नवम्बर, १९२४

अध्यक्ष महोदय, पार्षदगण और भाइयो,

आज सायंकाल आपने जो सुन्दर मानपत्र भेंट किया है, उसका अगर लम्बा उत्तर न दूँ तो क्षमा कर दीजिए। अभी तो समयसे मेरी होड़ लगी हुई है। मुझे दिल्ली जानेके लिए डाकगाड़ी पकड़नी है। बाहर बहुत बड़ी भीड़ मेरा इन्तजार कर रही है और पता नहीं स्टेशन पहुँचनेमें मुझे कितना समय लग जायेगा। इसलिए यदि भाषण समाप्त करके मैं तुरन्त सभा-भवन छोड़ दूँ तो कृपया क्षमा कर दीजिए। इस मानपत्रके लिए और इसमें आपने मेरे बारेमें कृपापूर्वक जो उद्गार व्यक्त किये हैं उनके लिए मैं आपको हृदयसे धन्यवाद देता हूँ। इस मानपत्रका मैं जो सबसे संक्षिप्त और उपयुक्त उत्तर दे सकता हूँ वह है कलकत्ता नगर निगम द्वारा

१. मानपत्र हावड़ा टाउन हॉलमें भेंट किया गया था।

Gandhi Heritage Portal

भेंट किये गये मानपत्रके उत्तरमें कही बातोंको दुहरा देना। लेकिन यदि उसमें कुछ जोड़ना हो तो मैं आशा करता हूँ कि यह काम देशबन्धु दास कर लेंगे। मेरे कल सायंकालके भाषणसे अधिक वे जो-कुछ भी आपसे कहेंगे, उसे और नगरपालिकाके काम-काज तथा उसकी सीमाके अन्दर रहनेवाले लोगोंके कल्याणके सम्बन्धमें कहे गये उनके एक-एक वाक्यको मैं अपना ही वाक्य मानूँगा। मैं एक बार फिर आपके उद्गारों तथा आपके मानपत्रके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि हम भारतको शीघ्र ही अपनी मनोवांछित स्थितिमें देखेंगे। धन्यवाद।

[अंग्रेजीसे]

अमृत बाजार पत्रिका, ८-११-१९२४

२५५. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे[1]

कलकत्ता
७ नवम्बर, १९२४

यह पूछनेपर कि आपके और स्वराज्य पार्टीके बीच हुए समझौतेका देशपर क्या प्रभाव होगा, श्री गांधीने कहा :

अभीसे निश्चित तौरपर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे आशा है कि अपरिवर्तनवादी लोग उसे हृदयसे स्वीकार कर सकेंगे और जो लोग १९२० में कर्त्तव्य मानकर कांग्रेससे अलग हो गये थे वे अब पुनः वापस आ जाना ठीक मानने लगेंगे।

श्री गांधीने यह आशा भी व्यक्त की कि इस नये परिवर्तनसे खद्दरके उत्पादनमें भी वृद्धि होगी।

बंगालकी स्थिति तथा विनियम ३ और विशेष अध्यादेशके अधीन की गई गिरफ्तारियोंके बारेमें पूछनेपर उन्होंने कहा :

दमनके परिणामस्वरूप भारतके राजनीतिक दलोंमें एकता पैदा होनी चाहिए, क्योंकि स्थितिका यथाशक्य ध्यानपूर्वक अध्ययन करनेके बाद भी मेरा यह विचार कायम है कि यह दमन स्वराज्य दलपर ही किया गया एक प्रहार है। दूसरे शब्दोंमें, यह सरकारका दृढ़तापूर्वक विरोध करनेके उस संकल्पपर प्रहार है जिसने सरकारको परेशानीमें डाल रखा है, भले ही वह विरोध कितना ही संवैधानिक क्यों न हो। यदि सभी दल मिलकर इस दमन-नीतिका स्पष्ट शब्दोंमें विरोध करें तो सरकारको इस बातका अहसास हो जायेगा कि जनमत पूरी तरह उसके विरुद्ध है। जहाँतक खुद मेरा सम्बन्ध है, मुझे बहुत खेद है कि इस कठिन समयमें असहयोग या यदि अधिक सही शब्दका प्रयोग करें तो सविनय अवज्ञाके लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है, वरना मैं समझता हूँ, बंगाल सरकारने जो तरीके अपनाये हैं वे तो ऐसे हैं कि

१. भेंट कलकत्तासे प्रस्थान करनेसे पहले हुई थी।

Gandhi Heritage Portal

पूर्ण अहिंसामें विश्वास रखनेवाले लोग जो भी कड़ीसे-कड़ी सीधी कार्रवाई कर सकते हैं, उन्हें करनी चाहिए थी। यह सरकारकी मनमानीका भी उत्तर होगा और विप्लववादी दलको भी यह दिखानेका एक कारगर उपाय होगा कि उसका तरीका निरर्थक है। सरकारने जैसी दमन-नीति अपनाई है उसे और विप्लववादी दलके तरीके, दोनों को ही मैं अराजकता मानता हूँ। सरकारकी कार्रवाईसे खतरेकी ज्यादा सम्भावना है, क्योंकि वह कार्रवाई अधिक संगठित रूपसे और कानूनके नामसे की जाती है। किन्तु, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि जबतक हम आपसमें ही झगड़ रहे हैं और वातावरणमें हिंसाकी भावना व्याप्त है, तबतक सविनय अवज्ञा असम्भव है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंसाके शिकार फिलहाल हम ही बने हुए हैं। किन्तु, यदि हिन्दुओं और मुसलमानोंने अपना आपा नहीं खो दिया होता और कांग्रेसके भीतर मतभेद न होता तो मैं दिखा देता कि हिंसक तरीकोंकी अपेक्षा सविनय अवज्ञा लाख गुनी अधिक कारगर और कार्य-साधक है। चूँकि सविनय अवज्ञाके लिए यह आवश्यक है कि वह अहिंसात्मक हो तथा खुले तौरपर और कठोर सत्यनिष्ठासे की जाये, इसलिए यह एक ऐसा अस्त्र है जिसका उपयोग अत्यन्त प्रामाणिक व्यक्ति ही कर सकते हैं।

यह पूछनेपर कि भारतमें रहनेवाले उन यूरोपीयोंका रवैया क्या होना चाहिए जिनका सरकारसे सम्बन्ध नहीं है, श्री गांधीने कहा :

मेरे विचारसे उनका रास्ता बिलकुल साफ है। जहाँतक मुझे मालूम है, अराजकतावादी गतिविधियोंका विरोध करने और उन्हें डुबानेमें सारा भारत उनसे सहयोग करेगा, किन्तु उनसे भारतीय दृष्टिकोण तथा भारतीयोंकी आकांक्षाओंको समझनेकी अपेक्षा की जाती है। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे सत्ताके मनमाने प्रयोगका विरोध करनेमें भारतीयोंका साथ देंगे और भारतीयों द्वारा अपने स्वतन्त्रताके अधिकारको प्रतिष्ठित करनेके प्रयासमें उनसे सहयोग करेंगे।

[अंग्रेजीसे]

न्यू इंडिया, ८-११-१९२४

२५६. समयका मूल्य

हमारे सम्बन्धमें ऐसा कहा जाता है कि हम समयके मूल्यको नहीं जानते। इस कथनमें बहुत सत्य है। मैं जानता हूँ कि हमारे महान् नेता भी समयकी कीमत पूरी तरह नहीं समझते। कदाचित् ही कोई सभा नियत समयपर आरम्भ होती है। हजारों लोग धैर्यपूर्वक समयके अपव्ययको सहन करते हैं।

लेकिन वस्तुतः देखा जाये तो अंग्रेजी कहावतके अनुसार समय ही पैसा है, क्योंकि समयके बिना काम -- मजदूरी नहीं होती और मजदूरीके बिना सम्पत्तिका निर्माण नहीं होता। खानमें दबे हुए जवाहरातकी कीमत कुछ भी नहीं है। उनकी खोजमें जो समय लगता है, अर्थात् उसमें जो श्रम करना पड़ता है, उसीकी कीमत है। जितनी आसानीसे लोहा मिलता है, यदि उतनी ही आसानीसे सोना भी मिलने

Gandhi Heritage Portal

लगे तो, यद्यपि सोना बहुत सुन्दर होता है, तथापि उसकी आज जितनी कीमत है उतनी कीमत न रहे। सूर्यकी किरणें सोनेसे करोड़ों गुना ज्यादा सुन्दर हैं, लेकिन वे हमें इस देशमें जितनी चाहें उतनी मिलती हैं, इसलिए हम उनका कोई मूल्य नहीं समझते। लेकिन जहाँ सूर्यके प्रकाशका अभाव होता है, वहाँ लोग उसे प्राप्त करनेके लिए दाम देते हैं।

हमारी सभाओंकी कार्यवाही समयानुसार नहीं चलती। इससे हमारा जितना समय नष्ट होता है और समयके नष्ट होनेसे समाजको जो नुकसान होता है, उसका हमें कोई भान नहीं है। किन्तु सार्वत्रिक स्वेच्छा-कताईसे हमें इस चीजकी पर्याप्त तालीम मिल रही है। जबतक प्रत्येक कातनेवाला और प्रत्येक मण्डल अपना-अपना कार्य समयपर नहीं करता तबतक हजारों और लाखों कातनेवालोंके सूतको एकत्र करना, जाँचना और वर्गोंमें बाँटना — यह सब असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हो जायेगा।

गुजरात पहले नम्बरपर आता है, इससे हमें खुशीसे फूल उठनेका कोई कारण नहीं है। जहाँ बहुत थोड़ा काम होता हो, वहाँ कुछ अधिक काम करनेवाला भी छाजता है; लेकिन जबतक वह आवश्यक सीमातक नहीं पहुँच जाता तबतक उसका यह छाजना व्यर्थ है। गुजरातमें अभीतक दो हजार कातनेवाले भी नहीं तैयार हुए हैं। लेकिन यदि दो हजार भी हो जायें तो भी उनकी क्या गिनती है? हमारा उद्देश्य सबको खादीधारी बना देना है, घर-घर सूत कातनेका यज्ञ आरम्भ करवाना है। इस उद्देश्यका विचार करते हुए गुजरातके आँकड़ोंका मूल्य नगण्य प्रतीत होता है।

यदि हम इस कार्यको बहुत आगे बढ़ाना चाहते हों तो हमें समयका मूल्य समझना-सीखना ही होगा। इसीलिए मैंने सुझाव दिया है कि प्रत्येक कातनेवालेको धर्म मानकर नित्य आधा घंटा सूत कातना चाहिए। यदि उसे बिना नागा किये नित्य आधा घंटा कातना हो तो उसे पहलेसे ही समय निर्धारित कर लेना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो देखेगा कि उसका एक भी दिन बिना सूत काते नहीं जायेगा तथा वह निश्चित दिन और नियत समयपर अपना सूत, जहाँ भेजना हो, वहाँ भेज सकेगा।

इससे सबका समय बचता है। इस तरह उपसमितियाँ निश्चित दिन और निश्चित समयपर सूत इकट्ठा करके प्रान्तीय समितियोंको और प्रान्तीय समितियाँ उसे निश्चित समयपर मुख्य समितिको भेज सकती हैं। यदि ऐसा हो तो समयकी कितनी बचत हो और काममें कितनी सुविधा हो जाये?

गुजरातमें खासी व्यवस्था आती जा रही है। लेकिन अभी भी बहुत-कुछ करना बाकी है। कातनेका यह काम एक दिनके लिए अथवा एक वर्षके लिए नहीं है। इसका सम्बन्ध तो हिन्दुस्तानके अस्तित्वके साथ है। इसके बिना स्वराज्य नहीं मिल सकता और स्वराज्यकी रक्षा भी नहीं की जा सकती। यहाँ यदि कोई स्वराज्यका अर्थ आर्थिक स्वतन्त्रता करना चाहे तो भले ही करे। हमारे कार्यके लिए यह सीमित अर्थ ही पर्याप्त है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हम आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेंगे तो और सब-कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जायेगा।

6369

Gandhi Heritage Portal

अतः कताईकी प्रगति सुदृढ़ होनी चाहिए और उसमें दिन-प्रतिदिन वृद्धि होनी चाहिए। कताईके इस कार्यमें हमारी त्याग-शक्ति, देश-भक्ति समयके मूल्यको जाननेकी शक्ति, योजना-शक्ति, श्रद्धा और दृढ़ता आदि सबकी कसौटी निहित है।

कांग्रेसका अधिवेशन होनेमें अब कोई देर नहीं है। उसके पहले अब हमारे पास केवल दो महीने ही रह गये हैं। हमें सारा सूत पूरे हिसाबके साथ पन्द्रह तारीखसे पहले-पहले अखिल भारतीय खादी बोर्डको भेज देना चाहिए। मैं तो कातनेवालोंकी संख्यामें बहुत ज्यादा वृद्धि देखना चाहता हूँ। संख्याकी इस वृद्धिकी चाबी भी समयानुसार कार्य करनेमें ही निहित है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ९-११-१९२४

२५७. पत्र : सतीश चन्द्र मुखर्जीको

९ नवम्बर, १९२४

प्रिय सतीश बाबू,

आप चले गये, यह जानकर बड़ा दुःख हुआ। मैं तो सोच रहा था कि आपसे मिलकर सभी तरहके विषयोंपर खूब जमकर बातचीत करूँगा। आशा है, ऐसा कोई विशेष गम्भीर समाचार नहीं मिला होगा, जिसके कारण आपको इस तरह अचानक जाना पड़ा। आशा है, कृष्टोदास इसका कारण नहीं था। मेरी तो सलाह है कि उसके बारेमें आप चिन्ता न करें। मैंने उसे चाँदपुर जानेकी अनुमति तभी दी, जब मुझे लगा कि उसके लिए वहाँ जाकर अपने परिजनोंसे मिलना अब ठीक है। उसने मुझसे पक्का वादा कर रखा है कि वह आगामी १८ तारीखसे पहले-पहले या ज्यादासे-ज्यादा १८ तारीखतक लौट आयेगा। मैं डा० अन्सारीके घर, दरियागंजमें टिका हुआ हूँ। आशा है श्री गरोडियाके घर आपका समय आनन्दपूर्वक बीता होगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्रीयुत सतीश चन्द्र मुखर्जी
११०, हाजरा रोड
कलकत्ता

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ५६०८) की फोटो-नकलसे।

Gandhi Heritage Portal

२५८. पत्र : कृष्टोदासको

९ नवम्बर, १९२४

प्रिय कृष्टोदास,

तुम समझ सकते हो कि यह जानकर मुझे कितना दुःख हुआ होगा कि हमारे दिल्ली पहुँचनेसे दो ही घंटे पहले सतीश बाबू यहाँसे जा चुके थे। मैं बड़ा परेशान रहा और अब भी हूँ। मैंने बहुत सारे विषयोंपर उनसे जमकर बातचीत करनेकी उम्मीद लगा रखी थी। स्वराज्यवादियोंके साथ हुए समझौतेपर भी बातचीत करनी थी। मैं निश्चित तिथिसे पहले ही यहाँ तुम्हारी राह देखूँगा। हमें १९ तारीखको यहाँसे बम्बईके लिए चल देना होगा। आशा है, तुम्हारे पिताजी स्वस्थ-सानन्द होंगे और चाँदपुरमें तुम मजेमें होगे। हम लोग डा० अन्सारीके घर टिके हुए हैं।

तुम्हारा,
बापू

श्रीयुत कृष्टोदास
११०, हाजरा रोड
भवानीपुर
डाकघर —— कालीघाट
कलकत्ता
बंगाल

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ५६०९) की फोटो-नकलसे।

२५९. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे

दिल्ली
१० नवम्बर, १९२४

कलकत्तेमें स्वराज्य दलके नेताओं और गांधीजीके बीच हुए समझौतेके प्रश्नपर एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिने इसी १० तारीखको दिल्ली लौटनेपर गांधीजीसे भेंट की थी। इस भेंटका निम्न विवरण प्रकाशित किया गया है:

प्रतिनिधिने उनसे पूछा कि आपने और श्री दास और श्री नेहरूने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, यदि उसका उद्देश्य नरमदलीय और दूसरे लोगोंको कांग्रेसमें फिर सम्मिलित होनेका निमन्त्रण देना है तो आप सबने इसकी अपील निकालनेसे पहले उनसे सलाह क्यों नहीं की? श्री गांधीने उत्तर दिया:

Gandhi Heritage Portal

इससे पहले कि स्वराज्यवादी और अपरिवर्तनवादी किसी संयुक्त कार्रवाईपर सहमत हो सकें ऐसी सलाह करना असम्भव था; क्योंकि इस प्रकारकी अपील कांग्रेसके दोनों पक्षोंकी संयुक्त अपील होनी चाहिए। असल बात यह है कि अपरिवर्तनवादियोंसे भी कोई सलाह नहीं की गई है। यह सच है कि मैं बंगालमें अपरिवर्तनवादियोंसे मिला था और मैंने उनसे स्थितिके सम्बन्धमें बातचीत की थी, जैसे कि उदाहरणके लिए मैं श्री सत्यानन्द बोससे मिला था और मैंने उनसे भी इस विषयमें विचार-विनिमय किया था। किन्तु मैंने उन लोगोंकी स्वीकृति प्राप्त करनेकी कोशिशतक नहीं की थी। इसका सीधा-सादा कारण यह था कि मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था न थी जिसके जरिये एक समुदायके रूपमें अपरिवर्तनवादियोंकी इच्छा जान सकूँ और उनसे विधिवत् कोई वचन ले सकूँ। इसलिए मैंने सबसे अच्छा यही समझा कि मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे दूँ और उसे समुचित विचारके लिए देशके सम्मुख रख दूँ। आप देखेंगे कि यह समझौता उन सब दलोंके नाम एक सिफारिशके रूपमें है जो कांग्रेसमें शामिल हैं अथवा कांग्रेसके बाहर हैं। सलाह करनेका समय तो अब आया है। अपरिवर्तनवादी अपनी राय अगली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें व्यक्त कर सकेंगे। मौलाना मुहम्मद अलीने कांग्रेस-अध्यक्षकी हैसियतसे इस सम्मेलनके लिए सब दलोंके प्रतिनिधियोंको, जिनमें 'यूरोपियन एसोसिएशन' के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, निमन्त्रण भेज दिये हैं।

स्वराज्य दल और मैंने जो सिफारिश की है वह सम्मेलनमें सब दलोंके सामने रखी जायेगी कि वे उसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। समझौतेसे यदि कोई वचन-बद्ध है तो वह स्वराज्य दल और व्यक्तिगत रूपसे मैं स्वयं ही हूँ, अन्य कोई भी व्यक्ति या दल नहीं। हर एक व्यक्ति हमें समझानेके लिए स्वतन्त्र है और यदि कोई ऐसा दूसरा समझौता हो जिससे सब दल किसी एक कार्यक्रमके बारेमें एक मंचपर इकट्ठे हो सकें और जिससे हमें अपने समान लक्ष्यकी ओर आगे बढ़नेमें आसानी हो और जो एक ओर तो बंगाल सरकारकी दमन-नीतिका कारगर उत्तर हो और दूसरी ओर गुमराह अराजकतावादियोंकी इच्छासे भी मेल खा सके और इस प्रकार उन्हें सही मार्गपर ला सके तो मुझे पूरा भरोसा है कि उस समझौतेके मार्गमें न तो स्वराज्य दल बाधक होगा और न स्वयं मैं ही। समस्त नेताओंसे मेरा अनुरोध है कि वे मौलाना मुहम्मद अलीका निमन्त्रण स्वीकार कर लें और बम्बईके आगामी सम्मेलनकी कार्रवाईमें सहायता और मार्गदर्शन करें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १३-११-१९२४

Gandhi Heritage Portal

२६०. पत्र : मुहम्मद अलीको

११ नवम्बर, १९२४

प्रिय भाई,

महादेव तो मुझे 'नवजीवन' के प्रबन्धकका पत्र दे ही नहीं रहा था, लेकिन मेरे जोर देनेपर दे दिया। उसे मैंने पढ़ लिया है। मेरे मनको गहरी चोट लगी, बहुत अपमानित-सा महसूस किया। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि 'नवजीवन' की ओरसे आपको ऐसा भी पत्र भेजा जा सकता है। मैं किसी तरह अपनेको इस पत्रकी जिम्मेदारीसे अलग नहीं कर सकता। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस तरहकी अपूर्णता-का बोझ मुझे जीवन-भर ढोना ही पड़ेगा। अपूर्ण व्यक्ति जिन्दगीके साथ मानो जुआ खेलता रहता है और इस तरह बराबर नुकसान उठाता रहता है। यही कारण है कि संसारके कुछ श्रेष्ठतम व्यक्तियोंने भी सबसे नाता तोड़कर सिर्फ अपने स्रष्टाके सान्निध्यमें ही रहना पसन्द किया है। स्वामीसे सम्बन्ध तोड़ लेनेको न मेरा जी चाहता है, न मुझमें उतनी हिम्मत है। वह भला आदमी है; बहादुर और ईमानदार है। जाति अथवा धर्मको लेकर उसके मनमें कोई पूर्वग्रह नहीं है। लेकिन उसमें कुछ-एक चीज ऐसी हैं जिनके कारण कभी-कभी वह दूसरोंको चोट पहुँचानेवाले काम कर जाता है। आप मेरी खातिर उसे क्षमा कर दें और यदि क्षमा कर दें तो आप मुझे यह भी अवश्य लिख भेजें कि आपके विचारसे 'नवजीवन' आपका कुल कितनेका देनदार है। इससे मैं बहुत-सी परेशानियोंसे बच जाऊँगा।

यह मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जब हम लोग मिलते हैं तब तो बस राज-नीति और दर्शनकी ही चर्चाओंमें डूब जाते हैं। चर्चाके लिए हमें घरेलू मामले बड़े मामूली लगते हैं। लेकिन मेरे जीवनमें उनका स्थान प्रमुख है। वे मुझे अपनी लाचारियाँ पहचानना सिखाते हैं।

आपका,

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

Gandhi Heritage Portal

२६१. पत्र : फूलचन्द शाहको

कार्तिक सुदी १५ [११ नवम्बर, १९२४][1]

भाईश्री फूलचन्द,

आपके पिछले पत्रका मुझे स्मरण है। मैं खुद ही आपको लिखूंगा, इस आशासे मैंने महादेवसे पत्र लिखनेके लिए नहीं कहा। इसी बीच मेरा कार्यक्रम अनियमित हो गया और बादमें मैं कलकत्ता ही चला गया। आपका पत्र ऐसा था कि उसका उत्तर तुरन्त भेज देना चाहिए था। अब तो आपको यही सन्तोष दे सकता हूँ कि आपसे क्षमा माँग लूं। वल्लभभाईको लिख रहा हूँ कि वे आपको ५,००० रुपये दे दें। जैसा कि आप लिखते हैं, इतने पैसेमें आपका काम चल जायेगा। मेरा खयाल है कि मैं इस महीनेके आखिरी हफ्तेमें आश्रम पहुँच ही जाऊँगा। आप उस समय मुझसे मिलियेगा, ताकि मैं आपको सब-कुछ और अच्छी तरह समझा सकूं।

हम शिवलालभाईकी जमीनके बारेमें भी बातचीत करेंगे और वढवानकी पाठ-शालाको बाहरी सहायतासे चलाना कहाँतक उचित है, इस नैतिक प्रश्नपर भी विचार करेंगे। यह प्रश्न अनेक पाठशालाओंपर लागू होता है।

बापूके अशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २८२३) से।
सौजन्य : शारदाबहन शाह

२६२. पत्र : लक्ष्मीको

कार्तिक सुदी १५ [११ नवम्बर, १९२४]

[चि० ल०][2] क्ष्मी,[3]

तुम्हारा दूसरा पत्र मिल गया था। तुम्हारी लिखावटमें अभी और सुधार होना चाहिए। मुझे और दूदाभाईको नियमित रूपसे पत्र लिखनेकी आदत डालो।

आशा है, प्रसन्न होगी। इसी महीनेकी [अंग्रेजीके अनुसार] आखिरी तारीख तक वहाँ पहुँचनेकी आशा करता हूँ।[4] तुम कातने और प्रातःकाल जल्दी उठनेके

१. डाकको मुहरसे।

२. मूलमें यहाँ कुछ कटा-फटा है।

३. दूदाभाई और दानी बहनकी पुत्री; ये लोग मई, १९१५ में साबरमती आश्रमकी स्थापनाके तुरन्त बाद ही वहाँ आकर बस गये थे।

४. गांधीजी २६ नवम्बर, १९२४ को साबरमती आश्रम पहुँचे थे।

Gandhi Heritage Portal

नियमका पालन करोगी। मैं सबके मुँहसे यह बात सुनना चाहता हूँ कि अब तो लक्ष्मी समझदार हो गई है।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१००) से।
सौजन्य : छगनलाल गांधी

२६३. तार : बी० सुब्रह्मण्यमको[1]

[११ नवम्बर, १९२४ के पश्चात्]

पत्र मिला।[2] आपके साथ मेरी हार्दिक सहानुभूति है। मेरा खयाल है 'यंग इंडिया' में अधिकांश प्रश्नोंके उत्तर मिल जायेंगे। अगले अंकमें और भी खुलासा हो जायेगा।[3] व्यक्तिशः मैं असहयोगीके रूपमें सदाकी भाँति दृढ़ हूँ।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ११७१६) की माइक्रोफिल्मसे।

२६४. पत्र : वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको[4]

दरियागंज
दिल्ली
१२ नवम्बर, १९२४

प्रिय मित्र,

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओंके प्रतिनिधियोंके बीच होनेवाली आगामी परिषद्के सम्बन्धमें मौलाना मुहम्मद अली द्वारा भेजा निमन्त्रण-पत्र आपने पढ़ा[5] ही होगा। आशा है, आप परिषद्में शामिल हो सकेंगे। उसका उद्देश्य यह है कि यदि किसी तरह सम्भव हो तो बंगालमें चलनेवाले दमनके सम्बन्धमें हर तरहके विचारकी अभिव्यक्तिका मौका दिया जाये। जहाँतक मैं समझ पाया हूँ इस दमनका लक्ष्य अराजकतावादी गतिविधियाँ नहीं, बल्कि सरकारको

१. मन्त्री, प्रान्तीय खादी-बोर्ड, सीतानगरम्, जिला गोदावरी, आन्ध्र।
२. ११ नवम्बरका पत्र।
३. स्वराज्य दलके नेताओंके साथ जारी किये गये संयुक्त वक्तव्यके सम्बन्धमें।
४. यह एक गश्ती-पत्र जान पड़ता है, जो जी० ए० नटेसन (जी० एन० २२२१) और डा० सप्रूके नाम (जी० एन० ७५९२) भी लिखा गया था।
५. जी. एन. साधन सूत्रमें यहाँ 'देखा' शब्द है।

Gandhi Heritage Portal

परेशानीमें डालनेवाले संवैधानिक सुधारोंके आन्दोलनको कुचल देना है। परिषद् बुलानेका एक उद्देश्य इस बातका भी पता लगाना है कि अन्य मामलोंमें अपना पृथक अस्तित्व रखते हुए भी राष्ट्रीय विकासमें सहायक एक सर्वसामान्य रचनात्मक कार्यक्रमको पूरा करनेके लिए कांग्रेसके मंचपर सभी दलोंका मिल-जुलकर काम करना सम्भव है या नहीं। मुझे भरोसा है कि यदि आप परिषद्में शामिल हो सकें तो सभी दलोंको सन्तोषप्रद लगनेवाले एक निष्कर्षपर पहुँचनेमें आपका सहयोग और परामर्श परिषद्के लिए बड़ा मूल्यवान् साबित होगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री

२६५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

दिल्ली
१२ नवम्बर, १९२४

प्रिय जवाहरलाल,

मुझे तो बेशक यह जरूरी लगता है कि कार्यकर्त्ताओंका एक उड़न-दस्ता हो। उसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों हों, जो खबर पाते ही संकट-ग्रस्त क्षेत्रोंमें जाँच-पड़तालके लिए चल पड़े। हम हमेशा इस बातका इन्तजार नहीं कर सकते कि कोई विशिष्ट व्यक्ति ही जाये। अब उदाहरणके लिए उसी मामलेको लो जो कल तुम्हारे पास भेजा गया है। जो बयान दिये गये हैं, वे यदि सच हों तो अपराधियोंका पर्दाफाश कर देना चाहिए; यदि वे झूठे हों तो अखबारके संवाददाताओंके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जाँच तत्काल और पूरी-पूरी की जानी चाहिए। इस कामके लिए मैं महादेवको तैयार कर रहा हूँ और प्यारेलालको भी राजी कर रहा हूँ। प्यारेलालके मनमें व्यर्थ ही संशय है। क्या मंजर अली यह काम कर सकेंगे? इसके लिए उन्हें वेतन भी दिया जा सकता है। पारिश्रमिक स्वीकार करनेमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके कारण उनके कताईके काममें रुकावट डालना भी जरूरी नहीं होगा। उनका कार्यक्षेत्र सिर्फ संयुक्त प्रान्ततक ही सीमित रखा जा सकता है, हालाँकि मैं तो चाहूँगा कि जबतक इस क्षेत्रमें कार्यकर्त्ताओंकी एक पूरी टोली न उतर आये तबतक ऐसी कोई सीमा न बाँधी जाये। आशा है, कल तुम्हारे पास जो मामला भेजा है, उसकी जाँचके लिए तुम किसीको तत्काल भेज दोगे। तुम्हारे पास कुछ हफ्ते पहले जो मामला भेजा गया था, उसका क्या हुआ?

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

Gandhi Heritage Portal

[पुनश्चः]

मैं यह माने लेता हूँ कि यदि पहले नहीं तो गुरुवारको तो तुम पिताजीके साथ बम्बई आ ही जाओगे। उसी दिन सुबह मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। श्रीमती नायडू कल सुबह यहाँसे प्रस्थान करेंगी।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

२६६. पत्र : शुएब कुरैशीको

१२ नवम्बर, १९२४

प्रिय शुएब,

श्रीमती नायडूने मुझे बताया है कि आजकल तुम्हारा मन बहुत खिन्न रहता है और मनुष्य तथा संसारपर से विश्वास उठ जानेके कारण तुम दोनोंसे कतराने लगे हो। यदि ऐसा हो तो यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मैंने तुम्हें सदासे एक धर्मात्मा व्यक्तिके रूपमें जाना है और औरोंसे भी ऐसा ही सुना है। तुम अत्यधिक संवेदनशील हो, यह तो मैंने खुद ही देखा है। इस संवेदनशीलतापर काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन मनकी खिन्नतापर विजय पाना उतना सहज नहीं है। पर तुम ऐसे क्यों हो गये हो? हमें तो बहुत लम्बी और विकट लड़ाई लड़नी है। अगर ईश्वरकी मर्जी हुई तो यह जल्दी भी खत्म हो सकती है। लेकिन यदि लड़ाई लम्बी और विकट ही हो तो क्या कोई सिपाही इसपर शिकवा-शिकायत कर सकता है? नहीं, उसे तो ऐसा नहीं ही करना है। यदि दूसरे लोग लड़खड़ायें तो जिसमें आस्था है, वह उसी अनुपातमें और दृढ़ होता जाता है। अतः, मैं तो तुमसे यही अपेक्षा रखता हूँ कि हमारे चारों ओर जो कमजोरियाँ और उलझनें दिखाई दे रही हैं, उनका खयाल रखते हुए तुम और भी दृढ़ बनो और अधिक संकल्पके साथ जुट जाओ। इसलिए उदासी छोड़ो। अपना हृदय मुक्त रखो।

कृष्टोदासने मुझे बताया कि तुमने अभीतक गुलबर्गा-रिपोर्ट पूरी करके लौटाई नहीं। उसे भेज दो या २० तारीखको जब मैं वहाँ आऊँ तबतक उसे तैयार कर रखना। मैं १८ तारीखको एक्सप्रेससे रवाना होनेकी उम्मीद रखता हूँ। शायद हकीम साहब और डा० अन्सारी भी मेरे साथ होंगे।

कृष्टोदास एक हफ्तेके लिए पीछे रह गया है। उसके कुटुम्बके लोग उससे मिलनेको बहुत बेकल थे। इसलिए वह चाँदपुर चला गया। वह १८ तारीखको या उससे पहले ही लौट आयेगा।

Gandhi Heritage Portal

श्रीमती नायडू कान्फ्रेंसकी तैयारी करनेके लिए कल रवाना होंगी। शायद तुम्हें मालूम न हो कि मैं डा० अन्सारीके घर टिका हुआ हूँ।

तुम्हारा,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

२६७. पत्र : लाला लाजपतरायको

द्वारा डा० अन्सारी
दरियागंज
१२ नवम्बर, १९२४

प्रिय लालाजी,

पत्रके उत्तरमें विलम्बके लिए आप क्षमा करेंगे। आप जानते ही हैं कि मुझे कलकत्ता भागना पड़ गया था और वहाँ मुझे मिनट-भरकी भी फुरसत नहीं मिल पाई कि कुछ लिखूँ। अब भी मुझमें पूरी शक्ति नहीं आ पाई है।

रावलपिण्डी आकर मैं क्या करूँगा? अब देखता हूँ, हिन्दुओंने तो कमिश्नरकी शर्तें भी स्वीकार कर ली हैं। मैं उन्हें कोई राहत नहीं पहुँचा सकता; वहाँ सत्यकी जानकारी पा सकना भी मेरे लिए मुश्किल है। उन्हें कोई भौतिक सुख-सुविधा भी मैं नहीं दे सकता। यह काम तो बहुत-सी संस्थाएँ कर रही हैं। जो एक काम मैं उपयोगी ढंगसे कर सकता हूँ, उससे भी मैं लाचार कर दिया गया हूँ। अगर आप अब भी समझते हों कि मुझे रावलपिण्डी आना ही चाहिए तो मैं आ जाऊँगा। लेकिन अब तो बम्बईकी बैठकके बाद ही यह सम्भव होगा।

फिर हमारे मिलनेकी भी बात है। डा० सत्यपालका[1] कहना है कि पंजाब राजनैतिक परिषद्[2] दिसम्बरके पहले हफ्तेमें होनेवाली है। क्या आप तबतक वहाँ रहेंगे? हम लोग उसी अवसरपर मिलेंगे या उससे पहले? मुझे तो मंगलवारको यहाँसे चल देना है। क्या आप बम्बई जा रहे हैं? आपका स्वास्थ्य यह गवारा करेगा? अगर आप बम्बई न जा रहे हों और चाहते हों कि मैं दिसम्बरसे पहले ही आपसे मिलूँ तो कृपया तार द्वारा सूचित करें। आगामी १८ तारीखको अर्थात्

१. पंजाबके कांग्रेसी-नेता, जिन्हें १० अप्रैल, १९१९ को निर्वासित किया गया था।
२. मूलमें पी० पी० कान्फ्रेंस है, जो अनुमानतः उक्त शब्दोंका ही संक्षिप्त रूप है।

Gandhi Heritage Portal

मंगलवारको मुझे यहाँसे बम्बई रवाना हो जाना है। सोमवार मेरा मौनवार है, उस दिन तो मैं कुछ करता नहीं हूँ। इस हालतमें मेरे लिए जो सम्भव है वह यही कि शुक्रवारकी रातको यहाँसे चलूँ, शनिवार आपके साथ बिताऊँ और उसी दिन रातमें चलकर रविवारको यहाँ लौट आऊँ। अगर यह नहीं हुआ तो फिर हमारा मिलना दिसम्बरके आरम्भमें ही हो सकेगा -- मतलब यह कि अगर हम बम्बईमें नहीं मिल सके तब। अब आप जो उचित समझें आज्ञा दें।

मेरे तथा दास और मोतीलालके हस्ताक्षरोंसे प्रकाशित वक्तव्यपर मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। परिस्थिति ज्यादासे-ज्यादा जटिल है और सबसे बुरी बात तो यह है कि यद्यपि हर आदमी समाधानके लिए मेरी ही ओर देखता है, किन्तु मुझे लगता है कि मेरे लिए कहीं कोई स्थान ही नहीं। मेरे इतने सारे शिक्षित देशभाइयोंको मेरी योजना निरी अव्यावहारिक लगती है, जबकि मुझे देशके लिए एक-मात्र यही योजना व्यावहारिक जान पड़ती है।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[पुनश्च :]

उक्त अंश लिखनेके बाद आपका गत ११ तारीखका पत्र मिला। इसे पढ़नेके बाद आपको यदि लगे कि मुझे बम्बई जानेसे पहले ही रावलपिण्डी आ जाना चाहिए तो तार द्वारा सूचित करें। मैं तुरन्त चल पड़ूँगा और यदि आप लाहौरमें मुझे मिल जायें तो हम लोग रास्तेमें भी बातचीत करते जायें। अभी मेरा स्वास्थ्य जैसा है, उसे देखते हुए यह सब मुझपर बहुत कठिन गुजरेगा, लेकिन अगर इससे गुजरना ही पड़ा तो ऐसा नहीं है कि इसे बरदाश्त नहीं कर पाऊँगा। पत्र मिलते ही तार द्वारा सूचित करें कि मैं क्या करूँ -- सीधा पिण्डी पहुँच जाऊँ या एक दिनके लिए आपके पास आ जाऊँ। अगर आप मुझे पिण्डी भेजें तो मैं वहाँ सिर्फ एक दिन रुक पाऊँगा; क्योंकि मंगलवारकी रातमें तो मुझे बम्बई रवाना हो ही जाना है।

मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि समझौता बम्बईमें ही सम्पन्न हो जाये। आपके इस विचारसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि इसम जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी निष्कर्षपर पहुँचनेसे पहले स्थितिकी पूरी जाँच-पड़ताल हो जानी चाहिए। कान्फ्रेंस स्वराज्यके सवालपर भी विचार करने नहीं जा रही है। हो सकता है, उसकी रूप-रेखा तैयार करनेके लिए कोई छोटी-सी समिति नियुक्त करनी पड़े, जो अपनी योजना फिर ऐसी ही किसी कान्फ्रेंसके विचारार्थ प्रस्तुत करे। लेकिन, मुख्यतः कान्फ्रेंसका काम यह तय करना होगा कि दमनका उत्तर किस प्रकार दिया जाये और सभी दल कांग्रेसमें किस तरह शामिल हों। आज जो सज्जन मुझसे मिलने आये उन्होंने बताया कि अब आप पहलेसे अच्छे हैं और इस समय बम्बईकी आबो-हवा आपको पंजाबकी कड़ी आबोहवाकी बनिस्बत ज्यादा रास आ सकती है। लेकिन इसका फैसला तो सबसे अच्छी तरह आप ही कर सकते हैं कि अभी आपको बाहर

Gandhi Heritage Portal

निकलना चाहिए या नहीं। मैं नहीं चाहूँगा कि कान्फ्रेंसकी खातिर आप अपना स्वास्थ्य खतरेमें डालें।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

२६८. पत्र : शान्तिकुमार मोरारजीको

दिल्ली
कार्तिक बदी १ [१२ नवम्बर, १९२४][1]

चि० भाई शान्तिकुमार,

चि० बहन माधुरीके विवाहका निमन्त्रण-पत्र मिला है। ईश्वर उसे और उसके पतिको दीर्घायु करे और उनकी शुभेच्छाओंको पूर्ण करे।

दादीजी तथा पिताजीको मेरा प्रणाम कहना।

मोहनदासके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४६९७) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : शान्तिकुमार मोरारजी

२६९. पत्र : वसुमती पण्डितको

द्वारा डा० अन्सारी
दरियागंज
कार्तिक बदी १ [१२ नवम्बर, १९२४][2]

चि० वसुमती,

तुम्हारा पत्र मुझे कलकत्तेमें मिला था। मैं रविवारको वापस आया। मुझको लिखे पत्रोंमें गलतियाँ हों तो कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए। वैसे तो चाहे किसीको लिखे पत्रमें गलतियाँ रह जायें, उससे क्या फर्क पड़ता है? भाषा तो विचारका वाहन है। जबतक विचारमें दोष न हो तबतक सब-कुछ ठीक ही है। विमानमें बैठा राक्षस वन्दनीय नहीं है। लेकिन सन्त तो खटारेमें बैठे रहनेपर भी वन्दनीय

१. १२-११-१९२४ को गांधीजी दिल्लीमें थे।
२. डाककी मुहरसे।

Gandhi Heritage Portal

ही है। हजीरा तो जितनी जल्दी हो सके पहुँच जाओ। मुझे १८ तारीखको बम्बईके लिए निकल जाना है। वहाँ तीन-एक दिन लगेंगे। फिर आश्रम जाऊँगा।

बापूके आशीर्वाद

चि० वसुमती
द्वारा — मेसर्स स्ट्रॉस ऐंड कम्पनी

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४६०) से।
सौजन्य : वसुमती पण्डित

२७०. तार : अबुल कलाम आजादको[1]

[१२ नवम्बर या उसके पश्चात्]

मौलाना अबुल कलाम आजाद

गुरुवारकी सुबह बम्बई पहुँचनेकी कोशिश करें। मैं भी तभी पहुँच रहा हूँ।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ११७१८) की फोटो-नकलसे।

२७१. समझौता

स्वराज्यवादियोंको जितना-कुछ देना मेरे लिए सम्भव था, वह सब दे सकनेकी, बल्कि मैंने या मेरे मित्रोंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा देनेकी शक्ति ईश्वरने मुझे दी, इसके लिए मैं ईश्वरका बड़ा आभारी हूँ और स्वराज्यवादियोंने मेरी जितनी मान ली, उसके लिए मैं उनके प्रति भी कृतज्ञ हूँ। मैं जानता हूँ कि रचनात्मक कार्यक्रमपर जितना जोर मैं देता हूँ उतना जोर बहुत-से दूसरे लोग नहीं देते। सदस्यताकी शर्तोंमें सख्ती लानेका प्रस्ताव बहुत-से लोगोंके लिए एक कड़वा घूँट था,

१. यह तथा पाँच ऐसे ही तार पाँच अन्य व्यक्तियोंको भेजे गये थे। ये लोग थे — कोण्डा वेंकटप्पैया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जमनालाल बजाज, गंगाधरराव देशपांडे और जयरामदास दौलतराम। ये सभी तार १२ नवम्बरको, मोतीलाल नेहरूका निम्नलिखित तार प्राप्त होनेके बाद भेजे गये थे : "महादेवका पत्र मिला। आपसे और दाससे परामर्श करनेके बाद निमन्त्रण पत्र भेजनेमें बहुत देर हो जायेगी। मेरा सुझाव तारसे मुहम्मद अली द्वारा उल्लिखित संस्थाओंके प्रतिनिधियों और प्रमुख व्यक्तियोंको भी अपनी, दास और मेरी ओरसे निमन्त्रित कर दें।"

Gandhi Heritage Portal

लेकिन एकताकी और देशकी खातिर वे उसे पी गये। इसके लिए उनका जितना भी अभिनन्दन किया जाये, थोड़ा होगा।

यह समझौता स्वराज्यवादियोंको अपरिवर्तनवादियोंकी बराबरीकी स्थितिमें ला रखता है। अगर मत लेनेकी झंझट और उससे जुड़ी दूसरी तमाम परेशानियोंसे बचना था तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अहिंसाका मतलब है — जहाँतक अपने सिद्धान्तोंपर आँच नहीं आती हो वहाँतक दूसरोंकी अधिकसे-अधिक सुनना और मानना। स्वराज्यवादियोंका कहना है कि उनका दल एक वर्धमान दल है। इस बातसे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि सरकारपर उनका कुछ असर हुआ है। उस असरके महत्त्वके बारेमें मतभेद हो सकता है, लेकिन इस तथ्यमें तो सन्देहकी कोई गुंजाइश नहीं है कि उनका असर हुआ है। उन्होंने संकल्प और दृढ़ता दिखाई है, अनुशासन और संगठनका परिचय दिया है और अपनी नीतिको कार्यान्वित करनेमें वे सरकारसे संघर्ष मोल लेनेकी सीमातक भी जानेमें नहीं झिझके हैं। अगर कौंसिल-प्रवेशकी वांछनीयताको एक बार स्वीकार कर लिया जाये तो मानना पड़ेगा कि भारतीय विधान-सभाओंमें उन्होंने एक नई भावना भर दी है। मुझ-जैसे लोगोंके लिए यह बात खेदजनक अवश्य है कि उनकी इसी चमक-दमकसे राष्ट्रका ध्यान अपने-आपसे हट जाता है, लेकिन जबतक हमारे योग्यतम व्यक्तियोंको कौंसिल-प्रवेशमें विश्वास है तबतक तो हमें उसका अच्छेसे-अच्छा उपयोग करना ही चाहिए। यद्यपि मैं एक कट्टर अपरिवर्तनवादी हूँ, फिर भी मुझे न केवल उनके दृष्टिकोणके प्रति सहिष्णुता बरतनी चाहिए और उनके साथ मिल-जुलकर काम करना चाहिए, बल्कि जहाँ-कहीं सम्भव हो, उनके साथ अपने सम्बन्ध मजबूत भी करने चाहिए।

यदि अपरिवर्तनवादी लोग महत्त्वपूर्ण मतभेदोंका निबटारा मतदानके द्वारा नहीं करना चाहते तो वे कांग्रेसका काम पारस्परिक सहमति और सहिष्णुताके आधारपर ही चला सकते हैं, बशर्ते कि लड़नेकी इच्छा न होनेके कारण वे कांग्रेसके नियंत्रणसे अपने हाथ पूरी तरह खींच लें। यह बात सभी मानते हैं कि दोनोंमें से किसी भी दलका काम एक-दूसरेके बिना नहीं चल सकता। देशमें दोनोंका एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। लिबरलों और बेसेंट-समर्थकोंके अलग हो जानेसे कांग्रेस कमजोर हो गई थी। उस समय दरार पड़ना अवश्यम्भावी हो गया था, क्योंकि वे सब सिद्धान्ततः असहयोगके विरुद्ध थे। अगर सम्भव हो तो अब आगे हमें और दरार नहीं पड़ने देनी चाहिए। इसलिए गम्भीरतापूर्वक सोचे-समझे बिना सिर्फ दृष्टिकोणके भेदको हठपूर्वक सिद्धान्तका भेद मानकर उसपर हमें झगड़ना नहीं चाहिए।

यदि असहयोग कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाता है — और मुझे विश्वास है कि कर दिया जाना चाहिए — तो स्वभावतः स्वराज्य दलकी गतिविधियोंपर अँगुली उठानेका कोई कारण नहीं रह जाता। यह कहना अथवा इस बहसमें पड़ना बेकार है कि अगर कांग्रेसवालोंने कौंसिलोंकी बात कभी सोची ही नहीं होती तो क्या होता। हमें तो स्थितिपर, जैसी वह आज है, उसी रूपमें विचार करना है और फिर या तो अपने-आपको उसके अनुकूल ढालना है या अगर सम्भव हो तो उसीको अपने अनुकूल बनाना है।

Gandhi Heritage Portal

अन्तमें, बंगालकी स्थितिका तकाजा था कि अपरिवर्तनवादी लोग स्वराज्य दलको यथाशक्ति अधिकसे-अधिक समर्थन दें।

अपरिवर्तनवादियों तथा दूसरे लोगोंने मुझसे पूछा, 'लेकिन आप कोई ऐसा वक्तव्य देनेमें कैसे शरीक हो सकते हैं, जिसमें कहा गया हो कि सरकारने यह प्रहार वास्तवमें आतंकवादियोंपर नहीं, बल्कि स्वराज्यदलपर किया है? क्या आप सरकारके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं?' उनके इस रवैयेसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और साथ ही गर्वका भी अनुभव हुआ। प्रसन्नता इसलिए कि मैंने इन प्रश्नकर्त्ताओंमें, जिस सरकारको ये नापसन्द करते हैं, उसके साथ भी न्याय करनेकी सच्ची इच्छा देखी; और गर्व इसलिए कि ये लोग मुझसे सही निर्णय और पूर्णतम न्यायकी अपेक्षा रखते हैं। मैंने उनके सामने यह स्वीकार किया कि विगत अनुभवोंके कारण मेरे मनमें सरकारके खिलाफ बहुत पूर्वग्रह है, ब्रिटेनके अखबारों और ब्रिटिश पूँजीसे निकलनेवाले भारतीय अखबारोंमें जो-कुछ पढ़ा, उससे मैंने यही समझा कि सरकार स्वराज्य दलपर प्रहार करने जा रही है, बड़े-बड़े नेताओंपर हाथ साफ करना सरकारकी घोषित नीति है और यद्यपि यह सम्भव है कि गिरफ्तार लोगोंमें कुछ-एक अराजकतावादी प्रवृत्तिवाले लोग भी हों, फिर भी तथ्य यही है कि उनमें बहुत बड़ी तादाद स्वराज्यवादियोंकी है और अगर सरकारका यह दावा सही हो कि अराजकतावादियोंका दल बहुत बड़ा है तो बड़े ताज्जुबकी बात है कि सरकारको अपना हाथ साफ करनेके लिए मुख्यतः स्वराज्यवादी लोग ही क्यों मिले। मैंने उनसे यह भी कहा कि अगर अराजकतावादियोंका कोई बहुत विस्तृत और सक्रिय संगठन है तब तो अत्यन्त उग्र प्रवृत्तिवाले लोगोंके स्वराज्य दलके अन्दर नहीं, बल्कि बाहर ही होनेकी सम्भावना है; और कहते हैं, पुलिसने रातमें जो तलाशियाँ लीं, उनमें उसे कोई हथियार वगैरह नहीं मिले। मेरे समाधानके लिए उत्तरमें उन्होंने जो-कुछ कहा, उससे मेरे मतमें तनिक भी फर्क नहीं पड़ा और मुझे तो लगता है कि अगर मैं प्रश्नकर्त्ताओंको अपनी मान्यतासे सहमत नहीं करा पाया तो कमसे-कम इस बातकी प्रतीति तो करा ही दी कि मेरी जो भी मान्यता है उसके खासे कारण मौजूद हैं और अब यह सिद्ध करना तो सरकारका काम है कि उसके मनमें बंगालके स्वराज्य दलके खिलाफ सचमुच कोई दुरभिसन्धि नहीं थी।

लेकिन प्रस्तावके अनुसार असहयोगको स्थगित कर देनेसे व्यक्तिगत तौरपर असहयोग करनेवालोंपर कोई रोक नहीं लगेगी। उन्हें न केवल अपने-अपने मतोंपर कायम रहनेका अधिकार है, बल्कि यदि वे व्यक्तिगत असहयोग छोड़ देंगे तो यही कहा जायेगा कि उनमें कोई सत्व नहीं है। उदाहरणके लिए, असहयोग-कार्यक्रमके स्थगित कर दिये जानेका मतलब मेरे लिए यह नहीं हो सकता कि मैं सरकारको लौटाये अपने पदक फिर वापस माँग लूँ या फिरसे वकालत शुरू कर दूँ अथवा अपने बच्चोंको सरकारी स्कूलोंमें दाखिल करा दूँ। इस प्रकार असहयोग-कार्यक्रमके स्थगित कर दिये जानेसे जहाँ आस्थावान असहयोगियोंके लिए अपना असहयोग जारी रखनेकी स्वतन्त्रतामें कोई खलल नहीं पड़ेगा, वहाँ कांग्रेसके आह्वानपर एक नीतिके तौरपर

Gandhi Heritage Portal

असहयोग करनेवालोंको इस बातकी छूट मिल जायेगी कि यदि वे चाहें तो बिना किसी अपयश-अपवादकी आशंकाके असहयोग बन्द कर दें। इसके सिवा यदि असहयोगको स्थगित करनेकी बात मंजूर कर ली जाती है तो फिर किसी कांग्रेसीको कांग्रेसकी नीति या उसके कार्यक्रमके अंगके रूपमें असहयोगका प्रचार करनेकी छूट नहीं रह जायेगी। उलटे, यदि वह चाहे तो जबतक असहयोग स्थगित रखनेकी नीति कायम रहती है तबतक लोगोंको असहयोग न करनेके लिए जरूर कह सकता है और समझा सकता है।

फिर कताई-सदस्यताकी बात लीजिए। मैं तो खादीका और ज्यादा उपयोग तथा उत्पादन चाहता था — चाहता था कि सभी अवसरोंपर खादी ही पहनी जाये और सभी कांग्रेस-जन, यदि वे बीमारी या ऐसी ही किसी दूसरी असमर्थतासे लाचार न हों तो हर महीने कमसे-कम २,००० गज सूत अवश्य कातें। लेकिन इस शर्तको नरम बना दिया गया है और अब सिर्फ राजनीतिक समारोहोंके अवसरपर और कांग्रेसका काम करते समय ही खादी पहनना लाजिमी रखा गया है और यहाँतक छूट दे दी गई है कि अनिच्छा होनेपर सदस्य दूसरोंसे सूत कतवाकर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ भी मेरे लिए इस हदतक आग्रह करना सम्भव नहीं था कि बातचीत टूट जाये। प्रथम तो महाराष्ट्र पार्टीके सामने कुछ संवैधानिक अड़चन थी, जिसके कारण वह सदस्यताकी शर्तमें कताई और खादी पहननेकी बातको किसी भी तरहसे स्थान देनेको तैयार नहीं थी और दूसरे एक दलके रूपमें स्वराज्य दल इन दोनों बातोंको उतना महत्त्व नहीं देता। मेरी तरह वह इन्हें स्वराज्य-प्राप्तिके लिए अथवा भारत-से विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करनेके लिए अनिवार्य नहीं मानता। इसलिए, इस परिवर्तित रूपमें भी खादी और हाथ-कताईको सदस्यताकी शर्तोंमें शामिल करनेपर सहमत होना स्वराज्यवादियोंकी दृष्टिसे उनके द्वारा दी गई एक बहुत बड़ी रियायत थी। अतः, एकताकी खातिर उन्होंने जो रियायत दी है, उसे मैं कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। जो लोग सदस्यताकी शर्तमें इस परिवर्तनसे नाराज हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि नाम-मात्रकी चवन्निया-सदस्यताकी स्थितिसे निकलकर इस ठोस और प्रभावकारी सदस्यताकी स्थितिमें पहुँच जाना एक बहुत बड़ी प्रगति है। उन्हें याद रखना चाहिए कि सदस्यताकी नई शर्त हर कांग्रेस-जनसे कपड़ोंकी आवश्यकताकी पूर्तिसे भारतको आत्म-निर्भर बनानेकी वांछनीयतामें अपने विश्वासका ठोस सबूत देनेको कहती है। और यह सबूत भी किसी और तरहसे नहीं, बल्कि भारतके पुराने उद्योग हाथ-कताईका पुनरुद्धार करके और इस प्रकार समाजके सबसे जरूरतमन्द वर्गके बीच धनका वितरण सम्भव बनाकर।

कहते हैं, शर्तोंमें इस तरह ढील देनेसे हर आदमी नाजायज फायदा उठायेगा और यज्ञके भावसे कताई करनेका विचार बिलकुल समाप्त हो जायेगा और सदस्यगण खादी तो सिर्फ राजनीतिक समारोहोंके अवसरपर और कांग्रेसका काम करते समय ही पहनेंगे। यदि इस परिवर्तनका परिणाम ऐसा बुरा हुआ तो यह मेरे लिए बहुत दुःखकी बात होगी। किन्तु, ऐसे अनर्थकी आशंका रखनेवाले लोग यह भूल जाते हैं

Gandhi Heritage Portal

कि हर कांग्रेस-जन कताई करे, यह चीज अब भी सिर्फ एक व्यक्तिका विचार-मात्र थी। अब लाचार होकर उसने अपने प्रस्तावमें परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया है। लेकिन इसके फलस्वरूप यह विचार, परिवर्तित रूपमें ही सही, सदस्यताकी शर्तोंमें शामिल कर लिया गया है। इसलिए यह निश्चय ही एक स्पष्ट उपलब्धि है और इससे खादी पहननेवालों और स्वेच्छासे कातनेवालोंकी संख्यामें भी अवश्य वृद्धि होगी।

इसके अतिरिक्त यह भी याद रखना चाहिए कि सुधारोंको सिफारिशी, बल्कि बन्धनकारी प्रस्तावोंमें भी शामिल करना एक बात है और उन्हें सदस्यताकी शर्तका अंग बनाना बिलकुल दूसरी बात है। सदस्यताकी किसी भी शर्तमें कोई अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए और उसे ऐसा होना चाहिए जिससे उसपर आसानीसे अमल किया जा सके। कारण, उसपर अमल न करनेका मतलब है सदस्यतासे च्युत हो जाना। सभी अवसरों और सभी उद्देश्योंके लिए खादी पहनना, शायद, हममें से योग्यसे-योग्य व्यक्तियोंके लिए भी सम्भव न हो।

लेकिन व्यवहारमें आप देखेंगे कि जब कांग्रेसके समारोहोंके अवसरपर हमें खादी पहननी पड़ेगी तो हममें से अधिकांश लोगोंके लिए, जो तरह-तरहकी कई पोशाकें रखनेमें असमर्थ हैं, सभी अवसरोंपर खादी ही पहनना जरूरी हो जायेगा। किसी भी उत्साही कांग्रेस-जनके लिए हरएक अवसर कांग्रेसके कार्यका ही अवसर है और जिसके पास लगातार चौबीसों घंटे कांग्रेसका काम न हो, वह स्त्री अथवा पुरुष तो बहुत ही सामान्य कोटिका कांग्रेस-जन हुआ। हमारी सदस्य सूचीमें हजारों मतदाता या प्राथमिक सदस्य होने चाहिए। उन सबके पास कई पोशाकें नहीं हो सकतीं और न दूसरों द्वारा कता सूत खरीदनेके लिए पर्याप्त पैसा ही हो सकता है। उन्हें स्वयं कताई करनी पड़ेगी और इस प्रकार वे हर रोज कमसे-कम अपना आधे घंटेका श्रम राष्ट्रको दिया करेंगे और कांग्रेसका जो स्वयंसेवक कताई नहीं करेगा, उसको कांग्रेसकी सदस्यताके प्रत्याशियोंको कताईकी आवश्यकता समझानेमें बहुत मुश्किल पड़ेगी। इसलिए सब-कुछ इस प्रस्तावको ईमानदारी और वफादारीके साथ कार्यान्वित करनेपर ही निर्भर करता है।

जैसा कि स्वयं इस समझौतेमें कहा गया है, यह एक जोरदार सिफारिश-भर है। इसपर मैंने अपनी व्यक्तिगत हैसियतसे हस्ताक्षर किया है। देशबन्धु दास और पण्डित मोतीलाल नेहरूने स्वराज्य दलकी ओरसे हस्ताक्षर किये हैं। इसलिए यह मेरी तथा स्वराज्य दलकी ओरसे सभी कांग्रेस-जनों तथा दूसरोंके विचारार्थ और स्वीकारार्थ एक सिफारिश है। मैं चाहता हूँ कि इस सिफारिशपर सिर्फ इसके गुण-दोषके आधारपर ही विचार किया जाये। मेरा अनुरोध है कि इसपर कोई भी विचार करते समय अपने मनमें मेरा खयाल बिलकुल न लाये। अगर इस सिफारिशको सिर्फ इसके गुणदोषपर ही विचार करके स्वीकार नहीं किया जाता तो वह राजनीतिक एकता प्राप्त करना भी मुश्किल होगा, जो हम चाहते हैं और जो हमारे लिए आवश्यक है; और तब विदेशी कपड़ेका बहिष्कार भी कठिन होगा, जिसके बिना हमारा निस्तार नहीं और जो सबके कातने और सबके खादी पहननेसे ही सम्भव है। यदि असहयोगको स्थगित

Gandhi Heritage Portal

करनेका प्रस्ताव या स्वराज्यवादी दलको कांग्रेसमें पर्याप्त और हार्दिक मान्यता देनेकी बात अथवा खादी पहनना और स्वयं कातना या दूसरोंसे कतवाना, इसे सदस्यताकी शर्त बनानेवाला सुझाव कांग्रेस-जनों और दूसरे आमन्त्रित लोगोंको ठीक नहीं लगे तो उन्हें इन सबको अस्वीकार करके अपना कोई हल राष्ट्रके सामने पेश करनेमें तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। गुण-दोषके अतिरिक्त अन्य किसी भी बातका खयाल करके अपने चिर-पोषित गहरे विश्वासोंकी उपेक्षा नहीं की जा सकती और न करनी ही चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १३-११-१९२४

२७२. समझौतेपर टिप्पणियाँ

काम कैसे करना चाहिए

इन टिप्पणियोंमें, मैं स्वराज्यवादी दल और मेरे बीच हुए समझौतेके बारेमें, जितना मैंने अग्रलेखमें[1] लिखा है, उसके आगे लिखना चाहता हूँ। यदि आगामी बैठक-में हमारी सिफारिश मंजूर कर ली गई तो कांग्रेस-संगठनमें क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जायेगा, इसके सदस्य सालमें एक या दो बार यन्त्रवत् मतदान-भर करनेवालोंके बजाय, दिन-प्रतिदिन काम करनेवाले लगनशील कार्यकर्त्ता बन जायेंगे और इससे प्रमुख राष्ट्रीय कार्यमें वास्तविक योग मिलेगा। इससे कांग्रेस उत्पादन, संग्रह और वितरणकी एक विशाल शाला बन जायेगी। यह काम उद्यमशीलता, समयकी पाबन्दी, देशभक्ति, आत्म-त्याग, ठोस ईमानदारी और अपेक्षित कौशलके साथ कोई एक ठीक पद्धति अपनाये बिना संगठित नहीं किया जा सकता। यद्यपि कांग्रेस द्वारा इस प्रस्तावके स्वीकार किये जानेतक चार आना देकर कोई भी व्यक्ति कांग्रेसका सदस्य बन सकता है, तथापि यदि आगामी बैठक इन प्रस्तावोंका अनुमोदन कर दे तो प्रत्येक प्रान्तको संगठन-कार्य इस तरह आरम्भ करना होगा, मानो कांग्रेसकी महासभाने कताई-सदस्यता स्वीकार कर ली है। कहनेका मतलब यह है कि वर्तमान सदस्योंको प्रस्तावित रद्दोबदलकी जान-कारी देते हुए और कातना सीखने तथा चरखा प्राप्त करने आदिके लिए आवश्यक सुविधाएँ जुटाते हुए, उनके बीच प्रचार-कार्य किया जाना चाहिए। इस प्रश्नपर विचार करना होगा कि सूत किस प्रकार एकत्र किया जाये और कैसे उसका विनिमय किया जाये। आज हमारे देशमें सात हजारसे अधिक स्त्री-पुरुष स्वेच्छासे कताई कर रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ भी रही है। इतना सब कांग्रेस कार्यकारिणी समितियोंके सदस्योंपर लागू होनेवाले एक प्रस्तावके अलावा इस संस्थाके किसी आम प्रस्तावके बिना ही, सिर्फ इस पत्रके इन स्तम्भों द्वारा जनताको प्रेरणा देकर कर लिया गया है। अतः यह मानना युक्तियुक्त होगा, यदि कांग्रेसने कभी कताई-सदस्यताके प्रस्ताव-

१. देखिए पिछला शीर्षक।

Gandhi Heritage Portal

को स्वीकार कर लिया तो हम कुछ ही महीनोंमें एक लाखकी संख्यातक पहुँच जायेंगे। यदि प्रति सदस्य प्रति मास २० नम्बरके ५ तोला सूतका औसत उत्पादन माना जाये, तो इसका अर्थ होगा — प्रति मास ३१२.५ मन सूत, या ४५ इंच चौड़ाई और ६ गज लम्बाईकी १२,५०० धोतियाँ या साड़ियाँ। और यदि हम इस बातकी ओर ध्यान दें कि कताईतक की प्रक्रियामें इस मालपर सारा श्रम निःशुल्क रहेगा तो स्पष्ट हो जायेगा कि ये धोतियाँ बाजारमें अपने ढंगके किसी भी मालसे होड़ ले सकती हैं। बस, यदि समूचा राष्ट्र एक इसी राष्ट्रीय कार्यपर अपना सारा प्रयत्न केन्द्रित कर सके तो तनिक भी कठिनाईके बिना और अत्यन्त प्रामाणिक तथा अहिंसात्मक उपायोंसे विदेशी कपड़ेका बहिष्कार किया जा सकता है।

आगामी बैठक

लेकिन सब-कुछ आगामी बैठकपर निर्भर है। यह केवल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी ही नहीं वरन् सभी प्रान्तीय कमेटियों और संघोंके प्रतिनिधियोंकी बैठक होगी। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रतिनिधि मौलाना मुहम्मद अलीके आमन्त्रण-को उदारतापूर्वक स्वीकार करेंगे। इस संयुक्त बैठकको न केवल स्वयं कांग्रेसकी भीतरी फूट मिटानेके प्रश्नपर वरन् अन्य प्रतिष्ठित नेताओंको कांग्रेसमें शामिल होनेके लिए प्रेरित करनेके प्रश्नपर भी निर्णय लेना होगा। बंगालके दमनका उत्तर देनेके लिए भी कोई कारगर नीति तय करनी है। अपने लक्ष्यतक पहुँचनेके तरीकेके बारेमें हमारे बीच जो भी मतभेद हों, पर सत्ताके निरंकुश प्रयोगका अन्त करनेकी वांछ-नीयताके बारेमें सभी एकमत हैं।

देशके लिए तबतक कोई स्वतन्त्रता हो ही नहीं सकती जबतक कि करोड़ों मनुष्योंके जीवन, उनकी सम्पत्ति और उनके सम्मानका दारोमदार किसी एक व्यक्तिकी मर्जीपर हो, फिर वह व्यक्ति चाहे कितने ही ऊँचे पदपर आसीन हो। यह कृत्रिम, अस्वाभाविक और असभ्य व्यवस्था है। इसका खात्मा स्वराज्यकी आवश्यक पूर्व-शर्त है।

हमारी बेबसी

बेबसी तो जाहिर ही है। लगता है, प्रस्ताव पास करनेके सिवाय और कुछ भी हमारे बसका नहीं रह गया है। किन्तु यदि हम सब मिलकर रचनात्मक कार्य-क्रममें जुट सकें तो यह अपने-आपमें आत्मविश्वास और कुछ करनेकी शक्तिको पुनः प्राप्त करनेकी दिशामें एक कदम होगा। यह बात सबको बिलकुल स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि यदि हिन्दू और मुसलमान फिरसे होश सँभाल लें, यदि हिन्दू अछूतों-को अपने भाई मानने लगें और यदि हम कताई और खद्दरको इतना लोकप्रिय बना दें कि वह लगभग विदेशी वस्त्रोंका स्थान लेनेके योग्य हो जाये तो हमें अपने लक्ष्यके प्रति लोगोंका ध्यान आकर्षित करनेके लिए और कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि फिर न तो हमें हिंसाको प्रोत्साहन देनेके लिए गुप्त समितियोंकी आवश्यकता पड़ेगी, न खुली अहिंसात्मक अवज्ञाकी।

Gandhi Heritage Portal

ऐसी वांछनीय परिणति तभी सम्भव हो सकेगी जब हम एक और पूर्णतया कृतसंकल्प होकर रचनात्मक कार्यक्रमको सफल बनानेके लिए निरन्तर प्रयास करेंगे। इसलिए दमनके इस विस्फोटका या समूचे राष्ट्रकी इतनी पुरानी और बेबस गुलामीके कारगर इलाजका मेरा अपना यही तरीका है।

अन्य बातें?

श्री एन्ड्रयूजने मेरे उपवासके दिनोंमें भी मेरा ध्यान 'मॉडर्न रिव्यू'में प्रकाशित एक टिप्पणीकी ओर आकर्षित किया था, जिसमें मादक पेय और औषधियोंके परित्यागको आन्दोलनके रचनात्मक कार्यक्रममें शामिल न किये जानेपर आश्चर्य प्रकट किया गया था। अन्य मित्रोंने और भी बहुत पहले इस कार्यक्रममें राष्ट्रीय पाठशालाओंका उल्लेख न होनेकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया था। मैं इन मित्रोंको बता दूं कि यह रचनात्मक कार्यक्रम समझौतेका एक अंग है और इसमें वही चीजें शामिल की गई हैं जिनके बिना स्वराज्य मुझे असम्भव-सा लगता है। सरकारकी सहायता न पानेवाली और सरकारसे असम्बद्ध पाठशालाएँ हैं और उन्हें बनाये रखना चाहिए। वे कार्यक्रमको पूरा करनेमें हमारी सहायता करती हैं। मादक पेय और औषध-सम्बन्धी सुधार बिना किसी शोर-गुलके निश्चित रूपसे आगे बढ़ रहा है। उसे छोड़ा नहीं जा सकता। अब उसके बारेमें कोई धूम-धाम नहीं दिखाई देती, क्योंकि हमने इस कारण धरना देना छोड़ दिया है कि उससे हिंसा भड़कती थी। इसी तरह हम गैरसरकारी पंचनिर्णयको प्रोत्साहित करनेके विचारका भी त्याग नहीं करेंगे। बात सिर्फ यह है कि स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए इनमें से कोई भी चीज उतनी नितान्त आवश्यक नहीं है, जितनी कि समझौतेमें शामिल की गई वे तीन चीजें हैं और फिर समझौतेमें शामिल इन बातोंके बारेमें राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओंमें कोई मतभेद भी नहीं है, जैसा कि इन तीन बातोंके बारेमें है। यहाँ मैंने राष्ट्रीय पाठशालाओं और गैरसरकारी पंचनिर्णयके साथ-ही-साथ मादक पेय तथा औषध-सम्बन्धी सुधारका उल्लेख किया है। इससे यह मतलब न समझा जाये कि मैं इन तीनोंको समान महत्त्वका मानता हूँ। मादक पेय तथा औषध-सम्बन्धी सुधारकी समस्या सर्वाधिक राष्ट्रीय महत्त्वकी समस्या है। यदि किन्हीं भी प्रामाणिक उपायोंसे हम आज ही मदिरापान और अफीमके व्यसनसे पूर्ण रूपसे मुक्त हो सकते तो मैं उन्हें फौरन अपना लेता और उनके प्रयोगकी सलाह दे देता। किन्तु हमारे पास ऐसा कोई अक्सीर इलाज है ही नहीं। देशके प्रशासनमें जबतक हमारी राय कुछ निर्णयात्मक महत्त्व न रखने लगे, तबतक इस बुराईको निर्मूल करनेके लिए धरना देनेके सिवाय और कुछ करनेमें हम असमर्थ हैं। प्रसन्नताकी बात यह है कि यद्यपि यह दोष बुरा है, पर राष्ट्रीय दोष नहीं बन पाया है। यह दोष एक छोटे जन-समुदायतक ही सीमित है, यद्यपि दुर्भाग्यवश उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। अतः यदि हमारे हाथमें सत्ता हो तो मैं जानता हूँ मदिरा अथवा अफीमके निषेधका कोई विरोध नहीं हो। यह तो हमारी सरकार ही है जो मद्य और मादक वस्तुओंके अभिशापसे राष्ट्रको मुक्ति दिलानेके मार्गमें रोड़ा बन रही है। बात यह नहीं है कि हम कानून बनाकर पियक्कड़ोंको

Gandhi Heritage Portal

संयमी बना देंगे। किन्तु तब हम मद्य और मादक वस्तुओंका सेवन करनेवालोंको दण्डित तो कर सकेंगे और शराब और अफीमकी सभी दुकानों तथा अड्डोंको बन्द करके मादक वस्तुओंके सेवनको यथासम्भव कठिन तो बना सकेंगे और यह सब करना भी चाहिए।

क्या यह जोर-जबरदस्ती है?

कांग्रेसके प्रत्येक सदस्यके लिए हाथ-कताई अनिवार्य बनानेके विरुद्ध श्री स्टोक्सका प्रबल प्रतिवाद पाठकोंने पढ़ा होगा। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति-स्वातन्त्र्यकी रक्षाके लिए उनके मनमें इतना उत्साह है कि वे किसी चीजके स्वेच्छासे स्वीकार किये जाने और जोर-जबरदस्तीके बलपर उसके थोपे जानेके बीच कोई अन्तर नहीं देख पाते। जोर-जबरदस्तीका मतलब तो यह होता है कि विरोधकर्त्ताओंको जुर्माने या जेलके भयसे उसी बातको माननेपर विवश होना पड़े, जिसका वे विरोध करते हों। जिस निगमके वे सदस्य हैं, उसके बाहर रहकर भी वे उस बाध्यता अथवा दण्डसे बच नहीं सकते। किन्तु जब कोई व्यक्ति कांग्रेस-जैसी किसी संस्थामें, जिसमें शामिल होना-न-होना व्यक्तिकी अपनी मर्जीपर निर्भर करता है, प्रवेश करता है, तब वह स्वेच्छासे ही ऐसा करता है और स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे स्वीकार कर लेता है कि वह संस्थाके नियमोंका पालन करेगा। बहुमतकी इच्छाके आगे अल्पमतका झुकना सामान्यतः इन नियमोंमें शामिल रहता है। प्रत्येक सदस्यका प्रत्येक कार्य उसकी स्वेच्छापर निर्भर है, यह तो इसी बातसे स्पष्ट है कि जब भी बहुमत कोई ऐसा नियम पारित करे जो उसके अन्तःकरणके अनुकूल न हो तो वह संस्थासे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर सकता है। श्री स्टोक्सका तर्क समस्त निगमित या सामूहिक स्वशासनके विरुद्ध पड़ता है। प्रत्येक मताधिकारके साथ कुछ शर्तें जुड़ी रहती हैं और हर प्रकारके सशर्त मताधिकारका कुछ लोग विरोध तो करते ही हैं। तब क्या विरोधी बहुमत द्वारा पारित शर्तोंको बहुमत द्वारा जोर-जबरदस्तीके बलपर थोपा हुआ कह सकते हैं? स्पष्ट है कि नहीं, क्योंकि यदि वे वैसा कहें तो फिर कोई भी सामूहिक कार्यवाही हो ही नहीं सकती।

१९२० में जब कांग्रेसने नई नीति (क्रीड) स्वीकार की थी तब एक अल्पमत था, जिसने सिद्धान्तके नाते उसका विरोध किया था और इसलिए जब वह बहुमतसे पारित कर दी गई तो वह कांग्रेससे अलग हो गया था। पुरानी नीतिके अधीन तो और अधिक व्यक्ति कांग्रेसके बाहर रह जाते थे, क्योंकि वे अन्तःकरणसे उसका अनुमोदन नहीं कर पाते थे। मेरी राय यह है कि दोनों ही स्थितियोंमें बहुमतको नियम पारित करनेका अधिकार था। पहली स्थितिमें शर्तें लगाना समझदारीका काम था और दूसरी स्थितिमें उनका शिथिलीकरण नासमझीका काम था, यह तो अपनी-अपनी रायकी बात है। और इसलिए प्रस्तुत प्रस्ताव, कताईको कांग्रेसके मताधिकारकी एक शर्त बनानेकी दृष्टिसे एक ऐसी अविवेकपूर्ण नीति तो हो सकता है, जो मेरे सोचे हुए उद्देश्यको ही विफल बना दे, किन्तु मेरा कहना है कि इसमें कोई सहज बुराई नहीं है, सिद्धान्ततः भी इसमें कोई दोष नहीं है और इसे जोर-जबरदस्ती कहना तो अनजानेमें

Gandhi Heritage Portal

भाषाका दुरुपयोग करना है। इसकी खूबियोंके बारेमें मेरे मनमें कोई आशंका नहीं है। यदि हाथकी कताई देशको आत्मनिर्भर बनानेका एक कारगर उपाय है तो उसे मताधिकारका अंग बनाना ही चाहिए। राष्ट्रीय इच्छा और संकल्पको व्यक्त करनेका यह सबसे अच्छा तरीका है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १३-११-१९२४

२७३. टिप्पणियाँ

राष्ट्र ऋण

एक पत्र-लेखक लिखते हैं:

> **आपको शायद मालूम होगा कि १९२२ में गयामें कांग्रेसके खुले अधिवेशनमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा पेश किया गया एक प्रस्ताव, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार ३१-१२-१९२२ के बादसे राष्ट्रकी ओरसे जितने भी ऋण ले उनकी देयतासे इनकार किया जाय, पारित हुआ था। कहनेकी जरूरत नहीं कि हमारे देशके सार्वजनिक जीवनसे सम्बद्ध अनेक उत्तरदायी व्यक्ति उक्त प्रस्तावपर आपकी राय जाननेको उत्सुक हैं।**

मैं खुद स्वीकार करता हूँ कि मुझे उक्त प्रस्तावके बारेमें जानकारी नहीं है। किन्तु अब जब वह मेरे ध्यानमें लाया गया है, मुझे उसका अनुमोदन करनेमें कोई संकोच नहीं। उस प्रस्तावको पारित करनेके लिए मैं श्री राजगोपालाचारी और कांग्रेस, दोनोंको बधाई देता हूँ। आज हम शक्तिहीन हो सकते हैं और हैं भी, किन्तु संसारको जानना ही चाहिए कि भारतके धनकी बरबादी और फिजूलखर्चीके बारेमें हम क्या सोचते हैं। स्वर्गीय लॉर्ड सैलिसबरी इसे रक्त-स्रावकी प्रक्रिया कहा करते थे। मेरा तो खयाल है कि स्वराज्यकी योजना कोई भी हो, उसमें भारत सरकार अथवा इंडिया ऑफिस द्वारा किये गये वादोंकी निष्पक्ष जाँच और पिछली सरकारके वित्तीय सौदोंका नये सिरेसे समायोजन करनेका आग्रह भी शामिल रहेगा। अतः मैं इस प्रस्तावको आवश्यक और सम्माननीय मानता हूँ। आज उसका मजाक उड़ाया जा सकता है। किन्तु जब हमें हमारे अधिकार प्राप्त हो जायेंगे, तब हम ठीक समय पर अपना यह मत व्यक्त कर देनेके तथ्यका उल्लेख गर्वके साथ करेंगे। कारण, कांग्रेसकी सीमाओंके बारेमें मैंने जो-कुछ भी कहा है उसके बावजूद, इस बातसे कौन इनकार कर सकता है कि वह राष्ट्रका सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था है? यह हमारा काम है कि हम उसे इतनी अधिक प्रातिनिधिक बना दें कि उसकी ओर सब आकर्षित हों और उसकी बातोंकी कद्र की जाये।

Gandhi Heritage Portal

राष्ट्रीय क्षति

'यंग इंडिया' के अनेक पाठक श्रीयुत दलबहादुर गिरिको केवल नामसे ही जानते हैं। कुछने तो शायद उनका नाम भी नहीं सुना होगा। तथापि वे सबसे बहादुर राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओंमें से थे। अभी-अभी 'यंग इंडिया' के लिए लिखते समय मेरे पास कालिम्पोंगसे एक तार आया है, जिससे मुझे इस अपेक्षाकृत अज्ञात देशभक्तकी मृत्युका समाचार मिला है। मैं उनके कुटुम्बके प्रति अपनी समवेदना प्रकट करता हूँ। वे एक सुसंस्कृत गोरखा थे और दार्जिलिंग तथा आसपासके इलाकेमें गोरखा लोगोंमें अच्छा काम कर रहे थे। १९२१में हजारों लोगोंके साथ वे भी अपने असहयोग-सम्बन्धी कार्योंके लिए बन्दी बनाये गये थे। कारावासमें वे बुरी तरह बीमार पड़ गये थे। कुछ ही महीने पहले उन्हें रिहा किया गया था। मुझे मालूम हुआ है कि वे अपने पीछे बहुत बड़ा परिवार छोड़ गये हैं, जिसकी जीविकाके साधन नहीं हैं। बंगालके समाचारपत्रोंमें उनके लिए एक अपील प्रकाशित हुई थी। मैं आशा करता हूँ कि बंगालकी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी स्वर्गीय श्रीयुत दलबहादुर गिरिके परिवारके बारेमें सारी जानकारी प्राप्त करेगी और जो सहायता आवश्यक होगी, अवश्य देगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १३-११-१९२४

२७४. सम्मति : मॉडर्न स्कूलकी दर्शक-पुस्तिकामें

दिल्ली
१३ नवम्बर, १९२४

इन आर्वाचीन पाठशालाओंको देखकर मुझे बहोत आनंद हुआ। पाठशालाकी स्वच्छता प्रशंसनीय है। मुझे केवल एक संशय है। अर्वाचिनत्वकी बाढ़में यदि प्राचीनत्वका नाश हो जायगा तो भारतवर्षके इन युवकोंको और युवतीयोंको बड़ी हानि होगी। ईतनी सूचना करनेकी मैं धृष्टता करता हुं क्योंकि इस पाठशालाकी उत्पत्तिमें मैं हेतुकी पवित्रता देखता हुं और ईस संस्थाकी मैं उन्नति चाहता हुं।

मोहनदास गांधी

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

Gandhi Heritage Portal

२७५. पत्र : कर्नल मेलको

स्थायी पता :
साबरमती
१३ नवम्बर, १९२४

प्रिय कर्नल मेल,

श्री प्रागजी के० देसाई[1] आजकल हैदराबाद सेन्ट्रल जेलमें कैदी हैं। उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ, दक्षिण आफ्रिकामें भी वे मेरे साथ थे। उन्हें सूरतमें कुछ दिन पहले भारतीय दण्ड संहिताकी धारा १२४-क के अधीन सजा सुनाई गई थी।

मुझे बताया गया है कि :

(१) श्री देसाईका वजन कम हो गया है।

(२) उन्हें दूसरे कैदियोंसे अलग रखा गया है और इसलिए जो लोग उनकी निगरानी रखते हैं, उनके अलावा और किसी भी आदमीसे उनका कोई सम्पर्क नहीं है।

(३) उन्हें जो सब्जियाँ दी जाती हैं, उनमें आम तौरपर घास-पात मिली होती है और वे खाने लायक नहीं होती।

(४) उन्होंने सूत कातनेकी अनुमतिके लिए अर्जी दी है, लेकिन उन्हें तैयार सूतकी बटाईका ही काम दिया जाता है। अगर अधिकारी लोग उन्हें पूनियाँ देनेको तैयार न हों तो अनुमति मिलनेपर मैं पूनियाँ भेजनेकी व्यवस्था कर सकता हूँ।

उक्त सूचनाओंको अखबारमें प्रकाशित करनेके बजाय मैं आपके पास ही भेज रहा हूँ ताकि आप कृपया उनके बारेमें जरूरी जाँच-पड़ताल करें।

यहाँ मैं यह बता दूं कि श्री देसाई शाकाहारी हैं और जब वे जेलसे बाहर थे तब भी उनका शरीर कोई बहुत तन्दुरुस्त नहीं था। इसलिए मेरे विचारसे उन्हें हल्के लेकिन पौष्टिक आहारकी जरूरत है — जैसे दूध और डबलरोटी वगैरह।

आपका सच्चा,

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ११७२१) की फोटो-नकलसे।

१. सूरतसे प्रकाशित **नवयुग**के सम्पादक।

Gandhi Heritage Portal

२७६. पत्र : रोमाँ रोलाँको

१३ नवम्बर, १९२४

प्रिय मित्र,

आपका कृपा-पत्र मिला। कुमारी स्लेड[1] उसके कुछ समय बाद पहुँची। कैसी अमूल्य निधि आपने मुझे सौंपी है। मैं आपके इस अगाध विश्वासके योग्य बननेकी कोशिश करूँगा। मैं कुमारी स्लेडकी हर तरहसे सहायता करनेकी कोशिश करूँगा, ताकि वे पूर्व और पश्चिमके बीच एक लघु सेतु बन सकें। मैं स्वयं इतना अपूर्ण हूँ कि किसीको शिष्य बना ही नहीं सकता। मेरे (सत्यके) अन्वेषणमें वे मेरी सहयोगिनी होंगी और मैं चूंकि उम्रमें बड़ा हूँ, इसलिए आध्यात्मिक अनुभूतिमें किंचित् आगे हूँ, अतः आपके साथ-साथ मैं भी उनके अभिभावकका गौरव-पद प्राप्त करना चाहूँगा। कुमारी स्लेडमें अपने-आपको नये परिवेशके अनुकूल ढालनेकी अद्भुत क्षमता दिखाई देती है। हम लोग अबतक उनसे काफी घुल-मिल भी गये हैं। उनसे चन्द दिन पहले आश्रममें एक फ्रांसीसी बहन भी आई हैं। कुमारी स्लेडसे मैंने कह दिया है कि उनके बारेमें वे ही आपको लिख दें। शेष बातें आपको उन्हींसे मालूम हो जायेंगी।

अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ८८४९) से।
सौजन्य : आर० के० प्रभू

२७७. भाषण : रामजस कालेज, दिल्लीमें

१३ नवम्बर, १९२४

इसके बाद महात्माजीने बैठे हुए ही छात्रोंके सामने भाषण दिया। समयसे बहुत पहले ही आ जानेके लिए उन्होंने क्षमा माँगी और कहा कि मुझे बी अम्माँके अन्तिम संस्कारमें शामिल होना है इसलिए मैं जल्दी आ गया। मैं छात्रोंसे कहूँगा कि वे इस मामलेमें मेरे उदाहरणका अनुकरण न करें बल्कि समयका मूल्य समझनेकी आदत डालें। श्री गोखलेकी समयकी अद्भुत पाबन्दीका उल्लेख करते हुए गांधीजीने कहा कि भारतीयोंमें समयकी पाबन्दीका गुण नहीं है। इसकी आदत खास तौरसे डालनी चाहिए।

गांधीजीने राय साहब केदारनाथ द्वारा कालेजके लिए किये गये महान् त्यागका उल्लेख किया और कहा कि मुझे दुःख है कि कुछ समय पहले जब प्रिन्सिपल गिड-

१. मीराबहन।

Gandhi Heritage Portal

वानीने मुझे निमन्त्रित किया था उस समय मैं कालेजमें नहीं आ सका था। मुझे इस बातपर आश्चर्य था कि राय साहब केदारनाथने यह कालेज शहरसे दूर पहाड़ीपर क्यों बनवाया है। जब मुझे सुकुमार बाबूने रास्तेमें बताया कि कालेजके संस्थापकका आदर्श ब्रह्मचर्य है और वे छात्रोंको सिनेमा और थियेटरोंसे दूर रखना चाहते हैं तो मैं कायल हो गया। हिन्दू सभ्यतामें ब्रह्मचर्यका अभिन्न स्थान है जबकि पश्चिमी सभ्यतामें उसका अभाव है। यह कहा जा सकता है कि पश्चिमके लोग समृद्ध हुए हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ कि पश्चिमकी सभ्यता कितनी पुरानी है। मिस्र, बैबिलोन, यूनान और अन्य महान् सभ्यताएँ नष्ट हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता अब भी जीवित है। इसका कारण यह है कि भारतीय सभ्यतामें कोई ऐसी चीज है जो उनके पास नहीं थी। भारतीय सभ्यतामें निहित यह चीज उसकी ब्रह्मचर्यके आदर्शकी उपासना ही है।

इसके बाद गांधीजीने भागवतमें से जिह्वा-संयमके बारेमें एक श्लोक सुनाया और कहा कि जिह्वापर नियन्त्रणका अर्थ है भोजन और वाणीपर नियन्त्रण। छात्रोंका जिह्वापर विशेष रूपसे पूरा नियन्त्रण होना चाहिए।

तत्पश्चात् उन्होंने सत्संगके बारेमें बोलते हुए सलाह दी कि प्रत्येक छात्रको संसारकी अच्छीसे-अच्छी पुस्तक और अच्छेसे-अच्छे विचारोंका संग करना चाहिए और कहा कि जब मैं विद्यार्थी था उस समय मेरे एक सहपाठीने मुझे रेनॉल्डके उपन्यास पढ़नेकी राय दी थी। लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं पढ़ा। महात्माजीने कहा, "जो भी चीज बुरी है, उससे असहयोग करो।"

अपने भाषणके अन्तमें उन्होंने प्रार्थनाकी प्रभावकारिताके बारेमें बताया। उन्होंने कहा कि जब मैं जेलमें था तब मुझे प्रार्थनाकी प्रभावकारिता विशेष रूपसे अनुभव हुई। जब मनमें प्रार्थनापूर्ण विचार होते हैं उस समय संसारकी सब चीजें अच्छी और अनुकूल लगती हैं। जीवनमें प्रगति करनेके लिए प्रार्थना एक अनिवार्य चीज है। राम या खुदाका नाम लेनेसे बुरे विचार मनसे निश्चय ही दूर हो जाते हैं और नई शक्ति और उत्साह प्राप्त होता है।

उन्होंने कहा कि मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ और इस समय इससे ज्यादा बोलनेकी इच्छा नहीं है।

फूलोंकी वर्षा और 'वन्देमातरम्' तथा 'महात्मा गांधीकी जय'के नारोंके साथ महात्माजीने शामको लगभग ३.३० बजे कालेजसे प्रस्थान किया।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १५-११-१९२४

Gandhi Heritage Portal

२७८. पत्र : मगनलाल गांधीको

[१३ नवम्बर, १९२४ के पश्चात्][१]

चि० मगनलाल,

डा० मेहता और अवन्तिका बहनपर ब्रह्मचारीने जो दावा किया है, उसका क्या हुआ?

हमारे यहाँ क्या एक धुनकी [प्रतिदिन] आठ घंटे नहीं चल सकती? क्या उसमें हमारे अच्छी धुनाई करनेवाले, तुलसी मेहर, नवीन आदिका उपयोग नहीं हो सकता? हममें एक खास हदतक पूनियाँ तैयार करनेकी भी क्षमता होनी चाहिए। इस विषयपर तो बातचीत हुई ही नहीं।

दलबहादुर गिरिका देहान्त हो गया। वे अपनी विधवा और बच्चोंको बेसहारा छोड़ गये हैं। देहावसानसे पहले वे उन्हें यहाँ आ जानेको कह गये थे। मैंने कहला भेजा है कि विधवा बहन यहाँ आ सकती हैं। हमें उनका भरण-पोषण करना ही होगा। कल उनका तार आया है कि उन्हें आनेका किराया मिल जाये तो वे आनेको तैयार हैं। मैंने किरायेका पैसा दास बाबूसे ले लेनेके लिए तार किया है। मेरी गैरहाजिरीमें आईं तो उन्हें दिक्कत तो होगी, लेकिन आयें तो निभा लेना।

बापू

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१९५) से।
सौजन्य : राधाबहन चौधरी

२७९. सन्देश : 'वर्ल्ड टुमारो' को

दिल्ली
१४ नवम्बर, १९२४

'वर्ल्ड टुमारो'
३९६, ब्रॉडवे
न्यूयार्क
संयुक्त राज्य अमेरिका

अहिंसाके अपने अध्ययन और अनुभवसे मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि यह संसारकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह सत्यको साक्षात्कार करनेका सबसे अचूक उपाय है और इसी उपायसे उसे सबसे जल्दी प्राप्त भी किया जा सकता है, क्योंकि कोई

१. दलबहादुर गिरिका देहान्त, जिसका उल्लेख पत्रमें किया गया है, १३ नवम्बर, १९२४को हुआ था। देखिए "टिप्पणियाँ", १३-११-१९२४ का उपशीर्षक "राष्ट्रीय क्षति।"

Gandhi Heritage Portal

और उपाय है ही नहीं। अहिंसा अपना काम इतनी खामोशीसे करती रहती है कि उसके प्रभावका प्रायः पता ही नहीं चलता, लेकिन उसका काम निश्चतरूपसे जारी रहता है। हमारे चारों ओर निरन्तर चलनेवाली विनाश-लीलाके बीच प्रकृतिकी एक यही प्रक्रिया है जो रचनात्मक है। ऐसा मानना मैं अन्धविश्वास समझता हूँ कि वह मात्र व्यक्तिगत जीवनमें ही फलप्रद हो सकती है। निजी अथवा सार्वजनिक जीवनका ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जिसमें इस शक्तिका उपयोग किया जा सकता हो। किन्तु अपने अहंको पूर्णतः शून्य बनाये बिना ऐसी अहिंसाकी साधना असम्भव है।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

२८०. पत्र : आर० शर्माको

साबरमती
१४ नवम्बर, १९२४

प्रिय भाई,

मुझे निम्नलिखित बातोंके बारेमें, जिन दिनों असहयोग पूरे जोरपर था, उन दिनोंके और आजके आँकड़े चाहिए। ये आँकड़े यथासम्भव शीघ्र भेज दें तो कृपा हो।

खिताब छोड़नेवालोंकी संख्या।

सरकारी स्कूल और कालेज छोड़नेवाले लड़के-लड़कियोंकी संख्या।

वकालत छोड़नेवाले लोगोंकी संख्या।

प्रयोगमें लाये जा रहे चरखोंकी संख्या।

हाथ-कते सूतसे बने कपड़ेकी मात्रा।

हाथ-करघोंकी संख्या।

राष्ट्रीय स्कूलों तथा कालेजोंकी संख्या और उनमें पढ़नेवाले लड़के और लड़कियोंकी तादाद।

अस्पृश्योंके बीच किस प्रकारका और कितना काम किया गया।

नशाबन्दी (शराब और अफीम) के लिए किस प्रकारका और कितना काम किया गया, इसका विवरण।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ११७२३) की फोटो-नकलसे।

Gandhi Heritage Portal

२८१. पत्र : काका कालेलकरको

कार्तिक बदी ३ [१४ नवम्बर, १९२४][1]

भाईश्री काका,

शिक्षांकके लिए लेख[2] लिखनेके बाद बच्चोंकी शिक्षाके बारेमें मेरा मन और सक्रिय हो उठा है। हम आश्रमके बच्चोंके लिए यह प्रयोग क्यों न शुरू करें? यानी कि अगर उसमें बताया विचार आपके गले उतरा हो तो बच्चा घड़ेको घड़ेके रूपमें पहचानता तो है, लेकिन वह उसका चित्र नहीं खींचता। उसी तरह वह अक्षरको पढ़े तो लेकिन लिखे नहीं। कोई बात पढ़नेसे पहले वह उसे सुनता है और जैसा सुनता है वैसा ही उच्चारण करता है —बोलता है। लक्ष्मी, रसिक वगैरह बच्चोंको लिखना छुड़वाकर पहले चित्र बनाना ही क्यों न सिखाया जाये? काफी-कुछ उन्हें जबानी ही क्यों न सिखाया जाये? अभी तो वे हाथका उपयोग चित्र खींचनेमें ही करें। इसके लिए शिक्षकोंको चित्र बनानेके मूल तत्त्व जान लेने चाहिए। अब मैं गहरा जाने लगा हूँ, इसलिए यहीं रुक जाता हूँ। अभी तो इतनेपर ही विचार कीजिए। विशेष मिलनेपर।

बापूके आशीर्वाद

[गुजरातीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

२८२. पत्र : चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको

१४/१५ नवम्बर, १९२४

प्रिय राजगोपालाचारी,

स्वामीका तार आया है कि आपने समझौतेकी जो तीव्र आलोचना की है, उसे वह मेरे पास भेज रहा है। मेरी यही कामना है कि यह आपके व्यथित हृदयके लिए मरहमका काम करे। मुझे या तो लोगोंसे अपना रास्ता स्वीकार कराना है या फिर उन्हींका रास्ता स्वीकार कर लेना है। यदि मुझसे दोनोंमें से एक भी नहीं बना तो फिर मुझे सार्वजनिक जीवनसे अलग हो जाना है। बारडोलीमें मैंने अहिंसाके क्षेत्रमें एक दिशामें सबसे साहसपूर्ण प्रयोग किया था। यह समझौता दूसरी दिशामें सबसे

१. साधन-सूत्रके अनुसार।
२. देखिए "एक रास्ता", २०-१०-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

साहसपूर्ण प्रयोग है। बारडोलीके बारेमें मुझे पश्चात्ताप नहीं, क्योंकि मुझमें अपने कदम वापस लेनेका साहस था और यह जो कदम उठाया है, आशा है, उसके बारेमें पश्चात्ताप करनेका और भी कम कारण होगा। 'यंग इंडिया' में प्रकाशित मेरे लेखसे आपको शायद थोड़ी शान्ति मिले। बड़ा अच्छा होता, अगर आप बम्बई आते। लेकिन इसपर मैं जोर नहीं दूँगा।

'करेन्ट थॉट' में[1] 'हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह इन साउथ आफ्रिका' का वालजी गोविन्दजी देसाई कृत अनुवाद छपा है। कृपया उसे पढ़कर उसकी आलोचना वी० जी० देसाईको या मुझे भेज दें। वी० जी० देसाईका पता होगा: शाही बाग, अहमदाबाद। आशा है, आप मजेमें होंगे। खुश रहो, मस्त रहो; गमको पास मत फटकने दो।

आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य: नारायण देसाई

२८३. पत्र: जीवतराम बी० कृपलानीको

१५ नवम्बर, १९२४

प्रिय प्रोफेसर,

तुमने जो बमगोला फेंका, उसका रुख किशोरलालने मेरी ओर कर दिया है। मुझपर तो उन कारणोंका कोई असर नहीं हुआ, जिन कारणोंसे प्रेरित होकर भाई किशोरलाल और दूसरोंकी समझमें, सचमुच, तुमने वह बम फेंका था। किशोरलालने अब पत्रका वह हिस्सा वापस ले लिया है और क्षमा माँग ली है। यह अध्याय तो यहीं समाप्त होता है। जो भी हो, मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमको कभी गलत समझ ही नहीं सकता। बहुत-सी बातें हमारी इच्छाके विरुद्ध, अनजाने ही हमपर असर डालती हैं। इसलिए लिखित शब्दोंकी तहमें जाकर लिखनेवालेके मनको पढ़नेकी कोशिश करना हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए तुमने अपने इस्तीफे-के जो कारण बताये, उन्हें मैं अंशतः स्वीकार किये लेता हूँ और इसीलिए तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि इस्तीफा देनेसे पहले तुम्हें मुझको लिखना चाहिए था और बैंकरसे बातचीत कर लेनी चाहिए थी। बनारसके बारेमें तो मैं बिलकुल भूल ही गया था, क्योंकि मेरा खयाल था, वहाँकी सभी जिम्मेदारियोंसे बैंकरने मुझे मुक्त कर दिया है। तुम्हारा पत्र मैंने उन्हींको भेज दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलकर सारी परिस्थितिपर बातचीत कर लो। फिर इसका मतलब यही हुआ कि

१. एस० गणेशन द्वारा प्रकाशित एक मासिक पत्रिका।

Gandhi Heritage Portal

बनारसके सम्बन्धमें तुम जिस चिन्तासे परेशान हो, वह प्रशासनिक नहीं, बल्कि आर्थिक जिम्मेदारीकी चिन्ता है।

कीकी बहनसे कह दो कि मैं उसे बराबर याद करता हूँ। जल्दी ही उससे मिलनेकी उम्मीद रखता हूँ और आशा करता हूँ कि अगर उसे शरीरसे पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूत और अच्छा न पाऊँ तो कमसे-कम सदाकी भाँति प्रसन्न अवश्य देखूँगा।

तुम्हारा,
बापू

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

२८४. पत्र : स्वामीजीको

कार्तिक बदी ४ [१५ नवम्बर, १९२४]

स्वामीजी,

आपके प्रश्न मीले हैं।

१. तपबलका आर्थिक उपयोग करनेसे उसका नाश होता है।
२. यज्ञ बल पानेके लिये कीया जाता है। ऐसी स्थितिमें बाह्य रक्षाकी आवश्यकता रहती है।
३. रामके कार्योंके वर्णनमें मुझे ऐसा प्रतीत नहि हुआ कि उन्होंने शरीरबलसे विजय पाया।
४. कृष्णकी कथामें बहोतसी बातें केवल रूपक हैं [उनसे] कृष्णका आत्मबल दृष्टिगोचर होता है न [कि] शरीरबल।

आज भी हम देखते हैं कि पृथ्वीमें शरीरबलसे युक्तिबल बढ़ता है। युक्तिबल और शरीरबल आत्मबलके सामने तुच्छ सा मालुम होता है।

आपका,
मोहनदास गांधी

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

Gandhi Heritage Portal

२८५. पत्र : जवाहरलाल नेहरूको

१६ नवम्बर, १९२४

प्रिय जवाहरलाल,

तुम्हारे लिए ये चन्द शब्द इस मंगल-कामनाके साथ लिख रहा हूँ कि मातृभूमिकी सेवा और आत्म-साक्षात्कारके हेतु यह शुभ दिन[1] बार-बार आता रहे।

सम्भव हो तो पिताजीके साथ जरूर आना।

हृदयसे तुम्हारा,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स

२८६. वक्तव्य : कोहाटके प्रश्नपर[2]

दिल्ली
१६ नवम्बर, १९२४

श्री गांधीने रावलपिंडी जाने और कोहाटकी समस्याके समाधानके बारेमें निम्नलिखित वक्तव्य दिया है :

मैंने देखा है, अखबारोंमें मुझसे यह अनुरोध किया गया है कि मुझे रावलपिंडी जाकर कोहाटके शरणार्थियोंसे मिलना चाहिए? मेरे पास सीधे उनके यहाँसे भी इसी आशयके सन्देश आये हैं। मुझे बड़ा दुःख है कि इस समय मैं उनकी बात रखनेमें असमर्थ हूँ। मेरा स्वास्थ्य अभीतक ऐसा नहीं हो पाया है कि लगातार यात्राएँ कर सकूँ; और बंगालके दमनके सम्बन्धमें होनेवाले सम्मेलनमें शरीक होनेके लिए बम्बईकी यात्रा तो मैं किसी भी हालतमें स्थगित ही नहीं कर सकता। लेकिन बम्बईसे लौटकर मैं तुरन्त रावलपिंडी जानेकी उम्मीद करता हूँ। फिलहाल, मैं शरणार्थियोंको इतना भरोसा दिला देना चाहता हूँ कि उनका ध्यान मुझे बराबर रहा है। उपवासके बाद ज्यों ही मैं जरा चलने फिरने लायक हुआ, मैंने कोहाट जानेकी पूरी तैयारी की और उसके लिए इजाजत माँगी। अगर मुझे इजाजत मिल गई होती तो मैं अपना सबसे पहला फर्ज मानकर कुछ हिन्दू और मुसलमान मित्रोंके साथ

१. जवाहरलाल नेहरूका जन्म-दिन, १४ नवम्बर।

२. यह **यंग इंडिया**, २०-११-१९२४ में "टिप्पणियाँ", शीर्षकके अन्तर्गत "कोहाट रिफ्यूजीज़" उप-शीर्षकसे भी छपा था।

Gandhi Heritage Portal

वहाँ जा पहुँचता। तब मुझे लगता था कि मैं कुछ उपयोगी सेवा कर सकता हूँ और अपने मित्रोंके सहयोगसे हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच फिरसे मेल-जोल कायम करानेमें अपना तुच्छ योगदान कर सकता हूँ। लेकिन जब कोहाट जानेपर रोक लगा दी गई, तो मुझे लगा कि रावलपिंडी जानेसे कुछ नहीं बनेगा! मुझे मालूम था कि बहुत-से मित्र शरणार्थियोंकी सहायतामें लगे हुए हैं और पण्डित मालवीयजी उनका खास खयाल रख रहे हैं। जैसा ऊपर बताया है, शरणार्थियोंने मुझसे आनेका अनुरोध किया है और उनके इस अनुरोधका खयाल करके मैं रावलपिंडी जाऊँगा भी; लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ जाकर भी मैं उन्हें सांत्वना देनेके अलावा शायद और कोई सेवा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन, मैं शरणार्थियोंसे इस तथ्यकी ओर ध्यान देनेको कहूँगा कि कोहाटका सवाल सारे भारतका सवाल है। भारतके हिन्दू और मुसलमान, दोनोंकी ही इसके उचित, सम्मानपूर्ण और सही समाधानमें बड़ी दिलचस्पी है। इसलिए वे जो भी समाधान स्वीकार करें वह स्थानीय हितोंको देखते हुए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितोंको ध्यानमें रखकर स्वीकार करें। उनकी बुद्धिमानी इसीमें होगी कि कोई भी समझौता स्वीकार करनेसे पहले वे हिन्दू और मुसलमान नेताओंकी सहमति ले लें, मैं तो सरकारको यही सलाह देना चाहूँगा। यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने समझौतेकी उन शर्तोंको, जो कहते हैं, उनके सामने रखी गई थी, अस्वीकार कर दिया। सरकारने घोषणा की है कि वह एकताके पक्षमें है। वह जो-कुछ करे, उसमें अगर वह जनताको भी शरीक रखे और दोनों सम्प्रदायोंके लोगोंके सामने समझौतेकी जो भी शर्तें रखे, उनपर जनताकी भी स्वीकृति ले ले तो यह उसकी सदाशयताका ही परिचायक होगा।

[अंग्रेजीसे]

न्यू इंडिया, १७-११-१९२४

२८७. सन्देश : तमिलनाड परिषद्, तिरुवन्नामलईको[1]

[१७ नवम्बर, १९२४ से पूर्व]

आशा है, यह परिषद् स्वराज्यवादियों और अपनी निजी हैसियतसे मेरे बीच हुए समझौतेको समझेगी और उसकी खूबियाँ पहचानेगी। अहिंसाको ठीकसे समझ लेनेसे इस समझौतेकी कुंजी प्राप्त हो जायेगी। इस समझौतेका असहयोगपर कोई असर नहीं पड़ता। जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि परिषद्के परिणामस्वरूप खद्दरका उपयोग बढ़ेगा।

[अंग्रेजीसे]

अमृतबाजार पत्रिका, १९-११-१९२४

१. यह परिषद् १७ नवम्बरको तिरुवन्नामलईमें हुई थी। उसमें समझौतेका समर्थन किया गया था और खद्दर पहननेपर खास जोर दिया गया था।

Gandhi Heritage Portal

२८८. पत्र : सतीशचन्द्र मुखर्जीको

१७ नवम्बर, १९२४

प्रिय सतीश बाबू,

आपके तारका उत्तर दे दिया है। कृष्टोदासको क्या करना चाहिए, इसका सबसे अच्छा निर्णय तो आप ही कर सकते हैं। वचन देनेके बारेमें मेरे क्या विचार हैं, आप जानते हैं। कृष्टोदासने बिलकुल साफ कहा था कि वह १८ तारीख या उससे पहले लौट आयेगा। यदि उसका आना किसी भी तरह सम्भव था तो उसे अपना वादा पूरा करना चाहिए था। लेकिन, मैं स्वीकार करता हूँ कि जो वादा वह आपके जरिये या आपकी सहमतिसे न करे, वह वादा उसपर अन्तिम रूपसे बन्धनकारी नहीं हो सकता। गुरु और शिष्यके सम्बन्धोंके बारेमें मेरी मान्यता बहुत ऊँची है। इसलिए आपको जो तार भेजा, उसे भेजनेमें मुझे तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हुई। मैं जानता हूँ कि कृष्टोदासका कल्याण आँख मूँदकर आपकी आज्ञाका पालन करनेमें ही है। इसलिए मैं तो आप दोनोंके बीच पड़नेका साहस नहीं कर सकता। आप भेजेंगे तो वह आयेगा तो अवश्य ही; और रही मेरी बात, सो मैं तो चाहता ही हूँ कि वह आ जाये। मेरा प्रायः निश्चित मत है कि उसकी वर्तमान मनःस्थितिका कारण जरूरतसे ज्यादा संवेदनशीलता ही है।

मैं २० तारीखको बम्बई पहुँच रहा हूँ, शायद २३ तक वहाँ रहूँगा, महीनेके अन्ततक साबरमतीमें रहूँगा और ३ या ४ दिसम्बरको रावलपिंडी पहुँचूँगा।

आपके भेजे तेलका इस्तेमाल मैं रोज करता हूँ और उसके साथ ही आपको याद करता हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ५६०६) की फोटो-नकलसे।

Gandhi Heritage Portal

२८९. पत्र : लाजपतरायको

१७ नवम्बर, १९२४

प्रिय लालाजी,

आपका पत्र मिला और भरूचा तथा लाला अमीरचन्दकी मार्फत भेजे सन्देश भी। मैं आपकी मांग पूरी नहीं कर रहा हूँ; आशा है, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। अपनी असमर्थताके कारण मैंने अब सार्वजनिक रूपसे बता दिये हैं। कुछ ऐसे क्षण जरूर होते हैं, जब स्वास्थ्यको खतरेमें डालना, बल्कि उसकी बलि चढ़ा देना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन, मुझे नहीं लगा कि यह वैसा ही क्षण है। मैं अच्छी तरह खाता-पीता हूँ, अच्छी नींद सोता भी हूँ; कुछ दूर घूम भी लेता हूँ, बंगालकी यात्रा कर सकता हूँ और बम्बईकी यात्रा तो कर ही रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि रावलपिंडीकी यात्रासे मैं मर नहीं जाता और फिर सिपाहीके लिए तो रण-क्षेत्रकी मृत्यु सदा स्वागत करने लायक होती है। लेकिन, क्या उससे कुछ लाभ होता? मैं अपनी मर्यादा जानता हूँ। मेरा तरीका तो रोगी अंगको शल्य-चिकित्सा द्वारा निकाल देनेका है, दवा-दारूके जरिए रोगके शमन करनेका नहीं। पर शरणार्थी लोग इस समय ऐसे ऑपरेशनके लिए तैयार नहीं होंगे; मुझे तो यही आशंका है; और यदि वे तैयार भी हों तो फिर चन्द दिनोंमें कुछ बनने-बिगड़नेवाला नहीं। ये थोड़े-से दिन तो शायद उन्हें ऐसी चिकित्साके लिए राजी करनेमें ही लग जायेंगे। फिलहाल तो इतना ही काफी होगा कि उनकी देख-भाल की जाये, उन्हें चिन्तन और शोधनके लिए थोड़ा अवसर दिया जाये, और थोड़ी पुष्टिकारक दवा दी जाये। रावलपिंडीके बारेमें इतना ही[1] . . .।

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।
सौजन्य : नारायण देसाई

२९०. पत्र : अमीरचन्द सी० बम्बवालको

[१८ नवम्बर, १९२४ से पूर्व][2]

प्रिय मित्र,

हालाँकि मेरा खयाल है कि हम लोगोंकी भेंट नहीं हुई है, फिर भी पण्डित मालवीयजीके जरिये मैं आपको जानता हूँ। वे आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे और मुझको बता रहे थे कि आप कितने बहादुर, ईमानदार और आत्मत्यागी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि शरणार्थियोंकी सेवा करनेमें आपने अपने स्वास्थ्यकी तनिक भी

१. साधन-सूत्रमें पत्रका शेषांश नहीं दिया गया है।
२. यह तिथि गांधीजीके बम्बई रवाना होनेकी तिथिके आधारपर ली गई है।

Gandhi Heritage Portal

परवाह नहीं की। लेकिन इस पत्रका उद्देश्य आपको और आपकी मार्फत शरणार्थियों-को यह बताना है कि अभी जो मैं रावलपिंडी नहीं आ सकता, इसके लिए मुझे कितना दुःख है। मैं तो कोहाट जाना चाहता था, लेकिन फिलहाल तो यह योजना विफल ही हो गई और इसलिए मुझे रावलपिंडी जानेकी जल्दी नहीं रही। मुझे मालूम था कि पण्डितजी आपके निकट सम्पर्कमें हैं और साथ ही मैं यह भी जानता था कि जबतक मैं ठीक किस्मके लोगोंको साथ लेकर कोहाट न जाऊँ तबतक समझौता करानेमें किसी प्रकार सहायक नहीं हो सकता। लेकिन देखता हूँ, रावलपिंडीमें भी मेरी उपस्थिति आवश्यक समझी जाती है, पर मेरा वहाँ जाना सम्भव नहीं हो पाया। मैं अवसर मिलते ही आ जाऊँगा और दिसम्बरके पहले हफ्तेतक तो अवश्य ही आ जाऊँगा। अभी बम्बई जानेमें मैं देर नहीं कर सकता। इस बीच मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि इस परिस्थितिके विषयमें मेरे क्या विचार हैं। जाहिर है कि मेरा यह विचार इतनी दूरसे परिस्थितिको जैसा मैं समझ पाया हूँ, उसीपर आधारित है। कोहाटकी समस्याको अखिल भारतीय समस्या मानकर चलना चाहिए। कारण, शरणार्थियोंका क्या होता है, इस बातमें भारतके सभी लोगोंकी दिलचस्पी है। इसलिए शरणार्थियोंको चाहिए कि वे सरकारको सूचित कर दें कि उन्हें हिन्दू और मुसलमान नेताओंसे जो सलाह मिलेगी, उसीके मुताबिक वे अपना रास्ता चुनेंगे और इसलिए सरकारको उन्हें आमन्त्रित करना और उन्हींके जरिये मामलेका निपटारा करवाना चाहिए। आशा है, शरणार्थी लोग गिरफ्तारी आदिकी धमकियोंसे डर नहीं जायेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल या परसों पण्डितजी और लालाजी आपके बीच होंगे। आप चाहें तो यह पत्र उनके सामने रख दें और अगर वे मेरे विचारसे सहमत न हों तो आप सब लोग इसपर कोई ध्यान न दें। अगर पण्डितजी और लालाजी सहमत न हों तो मेरे विचार शरणार्थियोंके सामने रखनेकी भी कोई जरूरत नहीं।

हृदयसे आपका,

[अंग्रेजीसे]

महादेव देसाईकी हस्तलिखित डायरीसे।

सौजन्य : नारायण देसाई

Gandhi Heritage Portal

२९१. पत्र : कनिकाके राजाको

स्थायी पता : साबरमती,
१८ नवम्बर, १९२४

प्रिय राजा साहब,

आपके २५ अक्तूबर, १९२४ के पत्रके[1] लिए और आपकी शुभकामनाओंके लिए धन्यवाद। मेरे पास जो कागजात हैं उनके आधारपर मेरे सचिवने जो टिप्पणी तैयार की थी उसका उत्तर मैंने पढ़ लिया है। इस समस्यासे निपटनेका सबसे सन्तोषजनक तरीका यही है कि मैं या मेरी तरफसे कोई आदमी राज्यमें जाकर निजी तौरपर तहकीकात करे, ताकि मैं उस विषयपर अधिकारपूर्ण कुछ कह या लिख सकूँ। मैं इसी आशयका पत्र लिखनेवाला था कि तभी मुझे श्री एन्ड्रयूजसे यह चीज मिली। आप शायद जानते होंगे कि उपवासके समयसे ही वे 'यंग इंडिया' के सम्पादनमें मेरी सहायता कर रहे हैं। कतरनको प्रकाशनार्थ भेजा गया था लेकिन श्री एन्ड्रयूज मुझे दिखाये बगैर उसे छापनेको तैयार नहीं थे। उसे पढ़नेपर मैंने तय किया कि छापनेसे पहले उसको आपके पास भेज दूँ। इसी बीच मैंने देखा कि अन्य अखबारोंने उस खबरको पहले ही छाप दिया है। यदि आप अन्यथा न मानें तो मैं श्री एन्ड्रयूजको आपके पास भेजना चाहूँगा ताकि वे सब चीजें अपनी आँखोंसे देख सकें। वे कहते हैं कि आपको वे भली-भाँति जानते हैं और उन्होंने कृपापूर्वक जाना भी स्वीकार कर लिया है। यदि श्री एन्ड्रयूज वहाँ जाते हैं तो वे स्थितिको सँभालकर यदि कोई बुराई है तो उसे दूर करनेमें आपकी सहायता कर सकेंगे और तब जो लोग मुझसे रैयतपर अत्याचार होनेकी बराबर शिकायतें कर रहे हैं, उन्हें मैं सन्तुष्ट कर सकूँगा। श्री एन्ड्रयूजको भेजनेके मेरे प्रस्तावके बारेमें कृपया आप अपना जवाब तार द्वारा साबरमती भेजें।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ११७३३) की फोटो-नकलसे।

१. एस० एन० १५९३२।

Gandhi Heritage Portal

२९२. टिप्पणियाँ

बी-अम्माँ

यह मानना मुश्किल है कि बी-अम्माँका देहान्त हो गया है। बी-अम्माँकी उस राजसी मूर्तिको या सार्वजनिक सभाओंमें उनकी बुलन्द आवाजको कौन नहीं जानता? बुढ़ापा होते हुए भी उनमें जवानों-जैसी ताकत थी। खिलाफत और स्वराज्यके लिए उन्होंने अथक यात्राएँ कीं। इस्लामकी कट्टर अनुयायी होते हुए भी उन्होंने देख लिया था कि इस्लामका कार्य, जहाँतक मनुष्यके बसकी बात है, भारतकी आजादीपर निर्भर है। इतने ही विश्वासके साथ उन्होंने यह भी महसूस कर लिया था कि हिन्दुस्तानकी आजादी बिना हिन्दू-मुस्लिम एकता और खादीके असम्भव है। इसलिए वे अविराम एकताका प्रचार करती रहीं। यह उनके लिए एक अटल सिद्धान्त हो गया था। उन्होंने अपने तमाम विदेशी और मिलके कपड़ोंका परित्याग कर दिया था और खादीका ही उपयोग करती थीं। मौलाना मुहम्मद अली मुझे बताते हैं कि बी-अम्माँने उन्हें यह हुक्म दे रखा था कि उनके जनाजेपर सिवा खादीके और कुछ न होना चाहिए। उनकी बीमारीके दिनोंमें जब कभी मुझे उनके नजदीक जानेका सौभाग्य प्राप्त होता तब वे हमेशा स्वराज्य और एकताकी बातें पूछतीं। उसके बाद ही प्रायः वे खुदासे दुआ करतीं 'या खुदा, हिन्दुओं और मुसलमानोंको ऐसी अक्ल बख्श कि जिससे ये एकताकी जरूरतको समझें और रहम करके स्वराज्य देखनेके लिए मुझे जिन्दा रहने दे।' इस बहादुर और शरीफ आत्माकी यादगार कायम रखनेका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उस अनुष्ठानके प्रति उनके उत्साह और उमंगका अनुकरण करें जो हम सबका अनुष्ठान है। हिन्दू-धर्म भी एकता और स्वराज्यके बिना उतना ही खतरेमें है जितना कि इस्लाम। परमात्मा हिन्दुओं और मुसलमानोंको बी-अम्माँ-जैसी सहज बुद्धि दे, ताकि वे इस बुनियादी बातकी कद्र कर सकें। परमात्मा उनकी आत्माको शान्ति दे और अली-भाइयोंको शक्ति दे कि वे उनके सौंपे कार्यको जारी रखें।

बी-अम्माँकी मृत्युकी रातके उस प्रभावोत्पादक और गम्भीर दृश्यका वर्णन किये बिना मैं नहीं रह सकता। उस समय मुझे उनके पास ही रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह सुनते ही कि अब वे अपने जीवनकी अन्तिम साँसें ले रही हैं, मैं और सरोजिनी देवी वहाँ दौड़े गये। उनके परिवारके कितने ही लोग आसपास जमा थे। परिवारके मित्र और चिकित्सक डा० अन्सारी भी मौजूद थे। वहाँ रोने-सुबकनेकी आवाज सुनाई नहीं देती थी, अलबत्ता मौलाना मुहम्मद अलीके गालोंपर आँसू टपक रहे थे। बड़े भाईने बड़ी कठिनाईसे अपने-आपको रोक रखा था, हालाँकि उनके चेहरेपर एक असाधारण गम्भीरता छाई हुई थी। सब लोग अल्लाहका नाम ले रहे थे। एक सज्जन अन्त समयकी प्रार्थना कर रहे थे। कॉमरेड प्रेस बी-अम्माँके

Gandhi Heritage Portal

कमरेसे इतना नजदीक है कि आवाज सुनाई पड़ सकती है; परन्तु एक मिनटके लिए वहाँके काममें व्यवधान न पड़ा और न मौलानाने ही अपने सम्पादकीय कर्त्तव्योंमें खलल आने दिया। सार्वजनिक कर्त्तव्य तो कोई भी मुल्तवी नहीं किया गया। मौलाना शौकत अली तो ख्वाबमें भी यह माननेको तैयार नहीं थे कि मैं अपना रामजस कालेज जाना मुल्तवी करूँ और एक सच्चे सिपाहीकी तरह वे मुजफ्फरनगरके हिन्दुओंको दिये गये वादेके अनुसार नियत समयपर उनसे मिले, हालाँकि उन्हें बी-अम्माँकी मृत्युके लगभग तुरन्त बाद ही उनसे मिलने जाना पड़ा। यह सब जैसा कि होना चाहिए था, वैसा ही हुआ। जन्म और मरण दो भिन्न दशाएँ नहीं हैं, बल्कि एक ही दशाके दो भिन्न-भिन्न पहलू हैं। न मृत्युसे दुखी होनेकी जरूरत है, न जन्मसे खुशी मनानेकी।

स्वर्गीय पारसी रुस्तमजी

रुस्तमजी जीवनजी घोरखोदूकी मृत्युका दुःखद समाचार मुझे डर्बनसे भेजे गये उनके पुत्रके तारसे मिला है। मेरे लिए यह एक व्यक्तिगत क्षति है। वे एक महत्त्वपूर्ण मुवक्किल, प्रियमित्र और निष्ठावान कार्यकर्त्ता थे। वे जितने सच्चे भारतीय थे, उतने ही सच्चे पारसी भी थे और उतने ही खरे आदमी भी थे। वे एक चुस्त पारसी थे, लेकिन उनका पारसी-धर्म मानवताके समान ही व्यापक और उदार था। वे बिना किसी भेद-भावके सभीको मित्र बना लेते थे। उनका व्यवहार सरकारी अधिकारियोंके साथ मीठा होता था, लेकिन अवसर पड़नेपर वे दृढ़ रुख अपना सकते थे। उनका मौखिक वचन वैसा ही भरोसेके काबिल होता था जैसी कि उनकी हुण्डियाँ। वे शेरकी तरह बहादुर थे। वे आसानीसे कोई वचन नहीं देते थे, लेकिन एक बार दे देने पर वे उसे निभानेका पूरा प्रयत्न करते थे। एक बार अपनेको सत्याग्रही घोषित कर देनेके बाद, फिर वे आन्दोलनकी कठिनतम घड़ियोंमें भी एक क्षणके लिए विचलित नहीं हुए, उस समय भी नहीं जबकि ऐसा लगता था कि संघर्षका कभी अन्त ही नहीं आनेवाला है। जिस समय उन्होंने [सत्याग्रहकी] शपथ ली, उस समय वे जवानीकी उम्र पार कर चुके थे और व्यावसायिक व्यस्तताएँ भी उनकी कम नहीं थीं। लेकिन उन्होंने आपत्तियोंकी परवाह नहीं की। उन्होंने बिना किसी शिकायतके सब नुकसान सहे। उन्होंने लगभग अपनी सामर्थ्यसे ज्यादा दिया, लेकिन कभी बिना विचारे नहीं। वे निष्पक्ष और समान भावसे दान देते थे। उन्होंने मसजिदों, मदरसों और राष्ट्रीय स्कूलों, सभीको दान दिया। वे समस्त दक्षिण आफ्रिकामें पारसी रुस्तमजीके नामसे विख्यात थे और कितने ही नौजवान इन्हीं पारसी रुस्तमजीके ही कारण उन्नति कर सके थे। व्यक्तिगत तौरपर मैं उनका बहुत ऋणी हूँ। दक्षिण आफ्रिकामें मेरे बहुत-से मित्र हैं, लेकिन उनसे ज्यादा सौहार्द मैंने किसीमें नहीं देखा। जब क्रुद्ध भीड़ मेरे पीछे पड़ी थी, उस समय उन्होंने मुझे अपने यहाँ आश्रय दिया था। उनका घर मेरे और मेरे स्वजनोंके लिए शरणस्थल था। लोग आश्चर्य करते हैं कि मैं पारसियोंका इतना पक्ष क्यों लेता हूँ। मैं पक्षपात नहीं करता, लेकिन मैं ईश्वरका धन्यवाद करता हूँ कि मैं पारसियोंके सराहनीय गुणोंकी साक्षी दे सकता हूँ। जबतक मुझे पारसी रुस्तमजीकी याद रहेगी तबतक मेरे मनमें पारसियोंके लिए आदर मिश्रित

Gandhi Heritage Portal

सराहना रहेगी। अगर यहाँ हमारे सार्वजनिक जीवनमें कई रुस्तमजी होते तो हमें अपने वांछित लक्ष्यको प्राप्त करनेमें देर नहीं लगती। परमात्मा उनकी आत्माको शान्ति प्रदान करे और उनके दोनों पुत्रोंको बुद्धि और शक्ति दे कि वे अपने नेक पिताके चरण-चिह्नोंपर चल सकें।

अन्धविश्वासपूर्ण रिवाज

हालमें प्राप्त एक पत्रके कुछ अंश मैं नीचे दे रहा हूँ, जिन्हें पढ़कर पाठकोंको भी वैसा ही दुःख होगा जैसा मुझे हुआ है।

> **"मैं यहाँ वन्य-प्रान्तके बीचों-बीच बसे गाँवोंमें हूँ जहाँ कुल संख्यामें से ९० प्रतिशत गोंड रहते हैं। दौरा करते हुए मैं सिलागोटा नामक गाँवमें पहुँचा। यह गाँव मध्य प्रान्तके छत्तीसगढ़ खण्डमें खैरागढ़ राज्यकी डोंगरगढ़ तहसीलमें है। पिछले रविवारको यहाँ आसपासके गाँवसे लोग काफी बड़ी संख्यामें इकट्ठे हुए। इनमें से बहुत-से लोग शायद १५ मीलसे अधिक दूरसे आये थे। मैंने इस जमावका कारण पूछा और पता लगा कि पिछले दो वर्षोंसे ये लोग प्रत्येक रविवार गांधी-दिवसके रूपमें मनाते आ रहे हैं। उस दिन ये लोग कोई काम नहीं करते। ऐसा मानते हैं कि उपस्थित जन-समुदायमें से कुछ पुरुषों या स्त्रियोंमें आपकी आत्मा आती है और वे लोग दैवी-प्रेरणा प्राप्त लोग होते हैं। ये भविष्य बताते हैं और बाँझ स्त्रियोंको सन्तान होनेका आश्वासन देते हैं। मैं जानता हूँ कि इस खबरसे आपको तकलीफ पहुँचेगी। क्या आप इस प्रथाको रोकनेके लिए अपना कोई कार्यकर्त्ता नहीं भेज सकते? यदि आपकी पूजा करनेकी यह प्रथा अभी नहीं रोकी गई तो मैं समझता हूँ कि वह दिन दूर नहीं जब ये लोग सचमुच आपकी प्रतिमा मन्दिरमें रख देंगे और आपकी पूजा शुरू कर देंगे।"**

हमारे देशमें पहले ही काफी अन्धविश्वास है। अब गांधीकी पूजाके रूपमें इसमें और कुछ जोड़ा जाये, इसे रोकनेके लिए कुछ भी उठा नहीं रखना चाहिए। व्यक्तिगत रूपसे मुझे हर प्रकारकी अन्धभक्तिसे नफरत है। मैं व्यक्ति से अलग उसके गुणोंकी पूजामें विश्वास करता हूँ और ऐसा उन गुणोंको धारण करनेवालेकी मृत्युके बाद ही सम्भव है। काया कुछ नहीं है। यह तो नाशवान् है। गुण जीवित रहते हैं और वे किसी-न-किसी व्यक्तिमें प्रकट होते हैं। बेचारे गोंड मेरे बारेमें या मेरे कार्यके बारेमें कुछ नहीं जानते। मैं जानता हूँ कि मुझमें किसीको कुछ भी दे सकनेकी ताकत नहीं है। किसी व्यक्तिमें मेरी आत्माके आनेकी कल्पना ही मेरे लिए असह्य है। इस प्रथासे हानि ही पहुँच सकती है और इससे फरेबकी गुंजाइश होती है। मैं अपने सह-कार्य-कर्त्ताओंसे अनुरोध करता हूँ कि पत्र-लेखकने जिस पूजाका उल्लेख किया है उसे वे समाप्त करवायें। गोंड-जैसे सीधे-सरल लोगोंको अन्धविश्वासपूर्ण कार्य करनेमें प्रोत्साहन देना पाप है।

Gandhi Heritage Portal

आगामी पंजाब सम्मेलन

श्री भरूचाने जो खादी-विक्रेताके रूपमें अब तेजीसे विशेषज्ञता प्राप्त करते जा रहे हैं, खादीकी बिक्रीके लिए पंजाबका सफल दौरा करनेके बाद मुझसे शिकायत की है कि अगले माहके आरम्भमें जो सम्मेलन होनेवाला है, उसकी हलचल और तैयारीके कारण खादीकी बिक्रीमें बाधा पड़नेकी सम्भावना है। मैं तो ऐसी आशा करता था कि इससे बिक्री बढ़ेगी। परिषदों-सम्मेलनोंकी तैयारियोंका मतलब खादीकी और अधिक माँग होना चाहिए। पंजाबमें तो विशेषरूपसे यही होना चाहिए। जब खादी देशके अन्य भागोंमें लगभग नष्ट हो गई थी, उस समय भी पंजाब खादीका उत्पादन और उपयोग कर रहा था और आज पंजाब जितनी खादीका उत्पादन करता है उसकी खपत करना भी उसके लिए कठिन हो रहा है। मैं यही आशा करता हूँ कि मुझे विदेशी या मिलके भी बने कपड़े पहने हुए स्त्री-पुरुषोंसे खचाखच भरे पण्डालका लज्जोत्पादक दृश्य नहीं देखना पड़ेगा। पंजाबको चाहिए कि वह श्री भरूचाकी आशंकाको अनुचित सिद्ध कर दे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-११-१९२४

२९३. कसौटीपर

मेरे और स्वराज्यवादियोंके बीच जो समझौता हुआ है, उसपर अपरिवर्तनवादी लोगोंको बड़ा गहरा असन्तोष है। यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। मैंने बार-बार यह स्वीकार किया है कि मैं तो अहिंसा-शास्त्रका एक तुच्छ अन्वेषक मात्र हूँ। उसकी निगूढ़ गहराइयाँ कभी-कभी मुझे भी उतना ही स्तम्भित कर देती हैं, जितना स्तम्भित मेरे साथी कार्यकर्त्ताओंको कर देती हैं। मैं देखता हूँ कि अभी तो यह समझौता सिवा मेरे और स्वराज्यवादियोंके, किसीको सन्तुष्ट करता नहीं जान पड़ता। बहुत-से अंग्रेज सज्जन मानते हैं कि मैंने बड़े लज्जास्पद ढंगसे स्वराज्यवादियोंके सामने समर्पण कर दिया है। बहुत-से अपरिवर्तनवादी इसे मित्रद्रोह नहीं तो एक भारी भूल अवश्य मानते हैं। एक मित्र लिखते हैं कि इससे विद्यार्थी-वर्ग तो बिलकुल किंकर्तव्य-विमूढ़ रह गया है। विद्यार्थी पूछते हैं कि यदि असहयोग आन्दोलन स्थगित कर दिया जाता है तो फिर वे राष्ट्रीय स्कूलोंमें क्यों रहें। असहयोगमें सबसे ज्यादा हानि उन्हींकी हुई है और इस समझौतेमें उनका खयाल बिलकुल भुला दिया गया है। आन्ध्रसे एक मित्रने मुझे पत्र भेजा है। यह ध्यान देने लायक है और ऐसा है जिसका युक्ति-संगत उत्तर देना जरूरी है।

समर्पण तो मैंने किया ही है, लेकिन यह विवेकपूर्ण समर्पण है और एक अंग्रेजी पत्रमें जो यह कहा गया है कि यह हिंसावादी दलके सामने समर्पण है, सो सही नहीं है। मैं नहीं मानता कि स्वराज्यदल हिंसावादियोंका दल है। मैं जानता हूँ कि ऐसे

Gandhi Heritage Portal

आरोप तो दादाभाई नौरोजी और न्यायमूर्ति रानडे तकपर लगाये गये थे। उनपर सन्देह किया गया और उनके पीछे खुफिया विभागके लोग तैनात कर दिये गये थे। लाला हरकिशनलालका सम्बन्ध किसी हिंसावादी दलसे उतना ही था जितना कि खुद सर मायकेल ओ'डायरका हो सकता था, फिर भी उस निरंकुश सरदारने उन्हें गिरफ्तार कराकर जेल भिजवा दिया। यदि स्वराज्य दलकी इस विपत्तिके समय मैं उनका साथ न देता तो मैं देशके प्रति अपने कर्त्तव्यसे च्युत होता। कोई इस बातको निर्भ्रान्ति रूपसे दिखा दे कि हिंसात्मक कार्रवाइयोंसे स्वराज्य दलका कुछ भी सम्बन्ध है, तो निश्चय ही जितनी कड़ी भाषाका प्रयोग करना मेरे लिए सम्भव है उतनी कड़ी भाषामें मैं उसकी भर्त्सना करनेको तैयार हूँ। ऐसा सबूत मिल जानेपर मैं उससे अपना सारा सम्बन्ध तोड़ लूँगा। लेकिन जबतक ऐसा नहीं होता, तबतक तो मुझे उनका साथ देना ही पड़ेगा, यद्यपि मैं कौंसिल-प्रवेशकी उपयोगितामें या कौंसिलमें संघर्ष चलानेके उनके कुछ ऐसे तरीकोंमें विश्वास नहीं रखता।

परन्तु स्वराज्य दलको कांग्रेसका एक अभिन्न अंग मान लेनेका मतलब यह नहीं है कि लोग व्यक्तिगत तौरपर भी असहयोग करना छोड़ दें। इसका मतलब सिर्फ इस बातकी स्वीकृति है कि स्वराज्य दल कांग्रेसका एक जबरदस्त और वर्धमान अंग है और यदि वह जोर-आजमाई किये बिना कांग्रेसमें गौण स्थान ग्रहण करनेको तैयार हो और यदि ऐसी जोर-आजमाईसे बचना आवश्यक अथवा समयोचित भी हो तो स्वराज्य दलको विधिपूर्वक निश्चित रूपसे मान्यता दिये बिना काम चल ही नहीं सकता। लेकिन हर कांग्रेस-जनके बारेमें सिर्फ इसीलिए कि वह कांग्रेसका सदस्य है, यह नहीं माना जाता कि वह कांग्रेसके कार्यक्रमकी तमाम मदोंको मानता है। मैं मानता हूँ कि मेरी अपनी स्थिति इससे कुछ भिन्न है। इस समझौतेके प्रणयनमें मेरा हाथ रहा है और मुझे इस बातका दुःख भी नहीं है। सही हो या गलत, लेकिन देश मुझसे कुछ मार्गदर्शनकी आशा रखता है और मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि स्वराज्यदलको अपरिवर्तनवादियोंकी ओरसे हर प्रकारकी विघ्न-बाधासे मुक्त रहकर अपने कार्यक्रमके अनुसार कार्य करनेका पूरा-पूरा अवसर देना देशके लिए हितकर ही होगा। यदि अपरिवर्तनवादी लोगोंको पसन्द नहीं हो तो उनके सामने स्वराज्यवादियोंकी गतिविधियोंमें शरीक होनेकी कोई मजबूरी नहीं है। उन्हें इस बातकी पूरी छूट है कि वे केवल रचनात्मक कार्यक्रमको ही कार्यान्वित करें; वे और स्वराज्यवादी दोनों इसीको पूरा करनेके लिए बाध्य भी हैं। वे व्यक्तिगत तौरपर असहयोग चलाते रहनेके लिए भी स्वतन्त्र हैं। लेकिन कांग्रेस द्वारा असहयोगके स्थगित किये जानेका मतलब यह अवश्य है कि असहयोगी कांग्रेससे कोई समर्थन या शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। उन्हें स्वयं अपने अन्दरसे शक्ति जुटानी पड़ेगी और यही उनकी कसौटी और परीक्षा है। यदि उनकी आस्था कायम रही तो यह उनके लिए भी अच्छी बात है और असहयोगके लिए भी। यदि असहयोग स्थगित कर देनेके साथ ही वह समाप्त हो जाता है तो सार्वजनिक जीवनमें एक शक्तिके रूपमें असहयोगका कोई स्थान नहीं रह जायेगा। पर एक मित्र कहते हैं कि जब खुद आप ही डाँवाडोल हो रहे हैं तब

Gandhi Heritage Portal

फिर औरोंके बारेमें क्या कहा जाये? मैं कभी भी डाँवाडोल नहीं हुआ हूँ। असहयोगमें मेरा विश्वास आज भी उतना ही ज्वलन्त है, जितना कि हमेशा रहा है। कारण, तीस सालसे भी अधिक समयसे यह मेरे जीवनका एक सिद्धान्त रहा है। परन्तु मैं अपना निजी सिद्धान्त औरोंपर नहीं लाद सकता, एक राष्ट्रीय संस्थापर तो हरगिज नहीं। तो मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि राष्ट्रको उसकी सुन्दरता और उपयोगिताका कायल करनेकी कोशिश करूँ। यदि मैं राष्ट्रके मनकी थाह लेते हुए यह देखूँ कि जहाँतक कांग्रेस उसके मनोभावको प्रकट करती है उसे तनिक सुस्ता लेनेकी जरूरत है तो मुझे रुकनेको कहना ही पड़ेगा। हो सकता है कि मैं कांग्रेसकी मनोदशाका अनुमान लगानेमें गलती कर बैठूँ। लेकिन जिस दिन ऐसा होगा, कांग्रेसमें मेरा कोई वजन ही नहीं रह जायेगा। ऐसा हो भी तो यह कोई बहुत-बड़े संकटकी बात नहीं होगी। लेकिन अगर राष्ट्र अन्य उपायोंसे प्रगति कर रहा हो और मैं अपनी हठधर्मिताके कारण उसके मार्गमें बाधा बनकर खड़ा हो जाऊँ तो यह अवश्य ही बहुत बड़े संकटकी बात होगी। हाँ, अगर ये उपाय निश्चित रूपसे दुर्वृत्तिपूर्ण और हानिकर हों तब तो मुझे विरोध करना ही पड़ेगा। उदाहरणके लिए जो वास्तवमें हिंसात्मक हों, ऐसे उपायोंके खिलाफ तो अकेला होनेपर भी मुझे उठना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने यह स्वीकार किया है कि अगर राष्ट्रकी इच्छा हो तो उसे वास्तविक हिंसाके जरिये भी स्वराज्य प्राप्त करनेका अधिकार है। लेकिन उस हालतमें मेरी जन्मभूमि होते हुए भी यह वह देश नहीं रह जायेगा, जिससे मुझे प्रेम होगा —— ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि मेरी माता सन्मार्ग छोड़ दे तो उसपर मैं गर्व नहीं करूँगा। लेकिन स्वराज्य दल तो एक व्यवस्थायुक्त प्रगति चाहनेवाला दल है। हो सकता है कि वह मेरी तरह अहिंसाकी कसमें न खाता हो, पर अहिंसाको वह एक कार्य-साधक नीतिके तौरपर अवश्य मानता है और हिंसाका विरोध करता है, क्योंकि वह उसे हानिकर न भी मानता हो तो भी अनुपयोगी अवश्य मानता है। कांग्रेसमें उसका एक प्रमुख स्थान है। न जाने, पर यह सम्भव हो सकता है कि यदि इसकी शक्तिकी परीक्षा की जाये तो उसमें इसकी स्थिति, शायद, सबसे प्रबल सिद्ध हो। मेरे लिए यह बिलकुल आसान है कि मैं कांग्रेससे हट जाऊँ और उस दलको कांग्रेसका कार्य-संचालन करने दूँ। लेकिन ऐसा तो मैं उसी हालतमें कर सकता हूँ और करूँगा जब कि मैं देख लूँगा कि मेरा और उसका किसी बातमें मेल नहीं बैठता। परन्तु जबतक मुझे उसके उद्धारकी जरा भी आशा है तबतक मैं उसका पल्ला उसी तरह पकड़े रहूँगा जिस तरह बालक अपनी माताकी गोदसे चिपका रहता है। मैं उससे अपना सम्बन्ध तोड़कर अथवा उसकी भर्त्सना करके या कांग्रेससे अलग होकर उसको कमजोर हरगिज नहीं बनाऊँगा।

मैंने "उद्धार" शब्दका प्रयोग बुरे भावसे नहीं किया है। मेरे पास भी शुद्धि और तबलीगकी अपनी विधि है। दुनियाने अबतक ऐसी उत्तम विधि नहीं देखी है। जिस जमीनपर मैं खड़ा हूँ, उसका और अपने बलका ज्ञान रखते हुए मैं अपनेआपको इस बातके लिए स्वराज्य दलके सुपुर्द करता हूँ कि वह मुझपर जितना चाहे

Gandhi Heritage Portal

उतना असर डाले। इससे मुझे उसकी तमाम खूबियोंका पूरा-पूरा ज्ञान हो जायेगा और मैं अपना यह इरादा भी छिपाना नहीं चाहता कि उसके प्रभावमें आकर मैं स्वयं उसीपर अपनी कार्य-विधिके पक्षमें प्रभाव डालनेकी आशा रखता हूँ। यदि इस प्रक्रियामें वही मेरी शुद्धि कर दे, मुझे अपने मतका बना ले, तो वाह वाह! फिर तो मैं बुलन्द आवाजमें अपने मतान्तरणकी घोषणा करूँगा। यह बुद्धिसे-बुद्धिको जगाकर, हृदयसे-हृदयका स्पर्श करके शुद्धीकरणका एक उदाहरण होगा। यह मतान्तरणकी अहिंसक विधि है और असहयोगियोंको चाहिए कि वे मेरे साथ शक्ति लगाकर देखें। साथ ही वे व्यक्तिगत रूपसे अपने आचार-विचारपर भी दृढ़ बने रहें। यदि उनका असहयोग प्रेमसे उद्‌भूत होगा तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वे स्वराज्यवादियोंको अपने मार्गपर अवश्य ले जायेंगे और यदि न भी ला पाये तो निजी तौरपर कुछ हानि तो होगी ही नहीं। यदि देश उनके साथ है और यदि स्वराज्यवादी लोग उनका अनुसरण नहीं करते तो उनका स्थान अपने-आप गौण हो जायेगा। और यदि उन्होंने बारह महीनेकी निर्धारित अवधिमें अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी तो वे कांग्रेसके निर्विवाद कर्त्ता-धर्त्ता बन जायेंगे और असहयोगियोंको अल्पसंख्यकोंके दर्जेसे ही सन्तोष मानना पड़ेगा। वे चाहें तो अल्पसंख्यकोंकी उस सम्भावित सूचीमें मेरा नाम अभीसे लिख लें।

विद्यार्थियोंके साथ भी समस्या वही है। असहयोग भले ही स्थगित कर दिया जाये, लेकिन राष्ट्रीय पाठशालाएँ बन्द नहीं की जायेंगी। वे तो अब एक निश्चित तथ्यके रूपमें वर्तमान हैं। वे असहयोगके अच्छेसे-अच्छे परिणामोंमें से हैं। इसलिए विद्यार्थियोंसे आशा की जाती है कि वे झण्डेको लहराये रखेंगे और देशको दिखा देंगे कि कांग्रेसके असहयोग कार्यक्रम रद कर देनेपर भी वे फूलती-फलती रहेंगी। दृढ़ताके साथ खड़े रहनेके लिए अनुकूल परिस्थितियोंकी आवश्यकता तो उसे होती है, जिसकी आस्था नकली हो। सच्ची आस्थावाला व्यक्ति तो वही है जो बुरीसे-बुरी परिस्थितियोंमें भी अपनी टेकपर डटा रहता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २०-११-१९२४

२९४. संदेश: 'बॉम्बे क्रॉनिकल'को

[२१ नवम्बर, १९२४ से पूर्व]

चरखेके बिना स्वराज्य सम्भव नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २१-११-१९२४

Gandhi Heritage Portal

२९५. भाषण: कांग्रेस कार्य समितिकी बैठकमें[1]

२१ नवम्बर, १९२४

कांग्रेस कार्य समितिकी बैठक २१ नवम्बरको सुबह साढ़े आठ बजे गांधीजीके निवासपर हुई। निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

मुहम्मद अली, मो० क० गांधी, शौकत अली, डा० अन्सारी, कोण्डा वेंकटप्पैया, गंगाधरराव देशपाण्डे, वल्लभभाई झ० पटेल और शंकरलाल बैंकर।

विषय-सूचीमें जो नेमी और प्रशासनिक ढंगके गैर-महत्वपूर्ण विषय थे, उन्हें निपटानेके बाद कांग्रेस कार्य समितिने विषय-सूचीके विषय २ और ३ पर विचार आरम्भ किया। ये विषय थे, (१) देशकी वर्तमान राजनीतिक स्थिति और (२) कांग्रेसके सम्मुख प्रस्तुत किया जानेवाला कार्यक्रम।

गांधीने सुझाव दिया कि इस प्रश्नपर चूंकि दो मत नहीं हैं इसलिए यह उचित ही होगा। सम्मेलनके सामने एक ऐसा प्रस्ताव पेश किया जाये जो सम्मेलनमें भाग लेनेवाली सभी पार्टियोंको स्वीकार्य हो। उन्होंने तर्क दिया कि यदि हमने अन्य सवाल उठाये, जैसे कि कांग्रेसका सिद्धान्त और सदस्यताके लिए कताईकी आवश्यकता तो ऐसे मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं जो सम्मेलन बुलानेके मुख्य उद्देश्यको ही हानि पहुँचायेंगे। अतः गांधीने सुझाव दिया कि कार्य समिति द्वारा तैयार किया गया कोई प्रस्ताव रखनेका जोखिमभरा कदम उठानेके बजाय हमें सम्मेलनसे ही कहना चाहिए कि वह एक सर्वदलीय समिति नियुक्त करे जो सरकारकी दमनकारी नीतियोंपर विचार करे। कार्य समितिने सर्वसम्मतिसे यह सुझाव मान लिया।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रैक्ट्स, १९२४

१. यह बैठक बम्बईमें हुई थी।

Gandhi Heritage Portal

२९६. भाषण: सर्वदलीय सम्मेलन, बम्बईमें

२१ नवम्बर, १९२४

बंगाल अधिनियमपर पहला प्रस्ताव पेश करनेके लिए कहे जानेपर श्री गांधीने तद्विषयक प्रस्ताव पेश करनेके बजाय यह प्रस्ताव रखा कि अन्तिम प्रस्ताव तैयार करनेके लिए एक प्रातिनिधिक समिति नियुक्त की जाये और उस प्रस्तावको सम्मेलनमें अगले दिन पेश किया जाये।

> यह निश्चय किया जाता है कि सम्मेलनमें भाग लेनेवाले दलोंके नेताओंकी एक छोटी समिति तत्काल नियुक्त की जाये जो बंगाल सरकार द्वारा भारत सरकारकी सहमति और स्वीकृतिसे अपनाये गये दमनकारी कार्योंके सम्बन्धमें सम्मेलनके सम्मुख प्रस्तुत करनेके लिए एक प्रस्तावका मसविदा तैयार करे। यह समिति [सम्मेलनके] अध्यक्षको रात्रिमें १० बजे या उससे पहले अपना मसविदा दे दे।[१]

श्री गांधीने कहा:

अध्यक्ष महोदय, बहनो और भाइयो,

मौलाना मुहम्मद अलीके निमन्त्रणपर हम सब यहाँ कुछ चीजोंपर विचार करनेके लिए एकत्र हुए हैं जिनमें से एक, और शायद सबसे अधिक तात्कालिक महत्त्वकी चीज यह है कि भारत सरकारकी सहमति और स्वीकृतिसे बंगाल सरकारने जो दमनकारी नीति अपनाई है उसके सम्बन्धमें यदि कोई कदम उठाना सम्भव है तो उसकी सलाह हम इस सम्मेलनको दें। मौलाना मुहम्मद अली और कांग्रेस कार्य समितिसे तथा साथ ही स्वराज्य दलसे जिनका सम्बन्ध है, उनकी यह इच्छा थी कि दमनकारी नीतिके बारेमें इस सम्मेलनमें उपस्थित सभी दलोंकी सहमतिसे एक प्रस्ताव रखा जाये और वह सर्वसम्मतिसे पास किया जाये।[२] जिनपर हममें मतभेद हैं

१. यह अनुच्छेद 'बॉम्बे क्रॉनिकल' के २२-११-१९२४ के अंकसे लिया गया है।

२. अगले दिन अन्तिम रूपसे जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया उसका पाठ निम्नलिखित है:

(क) भारतके सभी वर्गों और जातियोंका तथा सभी प्रकारके राजनीतिक विचारोंका प्रतिनिधित्व करनेवाले इस सम्मेलनका दृढ़ मत है कि आतंकवादी संगठन भारतके लोगोंको कभी स्वराज्य नहीं दिला सकते और यदि ऐसे संगठन हैं तो वह पूरे जोरसे उनकी निन्दा और भर्त्सना करता है, लेकिन साथ ही यह सम्मेलन गवर्नर जनरल द्वारा १९२४ का दण्ड-विधि संशोधन अध्यादेश लागू किया जाना अत्यन्त अनुचित मानता है और उसकी निन्दा करता है क्योंकि यह अध्यादेश एक असाधारण कदम है और वैयक्तिक स्वतन्त्रतापर सीधा हमला है, जिसका विधिकरण बिना विधानमण्डलकी स्वीकृतिके नहीं किया जाना चाहिए था और क्योंकि कार्यपालिका इसका सरलतासे जबरदस्त दुरुपयोग कर सकती है जिसके परिणामस्वरूप निर्दोष

Gandhi Heritage Portal

हम यहाँ उन मुद्दोंपर जोर देनेके लिए नहीं (हर्षध्वनि), बल्कि जिन मुद्दोंपर हम एक हो सकते हैं, उनकी तलाशके लिए इकट्ठे हुए हैं (हर्षध्वनि); और यह देखनेके लिए आये हैं कि जिन प्रश्नोंपर हममें सहमति है उनके सम्बन्धमें हम संयुक्त होकर एक साथ काम कर सकते हैं या नहीं। इनमें से एक मुद्देका सम्बन्ध बंगालके असाधारण अध्यादेश और १८१८ के विनियम ३ के अधीन की गई कार्रवाईसे है। जहाँतक मैं जानता हूँ, ज्यादातर लोगोंकी इच्छा किसी ऐसे निर्णयपर पहुँचनेकी है जिसपर इस हालमें उपस्थित सभी दलोंके प्रतिनिधियोंकी सहमति हो। दुर्भाग्यवश मैं इस सम्मेलनमें आनेवाले सभी दलोंके प्रधानोंसे परामर्श नहीं कर सका हूँ। मुझे श्रीमती बेसेंटसे मिलनेका सौभाग्य और सुख मिला; लेकिन इरादा होते हुए भी मैं माननीय वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीसे नहीं मिल सका।

इसके बाद श्री गांधीने पिछली रात श्री जिन्नाके साथ अपनी भेंटका जिक्र किया और कहा कि श्री जिन्नाने मुझे आश्वासन दिया है कि इस प्रश्नपर समझौता होनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रस्ताव अप्रत्याशित रूपसे सम्मेलनके सामने नहीं लाया गया है। श्री गांधीने कहा कि मैं प्रस्ताव करूँगा कि विभिन्न दलोंके प्रतिनिधियोंकी एक समिति बनाई जाये और यह समिति प्रस्ताव [के मसविदे] पर फौरन विचार करना शुरू कर दे और आज रातके १० बजेतक एक सर्वसम्मत निर्णयपर पहुँच जाये और उक्त प्रस्तावको कल सम्मेलनके सामने प्रस्तुत किया जाये।

[अंग्रेजीसे]

न्यू इंडिया, २२-११-१९२४

व्यक्ति फँसाये जा सकते हैं और वैधानिक राजनीतिक गतिविधियोंमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, जैसा कि ऐसे ही कानूनी कदमोंके बार-बारके अनुभवसे प्रत्यक्ष सिद्ध हो चुका है।

(ख) यह सम्मेलन आग्रह करता है कि इस अध्यादेशको तुरन्त वापस ले लिया जाये और उसके अधीन गिरफ्तार किये गये लोगोंपर यदि जरूरी हो तो साधारण कानूनके अनुसार मुकदमा चलाया जाये।

(ग) यह सम्मेलन यह भी आग्रह करता है कि १८१८ का विनियम ३ जो सरकारको अपराध करनेवाले व्यक्तियोंको बिना वारंट, बिना मुकदमा और बिना कारण बताये गिरफ्तार करने और कैद करनेका अधिकार देता है, फौरन वापस ले लिया जाये।

(घ) यह सम्मेलन अपना यह दृढ़ विश्वास प्रकट करता है कि भारतकी वर्तमान राजनीतिक स्थिति जनताको उसके चिर-अपेक्षित उचित अधिकारोंसे वंचित रखनेके कारण है और स्वराज्यकी यथाशीघ्र स्थापना ही इसका एक-मात्र इलाज है।

Gandhi Heritage Portal

२९७. भाषण : सर्वदलीय सम्मेलन, बम्बईमें

२१ नवम्बर, १९२४

श्री गांधीने बहसका जवाब देते हुए कहा कि श्री रामस्वामी मुदालियरके संशोधनमें[1] जो सवाल उठाया गया है वह एक बड़ा सवाल है और सभी दलोंकी एकताके बड़े सवालको लेनेसे पहले मैं छोटे सवालका निपटारा करना चाहूँगा। उन्होंने संशोधनकी टीका करते हुए उसे बेतुकी बात बताया। श्री गांधीने पूछा कि यदि इस सवालपर हममें सहमति नहीं हो सकी तो इसकी क्या आशा है कि हम एक ज्यादा बड़े सवालपर सहमत हो सकेंगे? उन्होंने श्रोताओंको विश्वास दिलाया कि समिति यदि उचित समझेगी तो या तो बंगाल अध्यादेशका समर्थन करेगी और या वह उसकी भर्त्सना करेगी। उन्होंने श्रोताओंको बंगालके प्रति और यहाँतक कि सरकारके प्रति भी जिसने सम्मेलनसे सहायताकी माँग की है, अपने कर्त्तव्यका स्मरण दिलाया।

[अंग्रेजीसे]

न्यू इंडिया २२-११-१९२४

२९८. भेंट : एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे

बम्बई

२१ नवम्बर, १९२४

श्री गांधीने एसोसिएटेड प्रेसके एक प्रतिनिधिको आज शाम बताया कि स्थानीय अखबारकी इस खबरमें कोई सचाई नहीं है कि उन्होंने लिबरल पार्टीवालोंसे कहा है कि वे कताई सदस्यता हटा लेने और "स्वराज्य" शब्दका अर्थ औपनिवेशिक स्वराज्य तक सीमित रखनेको तैयार हैं। श्री गांधीने श्री चिन्तामणि तथा अन्य नरमदलीय नेताओंसे वस्तुतः जो कहा था वह यह था कि यदि वे ऐसा चाहते हों तो उन्हें कांग्रेसमें शामिल हो जाना चाहिए और अपनी राय स्वीकार करवानेका प्रयत्न करना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

न्यू इंडिया, २२-११-१९२४

१. मत लिये जानेपर संशोधन भारी बहुमतसे गिर गया।

Gandhi Heritage Portal

२९९. भाषण : सर्वदलीय सम्मेलन, बम्बईमें

२२ नवम्बर, १९२४

सदनका मत जाननेके बाद सम्मेलनके अध्यक्षने सभी दलोंकी एकता विषयक प्रस्तावपर बहसकी अनुमति दे दी। श्री गांधीसे प्रस्ताव पेश करनेको कहा गया तो उन्होंने निम्नलिखित शब्दोंमें उसे पेश किया :

यह सम्मेलन एक समिति नियुक्त करता है जिसमें दीवान बहादुर टी० रंगाचारियर, दीवान बहादुर एस० रामचन्द्र राव, सर पुरुषोतमदास ठाकुरदास, माननीय वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री, सर तेजबहादुर सप्रू, श्री सी० वाई० चिन्तामणि, श्रीमती एनी बेसेंट, पण्डित मालवीय, श्री आर० पी० परांजपे, सर पी० एस० शिवस्वामी अय्यर, श्री चितरंजन दास, श्री मुहम्मद याकूब, श्री एम० एच० किदवई, श्री मुहम्मद अली, श्री मुहम्मद अली जिन्ना, श्री शिन्दे, श्री भूलाभाई देसाई, श्री टी० वी० पार्वती, श्रीमती सरोजिनी नायडू, हकीम अजमलखाँ, श्री अबुल कलाम आजाद, श्री जे० बी० पेटिट, श्री एस० श्रीनिवास आयंगार, बाबू भगवानदास, श्री न० चि० केलकर, श्री जोजेफ बैप्टिस्टा, सरदार मंगलसिंह, लाला लाजपत राय, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्री विपिन चन्द्र पाल, लाला हरकिशनलाल, यूरोपियन एसोसिएशनके अध्यक्ष, एंग्लो-इंडियन एसोसिएशनके अध्यक्ष, क्रिश्चियन एसोसिएशनके अध्यक्ष, अब्राह्मण संघके अध्यक्ष (और कुछ अन्य, जिनके नाम बादमें जोड़े गये) सदस्य होंगे। यह समिति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके साथ देशके अन्य राजनीतिक दलोंको फिरसे मिलाने और स्वराज्यकी एक योजना तैयार करनेका सर्वोत्तम रास्ता क्या हो — इसपर विचार करेगी। यह हिन्दू-मुस्लिम और उनके राजनीतिक पहलुओंकी हदतक — ऐसे ही दूसरे सवालोंके हल-पर विचार करेगी। यह समिति ३१ मार्च, १९२५ से पहले-पहले रिपोर्ट दे देगी, सम्मेलनकी बैठक ३० अप्रैलसे पहले-पहले ही बुलाई जायेगी और रिपोर्ट सम्मेलन आरम्भ होनेसे एक पखवाड़ा पहले प्रकाशित कर दी जायेगी।

श्री गांधीने कहा : वर्षों बाद सभी दल एक साथ मिले हैं। समय और महत्त्वकी दृष्टिसे यह प्रस्ताव सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और अत्यन्त जरूरी है। सरकार आज श्री चितरंजन दासका सर भी ले ले तो भी बंगालका काम रुकेगा नहीं और न भारतका। लेकिन यदि हमें राजनीतिक स्वाधीनता न मिली तो हमारा नाश हो जायेगा। प्रस्तावपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रश्नपर देशके सर्वोत्तम मस्तिष्क विचार करेंगे। मैं जन्मजात आशावादी हूँ। मुझे लगता है कि एकताके लिए नहीं बल्कि स्वराज्यके लिए हमें ठीक निर्णय लेना ही होगा। श्री गांधीने डा० किचलूका तार पढ़कर सुनाया जिसमें बिना सिद्धान्तोंकी बलि दिये एकताकी इच्छा प्रकट की थी। उन्होंने इसके बाद कहा मुझे इस रास्तेमें दुर्गम बाधाएँ दिखाई पड़ती हैं। मैं

Gandhi Heritage Portal

लोगोंको कताई सदस्यताके बारेमें राजी नहीं कर सका हूँ। मैं कुछ समय चाहता हूँ जिसमें या तो मैं दूसरोंको अपनी बात समझा सकूँ या दूसरे मुझसे अपनी बात मनवा लें। हम सबको एक व्यावहारिक और वास्तविक एकता स्थापित करनेके लिए मिलकर रास्ता ढूंढ़ना चाहिए। मैंने जिस समितिका प्रस्ताव किया है वह सोच-विचार करनेके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। हालाँकि एकताके लिए और ज्यादा इन्तजार करना कष्टदायी है लेकिन यह अपरिहार्य है। कोई नहीं कह सकता कि समिति किसी स्वीकार्य निर्णयपर पहुँच ही जायेगी। हमारे चारों ओर जो बादल छाये हुए हैं उनके बावजूद मैं आशा करता हूँ कि समिति इस अँधेरेको चीरकर एक व्यावहारिक कार्यक्रम बना सकेगी।

[अंग्रेजीसे]

न्यू इंडिया, २४-११-१९२४

३००. एकको सो देशकी

बंगालकी लाज सारे हिन्दुस्तानकी लाज है। एक हिन्दुस्तानीकी लाज सारे देशकी ही लाज है—–जिस दिन हम ऐसा समझने लगेंगे उस दिन स्वराज्य हमसे दूर न रह जायेगा। यह भावना फैली हुई तो खूब है, परन्तु अब भी उसका उतना प्रचार नहीं हुआ है, जितना कि होना चाहिए। यदि मेरा भाई संकटमें हो, यदि उसकी लाज बिना कारण जा रही हो तो मैं केवल सहानुभूतिका प्रस्ताव पास करके ही न बैठ जाऊँगा, बल्कि उसकी मददके लिए जा पहुँचूंगा। अभी हममें देशके प्रति ऐसी भावना जाग्रत नहीं हुई है। कश्मीरसे लेकर कन्याकुमारीतक, आसामसे लेकर सिन्धतक किसी भी हिन्दुस्तानीको दुःखमें पड़ा देखकर जब करोड़ोंके मनमें यह भावना उत्पन्न होगी कि हमारा सगा भाई दुःखमें है तब बंगाल-सरकारकी राजनीतिको निर्मूल करनेका उपाय हमें सहज ही मिल जायेगा।

आज हम अँधेरेमें भटक रहे हैं, क्योंकि हमारी भ्रातृ-भावना इतनी प्रज्वलित नहीं है। जब शुद्ध भावनाका उदय होगा तब उसका प्रकाश हमें अपना रास्ता सहज ही दिखा देगा। हम आज शिथिल हो रहे हैं। जब भ्रातृ-भावनाकी वाष्प हमारे हृदयसे भभककर निकलेगी तब हमारी गतिमें प्रबल वेग आ जायेगा; आज हम बिखरे हुए दिखाई देते हैं; हम आपसमें ही लड़ रहे हैं। जब हमारा मानस तीव्र भ्रातृ-भावना-रूपी सरेससे चिपकना शुरु हो जायेगा तब हम एक-दूसरेसे इस तरह गले मिलेंगे और चिपक जायेंगे कि हम अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे।

यदि हमारा भाई भूखों मरता हो और हमें मालूम हो कि चरखा चलानेसे उसे आजीविका मिल सकती है परन्तु वह आलस्यके कारण नहीं चलाता और यदि हम खुद कातकर उसे पदार्थपाठ पढ़ायें तो वह कातेगा, तो हम जरूर चरखा चलायेंगे। ऐसी हालत आज हिन्दुस्तानमें करोड़ों लोगोंकी है। फिर भी उन्हें पदार्थपाठ पढ़ानेके

Gandhi Heritage Portal

लिए आधा घंटा चरखा चलाना हमें भारी पड़ता है, क्योंकि हममें अभी एक-दूसरेके प्रति भ्रातृ-भावना नहीं है।

यदि हम सब लोग विदेशी कपड़ेका त्याग कर दें और चरखा चलाकर भारत की कपड़ेकी जरूरत पूरी कर दें तो इस देशमें इस सल्तनतका स्वार्थ बहुत हदतक समाप्त हो जाये। यह जानते हुए भी हममें से बहुत-से लोग कातनेसे इनकार करते हैं; क्योंकि हमारी भ्रातृ-भावना इतनी तीव्र नहीं हुई है। सच पूछिए तो बहुत-से शहरोंमें हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच भ्रातृ-भावना है ही नहीं। ऐसी हालतमें करोड़ों कण्ठोंसे यह घोष निकल ही नहीं सकता कि 'यह हमारा देश है'। और जबतक ऐसी स्थिति नहीं आती तबतक स्वराज्यकी आशा रखना बेकार है। जिस रास्तेसे स्वराज्य मिलेगा, उसी रास्तेसे बंगालमें चल रही राजनीति भी बन्द हो सकती है, यह बात हम सब समझ सकते हैं। अराजकतावादियोंकी अराजकता स्वराज्यके लिए है। वह निरर्थक ही सही। मगर अराजकताके रोगका कारण स्वराज्यका अभाव ही है। सरकारकी अराजकताका भी वही कारण है। सरकार अपनी सत्ता भरसक छोड़ना नहीं चाहती। यदि स्वराज्य हो तो ऐसी अराजकता नहीं हो। इसीसे मैं कहता हूँ कि यदि चरखा स्वराज्यका साधन है, यदि हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य स्वराज्यका साधन है तो सरकारकी दमन-नीति दूर करनेका साधन भी वही है।

यदि हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच भ्रातृ-भावना नहीं है तो अस्पृश्य हिन्दुओं और दूसरे हिन्दुओंके बीच भी यह भावना कहाँ है? भाई-भाईके बीच अस्पृश्यता हो ही नहीं सकती। एक भाई अच्छे-अच्छे पकवान खाये और दूसरा उसकी जूठन, यह नहीं हो सकता। फिर भी अस्पृश्यता दूर करनेमें कितनी कठिनाइयाँ पेश आती हैं, यह तो अस्पृश्यता-निवारणके काममें लगे हुए लोग ही जानते हैं।

जहाँ ऐसी स्पष्ट स्थिति मौजूद है, जहाँ रोग और उसके इलाजका ज्ञान है, वहाँ उस इलाजको काममें न लाना और अधीर होकर दूसरे इलाजकी खोजमें पड़ना, यह तो रोगीका नाश करनेके समान है।

कुछ लोग कहते हैं -- लोग तो धूम-धड़ाका चाहते हैं। धूम-धड़क्केसे कुछ काम भले ही बनता हो, परन्तु दुनियामें आजतक किसी भी देशने सिर्फ इसीके बलपर आजादी हासिल नहीं की है। हिन्दुस्तान तो कभी भी हासिल नहीं कर सकता। धूम-धड़क्केको छोड़कर अपने धंधेमें जुट जाना ही हमारा असली फर्ज है। जो लोग इस बातको जानते हैं, वे यदि औरोंका मुँह न देखते रहकर अपना-अपना फर्ज अदा करने लग जायें तो हम उस हदतक स्वराज्यके नजदीक पहुँच चुके, ऐसा माना जायेगा। इसीलिए, देशमें और लोग चाहे जो करते रहें, जो इस बातको जानते हैं वे यदि अपने कर्त्तव्यमें दृढ़ रहेंगे तो सारा देश उनके रास्ते चलेगा, इसमें मुझे जरा भी शक नहीं है। कारण, इस देशकी मुक्तिका कोई दूसरा उपाय नहीं है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २३-११-१९२४

Gandhi Heritage Portal

३०१. गुजरातका धर्म

मुझे उम्मीद है कि मैंने जो असहयोग मुल्तवी करनेकी सलाह कांग्रेसको दी है, गुजरात उसका यह अर्थ नहीं करेगा कि उसे भी असहयोग त्याग देना है। जिस प्रकार उसमें व्यक्तियोंको यह सलाह नहीं दी गई है कि वे असहयोग छोड़ दें उसी प्रकार प्रान्तोंको भी यह सलाह नहीं दी गई है।

यदि कांग्रेस असहयोगको मुल्तवी रखेगी तो उसका इतना ही मतलब है कि वह परिस्थितिपर विचार करके जनताको उतनी सुविधा दे देगी। लेकिन जहाँ असहयोगमें लोगोंको और लोकनायकोंको श्रद्धा है, जहाँ वैमनस्य नहीं है और जहाँ किसी प्रकारकी अव्यवस्था नहीं है, वहाँ असहयोगको मुल्तवी करनेके प्रस्तावका कोई भी बुरा असर नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत ऐसे प्रान्तोंके लोगोंको चाहिए कि वे अपने-अपने कार्यको और भी दृढ़ बनायें तथा शोभान्वित करें।

उदाहरणके लिए, गुजरातकी राष्ट्रीय पाठशालाएँ कायम रहें और उनमें वृद्धि हो, जिन वकीलोंने वकालत छोड़ दी है, वे अपने निश्चयमें दृढ़ बनें —— इसके साथ ही जहाँ अभी भी वैर-भाव हो वहाँ प्रेम-भावका प्रवेश हो। जो लोग कौंसिलोंमें जायें अथवा फिरसे वकालत शुरू करें उनके साथ कोई तनिक भी द्वेष न करे, उनकी निन्दा न करे। सभी अपनी-अपनी अन्तरात्माकी आवाजका अनुसरण करके असहयोगी अथवा सहयोगी बनें। कांग्रेसके प्रस्तावका परिणाम यह होना चाहिए कि पुराने प्रस्तावके बन्धनके कारण चलनेवाला असहयोग न चले —— वह एक युक्ति अथवा प्रयोगके रूपमें जारी न रहे, बल्कि धर्मका स्थायी रूप ग्रहण कर ले। कहनेका अभिप्राय यह है कि जहाँ-जहाँ सरकारकी नीति कुल मिलाकर हानिकर हो वहाँ-वहाँ अहिंसात्मक असहयोग धर्म है, यह जानकर जनता अथवा व्यक्तिको असहयोग करना चाहिए। मतलब यह कि किसी प्रस्तावके बन्धनके बिना भी, जिनकी इच्छा असहयोगपर कायम रहनेकी हो, वे उसपर कायम रह सकते हैं।

हम कह सकते हैं कि कांग्रेसका प्रस्ताव चालनगाड़ीके समान है। इतने अनुभवके बाद हमें यह देखना है कि कितने लोग चालनगाड़ीके बिना —— कांग्रेसके सहारेके बिना —— टिके रह सकते हैं। यदि कुछ लोग टिके रहें तो हम समझ सकेंगे कि हममें से कितने लोगोंने प्रेममय असहयोगके सिद्धान्तको समझा है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति तो बहुत हैं, किन्तु साथ ही मेरी यह मान्यता भी है कि ऐसे प्रान्त भी एकाधिक हैं और महागुजरात उनमें से एक है।

प्रान्तके रूपमें महागुजरातने ही सबसे पहले असहयोग आरम्भ किया था। मेरी इच्छा है कि वह उसे गौरवान्वित करे। अब तो असहयोग तभी निभ सकेगा जब वह निर्मल होगा। उसमें नम्रता, विवेक, प्रेम, शान्ति, विचार, गम्भीरता, दृढ़ता और सत्य झलक उठना चाहिए। शान्तिमय असहयोग प्रकृतिका अनुसरण करेगा। जिस प्रकार हम प्रकृतिमें अदृश्य रूपसे चलनेवाली पोषक क्रियाओंको केवल उनके परिणामोंसे

Gandhi Heritage Portal

ही जानते हैं, उसी प्रकार शान्तिपूर्ण असहयोगके महत्त्वको हम उसके परिणामोंसे ही जान सकते हैं। "ईथर" एक भारी शक्ति है, लेकिन उसे किसने देखा है? हम उसे उसके परिणामोंसे ही जानते हैं। बिजलीको किसने देखा है? लेकिन हम उसे तारों, चक्कियों और इंजनोंके जरिये जानते हैं। हम मिट्टीमें दबे बीजको नहीं देख पाते। यदि हम उसे खोदकर देखने बैठें तो वह उगेगा ही नहीं। लेकिन उसके परिणामके रूपमें अनाज, घास और फलोंके पौधों और पेड़ोंको हम देखते हैं। प्रेममय असहयोग इन सब अदृश्य वस्तुओं और शक्तियोंसे भी कहीं अधिक सूक्ष्म, परन्तु प्रबल शक्ति है। असहयोगीका आचरण भी उतना ही अदृश्य और सूक्ष्म होना चाहिए। उसमें दम्भ, ढोंग, अहंकार और आडम्बरके लिए गुंजाइश नहीं है। वह असहयोग करेगा किन्तु सहयोगीको दुःख हो, ऐसा प्रेमवश नहीं होने देगा। अंग्रेज अधिकारियोंके हृदयको भी वह प्रेमसे जीतनेका प्रयास करेगा। उनका तिरस्कार नहीं करेगा। जब वह उक्त अधिकारीके अनुकूल नहीं हो सकता तब भी उसका व्यवहार विनय और विवेकसे युक्त होगा।

जो ऐसे असहयोगको नहीं पहचान सकता अथवा इसका पालन नहीं कर सकता, उसके लिए तो मूल स्थिति यानी सहयोग करना ही योग्य है। जो असहयोग पिता पुत्रसे और पुत्र पितासे कर सकता है, वही सच्चा असहयोग है। मैंने सन् १९२० में हिन्दुस्तानको उसी धार्मिक असहयोगसे परिचित करानेका प्रयत्न आरम्भ किया था। मैं जानता हूँ कि यह व्यापार बहुत बड़ा था और बड़ा है। मेरे पास पूँजी कम थी और अब भी कम है। प्रयत्न करनेका अधिकार हर किसीको है। उस अधिकारसे ही मैंने यह प्रयत्न शुरू किया है। जिन्होंने उसे शुद्ध रूपसे समझा है, उनसे मैं सहायताकी प्रार्थना करता हूँ। मैंने आज असहयोग मुल्तवी करनेका जो सुझाव दिया है उसमें भी प्रेममय असहयोग निहित है। जैसा कहते हैं, प्रेमपंथ तो पावककी ज्वाला है। उसे देखकर बहुत-से लोग भाग खड़े हुए हैं। जिसे भागना हो वह भले ही भागे; लेकिन इस ज्वालाको जो सहन करेगा उसे विजयश्री अवश्य प्राप्त होगी।

प्रेम रहित असहयोगको मैं नहीं जानता और न उसे जाननेकी मेरी इच्छा ही है। हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रताके लिए, हिन्दू-धर्म अथवा इस्लामकी रक्षाके लिए, हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए और अस्पृश्यता-निवारणके लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई दवा नहीं है। मैं वैरसे वैरका निवारण असम्भव मानता हूँ और मैं जो हमेशा चरखेको आगे रखता हूँ उसका भी एक कारण उसमें निहित अहिंसा है। मौलाना मुहम्मद अलीने इस्लामी साहित्यमें से चरखेकी स्तुतिमें कहे गये वचनोंको एकत्र करके अपने 'हमदर्द' में प्रकाशित किया है। पाठक 'नवजीवन' के इस अंकमें उनका अनुवाद देखेंगे। वे उनपर विचार करें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २३-११-१९२४

Gandhi Heritage Portal

३०२. विद्यार्थी क्या करें?

"जब असहयोग स्थगित रहनेवाला है, तब विद्यार्थियोंका क्या होगा? उनकी क्या स्थिति होगी? क्यों नहीं वे फिर सरकारी स्कूलोंमें चले जायें? अगर उनसे ऐसा कहा जाता है कि वे वापस न जायें तो यह कैसी निर्दयता है? उन्होंने सबसे अधिक बलिदान किया है। क्या आप अब उनसे और भी बलिदान कराना चाहते हैं? क्या इस तरह हमेशा बेचारे गरीबोंका ही बलिदान दिया जाता रहेगा? अगर इस तरह स्वराज्य लेना हो तो न जाने स्वराज्य मिलनेपर हम-जैसे गरीबोंका क्या हाल होगा। असहयोग स्थगित रखनेकी बात सुनकर तो विद्यार्थियोंके होश ही उड़ गये हैं।"

कुछ विद्यार्थी इस तरहकी बातें कह रहे हैं। आज जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें समझना जब प्रौढ़ असहयोगियोंके लिए भी मुश्किल हो रहा है तब विद्यार्थियोंको घबराहट हो, इसमें क्या आश्चर्य? उनके बलिदानके विषयमें दो मत नहीं हो सकते। फिर भी उपर्युक्त विचार-सरणीमें भूल तो है ही।

प्रस्ताव असहयोग-मात्रको स्थगित रखनेका नहीं, बल्कि कांग्रेस द्वारा असहयोगके प्रसारको स्थगित रखनेका है। जिस वस्तुको जनताका एक प्रमुख हिस्सा — जिसे उस वस्तुमें पहले विश्वास था — त्याग दे उस वस्तुको सार्वजनिक रूपमें कायम नहीं रखा जा सकता और न वह सार्वजनिक मानी ही जा सकती है। यह भी नहीं हो सकता कि जिस वस्तुको कांग्रेस छोड़ दे, उसे सारी जनता भी छोड़ दे। कांग्रेसको कितनी ही चीजें बेमनसे, अनिच्छासे छोड़नी पड़ती हैं। लेकिन वह चाहती तो यही है कि अगर जनता उसे न छोड़े तो अच्छा।

पैसेकी कमीके कारण अगर कांग्रेस आज जगह-जगह ऐसी कुछ आदर्श पाठशालाएँ न खोल सके जिनमें हिन्दू-मुसलमान आदि भिन्न-भिन्न धर्मोंके बच्चे एक साथ पढ़ सकें तो इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे लोग भी ऐसी पाठशालाएँ न खोलें। सच तो यह है कि ऐसी पाठशाला कोई खोलेगा तो कांग्रेस उसे धन्यवाद देगी। उसी प्रकार यदि आज कांग्रेस असहयोगको स्थगित रखती है तो उसका कारण यह नहीं है कि असहयोगके सिद्धान्तोंमें उसकी श्रद्धा नहीं रही, बल्कि यह है कि जनताके प्रतिनिधियों-का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज असहयोगको चलानेमें असमर्थ है। फिर भी, कांग्रेसकी इच्छा तो यही हो सकती है कि अगर जनताका कोई भी हिस्सा असहयोग चलाकर उसकी शक्ति सिद्ध कर दिखाये तो वह उसे धन्यवाद देगी।

कांग्रेस यह नहीं चाहेगी कि जिन लोगोंने वकालत छोड़ रखी है, वे उसे फिरसे शुरू कर दें। लेकिन, जो वकील लाचार होकर वकालत करेंगे, कांग्रेस उनकी निन्दा नहीं करेगी। उसी प्रकार कांग्रेस कभी भी यह नहीं चाहेगी कि जिन विद्यार्थियोंने असहयोग कर रखा है, वे फिरसे सरकारी स्कूलोंमें जायें। किन्तु, यदि वे ऊब-थक कर या किसी दूसरे कारणसे सरकारी स्कूलोंमें जायेंगे तो कांग्रेस उनका तिरस्कार भी नहीं करेगी। परन्तु, उन्हें सुविधा देनेके लिए और उन्हें असहयोगी पाठशालाओंमें

Gandhi Heritage Portal

बनाये रखनेके लिए वह आवश्यक प्रयत्न अवश्य करेगी और वर्तमान पाठशालाओंको कायम रखेगी। असहयोग 'स्थगित' ही रखना है, उसे कोई सदाके लिए बन्द नहीं कर देना है। उसे फिरसे आरम्भ करनेपर क्या सरकारी स्कूलोंमें गये विद्यार्थी पुनः उनका त्याग कर देंगे? असहयोगके दूसरे पहलुओंके सम्बन्धमें चाहे जो परिवर्तन हों, लेकिन राष्ट्रीय पाठशालाओंको चलते ही रहना चाहिए, वे चलती रहेंगी भी, किन्तु अगर वे न चल पाईं तो जनताकी नाक कट जायेगी।

इतना ही नहीं, कालक्रमसे राष्ट्रीय पाठशालाओंमें वृद्धि भी होनी चाहिए। स्वराज्य मिलनेपर असहयोगी वकील फिरसे अदालतोंमें वकालत शुरू कर देंगे, किन्तु असहयोगी पाठशालाएँ तो तब भी कायम ही रहेंगी। दूसरी पाठशालाएँ ही इन पाठशालाओंकी शिक्षा-पद्धतिका अनुकरण करेंगी। ऐसा नहीं कि असहयोगी पाठशालाएँ पिछली सरकारी पाठशालाओंका अनुकरण करेंगी। यह स्वराज्य चाहे आज न मिले, चाहे उसे पानेमें युग बीत जायें, लेकिन जब स्वराज्य आयेगा और उस समय जो असहयोगी पाठशालाएँ जीवित पाई जायेंगी, वे आदर्श-रूप होंगी और जनता उनपर न्यौछावर हो जायेगी।

अतएव, मुझे कहना होगा कि असहयोगको स्थगित रखनेके मेरे सुझावसे जहाँ-जहाँ लोगोंमें घबराहट पैदा हो गई है, वहाँ-वहाँ मुझे असहयोगके प्रति अश्रद्धा दिखाई देती है। जिसे अपने सिद्धान्त या कार्यके प्रति श्रद्धा होगी, वह दूसरोंकी अश्रद्धासे या दूसरोंके अलग हो जानेसे क्यों डरेगा, क्यों घबरायेगा, क्यों अपने निश्चयसे डिगेगा? श्रद्धालु लोगोंमें दूसरोंकी अश्रद्धा देखकर दुगुनी दृढ़ता आ जाती है। जिस प्रकार रक्षकोंसे सुरक्षित व्यक्ति उन रक्षकोंके हट जानेपर असावधानी छोड़कर सावधान हो जाते हैं, उसी प्रकार श्रद्धालु व्यक्ति अपने साथियोंको भागते देखकर दृढ़तापूर्वक अकेले ही सिंहकी भाँति जूझते हैं और पर्वतके समान अडिग बने रहते हैं।

फिर, यह तो सच ही है कि विद्यार्थियोंने बहुत बलिदान किया है। लेकिन, बलिदानके मर्मको समझना जरूरी है। यज्ञ करनेवाला दूसरोंकी दयाका भूखा नहीं रहता। उसकी स्थिति दयनीय नहीं होती, वह तो स्तुत्य होती है। जो यज्ञ अनिच्छा-पूर्वक या दुःखी मनसे किया जाये वह यज्ञ, यज्ञ नहीं है। बलिदानीके मनमें तो उल्लास, हर्ष और उमंग होती है। बलिदान करनेवाला तो और अधिक बलिदान करनेकी शक्तिकी कामना करता है, वह त्यागसे घबराता नहीं, क्योंकि उसके लिए तो त्यागमें ही सुख है। उसे यह विश्वास रहता है कि अभी जो चीज कष्टकर प्रतीत हो रही है, वह अन्तमें सुखद ही सिद्ध होगी। जिन्होंने असहयोग किया है, उन्होंने कुछ खोया नहीं है, पाया ही है। जो अपनी गन्दगी निकाल देता है, वह शुद्ध हो जाता है। जो त्याज्य है, उसे त्यागना तो अपने सिरका बोझ ही हलका करना है। जो नित्य आधे घंटेतक चरखा चलाता है, वह बलिदान करता है अर्थात् आलस्य और स्वार्थका त्याग करता है, क्योंकि ये दोनों त्याज्य हैं। जिसने सरकारी स्कूल छोड़ा है, उसने बलिदान किया है, क्योंकि इस तरह उसने त्याज्य वस्तुका त्याग किया है। त्याग करते समय उसका मुँह उतरा नहीं होगा, बल्कि उसके मुखमण्डलपर आनन्दकी आभा छिटकी हुई होगी।

Gandhi Heritage Portal

मीराबाई राजभोगका त्याग करके नाची थीं और राजभोगके बीच रहकर रोई थीं। हमारी दृष्टिसे वह भारी बलिदान था। मीराबाईके लिए त्याग ही भोग था –– आनन्द का विषय था। सुधन्वा उबलते तेलके कड़ाहेमें नाच-नाचकर नारायण नामका जाप कर रहा था। इसीसे प्रीतमने गाया है कि जो किनारेपर खड़ा है वह काँप रहा है, "जो धारामें कूद पड़ा है, वह परमानन्दका अनुभव कर रहा है।" इसीसे निष्कुलानन्दने कहा है कि वैराग्यके बिना त्याग टिक नहीं सकता।

जबतक किसी वस्तुके प्रति हममें राग है, तबतक उसका सच्चा त्याग सम्भव नहीं है। भूखसे मरते हुए कंगालोंको निराहारी त्यागी नहीं कहा जा सकता। वे तो लाचार होकर ही भूखे रहते हैं। उनका राग तो ज्योंका-त्यों बना हुआ है। वे चौबीसों घंटे खाते ही रहते हैं, क्योंकि उनका मन खानेमें ही लगा हुआ है। जिस असहयोगी विद्यार्थी का मन सरकारी स्कूलोंमें लगा हुआ है, किन्तु लोक-लाजके भयसे अथवा ऐसे ही किसी दूसरे कारणसे जिसका शरीर-भर राष्ट्रीय पाठशालामें है, वह त्यागी नहीं है, वह असहयोगी भी नहीं है। उसकी स्थिति तो सचमुच दयनीय है। जहाँ मन है, शरीरको भी वहीं रखनेवालेका उद्धार सम्भव है। किन्तु जो शरीर और मनको अलग-अलग रखता है वह स्वयं अपनेको, संसारको और ईश्वरको भी धोखा देता है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २३-११-१९२४

३०३. भाषण: अ० भा० कांग्रेस कमेटी, बम्बईमें[1]

२३ नवम्बर, १९२४

मैंने अपनी निजी हैसियतमें और अपनी आन्तरिक भावनाओंको ध्यानमें रखते हुए समझौतेपर हस्ताक्षर किये थे। जब मैंने समझौतेपर हस्ताक्षर किये उस समय मेरे मनमें ऐसा कोई विचार नहीं था कि अपरिवर्तनवादियोंको मैं अपने पक्षमें रख ही सकूंगा। मैं सभामें उपस्थित सभी लोगोंसे अनुरोध करूँगा कि मैं जो-कुछ कह रहा हूँ, उससे वे अभिभूत न हो जायें। अगर मेरी बात किसीकी बुद्धिको ठीक प्रतीत हो तो मैं अवश्य चाहूँगा कि वह इस समझौतेको स्वीकार कर ले, लेकिन अगर मैं अपनी बात उसकी बुद्धिको नहीं जँचा सकूँ तो उसकी भावनाओंका सहारा मैं नहीं लेना चाहता। इस समझौतेकी सफलता हम सबोंके हार्दिक सहयोगपर ही निर्भर है। मैंने असहयोग या सविनय अवज्ञा-सम्बन्धी अपने विचार बदले नहीं हैं और यदि मैं आज आगे न बढ़ता, या जो स्थिति मैंने हमेशा अपनाई है, उससे पीछे हटता हुआ प्रतीत होता हूँ तो देखनेमें ही ऐसा लगता है। वास्तवमें जहाँतक मेरा सवाल है, अहिंसाके

१. यह भाषण गांधीजीने उस प्रस्तावको पेश करते हुए दिया था, जिसमें कलकत्ता-समझौतेका समर्थन किया गया था; प्रस्ताव बहुमतसे पास हो गया। साधन-सूत्रमें इस रिपोर्टको "सारांश" बताया गया है।

Gandhi Heritage Portal

एक सिपाहीकी तरह, जिसके होनेका मैं दावा करता हूँ, मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ। एक अहिंसक सिपाहीके नाते मैं जानता हूँ कि मेरी स्थिति क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। मैं शायद आज तत्काल और आग्रहके साथ कोई ऐसा निर्णय नहीं दे सकता जिसे सब लोग स्वीकार कर लें। समझौतेका ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है जो निश्चय ही न मेरे मनमें था और न स्वराज्य दलके मनमें। स्वराज्यवादी सरकारकी सहायता नहीं करना चाहते; बल्कि इसके विपरीत अपनी पूरी योग्यता और बुद्धि द्वारा वे उस प्रणालीका अन्त करना चाहते हैं, जिसके अधीन हम वर्षोंसे कराह रहे हैं — वह प्रणाली जिसे मैं भ्रष्ट और आसुरी कहनेमें झिझका नहीं हूँ। उस प्रणालीके विरुद्ध मैंने जिन विशेषणोंका प्रयोग किया है उनमें से एक भी मैं वापस लेनेको तैयार नहीं हूँ। यह एक ऐसी प्रणाली है, जो यदि सुधारी नहीं जा सकती तो बिना किसी हिचकके अविलम्ब समाप्त कर दी जानी चाहिए। आज मैंने यदि यह समझौता किया है तो इस प्रणालीको नष्ट करनेका उद्देश्य सिद्ध करनेके लिए ही किया है। अगर मैं देखूँ कि सारे देशके विरुद्ध संघर्ष करके मैं इस अन्यायको समाप्त कर सकता हूँ तो मैं आज वैसा कर डालूँ। मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। यदि मैं देखूँ कि मैं वैसा नहीं कर सकता तो मैं फौरन अपने कदम पीछे हटा लूँगा।

कहा जाता है कि यह समझौता मेरी तरफसे रियायतके रूपमें किया गया है। हाँ, यह रियायत दोनों ही पक्षोंकी ओरसे की गई है। दोनों ही पक्ष कुछ देना और कुछ लेना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि इस दुनियाके इतिहासमें या मानवके इतिहासमें वास्तवमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो पारस्परिक रियायतपर आधारित न हो, और यह समझौता करनेके लिए मैंने जो उपाय अपनाया है, उससे मिलती-जुलती चीज न हो। अपरिवर्तनवादियोंके दृष्टिकोणसे इस समझौतेमें सबसे पहली चीज जो ध्यान देनेकी है वह यह कि इस समझौतेमें स्वराज्य दलको अपरिवर्तनवादियोंके साथ बराबरीका दर्जा प्राप्त हुआ है। मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि अपरिवर्तनवादियों-के साथ बराबरीका दर्जा पाना उनका अधिकार है। यह रियायत करनेमें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो युक्तियुक्त और उचित न हो। यदि मुझे इस सदनको विभाजित करवाना होता या यदि मैं किसी तरह अपनेको यह विश्वास दिला सकता कि कांग्रेसको विभाजित करना देशके हितमें होगा तो मैं कुछ और ही करता। मैं कौंसिल-प्रवेश कार्यक्रमकी उपयोगितामें विश्वास नहीं करता; लेकिन फिर भी मुझे देशके हितमें वैसा करना पड़ा। मैंने जो-कुछ किया है वह देशके हितमें है, मेरे अपने सिद्धान्तोंके हितमें है और असहयोगके हितमें है।

मैं स्वराज्यवादियोंकी उपेक्षा करनेकी स्थितिमें नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि उनके दलकी ताकत बढ़ रही है। मैं जानता हूँ कि वे जनताके एक बहुत बड़े और सशक्त वर्गका प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कौंसिल-प्रवेशके पक्षमें है। मैं यह भी जानता हूँ कि उनके पास देशके सर्वोत्तम दिमागवाले लोग हैं। एक ऐसे वर्गका जो कौंसिलोंपर कब्जा करना चाहता है, सहयोग लिये बिना मुझे भय था कि मैं कोई प्रगति नहीं कर सकूँगा। स्वराज्यवादियोंके अलावा लिबरल दलवाले हैं, इंडिपेंडेंट दलवाले ह और कनवेंशन

Gandhi Heritage Portal

दलवाले हैं। ये सभी अपरिवर्तनवादी कार्यक्रमके खिलाफ खड़े हैं। स्वराज्य दल अपने ढंगका एक अग्रगामी दल है। स्पष्टतः उन्होंने कौंसिलों और विधान सभाओंके वातावरणको प्रभावित किया है। मैं उनकी राजनीतिक भावनाओंकी अवहेलना नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता। जहाँतक "खद्दर"का सवाल है, उन्होंने औपचारिक और राजकीय समारोहोंके अवसरपर "खद्दर" पहननेकी मेरी अपीलका विरोध नहीं किया है। उन्होंने "खद्दर" सम्बन्धी मेरी अपीलको सदाके लिए ठुकराया नहीं है। मैं एक तरहसे यह स्वीकार करता हूँ कि असहयोगकी लड़ाईका या सविनय अवज्ञा आन्दोलनका नेतृत्व करना मैं तबतक असम्भव समझता हूँ जबतक हमारे साथ देशका प्रबुद्धवर्ग अर्थात् देशके प्रबुद्ध लोगोंका एक ऐसा बहुत बड़ा समूह न हो, जिसकी सहानुभूति हमारे पक्षमें हो और यहाँतक कि वह सक्रिय रूपसे हमारे साथ सहयोग करे। इसकी अपेक्षा हम तबतक नहीं कर सकते जबतक कि कुछ मामलोंमें हम उनकी बात न मानें। कौंसिल-प्रवेशके बारेमें रियायत देनेमें हम देखते हैं कि कौंसिल कार्यक्रमके कार्यकर्त्ता हमारे साथ हो जाते हैं और ये बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं व्यावहारिक लोग कहूँगा। कांग्रेस एक राष्ट्रीय सभा है। हमें कांग्रेसको इस तरह विकसित करना है ताकि वह हर तरहकी रायका प्रतिनिधित्व कर सके। हमारे लिए यह सम्भव नहीं है कि कांग्रेसको हम हमेशा एक ही तरहकी रायका प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था बनाये रखें। ऐसा करना अबुद्धिमत्तापूर्ण होगा। हमें सहिष्णुता बरतनी होगी, अगर और किसी चीजकी खातिर नहीं तो कमसे-कम इसलिए कि कांग्रेसमें सभी दलोंका प्रतिनिधित्व हो, सभी दल जनतामें राजनीतिक चेतना जगानेका काम करें। अगर हमें कांग्रेसमें सभी दलोंका प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाये, अगर हम कांग्रेसको विभाजित करना नहीं चाहते, अगर हम यह मानते हैं कि कांग्रेस शिविरमें स्वराज्यवादियोंकी संख्या काफी बड़ी है तो यह स्पष्ट है कि जब हमने समझौता किया है तब हम यह भी मानें कि कांग्रेसमें जो दर्जा हमारा है, वही उनका भी है। कांग्रेसके नामका इस्तेमाल करनेका उन्हें भी वैसा ही अधिकार है, जैसा हमें है। किसी भी अर्थ और किसी भी रूपमें भारतके सभी लोगोंकी राजनीतिक समानतापर कोई आँच नहीं आनी चाहिए — मेरी रायमें कांग्रेस, जैसी कि आज वह है, और जैसी कि कल वह होनी चाहिए, का यही अर्थ है।

अगला मुद्दा यह है। जैसा कि मेरा विश्वास है, स्वराज्य दलसे हमें जो मिला है, उससे ज्यादा हम नहीं पा सकते थे। जहाँतक सदस्यताकी शर्तका प्रश्न है, मेरा खयाल फिर भी यही है कि बहुत-से स्वराज्यवादियोंकी आम शिकायत या आपत्ति खद्दरके खिलाफ है। अपरिवर्तनवादी खद्दरकी सम्भावनाओंमें, उसकी क्षमता और सामर्थ्यमें विश्वास करते हैं। मुझे खद्दरकी सामर्थ्यमें पूरा विश्वास है। मैं इस विश्वासको चाहूँ भी तो मनसे निकाल नहीं सकता। सोते हुए, सपनेमें, खाना खाते समय हर वक्त मैं चरखेकी ही बात सोचता हूँ। चरखा मेरी तलवार है। मेरे लिए यह भारतकी स्वाधीनताका प्रतीक है। मैं ऐसा सोचे बगैर रह नहीं सकता। लेकिन स्वराज्यवादियोंका ऐसा खयाल नहीं है। उनमें से बहुतोंको भावनात्मक आपत्ति है। चूँकि ऐसा है, इसलिए

Gandhi Heritage Portal

मुझे एक रियायत देनी पड़ी। मेरा विश्वास है कि स्वराज्यवादियोंका जिस प्रकार कौंसिल-प्रवेश एक कार्यक्रम है, उसी प्रकार कताई भी उनके कार्यक्रमका अंग होना चाहिए; और हमें मताधिकारमें "खद्दर" और चरखेकी शर्त शामिल करनी चाहिए। यह एक सर्वथा नया विचार है। मैं ऐसा नहीं मानता कि चरखेसे भारतको कोई बहुत ठोस चीज मिल जायेगी। लेकिन क्या चरखा चलाना कोई पाप है? तथापि मैं ऐसा मानता हूँ कि सिर्फ इसी मुद्देपर संगठनको विभाजित कर देना हमारे लिए गलत होगा। मुझे चरखेसे प्रेम है, लेकिन हमारे ऐसे देश भाई भी हैं जिन्हें सूत कातना सचमुच पसन्द नहीं है। उन्हींके लिए मैं कताई-सदस्यताके मामलेमें झुका हूँ। इसीलिए कुछ अनिच्छुक स्वराज्यवादियोंकी बात रखनेके लिए मुझे कताई-सदस्यताके प्रश्नपर वैसी रियायत करनेमें कोई हिचक नहीं हुई। मैं सदस्यताके लिए कताईकी इस शर्तको कांग्रेसमें एक जीवन्त चीज बना देना चाहता हूँ। मैं उसे स्वराज्यवादियोंकी सहायता-से सफल बनाना चाहता हूँ। ऐसा कहनेमें मुझे कोई हिचक नहीं है। इसके लिए उत्साहकी जरूरत है, इसके लिए लगनकी जरूरत है। मेरा ऐसा ही खयाल है। जहाँतक अपरिवर्तनवादियोंका सम्बन्ध है, मैं सोचता हूँ कि वे मेरे कियेपर व्यर्थ ही आपत्ति नहीं करेंगे -- जो-कुछ मैंने किया है उसका समर्थन करनेको वे अनिच्छुक नहीं होंगे। वे ऐसा नहीं मानेंगे कि इस समझौतेसे किसी अनिष्टकी सम्भावना है। अपरिवर्तनवादी और स्वराज्यवादी, आप सभीको मैं समझौतेमें उल्लिखित कताई-सदस्यताको स्वीकार करनेकी दावत देता हूँ। मेरी अपील अपरिवर्तनवादियोंसे है और उतनी ही स्वराज्यवादियोंसे भी। मैं आपसे कहूँगा कि कताई-सदस्यता सम्बन्धी प्रस्तावको आप अस्वीकृत न करें। और कुछ नहीं तो अनुशासनकी खातिर ही तथा एक सिद्धान्तके रूपमें इसे स्वीकार कर लीजिए।

मैंने इस भावनाके साथ यह समझौता किया है, कि हम इस समझौतेकी हर धाराको पूरी तरह सफल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अपने इस रथको आगे बढ़ानेमें हम अपना पूरा-पूरा जोर लगा दें और देखें कि अगले १२ महीनोंमें हम स्वराज्यको अपनी पकड़में न भी ला सकें तो भी कुछ और करीब ला सकते हैं या नहीं। अगर कांग्रेसके सभी दल कन्धेसे-कन्धा मिलाकर काम करें तो मुझे यह सोचनेमें कोई हिचक नहीं है कि स्वराज्य दूर नहीं है। अगर हम अनुशासनकी खातिर हृदयसे इस समझौतेपर अमल करें तो स्वराज्य बहुत निकट होगा। यदि आप अनुशासनकी खातिर भी इस समझौतेपर अमल नहीं कर सकते, यदि आप इस समझौतेकी प्रत्येक पंक्तिको स्वीकार और उसपर अमल नहीं कर सकते तो विश्वास कीजिए कि देशके लिए ज्यादा अच्छा यही होगा कि इसके पहले कि देशके विश्वस्त नेता लोग उस समझौतेको तैयार करें, आप उसे अस्वीकृत कर दें। अगर आप सोचते हैं कि आप स्वराज्यके योग्य हैं तो समझौतेको स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा अस्वीकृत कर दीजिए। यदि वह आपकी बुद्धिको नहीं जँचता हो तो उसे अस्वीकृत कर दीजिए। मैं आपकी भावनाको छूकर अपनी बात नहीं मनवाना चाहता। मैं आपकी बुद्धिपर ही निर्णय छोड़ना चाहता हूँ।

Gandhi Heritage Portal

स्वराज्यवादी मूर्ख नहीं हैं, वे देशप्रेमी हैं। उनके अपने कर्त्तव्य हैं जिनको अपनी योग्यता-भर उन्हें निभाना है। अगर वे समझते हैं कि कौंसिलोंमें जाकर सरकारसे लड़ना जरूरी है तो उन्हें कौंसिलोंमें जाने दीजिए और कौंसिलोंसे काम लेने दीजिए। वे अपरिवर्तनवादियोंके प्रति द्वेष-भावना होनेके कारण कौंसिलोंमें नहीं जा रहे हैं। वे वहाँ महज तकरीरें करनेके लिए भी नहीं जा रहे हैं। उनके सामने एक उद्देश्य है। मान लीजिए कि आप उन्हें कौंसिलोंमें नहीं जाने देते तो फिर वे क्या करेंगे? क्या वे बेकार पड़े रहेंगे? अपरिवर्तनवादियोंको विश्वास होना चाहिए कि स्वराज्यवादियोंकी उपयुक्त जगह कौंसिलोंके अन्दर है, उसके बाहर नहीं।

चरखेको कौशलपूर्वक चलानेकी जरूरत है। भाइयो और बहनो, आपको उसी धीरजके साथ चरखा चलाना चाहिए जो जॉबमें[1] था। जो तरीके हम अपनाते हैं, उनसे हमें स्वराज्य मिले या न मिले, लेकिन हमें प्रयोग तो करना चाहिए। हम सब ईमानदार लोग हैं। हमारे कुछ दोस्त कौंसिलोंमें जाना चाहते हैं तो जायें; किसी तरह हो, हम कुछ आगे तो बढ़ें। अपरिवर्तनवादियोंका कर्त्तव्य है कि वे स्वराज्य-वादियोंको चरखेका महत्त्व सिद्ध करके बतायें। अपरिवर्तनवादियोंके प्रचारका यही तरीका होना चाहिए। मैंने स्वराज्यवादियोंसे समझौता किया है ताकि वे चरखेको एक जीवन्त चीज बना सकें। मैं अपरिवर्तनवादियों और स्वराज्यवादियोंसे अपील करता हूँ कि वे चरखेके इस प्रचारको सफल बनायें। समझौता करते समय मैं होशमें था। मैंने अपना विवेक खो नहीं दिया था। मैं पागल नहीं हूँ। मैं एक समझदार और व्यावहारिक आदमी हूँ। अगर जरूरत हो तो देशके सामने, स्वराज्यवादियोंके सामने, लिबरलोंके सामने और अंग्रेजोंके सामने भी घुटने टेक सकता हूँ, क्योंकि यह मेरा सिद्धान्त है। अगर मैं सफल नहीं होता तो फिर कब्र ही मेरे लिए उपयुक्त जगह होगी।

एक चीज आपके सामने बिलकुल साफ होनी चाहिए। वह यह कि आपको यह समझौता या तो ज्योंका-त्यों स्वीकार करना होगा या फिर उसे अस्वीकृत कर देना होगा। वह जैसा है, वैसा ही उसे स्वीकार कर लीजिए या नामंजूर कर दीजिए। किसी समझौतेमें संशोधनकी गुंजाइश नहीं होती। मेरे जो मित्र संशोधनका सुझाव देते हैं वे भूल जाते हैं कि मेरे रास्तेमें अनेक कठिनाइयाँ हैं। वे उन कठिनाइयोंको पूरी तरह समझते नहीं। अगर समझौतेको अस्वीकृत करना है तो अस्वीकृतिके कारण ज्यादा जोरदार होने चाहिए—ऐसे कारण होने चाहिए जो स्पष्ट, निर्भ्रान्त हों अर्थात् यदि यह समझौता आपकी अन्तरात्माके विपरीत हो तो आप उसे अस्वीकृत कर दीजिए। मेरी विनम्र रायमें अनिच्छुक लोगों द्वारा किसी चीजकी पुष्टिका कोई मतलब नहीं होता। अगर आप अविश्वासके साथ शुरूआत करनेवाले हों तो समझौतेको अस्वीकृत कर दीजिए। हमें सन्देह और अविश्वासको अपने मनसे निकाल देना चाहिए।

एक शब्द और। मैं स्वराज्यवादियोंको अपना एजेंट नहीं समझता। मैं उन्हें अपना सहयोगी मानता हूँ। मैंने इस समझौतेकी "कानूनी व्याख्या" समझनेके लिए

१. धीरजके लिए प्रसिद्ध बाइबलका एक पात्र।

कुछ स्वराज्यवादियोंकी सलाह ली। मैंने अनुभव किया कि मैं अपरिवर्तनवादियोंकी शक्तिको नुकसान पहुँचाये बिना इस समझौतेपर हस्ताक्षर कर सकता हूँ। हम सभी-के रास्तेमें कठिनाइयाँ हैं; उनको ठीक-ठीक आँका नहीं जाता। अगर सन्देह हो, तनाव हो तो मैं आपको सलाह दूँगा कि आप सर्वसम्मतिसे इस समझौतेको अस्वीकृत कर दीजिए; अन्यथा सर्वसम्मतिसे इसे पास कर दीजिए। मैं समझता हूँ कि यदि आप इसे स्वीकार कर लें तो यह देशके हितमें होगा। किसीको समझौता स्वीकार करनेके लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि इसे अस्वीकृत कर देना चाहिए तो आप इसपर ज्यादा सोच-विचार मत कीजिए; उसे तत्काल अस्वीकार कर दीजिए। इसके गुण-दोषोंपर विचार करके इसे स्वीकार कीजिए। यदि आप इस समझौतेके गुणोंसे सन्तुष्ट हों तो इसे स्वीकार करनेमें हिचकिए मत। लेकिन इसपर विचार करना स्थगित करके समय नष्ट मत कीजिए। यह बुरा होगा। अगर आप सोचते हों कि काम करनेके लिए कोई तन्त्र होना चाहिए तो इसे स्वीकार कर लीजिए। विलम्ब मत कीजिए। हर क्षणका यथासम्भव उपयोग कीजिए।

आप देशके ईमानपर भरोसा कीजिए; आप सभी दलोंके ईमानपर भरोसा कीजिए। आप दूसरोंका भरोसा कीजिए और उन्हें अपनेपर भरोसा करने दीजिए। जो लोग अनिच्छुक हैं उन्हें समझा-बुझाकर अपनी बात मनवाइए। समझौतेपर हस्ताक्षर करनेका मुझे कोई खेद नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैंने ऐसा करके बिलकुल उचित किया है। इस समझौतेमें जो भी चीज शामिल करना उचित और सम्भव था, उसे मैंने छोड़ा नहीं है। मैंने समझौतेमें जो-कुछ शामिल किया है उससे मैं किसी दलको या देशको बाँधना नहीं चाहता। अगर आप समझते हों कि समझौतेको सर्वसम्मतिसे स्वीकार करना देशके हितमें है तो आप वैसा करें। खिलाड़ियोंकी भावनासे समझौतेको स्वीकार कीजिए। मैं फिर कहता हूँ कि समझौतेको ज्योंका-त्यों स्वीकार किया जाना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, खण्ड २

Gandhi Heritage Portal

३०४. भाषण: शोक सभामें[1]

बम्बई
२३ नवम्बर, १९२४

महात्मा गांधीने तब गुजरातीमें भाषण दिया। आरम्भमें ही उन्होंने खड़े होकर न बोलनेके लिए श्रोताओंसे क्षमा माँगी। उन्होंने कहा कि कमजोरीके कारण खड़े होकर बोलना मेरे लिए सम्भव नहीं है। इसके सिवा मेरी आवाज भी अब वैसी नहीं है जैसी कि तीन साल पहले थी और यदि आपको मेरी बात सुननेमें कोई कठिनाई हो तो आप मुझे माफ करें।

बी-अम्माँका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दुनियामें जब कोई बड़ा व्यक्ति मरता है तो हम आम तौरपर ऐसी ही सभाएँ करते हैं जैसी कि आज शाम कर रहे हैं और अपना दुख प्रकट करते हैं। मैं नहीं समझता कि बी-अम्माँकी मृत्युपर इस प्रकार दुख व्यक्त करनेकी जरूरत है या अली भाइयोंको किसीकी सहानुभूतिकी जरूरत है। बी-अम्माँकी मृत्यु तो ऐसी पवित्र थी कि मेरी समझमें हम सबको ऐसी ही मृत्युकी कामना करनी चाहिए। उनके कर्म अच्छे थे और मनुष्य तथा ईश्वर दोनोंको स्वीकार्य थे। उन्होंने अपना जीवन ईश्वर और उसके बन्दोंके लिए अर्पित कर दिया था और आजादीकी लड़ाई लड़नेके लिए भारतको उन्होंने अपने दो बहादुर बेटे दिये। अतः बी-अम्माँ मरकर भी अपने कार्योंके रूपमें जीवित हैं। यह सौभाग्यकी बात है कि मनुष्योंके दुष्कृत्य भुला दिये जाते हैं और उनका अनुकरण नहीं किया जाता, लेकिन अच्छे कार्योंको याद रखा जाता है और उनका अनुकरण पीढ़ियोंतक होता है और वे सदैव जीवित रहते हैं। बी-अम्माँ ईश्वरको और अपने देशको प्यार करती थीं और ऐसा वे जीवनके अन्तिम क्षणतक करती रहीं। उनके अन्त समय मैं उनके पास मौजूद था। उनका ईश्वर-प्रेम देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। जिस प्रकार एक धर्म-प्रेमी हिन्दू परिवारमें मृत्यु-शय्यापर पड़ा हुआ व्यक्ति रामका नाम लेता है उसी प्रकार बी-अम्माँ भी आखिरी साँसतक अल्लाहका नाम जपती रहीं। जीवन-भर उनका यह पक्का विश्वास रहा कि जबतक हिन्दू और मुसलमानोंमें एकता नहीं होगी तबतक भारत स्वतन्त्रता नहीं पायेगा। उस दिन तीसरे पहर मेरी पण्डित मोतीलाल नेहरूसे बात हुई थी। उन्होंने मुझे अमरीकासे मिला एक पत्र दिखलाया

१. यह सभा बी-अम्माँ और पारसी रुस्तमजीकी मृत्युपर शोक प्रकट करनेके लिए बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, बम्बई स्वराज्य दल, केन्द्रीय खिलाफत समिति, राष्ट्रीय स्त्री सभा, पारसी राजकीय सभा और नेशनल होमरूल लीगके संयुक्त तत्त्वावधानमें हुई थी; सभाकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडूने की थी।

Gandhi Heritage Portal

जिसमें बम्बईके एक भूतपूर्व गवर्नर लॉर्ड सिडेनहम द्वारा एक स्थानपर यह कहा बताया गया था कि भारत संसार-भरकी कुंजी है अर्थात् आर्थिक प्रभुत्व और शोषणके लिए भारत मुख्य देश है। इस्लाम दुनियाके कई देशों, जैसे मोरक्को, चीन आदि में है, लेकिन भारतमें मामला दूसरा है। जबतक हिन्दू और मुसलमान एक नहीं होते तबतक उनको स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। बी-अम्माँ बड़ी दूरदर्शी थीं और जब भी मैं दिल्लीमें उनसे मिलने जाता था, वे हमेशा यही प्रार्थना करती थीं कि ईश्वर हिन्दुओं और मुसलमानोंको एक होनेकी सद्बुद्धि दे और वे हमेशा भारतके लिए स्वराज्यकी कामना करती थीं। उनके भाग्यमें भारतमें स्वराज्य देखना नहीं था, लेकिन उन्होंने भारतको दो जवाँमर्द बेटे दिये थे कि वे हिन्दू और मुसलमानोंको एक करें और इस प्रकार स्वराज्य हासिल करें। उनकी स्मृतिको स्थायी बनानेका सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि हम उनके नामपर हाल, मूर्तियाँ या भवन खड़े करें बल्कि यह है कि हममें से हर स्त्री और पुरुष हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करने और स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए अपनी शक्ति-भर प्रयत्न करनेकी प्रतिज्ञा करे और इस प्रकार बी-अम्माँके चरण-चिह्नोंका अनुसरण करे।

इसके बाद महात्माजीने दक्षिण आफ्रिकामें पारसी रुस्तमजीकी मृत्युके रूपमें भारतको होनेवाली महान् क्षतिका जिक्र किया। उन्होंने कहा, वे एक उदात्त व्यक्ति थे और बम्बईके नागरिकोंको उनकी भारत-सेवा कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि वे मूलतः बम्बईमें खेतवाड़ीके ही रहनेवाले थे। अन्तमें महात्माजीने श्रोताओंसे कहा कि वे एक औपचारिक प्रस्ताव पास करके ही न चल दें बल्कि भारतकी इन दो महान् विभूतियों, बी-अम्माँ और पारसी रुस्तमजीके जीवनका अनुकरण करें।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २४-११-१९२४

३०५. तार : व्रजकृष्ण चाँदीवालाको[1]

बम्बई
२४ नवम्बर, १९२४

आपकी क्षतिसे गहरा शोक हुआ। साहस और विश्वास रखें।

बापू

अंग्रेजी प्रति (जी० एन० २३४७) की फोटो-नकलसे।

१. यह तार श्री चाँदीवालाकी पत्नीकी मृत्युका समाचार पानेपर भेजा गया था।

Gandhi Heritage Portal

३०६. पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको

कार्तिक कृष्ण १३ [२४ नवम्बर, १९२४][1]

भाई ब्रिजकिसन,

तुमारे दुःखकी खबर मुझको कल रात्रीको मीली। आज तार[2] दिया है। ईश्वर तुमको धीरज दे। जन्म मृत्यु एक ही वस्तु है यह बात यदि हम समज लें तो मृत्युका खेद क्यों करें? सच्चा मित्र कभी मरता नहि है। अपनी धर्मपत्नि एक मित्र हि है। उसके गुणका हम अहोनिश स्मरण करते रहें तो मृत्युको अवकाश हि नहिं है। एक पत्नि-व्रतका पालन करनेकी दृढ़ता ईश्वर तुमको देवे।

बापूके आशीर्वाद

मूल पत्र (जी० एन० २३४८) की फोटो-नकलसे।

३०७. ईश्वर हम सबकी सहायता करे!

साबरमती
२६ नवम्बर, १९२४

बहुत प्रार्थना, बहुत हृदय-मन्थनके बाद और सो भी डरते और काँपते हुए, मैंने अगली कांग्रेसकी अध्यक्षता करना स्वीकार किया है। मैं ऐसे समय अध्यक्षता करने जा रहा हूँ जब मेरे, और कुछ उल्लेखनीय अपवादोंको छोड़कर, भारतके समस्त शिक्षित समुदायके बीच भेदकी जबरदस्त खाई दिखाई दे रही है और कुछ-एक ऐसे शिक्षित भारतीय नौजवानोंके अलावा, जिनकी कोई प्रसिद्धि नहीं है, देशका पूरा बौद्धिक वर्ग मेरी विचार-पद्धति और कार्य-विधिके विरुद्ध खड़ा जान पड़ता है। फिर भी चूँकि मैं जनसाधारणके बीच लोकप्रिय जान पड़ता हूँ और बहुत-से शिक्षित देशभाइयोंके विचारसे मैं भी देशको उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि वे स्वयं करते हैं, इसलिए उनकी इच्छा है कि हमारे देशके इतिहासकी इस विकट घड़ीमें मैं कांग्रेसका दिशा-दर्शन करूँ।

मुझे लगता है कि मैं उनकी इच्छाका विरोध न करूँ, बल्कि इसके विपरीत देशके हितके लिए — मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही होगा — मैं उन्हें अपना उपयोग करने दूँ। अन्तिम निष्कर्षपर पहुँचनेके लिए मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके निर्णयकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी बैठकमें स्वराज्यवादी मौन रहे और वाणीके द्वारा जो कहा जा सकता था वह सब बड़े प्रभावपूर्ण ढंगसे उन्होंने अपने मौनके द्वारा ही

१ और २. देखिए पिछला शीर्षक।

Gandhi Heritage Portal

कह दिया। मैं जानता हूँ कि उनमें से बहुत-से लोगोंके मनमें सदस्यता सम्बन्धी शर्तोंमें प्रस्तावित परिवर्तनके प्रति कोई उत्साह नहीं है। लेकिन शान्ति और एकताकी खातिर उन्होंने मौन रहकर ही इस परिवर्तनके पक्षमें अपना मत दे दिया। अपरिवर्तनवादी लोग बड़े दुःखी और निराश थे, इस समझौतेपर वे दाँत पीस रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि इस तरह तो जिन आदर्शोंको उन्होंने अपने मनमें बड़े प्यारसे सँजो रखा था, उनको ताकपर रखा जा रहा है। उन्होंने विरोध किया, किन्तु समझौतेके खिलाफ मत नहीं दिया।

यह स्वराज्यवादियों और अपरिवर्तनवादियों, दोनोंके लिए श्रेयकी बात है, लेकिन काम करनेकी दृष्टिसे यह कोई बहुत उपयुक्त वातावरण नहीं है, विशेषकर ऐसी हालतमें जब किसीसे बहुत अपेक्षा की जा रही हो। लेकिन, यही वह उपयुक्त प्रसंग है, जबकि मैं अहिंसामें अपने विश्वासकी सच्ची कसौटी कर सकता हूँ। यदि मेरे मनमें अपरिवर्तनवादियों, स्वराज्यवादियों, लिबरलों, राष्ट्रीय स्वशासनवादियों, इंडिपेंडेन्टों, —इन सबके प्रति और इन्हींके प्रति क्यों, अंग्रेजोंके प्रति भी—समान प्रेमभाव है तो मेरे लिए भी और इस उद्देश्यके लिए भी सब-कुछ शुभ ही होगा।

मैं देशकी आँखोंमें धूल नहीं झोंकूँगा। मेरे लिए तो धर्म-विहीन राजनीति कोई चीज ही नहीं है। लेकिन जब मैं धर्मकी बात कहता हूँ तो मेरा मतलब रूढ़ियों और अन्धविश्वासोंसे नहीं है, उस धर्मसे नहीं है जो हमें घृणा करना और एक-दूसरेसे झगड़ना सिखाता है; मेरा मतलब तो सहिष्णुताके सार्वजनीन धर्मसे है। नैतिकताविहीन राजनीति ऐसी चीज है जिससे बचना चाहिए। इसपर आलोचक कहता है, "तब तो मुझे सार्वजनिक जीवनसे अलग ही हो जाना चाहिए।" लेकिन मेरा अनुभव ऐसा नहीं रहा है। मेरी कोशिश तो यह है कि मैं समाजमें ही रहूँ और फिर भी उसकी बुराइयोंसे अछूता रहूँ। जो भी हो, अभी तो कांग्रेससे भाग खड़ा होना मेरे लिए कायरता होगी—और अध्यक्ष-पद न स्वीकार करना मेरे लिए भाग खड़ा होना ही होगा, विशेषकर ऐसी हालतमें जब हर कोई मेरा मार्ग सुगम बनानेकी कोशिश कर रहा है।

अपने उद्देश्य और मानव-समाजमें मुझे पूरा विश्वास है। और भारतका मानव-समाज किसीसे भी घटकर नहीं है; शायद बढ़कर ही है। सच तो यह है कि यह उद्देश्य ही मानव-स्वभावमें विश्वासकी पूर्व-अपेक्षा रखकर चलता है। मार्ग यद्यपि अन्धकारपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन अगर ईश्वरके मार्ग-दर्शनमें मेरा विश्वास है और यह स्वीकार करनेके लिए मुझमें पर्याप्त विनय है कि उसके अचूक मार्ग-दर्शनके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता तो निश्चय ही वह मेरे पथपर प्रकाश करेगा, मेरा मार्ग-दर्शन करेगा।

यद्यपि असहयोग और सविनय अवज्ञामें मेरी निष्ठा आज भी अटल है किन्तु मैं मानता हूँ कि इस समय राष्ट्रीय स्तरपर असहयोग या सविनय अवज्ञा करनेके लिए उपयुक्त वातावरण नहीं है। इसलिए मेरा प्रयत्न यही होगा कि जाति, रंग अथवा धर्मका कोई भेदभाव रखे बिना पारस्परिक सहिष्णुताके आधारपर सभी

Gandhi Heritage Portal

दलोंको एक साथ ला खड़ा करूँ और इस प्रकार, सम्भव हो तो, दिखा दूँ कि मेरी असहयोगकी कल्पना घृणा या विद्वेषसे प्रेरित या इनपर आधारित नहीं थी। मैं सभी दलोंके सिर यह भार लाद दूँगा कि वे असहयोग और सविनय अवज्ञाको असम्भव कर दिखायें —— लेकिन आलोचना और दमनके जरिये नहीं, बल्कि स्वराज्य प्राप्त करके। इसलिए समस्त दलोंके प्रतिनिधियोंसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे मौलाना मुहम्मद अलीके निमन्त्रणको स्वीकार करें और यदि कांग्रेस अधिवेशनमें प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे शामिल न हो सकते हों तो दर्शकोंके रूपमें उपस्थित होकर कांग्रेसको अपने सलाह-मशविरेका लाभ दें।

कांग्रेस-जनोंके सिरपर एक भारी कर्त्तव्य निभानेकी जिम्मेवारी है —— चाहे वे कांग्रेस-जन स्वराज्यवादी हों या अपरिवर्तनवादी, हिन्दू हों या मुसलमान, ब्राह्मण हों या अब्राह्मण। उन्हें अपनी वेश-भूषामें ही इस बातका प्रमाण देना है कि वे कांग्रेसके कार्यक्रमपर अमल कर रहे हैं; उन्हें अपने दैनिक व्यवहारमें उसका पालन करना है। उन्हें सेवकोंकी हैसियतसे, दूसरोंसे सेवा माँगनेवाले स्वामियोंकी हैसियतसे नहीं, कांग्रेस-अधिवेशनमें शामिल होना है। उन्हें सभी वस्त्रोंका त्यागकर सिर्फ खादी पहननी पड़ेगी और इस प्रकार गत चार वर्षोंसे वे जिस खादीकी सीख दूसरोंको देते रहे हैं, उसमें अपने विश्वासका परिचय देना होगा। एक-दूसरेके प्रति अधिकसे-अधिक सहिष्णुता बरतकर और एक-दूसरेकी धार्मिक क्रियाओंका आदर करके उन्हें विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायोंकी एकतामें अपने विश्वासका प्रमाण देना पड़ेगा। हिन्दुओंको कांग्रेसमें शामिल होनेवाले अस्पृश्योंका दूसरोंकी अपेक्षा ज्यादा खयाल करके अस्पृश्यता-निवारणमें अपने विश्वासका परिचय देना होगा।

हमारी बहुत-सी समस्याएँ हैं —— हिन्दू-मुस्लिम-वैमनस्य, बंगालका दमन, अकालियों-पर किये जा रहे क्रूरतापूर्ण अत्याचार, जिनकी छायासे भी छूत मानी जाती है, ऐसी जातियोंकी ओरसे चलाया जा रहा वाइकोम आन्दोलन; और सबसे बढ़कर स्वराज्यकी प्राप्ति। प्रतिनिधिगण तथा दर्शक लोग, बेशक, मुझसे इन तमाम समस्याओंका समाधान प्रस्तुत करनेकी अपेक्षा करें। मेरे पास कोई बना-बनाया समाधान नहीं है। समाधान तो प्रतिनिधियों और दर्शकोंके ही पास है। मैं तो दिशा-दर्शक स्तम्भकी तरह सिर्फ रास्ता ही दिखा सकता हूँ। उस दिशा-दर्शनको स्वीकार अथवा अस्वीकार करना तो कांग्रेसवालोंका काम होगा। ईश्वर हम सबकी सहायता करे!

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २७-११-१९२४

Gandhi Heritage Portal

३०८. पत्र : सतीशचन्द्र मुखर्जीको

[२६ नवम्बर, १९२४][1]

प्रिय सतीश बाबू,

कृष्टोदासको भेजे गये आपके लम्बे तारके लिए धन्यवाद। उसके प्रत्येक शब्दसे मेरे प्रति आपका प्रेम झलकता है। उसमें जो-कुछ कहा गया है उसके बारेमें बहस नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जान-बूझकर गलती नहीं की है। दुर्योधन जानता था कि वह गलती कर रहा है। मैं बुराईके साथ समझौता नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं वही कर रहा हूँ जो पाण्डवोंने किया था। उन्होंने जिस हदतक सम्भव था उस हदतक दुर्योधनके साथ समझौतेकी बात की। "तुम सब कुछ रखो। हमें केवल पाँच छोटे-छोटे गाँव दे दो, फिर तुम स्वतंत्र हो।" लगभग ऐसी ही घटना 'बाइबिल' में भी मिलती है। यदि एक भी भला व्यक्ति सोडममें होता तो नगरकी रक्षा हो जाती। लेकिन मेरे दिमागमें क्या चल रहा है इसका काफी संकेत मैंने आपको दे दिया है।

कृपया इसी प्रकार आगे भी सावधान करते रहें।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ५६०७) की फोटो-नकलसे।

३०९. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

२६ नवम्बर, १९२४

मेरे सबसे प्यारे चार्ली,

महादेवको लिखा तुम्हारा पत्र मैंने आज ही पढ़ा है। रोलाँकी बात ध्यानसे पढ़ ली। उन्होंने जो चेतावनी दी है, उसके लिए क्या तुम कृपया उन्हें धन्यवाद दे दोगे? तुम बम्बई नहीं आये, यह बहुत अच्छा किया। तुम्हें सबसे पहले शान्तिनिकेतनकी ही चिन्ता करनी चाहिए। तुमने रुस्तमजीके बारेमें टिप्पणी देखी?[2] क्या तुम उनके बारेमें कुछ लिखोगे नहीं? उनकी बहुत-सी सीमाओंके बावजूद वे मेरे

१. डाककी मुहरसे।
२. देखिए "टिप्पणियाँ", २०-११-१९२४ का उप-शीर्षक "स्वर्गीय पारसी रुस्तमजी"।

Gandhi Heritage Portal

लिए एक बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। बर्मा और मिस्रके बारेमें मैंने आज तुम्हें तार दिया है। दोनोंकी हालत, लगता है, ठीक नहीं है। लेकिन मुझे पर्याप्त जानकारी नहीं है।

सप्रेम,

मोहन

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २६१७) की फोटो-नकलसे।

३१०. पत्र: बाबू भगवानदासको

[२६ नवम्बर, १९२४ या उसके पश्चात्][1]

प्रिय बाबू भगवानदास,

मैं बनारसमें किसी ऐसे व्यक्तिको नहीं जानता जिसे यह निम्नलिखित नाजुक काम सौंप सकूँ। सुलतानपुर निवासी मंगलदत्तने कुछ महीने पहले इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। उसने अपना हिन्दू नाम राम नारायण बताया था ताकि उसकी पहचान न हो सके। कहा जाता है कि वह दिल्लीके एक अनाथालयसे १० मुसलमान अनाथ बच्चोंको उड़ा ले गया है। उसे लगा कि धर्मान्तर स्वीकार करके उसने भूल की है और वह अपने असली नामसे डा० सुखदेवके जरिये आर्यसमाजी बन गया। वह डा० सुखदेवके साथ कुछ समयतक ठहरा था। कहा जाता है कि अब वह सुलतानपुर (जिले)में है। साथ ही मैं, उसके नाम डा० सुखदेवका एक पत्र रख रहा हूँ। क्या आप कृपया इस बातका पता लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति मिल सकता है या नहीं? क्या वह दिल्ली आकर मुझसे मिलेगा? अगर आप उससे मिलें तो उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपके बारेमें पूछ सकते हैं। हकीम साहबको पक्का शक है कि मुसलमान बच्चोंका अपहरण करनेके लिए ही उसने इस्लाम कबूल करनेका ढकोसला रचा था। वे इसमें आर्यसमाजियोंका हाथ देखते हैं। मुझे लगता है कि हिन्दू होनेके नाते सचाईका पता लगाना और बच्चोंका पता लगानेमें अनाथालयके अधिकारियोंकी सहायता करना हमारा कर्त्तव्य है। इस मामलेमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि मैं इसमें दिलचस्पी ले रहा हूँ। मुझे बताया गया है कि सुलतानपुर बनारसके बहुत निकट है। क्या आप किसी विश्वसनीय व्यक्तिको वहाँ भेज कर मंगलदत्तके बारेमें स्थानीय लोगोंसे पूछताछ करवानेकी कृपा करेंगे? वह एक शादीशुदा व्यक्ति बताया जाता है। मैं ४ दिसम्बरके लगभग पंजाब जानेवाला हूँ।

१. गांधीजी साबरमती २६ नवम्बरको पहुँचे थे। इसीसे अनुमानतः यह पत्र उन्होंने २६ नवम्बर या उसके बाद ही लिखा होगा।

Gandhi Heritage Portal

आप लाला लाजपतरायकी मार्फत पत्र भेज सकते हैं। उसके बाद डा० अन्सारी, दिल्लीकी मार्फत। १ दिसम्बरतक मैं साबरमतीमें हूँ।

हृदयसे आपका,

[पुनश्च :]

आप देखेंगे कि मैं स्वराज्य योजनाको भूला नहीं हूँ।

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० १०४९५) की माइक्रोफिल्मसे।

३११. क्या हममें एकता होगी ?

पिछले हफ्ते बम्बईमें जो [सर्वदलीय] सम्मेलन हुआ, उसके परिणामस्वरूप सभी दलोंके बीच तत्काल एकता स्थापित नहीं हो पाई। इससे प्रकट होता है कि यह काम कितना कठिन है। दूसरी ओर एकता स्थापित करनेके उपायोंपर विचार करनेके लिए एक समिति भी नियुक्त कर दी गई, जिससे प्रकट होता है कि सम्मेलन इस विषयमें सर्वथा निराश हो अथवा इसे असम्भव मानता हो, ऐसा भी नहीं है। सच तो यह है कि जब श्री जयसुखलाल मेहताने यह प्रस्ताव पेश किया कि समिति १५ दिसम्बरतक अपनी रिपोर्ट दे दे तो काफी लोगोंने इसका समर्थन किया। उन सबको तत्काल सफलता पानेकी पूरी आशा थी। किन्तु, जो बहुत-से लोग टटोल-टटोलकर कदम रखनेवाले थे, उन्होंने रिपोर्ट पेश करनेके लिए ३१ मार्चका दिन निर्धारित किया। यदि उन्होंने इस काममें जो कठिनाई है, उसे महसूस करते हुए ऐसा किया हो तो प्रकारान्तरसे उन्होंने कोई स्वीकार्य समाधान ढूँढ़नेका भार भी समितिके सिर डाल दिया है। अखबारोंमें लिखनेवाले लोग जनमतका सही दिशा-दर्शन करके समितिको काफी सहायता पहुँचा सकते हैं। जिन संस्थाओंका समितिपर प्रभाव पड़ सकता है, उनमें लिबरल दल, इंडिपेंडेंट दल और नेशनल होमरूलवालोंका दल मुख्य हैं। डा० बेसेंटके नेतृत्वमें नेशनल होमरूलवालोंने तो उन बातोंको लगभग स्वीकार ही कर लिया है जो मेरे और स्वराज्यवादी दलके बीच हुए समझौतेमें तय हुई थीं और जिनकी पुष्टि अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने भी कर दी है। लिबरलों और इंडिपेंडेंटोंके मार्गकी कठिनाइयाँ प्रायः एक-सी हैं। इन कठिनाइयोंका सम्बन्ध कांग्रेसके ध्येय और निष्ठा-विषयक बुनियादी सिद्धान्त (क्रीड)से, कौंसिल-विषयक सारा कार्य स्वराज्यवादी दलको सौंप देनेसे और कताई-सदस्यताकी शर्तोंसे है। कहते हैं, कांग्रेसका सिद्धान्त गोलमोल-सा है। मैं इस आरोपको साहसपूर्वक अस्वीकार करता हूँ। तथ्य है कि इसमें वर्तमान परिस्थितियोंको स्वीकार किया गया है। इसका मतलब यह है कि सम्भव हो तो साम्राज्यमें रहकर और आवश्यक हो तो उससे सारा सम्बन्ध तोड़कर भी स्वराज्य प्राप्त किया जाये। इसका उद्देश्य अंग्रेजोंके सिरपर इस बातकी जिम्मेदारी लादना है कि वे हमारे लिए साम्राज्यमें बराबरीके साझेदार बनने और बने रहनेकी स्थिति उत्पन्न कर दिखायें। इसमें इस बातकी निर्भीक घोषणा की गई है कि जरूरी

Gandhi Heritage Portal

हुआ तो यह देश सर्वथा स्वतन्त्र राष्ट्रके रूपमें भी अपने पैरोंपर खड़ा हो सकता है। साम्राज्यके अन्तर्गत स्वराज्य स्वतन्त्रताकी ही स्थिति है, क्योंकि इसका अर्थ साम्राज्यमें स्वेच्छासे शामिल रहना है और यह है कि यदि भारतको वांछनीय प्रतीत हो तो वह उससे अलग भी हो सकता है। इसका स्वरूप तो स्वतन्त्र राष्ट्रोंके बीच राजी-खुशीकी साझेदारीवाला ही होना चाहिए। यह बात हमारे लिए इतनी महत्त्वपूर्ण है कि इसे हम छोड़ ही नहीं सकते। जो लोग आज कांग्रेसका नेतृत्व कर रहे हैं, वे यदि कांग्रेसके मूल सिद्धान्तमें ऐसा कोई परिवर्तन करना भी चाहें जिससे उसका मतलब सिर्फ साम्राज्यके अन्तर्गत स्वराज्य और इसलिए पराधीन राज्य रह जाये तो कांग्रेस-जनोंका बहुत भारी बहुमत इस अपमानजनक स्थितिको स्वीकार नहीं करेगा। इस सिद्धान्तको लिबरलों और इंडिपेंडेंटों द्वारा अभीप्सित दिशामें बदलनेका प्रयत्न करनेका मतलब वर्तमान राष्ट्रीय भावनाके विरुद्ध चलना होगा। वे जो कर सकते हैं वह यही कि वे कांग्रेसमें शामिल हो जायें और फिर जिस प्रकार मौलाना हसरत मोहानी कांग्रेसके सिद्धान्तमें ऐसा परिवर्तन करानेका प्रयत्न कर रहे हैं जिससे उसका एकमात्र उद्देश्य ब्रिटेनसे सारे सम्बन्ध तोड़ लेना ही हो जाये, उसी प्रकार वे भी कांग्रेसवालोंको परिवर्तनकी उपयोगिता या आवश्यकताकी प्रतीति करानेका प्रयास करें। मेरा तो सादर निवेदन है कि वर्तमान सिद्धान्तमें कोई भी चीज अनैतिक अथवा हानिकर नहीं है। इसके विपरीत, ऐसा मान लेना कि कमसे-कम फिलहाल तो हम स्वतन्त्रताके लिए सक्षम नहीं हैं, नैतिक दृष्टिकोणसे बहुत ही आपत्तिजनक हो सकता है। जिस राष्ट्रमें सच्ची आकांक्षा हो, वह स्वतन्त्रताके लिए अक्षम हो ही नहीं सकता। जो भी हो, मुझे विश्वास है, इस बातको सभी दल स्वीकार करेंगे कि कांग्रेसके पीछे ऐसे सदस्य-समूहका बल है जो समय-समयपर अपनी ही करानेपर कटिबद्ध हो सकता है और यह बात बहुत अच्छी है।

कांग्रेसमें स्वराज्यवादियोंका स्थान क्या हो, इसका निर्णय तो, दरअसल, उन्हींके हाथमें है। आज कांग्रेसमें उनका और अपरिवर्तनवादियोंका बोलबाला है। यदि कांग्रेस असहयोग स्थगित कर देती है तो स्वराज्यवादी, शायद स्वतः ही प्रमुखता प्राप्त कर लेंगे और यदि दोनों दल राष्ट्रके हितको ध्यानमें रखकर कांग्रेसको विभाजनसे बचानेका फैसला करते हैं तो दोनोंको इस संगठनका संयुक्त और समान साझेदार मानना चाहिए। कलकत्तेके समझौतेमें मैंने इसी सीधे-सादे और स्वाभाविक तथ्यको स्वीकार किया है। यदि कोई भी दल कुछ अधिक पाना चाहता है तो इसका तरीका यही है कि वह कांग्रेसमें शामिल होकर स्वराज्यवादियोंको तर्क द्वारा अपना दृष्टिकोण समझाये या कांग्रेसके सदस्योंको अपनी बात बताये **और कांग्रेसके लिए अपने पक्षका समर्थन करनेवाले नये सदस्य भी बनाये।** कांग्रेसके सदस्योंकी संख्या बढ़ानेकी गुंजाइश बहुत अधिक है और यदि अपनी विचार-पद्धतिके अनुकूल पुरुष और स्त्रियाँ मिल सकें तो कांग्रेस मण्डलों और कमेटियोंका गठन तो लगभग हर आदमी कर सकता है।

तीसरी आपत्ति सदस्यताकी शर्तपर है। अगर इसमें नवीनता नहीं होती तो इसपर न केवल लोगोंको कोई आश्चर्य नहीं होता, बल्कि वे सदस्यताकी सर्वोत्तम

Gandhi Heritage Portal

कसौटीके रूपमें आगे बढ़कर इसे स्वीकार करते। यदि पूँजीपतियों या शिक्षित लोगोंके बजाय आज मजदूरोंका प्रभाव ही सबसे अधिक होता और सदस्यताके लिए सम्पत्ति अथवा शिक्षा-सम्बन्धी कसौटी सुझाई जाती तो शक्तिशाली मजदूर वर्ग इस सुझावका मजाक उड़ाता, बल्कि उसे अनैतिक भी बताता। कारण, तब वे यह दलील पेश करते कि जहाँ पूँजी और शिक्षा कुछ ही लोगोंके पास है, शारीरिक श्रमकी क्षमतासे तो सभी सम्पन्न हैं। हो सकता है यह जो मैंने श्रमके एक प्रकारको अर्थात् हाथ-कताईको कसौटी बनानेका सुझाव रखा है, वह बिलकुल महत्त्वहीन हो या बहुत विचित्र हो, लेकिन यह न अनैतिक है और न राष्ट्रके लिए किसी प्रकार हानिकर ही। यदि हजारों स्त्री-पुरुष राष्ट्रके लिए श्रम करें —— भले ही प्रतिदिन आधा घंटा ही क्यों न करें —— तो यह चीज मेरी समझमें राष्ट्रके लिए निश्चित उपलब्धि है और खादी पहननेकी शर्तके कारण भी किसी दलको कांग्रेसमें प्रवेश करनेमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेसमें खादीको पिछले तीन सालसे बहुत ज्यादा महत्त्व दिया जाता रहा है।

निःसन्देह, खादी पहननेको सदस्यताकी कसौटी बनानेके विषयमें सिद्धान्तके आधारपर तो कोई ऐसी अकाट्य आपत्ति की ही नहीं जा सकती, जिसका निवारण ही न किया जा सके। यदि वस्तु-स्थितिको समझनेमें मुझसे बहुत गलती न हुई हो तो मेरा खयाल है कि अगर खादी पहनने और हाथ-कताईको सदस्यताकी शर्त नहीं बनाया जाता तो कुछ अच्छेसे-अच्छे कार्यकर्त्ताओंको भी कांग्रेसमें रहनेसे कोई मजा नहीं आयेगा। इस समय कांग्रेसमें दो दल हैं। एकको स्वराज्य पानेके साधनके रूपमें कौंसिल-कार्यक्रममें कोई विश्वास नहीं है और जबतक देश शान्तिपूर्ण अवज्ञा या असह-योगके लिए तैयार नहीं हो जाता तबतक वह खादी-सम्बन्धी प्रवृत्तियोंसे ही सन्तुष्ट है। दूसरा यह तो कहता है कि खादीके आर्थिक महत्त्वमें उसका विश्वास है, किन्तु साथ ही यह भी मानता है कि कौंसिल-प्रवेशसे यदि स्वराज्य न मिल सके तो इस तरह कमसे-कम उस दिशामें कुछ प्रगति तो की ही जा सकती है और नौकरशाहीकी मनमानीपर थोड़ा अंकुश भी रखा जा सकता है। मुझे तो स्वराज्यवादियोंके साथ झगड़ेसे बचनेका रास्ता यही दिखाई देता है कि उन्हें अपनी राह जाने दिया जाये और वे खादी कार्यक्रममें जितना सहयोग दे सकते हैं, उतना सहयोग उनसे प्राप्त किया जाये। मैं लिबरलों और इंडिपेंडेंटोंसे अनुरोध करता हूँ कि इस वस्तुस्थितिको समझें, जिसे कोई एक व्यक्ति नहीं बदल सकता। हाँ, एक बात हो सकती है: स्वराज्यवादी, लिबरल और इंडिपेंडेंट साथ बैठकर बातचीत करें और यदि वे इस निष्कर्षपर पहुँचें कि खादीमें अब कोई दम नहीं रह गया है और यह सिर्फ मेरी एक सनक-भर है और तब यदि वे मुझे अपनी गलती न भी समझा सकें तो मैं खुशी-खुशी उनके रास्तेसे हट जाऊँगा। फिर वे शौकसे इस राष्ट्रीय संगठनको अपने कब्जेमें ले सकते हैं और जिस बातमें देशका सबसे बड़ा हित समझें उसके लिए इसका उपयोग कर सकते हैं; मैं उनके मार्गमें बाधक न बनूँगा। एक प्रमुख स्वराज्यवादीने मुझसे कहा है कि खादी-कार्यक्रमका विफल होना अवश्यंभावी है और स्वराज्यवादियोंका

Gandhi Heritage Portal

इसमें कोई विश्वास नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आपकी इस धारणासे मैं सहमत नहीं हूँ, स्वराज्यवादियोंने इस कार्यक्रमको हृदयसे स्वीकार किया है और वे उत्साह-पूर्वक इसे कार्यान्वित करेंगे। लेकिन मान लीजिए इन भाईकी भविष्यवाणी अच्छे-खासे कारणोंपर आधारित हो और खादीकी आराधना हमारे सार्वजनिक जीवनमें भेद पैदा करनेवाला तत्त्व हो तो उस हालतमें देशका भ्रम जितनी जल्दी दूर हो जाये उतना ही अच्छा होगा। लेकिन ऐसा हो जानेपर भी जबतक उसमें से मेरा विश्वास नहीं उठ जाता तबतक मुझे तो उससे लगे रहनेकी अनुमति मिलनी ही चाहिए। हाँ, मुझे राष्ट्रकी तमाम प्रवृत्तियोंकी राह रोककर खड़े रहनेकी छूट नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए मैं सच्चे हृदयसे आश्वासन देता हूँ कि यह समिति सभी दलोंको एकताके सूत्रमें बाँधनेके लिए जो भी समुचित उपाय वांछनीय समझेगी, मैं उसके रास्तेमें हठपूर्वक कोई बाधा नहीं डालूँगा। मैं अपने-आपको जानबूझकर ऐसी स्थितिमें रख रहा हूँ जिससे स्वराज्यवादी, लिबरल और इंडिपेंडेंट लोग अपनी-अपनी बातोंसे मुझे प्रभावित कर सकें। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक उनके दृष्टिकोणको जानने-समझनेका प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मेरा अपना कोई निजी उद्देश्य तो है नहीं। देशकी स्वतन्त्रताके लिए उन्हींकी तरह मैं भी उत्सुक हूँ। हाँ, वहाँतक पहुँचनेका मेरा रास्ता उनसे भिन्न है। लेकिन, अगर मुझसे बन पड़े तो मैं खुशी-खुशी उनका रास्ता अपना लूँगा। तो सभी दल ऐसा रास्ता ढूँढ़ निकालनेके लिए ईमानदारी और लगनके साथ कोशिश करें। एक संयुक्त मंच खोज निकालनेके लिए वे समितिकी कार्यवाहीके प्रति विश्वास और संकल्पका रवैया अपनायें। उसकी चर्चाओंके प्रति अपना मन पूर्वग्रहोंसे मुक्त रखें।

एक भाईने पूछा है कि जबतक सर्वदलीय समितिकी जाँचके परिणाम सामने नहीं आते, तबतक कांग्रेसियोंको क्या सदस्यताकी शर्तमें परिवर्तनका विचार स्थगित न रखना चाहिए। मेरा नम्र निवेदन है कि जो कार्यक्रम काफी सोच-विचारकर तय किया गया है, उसे यों ही स्थगित नहीं किया जा सकता। सिर्फ इस भयके कारण कि लिबरल और इंडिपेंडेंट खादी कार्यक्रमको शायद स्वीकार न करें, तीन महीनेके ठोस कामको बरबाद नहीं होने दिया जा सकता। लेकिन, अगर समिति इस नतीजेपर पहुँचे कि खादी कार्यक्रम अव्यावहारिक है और उससे सचमुच एकतामें बाधा पड़ती है तो एक विशेष अधिवेशन बुलाकर सदस्यताकी शर्तमें आसानीसे फेर-बदल किया जा सकता है। मेरे विचारसे तो देश-हितका तकाजा यही है कि हर दल अपने-अपने विश्वास और मान्यताके अनुसार काम करता रहे, लेकिन साथ ही बराबर ऐसा मानकर चले कि उससे गलती हो सकती है और ऐसा होनेपर वह पश्चात्ताप करने और सही रास्तेपर लौट आनेको भी सदैव तैयार रहे।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २७-११-१९२४

Gandhi Heritage Portal

३१२. अपरिवर्तनवादियोंकी दशा

अपरिवर्तनवादियोंकी हालत सचमुच दयाजनक है और यह खयाल मुझे खिन्न कर देता है कि यदि सोलह आना नहीं तो बहुत अंशमें, मैं ही इसका कारण हूँ। इस परिस्थितिमें मुझे आश्वासन मिलता है तो केवल इसी विचारसे कि मैं तमाम अपरिवर्तनवादियोंमें सबसे ज्यादा सुदृढ़ अपरिवर्तनवादी हूँ। मैं समझता हूँ, इस विचार-से उन्हें भी आश्वासन मिलना चाहिए। पर अपरिवर्तनवादी किसे कहना चाहिए ? 'अपरिवर्तनवादी' कोई अच्छा शब्द नहीं। इसका कुछ भी मतलब नहीं होता। पर इसका प्रयोग उन लोगोंके लिए होता आया है जो कलकत्तेमें १९२० में पास[1] हुए मूल असहयोग-प्रस्तावको मानते हैं। उसका कार्यकारी भाग है, अहिंसा। १९२० के पहले भी हम अपने दिलोंमें असहयोग कर रहे थे क्योंकि हमारा दिल तो सरकारके खिलाफ ही था। हाँ, अपने ऊपरी आचरणके द्वारा हम जरूर उससे सहयोग करते हुए दिखाई देते थे। १९२० में यह हालत बदल गई। हमने मन, वचन और कर्ममें सहयोग स्थापित करनेकी कोशिश की। हमने देखा कि यह सहयोग केवल अहिंसाके द्वारा ही हो सकता है और हमने यह भी देखा कि जितना सम्भव हो उतनी अधिक मात्रामें यदि हम सरकारसे अपना सहयोग हटा लेते हैं तो उसे हमारे सामने घुटने टेक देने पड़ेंगे। इसलिए अपरिवर्तनवादी वह है जो अपने शासकोंका बुरा तो नहीं चाहता — पर उनकी प्रणालीको नष्ट करना चाहता है और इसलिए जिसने उस शासन-प्रणालीके कहे जानेवाले लाभोंका अर्थात् विधान-परिषदों, अदालतों, शिक्षालयों, उपाधियों और लुभावने विदेशी कपड़ोंका त्याग कर दिया है। यह उसका निषेधात्मक अंग था। उसका विधायक अंग था स्वतन्त्र शिक्षालयों-पंचायतोंकी स्थापना और हाथ-कती और हाथ-बुनी खादीका उत्पादन। इस नीतिके अन्तर्गत कांग्रेसने केन्द्रीय विधान सभाका स्थान ले लिया था और स्वयंसेवकोंका ठोस काम करना ही उनकी ऊँचीसे-ऊँची उपाधि थी। परन्तु न तो पूर्वोक्त पाँच सरकारी संस्थाओंको हम नष्ट ही कर सके और न नव-स्थापित संस्थाओंका परिणामकारी फल ही दिखाई दिया। इससे हमारे कुछ लोगोंका दिल टूट गया और उन्होंने देखा कि अब तो विधान-परिषदोंका उपयोग ही राष्ट्रकी सेवा करनेका एक मार्ग रह गया है। अब अपरिवर्तनवादियोंको, यदि सच-मुच उनका विश्वास अहिंसामें था तो चाहिए था कि वे अपने साथियोंकी श्रद्धाहीनता पर बिगड़ न उठते। उन्हें चाहिए था कि उन्हें भी प्रामाणिकता और देशभक्तिका उतना ही श्रेय देते जितनेका दावा वे अपने लिए करते थे। किन्तु उन्होंने तो जोर-शोरके साथ अपने उन साथियोंका जो कि अब स्वराज्यवादी कहे जाते हैं, विरोध किया। यदि वे सचमुच अहिंसा-परायण होते तो वे सहिष्णुताका आश्रय लेकर उनके मतभेदके प्रति अपना आदर प्रकट करके उन्हें उनके रास्ते जाने देते। पर उनकी

१. देखिए खण्ड १८।

Gandhi Heritage Portal

इस असहिष्णुतामें उनका दोष न था। वे तो यह जानते भी न थे कि वे असहिष्णु हो रहे हैं, पर बजाय इसके कि वे अपने पैरोंपर खड़े रहते और अपने ही कार्यक्रम-पर अटल श्रद्धा रखते, उन्होंने स्वराज्यवादियोंसे बल प्राप्त करना चाहा, जिस तरह कि हम सब अपनी कमजोरियोंको दूर करनेकी इच्छा न रखकर या उसमें असमर्थ होकर, अपने शासकोंसे बल प्राप्त करना चाहते हैं। अपनी सहायता आप न कर सकनेकी यह मनोदशा अब भी कायम है और मेरे और स्वराज्यवादियोंके बीच हुए उस समझौतेसे उनके असन्तोषका यही कारण है। भले ही स्वराज्यवादी वैसे न हों जैसा होनेका वे दावा करते हैं या वैसे ही हों जैसे कि हममें से कुछ लोग मानते हैं, किन्तु क्या अपरिवर्तनवादियोंके मनमें सचमुच स्वराज्यवादियोंके प्रति प्रेम है? यदि उनके अन्दर वह प्रेमभाव है तो वे स्वराज्यवादियोंकी गतिविधिपर चिन्तित और दुखी न होंगे।

फिर अधिकांश अपरिवर्तनवादियोंके पास सिवा खादीके दूसरा कोई काम नहीं है, जिसमें उनका सारा समय लग सके। हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यताके विषयमें उनका मनोभाव शुद्ध होना चाहिए। पर इन बातोंके लिए सबको कोई अमली काम मिलना कठिन है। राष्ट्रीय शिक्षालयोंमें भी कुछ ही लोगोंके लिए काम मिल सकता है और सो भी उनमें उसके लिए विशेष प्रकारकी योग्यता होनी चाहिए। पर खादी एक ऐसी चीज है, यदि इसमें विश्वास हो तो सभी उपलब्ध स्त्री, पुरुष और युवकोंका सारा समय इसमें लग सकता है। यदि वे वास्तवमें अहिंसा-परायण हैं तो उन्होंने यह भी जान लिया होगा कि जबतक आरम्भिक रचनात्मक काम न हो जायेगा तबतक सविनय अवज्ञा असम्भव है। सविनय अवज्ञाका अर्थ है असीम कष्ट-सहनकी क्षमता — सो भी प्रतिपक्षीका संहार करनेकी उत्तेजनाके नशेके बिना। यह तबतक नहीं हो सकता जबतक कि हमारा वायुमण्डल कुछ हदतक शान्तिपूर्ण न हो और जबतक कि हमें इस बातका खासा यकीन न हो जाये कि हिन्दू-मुसलमान, ब्राह्मण-अब्राह्मण और उच्च हिन्दू और अछूत आपसमें लड़ न पड़ेंगे और जबतक हम हाथ-कताई और हाथ-बुनाईका रहस्य इस हदतक नहीं समझ लेते कि उसकी सहायताके बलपर हम सार्वजनिक सहायताके बिना कार्यकर्त्ताओंके निर्वाहके विषयमें निश्चिन्त हो सकते हैं। ऐसे लोगोंकी संख्या चाहे अँगुलियोंपर गिननेलायक हो, चाहे बहुत। यदि हमारी संख्या अधिक होगी तो इससे हमें वायुमण्डलकी शान्तिका निश्चय हो जायेगा। यदि हमारी संख्या कम होगी तो फिर हमें अपने आसपास फैले दावा-नलको बुझाते हुए मर मिटना होगा। यदि ऐसे अपरिवर्तनवादी असहयोगी हैं भी तो उन्हें इस समझौतेपर झगड़ा करनेका कोई कारण नहीं है, क्योंकि यह और कुछ नहीं ऐसे अटल और अदम्य अपरिवर्तनवादियोंको खोज निकालनेकी ही एक विधि है। जिनका प्रेम-भाव कड़ीसे-कड़ी कसौटीपर भी सौ टंच साबित हो और त्रिविध रचनात्मक कार्यक्रमके प्रति जिनकी श्रद्धा, आवश्यकता पड़नेपर, तमाम देशकी श्रद्धाहीनताके बाद भी टिकी रहे, उन्हें किसीकी भी सहानुभूतिकी जरूरत नहीं है, बल्कि जो-कुछ सहानुभूति और पुष्टि वे दे सकते हों उसकी जरूरत तो मुझे है और मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। यह वे कर सकते हैं सर्वथा अहंकार-शून्य, मौन

Gandhi Heritage Portal

और अटूट सेवाके द्वारा — ऐसी सेवाके द्वारा जिसे करते हुए वे कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे और न किसी पुरस्कारकी आशा करेंगे। उनका पारितोषिक तो उनके कार्यका सिर्फ उनकी अन्तरात्माके द्वारा किया गया अनुमोदन ही होगा। पाठक इस बातका यकीन रखें कि ऐसे कार्यकर्त्ता भी देशमें हैं। उन्हें 'यंग इंडिया' के पृष्ठोंके द्वारा प्रसिद्धि या परिचयकी आवश्यकता नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २७-११-१९२४

३१३. टिप्पणियाँ

यदि मैं वाइसराय होता

दो अंग्रेजोंने, जो बंगालमें चलाई जा रही दमन-नीतिके पैरोकार थे, मुझसे पूछा कि "यदि आप लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड लिटनकी जगह होते तो क्या करते?" मैंने उनके प्रश्नका उत्तर तुरन्त दिया। परन्तु मैंने देखा कि उससे उन मित्रोंको संतोष न हुआ। उन्होंने समझा कि मेरे लिए इस तरह जवाब देना आसान है, क्योंकि मैं दरअसल तो उनकी जगहपर हूँ ही नहीं। फिर भी चूँकि अपने जवाबपर सब तरहसे विचार करनेके बाद भी वह मुझे ठीक मालूम हुआ है और चूँकि दूसरे कितने ही अंग्रेज ऐसे हो सकते हैं जो उन सज्जनोंकी तरह बंगालके दमनको ठीक मानते होंगे इसलिए मैं अपना उत्तर जरा विस्तारके साथ यहाँ देता हूँ:

यदि मैं वाइसराय अथवा बंगालके गवर्नरकी जगह होता तो पहला काम मैं यह करता कि समाजके विश्वासपात्र भारतीयोंको बुलाता और उनके सामने अपने तमाम कागज-पत्र रख देता और वे जो सलाह देते उसके मुताबिक चलता। मैं सुभाषचन्द्र बोसको भी बुलाता और उनपर अपना सन्देह प्रकट करता और वे जो स्पष्टीकरण देते उसे प्रकाशित करता। फिर जिन प्रतिष्ठित भारतवासियोंकी राय मैं लेता उन्हींसे पूछकर मैं देशबन्धु दासको बुलाता और उनके दलके जिन लोगोंपर मुझे शक होता उनकी सारी जिम्मेदारी मैं उनके सिरपर डाल देता। इस तरह मैं खामोशीके साथ शान्तिकी रक्षाकी व्यवस्था कर देता अथवा अपना भ्रम दूर कर लेता। यह कमसे-कम है जो मैं करता और वह भी तब, जब मुझे अपनी विधान-सभापर विश्वास न होता या उसे बुलानेके लिए वक्त न होता। फिर इससे भी आगे चलकर मैं अपनी इस अत्यन्त दयनीय स्थितिका विचार करता और उसकी असत्यताको तुरन्त समझ जाता। इस प्रकार उस विषम प्रसंगका इलाज करके मैं मूल रोगकी खोज करता, जिसका यह प्रसंग एक लक्षणमात्र है। इसके लिए मैं देशके प्रतिनिधि भारतीयोंको बुलाता और इस बातको जाननेकी कोशिश करता कि ये नवयुवक जो कि सुयोग्य और यों दूसरी तरहसे शान्तिमय हैं, क्यों निर्दय होकर बे-गुनाह लोगोंकी हत्या कर डालते हैं और बिना सोचे-समझे खुद अपनी भी जान खतरेमें

Gandhi Heritage Portal

डालते हैं? तब मुझे इस बातका पता चलता कि वे अपने स्वार्थ-साधनके लिए ऐसा नहीं करते हैं; बल्कि अपने देशके लिए आजादी चाहते हैं। इसलिए मैं उस असली कारणका इलाज करनेमें उन प्रतिनिधियोंकी सलाहके मुताबिक चलता। हाँ, इस बातका जरूर खयाल रखता कि विदेशियोंके न्यायोचित हितोंका घात न होने पावे। इतना कर चुकनेपर मैं इस विचारसे सन्तोष मानकर निश्चिन्त रहता कि ऐसे भावी विषम प्रसंगोंका उपाय करनेकी जिम्मेदारी मेरी विधान-सभाकी भी उतनी ही होगी जितनी कि मेरी है।

मैं जानता हूँ कि मैंने इसमें कोई नई बात नहीं बताई, पर उसका गुण यही है कि वह पुरानी है। वर्तमान शासन-पद्धति भय-प्रदर्शनकी नीतिपर ही जीवित रह रही है और एकके बाद एक, सभी वाइसराय भारतीयोंके साथ परामर्श करनेकी इस स्पष्ट आवश्यकताकी ओरसे आँखें मूँदते रहे हैं। इस दुराग्रहसे पूर्वोक्त सलाहकी व्यर्थता नहीं साबित होती। उलटे, उस तन्त्रका ही निकम्मापन सिद्ध होता है जिसके अन्दर इस तरह लोकमतकी व्यवस्थित अवगणना हो सकती है। ऐसी हालतमें यदि वाइसरायको, न केवल जनतासे वह समर्थन नहीं मिलता, जिसकी वह आशा करते हैं बल्कि लगभग सारे देशकी आलोचना और निन्दाका शिकार होना पड़ता है तो इसमें क्या आश्चर्य है।

एक गलतफहमी

सरकारी कर्जकी अदायगीके दायित्वके अस्वीकारके सम्बन्धमें गया कांग्रेस द्वारा पास किये गये प्रस्तावपर मेरी टिप्पणीसे[1], मैं देखता हूँ कि कुछ गलतफहमी पैदा हो गई है। यह टिप्पणी ऐसे समय प्रकाशित हुई जब हम लोग एकताकी बात सोच रहे हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। सचाई यह है कि उक्त टिप्पणी एक सज्जनके पत्रके उत्तरमें तीन महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। लेकिन सप्ताह-दर-सप्ताह मेरे सहायक लोग ऐसी दूसरी चीजोंके प्रकाशनको प्राथमिकता देनेके लिए, जो उनकी नजरमें ज्यादा महत्त्वपूर्ण थीं, इसे रोककर अलग रखते रहे और अन्तमें जब यह टिप्पणी छपी तो वे टिप्पणीके, जो निश्चित तौरपर बेकारके विवादको जन्म देनेवाली थी और दूसरे लेखोंके, जिनमें सहमतिके मामलोंपर जोर दिया गया था, बीचकी असंगतिको नजरमें नहीं रख सके। इसलिए जहाँ मैं इस समय इस टिप्पणीके प्रकाशनको अवसरकी दृष्टिसे अनुपयुक्त मानता हूँ, वहाँ मैं यह जरूर कहूँगा कि यह अब भी सरकारी कर्जके बारेमें मेरे मतको व्यक्त करती है। गया प्रस्तावका जो भी अर्थ हो, मेरी टिप्पणी स्पष्ट है। मैं नहीं चाहता कि वर्तमान सरकार द्वारा लिये गये सारे ऋणोंके दायित्वसे इनकार कर दिया जाये, लेकिन मैं यह जरूर कहता हूँ कि जब सत्ताका अन्तिम हस्तान्तरण होगा, तब सरकारके ऐसे सभी ऋणोंकी पूरी जाँच-पड़ताल करना जरूरी होगा और वे ही ऋण मान्य होंगे जो इस पड़तालमें खरे उतरेंगे। उदाहरणके लिए, मान लीजिए कि सरकार देशके खनिज साधनोंके समुप-

१. देखिए "टिप्पणियाँ", १३-११-१९२४ का उपशीर्षक 'राष्ट्र ऋण'

Gandhi Heritage Portal

योजनके लिए किसी विदेशी सिंडीकेटको दस करोड़ रुपया देती है [और इसलिए उसपर उतने पौंडका कर्ज हो जाता है] तो यह स्वराज्य सरकारके लिए सिर्फ न्याय ही नहीं बल्कि कर्त्तव्य-रूप होगा कि वह उस कर्जको अदा करनेसे इनकार कर दे। दरअसल तो मैं शायद एक बातमें गया प्रस्तावसे एक कदम और आगे बढ़ जाता हूँ। मैं न केवल इस प्रस्तावके दिनसे सरकार द्वारा किये गये लेन-देनकी जाँच करनेकी माँग करूँगा, बल्कि जिसमें अनैतिकताकी गंध आती जान पड़ेगी, ऐसे हर लेन-देनकी जाँच करनेकी माँग करूँगा। क्योंकि यह सरकार दावा करती है और यह माना जाता है कि यह न्यायके साथ, ईमानदारीसे और भारतके करोड़ों लोगोंके प्रति न्यासीके रूपमें व्यवहार करती है। अतः जहाँ न्यासीके कर्त्तव्यका भंग हुआ हो या व्यवहारमें कोई दूसरी अशुद्धता पाई जाये वहाँ चिर भोगाधिकारके आधारपर उस संरक्षणका दावा नहीं किया जा सकता जो कि ईमानदारीकी भावनासे किये गये लेन-देनको प्राप्त होता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २७-११-१९२४

३१४. राष्ट्रवादके सम्बन्धमें सचाई[1]

भारतीयोंकी नयी पीढ़ीके लिए जिनके सामने महायुद्धके बाद विश्वकी बदली हुई स्थिति आ खड़ी हुई है, स्पष्ट ही यह बात अत्यन्त महत्त्व रखती है कि वे उस अनुभवके प्रकाशमें पश्चिमी राष्ट्रवादकी सचाई और पूर्वपर उसे लागू करनेके बारेमें नये सिरेसे विचार करें। . . .

सचाई यह है कि मलाया और बर्माकी अपनी हालकी यात्राओंके दौरान मैंने सभी ओर भारतीयोंके प्रति -- जैसी विदेशियोंके प्रति होती है -- शत्रुताकी भावना जागती हुई देखी। . . . मेरे लिए इसका अर्थ था कि यूरोपीय ढंगके राष्ट्रवादके पीछे केवल यूरोप ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया पागल हुई जा रही है। . . .

महात्मा गांधीके उपवाससे पहले ही इन चीजोंने मुझे उद्विग्न कर दिया था; लेकिन उपवासके दौरान मेरे मनमें यह खयाल भी आया कि जिस प्रकार यूरोपमें विरोधी धर्मोंके बीच चलनेवाले युद्धकी परिणति विरोधी राष्ट्रोंके बीच युद्धमें हुई थी, उसी प्रकार अगर हम पहलेसे ही सचेत नहीं हुए तो हिन्दू-मुसलमानोंके बीच जो तनाव है वह भी वैसा ही रूप ले सकता है। . . .

. . . शोककी बात है कि यूरोपमें श्रम और पूँजीके बीच जैसा संघर्ष चल रहा है, वैसा ही वर्ग-संघर्ष हमें मानना पड़ता है कि भारतमें है। 'अस्पृश्यता' से एक वर्ग और दूसरे वर्गके बीच अत्यन्त संकीर्ण और नृशंस शत्रुभावना सूचित होती है।

१. सी० एफ० एन्ड्रयूज़के इस लेखसे जिसपर गांधीजीने अन्तमें अपनी टिप्पणी दी है, कुछ अंश ही उद्धृत किये गये हैं।

Gandhi Heritage Portal

. . . क्या हम अपने विकासके सभी नये क्षेत्रोंमें भारतकी विश्वैक्यकी भावनाका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? या हम फिर पश्चिमकी कुछ अत्यन्त प्रतिगामी विशेषताओंकी नकल-भर कर रहे हैं? क्या हमारी स्वदेशीकी कल्पना दूसरोंके प्रति शत्रुभाव और द्वेषभावनासे धुंधली पड़ती जा रही है?. . .

सबसे बड़ी कसौटी अहिंसा है . . .

चूँकि मैं हमेशा यह महसूस करता रहा हूँ कि असहयोग-जैसे खतरनाक नामके बावजूद हमारे राष्ट्रीय आन्दोलनके पीछे बुनियादी तौरपर अहिंसा या प्रेमकी भावना रही है, इसीलिए अच्छी-बुरी सभी परिस्थितियोंमें मैं आन्दोलनके साथ रहा हूँ और जब वातावरणमें हिंसाकी भावना दिखाई पड़ती थी, तब भी मैं आन्दोलनका समर्थन और बचाव करता रहा हूँ। . . .

जबतक भारतीय स्वदेशी आन्दोलन मुख्यतः खादी अथवा उन वस्तुओंतक सीमित रहता है जो भारतमें बन सकती हैं और बननी चाहिए तबतक उसमें अशुद्धता या जाति-द्वेष आनेका कोई भय नहीं है। यह बहिष्कारात्मक नहीं है बल्कि रक्षात्मक है। वह अंग्रेजों अथवा अन्य विदेशियोंके विरुद्ध नहीं है बल्कि भारतीयोंके हितकी दृष्टिसे आवश्यक है। जैसे माँ दुनियाके प्रति किसी तरहका विरोध भाव रखे बिना उससे अपने बच्चोंकी रक्षा करती है वैसे ही भारतको अपने प्राथमिक उद्योगोंकी रक्षा करनी चाहिए। उग्र राष्ट्रवाद, जो साम्राज्यवादके नामसे प्रसिद्ध है, एक अभिशाप है, किन्तु अहिंसात्मक राष्ट्रवाद समूह-जीवन अथवा सभ्य जीवनकी एक आवश्यक शर्त है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २७-११-१९२४

३१५. पत्र : छगनलाल गांधीको[1]

[२७ नवम्बर, १९२४ के पश्चात्][2]

चि० छगनलाल,

इसकी पहुँच मथुरादासको भेज देना। दाभोलकरका पैसा किस कामके लिए है? हमें भी इन दोनों रकमोंको तथा हमारे पास अमानतके रूपमें पड़ी हुई ऐसी ही अन्य रकमोंको, यदि उन्हें ब्याजपर न चढ़ाया हो तो अब चढ़ा देना चाहिए।

बापू

गुजराती पत्र (एस० एन० ११७४३) की फोटो-नकलसे।

१ और २. यह पत्र मथुरादास त्रिकमजीके २७-११-१९२४ के पत्रके जवाबमें लिखा गया था। मथुरादास त्रिकमजीने अपने इस पत्रके साथ, गांधीजीके जेल जानेके बादसे अपने पास पड़ी हुई दो रकमोंके ब्याजका रु० १५३-०-८ पा० का एक चेक भी भेजा था।

Gandhi Heritage Portal

३१६. तार: जवाहरलाल नेहरूको[1]

साबरमती
२८ नवम्बर, १९२४

नेहरू
इलाहाबाद

बच्चेकी मृत्युसे दुःख हुआ। ईश्वरेच्छा बलीयसी।

गांधी

[अंग्रेजीसे]
ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स

३१७. तार: डा० सत्यपालको[2]

[२९ नवम्बर, १९२४ या उसके पश्चात्]

मोतीलालजी या मौलाना असमर्थ हों तो मैं अध्यक्षता करूँगा।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ११७४४) की फोटो-नकलसे।

१. श्री जवाहरलाल नेहरूका पुत्र जन्मके लगभग एक सप्ताह बाद ही मर गया था। यह तार उसी अवसरपर भेजा गया था।

२. यह डा० सत्यपालके तारके जवाबमें भेजा गया था, जो २९ नवम्बर, १९२४ को प्राप्त हुआ था। डा० सत्यपालने गांधीजीको सूचित किया था कि मोतीलालजी सम्मेलनकी अध्यक्षता नहीं कर सकेंगे और अनुरोध किया था कि गांधीजी अध्यक्षता करना स्वीकार कर लें क्योंकि पंजाबकी हालत कुशल मार्ग-दर्शनकी अपेक्षा रखती है और उनके स्वीकार न करनेपर सम्मेलन विफल हो जायेगा। साथ ही गांधीजीसे यह अनुरोध भी किया गया था कि पंजाबकी समस्याओंको हल करनेके लिए वे अन्य नेताओंको भी ले आयें।

Gandhi Heritage Portal

३१८. तार: अबुल कलाम आजादको

[२९ नवम्बर, १९२४ या उसके पश्चात्][1]

मौलाना अबुल कलाम आजाद
रिपन स्ट्रीट
कलकत्ता

मोतीलालजी कहते हैं वे नहीं आ सकेंगे। कृपया आप शामिल हों। पंजाबमें आपकी उपस्थिति विशेषरूपसे अपेक्षित।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ११७४४) की फोटो-नकलसे।

३१९. टिप्पणियाँ

बी-अम्माँ

बी-अम्माँकी मृत्युके सम्बन्धमें मैं 'यंग इंडिया'में लिख चुका हूँ।[2] उनका धर्मप्रेम अगाध था। धर्मपर उनकी आस्था अनुकरणीय थी। उनके देशप्रेमका मूल धर्मप्रेममें था, और उनकी हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यकी इच्छाका कारण भी उनका धर्मप्रेम ही था। बादमें चलकर तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि धर्म, देश और साम्प्रदायिक एकता, तीनों उनके लिए एक ही चीज बन गये थे। उन्होंने देखा कि अगर भारत स्वतन्त्र नहीं होगा तो इस्लाम भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रता विभिन्न जातियोंके बीच एकतापर निर्भर करती है और यह जातीय एकता हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यके बिना असम्भव है। ऐसा उन्होंने अपनी आँखोंसे देखा था। इसीलिए इस नेक बहनको मरते दमतक इन्हीं-तीनों बातोंकी रट लगी हुई थी। उनके अन्तिम दिनोंमें उनके दर्शन करनेका सुअवसर मुझे कई बार मिला। "हिन्दुस्तानमें कब एकदिली होगी?" "स्वराज्य कब मिलेगा?" "क्या तबतक मैं जीवित रहूँगी?"——वे मुझसे ऐसे ही सवाल पूछती थीं।

आत्मा अमर है; लेकिन ऐसी शुद्ध आत्माको देखकर तो हम उसके अमरत्वकी स्पष्ट कल्पना कर सकते हैं। आज बी-अम्माँका शरीर नहीं रहा, लेकिन उनके कार्यों और वचनोंका नाश तो, जबतक हिन्दुओं और मुसलमानोंकी हस्ती है, तबतक नहीं हो सकता। जो माता अपने वारिसके रूपमें अली भाइयों-जैसे बेटे छोड़ गई

१. देखिए पिछले शीर्षककी पाद-टिप्पणी।
२. देखिए "टिप्पणियाँ", २०-११-१९२४, उपशीर्षक 'बी-अम्माँ'।

Gandhi Heritage Portal

है, उसका नाश असम्भव है। मैं इन भाइयोंकी मातृ-भक्तिको जैसे-जैसे याद करता हूँ, वैसे-वैसे उनके प्रति मेरा प्रेम बढ़ता जाता है। इन वृद्धा बहनकी बात दोनों भाइयोंके लिए परमादेशके समान थी। वे मानते हैं कि आज वे जो-कुछ हैं, बी-अम्माँकी ही बदौलत हैं।

बी-अम्माँकी मृत्युकी रात अविस्मरणीय है। उस दिन शौकत अली मेरी प्रार्थनामें उपस्थित थे। इसी बीच टेलीफोनपर खबर मिली कि बी-अम्माँकी तबीयत ज्यादा खराब है। इसपर मौलाना साहब डा० अन्सारीको साथ लेकर तुरन्त चल पड़े। प्रार्थनाके बाद मुझे खबर मिली। मैं सरोजिनी देवीको साथ लेकर उनके यहाँ पहुँचा। सारा परिवार बी-अम्माँको घेरकर बैठा हुआ था। सभी अल्लाहके नामका जाप कर रहे थे। मौलाना मुहम्मद अलीकी आँखोंसे आँसू टपक रहे थे, लेकिन उनके मुँहसे मैंने अल्लाहके सिवा दूसरा कोई शब्द नहीं सुना। मौलाना शौकत अली आँसुओंको रोके हुए थे, लेकिन उनकी मुख-मुद्रासे उनका दुःख झलकता था। फिर भी, उनका बुद्धिविवेक मन्द नहीं पड़ा था। आसपास क्या हो रहा है, इसका उन्हें पूरा ध्यान था। मैं दुर्बल हूँ, मुझे ज्यादा समयतक वहाँ नहीं बैठना चाहिए——ऐसा सोचकर उन्होंने जोर डालकर मुझे वहाँसे विदा किया। मेरे पास उनकी ऐसी सजगता तथा विनयके बहुत सारे उदाहरण हैं।

उस छोटी-सी कोठरीमें मैंने जैसा धैर्य तथा भगवद्भाव देखा, उससे मृत्युके समयके हमारे यहाँके रोने-पीटनेके रिवाजकी तुलना किये बिना मैं नहीं रह सका। मैंने बहुत-से हिन्दुओंका मरण देखा है। मैंने अकसर देखा है कि रोगीके शरीरमें अभी प्राण शेष ही रहता है कि उसके लिए राम-नामका जाप करनेके बजाय रोना-धोना शुरू हो जाता है। सभी धर्मोंमें मृत्युके बाद रोने-धोनेकी मनाही है। हिन्दू धर्म जन्म और मरणको एक ही स्थितिके दो रूप मानता है। फिर भी, मैंने रोने-धोनेकी जंगली और नास्तिक प्रथा हिन्दुओंके अलावा और किसी धर्मके अनुयायियोंमें नहीं देखी। मैं पारसियोंकी मृत्युके समय उपस्थित रहा हूँ, यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानोंके मरते समय हाजिर रहा हूँ। लेकिन रोना-धोवा तो मैंने कहीं नहीं देखा। बी-अम्माँकी मृत्युके समय लोगोंको केवल ईश्वरपर ही आस्था रखते देखकर मुझे बड़ा सन्तोष मिला। मैं चाहता हूँ कि विवेकशील हिन्दू परिवार रोने-धोनेके घातक, जंगली और निरर्थक रिवाजको अधर्म मानकर तुरन्त बन्द कर दें।

बी-अम्माँके सम्पर्कमें मुझे और भी बहुत-सी बातें देखनेको मिलीं। उन्होंने मृत्युपर्यन्त खादीका ही उपयोग किया और सो भी महीन नहीं, बल्कि मोटी और सामान्य प्रकारकी। उनकी आज्ञा थी कि उनके कफनमें भी शुद्ध खादीका उपयोग किया जाये। मैंने उनकी इस आज्ञाका पालन होते भी देखा। अली भाइयोंके घर मैंने छोटे-बड़े, सबको खादीका ही उपयोग करते देखा।

इन दोनों भाइयोंने अथवा घरके अन्य लोगोंने अपना काम एक क्षणको भी बन्द नहीं किया। मौलाना मुहम्मद अलीका लिखनेका काम बन्द नहीं हुआ। 'हमदर्द' और 'कॉमरेड' के बारेमें वे आदेश-निर्देश देते ही रहे। मौलाना शौकत अलीने अपना

Gandhi Heritage Portal

काम एक दिन भी नहीं रोका। उन्हें दूसरे ही दिन मुजफ्फरनगर जाना था। उन्होंने उस करारको मुकम्मिल निभाया। मुझे उसी दिन रामजस कालेज जाना था। जिस समय मुझे कालेज जाना था कब्रिस्तान जानेके लिए भी वही समय रखा गया था, इसलिए मेरा विचार उक्त कार्यक्रमको रद कर देनेका था। लेकिन उन्होंने यह भी नहीं करने दिया। मुझे यह कहकर विदा कर दिया कि कब्रिस्तान जाते समय कंधा देनेके लिए आपको बुला लेंगे। इस सबसे कर्त्तव्य परायणता, विवेक और ईश्वरके प्रति आस्थाका परिचय मिलता है। मैंने तिलक महाराजके बारेमें भी ऐसा ही सुना है। उन्हें चाहे जितना दुःखद समाचार मिले, वे अपनी दिनचर्यामें कोई परिवर्तन नहीं करते थे। अंग्रेजोंमें तो ऐसी कर्त्तव्य-परायणता मैंने बहुत देखी है। जिसमें ऐसा धीरज नहीं है, वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं——ऐसा कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं है।

पारसी रुस्तमजी

बी-अम्माँकी मृत्युसे, जैसा कि मौलाना शौकत अलीने कहा है, हिन्दुस्तानका एक सच्चा सिपाही कम हो गया है। पारसी रुस्तमजीकी मृत्युसे भी एक सच्चा सिपाही कम हो गया है। इतना ही नहीं, मेरा तो एक परम मित्र ही कम हो गया है। पारसी रुस्तमजी-जैसे आदमी मैंने थोड़े ही देखे हैं। शिक्षा उन्होंने नहींके बराबर प्राप्त की थी। वे थोड़ी ही अंग्रेजी जानते थे। गुजरातीका ज्ञान भी मामूली था। बहुत पढ़नेका भी शौक न था। वे जवानीमें ही व्यापारमें पड़ गये थे। केवल अपने परिश्रमके बलपर एक मामूली गुमाश्तेकी हालतसे एक बड़े व्यापारीके दर्जेपर जा पहुँचे थे। फिर भी उनकी व्यवहार-बुद्धि तीव्र थी, उनकी उदारता हातिमकी जैसी थी; उनमें सहिष्णुता तो इतनी अधिक थी कि खुद कट्टर पारसी होते हुए भी हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदिके प्रति वे एक-सा प्रेम रखते थे। किसी भी चन्दा चाहनेवाले या हाथ फैलानेवालेको उनके पाससे खाली हाथ जाते हुए मैंने देखा ही नहीं। अपने मित्रोंके प्रति उनकी वफादारी इतनी सूक्ष्म थी कि कितने ही लोग उन्हींको अपना मुख्तियारनामा दे जाते थे। मैंने देखा है कि बड़े-बड़े मुसलमान व्यापारी अपने नाते-रिश्तेदारोंको छोड़कर पारसी रुस्तमजीको अपना प्रतिनिधि बनाते थे। कोई भी गरीब पारसी रुस्तमजीकी दुकानसे खाली हाथ नहीं लौटता था। पारसी रुस्तमजी अपनोंके प्रति जितने उदार थे, खुद अपने प्रति उतने ही कंजूस थे। मौज-शौकका तो नाम भी नहीं जानते थे। अपने लिए या स्वजनोंके लिए विचारपूर्वक खर्च करते थे। उन्होंने घरमें अन्ततक बहुत सादगी कायम रखी। गोखले, एन्ड्र्यूज, सरोजिनी देवी आदि रुस्तमजीकी दुकानपर ही ठहरते थे। छोटीसे-छोटी बात भी पारसी रुस्तमजीके ध्यानसे बाहर नहीं रहती थी। गोखलेके असंख्य अभिनन्दन-पत्र इत्यादिके बड़े-बड़े पैंतालीस अदद पैक कराने, उनकी फेहरिस्त बनाने, उन्हें जहाजपर चढ़ाने आदिका सारा भार पारसी रुस्तमजीपर न होता तो किसपर होता?

अपनी प्रिय धर्मपत्नीकी मृत्युपर उनके नामसे जेरबाई ट्रस्ट कायम करके अपनी सम्पत्तिका बड़ा भाग उन्होंने धर्म-कार्यके निमित्त दे दिया था। अपनी सन्तानको उन्होंने कभी भी अनुचित लाड़-प्यार और ऐशो-आराम नहीं दिया, बल्कि उन्हें सादगीसे रहना

Gandhi Heritage Portal

सिखाया और उनके लिए इतनी ही सम्पत्ति रख छोड़ी है, जिससे वे भूखों न मरें। अपने वसीयतनामेमें उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारोंको याद किया है।

जैसा ऊपर बताया गया है, वैसी ही तत्परता और दृढ़ताके साथ उन्होंने सार्वजनिक हलचलोंमें भी योग दिया था। सत्याग्रहके समय अपना सर्वस्व होम कर देनेके लिए तैयार हो जानेवाले नेटालके व्यापारियोंमें पारसी रुस्तमजी सबसे आगे थे। अंगीकृत कार्यको बड़ेसे-बड़ा संकट उपस्थित हो जानेपर भी न छोड़नेकी उनकी प्रकृति थी। जितना सोचा था, उससे अधिक दिनोंतक जेलमें रहना पड़ा तो भी वे हिम्मत न हारे। लड़ाई आठ सालतक चली, कितने ही मजबूत सिपाही हिम्मत हारकर बैठ गये, पर पारसी रुस्तमजी अडिग रहे। अपने पुत्र सोराबजीको भी उन्होंने लड़ाईमें होम दिया।

इस सज्जन हिन्दुस्तानीसे मेरा परिचय १८९३ में हुआ। पर ज्यों-ज्यों मैं सार्वजनिक कामोंमें पड़ता गया त्यों-त्यों पारसी रुस्तमजीमें मौजूद अमूल्य गुणोंकी कद्र करना मैं सीखता गया। वे मेरे मुवक्किल थे। सार्वजनिक कामोंमें वे मेरे साथी थे और अन्तमें वे मेरे मित्र बन गये। वे अपने दोषोंका वर्णन भी मेरे सामने बालककी तरह आकर कर देनेमें नहीं हिचकिचाते थे। मुझपर उनका ऐसा विश्वास था कि मैं चकित हो जाता था। १८९७ में जब गोरोंने मुझपर हमला किया, तब मेरे और मेरे बाल-बच्चोंका आश्रय-स्थान रुस्तमजीका मकान था। गोरोंने उनके मकान, मालमता आदिमें आग लगा देनेकी धमकी दी। पर उससे रुस्तमजी तनिक भी विचलित नहीं हुए। दक्षिण आफ्रिकामें जो नाता उन्होंने जोड़ा, उसे मृत्यु-पर्यन्त कायम रखा। यहाँ भी वे सार्वजनिक कामोंके लिए पैसा भेजते रहते थे। दिसम्बरमें कांग्रेस अधिवेशनके समय उनके यहाँ आनेकी सम्भावना थी। पर ईश्वरको कुछ और ही मंजूर था। सेठ रुस्तमजीकी मृत्युसे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी बहुत बड़ी क्षति हुई है। सोराबजी अडाजानिया चले गये, फिर अहमद मुहम्मद काछलिया गये, अभी कुछ ही दिन पहले पी० के० नायडू गये और अब पारसी रुस्तमजी भी चले गये। अब दक्षिण आफ्रिकामें इन सेवकोंकी कोटिके भारतीय शायद ही रहे हों। ईश्वर निराधारोंका रखवाला है। वह दक्षिण आफ्रिकाके भारतवासियोंकी रक्षा करेगा; परन्तु पारसी रुस्तमजीकी जगह तो हमेशा खाली ही रहेगी।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३०-११-१९२४

Gandhi Heritage Portal

३२०. विरोधी मित्र

जितना हम अनुकूल मित्रोंसे सीखते है, बहुधा उससे अधिक विरोधी मित्रोंसे सीखते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि हममें अपनी आलोचना सुनने और समझनेकी सहिष्णुता और धीरज होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये दोनों बातें मुझमें हैं। इसीसे मैं अपने कुछ आलोचकोंसे बहुत-सी बातें सीख पाया हूँ। ऐसे एक आलोचकका पत्र नीचे दे रहा हूँ।[1]

मैं मानता हूँ कि यह पत्र निर्मल भावसे लिखा गया है। लेखकको गुस्सा तो अवश्य आ गया है, पर उन्होंने वही लिखा है, जो वे मानते हैं। उन्होंने काकतालीय-न्यायसे काम लिया है। उन्होंने मुझको तार किया था। उसका जवाब उन्हें न मिला। बस, इसीसे उन्हें मेरी सारी करनी निन्द्य मालूम होती है। मैं तो यह मानता आया हूँ कि पत्रोंके जवाब मैं बहुत नियमपूर्वक देता हूँ और अपने आसपास मैंने जिन साथियोंको इकट्ठा किया है, वे दुष्ट नहीं बल्कि सत्यका अनुसरण करनेका प्रयत्न करनेवाले हैं। परन्तु कोई मनुष्य नियमका कितना ही पाबन्द क्यों न हो, वह अपने तमाम पत्रों और तारोंका जवाब नहीं दे सकता। उपवासके समय मिले तमाम पत्रों और तारोंको देखना मेरे लिए अशक्य था। इसी तरह मेरे साथियोंके लिए भी ऐसे प्रत्येक पत्र और तारका जवाब देना अशक्य था। समझमें आने लायक ऐसी सीधी-सी बात भी उक्त पत्र-लेखक न समझ सके, यह दुःखकी बात है।

असहयोग चल रहा है और इधर भारतमें व्यापार भी मन्द है, इसलिए उसकी मन्दीका कारण है, असहयोग। और असहयोगका प्रवर्तक मैं हूँ, इसलिए उसकी जिम्मेवारी मेरे सिर है। यह है पत्र-लेखककी दलील। मैं इससे उलटी दलील पेश करना चाहता हूँ। लोगोंने असहयोगको पूरा-पूरा नहीं अपनाया, उन्होंने चरखा-धर्मका पूरा पालन नहीं किया, इसीसे दुनिया-भरमें आज व्यापारमें जो मंदी चल रही है, उसे भारतको भी भोगना पड़ रहा है। लोग असहयोगका मर्म न समझ पाये, क्योंकि पत्र-लेखककी तरह अधीर और उतावले लोग इस देशमें बहुत हैं। इसीसे भारतको दुःख सहन करना पड़ रहा है। यदि वे धीरज रखकर असहयोगका मर्म समझें और उसका पालन करें तो हिन्दुस्तान आज ही मुक्त हो जाये।

फिर, इस सज्जनने बेचारी खादीपर भी प्रहार किया है। उसका जवाब तो बहुत बार दिया जा चुका है। फिर भी, लेखक तथा उनके-जैसे दूसरे अश्रद्धालु लोगोंके लिए पुनः लिखता हूँ। अकेली खादी ही मैली नहीं होती, हर तरहका सफेद कपड़ा मैला होता है। हाँ, खादीके मोटी होनेसे उसे धोनेमें जरा तकलीफ होती है। पर अगर हम पश्चिमी दुनियाकी ऐशो-आरामकी जिन्दगीके असरमें आकर नाजुक न हो

१. इस पत्रका अनुवाद यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें उठाये गये मुख्य मुद्दोंकी चर्चा गांधीजीने जवाब देते हुए ही कर दी है।

Gandhi Heritage Portal

गय होते तो खादीको धोनेमें हम कष्ट नहीं, उलटा आनन्द मानते। फिर, खादी पहननेवाला कपड़े कम पहनता है, इसलिए कुल मिलाकर धुलाई आदिमें कष्ट भी कम ही होता है। इससे आगे बढ़ूँ तो मैं यह भी कहूँगा कि जिन्हें मोटी खादी कष्टकर मालूम होती है वे महीन सूत कातकर कपड़ा बुनवा लें। इससे खादी मलमल-जैसी बारीक हो जायेगी और उसका खर्च मलमलसे कम पड़ेगा, क्योंकि कातनेतक की क्रियाका तो कुछ भी खर्च न पड़ेगा। जबसे स्वेच्छया कताईकी हलचल शुरू हुई है, तबसे जो महीन खादी पहनना चाहता हो, उसे महीन खादी मिल सकनेकी सुविधा भी हो गई है। जो अपने आलस्यवश महीन सूत न कातेंगे, उन्हें खादीपर मोटेपनका दोष लगानेका अधिकार नहीं हो सकता। यदि स्वेच्छया कताईकी प्रवृत्ति कायम रही और खूब फैल गई तो बाजारमें भी जितनी चाहिए उतनी महीन खादी मिल सकेगी।

चरखेकी हलचलका उद्देश्य है आमदनी बढ़ाना। वह अन्नपूर्णा है। पत्र-लेखक भाई वकील हैं। उन्हें गरीबोंकी दशाकी कल्पना नहीं हो सकती। यदि वे गरीब गाँवोंमें घूमें तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि एक पैसा भी कंगालके लिए स्वागत-योग्य होता है। करोड़ों मजदूरोंको दिनमें एक आना भी नहीं मिलता। उनके लिए तो चरखा कामधेनु हो जाता है। इसके एक साक्षी तो आचार्य राय हैं।

पत्र-लेखक द्वारा [सविनय-] अवज्ञाके सम्बन्धमें किया गया कटाक्ष भी विचार करने योग्य है। उसमें बहुत सत्यांश है। जिस प्रकार लोगोंने असहयोगके प्रथम पद 'शान्तिमय' को नहीं समझा, उसी प्रकार अवज्ञाके प्रथम पद 'सविनय' को भी नहीं समझा। और इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसीसे बुरे परिणाम सामने आये हैं। बहुत-से लोगोंने मान लिया है कि चाहे जिस कानूनकी, चाहे जिस-किसीको अवज्ञा करनेका अधिकार है। यह सविनय अवज्ञा नहीं, बल्कि उद्धततापूर्ण, अविनयपूर्ण और विनाश-कारी अवज्ञा है। यह तो कुछ अंशोंमें सशस्त्र विद्रोहसे भी ज्यादा हानिकर है। लेकिन इसमें सविनय अवज्ञाकी खामी नहीं मानी जायेगी; यह तो अवज्ञा करनेवालोंकी नासमझीका दोष है। नये आन्दोलनमें ऐसी नासमझी हुआ ही करती है। अपूर्ण मनुष्योंके बीच जब अपूर्ण मनुष्य काम करता है तब ऐसी अपूर्णताएँ होती ही हैं। परन्तु यदि सुधारक और समाज ये दोनों पक्ष निर्मल भावसे और अज्ञानवश भूल करें तो यह ईश्वरीय नियम है कि वह भूल अपने-आप सुधर जाती है। जहाँ-जहाँ मुझे दोष दिखाई देता है, वहाँ-वहाँ मैं प्रायश्चित्त करता हूँ। लोग भी सच्चे दिलसे अपनी भूल सुधारते हैं। लेकिन उनके बीच एक दल ऐसा है, जो जान-बूझकर बीचमें पड़ता है और लड़ाईको नुकसान पहुँचाता है। इसका इलाज यही है कि इन नये दिखाई देनेवाले सिद्धान्तोंका अधिक प्रचार किया जाये, इनको अधिक समझा जाये। फिर भी, हम सबको सावधान करनेके लिए लेखकके उद्गारोंका मैं स्वागत करता हूँ।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३०-११-१९२४

Gandhi Heritage Portal

३२१. अब क्या करें ?

खादी एक-एक कदम आगे बढ़ती जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने मताधिकारमें खादीको शामिल करनेके सुझावको स्वीकार कर लिया है। हमें आशा रखनी चाहिए कि कांग्रेस भी उसे स्वीकार कर लेगी। परन्तु कांग्रेस चाहे स्वीकार करे या न करे, जिन लोगोंको कातनेकी शक्तिपर विश्वास है, वे तो सूत कातकर ही अपनी सदस्यताको सुशोभित करेंगे। स्वराज्यवादियोंने शुभ हेतुसे ही कताई और खादीके लिबासको मताधिकारमें स्थान दिया है। परन्तु उन्हें उत्साह मिले, उनका विश्वास दृढ़ हो, इसके लिए अपरिवर्तनवादियोंको आगे बढ़कर औरोंको भी आगे बढ़ाना चाहिए। अभी तो गुजरातमें कोई २००० स्वेच्छापूर्वक कातनेवाले हैं। कतैयोंकी इस संस्थाको भी कायम रखनेमें हमें मेहनत पड़ रही है, हमारी योजना-शक्तिकी आजमाइश हो रही है, हमारी कुशलताकी कसौटी हो रही है। इसलिए उसको बहुत आगे बढ़ानेमें भी तो हमारी तमाम शक्तियोंकी परीक्षा होगी। जब बहुत सारे कार्यकर्त्ता इसकी सतत तैयारी करते रहेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। हजारों लोग अपनी मेहनत तो दे सकेंगे, लेकिन रुई न देंगे, न उन्हें मिल ही सकेगी। वे सब अपने लिए पूनियाँ भी तैयार न करेंगे। इसलिए हर गाँव और हर तालुकेमें अच्छे धुननेवाले होने चाहिए। हर गाँवमें, हर तालुकेमें, अच्छे चरखे और धुनाईके कमठे बनानेवाले होने चाहिए। समितियों या उपसमितियोंको कपासका संग्रह रखना चाहिए। जो प्रान्त यह सब काम अच्छी तरह कर सकेगा, उसीके बारेमें माना जा सकेगा कि उसमें व्यावहारिक शक्ति, तंत्रको चलानेकी शक्ति आ गई है। यदि हम इतना भी न कर सके तो फिर स्वराज्य-तन्त्रका संचालन करनेकी शक्ति कहाँसे लायेंगे? स्वराज्य मिलनेपर ये शक्तियाँ अपने-आप नहीं आ जायेंगी; बल्कि हम देखेंगे कि उन शक्तियोंको प्राप्त करनेमें ही स्वराज्य छिपा हुआ है। हमारे कताईके पेशेको नष्ट करके ईस्ट इंडिया कम्पनीने हमपर अपना कब्जा जमाया। अब उसी चीजके जीर्णोद्धारमें हमारा उद्धार है।

आजतक सूत उन्हीं लोगोंने काता है जो चरखे, पूनियाँ आदि प्राप्त कर सके हैं। अब यदि हम बहुत सारे लोगोंसे आधे घंटेकी मेहनतकी आशा रखते हों तो समितियोंको ये सब सुविधाएँ जुटानी पड़ेंगी। यदि हमारे अन्दर सच्ची जागृति हो तो हजारों लोगोंको इस अल्प परिश्रमसे सम्पादित होनेवाले महायज्ञमें हाथ बँटाना चाहिए और यदि यह बात सच हो कि चरखेके बिना स्वराज्य नहीं, तो फिर उसमें हजारों लोगोंका शामिल होना कोई आश्चर्यकी बात न होनी चाहिए। मेरी दृष्टिसे तो चरखा ही स्वराज्य प्राप्त करनेका सबसे सुगम उपाय है। वह दूसरी तमाम प्रवृत्तियोंको तेज प्रदान कर सकेगा और बिना उसके दूसरी तमाम प्रवृत्तियाँ निरर्थक साबित होंगी।

Gandhi Heritage Portal

लोगोंमें सचमुच शक्ति है या नहीं, लोग सचमुच स्वराज्य चाहते हैं या नहीं, इसका अन्दाजा लगानेका हमारे पास दूसरा कोई शान्तिमय उपाय है ही नहीं। बड़े-बड़े सम्मेलनोंमें लाखों आदमियोंके जमा होनेसे स्वराज्य-शक्ति सिद्ध नहीं होती। हजारों लोगोंके चन्दा देनेसे भी वह शक्ति नहीं आती। जहाँ पैसेका उपयोग करनेवाले न हों, वहाँ पैसेकी क्या कीमत? बहुतोंके हिन्दी या अंग्रेजी पढ़नेसे भी स्वराज्य नहीं मिल सकता। परन्तु चरखा चलानेमें यह शक्ति किस तरह निहित है, यह बात मैं कई बार अनेक प्रकारसे बता चुका हूँ।

यदि चरखा सफल न हुआ तो मेरा निश्चित मत है कि तब भारतके लिए आजादी हासिल करनेका एकमात्र उपाय खूँरेजी ही रह जाता है। केवल विधानसभाओंके द्वारा कभी भी सच्ची स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती। यह बात तो हरएक भारतवासीको सूत्र-रूपमें समझ रखनी और रट रखनी चाहिए। फिर तो सिर्फ शक्तिका ही रास्ता रह जाता है। एक तो है शान्तिमय शक्तिका रास्ता। उसमें हमें खुद कष्ट-सहन करना होगा, हमें कुछ रचनात्मक काम करना होगा।

दूसरा है हिंसक शक्तिका रास्ता। उसमें हमें प्रतिपक्षीको दण्ड देना होगा। इस रास्तेको अभी तो सब लोगोंने त्याज्य माना है। हिंसक रास्तेपर चलकर फिलहाल तो भारत कुछ भी नहीं कर सकता। यह इतनी सीधी-सी बात है कि एक बच्चा भी समझ सकता है।

इसलिए जहाँतक मेरी दृष्टि जाती है, वहाँतक यदि मुझे चरखा ही चरखा दिखाई दे तो पाठक मुझे माफ करेंगे और जो बात मुझे दिखाई देती है यदि वही उन्हें भी दिखाई दे तो मैं उन्हें इस भव्य यज्ञमें अपना पूरा योग-दान करनेके लिए निमन्त्रण देता हूँ।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ३०-११-१९२४

३२२. विविध विषय

खादी भण्डार

बम्बईमें गुजरात प्रान्तीय समितिका खादी भण्डार कालबादेवीकी सड़कपर है। समितिकी सुविधाके विचारसे इस भण्डारको श्री जमनालालजीने अपने हाथमें ले लिया है। पहले श्री जमनालालजीका विचार इस भण्डारको अधिक समयतक चलानेका न था। लेकिन भण्डार एकाएक बन्द कर देनेसे ज्यादा नुकसान होनेका भय था और जहाँ यह भण्डार है वहाँ फिलहाल ऐसे भण्डारकी जरूरत महसूस होती है, इस कारण यह अभी चालू रखा गया है। इस भण्डारको चलानेमें लाभ कमानेकी दृष्टि नहीं है। इसलिए मैं इस मुहल्लेमें रहनेवाले ऐसे लोगोंको जिन्हें खादी-प्रवृत्तिमें श्रद्धा है, सलाह देता हूँ कि वे खादी भण्डारमें जायें और यदि उन्हें उसका माल और मालके दाम अनुकूल जान पड़ें तो उसे प्रोत्साहन दें।

Gandhi Heritage Portal

स्वर्गीय दलबहादुर गिरि

स्वर्गीय दलबहादुरजी गिरिके नामपर दानमें दो रकमें प्राप्त हुई हैं। बहन जरबानु प्यारेलालने अपनी ओरसे १०० रुपये भेजे हैं और कलकत्ताके एक सज्जनने भिन्न-भिन्न सज्जनोंसे चन्दा करके ८० रुपये भेजे हैं। यह सम्भव है कि स्वर्गीय दलबहादुर गिरिके परिवारके लोग आश्रममें आ जायें। यदि ऐसा हुआ तो इस रुपयेका उपयोग उनके पोषणके लिए किया जायेगा। अगर वे आश्रममें नहीं आये तो वे जहाँ भी रहेंगे, यह रकम वहाँ भेज दी जायेगी। उन्हें थोड़ी-सी मदद तो बंगाल प्रान्तीय समितिकी ओरसे भी दी गई है। इस परिवारकी जैसी भी हालत होगी मैं पाठकोंको उससे अवगत करता रहूँगा। इस बीच किसीको मुझे अधिक धन भेजनेकी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होगी तो मैं पाठकोंको सूचना दूँगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ३०-११-१९२४

३२३. भाषण: गुजरात राष्ट्रीय विद्यापीठ, अहमदाबादमें

३० नवम्बर, १९२४

गुजरात राष्ट्रीय विद्यापीठके छात्रोंके सामने भाषण करते हुए श्री गांधीने कहा कि कांग्रेस द्वारा असहयोगको स्थगित करनेके प्रस्तावका मतलब राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओंको बन्द करना या उन्हें सरकारी विश्वविद्यालयोंसे सम्बद्ध करना नहीं है। इन संस्थाओंका अस्तित्व तो अब वास्तविक तथ्य बन चुका है और अब यह प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंके ऊपर है कि वे उन्हें बरकरार रखें। मैं तो कांग्रेस द्वारा इस आशयका एक प्रस्ताव पास किये जानेका सुझाव दूँगा कि इन संस्थाओंको बनाये रखा जाये। यही नहीं, मैं तो यह सुझाव भी दूँगा कि जहाँ जनता इच्छा प्रकट करे, वहाँ ऐसी नई संस्थाएँ स्थापित भी की जायें। अगर कहीं ऐसे छात्र हों जो एक राष्ट्रीय आवश्यकताके रूपमें असहयोगमें विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन जिन्होंने कांग्रेसके प्रस्तावके प्रति निष्ठाभावके कारण ही सरकारी शिक्षा संस्थाओंको छोड़ दिया था तो वे किसी कलंकका भय रखे बिना सरकारी संस्थाओंमें फिरसे जानेको स्वतन्त्र हैं। असहयोग आन्दोलनके प्रस्तावित स्थगनसे देशको पक्के असहयोगियोंकी शक्ति जाननेका अवसर मिलेगा। एक राष्ट्रीय कार्यक्रमके रूपमें असहयोग स्थगित हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि व्यक्ति और यहाँतक कि प्रान्त भी असहयोगको स्थगित कर दें। शर्त इतनी ही है कि यदि वे उसे जारी रखना चाहते हों तो उन्हें विद्वेष या आन्तरिक कलह उत्पन्न किये बिना ही चलाना चाहिए। प्रत्येक मानव जीवनकी ही तरह इस आन्दोलनमें भी उतार-चढ़ावके दौर आ सकते हैं, लेकिन

Gandhi Heritage Portal

यह स्थायी है और जबतक सरकारकी मौजूदा प्रणाली रहेगी तबतक वह अमुक व्यक्तियोंमें या व्यक्ति-समूहोंमें किसी-न-किसी रूपमें जारी रहेगा।

एक प्रश्नका उत्तर देते हुए श्री गांधीने कहा कि जिस हदतक राष्ट्रीय स्कूल हिन्दू-मुस्लिम एकताके वांछित स्वरूपके, तथाकथित अछूतों और सवर्ण हिन्दुओंके बीच सही सम्बन्धोंके या चरखेका क्या अर्थ है, इसके जीते-जागते विज्ञापन हैं, उस हदतक वे राष्ट्रीय राजनीतिके अंग हैं। भविष्यका इतिहासकार असहयोगी शिक्षा संस्थाओंकी प्रगतिका माप इन संस्थाओंमें इन्हीं तीन बातोंकी प्रगतिसे करेगा। इन तीन बातोंको स्वराज्यवादी और अपरिवर्तनवादी दोनों समान रूपसे अपना ध्येय मानते हैं। जो फर्क है वह महज इनपर जोरके बारेमें है। आपको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि स्वराज्यवादियोंने खद्दर-कार्यक्रममें कोई विश्वास न होते हुए भी उसे स्वीकार किया है। जबतक कोई सबूत न हो तबतक यह विश्वास करना अन्याय होगा कि किसी दलने कोई बात यों ही सिर्फ कहनेके लिए कह दी है। खद्दरको टाल देनेका कोई सवाल ही नहीं है। मुझे यह कहनेमें कोई हिचक नहीं है कि जिन छात्रोंको खद्दर कार्यक्रममें विश्वास नहीं है, वे राष्ट्रीय पाठशालाओं और विद्यालयोंमें रहकर अपना समय बरबाद कर रहे हैं।

[अंग्रेजीसे]

न्यू इंडिया, १-१२-१९२४

३२४. पत्र : मगनलाल गांधीको

गुरुवार [१ दिसम्बर, १९२४ से पूर्व][1]

चि० मगनलाल,

उस राज [मिस्त्री]का मामला तुमने समझ लिया होगा।

१. अगर वह पंच-फैसलेके लिए तैयार हो तो मावलंकरसे सलाह-मशविरा करना और वकीलसे वैसी व्यवस्था करनेके लिए अनुरोध करना।

२. अगर इसके लिए तैयार न हो तो कानूनकी रीतिके अनुसार जो जवाब देना उचित हो मावलंकरसे पूछकर देना।

३. अगर अदालतमें हाजिर होनेकी जरूरत पड़े तो हाजिर हो जाना और वादीसे आवश्यक सवाल-जवाब करना। जवाब धीरजके साथ देना। मुद्देसे बाहर मत जाना।

४. मामला हमारे पक्षमें ही तय होगा, ऐसी सम्भावना है। अगर ऐसा न हो तो अपील करना।

५. फैसला अगर हमारे पक्षमें हुआ तो हमें खर्च भी मिलेगा। वह तो हम ले नहीं सकेंगे, क्योंकि अगर फैसला हमारे पक्षमें हुआ तो खर्चेकी रकम वसूल

१. श्री मगनलाल गांधीने इसके प्राप्त होनेकी तिथि १ दिसम्बर, १९२४ लिखी है।

Gandhi Heritage Portal

करनेके लिए हमें अदालतमें जाना पड़ेगा; सो हम कैसे कर सकते हैं? इस मामलेसे हमें एक नसीहत मिलती है कि कारीगरोंसे हमें जो काम लेना हो, उसे लिखित रूपमें तय करके लिया जाये। ठेकेकी शर्तें पूरी तौरपर लिखी होनी चाहिए। वकीलका नाम मुझे सूचित करना।

बापूके आशीर्वाद

[पुनश्चः]

आनन्दानन्द अब बहुत उकताया हुआ है; थक भी गया है। उससे बात करना। अगर छगनलाल वहाँका कामकाज देख सके और आनन्दानन्दको विश्रामका अवसर दिया जा सके तो छगनलाल वहाँका काम सम्हाल ले। छगनलालकी गैर-हाजरीमें उसका काम कौन करता है? आनन्दानन्दको थोड़ा-आराम देना जरूरी है। उसे दूसरा काम दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि आनन्दानन्दमें काम करनेकी बहुत शक्ति है। 'नवजीवन'के सम्बन्धमें रुपये-पैसेकी तथा अन्य चिन्ताओंसे उसने मुझे पूरी तरह मुक्त रखा है और उसका स्तर भी खूब ऊपर उठाया है। तुमने उसे देखने-परखनेकी कोशिश की है या नहीं सो मुझे नहीं मालूम। जो भी हो, इस विषयमें विचार करते समय महादेव, नरहरि वगैरहसे भी राय लेना।

बापूके आशीर्वाद

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६०९८) से।
सौजन्य: राधाबहन चौधरी

३२५. पत्र: मगनलाल गांधीको

[१ दिसम्बर, १९२४][1]

चि० मगनलाल,

खीमजीके मुकदमेमें हमें हारना हरगिज नहीं है। इसके लिए वे उपाय अवश्य किये जायें जो तुम्हें योग्य जान पड़े। झूठी सौगन्ध खानेकी बातको लेकर मुकदमा चलानेकी जरूरत नहीं। लेकिन यदि तुम्हारी अनुपस्थितिके सम्बन्धमें हलफनामा माँगा जाये तो उसे दाखिल कर देना। इसके सम्बन्धमें वल्लभभाई तुम्हें विस्तृत रूपसे सलाह देंगे।

धुनकीके विषयमें जो उचित जान पड़े सो करना। मैं यह जरूर चाहता हूँ कि जो आश्रमवासी धुनना अच्छी तरह जानते हों, उन्हें कुछ और समय देकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि एक धुनकी सारा दिन चला करे। वे यह काम अभ्यासकी खातिर करें और दूसरे, यह जतलानेके लिए भी कि यही हमारा धन्धा है। तीसरे अपनी शक्तिके अनुसार पूनियाँ जुटानेके लिए। ये तीनों बातें इस समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

१. मगनलाल गांधी द्वारा दी गयी तारीख।

Gandhi Heritage Portal

छोटेलालसे जो-कुछ कहना चाहिए था, वह उससे मैंने कल रातको कह दिया है। छगनलालको तो कहा ही है। लेकिन मुझमें ऐसी शक्ति नहीं है कि जो बात मैं एक बार कह दूँ उसका प्रभाव लोगोंपर हमेशा बना रहे। मुझे लोगोंके समीप निरन्तर बने रहनेकी जरूरत रहा करती है। मैं आश्रममें लम्बे समयतक रहकर आश्रमके कामकी देखभाल करना चाहता तो हूँ लेकिन ईश्वर मेरी यह इच्छा पूरी कब होने देता है? उसपर किसका बस है?

बापू

[पुनश्चः]

इसके साथ शम्भुशंकरको उत्तर है।

गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ६०४४) से।
सौजन्य : राधाबहन चौधरी

३२६. पत्र : रमाबाई पट्टणीको

साबरमती
मार्गशीर्ष सुदी ५ [१ दिसम्बर, १९२४][1]

प्रिय बहन,

आपका स्नेहपूर्ण पत्र मिला। ८-९ जनवरीको परिषद्में[2] शरीक होना है। उसके बाद आप मुझे कुछ दिनोंके लिए किसी शान्त स्थलमें ले जा सकती हैं। मुझे ज्यादासे-ज्यादा १४ तारीखको यहाँ पहुँच जाना है। मेरे वहाँ पहुँचनेके बाद सब प्रबन्ध हो ही जायेगा। खादी-प्रचारमें आप-जैसी बहनोंकी मददकी आशासे ही मुझे काठियावाड़में आने और परिषद्का अध्यक्ष-पद ग्रहण करनेका लोभ हो आया। यदि मेरी यह आशा फलीभूत हुई तो किसी शान्ति स्थलपर जाकर मुझे जितनी शान्ति मिल सकती है, उसकी अपेक्षा इससे कहीं ज्यादा शान्ति मिलेगी। आशा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा।

मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्

लेडी रमाबाई पट्टणी
भावनगर

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१८३) से।
सौजन्य : महेश पट्टणी

१. रमाबाई पट्टणीने अपने २४ नवम्बरके पत्रमें गांधीजीको उनके बेलगाँव कांग्रेससे वापस आनेपर, त्रापजमें कुछ दिन शान्तिके साथ बितानेका निमन्त्रण दिया था। गांधीजीने यह पत्र उसीके उत्तरमें लिखा था।

२. काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्।

Gandhi Heritage Portal

३२७. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

मार्गशीर्ष सुदी ६ [२ दिसम्बर, १९२४][1]

सुज्ञ भाईश्री,

मैं यह पत्र आपको पंजाब जाते हुए गाड़ीमें लिख रहा हूँ। आपका पत्र मिला है। देशी राज्योंके बारेमें मैं कांग्रेसकी नीतिको स्पष्ट कर दूँगा। काठियावाड़ [राजनीतिक] परिषद्के पश्चात् मैं कुछ समय आपके आश्रयमें रहकर शान्ति-लाभकी आशा कर रहा हूँ।

मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१८२) से।
सौजन्य : महेश पट्टणी

३२८. पत्र : अब्बास तैयबजीको

गाड़ीमें
[२ दिसम्बर, १९२४]

भाई साहब,

आपका पत्र मिला। बीमार पड़नेका अधिकार केवल मुझे है, अन्य सेवकोंको बीमार न पड़ना चाहिए। उम्मीद है कि आपका पैर अब बिलकुल ठीक हो गया होगा। आपकी शिकायत समझता हूँ। मैं आपको कौंसिलमें जानेकी तकलीफ नहीं दूँगा। सबको मेरा वन्देमातरम्।

मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्

गुजराती पत्र (एस० एन० ९५५०) की फोटो-नकलसे।

१. डाककी मुहरसे।

Gandhi Heritage Portal

३२९. टिप्पणियाँ

बेलगाँवमें

मैं चाहता हूँ कि कार्यकर्त्तागण यह समझ लें कि मैं कांग्रेसके आगामी अधिवेशनका वैसा ही सभापति होऊँगा जैसा कि एक कामकाजी आदमी एक कामकाजी सभाका सभापति होता है। कांग्रेसका प्रदर्शनात्मक पहलू तो उसकी प्रदर्शनी तथा ऐसी ही अन्य चीजोंमें दिखाई देगा। किन्तु यदि हम लोग सचमुच कुछ ठोस काम करना चाहते हैं तो हमें पहलेसे उसका एक कार्यक्रम ही बना लेना चाहिए और सबको उसमें शरीक होकर सहायता देनी चाहिए। यह तभी हो सकता है जब वे समझौतेको समझें, पसन्द करें और पूरे दिलसे मान लें। मुझे यह पसन्द नहीं है कि स्वराज्यवादी हों या अपरिवर्तनवादी, कोई भी इसे केवल अपनी वफादारीकी भावनाके कारण मान लें। यह समझौता दिखानेके लिए नहीं है। दूसरोंपर असर डालनेके लिए नहीं, किन्तु अपने ही लोगोंपर असर डालनेके लिए यह समझौता हुआ है। केवल ऊपरी मनसे मंजूर करना तो कुछ न करनेसे भी बदतर होगा। मंजूरीके साथ आन्तरिक विश्वास और सहयोगका होना आवश्यक है। कुछ स्वराज्यवादियोंने सदस्यताकी शर्तको न बदलनेकी प्रार्थना की है। सिवा इसके मैंने स्वराज्यवादियोंकी ओरसे अबतक इस समझौतेका कोई विरोध नहीं पाया है। किन्तु अपरिवर्तनवादी तो मुझपर बड़े रोष और दु:खके साथ अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। जहाँतक मुझसे हो सकता है, मैं इन पृष्ठोंमें, स्थितिको समझानेका और शंकाओंके समाधानका प्रयत्न करता हूँ। तब भी मैं यह जानता हूँ कि पूरी तौरसे खुलकर बातें करनेके समान संसारमें और कुछ भी नहीं है। अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें मैंने घंटे-भरतक अपरिवर्तनवादियोंसे बात की थी। पर उस एक घंटेमें क्या होना था? इसलिए २० दिसम्बरका दिन, बेलगाँवमें अपरिवर्तनवादियोंसे मिलकर विचार करनेके लिए अलग निकालकर रखे देता हूँ। मैं उस दिन सुबह बेलगाँवमें पहुँच जानेकी उम्मीद रखता हूँ। मैंने श्रीयुत गंगाधरराव देशपांडेको लिखा है कि मेरे स्वागतमें किसी प्रकारकी धूमधाम न की जाये। इसमें समय नष्ट करना ठीक नहीं है। मैं सभी अपरिवर्तनवादियोंसे, जो चर्चामें भाग लेना चाहते हैं, इस खानगी सभामें आनेका अनुरोध करता हूँ। साथ ही मैं उन्हें इतना पहले बेलगाँवमें भीड़ लगा देनेसे रोकना भी चाहता हूँ। २६ ता० के पहले कांग्रेसकी बैठक शुरू नहीं होगी। खिलाफत परिषद् भी २४ ता० से पहले शुरू नहीं होगी। नेशनल कन्वेंशन भी इससे पहले न हो सकेगा। इसलिए मैं यह उचित समझता हूँ कि हरएक प्रान्त अपने दो-दो, तीन-तीन प्रतिनिधि चुनकर भेजे जिन्हें और लोगोंके भी विचारोंकी पूरी जानकारी हो। २० तारीखको तीसरे पहरका सारा समय विचार-विनिमयके लिए दिया जा सकता है। यदि जरूरत पड़ी तो २१ तारीखको भी बहस चल सकती है। मैं देशबन्धु दास और पण्डित मोतीलाल नेहरूसे स्वराज्य-

Gandhi Heritage Portal

वादियोंके साथ भी अपनी ऐसी चर्चाकी आवश्यकताके विषयमें पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। यदि वे उचित समझें तो मैं बड़ी खुशीसे २१ तारीखका एक हिस्सा केवल स्वराज्यवादियोंको ही दूँगा। जहाँतक प्रतिनिधियोंकी उपस्थितिका सम्बन्ध है, मैं आशा करता हूँ, दोनों दलोंकी ओरसे पूरी-पूरी उपस्थिति होगी। क्योंकि जहाँतक स्वयं मेरा सम्बन्ध है, मैं दलबन्दीके आधारपर बहुमत द्वारा तो कोई भी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास कराना नहीं चाहता, किन्तु मैं प्रतिनिधियोंके रुखको जरूर जान लेना चाहता हूँ। यदि वे केवल उपेक्षा और उदासीनताके कारण या त्रस्त होकर कांग्रेस अधिवेशनमें न आयेंगे तो वे अपने कर्त्तव्यके पालनमें चूकेंगे। जिसे राष्ट्रीय कार्यमें अपना समय देना नामंजूर हो उसे प्रतिनिधि नहीं बनना चाहिए। जहाँतक मनुष्यके बसकी बात है, कांग्रेस अधिवेशनमें उपस्थित होना और अगले वर्षके लिए कांग्रेसकी नीति निर्धारित करनेमें सहायता देना उनका कर्त्तव्य है।

अडयारमें हाथ-कताई

पाठकोंको मैडम डी मैंजियरली द्वारा डा० बेसेंटको लिखा गया पत्र और उसपर डा० बेसेंटकी टिप्पणी पढ़कर खुशी होगी। इसे मैं 'थियोसॉफिस्ट' के चालू अंकसे नीचे उद्धृत कर रहा हूँ:[1]

विश्वासघात ?

देशमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देशकी नीतिमत्ताका ध्यान रहता है। यह एक शुभ चिह्न है। एक मित्र जो कि स्वयं लिबरल दलवाले नहीं हैं, पूछते हैं कि अ० भा० कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वराज्यवादियों और गांधीजीके बीच हुए समझौतेका स्वीकार किया जाना क्या सर्वदलीय परिषद्के साथ विश्वासघात नहीं है? मेरी नम्र रायमें इसका उत्तर है—'हरगिज नहीं'। क्योंकि यह समझौता ही तो इस निमन्त्रणका आधार है। उसके पहले कांग्रेसके दोनों दलोंका मिल जाना आवश्यक था। जबतक कांग्रेसका अधिवेशन न हो तबतक अ० भा० कां० कमेटी ही उस एकताको प्रदर्शित कर सकती है। जहाँतक कांग्रेसके दोनों दलोंका सम्बन्ध है, यह समझौता अन्तिम है। पर किसी बाहरी दलके चाहनेपर इसका विरोध करने, यहाँतक कि पुनर्विचार तक करनेकी गुंजाइश है। उस विरोधका सफल होना तभी सम्भव है जब वह दोनों दलोंको युक्तियुक्त जँचे। किसी दलसे यह नहीं कहा जा रहा है कि एकताके नामपर वह अपने-अपने सिद्धान्तोंको छोड़ दे। अ० भा० कां० कमेटी द्वारा पुष्ट किया गया समझौतेवाला प्रस्ताव ऐसा कोई आखिरी निर्णय नहीं है कि या तो यही मंजूर कीजिए या कुछ भी नहीं। समझौतेके अतिरिक्त भी ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनपर सभी दलोंको विचार करना पड़ेगा। कांग्रेसवालोंसे यह आशा नहीं की जानी चाहिए कि वे

१. पत्र और टिप्पणी यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं। मैडम डी मैंजियरलीने डा० बेसेंटको अपने पत्रमें सूचित किया था कि डा० बेसेंटकी अनुपस्थितिमें जब वे लन्दन गई हुई थीं, उन्होंने अडयारमें कताई सीख ली है और उनकी देखा-देखी लोगोंने भी उसे सीखा है और अब वे आसपासके गाँवोंमें ग्रामोद्योगोंको बढ़ावा देनेका कार्यक्रम चला रही हैं।

Gandhi Heritage Portal

अपने सिद्धान्तों व नीतिको सर्वदलीय परिषद्के निर्णयतक मुल्तवी रखेंगे। पर हाँ, उनसे यह उम्मीद जरूर की जाती है कि वे प्रत्येक प्रश्नपर बिना पहलेसे कोई धारणा बनाये खुले दिमागसे विचार करेंगे । उन्हें परिषद्में प्रस्तुत प्रत्येक बातपर विचार करनेके लिए तैयार रहना है । इस बहुत ही जरूरी शर्तको मानकर सभी दलोंके लिए यह बेहतर होगा कि वे अपने सिद्धान्त, नीति तथा इरादोंको जाहिर कर दें। मनमें किसी प्रकारका दुराव नहीं रहना चाहिए। समझौतेके प्रस्तावको स्वीकार किये बिना आगे बढ़ना एक प्रकारका दुराव ही होता । हिन्दू-मुसलमानोंमें अच्छा सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए जिस सहिष्णुताके भावको पैदा करनेकी जरूरत है और जिसकी कोशिश भी की जा रही है, सहिष्णुताका वही भाव यहाँ भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे अन्दर गहरे मतभेदोंके होते हुए भी यदि हम सबका ध्येय एक ही हो तो हमें मेल-जोलसे रहना और परस्पर आदरभाव रखना है। यह दुर्भाग्यकी बात होगी, लेकिन हो सकता है, हम लोगोंको यह दिखाई दे कि हम सबका लक्ष्य एक नहीं है, स्वराज्यका कोई भी पहलू सबको एकसा मान्य नहीं है या हम सबके हित एक ही नहीं हैं। उस हालतमें मैं कहूँगा कि कांग्रेसके मंचपर सभी दलोंका एक होना असम्भव है । परन्तु इसका अर्थ यही होगा, मानो इस दरिद्र भारतके लिए स्वराज्य असम्भव है । क्योंकि अन्तमें तो स्वराज्य प्राप्त होनेपर भी सभी दलोंको एक ही स्वराज्य संसदमें काम करना पड़ेगा । कांग्रेसको ऐसी संसदका पूर्वरूप या नमूना बनाना ही हमारा हेतु है।

एक बड़ी चूक

पण्डित मोतीलालजी कहते हैं कि हालमें अ० भा० कां० कमेटीकी बैठकमें दिये गये मेरे व्याख्यानकी[1] जो रिपोर्ट अखबारोंमें छपी है उसमें एक आवश्यक अंश छूट गया है। वह है स्वराज्यदलके अपनी सहायताके लिए प्रार्थना करनेके औचित्यपर प्रकट किये गये मेरे विचारोंसे सम्बन्ध रखनेवाला अंश। बेशक वह अंश आवश्यक था और मैं उसका छपना जरूरी समझता था। इसलिए मैं खुशीसे उसका भाव यहाँ देता हूँ :

> स्वराज्यवादियोंको अपनी ताकत बढ़ानेका, अपना संगठन करनेका तथा देशसे, जिसमें अपरिवर्तनवादी भी शामिल हैं, समर्थनकी अपील करनेका पूरा अधिकार है। यदि असहयोग स्थगित कर दिया गया और कांग्रेसमें स्वराज्यवादियोंको भी वही दर्जा मिला जो कि अपरिवर्तनवादियोंका है, तब तो अपरिवर्तनवादी ऐसे प्रचारका विरोध नहीं कर सकेंगे। अवश्य ही उस हालतमें ऐसा विरोध करना अनुचित होगा। मेरी समझमें असहयोगको स्थगित करनेका सही तात्पर्य यही होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि कट्टर अपरिवर्तनवादी स्वराज्य दलमें मिल जायें। देशबन्धुने मुझे स्वराज्य दलमें शामिल हो जानेको कहा था और यह कहनेका उन्हें पूरा अधिकार भी था। मैंने उनसे कहा कि जबतक मुझे स्वराज्य दलके कार्यक्रममें विश्वास नहीं है, तबतक मैं स्वराज्यदलमें योग नहीं

१. देखिए "भाषण: अ० भा० कांग्रेस कमेटी, बम्बईमें", २३-११-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

दे सकता। मैं बाहर रहकर ही उन्हें सहायता दे सकता हूँ। इसी प्रकार कोई भी सच्चा अपरिवर्तनवादी उन्हें योग नहीं दे सकता। परन्तु जो सिर्फ इसलिए अलग खड़े हैं कि कांग्रेसका कार्यक्रम उन्हें मना करता है, वे अपरिवर्तनवादियोंकी ओरसे किसी तरहकी बाधाके बिना स्वराज्य दलमें मिल सकते हैं। अपरिवर्तनवादी विधान सभाओंका जबानी विरोध नहीं कर सकते। बल्कि उनके द्वारा चरखेपर अविराम कार्य ही उनका सच्चा प्रचार-कार्य होगा। स्वराज्यवादियोंके पास तो चरखा और विधान सभाएँ दोनों वस्तुएँ हैं, किन्तु अपरिवर्तनवादियोंका अवलम्ब तो केवल चरखा ही है।

प्रागजी देसाई

यह पता चलनेपर कि श्री प्रागजी देसाई, जिन्हें सूरतके 'नवयुग' नामक पत्रके सम्पादकके नाते कुछ दिन हुए कठिन श्रमके साथ दो वर्षकी कैदकी सजा दी गई थी, कमजोर होते जा रहे हैं और उन्हें समुचित भोजन नहीं दिया जा रहा है, मैंने जेलके मुख्य अधीक्षकको पत्र लिखकर[१] श्री देसाईकी हालतके बारेमें पूछताछ की। उन्होंने निम्नलिखित उत्तर दिया है:

मैंने श्री पी० के० देसाईके बारेमें लगाये गये आरोपोंकी जाँच की है।

(१) यह सच है कि जेलमें दाखिलेके वक्त उनका वजन १३८ पौंड था और अब घटकर १२८ पौंड हो गया है। लेकिन चूँकि वे कुछ ज्यादा स्थूलकाय हैं, अतः इसे शिकायतका आधार मानना कठिन है। उनकी लम्बाईके आदमीका जो सामान्य वजन होना चाहिए उससे वे १७ पौंड ज्यादा हैं।

(२) उन्हें शेष कैदियोंसे अलग नहीं रखा गया है। एक रातवाला कैदी चौकीदार सदा उनके साथ रहता है और दोनों साथ-साथ काम करते हैं। कैदियोंसे उनका फासला इतना है कि वे उन्हें देख सकते हैं।

(३) सुपरिंटेंडेंट इस बातसे इनकार करता है कि कैदियोंको नियमतः घासपात मिली और अखाद्य सब्जी खानेको दी जाती है। चूँकि हैदराबाद जेलमें एक बड़ा और बहुत अच्छा बाग है इसलिए ऐसा होनेका कोई कारण भी नहीं हो सकता।

(४) उन्हें सख्त (सादी नहीं) कैदकी सजा दी गई थी इसलिए वे जेलमें क्या काम करेंगे इसका चुनाव करनेकी अनुमति उन्हें नहीं दी जा सकती।

(५) हैदराबाद सेन्ट्रल जेलके वर्तमान मेडिकल अफसर भारतीय चिकित्सा सेवाके एक भारतीय अधिकारी हैं जिनपर सब कैदियोंके स्वास्थ्य और शारीरिक स्थितिकी आवश्यकतानुसार भोजनकी समुचित व्यवस्था करनेके मामलेमें पूरा

१. देखिए "पत्र: कर्नल मेल्को", १३-११-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

भरोसा किया जा सकता है। उनके अनुसार श्री देसाई कमजोर या दुर्बल नहीं दिखाई पड़ते।

अन्तमें मैं कहना चाहूँगा कि तीन सप्ताह पहले मैंने हैदराबाद जेलका निरीक्षण किया था और उस अवसरपर श्री देसाईको भी देखा था। आपने जिन चीजोंका उल्लेख किया है उनमें से किसी बातकी शिकायत उन्होंने मुझसे नहीं की। उनकी एक ही प्रार्थना थी कि चूँकि हैदराबादकी जलवायु उन्हें अनुकूल नहीं पड़ रही है इसलिए उन्हें स्थानान्तरित कर दिया जाये। ऐसी कोई बात माननेका कारण नहीं था, इसलिए मैंने इसपर कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं माना।

यह बिलकुल सच है कि श्री देसाईने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि सारे अधिकारी भारतीय हैं और उनके खिलाफ शिकायत नहीं करनी चाहिए। वे असुविधा सहन करना चाहते थे। मैं जानता था कि वे कठोर श्रमकी सजावाले कैदी हैं, लेकिन एक कठोर श्रमवाला कैदी भी ऐसा काम माँग सकता है जिसके लिए वह अधिक उपयुक्त हो। मुझे जेलोंके वर्तमान मुख्य अधीक्षकको अच्छी तरह जाननेका सौभाग्य प्राप्त है, क्योंकि वे मेरी कैदके आखिरी महीनोंमें उसी जेलमें सुपरिंटेंडेंट थे। वे सख्त हैं, लेकिन न्याय-प्रिय और शान्त स्वभावके व्यक्ति हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि श्री देसाईको अनावश्यक कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा।

दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय

नेटाल सरकार अभी भी भारतीय प्रवासियोंके पीछे पड़ी हुई है। वह जैसे-तैसे किसी भी तरह परेशान करके उन्हें उस उपनिवेशसे भगा देनेपर तुली हुई है। इस सिलसिलेमें उन्होंने हाल ही में एक ऐसा कानून बनाया है जो अन्य चीजोंके अलावा भारतीय करदाताओंसे नगरपालिका-मताधिकार छीन लेता है। भारतीयोंके विरुद्ध मताधिकारके दुरुपयोगका कोई आरोप कभी नहीं रहा है। यह माना जाता है कि वे नियम-पालक नागरिक हैं। लेकिन मंशा तो उनको ऐसी अपमानजनक स्थितिमें डालनेका है कि आत्मसम्मानी भारतीयोंके लिए नेटालमें रहना असम्भव हो जाये। हम यही आशा करते हैं कि पहलेकी भाँति गवर्नर जनरल इस अत्याचारी कानूनको स्वीकृति देना नामंजूर कर देंगे।

कताई क्लब

श्रीयुत नम्बूद्रीपादने मुझे त्रिचूरमें स्थापित एक कताई क्लबकी गतिविधियोंका विवरण भेजा है। इतनी जल्दी इस क्लबकी गतिविधियोंके बारेमें विश्वासपूर्वक कुछ कह सकना सम्भव नहीं है। लेकिन ऐसे क्लबोंका संगठन अत्यन्त वांछनीय चीज है। ये क्लब लोगों द्वारा स्वेच्छा-प्रेरित कताईके विकासमें मदद दे सकते हैं और नौसिखियोंके लिए तो सहायक ही सिद्ध होंगे। त्रिचूर क्लबमें करीब २५ सदस्य हैं। ये समय-समयपर प्रतियोगिताएँ आयोजित करते हैं। प्रत्येक सदस्य अ० भा० खादी बोर्डके

Gandhi Heritage Portal

लिए प्रति माह २,००० गज सूत कातनेको वचनबद्ध है। मैं आशा करता हूँ कि ऐसे क्लब सारे देशमें स्थापित किये जायेंगे।

शिक्षाके बारेमें बड़ो दादाके विचार

बड़ो दादाने 'यंग इंडिया' में प्रकाशनके लिए निम्नलिखित टिप्पणी मुझे भेजी है:

> १८ वीं शताब्दीके एक विख्यात अंग्रेज कविने कहा है:
>
> अल्प ज्ञान खतरनाक चीज है।
>
> इसमें मैं इतना और जोड़ता हूँ कि हमारे देशवासियोंमें जो शिक्षा फैल रही है वह अल्प ज्ञानसे भी बुरी है। भारतीयोंके हृदयमें जिस सच्चे ढंगका ज्ञान बसा हुआ है, वह तो ईश्वरका और प्राचीन कालके उन ऋषियोंका वरदान है जिन्होंने ईश्वरोपासनामें अपना सारा जीवन लगा दिया। यह ज्ञान सकारात्मक ज्ञान है, जबकि वर्तमान शिक्षा, जिसमें हृदयका सम्पूर्ण अभाव है, निषेधात्मक ज्ञान प्रदान करती है। निषेधात्मक ज्ञान प्राप्त करना सकारात्मक ज्ञानको खोनेके बराबर है -- १०० तो -- १ से भी सौगुना कम है। इसलिए वर्तमान भारतमें अत्यन्त उच्च आधुनिक शिक्षा प्राप्त कोई व्यक्ति भारत माताके उस सच्ची शिक्षा प्राप्त बेटेके मुकाबले वास्तवमें अज्ञानी ही है जिसने भले ही कभी स्कूल या कालेजकी ड्योढ़ी भी न लाँघी हो।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ४-१२-१९२४

३३०. ध्वजको झुकाया तक नहीं

अपरिवर्तनवादियोंकी उलझन ज्योंकी-त्यों बनी हुई है। उनमें से कई अच्छेसे-अच्छे लोग, जिनकी सम्मति और सहकारिताको मैं अन्य सभी चीजोंसे अधिक मूल्यवान् समझता हूँ, किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो गये हैं। उन्हें लगता है कि मैंने एक ऐसे समझौतेके लिए जिसकी तुलना अनेक टुकड़ोंको जोड़कर तैयार की हुई चीजसे की जा सकती है, अपने जीवनव्यापी सिद्धान्तोंको छोड़ दिया है। इस आशयका एक पत्र मैं नीचे उद्धृत करता हूँ:

> अखबारी रिपोर्टके अनुसार आपने कहा है कि स्वराज्य दलवालोंके साथ लड़ाई करनेकी शक्तिके अभावमें आप फिलहाल धीरजसे काम ले रहे हैं और चुप बैठे हैं। परन्तु ऐसा क्यों? सत्य और अहिंसाका तकाजा तो यह है कि आप हम लोगोंको एकत्र रखकर, स्वराज्य दलके या कांग्रेसके बाहर हमारी पताका फहराते रहिए -- किसीके प्रति शत्रुभावसे नहीं, बल्कि जैसा कि हजरत मुहम्मदने किया था, उसी तरह। उनके अनुयायी घटते-घटते केवल तीन ही

Gandhi Heritage Portal

रह गये थे और उन्हें सिर्फ परमात्माकी ही शक्तिका भरोसा करना पड़ा था। निस्सन्देह विपक्षियोंसे हार मानने तथा उनकी सहायता करनेमें आपका तो व्यक्तिशः लाभ ही है, परन्तु हमारे कार्यको इससे बड़ी गहरी हानि पहुँचती है; क्योंकि आप तो असहयोगियोंको संयुक्त रूपसे न तो अपनी ध्वजा फहराते रहनेके लिए कहते हैं और न फहराने ही देते हैं। अध्यात्म-प्रेमी कोई भी व्यक्ति ऐसी राजनीतिमें दिलचस्पी नहीं रख सकता, जो न तो सत्य और अहिंसाकी वृद्धि ही करती है और न उनसे पोषण ही ग्रहण करती है। कोई भी बनावटी एकता ईश्वरको आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी हालतमें किसी सरकारके साथ लड़ाई अधार्मिक हो जाती है। इसके अलावा स्वराज्य दलवालोंकी अमलदारीमें आतुर आदर्शवादियोंकी हिंसात्मक प्रवृत्तियोंको शुद्ध करनेके लिए ऐसी कोई शक्ति नहीं रह जायेगी, जैसी कि आपके उच्च नैतिक आदर्शवादकी और धर्मकी भावनासे प्रेरित प्रयत्नकी अमलदारीमें थी। अब तो उन्हें [असहयोगियोंको] निरी निष्फलता तथा पूर्ण निराशाका ही मुकाबला करना होगा।

इन मित्रके विचार बहुत-से असहयोगियोंके विचारोंका प्रतिनिधित्व करते हैं। वे खुद भी इस आन्दोलनकी ओर इसकी धार्मिकताके ही कारण झुके थे। इसलिए मैंने उनके इस सन्देशको बार-बार गौरसे पढ़ा है। लेकिन मेरा खयाल है कि उन्होंने अपनी यह राय, मेरे भाषणोंको मनमाने तौरपर काट-छाँटकर तैयार की गई और अकसर गलत रिपोर्टोंपर ही कायम की है और यही मेरे लिए आशाप्रद बात है। वे खुद परिषद्में उपस्थित न थे। वे बम्बईमें भी नहीं थे। किसी हलचलकी गति-विधिको केवल अखबारोंके विवरणके आधारपर समझ लेना अत्यन्त कठिन है। मैंने वह रिपोर्ट नहीं देखी जिसका जिक्र मित्र महाशयने किया है। "स्वराज्य दलके साथ लड़ने" की बातका अर्थ, यदि इन शब्दोंको उनके संदर्भसे विच्छिन्न कर दिया जाये तो मेरे अभीष्ट आशयसे उलटा भी लगाया जा सकता है। अब मैं इसका खुलासा किये देता हूँ। मेरा मतलब यह है कि यदि स्वराज्य दलवालोंको मेरे विचारोंके सम्बन्धमें गलतफहमी है, यदि अपरिवर्तनवादी अहिंसाकी लड़ाई, जिसके मूलमें ही विनयकी भावना पड़ी हुई है, जिस भावसे छेड़ी जा सकती है, उसे समझ नहीं पाते, यदि सरकार इस लड़ाईका ऐसा लाभ उठाती है जिसका मैंने विचार भी नहीं किया है या यदि ऐसे संग्रामके लिए आवश्यक वायुमण्डलका अभाव है तो जाहिर है कि मैं स्वराज्य दलवालोंसे लड़ नहीं सकता। पर वास्तवमें हुआ ऐसा है कि ये सब बातें थोड़ी या बहुत हमारे सामने हैं। इसके सिवा यह भी याद रखना चाहिए कि मेरे नजदीक अपने कार्यकी सुरक्षा संख्या-बलपर कभी अवलम्बित नहीं रही है। मेरी योजनाओंके जल्दी कार्यरूपमें परिणत किये जानेके रास्तेमें शायद मेरी यह मानी जानेवाली सर्वप्रियता ही सबसे बड़ी बाधा होती आई है। जिन लोगोंने बम्बई और चौरीचौराके दंगोंमें भाग लिया था, यदि वे मेरे लिए बिलकुल अजनबी होते और उन्होंने अपनेको अहिंसाका हामी न बतलाया होता तो मुझे इन दोनोंमें किसीके

Gandhi Heritage Portal

लिए भी प्रायश्चित्त न करना पड़ता। इसलिए जबतक लोगोंकी भीड़ मेरी ओर दौड़-दौड़कर आती रहती है तबतक मुझे अवश्य अपने कदम बहुत सावधानीसे उठाने होंगे। एक बड़ी सेनाको साथ रखकर सेनापति उतनी तेजीसे कूच नहीं कर सकता जितना वह चाहता है। उसे अपनी सेनाके भिन्न-भिन्न अंगोंका खयाल रखना ही पड़ता है। मेरी स्थिति ऐसे सेनापतिकी स्थितिसे बहुत भिन्न नहीं है। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है, परन्तु यह है ऐसी ही। अकसर यह स्थिति ताकत देनेवाली होती है। परन्तु कभी-कभी तो यह स्पष्टतः बाधक हो जाती है। "स्वराज्य दलवालोंके साथ अभी लड़ाई करनेकी शक्तिके अभाव" से मेरा जो तात्पर्य था, शायद वह अब स्पष्ट हो गया होगा।

मैंने किसी तरह भी असहयोगकी "ध्वजाको कभी नीचा नहीं किया है"। मैंने तो उसे तनिक भी झुकायातक नहीं है, क्योंकि किसी भी असहयोगीको यह नहीं कहा गया कि वह अपने उसूलसे हटे। संसारके बड़े पैगम्बरों या धर्म-प्रचारकोंका उदाहरण पेश करनेमें सर्वदा जोखिम रहती है। इस संसारमें, "चतुर्दिक् अन्धकारके बीच", मैं प्रकाशकी ओर जानेका रास्ता टटोल रहा हूँ। अकसर मैं भूल करता हूँ और मेरे अनुमान गलत हो जाते हैं। लेकिन चूँकि इस सम्बन्धमें पैगम्बर साहबका नाम लिया गया है, इसलिए पूरी नम्रताके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी अपने लिए यह आशा करता हूँ कि यदि दो ही मनुष्य मेरे साथी रह जायें या कोई भी न रहे तो उस हालतमें भी मैं कच्चा नहीं निकलूँगा। ईश्वरपर ही तो मेरा कुल भरोसा है। और मैं मनुष्योंपर भी इसीलिए भरोसा रखता हूँ कि ईश्वरपर मेरा पूरा भरोसा है। यदि मुझे ईश्वरका सहारा न होता तो मैं [शेक्सपियर द्वारा वर्णित एथेन्सके] टिमनकी तरह मनुष्य-जातिसे घृणा करने लगता। लेकिन यदि बड़े-बड़े धर्म-प्रचारकोंके जीवनसे हम कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो हम लोगोंको यह भी याद रखना चाहिए कि हजरत मुहम्मदने उन लोगोंके साथ संधि की थी जिनसे उनका मत बहुत ही कम मिलता था और 'कुरानशरीफ' में जिनका वर्णन बहुत ही निन्दापूर्ण शब्दोंमें किया गया है। असहयोग, हिजरत, प्रतिरोध और हिंसातक भी हजरत मुहम्मदके उनके अपने जीवन-संग्रामके भिन्न-भिन्न रूप थे, जिसका सर्वस्व सत्य ही था।

ये मित्र ऐसा मानते मालूम होते हैं कि एक व्यक्तिको तो आध्यात्मिक लाभ हो सकता है पर उसके आसपासवालोंको हानि। मैं यह बात नहीं मानता। मैं अद्वैतमें विश्वास करता हूँ, मैं मनुष्यकी मूलभूत एकतामें भी और केवल मनुष्योंकी ही क्यों सभी जीवधारियोंकी एकतामें विश्वास करता हूँ। इस कारण मेरा तो ऐसा यकीन है कि एक मनुष्यके आध्यात्मिक लाभके साथ सारी दुनियाका लाभ होता है। उसी तरह एक मनुष्यके अधःपतनके साथ इस हदतक सारे संसारकी अधोगति होती है। गरज यह कि अपने प्रतिपक्षियोंकी सहायता करके मैं साथ-ही-साथ अपनी और अपने असहयोगियोंकी सहायता भी करता ही हूँ। मैंने किसी भी पक्के असहयोगीको यह नहीं कहा है कि वे व्यक्तिशः या संयुक्त रूपसे, अपनी पताका न फहरायें।

Gandhi Heritage Portal

उलटे, मैं तो उनसे ऐसी ही उम्मीद रखता हूँ कि वे हर तरहकी दिक्कतोंके रहते हुए भी अपनी ध्वजाको पूरी ऊँचाईपर फहराते रहेंगे। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि राष्ट्रका या कांग्रेसका असहयोग जारी है। यदि हम वास्तविकताकी उपेक्षा नहीं करना चाहते हैं तो हमें यह मानना होगा कि राष्ट्र या कांग्रेस जहाँतक वह राष्ट्रकी प्रतिनिधि है, असहयोगके कार्यक्रमपर अमल नहीं कर रही है। इसलिए असहयोगको कुछ व्यक्तियोंतक ही परिमित रहना पड़ेगा। असहयोगी वकील, उपाधि छोड़नेवाले, पुराने शिक्षक और असहयोगी विधान सभासद, ये सभी पूर्ण रूपसे असहयोगी रहते हुए भी कांग्रेसमें रह सकते हैं। कताई और खादीका प्रचार, उनका अपना विशेष कार्यक्रम रहेगा। इन दोनोंको अभी कांग्रेसने छोड़ा नहीं है। इस मामलेमें जहाँतक यह काम उनके विश्वाससे संगत है, स्वराज्य दलवाले अपरिवर्तनवादियोंको खूबीके साथ पूरी तरह अपना रहे हैं। अपरिवर्तनवादियोंकी तरह वे विदेशी कपड़ोंको जल्दीसे-जल्दी हटानेके लिए, सबके द्वारा कताईकी बातको आवश्यक नहीं समझते। फिर भी अपरिवर्तनवादियोंका या चाहें तो यों कहिए कि मेरा सहयोग लेनेके लिए उन्होंने यह देखकर कि सिद्धान्ततः वे कताईके खिलाफ नहीं हैं, सदस्यताकी शर्तोंमें इसको शामिल करना मंजूर किया है। यहाँ यह याद रखना अच्छा होगा कि कताईको सदस्यताकी शर्तोंमें शामिल करना एक असाधारण बात है। स्वयं उत्साही कातनेवाले होनेपर भी श्री स्टोक्सके समान सिद्धान्तवादी मनुष्य भी इसका दिलोजानसे विरोध करते हैं। हमारे कितने ही प्रख्यात देशवासी इसकी हँसी उड़ाते हैं। तब तो स्वराज्य दलवालोंका इसे स्वीकार करना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए यदि वे अपनी बातोंके पक्के निकलें (और इसमें सन्देह करनेका मेरे पास कोई कारण नहीं है) तो असहयोगियोंको किसी अलग संगठनकी जरूरत नहीं रह जाती। अपरिवर्तनवादियोंको कौंसिलोंके कार्योंमें योग देनेकी आवश्यकता नहीं और उनके लिए यह उचित भी नहीं है। इसलिए कौंसिलों-सम्बन्धी कार्यक्रमका पूरा अधिकार और फलतः उसकी पूरी जिम्मेदारी स्वराज्य दलवालोंपर ही है। इसके लिए कांग्रेसके नामका व्यवहार करनेका उन्हें पूरा अधिकार होगा, पर वे उसमें अपरिवर्तनवादियोंके नामका उपयोग नहीं करेंगे। कांग्रेस अब एक संयुक्त संगठन होगा जिसकी कुछ बातोंकी जिम्मेदारी संयुक्त ही रहेगी और उसके कुछ खास-खास काम दल-विशेषको दिये जायेंगे।

यदि एकता, अछूतोद्धार और चरखा, ये इस देशकी राजनीतिके अंग हैं तो अपरिवर्तनवादियोंको जितना सत्य, जितनी अहिंसा और जितनी आध्यात्मिकता चाहिए वह सब उन्हें इनमें मिल ही जाती है। सरकारके साथ अपरिवर्तनवादीकी लड़ाईका रूप मुख्यतः यही है कि वह अपनेको शुद्ध करके अपनी शक्तिका विकास करे। लेकिन उसे अपने किसी भी कार्यसे स्वराज्यवादियोंकी शक्तिको किसी भी प्रकार आघात नहीं पहुँचाना चाहिए; बल्कि उसे तो स्वराज्यवादियोंको अपनी ही तरह ईमानदार समझना चाहिए। औरोंको हटाकर अपने ही अन्दर शुद्धताका अभिमान करनेमें अपरिवर्तनवादियोंको सबसे पीछे रहना चाहिए। यदि मान भी लिया जाये कि स्वराज्य-

6369

Gandhi Heritage Portal

वादियोंकी कार्य-प्रणाली बुरी है तो भी उन्हें इस तरह काम नहीं करना चाहिए, मानो आधुनिक शासन-प्रणाली उससे बहुत ज्यादा खराब नहीं है। अहिंसामें विश्वास रखनेवाले व्यक्तिको भी यह तो कहना ही पड़ता है कि किन्हीं दो प्रतिस्पर्धियोंमें से कौन कम बुरा है और किसका पक्ष न्याययुक्त है। जापान और रूसके दरम्यान टालस्टायने अपना फैसला जापानके पक्षमें दिया था। इंग्लैंड और डच दक्षिण आफ्रिकाके दरम्यान डब्ल्यू० टी० स्टेडने[1] बोअरोंका साथ दिया था और इंग्लैंडकी पराजयके लिए ईश्वरसे प्रार्थना की थी। इसी तरह स्वराज्यवादियों और सरकारके बीच, मुझे अपनी राय कायम करनेमें एक क्षण की भी देर नहीं लग सकती। स्वराज्यवादियोंने हमारे १९२० वाले कार्यक्रमके खिलाफ बगावत की थी, इसलिए उनके सम्बन्धमें हमारी धारणाके कलुषित हो जानेका खतरा है। अच्छा, थोड़ी देरके लिए मान लीजिए कि स्वराज्यवादी वाकई वैसे बुरे हैं जैसा कि सरकार हमें जँचाना चाहती है तो भी उनकी सरकार मौजूदा सरकारसे लाखों दरजे अच्छी रहेगी, क्योंकि इस सरकारके पास तो आचारकी स्वतन्त्रता या वास्तविक प्रतिकारके बिलकुल ही स्वल्प यत्नको भी कुचलनेके अनन्त साधन तैयार रखे हुए हैं। मैं किसी बनावटी एकताको अपना लक्ष्य नहीं बना रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यही चाह रहा हूँ कि कांग्रेसमें तमाम दलोंके प्रतिनिधि रहें जिससे कि हम एक-दूसरेकी रायको बरदाश्त करना सीखें, एक-दूसरेको अच्छी तरह समझ सकें, एक-दूसरेपर अपने कामोंका असर डाल सकें और यदि हम सबके लिए किसी एक ही कार्यविधिकी तजवीज न कर सकें तो कमसे-कम एक सर्वमान्य स्वराज्यकी योजना तो तैयार कर सकें।

हाँ, मैं इन मित्रकी आखिरी बातोंसे जरूर सहमत हूँ। निस्सन्देह कौंसिलोंका कार्यक्रम आतुर आदर्शवादियोंको उनके दुष्कृत्योंसे दूर नहीं रख सकता। यह शक्ति तो केवल अहिंसात्मक असहयोगमें ही है, क्योंकि वह स्वार्थ-त्यागके उच्चसे-उच्च भावको जाग्रत करता है और यह त्यागभाव ही उन्हें उनके मार्गकी भूलोंसे बचा सकता है। मैं प्रतिज्ञाके साथ कहता हूँ कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे किसी पक्के असहयोगीकी ताकत कम हो जाये। मैंने तो अपने ही साथ-साथ उनको भी आँचमें तपाया है। जरा वे निर्मल प्रेमकी बलिवेदीपर पूरी शक्ति-भर अपना बलिदान तो करें, फिर देखें कि सारी कांग्रेस एक मनसे उनका अनुसरण करती है या नहीं। पर ऐसा प्रेम अपना काम अदृश्य रूपसे ही किया करता है। जो शक्ति जितनी ही उत्तम होती है, उतनी ही वह सूक्ष्म और निःशब्द होती है। प्रेम ही संसारमें सबसे अधिक सूक्ष्म शक्ति है। यदि असहयोगीके पास वह शक्ति है तो यह उसके तथा औरोंके लिए अच्छा ही है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ४-१२-१९२४

१. प्रसिद्ध अंग्रेज पत्रकार; ग्रेट ब्रिटेनमें शान्ति-आन्दोलनके एक उत्साही समर्थक।

Gandhi Heritage Portal

३३१. स्थगित करें या त्याग दें?

असहयोग स्थगित किया जाये या त्याग दिया जाये, इस प्रश्नका उत्तर पूर्णतः उत्तर देनेवालेकी मनःस्थितिपर निर्भर है। जिसका असहयोगमें कभी विश्वास नहीं रहा वह तो स्वभावतः यही चाहता है कि उसे सदाके लिए त्याग दिया जाये। जिसका मेरी तरह उसमें सदा विश्वास रहा है और जिसने उसपर जब कभी और जहाँ कहीं आवश्यकता हुई उसका आचरण किया है और इसलिए जो उसपर आरूढ़ है, वह तो कठिनाईसे ही केवल उसको स्थगित करनेके लिए राजी किया जा सकता है और निश्चय ही वह ऐसा करनेके लिए इस आशासे ही राजी होगा कि कभी-न-कभी वह सन्देह या अविश्वास करनेवालोंको अपने पक्षमें ला सकेगा और इस कार्यक्रमको राष्ट्रीय रूपमें अमलमें लाकर सफल बना सकेगा। इसलिए असहयोगका स्थगन ऐसी तटस्थताकी अवस्था है जिसको सभी दल स्वीकार कर सकते हैं। जो लोग अहिंसात्मक असहयोगकी शक्ति और आवश्यकतामें विश्वास करते हैं उनको यह आशा रखनेकी छूट होनी चाहिए कि यदि इस कार्यक्रमको अवसर आनेपर फिर हाथमें लेनेकी आवश्यकता हुई तो राष्ट्र इसपर फिर अमल करेगा और जिनका इसमें विश्वास नहीं है वे स्थगनकी इस अवधिमें, इसमें जो दोष मानते हैं उनका प्रचार करनेके लिए और कांग्रेसजनोंसे अपने विचारोंको मनवानेके लिए स्वतन्त्र होंगे। असहयोगके स्थगित होनेसे उन्हें यह एक बढ़िया अवसर मिलता है। मेरी राय तो यह है कि जो कांग्रेस पूरी असहयोगी रही है वह असहयोगको स्थगित करनेसे आगे जा भी नहीं सकती; उससे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। मैं 'पूरी असहयोगी कांग्रेस' इसलिए कहता हूँ कि स्वराज्यवादी भी असहयोगमें विश्वास रखनेका दावा करते हैं। यदि यह कोई रहस्य हो तो मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। अबसे तीन महीने पहले जो पहला मसविदा तैयार किया गया था उसकी भूमिकामें असहयोगमें पुनः विश्वास प्रकट किया गया था। वह भूमिका स्वराज्यवादियोंको पूरी तरह मान्य थी। किन्तु वह पीछे सबकी सलाहसे इसलिए निकाल दी गई कि नरम दलवालों और दूसरे लोगोंको कार्यक्रममें शामिल होनेमें आसानी हो जाये। कुछ मित्रोंने यह कहा था कि नरमदलीय और राष्ट्रीय होमरूलवादी उस भूमिकाके पक्षमें मत देनेमें आनाकानी कर सकते हैं। असलमें समझौतेका अन्तिम मसविदा तैयार करनेमें भाग लेनेवाले सभी लोगोंने इस बातकी विशेष सावधानी रखी थी कि जो लोग कांग्रेससे बाहर रहे हैं उनकी जरूरतें समझ ली जायें और पूरी की जायें। मैं जानता हूँ कि ऐसा होनेपर भी समझौतेसे विभिन्न राजनीतिक दलों और समुदायोंको पूरा सन्तोष नहीं मिलता है। इस दोषका कारण यह नहीं है कि इसको दूर करनेका उद्योग नहीं किया गया या दूर करनेकी इच्छा नहीं थी, बल्कि इसका कारण यह है कि स्वराज्यवादियोंको और मुझे अपने-अपने सिद्धान्तोंका अथवा इसकी अपेक्षा मर्यादा शब्द अधिक अच्छा प्रतीत हो तो अपनी मर्यादाओंका, ध्यान रखना पड़ा था।

Gandhi Heritage Portal

इसके अतिरिक्त हमें कांग्रेसके बहुसंख्यक निर्वाचकोंका ध्यान भी था। इस तथ्य-को मैं जितना दुहराऊँ उतना ही कम है। यह सच है कि कांग्रेसके निर्वाचकोंने अभी तक अपनी बातका, जब उन्हें करना चाहिए था तब भी, विशेष आग्रह नहीं किया है। किन्तु मैंने यह देखा है कि नेताओंके विरोधी प्रयत्नोंके बावजूद वे कभी-कभी अपनी बातपर जोर दे सकते हैं। हम सबको इन्हीं निर्वाचकोंपर अपना प्रभाव डालना हैं और इन्हींके प्रभावमें रहकर काम करना है। मेरी रायमें समझौतेके उपाय ढूँढ़नेमें यदि प्रत्येक दल मिलकर काम करना चाहता है तो उसे अपनी माँग उतनी ही रखनी चाहिए जिससे उसकी अन्तरात्माको सन्तोष-भर हो जाये, उससे तनिक भी अधिक नहीं।

आखिर बिना किसी कारणके कोई भी असहयोग नहीं करना चाहता। स्वतन्त्रता-की तुलनामें कारागार कोई पसन्द नहीं करता। किन्तु जब स्वतन्त्रता जोखिममें हो तब असहयोग कर्त्तव्य बन सकता है और कारागार महल। जो लोग हर हालतमें असहयोगसे बचना चाहते हैं उन सबका यह कर्त्तव्य है कि वे असहयोगियोंके लिए असहयोगका आश्रय लेना अनावश्यक बना दें। इसका एक सर्वोत्तम उपाय यह है कि सब दल एक हो जायें, सब दल स्वराज्यकी एक मान्य योजना तैयार करें और साथ ही यदि सम्भव हो तो उस योजनाको अमलमें लानेका कोई स्वीकार्य तरीका भी ढूँढ़ निकालें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ४-१२-१९२४

३३२. राजद्रोहात्मक किसे कहें?

अध्यापक रामदास गौड़की पोथियोंमें जो-कुछ अन्य प्रचलित पुस्तकोंमें है, उसके सिवा और कुछ नहीं है, यह मानकर भी इलाहाबाद हाईकोर्टने उन्हें राजद्रोहात्मक कहा है। मुद्दईको उनसे ३००) खर्च भी दिलाया जायेगा। वे पोथियाँ छपनेके ३ वर्ष बाद जब्त की गई हैं। मैं इतना तो मानता हूँ कि केवल समय बीत जानेके कारण सदोष वस्तु निर्दोष नहीं हो जाती है। किन्तु यह पूछना भी तो अनुचित नहीं है कि सरकारने इस दोषको इतने दिनोंतक क्यों चलने दिया? यह अनुमान अनुचित नहीं है कि सरकारने ऐसा समय चुना है जब कि असहयोग उतारपर है। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि इस स्थितिमें अध्यापक रामदास गौड़ व वे माता-पिता या पाठशालाएँ जो उन पोथियोंका व्यवहार करते हैं, क्या करें? इस प्रश्नका उत्तर देना आसान नहीं है। हम लोग असहयोग मुल्तवी करने जा रहे हैं और इस कारण सविनय अवज्ञा भी। इसलिए अब इस तरहके काम कांग्रेससे नैतिक समर्थन नहीं पा सकते। प्रत्येक व्यक्ति या संस्था अपने दायित्वपर ही कुछ कर सकती है। फैसलेमें पोथियोंके उद्धृत अंशोंके तीन भाग किये गये हैं:

Gandhi Heritage Portal

(१) वे अंश जो सरकारके प्रति द्वेष उत्पन्न करानेवाले कहे जाते हैं।

(२) वे अंश जो पश्चिमी सभ्यता और इसलिए यूरोपीयोंके प्रति द्वेष उत्पन्न करानेवाले कहे जाते हैं।

(३) वे अंश जो भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी मनुष्योंके प्रति द्वेष उत्पन्न करानेवाले कहे जाते हैं।

प्रथम तो मैं यह कहूँगा कि पूर्वापर सम्बन्ध तोड़कर जहाँ-तहाँसे उद्धृत अंशोंके सहारे कोई भी पुस्तक आपत्तिजनक ठहराई जा सकती है। जहाँतक मुझे मालूम है जजोंको इसके सिवा और प्रकारका मसाला नहीं मिला था। दूसरे यों तो प्रायः प्रत्येक भारतीय समाचारपत्र राजद्रोही कहा जा सकता है; क्योंकि वे कानूनके द्वारा स्थापित सरकारके प्रति (पद्धतिके प्रति, मनुष्योंके प्रति नहीं) अप्रीतिका प्रचार करते हैं। प्रायः प्रत्येक भारतवासीने इस सरकारके खिलाफ अपनी आवाज उठाई है और वे या तो उसे सुधारना चाहते हैं या मिटा ही देना चाहते हैं। जहाँतक पश्चिमी सभ्यताका सम्बन्ध है, हिन्दू-धर्मग्रन्थोंमें से ऐसे अनेक वचन पेश किये जा सकते हैं जिनमें आधुनिक जीवन-पद्धतिकी अत्यन्त कठोर आलोचना और निन्दा की गई है। मेरी पुस्तिका, जिसमें से पश्चिमी सभ्यता-सम्बन्धी अंश उद्धृत किये गये हैं, लड़कोंको बेधड़क दी जाती है। सम्भव है कि मुझसे निन्दा करनेमें भूल हुई हो। किन्तु मेरी यह पुस्तिका जातिके प्रति घृणाका प्रचार करनेके लिए नहीं, बल्कि प्राणिमात्रके प्रति प्रेम पैदा करनेके लिए लिखी गई थी। मैं ऐसा एक भी उदाहरण नहीं जानता कि एक भी आदमीपर उसके पढ़नेसे बुरा असर हुआ हो। देश, विदेश सभी जगह बहुत-सी भाषाओंमें उसके अनुवाद हुए हैं। बम्बई सरकारने एक बार उसे जब्त कर लिया था।[1] अब वह जब्ती, व्यवहारमें हट गई है। यह तो आश्चर्यजनक है कि अध्यापक रामदास गौड़को तो सजा हो और मैं अछूता ही छोड़ दिया जाऊँ। तीसरे आरोपके अर्थात् विभिन्न धर्मालम्बियोंके बीच विद्वेष पैदा करनेके समर्थनमें तो केवल एक ही उद्धरण पेश किया है। मुझे उसके सन्दर्भका पता नहीं। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि केवल उस एक अंशके लिए पोथियाँ जब्त नहीं हुई हैं। मैं जानता हूँ कि अध्यापक महोदयकी अन्तरात्मा शुद्ध है। उनका हेतु किसी भी व्यक्तिके प्रति द्वेषकी भावना उत्पन्न कराना नहीं है। मैं यह भी जानता हूँ कि पुस्तकोंकी बिक्रीसे उन्होंने कोई लाभ नहीं उठाया है। यदि मैं उनके स्थानमें होता तो पुस्तकोंकी बिक्री यथावत् जारी रहने देता। सरकारने उनकी तमाम बची हुई प्रतियाँ तो अवश्य ही जब्त कर ली होंगी। किन्तु जहाँ वे पोथियाँ पहलेसे ही पढ़ाई जा रही हैं, वहाँ मैं तो उन्हें वैसे ही पढ़ाने देता, जबतक कि लड़कोंके माता-पिता या पाठशालाओंके संचालक कोई दूसरा निश्चय न जाहिर करते।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ४-१२-१९२४

१. यह संकेत **हिन्द स्वराज्यकी** ओर है। देखिए खण्ड १०, पृष्ठ १९४-९५।

Gandhi Heritage Portal

३३३. फीजीकी वह रिपोर्ट

सम्पादक
'यंग इंडिया'
महोदय,

लगभग तीन वर्ष पहले भारत सरकारने एक आयोग फीजी द्वीपसमूहको भेजा था जिसका उद्देश्य वहाँ रहनेवाले भारतीयोंकी दशाकी जाँच करना . . . था। कमीशन . . . ने सितम्बर १९२२ में अपनी जाँचकी रिपोर्ट भारत-सरकारको दे दी। अतः भारत-सरकारको इस रिपोर्टको मिले दो वर्षसे ऊपर हो चुके हैं। केन्द्रीय विधान सभाके पिछले अधिवेशनमें श्री गयाप्रसाद सिन्हाने इस रिपोर्टके बारेमें भारत-सरकारसे कुछ प्रश्न किये। उनमें से तीन ये थे:

(ग) भारत-सरकार इस रिपोर्टको कब प्रकाशित करनेका इरादा रखती है।

(घ) क्या यह सही है कि औपनिवेशिक कार्यालयने रिपोर्टमें प्रकट किये गये कुछ विचारोंके खिलाफ आपत्ति उठाई है?

(ङ) क्या सरकार इस विषयपर भारत-सरकार और औपनिवेशिक कार्यालयके बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है उसे पटलपर रखनेकी कृपा करेगी?

श्री जे० डब्ल्यू० भोरने सरकारकी ओरसे उत्तर दिया:

(ग) रिपोर्टके प्रकाशनका सवाल विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) इन प्रश्नोंके जवाबके लिए प्रश्न (ग) के उत्तरको ध्यानमें रखते हुए माननीय सदस्य जोर नहीं देंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ।

श्री भोर द्वारा श्री गयाप्रसाद सिन्हासे . . . उत्तरके लिए जोर न देनेके अनुरोधसे हमारे मनमें सन्देह पैदा होता है।

. . . भारतीय जनताको यह माँग करनेका अधिकार है कि आयोगकी रिपोर्ट अविलम्ब प्रकाशित की जाये।

आपका,
बनारसीदास चतुर्वेदी[1]

मैं आशा करता हूँ कि श्री सिन्हाको विधान सभाकी आगामी बैठकमें अपने प्रयत्नमें अधिक सफलता मिलेगी।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ४-१२-१९२४

१. श्री बनारसीदास चतुर्वेदीके इस पत्रके कुछ अंश छोड़ दिये गये हैं।

Gandhi Heritage Portal

३३४. पत्र : कर्नल मरेको

स्थायी पता :
साबरमती
[४ दिसम्बर, १९२४ के आसपास][1]

प्रिय कर्नल मरे,[2]

श्री पी० के० देसाईके सम्बन्धमें आपके उत्तरके लिए धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि उन्होंने आपसे शिकायत नहीं की थी क्योंकि वे उन सरकारी अधिकारियोंके बारेमें कुछ नहीं कहना चाहते थे जो भारतीय हैं। मुझे ज्ञात था कि श्री देसाई कठोर श्रमकी सजा पाये हुए कैदी हैं। लेकिन मैंने सोचा कि जैसा यरवदामें था, आप उन्हें चरखेपर सूत बटनेकी नहीं लेकिन सूत कातनेकी इजाजत देनेमें आपत्ति नहीं करेंगे।

मेरे स्वास्थ्यके बारेमें आपकी पूछताछके लिए आपको धन्यवाद। कर्नल मैडॉक द्वारा अत्यन्त सफल ऑपरेशन किये जानेके बाद मैं बिलकुल ठीक हो गया दिखता हूँ।

मुझे नहीं मालूम था कि कर्नल मेल सेवा-निवृत्त हो चुके हैं।

हृदयसे आपका,

अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ११७२९) की फोटो-नकलसे।

३३५. क्या अस्पृश्यताका बचाव हो सकता है?[3]

[५ दिसम्बर, १९२४][4]

मेरी रायमें श्री एन्ड्रयूजने बाबू कालीशंकर चक्रवर्तीके साथ बहुत लिहाज बरता है। यह ठीक है कि बंगालमें अस्पृश्योंकी दशाके मुकाबले दक्षिणके अस्पृश्योंकी दशा कहीं ज्यादा खराब है, लेकिन बंगालमें भी वह काफी खराब है और उसका कोई बचाव नहीं हो सकता। अस्पृश्यताका बचाव करनेवालोंकी अपेक्षा नामशूद्र लोग अस्पृश्यताके दुष्परिणामोंके बारेमें ज्यादा अधिकारपूर्वक कह सकते हैं। हमें अंग्रेज शासकोंसे यह

१. कर्नल मरेका पत्र, जिसके जवाबमें यह पत्र लिखा गया था, ४-१२-१९२४ के **यंग इंडिया**में छपा था। देखिए "टिप्पणियाँ", ४-१२-१९२४, उप-शीर्षक "प्रागजी देसाई"।

२. जेलोंके प्रधान अधीक्षक।

३. सी० एफ० एन्ड्रयूज द्वारा इस शीर्षकसे लिखे लेखको यहाँ नहीं दिया जा रहा है। उस लेखमें श्री एन्ड्रयूजने बाबू कालीशंकर द्वारा अस्पृश्यताके बचावमें लिखे एक पत्रका जवाब दिया था। गांधीजीने श्री एन्ड्रयूजके उसी लेखपर अपनी उक्त टिप्पणी दी है। बाबू कालीशंकरने अस्पृश्यताकी तुलना अहिंसक असहयोगसे करके उसका बचाव करनेकी कोशिश की थी।

४. देखिए "पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको", ५-१२-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

सीधा-सादा तथ्य सीख लेना चाहिए कि अत्याचारी लोगोंको अपने कुकृत्योंकी निर्दयताका कोई भान नहीं होता। हिन्दू-धर्मकी अस्पृश्यता तो शायद आधुनिक साम्राज्यवादियोंकी अस्पृश्यतासे भी खराब है। हमने उसे जिस कड़ाईसे वंशानुगत बना दिया है, वह उसके साम्राज्यवादी संस्करणमें अभी नहीं दिखाई पड़ती। अच्छा हो यदि बाबू कालीशंकर कृपया याद रखें कि अंग्रेज साम्राज्यवादी अपनी अस्पृश्यताके लिए वही बचाव पेश करते हैं जो हिन्दुओंमें विद्यमान अस्पृश्यताके लिए वे स्वयं करते हैं। इसलिए ज्यादा अच्छा रास्ता यही है कि इन दोनोंमें कौन ज्यादा खराब है, यह पता चलानेके बजाय हम अपनी प्रथाकी बुराईको मानें और उसका उन्मूलन करनेका प्रयत्न करें।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, ११-१२-१९२४

३३६. केनियाके हैरी थुकू[1]

[५ दिसम्बर, १९२४][2]

बेचारा हैरी थुकू! श्री एन्ड्रयूजको प्रेषित उसकी अपीलसे और मेरे द्वारा इन स्तम्भोंमें उसके प्रकाशनसे सत्ता-लोलुप लोगोंके शिकार बेचारे हैरी थुकूको कोई राहत नहीं मिल पायेगी। फिर भी, यदि वह कभीं इन पंक्तियोंको देख पाये तो इस खयालसे शायद उसे कुछ सांत्वना मिलेगी कि दूर देश भारतमें भी लोग उसके निर्वासन और मुकदमेका हाल सहानुभूतिके साथ पढ़ेंगे। उसे शायद यह जानकर भी कुछ सन्तोष मिल सकता है कि बहुत-से लोग, जो शायद उसीकी तरह निर्दोष हैं, आज बिना मुकदमा चलाये बंगालकी जेलोंमें बन्द हैं और उन्हें ऐसी कोई आशा भी नहीं है कि निकट भविष्यमें उनपर मुकदमा चलाया जायेगा।

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १८-१२-१९२४

१. यह सी० एफ० एन्ड्रयूजके एक लेखकी टिप्पणीके रूपमें लिखा गया है। लेख यहाँ नहीं दिया जा रहा है। उसमें श्री एन्ड्रयूजने पूर्व आफ्रिकाके हैरी थुकू नामक एक तेजस्वी वतनी युवकके साथ किये गये अत्याचारका विवरण दिया था। थुकूने श्री एन्ड्रयूजकी मुलाकात नैरोबीमें हुई थी, जहाँ उनके आगमनपर उसने उनके भाषणके लिए एक सभाका आयोजन किया था। एक ही वर्ष बाद श्री एन्ड्रयूजने अखबारोंमें पढ़ा कि एक वारदातमें वतनी लोगोंपर गोरी सरकारने गोलियाँ चलाईं और थुकूको गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाये किस्मायू भेज दिया गया। थुकूने उस समय श्री एन्ड्रयूजसे मदद माँगी थी और कहा था कि ब्रिटिश प्रजाजनकी हैसियतसे उसका यह अधिकार है कि उसपर मुकदमा चलाये बिना उसे सजा न दी जाये। फिर, इस लेखके प्रकाशनसे कुछ समय पूर्व उसने अपनी अपील दुहराई थी और बताया था कि उसे क्यों निर्वासित किया गया। उसकी माँग थी कि गोरे मालिकोंके बागानोंमें कुमारी आफ्रिकी लड़कियोंसे काम न लिया जाये, क्योंकि इससे अनैतिकता फैलती है। उसकी यह भी माँग थी कि वतनी लोगोंको कोड़े लगाना बन्द होना चाहिए।

२. देखिए अगला शीर्षक।

Gandhi Heritage Portal

३३७. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

५ दिसम्बर, १९२४

परम प्रिय चार्ली,

मैंने महादेवसे तुम्हें यह कह देनेको कहा था कि तुम जिस तरह 'यंग इंडिया' के लिए लिख रहे हो, उस तरह न लिखो। मैं देवदासके पास रखी एक लेखकी पाण्डुलिपि देख गया हूँ। लेख बहुत प्रयत्नसे लिखा गया है और मैं देख सकता हूँ कि तुमको उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी और जिस बातसे मुझे चिन्ता होती है वह यह है कि तुम इसे अपना अपरिहार्य कर्त्तव्य मानते हो। मैं हर हफ्ते नये लेख लिखता हूँ, हालाँकि अभी लिखा हुआ इतना पड़ा है। इसलिए तुम चिन्ता न करो। तुम इस दायित्वसे मुक्त हो। लेकिन तुमको जब प्रेरणा होगी तब तो लिखोगे ही। मैंने साबरमतीमें तुम्हारे दो-तीन लेख नष्ट कर दिये थे। अब मुझे याद नहीं कि वे कौन-से लेख थे। मैंने अभी-अभी हैरी थुकू और 'अस्पृश्यता' शीर्षकके दो लेखोंको अपनी टिप्पणियाँ देकर (ऐसा कह सकूँ तो) 'पास' कर दिया है। मेरे पास अभी दो अंकोंके लिए पर्याप्त सामग्री है। मैंने तुम्हारी मिस्र-सम्बन्धी टिप्पणी नष्ट कर दी है, क्योंकि उसमें विषयके साथ न्याय नहीं हो पाया था। ब्रिटेनका अल्टीमेटम मुझे बहुत बर्बरतापूर्ण लगा था। लेकिन मुझे मिस्रके बारेमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस विषयपर कलम नहीं उठाऊँगा। उसके बारेमें मुहम्मद अलीने जो-कुछ लिखा है, वह पढ़ो और बताओ कि कैसा लगा।

यह पत्र मैं लाहौरसे लिख रहा हूँ। मैं १४ तारीखको या उससे पहले आश्रम पहुँचने और वहाँ चार दिन रह सकनेकी आशा करता हूँ। क्या तुम बेलगाँव तार दे सकते हो? अगर ठीक न समझो तो तार भेजनेकी जरूरत नहीं।

सप्रेम।

तुम्हारा,
मोहन

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २६१५) की फोटो-नकलसे।

Gandhi Heritage Portal

३३८. भाषण : अमृतसरके स्वर्ण मन्दिरमें

५ दिसम्बर, १९२४

महात्मा गांधीको अकाल तख्तकी ओरसे एक सरोपा भेंट किया गया। उसे स्वीकार करनेके लिए वे 'सत श्री अकाल' के नारोंके बीच खड़े हुए। फिर उन्होंने धीमे स्वरमें बैठे-बैठे भाषण किया। उस समय चारों ओर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, इसलिए उनकी आवाज कमजोर होते हुए भी बिलकुल साफ सुनाई पड़ रही थी। उन्होंने कहा, सरदार मंगलसिंहने कहा है कि उनका बयान सुनकर मेरी आँखोंमें आँसू भर आये। लेकिन वास्तवमें ऐसा नहीं हुआ। मैं इन कष्टोंपर इसलिए आँसू नहीं बहाता क्योंकि मुझे मालूम है अभी तो हमारे ऊपर इनसे भी बड़ी विपत्तियाँ आनेवाली हैं। मेरे आँसू बहानेसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब मैं काम नहीं कर पाऊँगा। मेरा दिल पत्थरका बन गया है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने दिलोंको इसी तरह मजबूत बनायें। मैं जानता हूँ कि पंजाबके नये शासक (सर मेलकम हेली) दूसरी ही तरहके मनुष्य हैं और मैंने उन्हें ठीक-ठीक पहचान लिया है। मैं जानता हूँ कि वे क्या करना चाहते हैं; परन्तु मैं अकालियोंको आगाह करता हूँ कि आप उनके भाषणोंके धोखेमें न आयें। मुझे यकीन है कि अगर जनता अपनी सारी शक्तियाँ एक साथ समेटकर प्रयत्न करे तो भारतको आजाद करानेमें देर नहीं लगेगी और तब गुरुद्वारेकी समस्याका भी निबटारा जल्दी ही हो जायेगा। जब मैं उस दुःखद घटनाके तुरन्त बाद ननकाना साहब गया था, तब मैंने सिखोंसे जो-कुछ कहा था, उसे मैं आज भी दोहराना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि अगर सिख लोग इस बृहत्तर गुरुद्वारेको — अपनी मातृभूमिको — आजाद करानेका प्रयत्न करें तो वे अपने गुरुद्वारोंको बिना किसी ज्यादा झंझटके आजाद करा सकते हैं। हिन्दुओं, मुसलमानों और सिखोंको अलग-अलग दिशाओंमें अपनी ताकत नहीं लगानी चाहिए। मैंने सरदार मंगलसिंहको गुरुद्वारोंके सवालके बारेमें सब-कुछ बता दिया है; परन्तु मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ। आप अपनी लड़ाईको सत्याग्रह कहते हैं। सचमुच देखा जाये तो सत्याग्रह और असहयोग दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं। सत्याग्रहका अर्थ है 'सत्यका बल'। इस बलको कोई भी दूसरी ताकत कुचल नहीं सकती, क्योंकि अगर इसको कमजोर किया जा सके तब तो ईश्वरको भी कुचला जा सकता है और मेरा विश्वास है कि ईश्वरको कुचलना नितान्त असम्भव है। सत्यका बल केवल अपवित्रतासे ही कमजोर हो सकता है; परन्तु सत्यमें अपवित्रताके लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसी तरह सत्याग्रहमें अपवित्रताके लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। इसमें आपको किसी भी चीजको छिपाना नहीं चाहिए। पैसा हो या कागज

Gandhi Heritage Portal

हो —— कोई चीज आपको जनतासे नहीं छिपानी चाहिए। सत्याग्रहकी एक यही शर्त है कि हर काम पूरी सचाईसे किया जाये। मैंने मुसलमानोंको हिन्दुओंके और हिन्दुओंको मुसलमानोंके खिलाफ और सिखोंको दूसरोंके तथा दूसरोंको सिखोंके खिलाफ शिकायतें करते सुना है। हिन्दू और मुसलमान और एक ही समाजके सम्प्रदायतक एक-दूसरेके खिलाफ लड़ रहे हैं। सत्याग्रहकी लड़ाईमें आपको सभी मतभेद दूर कर देने चाहिए; आपको अवसरका ध्यान रखना चाहिए। वही अच्छा सैनिक या सेनापति होता है जो अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिए उत्तम अवसरका ध्यान रखता है। अगर जरूरत पड़े तो आपको समय देखकर दूसरेके सामने सिरतक झुका देना चाहिए। सर मेलकम हेली आपके दूसरे सम्प्रदायोंको एक करके आपको कुचलना चाहते हैं, यद्यपि उन्होंने अपने भाषणोंमें कहा है कि वे सिखोंको कमजोर नहीं करना चाहते और साथ ही वे गुरुद्वारोंके सुधारके भी पक्षमें हैं; लेकिन आप जानते हैं कि उनके दिलमें क्या है।

महात्माजीने अन्य विषयोंकी चर्चा करते हुए कहा: मेरा असहयोगका सिद्धान्त तभी खत्म होगा जब भारत आजाद हो जायेगा। उन्होंने अकालियोंसे अनुरोध किया कि वे सत्यपर अटल रहें और इसी आदर्शको लेकर अपनी लड़ाई चलायें।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, ७-१२-१९२४

३३९. भाषण: अमृतसरकी सार्वजनिक सभामें[1]

५ दिसम्बर, १९२४

महात्मा गांधीने दोनों मानपत्रोंका एक साथ उत्तर देते हुए कहा कि इन मानपत्रोंको स्वीकार करनेमें मुझे काफी झिझक महसूस हुई है और उसका कारण अब मुझे इसी सभामें नजर आ गया है। जब मैं पहली बार अमृतसर आया था और देशका दौरा किया था तब मैंने लोगोंको महात्मा गांधीकी जयके नारे लगाते सुना था। इन नारोंको सुनकर मुझे खुशी नहीं होती, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग मेरे नामपर तरह-तरहके अनुचित काम करने लगे हैं। मैं आप लोगोंसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरा नाम भूल जायें और हिन्दू-मुसलमानकी जयके नारे लगायें। महात्माजीके ऐसा कहनेपर श्रोताओंने यह नारा लगाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा तो यह हो कि लोग चरखेकी जयका नारा लगायें, क्योंकि मेरी जय कहनेसे कोई फायदा

१. जलियाँवाला बागमें डा० सन्तराम सेठकी अध्यक्षतामें आयोजित सभा। गांधीजीके स्वागतमें मुस्लिम लीग, खिलाफत समिति, स्थानीय कांग्रेस कमेटी, केन्द्रीय सिख लीग, हिन्दू सभा, नागरिक संघ, महाराष्ट्र समाज और गुजरात मित्र-मण्डलने सम्मिलित रूपसे मानपत्र दिया था। इसके अतिरिक्त एक और मानपत्र जेलसे लौटे अमृतसरके स्वयंसेवकों और नवयुवकोंने दिया था।

Gandhi Heritage Portal

होनेवाला नहीं है। मैं तो ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर वह मुझे जिन्दा रखना चाहता है तो वह मेरा उपयोग किसी अच्छे और पुनीत कामके लिए करे। मैं प्रभुसे यह भी प्रार्थना करता हूँ कि हिन्दू और मुसलमान अपने मतभेदोंको भुला दें। वे अपने-अपने धर्मपर दृढ़ रहते हुए भी एक-दूसरेके धर्मके प्रति सारी कटुता छोड़ सकते हैं। हिन्दू लोग 'कुरान' के खिलाफ एक शब्द बोले बिना भी शुद्धिका प्रचार कर सकते हैं। एक मानपत्रमें इन झगड़ोंकी जिम्मेदारी नेताओंपर डाली गई है। बात सही है, क्योंकि लड़नेवाले गुण्डे नहीं हैं। मैं साबित कर सकता हूँ कि इस गड़बड़ीके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और नेता लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप नेताओंके बहकावेमें न आयें, क्योंकि जनताने ही तो उनको अपना नेता बनाया है।

इसके बाद महात्मा गांधीने कहा कि मुझसे कहा गया है कि मैं यहाँ कुछ दिन रुकूँ और इन मतभेदोंको दूर कराऊँ। पर इस कामको तो यहाँके लोग ही ज्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। मैं इसे नहीं कर पाऊँगा और न मेरे पास यहाँ रुकनेके लिए समय ही है। यदि इस तरहकी गड़बड़ीसे कोई स्थान बचा रहना चाहिए तो वह अमृतसर ही है। मैं मानता हूँ कि मेरा सारा असर खत्म हो गया है। अब तो आपको ही यह काम करना है। हिन्दू और मुसलमान दोनों ही अब मेरी नहीं सुनते। मुझपर इलजाम लगाया जाता है कि मैं मुसलमानोंके साथ अनुचित पक्षपात करता हूँ। परन्तु हिन्दू यह नहीं जानते कि उनको डाँटने-फटकारनेका तो मुझे पूरा हक है, जबकि मुसलमानोंके धर्मकी पूरी जानकारी न होनेके कारण मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा करना किसी प्रकार हानिकर हो सकता है और उससे उनकी धार्मिक भावनाओंको ठेस लग सकती है। लेकिन खुद एक हिन्दू और कट्टर सनातनी होनेके नाते, मैं अपने धर्मको समझता हूँ और उसके खिलाफ बखूबी बोल सकता हूँ। मुझपर इलजाम लगाया गया है कि मैं आर्य समाजकी नुक्ताचीनी करता हूँ और मैं रावलपिंडीके सनातन धर्म सम्मेलनमें तो शामिल नहीं हुआ, परन्तु खिलाफत सम्मेलनमें शरीक होने आ गया हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं अपने धर्मके प्रति सच्चा रहते हुए भी अन्य धर्मोंके प्रति अपने आदर-भावके कारण उनकी तरफ-दारी करता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सत्यका पालन करें। असत्यको मैं हिंसा मानता हूँ। यदि मैं असत्य भाषण करूँ तो मुझे जानसे मार देना चाहिए। हिन्दू लोग पूछते हैं कि अगर काबुलियोंने भारतपर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे। मेरी यही सलाह है कि आप काबुलियोंसे भय न खाइए, क्योंकि वे आपके भाई हैं। आपको काबुलियोंकी इज्जत करनी चाहिए और उनके आगे सिर झुकाना चाहिए। आपको संयम और सहिष्णुतासे काम लेना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, ७-१२-१९२४

Gandhi Heritage Portal

३४०. भाषण: अमृतसरके खिलाफत सम्मेलनमें

६ दिसम्बर, १९२४

महात्माजीने "हिन्दू-मुसलमानकी जय" के कर्ण-भेदी नारोंके बीच खड़े होकर कहा कि मुझे मजबूर होकर[1] आपकी कार्यवाहीमें बाधा डालनी पड़ रही है। मुझे हिन्दू-मुसलमान समस्याके बारेमें अन्य नेताओंसे सलाह-मशविरा करने लाहौर जाना है। यह कहना गलत है कि दंगोंके लिए गुण्डे जिम्मेदार हैं। इसके विपरीत इसके लिए नेता -- जैसे, डा० किचलू, अली भाई, हकीम साहब और अन्य नेता लोग -- भी समान रूपसे जिम्मेदार हैं। दिमागी तौरपर तो वे उनमें हिस्सातक लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि दोनों जातियोंका हृदय-परिवर्तन हो और दोनोंके बीच पहले-जैसा सौहार्द स्थापित हो जाये। अध्यक्ष (श्री जफर अली) ने मेरी प्रशंसा करनेके लिए कुछ हिन्दू नेताओंके बारेमें जो बातें कहीं, वे मुझे बम-विस्फोट जैसी मालूम हुई हैं और वे ठीक भी नहीं हैं। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ और अपनी प्रशंसा सुनना पसन्द नहीं करता। मुझे पण्डित मालवीयजीके खिलाफ कही गई बातोंसे बड़ा आघात लगा है और उनसे मेरा दिल टूट गया है। मैं कभी विश्वास ही नहीं कर सकता कि मालवीयजी मुसलमानोंके दुश्मन हैं और हिन्दू-मुसलमान एकताके मार्गमें बाधक हैं। मैं मालवीयजीके बारेमें आपकी राय बदलना चाहता हूँ। हिन्दू लोग मालवीयजीको अत्यन्त सम्मान और प्रेमकी दृष्टिसे देखते हैं, इसलिए आपको मालवीयजीकी बुराई करनेसे समस्याके हलमें कोई मदद नहीं मिलेगी। लोग मुझसे कहीं ज्यादा मालवीयजी-पर आस्था रखते हैं। मुझे तो लोग मुसलमान मानने लगे हैं। अलबत्ता, उनकी यह धारणा गलत है।

हिन्दुओंके लिए मालवीयजीका साथ छोड़ देना उसी तरह असम्भव है जिस तरह मुसलमानोंके लिए, मेरे कहनेसे हकीम अजमल खाँ और अली भाइयोंका साथ छोड़ना। मैं आपको याद दिला दूँ कि बी-अम्माँकी मृत्युसे हिन्दुओंको भी दुःख हुआ है। मुसलमानोंसे मेरा अनुरोध है कि वे अपने पैगम्बरकी यह सीख याद रखें कि उनको अपने दुश्मन तकके साथ भाई-चारेका बरताव करना चाहिए; और उसपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि इससे एक-दो सालके अर्सेमें उसका हृदय-परिवर्तन हो जायेगा। मैंने जो-कुछ पण्डित मालवीयके बारेमें कहा है, वह लाला लाजपतरायपर भी उतना ही लागू होता है। मैं उनके हृदयको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं

१. गांधीजीने यह भाषण जफर अलीके इस कथनके उत्तरमें दिया था कि मदनमोहन मालवीय, लाजपतराय और अन्य हिन्दू नेता बाहरसे तो हिन्दू-मुस्लिम एकताकी बात करते हैं किन्तु मनसे उसकी इच्छा नहीं करते।

Gandhi Heritage Portal

जब भी लाहौर जाता हूँ, लालाज़ीके साथ ही ठहरता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि लालाजी हिन्दू-मुसलमान एकताके जबरदस्त हिमायती हैं। पर साथ ही मैं आप सबको यह भी जता देना चाहता हूँ कि जो हिन्दू किसी मुसलमानके साथ दोस्ताना ताल्लुक पसन्द नहीं करता उसे भी मैं दुश्मन नहीं बनाना चाहता; और इसी तरह किसी हिन्दूके प्रति वैसा ही रुख रखनेवाले मुसलमानके प्रति भी मेरा दृष्टिकोण यही है। हिन्दुओंने मुझसे कहा है कि उनको अफगानोंके हमलेका डर है। मुझे खुद तो उसका जरा भी डर नहीं है, क्योंकि वे ज्यादासे-ज्यादा यही कर सकते हैं कि मेरा सिर धड़से अलग कर दें, किन्तु वे मुझे मेरे धर्मसे च्युत तो नहीं कर सकते। हिन्दुओंका यह डर बिलकुल बेबुनियाद है। इस सूबेमें कई उर्दू अखबार ऐसे हैं जो, मेरी रायमें, जहर फैलाते हैं और आगे बढ़कर हिन्दू-मुसलमान एकताकी जड़ें काटते हैं। सचमुच ऐसे अखबारोंपर नजर भी डालना शर्मनाक है। अगर मुसलमान इस्लामको बचाना चाहते हैं तो उनको हिन्दुओंके साथ एक हो जाना चाहिए। हिन्दुओंसे मैं कहना चाहता हूँ कि वे सारे मुसलमानोंको हिन्दुस्तानसे बाहर नहीं निकाल सकते। उनको अपना अस्तित्व बनाये रखनेके लिए मुसलमानोंके साथ एक हो जाना चाहिए। भारत [की परतन्त्रता] अन्य कई स्वतन्त्र देशोंकी स्वाधीनता नष्ट करनेके लिए जिम्मेदार है और हमें आजादी मिलनेसे भारतका विदेशी शोषण खत्म हो जायेगा और हिन्दू-मुसलमान एकता स्थापित हो जायेगी। नेताओंका काम यही है कि वे दोनों जातियोंमें दिली एकता कायम करें और कमजोरों और बलवानोंके बीच दोस्ताना सम्बन्ध बनायें। ईश्वर इस लक्ष्यको प्राप्त करनेमें और अपने हृदयोंको परिवर्तित करनेमें हमें सहायता दे।

[अंग्रेजीसे]

हिन्दुस्तान टाइम्स, १२-१२-१९२४

३४१. दीक्षान्त भाषण: पंजाब कौमी विद्यापीठमें[1]

६ दिसम्बर, १९२४

महात्मा गांधी बोलनेके लिए खड़े हुए तो जन-समुदायने जय-जयकारके तुमुल-नादसे उनका स्वागत किया। कमजोरीके कारण उन्हें बैठे-बैठे भाषण करना पड़ा। मंचपर एक कुर्सी रख दी गई थी। गांधीजीने उसीपर आसन ग्रहण किया। उन्होंने हिन्दीमें भाषण दिया।[2] भाषणका एक-एक शब्द भवनमें हर जगह साफ सुनाई पड़ रहा था।

१. लाहौरके ब्रैडलॉ हॉलमें हुए उसके तीसरे दीक्षान्त समारोहमें; मदनमोहन मालवीय और शौकत अली भी मौजूद थे।

२. हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है।

Gandhi Heritage Portal

गांधीजीने अपना भाषण नये स्नातकों द्वारा की गई प्रतिज्ञाका उल्लेख करते हुए शुरू किया और ईश्वरसे प्रार्थना की कि वह उन्हें उनके देश या धर्मको हानि पहुँचा सकनेवाली हर चीजसे बचनेकी शक्ति प्रदान करे। उन्होंने कहा, मैं आपको डिग्री हासिल करनेपर बधाई देता हूँ। आप आगे चलकर जो भी काम हाथमें लें, हर समय अपने देशको स्वराज्य दिलानेका अपना उद्देश्य ध्यानमें रखें।

मुझसे रजिस्ट्रारने कहा है कि मैं बेलगाँवमें कोई ऐसा सुझाव लोगोंके सामने रखूँ जिससे देश-भरकी इन राष्ट्रीय संस्थाओंमें और अधिक शक्तिका संचार हो। कह नहीं सकता कि मैं बेलगाँवमें क्या सुझाव दूँगा। मैंने 'यंग इंडिया' में लिखा था कि मेरे और शिक्षित समुदायके बीचकी दूरी दिन-दिन बढ़ती जा रही है।[1] फिर भी मैं निराश नहीं हूँ। यह दूरी अवश्यंभावी है। रजिस्ट्रारने शिक्षाकी चालू पद्धतिके उद्देश्यके बारेमें लॉर्ड मैकॉलेका कथन उद्धृत किया है। इसमें शक नहीं कि लॉर्ड मैकॉलेका उद्देश्य पूर्ण रूपसे फलीभूत नहीं हो पाया है जैसा कि लालाजीने[2] कहा है, इस बातको हर आदमी मानता है कि हमारी सभ्यता युगों पुरानी है। इसलिए हमको सदा गुलाम बनाये रखना असम्भव है।

मैं पिछले चालीस वर्षोंसे शिक्षाकी चालू पद्धतिके परिणामोंपर दृष्टि रखता आया हूँ। एक समय था, जब मैं भी उसपर मुग्ध था और मैंने दक्षिण आफ्रिकाके कई लोगोंको बैरिस्टर बनानेमें मदद दी थी। लेकिन मेरा भ्रम दूर हो गया। मैंने एक अमेरिकी लेखककी वह सम्मति पढ़ी है कि भविष्य उन देशोंके ही हाथमें है, जिनकी सन्तान शारीरिक श्रमकी महत्ताको समझेगी और उसे अपनी शैक्षणिक पद्धतिका एक अंग बना लेगी।

टालस्टायने इसे 'ब्रेड-लेबर' -- 'रोटीका श्रम' कहा है। भगवद्गीतामें भी कहा गया है कि जो मनुष्य आवश्यक दैनिक यज्ञ किये बिना खाता है, वह वास्तवमें चोर[3] है। समाजकी खातिर किया गया शारीरिक श्रम ही यह यज्ञ है। मेरी इस व्याख्याका समर्थन एक अन्य विद्वान्ने भी किया है। कुरान और पारसी धर्म-शास्त्रमें भी मुझे यही बात मिली है। पुराने जमानेके खलीफा लोग भी अपने जीवन-यापनके लिए श्रम किया करते थे और अपना शेष समय धार्मिक कार्योंमें लगाते थे। इसलिए मेरी तो यही राय है कि जो मनुष्य श्रम-रूपी तपस्या नहीं करता उसे जीनेका कोई अधिकार नहीं। केवल अपने दिमागमें विभिन्न तथ्य ठसाठस भर लेना और फिर उनको जहाँ-तहाँ बाँटते रहना शिक्षा नहीं है। गुजरात विद्यापीठमें लोगोंने अपने आदर्शके रूपमें इस वाक्यको चुना है -- "विद्या वही है जो मुक्ति दिलाये"।[4] यहाँ रजिस्ट्रारने अभी

१. देखिए "ईश्वर हम सबकी सहायता करे!", २६-११-१९२४।

२. लाला लाजपतराय, विद्यापीठके कुलपति।

३. ३, १२।

४. सा विद्या या विमुक्तये।

Gandhi Heritage Portal

बताया कि कुछ स्कूली बच्चोंके माता-पिता अपने बच्चोंको शारीरिक श्रमकी शिक्षा देनेपर आपत्ति करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे बच्चोंको अपने आगामी जीवनमें श्रम तो करना नहीं है। हिन्दू और मुसलमान भी सरकारी नौकरियोंके पीछे इसलिए झगड़ रहे हैं कि वे शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते। मैं इसे हराम समझता हूँ।

आपको जो शिक्षा मिल रही है, वह सिर्फ दिमागकी शिक्षा है, हृदयकी नहीं। हृदयकी शिक्षाका मतलब है धार्मिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षाका अर्थ केवल शास्त्रोंका पठन-पाठन नहीं है। उसका अर्थ है ईश्वरकी वास्तविक अनुभूति और ईश्वरके अतिरिक्त अन्य किसीके सामने भी भयसे न झुकना। यदि कोई ऐसी सच्ची शिक्षा, अर्थात् हृदयकी शिक्षा एक बार प्राप्त कर ले तो उसके हृदयमें किसी मनुष्यका या शक्तिशाली सरकारका भी भय नहीं रह जायेगा, क्योंकि तब उसको अनुभूति हो जायेगी कि ईश्वर उसके साथ है। उन्होंने विद्यार्थियोंसे पूछा, क्या आपको ऐसी शिक्षा मिली है? क्या आप छोटेसे-छोटा काम करनेके लिए भी तैयार हैं? अगर आप मानते हैं कि देशकी स्वतन्त्रताके लिए चरखा चलाना अत्यावश्यक है तो क्या आप यज्ञ समझकर प्रतिदिन चरखा चलाते हैं? यदि ऐसा हो तभी कहा जा सकता है कि आपको सच्ची शिक्षा मिली है।

उन्होंने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि यदि भारतका प्रत्येक पुत्र और भारतकी प्रत्येक पुत्री प्रति-दिन कमसे-कम आधा घंटा भी सूत कातने लगे और उसे कपड़े तैयार करने और गरीबोंमें बाँटनेके लिए कांग्रेसको देने लगे तो हम अपने देशको स्वतन्त्र करा सकते हैं। परन्तु हमारे अन्दर अभीतक ऐसी राष्ट्रीय चेतना पैदा नहीं हुई है। यदि आप अपने देशके भूखे और नंगे लोगोंके सबसे निचले वर्गके लिए स्वराज्य लेना चाहते हैं तो आपको सूत कातना शुरू कर देना चाहिए। मैं आपको शेक्सपियर या मिल्टनकी रचनाएँ पढ़नेसे या वैदिक ऋचाओंका पाठ करने से या 'कुरान' का अध्ययन करनेसे नहीं रोकता; लेकिन जैसा कि 'कुरान' में हजरत मुहम्मदने कहा है, निचले वर्गके लोगोंकी उपेक्षा करनेवाले ईश्वरसे बहुत दूर हैं। और यही बात राष्ट्रीय शिक्षाके लिए अत्यावश्यक है। मेरी समझमें तो यही सच्ची शिक्षा है।

इस समय मैंने राष्ट्रीय कार्यक्रमके रूपमें असहयोगको स्थगित करनेकी जो सलाह दी है, उसका कारण यह नहीं है कि मैं शिक्षाकी इस दूषित पद्धतिको बरकरार रखना चाहता हूँ। महाकवि तुलसीदासने मुझे सीख दी है कि धर्म और अधर्मके बीच किसी भी तरहका सौहार्द, स्नेह या एका नहीं हो सकता। इसलिए जबतक मेरा विश्वास है कि यह सरकार शैतानी सरकार है और यह कमजोर जातियोंके अहंकारपूर्ण शोषणपर खड़ी है, तबतक इससे असहयोग करना मेरा कर्त्तव्य है और मैं इस मार्गपर दृढ़ रहूँगा, चाहे मुझे इसपर अकेले ही चलना पड़े। यहाँ यदि कोई अराजकतावादी हों तो मैं उन्हें बतला देना चाहता हूँ कि मैं अहिंसापूर्ण असहयोग

Gandhi Heritage Portal

करना चाहता हूँ हिंसापूर्ण नहीं और मेरा असहयोग इस शासन-प्रणालीके विरुद्ध है, इस प्रणालीको चलानेवाले व्यक्तियोंके विरुद्ध नहीं।

व्यक्तिके नाते मुझे लॉर्ड रीडिंग या सर मेलकम हेलीसे कोई शिकायत नहीं है, हालाँकि मैंने सुना है, सर मेलकम हेली इस समय पंजाब-भरमें बड़ी तेजीसे अपना जाल फैला रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि सर मेलकम हेली जानते हैं कि वे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैंने लम्बे अर्सेतक इस सरकारके रंग-ढंगका अध्ययन बड़ी बारीकीसे किया है और इसलिए मैं यह बात जानता हूँ। इसके अतिरिक्त सर मेलकम यह जान भी कैसे सकते हैं? जूता पहननेवाला ही तो जान सकता है कि जूता कहाँ काट रहा है।

लेकिन जो असहयोग स्वयं दूषित हो, वह अपनाने योग्य नहीं है और हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच आज असहयोगकी ऐसी ही भावना वर्तमान है, वह घृणा और भयपर आधारित है और उसमें शान्ति और प्रेम लेश-मात्र भी नहीं है। आप सब ईश्वरसे यही प्रार्थना करें कि वह ऐसे असहयोगसे आपको बचाये।

लाहौर या बेलगाँवमें अध्यक्षताके लिए मेरे सहमत होनेका यह मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए कि मुझमें बड़प्पनका भाव आ गया है। इसके विपरीत मैं तो यह समझता हूँ कि मैं छूछे कारतूसके समान शक्तिहीन हो गया हूँ। मैं जानता हूँ कि भारतके शिक्षित लोगोंका एक बड़ा भाग मेरे साथ नहीं है। वे महात्मा गांधीकी जयके नारे भले ही लगायें, परन्तु उससे मुझे खुशी नहीं हो सकती। इसके बदले यदि वे मेरे ऊपर थूक भी दें, किन्तु मैं जैसा कहूँ वैसा करें तो मुझे सचमुच खुशी होगी।

अन्तमें गांधीजीने पूछा कि क्या पंजाबी लोग चरखेको अपनायेंगे। पंजाबी हिन्दुओंसे यह सुनकर मुझे दुःख पहुँचता है कि वे खद्दर पहनना इसलिए हराम समझते हैं कि उसे मुसलमान बुनकर बुनते हैं। उनका पारस्परिक असहयोग इस सीमातक पहुँच चुका है। मैं खुद चाहता हूँ कि मुसलमान बुनकर अपना धन्धा फिर अपना लें। मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप सभी लोग चरखेको पूरे उत्साह और अटूट विश्वाससे अपनायें। दूसरी तरफ मुसलमान चाहते हैं कि खद्दर मलमल-जैसा महीन और मैंचेस्टरके कपड़ों-जैसा सस्ता हो। ऐसे हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनोंको मैं आगाह कर देना चाहता हूँ कि वे जबतक खद्दरका सन्देश नहीं सुनेंगे, तबतक स्वराज्य नहीं मिल सकता।

[अंग्रेजीसे],
ट्रिब्यून, ९-१२-१९२४

Gandhi Heritage Portal

३४२. तेरह आदेश

ईसाई धर्ममें दस पालनीय आदेश बतांये गये हैं। भाई अमृतलाल ठक्करको मैंने उनके प्रेमके कारण अन्त्यजोंका धर्म-गुरु कहा है। उनकी सेवावृत्तिकी कोई सीमा नहीं है। अब उन्होंने भीलोंके गुरुका पद सँभाला है और अनुभवसे जो उन्हें जरूरी लगा है उसे उन्होंने, आदेशके रूपमें कहिए या उपदेशके रूपमें, बड़े-बड़े सुन्दर अक्षरोंमें छपवाया है। ये आदेश भील भाइयोंकी भाषामें ही छपवाये गये हैं। यहाँ सब आदेश उद्धृत करनेकी तो जरूरत नहीं है, किन्तु उनमें से कुछ आदेश उद्धृत करता हूँ। उदाहरणके तौरपर पहला आदेश यह है:

> हँड़िया[1] मत पिओ। हँड़िया पीनेसे बच्चे ठण्ड और भूखों मरेंगे।
>
> आदेश ३: नित्य स्नान करो, इससे तुम्हारा जी हल्का रहेगा, तुम्हें दाद-खुजली नहीं होगी तथा तुमपर बाबादेवकी कृपा रहेगी।
>
> लगता है भील परमेश्वरको बाबादेव कहते हैं।
>
> आदेश ५: पानी छाना हुआ और ताजा पीओ। बाबादेव तुम्हें नारू नहीं होने देंगे।
>
> आदेश ६: [लड़कीके विवाहमें] लड़कीकी कीमत न लो। लड़कीकी कीमत लेनेसे तुम्हें दुःख उठाना पड़ेगा।
>
> आदेश ९: चोरी-चकारी न करो। नहीं तो बाबादेव अन्न-संकट पैदा कर देंगे।
>
> तेरहवाँ और अन्तिम आदेश यह है:
>
> प्रतिदिन सूर्यास्त होनेपर बाबारामका स्मरण करो। बाबारामके समान अन्य कोई नहीं है। गुरुजीकी शपथ।

इनमें से बहुतसे आदेश तो ऐसे हैं जो हमपर भी लागू होते हैं। इन आदेशोंके सम्बन्धमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक आदेशका पालन करनेके लिए संक्षेपमें कोई-न-कोई सुन्दर कारण दिया गया है।

भगवान करे, भाई अमृतलाल ठक्करकी सेवा फलीभूत हो और भील भाइयोंका भविष्य उज्ज्वल हो।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ७-१२-१९२४

१. मूलमें 'हरो' है। आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त और तैयार की जानेवाली एक प्रकारकी शराब।

Gandhi Heritage Portal

३४३. किस आशासे?

पाठक यह तो समझ ही लेंगे कि अपने दूसरे काम-काजके बीच मैंने जो काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्का अध्यक्ष-पद स्वीकार कर लिया है वह छोटी या बड़ी आशासे ही किया होगा।

काठियावाड़में एक डुबकी लगा आनेका लोभ तो मुझे बराबर रहता है, लेकिन इस इच्छाको तो मैं दूसरे मौकेपर और अध्यक्ष-पदका भार उठाये बिना भी पूरा कर सकता था। मैं वहाँ जा तो रहा हूँ इस आशासे कि काठियावाड़पर जो खादीके प्रति उदासीनता बरतनेका आरोप लगाया जाता है, उससे वह मुक्त हो जाये। मेरे पास आनेवाले भाइयोंने मुझे भरोसा दिलाया है कि सोनगढ़को मैं पूरी तरह खादी-नगरके ही रूपमें देखूँगा और परिषद्में आनेवाले हजारों लोग तो खादी पहनकर ही आयेंगे।

जो-कुछ मिल जाये, वह तो लाभ ही है, ऐसा समझकर मैं इतनेको ही स्वीकार कर लूँगा, किन्तु साथ ही जैसा उत्तर तिलक महाराजने स्वर्गीय श्री मॉन्टेग्युको[1] दिया था, मैं भी वैसा ही कहूँगा: "जो मिलेगा उसे स्वीकार करके अधिकके लिए लड़ूँगा।" काठियावाड़में पैदा हुई रुई बाहर जाये और उस रुईसे जो कपड़ा बनकर बाहरसे आये उसे काठियावाड़के लोग पहनें, यह बात तो बराबर असह्य मानी ही जायेगी, किन्तु रुईकी ही तरह काठियावाड़की जनता भी आजीविकाके अभावमें बाहर जाये, यह कैसे देखा जा सकता है?

काठियावाड़के बुनकरोंको रोजगार न मिले, काठियावाड़की गरीब बहनोंको कताईके अभावमें दुःख उठाना पड़े, यह कैसी विडम्बना है? इसमें मुझे राजा-प्रजा दोनोंका दोष दिखाई देता है। अगर राजा लोग चाहें तो अपने राज्योंमें पैदा होनेवाली रुईका उपयोग वहीं करवाकर हाथ कताई और उससे सम्बन्धित अन्य कलाओंका पुनरुद्धार करा सकते हैं।

एक समय था जब काठियावाड़के कुशल बुनकरोंको मैंने पोरबन्दरमें कहाँ नहीं देखा? आज उनका धन्धा लगभग नष्ट हो गया है। यह मेरे ही समयकी बात है कि काठियावाड़ी अतलस और अहमदाबादी अतलसके बीच होड़ चलती थी और उसमें काठियावाड़ जीतता था। काठियावाड़के खत्रियोंको मंदिरमें भी बँधाईकी रीतिसे रंगनेका काम अपने साथ लाकर अपने समयका सदुपयोग करते मैंने स्वयं अपनी आँखों देखा है। आज वे सब कहाँ है? एक समयमें काठियावाड़की जरीकी साड़ियाँ प्रख्यात थीं। उन्हें बुननेवालोंको मैंने देखा है। किन्तु आज वे कहाँ हैं? चालीस वर्ष पहले मैं राजकोटके इर्दगिर्द काठियावाड़के रंगरेजोंको देखा करता था, और [उनकी कारीगरीके नमूनेको देखकर मनमें जगनेवाली] लड़कपनकी यह निर्दोष इच्छा कि

१. ई० एस० मॉन्टेग्यू (१८७९-१९२४); भारत-मन्त्री, १९१७-२२।

Gandhi Heritage Portal

'कितना अच्छा हो, अगर पिताजी मुझे इस रंगका साफा खरीद दें,' मुझे आज भी याद है। कौन जाने, आज ये रंगरेज कहाँ होंगे।

कौन जानता है कि हाथ-कताईके लोपके साथ-साथ उससे सम्बन्धित और भी कितने धन्धे लुप्त हो गये हैं? उनकी गिनती कौन कर सकता है? कताईके लोपके साथ ही कलाका भी लोप हो गया है, इसका एहसास हमें कहाँ है? इस कलाके साथ ही करोड़ों किसानोंके घरोंकी ज्योति बुझ गई है, इसका विचार भी हम शहरी लोग कहाँ करते हैं? चरखेमें जो बरकत थी, वह चरखेके साथ ही चली गई! जिन घरोंमें चरखेको फिरसे स्थान मिल गया है, उनमें बरकत फिरसे आ रही है। अलबत्ता, अभी वह वहाँ पूरी तरह स्थिर नहीं हुई है, क्योंकि उन घरोंमें चरखेपर अभी पूरी श्रद्धा पैदा नहीं हुई है। "मेरे सूतकी खपत नहीं हुई तब मेरा क्या होगा? इन कांग्रेसियोंका क्या भरोसा? ये लोग आज कुछ करते हैं तो कल कुछ। इनकी पीठपर सरकार तो है नहीं?" ऐसी अनिश्चित स्थितिसे वे घबराते हैं। 'दूधका जला छाछ भी फूंक-फूंककर पीता है,' आज हमारी दशा ऐसी ही दयनीय है।

ऐसी स्थितिमें मैं अपने मनमें इस आशाको सँजोये हुए हूँ कि काठियावाड़ खादीके कार्यको हाथमें लेकर उसकी शोभा बढ़ायेगा।

दूसरी आशा भी उतनी ही निर्दोष, उतनी ही तीव्र और उसी प्रकार धार्मिक है। धर्म-तत्त्व तो कदाचित् इस दूसरी आशामें अधिक ही हो। काठियावाड़की अस्पृश्यतासे तो विदुरका साग खानेवाले, ग्वाल-बालोंके साथ खेलनेवाले, गायें चरानेवाले, गोपियोंके निर्मल मनको हरनेवाले, उनके पवित्र हृदयोंके स्वामी कृष्ण भी हार गये हैं। जिसे कृष्णने चीथड़ोंमें लिपटे सुदामाको आनन्दित हो गलेसे लगा लिया था, क्या अन्त्यजोंके स्पर्शसे वह अपनेको अपवित्र हुआ मानेगा?

लेकिन उसी कृष्णके सौराष्ट्रमें आज अन्त्यजोंको चारों ओरसे दुतकारा जाता है। उनका स्पर्श दोषपूर्ण माना जाता है और कुछ भले काठियावाड़ी तो उन्हें गाली देने और मारने-पीटनेमें भी नहीं चूकते। इनका सहायक, इनका मित्र कौन होगा? मुझे उम्मीद है कि जो लोग परिषद्में उपस्थित होंगे वे इस दोषसे मुक्त रहेंगे, इतना ही नहीं, बल्कि वे अन्त्यज-सेवाकी प्रतिज्ञा लेंगे।

मुझे संयोजकोंको बता देना चाहिए कि यदि मण्डपमें किसी भी स्थानपर अन्त्यजोंका प्रवेश निषिद्ध होगा तो जहाँ अन्त्यजोंको जगह दी जायेगी, उन्हें अध्यक्षको भी वहीं जगह देनी होगी और अध्यक्षको वहाँ बैठकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी। हिन्दू-धर्ममें अस्पृश्यता नहीं है। जिस धर्ममें अस्पृश्यता है, वह धर्म नहीं है, अधर्म है, मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है। मनुष्य दूसरे मनुष्यका स्पर्श करके दूषित नहीं होता, बल्कि अपने अन्तरमें निहित मलिन वृत्तिका स्पर्श करके तथा उसे पोषित करके ही दूषित होता है।

लेकिन राजनीतिक परिषद्के सदस्य शायद सोचेंगे कि इन बातोंका राजनीतिक परिषद्से क्या सम्बन्ध है? मैं अनेक बार बता चुका हूँ कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक — ये तीनों कोई अलग-अलग प्रवृत्तियाँ नहीं हैं; अपितु इन तीनोंका

Gandhi Heritage Portal

परस्पर सम्बन्ध है। "राजनीतिक" शब्द राजा और प्रजाके सम्बन्धोंका सूचक है; "सामाजिक" शब्द समाजकी आन्तरिक व्यवस्थाका सूचक है और "धार्मिक" शब्द व्यक्तिके कर्त्तव्यका सूचक है। लेकिन "यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे," इस न्यायके अनुसार जो बात व्यक्तिके लिए ठीक है वही समाजके लिए भी ठीक है और जो समाजके लिए ठीक है वही राजा-प्रजाके सम्बन्धोंके लिए भी है। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ जय नहीं, क्षय है। भले ही उससे जयका आभास होता हो, लेकिन उसे मृगजलके समान समझना चाहिए। जैसी प्रजा होगी, वैसा ही राजा और जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही समाज होगा। सबका मूल व्यक्ति है और व्यक्तिका अस्तित्व केवल धर्मपर निर्भर है। इसीसे ऋषि-मुनियोंने कहा है: "जहाँ धर्म है वहीं जय है[1]।"

परिषद्में हम राजा-प्रजाके सम्बन्धोंपर अवश्य विचार करेंगे, लेकिन समाजके कर्त्तव्यपर स्पष्ट रूपसे विचार किये बिना राजा-प्रजाके धर्मका सम्यक् विचार मैं असम्भव मानता हूँ।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ७-१२-१९२४

३४४. कपास बचाओ

सूत कातनेमें सबसे पहली बात कपासका संग्रह है। उससे भी पहली चीज है कपासकी बुवाई। परन्तु यहाँ हम उसके विषयमें विचार नहीं करेंगे, क्योंकि कपास तो सारे हिन्दुस्तानमें काफी परिमाणमें बोई जाती है। दुःखकी बात सिर्फ यह है कि इतनी कपासकी बुवाई होनेके बावजूद हमारे किसान भाई इसका सदुपयोग न जाननेके कारण इसका संग्रह करनेके बजाय, इसे अच्छे भावके लालचमें बेच दिया करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि अच्छे भावका बदला उन्हें बादमें मँहगाईके रूपमें चुकाना पड़ता है।

लेकिन इस विषयपर कभी फिर विचार करेंगे। इस समय तो इतना ही कह देना काफी है कि कपासकी फसल आना अभी बाकी है और उसके विदेशोंमें भेजे जानेके लिए बेचनेके पहले समझदार किसान उसका संग्रह कर लें और सयाने-समझदार स्त्री-पुरुष ऐसा करनेके लिए नासमझ लोगोंको समझायें।

जिस तरह हम लोग १९२१ में चन्दे उगाहा करते थे, उसी तरह अब हमें चाहिए कि कपास उगाहें और उसे कतवायें-बुनवायें। इस बातमें मुझे कोई सन्देह नहीं कि पैसा उगाहनेकी बनिस्बत यह काम ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि पैसा तो सूदसे ही बढ़ता है और सूद आलसियोंका धन है। कच्चा माल मेहनतसे बढ़ता है और मेहनत उद्यमीका धन है। हम मध्यवर्गी लोगोंने शारीरिक श्रमका मूल्य समझा ही नहीं। शारीरिक श्रममें हम सभीको लगा सकते हैं। इसलिए, यदि हमारे पास

१. यतो धर्मः ततो जयः।

Gandhi Heritage Portal

कपासका संग्रह हो और उसपर काम करनेवाले देश-सेवक मिल जायें तो उन देश-सेवकोंकी संख्याके अनुपातमें हम कपासका मूल्य जितना बढ़ाना चाहें, बढ़ा सकते हैं।

यदि कपास दानमें मिले और उसपर काम करनेवाले लोग अपनी मेहनत भी दानमें दें तो खादीको हम पानीके दाम बेच सकते हैं; यह बात आसानीसे समझमें आ सकती है। किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रबन्ध करनेमें, उसे कतवानेमें, कितने ही सेवकोंको केवल आधा घंटा ही नहीं, बल्कि अपना सारा समय देना पड़ेगा; और यह स्पष्ट ही है कि वे बिना भत्तेके काम न कर सकेंगे। पर अगर आधे घंटेकी मेहनत देनेवाले हजारों भाई हमें मिल जायें तो थोड़े-से वैतनिक कार्यकर्त्ताओंसे ही हम बहुत काम कर सकते हैं। मगर इन सारे कार्योंके विषयमें विचार करनेसे पहले हमारे पास कपासका बड़ा संग्रह होना चाहिए। इसीलिए मेरी सलाह है कि कमेटियाँ कपासका जितना हो सके उतना संग्रह करें। संग्रह करनेवालोंको चाहिए कि जिस प्रकार पैसेका हिसाब रखा जाता है उसी तरह उसका हिसाब भी रखें। कपासका एक भी डोंड़ा बेकार न जाये, एक भी गाला हवामें न उड़े।

हमें उसका संग्रह करनेके उपायोंपर भी विचार करना होगा। यह भी जानना जरूरी होगा कि रुईकी गाँठें किस तरह बाँधी जायें। इस तरह कताईसे सम्बन्धित ये सारी क्रियाएँ समझमें आ जायेंगी। और जब इन सभी क्रियाओंका उद्देश्य सारी जनताका कल्याण होगा तो इनमें कितनी शक्ति आ जायेगी, यह समझदार पाठक सहज ही सोच सकते हैं।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ७-१२-१९२४

३४५. अध्यक्षीय भाषण: पंजाब प्रान्तीय सम्मेलनमें[1]

७ दिसम्बर, १९२४

गांधीजीने बताया कि उन्होंने सम्मेलनकी अध्यक्षता कैसे स्वीकार की। इस सिलसिलेमें उन्होंने लालाजीके नाम पण्डित मोतीलालजीका पत्र पढ़कर सुनाया। मोतीलालजीने इस पत्रमें लिखा था कि मैं व्यस्तताके कारण लाहौर आकर सम्मेलनकी अध्यक्षता नहीं कर सकूँगा। उन्होंने उसमें यह भी लिखा था कि मैं सम्मेलन वगैरहसे तंग आ गया हूँ और मुझे लगता है कि वे केवल दिखावा-मात्र हैं। महात्माजीने कहा कि मैं पण्डितजीके इस विचारसे पूर्णतः सहमत हूँ। मैं और हकीमजी सम्मेलनमें शरीक होने नहीं, बल्कि आजकी ज्वलन्त समस्याका हल खोज निकालनेके लिए आये हैं। सुना है, 'तंजीम' का कहना है कि यह सम्मेलन सिर्फ हिन्दुओंका सम्मेलन है और मुसलमानोंको उससे अलग रहना चाहिए। मैंने 'तंजीम' के [इस लेखका] वह खास अनुच्छेद तो नहीं देखा है, परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डा० किचलू,

१. लाहौरके ब्रैडलॉ हॉलमें हुए प्रान्तीय सम्मेलनके ग्यारहवें अधिवेशनमें।

Gandhi Heritage Portal

खिलाफत सम्मेलनके अध्यक्ष डा० अन्सारी, मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत सम्मेलन छोड़कर यहाँ लाहौरमें नेताओंके सम्मेलनमें शरीक होने आये हैं।

महात्माजीने हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच फैली तनातनीके सवालपर आते हुए कहा, इस तनावकी जड़ पंजाबमें ही है। देशके अन्य सभी भागोंके उपद्रवोंका मूल पंजाबमें ही मिल सकता है। इसलिए पंजाबके हिन्दू और मुसलमान जिस दिन एक हो जायेंगे, उसी दिन देश-भरमें हिन्दुओं और मुसलमानोंकी एकता कायम हो जायेगी। असहयोग असफल नहीं हुआ है -- असहयोगमें असफलता होती ही नहीं -- हम लोग तो हिन्दुओं और मुसलमानोंके दंगोंके कारण असफल हुए हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये मतभेद न होते तो कौंसिलमें प्रवेशका भी कोई प्रश्न खड़ा न होता। १९२१ में लगता था कि हममें एकता है; लेकिन वह सच्ची एकता नहीं थी। वह एकता तो क्षणिक आवेशके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई थी; और यह बहुत अच्छा हुआ कि आज हमें चुनौती देते हुए यथार्थ हमारे सामने आ गया है।

हकीमजी, डा० अन्सारी और अली भाई खिलाफत सम्मेलनमें शरीक होने नहीं आये हैं। वे प्रान्तीय सम्मेलनमें भाग लेने भी नहीं आये हैं। वे तो यहाँ हिन्दू-मुस्लिम समस्याका कोई हल खोजनेमें सहायता देनेके लिए आये हैं। मेरे पास तो इसका बस एक ही हल है और वह यह है कि एक जाति दूसरेकी सभी राजनीतिक माँगोंको पूरी तरह मान ले। अब यहाँ कोई पूछ सकता है कि सिखों-जैसी एक अल्प-संख्यक जाति हिन्दुओं और मुसलमानोंके हकमें अपने सारे राजनीतिक अधिकार कैसे छोड़ सकती है? मुझे इस बातमें किंचित् भी सन्देह नहीं कि संसारके सामने अहिंसाका अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करनेवाली और अनोखे त्यागका सबूत देनेवाली यह जाति इस त्यागको करनेमें, जो वस्तुतः एक तुच्छ-सा त्याग है, कोई कठिनाई महसूस नहीं करेगी।

लेकिन जब मैं हिन्दुओंसे ही यह हल स्वीकार नहीं करा पाया हूँ तब सिखों और मुसलमानोंके सामने क्या मुँह लेकर ऐसा प्रस्ताव रख सकता हूँ? मैं एक सनातनी हिन्दू हूँ और इस नाते मैं अपने हिन्दू भाइयोंके सामने यह हल रख रहा हूँ। कहा जाता है कि इससे तो हिन्दुओंके साथ बुरी तरह विश्वासघात होगा और मुसलमान तथा सिख हिन्दुओंके इस त्यागका अनुचित लाभ उठायेंगे। मेरा कहना है कि हमें ऐसी विषम स्थितियोंका सामना करनेके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह विश्वास रखें कि विश्वासघातीका ही नाश होगा, विश्वासघातका शिकार बननेवालेका नहीं। हमें बिलकुल बुनियादी बातोंमें किंचित् भी झुकनेकी जरूरत नहीं। बल्कि मैं तो आपसे यह कहूँगा कि उनके लिए आप अहिंसा अथवा हिंसाकी तलवार उठाकर संघर्ष करें। प्राचीन कालका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। पाण्डवोंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था, जिसमें राज्य भी शामिल था; और बदलेमें अपने निर्वाह और निवास-भरके लिए माँग की थी। उन्होंने

Gandhi Heritage Portal

सर्वस्व त्यागकर भी कुछ खोया नहीं था। गैर-बुनियादी बातोंके बारेमें झुक जाना उचित है — यही कुंजी मैं आपको दे रहा हूँ। इस कुंजीसे समस्त संसारको वशमें किया जा सकता है। गांधीजीने उन बुनियादी बातोंका, जिनके बारेमें झुकना नहीं चाहिए, उल्लेख करते हुए कहा कि यदि मुसलमान आपके मन्दिरोंपर हमला करें, और आपको उनमें पूजा करनेके अधिकारका उपयोग न करने दें तो आप उनसे मृत्युपर्यन्त संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन कौंसिलों और नगरपालिकाओंमें तथा नौकरियों-में ज्यादा स्थान पानेके लिए लड़ना आपके लिए ठीक नहीं है।

मैं एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञकी हैसियतसे उन बहादुर पंजाबियोंको सचमुच दयाका पात्र समझता हूँ, जिन्होंने अपनी सहज बुद्धिको तिलांजलि देकर इन छोटी-छोटी चीजोंकी लड़ाईमें साम्प्रदायिक एकता तककी बलि चढ़ा दी है। मैं तो यहाँ हिन्दुओंसे यही कहने आया हूँ कि आप ईश्वरपर कुछ ज्यादा भरोसा रखें और अपने मनसे भय निकाल दें। आपके सम्मुख अपने मन्दिरोंको और अपनी औरतोंकी आबरूको बचानेका रास्ता यही है कि आप इनके लिए लड़ते हुए जान दे दें और उनको भाग्यके भरोसे छोड़कर भाग न जायें। यदि आप अपनी बहू-बेटियोंकी आबरू बचानेके लिए लड़ते हुए बहादुरीसे जान नहीं दे सकते तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप अपने आस-पासकी किसी नदीमें डूबकर आत्म-हत्या कर लें। परन्तु जहाँ गैर-बुनियादी या गैर-जरूरी बातोंका सवाल है वहाँ तो समर्पण कर देना ही एकमात्र उपाय है। मुसलमानोंका प्रेम प्राप्त करनेका यही एक रास्ता है। अंग्रेजों और मुसलमानों — दोनोंका गुलाम बननेसे तो मुसलमानोंकी गुलामी स्वीकार करना कहीं अधिक अच्छा है। मेरे अन्तरमें कितनी मर्मान्तिक पीड़ा हो रही है, काश मैं आपको यह दिखा पाता। पता नहीं, इस मर्मान्तिक पीड़ाकी आगको कौन बुझा सकेगा।

कुछ हिन्दू कहते हैं कि उनको मुसलमानोंने ही हमेशा सताया है। मैं उनके सामने कुछ उदाहरण रखता हूँ। बदायूँ और कुछ अन्य स्थानोंपर हिन्दुओंने भी बदला लेनेकी कोशिश की है। मैंने इसका जो ब्यौरा सुना, उसमें काफी नमक-मिर्च लगाया हुआ था। लेकिन अच्छी तरह पूरी जाँच करानेके बाद मुझे पता लगा है कि बदला लेनेकी कुछ-न-कुछ कार्रवाई तो अवश्य की गई। मैं आपको बता दूँ कि किसी भी हिन्दू शास्त्रमें यह नहीं लिखा है कि यदि मन्दिर तोड़ा जाये तो उसका बदला लेनेके लिए मसजिद तोड़ दी जाये या किसी हिन्दू औरतकी बेइज्जती की जाये तो उसका बदला मुसलमान औरतकी बेइज्जती करके लिया जाये। मैं आपके सामने इन उदाहरणोंको हिन्दुओं और मुसलमानोंकी तनातनी बतानेके लिए नहीं रख रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हिन्दू भी बदला लेनेकी कार्रवाई करनेमें पीछे नहीं रहे हैं। परन्तु ये साम्प्रदायिक तनावके प्रमाण नहीं, बल्कि इस बातके सबूत हैं कि इन्सानके अन्दर शैतान मौजूद है। उसे शैतानियतसे नहीं निकाला जा सकता। उसे तो सत्प्रयत्नोंसे ही निकाला जा सकता है।

Gandhi Heritage Portal

मैं अन्तमें यही कहना चाहता हूँ कि शान्तिपूर्ण असहयोगका एकमात्र मार्ग चरखा ही है। मेरी तरह ही सभीको -- मौलाना शौकत अलीको और सरदार मंगलसिंहको भी -- चरखा चलाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यह काम जितना स्त्रियाँ करें उतना ही पुरुष भी करें। इसमें लज्जाकी कोई बात नहीं। लंकाशायरकी मिलोंके तकुए पुरुष ही चलाते हैं, स्त्रियाँ नहीं। काहिल आदमी ही चरखा चलानेसे कतराता है। मैं तो चरखेको ही भारतकी एकमात्र अर्थनीति और राजनीति मानता हूँ। अपरिवर्तनवादियों और स्वराज्यवादियोंके बीच समझौतेके हिस्सेके रूपमें कताई सदस्यताका प्रस्ताव भी आपके सामने आयेगा। "अनिच्छुक" लोगोंके लिए उसमें यह गुंजाइश रखी जा रही है कि वे दूसरोंसे अपने हिस्सेका सूत कतवा सकते हैं। लेकिन वह तो श्री केलकर, हकीमजी और नरमदलीय लोगोंके लिए है। मुझ जैसे सामान्य मनुष्यों और मेहनतकश लोगोंका तो नित्य-प्रतिका कर्त्तव्य है कि हम चरखा चलायें। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप समझौतेका समर्थन तभी करें जब आप सूत कातने और खद्दर पहननेकी बात हृदयसे मानते हों। आप उसका समर्थन सिर्फ मेरे व्यक्तित्वका खयाल करके न करें।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, ९-१२-१९२४

३४६. भाषण: पंजाब प्रान्तीय सम्मेलनमें[1]

७ दिसम्बर, १९२४

महात्मा गांधीने सम्मेलनकी कार्रवाईका समापन करते हुए कहा कि लोग राष्ट्रीय नारोंको बड़ी अहमियत देते हैं, लेकिन उनका कोई अधिक महत्त्व नहीं है। यह समय नारे लगानेका नहीं, काम करनेका है। अगर आप मेरी बताई तीन शर्तें पूरी कर दें तो भारत निश्चय ही अपने लक्ष्यकी ओर आगे बढ़ेगा। वे तीन शर्तें हैं -- हिन्दू-मुस्लिम एकता, खद्दर और कताई तथा अस्पृश्यता-निवारण। स्वराज्य हासिल करनेके लिए संकल्प और शक्तिकी जरूरत है। आपमें संकल्प तो है, परन्तु आप अपनी शक्ति आपसी झगड़ोंमें नष्ट कर रहे हैं।

महात्माजीने आगे कहा, मैं दोनों जातियोंमें एकता पैदा करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने लाहौरमें हिन्दू और मुसलमान दोनों जातियोंके नेताओंसे अनौपचारिक तौरपर बातचीत की है, परन्तु अभी कोई निबटारा नहीं हो पाया है। किन्तु इस समस्याके समाधानकी दिशामें कई कदम जरूर उठाये जा चुके हैं। खद्दर और अस्पृश्यताका संक्षेपमें उल्लेख करनेके बाद महात्माजीने कहा, मुझे अब भी विश्वास है

१. यह सम्मेलन लाहौरमें हुआ था।

Gandhi Heritage Portal

कि मैंने बारडोलीमें जो कदम उठाया था, वह ठीक था। उसके कारण देशकी एक भारी विपत्ति टल गई है।

इसके पश्चात् महात्मा गांधीने अहिंसाके फलितार्थ बताये और कहा कि मैं अहिंसाको धर्म मानता हूँ, परन्तु यदि कुछ लोग इसे एक नीतिके रूपमें भी स्वीकार करें तो उन्हें तबतक इसका पालन सचाईसे करना चाहिए जबतक वे इसे स्वीकार करें।

महात्माजीने अन्तमें अपनेको अध्यक्ष चुननेके लिए सम्मेलनके संयोजकों और अन्य लोगोंके प्रति आभार प्रकट किया।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, १०-१२-१९२४

३४७. भाषण : रावलपिंडीमें

९ दिसम्बर, १९२४

आरम्भमें, उन्हें जो मानपत्र भेंट किया गया था, उसका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जबतक मुझको अथवा शौकत अलीको सारे हिन्दुस्तानकी ओरसे बोलनेका अधिकार था, तबतक तो हममें से एकको ही मानपत्र देनेसे काम चल जाता था; लेकिन आज :

मुसलमानोंकी ओरसे बोलनेका मेरा अधिकार जाता रहा और शौकत अलीको हिन्दुओंकी ओरसे बोलनेका अधिकार नहीं रहा। यह दुर्भाग्यकी बात है। लेकिन जबतक यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कायम है, तबतक आपको हम दोनोंको मानपत्र देना चाहिए।

उन्होंने कोहाटकी दुर्घटनापर बोलते हुए कहा :

यह दुर्घटना कैसे हुई और इसमें सबसे अधिक अपराध किसका था, आज यह सब बतानेकी मेरी इच्छा नहीं है। इसका एक कारण यह है कि मेरे पास पूरे तथ्य नहीं हैं। लेकिन इतना तो साफ ही है कि वहाँसे आकर दो-तीन हजार हिन्दुओंने यहाँ रावलपिंडीमें शरण ली है। उन्हें कोहाट छोड़ना पड़ा, इसकी जिम्मेदारी तो हिन्दू और मुसलमान दोनों कौमोंपर है और जबतक वे यहाँ पड़े हैं तबतक दोनों कौमोंकी बदनामी है। यह बदनामी मिटे, इसलिए शौकत अली, किचलू, जफर अली और मैं यहाँ आये हैं। अभी हमें इसमें सफलता नहीं मिली है। इसका कारण यह है कि तीसरी शक्ति भी अपना काम कर रही है। इस शक्तिका काम झगड़ा कराना न भी हो तो झगड़ेको बढ़ाना तो है ही, और मेरी जानकारीमें अभीतक ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया है जब उसने कोई झगड़ा शान्त किया हो। सच तो यह है कि यदि सरकारने अपने कर्त्तव्यका पालन किया होता तो कोहाटकी दुर्घटना घटित ही न होती और हिन्दू वहाँसे भागते ही नहीं। वहाँके अधिकारी या तो नामर्द बन गये अथवा उन्होंने अपने कर्त्तव्यके विरुद्ध व्यवहार किया। सरहदी लुटेरे तो

Gandhi Heritage Portal

सबको लूटते हैं; इसलिए विश्वासपूर्वक यह कहना मुश्किल है कि यह उपद्रव केवल हिन्दुओंको लूटनेके लिए खड़ा किया गया। लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि लूटने और माल-मिलकियत जलानेका काम करनेवाले सरहदके लोग नहीं, बल्कि सरहदके अधिकारी हैं। मैं तो चाहता हूँ कि यह सल्तनत जिस तरह कोहाटमें अपने फर्जको भूल गई उसी तरह हमेशा भूलती रहे। यह सल्तनत बिलकुल बैठ जाये और हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरेसे जी-भरकर लड़ें और एक-दूसरेको लूटें तो भी मुझे कोई दुःख नहीं होगा। जबतक दोनों कौमोंके दिलमें मैल है, कमजोरी है, कायरता है, तबतक वे आपसमें लड़कर खूनकी नदी बहायेंगी। लेकिन अन्तमें दोनों कौमोंके नेता समझ जायेंगे कि हम अधर्म कर रहे हैं और तब लड़ाई बन्द करके बैठ जायेंगे। लेकिन आज तो हम तीसरी शक्तिका सहारा लेकर लड़ते हैं। यदि हम उसका सहारा लेकर लड़ेंगे तो हमारी किस्मतमें हमेशाके लिए उनकी गुलामी लिखी हुई समझिए। यदि आप हिन्दू-मुस्लिम-एकताके महत्त्वको समझते हों तो इस तीसरी शक्तिका सहारा लेना छोड़ दें। मैं आपसे इतना ही कहता हूँ कि अगर सरकार आपके ऊपर गुस्सा दिखाये और मुसलमानोंकी ही मदद करे तो आप रामका नाम लेते हुए मर मिटिए। आज तो सरकारी अधिकारी आपको ये ताने देते हैं कि "शौकत अलीके पास जाओ", "गांधीके पास जाओ।" मुझे दुःख है कि आज हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तलवार नहीं है। मैंने तलवार फेंक दी है और शौकत अलीने म्यानमें रख ली है। अतः हमें आपको इतनी ही सलाह देनी है कि यदि आपको स्वराज्य लेना हो तो आप आजाद-दिल बनें। इन्सान अपनेको आप ही मिटा सकता है, उसे कोई दूसरा इन्सान नहीं मिटा सकता। आप कहेंगे कि इस सलाहका परिणाम तो बरबादी ही होगा, इससे मदद क्या मिली तो मैं कहूँगा कि मैं तो बरबाद होनेकी, कुर्बानी करनेकी ही बातें करता हूँ।

सरहदके हिन्दुओंसे मैं यह कहूँगा कि जहाँकी ९५ प्रतिशत आबादी मुसलमान है, वहाँ वे सरकारकी सलाहपर कदापि वापस न जायें।[१] अगर जायें तो उसी स्थितिमें जायें, जब सरहदके मुसलमान उनसे अनुरोध करें, उनकी इज्जत-आबरू रखने और हमेशा उनकी रक्षा करनेका आश्वासन देकर उन्हें वापस ले जाना चाहें। आप वहाँ कई पीढ़ियोंसे रहते आये हैं। उन लोगोंको मनाये बिना आप वहाँ कैसे रह सकेंगे? आपने वहाँ कमाई की है, दुकानें खोल रखी हैं। उनके साथ सलाह-मसलहत किये बिना आप वहाँ सुख और शान्तिसे कैसे रह सकेंगे? सरकार किसी भी बड़ी कौमके विरुद्ध संरक्षण नहीं दे सकती। यदि हमें स्वराज्य मिल जाये और शौकत अली कमान्डर-इन-चीफ तथा मैं वाइसराय हो जाऊँ और मुझसे कोई यह कहे कि आप एक कौमकी रक्षा करें तो मैं भी यही कहूँगा कि ९५ प्रतिशत आबादीवाली कौमसे मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जहाँ मुसलमान ५ प्रतिशत होंगे, वहाँ मैं उनसे भी यही बात कहूँगा। सरहदमें इज्जत और मुहब्बतसे रहनेका एकमात्र रास्ता यही है।

१. मूलमें यह वाक्य जैसा है, उसके अनुसार इसका अनुवाद होगा "वहाँ ये सरकारकी सलाह लेने कदापि न जायें", किन्तु सन्दर्भको देखते हुए उक्त अनुवाद ठीक प्रतीत होता है।

Gandhi Heritage Portal

मैं जानेसे पहले आपसे इतना और कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो आप सरकारसे कहें कि जबतक मुसलमानोंके साथ हमारा निबटारा नहीं हो जाता, जबतक मुसलमान हमें बुलाकर नहीं ले जाते तबतक हम यहाँसे हिलनेवाले नहीं हैं। यदि कोहाटी लोग मेरी यह सलाह माननेके लिए तैयार हों तो मैं उनसे यह खुला करार करता हूँ कि "बेलगाँव कांग्रेसके बाद मैं यहाँ आकर कोहाटियोंके बीच जमकर रहनेके लिए तैयार हूँ, [उनके उद्देश्यको लेकर] सारे हिन्दुस्तानका दौरा करनेके लिए तैयार हूँ।" लेकिन यदि वे सरकारके कहनेसे कोहाट जायेंगे तो यह उनके लिए और हिन्दू तथा मुसलमान, दोनोंके लिए भारी हानिकारक बात है। यदि सरकार उनकी सारी माल-मिल्कियत उन्हें दिला दे और तीन करोड़की क्षतिपूर्ति कर दे तो भी उससे रक्षाका आश्वासन लेकर वहाँ जानेमें हिन्दू और मुसलमान दोनोंका नुकसान है। यदि आप मेरी सलाहके बावजूद वहाँ जायेंगे तो कांग्रेसमें भी मेरा काम मुश्किल हो जायेगा। ईश्वर आपको मुसलमानोंके साथ एकतासे रहनेकी शक्ति दे।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १४-१२-१९२४

३४८. मेरी पंजाब-यात्रा

इच्छासे नहीं

अपनी इच्छासे नहीं बल्कि आवश्यकतावश, मैंने पंजाब प्रान्तीय सम्मेलनका सभापति होना स्वीकार किया।[1] पंजाबी किसी बाहरके आदमीको और यदि सम्भव हो तो मौलाना अबुल कलाम आजादको सभापति बनाना चाहते थे। मौलाना साहब इसके लिए राजी न थे। उनका कहना था कि मैं परिषद्में सहर्ष हाजिर हो जाऊँगा। परन्तु मैं समझता हूँ कि मैं अलग रहकर अधिक उपयोगी हो सकूँगा। मौलानाकी बात लोगोंकी समझमें आ गई। उसके बाद पण्डित मोतीलालजीसे अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि यदि कोई खास बाधा न हुई तो मैं सभापतिका स्थान ग्रहण कर सकूँगा और यदि पण्डित मोतीलालजी सभापति होनेमें असमर्थ रहें तो सभापति-पदका भार मेरे सिर डाला जानेवाला था। बदकिस्मतीसे, एक अनपेक्षित घटना हो गई जिससे वे न आ सके। इसके जो कारण उन्होंने बतलाये हैं, वे सार्वजनिक महत्त्वके हैं, इसलिए मैं उन्हें उन्हींके शब्दोंमें यहाँ देता हूँ।

जी ऊब उठा

लालाजीके पास भेजे हुए पत्रमें वे लिखते हैं:

"पंजाब प्रान्तीय सम्मेलनके सभापति पदकी मेरी स्वीकृतिके सम्बन्धमें काफी गलतफहमी पैदा हो गई है। मैं और महात्माजी दोनों इस बातमें सहमत

१. देखिए "अध्यक्षीय भाषण: पंजाब प्रान्तीय सम्मेलनमें", ७-१२-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

थे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ही सबसे योग्य सभापति होंगे और यदि हम लोग उन्हें राजी न कर सके तो उस हालतमें मैं उनका स्थान ग्रहण करूँगा, पर इसी बीच मुझे अपनी पुत्रवधुकी गम्भीर बीमारीकी सूचना मिली और मुझे फौरन एक प्रसूति विशेषज्ञ साथ लेकर जाना पड़ा। मौलाना साहब मेरे साथ ही सभाभवनसे बाहर आये और मैंने उनसे साफ कह दिया था कि अब मैं पंजाब और नागपुरके कार्यक्रम पूरे नहीं कर सकूँगा। मैंने उनसे यह भी कहा था कि अब आपको ही पंजाब सम्मेलनका सभापति होना चाहिए और नागपुरके लिए कोई दूसरा समय ठीक कर लेना चाहिए। वहाँसे चलते समय मैं ऐसा समझता था कि महात्माजीसे इस विषयपर बातचीत करके यदि वे स्वयं सभापति होनेपर राजी न हों तो इस कामके लिए किसी औरको ठीक करेंगे। यहाँ पहुँचनेपर हम लोगोंने एक दिन बड़ी चिन्तामें काटा। नवजात शिशुको बचानेकी कोशिश करते रहे, परन्तु आखिर बच्चा जाता रहा। बच्चेकी हालत साधारणतः अच्छी थी, परन्तु ज्वर होनेके कारण पूरी तरह सन्तोषजनक न थी। इसी गड़बड़ीमें मुझे कलकत्तेके समाचार मिले जिनमें वहाँ होनेवाली घटनाओंकी सूचना दी गई थी और मुझे खबर मिलते ही तुरन्त रवाना होनेके लिए तैयार रहनेको कहा गया था।

ज्यों ही जवाहरकी पत्नीके सम्बन्धमें कोई भय न रहा, मैंने प्रयागके हिन्दू-मुसलमानोंके झगड़ोंकी ओर अपना ध्यान फेरा। मैंने ऐसा निश्चय किया कि जबतक मुझे कलकत्तेसे सूचना न मिले तबतक मैं अपनी सारी शक्ति इसी सवालको हल करनेमें लगाऊँ। स्थिति मुझे बहुत ही बुरी मालूम पड़ी। बहुत दिनोंतक शहर और सूबेसे अलग रहनेके कारण मेरे ऊपर चारों ओरसे कड़ी शिकायतोंकी बौछार हो रही थी। मैंने लोगोंको विश्वास दिलाया कि मैं उनके लिए पूरे पन्द्रह दिन काम करके उनकी काफी क्षति-पूर्ति कर दूँगा।

मैं अपने इस आश्वासनको पूरा करनेमें फौरन ही जुट पड़ा। पहले जब मैं अपनी यात्राओंमें थोड़ी-थोड़ी देरके लिए यहाँ आया था तब नामधारी अग्रगण्य हिन्दुओं और मुसलमानोंसे मेरा जी ऊब उठा था। इस बार मैंने ऊपर से काम करनेके बदले नीचेसे ही काम शुरू करनेका निश्चय किया। मैं बहुत समयसे सोचता आ रहा था कि एक हिन्दू-मुस्लिम संगठन खड़ा किया जाये; मैंने प्रयागसे ही इस कामका आरम्भ करनेका विचार किया। इस दिशामें मैंने सबसे पहले विश्वविद्यालयके अध्यापकों और विद्यार्थियोंसे सम्पर्क स्थापित किया। विश्वविद्यालयमें एक संघ है। उसकी एक शाखा सामाजिक सेवाके लिए है। दोनोंके काफी सदस्य हैं। अध्यापकोंके साथ मिलनेपर यह निश्चय किया गया कि समाज सेवा-विभागको ही हिन्दू-मुस्लिम संगठनका केन्द्र बनानेका प्रयत्न किया जाये। इसके अनुसार एम० ए० वर्गके दो विद्यार्थी—एक हिन्दू और एक

Gandhi Heritage Portal

मुसलमान -- चुने गये। जातिगत मामलोंमें उनकी निष्पक्षता प्रमाणित हो चुकी थी । संगठनके लिए विद्यार्थियोंमें से सदस्य बनानेका काम उन्हें दिया गया । साथ ही साथ, इसी तरह प्रत्येक मुहल्ला संगठित किया जा रहा है। कलसे में हरएक मुहल्लेमें जानेवाला हूँ और साथ ही मैं विद्यार्थियोंके दलोंको खास-खास समयपर आनन्द-भवनमें बुलाकर उनसे बातें करूँगा। जब यह प्रारम्भिक काम हो जायेगा, तब मैं सारे विद्यार्थी-वर्गसे एक साथ मिलूँगा और एक दो सार्वजनिक सभाओंमें भाषण करूँगा। यदि समय मिला तो मैं लखनऊ जाकर भी ऐसा ही करूँगा।

आप देखेंगे कि उपर्युक्त कार्यक्रममें ठोस कामकी योजना है और इसके अन्दर बाहरी दिखावेको बिलकुल स्थान नहीं है जो अभाग्यवश आजकल हमारे सार्वजनिक कामोंका एकमात्र रूप रह गया है। यदि सच पूछिए तो अब सभा-सम्मेलनोंकी ओरसे मेरा मन बिलकुल हट गया है, ये सिर्फ चन्दरोजा दिखावे हैं जिनसे कभी कोई भी वास्तविक फल नहीं निकलता। नागपुरके झगड़ोंके फैसलेका समय आ गया है और नागपुरसे आये हुए पत्रोंसे मालूम होता है कि इसकी सख्त जरूरत है कि पंच (मैं और मौ० अबुल कलाम आजाद) वहाँ मिलकर बेलगाँव कांग्रेसके पहले यह झगड़ा तय कर दें। इसके लिए १५ तारीख निश्चित करनेका प्रस्ताव करते हुए, मैंने मौलाना अबुल कलाम आजादको कलकत्ते दो तार दिये हैं, परन्तु उनका जवाब नहीं आया है।

मैंने आपको इतना इसलिए लिखा है कि मैंने अपने लिए जो काम तजवीज किया है उसका आपको ठीक-ठीक खयाल हो जाये। मुझे आशा है कि आप मुझसे इस बातमें सहमत होंगे कि इस हालतमें मेरा पंजाब जाना उतना लाभदायक न होगा।

पण्डितजीके समान ही मैं भी इन सम्मेलनोंसे घबराता हूँ। इसलिए नहीं कि वे हमेशा बेकार ही होते हैं। हमारे आन्दोलनके क्रममें एक मंजिल ऐसी थी जब उनकी बड़ी जरूरत थी। परन्तु सम्मेलनोंमें आजकल जो हो रहा है उसे देखते हुए तो यही कहना पड़ता है कि उनकी उपयोगिता प्रायः कुछ नहीं रह गई है। यदि उनसे कोई और नुकसान न हो तो भी समय और रुपयेका अपव्यय तो होता ही है। इनके द्वारा सार्वजनिक सेवाका जो भाव जागृत हुआ है उसे कार्यके रूपमें सुदृढ़ करनेके लिए छोटी-छोटी समितियाँ ही अधिक उपयोगी होंगी। ये समितियाँ तभी उपयोगी हो सकती हैं जब उनके सदस्य आपसमें मेल-मिलाप रखनेवाले, सर्व-सामान्य प्रजाजनकी इच्छाओंका ध्यान रखनेवाले तथा अपने ठोस और अमली कामके द्वारा उनसे अपना सम्बन्ध बनाये रखनेवाले हों। इन सम्मेलनोंका त्याग, हम जनताकी विमनस्कता वा मन्दताके कारण नहीं, बल्कि इसलिए करें कि हम जनताको उनके बजाय और ज्यादा उपयोगी काममें लगा सकते हैं। उदाहरणके लिए, यह बड़ी नासमझीकी बात होगी कि हम खादीके काममें लगे हुए लोगोंको बुलाकर उनसे ऐसे

Gandhi Heritage Portal

विषयोंपर प्रस्ताव पास करायें जिनपर लोग एकमत हैं। इसी तरह जो लोग अकाल-पीड़ित स्थानोंमें सहायता पहुँचानेकी व्यवस्था करनेमें लगे हों, उन्हें भी ऐसे कामके लिए बुलाना उचित न होगा। स्वयं पण्डितजी भी प्रयागमें अपने शान्ति-दलको संगठित करनेके अधिक उपयोगी काममें संलग्न हैं और यदि वे सच्चे हिन्दू-मुस्लिम संगठन कायम करनेमें सफल हों तो यह देशके लिए प्रथम-श्रेणीकी सेवा होगी। बीचवालोंके द्वारा नहीं, बल्कि जड़से ही काम शुरू करनेका उनका जो संकल्प है, उसके फल-स्वरूप हिन्दू-मुस्लिम जनतामें सद्भाव फैले बिना नहीं रह सकता।

मेरा असली काम

यह सम्मेलन मेरे लिए एक आनुषंगिक वस्तु थी। मेरा असली काम तो हिन्दुओं और मुसलमानोंके प्रतिनिधियोंसे मिलना ही था। इसलिए अमृतसरकी खिलाफत परि-षद्में उपस्थित जनतासे सम्मेलनके दूसरे दिनकी बैठकको, उस दिनके तीसरे पहरतक मुल्तवी करनेका अनुरोध करनेमें मुझे कोई हिचकिचाहट न हुई। मेरा ऐसा करनेका तात्पर्य यह था कि ८ तारीखको सवेरे ये लोग प्रतिनिधियोंकी बा-जाब्ता सभामें योग दे सकें। मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि उपस्थित सज्जनोंने मेरी यह राय मान ली। मौलाना जफर अली खाँ (सभापति), डाक्टर किचलू तथा अन्य सज्जन बड़ी असुविधा उठाकर भी उस सभाके लिए लाहौर आये।

परिणाम

पाठकको यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि यह सभा खास इसी उद्देश्यसे की गई थी कि हिन्दुओं और मुसलमानोंकी आपसी तनातनीको रोकने और इन दोनों जातियोंके बीच असली अमन कायम करनेके उपायोंपर विचार किया जाये। बाहरसे आनेवाले मुसलमानोंमें हकीम साहब अजमलखाँ, अली बन्धु और डाक्टर अन्सारी, तथा हिन्दुओंमें पण्डित मदन मोहन मालवीय उपस्थित थे। चर्चा मुख्यतः झगड़ोंके राजनीतिक कारणोंके सम्बन्धमें हुई। क्योंकि पंजाबके पढ़े-लिखे लोगोंके बीच इस मनोमालिन्यके सब नहीं तो प्रधान कारण राजनीतिक ही मालूम होते हैं। लालाजीने बड़े दुःखके साथ मुझसे कहा कि पहले जहाँ शिक्षित हिन्दुओं और मुसलमानोंमें सामा-जिक सद्भाव था वहाँ अब मन-मुटाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए बैठकमें इस बात पर विचार किया गया कि क्या लखनऊमें हुए समझौतेमें कुछ संशोधन किया जाना चाहिए। पंजाबके मुसलमानोंका खयाल है कि लखनऊवाले समझौतेको आरम्भमें हो गई एक बड़ी भूल न माना जाये तो भी अब वह हमारे लिए नाकाफी हो गया है। उनका कहना है कि जबतक साम्प्रदायिक द्वेष बढ़ रहा है और पारस्परिक अविश्वास मौजूद है तबतक :—

१. साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व रखा जाये और उसका आधार जनसंख्या हो। निर्वाचक-मण्डल कमसे-कम सबका एक ही या जरूरत हो तो अलग-अलग भी रहे।

वे लोग इस बातपर एकमत मालूम पड़ते थे कि पृथक् निर्वाचनकी बात छोटी-छोटी जातियोंके चाहनेपर ही दाखिल की जायें।

Gandhi Heritage Portal

२. किसी भी सम्प्रदाय या पंथके साथ रिआयत न होनी चाहिए अर्थात् किसीको भी अपनी संख्याके अनुपातसे अधिक प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार न होना चाहिए।

३. इस सिद्धान्तके अनुसार विधान-सभाओंके लिए जो व्यवस्था तय पाई जाये वही स्थानीय संस्थाओंके लिए भी लागू होनी चाहिए।

४. भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंको सरकारी नौकरियाँ उनकी संख्याके हिसाबसे मिलनी चाहिए; अलबत्ता, इसमें उम्मीदवारोंकी कार्य-क्षमताका खयाल अवश्य रखा जाये। इसलिए यदि किसी विभागमें किसी जातिको एक भी पद न मिला हो तो आगे जितनी नियुक्तियाँ हों, आया वे नई हों या खाली जगहोंको भरनेके लिए हों, वे उसी जातिमें से होनी चाहिए ताकि उसके संख्याबलके अनुसार उसे समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाये। दूसरे शब्दोंमें इसका मतलब यह है कि किसी वर्ग-विशेषके साथ खास रिआयत या मेहरबानी न होनी चाहिए। उपस्थित मुसलमान सज्जनोंने यह स्पष्ट कर दिया कि हम सिर्फ अपनी व्यक्तिगत राय दे रहे हैं। अपनी इन बातोंसे किसी औरको नहीं, केवल अपनेको ही बद्ध करते हैं और यदि कोई जाति किसी खास रिआयतका दावा करेगी तो वे अपनी रायपर पुनर्विचार कर सकेंगे।

५. इसका जो कोई उपाय तय हो वह ऐसा हो जो सारे देशपर घटित हो सकता हो और जिसका निश्चय सारे देशकी सहमतिसे हुआ हो।

सिख भाइयोंका यह कहना था कि पंजाबमें हमारी एक खास स्थिति और महत्त्व है, अतः हमारे साथ विशेष व्यवहार होना चाहिए; अर्थात् यदि पंजाबमें जातिगत प्रतिनिधित्वकी प्रणाली चलाई जाये तो हमें अपने संख्या-बलके आधारपर अधिक प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार मिलना चाहिए। उन लोगोंने कहा कि यदि जातिगत प्रतिनिधित्व बिलकुल ही छोड़ दिया जाये और यदि एक भी सिख विधान-सभाओंमें या और किसी संस्थामें न गया तो भी हमें सन्तोष रहेगा।

हिन्दू लोग चाहते थे कि जातिगत प्रतिनिधित्व कतई नहीं होना चाहिए और यदि हो भी तो निर्वाचक-मण्डल संयुक्त रहना चाहिए। हिन्दू लोग किसी एक बात पर स्थिर नहीं हो पाये। पंजाबके हिन्दुओंको यह डर मालूम होता था कि मुसलमानोंकी इस माँगके मूलमें कोई गहरा दाँव-पेच है। असलमें उनके मनमें इस तरहका एक अस्पष्ट भय है कि यदि पंजाबके शासन-प्रबन्धमें मुसलमानोंका बहुमत हुआ तो लड़ाकू मुसलमान जातियोंके नजदीक ही रहनेके कारण, खासकर पंजाबको और सारे भारतको बड़ा भारी खतरा रहेगा।

वहाँकी भिन्न-भिन्न जातियोंकी यथार्थ स्थिति यह है। मैंने उसे भरसक संक्षेपमें और ठीक-ठीक देनेका प्रयत्न किया है। ऐसी हालतमें किसी निर्णयपर जल्दी पहुँचनेके लिए जोर देना सम्भव न था। मैं यह आशा कर रहा हूँ कि बेलगाँवमें भिन्न-भिन्न जातियोंके प्रतिनिधियोंका इससे ज्यादा बा-जाब्ता सम्मेलन होगा और वहाँ सब-कुछ विचारकर इस टेढ़े सवालका एक सर्वसामान्य हल सारे राष्ट्रके लिए निकल आयेगा।

Gandhi Heritage Portal

सम्मेलन

सम्मेलनके बारेमें सिर्फ यही एक बात उल्लेखनीय है कि विषय-समितिमें और सम्मेलनमें, दोनों जगह, प्रतिनिधियोंने मेरी बड़ी सहायता की। मुझसे भिन्न मत रखनेवालोंने भी बड़े धैर्यसे काम लिया। मैंने यह बात इसलिए बतलाई है कि सभापतिकी आज्ञा मानना, अच्छे सार्वजनिक जीवनके विकासके लिए बड़ा आवश्यक है। निस्सन्देह सभापतिके चुनावमें सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए परन्तु जब कोई मनुष्य सभापति बना दिया जाये, तब उसके साथ पूरी शिष्टता बरतनी चाहिए और उसकी आज्ञाका पालन होना चाहिए। किसी बागी, ढुलमुल या पक्षपाती सभापतिके साथ पेश आनेका यही उपाय है कि उसके खिलाफ विनयपूर्वक अविश्वाससूचक प्रस्ताव पेश किया जाये और उसे अपने स्थानसे हटा दिया जाये। सुसंगठित समाजमें, व्यक्तिकी नहीं, बल्कि पदकी इज्जत की जाती है। किसी व्यक्तिके शासनमें और सुसंगठित राज्यमें यही बड़ा फर्क है कि दूसरेमें इज्जत पदकी की जाती है, जो राज्य द्वारा अर्थात् जनता द्वारा निर्मित होता है। इस तरह शासक या अध्यक्ष कोई भी क्यों न हो, राज्य बराबर चलता रहता है। दूसरे शब्दोंमें इसका अर्थ यह होता है कि सुसंगठित राज्यका हरएक आदमी अपनी जिम्मेदारी और अपने अधिकारोंको जानता है। प्रत्येक नागरिकके अपने स्वत्वोंको दूसरोंके स्वत्वोंके अधीन माननेके लिए तैयार रहनेपर ही राज्यकी स्थिरता निर्भर है। ऐसा नागरिक जानता है कि अपना फर्ज अदा करनेपर स्वत्व आपसे-आप आते हैं। राज्यकी ओरसे प्रत्येक सदस्य द्वारा किये गये त्यागका योगफल ही राज्य है। लेकिन यद्यपि मैं प्रतिनिधियोंको उनकी सावधानी और सज्जनताके लिए धन्यवाद देता हूँ, मैं यह भी कहूँगा कि अब भी हमारी सभाओंके सदस्योंमें आत्मसंयमकी कमी अज्ञात रूपसे बनी हुई है। आम या खास सभाओंके लिए यह अनिवार्य है कि उनमें उपस्थित सज्जन, सबके-सब, एक साथ न बोलें या आपसमें कानाफूंसी न करें, बल्कि जो-कुछ कहा जाये उसको ध्यानपूर्वक सुनें। यदि श्रोता ध्यान न दें तो सभाओंका कोई मूल्य नहीं रह जाता। पाठक मेरे इस कथनके औचित्यको तो देखेंगे ही, साथ ही वे यह भी देख सकेंगे कि मैं यह सब स्वार्थकी दृष्टिसे भी कह रहा हूँ। मैं बेलगाँवके लिए क्षेत्र तैयार कर रहा हूँ। जो सज्जन बेलगाँवकी कांग्रेसमें और परिषदोंमें शामिल होनेवाले हैं, वे कृपया इस बातका ध्यान रखें।

रविवार तारीख ७ को सवेरे ८ से ११ बजे और संध्या समय ४ से ८ बजे तक, कुल ७ घंटेतक काम होता रहा। विषय-समितिको ६ घंटे लगे। किसीके आनेकी प्रतीक्षा करनेमें समय नष्ट न हुआ, इसलिए सभाका काम बड़ी फुर्तीसे हो सका। परिषद् सम्बन्धी सभी काम निश्चित समयपर किये गये।

दीक्षान्त-समारोह

इसके पहलेका दिन यानी ता० ६ दिसम्बर भिन्न-भिन्न दलोंके प्रतिनिधियोंसे मिलने, जुलूसमें शामिल होने —यह जरूरी मगर परेशानीका काम था —और राष्ट्रीय

Gandhi Heritage Portal

विश्वविद्यालयके दीक्षान्त समारोहमें[1] सफल विद्यार्थियोंको उपाधियाँ बाँटनेमें गया। कुलपतिकी हैसियतसे लाला लाजपतरायने विद्यार्थियोंसे हिन्दुस्तानीमें यह शपथ लिवाई कि "मैं शपथके साथ प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने जीवनमें ऐसा कोई काम न करूँगा जिससे मेरे धर्म और देशको नुकसान पहुँचे।" उपाधि पानेवाले विद्यार्थियोंमें एक लड़की और एक मुसलमान भी था। यह रस्म बहुत प्रभावपूर्ण थी। परन्तु उपाधि-वितरण करते समय मैं अपने इन विचारोंको नहीं रोक सका कि मेरी स्थिति वैसी ही है जैसे गोल सुराखमें किसी चौकोर वस्तुकी होती है। शिक्षाके विषयमें मेरे विचार क्रान्तिकारी हैं, इस कारण समालोचकोंको उनका अजीब मालूम होना ठीक ही है। मैं स्वराज्यकी दृष्टिसे ही राष्ट्रीय शिक्षाका विचार कर सकता हूँ। इसलिए मैं तो यह चाहूँगा कि विद्यालयोंके विद्यार्थी भी कताईकी कला और उसकी बाकी सारी प्रक्रियाओंको भी अच्छी तरह जाननेकी ओर ध्यान दें। उन्हें खादीके अर्थशास्त्रका तथा उसके साथकी अन्य बातोंका भी ज्ञान होना चाहिए। उन्हें यह जानना चाहिए कि एक मिलकी स्थापनामें कितना समय और कितनी पूंजी लगेगी। उन्हें जानना चाहिए कि मिलोंका बेहद बढ़ जाना सम्भव है या नहीं और उसमें क्या-क्या रुकावटें आ सकती हैं। उन्हें यह भी जानना चाहिए कि धनका वितरण मिलोंके द्वारा कैसे होता है और हाथ कताई और बुनाई द्वारा किस तरह। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि कताईको और इस तरह भारतीय वस्त्रोत्पादनको किस तरह नष्ट किया गया। उन्हें यह स्वयं समझना चाहिए और दूसरोंको समझा सकना चाहिए कि अगर भारतके लाखों किसानोंकी झोपड़ियोंमें कताई होने लगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उन्हें यह जानना चाहिए कि हमारी इस गृह-कलाका पूर्ण पुनर्जीवन किस तरह हिन्दू और मुसलमानोंके टूटे दिलोंको जोड़कर एक कर सकता है। ये विचार या तो समयके पीछे या आगे हैं। लेकिन इस बातका कोई विशेष महत्त्व नहीं कि वे समयसे आगे हैं या पीछे। मैं तो यह जानता हूँ कि एक-न-एक दिन सारा शिक्षित भारत उन्हें अपनायेगा।

मार्शल लॉके कैदी

पाठकको श्री रतनचन्द और बुग्गा चौधरीका स्मरण होगा। वे दोनों मार्शल लॉके कैदी थे। उन्हें फाँसीकी सजा दी गई थी और उनकी ओरसे पण्डित मोती-लालजीने प्रिवी कौंसिलमें अपील की थी। पाठकोंको यह भी याद होगा कि अपीलके खारिज हो जानेपर भी फांसीकी सजा, आजन्म कारावास दण्डमें परिवर्तित कर दी गई थी। श्री बुग्गा चौधरी अण्डमानसे मुल्तान जेल लाये गये हैं पर मैं सुनता हूँ कि रतनचन्द अब भी अण्डमानमें ही रखे गये हैं। श्री बुग्गाकी सास मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि श्री बुग्गा आंत्रवृद्धि और बवासीरसे पीड़ित हैं और इधर तीन महीनेसे उन्हें बुखार भी आ रहा है। असहयोगके ज्वारके दिनोंमें मैं कहा करता था कि ये कैदी जल्द ही छोड़ दिये जायेंगे। इस बार मुझे बड़ा दुःख

१. देखिए "दीक्षान्त भाषण: पंजाब कौमी विद्यापीठमें", ६-१२-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

हुआ, जब मैं उस सासको जामाताके शीघ्र मुक्त होनेकी आशा न दिला सका, यद्यपि वह दामाद बीमार है और ५ वर्षतक सजा काट चुका है। इन दोनों सज्जनोंके मुकदमेमें दी गई गवाहियोंको देखनेपर मैंने अपना यह विश्वास प्रकट किया था कि सबूतोंमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसके आधारपर इन्हें हत्याके अपराधमें सजा दी जा सके। सबको याद होगा कि प्रिवी कौंसिलने मामलोंकी जाँच नहीं की। न्यायाधीश महाशयोंने केवल जाब्तेकी बातोंके आधारपर ही अपील खारिज कर दी थी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ११-१२-१९२४

३४९. एक चेतावनी

अगले कुछ महीने ऐसे हैं, जब सब गृहस्थ दोमें से एक रास्ता चुनेंगे। अगर वे अपने घरेलू उपयोगके लिए जान-बूझकर या लापरवाहीके कारण कपास जमा नहीं करेंगे तो परोक्ष रूपसे और बहुत-से लोग तो प्रत्यक्ष रूपसे भी भारतमें पैदा होने-वाली अधिकांश कपासको देशसे बाहर भेजने और कुछ हिस्सा मिलोंको बेचनेके लिए जिम्मेदार होंगे। इसके विपरीत वे अपने घरोंमें कपास जमा करके हाथ-कताईको प्रोत्साहन दे सकते हैं और इसके फलस्वरूप एक-एक गृहस्थ हाथ-कताईके ठोस काममें जिस हदतक योग दे, उस हदतक स्वराज्यको निकट ला सकते हैं। कपासके मौसममें इन दो रास्तोंमें चुनाव करनेका अवसर भारतके हर व्यक्तिके सामने हर साल आता है। कांग्रेसी लोग इस क्षेत्रमें दुहरा काम कर सकते हैं। वे हर गृहस्थको अपने घरमें पर्याप्त कपास जमा करनेके बुनियादी कर्त्तव्यका पालन करना सिखा सकते हैं और यह देखते हुए कि अभीतक सभी गृहस्थ अपने कर्त्तव्यके प्रति जागरूक नहीं हैं, वे इस कर्त्तव्यमें चूकनेवालोंकी खातिर स्वयं भी काफी कपास जमा कर सकते हैं। यह कपास वे माँगकर भी जमा कर सकते हैं और खरीदकर भी। हम थोड़ी-बहुत सफलताके साथ कई मुट्ठी-फंड चला चुके हैं। फिर कोई कारण नहीं कि कपास पैदा करनेवाले सभी क्षेत्रोंमें घर-घर जाकर कपास न माँगी जाये। जहाँ-कहीं इस तरह सामूहिक रूपसे कपासका चन्दा किया जाये, वहाँ चन्देमें प्राप्त कपासका वैसा ही इन्तजाम करना चाहिए जैसा कि चन्देमें आये पैसेका करते हैं। दाताओंको रसीदें दी जानी चाहिए और हिसाबकी बहियोंमें उनका पूरा लेखा-जोखा रखना चाहिए। संग्रह करनेका काम बहुत सुचारु रूपसे होना चाहिए। कपासका वर्गी-करण करने और उसे सुरक्षित रखनेके लिए खास होशियारीकी जरूरत होगी। अगर यह अवसर चूक गये तो फिर दूसरा अवसर अगले मौसममें ही मिलेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ११-१२-१९२४

Gandhi Heritage Portal

३५०. मेरा पथ

यूरोप और अमेरिकामें आजकल मेरे प्रति लोगोंका ध्यान खिंच रहा है। यह मेरे लिए सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों ही हैं। सौभाग्य तो इसलिए है कि पश्चिममें भी लोग मेरे सन्देशपर विचार कर रहे हैं और उसे समझ रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य यह है कि कोई तो अनजानमें उसकी महत्ता ज्यादा बढ़ा देते हैं और कोई जान-बूझकर उसका रूप विकृत कर देते हैं। हर सत्य अपने-आप प्रभावकारी होता है; उसमें अपना सहज बल होता है। इसलिए जब मैं देखता हूँ कि लोग मेरे सन्देशको गलत रूपमें पेश कर रहे हैं तब भी मैं विचलित नहीं होता। एक यूरोपीय मित्रने कृपापूर्वक मुझे जो चेतावनी भेजी है, उससे मालूम होता है कि यदि उन्हें मिली जानकारी सही है तो बुरी नीयतसे हो अथवा भूलसे हो, रूसमें मेरे मतके विषयमें बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। यह है उनके पत्रका एक हिस्सा:

> **कहा जाता है कि बर्लिन स्थित रूसी राज्य-प्रतिनिधि क्रेसटिन्स्कीको विदेश मंत्रीकी ओरसे कहा जायेगा कि वे अपनी सरकारकी ओरसे गांधीका स्वागत करें और इस स्थितिसे फायदा उठाकर गांधीके अनुयायियोंमें बोलशेविक मतका प्रचार करनेका उद्योग करें। इसके सिवा क्रेसटिन्स्कीको यह काम भी दिया जायेगा कि वे गांधीको रूसमें आनेके लिए निमन्त्रण दें। एशियाकी दलित-पीड़ित जातियोंमें बोलशेविक साहित्यके प्रचारके लिए धन खर्च करनेका भी उन्हें अधिकार दिया गया है। ओरिएन्टल-क्लब तथा उनके कार्यालयके लिए गांधीजीके नामपर उन्हें एक बड़ी रकम मुहैया की जायेगी जिसमें से उनके (गांधीजीके या मास्कोवालोंके?) मतको माननेवाले विद्यार्थियोंको सहायता दी जायेगी। अन्तमें, इसमें तीन हिन्दू भरती किये जायेंगे। यह सारी चीज रूसी समाचार-पत्रोंमें, उदाहरणके लिए, १८ अक्तूबरके 'रूल' नामक पत्रमें प्रकाशित हुई है।**

इस मजमूनसे उस खबरका कुछ रहस्य मिल जाता है जिसमें मेरे जर्मनी और रूस जानेके लिए आमन्त्रित किये जानेकी सम्भावना बताई गई थी। यह कहनेकी तो जरूरत ही नहीं है कि न तो मुझे ऐसा कोई निमन्त्रण ही मिला है और न इन महान् देशोंमें जानेकी मेरी कोई इच्छा ही है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे प्रतिपादित सत्यको अभी खुद भारतवर्षने भी पूरे तौरसे ग्रहण नहीं किया है और वह अभी यथेष्ट रूपमें प्रस्थापित भी नहीं हो पाया है। भारतमें जो काम मैं कर रहा हूँ, वह अभी प्रयोगावस्थामें ही है। ऐसी हालतमें मेरे लिए विदेशोंमें जाकर कोई साहसिक कार्य करनेका समय अभी नहीं आया है। यदि भारतमें ही यह प्रयोग प्रत्यक्ष रूपमें सफल हो जाये तो मैं पूर्ण रूपसे सन्तुष्ट हो जाऊँगा।

Gandhi Heritage Portal

मेरा रास्ता साफ है। हिंसात्मक कामोंमें मेरा उपयोग करनेका कोई प्रयत्न सफल हो ही नहीं सकता। मेरे पास कोई गुप्त उपाय नहीं है। मैं सत्यको छोड़कर किसी कूटनीतिको नहीं जानता। मेरा एक ही शस्त्र है -- अहिंसा। सम्भव है कि मैं अनजाने, कुछ देरके लिए गलत रास्ते भटका लिया जाऊँ, किन्तु यह हमेशाके लिए नहीं चल सकता। अतएव मैंने अपने लिए ऐसी कैद निश्चित कर ली है, जिसके दायरेके भीतर ही मुझसे काम लिया जा सकता है। इसके पहले भी मुझसे अनुचित काम निकालनेके अनेक प्रयत्न किये गये हैं। जहाँतक मुझे मालूम है, वे हर बार निष्फल ही हुए हैं।

बोलशेविज्मको मैं अभीतक ठीक-ठीक नहीं समझ सका हूँ। मैं इसका अध्ययन भी नहीं कर सका हूँ। मैं यह भी नहीं कह सकता कि रूसके लिए अन्तमें यह लाभकारी होगा या नहीं। तो भी इतना तो मैं अवश्य जानता हूँ कि जहाँतक इसका आधार हिंसा और ईश्वर-विमुखतापर है, उससे मुझे विरक्ति ही होती है। मैं यह नहीं मानता कि हिंसात्मक छोटे रास्तोंसे सफलता मिलती है। जो बोलशेविक मित्र मेरी ओर ध्यान दे रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि मैं ऊँचे उद्देश्योंकी चाहे जितनी प्रशंसा करूँ और उनके प्रति सहानुभूति दिखलाऊँ किन्तु श्रेष्ठसे-श्रेष्ठ कार्यके लिए भी मैं हिंसात्मक पद्धतिका अटल विरोधी ही हूँ। अतएव हिंसावादियोंके और मेरे मिलापके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इतना होनेपर भी मेरा अहिंसा-धर्म मुझे अराजकतावादियों और अन्य सभी हिंसावादियोंके साथ सम्पर्क रखनेका न केवल निषेध नहीं करता है बल्कि वैसा करनेपर मजबूर करता है। किन्तु इस सम्पर्कमें मेरा उद्देश्य केवल यही होता है कि उन्हें मैं उस राहसे बचाऊँ जो मुझे गलत दिखाई देती है। क्योंकि मुझे अपने अनुभवसे विश्वास हो गया है कि स्थायी कल्याण असत्य और हिंसाका फल कभी हो ही नहीं सकता। यदि मेरा यह विश्वास केवल एक भ्रान्ति ही हो तो भी शायद लोग यह तो मान ही लेंगे कि यह एक मनोहारिणी भ्रान्ति है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ११-१२-१९२४

Gandhi Heritage Portal

३५१. कला और राष्ट्रीय विकास[1]

नवीन राष्ट्रीय जीवनके अभ्युदयके साथ-साथ प्रायः महान् साहित्य और कलाका भी सृजन देखनेमें आता है; इन दोनोंके इस सम्बन्धका अन्वेषण मानव इतिहासके अध्ययनका एक सबसे रोचक विषय है। संगीतको भी, जो साहित्य और कलाके ही परिवारका है, इसी प्रकारकी भूमिका निभानी पड़ती है। . . .

अभी इस प्रश्नपर विचार करना शेष है कि भारतकी वर्तमान राष्ट्रीय जागृतिसे महान् साहित्य और कलाके सृजनकी आशा की जा सकती है या नहीं। भारतके कई प्रान्तोंमें अभी यह आन्दोलन इतना नया है कि हम इस क्षेत्रमें तत्काल कोई परिणाम देखनेकी आशा नहीं कर सकते। लेकिन, जिसने भी बंगालके आधुनिक इतिहासका बारीकीसे अध्ययन किया होगा, उसे इस बातमें क्षण-भरको भी कोई सन्देह नहीं हो सकता कि वहाँ इस सृजन-युगका उदय हो चुका है। इस नवोदयकी साहित्यिक एवं कलात्मक, दोनों ही प्रकारकी कृतियोंमें जन-मानसकी समस्त भावनाएँ बोल उठी हैं। . . .

भारतके दूसरे हिस्सोंमें इस राष्ट्रीय आन्दोलनको आज मुख्यतः वहाँकी मातृभाषाओंके साहित्यमें गुंजित विलक्षण नवोत्थानके स्वरमें देखा जा सकता है। . . .

दूसरी ओर राष्ट्रीय कार्यक्रममें एक ऐसी वस्तु है, जो पता नहीं क्यों, अभीतक सौंदर्यके विभिन्न रचनात्मक रूपोंमें नहीं ढल पाई है। वह वस्तु है खादी . . . जो विविधतासे रहित और सर्वथा एक-सी श्वेत होनेके कारण कलात्मक रूचिको तुष्ट नहीं कर पाती। प्राचीन भारतमें वनस्पतियोंसे तैयार होने-वाले विविध रंगोंको एक बार फिर दैनिक उपयोगमें लाया जा सकता है। इस निरभ्र उज्ज्वल आकाशवाले देशको रक्त-वर्ण, हेम-वर्ण, नीलवर्ण आदि मौलिक और कान्तिपूर्ण रंगों और उनके अनेक वर्णान्तरोंसे, जिनमें केवल सूर्यकी किरणें ही सामंजस्य उत्पन्न कर सकती हैं, वंचित नहीं करना चाहिए। . . .

ऐसा कोई खतरा नहीं है कि रंगोंकी रुचि नष्ट हो जायेगी। मसूलीपट्टमवाले तथा अन्य स्थानोंके लोग इस चीजका पूरा ध्यान रख रहे हैं। राष्ट्रमें संतुलित सुरुचिका विकास होनेसे भड़कीलेपनकी रुचि खत्म हो सकती है और होनी भी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ११-१२-१९२४

१. सी० एफ० एन्ड्रयूज़का यह लेख जिसपर अन्तमें गांधीजीने टिप्पणी लिखी है, यहाँ अंशतः ही उद्धृत किया गया है।

Gandhi Heritage Portal

३५२. भेंट : 'ट्रिब्यून' के प्रतिनिधिसे

लाहौर
११ दिसम्बर, १९२४

श्री गांधी आज सुबह रावलपिंडीसे बम्बई मेल द्वारा साबरमतीको रवाना हुए। वे शामको लाहौरसे गुजरे। लाहौर रेलवे स्टेशनपर 'ट्रिब्यून' के विशेष प्रतिनिधिने उनसे कोहाटके मामलेमें भारत सरकारके प्रस्तावके सम्बन्धमें भेंट की। श्री गांधीने कहा :

मैं मौलाना शौकत अली, मौलाना जफर अली और डा० किचलूके साथ रावलपिंडीमें करीब-करीब हरएक शरणार्थीसे मिला। मैंने राय बहादुर सरदार माखनसिंहसे भी मुलाकात की है। मैंने भारत सरकारका प्रस्ताव पढ़ लिया है और मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि वह एक चुनौती है। मैंने लोगोंको आग्रहपूर्वक यह सलाह दी है कि वे समझौतेकी कोई भी शर्तें स्वीकार न करें। हिन्दू और मुसलमान नेताओंकी राय लिये बिना अभी इस अवस्थामें तो मैं प्रस्तावमें कही गई बहुत-सी बातोंकी सत्यता-असत्यताके बारेमें कोई राय नहीं देना चाहता। दुर्भाग्यसे रावलपिंडीमें कोहाटके मुसलमानोंका कोई भी जिम्मेदार प्रतिनिधि नहीं था। लेकिन इतना तो मैं बिलकुल साफ देख रहा हूँ कि भारत सरकार मात्र-विभागीय जाँचके बाद इन निष्कर्षोंपर पहुँची है और जिन लोगोंने यह जाँच की, उनकी नियुक्तिके सम्बन्धमें इन शरणार्थियों या मुसलमानोंका कुछ भी हाथ नहीं था और न शरणार्थियोंको अपना पक्ष सिद्ध करनेका कोई अवसर ही दिया गया। हम अपने अनुभवसे जानते हैं कि किस प्रकार ऐसी जाँच अकसर गुमराह करनेवाली सिद्ध हुई है और उनमें एक ही पक्षकी बात दी गई है।

शरणार्थियोंको प्रस्तावसे गहरा सदमा पहुँचा है। उनको उम्मीद थी कि इस मामलेकी पूरी-पूरी खुली और स्वतन्त्र जाँच कराई जायेगी और उसमें हिन्दुओं और मुसलमानों दोनोंको अपनी-अपनी बात कहनेका मौका दिया जायेगा। लेकिन ऐसा-कुछ नहीं हुआ और पण्डित मालवीयजीको दिये गये वाइसरायके उत्तरसे तो यही लगता है कि यह प्रस्ताव इस मामलेमें भारत सरकारका अन्तिम निष्कर्ष और अन्तिम निर्णय है।

ऐसी परिस्थितियोंमें यदि शरणार्थी अपने आत्म-सम्मानकी ओर ध्यान दें तो वे तबतक कोहाट नहीं जा सकते जबतक उनके और कोहाटके मुसलमानोंके बीच कोई वास्तविक और स्थायी समझौता नहीं हो जाता। ऐसा समझौता बाहरसे नहीं थोपा जा सकता और चाहे जो भी शर्तें सम्बन्धित हिन्दुओं या मुसलमानों द्वारा स्वीकृत बताई जाती हों, मैं तो यही समझ सकता हूँ कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे दबावमें आकर स्वीकार की गई हैं। मुझे उम्मीद है कि कोहाटके मुसलमान शरणार्थियोंसे जैसे भी होगा मिलेंगे और उन्हें दोस्ती तथा पूरी सुरक्षाका वचन देकर

Gandhi Heritage Portal

कोहाट लौटनेका न्यौता देंगे। मैं इस पूरे मामलेके बारेमें पहलेसे कोई राय निश्चित नहीं कर लेना चाहता। मुझे उम्मीद है — और मेरे मुसलमान साथियोंको भी यही आशा है — कि कोहाटके मुसलमान हमें कोहाटकी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओंके बारेमें सही फैसलेपर पहुँचनेका अवसर देंगे। लेकिन इतनी बात तो बिलकुल साफ है कि हिन्दू आज रावलपिंडीमें शरणार्थी बने हुए हैं और यदि वे कोहाटके मुसलमान निवासियोंसे सुरक्षाका पूरा वादा लिये बिना कोहाट लौट गये तो उनके अस्तित्वपर ही बन आनेका खतरा है। यदि मुसलमान लोग हिन्दुओंका स्वागत अपने मित्रोंके रूपमें करनेके लिए अनिच्छुक हैं तो सरकार चाहे जो भी आश्वासन दे, मैं उसे आश्वासन नहीं समझता। वहाँ उनकी विशाल बहुसंख्या है और बिलकुल पासमें ही कई मुसलमान कबीले मौजूद हैं, और इसलिए हर भारतीय — चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान — कोहाटके मुसलमानोंसे यही आशा करता है कि वे यदि हिन्दू-मुस्लिम एकता चाहते हैं तो इन शरणार्थियोंको पूरा आश्वासन देकर उन्हें वापस कोहाटमें ले जायेंगे। मैंने शरणार्थियोंसे जो कहा था, यहाँ मैं उसे फिर दोहराना चाहता हूँ।[1] वह यह है कि सीमान्त प्रान्तके हिन्दुओं और मुसलमानोंके भावी सम्बन्ध उन्हींके सही आचरणपर निर्भर हैं। जबतक कोहाटके मुसलमान उन्हें लौटनेके लिए हार्दिक निमन्त्रण और सुरक्षाका पूरा आश्वासन न दें, तबतक न लौटनेमें उन्हींका हित है। इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि तब सारा भारत उनके साथ होगा।

मैंने उनसे यह भी कहा है कि यदि आत्म-सम्मानके साथ उनके लिए कोहाट लौटना असम्भव हो तो उन्हें भारतमें अपने लायक ठीक धन्धा ढूँढ़नेमें जरा भी कठिनाई नहीं होगी। मैंने उनसे यह भी कहा है कि अभी मेरे हाथमें जो काम हैं, उन्हें मैं लगभग २३ जनवरीतक निबटा लूंगा। और उसके बाद तुरन्त खुशीसे रावलपिंडी आ जाऊँगा और जबतक आवश्यक होगा तबतक उनके पास रहूँगा। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि कोहाटके मुसलमान उससे बहुत पहले ही शरणार्थियोंके प्रति अपना दायित्व महसूस कर लेंगे और उनको कोहाट वापस ले जायेंगे। मौलाना शौकत अली इस मामलेमें कोशिश कर भी रहे हैं और सीमान्तके मुसलमानोंके साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं।

जब प्रतिनिधिने गांधीजीसे पंजाबमें हिन्दुओं और मुसलमानोंके मतभेदोंके बारेमें अपनी राय बताने या मौजूदा तनावको कम करनेका कोई उपाय सुझानेको कहा तो उत्तरमें उन्होंने कहा :

मैं समझता हूँ कि कोहाटके मामलेमें ऊपर जो वक्तव्य दिया गया है, वह पर्याप्त है। अभी मुझे कोई और ऐसी बात नहीं सूझती कि जो विशेष महत्त्वकी हो। 'यंग इंडिया' के ताजा अंकमें प्रकाशित अपने लेखोंमें मैंने इस प्रश्नका विस्तृत विवेचन किया है। मैंने जो-कुछ लिखा है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं कहना चाहता।

१. देखिए "भाषण : रावलपिंडीमें", ९-१२-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

आगे जब प्रतिनिधिने हालके पंजाब प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलनमें गांधीजी द्वारा स्वराज्य प्राप्त करनेकी नई योजनाके सम्बन्धमें कही बातोंका आशय तथा महत्त्व जानना चाहा तो गांधीजीने कहा :

सम्मेलनके अपने समापन-भाषणका विवरण अभी मैंने समाचारपत्रोंमें नहीं देखा है; लेकिन मैंने यह जरूर कहा था कि मैं इस बारेमें बहुत अधिक और गहराईसे विचार कर रहा हूँ और यह मालूम करनेकी कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हममें से कमसे-कम कुछ लोग ऐसे नहीं निकल सकते जो इस यंत्रणाको समाप्त कर सकें। वह योजना क्या हो सकती है, यह मैं अभी नहीं कह सकता और फिर हर चीज इस बातपर निर्भर करेगी कि मैं जो भी प्रस्ताव रखूँ, उसपर कांग्रेसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। मैं अभीतक अन्धकारमें हूँ और मुझे अभी इस सम्बन्धमें गम्भीर सन्देह है कि मैं देशको अपने साथ ले जा सकूँगा। फिलहाल मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरे मनमें इस सम्बन्धमें कोई सन्देह नहीं है कि मैं अब इसके बारेमें जिस निष्कर्षपर भी पहुँचूँगा, वह कमसे-कम मेरे लिए तो अन्तिम होगा।

गांधीजीने अपने निकट भविष्यके कार्यक्रमके बारेमें पूछनेपर कहा :

मैं शनिवारकी सुबह साबरमती पहुँचूँगा और वहाँसे १८ को चलकर २० को बेलगाँव पहुँच जाऊँगा। आशा है, मैं वहाँ आये हुए सभी अपरिवर्तनवादियोंसे मिलूँगा और फिर २१ को वहाँ जो भी परिवर्तनवादी आयेंगे उनसे मिलूँगा। मैं सभी नेताओं और कार्यकर्त्ताओंसे खुलकर और अनौपचारिक रूपसे पूरी चर्चा करनेके लिए अत्यन्त उत्सुक हूँ। मुझे सबसे ज्यादा चिन्ता इस बातकी है कि कांग्रेसमें जो-कुछ भी स्वीकार किया जाये, वह यन्त्रवत् स्वीकार न किया जाये; बल्कि हर प्रतिनिधि कांग्रेसके सामने पेश किये जानेवाले प्रस्तावोंको पूरी तौरसे समझकर अपना दायित्व महसूस करते हुए पूरा इत्मीनान करके ही अपनी सहमति दे। किसी भी कार्यक्रमकी सफलताका दारोमदार इसी बातपर है कि हर व्यक्ति उसके लिए जी-जानसे जुटकर काम करे।

[अंग्रेजीसे]

ट्रिब्यून, १३-१२-१९२४

Gandhi Heritage Portal

३५३. प्रस्तावना : 'श्री रामकृष्णकी जीवनी' की

साबरमती[1]

मार्गशीर्ष कृष्ण १, १९८१ [१२ दिसम्बर, १९२४][2]

रामकृष्ण परमहंसकी जीवनी धर्मके आचरणकी कथा है। उनका जीवन हमें ईश्वरका स्पष्ट साक्षात्कार करनेमें समर्थ बनाता है। उनकी जीवन-कथा पढ़नेवाले किसी भी मनुष्यको यह विश्वास हुए बिना नहीं रह सकता कि ईश्वर ही सत्य है, शेष सब मिथ्या है। रामकृष्ण प्रभु-भक्तिकी जीती-जागती प्रतिमूर्ति थे। उनके वचन एक विद्वान्की उक्तियाँ-मात्र नहीं हैं; वे जीवन-रूपी पुस्तकके पृष्ठ हैं। उनमें उनके अपने अनुभव अभिव्यक्त हुए हैं। इसलिए वे पाठकपर ऐसी छाप डालते हैं, जिससे वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अनास्थाके इस युगमें, रामकृष्णने ज्वलन्त और प्राणवन्त आस्थाका एक ऐसा उदाहरण रखा है, जिससे लाखों स्त्री-पुरुषोंको शान्ति मिली है। यदि वह उदाहरण उनके सम्मुख न आता तो वे जीवन-भर आध्यात्मिक प्रकाशसे वंचित ही रह जाते। रामकृष्णका जीवन अहिंसाका एक वस्तु पाठ है। उनका प्रेम भौगोलिक या अन्य किन्हीं भी सीमाओंमें बँधा हुआ नहीं था। ईश्वर करे, इन पृष्ठोंको पढ़नेवाले सभी पाठकोंको उनका यह दिव्य प्रेम प्रेरणास्पद हो।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण

३५४. पाटीदार और अन्त्यज

मुझे पाटीदारोंके विरुद्ध अन्त्यज भाइयोंकी शिकायतें मिलती ही रहती हैं। एक भाईने मुझे कुछ कतरनें भेजी हैं, जिनमें नाम-धाम सहित पूरा-पूरा विवरण दिया गया है। उनसे पता चलता है कि जिन अन्त्यजोंने कई वर्षोंसे मरे हुए पशुओंको उठानेका काम छोड़ दिया था, उनसे मार-पीटकर यह काम करवाया गया है।

यदि यह बात सच हो तो यह स्वदेशी डायरशाही मानी जायेगी और किसी हद्तक विदेशी डायरशाहीसे भी अधिक बुरी। विदेशी डायरशाहीके पीछे तो लोगोंके दोषका कुछ बहाना भी था। इसमें तो वैसी कोई बात नहीं मिल सकती। विदेशियोंकी संख्या बहुत ही कम है, इसलिए उनको सामान्य रूपसे भय भी रहता

१. साधन-सूत्रमें यही दिया गया है; लेकिन गांधीजी १३ दिसम्बरको साबरमती पहुँचे थे; देखिए "पत्र: मथुरादास त्रिकमजीको", १४-१२-१९२४।

२. साधन-सूत्रमें "१२ नवम्बर, १९२४ तिथि दी हुई है।

Gandhi Heritage Portal

है। लेकिन इस स्वदेशी डायरशाहीमें तो पाटीदार बहुत ज्यादा और अन्त्यज संख्यामें कम एवं बल और बुद्धिमें हीन भी है। उनपर जुल्म किया जाये, यह तो चींटियों पर सेना लेकर चढ़ाई करनेके समान है।

पाटीदारों और अन्य तथाकथित उच्च वर्णोंको अपने कर्त्तव्यपर विचार करना है। किसीकी डायरशाही अब लम्बे समयतक चलनेवाली नहीं है। अब तो केवल सत्य, न्याय और अहिंसा ही चलेंगे। अन्याय, असत्य और हिंसा — चाहे वे स्वदेशी ही क्यों न हों — कदापि नहीं चल सकते।

आज हम न्यायकी माँग कर रहे हैं, गुलामीसे मुक्त होनेकी कामना कर रहे हैं। क्या हम स्वयं अपने दोष नहीं देखेंगे, उनको दूर नहीं करेंगे? जिन पाटीदारोंने अन्त्यज भाइयोंपर जुल्म किया हो, समझदार पाटीदारोंको उन्हें रोकना चाहिए। अन्त्यज भाइयोंके प्रति भी हमारा कुछ कर्त्तव्य है, लोगोंको यह बात समझनी चाहिए। जिस तरह अन्य वर्णोंके लोगोंने अपने धन्धे छोड़ दिये हैं, जिस तरह ब्राह्मणोंने शिक्षण-कार्य छोड़कर नौकरी आदि अपनाई है, जिस तरह क्षत्रियोंने दासता ग्रहण की है, जिस तरह दर्जियोंने अपना काम छोड़कर अन्य क्षेत्रोंमें प्रवेश किया है, उसी तरह अन्त्यजोंको भी अपने धन्धे छोड़नेका अधिकार है।

चमारका धन्धा आज दूसरे लोग भी करते हैं। मरे हुए पशुओंको उठाकर उचित स्थानपर डाल देनेके काममें मैं कोई दोष नहीं देखता। लेकिन दूसरोंको मैं वह काम अथवा कोई और काम करनेके लिए बाध्य कैसे कर सकता हूँ? अमुक धन्धा तो अमुक जाति अथवा व्यक्तिको ही करना होगा, हम ऐसा दुराग्रह नहीं रख सकते। इसका एक सीधा परिणाम तो यह होना चाहिए कि हमें कोई भी बुनियादी और जरूरी काम करनेमें दोष नहीं समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब कोई दूसरे लोग इस कामको करनेके लिए बाध्य नहीं हैं तो फिर अन्त्यजोंने ही क्या अपराध किया है [कि उन्हींसे यह काम कराया जाये]? मुझे याद है कि दक्षिणमें एक बार भंगी नाराज हो गये थे और उन्होंने अपना काम बन्द कर दिया था। किन्तु ब्राह्मणोंने अपने पाखाने आप ही साफ करना शुरू कर दिया, इससे भंगी हार गये। दूसरोंको पराजित करनेका यही उत्तम मार्ग है: कठिनाइयोंको चुपचाप झेलना और उन्हें आत्मबल और सहिष्णुताके द्वारा दूर करना। इस रास्तेपर चलनेमें दोनोंकी उन्नति है। पहले रास्तेपर चलनेसे एककी अवनति तो निश्चित ही है, किन्तु हो सकता है, दोनोंकी ही अवनति हो।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १४-१२-१९२४

Gandhi Heritage Portal

३५५. पत्र : ए० वरदन्‌को

१४ दिसम्बर, १९२४

प्रिय मित्र,

आपके पत्रके साथ भेजी गई क्षमा-याचनाके लिए, जिसपर श्री सुब्रह्मण्यम्‌के दस्तखत हैं, धन्यवाद। मैंने इस बातका कभी विचार नहीं किया है। आशा है, इन पत्रोंको लिखनेके कारण उनको सेवासे निवृत्त नहीं किया जायेगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

श्री ए० वरदन्
प्रधानाध्यापक

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ५६७६) की फोटो-नकलसे।

३५६. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

रविवार, मार्गशीर्ष बदी ३ [१४ दिसम्बर, १९२४]

सुज्ञ भाईश्री,

आपका पत्र लाहौरसे होता हुआ आज मिला। मैंने सोचा कि यदि मैं अब तार देता हूँ तो वह भी आपको कल ही मिलेगा, इसलिए पत्र द्वारा ही उत्तर दे रहा हूँ। क्या अब यही उचित नहीं होगा कि परिषद्‌को[1] सोनगढ़में ही होने दिया जाये? फिर भी आप वही करें जिससे सबका हित हो। परिषद्‌में संयमसे काम लिया जायेगा; इस बारेमें भला मैं आपको क्या आश्वासन दे सकता हूँ? मेरी उपस्थितिमें कमसे-कम काठियावाड़में कोई भी व्यक्ति मर्यादा नहीं छोड़ेगा, इस बातका मुझे पक्का भरोसा है। समाचारपत्रोंसे विदित होता है कि नगरपालिका मानपत्र देनेका प्रस्ताव पास कर चुकी है। क्या अब उसमें कोई परिवर्तन किया जाना चाहिए? मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम तो निर्विघ्न सम्पन्न हो जायेगा। मैं यहाँ १८ तारीख तक हूँ। यदि कोई शहर जानेवाला व्यक्ति मिल गया तो मैं आपको तार भी दूँगा।

मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१८४) से।
सौजन्य : महेश पट्टणी।

१. काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्; देखिए "पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको", १८-१२-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

३५७. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

मार्गशीर्ष बदी ३ [१४ दिसम्बर, १९२४][1]

मैं कल पहुँचा। तुम्हें पत्र लिखने ही जा रहा था कि महादेवने मुझे तुम्हारा पत्र ला दिखाया। आनन्दकी तबीयत अभीतक ठीक नहीं हुई है इससे दुःख और आश्चर्य हो रहा है। इस सबका कारण क्या है? आनन्दसे कहना कि अभी संसारसे विदा लेनेकी तैयारी न करे। क्या वह वायु परिवर्तनकी बात नहीं मानेगा? मैंने सदा देखा है कि एक वायु परिवर्तनके आगे सौ दवा भी काम नहीं करती। ऐसी स्थितिमें तुम बेलगाँव कैसे आ सकोगे? मैं तो तुम्हें बेलगाँव आनेके बारेमें ही पत्र लिखना चाहता था। तारामती अब बिलकुल ठीक होगी।

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी

३५८. वक्तव्य : समाचारपत्रोंको[2]

अहमदाबाद
१४ दिसम्बर, १९२४

मैंने पंजाबमें दिये अपने एक भाषणका विवरण देखा है और अपने अन्य भाषणोंके विवरणोंके बारेमें बहुत-कुछ सुना है। मैंने संवाददाताओंको चेतावनी दी थी कि वे मेरे भाषणोंके सम्बन्धमें तैयार किये गये विवरण मुझे दिखाए बिना छपनेके लिए न भेजें। मैंने जो बातें कहीं, वे मेरी दृष्टिमें महत्त्वपूर्ण थीं। 'ट्रिब्यून' और और 'जमींदार' के सम्पादकोंने अपने विवरण शुद्ध करनेके लिए मेरे या मेरे सचिवके पास भेजनेका सौजन्य दिखाया; लेकिन स्पष्ट है कि अन्य सम्पादकोंने मेरे अनुरोध-पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। नतीजा यह है कि मैंने जो-कुछ कहा था, वह विकृत रूपमें छापा गया है। इसलिए मैं लोगोंसे यही कह सकता हूँ कि मेरे भाषणोंके विवरण, जबतक मेरे द्वारा प्रमाणित किये हुए न हों तबतक उनका एक भी शब्द मेरा न मानें। शेषके लिए लोगोंको मेरे बेलगाँवके भाषणकी राह देखनी चाहिए। उसमें मैं संक्षेपमें उन सभी बातोंको रखूंगा, जो मैंने पंजाबमें और अन्यत्र कहीं हैं। मैं लोगोंको आगाह किये देता हूँ कि अभी वे मुझसे किसी सनसनीदार और जोश पैदा करनेवाली योजनाकी आशा न करें। अभी तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि एकता कायम हो और एक वर्षतक रचनात्मक कार्य होता रहे। उसके बाद और केवल उसके बाद ही मैं कोई ऐसी चीज देनेका वादा कर सकता हूँ जो उत्साहीसे-

१. साधन-सूत्रके अनुसार।
२. यह वक्तव्य गांधीजीने अपने पंजाबके भाषणोंके सम्बन्धमें दिया था।

Gandhi Heritage Portal

उत्साही व्यक्तियोंको भी काफी जोशीली मालूम हो, परन्तु मुझे उसकी चर्चा अभी नहीं करनी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

न्यू इंडिया, १५-१२-१९२४

३५९. पत्र : कुँवरजी विट्ठलभाई मेहताको

सोमवार [१५ दिसम्बर, १९२४][1]

आपका पत्र मिला। मैं १५ तारीखके[2] बाद बारडोली ताल्लुकेका दौरा करनेकी कोशिश तो अवश्य करूँगा। आप वल्लभभाईके साथ कार्यक्रम निश्चित कर लीजिएगा।

१. वहाँ कुछ चरखा-प्रवृत्ति चल रही है या नहीं?
२. प्रागजी कैसे हैं?
३. कल्याणजी कहाँ हैं और कैसे हैं?
४. क्या 'नवयुग' का खर्च निकल आता है?
५. क्या रुईका संग्रह किया जा रहा है?
६. दयालजीकी तबीयत ठीक हुई या नहीं?

बापूके आशीर्वाद

भाईश्री कुँवरजी विट्ठलभाई
'नवयुग' कार्यालय
लिमड़ा चौक, सूरत

गुजराती पत्र (जी० एन० २६७३) की फोटो-नकलसे।

३६०. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

मंगलवार [१६ दिसम्बर, १९२४][3]

सुज्ञ भाईश्री,

भाई फूलचन्द, अमृतलाल आदि कार्यकर्त्ता परिषद् बुलाये जानेके सम्बन्धमें विचार-विमर्श करनेके लिए यहाँ आये हुए हैं। उनका कहना है कि वे ऐसी शर्तें स्वीकार करनेको तैयार हैं कि जिनसे परिषद्का काम विवेकपूर्वक हो। वे इस बातका आश्वासन देनेको तैयार हैं कि किसी भी राजाकी कोई व्यक्तिगत आलोचना न की जायगी।

१. डाककी मुहरसे।
२. जनवरी, १९२५ की।
३. गांधीजीके इस पत्रकी प्राप्तिकी सूचना श्री पट्टणीजीने अपने १७ दिसम्बर, १९२४ के पत्र द्वारा दी थी।

Gandhi Heritage Portal

यदि वे ऐसी शर्तोंके साथ परिषद्का आयोजन करनेको राजी हों तो मुझे लगता है कि अनुमति देनेमें किसी प्रकारकी अड़चन न होनी चाहिए। अनुमतिके आदेश-पत्रमें यदि शर्तें भी लिख दी जायें तो इससे दरबारके मानकी रक्षा भी हो जायेगी। अब और अन्य राजाओंके प्रति दरबारका कर्त्तव्य भी पूरा हो जायेगा तथा जनताको परिषद् बुलानेकी सुविधा हो जायेगी। मेरा खयाल यह है कि निषेधादेश परिषद्में मर्यादा-पालन न किये जानेके भयसे ही जारी किया गया है। यदि इस भयको दूर करनेके लिए आवश्यक शर्तें दाखिल कर दी जायें तो मुझे लगता है कि फिर कोई अड़चन नहीं रह जाती।

आपका,

मोहनदास गांधी

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१८५) से।
सौजन्य : महेश पट्टणी

३६१. पत्र : भगवानजी अनूपचन्द मोदीको

मार्गशीर्ष बदी ५ [१६ दिसम्बर, १९२४][1]

भाई भगवानजी,

आपका पत्र मिला। आपने पत्र लिखा सो अच्छा किया। उसमें से जितना स्वीकार कर सकता हूँ, करूँगा।

मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्

भाई भगवानजी अनूपचन्द मोदी
राजकोट

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३०३१) से।
सौजन्य : नारणदास गांधी

३६२. सन्देश : देवचन्द पारेखको

[१६ दिसम्बर, १९२४ के पश्चात्][2]

मुझे पता चला है कि काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्का स्वागत-मण्डल दरबारको इस बातका आश्वासन देनेको तैयार है कि परिषद्में शिष्टता तथा मर्यादाका पालन होगा और राजाओंकी व्यक्तिगत टीका न की जायेगी।

यह भी मालूम हुआ है कि पोरबन्दरमें कार्यकारी समितिकी जो बैठक हुई थी उसने स्वागत-मण्डलको भावनगरमें परिषद् बुलानेकी सलाह दी थी। इससे पहले उसे

१. डाककी मुहरसे।
२. यह सन्देश "पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको", १६-१२-१९२४ के बाद लिखा प्रतीत होता है।

Gandhi Heritage Portal

पट्टणी साहबसे विचार-विमर्श कर लेना चाहिए था। ऐसा न करके उसने शिष्टाचारके नियमका उल्लंघन किया है।

पट्टणी साहबका आग्रह है कि इस वर्ष भावनगरमें परिषद् न बुलाई जाये। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि इसकी अनुमति देनेमें उन्हें कठिनाई होगी। उनका कहना है कि यदि परिषद् सोनगढ़में बुलाई जाये तो वे हर तरहकी मदद देनेको तथा उसमें भावनगरकी प्रजाको भाग लेनेके लिए प्रोत्साहित करनेको तैयार हैं। इतना ही नहीं बल्कि आगामी वर्ष होनेवाला सम्मेलन देशी राज्योंकी सीमाके अन्दर बुलाया जा सके, इसका समुचित प्रबन्ध करने तथा इसमें सारी आवश्यक सहायता पहुँचानेको भी वे तैयार हैं। इसके लिए उनकी शर्त केवल इतनी है कि इस वर्षकी परिषद्में होनेवाले भाषणोंमें संयमसे काम लिया जाये। आगामी परिषद्के बारेमें वे कोई शर्त नहीं लगाना चाहते। उन्हें विश्वास है कि परिषद् स्वयं ही मर्यादाका पालन करेगी।

सारी परिस्थितिको देखते हुए मुझे लगता है कि स्वागत-मण्डलके सदस्योंको भावनगरमें परिषद् बुलानेके आग्रहको छोड़ देना चाहिए। उन्हें पट्टणी साहबकी बात मान लेनी चाहिए और परिषद्में मर्यादाका पूरा-पूरा पालन करके अपने आपको सच्चा सत्याग्रही सिद्ध करना चाहिए।

यदि जनता ऐसा करती है तो वह कोई ऐसा काम नहीं करती जिसके लिए उसे लज्जित होना पड़े। इससे सत्याग्रहको कोई बट्टा नहीं लगता और भविष्यके लिए मार्ग भी सरल हो जाता है। परन्तु, यदि हम यह मान भी लें कि सब-कुछ उलटा ही होगा——पट्टणी साहब विश्वासघात करेंगे अथवा वे उस समय काठियावाड़में होंगे ही नहीं अथवा वे आगामी वर्ष देशी राज्योंकी सीमाके अन्दर परिषद् होने देनेके अपने प्रयत्नोंमें असफल सिद्ध होंगे तो भी इससे सत्याग्रहीकी कोई हानि न होगी। सच्चा सत्याग्रही शिष्टता और नम्रता दिखानेको सदा तैयार रहता है और उसे अवसर चूक जानेके कारण पछतावा करनेका मौका कभी आता ही नहीं है। सच्चा सत्याग्रही तो अवसर उपस्थित होते ही कमर कसकर खड़ा हो जाता है।

मोहनदास करमचन्द गांधी

गुजराती प्रति (सी० डब्ल्यू० ६२०४) से।
सौजन्य: नारणदास गांधी

Gandhi Heritage Portal

३६३. पत्र : जी० ए० नटेसनको

१७ दिसम्बर, १९२४

प्रिय श्री नटेसन,

आपके 'रिव्यू' के लिए सुन्दर भविष्यकी कामना करता हूँ।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
इंडियन रिव्यू, जनवरी, १९२५

३६४. पत्र : डाह्याभाई म० पटेलको

मार्गशीर्ष बदी ६ [१७ दिसम्बर, १९२४][1]

भाई डाह्याभाई,

तुम्हारे दोनों पत्र मिल गये। मुझे लिखनेकी इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन पूरी जानकारीके अभावमें क्या लिखूँ? तथ्योंका ठोस ज्ञान न होनेपर लिखना मुझे जरा भी पसन्द नहीं। अब तो जब मैं बेलगाँवसे वापस आ जाऊँ, तब आ जाना और अपनी बात अच्छी तरह समझाना।

मोहनदासके वन्देमातरम्

भाई डाह्याभाई मनोरदास पटेल
ताल्लुका समिति
धोलका

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २६९१) से।
सौजन्य : डाह्याभाई म० पटेल

१. डाककी मुहरसे।

Gandhi Heritage Portal

३६५. पत्र : 'फारवर्ड' को

[१७ दिसम्बर, १९२४ के आसपास][1]

प्रिय मित्र,

यह रहा मेरा लेख : चरखे बिना स्वराज्य असम्भव है। मैं अपनी कोई तसवीर रखता नहीं। अतः आपको मेरे हस्ताक्षरोंसे ही सन्तोष करना पड़ेगा।

मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, खण्ड २।

३६६. टिप्पणियाँ

क्या लालाजी भीरु हैं?

आम सभाओंमें बोलनेवाले बहुत-से लोगोंकी यह बदकिस्मती है कि संवाददाता अकसर उनके भाषणोंकी गलत रिपोर्ट भेज देते हैं, हालाँकि वे कोई जान-बूझकर ऐसा नहीं करते। मेरा खयाल है, इस बदकिस्मतीका शिकार मैं भी हूँ। मुझे याद है, सन् १८९६ में जब मैं भारतमें पहले-पहल सार्वजनिक सभामें बोलने जा रहा था, उस समय सर फिरोजशाह मेहताने मुझसे कहा था कि अगर आप चाहते हों कि लोग आपका भाषण सुनें और उसकी ठीक-ठीक रिपोर्ट भी दी जाये तो अपना भाषण पहलेसे ही लिख रखिए। इस नेक सलाहके लिए मैं बराबर उनका आभारी रहा। मैं जानता हूँ कि यदि उस सभाके सम्बन्धमें मैं उनकी बात मानकर न चलता तो पूरा रंगभंग हो गया होता। उसके बाद भी जब कभी मेरे भाषणकी गलत रिपोर्ट दी गई है, मुझे इस प्रान्तके उस बेताजके बादशाहकी सलाह याद हो आई है। कहते हैं, किसीने ऐसी खबर दी है कि अमृतसरके खिलाफत सम्मेलनमें मैंने लालाजीके लिए भीरू शब्दका प्रयोग किया। लालाजी और चाहे जो हों, भीरु तो हैं ही नहीं। मेरे भाषणका सन्दर्भ देखनेसे स्पष्ट हो जायेगा कि मैं इस आरोपसे लालाजीका बचाव कर रहा था कि वे मुसलमानोंके प्रति विरोध-भाव रखते हैं। उस समय मैंने जो कहा था वह यह कि लालाजी शंकाशील हैं और मुसलमानोंके मंशामें शक करते हैं, किन्तु साथ ही वे सच्चे दिलसे मुसलमानोंकी मैत्री चाहते हैं। मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि लालाजीके लिए मेरे दिलमें बड़ी इज्जत है। मैं उन्हें बहुत बहादुर और आत्म-त्यागी व्यक्ति समझता हूँ। और उदार, सत्यपरायण और ईश्वरसे डरकर चलनेवाला आदमी समझता हूँ। उनकी

१. साधन-सूत्रके अनुसार।

Gandhi Heritage Portal

देश-भक्ति अत्यन्त निर्मल है। देशकी उन्होंने जितनी और जैसी अच्छी सेवा की है, उसमें बहुत कम लोग बराबरी कर सकते हैं। और यदि ऐसे व्यक्तिपर बुरा मंशा रखनेका सन्देह किया जाये तब तो हमें हिन्दू-मुस्लिम एकताकी आशा छोड़ ही देनी पड़ेगी। यदि अली-बन्धुओंके मंशामें लोग शक करने लगे तो क्या हिन्दू-मुस्लिम एकताकी कोई आशा की जा सकती है? यहाँ भी स्थिति वैसी ही है। हम सबकी अपनी-अपनी मर्यादाएँ हैं, अपने-अपने पूर्वग्रह हैं। तो हम हिन्दुओं और मुसलमानोंको, जैसे हम हैं उसी रूपमें स्वीकार किया जाना चाहिए और जिन लोगोंके लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता धर्म-रूप है उन्हें इसी साधन-सम्पत्तिके द्वारा, इन्हीं गुण-दोषमय हिन्दुओं और मुसलमानोंके द्वारा यह एकता स्थापित करनेकी कोशिश करनी चाहिए। अपने औजारोंको दोष देनेवाला बढ़ई असफल बढ़ई है। कर्नल मैडॉकने मुझे बताया कि एक बार उन्होंने आम इस्तेमालके एक मामूली-से चाकूसे बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था, क्योंकि उस समय और कोई चाकू उनके पास नहीं था। 'कीटाणु-नाशक-पदार्थके नामपर उनके पास सिर्फ उबलता हुआ पानी था। लेकिन उन्होंने हिम्मत की और उनके मरीजकी जान बच गई। अगर हम भी एक-दूसरेपर विश्वास करनेका साहस दिखायें तो समझ लीजिए हम सुरक्षित हैं। लेकिन एक-दूसरेका विश्वास करनेका मतलब जबानसे विश्वास प्रकट करना और मनमें अविश्वास रखना नहीं हो सकता। यह तो सचमुच कायरता होगी; और कायरोंसे कायरोंकी अथवा कायरोंसे बहादुरोंकी दोस्ती कभी नहीं हो सकती।

हत्या कब उचित है?

दिल्ली-निवासी लाला शंकरलालने मुझे बताया है कि ऐसी खबर है कि मैंने हिन्दुओंको कुछ मौकोंपर मुसलमानोंकी हत्या करनेकी सलाह दी है। उदाहरणके लिए जब मुसलमान गो-हत्या कर रहे हों। मैंने यह खबर खुद कहीं नहीं पढ़ी है। लेकिन चूँकि बात बहुत महत्त्वपूर्ण है इसलिए मुझे इस सम्बन्धमें अपनी बात बहुत सावधानीके साथ सूक्ष्मतापूर्वक और निश्चित रूपसे कहना जरूरी है। मैं मानता हूँ कि सारी दुनिया या मुसलमानोंसे गायकी रक्षा करना हिन्दू-धर्मका अंग नहीं है। अगर कोई हिन्दू ऐसी कोई कोशिश करता है तो वह दूसरोंपर जबरदस्ती अपना विचार लादनेका दोषी माना जायेगा। उसका कर्त्तव्य तो सिर्फ यह है कि वह अच्छी तरह प्रेमपूर्वक गायकी देख-भाल करे। प्रसंगवश मैं कह दूँ कि ईस कर्त्तव्यका पालन वह बिलकुल नहीं करता। हिन्दू लोग जिस तरीकेसे सारी दुनियाको गो-रक्षाके लिए राजी कर सकते हैं वह तरीका सिर्फ यही है। गो-रक्षा और उसमें जो-कुछ समाया हुआ है उसे वे अपने आचरणमें उतारकर दुनियाको दिखायें। लेकिन, यह तो हर व्यक्तिका और इसलिए हर हिन्दूका कर्त्तव्य है कि वह अपनी माँ, बहन, पत्नी या बेटी, बल्कि जो भी एकमात्र या विशेष रूपसे उसीके संरक्षणमें हो ऐसे हर किसीकी, अपने प्राणोंकी बलि देकर भी रक्षा करे। मेरा धर्म तो मुझे सिखाता है कि मैं दूसरोंकी रक्षाके लिए किसीकी हत्या करनेका प्रयत्न किये बिना अपना जीवन बलिदान कर दूँ। लेकिन, साथ ही मेरा धर्म मुझे यह कहनेकी भी प्रेरणा देता है कि जहाँ अपने संरक्षितकी उपेक्षा करके भाग खड़े होने और जो बलात्कार

Gandhi Heritage Portal

करना चाहता हो तो उसकी हत्या करने, इन दो स्थितियोंके बीच चुनाव करना हो वहाँ कर्त्तव्य-स्थल छोड़कर भाग खड़ा होना नहीं बल्कि इस स्थलपर डटे रहकर मारना और मिटना ही कर्त्तव्य है। ऐसा भी हुआ है कि बहुत ही लम्बे-तगड़े लोगोंने मेरे पास आकर बड़े सहज-भावसे कह डाला है कि उन्होंने लम्पट मुसलमानोंके हाथों हिन्दू बहनोंका सतीत्व लुटते अपनी आखों देखा। मैं क्या बताऊँ कि उस समय मुझे कितनी ग्लानि हुई है। बहादुरोंके समाजमें यह बात लगभग असम्भव है कि किसीके देखते हुए किसी नारीका सतीत्व लुटे और वह ऐसी कलंक-कथाकी साक्षी भरनेको जीवित रह जाये। ऐसे अपराधकी खबर देनेके लिए एक भी व्यक्तिको जीवित नहीं रहना चाहिए। एक सीधे-सादे पुजारीने, जो अहिंसाका धर्म नहीं समझता था, बड़े उल्लासके साथ मुझे बताया कि एक बार जब मूर्तियोंको तोड़नेके इरादेसे कुछ लोगोंकी भीड़ मन्दिरमें घुस आई तो वह बड़ी होशियारीसे अन्यत्र छिप गया। ऐसे आदमीको मैं पुजारी होनेके लायक नहीं मानता। उसे तो अपने कर्त्तव्य-स्थलपर मर मिटना चाहिए था। इस तरह उसने मूर्तिको अपने रक्तसे सींचकर पवित्र बना दिया होता। यदि उसमें इतना साहस नहीं था कि वह ईश्वरसे उन आक्रामकोंके प्रति दया करनेकी प्रार्थना करते हुए स्वयं बलिदान हो जाता तो उनकी हत्या करना भी उसके लिए उचित होता। लेकिन, अपने क्षण-भंगुर शरीरकी रक्षा करनेके लिए इस तरह छिप जाना पुरुषोचित नहीं था। सच तो यह है कि कायरता स्वयं प्रच्छन्न हिंसा है, और चूंकि यह प्रच्छन्न है, इसलिए बहुत खतरनाक है और इसीलिए इसका निवारण भी वास्तविक हिंसासे कहीं अधिक कठिन है। कायर अपनी जानको कभी खतरेमें नहीं डालता। जो हत्या करनेको तैयार रहता है, वह अकसर अपनी जानपर खतरा भी लेता है। अहिंसक व्यक्तिका जीवन तो बराबर जो उसे लेना चाहे, उसीके हाथमें रहता है। कारण, वह जानता है कि शरीरके अन्दर जो आत्मा है, वह अनश्वर है। आत्माका निवास-रूप शरीर तो सतत नाशवान है। इसलिए जो व्यक्ति जीवनको परमार्थमें जितना ही लगाता है, वह उसकी उतनी ही रक्षा करता है। इस प्रकार अहिंसाके लिए युद्धके मैदानमें डटे हुए सिपाहीसे अधिक साहसकी आवश्यकता है। 'गीता' के अनुसार योद्धा वह है जो खतरेसे सामना पड़नेपर पीठ दिखाना नहीं जानता।

फिर अपरिवर्तनवादी

अपरिवर्तनवादियोंके करुण पत्र अब भी मेरे पास आ रहे हैं। पत्र-लेखकोंने स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है कि वे मानते हैं, मैंने असहयोगको बेच डाला है, लेकिन मेरे प्रति प्रेम-भावके कारण वे मेरे विरुद्ध विद्रोह नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि जो अपरिवर्तन-वादी स्वराज्यवादियोंके साथ मेरे समझौता करलेनेके खिलाफ खुलेआम लिख रहे हैं वे भी बहुत संयमसे काम ले रहे हैं। मेरे साथ जो इतना ज्यादा लिहाज बरता जा रहा है, उसके लिए मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। लेकिन जहाँ इस बातसे मुझे खुशी होती है, वहाँ परेशानी भी होती है। मैं उन्हें आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि यदि वे मुझे गलती-पर समझकर मेरा विरोध करेंगे तो मैं उसका किसी भी तरह बुरा नहीं मानूंगा। मेरे प्रति स्नेह-भावके कारण या मेरी गत सेवाओंकी वजहसे उन्हें मेरा विरोध करनेमें

Gandhi Heritage Portal

किसी प्रकारका संकोच नहीं करना चाहिए। उनका विरोध, उनसे जितना बने उतना नम्र, शिष्ट और अहिंसामय तो हो किन्तु साथ ही उसमें दृढ़ताकी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। दरअसल असहयोग जिस प्रकार मेरे लिए आचरणका एक सिद्धान्त है उसी प्रकार उनके लिए भी है। मैंने बार-बार कहा है कि यदि यह एक खरा सिद्धान्त है तो अपने प्रियसे-प्रिय कुटुम्बियों और मित्रोंके साथ भी इसका प्रयोग सम्भव होना चाहिए। मैंने यह बात भी एकाधिक अवसरोंपर कही है कि इस सिद्धान्तकी खोज मैंने पारिवारिक जीवनके सूक्ष्म अवलोकनके आधारपर और उस जीवनको अपनी समझके अनुसार ठीक-ठीक व्यवस्थित करते हुए की है। इसलिए जिन अपरिवर्तनवादियोंका विश्वास हो कि मैं गलतीपर हूँ, वे मेरे साथ असहयोग करके मेरा भला ही करेंगे। लेकिन, यदि उनके मनमें अपने इस निष्कर्षमें कोई सन्देह हो तो मैं कहूँगा कि उस सन्देहका लाभ मुझे मिलना चाहिए। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, मैं अब उन्हें और अधिक नहीं समझाऊँगा। एक अंग्रेज भाईके अनुसार, यदि मैं उन्हें और अधिक समझाता हूँ तो उसका मतलब अनुचित प्रभाव डालनेकी कोशिश करना होगा। समझौतेके पक्षमें मुझे जो-कुछ कहना था, वह कह चुका हूँ। मैं जल्दबाजीमें और पूरा सोचे-विचारे बिना कोई काम नहीं करता, इसलिए मैं अपना कदम जल्दी वापस भी नहीं लेता। लेकिन, अपरिवर्तनवादियोंको इस बातका भरोसा तो होगा ही कि जिस क्षण मुझे लगेगा कि मैंने 'इस ध्येयको' सचमुच 'बेच डाला' है, उसी क्षण मैं अपना कदम वापस ले लूँगा और अपनी भूलका पूरा परिमार्जन करनेकी कोशिश करूँगा। लेकिन, तबतक वे यह तो नहीं ही चाहेंगे कि मैं अपने विश्वासोंके विरुद्ध कोई काम करूँ।

सबको आना चाहिए

लेकिन, जहाँ मैं अपरिवर्तनवादियोंको और अधिक समझाना नहीं चाहता, वहाँ यह अवश्य चाहता हूँ कि वे मुझे अपनी बात समझाते रहें। मुझे ऐसे बहुत-से प्रसंग याद हैं, जब मैं गलतीपर रहा हूँ और मित्रोंने मुझे बार-बार समझाकर सही रास्ते-पर ला दिया है। उनके मनमें अभी जो शंकाएँ शेष रह गई हों, उनके उत्तर भी मैं सहर्ष देना चाहूँगा। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो अपरिवर्तनवादी कांग्रेसमें आ सकते हों वे सबके-सब अवश्य आयें। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि सभी परिवर्तनवादी प्रतिनिधि भी कांग्रेस अधिवेशनमें शामिल हों। मैं समझौतेपर सिर्फ उनकी तटस्थ सम्मति ही नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ कि इस संयुक्त कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेमें वे सक्रिय रूपसे और उत्साहपूर्वक सहयोग करें। मैं उनका मार्ग-दर्शन चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो चीज उन्हें अच्छी न लगे उसकी वे आलोचना करें। इसके अतिरिक्त यद्यपि मैं यह नहीं चाहता कि समझौतेसे सम्बन्धित बातोंपर कांग्रेसमें मत-विभाजन हो, फिर भी कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न भी सामने आ सकते हैं, जिनपर मत-विभाजन अवश्यंभावी हो जाये। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अधिवेशनमें सभी प्रतिनिधि शामिल हों। जो प्रतिनिधि वार्षिक अधिवेशनमें शामिल होकर अपने निर्वाचकोंका प्रतिनिधित्व नहीं करता उसका प्रतिनिधि नियुक्त किया जाना बेकार है। इस वर्ष तो हर प्रतिनिधिके लिए विशेष रूपसे जरूरी है कि वह अधिवेशनमें शामिल हो।

Gandhi Heritage Portal

सदस्यताकी शर्तमें क्रान्तिकारी परिवर्तन करनेकी कोशिश हो रही है। यदि कांग्रेसने उसे स्वीकार कर लिया तो उसको कार्य रूप देनेके लिए नियम भी बनाने पड़ेंगे। कुछ और भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन मैं विषय समितिके विचारार्थ पेश करना चाहता हूँ। कुछ नये सम्मेलन भी इसके साथ हो रहे हैं — जैसे नेशनल होमरूल कान्फ्रेंस और अब्राह्मण कान्फ्रेंस। इसलिए हर दृष्टिसे यह जरूरी है कि अधिवेशनमें सभी प्रतिनिधि शामिल हों और महत्त्वपूर्ण परिवर्तनोंके शुभारम्भमें योग-दान करें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १८-१२-१९२४

३६७. कोहाटका दुष्काण्ड

कोहाटके दुष्काण्डपर भारत सरकारने परदा डाल दिया है। उसने तो पण्डित मालवीयजीको वाइसराय द्वारा दिये गये उत्तरमें ही जनताको इस बातका आभास दे दिया था कि वह कोई वैसा ही फतवा देनेवाली है जैसा कि आज देशके सामने है। यह सरकारी निर्णय जिस प्रकार एक राष्ट्रके रूपमें हमारी निर्वीर्यताका प्रमाण है, उसी प्रकार इस बातका भी सबूत है कि सरकारकी मनमानीको चुनौती देनेवाला कोई नहीं है और उसे जनमतकी तनिक भी परवाह नहीं है। मेरे लेखे तो कोहाट-दुष्काण्डका जितना बड़ा कारण वहाँके प्रशासकोंकी अयोग्यता और अक्षमता है उतना बड़ा कारण हिन्दू-मुस्लिम तनाव नहीं है। यदि उन्होंने जान-मालकी हिफाजतका अपना बुनियादी फर्ज अदा किया होता तो जो ध्वंस-लीला दिन-दहाड़े शुरू हुई और चलती रही, उसे आसानीसे रोका जा सकता था। लेकिन, अधिकारीगण नीरोकी तरह सब-कुछ देखते रहे; मोद मनाते रहे और उधर 'रोम' जलता रहा। वे ऐसा नहीं कह सकते कि वे असहाय थे। उनके पास इस आगका शमन करनेके लिए पर्याप्त साधन थे। अगर वे चुप बैठे हैं तो अपने ही अपराधपूर्ण, उपेक्षा-भाव और निष्ठुरताके कारण चुप बैठे हैं; उनके कर्त्तव्य-पालनके रास्तेमें दूसरी कोई बाधा थी ही नहीं।

अब भारत सरकार भी उनके अपराधकी सहभागी बन गई है; उसने स्थानीय अधिकारियोंकी करनीपर लीपापोती कर दी है, बल्कि उनकी उपेक्षाको या उपेक्षासे भी बदतर आचरणको "धैर्य और साहस" करार दिया है।

अपेक्षा तो यही की जा सकती थी कि इस मामलेकी पूरी, खुली और स्वतंत्र जाँच कराई जायेगी। लेकिन विभागीय जाँचके अलावा और कुछ नहीं किया गया और जाँच करनेवालोंमें जनताका कोई भी प्रतिनिधि नहीं रखा गया। इस जाँचके निष्कर्षोंपर जनताको तनिक भी विश्वास नहीं हो सकता। मैं और मेरे मुसलमान सहयोगियोंने राय बहादुर सरदार माखनसिंहसे लेकर मामूलीसे मामूली शरणार्थियों तकसे बातचीत की। सबने यह तो स्वीकार किया कि लाला जीवनदासने एक पर्चा प्रकाशित किया था जिसमें बहुत ही अपमानजनक पद्य छपे हुए थे, किन्तु साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हिन्दुओंने उसके प्रकाशनके लिए काफी प्रायश्चित्त किया और

Gandhi Heritage Portal

जब मुसलमानोंने ध्वंस-लीला शुरू कर दी तब ही हिन्दुओंने आत्मरक्षामें गोलियाँ चलाईं। कोहाटके मुसलमानोंकी ओरसे यह कहा गया कि पर्चेके सम्बन्धमें हिन्दुओंने अपनी भूलका पर्याप्त परिमार्जन नहीं किया और हिन्दुओं द्वारा गोलियाँ चलाने और मुसलमानोंकी जान लेनेके बाद ही मुसलमानोंने ध्वंसात्मक कार्रवाई और गोलियाँ चलाना शुरू किया। चूँकि कोई कोहाटी मुसलमान रावलपिंडी नहीं आया था, इसलिए दुर्भाग्यवश हमें इस सम्बन्धमें सत्यका पता नहीं चल पाया। अतः, यह कहना कठिन है कि सरकारने जिस तरह दोनों सम्प्रदायोंके लोगोंके बीच दोषका बँटवारा किया है वह गलत है। लेकिन जाँचके निष्कर्षको कोई निष्पक्ष या स्वीकार्य निर्णय नहीं माना जा सकता। कोहाटके हिन्दुओंसे इस निष्कर्षको स्वीकार करने या इसके सामने सिर झुका देनेकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। और न कोहाटके मुसलमानोंको ही सिर्फ इस कारणसे कि यह निष्कर्ष उनके पक्षमें जान पड़ता है, इससे सन्तोष मिल सकता है। कारण, मुसलमान यदि सिर्फ इसलिए भारत सरकारके इस निष्कर्षपर हर्ष प्रकट करते हैं कि अभी इससे मुसलमानोंकी बातका समर्थन होता दीखता है तो यह गलत होगा। इस मामलेमें तो कोई भी निष्कर्ष संतोषजनक तभी माना जा सकता है जब वह ऐसे हिन्दुओं और मुसलमानों द्वारा निकाला गया संयुक्त निष्कर्ष हो जिनकी निष्पक्षतामें सन्देहकी तनिक भी गुंजाइश न हो। इसलिए भारत-सरकारका यह फतवा दोनों जातियोंके लिए चुनौती है। इसमें हिन्दू शरणार्थियोंसे अपमानजनक परिस्थितियोंमें रहनेका मूल्य चुकाकर कोहाट लौट जानेको कहा गया है और मुसलमानोंको अपने हिन्दू भाइयोंका अपमान करनेके लिए बढ़ावा दिया गया है। आशा है, हिन्दू कोहाटमें अपमान सहकर अमीरीकी जिन्दगी बितानेके बजाय कोहाटसे बाहर सम्मानके साथ फकीरीकी जिन्दगी बिताना ज्यादा पसन्द करेंगे। मुझे आशा है कि मुसलमान भाई भी सरकार द्वारा दिये गये प्रलोभनको ठुकरा देनेकी मर्दानगी दिखायेंगे और अपने हिन्दू भाइयोंको, जिनकी संख्या कोहाटमें बहुत ही कम है, अपमानित करनेमें शरीक नहीं होंगे। प्रारम्भमें चाहे जिसने भी गलती की हो, जिसने भी उत्तेजनका कारण प्रस्तुत किया हो, इस तथ्यको कोई झुठला नहीं सकता कि हिन्दुओंको लगभग जबरदस्ती कोहाटसे निकाल बाहर किया गया। इसलिए यह काम अब मुसलमानोंका है कि वे रावलपिंडी जायें और हिन्दुओंको मैत्री तथा जान-मालकी सुरक्षाका आश्वासन दिलाकर उन्हें कोहाट वापस ले आयें। और कोहाटसे बाहरके हिन्दुओंको भी ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे मुसलमान लोग ऐसा रवैया अपना सकें। कोहाटसे बाहरके मुसलमानोंको कोहाटी मुसलमानोंसे अल्पसंख्यक हिन्दुओंके प्रति अपने बुनियादी कर्त्तव्यको स्वीकार करनेका आग्रह करना चाहिए। हिन्दुओं और मुसलमानोंके बीच एकता स्थापित करनेके प्रयासकी सफलता बहुत हदतक इस कठिन समस्याके समुचित और सम्मानजनक समाधानपर ही निर्भर है।

हम सहयोगी और असहयोगी सभी लोग एक-दूसरेसे अपना बचाव करनेके मामलोंमें जितनी जल्दी सरकारपर भरोसा करना छोड़ देंगे, हमारे हकमें उतना ही अच्छा होगा तथा इस समस्याका समाधान उतनी ही जल्दी निकल आयेगा और

Gandhi Heritage Portal

वह समाधान उतना ही अधिक स्थायी भी होगा। इस दृष्टिसे देखें तो कोहाटके अधिकारियोंकी उपेक्षाको हम इष्ट भी मान सकते हैं। यदि हिन्दुओंने अधिकारियोंसे सुरक्षाकी माँग न की होती और बिना कोई बचाव किये अपने-अपने घरोंमें वे जमे रहते या अगर उन्होंने यही किया होता कि हथियार उठाकर अपनी तथा अपनी सम्पत्ति और आश्रितोंकी रक्षा करते हुए वे मर मिटते तो इतिहास कुछ और ही ढंगसे लिखा जाता। मुझे खुशी होगी, अगर सरकार कोई ऐसी घोषणा कर दे कि साम्प्रदायिक झगड़ोंमें कोई भी उससे सुरक्षाकी अपेक्षा न करे। अगर दोनों पक्ष अपनी-अपनी स्वाधीनतापर दूसरेकी ओरसे होनेवाले हमलेके खिलाफ अपनी रक्षा आप ही करना सीख लें तो समझ लीजिए हम स्वराज्यके मार्गपर आरूढ़ हैं। यह चीज आत्म-रक्षा और आत्म-सम्मानकी या दूसरे शब्दोंमें कहें तो स्वराज्यकी बहुत अच्छी तालीम होगी। बचावके दो तरीके हैं। सबसे अच्छा और कारगर तरीका तो यह है कि हम कोई बचाव करें ही नहीं, बल्कि तमाम खतरोंका सामना करते हुए अपने स्थानपर डटे रहें। इससे जरा कम अच्छा, लेकिन इतना ही सम्मानपूर्ण तरीका यह है कि अपने बचावके लिए बहादुरीके साथ प्रतिपक्षीपर वार करें और अपनेको ज्यादासे-ज्यादा खतरनाक स्थितियोंमें डालें। दोनोंके बीच दो चार-बार जमकर मुठ-भेड़ हुई नहीं कि वे समझ जायेंगे कि इस तरह एक-दूसरेका सिर फोड़नेसे कोई फायदा होनेवाला नहीं है। उन्हें इस बातका ज्ञान हो जायेगा कि इस तरह लड़ना ईश्वरकी नहीं, बल्कि शैतानकी सेवा करना है।

अन्तमें, मैं रावलपिंडीमें शरणार्थियोंको दिया गया अपना वचन फिरसे दोहराता हूँ। जबतक उन्हें कोहाटके मुसलमानोंकी ओरसे हार्दिक निमन्त्रण न मिले तबतक यदि वे लौटकर वहाँ नहीं जायेंगे तो जो काम मैंने पहलेसे ही हाथमें ले रखे हैं, उनके पूरा होते ही मैं मौलाना शौकत अलीके साथ रावलपिंडी आकर दोनों सम्प्रदायोंके लोगोंके बीच सौहार्द स्थापित करनेकी कोशिश करूँगा और यदि इसमें असफल रहा तो उन्हें जीवन यापनके उचित धन्धे ढूँढ़नेमें सहायता दूंगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १८-१२-१९२४

Gandhi Heritage Portal

३६८. देशभक्तिके आवेशमें पागलपन

यदि यह समाचार सच है कि मुलशीपेटाके कुछ 'सत्याग्रहियों' ने टाटाके कारखानेपर काम करनेके लिए मजदूरोंको ले जा रही एक रेलगाड़ीको तोड़-फोड़कर नाकाम कर दिया है, इंजिनके ड्राइवरको चोट पहुँचाई है और गरीब मजदूरोंको, जिनमें औरतें भी शामिल थीं, अन्धाधुंध मारा है तो उनके इस जुर्मकी जितनी निन्दा की जाये थोड़ी ही है। कहते हैं, कानून और व्यवस्थाका भंग करानेवाले और शिष्टताके नियमोंको तोड़नेवाले इन अपराधियोंने टाटाके विरुद्ध लड़ाईकी घोषणा कर दी है और उनका कहना है कि इस तरह मजदूरोंको कामपर जानेसे रोककर वे टाटाके कारखानेका बनना रोक देनेकी आशा करते हैं। यह तो अच्छे समझे जानेवाले उद्देश्यको पूरा करनेके लिए आतंकका तरीका अपनाना है। चाहे अच्छे उद्देश्यके लिए हो या बुरे उद्देश्यके लिए, सभी प्रकारकी आतंक-नीति बुरी ही है। सच तो यह है कि जो कोई जिस उद्देश्यको लेकर चलता है, उसकी समझमें वह उद्देश्य अच्छा ही होता है। जनरल डायरने जलियाँवाला बागका काण्ड एक ऐसे ही हेतुके लिए किया, जिसे वे निस्सन्देह अच्छा समझते थे (और हजारों अंग्रेज स्त्री-पुरुषोंके खयालसे भी यह हेतु अच्छा ही था)। उन्होंने सोचा कि केवल उसी एक कामको करके उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य और अंग्रेजोंकी जानें बचाई हैं। यह सही है कि यह सब उनके मनकी कल्पना-मात्र थी, किन्तु इसी कारण हम उनके विश्वासकी गहराईको तो कम नहीं आँक सकते। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रीडिंग हृदयसे विश्वास करते हैं कि बंगालका स्वराज्यवादी दल हिंसाकी प्रवृत्तिसे ओतप्रोत है। परन्तु उनका हेतु अच्छा होनेके कारण उनकी आंतक-नीतिको उचित नहीं माना जा सकता। जिस उद्देश्यको मुलशीपेटाके सिरफिरे 'सत्याग्रही' अच्छा और न्याययुक्त मानते हैं, उसीको टाटावाले और उनके समर्थक सचमुच ही दुष्टतापूर्ण मानते हैं। वे हृदयसे विश्वास करते हैं कि उनकी योजनासे चारों ओरके गाँवोंको लाभ पहुँचेगा। उनका कहना है कि जिन लोगोंका जो-कुछ लिया गया है उन्हें उसका पूरा मुआवजा दे दिया गया है। सबने खुशीसे अपनी जमीन छोड़ी है और यह योजना बम्बईके लिए एक वरदान साबित होगी और इसलिए जो इस योजनाको विफल करना चाहते हैं, वे प्रगतिके विरोधी हैं। उनको अपना यह मत रखनेका उतना ही अधिकार है जितना मुझे यह विश्वास रखनेका अधिकार है कि इस योजनासे पड़ौसके लोगोंको कोई लाभ नहीं पहुँचेगा, यह वहाँकी प्राकृतिक शोभाका नाश कर देगी। गरीब गाँववालोंको कोई समझ नहीं थी और इसलिए यह कहना कि उन्होंने राजी-खुशीसे अपनी जमीन छोड़ी है, अनुचित है। उस स्थानको छोड़नेकी एवजमें जिससे उनका भावनात्मक सम्बन्ध है, कोई मुआवजा पूरा नहीं कहा जा सकता है। और यह कहना कि यह बम्बई प्रान्तके लिए एक वरदान होगा, विवादका विषय है। लेकिन अगर मैं यह माननेकी गुस्ताखी करूँ कि सही तो केवल मैं ही हूँ तो

Gandhi Heritage Portal

इसका मतलब अपनेको ईश्वरके आसनपर बैठानेकी धृष्टता करना ही होगा और चूंकि क्या सही है, यह तय करनेके लिए हमारे पास कोई सर्वथा पूर्ण और सर्वमान्य माप-दण्ड नहीं है, इसलिए आतंक नीतिको हर हालतमें गलत ही कहना होगा। दूसरे शब्दोंमें शुद्ध हेतुके कारण कोई अशुद्ध या हिंसात्मक कार्य उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं अपराधियोंको खुशी-खुशी अपने-आपको अधिकारियोंके हवाले कर देनेपर भी बधाई नहीं दे सकता। इससे दोषका निवारण नहीं हो सकता। हो सकता है कि वह महज शेखीमें की गई बहादुरी हो। अभी हालमें खिड़कीमें एक व्यक्तिने एक महिलाकी हत्या करके आत्मसमर्पण कर दिया। किन्तु यह आत्मसमर्पण उसे फाँसीके तख्तेसे नहीं बचा पाया। उन निर्दोष स्त्रियोंको, जो ईमानदारीसे अपनी रोजी कमाती थीं, मारना-पीटना एक अक्षम्य अपराध था। अपने-आपको मुलशीपेटाके निवासियोंका हितैषी समझनेवाले इन व्यक्तियोंको पूरा अधिकार था कि वे यदि चाहते थे तो मजदूरोंके पास जाते और उन्हें समझा-बुझाकर टाटाका काम करनेसे रोक देते। परन्तु उन्हें कानूनको अपने हाथमें लेनेका कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने आतंकका गलत तरीका अपनाकर एक अच्छे उद्देश्यको हानि पहुँचाई है और जनताकी जो-कुछ सहानुभूति उनके साथ थी, उससे वे हाथ धो बैठे हैं। सुधारकोंकी ओरसे आतंक-नीतिका उपयोग भी वैसा ही अनुचित हो सकता है जैसा कि सरकारकी ओरसे, बल्कि कहीं-कहीं तो उससे भी बढ़कर; क्योंकि इसके साथ तो एक हदतक झूठी सहानुभूति पैदा हो जाती है। मैंने एक महिलाको विप्लववादियोंके आत्म-बलिदानपर बड़ा ओजस्वी भाषण देते सुना और देखा कि श्रोताओंके हृदयपर उसका काफी प्रभाव भी पड़ रहा था। लेकिन थोड़ा विचार करनेपर यह स्पष्ट हो जायेगा कि स्वार्थ-त्यागके कारण किसी अपराधको जायज नहीं माना जा सकता। किसी बुरे या अनैतिक उद्देश्यका समर्थन आत्म-बलिदानके जरिये भी नहीं किया जा सकता। यदि कोई पिता अपने बच्चेको इस कारण आगसे खेलनेकी अनुमति दे देता है कि वह यह अनुमति पानेकें लिए भूख-हड़ताल कर रहा है तो वह एक कमजोर पिता माना जायेगा। अभी पिछले दिनों ही कुछ नवयुवकोंने कलकत्तेके पास एक निर्दोष टैक्सी ड्राइवरको करीब-करीब मार ही डाला था; किन्तु सिर्फ इस कारणसे कि वे देश-हितके लिए धन पानेके उद्देश्यसे ड्राइवरको लूट रहे थे और इस प्रयत्नमें वे अपनी जान भी खतरेमें डाल रहे थे, वे सहानुभूतिके पात्र नहीं हो सकते। जो लोग भुलावेमें आकर ऐसे दिग्भ्रमित युवकोंके साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं वे दरअसल देशका अहित करते हैं और इन युवकोंका भी कोई कल्याण नहीं करते।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १८-१२-१९२४

Gandhi Heritage Portal

३६९. पत्र : सी० एफ० एन्ड्रयूजको

१८ दिसम्बर, १९२४

परमप्रिय चार्ली,

हाँ, तुम्हारे सब तार मिल गये थे। मैं तुमसे सहमत हूँ कि तुमको आरामकी जरूरत है — मुझसे भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं तुम्हें 'यंग इंडिया' की हर चिन्तासे बिलकुल मुक्त कर देता हूँ। तभी लिखो जब लिखनेकी सहज प्रेरणाका अनुभव हो। मुझे तुमको मिस्र और बर्माके बारेमें परेशान करना उचित नहीं था। मेरे अभिभाषणने एक अजीब मोड़ ले लिया है। कई विषयोंको मैंने, उनका अत्यन्त संक्षेपमें उल्लेख करके, समाप्त कर दिया। तुम उसे फुर्सतके समय सावधानीसे पढ़ना और अगर तुम्हारा मन हो तो उसकी आलोचना भी करना। तुम्हें शान्तिनिकेतनमें रहनेवाले यूरोपीयोंको गर्मियोंमें पर्वतीय जलवायुमें ले जाना चाहिए और उन्हें खाना हमेशा यूरोपीय ढंगसे बनवाकर देना चाहिए।

सप्रेम,

तुम्हारा,
मोहन

अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २६१८) की फोटो-नकलसे।

३७०. पत्र : वि० ल० फड़केको

बृहस्पतिवार [१८ दिसम्बर, १९२४][1]

भाई मामा,

आपका पत्र मिला। बुधवारको ३१ तारीख है। मेरा विचार है कि मैं उस दिन रवाना होकर शुक्रवारको सवेरे एक्सप्रेससे दाहोद पहुँचूँ और शनिवारको गोधरा और गोधरासे उसी दिन अथवा रविवारको जो भी पहली गाड़ी मिले उससे साबरमती पहुँच जाऊँ। इस तरह ५, ६ और ७ तारीखोंको मैं आश्रम रह सकूँगा। उसके बाद फिर अपनी यात्रा शुरू कर दूँगा। इसलिए आप सोमवारका लालच छोड़ दें। इस कार्यक्रममें यदि कुछ परिवर्तन करना पड़ा तो आपको सूचित करूँगा।

बापू

गुजराती पत्र (जी० एन० ३८१०) से।

१. अनुमानतः गांधीजीने यह पत्र बृहस्पतिवार १८ दिसम्बर, १९२४को साबरमतीसे बेलगाँवके लिए रवाना होनेसे पहले लिखा था। वे ३१ तारीखको बम्बईमें थे और २ तारीखको दाहोद और गोधरा गये थे। श्री फड़के गोधरामें अन्त्यजोंके लिये एक आश्रम चलाते थे।

Gandhi Heritage Portal

३७१. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

बृहस्पतिवार, मार्गशीर्ष बदी ७ [१८ दिसम्बर, १९२४][१]

सुज्ञ भाईश्री,

आपका पत्र मिला। लगता है कि मेरे पत्रमें 'न' शब्द छूट गया था। मेरा कहनेका अभिप्राय तो यह था कि अब [यदि परिषद्] सोनगढ़में न हुई तो यह ठीक न लगेगा। मेरे ऐसा लिखनेका कारण यह था कि एक बार निश्चय कर लेनेके बाद व्यवस्थापकगण केवल सुविधाके लिए उसमें परिवर्तन न करें। यह तो हुआ मेरा निजी विचार। करना क्या है, सो तो आप और परिषद्वाले ही जानें।

मैंने नगरनिगमके अध्यक्षको पत्र लिख दिया है। आपके द्वारा पेश की गई कुछ दलीलें तुरन्त ही गले उतर जायें, ऐसी हैं।

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१८६) से।
सौजन्य : महेश पट्टणी

३७२. असहयोगी विद्यार्थी

मैं अकसर सुना करता हूँ कि मेरी कही हुई कुछ बातोंसे असहयोगी विद्यार्थियोंमें खलबली मची हुई है। कुछ विद्यार्थी तो मुझे पत्रोंके जरिये शब्द-बाण भी मार रहे हैं।

मुझे विद्यार्थियोंके किये हुए त्यागपर अभिमान है। मैं जानता हूँ कि विद्यार्थियोंने देशकी सेवा की है। मगर विद्यार्थियोंने बहुत-कुछ किया है तो उससे करोड़ों गुना ज्यादा करना अभी उनके लिए शेष है। त्यागकी हद नहीं होती। जो ऐसा कहे कि इतना त्याग बहुत है, उसके बारेमें तो यही कहना होगा कि उसे घमण्ड हो गया है और इसलिए उसका त्याग बेकार गया। स्वराज्य पूरे त्यागके बाद आयेगा। यही हमारी कसौटी है। जबतक स्वराज्य नहीं मिलता, तबतक त्याग अधूरा ही है।

फिर, जो त्याग दुःख देता है, वह त्याग त्याग नहीं है। जिस त्यागसे मनुष्यका दिल हलका होता है, शान्त होता है, आनन्दित होता है, वही सच्चा त्याग है। बुद्धके लिए भोग-विलास दुःखदायी बन गया, इसलिए उन्होंने उसका त्याग कर दिया। त्याग ही उनके लिए आनन्दका विषय बन गया, इसलिए वे त्यागके मार्गपर दृढ़ रहे।

१. यह पत्र प्रभाशंकर पट्टणी द्वारा १७-१२-१९२४ को लिखे पत्रके उत्तरमें भेजा गया था। इस पत्रमें "न" शब्दके छूट जानेकी जिस चूकका उल्लेख है, गांधीजीने वह पत्र १४-१२-१९२४ को लिखा था।

Gandhi Heritage Portal

सरकारी स्कूलोंका त्याग तभी सच्चा है, जब अन्तमें विद्यार्थीको ऐसा लगे कि "हाँ, अब मुझे छुटकारा मिला।" सोनेके पिंजरेमें रहनेवाले तोतेको साँप आदिका कोई खतरा नहीं होता। उसे अपनी खुराक भी नियमित रूपसे मिलती रहती है। इतने-पर भी मालिक पिंजरेका दरवाजा खोल दे तो वह वहाँसे उड़ जायेगा और किसी पेड़की डालीपर बैठकर वहाँ झूलनेमें ही सुख मानेगा। वह जानता है कि अपनी इस आजादीके साथ उसे अब खाना तलाश करनेकी चिन्ता करनी पड़ेगी और अब उसे साँप और बड़े पक्षियोंका डर भी रहेगा। मगर वह इसकी परवाह नहीं करता। सोनेके पिंजरेके साथ और इसके मालिकके साथ, तोतेका यह असहयोग हमेशा निभेगा, क्योंकि तोतेने त्यागको -- असहयोगको -- सुख माना है। मालिकका प्रेम उसे स्वार्थमय मालूम होता था। मालिकके यहाँ मिलनेवाली सुविधा उसके लिए असुविधाके समान थी। तोता समझता था कि आजादीकी कोई कीमत नहीं हो सकती। रत्न-जटित पिंजरा भी आखिर है तो पिंजरा ही; तोतेका ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया था, इसी-लिए पिंजरा खुलते ही वह उड़ गया।

जिन विद्यार्थियोंने सरकारी स्कूलोंको मोह-जाल समझकर छोड़ा होगा, उन्हें वे सोनेके लगें तो भी वे वहाँ वापस नहीं जायेंगे -- फिर भले ही उनके लिए स्वतन्त्र विद्यालय हों या न हों। ऐसे त्यागी विद्यार्थियोंको ही सरकारी स्कूलोंसे बाहर रहनेका अधिकार है। असहयोग मुल्तवी रहनेका अर्थ यह है कि असहयोगकी कीमत जिनकी समझमें अभीतक न आई हो, उन्हें असहयोगको छोड़नेकी सहूलियत मिले और अगर वे असहयोग छोड़ दें तो इसे कोई अकीर्तिकर न माने, न कोई उसकी निन्दा करे। जो त्याग हमें असह्य लगे, भूल-भरा लगे, उस त्यागसे हमें फायदा नहीं होता। ऐसे त्यागियोंपर से कांग्रेसका नियंत्रण हट जायेगा और वे निस्संकोच वापस सरकारी स्कूलोंमें जा सकेंगे।

मगर जिन्हें सरकारी स्कूल कैदखाने-जैसे लगें, वे तो जबतक स्वराज्य नहीं मिले, तबतक -- मृत्युपर्यन्त भी -- अपना त्याग निभायेंगे। इस तरह विद्यार्थियोंके लिए और दूसरे असहयोगियोंके लिए भी सवाल तो जो पहले था, वही आज भी है। अब फर्क सिर्फ इतना ही है कि जिनके लिए कांग्रेसके प्रस्तावकी ही पाबन्दी थी, वे उससे मुक्त हो जायेंगे। लेकिन जो अपनी आत्माके बन्धनसे बँधे थे और जो आत्माकी आवाजके वश होकर इसमें पड़े थे, उनके लिए पाबन्दी कायम ही है।

इस तरह सरकारी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षाका भेद काल्पनिक है, क्योंकि यहाँ कोई सिद्धान्त-भेद नहीं है। सिद्धान्त-भेद तो झण्डेका है, स्वामित्वका है। मेरे घरमें पकनेवाली रोटी और दूसरेके घरमें बननेवाली रोटी भले ही एक किस्मकी हो, फिर भी दूसरेके घरमें पकनेवाली रोटी दूसरेकी है, इसलिए उसे लेना चोरी है और इसलिए वह त्याज्य है। कैदखानेमें घरके जैसा खाना मिलता हो तो भी कैदखानेका खाना त्याज्य है। इसी तरह जिस विद्यार्थीको सरकारी स्कूल कैदखाने-जैसा न लगे, उसके लिए उसमें वापस चला जाना उचित है। उसकी आलोचना करनेका दूसरोंको अधिकार नहीं है। एकके लिए जो चीज कैद-जैसी हो, वही दूसरेके लिए आजादी-जैसी हो सकती है।

Gandhi Heritage Portal

सच्चा आन्दोलन विचारको बदलनेवाला होता है। आचार विचारके पीछे आता ही है। मगर बिना विचारका आचार विचारशील लोगोंको बोझ-सा लगता है; और विचारशून्य लोगोंके लिए उसमें न कोई नफा है, न नुकसान। विचारशून्य लोग दूसरेकी नकल करते हैं; और आम तौरपर हम विचारशून्य होते हैं। इसीलिए भक्तोंने सत्संगकी महिमाका बखान किया है।

अब जमाना सोच-समझकर असहयोग करनेका ही रह गया है। कांग्रेस वगैरहकी बाहरी पाबन्दियाँ दवाकी पुड़ियाकी तरह थोड़े समयके लिए उपयोगी हो सकती हैं। तीन-चार सालके प्रयोगके बाद आज हम देखते हैं कि बहुत-से विद्वान् लोगोंके मनमें विद्यालयोंके असहयोगके बारेमें संशय है। अगर उन्हींकी राय मानी जाये तो उनका बहुमत सरकारी स्कूलोंके छोड़नेके खिलाफ ही निकलेगा। ऐसे प्रतिकूल वातावरणमें थोड़े ही विद्यार्थी स्वतन्त्र विचार करके अपना असहयोग कायम रख सकते हैं।

ऐसे थोड़े-से विद्यार्थियोंकी मदद करना राष्ट्रीय विद्यालयोंका काम है। मैं कुलपति माना जाता हूँ। इस जगहके लिए मेरी योग्यताका आधार मेरी विद्वत्ता तो किसी तरह नहीं है। मुझमें कुलपतिकी योग्यता हो भी तो उसका कारण असहयोगीके रूपमें मेरी विशेषता ही हो सकती है। इसलिए अगर मैंने पढ़ाईके सिलसिलेमें असहयोगको बल पहुँचानेवाले अंगोंपर ज्यादा जोर दिया है तो वह क्षम्य ही नहीं, स्तुत्य माना जाना चाहिए।

मगर मेरी इस स्थितिका अर्थ यह लगाया गया है कि मैं पढ़ाई-लिखाईका, विद्वत्ताका शत्रु हूँ। सच तो यह है कि बात इससे उलटी है। मैं नहीं चाहता कि राष्ट्रीय विद्यालयोंमें पढ़ाई-लिखाई बन्द करके सिर्फ कातना-पींजना ही सिखाया जाये या कराया जाये। मैं तो चाहता हूँ कि विद्यार्थियोंको पूरा और उचित अक्षर-ज्ञान दिया जाये। मैं चाहता हूँ कि वे पढ़ने-लिखनेमें सरकारी स्कूलोंके विद्यार्थियोंसे होड़ ले सकें।

मगर मुझे सिर्फ अक्षर-ज्ञानसे ही संतोष नहीं। सरकारी स्कूलोंमें केवल नौकरीका, गुमाश्तागिरीका उद्देश्य सामने रखकर हमें सिर्फ पढ़ना-लिखना ही सिखाया जाता है। राष्ट्रीय पाठशालाओंका हेतु स्वराज्य, स्वतन्त्रता, स्वावलम्बन है, इसलिए विद्यार्थियोंको अक्षरज्ञानके साथ-साथ हृदय-बलकी और शारीरिक श्रमकी तालीम भी दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय पाठशालाओंमें स्वराज्यके लिए पोषक बातें होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्कूलोंमें पढ़ाई-लिखाईको साध्य समझनेके बजाय उसे चरित्र-बल बढ़ानेका और स्वराज्यके कार्यका साधन समझना चाहिए। हृदय-बल प्राप्त करनेकी शिक्षा देनेके लिए हृदय-बलवाले शिक्षक चाहिए और चूँकि चरखा स्वराज लेनेका एक जबरदस्त साधन है, इसलिए जिस राष्ट्रीय विद्यालयमें चरखेका सम्मानपूर्ण स्थान न हो, उसे मैं राष्ट्रीय हरगिज नहीं मान सकता। कांग्रेसने अपने प्रस्तावोंमें चरखेको खूब महत्त्व दिया है। यह सच है कि इन प्रस्तावोंको पास करनेवाले उनपर अमल नहीं करते। जो प्रस्ताव कांग्रेसने पास किये हैं, उनपर अगर सदस्योंने ही पूरी तरह अमल किया होता तो आज हम स्वराज्य लेकर शान्तिसे बैठ गये होते या स्वराज्यके द्वारके चमकीले तोरण हम बड़ी आतुरतासे निहारते होते। लेकिन सदस्योंकी सुस्ती और बेवफाई असहयोगी विद्यार्थियोंके-लिए दृष्टान्तरूप नहीं हो सकती। बच्चे बड़ोंसे होड़ करने लगेंगे तो मर जायेंगे।

Gandhi Heritage Portal

तुलसीदासजीने कहा है कि 'समरथको नहिं दोष गुसाईं'। लेकिन हम प्राकृत जन अगर समर्थ बनने चलें तो हमारा नाश हो जाये। जिस राष्ट्रीय विद्यालयमें हिन्दी, उर्दू सिखाना अनिवार्य न हो, वह राष्ट्रके लिए पोषक नहीं है। जो राष्ट्रीय विद्यालय अन्त्यजोंका बहिष्कार करे, उस विद्यालयके बन्द हो जानेमें ही देशका भला है। राष्ट्रीय विद्यालयमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सभी जातियोंके विद्यार्थियोंको सगे भाइयोंकी तरह पढ़ना चाहिए। मेरे खयालसे ये सब बातें राष्ट्रीय विद्यालयके चिह्न हैं। इसमें मुझे शक नहीं कि राष्ट्रीय शिक्षाके लिए जो चीख-पुकार मचाई जा रही है वह बहुत हदतक बिना सोचे-समझे ही मचाई जा रही है। पढ़ाईकी किताबोंमें फेर-बदल, इतिहास आदि पढ़ानेके तरीकोंमें नवीनता लानेकी बातें गौण हैं। उनके लिए बेशुमार पैसा नहीं खर्च किया जा सकता, अलग संस्थाएँ नहीं खोली जा सकतीं। कोशिश करनेसे ऐसे फेर-बदल सरकारी स्कूलोंमें भी कराये जा सकते हैं। ऐसे फेरबदलके अभावमें सरकारी स्कूलोंको छोड़ना शोभा नहीं दे सकता, सम्भव भी नहीं हो सकता। सरकारी स्कूलोंके त्यागके कारणोंपर तो मैं विचार कर ही चुका हूँ। सरकारी पाठशालाओं और राष्ट्रीय पाठशालाओंमें जो फर्क रहना चाहिए, उसपर भी मैं नजर डाल चुका हूँ। इसी फर्कमें व्यवस्थापकोंकी, शिक्षकोंकी और विद्यार्थियोंकी कसौटी है। यह फर्क असहयोगकी बाहरी निशानी है। असहयोगमें इसके अलावा दूसरी बहुत-सी बातें भले ही हों, मगर जिसमें ये चिह्न नहीं, वह असहयोग असहयोग हो ही नहीं सकता।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २१-१२-१९२४

३७३. भाषण : अपरिवर्तनवादियोंके समक्ष[1]

२१ दिसम्बर, १९२४

रविवारको फिर एक सम्मेलन हुआ। उसमें गांधीजी और अपरिवर्तनवादियोंके बीच आगे विचार-विमर्श हुआ। . . . कहा जाता है कि गांधीजीका भाषण अत्यन्त ही मर्मस्पर्शी था। ऐसा लगता था, मानो उन्होंने उसमें अपना समूचा हृदय उँड़ेल दिया हो। . . . उन्होंने कहा; मैं आज भी उतना ही कट्टर अपरिवर्तनवादी हूँ जितना कभी भी था और कौंसिलोंसे मुझे कोई सरोकार नहीं है। कौंसिल-प्रवेशके विकल्पके रूपमें मुझे चरखा, हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता-निवारणसे अधिक सशक्त अन्य कोई भी कार्यक्रम नहीं सूझ पड़ता। मैं ऐसी कई चीजें सोच सकता हूँ जो देशके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन वे स्वराज्य-प्राप्तिके लिए अपरिहार्य नहीं हैं। मैंने इसीलिए कहा है कि चरखेका प्रचार एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसपर

१. यह भाषण बेलगाँवमें दिया गया था।

Gandhi Heritage Portal

बड़े या छोटे, नगरोंके या गाँवोंके -- सभी लोग अकेले या सम्मिलित रूपसे अमल कर सकते हैं। इसलिए चरखा ही मेरे इस वर्षके कार्यक्रमका केन्द्र-बिन्दु है। एक वर्षके अन्दर विदेशी वस्त्रोंका पूर्ण बहिष्कार करनेके लिए चरखेका भारी प्रचार करना जरूरी है और कांग्रेसके लिए कताई सदस्यता स्वीकार करना नितान्त आवश्यक। यह भी जरूरी है कि कताई सदस्यता स्वीकार करनेवाले सभी लोग पूरी निष्ठासे वर्ष-भर चरखेके कार्यक्रमपर अमल करें और यदि कताई सदस्यताको स्वीकार करनेवाले और इसके पक्षमें मत डालनेवाले लोग इसपर वर्ष-भर अमल नहीं करेंगे तो मेरा दिल टूट जायेगा। अन्तमें मैं यही कहूँगा कि यदि चरखेके कार्यक्रमके पक्षमें मत देनेवाले सभी लोग पूरे तौरपर इस कार्यमें जुट जायेंगे तो मुझे पूरी आशा और पूरा विश्वास है कि राष्ट्रको इसे स्वीकार करनेमें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे।

गांधीजीने यहाँ प्रसंगवश सरकारके विरुद्ध संघर्षकी अपनी उस योजनाका भी उल्लेख किया, जिसकी चर्चा उन्होंने पंजाबमें अपने एक भाषणमें पहले की थी। उन्होंने कहा कि उस योजनाको सांगोपांग ठीक-ठीक रूप दिया जा सके, इसकी एक पूर्व-शर्त है -- विदेशी वस्त्रोंका पूर्ण रूपसे या व्यापक पैमानेपर बहिष्कार। अपरिवर्तनवादियोंसे मेरा आग्रह है कि वे अगले वर्षके दौरान अपनी सारी शक्ति चरखेके प्रचारपर ही केन्द्रित करें। कताई सदस्यताके लिए मैं हर चीज दाँवपर लगा रहा हूँ और अगर मैं देखूँगा कि मेरे अनुयायी मेरा उचित रूपसे समर्थन नहीं कर रहे हैं तो मेरा दिल टूट जायेगा। मेरी नई योजना बारडोलीकी योजनासे भिन्न होगी, हालाँकि उसमें मेरा विश्वास अब भी उतना ही जीवन्त है। मैं अभी उस योजनाका पूरा ब्यौरा नहीं बता रहा हूँ; लेकिन यदि वर्षके अन्ततक आवश्यक बहिष्कार पूरा हो गया तो मेरा कार्यक्रम अमलमें लाया जा सकता है, फिर देशमें चाहे कुछ भी हो रहा हो। लेकिन योजनापर अमल करनकी सबसे बड़ी शर्त यही है कि पहले विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार पूरा हो। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप आवश्यक प्रयत्न करें तो विदेशी वस्त्रोंका पूर्ण बहिष्कार हो सकता है और यदि वह पूरा कर दिया गया तो सविनय अवज्ञाके लिए उपयुक्त समय आ जायेगा।

गांधीजीने अन्तमें कहा कि यहाँ उपस्थित लोगोंमें से उनकी सूची तैयार कर ली जाये जो वर्षके अन्ततक अपेक्षित २४,००० गज सूत निश्चित रूपमें देना स्वीकार करें और जो आवश्यकता पड़नेपर देशकी खातिर जान देनेके लिए तैयार हों।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २२-१२-१९२४

Gandhi Heritage Portal

३७४. भाषण : मानपत्रोंके उत्तरमें[1]

२१ दिसम्बर, १९२४

गांधीजीने दोनों मानपत्रोंका उत्तर एक साथ देते हुए कहा; आप लोगोंने मेरी तारीफमें जो-कुछ कहा है, मैं उसके योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपके शहर या जिलेके लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने ऐसे ही अवसरोंपर हालमें बम्बई, कलकत्ता व अहमदाबादमें जो बातें कही थीं, उन्हें दुहराते हुए कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप उन्हें पढ़ें और समझें। भारतकी मौजूदा राजनीतिक हालतमें देशकी नगरपालिकाओंको भी राष्ट्रीय आन्दोलनमें शरीक होना चाहिए। किन्तु उन्हें स्वास्थ्य और सफाई आदिकी व्यवस्थाके अपने प्रारम्भिक कर्त्तव्योंको भुलाकर ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं पश्चिमी सभ्यताका प्रशंसक नहीं हूँ, परन्तु हमें सफाई-विज्ञान सम्बन्धी बातोंमें अभी पश्चिमसे बहुत-कुछ सीखना है। भारत कृषि-प्रधान देश है और प्लेग व दूसरी महामारियोंका हमारे शहरोंमें, जो पश्चिमके शहरोंके मुकाबलेमें बहुत छोटे हैं, फैलना नामुमकिन होना चाहिए। मुझे लोगोंके मुँहसे यह सुनकर बहुत दुःख होता है कि ये महामारियाँ ईश्वरकी दी हुई हैं। मैं स्वयं ईश्वरको मानता हूँ, परन्तु मैं समझता हूँ कि मनुष्यके प्रयत्नोंसे मानवीय दुःखोंके कम किये जानेकी बहुत कुछ गुंजाइश है। जब हम खुद ही ईश्वरके या कुदरतके कानूनोंको तोड़ते हैं तो ऐसी हालतमें इन महामारियोंकी जिम्मेदारी ईश्वरपर डालना अनर्गल बात है। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि यहाँ ब्राह्मणों तथा अब्राह्मणों व हिन्दुओं और मुसलमानोंके पारस्परिक सम्बन्ध मित्रतापूर्ण हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इन सम्बन्धोंको कायम रखें और अछूतोंके साथ भी प्रेमका व्यवहार करें।

[अंग्रेजीसे]

न्यू इंडिया, २२-१२-१९२४

१. बेलगाँव नगरपालिका और जिला बोर्डने गांधीजीको ये मानपत्र दरगामें भेंट किये थे।

Gandhi Heritage Portal

३७५. अहुरमज़्द और अहरमन

[२२ दिसम्बर, १९२४][1]

कांग्रेसके आगामी अधिवेशनसे पहले मेरे मनमें कई विचार आ रहे हैं। इस समय मौन दिवसकी भोर है। कांग्रेसका अधिवेशन आजसे चार दिन बाद आरम्भ होगा। अहुरमज़्द और अहरमन —— खुदा और शैतान —— के बीच जो सतत संग्राम चलता रहता है, वही मेरे हृदयमें उग्र रूपसे चल रहा है। मेरा हृदय भी, अन्य करोड़ों-अरबों इन्सानोंके हृदयोंकी भाँति इस शाश्वत संग्रामका एक क्षेत्र है। मैंने इन पिछले दो बेशकीमती दिनोंमें अपरिवर्तनवादियोंसे महत्त्वपूर्ण बातचीत की है। सरोजिनी देवी कहती हैं, 'अपरिवर्तनवादी' शब्द बुरा है। मैं उनके इस कथनसे सहमत हूँ और मैंने जनताको इससे अधिक प्यारा शब्द देनेका दायित्व कवयित्रीके कन्धोंपर ही डाल दिया है। मेरे हृदयकी एक आवाज कहती है: "यदि तुम और किसी भी बातकी परवाह न करो, बल्कि केवल जिसे तुम अपना कर्त्तव्य समझते हो उसीका पालन करो तो सब-कुछ ठीक ही होगा।" दूसरी आवाज कहती है: "तुम तो मूर्ख हो। तुम्हें स्वराज्यवादियोंका विश्वास न तो करना चाहिए और न ही अपरिवर्तनवादियोंका। स्वराज्यवादी जो-कुछ कहते हैं उसको अमलमें लाना नहीं चाहते और अपरिवर्तनवादी नाजुक वक्तपर तुम्हें संकटमें छोड़कर अलग हो जायेंगे। इन दोनोंके बीच तुम्हारा चरखा पिसकर चूर-चूर हो जायेगा। इसलिए तुम मेरी बात सुनो और सबसे अलग हो जाओ तो अच्छा रहेगा।" मैं पहली आवाजके अनुसार कार्य करूँगा। यदि स्वराज्यवादी मुझे धोखा दे जायें और अपरिवर्तनवादी मेरा साथ छोड़ ही दें तो भी क्या हुआ? इससे उन्हींकी हानि होगी, मेरी नहीं। किन्तु यदि मैं भी दुनियादारीकी बात सुनूँ, तब तो मैं सब-कुछ खो चुका, ऐसा ही मानना चाहिए। मैं भविष्यकी कल्पना करना नहीं चाहता। मुझे तो वर्तमानकी ही परवाह करनेसे मतलब है। अगले क्षण क्या होगा, यह ईश्वरने मेरे बसमें नहीं रखा है। इसलिए जैसे मैं यह चाहता हूँ कि स्वराज्यवादी मेरा विश्वास करें, वैसे ही मुझे भी स्वराज्यवादियोंका विश्वास करना चाहिए। मैं अपरिवर्तनवादियोंपर कमजोरीका दोष लगानेकी हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि वे मुझे कमजोर समझें। इसलिए मुझे स्वराज्यवादियोंकी बातकी सचाईपर और अपरिवर्तनवादियोंकी शक्तिपर भरोसा रखना चाहिए। यह सच है कि मैंने अकसर धोखा खाया है। बहुत-से लोगोंने मुझे धोखा दिया है और बहुत-से लोगोंने कमजोरी दिखाई है। किन्तु उनसे मेरा साथ रहा है, इसका मुझे पछतावा नहीं है; क्योंकि जैसे मुझे सहयोग करना आता है, वैसे ही असहयोग करना भी आता है। दुनियामें काम करनेका सबसे अधिक व्यावहारिक और सम्मानपूर्ण तरीका यही है कि

१. मौन दिवस, अर्थात् सोमवार, २२ दिसम्बरके उल्लेखसे।

Gandhi Heritage Portal

हम लोगोंकी बातपर तबतक विश्वास करें जबतक हमें उनपर अविश्वास करनेका कोई निश्चित कारण न मिल जाये।

इसलिए मैं किसका विश्वास करूँ या किसका न करूँ, यह मेरी कठिनाई नहीं है। मेरी कठिनाई तो यह है कि मुश्किलसे कोई आधे दर्जन अपरिवर्तनवादी ही ऐसे हैं, जो समझौतेसे पूर्णतया या कुल मिलाकर सन्तुष्ट हैं। उनके सन्देह ईमानदाराना हैं, मुझे उनसे सहानुभूति है, किन्तु फिर भी मैं अनुभव करता हूँ कि समझौतेपर कायम रहकर मैं ठीक ही कर रहा हूँ। यदि वे मुझे छोड़ सकते तो छोड़ देते, किन्तु वे मुझे छोड़ नहीं सकते। यह सम्बन्ध अटूट जान पड़ता है। अपना मत विरुद्ध होते हुए भी वे मेरे विवेकपर भरोसा करना चाहते हैं। इससे मुझे सचमुच बड़ा संकोच महसूस होता है। इससे मेरी जिम्मेदारी सौगुनी बढ़ जाती है। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जान-बूझकर तो ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे उनके विश्वास-को आघात पहुँचे। मैं ऐसा कोई काम न करूँगा जिससे देशके उद्देश्य और सम्मानको नुकसान पहुँचे। किन्तु मैं उन्हें अधिकतम सान्त्वना यही दे सकता हूँ कि यदि वे अपने प्रति ईमानदार रहेंगे तो सब-कुछ ठीक ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष यदि हिन्दू-मुस्लिम एकताकी शर्तपर अमल करेगा, यदि वह अपने बचे हुए समयका उपयोग रुई पींजने, सूत कातने और खादीकी कलामें निपुण होनेमें करेगा, यदि वह स्वयं खादी पहनेगा और यदि वह हिन्दू है तो अपने अछूत भाइयोंसे आत्मवत् प्रेम करेगा तो इतनेसे ही ऐसा माना जायेगा कि उसने अपने प्राथमिक कर्त्तव्यका पालन किया। इतना कार्य तो हममें से हरएक बिना किसीकी सहायताके कर सकता है। किसी बातको अपने आचरणमें उतारना ही उसके पक्षमें दिया गया सबसे अच्छा भाषण है और उसके लिए किया गया सबसे अच्छा प्रचार है। यह काम हर व्यक्ति कर सकता है तथा इसमें कोई विघ्न-बाधा भी नहीं डालेगा। दूसरोंकी चिन्ता न करना अहुरमज़्दका तरीका है। अहरमन हमें हमारे विश्वाससे डिगाकर अपने जालमें फँसाता है। ईश्वर काबा या काशीमें नहीं है। वह तो हम सबके भीतर है। इसलिए स्वराज्य भी हमें अपने भीतर खोजनेसे ही मिलेगा। यदि हम दूसरोंसे या अपने साथी-कार्यकर्त्ताओंसे भी यह आशा करें कि वे स्वराज्य लेकर हमें दे देंगे तो हमारी यह आशा व्यर्थ होगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २६-१२-१९२४

Gandhi Heritage Portal

३७८. भाषण: बेलगाँव कांग्रेसकी विषय-समितिमें[1]

२३ दिसम्बर, १९२४

इसके बाद श्री गांधीने बैठकमें अपना भाषण दिया। उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, यद्यपि कुछ प्रश्नोंपर सभामें मत-विभाजन कराना बिलकुल ही जरूरी हो सकता है, लेकिन जिस प्रश्नपर स्वराज्यवादियों और गैर-स्वराज्यवादियोंके बीच सैद्धान्तिक और बुनियादी मतभेद हो, उसके सम्बन्धमें मैं मत-विभाजनकी स्थिति नहीं पैदा होने देना चाहता। उन्होंने कलकत्तेमें अपने और स्वराज्यवादी नेता सर्वश्री दास व [मोतीलाल] नेहरूके बीच हुए समझौतेका उल्लेख करते हुए कहा कि पिछली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने उसे मंजूर कर लिया था और आप लोग भी इसी समय इसकी ताईद करनेकी कृपा करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी पिछली बैठकके बादसे अभीतक क्या होता रहा है, इसे मैं गौरसे देखता आ रहा हूँ। इस समझौतेके सम्बन्धमें देशवासियोंके जो विचार हैं, उनसे मुझे श्री विट्ठलभाई पटेल अवगत कराते रहे हैं। समझौतेका सबसे महत्त्वपूर्ण भाग वह है, जिसका सम्बन्ध नई सदस्यताकी शर्तसे है। कल रातको और आज भी श्री पटेलने मुझसे कहा कि मैं कताई-सदस्यताकी माँग करके एक घातक कदम उठा रहा हूँ और कांग्रेसके नब्बे फीसदी सदस्य सदस्यताके प्रस्तावित परिवर्तनके खिलाफ हैं। श्री पटेलने मुझसे यह भी कहा कि जहाँतक उनको मालूम है, स्वराज्यवादियोंमें शायद ही कोई ऐसा हो जो सदस्यताकी शर्तमें परिवर्तन चाहता हो और अपरिवर्तनवादियोंमें भी बहुत-से लोग इसके खिलाफ हैं। मैं इसे माननेके लिए तैयार नहीं हूँ, हालाँकि मैंने वह प्रस्ताव देखा है जो बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, सिन्ध कांग्रेस कमेटी, मध्य प्रान्तीय कमेटी तथा महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटीने तथा बिहारके एक सम्मेलनने भी पास किया है। यदि आप लोग समझौतेको अस्वीकार करना जरूरी समझें तो आप मेरा कोई भी लिहाज न करते हुए खुशीसे ऐसा करें।

मैं आप लोगोंको सचेत किये देता हूँ कि आप सिर्फ मुझे खुश करनेके लिए ही इस परिवर्तनको स्वीकार न करें। आपको अपने अन्तःकरणके अनुकूल मत देना चाहिए, क्योंकि अन्तःकरणकी आवाज किसी भी एक मनुष्यके मतसे अधिक मूल्यवान् है, फिर चाहे उस मनुष्यने देशकी कितनी ही सेवा क्यों न की हो और वह आपकी नजरोंमें भी चाहे कितना ही ऊँचा क्यों न हो।

श्री दासने मुझे लिखा है कि समझौतेकी इस बातके सम्बन्धमें अब मैं स्वराज्यवादियोंकी ओरसे निश्चिन्त रहूँ और इस विषयमें श्री विट्ठलभाई पटेलका विचार उनका निजी विचार ही है। श्री दासने यह भी लिखा है कि स्वराज्यवादी दल

१. गांधीजी इसके अध्यक्ष थे।

Gandhi Heritage Portal

बहुमतसे जो फैसला करे उसका पालन करना प्रत्येक स्वराज्यवादी सदस्यके लिए जरूरी है और उसपर अवश्य ही ईमानदारीके साथ अमल किया जायेगा।

इसमें सन्देह नहीं कि इसे पढ़कर मुझे बड़ी राहत मिली; किन्तु मैं चाहता हूँ कि दास महोदय प्रत्येक स्वराज्यवादीको इस बन्धनसे मुक्त कर दें, क्योंकि अगर किसीको यह समझौता ठीक न जँचे तो उसे चाहिए कि वह तुरन्त उसे अस्वीकार कर दे। इस समझौतेको सिर्फ कागजपर लिख रखनेके लिए ही स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसके लिए निरन्तर धैर्यपूर्वक प्रयत्न करनेकी तथा कठिन अनुशासनमें रहनेकी जरूरत है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक सदस्यको अपने हाथका कता दो हजार गज सूत प्रतिमास नियमित रूपसे भेजना होगा। इसकी पूर्ति दूसरेके काते सूतसे तभी की जा सकती है जब सदस्य स्वयं सूत कातनेमें असमर्थ हो या वास्तवमें वह सूत कातना न चाहता हो; परन्तु वैसी हालतमें भी ऐसी आशा की जाती है कि वह स्वयं सूत कातनेके कामकी निगरानी करेगा। समझौतेको मंजूर करनेके पहले सभाको उसके फलितार्थोंको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।

इस समझौतेके सम्बन्धमें अपरिवर्तनवादियोंके साथ मैंने जो बातचीत की थी, उसमें शुरूमें यह एतराज उठाया गया था कि क्या स्वराज्यवादी दलकी सदस्यता कांग्रेसकी सदस्यतासे अलग हो सकती है; किन्तु श्रीनिवास अय्यंगारने मुझे बताया था कि स्वराज्यवादी अपने संविधानको बदलकर उसे कांग्रेस संविधानके अनुकूल बनानेका विचार कर रहे हैं। अपरिवर्तनवादियोंने यह मानकर कि स्वराज्यवादी दलकी सदस्यता-शर्त और ध्येय वही होंगे जो कांग्रेसके हैं, समझौतेको भारी बहुमतसे स्वीकृत कर लिया।

[अंग्रेजीसे]

न्यू इंडिया, २४-१२-१९२४

३७७. वक्तव्य : बेलगाँवमें कांग्रेसकी फिजूलखर्चीपर

२५ दिसम्बर, १९२४

इसके बाद गांधीजीने इस आशयका एक वक्तव्य दिया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके खर्चमें फिजूलखर्ची बहुत ज्यादा हुई है। सजावट वगैरह और ठहरनेके प्रबन्धपर बहुत ज्यादा रुपया खर्च किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियोंसे इस समय लिया जानेवाला १० रुपयेका शुल्क बहुत अधिक है। उन्होंने इस बातकी भी शिकायत की कि खुद मेरी कुटियापर बहुत पैसा खर्च किया गया है और उसे वैसा नहीं बनाना चाहिए था। उन्होंने कहा, छपाईपर भी बहुत पैसा खर्च होता है और मैं चाहता हूँ कि यह सब फिजूलखर्ची रोक दी जाये। अगर मैं कमेटीका सदस्य होता तो मैं आवास-व्यवस्था आदिपर होनेवाले खर्चमें कटौती कर देता। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रतिनिधियोंका शुल्क, जो अभी १० रुपये है, वह घटाकर १ रुपया

Gandhi Heritage Portal

कर दिया जाये, क्योंकि मुझे इस आशयकी शिकायतें मिली हैं कि प्रतिनिधियोंको यात्रा-भाड़ा आदिपर करीब १०० रुपये खर्च करने पड़ते हैं। विषय-समितिने शुल्क घटाकर १ रुपया स्वीकार कर लिया।

इसके बाद निश्चय किया गया कि जन-संख्याके आधारपर जो प्रान्त खद्दर और विदेशी वस्त्रोंके बहिष्कारके मामलेमें सर्वोत्तम परिणाम दिखायेगा, उसी प्रान्तमें कांग्रेसका अगला अधिवेशन किया जाये।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २६-१२-१९२४

३७८. भाषण: बेलगाँव कांग्रेसकी विषय-समितिमें[1]

२५ दिसम्बर, १९२४

पिछले बृहस्पतिवारको अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी विषय-समितिमें महात्मा गांधीने एक मर्मस्पर्शी भाषण दिया। उसका पूरा पाठ नीचे दिया जा रहा है:

कल शाम ठीक तीन बजे अधिवेशनका आरम्भ होगा। कुछ मिनट तो राष्ट्रगान आदिमें जायेंगे। स्वागत समितिके अध्यक्ष अपना भाषण देनेमें १५ मिनटसे अधिक समय नहीं लेंगे। मेरा इरादा अपना भाषण पढ़नेका नहीं है। वह आज शामको आप लोगोंमें वितरित कर दिया जायेगा। आप कृपया उस भाषणको ध्यानपूर्वक पढ़ लें; क्योंकि ऐसा मान लिया जायेगा कि भाषण पढ़ दिया गया है। मैं केवल प्रस्तावनाके रूपमें कुछ सीधी-सादी बातें कहूँगा। उसमें ३० मिनटसे अधिक समय नहीं लगेगा। मैं प्रारम्भमें हिन्दुस्तानीमें और फिर अंग्रेजीमें बोलूँगा। इसमें कुल मिलाकर ३० मिनटसे अधिक नहीं लगेंगे।

कल औपचारिक रूपसे भाषणोंके पढ़े जानेके बाद जो सबसे पहला प्रस्ताव पेश किया जायेगा, वह कलकत्तेके समझौतेके सम्बन्धमें होगा। मौलाना हसरत मोहानी उस प्रस्तावका विरोध करेंगे। इस सम्बन्धमें मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। आप लोग प्रतिनिधि हैं और यहाँ सभी प्रतिनिधि मौजूद हैं। इसलिए मैं आपको सादर चेतावनी देता हूँ कि यदि आप सारा बोझ मेरे ही कन्धोंपर रख देना चाहते हैं तो आप इस प्रस्तावको मंजूर न करें। मुझे कहना चाहिए कि इस बोझको उठानेकी सामर्थ्य मेरे कन्धोंमें नहीं है। मैं इस बोझको केवल आपकी सहायताके बलपर ही उठाना चाहता हूँ। जबतक आपमें से प्रत्येक पूरी तरह मन, वचन और कर्मसे सहायता देनेके लिए तैयार नहीं होगा, तबतक हमारा उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। हमारा उद्देश्य विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करना है और ऐसा इस देशके

१. महादेव देसाई द्वारा दी गई इस भाषणकी रिपोर्ट "इम्प्लीकेशन्स ऑफ नॉन वायलेंस" शीर्षकसे १-१-१९२५ के **यंग इंडिया**में छपी थी।

Gandhi Heritage Portal

गरीबसे-गरीब मनुष्यकी -- हर पुरुष, स्त्री और बच्चेकी -- सहायतासे ही हो सकता है। मेरा विनम्र मत है कि राष्ट्रकी ओरसे ऐसा प्रयास एक ईमानदाराना और सर्वथा उचित प्रयास होगा। यदि हम उस बहिष्कारको पूरा कर सकें -- और आजकी परिस्थितिमें हम केवल यही कर सकते हैं -- तो इस तरह, और केवल इसी तरह, हम अपने-आपको और सारे संसारको दिखा सकते हैं कि हम इसके साथ ही हजारों और बड़े-बड़े काम भी कर सकते हैं, लेकिन तभी, जब हम पहले इस बहिष्कारको सम्पन्न कर दिखायें।

आपको याद होगा कि आज एक ऐसा संशोधन सामने आया था जिससे मुझे चोट पहुँची है। वह श्री भोपटकरने यह कहते हुए पेश किया था कि जब वयस्क ही कताईको नहीं अपनाते और सभी अवसरोंपर खद्दर पहननेको तैयार नहीं होते तो हमारे लिए बच्चोंसे वैसा करनेकी आशा करना अनुचित है। इससे सचमुच, मुझे चोट पहुँची है। इसका सीधा-सा कारण यह है कि उन्होंने सदस्यताकी शर्तका एक ऐसा अर्थ निकाला है, जो निकल ही नहीं सकता। मेरा कहना यह है कि सदस्यताके लिए हमने यह जो शर्त लगाई है वह तो न्यूनतम शर्त है। और उसे न्यूनतम ही होना चाहिए, क्योंकि इस शर्तका पालन न करना इस अर्थमें दण्डनीय भी है कि उसका पालन न करनेपर आप लोगोंको सदस्यताके अधिकारसे वंचित कर देंगे। मत देनेका अधिकार एक पवित्र चीज़ है। इसलिए एक न्यूनतम शर्त रखनी ही थी। वह न्यूनतम शर्त यह है कि हमें सभी राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोहोंके अवसरोंपर खद्दर पहनना होगा। किन्तु निश्चय ही इसका अर्थ यह नहीं कि आप बेलगाँवमें कांग्रेसके समाप्त होते ही खद्दरको उतार फेंकें। यदि इसका अर्थ ऐसा हो तो आप विदेशी कपड़ेका कारगर ढंगसे बहिष्कार नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि आप समझौतेको पढ़ें और उसके भावको समझें। यह न्यूनतम अपेक्षा तो कांग्रेसके सदस्योंसे रखी गई है। फिर हम राष्ट्रसे कितनी ज्यादा अपेक्षा रख सकते हैं? न केवल हम वयस्कोंको बल्कि बच्चोंको भी सभी अवसरोंपर खद्दर पहनना चाहिए। मेरे कहनेका अर्थ यह है कि खद्दर हमारा प्रतिदिनका पहनावा होना चाहिए। जबतक ऐसा नहीं होता, तबतक बहिष्कार नहीं किया जा सकता।

मुझसे कहा गया है कि अनिच्छुक लोगोंको स्वयं कातनेकी शर्तसे मुक्त रखनेका उपबन्ध कताईसे बचनेका एक रास्ता है। किन्तु समझौतेका यह अर्थ नहीं लगता। यदि उसका वही अर्थ है जो आपने बताया है तो इस प्रस्तावको कल ही मैं फाड़कर फेंक देना चाहूँगा, यद्यपि तब यह देखकर मुझे बहुत दुःख होगा कि विदेशी कपड़ेका बहिष्कार एक असम्भव कार्य है। अनिच्छासे सम्बन्धित धारा केवल उन लोगोंके लिए है जो शारीरिक दृष्टिसे असमर्थ हैं या जिनकी सूत कातनेकी सचमुच ही इच्छा नहीं है। बच्चे निश्चित रूपसे उस धाराके अन्तर्गत नहीं आते। आप समझौतेका पालन करनेके लिए अवश्य ही तैयार रहें, जिससे विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार सम्भव हो जाये। यदि हम केवल ईमानदारीसे इसपर अमल करें तो एक वर्षके अन्दर ही हमें भारी सफलता देखनेको मिलेगी। यदि प्रतिनिधिगण गाँवोंमें घूम-घूमकर चरखेका

Gandhi Heritage Portal

सन्देश जनतातक पहुँचानेका काम शुरू कर दें तो यह काम इतना बड़ा है कि हममें से तमाम उत्कृष्ट कार्यकर्त्ताओंकी शक्तिका उपयोग इसमें हो सकता है। यदि आपको प्रस्तावपर विश्वास नहीं है तो उसे पास करना व्यर्थ है। इसलिए आप लोग कल जब अधिवेशनमें इकट्ठे हों तब मैं चाहता हूँ कि आप सोच-विचारकर और परिणामको भली-भाँति ध्यानमें रखकर ही अपना मत दें। यदि आप हृदयसे इस कार्यक्रमपर नहीं चलना चाहते तो यह सफल नहीं होगा। जब प्रतिनिधि अपने-अपने प्रान्तोंमें वापस जायें, तब उन्हें अपने-अपने प्रान्तके ग्रामीणोंसे सम्पर्क स्थापित करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि उनका क्या कर्त्तव्य है। तो प्रतिनिधि कल सोच-समझकर, विचारपूर्वक और परिणामोंकी ओर देखकर अपना मत दें।

मैं आपको यहाँसे जानेसे पहले सावधान करना और इस बातकी याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको एक पवित्र दायित्व सौंपा गया है। मेरा इरादा २७ तारीखको कार्य समाप्त कर देनेका है। भाषण आदिके अलावा जो काम हैं — जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके कामकी विधि और तफसीलें तय करना, कार्य समितिकी नियुक्ति करना आदि — उन्हें निबटानेके लिए तो पूरा एक दिन चाहिए ही।

यहाँ श्री न० चि० केलकरने महात्मा गांधीको सम्बोधित करते हुए कहा :

मैंने आपकी अपील सुन ली है। अबतक यह अपील केवल स्वराज्यवादियोंसे की गई है। किन्तु मैं चाहता हूँ कि आप समझौतेके दूसरे भाग अर्थात् कौंसिलोंमें कौंसिलवालोंके कार्यको कांग्रेसकी ओरसे मान्यता देने तथा उन्हें हर सम्भव तरीकेसे सहायता देनेके सम्बन्धमें अपरिवर्तनवादियोंसे भी अपील करें। मैं आपको उनसे अपील करते सुनना चाहता हूँ।

मैं श्री केलकरसे पूरी तरह सहमत हूँ। वास्तवमें, मैं 'यंग इंडिया' के पृष्ठोंमें अपने विचार पहले ही व्यक्त कर चुका हूँ। सबको कलके पवित्र कार्यके लिए तैयार होनेसे पहले मैं प्रत्येक अपरिवर्तनवादीको उसके कर्त्तव्यकी याद दिला देना चाहता हूँ। मेरी अपील केवल स्वराज्यवादियोंसे ही नहीं थी। मुझे हमेशासे यही बताया गया है कि अपरिवर्तनवादियोंमें ऐसे भी लोग हैं जो कताई-सदस्यतामें विश्वास नहीं करते। इसलिए अपरिवर्तनवादियोंसे मेरी अपील है कि वे समझौतेको उसी भावनासे ग्रहण करें जिस भावनासे मैंने उसे सम्पन्न किया है और यही भावना उनके मनमें भी होना उचित है। मैं स्वराज्यवादियोंको अपनी पूरी शक्तिसे मदद देना चाहता हूँ और जिस हदतक एक मनुष्यके लिए सम्भव है, उस हदतक उनके उद्देश्यकी सिद्धिमें सहायक बनना चाहता हूँ, मैं उनके उद्देश्यको हानि तो किसी तरह नहीं पहुँचाऊँगा। मैं जान-बूझकर "उनका उद्देश्य" शब्दोंका प्रयोग कर रहा हूँ; क्योंकि कुछ ऐसा कारण है जिससे उनके तरीकोंके सम्बन्धमें मैं उनसे एकमत नहीं हूँ। यह सच है कि उनका उद्देश्य केवल उन्हींका या कांग्रेसका ही नहीं, बल्कि सारे राष्ट्रका है। इसका निर्णय करनेका अधिकार मुझे नहीं है। अगर वे कहते हैं कि यह चरखा क्या चीज है तो उन्हें ऐसा कहनेका अधिकार है। इसी प्रकार कौंसिलोंके बारेमें, जिसे वे नौकरशाहीके खिलाफ हमारी लड़ाईका एक महत्त्वपूर्ण साधन मानते

Gandhi Heritage Portal

हैं, मुझे यह कहनेका हक है कि यह कौंसिल वगैरह क्या चीज है। यद्यपि स्वराज्यवादियोंके तरीकोंके सम्बन्धमें मैं उनसे एकमत नहीं हूँ तथापि मैं, उनके तरीकोंपर शक करनेके बावजूद, उनकी सहायता कर सकता हूँ और कांग्रेसमें उनकी नीतिको निश्चित मान्यता दे सकता हूँ।

एक सदस्य : कांग्रेसके नामपर ?

हाँ, कांग्रेसके नामपर। मैंने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई कि मैं किस प्रकार उनकी सहायता कर सकता हूँ। मुझे यह समझौता ही उसका रास्ता सूझ पड़ा। मैंने देखा कि मैं ऐसा करके उनपर कोई कृपा नहीं कर रहा हूँ। यह उनका अधिकार है। किन्तु यह समझनेमें मुझे कुछ समय लगा कि यह उनका अधिकार है और जब मैंने यह समझ लिया कि यह उनका अधिकार है, तब मुझे उनके कार्यक्रममें रोड़ा अटकानेकी बात मनमें भी नहीं लानी चाहिए। इसके विपरीत, मुझे अपने मनमें यह विश्वास उत्पन्न करनेका प्रयत्न करना चाहिए कि वे जो-कुछ कर रहे हैं, वह सही है। मैं आप लोगोंसे भी ऐसा ही करनेके लिए कहूँगा।

इसलिए मैं अब विशेष प्रयत्न करके प्रत्येक स्वराज्यवादीसे सम्पर्क स्थापित कर रहा हूँ। मैंने उनके तर्कों और सुझावोंके लिए अपना दिमाग पूरी तरह खुला रखनेका प्रयत्न किया। मैं स्वराज्यवादियोंकी सहायता इसी तरीकेसे कर सकता हूँ। यदि इसका अर्थ यह लिया जाये कि मैं सभा-मंचोंपर जाकर, सरकारके कानूनोंके खिलाफ भाषण देकर या सभाएँ आदि करके, उनकी सहायता करूँगा तो मैं खेदके साथ कहूँगा कि मैं वैसा नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मैं हृदयसे उससे सहमत नहीं हूँ। मैंने इस रूपमें न तो समझौतेको समझा है और न उसे इस दृष्टिसे सम्पन्न ही किया है। ये मेरी अपनी मर्यादाएँ हैं। यह बात नहीं कि मैं ऐसा करनेके लिए अनिच्छुक हूँ; किन्तु मैं चाहता हूँ कि मेरा उसपर विश्वास जम जाये। यदि उसपर मेरा विश्वास जम गया तो फिर संसारमें कोई भी शक्ति नहीं जो मुझे तुरन्त अपने आपको पूर्णतया स्वराज्यवादी घोषित करनेसे रोक सके। तब उन्हें यह अधिकार होगा कि वे मुझसे चौबीसों घंटे, नींदके घंटे छोड़कर, शेष सारा समय अपने लिए देनेकी आशा करें। आज मैं आपको पूरे हृदयसे वैसी सहायता नहीं दे सकता, किन्तु अपनी सीमाके भीतर मैं आपको अवश्यमेव प्रोत्साहन तथा हार्दिक सहायता दूँगा। उदाहरणके लिए, जब सरकार आपको और आपकी प्रतिष्ठाको हानि पहुँचाना चाहेगी, तब आप देखेंगे कि मैं आपके साथ हूँ और आपकी सहायता करनेके लिए उत्सुक हूँ। मैं आपके साथ ही कष्ट भोगना चाहता हूँ; और यदि आप मेरी सहायता लेना अस्वीकार करेंगे तो भी मैं आपसे कहूँगा — "ईश्वरके लिए आप मुझे सहायता करने दें।" किन्तु जब मुझसे निजी तौरपर यह कहनेका अनुरोध किया जायेगा कि यह नीति अच्छी है, तब मुझे स्पष्ट रूपसे यह स्वीकार करना होगा कि मैं इसका ऐसा अर्थ नहीं लगाता। किन्तु मैं चाहता हूँ कि यदि लोग आपसे निजी तौर पर पूछें तो आप उन्हें कहें कि यद्यपि हमारा विश्वास चरखेमें नहीं है, फिर भी आप लोग चरखा अवश्य चलायें। आप तो कह रहे हैं कि चरखेमें आपका अविश्वास

Gandhi Heritage Portal

नहीं है। अगर आप उसमें अविश्वास करते हों तो फिर आपको समझौता अस्वीकार कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने दायित्वके प्रति झूठे साबित होंगे।

श्री केलकर: लेकिन अगर मनमें अश्रद्धा हो तब तो काम इसी निषेधक मानसिक स्थितिके अनुपातमें होगा। आपको उन स्वराज्यवादियोंके लिए कुछ गुंजाइश तो रखनी ही पड़ेगी, जिन्होंने मनमें कुछ अश्रद्धा छिपा रखी हो -- और यह तो सच ही है कि कुछके मनमें ऐसी अश्रद्धा है।

यदि वह अश्रद्धा इस विश्वासकी हदतक पहुँचती हो कि चरखेसे कोई लाभ नहीं होगा तो आप इस समझौतेको अस्वीकार कर दें।

मैं चरखेके सम्बन्धमें स्वराज्यवादियोंसे जिस सहयोगकी आशा रखता हूँ वह वैसा और उतना नहीं है जितनेकी आशा वे कौंसिलोंके कार्यके सम्बन्धमें मुझसे रख सकते हैं और यह बात समझौतेमें स्पष्ट रूपसे बता दी गई है। मैं आपसे असम्भवकी उम्मीद नहीं रखता। मैं तो आपसे इतनी ही आशा रखता हूँ कि आप अपनी क्षमता और विश्वासके अनुसार जितनी सहायता कर सकते हैं, करें; किन्तु उसे बिलकुल ईमानदारीके साथ करें। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सभी सदस्य समझौतेको इसी भावनासे देखें। यदि वे उसे इस भावनासे नहीं देखते तो मैं यह भविष्यवाणी करता हूँ कि हमारा आन्दोलन असफल रहेगा। किन्तु मैं तो तब भी असफल नहीं रहूँगा। हाँ, यह सही है कि तब मैं विलक्षण और अहमन्य समझा जाऊँगा। कुछ यूरोपीय कहते भी हैं कि मैं अहमन्य हूँ; और कुछ भारतीय भी कहते हैं कि मेरा दावा है कि मैं अकेला ही मानव-प्रकृतिको समझता हूँ और कोई दूसरा नहीं समझता। मेरा विश्वास है कि मैं सही हूँ। दूसरे लोगोंकी बात भी उतनी ही सही हो सकती है, किन्तु यदि मुझे अपनी बात और अपने तरीकेके सही होनेपर पूर्ण विश्वास नहीं हो तो मैं इस नेतृत्वके उपयुक्त नहीं रहूँगा। मैं उस बुरी मनोवृत्तिको, मनमें कुछ और रखनेकी और मुँहसे कुछ और कहनेकी उस प्रवृत्तिको दूर करना चाहता हूँ, जिसकी ओर श्री केलकरने संकेत किया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि मनमें कुछ और रखें और मुँहसे कुछ और कहें। कोई भी ऐसा न सोचे कि स्वराज्यवादी भारतके दुश्मन हैं। न मैं यह विश्वास करता हूँ कि बेचारे अराजकतावादी भारतके दुश्मन हैं। वे अपनी समझके अनुसार काम करते हैं। मैं किसीके बारेमें कोई फतवा कैसे दे सकता हूँ? मैं केवल उनके कामके बारेमें अपनी राय ही दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ दोनोंकी स्थितियोंमें कोई समता नहीं है।

मैं अपरिवर्तनवादियोंसे कहता हूँ कि यदि आप चरखेपर विश्वास नहीं करते तो अन्तमें जाकर आप देखेंगे कि हिंसात्मक तरीकोंके अलावा आपके पास और कोई तरीका नहीं रह जाता। यदि आपको लगता है कि चरखा आपकी देशभक्त आत्माको सन्तुष्ट नहीं कर पाता तो आप कौंसिलोंमें अवश्य जायें। वहाँ आप हल-चल करके कुछ कैदियोंको तो मुक्त करा सकेंगे। यदि आज स्वराज्यवादी अपने सबसे प्रिय सिद्धान्तोंकी बलि देनेको तैयार हों और कहें कि वे अण्डमानके कैदियोंकी रिहाई

Gandhi Heritage Portal

चाहते हैं तो उनको रिहा करा सकते हैं। किन्तु उन्होंने अपने कन्धोंपर जो दायित्व लिया है वे उसके प्रति सच्चे हैं, और आशा है कि वे देशके लिए इस प्रकारकी हानिकर सौदेबाजी नहीं करेंगे। वे अण्डमानके कैदियोंकी रिहाईके लिए या यरवदा जेलमें पड़े किसी बेचारे बीमार कैदीको मुक्त करानेके लिए कौंसिलोंमें नहीं गये हैं। मैंने कई बार कहा है और मैं इसे फिर दुहराता हूँ कि यदि आप चरखेमें विश्वास नहीं करते तो आपके पास केवल एक ही विकल्प रह जाता है -- वह यह कि आप कौंसिलोंमें जायें। कुछ करनेके खयालसे बहुत-से लोगोंके कौंसिलोंमें जानेका रहस्य यही है। आखिर जो कौंसिलोंमें गये हैं वे देशकी सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाका प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अनुभवी सैनिक हैं। उदाहरणके लिए, आप अपनी सारी जिन्दगी कुर्बान कर देनेवाले पण्डित मदन मोहन मालवीय -- जैसे व्यक्ति कहाँसे पायेंगे? मैंने उन्हें जब १९०१ में सर दिनशा वाछाकी अध्यक्षतामें हुए कांग्रेस अधिवेशनमें भाषण करते देखा था, तभीसे मैं उन्हें जानता हूँ। उन्होंने बहुत काफी काम किया है और वे अभी भी कौंसिलके सदस्य बने हुए हैं। उनका अब भी कौंसिलोंमें विश्वास है। वे मूढ़ तो नहीं हैं। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ, मेरा माथा उनके सामने झुक जाता है। ये चित्तरंजन दास कौन हैं? और पण्डित मोतीलाल नेहरू कौन हैं? वे आज इस प्रकारके लिबास क्यों पहनते हैं? पण्डित मोतीलाल नेहरू किसी समय राजा-महाराजाओंकी तरह रहते थे। वे एक बार मोटरसे लाहौर आये थे और उनके साथ नौकरोंकी एक पूरी पलटन थी। बहुत ही कम राजा उतने ठाठ-बाटसे रहते थे। उनके सुन्दर बागीचेमें, जहाँ कभी गुलाब तथा अन्य पुष्प भरे रहते थे, आज घास-पात खड़ा है। क्या वे देशद्रोही हैं? मेरा माथा इन लोगोंके सामने बराबर झुक जाता है। मैं जब भी इन लोगोंको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझमें कोई कमी है, जिसके कारण मैं उनसे सहमत नहीं हो पाता और उनके दृष्टिकोणको समझ नहीं पाता। फिर श्री केलकर कौन हैं? वे उनकी[1] परम्पराके प्रतिनिधि हैं जो भारतकी महानतम विभूतियोंमें से एक थे। जिनका नाम पीढ़ियोंतक अमर रहेगा और हमारे देशमें, जो एक परमेश्वरकी पूजा तो करता ही है किन्तु साथ ही अनेक देवताओंको भी पूजता है, जो एक देवताकी भाँति पूजे जायेंगे। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप अपने हृदयोंको शुद्ध करें, उदार बनें और अपने हृदयोंको सागरकी तरह विशाल बनायें। 'कुरान शरीफ' और 'गीता'का यही उपदेश है। दूसरे लोग आपके बारेमें फतवे न दें, इसलिए आप दूसरोंके बारेमें फतवे मत दीजिए। भगवानका खयाल कीजिए। वह तो सबसे बड़ा न्यायाधीश है और चाहे तो हमारे दोषोंके लिए हमें मृत्यु दण्ड भी दे सकता है, लेकिन वह कितना दयावान है कि हमें जीने दे रहा है। आप अन्दर और बाहरसे अनेक शत्रुओंसे घिरे हुए हैं, किन्तु वह आपकी रक्षा करता है और आपपर अपनी कृपापूर्ण दृष्टि बनाये रखता है।

क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? हम ऐसा क्यों कहें कि उनकी राजनीति भ्रष्ट है और वे वंचक लोग हैं या वे बेईमान हैं या यह कि उनमें राजनीतिक

१. लोकमान्य तिलककी।

Gandhi Heritage Portal

दूरदर्शिता नहीं है? ईश्वर हमें मानव-स्वभावकी ऐसी निन्दा करनेसे बचाये। जबतक संसार होगा, तबतक अनेक मतभेद भी रहेंगे; और अपरिवर्तनवादियोंकी सबसे बड़ी सफलता तो यह होगी कि वे अपने तथाकथित विरोधियोंको अपने सबसे सच्चे मित्र बना लें और उनको चरखेके धर्ममें दीक्षित कर लें। विश्वास रखिए, यदि अपरिवर्तन-वादियोंमें व्यवहार-बुद्धि होगी, यदि वे चरखेके प्रति अपना कर्त्तव्य पूरा करेंगे, और उसके लिए मर मिटनेको तैयार रहेंगे तो वे स्वराज्यवादियोंको अवश्य ही इस धर्ममें दीक्षित कर लेंगे। यदि लोग चरखेको नहीं अपनाते तो इसका कारण यह है कि वे उसकी उपयोगिता नहीं समझते। यह आपका काम है कि आप उन्हें उसकी उपयोगिता समझायें। मैं चरखेका गुण-गान अपने इस अगाध विश्वासके कारण ही करता हूँ कि इसीसे देशको मुक्ति मिलेगी। हिन्दू-धर्मका उपदेश आस्था रखनेके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। यदि आप यह मानते हुए भी कि चरखा दूसरोंके लिए लाभप्रद नहीं है, उसमें विश्वास करते हैं तो हमारे लिए तो वही सब-कुछ है। काशी विश्वनाथके मन्दिरमें जो पत्थरकी मूर्ति है, वह मौलाना हसरत मोहानीके लिए भलेही सिर्फ पत्थर हो सकती है;

मौलाना : मैं ऐसा कभी महसूस नहीं करता।

लेकिन मैं तो जब वहाँ जाता हूँ, मेरा हृदय अवश्य ही द्रवित हो जाता है। आस्थाका ही खास महत्त्व होता है। मैं जब किसी गायको देखता हूँ, तब वह मुझे भक्ष्य पशु नहीं लगती, बल्कि मेरे तईं करुणाकी एक कविता होती है। मैं उसकी पूजा करता हूँ और सारी दुनियाके खिलाफ होनेपर भी उसकी पूजाकी हिमायत करूँगा। ईश्वर एक ही है, किन्तु वह मुझे पत्थरमें, अंग्रेजोंमें और यहाँतक कि देशद्रोही तकमें अपना दर्शन देता है। मैं तो देशद्रोहीसे भी घृणा नहीं करूँगा। मेरा धर्म मुझे इस हदतक ले जाता है। मैं प्रत्येक अपरिवर्तनवादीसे कहता हूँ कि यदि आप अपने धर्मके योग्य हैं और अहिंसक हैं तो आप स्वराज्यवादियोंसे हाथ मिलायेंगे और कहें कि "हमने जो-कुछ किया है, उसके लिए आप हमें क्षमा करें।" आपको कोई अधिकार नहीं कि आप किसीके प्रति दुर्भावना रखें और किसीके विरुद्ध कुछ भी कहें। आप केवल इस उत्तम मन्त्रपर आचरण करें। इससे बढ़िया मन्त्र मैं आपको नहीं दे सकता। ईश्वर आपकी सहायता करे और आपको इस मन्त्रपर आचरण करनेकी शक्ति दे तो वर्षके अन्तमें सब अच्छा ही देखनेको मिलेगा।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, ३०-१२-१९२४

Gandhi Heritage Portal

३७९. तार : अनन्तरामको

[२६ दिसम्बर, १९२४ से पूर्व][1]

दीवान अनन्तराम
शरणार्थी शिविर
रावलपिंडी

कृपया शरणार्थी परिवारोंकी सूची और उनकी आवश्यकताएँ लिखें। आशा है कोई बेलगाँव आयेगा।

गांधी

हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० १०५१७) से।

३८०. टिप्पणियाँ

नपी-तुली बात

'यंग इंडिया' में कहा गया था कि खद्दरके टिकाऊ न होनेके बारेमें लोग एकमत नहीं हैं। बीजापुरके श्री एस० जी० पुजारीने इस सिलसिलेमें निम्नलिखित पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने अपनी बात अत्यन्त नपे-तुले शब्दोंमें कही है :

> मैं सचमुच खादीका ही काम करता हूँ। मेरी देख-रेखमें १२० चरखे और १३ करघे चल रहे हैं। मैं प्रति सप्ताह ३०० गज खादी तैयार कराता हूँ। मैं यह काम २१ अगस्त, १९२१ से कर रहा हूँ। मेरा तरीका यह है कि मैं यहीं रुई खरीदता हूँ, कतैयोंको पूनियाँ देता हूँ, हर कतैयेका सूत अलग-अलग जमा करता हूँ और एक थानके पूरे तानेमें एक ही कतैयेका काता हुआ सूत लगाता हूँ। ऊनके सम्बन्धमें भी मेरी यही प्रक्रिया रहती है, किन्तु सूतकी अपेक्षा ऊनका धागा अधिक मोटा होता है। इस तरीकेसे कपड़ा इकसार और मजबूत बनता है और अधिक दिनतक टिकता है। मैं अपने यहाँसे खद्दर खरीदनेवाले लोगोंके ऐसे उदाहरण पेश कर सकता हूँ, जिनकी धोतियाँ, कमीजें और कोट सामान्यतः एक साल चलते हैं।

१. इस तारीखका निर्धारण तारमें बेलगाँवके उल्लेखसे किया गया है, जहाँ २६ और २७ दिसम्बरको कांग्रेसका अधिवेशन हुआ था।

Gandhi Heritage Portal

खादीके टिकाऊपनमें कमी होनेका खास कारण बाजारसे खरीदा हुआ सूत है, क्योंकि:

१. यह सूत हमेशा अच्छी रुईसे नहीं काता जाता;

२. ज्यादातर सूत कम बटदार होता है।

३. यह लापरवाहीसे छाँटा जाता है।

४. झिरझिरा बुना होता है।

यदि खादी तैयार करनेवाले उक्त दोषोंसे बचनेका ध्यान रखें तो खादीके टिकाऊपनके बारेमें शिकायतोंकी गुंजाइश कम रहेगी।

मैं इस टिप्पणीको खादीके उत्पादनमें दिलचस्पी रखनेवाले सब लोगोंके मार्ग-दर्शनके लिए प्रकाशित कर रहा हूँ।

दो मानपत्र

बेलगाँव जिला-बोर्ड और बेलगाँव नगरपालिकाने मानपत्र देकर मेरा सम्मान किया है। इन मानपत्रोंमें मेरे गुणोंका बखान किया गया है। मुझे लगता है कि अखिल भारतीय कार्यकर्ताके रूपमें मेरे गुणोंके बखानकी कोई जरूरत नहीं थी। नगरपालिकाकी ओरसे तो उसी व्यक्तिको मानपत्र देना उचित होता जिसका नगरपालिका-सम्बन्धी कार्योंमें योगदान हो। किन्तु हम जिस विशेष परिस्थितिमें आज रह रहे हैं उसमें नगरपालिकाएँ स्वतन्त्र होनेके लिए संघर्ष कर रही हैं और अपनी स्वतन्त्रताकी भावनाको इस प्रकार सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओंके साथ अपना कुछ-कुछ तादात्म्य दिखाकर व्यक्त करती हैं, भले ही उन कार्यकर्त्ताओंमें नगरपालिकाके कामके उपयुक्त गुण हों या न हों। सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओंको नगरपालिकाकी ओरसे मानपत्र देना केवल इसी दृष्टिसे उचित ठहराया जा सकता है। किन्तु इन मानपत्रोंके देनेसे मुझे पाश्चात्य देशोंके इस सम्बन्धमें किये गये प्रयत्नोंकी प्रशंसा करनेका अवसर मिला, यद्यपि मैं सामान्यतः पाश्चात्य संस्कृतिका विरोध करता हूँ।[1] हम पाश्चात्य देशोंसे एक बात सीख सकते हैं और हमें सीखनी चाहिए। वह है उनका नगरोंकी सफाईका विज्ञान। हम अपनी सहज वृत्तिसे और अपनी आदतसे ग्राम्य-जीवनके अभ्यस्त हैं, जिसमें सामुदायिक स्वच्छताकी आवश्यकता अधिक अनुभव नहीं की जाती। किन्तु चूँकि पाश्चात्य सभ्यता भौतिकता-प्रधान है और इस कारण उसका रुझान गाँवोंकी उपेक्षा करके शहरोंके विकासकी ओर ही अधिक है, इसलिए पाश्चात्य देशोंके लोगोंने सामुदायिक स्वच्छता और स्वास्थ्य-रक्षाका विज्ञान विकसित कर लिया है। हमें इस विज्ञानसे बहुत-कुछ सीखना है। हमारी गलियाँ संकरी और टेढ़ी-मेढ़ी होती हैं, हमारे घर घिच-पिच और कम हवादार होते हैं, हम पीनेका पानी जहाँसे लेते हैं उसकी सफाईकी घोर उपेक्षा करते हैं। हमें इन दोषोंको दूर करनेकी जरूरत है। प्रत्येक नगरपालिका लोगोंसे स्वच्छताके नियमोंका पालन करानेका आग्रह करके बड़ीसे-बड़ी सेवा कर

१. देखिए "भाषण: मानपत्रोंके उत्तरमें", २१-१२-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

सकती है। यह विचार भ्रमपूर्ण है कि स्वच्छता-सम्बन्धी सुधार करनेके लिए, बहुत अधिक धनकी आवश्यकता है। हमें स्वच्छताके पाश्चात्य तरीकोंको अपनी आवश्यकताओंके अनुरूप बदल लेना चाहिए; और चूँकि मेरी देशभक्ति ग्रहणशील है, उसमें सबके लिए गुंजाइश है और किसीके प्रति वैर-भाव या द्वेष-भाव नहीं है, अतः मैं पाश्चात्य भौतिकतासे घृणा करनेपर भी उसमें जो-कुछ मेरे लिए लाभप्रद है उसे ग्रहण करनेसे नहीं झिझकता। और चूँकि मैं यह जानता हूँ कि अंग्रेजोंमें सूझबूझ है; इसलिए मैं उनसे ऐसे मामलोंमें कृतज्ञतापूर्वक सहायता लेनेका प्रयत्न करता हूँ। उदाहरणके लिए मनुष्यके मैलेको ठिकाने लगानेका सबसे कम खर्चीला और सबसे ज्यादा कारगर तरीका मुझे श्री पूअरसे मालूम हुआ है। उन्होंने हमें बताया है कि हम अज्ञान अथवा पूर्वग्रहके कारण इस अत्यन्त उपयोगी खादको नष्ट कर देते हैं। मनुष्यके मैलेको उचित जगहपर डाला जाये और उसका उचित उपयोग किया जाये तो वह बेकारकी गन्दगी नहीं होगी। अंग्रेज कहते हैं, गन्दगी अनुपयुक्त स्थानपर रखे हुए पदार्थका ही नाम है।

दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय

दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय प्रवासियोंके इर्द-गिर्दकी सर्प-कुण्डली दिन-प्रतिदिन कसती ही जा रही है। अब नेटालमें भारतीयोंको नगरपालिका-सम्बन्धी मताधिकारसे भी वंचित कर दिया गया है। कहा गया था कि उनके इस अधिकारकी रक्षा की जायेगी। जब उनसे राजनीतिक मताधिकार छीननेका प्रयत्न किया गया था, तब नेटाल सरकारने घोषणा की थी कि भारतीय जिस नगरपालिका-सम्बन्धी मताधिकारका उपभोग कर रहे हैं, उसे उनसे छीननेका उसका कोई विचार नहीं है। किन्तु आधुनिक सरकारोंकी दृष्टिमें एक दुर्बल पक्षको दिया गया कोई भी वचन पालनीय नहीं होता। प्रत्येक पक्षको अपनी ही शक्तिके बलपर अपने अधिकारोंकी रक्षा करनेमें समर्थ होना चाहिए। भारत सरकार भारतीयोंकी संरक्षक होनेकी जो गर्वोक्ति करती रही है, वह इस संकटके अवसरपर काम नहीं आई। मैं जानता हूँ कि प्रवासी हमसे सहायता और संरक्षणकी अपेक्षा रखते हैं। किन्तु उन्हें जानना चाहिए कि उन्हें फिलहाल भारतसे कोई सहायता नहीं मिल सकती। भारत तो स्वयं जीवन-मृत्युके संघर्षमें लगा हुआ है। सालों पहले स्वर्गीय फीरोजशाह मेहताने भविष्यवाणी की थी कि भारत समुद्र-पारके भारतीयोंको तबतक कोई खास सहायता नहीं दे सकता, जबतक उनमें स्वयं अपने अधिकारोंकी रक्षा करनेकी सामर्थ्य नहीं आ जाती। स्व० पेस्तनजी पादशाको मेरा दक्षिण आफ्रिका जाना बिलकुल ही नापसन्द था। उनका खयाल था कि यदि कोई भारतीय कार्यकर्त्ता भारतसे बाहर जाता है तो वह उस हदतक हमारी राष्ट्रीय शक्तिका अपव्यय है। मेरा खयाल है कि यद्यपि श्री पादशा बड़े स्पष्टदर्शी थे, फिर भी इस बारेमें उनका सोचना ठीक नहीं निकला। मैं दक्षिण आफ्रिकामें रहा, इससे मेरी शक्तिका अपव्यय नहीं हुआ। किन्तु श्री पादशाकी तीव्र इच्छा थी कि पहले भारतकी स्वतन्त्रता हासिल की जाये। क्या इस इच्छाके मूलमें एक बहुत बड़ी सचाई नहीं है? जबतक हमें यह स्वतन्त्रता नहीं मिलती, तबतक

Gandhi Heritage Portal

हम अपने समुद्र-पारके भाइयोंको समाचारपत्रों द्वारा और अन्य प्रकारसे सहानुभूति प्रकट करके जो-कुछ सान्त्वना दे सकते हैं, वह देते रहें; और तबतक हम इतना ही भर कर सकते हैं।

एक नमूना

मैं नीचे बाबू हरदयाल नागका पत्र देता हूँ:[1]

बाबू हरदयाल नाग एक पुराने असहयोगी हैं। उनका रुख बहुत-से अपरिवर्तन-वादियोंके रुखका नमूना है। उनके-जैसे विचार हैं, उनको देखते हुए, मैं उनके बेल-गाँव न जानेके निर्णयकी पुष्टि ही कर सकता हूँ। सच कहूँ तो असहयोगके स्थगनकी बातपर उन्होंने जो रोष प्रकट किया है, मैं उसकी भी कद्र करता हूँ। ऐसा रोष और भी अधिक लोग प्रकट करते तो अच्छा होता। मैं राष्ट्रीय पैमानेपर चालू असह-योगको स्थगित करनेकी सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि यह मुझे कोई बहुत अच्छा लगता है। परिस्थितियोंने मुझे ऐसा करनेको विवश कर दिया है। आवश्यक हो तो उसमें विश्वास रखनेवाले व्यक्ति इसे फिरसे राष्ट्रीय रूप दिला सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने व्यवहार द्वारा इसकी सामर्थ्य दिखानी होगी और साथ ही स्वयं अहिंसक भी बने रहना होगा। मैं बाबू हरदयाल नागसे और उनके-जैसे विचारके लोगोंसे यह कहना चाहता हूँ कि वे अपने विरोधियोंपर दुष्टताका आरोप न लगायें। इसमें सबसे अच्छा नियम यही है कि लोग तुम्हारे बारेमें फतवे न दें, इसलिए लोगोंके बारेमें फतवे मत दो। हम जिन्हें धूर्त कहते हैं, वे प्रायः इसका ऐसा ही उत्तर देते हैं और बदलेमें हमपर यही आरोप लगाते हैं। किन्तु इस सम्बन्धमें भी मैं इस मान्यताको स्वीकार करता हूँ कि यदि कोई किसीको इतना दुष्ट समझे कि उसे सुधारके अयोग्य माने तो उसे अवश्य ही उससे असहयोग करना होगा। क्योंकि दुर्भाग्यवश बहुत-सी बातें केवल व्यक्तिकी मानसिक स्थितिसे नियन्त्रित होती हैं। यदि मैं भ्रमवश रस्सीको साँप मान लूँ तो सम्भव है, मैं भयसे पीला पड़ जाऊँ। इसपर समीप खड़ा कोई व्यक्ति जो जानता है कि यह तो साँप नहीं, रस्सी है, हँसेगा ही।

१. यह पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें बाबू हरदयाल नागने बेलगाँव कांग्रेसमें शामिल होनेकी अपनी असमर्थताके कारण बताये थे। उन दिनों सभा-सम्मेलनोंकी जो स्थिति हो गई थी, उसके कारण उन्हें उनमें कोई उपयोगिता दिखाई नहीं देती थी। वे कट्टर असहयोगी थे और असहयोगका स्थगित किया जाना उन्हें पसन्द नहीं था। असहयोगको स्थगित करके स्वराज्यवादियोंके साथ सहयोग करना वे बुराई और शैतानीके साथ सहयोग करना मानते थे। दूसरी ओर वे गांधीजीके खिलाफ मत भी नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वहाँ न जाना ही ठीक समझा। उन्होंने बहुमतके निर्णयमें अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा था कि बहुमतसे जो निर्णय होगा वह उन्हें मान्य होगा ही। इसके अलावा उन्हें अपने खद्दरके कामकी भी बड़ी चिन्ता थी और उसे कुछ समयके लिए भी वे छोड़ना नहीं चाहते थे—विशेषकर इस कारणसे कि उनके कथनानुसार बंगाल कांग्रेसके स्वराज्यवादियोंके हाथमें होनेके कारण खद्दरकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने कहा था कि इसी कारण वहाँ राष्ट्रीय पाठशालाओंकी भी स्थिति बहुत बुरी थी। अन्तमें उन्होंने गांधीजीको बंगाल आकर वहाँके कट्टर असहयोगियोंसे बातचीत करनेको आमंत्रित किया था।

Gandhi Heritage Portal

मनकी एक अपनी ही दुनिया है। मन स्वर्गको नरक बना सकता है।[1] जहाँतक बंगालके कांग्रेस-संगठनोंके विरुद्ध शिकायतका सम्बन्ध है, आज उनकी स्थिति जैसी भी हो, यदि हाथसे सूत कातना कांग्रेसके मताधिकारका अंग बन जाता है तो जो भी कांग्रेस-संगठन हाथ-कताईको प्रोत्साहन नहीं देता और उसका संगठन नहीं करता वह जीवित नहीं रह सकेगा।

जहाँतक बंगालका दौरा करनेका सम्बन्ध है, मैं जल्दीसे-जल्दी, अवसर मिलते ही, विभिन्न जिलोंका दौरा करने आऊँगा। किन्तु उसका समय निश्चित करना कठिन है। २३ जनवरीके बाद मेरे समयपर पहला अधिकार कोहाटके शरणार्थियोंको है। और २३ जनवरीतक मेरे एक-एक दिनका कार्यक्रम निश्चित हो चुका है। यह कहना कठिन है कि पंजाबका काम खत्म हो जानेपर भाग्य मुझे कहाँ ले जायेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २६-१२-१९२४

३८१. उद्घाटन भाषण : बेलगाँव कांग्रेसमें

२६ दिसम्बर, १९२४

अध्यक्ष लँगोटी पहने और अपने हाथमें खद्दर लिये मंचसे उतरकर भाषण स्थानपर आये। लोगोंने उत्साहपूर्वक उनका जय-जयकार किया। उन्होंने अपना थैला मंचपर लटकाकर एक काफी ऊँची तिपाईपर आसन ग्रहण किया और अपनी घड़ी सामने खोलकर रख दी। इसके बाद स्वागत समितिके अध्यक्षने चन्दनकी छोटी-सी सन्दूकचीमें रखी कर्नाटकके इतिहासकी एक प्रति यह कहते हुए उनको भेंट की कि "महोदय, यह आपकी जानकारीके लिए है।" अध्यक्षने यह भेंट हर्ष-ध्वनिके बीच मुक्त मुस्कानके साथ ग्रहण की। इसके बाद, उन्होंने हिन्दीमें अपना भाषण आरम्भ किया :[2]

"भाई गंगाधरराव,[3] भाइयो और बहनो,

आपने मुझे यह उत्तम स्थान दिया है, इसीलिए मैं आप सब भाइयों और बहनोंको कोई बड़ी तकरीर सुनाना नहीं चाहता। जो-कुछ भी मैं इस स्थानसे कहना चाहता था वह सब भाई और बहनें जानती हैं। मेरा भाषण,[4] एड्रेस, व्याख्यान (जो है) उसका अनुवाद हिन्दीमें, कन्नड़में, मराठीमें और अंग्रेजीमें छप गया है और मैंने गंगाधररावजीसे प्रार्थना की थी कि वह आप सब डेलिगेट भाइयोंको कल शामतक मिल जाये। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्याख्यान मिल गया है और आप सबने उसे अच्छी तरहसे पढ़ लिया है।

१. मिल्टनकी **पैराडाइज़ लॉस्ट**।
२. यहाँतक का अंश अंग्रेजी रिपोर्टसे अनूदित है।
३. स्वागत-समितिके अध्यक्ष।
४. देखिए अगला शीर्षक।

Gandhi Heritage Portal

मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज हमारे सामने ऐसा मौका आ गया है कि हम जो १९२०–२१ में करना चाहते थे वह न कर सके; लेकिन उसके बदले हमारे अन्दर मतभेद, दुश्मनी पैदा हो गई है। हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरेको दुश्मन मानते हैं और एक-दूसरेको मारा-पीटा करते हैं। यह कोई स्वराज्य लेनेका ढंग नहीं है। बात समझानेकी कोई जरूरत नहीं है। हम हिन्दू अपनी अस्पृश्य जातिको घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं। हम उसके छूनेमें पाप समझते हैं, ऐसा मानकर हम उसको अशुद्ध समझते हैं। लेकिन खुदाके सामने, ईश्वरके सामने हम बड़ा भारी गुनाह करते हैं। यह ठीक है कि हमने पिछले वर्षोंसे, ३–४ वर्षसे, मान लिया है कि बड़े-छोटे हरएकको चरखा चलाना चाहिए और, हम हैं कांग्रेसमें, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटीमें कहते आये हैं कि हम चरखेसे स्वराज्य लेनेका इरादा रखते हैं। जब मैं पूनामें गया था —— इस आन्दोलनमें —— मैंने एक सभामें कहा था[1] कि लोकमान्यने हमें एक श्लोकार्थ दिया है। वह यह है कि 'स्वराज्य मनुष्यका जन्म-सिद्ध अधिकार है।' मैं इस श्लोकको पूरा करनेके लिए पैदा हुआ हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं यही फिर कहता हूँ। अगर हम स्वराज्य चाहते हैं तो उसका रास्ता चरखा है, सूत है, खद्दर है। मुझे यह जानते हुए अफसोस होता है कि आप इसे जानते हैं, मगर इसपर चलते नहीं। पर मैं इसके सिवा न कुछ जानता हूँ और न सोच ही सकता हूँ। इससे मैं आप भाइयों और बहनोंको कहता हूँ कि मेरा आपके सामने उपस्थित होना और भाषण देना निरर्थक है। मेरा दिल यह कहता है कि यह निकम्मा काम है। और यों करना आपका और मेरा अपना वक्त भी —— जो मैं समझता हूँ, अमूल्य है —— खराब करना है। अमूल्य इसलिए कि मैं अपनेको खुदाका बन्दा मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि स्वराज्य इस तरह नहीं मिलेगा। मौलाना मुहम्मद अलीकी बेगम साहबा कहती थीं कि जब-जब मैं कांग्रेसमें आती हूँ तो एक सप्ताहके लिए मालूम होता है कि हमें स्वराज्य मिल गया है। इसका मतलब यह है कि हम स्वराज्यका नाटक रचते हैं, जैसे कि हरिश्चन्द्रका अभिनय देखते हैं। हकीकत यह है कि उसमें हरिश्चन्द्र नहीं होता। जो हरिश्चन्द्रका अभिनय करता है वह सत्यवादी है या नहीं, वह हम नहीं जानते। इसी तरह स्वराज्यका जलसा भी एक नाटक हो गया है।

इसलिए मैं आप भाइयोंसे कहना चाहता हूँ कि देशबन्धुदास एक प्रस्ताव रख रहे हैं; अगर आप उसको मानते हैं तो स्वीकार करें, अगर नहीं मानते हैं तो अस्वीकार कर दें। इसमें हिन्दू-मुसलमान ऐक्यकी बात नहीं है; न इसमें अस्पृश्यताका उल्लेख है। इसमे एक ही बात लिखी है कि हम चरखा चलाना चाहते हैं। और आप लोग जो यहाँ प्रतिनिधि होकर आये हैं अछूत, ईसाई, अथवा अन्य कोई भी हों —— उनके प्रतिनिधि होकर आये हैं और अगर आप मुहम्मद अली और दासकी प्रतिज्ञा माननेवाले हैं तो मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप जो-कुछ करना चाहते हैं, ईश्वरको दरम्यान रखकर करें। अगर आपका दिल मानता है कि यह बात ठीक नहीं है, गांधी आपको धोखेमें डालता है तो आप इसे अस्वीकार कर दें, त्याग कर दें। अगर आप भाइयोंने ऐसी प्रतिज्ञा की,

१. देखिए "भाषण: पूनाकी सार्वजनिक सभामें", ४-९-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

आपने इस प्रस्तावको स्वीकार किया — मैं स्वीकार करना प्रतिज्ञा करना समझता हूँ, ईश्वरका नाम लेकर प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा करके उसपर न चले तो मैं आपको आपपर छोड़ता हूँ। अगर देशको गांधीका काम पागलपन मालूम हो तो उसका त्याग कर दीजिए। आप फिर सोच लें कि क्या हिन्दुस्तान स्वराज्यके काबिल है? जो प्रतिज्ञा छोड़ देता है, उसके लिए जगत् क्या कहता है? तुलसीदास उसे क्या कहते हैं? भले ही 'बाइबिल' हो, भले ही 'गुरु ग्रंथसाहब' हो, भले ही 'कुरान' हो, उसको पढ़िए। आप पायेंगे कि ऐसा आदमी कोढ़ी है, निकम्मा है, झूठा पैसा है, खोटा रुपया है। अगर झूठा पैसा लेकर दुकानमें गये तो गवर्नमेंट सजा देगी। तो मैं आपको यही सुनाता हूँ और आपको बहकाना नहीं चाहता। मैं खेल खेलना नहीं चाहता हूँ। जो सोचता हूँ, समझता हूँ, वही सुनाता हूँ। मुझे विश्वास है कि जबतक करोड़ों भाई-बहन चरखा नहीं चलाते, सूत नहीं कातते, खद्दर नहीं तैयार करते, नहीं पहनते, स्वराज्य हर्गिज हासिल नहीं हो सकता। जबतक यह नहीं होता, तबतक हिन्दुस्तानमें कंगालीयत नहीं मिटेगी जबतक देशके करोड़ों कंगालोंको रोटी नहीं मिलेगी, तबतक स्वराज्य नहीं मिल सकता।

अगर आप स्वराज्य चाहते हैं तो यही शर्त है। मैंने, देशबन्धु दास और पण्डित मोतीलाल नेहरूके साथ एक करार किया है और मैंने वह सारे भारतवर्षके सामने रखा है। और मैं समझता हूँ कि जो-कुछ हम चाहते हैं इसमें कोई गलती नहीं है। जो-कुछ वे चाहते हैं, उसका हक उनको है। मैं यह मानता हूँ कि कौंसिलोंकी मार्फत कुछ भी नहीं मिल सकता। लेकिन कुछ बड़े-बड़े नेता हैं, जो मानते हैं कि कुछ-न-कुछ मिल सकता है; कुछ नहीं करते तो कौंसिलोंमें तो जायें। यह सच है। मैं कहता हूँ कि जब वे उसमें फायदा समझते हैं तो वे जरूर जायें। वे भी मुल्कके नेता हैं। मैं कौन हूँ कि जो नहीं कहूँ। तो करारमें यह है कि अगर जाना चाहते हैं तो जायें। इसके मानी यह नहीं कि जो असहयोगी हैं वे भी उसको मानें। कांग्रेस नाफेरवादी (अपरिवर्तनवादी) और फेरवादी (परिवर्तनवादी) दोनोंकी है। किसी एककी है, यह बात झूठी है। इसलिए वे [कौंसिलोंमें] कांग्रेसकी तरफसे जायेंगे।

मैंने कहा है कि यह बात झूठी है। पर यह आग्रह कि मेरी ही बात सच है और दूसरोंकी बात झूठी — तो यह भी एक खतरनाक बात है। इस आग्रहको भी मिटा देना है। जबतक जगत्में मस्तिष्क अलग-अलग हैं, तबतक मत भी अलग-अलग रहेंगे। लेकिन हम हरएकको हृदयसे लगाना चाहते हैं; सहनशीलता पैदा करना चाहते हैं — यह भी अहिंसाका ही एक टुकड़ा है।

लेकिन मैंने कहा है कि यह छोटी बात है। प्रतिज्ञामें सबसे बड़ी बात चरखा है। चरखा-शास्त्र अगर आप नहीं मानते हैं, खद्दरको नहीं मानते, अगर आप यह मानते हैं कि 'फ्रेंचाइज'से नई कांग्रेसकी शक्ति कम हो जायेगी तो इसका त्याग कर दें।

भाइयो, मैंने इतना हिन्दीमें, टूटी-फूटी हिन्दीमें समझा दिया। यह कहते हुए मुझे अफसोस होता है कि कितने भाई दक्षिण, कर्नाटकसे आते हैं जो कहते हैं 'अंग्रेजीमें बोलें', — यह बड़े दरदकी बात है। मैं जबसे हिन्दुस्तानमें आया तबसे कहता रहा हूँ कि कमसे-कम कांग्रेसमें स्वराज्यके विषयमें, हिन्दीमें बात करें। लेकिन

Gandhi Heritage Portal

हमारे दुर्दैवसे हमारी शिक्षामें ऐसा दोष आ गया है और आलसीपन आ गया है कि जितना प्रयत्न इसके लिए करना चाहिए, हम लोगोंने नहीं किया है। अगर मुझे विश्वास हो जाये कि मैं जो-कुछ कहना चाहता हूँ वह जो भाई तमिलनाडसे आये हैं या कर्नाटकके हैं, मेरी टूटी-फूटी हिन्दी समझ लेते हैं तो भी चल जाता; मगर मैं तो जानता हूँ। लोग नहीं समझते। मैं एक बात भूल गया। मैं देशबन्धु दासको भूल गया। इस गुनाहमें बंगाल भी मदद कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति देता कि जिस भाषामें रवीन्द्रनाथ ठाकुर उत्तम काव्य देते हैं, उसको मैं सीख लेता और बंगालीमें बंगाली भाइयोंको सुनाता। लेकिन मेरे भाग्यमें वह बात नहीं थी।

तो प्रार्थना एक ही है। वह भी हमारे भाई समझ लें — हिन्दीमें जो कहना था, समाप्त किया। यह प्रस्ताव आपने समझ लिया है, इसलिए वे[1] आयेंगे और जो-कुछ कहना है कह देंगे, प्रस्ताव नहीं पढ़ेंगे। आप उनको मजबूर न करें। प्रतिनिधियोंको सुभीता हो, वे प्रस्ताव पढ़ लें, इसलिए मैंने जवाहरलाल और गंगाधरराවजीसे कहा था कि प्रस्ताव उनके पास पहुँच जाये। वह आपके पास पहुँच गया होगा। (नहीं, नहीं — की अवाजें)। कितने ऐसे हैं? (बहुत-से — की आवाज) अच्छा। मैंने सुना दिया है कि उस प्रस्तावमें क्या लिखा है। (हँसी) आप सब वह प्रस्ताव पढ़ लेंगे, अखबारोंमें निकल जायेगा। थोड़ी-सी बात है; उसमें स्वराज्यवादी और अपरिवर्तनवादी दोनों, 'चेंजर' और 'नोचेंजर' सब एक होकर रहना चाहते हैं। हमारे मतमें फरक है, लेकिन हमारे हृदयमें फरक नहीं है। अगर आप नाफेरवादी (अपरिवर्तनवादी) हैं तो भी आपके हृदयमें उतना ही स्थान देशबन्धु दास, पण्डित मोतीलाल और केलकरके लिए और दूसरोंके लिए होना चाहिए जितना मेरे लिए है। अगर आप स्वराज्यवादी हैं तो मेरे लिए उतना ही स्थान होना चाहिए जितना उनमें से किसीके लिए है। यही हिन्दू-मुस्लिम यूनिटी है — हिन्दू-मुस्लिम एकताका यही अर्थ है कि मैं सनातनी हूँ तो जितना स्थान मेरे हृदयमें पूज्य मालवीयजीके लिए है, उतना ही मौलाना मुहम्मद अलीके लिए, शौकत अलीके लिए और किसी भी मुसलमानके लिए होना चाहिए, भले ही वह हमको दुश्मन मानता हो। यह बड़ी बात मैंने कह दी। आप कहेंगे, कहाँ, मालवीयजी और कहाँ दुश्मन समझनेवाला मुसलमान। लेकिन अगर 'गीताजी', 'भागवतजी', 'रामायणजी' पढ़कर मैंने कुछ सीखा है तो यही।

तो अब आप प्रस्ताव पढ़कर उनकी बात सुनें और उनको मजबूर न करें कि वह प्रस्ताव पढ़ें।

इसके पश्चात् महात्माजीने अंग्रेजीमें भाषण देते हुए कहा:[2]

मित्रो,

मैं आपका दस मिनटसे अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैंने अपने लिए केवल आधे घंटेका समय रखा था; किन्तु मैंने हिन्दुस्तानीमें बोलनेमें, जितना मैं चाहता

१. चित्तरंजन दास।
२. इससे आगेका अंश अंग्रेजी रिपोर्टसे अनूदित है।

Gandhi Heritage Portal

था, उससे अधिक समय लगाया है। आपको मेरे भाषणकी, हमारे मतलबकी बहुत-सी आवश्यक भाषाओंमें अनूदित प्रतियाँ मिल गई हैं, इसलिए मैं उस भाषणका कोई भी अंश नहीं पढ़ना चाहता। इससे आपका धैर्य जाता रहेगा तथा आपका और मेरा समय भी बरबाद होगा, इसीलिए मैं उस भाषणको नहीं पढ़ रहा हूँ। हम उस कार्यको, जो हमारे सामने पड़ा है, यथासम्भव जल्दीसे-जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। देशबन्धु दास अभी आपके सामने मुख्य प्रस्ताव रखेंगे। यदि आप उस प्रस्तावको अस्वीकार कर देते हैं तो आप अपने रास्ते चलें और जो आप अपने तथा देशके लिए सर्वोत्कृष्ट समझें वही करें; और मुझे भी अनुमति दें कि मैं भी जो काम अपने लिए सबसे अच्छा समझता हूँ उसमें अर्थात् कताईमें लग जाऊँ। मैं आपसे, आपमें से प्रत्येक व्यक्तिसे आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि आपके सामने जो-कुछ रखा जा रहा है, आप उसपर ध्यानपूर्वक विचार करें।

आपके सामने एक क्रान्तिकारी परिवर्तनका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो मेरे विचारसे, जैसा कि लालाजीने कहा है, उतना ही क्रान्तिकारी है जितना कि १९२० में उन्हींके सभापतित्वमें सम्पन्न कलकत्ताके विशेष अधिवेशनमें राष्ट्र द्वारा किया गया परिवर्तन था। मैं तो लालाजीकी तरह यह भी स्वीकार करता हूँ कि जिस परिवर्तनको मैंने प्रस्तुत किया है और राष्ट्रके सामने रखा है वह सम्भवतः और भी अधिक क्रान्तिकारी है। इसलिए यदि आप उक्त प्रस्तावका समर्थन पूरे हृदयसे करें और उसपर अमल करें तो मैं कह सकता हूँ कि उससे स्वराज्य शायद काफी निकट आ जायेगा; क्योंकि वे दिन चले गये जब हम केवल प्रस्ताव पास करके सन्तुष्ट हो जाते थे और फिर उन्हें भूल जाते थे। इस प्रस्तावमें अस्पष्ट तरीकेसे राष्ट्रसे अपील नहीं की गई है; बल्कि काम करनेकी इच्छा रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिसे आग्रह किया गया है। यह प्रस्ताव विशेष रूपसे दोपहर बाद यहाँपर उपस्थित प्रत्येक समझदार स्त्री-पुरुषको ध्यानमें रखकर तैयार किया गया है और यद्यपि देशबन्धु दास और मौलाना मुहम्मद अली आपसे ईश्वरको साक्षी रखकर इस प्रस्तावको पास करनेके लिए नहीं कहेंगे, फिर भी मैं आपसे वैसा करनेके लिए कहता हूँ; और जब आप इस प्रस्तावपर मतदान करने लगें, तब कृपया याद रखें कि आप उसे ईश्वरको साक्षी मानकर पास कर रहे हैं। इसका मतलब होगा कि आप राष्ट्रके लिए, देशके दरिद्रतम लोगोंके लिए, स्वराज्यकी प्राप्तिके निमित्त कुछ करनेका जिम्मा ले रहे हैं। यदि आपका इस प्रस्तावपर पूर्ण विश्वास नहीं है तो अब मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इसको अस्वीकार कर दें।

इस प्रस्तावके पीछे मेरा व्यक्तित्व है, इसका आपपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। मैंने बार-बार आप लोगोंसे कहा है कि मैं कोई ऐसा मनुष्य नहीं हूँ, जिससे गलती नहीं हो सकती। मैंने इस बातको बार-बार स्वीकार किया है कि मुझसे भूल हो सकती है। मैंने कई बार स्वीकार किया है कि मैंने जीवनमें कभी-कभी बेहद भारी भूलें भी की हैं। मैंने उसके लिए प्रायश्चित्त किया है। जो मनुष्य कभी गलती नहीं करता वह पूर्ण मनुष्य होता है। उसे प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता नहीं होती।

Gandhi Heritage Portal

उसे पश्चात्ताप करनेकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उससे कोई भूल हो ही नहीं सकती। उसे बहस करनेकी भी आवश्यकता नहीं। मैं तो आप-जैसा ही भला या बुरा एक मर्त्य प्राणी हूँ। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस प्रस्तावसे मेरे व्यक्तित्वको अलग रखकर ही आप अपने उत्तरका निश्चय करें।

यह प्रस्ताव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ कि बहुत-से ऐसे लोग हैं, जिनके विचार इसके विरुद्ध हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जो कहते हैं: "यह उचित नहीं कि हम अपना सम्पूर्ण विश्वास कातनेमें ही रखें।" कुछ दूसरे लोग कहते हैं, "कातना अच्छा तो है, लेकिन इस कष्टकर कार्यको बहुत लम्बे अरसेतक करते रहनेके बाद ही इसका परिणाम निकल सकता है।" तीसरी तरहके लोग कहते हैं: "यद्यपि खद्दर और हाथ-कताई, दोनों ही अपने आपमें अच्छे हैं; तथापि राष्ट्रीय मताधिकारमें उनके लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।" किन्तु मेरे विचार इनसे बिलकुल भिन्न हैं। और मेरा यह विश्वास दिन-प्रतिदिन इतना अधिक बढ़ता जा रहा है कि यदि मेरा सारा समय मेरे अपने हाथमें होता तो मैं हर समय कातता ही रहता और अनुभव करता कि चरखेके प्रत्येक चक्करमें स्वराज्य अधिकाधिक हमारे निकट आ रहा है। इस चक्करसे स्वराज्य हमारे अधिकाधिक निकट आ रहा है। चरखेकी इस गतिको ३० करोड़से गुणा करके आप सोचिए कि उससे स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए कितनी गति, कितनी शक्ति पैदा हो जायेगी। किन्तु आपको यह शक्ति तभी मिलेगी जब आपके हृदयमें भी स्वराज्यको सुलभ करानेकी उसकी क्षमतामें मेरे समान ही विश्वास हो।

मैंने अपने भाषणमें बहुत-सी बातें कहीं हैं। श्रीमती सरोजिनी देवीने मुझे एक बातकी चर्चा करनेके लिए कहा है। मेरे मनमें उनके प्रति बहुत आदर है, क्योंकि उन्होंने दक्षिण आफ्रिकामें बड़ी शानदार सेवा की है। इसलिए मैं उसका खयाल करके अब उनकी बातकी चर्चा करता हूँ। वह है हिन्दू-मुस्लिम एकता। मौलाना शौकत अली कहते हैं: "मैं इस सारे कामसे तंग आ गया हूँ। हमें हिन्दू-मुस्लिम दंगोंकी, चाहे वे कहीं भी हों, परवाह नहीं करनी चाहिए।" उस बड़े सिरमें बुद्धित्व भी काफी है, सच मानिए, उसमें सिर्फ चरबी ही नहीं है। (हँसी) बार-बार उन्होंने कहा है: "ये मेरे मुसलमान भाई जड़बुद्धि हो गये हैं। वे पागल हो गये हैं। इसी प्रकार आपके हिन्दू भी जड़बुद्धि हो गये हैं। हम उनके झगड़ोंका फैसला करनेकी कोशिश कर रहे हैं और हमारी इस कोशिशमें स्वराज्य हमारे हाथोंसे खिसक रहा है। इसलिए हमें उन्हें उनके हालपर ही छोड़ देना चाहिए।" किन्तु मैं वैसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तो हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए भी, चरखेके समान ही पागल हूँ। यह मेरी उत्कट अभिलाषा बन गई है। मैं इसे न तो छोड़ ही सकता हूँ और न इसे भुला ही सकता हूँ। इस प्रकार आप जानते हैं कि मैं उस छोटी-सी लड़की गुलनारपर मुग्ध हो गया हूँ। आप पूछ सकते हैं: "यह आदमी उस लड़कीपर क्यों मुग्ध है?" मैं कहूँगा: "इसका एक कारण है।" यह लड़की जब बड़ी होगी तब वह सोचेगी: एक गांधी था; वह सनातनी हिन्दू होनेपर भी, मेरे साथ मांस न खानेपर भी, स्वयं गो-मांस न छूनेपर भी और गो-पूजक होनेपर भी, जो लोग गो-मांस खाना पसन्द करते हैं

Gandhi Heritage Portal

और खाना चाहते हैं, उनके गो-मांस खानेपर आपत्ति नहीं करता था। हो सकता है कि जबतक यह लड़की वयस्क हो, तबतक मैं मर जाऊँ; किन्तु जब वह बड़ी होगी, मेरे सन्देशको लोगोंतक पहुँचायेगी। आज वह शुद्ध और भोली-भाली है। वह सोचती है कि कहीं भी कोई खराबी नहीं है। वह घृणाको जानतीतक नहीं। वह प्रेमकी प्रतिमा है। मैं उसमें प्रेमका साकार रूप देखता हूँ। इसीलिए हमें पृथक् करनेवाली इस खाईके रहते हुए भी मैं उसके साथ अपने निकटतम सम्बन्धीके समान व्यवहार कर रहा हूँ। मैं उसके माध्यमसे मुसलमानोंके साथ अपना ऐक्य स्थापित करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। उसका खयाल है कि 'कुरान' के अनुसार उसके लिए गो-हत्या करना वैध है, जब कि मेरा धर्म मुझे आदेश देता है कि मैं गो-हत्या न करूँ। इन परिस्थितियों-में मैं कौन हूँ जो उसे कहूँ कि वह गो-हत्या न करे? यदि मैं ऐसा करूँ तो मेरा वह कार्य मेरे धर्मके विरुद्ध होगा। किन्तु मैं उसे प्रेमका पाठ पढ़ाकर जीतना चाहता हूँ। मैं उससे कहूँगा, बल्कि कहता हूँ कि 'कुरान' तुमको मजबूर नहीं करता कि तुम गो-हत्या करो या गो-मांस खाओ। मेरा धर्म न केवल इसकी अनुमति नहीं देता, बल्कि मेरा 'कुरान' मुझे मजबूर करता है कि मैं गायकी पूजा करूँ। तुम चाहे गायकी पूजा न करो, किन्तु यदि मैं गो-मांस नहीं खाता तो उसे तुम बुरा तो न मानो, यदि मैं गायकी पूजा करता हूँ तो तुम उसे भी सहन करो। मेरे प्रति मित्रतापूर्ण भावनाके कारण तुम गो-वध करनेसे हाथ रोक सकती हो। उस लड़की गुलनारसे मेरे प्रेम करनेका यही रहस्य है। इसीलिए मैं मौलाना शौकत अलीकी मुट्ठी मैं रहता हूँ। और मैं मालवीयजीका खयाल क्यों नहीं करता? इसका केवल एक कारण है कि उनके प्रति मेरी भक्ति स्वयंस्फूर्त है। किन्तु मुसलमानोंका मैं विशेष खयाल रखता हूँ। मैं अन्यथा कर भी कैसे सकता हूँ? जब आप मुसलमानोंका विशेष खयाल रखेंगे तो आप ठीक निष्कर्षपर पहुँच जायेंगे और इस समस्याका सही हल निकाल लेंगे। यदि कोई कहे: "हिन्दुओंको क्या करना चाहिए और मुसलमानोंको क्या करना चाहिए, आप इस समस्याका हल निकालें। तो मैं कहूँगा, यह प्रत्येक हिन्दूका कर्त्तव्य है कि वह मुसलमानोंका विशेष खयाल रखे और प्रत्येक मुसलमानका कर्त्तव्य है कि वह हिन्दुओंका विशेष खयाल रखे। मान लीजिए कि मैं देखता हूँ कि एक ऐसा ऋषि है जो ईश्वरको देखने या प्राप्त करनेके लिए एक उपाय अपनाता है और मैं दूसरा उपाय अपनाता हूँ और इसीलिए वह जो-कुछ करता है उसे मैं शंकाकी दृष्टिसे देखता हूँ। तब मैं अपने मनमें कहता हूँ कि मुझे उसके दृष्टिकोणके प्रति विशेष सहानुभूति रखनी चाहिए और जब मैं ऐसा करूँगा, तभी मेरा आचरण न्यायपूर्ण होगा। मैं मुसलमानोंसे कहना चाहूँगा कि वे भी ऐसा ही करें —— वे हिन्दुओंका विशेष खयाल करके चलें।

उन्होंने (श्रीमती नायडूने) मुझसे एक बात और कहनेके लिए कहा है। उस बातका सम्बन्ध उदारदलवालोंसे है। "क्या आप उदारदलवालोंके बारेमें कुछ कहने जा रहे हैं?" मैं केवल यही कह सकता हूँ कि मैं उदारदलवालोंकी पूजा करता हूँ। जिस प्रकार मैं यह चाहता हूँ कि स्वराज्यवादी कांग्रेसमें आये उसी प्रकार मैं यह भी चाहता हूँ कि उदारदलीय लोग कांग्रेसमें आयें। मैंने अपना हृदय उनके सामने

Gandhi Heritage Portal

खोलकर रख दिया है। हम चरखेके पास बैठकर सूत कातना चाहते हैं। वे कहते हैं: "नहीं, हम चरखा लेकर नहीं बैठना चाहते, हम सूत नहीं कातेंगे।" तब मैं अपने आपसे पूछता हूँ: "अब मैं क्या करूँ?" यदि वे कहते हैं: "हम चरखेको छुयेंगे ही नहीं", तो मैं उन्हें केवल यह कहता हूँ, "आप कांग्रेसमें प्रवेश करें और मुझे उसमें से निकाल बाहर करें।"

अब मेरा भाषण समाप्त होता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप ईश्वरको साक्षी करके जो-कुछ करनेका निर्णय करें, उसे पूरा करें, चाहे इसके लिए आपको मृत्युका वरण ही क्यों न करना पड़े। (तालियाँ)

उनका छपा हुआ भाषण पढ़ा हुआ मान लिया गया। वह नीचे दिया जा रहा है?[1] . . .

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

३८२. अध्यक्षीय भाषण: बेलगाँव कांग्रेसमें[2]

२६ दिसम्बर, १९२४

दोस्तो,

आप लोगोंने जो सम्मान मुझे दिया है उसकी जिम्मेवारीको मैंने बहुत पसोपेशके बाद स्वीकार किया है। यह असाधारण मान इस बार आपको श्रीमती सरोजिनी नायडूको देना चाहिए था, जिन्होंने कि केनिया और दक्षिण आफ्रिकामें ऐसा अद्भुत काम किया है। लेकिन ईश्वरको ऐसा मंजूर न था। देशके भीतरी और बाहरी घटनाक्रमने मेरे लिए इस बोझको उठाना जरूरी कर दिया। मुझे मालूम है कि जिस ऊँचे पदपर आपने मुझे बिठाया है उसकी जिम्मेवारियोंको ठीक अदा करनेकी कोशिशमें आप मेरी पूरी-पूरी मदद करेंगे।

आरम्भमें, मैं इस मौकेपर भारतमें बी-अम्माँ, सर आशुतोष मुखर्जी, बाबू भूपेन्द्रनाथ बसु, डाक्टर सुब्रमण्यम अय्यर और श्री दलबहादुर गिरिकी तथा दक्षिण आफ्रिकामें पारसी रुस्तमजी और श्री पी० के० नायडूकी मृत्युपर अपने हार्दिक दुःखको और उनके प्रति अपने आदर-भावको जाहिर करता हूँ और इससे जो दुःख उनके रिश्तेदारोंपर गुजरा है उसके लिए आपकी तरफसे मैं उनके साथ हमदर्दी प्रकट करता हूँ।

सिंहावलोकन

सितम्बर १९२० से कांग्रेसका उद्देश्य खासकर देशकी भीतरी ताकतको बढ़ाना रहा है। फलतः दरख्वास्तों और अर्जियोंके जरिये अपने दुःख-दर्द दूर करनेका

१. देखिए अगला शीर्षक।

२. लगता है, यह भाषण १८ दिसम्बरसे पहले ही तैयार कर लिया गया था; देखिए "पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको", १८-१२-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

तरीका वह अब छोड़ चुकी है। इसकी वजह यह थी कि उसका यह विश्वास बिलकुल उठ गया था कि वर्तमान शासन-प्रणाली किसी भी अंशमें लाभकारी है। मुसलमानोंके साथ सरकारने जो वचन-भंग किया उसने लोगोंके विश्वासको पहला सख्त धक्का पहुँचाया। रोलेट कानून और ओ'डायरशाहीने, जो कि अपना रंग जलियाँवाला बागके कत्लेआममें लाई, लोगोंपर इस प्रणाली (निजामकी) की असलियतका भेद प्रकट कर दिया। इसके साथ ही लोगोंने इस बातको जाना कि इस मौजूदा हुकूमतका दारोमदार उनके सहयोगपर है, फिर चाहे वे यह सहयोग अपनी मर्जीसे दे रहे हों या मजबूरन और जान-बूझकर दे रहे हों या अनजाने। इसलिए मौजूदा शासन-प्रणालीको सुधारने या मिटानेके उद्देश्यसे यह तय किया गया कि जिस हदतक लोग अपनी रजामन्दीसे सहयोग कर रहे हैं, उसका हटाना शुरू करनेकी कोशिश करें और उसका प्रारम्भ ऊपरकी श्रेणीसे किया जाये। सन् १९२० में कलकत्तेमें कांग्रेसकी जो खास बैठक हुई थी, उसमें सरकारी खिताबों, अदालतों, शिक्षालयों, विधानसभाओं और विदेशी कपड़ेके बहिष्कारके बारेमें प्रस्ताव पास हुए। इन तमाम बहिष्कारोंपर कम या ज्यादा दर्जेतक उन लोगोंने अमल किया जिनका उनसे ताल्लुक था। और जिनके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था या जो इसके लिए राजी नहीं थे, वे कांग्रेससे अलग हो गये। यहाँ मैं आपके सामने असहयोग आन्दोलनके रंग-बिरंगे इतिहासका चित्र नहीं खींचना चाहता। इतना कहना काफी होगा कि यद्यपि किसी भी एक बहिष्कारमें पूरी-पूरी कामयाबी नहीं हुई तो भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिन-जिन चीजोंका बहिष्कार किया गया, उन सबकी इज्जत लोगोंके दिलोंसे जरूर ही उठ गई।

सबसे महत्त्वपूर्ण बहिष्कार, हिंसाका बहिष्कार था। यद्यपि एक वक्त ऐसा मालूम होने लगा था कि यह पूरी तरह सफल हो गया तथापि थोड़े ही अरसेमें यह पता लग गया कि हमारी अहिंसा बहुत कच्ची बुनियादपर खड़ी थी। हमारी अहिंसा लाचार लोगोंकी निष्क्रिय अहिंसा थी, न कि हिकमती और जानकार आदमीकी प्रबुद्ध अहिंसा। नतीजा यह हुआ कि जो लोग असहयोग आन्दोलनमें शरीक नहीं हुए थे उनके खिलाफ असहिष्णुताकी लहर चल पड़ी। यह एक सूक्ष्म प्रकारकी हिंसा थी। लेकिन इस भारी खामीके होते हुए भी मैं दावेके साथ यह कहता हूँ कि अहिंसाके प्रचारने हिंसाके उस तूफानको रोक दिया जो कि जरूर ही उठ खड़ा होता, अगर अहिंसात्मक असहयोग शुरू न हुआ होता। बहुत सोच-विचारके बाद मैं इस पक्की रायपर पहुँचा हूँ कि अहिंसात्मक असहयोगने लोगोंको अपनी ताकतकी पहचान करा दी है। इसने लोगोंके अन्दर कष्ट-सहनके जरिये प्रतिकार करनेकी छुपी ताकतको जगा दिया है। इसकी बदौलत जनतामें वह जागृति पैदा हो गई है जो कि शायद किसी और तरीकेसे न होती।

इसलिए यद्यपि अहिंसात्मक असहयोग हमें स्वराज्य नहीं दिला सका है, यद्यपि इससे कई खेदजनक नतीजे निकले हैं और यद्यपि जिन चीजोंका बहिष्कार करनेकी कोशिश की गई थी वे अब भी फल-फूल रही हैं तो भी मेरा विनम्र मत है कि अहिंसात्मक असहयोगने अब राजनीतिक आजादी हासिल करनेके एक साधनके तौरपर

Gandhi Heritage Portal

जड़ पकड़ ली है और उसकी यह आंशिक सफलता भी हमें स्वराज्यके नजदीक ले आई है और यह बात सूर्य-प्रकाशकी तरह स्पष्ट हो गयी है कि किसी ध्येयके लिए कष्ट सहनेकी क्षमता हो तो उसका मिलना जरूर आसान हो जाता है।

कदम थामनेकी जरूरत

लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसी हालत खड़ी हो गई है जो हमें मजबूर करती है कि हम कदम थामें। कारण, यद्यपि असहयोगमें अनेक व्यक्तियोंका विश्वास भी अटल है, किन्तु जिन लोगोंका इस आन्दोलनसे सीधा ताल्लुक है, उनमें से अधिकांशका आज विश्वास, एक विदेशी कपड़ेके बहिष्कारकी बातको छोड़कर उससे हट गया है। बीसियों वकीलोंने अपनी छोड़ी हुई वकालत फिरसे शुरू कर दी है। कुछको यह पछतावा भी है कि उन्होंने उसे कभी छोड़ा ही क्यों था। बहुत-से लोग जिन्होंने विधानसभाओंका बहिष्कार किया था, अब फिर उनमें चले गये हैं और विधानसभामें विश्वास रखनेवालोंकी तादाद बढ़तीपर है। सैंकड़ों लड़के-लड़कियाँ, जिन्होंने सरकारी पाठशालाओंको छोड़ दिया था, अब पछताकर फिर उनमें लौट रहे हैं। मेरे सुननेमें आया है कि इन सरकारी स्कूलों और कालेजोंमें प्रवेशकी माँग इतनी जबरदस्त है कि वे इन सारे प्रवेशार्थियोंको जगह नहीं दे पा रहे हैं। इस हालतमें इन चीजोंके बहिष्कारका पालन एक राष्ट्रीय कार्यक्रमके रूपमें तबतक नहीं किया जा सकता, जबतक कि कांग्रेस इन वर्गोंको छोड़कर अपना काम चलानेके लिए तैयार न हो। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि आज उन लोगोंको कांग्रेसके बाहर रखना उतना ही अव्यवहार्य है जितना कि असहयोगियोंको। यह जरूरी है कि दोनों दल एक-दूसरेके काममें दखल दिये बिना और एक-दूसरेके खिलाफ टीका-टिप्पणी किये बिना कांग्रेसके अन्दर ही रहें। जो सिद्धान्त हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यके सवालपर घटित होता है वही इन भिन्न-भिन्न दलोंकी पारस्परिक एकतापर भी होता है। हमें चाहिए कि हम आपसमें सहिष्णुता बढ़ावें और इस बातका यकीन रखें कि समय किसी भी एक दूसरेकी रायका कायल कर देगा, बल्कि हमें इससे भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। हमें नरमदलवालोंसे तथा उन दूसरे लोगोंसे भी जो कि कांग्रेससे अलहदा हो गये हैं, अनुरोध करना चाहिए कि वे फिर कांग्रेसमें शामिल हों। जो असहयोग मुल्तवी हो जाये तो उनके लिए कोई वजह बाकी नहीं रहती कि वे कांग्रेससे अलग रहें। मगर इस बातमें पहला कदम हम कांग्रेसवालोंको उठाना चाहिए। हमें प्रेमपूर्वक उन्हें कांग्रेसमें शामिल होनेके लिए दावत देनी चाहिए और कांग्रेसमें पुनः प्रवेशका उनका रास्ता आसान बना देना चाहिए।

मैं समझता हूँ कि अब आप समझ गये होंगे कि मैंने स्वराज्यवादियोंके साथ समझौता क्यों किया।

विदेशी कपड़ेके बहिष्कारका फर्ज

आप लोगोंने देखा होगा कि विदेशी कपड़ेका बहिष्कार बदस्तूर कायम रखा गया है। एक अंग्रेज दोस्तकी भावनाका खयाल करके समझौतेमें बहिष्कार शब्दकी

Gandhi Heritage Portal

जगह 'विदेशी कपड़ा न पहनना' रखा गया है। इसमें कोई शक नहीं कि बहिष्कार शब्दमें एक बुरी ध्वनि पाई जाती है। आम तौरपर इससे नफरतका भाव टपकता है। लेकिन जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, उस शब्दका उपयोग मैंने नफरतके मानीमें नहीं किया है। बहिष्कार अंग्रेजी कपड़ेका नहीं बल्कि विदेशी कपड़ेका है। इस भावमें बहिष्कार सिर्फ एक हक ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। यह फर्ज उतना ही अहम है जितना कि किसी गैर-मुल्कसे लाये गये पानीका बहिष्कार — अगर वह इस गरजसे मंगाया जाये कि हिन्दुस्तानकी नदियोंके पानीके बजाय उसका इस्तेमाल हो। लेकिन यह तो विषयान्तर हुआ जा रहा है।

जो बात मैं आपसे कहना चाहता था वह तो यह है कि मेरे और स्वराज्य-वादियोंके दरम्यान हुए समझौतेमें विदेशी कपड़ेके बहिष्कारको सिर्फ कायम ही नहीं रखा गया है, बल्कि उसपर और भी जोर दिया गया है। मेरे नजदीक तो यह तमाम हिंसात्मक उपायोंकी जगह ले सकनेवाला एक प्रभावकारी अहिंसक उपाय है। जिस तरह कि कई बातें, जैसे किसीको गाली देना, बुरी तरह पेश आना, झूठ बोलना, किसीको चोट पहुँचाना या खून करना, ये हिंसाभावकी निशानी है, उसी तरह शिष्टता, सौजन्य, सचाई आदि अहिंसा-भावके प्रतीक हैं। बस इसी तरह विदेशी कपड़ेका बहिष्कार भी मेरे लिए अहिंसाका प्रतीक है। अराजकतावादी लोगोंके हिंसात्मक कार्योंका उद्देश्य सरकारपर दबाव डालना है। लेकिन यह दबाव गुस्से और अदावतके भावोंसे प्रेरित है और उसे एक किस्मका पागलपन कह सकते हैं। मेरा दावा है कि अहिंसात्मक तरीकोंसे जो दबाव डाला जा सकता है वह उस दबावसे कहीं ज्यादा प्रभावकारी होता है, जो हिंसात्मक तरीकोंसे डाला जा सकता है। और इसका कारण यह है कि वह सद्भाव और सौम्यतासे निष्पन्न होता है। विदेशी कपड़ेके बहिष्कारसे ऐसा ही दबाव पड़ता है। हमारे देशमें ज्यादातर विदेशी कपड़ा लंकाशायरसे ही आता है और यह आता भी है बाकी सब चीजोंसे सर्वाधिक मात्रामें। दूसरा स्थान चीनका है। ब्रिटेनका सबसे बड़ा स्वार्थ भारतके साथ होनेवाली लंकाशायरके कपड़ेकी तिजारतपर ही केन्द्रित है। भारतीय किसान जिन कारणोंसे बरबाद हुए हैं उनमें यह कारण सबसे बड़ा है। इसने उनको अपने सहायक धन्धेसे वंचित करके उन्हें अंशतः बेकार बना दिया है। इसलिए अगर हिन्दुस्तानके कृषि-जीवियोंको जिन्दा रखना है तो विदेशी कपड़ेका बहिष्कार एक जरूरी बात है। इसलिए योजना यह है कि किसानों-को इस सस्ते और आकर्षक विदेशी कपड़ेको खरीदनेसे इनकार करनेके लिए ही तैयार न किया जाये, बल्कि उन्हें अपने अवकाशके समयमें रुई धुनना, सूत कातना, उस सूतको गाँवके बुनकरोंसे बुनवाना और इस प्रकार तैयार की हुई खादीको पहनना सिखाकर विदेशी कपड़ेको और विदेशी कपड़ेको ही क्यों, भारतीय कारखानोंके कपड़ेको भी खरीदनेमें खर्च होनेवाला पैसा बचानेके लिए तैयार किया जाये। इस तरह हाथ-कताई और बुनाई यानी खादीके जरिये किया गया विदेशी कपड़ेका बहिष्कार न सिर्फ किसानके रुपयेकी बचत ही करता है बल्कि कार्यकर्त्ताओंको अव्वल दर्जेकी समाज-सेवा करनेका मौका देता है। यह देहातके लोगोंके साथ हमारा सीधा सम्बन्ध जोड़ता है।

Gandhi Heritage Portal

इसके जरिये हम उन्हें सच्ची राजनीतिक शिक्षा दे सकते हैं और उन्हें अपने पाँवपर खड़े होनेका और अपनी आवश्यकताएँ खुद पूरी करनेका सबक सिखा सकते हैं। इस प्रकार खादी कार्यका संगठन सहकारी समितियोंसे अथवा अन्य किसी प्रकारके ग्राम्य-संगठनसे कितने ही दर्जे बेहतर है। इसके अन्दर भारीसे-भारी राजनीतिक परिणाम छिपे हुए हैं; क्योंकि ऐसा करके हम ब्रिटेनके रास्तेसे सबसे बड़ा अनैतिक प्रलोभन दूर करते हैं। लंकाशायरके कपड़ेके व्यापारको मैं इसलिए अनैतिक कहता हूँ कि उसकी बुनियाद हिन्दुस्तानके करोड़ों खेतिहरोंकी तबाहीपर कायम की गई थी और वह अब भी उसीके बलपर जिन्दा है। और चूँकि एक बदी इन्सानको दूसरी बदियोंके लिए प्रेरित करती है, ब्रिटेनके उन बे-शुमार अनीतिमय कामोंकी जड़में, जिनकी अनैतिकता साफ-साफ साबित की जा चुकी है, यही एक अनीतिमय व्यापार है। ऐसी हालतमें अगर यह एक बड़ा प्रलोभन हिन्दुस्तान खुद ब्रिटेनके रास्तेसे अपनी कोशिशसे हटा दे तो इसका नतीजा हिन्दुस्तानके लिए नेक साबित होगा, ब्रिटेनके लिए नेक साबित होगा और चूँकि ब्रिटेन दुनियाकी सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए सारी मनुष्य जातिके लिए भी नेक साबित होगा।

मैं इस बातको नहीं मानता कि पहले वस्तुओंकी माँग होती है और फिर उनकी पूर्ति। बल्कि इसके खिलाफ नीति और धर्मका खयाल न रखनेवाले व्यापारी बनावटी तरीकोंसे माँगको बढ़ाते हैं और यदि राष्ट्र भी व्यक्तियोंकी तरह नीतिके नियमोंसे बँधे हुए हैं तो उन्हें उन लोगोंके कल्याणका लिहाज रखना जरूरी है, जिनकी जरूरतें वे पूरी करना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, जिन्हें शराबकी लत पड़ गयी है उनके लिए शराब मुहैया करना किसी भी राष्ट्रके लिए अनुचित और अनीति-युक्त है। और यदि किसी देशमें बाहरी अनाज और वस्त्रके आयातसे खेतीकी पैदावार और कपड़ेका उत्पादन बन्द होता हो तथा इसके फलस्वरूप वहाँ बेकारी और गरीबी फैलती हो तो जो बात नशीली चीजोंके बारेमें लागू होती है वही अन्न और वस्त्रके सम्बन्धमें लागू होगी। कारण, बेकारी और गरीबी भी इन्सानके शरीर और आत्माको वैसा ही नुकसान पहुँचाती है जैसा कि नशीली चीजें। उत्साहका अभाव उत्तेजनाका ही प्रतिरूप है और इसलिए आखिरकार वैसा ही घातक, बल्कि कई बार तो उससे भी अधिक घातक साबित होता है, क्योंकि बेकारी या गरीबीसे उत्पन्न आलस्य और अनुत्साहको हमने अभी एक अनीति और पाप मानना नहीं सीखा है।

ब्रिटेनका फर्ज

ऐसी हालतमें मैं कहूँगा कि ग्रेट ब्रिटेनका यह फर्ज है कि वह अपने यहाँसे बाहर जानेवाली चीजोंकी तिजारतको हिन्दुस्तानके हितका समुचित विचार करके नियंत्रित करे। इसी तरह हिन्दुस्तानका भी यह फर्ज है कि वह अपने यहाँ बाहरसे आनेवाली चीजोंको अपने हितका विचार करके नियंत्रित करे। वह अर्थशास्त्र गलत है जो नैतिक सिद्धान्तोंकी उपेक्षा करता है। अर्थशास्त्रके क्षेत्रमें अहिंसा-धर्मके प्रवेशका इससे कम कोई अर्थ नहीं हो सकता कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारके नियमनमें नैतिक मूल्यों-को पूरा महत्त्व दिया जाये। और मैं यह माननेको तैयार हूँ कि मेरी महत्त्वाकांक्षा

Gandhi Heritage Portal

इससे कम नहीं कि भारतकी कोशिशोंसे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धोंको नैतिक आधार पर प्रतिष्ठित किया जाये। मैं अपना यह विश्वास नहीं छोड़ सकता कि सीमित रूपमें समाजगत अहिंसाका विकास भी सम्भव है। मैं इस बातको नहीं मानता कि मनुष्य-स्वभावका झुकाव हमेशा नीचेकी तरफ ही होता है।

हाथ-कताई या खादीके जरिये विदेशी कपड़ेके सफल बहिष्कारसे हम केवल प्रथम कोटिके प्रचण्ड राजनीतिक परिणामकी ही आशा नहीं रखते; उससे यह अपेक्षा भी है कि हिन्दुस्तानके गरीबसे-गरीब लोगोंको, स्त्रियों और पुरुषों, सभीको अपनी शक्तिका ज्ञान हो जायेगा ताकि देशकी आजादीके संग्राममें वे अपना पूरा हिस्सा लें।

विदेशी बनाम अंग्रेजी

अंग्रेजी कपड़ेके या जैसा कि कई देशभक्त सुझाते हैं अंग्रेजी मालके बहिष्कारमें हिंसाकी भावना तो स्पष्ट ही है, अतः उसकी तो मैं बात ही नहीं करता। किन्तु मैं समझता हूँ कि अब इतने विवेचनके बाद उसकी व्यर्थता बतानेकी जरूरत भी शायद ही रह गई है। मैं तो बहिष्कारकी बात सिर्फ हिन्दुस्तानके हितको ही दृष्टिमें रखकर कह रहा हूँ। हर किस्मके ब्रिटिश मालसे हमें नुकसान नहीं पहुँचता है। कुछ अंग्रेजी चीजें तो, जैसे किताबें, हमें अपनी बौद्धिक या मानसिक तरक्कीके लिए आवश्यक होती हैं। अब रहा कपड़ा, सो सिर्फ अंग्रेजी कपड़ा ही हमारे लिए हानिकर नहीं है, बल्कि तमाम विदेशी कपड़ा और केवल विदेशी कपड़ा ही क्यों, देशी मिलोंका कपड़ा भी हमें नुकसान पहुँचाता है। सारांश यह कि जो लाभ हाथ-कताई और खादी द्वारा किये गये बहिष्कारसे हासिल हो सकता है वह 'येन केन उपायेन' किये गये महज अंग्रेजी कपड़ेके बहिष्कारसे हरगिज नहीं हो सकता। मगर यह तभी हो सकता है जब कि हम तमाम विदेशी कपड़ेका पूरा बहिष्कार कर दें। इस बहिष्कारका हेतु किसीको सजा देना नहीं है; उसकी जरूरत तो राष्ट्रकी हस्तीको कायम रखनेके लिए है।

आक्षेपोंपर विचार

लेकिन आलोचक कहते हैं कि चरखेके पैगामने लोगोंके दिलोंमें घर नहीं किया, उसमें जोश पैदा करनेकी ताकत नहीं है, यह सिर्फ औरतोंका पेशा है, इसके मानी मध्य युगकी दकियानूसी जीवन-पद्धतिकी ओर लौट जाना है। वे कहते हैं कि यह तो विज्ञानने जो शानदार प्रगति की है और यंत्र जिसके प्रतीक हैं, उसे रोकनेकी एक फिजूल कोशिश है। मेरी नम्र रायमें हिन्दुस्तानको इस समय जोश-खरोश की नहीं, बल्कि ठोस काम करनेकी जरूरत है। करोड़ों लोगोंके लिए तो जोश और ताकत दोनोंका नुस्खा ठोस काम ही है। बात यह है कि अभीतक हमने चरखेको पूरी तौरपर आजमाया ही नहीं है। मुझे अफसोसके साथ कहना पड़ता है कि हममें से कइयोंने तो अभी उसपर संजीदगीके साथ विचार भी नहीं किया है। यहाँतक कि अ० भा० कां० कमेटीके भी सब सदस्योंने समय-समयपर अपने ही द्वारा पास किये गये चरखा कातनेके प्रस्तावोंपर अबतक अमल नहीं किया है। हममें से अधिकतर लोग तो

Gandhi Heritage Portal

उसमें विश्वास ही नहीं करते। ऐसी हालतमें यह कहना न्यायकी दृष्टिसे ठीक नहीं है कि चरखेकी हलचल, उसके अन्दर जोश दिलानेकी कमीसे असफल हो गई है। और यह कहना कि चरखा महज औरतोंका पेशा है — तथ्योंसे आँख मूँदना है। आखिर सूत कातनेकी मिलें क्या हैं? वे भी बहुत-से चरखोंका एक संग्रह ही तो हैं। उन्हें पुरुष नहीं तो और कौन चलाते हैं? समय आ गया है कि हम इस भ्रमको छोड़ दें कि कुछ पेशे हम पुरुषोंकी शानके खिलाफ हैं। सामान्य परिस्थितियोंमें, बेशक चरखा कातना औरतोंका ही काम होगा। मगर हमारी भावी सरकारको हमेशा कुछ आदमी इस कामपर नियुक्त करने होंगे कि वे चरखेमें उसकी घरेलू धन्धेकी हैसियतको दृष्टिमें रखते हुए सुधार करते रहें। मैं आपको यह भी बता दूँ कि जो सुधार चरखेकी बनावटमें आज आप पाते हैं वे मुमकिन न होते, अगर हम पुरुषोंमें से कई लोग इस काममें अपनेको न लगाते और दिन-रात इसीकी धुनमें न लगे रहते।

यन्त्र

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि यन्त्रोंके बारेमें मेरे जो विचार बताये जाते हैं उनको आप अपने दिमागसे निकाल डालें। पहली बात तो यह है कि अहिंसामें मेरा विश्वास जिस हदतक है वह सारा-का-सारा राष्ट्रके स्वीकारार्थ पेश नहीं करता उसी तरह मैं यन्त्रोंके विषयमें अपने तमाम विचार देशके सामने पेश करनेकी कोशिश नहीं कर रहा हूँ। चरखा खुद भी यन्त्रकालका एक उत्कृष्ट नमूना है। मेरा सिर उसके अज्ञात आविष्कर्त्ताके प्रति रोज आदरसे झुक जाता है। मुझे सन्ताप तो इस बातपर होता है कि हिन्दुस्तानके इस एकमात्र घरेलू उद्योगको जो भूखकी बलासे, १,९०० मील लम्बे और १,५०० मील चौड़े क्षेत्रमें फैले हुए लाखों घरोंकी रक्षा करता था, अकारण और क्रूरतापूर्वक बरबाद कर दिया गया।

कताई-सदस्यता

अब आप इस बातपर ताज्जुब नहीं करेंगे कि मैं क्यों चरखेके पीछे पागल हो गया हूँ और न इस बातपर हैरान होंगे कि मैंने इसे सदस्यताकी शर्तमें क्यों शामिल किया है और क्यों स्वराज्य-दलकी तरफसे देशबन्धु दास और पण्डित मोतीलाल नेहरूने इसे मंजूर किया है। अगर आज मेरा बस चले तो मैं कांग्रेसके सदस्यके रूपमें कांग्रेसके रजिस्टरमें ऐसे एक भी व्यक्तिका नाम दर्ज न होने दूँ जो चरखा कातने पर रजामन्द न हो या जो हर मौकेपर खादीका लिबास न पहने। फिर भी स्वराज्य-दलने जितना-कुछ स्वीकार किया है उसके लिए मैं उसका कृतज्ञ हूँ। शर्तमें जो ढिलाई बरती गयी है वह हमारी कमजोरी या विश्वासकी कमीके खातिर दी गयी रिआयत है। लेकिन इस रिआयतको उन लोगोंके लिए, जिनका चरखे और खादीमें पूरा विश्वास है, अपनी कोशिशको और तेज करनेका प्रेरक कारण होना चाहिए।

कोई दूसरा सन्देश नहीं

मैंने चरखेके बारेमें इतनी सविस्तार चर्चा इसलिए की है कि मेरे पास देशके लिए और कोई बेहतर या दूसरा सन्देश नहीं है। अगर हम सचमुच 'शान्तिमय और

Gandhi Heritage Portal

उचित' उपायोंसे ही स्वराज्य हासिल करना चाहते हों तो मेरे पास चरखेके सिवा कोई अन्य प्रभावकारी उपाय नहीं है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, सिर्फ यही एक हथियार ऐसा है जिसे हिंसात्मक साधनोंकी जगह सारा देश स्वीकार कर सकता है। मैं सविनय अवज्ञापर अब भी उसी तरह अटल हूँ। लेकिन जबतक कि हम अपने अन्दर विदेशी कपड़ेके बहिष्कारकी ताकत पैदा न कर लें, तबतक स्वराज्यके लिए सविनय अवज्ञाका प्रयोग ना-मुमकिन है। अब आप आसानीसे देख सकेंगे कि अगर मेरे चरखा-सम्बन्धी विचार आपको स्वीकार न हों तो मैं कांग्रेसके मार्ग-दर्शनके लिए किस तरह निकम्मा हो जाऊँगा। सच तो यह है कि मैं चरखेके मूलमें निहित सिद्धान्तकी जो व्याख्या करता हूँ उसे यदि आप गलत मानते हों तो अन्य कुछ मित्रोंकी तरह आपका भी यह खयाल करना अनुचित न होगा कि मैं देशकी प्रगतिके मार्गमें बाधक हूँ। अगर आपके दिल और दिमाग इस सिद्धान्तको कबूल न करते हों तो मेरे नेतृत्वको नामंजूर न करके आप अपने कर्त्तव्य-पालनमें चूकेंगे। कहीं ऐसा न हो कि फिर लोग यह कहें कि हम हिन्दुस्तानियोंमें 'ना' कहनेकी ताकत और हिम्मत नहीं है, जैसा कि लॉर्ड विलिंगडनने एक बार कहा था और ठीक कहा था। आप सच मानिए कि अगर मेरी तजवीज आपको कुबूल न हो तो आपका उसे नामंजूर कर देना स्वराज्य-प्राप्तिकी दिशामें एक कदम आगे बढ़ना ही होगा।

हिन्दू-मुस्लिम एकता

हिन्दू-मुस्लिम एकता चरखेसे कम महत्त्व नहीं रखती है। वह तो हमारे राष्ट्रीय जीवनका आधार है। इस मसलेपर आपका ज्यादा समय लेना मैं जरूरी नहीं समझता। क्योंकि स्वराज्य हासिल करनेके लिए उसकी जरूरतके प्रायः सब लोग कायल हैं। 'प्रायः' शब्दका प्रयोग मैंने जान-बूझकर किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ हिन्दू और मुसलमान ऐसे भी हैं जो हिन्दुस्तानमें अगर अकेले हिन्दुओं या अकेले मुसलमानोंका राज्य कायम न हो सके तो ब्रिटेनके अधीन गुलामीकी मौजूदा हालतको तरजीह देंगे। खुशीकी बात है वे इने-गिने ही हैं।

मौलाना शौकत अलीकी तरह मैं भी बहुत दृढ़तापूर्वक यह मानता हूँ कि यह मौजूदा तनाजा एक चन्दरोजा बीमारी है। खिलाफत आन्दोलनने जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों कन्धेसे-कन्धा भिड़ाकर लड़े और उसके बाद शुरू हुए असहयोग आन्दोलनने गफलतकी नींदमें सोई हुई जनताको जगा दिया। इससे विशिष्ट वर्गोंमें और सामान्य जनतामें एक नई चेतना प्रगट हुई है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी खुद-गरज लोग थे जिन्हें असहयोगके उत्कर्षके दिनोंमें निराश होना पड़ा था। अब असह-योगमें से नवीनताका आकर्षण निकल गया है तो उन्हें अवसर मिल गया है और वे दोनों कौमोंकी धार्मिक अन्धता और खुदगर्जीसे फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसका कुफल हम पिछले दो वर्षोंके इतिहासमें स्पष्ट देख सकते हैं। मजहबको उन्होंने उपहासकी वस्तु बना दिया है। छोटी-छोटी निकम्मी बातोंको बढ़ाकर मजहबी उसूलोंके दर्जेपर चढ़ा दिया है और मजहबी दीवाने यह दावा पेश करने लगे हैं कि उनका पालन करना हर सूरतमें लाजिमी है। लोगोंमें झगड़े करानेके लिए

Gandhi Heritage Portal

आर्थिक और राजनीतिक कारणोंका उपयोग किया गया है। कोहाटमें तो ये हरकतें चरम सीमाको पहुँच गई। स्थानीय हाकिमोंकी हृदयहीन उपेक्षाने उस दुर्घटनाको और भी दुखदायी बना दिया। उसके कारणोंकी छानबीन करने या किसीको कुसूरवार ठहरानेमें मैं वक्त सर्फ नहीं करना चाहता। मैं ऐसा चाहूँ भी तो मेरे पास इसके लिए काफी मसाला नहीं है। बस इतना ही कहना काफी होगा कि कोहाटके हिन्दू अपनी जान बचानेके लिए वहाँसे भाग निकले। कोहाटमें मुसलमान बहुत भारी तादादमें बसते हैं और एक विदेशी सत्ताके अधीन जितना सम्भव है उस हदतक वहाँ उनका प्रभावकारी राजनीतिक नियन्त्रण भी है। इसलिए अब यह दिखाना उनका काम है कि हिन्दू भी उनकी बहुसंख्याके बीच उतने ही सुरक्षित हैं जितने कि अगर कोहाट-में तमाम हिन्दू ही बसे होते तो वे होते। कोहाटके मुसलमानोंको तबतक चैन न लेना चाहिए जबतक कि वे एक-एक शरणार्थी हिन्दूको कोहाटमें वापस नहीं ले जाते। मैं उम्मीद करता हूँ कि हिन्दू सरकारके बिछाये जालमें न फँसेंगे और दृढ़ताके साथ तबतक कोहाट लौटनेसे इनकार करते रहेंगे जबतक कि वहाँके मुसलमान उनके जानो-मालकी हिफाजतका पूरा-पूरा यकीन दिलाकर उन्हें न बुलावें।

हिन्दू लोग सिर्फ उसी हालतमें मुसलमानोंकी भारी आबादीमें रह सकते हैं जबकि मुसलमान मित्रता और बराबरीके आधारपर उन्हें ससम्मान बुलाने और अपने पास रखनेके लिए तैयार हों और यही बात मुसलमानोंके लिए भी लागू होती है। अगर उनकी संख्या कम हो और हिन्दुओंकी ज्यादा हो तो उन्हें भी सम्मान-पूर्वक जीवन बितानेके लिए हिन्दुओंके दोस्ताना सलूकपर ही अपना दारोमदार रखना होगा। कोई सरकार चोर-डाकुओंसे तो अपनी प्रजाकी रक्षा कर सकती है। यदि एक जाति दूसरी सारी जातिका सम्पूर्ण बहिष्कार कर दे तो उससे उसकी रक्षा हमारी अपनी सरकार भी नहीं कर सकेगी। सरकारें कभी-कभी पैदा हो जानेवाली असामान्य परिस्थितियोंसे निपट सकती हैं, किन्तु जब लड़ाई-झगड़े जीवनकी सामान्य परिस्थिति बन जायें तब ऐसी हालतको गृह-युद्ध कहेंगे और ऐसी हालतमें दोनों दल-वाले आपसमें लड़कर ही निपटारा कर सकते हैं। मौजूदा सरकार एक विदेशी सर-कार है; उसका शासन वस्तुतः प्रच्छन्न रूपमें सैनिक शासन ही है और इसलिए वह अपने पास इतना साजो-सामान तैयार रखती है कि जिसके बलपर वह, हम उसके खिलाफ चाहे जितनी ताकत जुटायें, अपनी हिफाजत कर सकती है। और इसलिए उसकी इतनी ताकत भी जरूर है कि अगर वह चाहे तो हमारे साम्प्रदायिक झगड़ोंको भी रोक सकती है। मगर लोकप्रिय होनेका थोड़ा भी दावा रखनेवाली किसी स्वराज्य-सरकारको युद्ध-स्तरपर न तो संगठित किया जा सकता है और न कायम रखा जा सकता है। स्वराज्य-सरकारका अर्थ है ऐसी सरकार जिसकी स्थापना हिन्दुओं, मुसलमानों और अन्य लोगोंने स्वेच्छापूर्वक आपसमें मिलकर की हो। अगर हिन्दू और मुसलमान स्वराज्य चाहते हों तो उन्हें अपने भेद-भाव आपसमें मिल-जुलकर तय करने होंगे।

दिल्लीमें जो एकता-सम्मेलन हुआ था उसने हमारे साम्प्रदायिक मतभेदोंको तय करनेका मार्ग प्रशस्त कर दिया है। और सर्वदलीय परिषद्की समितिसे यह उम्मीद

Gandhi Heritage Portal

की जाती है कि वह और बातोंके साथ महज हिन्दुओं और मुसलमानोंके ही नहीं, बल्कि देशके तमाम वर्गों, जातियों और सम्प्रदायोंके राजनीतिक मतभेदोंको हल करने-का कोई व्यावहारिक और उचित हल खोज निकालेगी। इसमें हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वकी पद्धति जितनी जल्दी हो सके समाप्त कर दी जाये। मतदाता मण्डल मिले-जुले हों और वे सिर्फ गुण और योग्यताके आधार पर निष्पक्ष होकर अपने प्रतिनिधियोंको चुनें। इसी तरह हमारी नौकरियोंमें भी निष्पक्ष भावसे सबसे ज्यादा योग्य स्त्री-पुरुष ही भरती किये जाने चाहिए। लेकिन जबतक कि वह दिन नहीं आता और जातिगत द्वेष और पक्षपातके भाव अतीतकी वस्तु नहीं बन जाते तबतक जो अल्प-संख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदायोंकी नीयतको शककी नजरसे देखते हों, उन्हें अपनी मर्जीके मुताबिक चलनेकी छूट होनी चाहिए और बहुसंख्यक समुदायोंको इस बारेमें स्वार्थ-त्यागका उदाहरण पेश करना चाहिए।

अस्पृश्यता

अस्पृश्यता स्वराज्यके मार्गमें दूसरी बाधा है। स्वराज्यकी प्राप्तिके लिए जैसी अनिवार्य आवश्यकता हिन्दू-मुस्लिम एकताकी है वैसी ही अस्पृश्यता-निवारणकी भी है। यह प्रश्न मुख्यतः हिन्दुओंसे सम्बन्धित है और जबतक हिन्दू दलित वर्गोंको उनकी स्वतन्त्रता नहीं दे देते तबतक न तो उन्हें स्वराज्य माँगनेका कोई हक है और न वे उसे पा ही सकते हैं। उन्हें दबाकर हिन्दू स्वयं अधोगतिको प्राप्त हुए हैं। इतिहास-कार हमें बताते हैं कि अंग्रेज आक्रमणकारियोंने हमसे जैसा व्यवहार किया है, यदि उससे बुरा नहीं तो बिलकुल वैसा ही बुरा व्यवहार आर्य आक्रमणकारियोंने भारतके मूल वासियोंसे किया था। यदि ऐसी बात है तो हमारी मौजूदा गुलामी हमारे द्वारा अस्पृश्य वर्गके निर्माणका उचित दण्ड ही है। इस कलंकको हम जितनी जल्दी धो डालें हिन्दुओंके लिए उतना ही हितकर होगा। किन्तु हमारे धर्माचार्य कहते हैं कि अस्पृश्यता तो विधिका विधान है। मैं यह दावा करता हूँ कि मुझे हिन्दू-धर्मकी कुछ जानकारी है। मुझे निश्चय है कि हमारे धर्माचार्योंका यह कथन ठीक नहीं है। यह कहना ईश्वरकी निन्दा करना है कि ईश्वरने मानव-जातिके एक वर्गको अस्पृश्य बनाया है और जो हिन्दू कांग्रेसमें हैं, उनका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे इस भेदभावकी दीवारको जल्दीसे-जल्दी तोड़ दें। वाइकोमके सत्याग्रही हमें मार्ग दिखा रहे हैं। वे नम्रता और दृढ़तासे अपनी लड़ाई चला रहे हैं। उनमें धैर्य, साहस और आस्था है। जिस आन्दोलनमें ये गुण प्रकट होते हों वह अदम्य बन जाता है।

किन्तु आजकल राजनीतिक स्वार्थकी पूर्तिके लिए दलित वर्गोंके दुरुपयोगकी जो वृत्ति दिखाई देती है, मैं अपने हिन्दू भाइयोंको उससे सावधान करना चाहता हूँ। अस्पृश्यता-निवारणका कार्य एक प्रायश्चित्तका कार्य है। यह प्रायश्चित्त करना हिन्दुओंका हिन्दू धर्मके और अपने प्रति कर्त्तव्य है। जरूरत अस्पृश्योंको शुद्ध करनेकी नहीं है बल्कि कथित उच्च वर्णोंको शुद्ध करनेकी है। अस्पृश्योंमें ऐसी कोई बुराई नहीं है जो केवल उन्हींमें पाई जाती हो। वे दूसरोंसे अधिक मैले-कुचैले और गन्दे भी नहीं रहते। बात यह है कि हम बहुत घमण्डी हैं और हमारे इस घमण्डने हमें अपने

Gandhi Heritage Portal

दोषोंके प्रति अन्धा बना दिया है। इसी कारण हमें दलित भाइयोंके, जिन्हें हमने कुचला है और अब भी कुचल रहे हैं, छोटे दोष भी बड़े दिखाई देते हैं। राष्ट्रोंकी तरह धर्म भी काँटेपर तोले जा रहे हैं। ईश्वरकी कृपा और ईश्वरीय ज्ञानपर किसी एक प्रजाति या राष्ट्रका इजारा नहीं है। वे तो जो ईश्वरकी भक्ति करते हैं, उन सभीको मिलते हैं। जिस धर्म और राष्ट्रका विश्वास, अन्याय, असत्य अथवा हिंसामें है, वह धर्म और राष्ट्र इस पृथ्वी-तलसे मिट जायेगा। ईश्वर प्रकाश है, अन्धकार नहीं। ईश्वर प्रेम है, घृणा नहीं। ईश्वर सत्य है, असत्य नहीं। ईश्वर ही महान् है। उसके बनाये हम सब प्राणी धूलके समान तुच्छ हैं। हमें विनम्र बनना चाहिए और यह मानना चाहिए कि इस पृथ्वीपर ईश्वरके बनाये हुए तुच्छसे-तुच्छ प्राणीके लिए स्थान है। कृष्णने चिथड़े पहने हुए सुदामाका अनुपम सम्मान किया था। प्रेम धर्म अथवा त्यागका मूल है और यह नश्वर शरीर अभिमान अथवा अधर्मका मूल है; यह तुलसीदासजीकी उक्ति है।[1] हमें स्वराज्य मिले या न मिले, हिन्दुओंको तो आत्मशुद्धि करनी ही होगी। तभी वे वैदिक-धर्मके तत्त्वोंके पुनरुज्जीवनकी और उन्हें वास्तविक रूप देनेकी आशा कर सकते हैं।

स्वराज्यकी योजना

किन्तु चरखा, हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता-निवारण तो उद्देश्यकी सिद्धिके साधन-मात्र हैं। हम उद्देश्यको नहीं जानते। मेरे लिए तो साधनको जानना ही पर्याप्त है। मेरे जीवन-दर्शनमें साधन और साध्यमें भेद नहीं है; जो साधन है वही साध्य भी है। किन्तु बाबू भगवानदास कहते हैं कि लोगोंको उद्देश्यका अनिश्चित नहीं, बल्कि निश्चित ज्ञान होना चाहिए, और जैसा कि मैं जाहिर कर चुका हूँ, मुझे उनका यह विचार मान्य है। सारा भारत जिस स्वराज्यको लेना चाहता है, और जिसके लिए उसे लड़ना चाहिए, लोगोंको उस स्वराज्यकी पूरी परिभाषा अथवा योजनाका ज्ञान होना चाहिए। सौभाग्यसे सर्वदलीय परिषद्ने जो समिति नियुक्त की हैं, उसको यह काम सौंप दिया गया है। हमें यह आशा करनी चाहिए कि यह समिति एक ऐसी योजना तैयार कर सकेगी जो सब दलोंको मान्य होगी। क्या मैं इस समितिके विचारार्थ निम्न मुद्दे रख सकता हूँ ?

१. सदस्यताकी योग्यता न तो सम्पत्ति होनी चाहिए और न पद; बल्कि ऐसा शारीरिक श्रम होना चाहिए जैसा उदाहरणार्थ कांग्रेसकी सदस्यताके लिए सुझाया गया है। शैक्षणिक अथवा साम्पत्तिक कसौटी भ्रामक सिद्ध हुई है। जो लोग सरकारमें और राज्यके कल्याणमें भाग लेना चाहते हैं, उन सबको शारीरिक श्रमसे अवसर मिलता है।

२. विनाशकारी सैनिक खर्च घटा देना चाहिए और सामान्य समयमें जीवन और सम्पत्तिकी रक्षाके लिए जितना रखना आवश्यक हो उतना ही रखना चाहिए।

१. दया धरमको मूल है, पाप मूल अभिमान।

Gandhi Heritage Portal

३. न्याय-वितरणकी व्यवस्था सस्ती होनी चाहिए और इस उद्देश्यको ध्यानमें रखकर अपीलकी अन्तिम अदालत लन्दनमें नहीं, बल्कि दिल्लीमें होनी चाहिए। दीवानी मुकदमोंमें वादियों और प्रतिवादियोंको ज्यादातर अपने मुकदमे पंच-फैसलेके लिए सौंपनेपर मजबूर किया जाना चाहिए। इन पंचायतोंके फैसले भ्रष्टाचारके मामलों अथवा कानूनके स्पष्ट दुरुपयोगके मामलोंको छोड़कर अन्तिम होने चाहिए। बीचकी अदालतोंकी संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रमाण-विधि (केस लॉ) खतम होनी चाहिए और सामान्य प्रक्रिया सरल बना दी जानी चाहिए। हमने अंग्रेजोंकी बोझीली और जीर्ण-शीर्ण प्रक्रियाकी आँख मूँदकर नकल की है। उपनिवेशोंके लोग इस प्रक्रियाको सरल बनाते जा रहे हैं, जिससे वादियों और प्रतिवादियों — दोनोंके लिए अपने मुकदमोंकी पैरवी करना आसान हो जाये।

४. शराबसे और नशीली चीजोंसे होनेवाली आमदनी बन्द कर दी जानी चाहिए।

५. असैनिक और सैनिक सेवाओंके वेतन देशकी सामान्य अवस्थाको देखते हुए नीचे स्तरपर निर्धारित किये जाने चाहिए।

६. प्रान्तोंका विभाजन नये सिरेसे भाषाके आधारपर किया जाना चाहिए और प्रत्येक प्रान्तको अपने आन्तरिक विकास और शासनके मामलोंमें यथासम्भव अधिकसे-अधिक स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए।

७. विदेशियोंको दिये गये सारे इजारोंकी जाँचके लिए एक आयोग नियुक्त किया जाये और उस आयोगकी जाँचके परिणामोंको ध्यानमें रखते हुए न्यायपूर्वक प्राप्त समस्त निहित हकोंके संरक्षणका पूरा आश्वासन दिया जाये।

८. देशी राज्योंके राजाओंको उनके दर्जेके सम्बन्धमें पूरा आश्वासन दिया जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार इसमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं डालेगी। किन्तु इन राज्योंके उन प्रजाजनोंको, जिन्होंने दण्ड विधानके विरुद्ध कोई अपराध न किया हो, स्वराज्य-प्राप्त भारतमें आश्रय लेनेका अधिकार रहे।

९. सब मनमाने अधिकार खतम किये जायें।

१०. ऊँचेसे-ऊँचे स्थान उन लोगोंके लिए जो अन्य प्रकारसे योग्य हों, खुले होने चाहिए। शासनिक और सैनिक नौकरियोंकी परीक्षा भारतमें हो।

११. विभिन्न सम्प्रदायोंको पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता हो। लेकिन इस शर्तके साथ कि वे एक-दूसरेके प्रति सहिष्णुताका बरताव करें।

१२. प्रान्तीय सरकारों, विधानसभाओं और न्यायालयोंकी सरकारी भाषा एक निश्चित कालके भीतर उस प्रान्तकी देशी भाषा बना दी जाये; अपीलकी अन्तिम अदालत — प्रिवी कौंसिल — की भाषा हिन्दुस्तानी हो; उसकी लिपि देवनागरी अथवा फारसी हो। केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय विधानसभाकी भाषा भी हिन्दुस्तानी हो। राष्ट्रोंके बीच कूटनीतिकी भाषा अंग्रेजी रहे।

मैं जैसा स्वराज्य चाहूँगा, उसकी कुछ-एक शर्तोंकी एक मोटी रूप-रेखा मैंने ऊपर बताई है। हो सकता है आप लोगोंको लगे कि यह तो अनर्गल कल्पना है। फिर भी मेरा विश्वास है कि आप लोग उसपर हँसेंगे नहीं। मैंने जिन बातोंका उल्लेख किया है उनको लेने अथवा कार्य-रूप देनेकी शक्ति आज हममें न हो।

Gandhi Heritage Portal

किन्तु क्या उनको लेने या करनेकी इच्छा-शक्ति हममें है? हमारे मनमें कमसे-कम उसकी इच्छा तो पैदा होनी चाहिए। यह विषय काल्पनिक होनेके कारण अत्यन्त लुभावना है। इसे समाप्त करनेसे पहले स्वराज्यकी योजना बनानेवाली समितिको मैं यह आश्वासन दे दूँ कि मैं यह नहीं चाहता कि समिति मेरे सुझावोंपर अन्य किसी भी व्यक्तिके सुझावोंकी अपेक्षा अधिक ध्यान दे। मैंने अपने भाषणमें उनको केवल इस विचारसे सम्मिलित कर लिया है कि इस तरह उनका प्रचार अन्यथा कदाचित् जितना होता उसकी अपेक्षा अधिक हो सकेगा।

स्वतन्त्रता

इस रूप-रेखामें यह बात मान ली गई है कि ब्रिटेनसे हमारा सम्बन्ध पूर्ण सम्मानजनक और पूरी तरह समान शर्तोंपर कायम रहेगा। किन्तु मैं जानता हूँ कि कांग्रेस-जनोंमें एक ऐसा वर्ग है जो हर हालतमें ब्रिटेनसे पूर्णतः स्वतन्त्र होना चाहता है। यह वर्ग बराबरीकी साझेदारी भी नहीं रखना चाहता। मेरी रायमें ब्रिटिश सरकार जो-कुछ कहती है, वैसा ही यदि करना भी चाहती है और हमें समान बनानेमें सच्चे दिलसे सहायता देना चाहती है तो ब्रिटेनसे पूर्णतः सम्बन्ध तोड़ लेनेकी अपेक्षा यह अधिक बड़ी सफलता होगी। इसलिए मैं साम्राज्यके भीतर स्वराज्य लेनेका उद्योग करना चाहता हूँ, किन्तु यदि ब्रिटेनके दोषके कारण उससे सम्बन्ध तोड़ लेना आवश्यक हुआ तो मैं पूर्णतः सम्बन्ध तोड़नेमें भी नहीं झिझकूँगा। यदि ऐसा हो तो मैं ब्रिटेनसे अलग होनेकी जिम्मेदारी अंग्रेज लोगोंपर ही डालूँगा। इस समय संसारके ज्यादा समझदार लोग चाहते हैं कि ऐसे पूर्ण स्वतन्त्र राज्य न हों जो एक दूसरेसे लड़ते रहें, बल्कि मित्रताके आधारपर अन्योन्याश्रयी राज्योंका संघ बनाया जाये। यह स्थिति दूर हो सकती है। मैं अपने देशके लिए कोई बड़ा दावा नहीं करना चाहता। किन्तु यदि हम स्वतन्त्रताकी अपेक्षा सबके साथ उक्त आधारपर सहयोगकी तैयारी दिखायें तो यह कोई बहुत बड़ा अथवा असम्भव दावा नहीं है। यह बात कहनी है तो ब्रिटेन ही कहे कि वह भारतसे सच्ची मित्रताका सम्बन्ध नहीं रखना चाहता। मैं यह चाहता हूँ कि स्वतन्त्रतापर आग्रह किये बिना हम पूर्ण स्वतन्त्रताकी शक्ति हासिल करें। जबतक ब्रिटेन यह कहता है कि उसका उद्देश्य भारतको साम्राज्यके भीतर पूर्ण समानता देना है तबतक मैं जो भी योजना बनाऊँगा उसमें मैत्रीकी बात रहेगी, मैत्रीको छोड़कर स्वतन्त्रताकी नहीं। मैं प्रत्येक कांग्रेस-जनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह हर हालतमें स्वतन्त्रताका आग्रह न करे। इसका कारण यह नहीं कि स्वतन्त्रता लेना कुछ असम्भव है, बल्कि इसका कारण यह है कि जबतक यह बात बिलकुल स्पष्ट नहीं हो जाती कि ब्रिटेन जो-कुछ कहता है उसके बावजूद वह वास्तवमें हमें गुलाम रखना चाहता है तबतक ऐसा करना नितान्त अनावश्यक है।

स्वराज्यवादी दल

यहाँतक तो मैंने अपने और स्वराज्यवादियोंके बीच हुए समझौतेकी शर्तों तथा उससे उठनेवाले सवालोंपर अपने विचार प्रकट किये। स्वराज्यवादी दलको कांग्रेसमें

Gandhi Heritage Portal

जो बराबरीका दरजा दिया गया है, उसके बारेमें कुछ ज्यादा कहनेकी जरूरत नहीं। मैं इस स्थितिको बचा सकता तो बड़ा अच्छा होता — इसलिए नहीं कि स्वराज्यवादी दल इसके लायक नहीं है, बल्कि इसलिए कि कौंसिल प्रवेशके सम्बन्धमें उसके विचारसे मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन अगर मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं कांग्रेसमें रहूँ और उसका नेतृत्व करूँ तो मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि जो बातें मेरी आँखोंके सामने मौजूद हैं, उनको स्वीकार करके चलूँ। मेरे लिए यह बहुत आसान बात थी कि मैं कांग्रेससे निकल जाऊँ या अध्यक्ष बननेसे इनकार कर दूँ। मगर मैंने सोचा और अब भी सोचता हूँ कि ऐसा करना देशके हकमें अच्छा नहीं होगा। कांग्रेसमें स्वराज्यवादी दलका बहुमत चाहे न हो किन्तु कमसे-कम एक अल्पमत-पक्षके रूपमें तो उसकी स्थिति काफी मजबूत है और दिन-दिन उसका जोर बढ़ता जा रहा है। इसलिए अगर मुझे यह मंजूर नहीं था कि उसके दर्जेके सवालपर कांग्रेसमें मत-विभाजन हो तो मैं उसकी शर्तोंको स्वीकार करनेके लिए मजबूर था, बशर्ते कि वे मेरी अन्तरात्माको अमान्य न हों। मेरी रायमें वे शर्तें बेजा नहीं हैं। स्वराज्यवादी अपनी नीतिको सफल बनानेके लिए कांग्रेसके नामका उपयोग करना चाहते हैं। अब एक ऐसा तरीका खोजना था कि जिससे एक ओर उनका काम निकले और दूसरी ओर अपरिवर्तनवादियोंको उनकी नीतिके साथ बँधना न पड़े। इसका एक तरीका यह था कि उनको अपनी नीतिकी रचना करने और उसको लागू करनेके लिए काम करने और पैसा जुटानेकी पूरी सत्ता और जिम्मेदारी दे दी जाये। पूरी कांग्रेस अपने सिर कुछ जिम्मेदारियाँ लिये बिना उस नीतिका संचालन नहीं कर सकती थी। और चूँकि मैं यह जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं ले सकता था, और लगता है, कोई भी अपरिवर्तनवादी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं उनकी नीतिकी रचना करनेमें शरीक नहीं हो सकता था। इसके अलावा जिस नीतिको मेरा सम्पूर्ण हृदय स्वीकार नहीं करता, ऐसी नीतिकी रचना भी मैं कैसे कर सकता था? और हृदय तो उसी चीजको स्वीकार कर सकता है, जिसमें आदमीका विश्वास हो। मैं जानता हूँ कि एक स्वराज्यवादी दलको ही विधानसभामें अपने कार्यक्रमको चलानेके लिए कांग्रेसके नामका उपयोग करनेकी सत्ता देनेसे कांग्रेसमें शामिल होनेको इच्छुक बाकी दलोंकी स्थिति अटपटी हो जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे कोई छुटकारा न था। स्वराज्यवादी दलसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपनी वर्तमान सुविधाजनक स्थितिका त्याग कर दे। आखिरकार वह इस स्थितिका उपयोग अपने स्वार्थके लिए नहीं, बल्कि देशकी सेवाके लिए ही तो करना चाहता है। सब दलोंकी यही एक महत्त्वाकांक्षा है और हो सकती है, दूसरी नहीं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरे तमाम दलोंके लोग कांग्रेसमें शरीक होकर उसके भीतरसे देशकी राजनीतिपर अपना असर डालनेके लिए काम करेंगे। डा० बेसेंटने इस मामलेमें कदम आगे बढ़ा कर औरोंको रास्ता दिखाया है। मुझे मालूम है कि ऐसी बहुत-सी चीजें हैं जिन्हें वे और तरहसे कराना चाहतीं, मगर वे इस आशासे कांग्रेसमें शामिल होकर सन्तुष्ट हैं कि उसके अन्दर काम करके वे मतदाताओंको अपने मतका

6369
Gandhi Heritage Portal

कायल कर सकेंगी। मेरी तुच्छ सम्मतिमें अपरिवर्तनवादी भी शुद्ध हृदयसे इस समझौतेके हकमें राय दे सकते हैं। जिस राष्ट्रीय कार्यक्रमपर देशके तमाम दलोंको मिलकर काम करना है, वह सिर्फ खादी, हिन्दू-मुस्लिम एकता और हिन्दुओंके बीच अस्पृश्यता-निवारणका ही कार्यक्रम है। और क्या यही वे बातें नहीं हैं, जिन्हें वे सब करना चाहते हैं?

विशुद्ध सामाजिक सुधार?

इसपर कुछ लोगोंका कहना है कि इस कार्यक्रमके मंजूर करनेसे कांग्रेस विशुद्ध रूपसे एक समाज-सुधारक संस्था बन जायेगी। मैं इस रायसे सहमत नहीं हूँ। स्वराज्यके लिए जो-जो बातें निहायत जरूरी हैं, वे महज सामाजिक बातें नहीं हैं। उनका महत्त्व उससे कहीं अधिक है और कांग्रेसको उन्हें जरूर अपनाना चाहिए। इसके अलावा, यह तो किसीने नहीं कहा है कि कांग्रेस अपनी तमाम शक्ति हमेशा सिर्फ इसी काममें लगाती रहे। हाँ, यह मंशा अवश्य है कि कांग्रेस आगामी वर्षमें अपनी तमाम शक्ति रचनात्मक कार्यमें, जिसे मैंने आन्तरिक विकासका कार्य कहा है, लगा दे।

और यह बात भी नहीं कि कांग्रेसको इस समझौतेमें जिन रचनात्मक कार्योंका उल्लेख है सिर्फ उन्हींको हाथमें लेना चाहिए। जिन कार्योंकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ वे भी बड़े महत्त्वके हैं, लेकिन चूँकि उनके बारेमें कोई मतभेद नहीं है और वे स्वराज्य-प्राप्तिके लिए उक्त तीन कार्योंकी तरह नितान्त आवश्यक नहीं हैं, इसलिए समझौतेमें उनका जिक्र नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय शालाएँ

ऐसा एक कार्य है, राष्ट्रीय शालाओंको कायम रखना। शायद जनताको वह बात मालूम न हो कि खादीके बाद जिस काममें सबसे अधिक सफलता मिली है, वह राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओंको चलानेका काम ही है। जबतक थोड़े भी विद्यार्थी रहेंगे, ये संस्थाएँ बन्द नहीं की जा सकतीं। ऐसे स्कूलों और कालेजोंको रखना प्रत्येक प्रान्तको अपने लिए प्रतिष्ठाका प्रश्न बना लेना चाहिए। असहयोग मुलतवी कर देनेका इन संस्थाओं-पर कुछ भी बुरा असर न होना चाहिए। बल्कि इन्हें कायम रखने और इनकी स्थिति मजबूत बनानेके लिए पहलेसे भी ज्यादा कोशिश होनी चाहिए। अधिकांश प्रान्तोंके अपने-अपने राष्ट्रीय स्कूल और कालेज हैं। अकेले गुजरातमें एक ऐसा राष्ट्रीय विद्यापीठ है जिसपर सालाना १,००,००० रुपया खर्च किया जाता है और जिसके अधीन ३ कालेज और ७० स्कूल चल रहे हैं, जिनमें ९००० विद्यार्थी हैं। अहमदाबादमें उसने अपने लिए जमीन भी खरीद ली है और मकान बनवानेमें २,०५,३२३ रुपये खर्च कर चुका है। सारे देशमें चुपचाप सबसे अच्छा काम इन असहयोगी विद्यार्थियोंने ही किया है। उन्होंने बहुत अधिक और उच्च कोटिका त्याग किया है। दुनियवी खयालसे शायद उन्होंने अपने शानदार भविष्यको नष्ट कर दिया है। पर मैं उनसे कहूँगा कि राष्ट्रीय दृष्टिसे उन्हें नुकसानके बनिस्बत फायदा ही अधिक हुआ है। उन्होंने सरकारी विद्यालयोंको इसलिए छोड़ा कि उन्हींके जरिये पंजाबमें हमारे देशके युवकोंको अपमानित और तिरस्कृत किया गया था। इन्हीं संस्थाओंमें हमारी गुलामीकी जंजीरकी

Gandhi Heritage Portal

पहली कड़ी तैयार की जाती है। इधर हमारी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएँ, चाहे इनका प्रबन्ध और संचालन कितना भी ढीला हो, उन कारखानोंकी तरह हैं जहाँ हमारी आजादीके पहले हथियार ढाले जाते हैं। आखिरकार इन राष्ट्रीय संस्थाओंमें पढ़नेवाले लड़कों और लड़कियोंपर ही तो हमारी भविष्यकी आशा टिकी हुई है। इसलिए मैं इन राष्ट्रीय संस्थाओंको कायम रखना प्रान्तोंकी सबसे पहली जिम्मेवारी मानता हूँ। लेकिन ये राष्ट्रीय संस्थाएँ तभी सच्ची राष्ट्रीय संस्थाएँ हो सकती हैं जब वे हिन्दू-मुस्लिम एकताको उत्तेजन देनेवाले केन्द्र बन जायें। इसी तरह उन्हें हिन्दू लड़कों और लड़कियोंमें अस्पृश्यताको हिन्दूधर्मका कलंक और मानवताके प्रति अपराध माननेकी भावना जागृत और पोषित करनी चाहिए। इन्हें कुशल कतैये और बुनकर तैयार करनेवाले प्रशिक्षण केन्द्रोंका काम करना चाहिए। अगर चरखे और खादीकी शक्तिमें कांग्रेसका विश्वास कायम रहता है, तो इन संस्थाओंसे क्रमशः कताईका एक पूरा शास्त्र तैयार कर देनेकी आशा रखना भी अनुचित न होगा। इन्हें खादी तैयार करनेवाले कारखानेका भी काम करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि इन लड़के-लड़कियोंको किसी प्रकारकी किताबी शिक्षा न दी जाये। पर मैं ऐसा अवश्य मानता हूँ कि दिमागी तालीमके साथ-साथ हाथ और हृदयकी शिक्षा भी मिलनी चाहिए। किसी भी राष्ट्रीय विद्यालयकी खूबी और उपयोगिताकी परख उसके छात्रोंकी महान् साहित्यिक उपलब्धियोंसे नहीं; बल्कि इस बातसे होगी कि उसके छात्रोंमें राष्ट्रीय चरित्रका निर्माण कितना है, उनमें धुनकी, चरखा और करघा चलानेकी कितनी निपुणता आई है। इसलिए एक ओर जहाँ मैं इस बातके लिए बड़ा उत्सुक हूँ कि कोई भी राष्ट्रीय विद्यालय बन्द न हो, वहाँ दूसरी ओर मुझे उस पाठशालाको बन्द करनेमें जरा भी हिचकिचाहट न होगी, जो गैर-हिन्दू लड़कोंको भरती करनेकी ओरसे उदासीन हो या जिसने अछूत बालकोंके लिए अपने दरवाजे बन्द कर रखे हों अथवा जिसमें धुनना और कातना शिक्षाके अनिवार्य विषय न हों। अब वह समय चला गया जब हम पाठशालाके साइन-बोर्ड पर सिर्फ "राष्ट्रीय" शब्द पढ़कर और यह जानकर कि उसका किसी भी सरकारी विद्यालयसे सम्बन्ध नहीं है और उसकी व्यवस्थामें सरकारका कुछ भी हाथ नहीं है, सन्तोष मान सकते हैं। मुझे यहाँ इस बातकी ओर भी इशारा कर देना चाहिए कि बहुतेरी राष्ट्रीय संस्थाओंमें आज भी देशी भाषाओं तथा हिन्दुस्तानीके प्रति उपेक्षा रखनेकी प्रवृत्ति देखी जाती है। बहुत-से शिक्षक देशी भाषाओं या हिन्दुस्तानीके माध्यमसे शिक्षा देनेकी आवश्यकता समझ नहीं पाये हैं। मुझे यह देखकर बड़ी खुशी होती है कि श्री गंगाधररावने राष्ट्रीय शिक्षा-शास्त्रियोंकी एक बैठकका आयोजन किया है, जिसमें मेरी बताई अनेक बातोंके सम्बन्धमें सब एक-दूसरेको अपने-अपने अनुभव बतायेंगे और सम्भव हुआ तो शिक्षा और कार्यके लिए एक सर्वसामान्य योजना भी तैयार करेंगे।

बेकार असहयोगी

राष्ट्रके आह्वानपर जिन वकीलोंने वकालत छोड़ दी और जिन शिक्षकों और दूसरे सरकारी नौकरोंने अपनी सरकारी नौकरियाँ छोड़ दीं, मैं समझता हूँ, उनका उल्लेख

Gandhi Heritage Portal

करनेका प्रसंग अब आ गया। मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुतसे लोग हैं, जिन्हें अपनी गुजर करना मुश्किल हो रहा है। वे हर तरहसे राष्ट्रकी ओरसे सहायता पानेके योग्य हैं। दो ऐसे काम हैं — एक तो खादी बोर्डका और दूसरा राष्ट्रीय स्कूलों और कालेजोंका काम — जिनमें सीखने और मेहनत करनेको तत्पर तथा थोड़ेमें सन्तोष करनेवाले, असंख्य ईमानदार और उद्यमी लोगोंको खपा लेनेकी क्षमता है। मैं देखता हूँ कि लोगोंमें राष्ट्रीय सेवाके निमित्त बिना कुछ लिए काम करनेकी प्रवृत्ति है। उनकी अवैतनिक काम करनेकी इच्छा, निस्सन्देह, सराहनीय है, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर सकते। हर श्रमिक अपने श्रमके मूल्यका अधिकारी है। कोई भी देश अपना सारा समय देनेवाले अवैतनिक कार्यकर्त्ता हजारोंकी तादादमें पैदा नहीं कर सकता। इसलिए हमें ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें कोई भी देश-सेवक देशकी सेवा करने और उसके बदले वेतन स्वीकार करनेमें अपनी इज्जत समझे।

नशीली चीजें

राष्ट्रीय महत्त्वका एक और विषय है अफीम और शराबका व्यापार। मद्यपान-निवारणके प्रति सन् १९२१ में देशमें उत्साहकी जो लहर इस छोरसे उस छोरतक फैली हुई थी, वह यदि शान्तिपूर्ण बनी रहती तो इस क्षेत्रमें आज हमें दिन-ब-दिन प्रगति देखनेको मिलती। लेकिन दुर्भाग्यसे हमारी धरनेदारीमें हिंसाकी वृत्ति आ गई। जहाँ इसने खुली हिंसाका रूप नहीं लिया, वहाँ भी यह भीतर-ही-भीतर हिंसात्मक हो उठी थी। इसलिए धरना देना बन्द कर देना पड़ा और अफीम तथा शराबकी दुकानें फिर पहलेकी तरह फूलने-फलने लगीं। लेकिन यह सुनकर आपको खुशी होगी कि मद्यपान-निवारणका काम बिलकुल बन्द नहीं हो गया है। बहुत-से कार्यकर्त्ता आज भी चुपचाप निःस्वार्थ भावसे इस काममें लगे हुए हैं। इतना होते हुए भी हमें यह जान लेना चाहिए कि जबतक स्वराज्य न मिलेगा, हम इस बुराईको दूर न कर सकेंगे। हमारे लिए यह कोई गर्वकी बात नहीं है कि ऐसे अनीतिमूलक कार्योंकी आमदनीसे हमारे बच्चोंको शिक्षा दी जाती है। कौंसिलोंमें जानेवाले सदस्य यदि साहस दिखाकर इस आमदनीको बिलकुल ही बन्द करा दें तो मैं उन्हें विधान-सभाओंमें जानेके लिए लगभग माफ कर दूँगा। इसके परिणामस्वरूप अगर शिक्षण संस्थाओंको पैसे न मिलें, तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन यदि उसी अनुपातमें फौजी खर्चमें कमी करानेपर आग्रह रखेंगे तो शिक्षा संस्थाओंको भी ऐसी किसी कठिनाईका सामना न करना पड़ेगा।

बंगालका दमन

आपने यह देखा होगा कि अबतक मैंने जो-कुछ कहा, सिर्फ देशके आन्तरिक विकासके सम्बन्धमें ही कहा।

लेकिन बाहरी परिस्थितियाँ और उसमें भी खासकर हमारे शासकोंके काम हमारे ध्येयपर उतना ही निश्चित (यद्यपि शायद प्रतिकूल ही) प्रभाव डाल रहे हैं, जितना कि आन्तरिक विकास। यदि हम चाहें तो उनके कार्योंसे फायदा उठा सकते

Gandhi Heritage Portal

हैं, पर यदि हम उनके आगे झुक गये तो अपना ही नुकसान करेंगे। हमारे शासकोंका सबसे ताजा काम है बंगालमें शुरू किया दमन। सर्वदलीय परिषद्ने साफ शब्दोंमें उसकी निन्दा की है। हाँ, उसे यह कहनेमें जरूर हिचकिचाहट हुई कि यह प्रहार बंगालके स्वराज्यवादी दलपर ही किया गया है। लेकिन मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं कलकत्ता गया था और वहाँ अलग-अलग राय रखनेवाले तरह-तरहके लोगोंसे मिलनेका मुझे मौका मिला था। उससे मैं इसी नतीजेपर पहुँचा हूँ कि यह प्रहार स्वराज्यवादी दलपर ही किया गया है। और लॉर्ड लिटन तथा लॉर्ड रीडिंगने उसके बाद जो भाषण दिये, उनसे मेरी यह राय और भी पक्की हुई है। अपने पक्षके समर्थनमें उन्होंने जो-कुछ कहा है, वह बिलकुल पटने लायक नहीं है। इस तरहकी सफाई भारतवर्षमें ही दी जा सकती है, जहाँ लोकमतकी कुछ भी पूछ नहीं है, या है तो बहुत थोड़ी। लॉर्ड लिटनकी रिहाईकी शर्तें तो हमारी बुद्धिके लिए अपमानजनक हैं। दोनों वाइसराय साहब जब कहते हैं कि परिस्थिति ही इस अध्यादेश और १८१८ के विनियमके अन्तर्गत कार्रवाई करनेकी आवश्यकताका प्रमाण है तो वे साध्यको ही सिद्ध बात मानकर यह कहते हैं। लेकिन राष्ट्रकी धारणा तो इस विषयमें यह है :

१. जैसी परिस्थिति वे बताते हैं, वैसी कोई परिस्थिति वास्तवमें है, यह साबित नहीं हो पाया है।

२. यदि यह मान भी लें कि वास्तवमें ऐसी परिस्थिति है, तो भी इलाज रोगसे भी बदतर है।

३. इस परिस्थितिका मुकाबला करनेके लिए साधारण कानूनोंमें भी काफी अधिकार दिये गये हैं; और अन्तमें,

४. यदि असाधारण अधिकारोंकी आवश्यकता थी भी तो उन्हें यह अधिकार विधानसभाओंसे लेने चाहिए थे, जो खुद उन्हींकी बनाई हुई हैं।

दोनों वाइसराय साहबोंके भाषणोंमें ये प्रश्न बिलकुल टाल ही दिये गये हैं। फिर जिस राष्ट्रको सरकारके निराधार वक्तव्योंका बहुत-कुछ अनुभव है, वह इन भाषणोंको परम सत्य कैसे मान सकता है? वे जानते हैं कि हम उनके कथनपर विश्वास न तो कर सकते हैं न करेंगे — सो इसलिए नहीं कि वे जानबूझकर झूठ बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि जिन सूत्रोंसे उन्हें खबर मिलती हैं, वे अकसर दूषित और पक्षपातपूर्ण पाये गये हैं। इसलिए उनका यकीन दिलाना लोगोंका मजाक उड़ाना ही है। उनके ये भाषण एक तरह हमें ललकार कर कहते हैं कि आओ, तुमसे जो-कुछ हो सके, सो कर लो। पर हमें न तो झुंझला उठना चाहिए और न धीरज छोड़ बैठना चाहिए। दमन यदि हमको डरा न सके, दबा न सके, न हमें अपने लक्ष्यसे हटा सके तो फिर उससे स्वराज्य पानेमें मदद ही मिल सकती है। क्योंकि वह हमें कसौटीपर चढ़ाता है और खतरेका सामना करनेके लिए हमारे अन्दर हिम्मत और कुरबानीका माद्दा पैदा करता है। एक सच्चे आदमी और राष्ट्रके लिए दमन वही काम करता

Gandhi Heritage Portal

है, जो आग सोनेके लिए करती है। १९२१ के दमनका जवाब हमने सविनय अवज्ञाके द्वारा दिया था और सरकारसे कहा था कि जो तुमसे हो सके, सो कर लो। पर आज हमें अपमानका यह घूँट पी जाना है। हम सविनय अवज्ञाके लिए तैयार नहीं हैं। अभी तो हम उसकी तैयारी ही कर सकते हैं, सविनय अवज्ञाकी तैयारीका मतलब है, अनुशासन, संयम, अहिंसापर चलने, किन्तु साथ ही बुराईका प्रतिरोध करनेकी भावना, मिल-जुलकर चलनेकी शक्ति और सबसे बढ़कर विचारपूर्वक और प्रसन्नताके साथ ईश्वरके प्रकट नियमका तथा मनुष्यके उन कानूनोंका पालन करना जो ईश्वरीय कानूनकी मदद और तरक्कीके लिए बनाये गये हों। मगर बदकिस्मती है कि हममें अपने उद्देश्यके अनुरूप न पर्याप्त अनुशासन है और न संयम; हम या तो हिंसापूर्ण हैं या हमारी अहिंसामें बुराईके प्रतिरोधकी वृत्ति नहीं होती; हममें मिल-जुलकर चलनेकी पर्याप्त प्रवृत्ति भी नहीं है और हम ईश्वर अथवा मनुष्यके जिस कानूनका भी पालन करते हैं, मजबूर होकर ही करते हैं। हिन्दू और मुसलमान तो अपने आपसी व्यवहारमें रोज-रोज बड़ी धृष्टताके साथ ईश्वर और मनुष्य दोनोंके कानूनोंकी अवज्ञा करते हैं। यह सविनय अवज्ञाका, जो शोषितोंका एकमात्र अमोघ अस्त्र है, वातावरण नहीं है। दूसरा रास्ता, निस्सन्देह, हिंसा है और लगता है, हमारे बीच उसके अनुकूल वातावरण है। हिन्दू-मुस्लिम झगड़े हमें उसकी तालीम दे रहे हैं और जो लोग मानते हैं कि भारतवर्षका उद्धार हिंसाके ही द्वारा हो सकता है, उन्हें हमारी इन आपस-की खुली लड़ाइयोंपर प्रसन्न होनेका अधिकार है। लेकिन मैं जो हिंसा-पथके पथिक हैं, उनसे कहता हूँ कि 'आप भारतवर्षकी प्रगतिको रोक रहे हैं। अगर आपके दिलमें देशके करोड़ों नंगे-भूखे लोगोंके लिए कुछ भी रहम हो या उनके भलेका खयाल हो, तो जान रखिए, अपने हिंसात्मक साधनोंसे आप उनकी कुछ भी सेवा न करेंगे। जिन्हें आप अपदस्थ करना चाहते हैं, वे आपकी बनिस्बत कहीं अच्छे शस्त्रोंसे सुसज्जित हैं और अनेक-गुना सुसंगठित हैं। आप अपने प्राणोंकी परवाह भले ही न करें, पर आप अपने देशके उन भाइयोंकी उपेक्षा नहीं कर सकते, जो शहीदोंकी मौत मरनेकी ख्वाहिश नहीं रखते। आप जानते ही हैं कि यह सरकार अपनी रक्षाके लिए जलियाँ-वाला बाग-जैसे हत्याकाण्डको एक न्यायोचित साधन माननेवाली है। और देशोंकी बात मैं नहीं कह सकता, पर इस देशमें तो हिंसाके फूलने-फलनेका कोई मौका नहीं हैं। भारतवर्ष तो निर्विवाद रूपसे अहिंसाका सबसे बड़ा हामी और सर्वोत्तम आश्रयस्थान है। सो अगर आप अपने जीवनको अहिंसाके कार्यमें कुरबान करेंगे तो यह क्या उसका ज्यादा अच्छा उपयोग न होगा?'

लेकिन मैं जानता हूँ कि हिंसात्मक क्रान्तिकारियोंसे की गई मेरी यह प्रार्थना उतनी ही निष्फल होगी जितनी कि हिंसाकी राह चलनेवाली इस अराजक सरकारसे की गई मेरी प्रार्थना हो सकती है।

ऐसी हालतमें हमें इसका उपाय खोजना है और हिंसाकी राह चलनेवाली इस सरकार और क्रान्तिकारी समुदाय दोनोंको यह दिखला देना जरूरी है कि एक ऐसी भी शक्ति है जो उनके हिंसाबलसे ज्यादा प्रभावकारी है।

Gandhi Heritage Portal

दमन एक लक्षण है

इस दमनको मैं एक पुरानी बीमारीका एक पुराना लक्षण मानता हूँ। उसका सूत्र है यूरोपका प्रभुत्व और एशियाकी दासता। कभी-कभी तो इसे और भी व्यंजक शब्दावलीमें गोरे बनाम कालेका सवाल कहते हैं। जब किपलिंगने काले लोगोंके कंधोंपर डाले गोरोंके जुएको "गोरोंका बोझ" कहा तो उसने वास्तवमें स्थितिका गलत वर्णन किया। मलायामें रंगभेदकी दीवार अस्थायी समझी जाती थी पर वह अब करीब-करीब स्थायी बन गई है। मॉरिशसके गन्नेकी खेती करनेवालोंको हिन्दुस्तानसे मजदूर मिलने ही चाहिए। केनियाके यूरोपीय हिन्दुस्तानियोंपर हावी होनेमें कामयाब हो गये हैं, हालांकि हिन्दुस्तानी वहाँ रहनेका पहला हक रखते हैं। दक्षिण आफ्रिकाकी सरकार अगर सहूलियतसे कर सके तो वह आज ही वहाँसे एक-एक हिन्दुस्तानीको निकाल बाहर करे। पिछले करारनामोंकी वह कुछ भी परवाह न करे। यह बात नहीं कि इन तमाम बातोंमें भारत सरकार और सम्राज्य सरकारका कुछ बस न चल सकता हो; पर वे वहाँके हिन्दुस्तानी निवासियोंकी रक्षाके लिए या तो रजामन्द नहीं हैं या उतना जोर नहीं दे रहे हैं, जितना कि उन्हें देना चाहिए। भारत सरकारने तो फीजीवाले अपने कमीशनकी रिपोर्टतक प्रकाशित करनेकी शिष्टता नहीं दिखाई है।

अकालियोंके अदम्य तेजको कुचलनेका प्रयत्न भी उसी बीमारीका लक्षण है। जिस ध्येयको वे अपनी जानके बराबर प्यार करते हैं, उसके लिए उन्होंने पानीकी तरह अपना खून बहाया है। हो सकता है, उनसे गलतियाँ हुई हों। मगर ऐसा हुआ भी हो तो उसके लिए खून उन्हींका बहा है। उन्होंने किसी दूसरेको चोट नहीं पहुँचाई है। ननकाना साहब, गुरुका बाग और जैतों — उनके साहस, उनके मूक कष्ट-सहन और उनकी शहादतके साक्षी रहेंगे। लेकिन कहते हैं, पंजाबके गवर्नर साहबने कसम खाई है कि वे अकालियोंको कुचल कर रहेंगे।

सुननेमें आया है, उधर बर्मामें भी दमनचक्र चलाकर वहाँकी जनताको कुचला जा रहा है।

मिस्रकी हालत भी हमसे अच्छी नहीं है। एक पागल मिस्रवासीने एक अंग्रेज अफसरको कत्ल कर डाला — निश्चय ही यह एक जघन्य अपराध है। लेकिन इसकी जो सजा दी जा रही है वह सिर्फ एक जघन्य अपराध ही नहीं, बल्कि मानवताके साथ बलात्कार है। मिस्रने जो कुछ पाया था, करीब-करीब खो चुका है। सिर्फ एक आदमीके जुर्मके लिए सारी कौमको बेरहमीसे सजा दी गई है। हो सकता है कि उस खूनके साथ मिस्रवासियोंकी हमदर्दी रही हो। पर क्या इतनेसे ही उस ताकतके लिए इस तरह जोरोजुलम करना उचित हो सकता है, जो उसके बिना भी अपने हितोंकी रक्षा कर सकती है।

इसलिए बंगालका यह दमन कोई असाधारण बात नहीं है। ऐसी हालतमें, जबतक हमारा स्वत्व हमें प्राप्त नहीं हो जाता तबतक दमनके किसी-न-किसी रूपमें और किसी-न-किसी प्रान्तमें समय-समयपर होनेवाले ऐसे विस्फोटको एक साधारण बात समझकर ही चलना पड़ेगा।

Gandhi Heritage Portal

शक्तिकी आवश्यकता

इसलिए कांग्रेसने जो काम अपने हाथमें लिया है उसके योग्य बननेके लिए उसे ऐसी शक्ति अर्जित करनी चाहिए, जिसके बलपर वह अपनी माँगें स्वीकार करा सके। यह शक्ति हम तभी अर्जित कर सकते हैं जब हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी आदि एक हो जायें; जब स्वराज्यवादी, अपरिवर्तनवादी, लिबरल, होमरूलवाले, मुस्लिम लीग और दूसरे तमाम दलोंके लोग एकताके सूत्रमें बँध जायें। अगर हम सब मिलकर सिर्फ एक स्वरमें बोल सकें और ठीक-ठीक समझ लें कि हम क्या चाहते हैं, तो हमारा मार्ग सुगम हो जायेगा। अगर हम अपनेमें विदेशी कपड़ोंके पूर्ण बहिष्कारकी शक्ति विकसित कर लें तो हमारा रास्ता सुगम हो जाये। और तब यह माना जा सकता है कि अब हममें वह शक्ति आ गई है, जिसके बलपर हम अपनी बातें मनवा सकते हैं।

मेरी आस्था

अब मैं अपनी आस्थाकी बात बता दूं। एक कांग्रेसीकी हैसियतसे कांग्रेसको ज्योंका-त्यों कायम रखनेके लिए मैं असहयोगको मुलतवी रखनेकी सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि राष्ट्र अभी इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक व्यक्तिकी हैसियतसे मैं तबतक ऐसा नहीं कर सकता -- और न करूँगा ही -- जबतक कि यह सरकार जैसीकी-तैसी बनी हुई है। मेरे लिए यह महज एक कार्य-नीति (पॉलिसी) की बात नहीं, बल्कि अडिग आस्थाकी बात है। असहयोग और सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह नामक एक ही वृक्षकी अलग-अलग शाखाएँ हैं। यह मेरा कल्पद्रुम -- जाम-ए-जाम -- है। सत्याग्रह क्या है? सत्यकी खोज। और ईश्वर ही सत्य है। अहिंसा वह ज्योति है, जो उस सत्यके दर्शन कराती है। मेरे लिए स्वराज्य उसी सत्यका एक अंग है। इस सत्याग्रहने दक्षिण आफ्रिका, खेड़ा या चम्पारनमें मुझे निराश नहीं किया। मैं ऐसे और भी बहुतसे प्रसंग गिना सकता हूँ जब इसने, इससे जितनी भी आशाएँ की गई थीं, सब पूरी कीं। इसमें किसी किस्मकी हिंसा या घृणाभावके लिए जगह नहीं है। इसलिए मैं अंग्रेजोंसे नफरत नहीं कर सकता और न करूँगा। पर साथ ही मैं उनके जुएको भी गवारा नहीं कर सकता। हिन्दुस्तानके सिरपर अंग्रेजी तौर-तरीके लादनेकी नापाक कोशिशका मुकाबला मैं मरते दमतक करूँगा। लेकिन मैं अहिंसाके द्वारा ही उसका सामना कर रहा हूँ। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हिन्दुस्तान अहिंसाके हथियारसे मौजूदा अंग्रेज शासकोंका मुकाबला कर सकता है। हमारा यह प्रयोग असफल नहीं हुआ है। उसमें सफलता जरूर हुई है, लेकिन उस हदतक नहीं कि जिस हदतक हम चाहते और उम्मीद रखते थे। पर मैं निराश नहीं होता। बल्कि इसके विपरीत मेरा तो विश्वास है कि भारत निकट भविष्यमें अपना स्वत्व पा लेगा और यह सिर्फ सत्याग्रहके द्वारा ही सम्भव होगा। सत्याग्रहको स्थगित करनेका जो प्रस्ताव किया गया है, वह भी इस प्रयोगका ही अंग है। अगर मेरा बनाया यह कार्यक्रम पूरा किया जा सके तो असहयोगको फिरसे शुरू करनेकी बिलकुल जरूरत न होगी। पर अगर यह कार्यक्रम न चला तो किसी-न-किसी रूपमें चाहे कांग्रेसके नेतृत्वमें या उसके नेतृत्वसे बाहर असहयोग

Gandhi Heritage Portal

फिर जारी किया जायेगा। मैंने बार-बार कहा है कि सत्याग्रह कभी असफल नहीं होता और एक ही सर्वांगपूर्ण सत्याग्रही सत्यको प्रतिष्ठित कर देनेके लिए काफी होता है। इसलिए हम सब सच्चे सत्याग्रही बननेका प्रयत्न करें। इसके लिए ऐसे किसी भी गुण या योग्यताकी जरूरत नहीं, जो हममें से अदनासे-अदना व्यक्ति भी हासिल न कर सके। कारण, सत्याग्रह हमारी आत्माका ही एक गुण है। वह हम सबके अन्दर छिपा हुआ है। स्वराज्यकी तरह ही उसपर भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अब हम सब उसको पहचानें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, २६-१२-१९२४

३८३. भाषण : बेलगाँव कांग्रेसमें शोक-प्रस्तावपर

२६ दिसम्बर, १९२४

जब अध्यक्षने पहला प्रस्ताव पेश किया उस समय शामके ४ बजकर ५ मिनट हुए थे। उन्होंने कहा :

मैं अब पहला प्रस्ताव पढ़ूँगा। जब मैं इसे पढ़ चुकूँ तो आप सब कृपया खड़े हो जायें। प्रस्ताव बहुत सीधा-सादा है; जो लोग अब हमारे बीच नहीं रह गये हैं, उनकी मृत्युपर इसमें शोक प्रगट किया गया है।

यह कांग्रेस बी-अम्माँ, सर आशुतोष चौधरी, सर आशुतोष मुखर्जी, श्री भूपेन्द्रनाथ बसु, डा० सुब्रह्मण्य अय्यर, श्री दल बहादुर गिरि, श्री गोविंद वेंकटेश यालगी, श्री वामनराव मोर्हरिर, श्री टी० वी० गोपालस्वामी मुदालियर, श्री सी० वी० पी० शिवम् और लाला कन्हैयालालजी तथा साथ ही दक्षिण आफ्रिकामें सर्वश्री रुस्तमजी जीवनजी घोरखोदू और पी० के० नायडूकी मृत्युपर दुःख प्रकट करती है और इनके शोकाकुल परिवारोंके साथ सादर सहानुभूति प्रकट करती है।

इसके बाद अध्यक्षने प्रस्तावको हिन्दीमें समझाया।[1]

इस प्रस्तावमें बी-अम्माँ और दूसरे भाइयोंकी —— जिनके नामोंका इसमें उल्लेख है —— मृत्युपर हम अफसोस जाहिर करते हैं और उनके रिश्तेदारोंसे हमदर्दी प्रकट करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि इसमें किसीको शिकायत नहीं हो सकती। इसलिए आप कुछ मिनट खड़े होकर, जब मैं बैठ जाऊँगा तब बैठ जायें। यह इस प्रस्तावका स्वीकार करना है।

सब खड़े हो गये। बीचमें कहींसे आवाज आनेपर महात्माजीने कहा :

बीचमें जितने हैं सब खड़े हो जायें। एक भी बैठा न रहे। शान्तिसे रहें। मैंने कहा, किसीको बात नहीं करनी चाहिए, सब शान्तिसे रहें। हम अपने अन्दर अदब बताना चाहते हैं तो सब शान्तिसे कुछ सेकंडके लिए खड़े रहें।

१. इसके बादका अंश किंचित् परिवर्तनके बाद कार्यवाहीकी हिन्दी रिपोर्टसे लिया गया है।

Gandhi Heritage Portal

जय-जय ध्वनिके बीच दास महोदय मंचारूढ़ हुए। 'देशबन्धु दास।' — तत्काल महात्माजीने सबको उनका आगमन सूचित किया और कहा:

मालवीयजीने मुझे अभी पैगाम भेजा है और मुझे अफसोस है कि मैं भूल गया। लाला कन्हैयालालजी लाहौरीका स्वर्गवास इसी वर्षमें हुआ है। लाला कन्हैयालालका नाम आपने सुना होगा। वे बुजुर्ग थे, डायरशाहीके जमानेमें इन्होंने देशकी बड़ी सेवा की थी।

[अंग्रेजीसे]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

३८४. प्रस्ताव: कलकत्ता-समझौते तथा कताई-सदस्यताके बारेमें

२६ दिसम्बर, १९२४

क. (१) यह कांग्रेस एक ओर महात्मा गांधी तथा दूसरी ओर स्वराज्य दलकी ओरसे देशबन्धु चित्तरंजन दास और पण्डित मोतीलाल नेहरूके बीच हुए निम्नलिखित समझौतेकी पुष्टि करती है।

समझौता[1]

(२) कांग्रेस आशा करती है कि इस समझौतेसे कांग्रेसकी दोनों शाखाओंमें सच्ची एकता आयेगी और यह समझौता अन्य राजनीतिक संगठनोंके सदस्योंके कांग्रेसमें शामिल हो सकनेमें भी सहायक होगा। नये अध्यादेश या १८१८ के विनिमय ३के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये स्वराज्यवादी तथा अन्य लोगोंको कांग्रेस बधाई देती है। कांग्रेसका मत है कि जबतक भारतके लोगोंमें अपने सम्मान और अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षा करनेकी क्षमता नहीं होगी, तबतक ऐसी गिरफ्तारियाँ अवश्यम्भावी हैं और उसका यह भी मत है कि देशकी वर्तमान परिस्थितियोंमें ऐसी क्षमताका विकास करनेके लिए जरूरी है कि विदेशी वस्त्रोंका पूर्ण बहिष्कार करनेका जो निश्चय बहुत दिनोंसे टलता आ रहा है, अब उसे लागू किया जाये; और इसीलिए इस राष्ट्रीय उद्देश्यको प्राप्त करनेकी जनताकी सच्ची इच्छा और संकल्पके प्रतीकके रूपमें कांग्रेस सदस्यताके लिए कताईकी शर्त लागू किये जानेका स्वागत करती है और हर स्त्री-पुरुषसे अपील करती है कि वह इस अवसरका लाभ उठाये और कांग्रेसमें शामिल हो।

(३) ऊपर कही गई बातको ध्यानमें रखते हुए कांग्रेस प्रत्येक भारतीय स्त्री-पुरुषसे सब विदेशी वस्त्रोंका त्याग करने और केवल हाथके कते और हाथके बुने खद्दरका ही उपयोग करने और पहननेकी अपेक्षा करती है। इस उद्देश्यको अविलम्ब

१. समझौतेका पाठ यहाँ नहीं दिया जा रहा है। देखिए "गांधीजी और स्वराज्यवादियोंका संयुक्त वक्तव्य", ६-११-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

प्राप्त करनेकी गरजसे कांग्रेस सभी कांग्रेस सदस्योंसे अपेक्षा करती है कि वे हाथसे कताईके कामको बढ़ाने-फैलाने और खद्दरके उत्पादन और बिक्रीके काममें सहायता दें।

(४) कांग्रेस भारतके राजाओं और धनी वर्गके लोगोंसे तथा ऐसे राजनीतिक या उन अन्य संगठनोंके सदस्योंसे, जिनका कांग्रेसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तथा नगरपालिकाओं, स्थानीय निकायों, पंचायतों और ऐसी ही अन्य संस्थाओंसे अपील करती है कि वे स्वयं उपयोग करके और अन्य तरीकोंसे, खासकर उन कलाकारोंको उदारतापूर्वक प्रश्रय और प्रोत्साहन देकर, जो अभी भी बच रहे हैं और जो महीन खद्दरके बढ़िया कलात्मक डिजाइनवाले कपड़े तैयार कर सकते हैं, कताईके प्रसारमें सहायता दें।

(५) कांग्रेस विदेशी कपड़ों और विदेशी सूतका व्यापार करनेवाले व्यापारियोंसे अपील करती है कि वे राष्ट्रके हितोंको समझें और विदेशी वस्त्र तथा सूतका आयात करना बन्द करके खद्दरका व्यवसाय करें और इस प्रकार इस राष्ट्रीय कुटीर उद्योग की सहायता करें।

(६) कांग्रेसके ध्यानमें यह बात आई है कि मिलोंमें तथा अन्य करघोंपर मिलके कते सूतसे कई प्रकारके वस्त्रोंका उत्पादन होता है और उसे भारतीय बाजारमें खद्दर बताकर बेचा जाता है। अतः कांग्रेस मिल-मालिकों तथा अन्य सम्बन्धित वस्त्र-उत्पादकोंसे अनुरोध करती है कि वे इस अवांछनीय धन्धेको बन्द कर दें। वह उनसे यह भी अपील करती है कि वे अपना कारोबार देशके उन्हीं भागोंतक सीमित कर दें जो अभी कांग्रेसके प्रभावमें नहीं आये हैं और ऐसा करके वे भारतके प्राचीन कुटीर उद्योगको पुनरुज्जीवित करनेमें सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करें। कांग्रेस उनसे यह भी अपील करती है कि वे विदेशी सूतका आयात करना बन्द कर दें।

(७) कांग्रेस हिन्दू, मुसलमान और अन्य सभी धार्मिक सम्प्रदायोंमें प्रधान लोगों और नेताओंसे अपील करती है कि वे अपनी धार्मिक सभाओंमें अपने अनुयायियोंको खद्दरका सन्देश सुनाएँ और उन्हें विदेशी वस्त्रोंका इस्तेमाल न करनेकी सलाह दें।

ख. कांग्रेस संविधानका वर्तमान अनुच्छेद[१] ७ रद्द किया जाये और उसके स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाये :

(१) प्रत्येक व्यक्ति, जो अनुच्छेद ४ में वर्णित निर्योग्यताओंसे मुक्त है, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों द्वारा नियन्त्रित किसी भी आरम्भिक संस्थाका सदस्य बन सकता है; लेकिन जो स्त्री या पुरुष किसी राजनीतिक या कांग्रेसके समारोहमें या कांग्रेसका काम करते समय हाथ-कता और हाथ-बुना खद्दर नहीं पहनता और अपने हाथका इकसार काता हुआ २४,००० गज सूत, अथवा बीमारी या अनिच्छा अथवा ऐसा ही कोई अन्य कारण होनेपर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा काता गया इतना ही सूत चन्देमें

१. इसमें कहा गया था : "प्रत्येक व्यक्ति जो अनुच्छेद ४ में वर्णित निर्योग्यताओंसे मुक्त है तथा जो प्रति वर्ष ४ आने शुल्कके रूपमें देता है, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों द्वारा नियन्त्रित किसी भी संस्थाका सदस्य बन सकता है।" देखिए खण्ड १९, पृष्ठ १९६।

Gandhi Heritage Portal

नहीं देता, वह किसी कांग्रेस कमेटी या संगठनका सदस्य नहीं होगा और यह भी कि कोई व्यक्ति एक ही वक्तमें दो समानान्तर कांग्रेस संगठनोंका सदस्य नहीं होगा।

(२) सदस्यताका वर्ष १ जनवरीसे ३१ दिसम्बरतक माना जायेगा। उपर्युक्त चन्दा पेशगी देना होगा और इसे २००० गज प्रति माहकी अग्रिम किस्तोंमें दिया जा सकेगा। वर्षके बीचमें सदस्य बननेवालोंको पूरे वर्षके लिए सूतकी पूरी मात्रा देनी होगी।

संक्रमणकालीन व्यवस्था

१९२५की अवधिमें चन्दा केवल २०,००० गज ही रहेगा और इसे १ मार्चको या उससे पहले दिया जा सकेगा, या जैसा कि ऊपर बताया गया है, माहवारी किस्तोंमें दिया जा सकेगा।

(३) जिस व्यक्तिने सूतके रूपमें अपना चन्दा या उसकी बकाया किस्त अदा नहीं की हो, वह प्रतिनिधियोंके चुनावमें, या कांग्रेस संगठनकी किसी समिति या उप-समितिके चुनावमें भाग नहीं ले सकेगा और न स्वयं उस रूपमें चुना जा सकेगा। वह कांग्रेस या किसी कांग्रेस संगठन या उसकी किसी समिति या उप-समितिकी बैठकमें भी भाग नहीं ले सकेगा। सूतके रूपमें चन्दा देनेमें चूक करनेवाले सदस्यके अधिकार, जब वह बकाया चन्देका सूत और चालू महीनेकी किस्त अदा कर देगा तो पुनः बरकरार कर दिये जायेंगे।

(४) प्रत्येक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके महासचिव-को प्रति माह सदस्यताका ब्यौरा और इस धाराके अन्तर्गत प्राप्त होनेवाले सूतका हिसाब भेजेगी। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ चन्देके सूतका दस प्रतिशत या उतने सूतकी कीमत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको भेजेंगी।

(५) वर्तमान अनुच्छेद ६ (ग)[1] और धारा ९ (ख)[2] को निकाल दिया जाये।

प्रस्तावकर्त्ता :

देशबन्धु चित्तरंजन दास (अंग्रेजीमें)

अनुमोदनकर्त्ता :

श्रीयुत एस० वी० कौजलगी (कन्नड़ और अंग्रेजी, दोनोंमें)
श्रीयुत न० चि० केलकर (मराठीमें)
श्रीयुत एम० वी० अभ्यंकर (अंग्रेजीमें)
पण्डित मोतीलाल नेहरू (अंग्रेजीमें)

विरोधकर्त्ता :

मौलाना हसरत मोहानी (उर्दूमें)
मौलाना आजाद सोबानी (उर्दूमें)
स्वामी गोविन्दानन्द (अंग्रेजीमें)

[अंग्रेजीसे]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

१ और २. देखिए खण्ड १९, पृष्ठ १९६-९७।

Gandhi Heritage Portal

३८५. भाषण: कलकत्ता समझौतेपर[1]

२६ दिसम्बर, १९२४

देशबन्धु चित्तरंजन दासने प्रस्ताव पेश किया। प्रस्तावपर कई वक्ताओंने भाषण दिये। स्वामी गोविन्दानन्दका भाषण समाप्त होनेपर अध्यक्षने कहा:

मैं आप लोगोंका अधिक समय नहीं लूँगा। अभी मेरे पास दो वक्ता और हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो सके तो इस प्रस्तावके विरोधियोंको भी अपनी बात कहनेका अवसर दूँ। अब मैं एक और वक्तासे कहूँगा कि वे इस प्रस्तावका विरोध करें। इसके बाद मैं पं० मोतीलाल नेहरूसे समापन भाषण करनेके लिए कहूँगा। मैं कानपुरके सरदार अली साबरीसे भाषण देनेका अनुरोध करता हूँ। क्या वे यहाँ मौजूद है?

उत्तर: नहीं, नहीं हैं इसके बाद मोतीलाल नेहरू भाषण देनेके लिए आये। . . . शामको ७ बजकर २५ मिनटपर प्रस्तावपर बहस समाप्त हुई। तब अध्यक्ष "महात्मा गांधीकी जय" के निरन्तर गूंजते गगनभेदी नारोंके बीच प्रस्तावपर मत लेनेके लिए खड़े हुए। उन्होंने हिन्दीमें बोलते हुए कांग्रेस तथा अन्य सम्मेलनोंकी बैठकोंका समय घोषित किया और प्रस्तावपर मतदानके सम्बन्धमें कहा:[2]

भाइयो,

अब इस रिजोल्यूशन (प्रस्ताव) को आपके सामने रखूं, इससे पहले जो मुझे दूसरे भाइयोंने चिट्ठियाँ भेजी हैं, उन्हें सुनाना चाहता हूँ। और एक-दो भाईने मुझसे यह कहा है कि इतने स्वराज्यवादियोंने सुनाया, लेकिन "नो-चेंजर्स" (अपरिवर्तनवादियों) की तरफसे सिर्फ मौलाना मुहम्मद अलीने कहा है तो राजगोपालाचारीसे कहना चाहिए कि कुछ सुना दें। मैं उनको तकलीफ देना नहीं चाहता गरचे उनका नाम लिखा है। क्योंकि जैसा पण्डितजीने सुनाया मैं नहीं चाहता कि किसीके मनपर, दिलपर ऐसा असर डाला जाये कि लोग अपना उसूल कायम कर लें। आप लोग जैसा चाहें वोट दें। इसलिए मैं नहीं चाहता कि भाई राजगोपालाचारीको तकलीफ दूँ, जैसा "नो-चेंजर" चाहते हैं कि वह वोटिंगसे पहले कुछ बोलें।

एक आन्ध्र-भाई कहते हैं कि मैं डाक्टर एनी बेसेंटका अनुयायी हूँ और इसकी ताईद करना चाहता हूँ। डाक्टर एनी बेसेंट आनेवाली थीं, वह नहीं आईं, इसलिए वह कुछ कहना चाहते हैं। एक भाईने यह भी पूछा है कि यह सारा रिजोल्यूशन (प्रस्ताव) एक साथ क्यों पेश करते हैं, क्यों उसके टुकड़े करके नहीं लिया जाता। इसका उत्तर मौ० हसरत मोहानीने दे दिया। क्यों, यह तो अकर्मण्यताका

१. यह बेलगांव कांग्रेसमें दिया गया था।

२. यहाँतक का अंश अंग्रेजीसे अनूदित है।

Gandhi Heritage Portal

सवाल है, यह तो कोई आत्माका नहीं है। अगर आप पसन्द करते हैं, तो राय दें; नहीं करते तो न दें। अगर चलाना चाहते हैं चरखा, तो हो सकता है। एक दूसरे "नो-चेंजर" भी हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको तकलीफ नहीं देना चाहता। इतने स्वराजी भाइयोंको बोलनेका मौका दे दिया, और वक्त नहीं रहा। हमारे बहुत-से भाइयोंको शक था। उनका एक खत मेरे पास है। शकको रफा करनेकी यही तरकीब थी कि उनको मौका दिया जाये कि वह अपनी बात कह दें।

जैसी सचाईसे देशबन्धु दास और दूसरे लोगोंने कहा उससे कहाँतक लोग अच्छाई लेंगे? भाई अभ्यंकरने कहा कि मेरा उनका एक मत नहीं है फिर भी उन्होंने चरखेके पक्षमें मत दे दिया। पण्डितजी कहते हैं कि जैसा मैं चरखेमें विश्वास करूँगा वैसा वह भी। लिख दिया है और वह लिखेको मानते हैं; ऐसा विश्वास होना चाहिए कि उनका शक दूर होगा। एक बात जरूरी है कि "नो-चेंजर" उनका और वे "नो-चेंजर" का विश्वास करें; इसलिए दोनों विश्वास करें एक-दूसरेका, क्योंकि ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए राय ले लेना चाहता हूँ। जरूरी है कि एक-दूसरेको दोनों भाई समझें; और जैसा देशबन्धु दासने सुनाया एक चीजसे देशका भला है, हम ऐसा मानते हैं और दूसरी चीजसे भला होगा ऐसा [भी] मानते हैं। एक बात हम सब घरमें रहकर मानते हैं, एक उपमा भाई केलकरने दी थी। एक मैं दूंगा कि एक चक्का नहीं चल सकता। जब एक गाड़ीके दोनों चक्के ठीक हैं, दृढ़ हैं तो आगे गाड़ी चलती है, नहीं तो पतित हो [बैठ] जाती है। इसलिए हमारी राय है कि आप लोगोंको चाहिए कि हमारे दिलोंको साफ करें। मौलाना शौकत अली आयेंगे तो कहेंगे कि बहादुर बनो, दूसरे और बातें कहेंगे। तो दूसरेका शक रखना डरपोक आदमीका काम है; जो मनुष्य डरता नहीं वह अपने दुश्मनका भी भरोसा करता है। अगर आप इस प्रस्तावको मंजूर करना चाहते हैं तो एक-दूसरेमें किसी तरहका अविश्वास न करें, खटका मिटा दें। इतना कहनेके बाद, मुझे शक है कि अंग्रेजीमें सुनानेकी भी जरूरत है। अगर कोई भाई चाहें तो सुना दूं। मगर मैं समझता हूँ कि जरूरत नहीं है। ("नहीं, नहीं" की आवाजें)।

अब मैं यह "रिजोल्यूशन" (प्रस्ताव) आपके सामने रखता हूँ और आपकी राय लेना चाहता हूँ, लेकिन राय लेते हुए यह समझा देना चाहता हूँ कि जो पहले शुरू किया था कि आप इसको प्रतिज्ञा समझें — अपनेको, मेरेको, खुदाको साक्षी रखें। यह बात भयंकर होगी अगर [कोई] भाई चाहते हैं कि प्रतिज्ञा करके काम न करें। आप चरखा चलायेंगे। चरखा चलानेमें दिक्कत है, चरखा चलाना पसन्द नहीं है तो दूसरेसे लेकर सूत दे दें; अगर यह भी नहीं करते तो वोट न दें। और अगर आप चाहते हैं कि साथ-साथ काम करें तो इस "रिजोल्यूशन" (प्रस्तावको) मंजूर करना जरूरी है। अगर आप यह नहीं चाहते — चरखेको "फ्रेंचाइज" (सदस्यताकी शर्त) में नहीं चाहते तो आप हर्गिज [पक्षमें] वोट न दें। इसमें मुझे किसीसे रंज न होगा, जैसा दूसरी तरहसे [होगा], जब कहकर न करेंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर आपके दिलमें रहम है मेरे लिए, तो आप अपनी बातको पूरा करेंगे। जो वोट न देंगे, वह भी धोखा देंगे, ऐसा नहीं।

Gandhi Heritage Portal

मैं इस "रिजोल्यूशन" (प्रस्तावको) पेश करता हूँ और मेरे भाई लोग एक मतसे खुदाको धोखा नहीं देंगे। मैंने देशबन्धु दासको, पण्डित मोतीलाल नेहरूको जान लिया है, वह जो एक बात कह देते हैं फिर उससे नाहीं नहीं करते। आप इस "रिजोल्यूशन" को मंजूर करें या न करें। अगर आप न करेंगे तो मैं मानता हूँ कि अब भी चरखेसे सब-कुछ मिल जायेगा। चरखेकी बात आप समझ लें। यह अगर आप करना चाहते हैं तो इसको मंजूर करें। अगर "नो-चेंजरस" (अपरिवर्तनवादी) स्वराज्यवादीसे, स्वराज्यवादी "नो-चेंजरस" से मुहब्बत करना चाहते हैं; भाई केलकरने कहा है कि दोनोंको रिस्पान्सिव कोआपरेशन (पारस्परिक सहयोग) करना चाहिए। अगर आप इसको समझते हैं, मानते हैं तो हाथ ऊँचा करें; अगर नहीं मानते तो हाथ ऊँचा न करें। मैं कोई दूसरा उपाय सोचूँगा हिन्दुस्तानको आजाद करनेका। जो प्रस्तावके पक्षमें हैं, हाथ ऊँचा करें।[1]

[प्रस्तावपर मत लेनेसे पूर्व] अध्यक्षने अंग्रेजीमें बोलते हुए कहा :

जो लोग प्रस्तावके पक्षमें हैं, वे मेरी इस चेतावनीको समझकर अपने हाथ ऊँचे करें कि उनके और देशके बीचमें ईश्वर साक्षी है और केवल तभी हाथ उठायें, जब सचमुच प्रस्तावको मंजूर करना और यथाशक्ति उसपर अमल करना चाहते हों।

श्रीयुत गंगाधरराव देशपाण्डेने अध्यक्षके इन शब्दोंको कन्नड़ भाषामें दुहराया। अध्यक्षने हाथ उठानेका आदेश देते हुए कहा :

केवल प्रतिनिधि ही हाथ उठायें। वे ही हाथ उठायें जिन्होंने प्रस्तावको समझ लिया हो।

उसके बाद उन्होंने ऊँचे उठे हुए हाथ गिने और कहा :

मैं घोषित करता हूँ कि प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। (देर तक जोरकी तालियाँ)।

इसके बाद अधिवेशन दूसरे दिन ११ बजेतक के लिए स्थगित कर दिया गया।[2]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

१. यहाँतक का अंश मूल हिन्दीसे है।
२. यह अन्तिम अंश अंग्रेजीसे अनूदित है।

Gandhi Heritage Portal

३८६. भाषण : अ० भा० छात्र सम्मेलन, बेलगाँवमें

२७ दिसम्बर, १९२४

पण्डालमें प्रवेश करनेपर महात्मा गांधीका उत्साहके साथ स्वागत किया गया। अध्यक्ष और श्रोताओंके आग्रहपर महात्माजी करीब १० मिनटतक बोले। उन्होंने छात्रोंसे कहा कि वे स्वदेशीका पालन करें और खद्दर ही पहनें। उन्होंने बताया कि किस तरह देशकी मुक्तिका प्रश्न चरखेके प्रसारके साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने श्रोताओंसे कहा, मैं समय न होनेका बहाना स्वीकार करनेको तैयार नहीं हूँ। यदि आप लोगोंमें काम करनेकी इच्छा होगी तो आप उसे कर सकते हैं। अन्तमें उन्होंने कहा कि खद्दर किसीके प्रति घृणाका प्रतीक नहीं है बल्कि प्रेम और आत्म-निर्भरताका प्रतीक है। इसके बाद जोरदार तालियोंकी गड़गड़ाहटके बीच महात्माजीको माला पहनाई गई। अध्यक्षने महात्माजीको सम्मेलनमें आकर अपना आशीर्वाद प्रदान करनेके लिए धन्यवाद दिया, इसके बाद महात्माजी पण्डालमें चले गये।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २-१-१९२५

३८७. भाषण : बेलगाँव कांग्रेसमें शोक प्रस्तावपर

२७ दिसम्बर, १९२४

अध्यक्षने सवेरे ११ बजकर २० मिनटपर निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :

कांग्रेस श्री जी० एम० भर्गरीकी मृत्युपर गहरा दुःख अनुभव करती है और उनके शोक-संतप्त परिवारके प्रति सादर समवेदना व्यक्त करती है।

प्रस्तावपर मत लेनेसे पहले अध्यक्षने कहा :[1]

भाइयो और बहनो,

मुझे कहते हुए शर्म आती है, मुझे लज्जा होती है कि जब हमने पहला प्रस्ताव पास किया, उस वक्त मैं एक बात भूल गया। आज एक सिन्ध-निवासी भाईने याद दिलाया कि जब हम हमारे नेता, जिनका स्वर्गवास हो गया, उनके लिए अफसोस जाहिर कर रहे थे, एक नाम छूट गया था। वह मिस्टर भर्गरी [का नाम] है।

आपको यह मालूम होगा, आप मेरी बात मानेंगे कि मैं जान-बूझकर छोड़ नहीं सकता था। लेकिन मेरा तो यह बुरा हाल है कि कोई बात, काममें व्यस्त रहनेपर भूल जाता हूँ। बड़ी तकलीफमें मुझे जो नाम लिखने थे, लिख लिये — वह मेरा एड्रेस

१. यहाँतक का अंश अंग्रेजीसे अनूदित है।

Gandhi Heritage Portal

था उसमें लिखे थे -- मैं ही लिखता था, इसलिए मुझे मालूम न हुआ [कि कोई नाम छूट गया है]। मैं बड़े अदबसे मिस्टर भर्गरीका नाम लिखता। मैं मनमें भी उनका बड़ा अदब रखता हूँ। मैंने भूल की -- मैं उनके रिश्तेदारोंसे माफी माँगता हूँ। हकीकत तो यह है कि उनके लिए मेरे हृदयमें बड़ी जगह है। वह एक सिन्धी मुसलमान थे और हिन्दुओंसे प्रेम करते थे। जब मैं सिन्धमें जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि मिस्टर भर्गरी हिन्दुस्तानके एक सच्चे सपूत थे। हम लोग उनके लिए अफसोस क्यों न जाहिर करें। मैं प्रार्थना करता हूँ, भाइयों और बहनोंसे कि वे खड़े हो जायें, अदबसे। एक मिनटतक खड़े रहें। कोई बैठा न रहे; सब खड़े हो जायें। अग्रे पुनरपि -- अब सब भाई खामोश रहें और एक दूसरेसे बीचमें बात न करें। हमें अपना सारा प्रोग्राम खत्म करना है और हो सके तो पाँच बजेतक काम खत्म करना है। इसमें मैं आप सब प्रतिनिधि भाइयोंकी मदद माँगता हूँ कि आप मदद करें। आज जो प्रस्ताव पहले रखना है, उसमें बहस करनेकी बात ही नहीं है इसलिए कि उसमें कुछ समझाना नहीं है। इसलिए सिर्फ पढ़ देता हूँ और यह भी कहना चाहता हूँ कि आज जितने प्रस्ताव हैं, उनकी नकल आपको बाँटी नहीं गई है। इसके लिए स्वागत-समिति मजबूर हुई है, क्योंकि प्रेस बेलगाँवमें नहीं है कि जितने प्रस्ताव स्वागत समिति भेजे छप जायें। सबजेक्ट्स कमेटी (विषय-समिति) बैठ सकती है दो-तीन दिन, तो इसमें जितने प्रस्ताव वह पास करती वह छपनेको दे सके। लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि जिसकी नकल आपके पास भेजना इतना जरूरी हो। इसलिए आप क्षमा करें -- स्वागत समितिको और मुझको भी। इसलिए जो पढ़ा जाये उसको सुनकर स्वीकार करें।[1]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

३८८. प्रस्ताव : सरोजिनी नायडूकी सराहनामें

२७ दिसम्बर, १९२४

इसके बाद बेलगाँव कांग्रेस अधिवेशनके अध्यक्षने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :

विदेशोंमें रहनेवाले उन भारतीयोंके हितार्थ श्रीमती सरोजिनी नायडूकी सेवाओंके प्रति कांग्रेस अपनी सराहना प्रकट करती है, जिन्होंने अपनी कार्यशक्ति और लगनसे भारतीयोंका प्रेम तो प्राप्त किया ही, अपने आकर्षक वक्तृत्वसे वहाँकी यूरोपीय जनताको भी अपनी बात सहानुभूतिपूर्वक सुननेके लिए बाध्य किया।

भारत सेवक समाज (सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी) के श्री वझे और पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी द्वारा केनियाके प्रवासियोंकी सेवाओंके प्रति भी कांग्रेस अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है।

१. सभी लोग थोड़ी देरतक मौन खड़े रहे और प्रस्ताव निर्विरोध पास हो गया।

Gandhi Heritage Portal

इसके बाद उपर्युक्त प्रस्तावका हिन्दी और कन्नड़ अनुवाद क्रमशः पण्डित सुन्दरलाल और श्री के० मुदवेडकरने पढ़कर सुनाया।

श्रीमती सरोजिनी देवीके सिवा अन्य सभी प्रतिनिधियोंने खड़े होकर प्रस्तावको सर्व-सम्मतिसे पास कर दिया।

[अंग्रेजीसे]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

३८९. भाषण: कोहाट और गुलबर्गाके दंगोंसे सम्बन्धित प्रस्तावपर[1]

२७ दिसम्बर, १९२४

भाइयो और बहनो,

आप भाइयोंने इस प्रस्तावके[2] बारेमें बहुत-से बयान सुन लिये। मेरे पास एक-दो और भी चिट्ठी आ गई हैं कि कुछ और भाई भी बहस करना चाहते हैं। लेकिन मैंने उनको कह दिया है कि अब वह मुझे क्षमा दे दें। मैं नहीं समझता कि इसपर किसी भाईको कुछ और ज्यादा जाननेकी जरूरत है।

एक भाईने लिखा है कि इस प्रस्तावमें पंचायतके बारेमें लिखा है; उसमें नामके बारेमें जानना चाहते हैं। इसमें दो बातें रखी गई हैं। जो यूनिटी कमेटीने पंचायत कायम की है, वह कुछ काम न करे तो और कोई दूसरी पंचायत बना लें। यूनिटी कमेटीकी पंचायतमें जितने नाम हैं, वह मैं भूल गया हूँ। आप अखबारमें देख लेंगे। उसमें मैं भी हूँ और शौकत अली और दूसरे मुसलमान भाई हैं। वह भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मेरा खयाल है कि जो पंचायत बन गई है वह जो करेगी, [वह यह कि] जो-कुछ कोहाटमें हुआ है, उसका बयान मालूम करेगी। रावलपिंडीमें जाकर मालूम होगा कि क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं। जो-कुछ किया जा सकता है, किया जायेगा। आप जो भाई इस प्रस्तावको पसन्द करते हैं, बदस्तूर हाथ ऊँचा करें।[3]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

१. यह बेलगाँव कांग्रेसमें दिया गया था।

२. पं० मोतीलाल नेहरू द्वारा पेश किये गये इस प्रस्तावमें 'गुलबर्गाके दंगों, हिन्दुओंके कोहाटसे निष्कासन तथा संरक्षण देनेमें स्थानीय अधिकारियोंकी असफलताकी निन्दा की गई थी। इसमें लोगोंको सलाह दी गई थी कि वे इस सम्बन्धमें भारत सरकारके निष्कर्षको स्वीकार न करें और तबतक अपना निर्णय स्थगित रखें जबतक कि एकता-सम्मेलन द्वारा नियुक्त या कोई और प्रतिनिधिक निकाय घटनाओंकी जाँच-पड़ताल न कर ले और उसके बारेमें निर्णय न दे दे। प्रस्तावमें गुलबर्गाके दंगोंमें पीड़ित लोगोंके प्रति सहानुभूति प्रकट की गई थी।

३. प्रस्ताव सर्वसम्मतिसे पास हो गया।

Gandhi Heritage Portal

३९०. भाषण : अस्पृश्यता-सम्बन्धी प्रस्तावपर[1]

२७ दिसम्बर, १९२४

अब श्री भोपटकरसे प्रार्थना है कि वे अस्पृश्यता-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करें।

किन्तु ऐसा करनेसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ तमिल मित्रोंने पत्र लिखकर मुझसे प्रस्तावोंको तमिलमें भी अनूदित करानेका अनुरोध किया है। मुझे अत्यन्त खेद है कि मेरे लिए ऐसा करना सम्भव नहीं है। जिन प्रान्तोंसे हमारा सम्बन्ध है, उनकी संख्या २१ है, और यदि हम प्रत्येक प्रस्तावको इतनी भाषाओंमें अनूदित करें तो वास्तवमें आगे बढ़ना असम्भव हो जायेगा। अबतक हम तीन भाषाओंको उपयोगमें लाते रहे हैं: पहली हिन्दी, जिसे जाननेकी अपेक्षा प्रत्येक व्यक्तिसे की जाती है; दूसरी अंग्रेजी और तीसरी सम्बन्धित प्रान्तकी भाषा। हम पारस्परिक सम्पर्कके उस सामान्य माध्यम, हिन्दुस्तानीको, जिसके जरिये हम एक-दूसरेको जान सकते हैं, अपना नहीं पाये हैं, क्योंकि दक्षिणने सदैव इसमें रोड़ा अटकाया है। इसीलिए हम इस प्रान्तकी भाषा तथा अंग्रेजीका उपयोग कर रहे हैं। किन्तु मैं ऐसे मामलोंमें सुझाव देना चाहता हूँ कि जो लोग प्रान्तमें अंग्रेजी या हिन्दी जानते हैं वे कष्ट उठाकर यहाँ पास किये गये प्रस्ताव अपने उन मित्रोंको समझा दें जो यहाँ बोली जानेवाली किसी भी भाषाको नहीं समझते . . . ।[2]

भाइयो,

मुझे दर्द होता है कि पण्डितजी इस समय यहाँ नहीं हैं। मुझे कहा गया था, मैंने उनसे प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा कि मैं इस समय कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन फिर कहा गया कि पण्डितजी चन्द शब्द सुनायेंगे। लेकिन इस समय वह यहाँ नहीं हैं।

इस प्रस्तावपर राय लेनेसे पहले एक खत मेरे पास आया है, उसका उत्तर देना जरूरी है। एक भाई पूछते हैं कि अस्पृश्यता-निवारणके प्रस्तावका क्या यह मतलब है कि [अस्पृश्योंके साथ] रोटी-बेटीका व्यवहार करना चाहिए? इसमें [तो ऐसी] कोई बात नहीं कही गई। अगर मुझसे वह पूछना चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं, तो मैंने तो 'नवजीवन' और 'यंग इंडिया' में अपने विचार जाहिर कर दिये हैं—और जातियोंके लोगोंके साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार उनके साथ [भी] करें, जिनको अस्पृश्य मानते हैं।[3]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

१. यह बेलगाँव कांग्रेसमें दिया गया था।

२. कुछ वक्ताओंके प्रस्तावके पक्षमें बोलनेके बाद, अध्यक्षने पं० मदनमोहन माल्वीयका नाम घोषित किया कि वे आकर बोलें; पर वे अनुपस्थित थे, इसलिए अध्यक्षने हिन्दीमें बोलते हुए प्रस्तावको मतदानके लिए पेश किया।

३. प्रस्तावके विरुद्ध सिर्फ एक व्यक्तिने हाथ उठाया और अध्यक्षने प्रस्तावको स्वीकृत घोषित कर दिया।

Gandhi Heritage Portal

३९१. भाषण : बेलगाँव कांग्रेसमें[1]

२७ दिसम्बर, १९२४

भाइयो,

मैं दूसरा प्रस्ताव आपके आगे रखूं, इससे पहले मुझे एक प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। जब यह अस्पृश्यता-निवारणका प्रस्ताव रखा गया था, उस वक्त मैं सोचता था कि मैं एक अस्पृश्य भाईको आपके सामने रखूँगा। मेरे पास एक चिट्ठी आई थी। उसमें लिखा था कि एक अस्पृश्य भाई —— जो प्रतिनिधि नहीं हैं —— एक-दो लफ्ज बोलना चाहते हैं। मैं चाहता था कि प्रतिनिधि नहीं हैं तो भी अछूत भाईके नाते इजाजत देना अच्छा है। इसलिए मैं चाहता था कि उनको बुला लूं, लेकिन मैं भूल गया। इसका प्रायश्चित्त यही है कि मैं माफी माँगता हूँ —— लेकिन अच्छा हुआ कि समयपर याद आ गया है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

३९२. भाषण : एनी बेसेंटके वक्तव्यपर[2]

२७ दिसम्बर, १९२४

इसके पहले कि मैं अन्य प्रस्तावोंको लूँ, मुझे आपको सूचित करना है कि हमने जो प्रस्ताव[3] कल पास किया था उसके बारेमें श्रीमती बेसेंट इस सभाके सामने एक वक्तव्य देना जरूरी समझती हैं। यह यशस्वी महिला क्या कहेंगी, इसके बारेमें मैं कोई पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहता। लेकिन मैं उन्हें इस पण्डालको अपनी उपस्थितिसे सुशोभित करनेके लिए बधाई देता हूँ और मानता हूँ कि सारी सभा इसमें मेरे साथ है। वे और उनके पक्के अनुयायी कांग्रेसमें रह सकें या न रह सकें, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि हमें उनकी सहानुभूति और नैतिक समर्थन सदा प्राप्त रहेंगे। अब मैं डा० बेसेंटसे अनुरोध करूँगा कि वे अपना वक्तव्य दें। . . .[4]

मित्रो, डा० बेसेंटने जो वक्तव्य दिया उसे आपने सुना। आप मुझसे उस वक्तव्यपर कुछ कहनेकी अपेक्षा नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ कि डा० बेसेंटने यह वक्तव्य इस खयालसे नहीं दिया है कि इसका जवाब उन्हें इसी वक्त दिया जाये। उन्होंने यह वक्तव्य कर्त्तव्य-भावनासे प्रेरित होकर दिया है ताकि उनकी खामोशीका

१. इससे पूर्व गांधीजीने एक पंचम लड़केको दो मिनट बोलनेका मौका दिया था।

२. यह बेलगाँव कांग्रेसमें दिया गया था।

३. देखिए "प्रस्ताव : कलकत्ता-समझौते तथा कताई-सदस्यताके बारेमें", २६-१२-१९२४।

४. यहाँ उद्धृत नहीं किया जा रहा है।

Gandhi Heritage Portal

अर्थ यह न लगाया जाये कि जो प्रस्ताव हमने कल पास किया है उसमें हमें उनकी सहमति प्राप्त थी। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इस कांग्रेसकी ओरसे मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूँ कि उन्होंने जो-कुछ कहा है उसपर हम सादर विचार करेंगे और यह कांग्रेस या सभी कांग्रेसी — स्त्री और पुरुष — इस बातकी पूरी-पूरी कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दलके लिए जिसे भारतके हितकी चिन्ता है और जिसका लक्ष्य भारतके लिए स्वराज्य है, कांग्रेसमें प्रवेश करनेके दरवाजे यथासम्भव खुले रखे जायें। इन शब्दोंके साथ मैं इस घटनाको यहीं समाप्त करता हूँ और डा० बेसेंटसे पुनः यह निवेदन करता हूँ कि वे या अन्य दल काँग्रेसमें शामिल हों या न हों, लेकिन कांग्रेस उनसे और प्रत्येक दलसे यह आशा करेगी कि जिस किसी बातको वे उचित और ठीक मानें, कांग्रेसको अपनी उन सभी बातोंमें उनकी सहानुभूति और समर्थन प्राप्त होता रहेगा।

[अंग्रेजीसे]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

२९३. प्रस्ताव : बेलगाँव कांग्रेसमें[1]

२७ दिसम्बर, १९२४

इसके बाद अध्यक्षने एक-एक करके निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किये, प्रत्येकपर मत लिये और उन्हें पारित घोषित किया। ये प्रस्ताव अंग्रेजीमें पण्डित जवाहरलाल नेहरूने, कन्नड़में श्रीयुत मुदवेडकरने तथा हिन्दीमें पण्डित सुन्दरलालने पढ़े।

प्रस्ताव-संख्या १० : राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाएँ

कांग्रेसका यह दृढ़ मत है कि देशका भविष्य युवकोंके हाथोंमें है और इसलिए वह विश्वास करती है कि प्रान्तीय कमेटियाँ सभी राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओंको जीवित रखनेके लिए अभीतक जितना प्रयत्न किया गया है उससे कहीं अधिक जोरदार प्रयास करेंगी। लेकिन कांग्रेसका जहाँ यह मत है कि मौजूदा राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओंको कायम रखा जाये और नई संस्थाएँ खोली जायें वहीं कांग्रेसका यह मत भी है कि ऐसी कोई भी संस्था राष्ट्रीय नहीं मानी जायेगी, जिसमें शिक्षाका माध्यम कोई भारतीय भाषा नहीं है, जो हिन्दू-मुस्लिम एकताको और अस्पृश्योंके बीच शिक्षा-प्रचार और अस्पृश्यता-निवारणको सक्रिय प्रोत्साहन नहीं देतीं, जिसमें हाथ-कताई, धुनाई, शारीरिक शिक्षा और आत्म-रक्षाके प्रशिक्षणको अनिवार्य नहीं बनाया जाता और जिसमें अध्यापक और १२ वर्षसे ऊपरकी आयुवाले विद्यार्थी, कामके दिनोंमें प्रतिदिन कमसे-कम आधा घंटा कताई नहीं करते और जिसमें अध्यापक और छात्र नियमतः खद्दर नहीं पहनते।

१. ये प्रस्ताव कांग्रेसके अध्यक्ष गांधीजीकी ओरसे पेश किये गये थे।

Gandhi Heritage Portal

प्रस्ताव-संख्या ११ : सवैतनिक राष्ट्रीय सेवा

ऐसा देखा गया है कि बहुत-से योग्य व्यक्ति हैं, जिनकी सेवाएँ राष्ट्रीय कामोंके लिए इसलिए उपलब्ध नहीं हो पातीं क्योंकि वे सेवाके बदले पारिश्रमिक नहीं लेना चाहते। अतः कांग्रेस यह मत व्यक्त करती है कि राष्ट्रीय सेवाके बदले पारिश्रमिक लेनेमें न केवल असम्मानकी कोई बात नहीं है, बल्कि कांग्रेसको आशा है कि देश-भक्त युवक और युवतियाँ सच्ची लगनके साथ की गई सेवाके बदले गुजारेका खर्च स्वीकार करनेको गौरवकी बात मानेंगे और यह भी कि जिन्हें नौकरीकी जरूरत है या जो नौकरी करना चाहते हैं वे अन्य किसी कामकी अपेक्षा राष्ट्रीय सेवाको ही चुनना पसन्द करेंगे।

प्रस्ताव-संख्या १२ : संविधानमें परिवर्तन

अनुच्छेद ११ में "रु० १० को बदलकर रु० १ कर दिया जाये।"

अनुच्छेद १३ में प्रथम वाक्यके बाद निम्नलिखित और जोड़ दिया जाये ––

"कोषाध्यक्ष कांग्रेसके कोषकी देख-रेख करेंगे और उसके लिए उत्तरदायी होंगे। वे उसका पूरा लेखा-जोखा भी रखेंगे। महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीका कार्यालय चलायेंगे और उनपर स्वागत-समितिके सहयोगसे कांग्रेसके पूर्ववर्ती अधिवेशन और वर्षके दौरान होनेवाले किसी विशेष अधिवेशनकी कार्यवाहीके विवरणके प्रकाशनकी जिम्मेदारी होगी। यह रिपोर्ट जितनी जल्दी सम्भव हो उतनी जल्दी और अधिवेशनके बाद चार महीनेके भीतर-भीतर प्रकाशित की जायेगी और बिकनेके लिए उपलब्ध की जायेगी।"

धारा २३ के अन्तमें जोड़िए : "और अगली कांग्रेस-रिपोर्टके साथ प्रकाशित।"

प्रस्ताव-संख्या १३ : मद्य और अफीमका व्यापार

कांग्रेस इस बातपर सन्तोष प्रकट करती है कि मादक पेय और दवाओंके विरुद्ध १९२१ में आरम्भ किये गये अभियानमें कुछ रुकावटोंके बावजूद कांग्रेस कार्य-कर्त्ताओंने देशके अनेक भागोंमें इस आन्दोलनको जोश और दृढ़ताके साथ जारी रखा है। कांग्रेसको आशा है कि शराब या अफीमकी जिन लोगोंको लत है, उन्हें इस बुराईसे मुक्त करनेके कार्यकर्त्ताओंके शान्तिपूर्ण प्रयासोंका आगे और अधिक शक्ति और प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

कांग्रेसका मत है कि शराब या मादक वस्तुएँ लेनेकी लोगोंकी लतका राजस्वके साधनके रूपमें प्रयोग करनेकी भारत सरकारकी नीति भारतकी जनताके नैतिक कल्याणके लिए हानिकारक है और इसलिए वह इस नीतिको समाप्त करनेका स्वागत करेगी।

कांग्रेसका यह भी मत है कि भारत सरकार अफीम-व्यापारका नियमन जिस तरह कर रही है वह न केवल भारतके बल्कि सारे संसारके नैतिक कल्याणके लिए हानिकर है और भारतमें जितनी अफीमका उत्पादन होता है वह यहाँकी चिकित्सा

Gandhi Heritage Portal

तथा वैज्ञानिक दृष्टिसे पड़नेवाली जरूरतको देखते हुए बहुत ज्यादा है, अतः उत्पादन इन आवश्यकताओंकी हदतक ही मर्यादित कर दिया जाना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

३९४. भाषण : पदाधिकारियोंसे सम्बन्धित प्रस्तावपर[1]

२७ दिसम्बर, १९२४

अब सिर्फ दो बातें रह गई हैं, जो हमेशा करनी पड़ती हैं — एक जनरल सेक्रेटरी [महामन्त्री] और ट्रेजरर [खजांची] का चुनाव करना रहा है और कांग्रेस आगे कहाँ मिलनी चाहिए। इसपर कि जहाँ मिलनी चाहिए, यही मुनासिब है कि इसको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटीके सुपुर्द कर दिया जाये। ऐसा ही गत वर्ष हुआ था। खजांची वही है; और जनरल सेक्रेटरी एक पण्डित जवाहरलाल और दूसरे कुरैशी और तीसरे मिस्टर भरूचा। पहले एक थे डाक्टर किचलू, दूसरे [के लिए] बाबू राजेन्द्रप्रसादको कहा गया। बाबू राजेन्द्रप्रसाद जो हरेक काम करते हैं; वह सारा वक्त नहीं दे सकते कि सिर्फ हमारा काम करें। इससे दो नये सेक्रेटरीकी बात है। कल सब्जैक्ट्स-कमेटी (विषय-समिति) में इस बारेमें बड़ी बहस हुई थी; और जितने भाई थे, उनसे मेरी बात होती रही थी। और आखिरमें यह मुकर्रर हुआ कि इस वर्ष और आगामी वर्ष भी मैं प्रेसिडेंट रहूँगा तो मुझे काममें मदद देनेवाले ही मेरे मन्त्री नियुक्त किये गये। और कई भाई स्वराज्यवादी और नाफेरवादी [अपरिवर्तनवादी] भी मिल गये हैं। इन्हें वर्किंग कमेटी [कार्य समिति] में शामिल किया जाये तो क्या हो? यह मुझे भी अच्छा लगा और मैं इस एक क्या सभीके सभीको लेनेको तैयार हूँ। लेकिन इसमें एक शर्त होनी चाहिए। [वे साफ समझें] कि सारे नेशनका प्रोग्राम एक ही है, आप भी एक हैं। सारा नेशनल प्रोग्राम एक है। अस्पृश्यता निवारण, चरखा, मदिरा-निवारण — एक 'प्रोग्राम' है। इनको मैंने कहा कि कोई खद्दरमें [उतना ही] कट्टर विश्वास रखनेवाला हो जितना मैं हूँ, जैसा मेरा विश्वास है तो ऐसे स्वराज्यवादीको मैं [लेना] चाहता हूँ; क्योंकि उसकी मार्फत मैं जितने स्वराज्यवादी हैं उनको शुद्ध कर लूँगा। जहाँ [तक] वे मेरा साथ करेंगे, और हम मिलकर चलना चाहते हैं तो हम मिल जायेंगे।

इस तरह सब बातें होती रहीं। कोई [ऐसा] नजर नहीं आया।

यह दोनों नाफेरवादी (अपरिवर्तनवादी) हैं, यह जरूरी नहीं। कुछ मैं भी जानता हूँ, वह कहता हूँ। शुएब कुरैशीको मैं जानता हूँ। वह एक बड़े पक्के मुसलमान

१. बेलगाँव कांग्रेसमें प्रस्ताव पेश करते हुए यह भाषण दिया था। यह प्रस्ताव बादमें मत लेनेपर पास हो गया था।

Gandhi Heritage Portal

हैं, पर वह मुसलमान हैं इसीलिए मैंने उनको नहीं ले लिया है। मैं चाहता हूँ सेक्रेटरीसे सारा वक्त इसी काममें लेना। इसलिए मैंने शौकत अली साहबसे पूछ लिया था कि अगर शुएब साहब पूरा वक्त दें तो मैं उनको [लेना] चाहता हूँ। उन्होंने कबूल कर लिया। वह ऐसे हैं कि एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो उसे [पूरी] करते हैं। उनको खद्दरसे मुहब्बत है, यह भी मैं जानता हूँ।

भरुचा पागल आदमी है। मैं भी पागल आदमी हूँ। मेरी इनसे ठीक बनेगी (हास्य ध्वनि)। भरूचासे मुझे वह काम सीखना पड़ेगा कि कन्धेपर खद्दर लादकर जाना और बेचना। इसमें वह स्पेशिलिस्ट बन गया है। हम तो सारे देशमें खद्दर पहुँचाना चाहते हैं। उसे बेचनेके लिए एक भरूचा नहीं, सैंकड़ों भरूचा चाहिए। भरूचा लाला हरकिशन लालके पास गया, दूसरोंके पास गया और [उन्हें] खद्दर दिया। लोग गाली दें, लेकिन वह बुरा नहीं मानता। आज ऐसे ही सेक्रेटरी चाहिए कि जो गाली देनेपर भी खद्दर बेचनेके लिए जायें, खद्दरके लिए हर तरहका अपमान बरदाश्त कर लें। इसलिए मैंने दोनोंको पसन्द कर लिया। लेकिन मैंने तो चुन लिया, अब अख्तियार आपको है; सब्जेक्ट्स कमेटी [विषय समिति] ने तो मंजूर कर लिया है। लेकिन कांग्रेस कास्टिट्यूशन [संविधान] के मुताबिक आपकी राय चाहिए। जो भाई इसको मंजूर करते हैं, वह अपनी राय जाहिर करें। खजांचीके लिए कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है, आप पसन्द करते हैं तो कहें।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

३९५. भाषण: कताई-प्रतियोगिताके सम्बन्धमें[1]

२७ दिसम्बर, १९२४

अच्छा एक बात और जाहिर कर देता हूँ। थोड़ी बात सुनानेकी आ गई हैं। आप जानते हैं कि स्पिनिंग कम्पीटीशन [कताई प्रतियोगिता] हो रही है। कई भाइयोंने स्वर्ण-पदक दिये थे, किसीने चांदीका भी। इस तरह ११ पदक हैं। ये ११ पदक किनको मिले हैं, कौन दिये हैं — यही सुना देना चाहता हूँ। एक तो बिहारमें सत्यनारायण सिंह, उनको पहले दर्जेका [पदक] मिला है। ६ पदक गंगाजी सिडनीवासीने दिये हैं। सत्यनारायण सिंहने एक घंटेमें ७६५ गज सूत काता है, बड़े 'क्रेडिट' [श्रेय] की बात है (हर्ष-ध्वनि)।

आन्ध्रको दूसरा पदक गया है। वह कोरू कंडावेकम्बाको मिला है। तीसरा भी आन्ध्रके श्रीनिवासचारीको, चौथा तामिलनाडकी माधु गुलाबी अम्बाको। मीनाक्षी सुन्दरम्‌को छठा मिला है।[2] सातवाँ श्रीमती तारामती अरुन्नसा, आठवाँ रामकृष्ण शास्त्री,

१. यह बेलगाँव कांग्रेसमें दिया गया था।
२. साधन-सूत्रमें छठे नामका उल्लेख नहीं है।

Gandhi Heritage Portal

नवाँ रामदेव ठाकुर, दसवाँ सुभान अली और ग्यारहवाँ भी आन्ध्रके लक्ष्मी भाई अन्ताको दिया गया।

मुझे यह देखकर अफसोस होता है कि एक ही मुसलमान भाईने पदक पाया है। एक जमाना था कि बारीक सूत कातनेवाली मुसलमान औरतें ही थीं। लेकिन इसमें हमने यह भी देखा कि ११में से चार पदक बहनोंके हाथ गये हैं, बाकी भाइयोंके हाथ। एक भाईने लिखा है कि वे उस अस्पृश्य भाईसे हाथ मिलाना चाहते हैं जो अभी बोले थे। वे दिल्लीके प्रतिनिधि हैं। जो भेंट करना चाहें, कर लें। ८ बजे स्टूडेंट सभा, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कल ११ बजे होगी। अब जिनका स्वर्गवास हो गया है, उसमें मौलाना सर साहबका भी जिक्र होना चाहिए। अभी मैंने मौलाना मुहम्मद अली साहबसे पूछा था। उनका स्वर्गवास हालमें ही नहीं हुआ था। वह तो कोकोनाडामें जब जलसा चल रहा था, तब जलसेके पहले दिन हुआ था। जितने भाई आये हैं, उनके लिए अफसोस जाहिर करना उनका काम है। अच्छा, अब यह सब हो गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

३९६. समापन-भाषण : बेलगाँव कांग्रेसमें

२७ दिसम्बर, १९२४

अधिवेशनकी कार्यवाही समाप्त करते हुए अध्यक्षने पहले हिन्दीमें और फिर अंग्रेजीमें अत्यन्त जोशीला भाषण दिया :

अब मैं भाइयोंसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपका जितना अहसान मानूँ उतना कम है। मैं नहीं जानता कि कोई भी सभापति, कोई भी सदर, जो मुहब्बत आपने मुझे बताई है, उससे ज्यादाकी उम्मीद कर सकता है। जो काम मैं आपसे लेना चाहता था, वह तुरन्त आपने मुझे [करके] दे दिया। जब मैंने कहा कि आप खामोश रहें तो, आप खामोश रहे; जो व्याख्यान देना चाहा, सुन लिया — आपने कहा आप लिखा व्याख्यान चाहते हैं। मैंने कहा — क्षमा करें, तो आपने फिर उसके लिए नहीं कहा। जिस तरह यहाँ आपने शान्तिसे, आवाज किये बिना काम किया है, राय दी है, उसी तरह सब्जेक्ट्स कमेटी [विषय समिति]में भी कोई भी हरकत [गड़बड़] नहीं हुई। हकीकत तो यह है कि हरकतकी बात तो तब हुई थी कि जब चरखेका बम्ब आपके बीचमें फेंका था। आपने कोई एतराज यहाँ नहीं किया। सब्जैक्ट्स कमेटी (विषय समिति)में भी बड़े अदबसे बरताव किया। इसके लिए, मैं मानता हूँ कि कोई मेरा पूर्वजन्मका पुण्य होगा कि मेरे भाइयोंकी मेरे ऊपर यह दया है। मैं यह चाहता हूँ कि जो यह कृपा मेरेपर आपने बताई है, भारतवर्षपर बतायें, क्योंकि मैं जिन्दा रहना चाहता हूँ तो भारतवर्षके लिए और मरना चाहता हूँ तो भारतवर्षके लिए ही। खुदाके हुक्मके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। परन्तु हरएक आदमीको अख्तियार है कि

Gandhi Heritage Portal

वह खुदासे माँगे; जैसे एक बालक अपने पितासे माँग लेता है, वैसे खुदासे माँगे। मैंने तो यह भी देखा है कि वह मुझको जब माँगता हूँ दे भी देता है। जितना खुदाने निश्चित किया है, वह मिट नहीं सकता।

इसलिए मेरी आप भाइयोंसे प्रार्थना है कि आप भारतवर्षकी सेवाके लिए कटिबद्ध हो जायें और जो प्रतिज्ञा आपने ली है उसका पालन करें। मुझे मालूम है कि मैंने सभापतिका स्थान लिया और आप भाई-बहनोंने मुझे मुहब्बत दी। मैं भी चाहता हूँ कि सबके मुँहसे [अपनी] बड़ाई सुनूँ — लेकिन इससे उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। वह तब होगा जब आप जो प्रतिज्ञा करें उसके अनुसार काम करें। मैं यह नहीं मानता कि ये सब काम हमारी शक्तिसे बाहर हैं — तीसरा काम जो हम करना चाहते हैं या चौथा या पाँचवाँ काम — इनमें से कोई भी ऐसा नहीं।

जब मैं भाई भोपटकरका व्याख्यान सुन रहा था तो मुझे सानन्दाश्चर्य हुआ। जब उन्होंने कहा कि क्या आप हिन्दू धर्मका नाश करना चाहते हैं कि जो मनुष्य हैं उनको अस्पृश्य समझते हैं, तब मुझे बहुत आनन्द हुआ। और तीन शास्त्री महाशयोंने अभी आपको सुना दिया कि हिन्दू धर्ममें हम जैसा मानते हैं वैसा अस्पृश्यताकी कोई बात नहीं। क्या यह वही बात है कि हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरेको दुश्मन न समझें, और भाई-भाई समझें? आपने नहीं सुना कि भाई शौकत अलीने क्या कहा है? लाला लाजपतरायने क्या कहा है? भाई जफर अली खाँने एक एतराज किया था — मैं कोई एतराजकी बात नहीं समझता — लेकिन वह भी हिन्दुस्तानके दुश्मन नहीं हैं। आप किसीको दुश्मन न मानें। आपके दिलमें यही होना चाहिए कि हम दुश्मनको भाई बना लेंगे।

लालाजीने एक सिद्धान्त सुना दिया कि सारा प्रश्न मानव जातिका है। किसी एक धर्मतक यह बात मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि हिन्दू अगर पागल बना तो क्या कोई मुसलमान उसको गाली न दे? मुसलमान रामचन्द्र और कृष्णको गाली दें तो हिन्दू उसके पैगम्बरको गाली न दें? अगर आप इसका फैसला माफ करके नहीं करना चाहते तो अदालतमें, पंचायतमें जाइये। मैं असहयोगी हूँ, मगर कोई मुसलमान कृष्णको गाली दे तो मैं कहूँगा अदालतमें जाओ, मगर लड़ो मत। इसमें लड़नेकी कोई बात नहीं है। इस सिद्धान्तकी स्वीकृतिके लिए बहुत समयकी जरूरत नहीं है। हम लोगोंको इस स्वराज्यके लिए इतना बुखार होना चाहिए, हमारे दिलोंमें बड़ी आग जलनी चाहिए। जब भोपटकर बोल रहे थे, तब मुझे लोकमान्यकी याद आ गयी। वे स्वराज्यकी प्रतिमा थे। उनके विषयमें एक बड़ी बात सुनी है। उनकी धर्म-पत्नीका स्वर्गवास हुआ तो उस वक्त भी वे अपनी स्वराज्य-सेवामें लगे हुए थे। अगर ऐसा ही ज्वालामुखी हमारे दिलोंमें प्रगट हो जाये तो क्या तीसरा और क्या चौथा, हम क्या नहीं कर सकते? कांग्रेसमें आनेपर खद्दर पहनें, यह क्या कोई बड़ी बात है? हम विदेशी कपड़े छोड़ दें, यह भी कोई बड़ी बात है? आज मैं उनको जलानेकी बात नहीं करता। मैं वही आदमी हूँ कि जिसने सन् इक्कीसके शुरूमें विदेशी कपड़े जलवाये थे। लेकिन हमने शान्तिकी टेक छोड़ दी। अगर सम्पूर्ण शान्ति

Gandhi Heritage Portal

आज भी हम पैदा कर सकें तो मैं आज भी सन् इक्कीस-जैसी बात करने लगूँ। विदेशी कपड़ेका नाम लेकर पत्थरके ढेर भरे थे।

यह बात मैं जानता हूँ कि दो काम हम साथ-साथ नहीं कर सकते कि सत्यका नाम लें और असत्य [का आचरण] करें। अगर हम सत्यका नाम लें तो असत्यका (आचरण) न करें, नहीं तो शरीर भी जल जायेगा। इससे मेरा दिल तो जल ही जाता है। कोई मेरे सामने झूठी प्रतिज्ञा करे, खुदाकी कसम खाये तो मैं इसे बरदाश्त नहीं कर सकता। मुझे गाली दो, मारो, बूटसे मारो, मेरे ऊपर थूको, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे गुस्सा कभी नहीं आयेगा। लेकिन प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करो तो गुस्सेकी अग्निसे मेरा शरीर जल उठेगा। एक स्त्री अपवित्र होकर मेरे सामने पवित्रताका दावा करे तो मेरे दिलमें होता है कि मैं मर जाऊँ। एक मनुष्य पवित्रताका दावा करे और अपवित्र हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ उसे न देखूँ। आपने जो मुहब्बत बताई है, कृपा करके मुझे जिम्मेदारीकी जगहमें रखा है, उसको भंग न करना चाहें तो इसे समझ लें। अगर आप उसमें मुझे रखना चाहते हैं तो मुझे इसी तरह रखें। इससे बढ़कर अच्छी बात यह है कि स्वराज्यवादी और नाफेरवादी [अपरिवर्तनवादी] ऐसे मिल जायें जैसा डाक्टर बेसेंटने कहा है। एक-एक लकड़ी अलग रहे तो टूट जाती है, मगर एक गट्ठरमें मजबूत रहती हैं।

हम भूल जायें कि स्वराज्यवादी बुरे हैं। पवित्र आत्माके लिए सब आत्माएँ पवित्र हैं। आत्माका गुण क्या बताया गया है? आत्मा स्फटिक है। शंकराचार्यने कहा कि आत्मा तो दोष-रूप नहीं है। दोष-रूप तो माया है। आपके दिलमें शक्ति आ गई तो द्वेष किये बिना आप दूसरोंकी बुराई निकाल देंगे। हम जब अविश्वास करते हैं, तभी दोष-रूप बनते हैं। अगर एतबारका बदला धोखा है तो एतबार करनेवालेका क्या बुरा होगा? धोखा देनेवालेका ही बुरा होगा। भाई जवाहरसे मैं कहूँ कि मैं तुमको बेटेसे ज्यादा मानता हूँ और ऐसा मैं सिर्फ उनसे काम लेनेके लिए ही कहूँ तो वह धोखा है। जवाहरलालकी पूजा मैं कौन करनेवाला हूँ? उसकी पूजा तो जगत् करेगा; उसपर पुष्प-वृष्टि करेगा।

इस वक्त मैं एकको नहीं, दूसरेको नहीं, दोनोंको कहना चाहता हूँ —— आप एक सालमें इतना काम करें कि जिससे हमारी शक्ति बढ़ जाये और स्वराज्य नजदीक आया है, ऐसा हम सब महसूस करें।[1]

तदनन्तर अंग्रेजीमें भाषण देते हुए अध्यक्षने कहा :

अभी मैंने अपने हिन्दी भाषणमें अपना हृदय आपके सामने खोलकर रख दिया है। जो-कुछ मैंने हिन्दीमें कहा है, उसे फिरसे यथावत् दुहरा जाना मेरे लिए असम्भव है। फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप प्रतिनिधियोंने जितना सौजन्य मेरे प्रति दिखाया है, जितने ध्यानसे मेरी बात सुनी है, जितना प्रेम मेरे प्रति दर्शाया है, मैं नहीं समझता कि उससे अधिकका दावा कोई अन्य अध्यक्ष, कोई अन्य सभापति कर सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ कांग्रेस-

१. इसके बादका अंश अंग्रेजीसे अनूदित है।

Gandhi Heritage Portal

अधिवेशन तथा विषय-समितिकी कार्रवाई अध्यक्षकी हैसियतसे संचालित करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष हुआ। जो भी मैंने चाहा, आपमें से प्रत्येकने वह तुरन्त कर दिया। मैं जानता हूँ कि अधिवेशनके दौरानमें आपपर कामका बहुत अधिक बोझ डाले रहा। मैं जानता हूँ कि मैंने आपपर बहुत बड़ा भार डाला है। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको चलाया नहीं, बल्कि दौड़ाया है। किन्तु मैं क्या कर सकता हूँ? आप अधीर हैं और मैं भी अधीर हूँ। हम स्वराज्यके पास पहुँचना चाहते हैं और हमें वहाँ घोंघेकी चालसे नहीं, बल्कि अपनी साधारण चालकी भी दुगुनी चालसे दौड़कर पहुँचना है। और यदि हम काम करना और आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपका और अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गँवा सकता। इसलिए मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर तीव्र गतिसे कार्य किया है; और यह देखकर मुझे आश्चर्य एवं सर्वाधिक सन्तोष हुआ है कि आपने मेरे कहनेपर तुरन्त और बहुत ही उत्तम ढंगसे अमल किया है। आपने ऐसा कृपणताके साथ नहीं, बल्कि अत्यन्त उदारताके साथ किया है। कोई भी व्यक्ति इससे अधिकका दावा नहीं कर सकता था, इससे अधिककी माँग नहीं कर सकता था और इससे अधिक पा भी नहीं सकता था। मैं आपसे जो-कुछ माँग सकता था, आपने मुझे सब-कुछ दिया।

किन्तु अब मैं एक वस्तु ऐसी, जो इससे अधिक बड़ी, इससे अधिक उत्कृष्ट और जो इससे अधिक मूल्यवान् है, माँगना चाहता हूँ; वह यह है कि आप अपना यह उदात्त प्रेम और अपना यह सारा औदार्य, जो आपने मेरे प्रति दिखाया है, किसी उस वस्तुकी प्राप्तिमें लगा दें, जो आपको और मुझे दोनोंको प्रिय है और जो अकेली ही मुझे और आपको एक सूत्रमें बाँधे हुए है; और वह है स्वराज्य। यदि हम स्वराज्य चाहते हैं तो हमें उसकी शर्तें भी जाननी चाहिए। आपने इन शर्तोंकी पुष्टि प्रस्तावोंमें की है। इन शर्तोंका ज्ञान हममें से प्रत्येकको है। आप इन शर्तोंको यहाँ न भुला दें। आप उन्हें स्मरण रखें और उन्हें अक्षरशः तथा भावतः हर तरहसे पूरा करें और अन्य लोगोंसे भी उनको पूरा करनेका आग्रह करें। आप ऐसा बलपूर्वक नहीं, बल्कि प्रेम-भावसे करें। प्रेम जितना प्रभाव और जितना दबाव डाल सकता है, आप अपने आसपासके लोगोंपर और अपने पड़ोसियोंपर उतना प्रभाव और दबाव अवश्य डालें। आप अपने पूरे जिलेमें दौरा करें और वहाँ खद्दर, हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा अस्पृश्यताका यह सन्देश पहुँचाये। आप देशके नवयुवकोंको साथ लें और उनको स्वराज्यके वास्तविक सैनिक बनायें।

किन्तु यदि स्वराज्यवादी और अपरिवर्तनवादी अब भी एक-दूसरेसे द्वेष रखेंगे, यदि उन्हें अब भी एक-दूसरेसे ईर्ष्या होगी तो आप यह कार्य नहीं कर पायेंगे। यह तो तभी सम्भव होगा जब आप घृणाको तिलांजलि दे दें, ईर्ष्या, क्रोध तथा अन्य सारे दुष्प्रभावोंको भूल जायें। मैं आपसे कहता हूँ कि आप द्वेषको भूला दें। ईर्ष्याको जमीनमें दफन कर दें और जहाँ भी चाहें वहाँ ले जाकर उसकी अन्त्येष्टि कर दें। किन्तु पारित किये गये पवित्र प्रस्तावको अपने मनमें, साथ ले जायें और कहें: "चाहे कयामत आ जाये, लेकिन जिस स्नेह-बंधनमें हम आज बँधे हुए हैं और जिस

Gandhi Heritage Portal

सूत्रसे स्वराज्यवादी और अपरिवर्तनवादी बँधकर एक हुए हैं वह कभी नहीं टूटेगा।" (जोरसे तालियाँ) मेरा काम समाप्त हो चुका है। (देर तक तालियाँ।)

अध्यक्ष अभी भाषण मंचसे उतरे ही थे कि उन्हें कांग्रेसकी ओरसे स्वागत समितिके प्रति आभार प्रकट करनेके कर्त्तव्यकी याद दिलाई गई। उन्होंने पुनः मंचपर आकर कहा:

यदि मैं डा० हार्डिकर द्वारा प्रशिक्षित कुशल और नेक स्वयंसेवकोंको और स्वागत समितिके सदस्योंको धन्यवाद न देता तो मैं अपनेको कदापि क्षमा न करता। (हर्ष-ध्वनि) किन्तु स्वराज्यके लिए अत्यन्त जोशमें होनेके कारण मैं स्वयंसेवकोंको तथा स्वागत-समितिके सदस्योंकी बात बिलकुल भूल ही गया था।

मैं जानता हूँ कि उन्होंने धन्यवाद पानेके लिए सेवा नहीं की है। उन्होंने जो महान् सेवा की है, वह अपने आपमें ही पुरस्कार है। किन्तु धन्यवाद देना मेरा कर्त्तव्य था और यदि मैं आप सबको धन्यवाद न देता तो मैं अपने कर्त्तव्यसे च्युत हो जाता। ईश्वर सभी स्वयंसेवकोंका तथा स्वागत समितिके सदस्योंका कल्याण करे। (हर्ष-ध्वनि)

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट।

३९७. भाषण : बेलगाँवकी अस्पृश्यता-परिषद्में

[२७ दिसम्बर, १९२४]

बेलगाँवमें अस्पृश्यता-निवारण परिषद्में मैंने जो भाषण किया था, उसकी रिपोर्ट श्री महादेवभाई देसाईने ली थी। उसमें मेरे विचार प्रायः पूरी तरह समाविष्ट हो गये हैं। इसलिए उसे यहाँ देता हूँ:

मित्रो,

मेरे लिए अस्पृश्यताके विषयमें कुछ कहना फजूल है। मैं बार-बार कह चुका हूँ कि यदि इस जन्ममें मुझे मोक्ष न मिले तो मेरी आकांक्षा है कि अगले जन्ममें भंगीके घर मेरा जन्म हो। मैं वर्णाश्रमको मानता हूँ और इसी लिए जन्म और कर्म दोनोंको मानता हूँ। पर मैं इस बातको नहीं मानता कि भंगी कोई पतित योनि है। मैंने ऐसे कितने ही भंगी देखे हैं जो पूज्य हैं और ऐसे कितने ही ब्राह्मण भी देखे हैं, जिनकी पूजा करना मेरे लिए मुश्किल पड़ता है। ब्राह्मणके घरमें जन्म लेकर ब्राह्मणोंकी या भंगियोंकी सेवा कर सकनेकी अपेक्षा, मैं भंगीके घर पैदा होकर भंगियोकी सेवा ज्यादा कर सकूँगा और दूसरी जातियोंको भी समझा सकूँगा। मैं भंगियोंकी अनेक तरहसे सेवा करना चाहता हूँ। मैं उन्हें यह सीख देना नहीं चाहता कि वे ब्राह्मणोंसे घृणा करें। घृणासे मुझे अत्यन्त दुःख होता है। भंगियोंका मैं उत्कर्ष चाहता हूँ, पर मैं अपना यह धर्म नहीं समझता कि उन्हें पश्चिमी तरीकोंसे अपना हक प्राप्त करनेकी सीख दूँ। इस तरह कुछ भी हासिल करना हमारा धर्म नहीं; मार-

Gandhi Heritage Portal

पीटसे प्राप्त की हुई चीज दुनियामें कायम नहीं रह सकती। मैं अपनी आँखोंके सामने उस जमानेको आता हुआ देखता हूँ, जब मार-पीटके बलपर कोई भी काम सिद्ध न हो सकेगा।

मैं हिन्दू-धर्मकी उन्नति चाहता हूँ और अस्पृश्योंको अपना बनाना चाहता हूँ। इससे जब कोई भी अछूत अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्ममें जा मिलता है, तब मुझे भारी धक्का पहुँचता है। पर हम करें क्या? हम हिन्दू पतित हो गये हैं। हमारे दिलोंसे त्याग-भाव चला गया, प्रेम-भाव जाता रहा, सच्चा धर्म-भाव नष्ट हो गया। 'गीता'में तो कहा है कि ब्राह्मण और चाण्डालको समान समझो। समानके मानी क्या हैं? यह नहीं कि ब्राह्मण और भंगीका धर्म एक हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हम दोनोंको समान न्याय दें — इस हदतक समानता होनी ही चाहिए। मैं भंगियोंकी जरूरतें पूरी करूँगा। भंगीकी तकलीफ तो यह है कि हम उनकी मामूलीसे-मामूली जरूरतें भी पूरी नहीं करते। भंगीको भी सोनेकी जगह तो चाहिए ही, साफ-सुथरी हवा और पानी तो चाहिए ही, भोजन तो चाहिए ही। इतनी बातोंमें तो वे ब्राह्मणके समान ही हैं। जिस भंगीको सेवाकी जरूरत है, जैसे कि किसी भंगीको साँपने काटा हो तो मैं जरूर उसकी सेवा करूँगा। भंगीको यदि मैं अपनी जूठन खिलाऊँ तो मैं ही पतित बनूंगा। इसीसे मैं कहता हूँ कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्मका महापाप है।

हाँ, अलबत्ता एक प्रकारकी अस्पृश्यताके लिए हिन्दू-धर्ममें स्थान जरूर है। कोई शख्स मैलेको छूकर जबतक स्नान न कर ले, तबतक उसे अस्पृश्य मानना ठीक ही है। मेरी माँ जब मल-मूत्र साफ करती तब नहाये बिना किसी चीजको छूती न थी। मैं वैष्णव सम्प्रदायका अनुयायी हूँ, इसलिए इतनी अस्पृश्यता — कर्मकी क्षणिक अस्पृश्यताको मैं मानता हूँ। परन्तु जन्मकी अस्पृश्यताको मैं नहीं मानता। जब मैं किसी समय अपने मल-मूत्रको उठानेवाली अपनी माताकी मूर्तिका स्मरण करता हूँ, तब वे मुझे अधिक पूज्य मालूम होती हैं। उसी तरह जब भंगीकी सेवाका विचार करता हूँ, तब मेरी दृष्टिमें वह पूज्य हो जाता है।

मैंने यह कभी नहीं कहा कि अन्त्यजोंके साथ रोटी-बेटीका व्यवहार रखा जाये, हालाँकि मैं रोटी-व्यवहार तो रखता हूँ। बेटी-व्यवहारके लिए मेरे पास गुंजाइश नहीं। मैं वानप्रस्थ-आश्रमका पालन करता हूँ — संन्यासका पालन करता हूँ या नहीं, सो नहीं कह सकता; क्योंकि कलियुगमें संन्यास-धर्मका पालन करना महा कठिन है। मैं तो प्राकृत प्राणी हूँ। मैंने वेदाध्ययन नहीं किया और मैं मोक्षके लायक हूँ या नहीं, इस विषयमें सन्देह है, क्योंकि मैं राग-द्वेषका पूर्ण त्याग नहीं कर पाया हूँ। मैं 'वेद'का उच्चारण पण्डित मालवीयजीकी तरह नहीं कर सकता, उसके कारण मोक्ष न मिले, सो बात नहीं। पर जबतक मेरे अन्दर राग-द्वेष मौजूद है, तबतक मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता। इससे मैं संन्यासी चाहे न होऊँ; पर इस बातमें कुछ भी दोष नहीं दिखाई देता कि मेरी स्थितिका हिन्दू सारे संसारके साथ रोटी-व्यवहार रखे। परन्तु जिस दोषके दूर होनेकी आवश्यकता है, वह है अस्पृश्यता। उसमें रोटी-व्यवहारका समावेश नहीं है।

Gandhi Heritage Portal

अस्पृश्यता-निवारणको मैंने जो कांग्रेसका एक कार्य माना है, वह केवल राजनीतिक हेतु पूरा करनेके लिए नहीं है। वह हेतु तो तुच्छ है, स्थायी नहीं। स्थायी बात तो यह है कि हिन्दू धर्ममें —— जिसे कि मैं सर्वोपरि मानता हूँ —— अस्पृश्यता-जैसी भारी बुराई हो नहीं सकती। स्थूल स्वराज्यके लिए मैं अन्त्यजोंको फुसलाना नहीं चाहता। मुझे जो लगता है कि हिन्दूओंने अस्पृश्यता बरतते रहकर भारी पाप किया है; इस लालचमें उन्हें फँसाना नहीं चाहता। उसका प्रायश्चित उन्हें करना चाहिए। मैं अस्पृश्योंकी 'शुद्धि' जैसी किसी चीजको नहीं मानता। मैं तो अपनी शुद्धिका कायल हूँ। जब मैं स्वयं ही अशुद्ध हूँ तो दूसरेकी शुद्धि क्या करूँगा? मैंने अस्पृश्यताका पाप किया है तो शुद्ध भी मुझे ही होना चाहिए। इसलिए हम जो अस्पृश्यता-निवारणका कार्य कर रहे हैं वह केवल आत्म-शुद्धि है, अस्पृश्योंकी शुद्धि नहीं। मैं तो हिन्दू-धर्मकी इस शैतानियतको निर्मूल करनेकी बात कर रहा हूँ, अस्पृश्योंको फुसलानेकी बात मेरे पास नहीं है।

परन्तु हिन्दू-जातिके लिए खान-पानका सवाल जुदा है। मेरे कुटुम्बमें ऐसे लोग हैं, जो मर्यादा-धर्मका पालन करते हैं। वे और किसीके साथ भोजन नहीं करते। उनके लिए खाने-पीनेके बरतन और चूल्हा भी अलहदा चाहिए। मैं नहीं मानता कि इस मर्यादामें अज्ञान, अंधकार या हिन्दू-धर्मका क्षय है। मैं खुद इन बाहरी आचारोंका पालन नहीं करता। मुझसे यदि कोई कहे कि हिन्दू-संसारको इसका अनुकरण करनेकी सलाह दो, तो मैं वैसी सलाह नहीं दूँगा। मालवीयजी मेरे पूज्य हैं, मैं उनका पाद-प्रक्षालन भी करूँगा पर वे मेरे साथ खाना नहीं खाते। ऐसा करके वे मेरे साथ घृणा नहीं करते। हिन्दू-धर्ममें इस मर्यादाका अटल स्थान नहीं है, परन्तु एक खास स्थितिमें वह स्तुत्य मानी गई है। रोटी-बेटी-व्यवहारका सम्बन्ध जिस दरजेतक संयमसे है, उस दरजेतक उसका सीमित रहना ठीक ही है। पर यह बात सब जगह सच नहीं है कि किसीके साथ भोजन करनेसे मनुष्यका पतन होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा लड़का जहाँ चाहे और जो चाहे खाना खाता फिरे; क्योंकि आहारका असर आत्मापर पड़ता है। पर यदि संयम या सेवाकी सुविधाके लिए वह किसीके यहाँ कुछ खास चीजें खायें तो मैं नहीं समझता कि वह हिन्दू-धर्मका त्याग करता है। मैं नहीं चाहता कि खान-पानकी जो मर्यादा हिन्दू-धर्ममें है, उसका पूरा क्षय हो। सम्भव है कि इस मर्यादाको भी छोड़ देनेका युग आ जाये। ऐसा होनेसे हमारा विनाश नहीं हो जायेगा। आज तो मैं वहींतक जानेके लिए तैयार हूँ, जहाँतक मेरा दिल मानता है। मेरे विचारमें इस युगमें रोटी-बेटीके व्यवहारकी मर्यादाका लोप नहीं आ सकता। मेरी इस वृत्तिके कारण मेरे कितने ही मित्र मुझे दम्भी मानते हैं, पर इसमें किसी तरहका दम्भ नहीं है, स्वामी सत्यदेव और मैं अलीगढ़ जा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, "आप यह क्या करते हैं? ख्वाजा साहबके यहाँ खायेंगे?" मैंने कहा, "मैं खाऊँगा। आपके लिए यही मर्यादा है कि आप न खायें; लेकिन मेरे लिए ख्वाजा साहबके यहाँ खाद्य वस्तुएँ न खाना पतित होना है। पर यदि आप खायेंगे तो आपका पतन होगा, क्योंकि आप मर्यादाका पालन करते हैं।" स्वामी सत्यदेवके लिए ब्राह्मण बुलाया गया, उसने उनके

Gandhi Heritage Portal

लिए रसोई बनाई। मौलाना अब्दुल बारीके यहाँ भी ऐसा ही इन्तजाम होता है, यहाँ तक कि हम जब जाते हैं तब ब्राह्मण बुलाया जाता है और उसे हुक्म होता है कि तमाम चीजें भी बाहरसे लाये। मैंने मौलानासे पूछा कि इतनी एहतियातकी क्या जरूरत है तो कहते हैं कि मैं दूसरोंको भी यह माननेका मौका नहीं देना चाहता कि मैं आपको भ्रष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हिन्दू-धर्मके अनुसार बहुत-से लोगोंको हमारे साथ खाना खानेसे परहेज होता है। मौलानाको मैं आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ। वे सीधे-सादे, भोले आदमी हैं। कभी-कभी भूल कर डालते हैं। पर हैं खुदापरस्त और ईश्वरसे डरनेवाले।

बहुतेरे लोग मुझसे कहेंगे कि आप सनातनी कहाँसे हो गये? आप काशी-विश्वनाथके दर्शन तो करते नहीं, और फिर ढेडकी लड़कीको गोद ले लिया है। मुझे इन सवाल पूछनेवालोंपर रहम आता है।

अन्त्यज भाइयो, आपके साथ बहुत बातें करने नहीं आया था, फिर भी कर गया, क्योंकि आपके साथ मुझे प्रेम है। आपके साथ जो पाप किये गये हैं, उनके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। पर आपको अपनी उन्नतिकी शर्त भी समझ लेनी चाहिए। मैं जब पूना गया था तब एक अन्त्यज भाईने उठकर कहा था, "हिन्दू-जाति यदि हमारे साथ न्याय न करेगी तो हम मार-काटसे काम लेंगे।" यह सुनकर मुझे दुःख हुआ था। क्या इससे हिन्दू-जातिका या आपका उद्धार हो सकता है? क्या इससे अस्पृश्यता दूर हो सकती है? उपाय तो सिर्फ यही है कि धर्मान्ध हिन्दुओंको समझायें-बुझायें और वे जो कष्ट दें, उन्हें सहन करें। आप मदरसेमें जानेका हक चाहें, मन्दिरमें जानेका हक माँगे, चारों वर्ण जहाँ-जहाँ जा सकते हों वहाँ जानेका हक चाहें, जो-जो स्थान और पद वे प्राप्त कर सकते हों उनको पानेका हक माँगें, यह बिलकुल ठीक है। अस्पृश्यता-निवारणका अर्थ है कि आपके लिए कोई भी ऐहिक स्थिति अप्राप्य न हो। पर आप इन सब बातोंको पश्चिमी तरीकोंसे नहीं, हिन्दू-धर्ममें जो विधि कल्याणकारिणी बताई गई है, उसीके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह मानें कि शरीर-बलके द्वारा कार्य सिद्ध होता है तो इसका अर्थ यह होता है कि आसुरी साधनोंके द्वारा हम धर्म-कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। मैं आपसे चाहता हूँ कि आपके अन्दर यह आसुरी भाव न पैठे और आप सच्चे भागवत-धर्मका पालन करें। ईश्वर हमें ऐसी सन्मति दे कि जिससे अस्पृश्यता-निवारण एक क्षणमें हो जाये।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ११-१-१९२५

Gandhi Heritage Portal

३९८. भाषण : गोरक्षा-परिषद्में

[२८ दिसम्बर, १९२४]

बेलगाँवमें हुई गो-रक्षा-परिषद्में गांधीजीने अध्यक्षकी हैसियतसे नीचे लिखा भाषण दिया :

मुझे दुःख है कि जो सभा ४ बजे शुरू होनी थी, वह ६ बजे शुरू की गई; और आज मेरे सामने ऐसा प्रसंग आ गया है कि मुझे इसको सवा घंटेमें ही पूरा कर देना होगा। ऐसा कोई दूसरा उपयुक्त समय है नहीं, जब यह कार्य किया जा सके; और इस परिषद्को परसोंतक मुल्तवी रखा नहीं जा सकता। इसलिए मैंने चिकोड़ीसे[1] कहा था कि ४ घंटे काफी हैं और इसे ८ बजेतक पूरा कर देंगे। लेकिन यह नहीं हो सका।[2]

मेरे विचारसे गो-रक्षाका प्रश्न स्वराज्यके प्रश्नसे छोटा नहीं है। कई बातोंमें मैं इसे स्वराज्यके प्रश्नसे भी बड़ा मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जिस तरह अस्पृश्यता-के दोषसे मुक्त हुए बिना, हिन्दू-मुस्लिम एकता साधे बिना और खादीधारी बने बिना हम स्वराज्य नहीं ले सकते, उसी तरह मुझे कहना चाहिए कि जबतक हम यह न जान लें कि गो-रक्षा किस तरह करनी चाहिए तबतक स्वराज्य-जैसी कोई चीज नहीं है; क्योंकि उसमें हिन्दू-धर्मकी सच्ची कसौटी है।[3]

मैं सनातनी हिन्दू होनेका दावा करता हूँ, बहुत-से भाइयोंको हँसी आती होगी कि मुसलमानोंमें हिलने-मिलनेवाले, 'बाइबिल' की बातें करनेवाले, अंग्रेजोंके साथ पानी पीनेवाले, मुसलमानोंकी बनाई हुई रोटी खानेवाले और अछूतकी लड़कीको गोद लेने-वालेको सनातनी हिन्दू कहना, भाषापर अत्याचार करना कहा जायेगा। फिर भी मैं सनातनी हिन्दू कहलानेका दावा करता हूँ; और मुझे विश्वास है कि एक समय ऐसा आयेगा जब मेरे मरनेके बाद सब यह स्वीकार करेंगे कि गांधी सनातनी हिन्दू था, क्योंकि गो-रक्षा मुझे बहुत प्रिय है।

बहुत समय हुआ, मैंने 'यंग इंडिया' में 'हिन्दू-धर्म' पर एक लेख[4] लिखा था। वह मेरा अत्यन्त विचारपूर्वक लिखा हुआ लेख है। उसमें हिन्दुत्वके लक्षणोंपर विचार

१. स्वागत-समितिके अध्यक्ष।

२. यह पैरा महादेव देसाईकी डायरीसे लिया गया है।

३. **यंग इंडिया,** २९-१-१९२५ में, प्रकाशित इस भाषणके अंग्रेजी विवरणके अनुसार यह वाक्य कुछ इस प्रकार है :

मैं तो यहाँतक कहूँगा कि जिस प्रकार हिन्दू-मुसलमान एकता पैदा किये बिना, हिन्दू धर्मको अस्पृश्यताके कलंकसे मुक्त किए बिना और हाथ कते तथा हाथ बुनेको पहनावा बनाये बिना स्वराज्य हासिल करना असम्भव होगा, उसी तरह गो-रक्षाका कोई सही उपाय निकाले बिना स्वराज्य प्राप्त करना असम्भव और स्वराज्य शब्द बिलकुल ही अर्थहीन होगा, क्योंकि यही एक कसौटी है जिसपर हिन्दू धर्मको परखा और प्रमाणित किया जा सकता है और तभी भारतमें वास्तविक स्वराज्य सम्भव हो सकता है।

४. देखिए खण्ड २१, पृष्ठ २५६-६१।

Gandhi Heritage Portal

करते हुए वेदादिको मानना, पुनर्जन्ममें विश्वास रखना और 'गीता', गायत्री आदिमें श्रद्धा होना आदि लक्षण बताये गये हैं। फिर भी सामान्य हिन्दुओंके लिए तो मैंने गो-रक्षाका प्रेम ही हिन्दुत्वका मुख्य लक्षण ठहराया है। कोई पूछे कि दस हजार वर्ष पहले हिन्दू क्या करते थे? बड़े विद्वान् और पण्डित कहते हैं कि वेदादि ग्रंथोंमें गो-मेधकी बात है। छठे दर्जेमें पढ़ते हुए मैंने संस्कृत पाठशालामें 'पूर्वे ब्राह्मणाः गवां मांसं भक्षयामासुः' यह वाक्य पढ़ा था और मैंने मनसे पूछा था कि क्या यह सच होगा? ऐसे वाक्योंके बावजूद मैं मानता आया हूँ कि वेदमें ऐसी बात लिखी हो तो शायद उसका अर्थ यह न रहा होगा जो हम करते हैं — दूसरी बात भी सम्भव है। मेरे अर्थके अनुसार अथवा मेरी आत्माकी प्रतीतिके अनुसार — मेरे पास पाण्डित्य अथवा शास्त्रीय ज्ञानका आधार नहीं है, आत्माकी प्रतीतिका ही आधार है — ऊपर कहे हुए वचनों-जैसे वचनोंका दूसरा अर्थ न हो तो ऐसा होना चाहिए कि वे ही ब्राह्मण गो-भक्षण करते थे, जो गायको मारकर उसे फिर जिला सकते थे। मगर ऐसे वाद-विवादके साथ हिन्दू जनताका कुछ भी सरोकार नहीं। मैंने वेदादिका अध्ययन नहीं किया और अधिकतर संस्कृत ग्रंथोंको मैं अनुवादसे ही जानता हूँ, इसलिए मेरे-जैसा प्राकृत मनुष्य इस विषयमें क्या बात करे? मगर मुझे आत्म-विश्वास है और इसलिए मैं अपने अनुभवकी बात हर जगह किया करता हूँ। गो-रक्षाका अर्थ ढूँढ़ने जायेंगे तो शायद हमें कहीं भी एक अर्थ न मिले, क्योंकि हमारे धर्ममें कलमे-जैसी सर्वमान्य कोई एक चीज नहीं है और पैगम्बर भी नहीं है। इससे शायद हमारा धर्म समझनेमें कठिनाई पड़ती है। परन्तु उससे आसानी भी होती है, क्योंकि बहुत-सी बातें हिन्दू जनतामें स्वाभाविक रीतिसे प्रवेश कर गई हैं। बालक भी समझता है कि हमें गो-रक्षा करनी चाहिए और गो-रक्षा न करें तबतक हम हिन्दू कैसे?

मगर गो-रक्षा करनेकी आजकलकी रीति मुझे पसन्द नहीं। हमारा गो-रक्षाका मौजूदा तरीका देखकर मेरा दिल अकेलेमें रोता है। रोना मुझे पसन्द नहीं। कोई रोये तो मुझे दुःख होता है, क्योंकि हमें भारी बलिदान करने हैं और भारी बलि-दान करनेवाले रोकर क्या हासिल करेंगे? फिर भी मेरा दिल गो-रक्षाके अर्थपर रोता है। कुछ वर्ष पहले मैंने 'हिन्द स्वराज्य' में लिखा था कि हमारे गो-रक्षक मण्डलोंको गो-भक्षक मण्डल कहा जा सकता है।[1] उसके बाद सन् १९१५ में हिन्दुस्तान आ जानेके बादसे आजतक मेरी यह राय पुख्ता ही होती गई है। ऐसे विचार होनेसे मुझे लगा कि गो-रक्षा-परिषद्का अध्यक्ष मैं क्या बनूँगा और लोगोंको अपने विचार कैसे समझाऊँगा? लेकिन गंगाधररावजीने मुझे तार भेजा कि आप अपनी शर्तपर सभापति बनिये, भाई चिकोड़ीजी आपके विचार जानते हैं और उनसे बहुत-कुछ सहमत हैं। इसलिए मैंने आना मंजूर किया। इतना तो मैंने प्रस्तावनाके तौर-पर कहा।[2]

१. देखिए खण्ड १०, पृष्ठ २८-३०।

२. अंग्रेजी पाठके अनुसार, "अपनी सफाईके तौरपर कहा।"

Gandhi Heritage Portal

चम्पारनमें एक जगह गो-रक्षाके बारेमें अपने विचार सुनाते हुए मैंने कहा था कि जिसे गो-रक्षा करनी हो, वह यह बात भूल जाये कि हमें मुसलमानों या ईसाइयोंसे गो-रक्षा कराना है। हम आज यह समझते मालूम होते हैं कि दूसरे धर्मके लोग गो-मांस या गो-वध छोड़ें, इसीमें गो-रक्षाकी समाप्ति है। मुझे इस बातमें कोई अर्थ दिखाई नहीं देता।

मगर इससे कोई यह न समझे कि किसीका गो-वध करना मुझे पसन्द है या गो-वधको मैं सहन कर सकता हूँ। मैं यह दावा स्वीकार नहीं करता कि गो-वधसे मेरी अपेक्षा किसी दूसरेकी आत्माको अधिक दुःख होता है। मुझे नहीं लगता कि किसी हिन्दूको गो-वधके कारण मुझसे ज्यादा सख्त चोट पहुँचती होगी। मगर मैं क्या करूँ? मैं अपना धर्म पालन करूँ या दूसरेसे कराऊँ? मैं दूसरेको ब्रह्मचर्यका उपदेश दूँ और खुद व्यभिचार करूँ, तो मेरे उपदेशका क्या अर्थ? मैं गो-मांस भक्षण करूँ और मुसलमानोंको रोकूँ, यह कैसे हो सकता है? मगर मैं गो-वध न करता होऊँ, तब भी मुसलमानोंको गो-वध करनेसे बलात् रोकना मेरा धर्म नहीं।[1] मुसलमानोंसे जबरदस्ती गो-वध बन्द कराना उन्हें जबरदस्ती हिन्दू बनाने-जैसा है। हिन्दुस्तानमें हिन्दू राज्य हो तो भी गो-वधको अधर्म न माननेवालोंको गो-वधके लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए।[2]

मेरे मनमें गो-रक्षा कोई सीमित चीज नहीं है। मैं गो-रक्षाकी प्रतिज्ञा करता हूँ, इसका अर्थ यह नहीं कि हिन्दुस्तानकी ही गायोंको बचाऊँगा। मैं तो संसार-भरकी गायोंको बचानेका नियम रखूँगा। मेरा धर्म यह सिखाता है कि मुझे अपने आचरणसे जता देना चाहिए कि गो-वध या गो-भक्षण करना पाप है और उसे छोड़ देना चाहिए। मेरा मनोरथ तो इतना बड़ा है कि सारी पृथ्वीके लोग गायकी रक्षा करने लगें। मगर इसके लिए मुझे पहले अपना ही घर अच्छी तरह साफ करना चाहिए।

दूसरे प्रान्तोंकी बात जाने दूँ। गुजरातकी ही बात करूँ तो कहूँगा कि गुजरातमें भी हिन्दुओंके हाथों गो-वध होता है। शायद आप न मानें। मगर आपको पता न होगा कि गुजरातमें बैलको गाड़ीमें जोतकर, गाड़ीमें खूब बोझा भरकर उसे आर भोंकी जाती है, जिससे उसके शरीरसे खूनकी धार चलती है। आप कहेंगे कि यह गो-वध नहीं कहा जा सकता, बैल-वध भले कहलाये। मैं तो इसे गो-वध ही कहूँगा, क्योंकि बैल गायकी सन्तान है। फिर शायद आप कहेंगे कि ताड़नको वध नहीं कहा जा सकता। मगर हिंसाकी व्याख्या दूसरेको दुःख देना या सताना है। अगर बैलके जबान हो तो वह जरूर कहे कि रोज-रोज आर भोंककर सतानेसे तो मैं ज्यादा पसन्द करूँगा कि एक दिन छूरी चलाकर मुझे कत्ल कर दो। इसलिए बैलपर इस तरह जुल्म करनेको मैं गायकी हिंसा समझता हूँ। एक सिन्धी मुझे कलकत्तेमें मिला था। वह मुझसे वहाँ

१. **यंग इंडियामें** प्रकाशित अंग्रेजी विवरणमें एक वाक्य और जुड़ा है : "मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम उनको गो-वधकी अनुमति देता है।"

२. अंग्रेजी विवरणमें यह वाक्य इस प्रकार है : "मेरी रायमें तो भारतमें स्वराज्य हो जानेपर भी हिन्दू बहुमतके लिए यह अनुचित और अविवेकपूर्ण ही होगा कि वह एक कानून बनाकर मुसलमान अल्पसंख्यकोंको गो-वध बन्द करनेपर विवश करे।"

Gandhi Heritage Portal

गायपर सदा जो हिंसा होती है उसकी बातें करता था। एक बार उसने मुझे ग्वालेके घर चलकर फूँके द्वारा गायका दूध निकालनेकी क्रिया देखनेको कहा। वह भयंकर दृश्य मैंने खुद देखा। मुझे विश्वास है कि वह क्रिया आज भी जारी है। उसे करनेवाले हिन्दू हैं। दुनियामें कहीं भी गाय-बैल हमारे यहाँकी तरह बेहाल नहीं होंगे। हमारे बैलोंके शरीरपर हड्डी और चमड़ीके सिवा कुछ नहीं होता। फिर भी हम उनसे अपार बोझा उठवाते हैं। जबतक यह होता है तबतक हम किसीसे गो-वध बन्द करनेकी माँग नहीं कर सकते।

'भागवत' में हम पढ़ते हैं कि भारतवर्षका नाश कैसे हुआ। उसके अनेक कारणोंमें एक कारण हमारा गो-रक्षा छोड़ देना भी बताया गया है। गो-रक्षा करनेकी अशक्तिका हिन्दुस्तानकी गरीबीके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। आप और मैं भी शहरके रहनेवाले हैं। इसलिए हमें गरीबोंकी स्थितिका अन्दाजा नहीं हो सकता। करोड़ोंको एक जून भी पूरा खानेको नहीं मिलता। करोड़ों लोग सड़े हुए चावल या आटा और नमक-मिर्च खाकर गुजर-बसर करते हैं। ऐसे लोग गायकी रक्षा कैसे करें?

हिन्दुस्तानमें अनेक पिंजरापोल जैनोंके हाथमें हैं। इन पिंजरापोलोंमें बीमार जानवरोंको रखा जाता है। वहाँ जैसी चाहिए, वैसी व्यवस्था और सुविधा नहीं होती। हमारे पास पिंजरापोल ही नहीं, सुन्दर डेरियाँ भी होनी चाहिए। बड़े-बड़े शहरोंमें बालकोंके लिए भी शुद्ध दूध नहीं मिल पाता।[1] गरीब मजदूरोंकी स्त्रियाँ बालकोंको दूधके बजाय आटा और पानी घोलकर पिलाती हैं। २३ करोड़ हिन्दुओंकी आबादीवाले हिन्दुस्तानमें शुद्ध दूध न मिले, इसका इतना अर्थ तो है ही कि हमने गो-रक्षा छोड़ दी है।[2]

गोरक्षाके विषयमें मुझसे पाठ लेना हो तो मेरा पहला पाठ यह है कि मुसलमानों और ईसाइयोंको भूल जाओ और अपने धर्मका पालन करो। भाई शौकत अलीको मैं साफ कहता आया हूँ कि उनकी खिलाफतकी गायको बचाऊँगा तो ही मेरी गाय बचेगी। मैंने मुसलमानोंके हाथमें अपनी गरदन क्यों दी है? गायकी रक्षाके लिए। मुसलमानोंसे मैं गायको बचाना चाहता हूँ, इसका अर्थ यह है कि उनके दिलपर असर करके गायको बचाना चाहता हूँ। जबतक उनमें इतनी समझ न आ जायेगी कि हिन्दू भाइयोंके खातिर गो-वध नहीं करना चाहिए, तबतक मैं धीरज रखूँगा। अपने कृत्यसे, अपनी खुदकी गो-रक्षा और गो-भक्तिसे ही मैं उनका दिल बदल सकूँगा।

मेरी दृष्टिमें गो-वध और मनुष्य-वध एक ही चीज है। इन दोनोंको रोकनेका उपाय यही है कि हम अहिंसा सीखें और मारनेवालेको प्रेमसे अपना लें। प्रेमकी

१. **यंग इंडिया**, २९-१-१९२५ में प्रकाशित अंग्रेजी विवरणमें ये शब्द और जुड़े हैं: 'अहमदाबाद-जैसे समृद्ध शहरमें भी कुछ . . .'।

२. **यंग इंडिया**के अंग्रेजी विवरणमें यह वाक्य इस प्रकार है: "पिंजरापोलोंकी इतनी विस्तृत व्यवस्थाके बावजूद हमारे देशमें गो-रक्षा कैसे की जाती है, यह इसीसे जाहिर हो जाता है कि गरीब लोगोंको अच्छा शुद्ध दूध मिल ही नहीं पाता। आशा है कि इससे आपकी समझमें आ जायेगा कि गो-रक्षा न कर पानेके अनेक दुष्परिणामोंमें से ही एक यह भी है कि लोग कंगाली और भुखमरीके शिकार बनते जाते हैं।

Gandhi Heritage Portal

परीक्षा तपश्चर्यामें है और तपश्चर्याका अर्थ है दुःख सहन करना। मैं मुसलमानोंके लिए यथाशक्ति दुःख सहनेको जो तैयार हुआ, उसका कारण स्वराज्य-प्राप्तिकी छोटी तो थी ही, लेकिन गायको बचानेकी बड़ी बात भी उसमें थी।

'कुरानशरीफ' में, मेरी समझसे, ऐसा लिखा है कि किसी भी प्राणीकी व्यर्थ जान लेना पाप है। मैं मुसलमानोंको यह समझानेकी शक्ति अपनेमें पैदा कर लेना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानमें हिन्दुओंके साथ रहकर गो-वध करना हिन्दुओंका खून करनेके बराबर है, क्योंकि 'कुरान' कहती है कि खुदाका हुक्म है कि बेगुनाह पड़ौसीका खून करनेवालेके लिए जन्नत नहीं है। अर्थात् आज जो मैं मुसलमानोंका साथ देता हूँ, उनके साथ ऐसा बरताव करता हूँ जिससे उन्हें दुःख न हो, उनकी खुशामद करता हूँ, यह केवल उनकी धर्मवृत्ति जाग्रत करनेके लिए है, न कि उनके साथ बनियापन या सौदेबाजी करनेके लिए। अपने कर्त्तव्य-पालनके फलके बारेमें मुसलमानोंके साथ बात नहीं करता। उस विषयमें तो ईश्वरसे ही बात करता हूँ। अपने 'गीता'-पाठसे मैं समझता हूँ कि अच्छे कामका बुरा नतीजा कभी नहीं आ सकता। इससे मैंने निश्चय किया है कि मुसलमानोंके साथ शर्त किये बिना उनका साथ देना मेरा कर्त्तव्य है।

इसी तरह अंग्रेजोंके बारेमें। आज उनके लिए जितनी गायें कटती हैं, उतनी मुसलमानोंके लिए नहीं कटतीं। मगर मैं तो उनका भी हृदय ही हिलाना चाहता हूँ — उन्हें यह समझाकर कि पश्चिमकी सभ्यता जिस हदतक विरोधी हो उस हदतक वे उसे भूल जायें और जबतक यहाँ रहें तबतक यहाँकी सभ्यता सीख लें। यदि हम अपने स्वार्थके लिए भी अहिंसा सीख लेंगे और अहिंसाका पालन करेंगे तो गो-रक्षा हो सकेगी, अंग्रेज मित्र बन जायेंगे। अंग्रेज और मुसलमान दोनोंको मैं मरकर, यानी अपनी कुर्बानीसे खरीदना चाहता हूँ। अंग्रेज कर्मचारियोंमें आज बड़ा घमण्ड है। इसलिए जिस तरह मैं मुसलमानोंके सामने विनम्र बनता हूँ उस तरह उनके सामने नहीं बनता। मुसलमान तो आज हिन्दुओंकी तरह ही गुलाम हैं। इसलिए उनसे मित्र-भावसे बात कर सकता हूँ। अंग्रेज मेरे इस मित्र-भावको नहीं समझ सकते और मुझे लाचार जानकर सम्भव है, मेरा तिरस्कार करें। वे मेरी मदद नहीं चाहते। वे तो आश्रयदाता बनना चाहते हैं। इसलिए उनके प्रति मैं शान्त रहता हूँ। दान सुपात्रको और ज्ञान जिज्ञासुको ही देनेका शास्त्र-नियम है। अंग्रेज शासकोंसे मैं इतना ही कहूँगा कि आपका कृपाभाव मुझे नहीं चाहिए। आपके साथ मैं प्रेमपूर्ण असहयोग ही करता हूँ। चौरीचौराके और बम्बईके दंगोंके समय, और अहमदाबाद वीरमगाँवके हंगामेके समय, मैंने सत्याग्रह मुल्तवी किया, उसका कारण यही था कि ऐसा करके मैं साबित करना चाहता था कि मैं हत्या करके नहीं, बल्कि अंग्रेजोंको बचाकर यानी प्रेमपूर्ण व्यवहारसे स्वराज्य लेना चाहता हूँ। आज यहाँसे अंग्रेजों और मुसलमानोंको मारकर या निकालकर मैं गायको बचाऊँ तो उससे मुझे क्या सन्तोष होगा? मुझे तो सन्तोष तभी होगा जब दुनियाभरके लोग गायको बचाने लगें; यह शुद्ध अहिंसाके पालनसे ही हो सकता है।

अब गो-रक्षाका मेरा अर्थ आपकी समझमें आ गया होगा। गो-रक्षाका स्थूल अर्थ यह है कि हम स्थूल गायकी रक्षा करें। गो-रक्षाका सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ यह

Gandhi Heritage Portal

है कि प्राणि-मात्रकी रक्षा की जाये। आज हम अहिंसा नीतिके परिणामों और उसकी शक्तिको नहीं जानते। मुसलमान, ईसाई और हिन्दू नहीं जानते कि उनके धर्म-ग्रन्थ अहिंसासे भरे हैं। हमारे ऋषियोंने मन्त्रोंके अर्थ करनेके लिए भारी तपस्या की थी। गायत्रीका जो अर्थ आज सनातनी करते हैं वह सच्चा है या आर्य-समाजी करते हैं वह सच्चा है, यह कौन कह सकता है? मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि ईश्वरके भेजे हुए किसी भी सन्देशका अर्थ -- किसी भी सूत्रका अर्थ -- जैसे-जैसे हम सत्य और अहिंसाके प्रयोगमें आगे बढ़ते जायेंगे, वैसे-वैसे अधिक खुलता जायेगा। ऋषि कह गये हैं कि गो-रक्षा हिन्दूका परम कर्त्तव्य है, क्योंकि उससे मोक्ष मिलता है। मैं नहीं मानता कि केवल स्थूल गायकी रक्षा करनेसे ही मोक्ष मिल जायेगा, क्योंकि मोक्ष पानेके लिए राग-द्वेष छोड़ना जरूरी है। इसलिए गो-रक्षाका जो सामान्य अर्थ हम करते हैं, उससे व्यापक अर्थ करना चाहिए। गो-रक्षासे मुक्ति मिलती हो तो गो-रक्षाका अर्थ सिर्फ गायकी ही रक्षा नहीं बल्कि प्राणि-मात्रकी रक्षा होना चाहिए, अर्थात् कोई भी हिंसा -- कटु वाक्यसे स्त्री, भाई-बन्धु किसीका भी जी दुखाना, किसी भी प्राणीको दुःख पहुँचाना -- गो-रक्षाका उल्लंघन है, गो-भक्षण है। हिन्दू-धर्ममें गायकी रक्षाका उपदेश है तो क्या गायको न मारना और बकरीको मारना चाहिए? गायका संकुचित अर्थ करनेसे ऐसे बहुतसे अनर्थ हो सकते हैं। गोरक्षा करनेवाले बहुत-से हिन्दू दूसरे जानवरोंका मांस खाते हैं। मेरी तुच्छ रायमें वे गो-रक्षा करनेका दावा नहीं कर सकते।

लाला धनपतराय नामक मेरे जैसा एक पागल-सा आदमी लाहौरमें मुझसे मिलने आया था। उसने मुझे कहा कि तू गो-रक्षा करना चाहता हो तो हिन्दू जो पाप कर रहे हैं उससे उन्हें बचा। उसने कहा: कोई हिन्दू अगर गायको न बेचे तो कत्ल कौन करे? कसाईको गाय कोई दे ही नहीं तो वह गाय लाये कहाँसे? इसमें आर्थिक प्रश्न है। हमारी गोचर-भूमि सरकारने ले ली। इस कारण गायका दूध देना बन्द करनेपर हिन्दू तुरन्त उसे बेच देते हैं। इसका उपाय धनपतरायने मुझे बताया। उसने कहा कि ऐसी गायको बेचनेकी जरूरत नहीं। गायसे बैलका काम क्यों न लिया जाय? हमारे धर्ममें ऐसा नहीं कहा गया है कि गायका भारवाहक जानवरके तौर पर उपयोग न किया जाये। हम अपनी माताओंपर जितना बोझा रखते हैं, उतना उसपर भी डालें। गायको खिला-पिलाकर, प्रातःकाल उसकी पूजा करके थोड़ा काम उससे ले लें, तो क्या बुराई है? ऐसा उस भाईने मुझसे पूछा। उसके पास बहुत-सी गायें हैं। वह उन गायोंको मोटी-ताजी करके गाड़ी और हलमें जोतता है। फिर वे फलती हैं और गो-वंश बढ़ाती हैं। यह मैंने आँखसे नहीं देखा। धनपतरायकी कही हुई बात है। मगर इसे न माननेका कोई कारण नहीं है। मैं मानता हूँ कि यह विचारने लायक बात है। कोई इस तरह भी गायकी रक्षा करता हो तो उसकी निन्दा नहीं होनी चाहिए।

इस परिषद्में कुछ प्रस्ताव सुझानेकी मेरी इच्छा थी, मगर अब प्रस्तावका समय नहीं है। और आज मैंने जो बातें कहीं, उनमें से आप कुछ बातें समझे न हों तो

Gandhi Heritage Portal

भी प्रस्तावोंके बारेमें 'हाँ' करें, तो उसमें मेरा और आपका कल्याण कैसे होगा? इसलिए मेरी सलाह यह है कि मेरा यह व्याख्यान सुनकर आप लोग एक कमेटी बनायें; उसमें कुछ साधु-चरित गो-रक्षा-भक्त हिन्दुओंको रखें और वे सभाका विधान बनाकर, मैंने जो बातें पेश की हैं उनमें से स्वीकार करने लायक बातें स्वीकार करके सभाको स्थायी रूप देनेके लिए अगली परिषद्में सभाका विधान पेश करें।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, २५-१-१९२५

३९९. भाषण : अ० भा० देशी रियासत-परिषद्में[1]

[३० दिसम्बर, १९२४]

पण्डालमें प्रवेश करनेपर महात्मा गांधीका जोरकी हर्ष-ध्वनिके साथ स्वागत किया गया।

उन्होंने कहा :

पिछले कुछ दिनोंमें सभी लोगोंने मेरे प्रति जो स्नेह प्रदर्शित किया है उससे मैं अभिभूत हो गया हूँ। आज आपके अध्यक्षने अपना भाषण बीच ही में स्थगित करके मुझे आपसे कुछ शब्द कहनेका अवसर देकर उस स्नेहका और प्रमाण दिया है। आपको मालूम होगा कि मैं भारतके एक गाँवमें पैदा हुआ था। मैं काठियावाड़की रियासतोंको जानता हूँ। उनके साथ मेरे सम्बन्ध सद्भावपूर्ण हैं। हालाँकि मैं कुछ कहता नहीं लेकिन देशी रियासतोंमें होनेवाली गति-विधियोंको बराबर देखता रहता हूँ। अध्यक्ष-पदसे दिये गये अपने भाषणमें मैंने देशी रियासतोंका उल्लेख किया है। अभी हालमें बम्बईमें जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, उसने स्वराज्यकी एक योजना तैयार करनेके लिए एक समिति नियुक्त की है और अपने भाषणमें मैंने आनेवाले स्वराज्यकी अपनी रूपरेखा बताई है। अपने विचारोंको मुझे कमसे-कम वाक्योंमें बताना पड़ा और इसलिए मैं देशी रियासतोंके बारेमें चन्द वाक्य ही कह सका। मेरे कुछ वकील मित्रोंको, देशी रियासतोंके बारेमें मैंने जो कहा है, उसपर कुछ आपत्ति है। उनका कहना है कि मैंने भारतीय राजाओंके दर्जेके बारेमें तो कहा है लेकिन अपनी प्रजाके प्रति उनके दायित्वोंके बारेमें कुछ नहीं कहा है। लेकिन मुझे अपने इन मित्रोंको यह याद दिलानेकी जरूरत नहीं है कि अधिकारके साथ ही दायित्व भी हमेशा जुड़ा होता है। भारतीय स्वराज्य-की मेरी योजनामें देशी रियासतोंको समाप्त करनेका कोई विचार नहीं है। मैं अपना यह मत जनताके सामने बिलकुल स्पष्ट रूपमें रख देना चाहता था। लेकिन यदि किसी देशी नरेशके अत्याचारोंके कारण देशी रियासतोंकी प्रजा भागकर ब्रिटिश भारतीय सीमामें आ जाये तो स्वराज्य सरकार किसी भी कीमतपर इन लोगोंको

१. यह परिषद् बेलगाँवमें हुई थी तथा इसकी अध्यक्षता न० चि० केलकरने की थी।

Gandhi Heritage Portal

सम्बन्धित नरेशके हवाले नहीं करेगी। प्रजाको दी गई गारंटी और नरेशोंको उनके दर्जेके बारेमें दी गई गारंटीके पीछे यह अभिधारणा है कि देशी रियासतोंमें अच्छा शासन होगा।

रेखा-गणित (ज्यामिति) में कुछ अभिधारणाएँ होती हैं। उसी प्रकार राजनीति-शास्त्रमें भी कुछ अभिधारणाएँ होती हैं। जब देशी नरेशोंको उनके दर्जेके बारेमें गारंटी दी जाती है तो ऐसा मान लिया जाता है कि वे अपनी प्रजाके लिए प्रगतिशील और उदार शासनकी व्यवस्थाकी गारंटी करेंगे। मैं कुछ ही समय बाद भावनगरमें काठियावाड़ राज्य परिषद्की अध्यक्षता करनेवाला हूँ और देशी रियासतोंके बारेमें मुझे जो-कुछ कहना है, वह मैं उसी अवसरपर कहूँगा। इस परिषद्की अध्यक्षता करनेके लिए मुझे बहुत समय पहले निमन्त्रित किया गया था। लेकिन अपनी गिरफ्तारीसे पहले मैं सत्याग्रहका झण्डा फहरा चुका था और मुझे लगा कि इस वक्त मेरे ऐसे किसी सम्मेलनकी अध्यक्षता स्वीकार करनेसे देशी नरेशोंकी स्थिति अटपटी हो जायेगी। मैं उन्हें किसी अटपटी स्थितिमें डालकर अपने और उनके बीचके सुन्दर सम्बन्धोंको खराब नहीं करना चाहता था। आप जानते हैं कि मैं अहिंसामें कट्टर विश्वास रखता हूँ। देशी नरेशों और उनकी प्रजाके बीचके मधुर सम्बन्धोंको कटु बनाना मेरे सिद्धान्तोंके विरुद्ध होगा। लेकिन मुझे आपको यह विश्वास दिलानेकी जरूरत नहीं है कि मैं इन रियासतोंकी जनताको और उनके वाजिब दावोंको कभी नहीं भूल सकता। देशी रियासतोंके प्रश्नको सुलझानेमें मेरी इच्छा यही है कि ऐसा वातावरण रहे जिसमें लोग एक-दूसरेकी बात सद्भावसे सुनें और समझें और इस तरह इसे निपटा दिया जाये। मैं किसी पक्षके मनमें कोई दुराग्रह नहीं पैदा करना चाहता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि नरेशोंके दर्जे और उनकी प्रजाके अधिकारोंका आदर किया जाये। मेरी हार्दिक इच्छा है कि खादी और चरखेके प्रचार कार्यमें मैं देशी नरेशोंकी सहानुभूति प्राप्त करूँ। मैंने अपना समूचा विश्वास चरखेपर केन्द्रित कर दिया है। मेरा विश्वास है कि उसीपर इस देशकी मुक्ति निर्भर करती है।

महात्माजीके चले जानेके बाद श्री केलकरने उनके भाषणका आशय मराठीमें संक्षेपमें बताया और इसके बाद अपना अंग्रेजी भाषण पढ़ा।

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल, २-१-१९२५

Gandhi Heritage Portal

४००. पत्र : कुमारी मैडिलीन स्लेडको

गाड़ीमें
३१ दिसम्बर, १९२४

प्रिय बहन,

मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आपको इससे पहले न लिख सका। मैं लगातार सफरमें रहा। आपने जो २० पौंड भेजे, उनके लिए आपका आभारी हूँ। यह रकम चरखेके प्रचारमें इस्तेमाल की जायेगी।

मुझे सचमुच खुशी है कि आपने अपने प्रथम आवेगमें न बहकर, यहाँके जीवनकी तैयारी करनेके लिए समय लगानेका निश्चिय किया है। अगर साल-भरके परीक्षणके बाद भी आपको यहाँ आनेकी प्रेरणा महसूस हो तो आपका हिन्दुस्तान आना शायद उचित रहेगा।

आपका,
मो० क० गांधी

कुमारी मैडिलीन स्लेड
६३, बेडफोर्ड गार्डन्स
कैम्पडेन हिल,
लन्दन, डब्ल्यू० ८

अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ५१८१)से।
सौजन्य : मीराबहन

४०१. भाषण : अ० भा० मुस्लिम लीग अधिवेशनमें[1]

बम्बई
३१ दिसम्बर, १९२४

श्रीमती नायडू दक्षिण आफ्रिका होकर आई हैं और वहाँके सम्बन्धमें उन्होंने आपको सब-कुछ बताया है। मुझे जितना-कुछ कहना था वह मैं कांग्रेसमें कह चुका हूँ। मैं कह नहीं सकता कि सरकारसे कहकर हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। मेरी समझमें, जबतक हम सशक्त नहीं होंगे तबतक केनियामें जो-कुछ हो रहा है, वह हमें सहना ही होगा। एक समय था जब दक्षिण आफ्रिकामें सत्याग्रह चल रहा था और सरकार भी कहती थी कि भारतीय लोग सम्राट्के प्रति निष्ठावान नहीं रह

१. यह भाषण उस प्रस्तावका समर्थन करते हुए दिया गया था जिसमें नेटाल बरोज अध्यादेशकी निन्दा की गई थी; इस अध्यादेशके द्वारा नेटालवासी भारतीयोंका नगरपालिका मताधिकार छीन लिया गया था।

Gandhi Heritage Portal

गये हैं, उसी समय लॉर्ड हार्डिगने मद्रासमें एक घोषणा की और उससे भारतीयोंको काफी लाभ हुआ। इसका कारण यही था कि दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय लोग सत्याग्रह कर रहे थे। यदि आप उनकी सहायता करना चाहते हैं तो अपनी सहायता आपको पहले करनी चाहिए।

मुझे यह सुनकर दुःख हुआ कि पूर्व आफ्रिकामें भारतीयोंने कौंसिलोंमें जानेका निश्चय किया है और बाहरका काम छोड़ दिया है। मैं कह नहीं सकता कि यह सही है या गलत क्योंकि इतनी दूरसे उसके बारेमें मैं कुछ धारणा नहीं बना सकता।

हमारे लिए समय है कि हम अपनी शक्ति बढ़ायें। तब आप देखेंगे कि लॉर्ड रीडिंग भी वही रास्ता अख्तियार करेंगे जो लॉर्ड हार्डिगने किया था। हिन्दू-मुस्लिम एकता अत्यन्त आवश्यक है और इसके साथ ही खद्दर पहनना भी जरूरी है, लेकिन मैं नहीं जानता कि यह बात मुझे यहाँ कहनी चाहिए या नहीं। मैं चाहता हूँ कि सभी सरकारी पद मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयोंको दिये जायें, क्योंकि उनकी संख्या कम है और यदि फिर भी कुछ बच रहें तो वे हिन्दुओंको दिये जायें।

मुझे बंगालमें खादी कार्यके बारेमें अपने एक साथी कार्यकर्त्ता श्री [सतीश बाबू] रायसे पता चला है। वहाँ यह कार्य मुख्यतः मुसलमान औरतें कर रही हैं। वे अपनी आजीविका चरखेसे कमाती हैं। अतः यदि आप उन्हें लाभ पहुँचाना चाहते हैं तो खादी पहनिए। यदि आप मिस्रकी सहायता करना चाहते हैं तो जैसा मैं मौलाना मुहम्मद अलीको बता चुका हूँ, इसका एकमात्र रास्ता यही है कि आप पहले स्वराज्य प्राप्त करें तब और केवल तभी आप सच्चे अर्थमें टर्की, मिस्र और अरबकी मदद कर सकते हैं। हिन्दू और मुसलमान कागजी समझौतों और प्रस्तावोंके जरिये ही नहीं, बल्कि दिलसे परस्पर एक होंगे तभी आप भारतमें और भारतसे बाहर इस्लामकी रक्षा कर सकते हैं। आप कृपया ये चीजें एक सालतक करें और फिर इनके परिणाम आप खुद ही देखेंगे। (हर्ष-ध्वनि)

[अंग्रेजीसे]

बॉम्बे क्रॉनिकल १-१-१९२५

४०२. बेलगाँवके संस्मरण [–१]

जब कि बहुतेरे अक्स मनमें उभर रहे हों और वे सभी अभिव्यक्तिके लिए तड़प रहे हों तब उनको लिपिबद्ध करनेवालेका काम सचमुच बड़ा ही कठिन हो जाता है। बेलगाँवके अपने संस्मरण लिखनेके लिए पेन्सिल हाथ लेते समय मेरी हालत ऐसी ही हो रही है। मैं कोशिश-भर कर सकता हूँ।

गंगाधरराव देशपाण्डे और उनके साथियोंकी टोलीने अतीव दक्षता दिखाई। उनके विजयनगरको तो विजय ही समझिए — स्वराज्यकी तो नहीं; पर संगठनकी विजय तो अवश्य ही थी। छोटीसे-छोटी बाततक बड़े सुनियोजित ढंगसे की गई थी। डा० हार्डीकरके स्वयंसेवक चुस्त और चौकस थे। सड़कें चौड़ी और साफ-सुथरी थीं। वे

Gandhi Heritage Portal

आसानीसे और भी चौड़ी की जा सकती थीं, जिससे वहाँ लगाई गई अस्थायी दुकानोंको और हजारों तमाशबीनोंकी भीड़को आमद-रफ्तमें सहूलियत होती। रोशनीका इन्तजाम पूरा-पूरा था। विशाल-सभा-मण्डप और उसके सामने खड़ा संगमरमरी फव्वारा तमाम प्रवेश करनेवालोंको अपनी ओर आकर्षित करता हुआ लगता था। मण्डपमें कमसे-कम १७,००० आदमियोंकी गुंजाइश की गई थी। सफाईका इन्तजाम बहुत अच्छा था, फिर भी उसमें इससे ज्यादा बाकायदगी दरकार थी। इस्तेमाल किये हुए पानीको बाहर निकालनेका तरीका बहुत पुराने जमानेका था। मैं कानपुरके लोगोंका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूँ। कांग्रेसका १९२५ का अधिवेशन उन्हें अपने यहाँ करनेका सौभाग्य प्राप्त होनेवाला है। उन्हें चाहिए कि वे ऐसे पड़ावोंमें सफाई रखनेके निहायत कारगर तरीकोंपर अभीसे गौर करते रहें और इस बड़े जरूरी कामको ऐन वक्तके लिए न रख छोड़ें।

एक ओर जहाँ मैं बेलगाँव कांग्रेसके लगभग त्रुटिहीन प्रबन्धकी बेहिचक तारीफ करता हूँ, वहाँ दूसरी ओर मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि गंगाधररावजी बाहरी ठाठ-बाटपर खूब रुपया खर्च करने और शीर्षस्थ लोगोंको ऐशो-आरामके साधन मुहैया करनेकी पुरानी परिपाटीके मोहसे अपनेको नहीं बचा सके। सभापतिकी 'झोंपड़ी' को ही लीजिए। मैंने तो एक खादीकी झोंपड़ीका ही सौदा किया था; पर खादीका एक खासा महल ही तैयार करके मेरा अपमान किया गया। सभापतिके लिए जितनी लम्बी-चौड़ी जमीन रखी गई, वह बेशक जरूरी थी। उस 'महल' के चारों ओर जो बाड़ा तैयार किया गया था, वह भी बिलकुल जरूरी था, क्योंकि उसकी बदौलत उन लोगोंकी भीड़से मेरी रक्षा होती थी, जो मेरे प्रति प्रेम और आदरके कारण मुझे बहुत दिक और परेशान कर सकते थे। लेकिन मैं निश्चयके साथ कहता हूँ कि अगर उसका ठेका मेरे जिम्मे रहता, तो इससे आधे खर्चमें सभापतिके लिए उतनी ही जगह और उतने ही आरामका इन्तजाम कर देता। ऐसी फजूलखर्चीकी मैं और भी मिसालें दे सकता हूँ। विषय समितिके सदस्यों तथा अन्य लोगोंके जलपानमें भी ऐसी ही फजूलखर्ची दिखाई देती थी। जो भी चीजें परोसी जाती थीं, उनमें तादादकी कोई भी कैद या लिहाज नहीं रखा जाता था। मैं किसीपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। इस फजूलखर्चीकी जड़में दरियादिली ही थी। यह सब शुभ हेतुसे किया गया था। चालीस बरस पुरानी परिपाटी एक दिनमें नहीं टूट सकती —— विशेषकर तब, जब कि ऐसा शख्स जिसकी बात लोग सुन सकें, उसपर लगातार टीका-टिप्पणी करते रहनेको तैयार न हो। मुझे याद है कि १९२१ में जब मैंने वल्लभभाईसे कहा था कि इस दिशामें आप ही आगे कदम बढ़ायें तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं सादगी लाने और फजूलखर्ची न होने देनेकी कोशिश तो करूँगा, पर अपने प्रिय गुजरातको कंजूस कहलानेका अवसर भी नहीं देना चाहूँगा। मैं उन्हें यह बात नहीं समझा सका कि यदि वे कई हजार रुपये खर्च करके अस्थायी फव्वारा न बनवायेंगे तो कोई उन्हें कंजूस न कहेगा। मैंने उनसे यह भी कहा था कि वे जो-कुछ करेंगे उसका अनुकरण, आगे यह जिम्मेवारी जिनके सिर आयेगी, वे भी करेंगे। पर वे

Gandhi Heritage Portal

कंजूस कहलानेका कलंक अपने सिर लेनेको तैयार नहीं हुए। अब मैं कानपुरको सलाह देता हूँ कि वह इसमें आगे बढ़कर रास्ता दिखाये। हम तो मितव्ययिताकी दिशामें इतना आगे बढ़ना चाहते हैं कि सम्भव है, कानपुरकी आजकी कंजूसी कल फिजूल-खर्ची-जैसी मालूम हो। वल्लभभाईने भी बहुत-सी चीजें छोड़ दी थीं, किन्तु उन चीजोंकी निस्बत, जिनकी कोई महसूस होने लायक जरूरत ही नहीं थी, किसी तरहकी शिकायत मेरे कानमें नहीं पड़ी।

हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि कांग्रेसका मन्शा उन लोगोंका प्रतिनिधि बनना है जो गरीबसे-गरीब हैं, मेहनत-मशक्कत करते हैं और जो भारतके प्राण हैं। सो हमारा पैमाना ऐसा होना चाहिए जो उनको मुआफिक आ सके। इसलिए कम खर्चकी ओर अपना कदम दिन-ब-दिन आगे बढ़ाना होगा, पर इस तरह कि हमारे काममें न तो कोई खामी आये और न कंजूसी ही टपके।

मेरी रायमें रहनेका और खानेका खर्च जो अभी देना पड़ता है, बहुत भारी है। हमें इस मामलेमें स्वामी श्रद्धानन्दजीसे नसीहत लेनी चाहिए। मुझे याद है कि उन्होंने अपने गुरुकुलके १९१६ के वार्षिकोत्सवमें आनेवाले मेहमानोंके लिए किस तरहके छप्पर डलवाए थे। उन्होंने [मैं समझता हूँ] कोई दो हजार रुपए लगाकर फूसके छप्पर बनवा डाले थे। उन्होंने ठेकेदारोंसे अहातेके भीतर जलपान-गृह आदि खोलनेको कहा था और दुकानोंके लिए दी गई जगहोंका कोई किराया नहीं लिया था। उस इन्तजामसे किसीको कोई शिकायत नहीं हो सकती थी। लोग जानते थे कि हमें किन-किन चीजोंकी उम्मीद रखनी चाहिए। इस तरह कोई ४०,००० लोग गुरुकुलके अहातेमें बिना किसी तरहकी दिक्कत और प्रायः बिना किसी प्रकारके खर्चके ठहराये गये थे और इससे भी बड़ी बात यह कि वहाँ आनेवाला हर आदमी जैसी सुविधाएँ चाहता था, उसे मिल जाती थीं और वह अपनी मर्जीके मुताबिक थोड़ा या ज्यादा खर्च करके रह सकता था।

मैं यह नहीं कहता कि स्वामीजीकी व्यवस्थाकी हरफ-ब-हरफ नकल की जाये। पर मैं यह जरूर कहता हूँ कि बेहतर और ज्यादा सस्ते इन्तजामकी निहायत जरूरत है। प्रतिनिधियोंकी फीसके १० रुपयेसे घटाकर १ रुपया कर दिये जानेपर[1] सब लोग खुश हुए थे और मुझे यकीन है कि रहने और खानेके खर्चमें कमी करना लोगोंको और भी पसन्द आयेगा।

तो फिर आमदनीकी तदबीर क्या हो? हरएक दर्शकके लिए थोड़ा-सा प्रवेश शुल्क रखा जाये। कांग्रेस अधिवेशन एक तरहका सालाना मेला बन जाना चाहिए, जिसमें दर्शक लोग आयें और मनोरंजनके साथ-साथ शिक्षाप्रद बातें सीखकर जायें। अधिवेशनके विचार-विमर्श या चर्चावाले हिस्सेको केन्द्रीय स्थान दिया जाना चाहिए, और प्रदर्शनात्मक महत्त्वके कार्यक्रम उसीके आसपास गूंथे जाने चाहिए। इसलिए इस सालकी तरह, उसका आयोजन उपयुक्त समयपर होना चाहिए और हर काममें समयकी पाबन्दी निष्ठाके साथ बरती जानी चाहिए।

१. देखिए "प्रस्ताव: बेलगाँव कांग्रेसमें", २७-१२-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

मुझे इस बातमें सन्देह है कि दूसरे तमाम सम्मेलनोंको एक ही सप्ताहमें जैसे-तैसे निबटा देनेसे किसी राष्ट्रीय अर्थकी सिद्धि होती है। मेरी रायमें सिर्फ उन्हीं सम्मेलनोंको कांग्रेस अधिवेशनवाले सप्ताहमें रखना चाहिए, जिनसे कांग्रेसकी ताकत बढ़ती हो और उसे मदद मिलती हो। सभापति और उनके "मन्त्रिमण्डल" से यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वे कांग्रेसके कामके अलावा और किसी बातपर ध्यान दें। मैं जानता हूँ कि अगर मुझे अपना वक्त और बातोंमें न लगाना पड़ता तो मैं अपने कामको ज्यादा अच्छी तरह कर पाता। सोचने-विचारनेके लिए मेरे पास थोड़ा भी वक्त नहीं बचता था। इसीसे मैं कताईपर आधारित सदस्यताको सफल बनानेके लिए जरूरी सिफारिशोंका मसविदा तैयार नहीं कर सका। बात यह है कि विभिन्न सम्मेलनोंके आयोजक अपने काममें संजीदगीके साथ नहीं जुटते। वे उनका आयोजन केवल इसलिए करते हैं कि यह एक फैशन बन गया है। मैं विभिन्न क्षेत्रोंके कार्यकर्त्ताओंसे आग्रह करूँगा कि वे हर साल अपनी शक्ति बरबाद करनेसे बचें।

देशी हुनर और उद्योगकी नुमाइश एक ऐसी चीज है जिसकी बढ़ती साल-दर-साल होनी चाहिए। संगीतके जलसेने हजारों लोगोंका मनोरंजन किया होगा। हमारे सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्योगके विनाशके करुण इतिहास और उस उद्योगके पुनरुद्धारकी सम्भावनाओंपर दीप-चित्रों और भाषणोंके जरिए जिस ढंगसे प्रकाश डाला गया, वह बहुत उपयुक्त, शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। सतीश बाबूने जिस तरह विचारपूर्वक और सांगोपांग ढंगसे इन भाषणोंका आयोजन किया था, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। कताई प्रतियोगिता[1] भी एक स्थायी चीज बन जानी चाहिए। प्रतियोगिता लोगोंको कितनी पसन्द आई, इसका पता उसमें शरीक होनेवाले लोगोंकी तादाद और उसके उम्दा नतीजों तथा उसके लिए अनुदान देनेवालोंकी संख्यासे भलीभाँति लग जाता है। इस चरखा-आन्दोलनकी बदौलत भारतकी स्त्रियाँ पर्दा छोड़कर जिस तरह बाहर निकल रही हैं, उस तरह किसी और उपायसे न निकल पातीं। ११ इनाम पानेवालोंमें से ४ स्त्रियाँ थीं। इससे उन्हें जो गौरव और आत्मविश्वास मिला है, वह किसी भी विश्वविद्यालयकी उपाधिसे न मिल पाता। वे इस बातको समझती जा रही हैं कि उनकी सक्रिय सहायता भी उतनी ही अपरिहार्य है जितनी कि पुरुषोंकी और इससे भी बड़ी बात यह कि वे यह सहायता, यदि ज्यादा नहीं तो कमसे-कम पुरुषोंके बराबर तो आसानीसे दे सकती हैं।

इन संस्मरणोंको समाप्त करनेसे पहले मैं एक बातका जिक्र किये बिना नहीं रह सकता। कांग्रेसकी छावनीमें संडास वगैरह साफ करनेके काममें कोई ७५ स्वयंसेवक लगे हुए थे, जिनमें ज्यादातर ब्राह्मण थे। हाँ, नगरपालिकाके भंगी भी जरूर लिये गये थे; परन्तु इन स्वयंसेवकोंका रहना भी जरूरी समझा गया। काका कालेलकर —जिनके जिम्मे यह काम था—कहते हैं कि यह काम उतनी अच्छी तरह न हो पाता, अगर यह स्वयंसेवकोंकी टुकड़ी तैयार न की गई होती। उन्होंने यह भी बताया है कि स्वयंसेवकोंने यह काम खुशी-खुशी किया। उस कामको करनेसे किसीने

१. देखिए "भाषण: कताई-प्रतियोगिताके सम्बन्धमें", २७-१२-१९२५।

Gandhi Heritage Portal

भी जी नहीं चुराया, हालाँकि मामूली तौरपर उसके लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं और फिर एक लिहाजसे तो यह काम दूसरे तमाम कामोंसे कहीं ऊँचे दरजेका है। इसमें कोई शक नहीं कि सफाई-सम्बन्धी काम स्वयंसेवकोंकी तमाम तालीमकी बुनियाद समझी जानी चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १-१-१९२५

४०३. कैसे करना चाहिए?

कांग्रेसने एक बहुत ही अहम कदम आगे बढ़ाया है या जैसा कि कुछ लोग कहते हैं उसने एक पागल आदमीके कहनेसे भारी बेवकूफी कर डाली है। कांग्रेसके सदस्योंको, चाहे वे इच्छापूर्वक कातें या अनिच्छापूर्वक, कताई-सदस्यताको अंजाम देकर इस कदमका औचित्य सिद्ध करना होगा। जो काम अबतक कुछ ही लोग कर रहे थे, वह अब कांग्रेसके सदस्य बननेके इच्छुक तमाम लोगोंको करना होगा। कांग्रेस अपने हर सदस्यसे व्यवस्थित तौरपर श्रम करनेकी आशा रखती है। यदि वह उस श्रमको स्वयं करनेपर रजामन्द न हो तो उसे दूसरेका श्रम खरीदकर — दूसरेसे सूत कतवाकर — देना होगा।

काम स्पष्टतः बड़ा मुश्किल है। काम यदि आसान होता तो इसके सफल होनेपर जिस बड़े नतीजेकी आशा रखी जाती है, उसकी आशा भी नहीं रखी जा सकती। और जब सालमें सिर्फ चार-चार आने इकट्ठे करने पड़ते थे, तब भी तो काम मुश्किल ही मालूम पड़ता था। आज भी कांग्रेसके रजिस्टरमें सब प्रान्तोंको मिलाकर ५०,००० भी ऐसे सदस्य दर्ज नहीं हैं। अब कांग्रेस अपने हर सदस्यसे उम्मीद रखती है कि वह माहवार २,००० गज सूत स्वयं काते या दूसरोंसे कतवा कर इतना ही सूत दे। इस तरह कार्यकर्त्ताओंको कातनेवालोंके साथ लगातार सम्पर्क रखना होगा। मेरी रायमें सदस्यताकी इस नई शर्तका जो-कुछ भी महत्त्व है, वह इसीमें है। इससे लोगोंको बड़े ऊँचे ढंगकी राजनीतिक शिक्षा मिलती है।

अब हरएक प्रान्तके लिए निश्चित तौरपर सफलता प्राप्त करनेका रास्ता यही है कि वह जितने मतदाताओंकी उम्मीद रखता हो उनकी कमसे-कम तादाद मुकर्रर कर ले और जबतक उतने मतदाता न मिलें तबतक दम न ले। अब सारे हिन्दुस्तानमें कमसे-कम तादादमें गिननेपर भी कोई ५०,००,०००० चरखे तो चलते ही होंगे। ये सब कातनेवाले आसानीसे कांग्रेसके सदस्य भी बन सकते हैं। जो लोग उनसे काम ले रहे हैं वे अब उन्हें हर रोज आधा घंटा देशके लिए कताई करनेको आमन्त्रित कर सकते हैं। इसके लिए किसी नये संगठनकी जरूरत नहीं है। रुई, पूनियाँ आदि तो तैयार ही हैं। इन्तजाम करनेवालोंको सिर्फ इतना ही करना होगा कि स्वेच्छासे कातनेवालों या सदस्य बननेके लिए कातनेवालोंको जितनी पूनियाँ चाहिए, उतनी पूनियाँ कांग्रेसको भेंट कर दें। कातनेवालोंको तो कांग्रेसको सिर्फ २,००० गज

Gandhi Heritage Portal

सूत कातनेका निःशुल्क श्रम ही देना है। फिर ऐसे लोग भी हैं जो सूत कातनेका पेशा तो नहीं करते पर अपनी खुशीसे सूत कातते हैं। जो लोग आज कात रहे हैं, उन्हें अपने मित्रों और पड़ौसियोंसे कातनेके लिए और कांग्रेसके सदस्य बननेके लिए कहना है। हरएक कार्यकर्त्ता २०-२० कातनेवालोंकी मण्डलियाँ बनाकर यह काम बहुत अच्छी तरह कर सकता है। ये मण्डलियाँ छोटी और सुगठित होनी चाहिए, तभी वह अच्छा काम कर सकेगा। उसको शुरू करनेवाले सदस्यको धुनाई और कताई-में पूरा दक्ष होना चाहिए; क्योंकि रुई इकट्ठा करना, उसे धुनना, उसकी पूनियाँ बनाना और मण्डलीके सदस्योंमें उन्हें बाँटना, इन कामोंका सारा दायित्व प्रारम्भमें उसीपर रहेगा। तीसरे किस्मका काम है, उनके लिए इन्तजाम करना जो अनिच्छाके कारण नहीं कातते। कातनेके लिए अनिच्छुक व्यक्तियोंमें जो बहुत-ज्यादा ईमानदार होंगे वे तो अपनी एवजमें कातनेवाले लोग, स्वभावतः अपने परिवारोंमें ढूँढ़नेकी कोशिश करेंगे। इससे वे यकीनन अच्छा और सचमुच ही हाथसे कता सूत दे सकेंगे। कातनेके लिए अनिच्छुक लोगोंमें से इससे दूसरे दरजेके होंगे, वे खुद किसी पेशेवर कातनेवालेको लगाकर अपनी एवजमें कतवायेंगे और कातनेकी इच्छा न रखनेवालोंमें से आखिरी दर्जेके लोग वे हैं जो बाजारसे सूत खरीदकर देंगे और इस तरह हाथसे कते सूतके बजाय खोटा सूत खरीदनेकी जोखिम उठायेंगे। कांग्रेसके जो सदस्य स्वयं कातना नहीं चाहते, उन्हें मैं आगाह कर देता हूँ कि सामान्य उद्देश्यके हितकी दृष्टिसे वे इस आखिरी तरीकेसे दूर रहें। इस आखिरी दर्जेके लोगोंके लिए सदस्य बनना आसान है और यदि बहुतेरे लोग इससे फायदा उठायेंगे तो इससे दगाबाजी सरेआम चल पड़ेगी और इससे उस कुटीर उद्योगको, जो इतनी मुश्किलोंका सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है, नुकसान हो सकता है। मुझे तो आशा है कि ऐसे बहुत ही थोड़े लोग होंगे जो कांग्रेस और देशकी खातिर कातनेसे जी चुरायेंगे। सदस्यताकी इस शर्तमें 'अनिच्छुक' शब्दको सिर्फ इसलिए स्थान मिला है कि उनकी मुश्किलें हल हो जायें, जो कांग्रेसके पुराने सदस्य हैं और जो यदि कांग्रेसको छोड़ना चाहें तो भी मैं उन्हें छोड़ने नहीं देना चाहूँगा। लेकिन मैं तो यह उम्मीद रखूँगा कि इस 'अनिच्छा'को प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा। हाथ कते सूतका उत्पादन होनेसे ही तो आलसी और नंगे-भूखे काम नहीं करने लग जायेंगे। लाखों-करोड़ों लोगोंको फिरसे चरखेको अपनानेके लिए उत्साहित करनेके लिए शारीरिक श्रमका और विशेषकर हाथ-कताईके रूपमें शारीरिक श्रमका वातावरण होना चाहिए और ऐसा वातावरण तैयार करनेका उत्तम तरीका यही है कि कांग्रेसके सदस्य स्वयं कातनेमें अपनी इज्जत समझने लगें।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १-१-१९२५

Gandhi Heritage Portal

४०४. टिप्पणियाँ

दो वादे

एक तमिल प्रतिनिधिने यह वचन दिया है:

वादा करता हूँ कि मैं ३० अप्रैल, १९२५ के पहले, मदुरई शहरमें दस हजार चरखे चलवा दूंगा।

आपका सदाका भक्त,
एल० के० तुलसीराम

श्री तुलसीरामने तमिल प्रतिनिधियोंकी एक सभामें मुझे यह पुर्जा दिया था। दरअसल दस हजार चरखे चलवानेके मानी हैं, उतने सदस्य बनाना। यदि अकेले मदुरा शहरसे दस हजार सदस्य मिल सकते हैं तो सारे तमिलनाडसे कितने सदस्य मिल सकेंगे ?

दूसरा वादा, जो इससे भी अधिक महत्त्वका है, मौलाना जफर अली खाँकी तरफसे मिला है। उन्होंने संकल्प किया है कि मेरा कार्य-काल खत्म होनेतक वे २५,००० मुसलमान कातनेवालोंको सदस्य बना लेंगे। यदि मौलानाको इसमें सफलता मिली तो वे बड़ीसे-बड़ी बधाईके हकदार होंगे — इसलिए नहीं कि लोगोंमें सचमुच रुचि जागनेपर पंजाबमें २५,००० मुसलमान सदस्योंकी संख्या कोई बहुत बड़ी संख्या है, बल्कि इसलिए कि जब इतने सारे लोग कताई सदस्यताके फलस्वरूप एक बड़ी विडम्बनाकी भविष्यवाणी कर रहे हैं, तब मौलाना साहबका इस प्रकार संकल्प करना मेरी रायमें सचमुच अद्भुत है। मैंने मौलानासे कह दिया है कि यदि वे अपना वादा तोड़ेंगे तो मुझे उनके खिलाफ उपवास करना होगा। उन्होंने तड़से उत्तर दिया था कि बेशक वे नहीं चाहते कि मैं खुदकुशी कर लूँ। उन्होंने यह भी कहा कि वे उसे पूरा करना न चाहते और उसको पूरा करना उन्हें नामुमकिन लगता तो वे यह वादा ही न करते। मैं चाहता हूँ कि हर प्रान्तसे ऐसे ही वादे मिलें। लेकिन जोशमें आकर वचन देनेकी जरूरत नहीं। जबतक साथमें अटल संकल्प न हो, तबतक वचन देनेका कुछ भी अर्थ नहीं होता। मैं जानता हूँ कि लड़ाईके दिनोंमें अधिकारियोंकी तरफसे प्रत्येक प्रान्तके लिए एक निश्चित परिमाणमें धन-जनकी मदद देना तय कर दिया जाता था और हरेकको उतना धन-जन जुटाना पड़ता था। उसमें उनको कितना देना होगा, यह मुकर्रर रहता था और न देनेपर उसके साथ दण्डकी व्यवस्था भी थी। परन्तु, क्या इसलिए कि प्रान्तोंको खुद ही अपना कोटा आप मुकर्रर करनेके लिए कहा गया है और इसलिए कि वादा तोड़नेपर कोई सजा तजवीज नहीं की गई है, उन्हें कम काम करना चाहिए ?

Gandhi Heritage Portal

एक इनाम

मेरे अनुरोध करनेपर श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवन झवेरीने चरखा और खादीके सन्देशके विषयपर सबसे बढ़िया निबन्ध लिखनेवालेको एक हजार रुपयेका पुरस्कार देना स्वीकार किया है। निबन्धमें इस उद्योगके विनाशका इतिहास शुरूसे देना होगा और उसके पुनरुद्धारकी क्या सम्भावना है, इसपर चर्चा करनी होगी। अन्य शर्तें अगले अंकमें प्रकाशित की जायेंगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १-१-१९२५

४०५. बोल्शेविज्मका अर्थ

नीचे दिया गया लेख[१] श्री एम० एन० रायने बोल्शेविज्मपर लिखे मेरे लेखके[२] उत्तरमें भेजा है। मैं उसे खुशीसे प्रकाशित करता हूँ, लेकिन यह कहे बिना नहीं रह सकता कि अगर श्री रायके लेखमें बोल्शेविज्मका सही चित्रण हुआ है तो बोल्शेविज्म बहुत घटिया चीज है। जिस तरह मैं पूंजीवादका जुआ बरदाश्त नहीं कर सकता, उसी तरह श्री राय द्वारा वर्णित बोल्शेविज्मका जुआ भी मैं बरदाश्त नहीं कर सकता। मैं मनुष्य-जातिका हृदय परिवर्तन करनेमें विश्वास रखता हूँ, उसके विनाशमें नहीं। कारण बहुत स्पष्ट है। हम सब अत्यन्त अपूर्ण और कमजोर प्राणी हैं और यदि हम सब लोगोंको मारना शुरू कर दें, जिनकी रीति-नीति हमें पसन्द नहीं तो इस पृथ्वीपर एक भी आदमी जीता न बचेगा। भीड़शाही किसी एक व्यक्तिके स्वेच्छा-चारी शासनका ही अत्यन्त बृहत्तर रूप है। लेकिन मैं आशा करता हूँ, बल्कि मुझे लगभग पूर्ण विश्वास है कि बोल्शेविज्मका सच्चा स्वरूप श्री एम० एन० राय द्वारा खींचे गये इस चित्रसे कहीं ज्यादा अच्छा है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १-१-१९२५

१. देखिए परिशिष्ट १

२. देखिए "बोल्शेविज्म या आत्म-संयम", २१-८-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

४०६. पत्र : न० चि० केलकरको

साबरमती जाते हुए
२ जनवरी, १९२५

प्रिय श्री केलकर,

यह सदा मेरी इच्छा और नीति रही है कि दूसरोंकी भावनाओंको ठेस पहुँचाने-के लिए कुछ न लिखूँ। लेकिन इस वर्ष, जबकि मैं आपको अपने पक्षमें लानेके लिए पूरी कोशिशमें लगा हुआ हूँ, तब तो मैं और भी अधिक सावधान रहना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि बिना चाहे भी मैं ऐसी चीजें लिख सकता हूँ जो आपको अर्थात् कांग्रेसको, अच्छी न लगें। इसलिए यदि 'यंग इंडिया' या 'नवजीवन' में कोई ऐसी चीज प्रकाशित हो, जो उचित न हो तो कृपया मेरा ध्यान उसकी ओर आकृष्ट कर दें। जहाँ भी सम्भव होगा, मैं उसका परिमार्जन करनेका प्रयत्न करूँगा।

हृदयसे आपका,
मो० क० गांधी

अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ३११५) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : काशीनाथ केलकर।

४०७. भाषण : दाहोदकी सार्वजनिक सभामें

२ जनवरी, १९२५

कताईके प्रस्तावमें कातनेकी अनिच्छाके सम्बन्धमें जो रियायत दी गई है, मेरी इच्छा है कि उससे कोई गुजराती लाभ न उठाये। मुझे ईश्वरने यरवदा जेलसे भयंकर बीमारीके कारण रिहा करवाया, इसमें मुझे ईश्वरका कोई बड़ा हेतु दिखाई देता है। मुझे लगता है, उसने मुझे इसलिए छुड़वाया है कि मैं देशमें चारों ओर घूम-घूमकर अन्नपूर्णाकी -- चरखेकी -- चर्चा करूँ और उसका सार्वत्रिक प्रचार करूँ। यदि हिन्दुस्तान अभी भी चरखा कातनेके इस सन्देशको नहीं सुनेगा तो देशमें भुखमरी और बढ़ेगी। दाहोद बम्बई हो जाये, उसमें चार-छः लोग लखपति हो जायें तो इसमें मुझे कोई खुशी न होगी। सबको खाने-पीने और कपड़े पहननेका अधिकार है। लेकिन किसीको धन इकट्ठा करके धनवान बन जानेका हक नहीं है। दाहोदमें चार-छः लोग साहूकार बनें, यह मैं नहीं चाहता। मेरी इच्छा तो यह है कि हम खादी घीकी तरह आसानीसे बेच सकें और वह सिक्कों तथा डाककी टिकिटोंकी तरह जहाँ चाहे वहाँ सुलभ हो जाये। जो लोग सूत नहीं कात सकते वे दूसरोंसे कतवाकर सदस्य बन सकते हैं, ऐसी शर्त रखी गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका लाभ कोई

Gandhi Heritage Portal

भी गुजराती न ले। भाई सुखदेवने मुझे कहा है कि उन्होंने सूत कातना छोड़ दिया है। मुझे यह बात मालूम न थी। वे अन्य कार्य करते होंगे, लेकिन वे कातना छोड़ देंगे तो इससे हमारी भारी दुर्दशा होगी। और भाई सुखदेवको कातना अच्छा नहीं लगता सो बात नहीं है, किन्तु उन्हें कातनेमें आलस्य महसूस होता है। मैं किसी गुजरातीसे इन शब्दोंको सुनना नहीं चाहता।

[गुजरातीसे]
नवजीवन, ११-१-१९२५

४०८. भाषण : अन्त्यज आश्रम गोधरामें

२ जनवरी, १९२५

आपने अनेक प्रकारके संवाद और भजन सुने। कौन कह सकता है कि वे संवाद अन्त्यज बालकोंके थे अथवा भगवानकी भक्तिके इन भजनोंको उन्होंने ही गाया। परिषद्का परिणाम ऐसा होगा, यह कौन जानता था? मैंने तो अन्त्यजोंसे सम्बन्धित प्रस्तावपर बोलते हुए सबको अन्त्यज वाड़ेमें जानेका सुझाव दिया था। मैंने समझा था कि परिषद्में गोधराके भाई-बहन हैं, लेकिन मुझसे भूल हुई। इसमें अनेक ऐसे भाई-बहन आये थे जो गोधरा निवासी नहीं थे। हालाँकि उनमें से अधिकतर लोग गुजरातके थे। उस समय हमें काफी धन मिला। हमने उससे अन्त्यज-शाला खोली। परन्तु गोधराके भाइयों और बहनोंने उसका स्वागत नहीं किया, इतना ही नहीं बल्कि उसके प्रति अपनी अरुचि बताई। ऐसी ही स्थिति अन्त्यज भाइयोंकी भी थी। अन्त्यजोंकी पाठशालामें अन्त्यज बालकोंको ही लाना मुश्किल हो गया। एक समय ऐसा आया कि यहाँके कार्यको बन्द करनेके प्रस्तावपर गंभीरतासे विचार करनेका मन हुआ, लेकिन बादमें वह विचार स्थगित कर दिया।

मामा[1] दक्षिणके हैं; लेकिन इन्होंने गुजराती पढ़ ली है। इन्हें अन्त्यजोंका कार्य प्रिय है; यह बात मैंने आश्रममें देखी थी। इन्हें मैंने गोधरामें जमकर बैठनेकी सलाह दी। उसके बाद मैं जेल चला गया। मेरे बाद इसका दायित्व और असह्य बोझ वल्लभभाईने उठाया। इसी बीच यह मकान बना। यह मुझे पसन्द नहीं है। यह अधूरा है, सो बात नहीं, लेकिन यह हमें शोभा नहीं देता। इसकी सुन्दरतामें कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन यह ऐसा होना चाहिए जो हमें शोभा दे। मामा शिल्पी नहीं हैं, लेकिन उनके मनमें प्रेम और भक्ति है। वे अन्त्यजोंके प्रति अपने प्रेममें बह गये और इसमें २०,००० रुपया खर्च कर दिया। वल्लभभाईमें इतना रुपया इकट्ठा करनेकी शक्ति नहीं थी; लेकिन सौभाग्यसे पारसी रुस्तमजीने इस प्रकारके कार्यके लिए कुछ धन दिया था। उसमें से ही इस मकानके लिए पैसा लिया गया। लेकिन यह मकान ऐसा होना चाहिए था जो हमको, अन्त्यजोंको, गरीबोंको शोभा देता। हम लोग गरीब हैं और इसमें भी सबसे गरीब हैं हमारे अन्त्यज भाई। ये बिना मालिकके

१. विट्ठल लक्ष्मण फड़के।

Gandhi Heritage Portal

ढोरों-जैसे हैं। हिन्दुओंने इनका तिरस्कार करके एक पाप किया है। आप ऐसा रुख रखें कि ऐसा आलीशान मकान बन गया है, इस कारण आप उनसे कोई ईर्ष्या न करें। यदि ऐसा मकान वणिक् छात्रावासका हो तो आप ईर्ष्या करें। मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि एक भी ऐसा मकान नहीं होना चाहिए जो हिन्दुस्तानकी जनताको, उसकी गरीबीको शोभा न दे। इससे भी अधिक सुन्दर मकान अनेक हैं जो अन्य वर्णोंके बालकोंके उपयोगमें आते हैं। लेकिन अन्त्यजोंको ऐसे मकानोंको इस्तेमाल करनेका अधिकार नहीं है, ऐसा भाव आपके मनमें कदापि न आना चाहिए। तथापि हमें अन्त्यजोंको भी समझाना चाहिए। मैं तो इसकी चर्चा यहाँ कर ही रहा हूँ; लेकिन यदि गोधराका कोई धनी इस मकानको ले ले तो अच्छा हो और तब हम, जो गरीबोंको शोभा दे, ऐसे किसी अन्य मकानमें चले जायेंगे। तबतक मामा इससे काम लें।

आज मैं अन्त्यजोंके बाड़ेमें तीन जगह गया था। वहाँ मैंने मनुष्य नहीं वरन् पशु देखे। हम इनसे बात करने बैठे तो ये हमें अपनेसे भिन्न प्राणी लगे। परन्तु ये भी प्रेमको समझते हैं। इनकी इस दयनीय स्थितिके लिए हम लोग उत्तरदायी नहीं हैं तो और कौन है? मेरी दृष्टिमें स्वराज्य इन लोगोंकी सेवाकी तुलनामें तुच्छ वस्तु है। अन्त्यजोंकी सेवासे स्वराज्य मिलेगा, इस उद्देश्यसे मैंने यह सेवा आरम्भ नहीं की है। तीस वर्ष पहले जब मैं दक्षिण आफ्रिकामें था और जब स्वराज्यकी बात भी नहीं थी तबसे मैं अपने अन्त्यज-सेवा सम्बन्धी विचार प्रकट करता आ रहा हूँ। आजकल हम हिन्दू-धर्मकी रक्षा नहीं कर रहे हैं; उसका नाश कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि उसे इस नाशसे बचानेके लिए आप यह सेवा-कार्य हाथमें लें। आप ऐसा समझें कि आप लोग जो यहाँ आये हैं, यहाँ आकर अपवित्र नहीं, बल्कि पवित्र हुए हैं। मुझे तो यह कहनेमें भी कोई संकोच नहीं कि जहाँ-जहाँ अन्त्यज-सेवा है, जहाँ-जहाँ अन्त्यज-पाठशाला है, जहाँ-जहाँ अन्त्यज आश्रम हैं, वहाँ-वहाँ तीर्थ हैं। कारण, तीर्थ वहीं होता है जहाँ हम अपने पापोंका परिमार्जन करके भवसागरसे तरनेके लिए तैयार होते हैं। माँ-बाप क्यों तीर्थ-रूप हैं? गुरु क्यों तीर्थ-रूप हैं? यदि हम हृदयसे सेवा करते हैं तो पवित्र बनते हैं। आप इनसे छू गये हैं, इसलिए आपको नहाना चाहिए, ऐसा आप न मानें। यदि आपको पहलेसे मालूम न होता तो क्या आप कह सकते थे कि ये संवाद सुनानेवाले बालक अन्त्यज हैं? यदि हम इन बालकोंपर पूरी मेहनत करें तो ये बालक हम लोगोंसे आगे बढ़ जायेंगे। भंगीके बालकोंमें सद्विचार नहीं आ सकते, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं अनुभवसे कहता हूँ कि यदि हम प्रयास करें तो उनके हृदयमें सद्विचार अवश्य आयेंगे। आप सब लोगोंसे, जो यहाँ आये हैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस अवसरको अन्तिम अवसर न मान लें; आप समय-समयपर यहाँ आकर सहायता देते रहें।

यहाँ अन्त्यज सेवा-मण्डल है, इसके अस्तित्वके लिए हम इन्दुलालके[1] आभारी हैं। इन्होंने भारी सेवा की है। वे जेलमें भी इसीका विचार करते थे। यदि उन्होंने उत्साह-अतिरेकमें कुछ ऐसा काम किया हो जो सम्भव है हमको अच्छा न लगे, तो हमें

१. इन्दुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक।

Gandhi Heritage Portal

उसपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अमृतलाल[1] अपना प्रवास छोड़कर आज यहाँ आये हैं। अब वे ढेढ़ों, भंगियों और भीलोंके गुरु बन गये हैं। इन्दुलालने अन्त्यज सेवा-मण्डल छोड़नेका विचार किया तब मैंने उनसे कहा था, मैं उसे विद्यापीठको सौंप दूंगा। अमृतलालने कहा कि यह संस्था तो रहनी चाहिए। अब इसका बोझ उन्होंने स्वयं उठा लिया है। लेकिन एक मनुष्य कितना बोझ उठा सकता है? आप इनकी मदद भी करें। अन्त्यज-सेवा-मण्डलका कार्य बहुत बड़ा है। वह गुजरातके अन्त्यजोंका नक्शा तैयार कर रहा है। गोधराने एक भी पैसा दिया हो, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि आपके हृदयमें ईश्वर बसता है तो आप भाई अमृतलाल अथवा मामाको पैसा दें। ऐसा आप समझ-बूझकर करें।

[गुजरातीसे]

महादेवभाईनी डायरी, खण्ड ७

४०९. भाषण : गोधराकी सार्वजनिक सभामें

२ जनवरी, १९२५

अन्त्यजोंको जन्मसे अस्पृश्य माननेमें धर्म नहीं; बल्कि अधर्म है। मेरी दृढ़ मान्यता है कि मुझे सनातनी न माननेवाले लोग अज्ञानी हैं। आप कहेंगे कि अनेक पण्डित भी अस्पृश्यताका समर्थन करते हैं। लेकिन उनपर अखा भगतकी यह उक्ति लागू होती है 'बिन विचार विद्या मिथ्या'। हिन्दू धर्ममें एक ही तरहकी अस्पृश्यता है, असन्तोंसे दूर रहनेकी; दुष्ट, पाखण्डी लम्पट और व्यभिचारीसे दूर रहनेकी। उन्हें आप अस्पृश्य मानकर उनसे दूर भागें; लेकिन जो व्यक्ति आपकी सेवा करे, आपका मैला साफ करे, आपके लिए चमड़ा तैयार करे और आपकी खेती [की सिंचाई] के लिए चरसा तैयार करे, उसे क्या आप अस्पृश्य मानेंगे? यह तो हिन्दू धर्म नहीं, पाखण्ड है। यदि हिन्दूधर्म यह कहता हो कि ये लोग अस्पृश्य हैं तो मैं हिन्दूधर्मका त्याग करनेकी सलाह दूंगा। अस्पृश्यताकी यह प्रवृत्ति भ्रम-मात्र है; यदि आपमें दयाभाव हो तो आप भंगीका अज्ञान देखकर रो उठें और आपके मनमें कर्त्तव्य पालनकी भावना जाग्रत हो। आप मेरा त्याग करें, आप मुझे जंगलमें भगा दें और मैं पागल हो जाऊँ तो इसमें दोष मेरा है या आपका? उसी तरह बेचारे भंगी और ढेढ़ दीन-हीन और कंगाल हो गये हैं, उनमें अज्ञानकी कोई हद नहीं है और वे व्यसनी हैं तो इसमें उनका दोष है या आपका दोष है? यह आपका ही दोष है और मैं चाहता हूँ कि आप इस दोषका त्यागकर शुद्ध बनें।

मुझे ईश्वरने यरवदा जेलमें भयंकर बीमारीसे बचाकर आपकी सेवाके लिए मुक्त किया, इसमें मुझे तो उसका कोई बहुत बड़ा हेतु दिखाई देता है और वह हेतु यह है कि मैं आपमें आत्म-विश्वासका संचार करूँ, जेलमें अपने गंभीर चिन्तनके परिणाम स्वरूप बने अपने विचारको आपके समक्ष रखूँ कि तीन शर्तो — चरखा, हिन्दु-मुस्लिम

१. अमृतलाल विट्ठलभाई ठक्कर।

Gandhi Heritage Portal

एकता और अस्पृश्यता-निवारण -- में ही स्वराज्य निहित है। मैंने चरखेकी बात सबसे पहले रखी है, उसका कारण यह है कि उपर्युक्त तीनों बातोंमें केवल चरखेकी बात ही ऐसी है जिसके सम्बन्धमें हममें अविश्वास है और दूसरा कारण यह है कि चरखा ही एक ऐसी वस्तु है जो हर रोज हमसे खरा काम माँगता है। यदि मैं रोज हिन्दू-मुस्लिम एकता अथवा अस्पृश्यता-निवारणके लिए आधा घंटा काम करना चाहूँ तो मेरी समझमें नहीं आयेगा कि क्या करूँ। लेकिन आधा घंटा चरखा चलानेमें प्रत्यक्ष काम होता है। यह जड़पदार्थ है; लेकिन इसमें निहित शक्ति अमोघ है। इसको चलानेके लिए आप सब तैयार हो जायें, ऐसी मेरी इच्छा है। खादीका कपड़ा आपको मोटा लगता है। आपका कहना है कि खादी तो चुभती है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको यह देश चुभता है और जिसे देश चुभता है, वह स्वराज्य क्या प्राप्त करेगा? तिलक महाराज कहा करते थे कि जब लोग जलवायु-परिवर्तनके लिए विदेश जानेकी बात करते हैं तब मुझे तो दुःख होता है। ईश्वरने मुझे यहाँ उत्पन्न किया है तो क्या उसने मुझे मेरे लिए इसी जलवायुमें स्वस्थ बने रहनेकी बात न सोची होगी? इंग्लैंडमें अत्यधिक ठण्ड होनेके बावजूद क्या अंग्रेज इंग्लैंड छोड़कर भागते हैं? घरमें सिगड़ी सुलगाते हैं, गरम कपड़े पहनते हैं और ठण्डसे बचनेके लिए अनेक उपाय करते हैं। लेकिन जिनके पास करोड़ों रुपये हैं, वे लोग करें तो क्या करें? वे जलवायु-परिवर्तनका विचार करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि यह उनका पाखण्ड है। उसी तरह हम यहाँकी बनी, महँगी-सस्ती, अच्छी-बुरी, मोटी-पतली खादी पहनें, इसीमें हमारी स्वदेश-भक्ति है और नहीं तो स्वदेशका नाम लेना निरर्थक है। क्या कोई माँ अपने कुरूप पुत्रको छोड़ दूसरीके अच्छे बच्चेको गोदमें लेगी? बालकके प्रति माँके हृदयमें ईश्वरने जो प्रेम और ममत्व पैदा किया है, मेरी इच्छा है कि वही प्रेम और ममत्व आपके हृदयमें हिन्दुस्तानके लिए हो, हिन्दुस्तानमें पैदा होनेवाले अन्नके लिए हो, खादीके लिए हो। यदि गोधराका प्रत्येक व्यक्ति पाँच रुपये मूल्यकी खादी तैयार करे तो २५००० की आबादीमें कितने रुपयोंकी बचत हो? यदि आप यह रुपया बचा लें तो गोधराके निवासी अधिक खुशहाल हो जायें। उससे आपका तेज बढ़ेगा और आपका देश-प्रेम छलक उठेगा। चरखा चलाना ही एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें स्त्री-पुरुष और बालक, गरीब और अमीर सब समान योग दे सकते हैं तथा जिससे भारी फलकी उपलब्धि हो सकती है। 'बूंद-बूंदसे सरोवर भरता है' इस कहावतपर आप विचार करें और प्रति व्यक्ति दो हजार गज सूत देकर स्वराज्य रूपी सरोवरको भरते रहें। वामनराव विधान-सभामें जायें और वहाँ जाकर सरकारको आँखें दिखायें तो क्या आप समझते हैं, इससे आपको स्वराज्य मिल जायेगा। मैं तो कहता हूँ कि आप विधान-सभामें जायें तो वहाँ भी सूत और खादीकी ही पुकार करें। लेकिन यदि आप विदेशी कपड़ेका बहिष्कार न कर सकें तो चाहे वल्लभभाई अथवा वामनराव-जैसे पाँच हजार लोग विधान सभामें जायें, पर इससे स्वराज्य नहीं मिलेगा।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ११-१-१९२५

Gandhi Heritage Portal

४१०. काठियावाड़ियोंसे

परिस्थितियाँ मुझे काठियावाड़ ले जा रही हैं। काठियावाड़ियोंके प्रेमको मैं समझता हूँ, पहचानता हूँ। लेकिन मुझे तो काम चाहिए। मैं अपनी पद्धतिमें और आजके शिक्षित वर्गकी पद्धतिमें भेद देख रहा हूँ। इस भेदके बावजूद मेरा अध्यक्ष बनाना हास्यास्पद है। मैंने जिन प्रस्तावोंका मसविदा तैयार किया था वे यद्यपि कांग्रेसमें पारित हो चुके हैं तथापि अनेक लोग मुझसे कहते हैं कि इन प्रस्तावोंपर अमल कोई नहीं करेगा। ऐसी भयंकर बातपर मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ।

मेरे पास जिस तरह कांग्रेसके सम्मुख कहनेके लिए कोई नई बात नहीं थी, उसी तरह कदाचित् काठियावाड़से कहनेके लिए भी न हो। सत्य तो यह है कि मुझे जो-कुछ कहना था वह सब मैं कह चुका हूँ। मुझे तो हेर-फेरके साथ केवल उन्हीं बातोंको दुहराना है। मेरा मन तो केवल गरीबोंमें ही रमा रहता है, मुझे तो भंगियोंके लिए, मजदूरोंके लिए स्वराज्य चाहिए। वे किस तरह सुखी हों, मैं हर पल इसी बातपर विचार करता रहता हूँ। हम उनके कन्धोंपर से कब उतरेंगे? हमें अपने अधिकारोंकी पड़ी है, किन्तु मुझे तो गरीबोंके अधिकारोंकी और अपने कर्त्तव्यकी बात करनी है।

यदि मैं अपनी बात काठियावाड़ियोंको समझा सकूँ तो कितना अच्छा हो। क्या यह ऐसी बात है जो सम्भव नहीं? मनुष्य आशापर जीता है। यही बात मेरे सम्बन्धमें भी है। किसी-न-किसी दिन हिन्दुस्तानको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। इसका आरम्भ काठियावाड़ ही क्यों न करे?

व्यवस्थापकोंने मेरे लिए वातावरण तैयार करनेका बीड़ा उठाया है। वे मेरे लिए इतना तो करेंगे ही कि जहाँ देखूँ वहाँ खादी नजर आये। वे काठियावाड़की कारीगरी और कलाओंकी प्रदर्शनी भी अवश्य रखेंगे। बेलगाँवमें प्रदर्शनी कितनी सुदर थी? काठियावाड़में क्या कम कलाएँ हैं? काठियावाड़की वनस्पतियोंमें क्या नहीं है? काठियावाड़के गाय-बैल कितने सुन्दर हैं? क्या उनके दर्शन होंगे? मैं पश्चिमकी महिमा देखने नहीं जाता, वह तो मैंने पश्चिममें ही बहुत देखी है। लेकिन मैं तो देशसे निर्वासित देशी वस्तुओंका स्मरण करता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ।

काठियावाड़ अपनी शिष्टताके लिए तो प्रसिद्ध है ही। स्वागत समितिसे मेरी प्रार्थना है कि वह शिष्टताकी अतिमें समय नष्ट न करे। समयकी मर्यादा नहीं है, किन्तु मनुष्य-देहकी तो है। हमें इस क्षणभंगुर शरीरकी सहायतासे अनेक काम करने हैं, इसलिए हमें एक-एक क्षणका सदुपयोग करना उचित है।

इस कारण मैं चाहता हूँ कि कार्यवाहक इस बातकी सावधानी रखें कि अपना प्रत्येक कार्य हम समयपर कर सकें। जिन-जिन प्रस्तावोंको परिषद्में रखना आवश्यक लगता हो, यदि उनके मसविदे पहलेसे तैयार कर लिये गये होंगे तो हम उनपर

Gandhi Heritage Portal

पर्याप्त विचार कर सकेंगे। मेरी सलाह है कि विषय समितिकी बैठकके लिए पर्याप्त समय रखा जाये। प्रस्तावोंकी रचनामें अपने कर्त्तव्योंपर विशेष जोर दिया जाये तो हम अधिक सफल होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रस्ताव इस बातको ध्यानमें रखकर ही तैयार किये जायें।

समय बचानेका एक मार्ग तो मैं सुझा दूँ। आप स्वागत हृदयसे करें। इससे आपकी समझमें आ जायेगा कि बाह्य स्वागतकी कोई आवश्यकता नहीं है।

जुलूस आदिमें समय लगाना तो हमें जो असली कार्य करना है उसमें चोरी करनेके समान होगा। दो दिनमें छब्बीस लाख लोगोंकी सेवाका कार्यक्रम बनाना है, आपको यह बात न भूलनी चाहिए। हजारों स्त्री-पुरुष इकट्ठे होंगे, उनको संतोष देनेके लिए कितनी ही बाह्य वस्तुओंकी आवश्यकता होगी। इसके लिए तो प्रदर्शनी-जैसी दूसरी कोई वस्तु नहीं है, यह हम बेलगाँवमें देख चुके हैं।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ४-१-१९२५

४११. मनसे और बेमनसे

कांग्रेसका काम निर्विघ्न समाप्त हो गया। काम एक ही था, अगर ऐसा भी कहें तो गलत न होगा। वह काम यह स्वीकार करना था कि सूत कातना भारतीय-मात्रका धर्म है। यदि यह बात प्रामाणिकताके साथ स्वीकार की गई हो तो कांग्रेसका यह अधिवेशन हमारे इतिहासमें प्रसिद्ध हो जायेगा; और यदि यह कदम हमने अप्रामाणिकताके साथ उठाया होगा तो इतिहासकार कांग्रेसके इस अधिवेशनको निन्द-नीय ठहरायेंगे।

मेरे पास तो ऐसा माननेका एक भी कारण नहीं कि यह कदम अप्रामाणिकता-के साथ मनमें मैल रखकर उठाया गया है। जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया, स्वयं उस प्रस्तावमें ही मनसे और बेमनसे स्वीकार करनेवाले दो पक्षोंका उल्लेख किया गया है। बेमनसे स्वीकार करनेवालोंने भी कातनेकी आवश्यकताको तो मान लिया है, किन्तु यह स्वीकार नहीं किया कि वे स्वयं कातेंगे। इन्होंने भी वर्षमें २४,००० गज सूत देनेकी बात मान ली है, किन्तु वे यह काम खुशीसे करें, इसे सम्भव बनाना उनका काम है, जिन्होंने प्रस्तावको पूरे मनसे स्वीकार किया है। यदि खुशी-खुशी कातनेवाले लोग नियमित रूपसे कातने लगें तो दूसरे पक्षवाले स्वयं कातनेके धर्मको मानने लगेंगे।

आशा करनी चाहिए कि गुजरातमें बेमनसे स्वीकार करनेवाला पक्ष है ही नहीं। मनसे स्वीकार करनेवालोंकी संख्या भले ही बहुत कम हो, हमें उसकी चिन्ता हरगिज नहीं करनी चाहिए। हम चिन्ता कामकी करें। कोई स्वयं न काते, फिर भी कांग्रेसमें आना चाहे तो उसे ऐसा करनेका पूरा-पूरा अधिकार है।

Gandhi Heritage Portal

किन्तु गुजरातमें ऐसा कोई पक्ष देखनेमें नहीं आया है जो स्वयं कातनेके विषयमें उदासीन हो। कातनेवालोंकी संख्या भले ही प्रारम्भमें छोटी हो, किन्तु यदि हमें वैसे चुस्त लोग मिल जायेंगे तो हम उनकी मार्फत बहुत सारा काम करा सकते हैं, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

यदि गुजरात चाहे तो वह इस मामलेमें अगुआ बन सकता है। सारे साधन गुजरातमें हैं। आवश्यकता सिर्फ इस बातकी है कि जनतामें उसके प्रति इच्छा हो। इच्छा उत्पन्न करना कार्यकर्त्ताओंका काम है और इसीमें हमारी संगठन-शक्ति, देश-भक्ति, दृढ़ता आदिकी कसौटी होनी है।

कातनेके प्रचारका अर्थ है खादी-प्रचार और खादी-प्रचारका अर्थ है विदेशी कपड़ेका परिपूर्ण बहिष्कार। इसलिए अभीतक खादी-प्रचारके लिए जितना किया है, उससे बहुत अधिक प्रयत्न हमें करना है। फिर, खादी-प्रचारका अर्थ है, गुजरातकी खादीका प्रचार। जबतक गुजरात स्वयं अपना कपड़ा तैयार करके उसीका उपयोग नहीं करता तबतक गुजरातमें खादीका चमत्कार दिखाई नहीं पड़ सकता। खादी-प्रचारके साथ-साथ गुजरातमें अन्य सभी कलाएँ अपने-आप आ जायेंगी और गुजरातकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

गुजरातमें भुखमरी भले ही न हो, किन्तु उसमें तेज भी नहीं है। यहाँके बालकोंको दूध नहीं मिलता और जब-कभी यहाँ अकाल पड़ जाता है तो यहाँके लोग भीख माँगने निकल पड़ते हैं। हिन्दुस्तानके बाहर कदाचित् ही कहीं ऐसा होता हो। विदेशी कपड़ेके सम्पूर्ण बहिष्कारके बाद ही गुजरात इस स्थितिसे छुटकारा पा सकता है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ४-१-१९२५

४१२. पत्र : रेहाना तैयबजीको

५ जनवरी, १९२५

प्रिय रेहाना,

मुझे खुशी है कि तुम आ रही हो। तुम्हें शायद मालूम हो कि मेरे पिताके एक मित्र ईश्वरकी निरन्तर आराधना करके अपने रोगसे मुक्त हो गये थे। क्या तुम भी वैसा नहीं कर सकती? अगर तुम चाहो तो ठीक हो सकती हो।

तुम्हारा,

मो० क० गांधी

अंग्रेजी पत्र (एस० एन० ९५९९) की फोटो-नकलसे।

Gandhi Heritage Portal

४१३. पत्र : फूलचन्द शाहको

पोष सुदी ११, १९८१ [५ जनवरी, १९२५]

भाईश्री फूलचन्द,

यदि किसी कार्यक्रमको हाथमें लेनेकी बात सोची तो भावनगर पहुँचनेके बाद ही लूँगा। अभीसे आप मुझे न बाँधिये। मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे अभी भी अनेक योजनाओंमें भाग लेना बाकी है।

बापूके आशीर्वाद

भाईश्री फूलचन्द कस्तूरचन्द
केळवणी मण्डल कार्यालय,
वढ़वान शहर

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २८२४) से।
सौजन्य : शारदाबहन शाह

४१४. पत्र : अवन्तिकाबाई गोखलेको

पोष सुदी ११, १९८१ [५ जनवरी, १९२५]

प्रिय बहन,

चिरंजीव छगनलालने मुझे आपकी आर्थिक स्थितिके बारेमें बताया है; सुनकर दुःख हुआ। आपने इस सम्बन्धमें मुझसे आजतक कुछ क्यों नहीं कहा? खैर जो हुआ सो हुआ। आप दोनों जब चाहें तब यहाँ आकर रह सकते हैं। आप इसे अपना घर ही समझियेगा। डाक्टर मेहताका बंगला फिलहाल खाली ही पड़ा है। उसके एक हिस्सेका उपयोग आप कर सकेंगी। नया मकान बनानेका विचार हम बादमें करेंगे। यह सुझाव आपके स्वास्थ्यको ध्यानमें रखकर मैंने पहले ही दिया था। आप सार्वजनिक-कार्य यहाँ भी कर सकेंगी। निर्णय करनेमें देर न लगाइये। वहाँ भला कैसे आ सकती हूँ — ऐसा व्यर्थका विचार मनमें हरगिज न लाइये।

अपने स्वास्थ्यका समाचार लिखियेगा। पत्रोत्तर भावनगर भेजिये। वहाँ ८ तारीखसे १३ तारीखतक रहनेका मेरा विचार है। पत्र सर प्रभाशंकर पट्टणीके पतेपर लिखियेगा

मोहनदासके वन्देमातरम्

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४८३८) की फोटो-नकलसे।
सौजन्य : बम्बई राज्य कमेटी, सं. गां. वां.।

Gandhi Heritage Portal

४१५. पत्र : कपिल ठक्करको

आश्रम
साबरमती
पोष[1] सुदी ११, १९८१ [५ जनवरी, १९२५][2]

भाईश्री कपिल,

आपका पत्र मिला। खेद है कि मैं इस बार बोटाद न जा सकूँगा। मुझे जरा भी समय नहीं मिलता।

मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्

भाईश्री कपिल ठक्कर,
भावनगर

गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २८९६) से।
सौजन्य : कपिल ठक्कर

४१६. पत्र : प्रभाशंकर पट्टणीको

पोष सुदी ११, १९८१ [५ जनवरी, १९२५]

सुज्ञ भाईश्री,

मैं यह कह देना उचित समझता हूँ कि मेरे साथ लक्ष्मी (अन्त्यज बालिका) भी होगी। इस कारण यदि किसी भी स्थानपर मेरी उपस्थिति आपत्तिजनक मानी जाये तो मुझे इशारा-भर कर दीजियेगा; मैं समझ जाऊँगा और वहाँ न जानेका आग्रह मैं स्वयं करूँगा, ताकि किसीकी स्थिति विषम न हो जाये। इस सबका भार आपपर ही डाल रहा हूँ।

मोहनदासके वन्देमातरम्

मूल गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ३१८८) से।
सौजन्य : महेश पट्टणी

१. साधन-सूत्रमें मार्गशीर्ष दिया हुआ है।
२. डाककी मुहरसे।

Gandhi Heritage Portal

४१७. पत्र : लक्ष्मीनिवास बिड़लाको

पोष सुदी ११ १९८१ [५ जनवरी, १९२५]

चि० लक्ष्मीनिवास,

तुमारा खत मिला। मुझे बहोत आनंद हुआ।

सच्च है कि सबको चर्खा चलाना चाहिये। जैसे इस जगत्का चक्र एक क्षण भी बंध नहि होता है ऐसे ही चर्खा किसी रोज कोई भारतवर्षके घरमें बंध रहना न चाहिये। धनिकोंके लीये में चर्खाको ज्यादह आवश्यक समझता हुं। मेरी उमेद है कि सब चर्खा चलावेंगे और सूत मुझें भेजेंगे।

शुभेच्छक,
मोहनदास गांधीका आशीर्वाद

मूल पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१०१) से।
सौजन्य: घनश्यामदास बिड़ला

४१८. तार: प्रभाशंकर पट्टणीको

साबरमती
७ जनवरी, १९२५

सर प्रभाशंकर पट्टणी
भावनगर

आपका तार पानेसे पहले मैं स्वागत समितिको जवाब दे चुका था। परिषद्के[1] दौरान मैं उनकी मानूंगा। यही उचित और आवश्यक लगता है कि उन्हींका अतिथि रहूँ। मुझे आगेवालोंके लिए अटपटा उदाहरण स्थापित नहीं करना चाहिए। देवचन्द भाई[2] सहमत हैं और ठीक ही आग्रह करते हैं कि मैं स्वागत समितिका अतिथि होऊँ। अतः नौ तारीखतक कृपया क्षमा करें।

गांधी

अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ५८७५) की फोटो-नकल तथा सी० डब्ल्यू० ३१८९ से।

१. तृतीय काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्।
२. देवचन्द पारेख, वकील; काठियावाड़के सामाजिक कार्यकर्ता।

Gandhi Heritage Portal

४१९. कार्य समिति

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने कार्य समितिके सदस्य चुननेका जिम्मा आखिर श्री देशबन्धु दास, पण्डित मोतीलाल नेहरू और मुझपर छोड़ दिया था। मुझपर यह आक्षेप लगाया गया है कि मैंने स्वराज्यवादियोंकी हर माँग मानली है। यदि मैंने ऐसा किया हो तो मुझे इसका फख्र है। पूर्ण समर्पण तो पूर्ण ही होना चाहिए। फिर भी हकीकत यह है कि किसी भी अपरिवर्तनवादीका नाम वापस लेनेके लिए मुझपर किसी प्रकारका दबाव नहीं डाला गया। मैंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्री वल्लभभाई पटेल और शंकरलाल बैंकरके नाम जान-बूझकर निकाल दिये। समितिमें श्रीमती सरोजिनी देवी और सरदार मंगलसिंहका होना एक सम्मानकी बात है। श्री केलकर, श्री अणेके हकमें अपनी जगह खाली कर देनेको बहुत उत्सुक थे, लेकिन यह बात मुझे मंजूर नहीं थी। दूसरी ओर श्री अणेका नाम आते ही मुझको लगा कि उनको भी उसमें अवश्य होना चाहिएं। पाठक विश्वास रखें कि यह सारा चुनाव सोलहों आने मैत्रीकी भावनासे किया गया है। मान लीजिए कि दोनों पक्षोंके लोग जो-कुछ कह रहे थे, ईमानदारीसे कह रहे थे (और ऐसा ही मानना भी चाहिए) तो यह बात आसानीसे समझमें आ जायेगी कि यह काम दोनोंके लिए कितना कठिन था। यद्यपि उनके विश्वासकी मात्राओंमें फर्क है और इसीलिए उनका जोर जुदा-जुदा बातोंपर है, फिर भी दोनोंको इस सामान्य कार्यक्रमको पूरा करनेके लिए एक सामान्य तरीका ढूँढ़ निकालनेका प्रयत्न करना है। बेशक, अपरिवर्तनवादियोंके निश्चित बहुमतवाली कार्यसमितिमें खादी सम्बन्धी कार्यके सिलसिलेमें जोरदार प्रस्ताव पास हो सकते हैं, लेकिन उन लोगोंके नजदीक उनका कुछ भी वजन न होगा जिन्होंने कि खादी-सदस्यताकी शर्तको बेमनसे कबूल किया था। इसके विपरीत जिस समितिमें स्वराज्यवादियोंका बहुमत होगा उसके प्रस्ताव नरम ढंगके भले ही हों, किन्तु स्वराज्यवादी लोग उन्हें कहीं अधिक महत्त्व देंगे और मेरा काम तो यह है कि स्वराज्यवादियोंको तहे-दिलसे इस काममें अपना साथी बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना असर उनपर डालूँ और वे अपना मुझपर डालें। इसलिए इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती कि स्वराज्यवादी दलके नेता और उनमें भी योग्यतम और कताई सदस्यताके कट्टरसे-कट्टर विरोधी नेता और मैं मिलकर ऐसे वातावरणमें काम करें, जिसमें हमें एक-दूसरेके साथ मिलकर ही काम करना पड़े। लेकिन जिनको खुद ही इस बातका शौक और विशेष उत्साह है, उनके साथ ऐसा सम्पर्क रखनेकी आवश्यकता मुझे नहीं है। वे तो अपने विश्वासके अनुरूप यथाशक्य काम करेंगे ही। उन्हें काम करनेका उत्साह दिलानेके लिए प्रस्तावों या हिदायतोंकी जरूरत नहीं। इसलिए यदि हम चाहते हों कि इस एक सालमें कांग्रेसके दोनों पक्षोंमें अटूट एकता स्थापित हो जाये तो मेरी रायमें कार्य समितिका चुनाव एक आदर्श चुनाव है। जो भी हो, इसके

Gandhi Heritage Portal

परिणामस्वरूप ऐसा वातावरण तो तैयार होगा ही, जो इस उद्देश्यके लिए अधिकसे-अधिक अनुकूल होगा।

मैं लक्ष्यपर पहुँचनेके लिए अपनी तरफसे कुछ न उठा रखूंगा। इसलिए इस साल मैं ऐसा कोई भी प्रस्ताव पास नहीं कराना चाहता, जिसे इस या उस पक्षका कहा जा सके। यदि खुद कांग्रेसमें ही घोर विरोध चलता रहे तो न चरखा और न विदेशी कपड़ोंके बहिष्कारका कार्यक्रम ही तेजीसे चल सकेगा। सच तो यह है कि हमें राष्ट्रीय रचनात्मक कार्यक्रमके लिए कांग्रेसके बाहरके लोगोंका भी समर्थन प्राप्त करनेकी कोशिश करनी चाहिए। वे चाहे सदस्यताकी शर्तके तौरपर कताईको या खादी पहननेको पसन्द न करते हों, लेकिन लिबरलोंमें भी जिन-जिनसे मैं मिला हूँ, उनमें से ऐसे बहुत लोग नहीं हैं जिनको कुटीर उद्योगके तौरपर कताईपर और सदस्यताकी शर्तके अलावा और किसी कारणसे खादी पहननेपर किसी भी प्रकारकी आपत्ति हो। हो सकता है कि कांग्रेसकी वर्तमान नीति और ध्येयको या सदस्यताकी इस नई शर्तको स्वीकार करके कांग्रेसमें शामिल होना सभी दलोंके लिए अपने-अपने संविधानोंकी दृष्टिसे सम्भव न हो; लेकिन मैं आशा करता हूँ कि कांग्रेसकी वर्तमान नीति और ध्येय तथा सदस्यताकी यह नई शर्त, जहाँ सम्भव हो वहाँ, हमारे एक साथ मिलकर काम करनेमें बाधक नहीं बनेगी।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ८-१-१९२५

४२०. बेलगाँवके संस्मरण [-२]

नामधारी सिख

मुझसे मुलाकात करनेके लिए सामूहिक रूपसे अथवा अकेले-अकेले आनेवाले सब लोगोंसे मिलने और उनकी शंकाओंका समाधान करनेमें मुझे बड़ी मुश्किल पड़ी। नामधारी सिख कागजोंका एक पुलिन्दा लेकर मेरे पास आये। वे चाहते थे कि अकालियोंके खिलाफ उनकी शिकायतको मैं गौरसे सुनूं। उनकी नम्रता और धीरज देखकर मेरी अनिच्छा भी जाती रही। लेकिन उनकी शिकायतोंको न सुननेकी वजह अनिच्छाकी बनिस्बत मेरी मजबूरी ही अधिक थी। उनकी नम्रता देखकर भी समय तो नहीं ठहर जाता। वे स्वयं भी समझ गये कि मैं बिलकुल मजबूर हूँ। मैं उनको सिर्फ यही तसल्ली दे सका कि जब मैं फिर कभी लाहौर आऊँगा तो उनके कागजात देखूंगा और इस बातका खयाल रखूंगा कि काँग्रेसकी तरफसे उनके साथ किसी प्रकारका अन्याय न होने पाये। मैंने उनसे कहा कि बहादुर अकालियोंके ध्येयके प्रति मेरे मनमें विशेष सहानुभूति अवश्य है, पर मैं उनके द्वारा किये जानेवाले अन्याय या अत्याचारका कभी भी समर्थन नहीं करूँगा। सरदार मंगलसिहने भी मेरे इस भावके अनुरूप उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि अकाली लोग यह सिद्ध करनेके लिए हमेशा

Gandhi Heritage Portal

तैयार हैं कि वे एक सर्वथा नैतिक आधारपर गुरुद्वारोंके सुधारके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते।

बौद्धोंकी शिकायत

लंकाके श्री परेरा चाहते थे कि मैं कांग्रेसको बुद्ध-गयाके मन्दिरके सवालमें दिलचस्पी लेनेके लिए प्रेरित करूँ। पाठकोंको शायद याद होगा कि पिछले कुछ सालसे एक आन्दोलन चला आ रहा है कि गयाका विशाल ऐतिहासिक बुद्ध मन्दिर फिरसे बौद्धोंके हवाले कर दिया जाये। लेकिन मालूम होता है, अभी आन्दोलन कोई खास आगे नहीं बढ़ पाया है। कोकोनाडा कांग्रेसने बाबू राजेन्द्रप्रसादको इस मामलेकी जाँच करके रिपोर्ट पेश करनेके लिए मुकर्रर किया था। इस बैठकतक वे यह नहीं कर सके थे। कांग्रेस सप्ताहके दौरान लंकासे बौद्धोंका एक शिष्टमण्डल कांग्रेसके सामने बौद्धोंका पक्ष स्वयं पेश करनेके लिए बेलगाँव आया था। श्री परेरा कुछ नेताओं-से मिलकर फिर मुझसे मिले। वास्तवमें उनको मेरे सामने वह सब पेश करनेकी जरूरत ही न थी। मैं तो पहलेसे उन्हींके मतका था। लेकिन यहाँ भी वही समस्या थी। मैं करता क्या? मैंने जो काम पहले ही हाथमें ले रखा था, उसके सिवा और कार्य करनेकी मुझे फुरसत ही न थी। लेकिन श्री परेराको टालना भी मुश्किल था। मैंने उनसे कहा कि मुझे भी उनकी बातमें उतना ही विश्वास है जितना कि उन्हें स्वयं है, लेकिन कांग्रेस शायद उनकी ज्यादा मदद न कर सकेगी। पर वे डटे रहे और आखिर मुझे इस बातपर राजी होना ही पड़ा कि वे विषय समितिमें उपस्थित होकर अपनी बात कहें और फिर अगर समितिको उनकी बातें अस्वीकार हों तो वे सीधे उसीके मुँहसे अस्वीकृति सुनें। श्री परेरामें आत्मविश्वास था। उनके मीठे बरताव और संक्षिप्त लेकिन सुन्दर भाषणकी छाप समितिपर अच्छी पड़ी और उसने उसी वक्त उसपर विचार करनेका निश्चय किया। लेकिन, अफसोस! बहसके बाद समिति इस निष्कर्षपर पहुँची कि वह श्री परेराको कोई खास मदद नहीं दे सकती; उसे अपने प्रतिनिधिकी रिपोर्ट तबतक नहीं मिली थी। और पिछले साल इस विषयपर काफी विस्तारसे चर्चा हो चुकी थी, लेकिन तीव्र मतभेदके कारण उसे इस विषयको छोड़ देना पड़ा था। इसलिए समिति सिर्फ इतना ही कर सकी कि उसने राजेन्द्र-बाबूसे कहा कि जल्दीसे जाँच करके चालू महीनेके आखिरतक या उससे पहले अपनी रिपोर्ट वे कार्य समितिमें पेश कर दें। हाँ, इसमें तो शक नहीं कि मन्दिरका कब्जा बौद्धोंके ही हाथोंमें होना चाहिए। इसमें कुछ कानूनी अड़चनें पेश आ सकती हैं। उन्हें दूर करना होगा। यदि वह खबर सच है कि उस मन्दिरमें पशुओंकी बलि दी जाती है तो बेशक यह मन्दिरकी पवित्रता भंग करना है और जैसा कि कहा जाता है, पूजा भी ऐसे तरीकोंसे की जाती है जिनसे बौद्धोंका दिल दुखता है तो यह भी मन्दिरकी पवित्रताको भंग करनेवाला काम है। मन्दिरके असल हकदारोंको मन्दिरका कब्जा दिलानेमें सहायता करना हमारे लिए गर्वकी बात होनी चाहिए। मुझे आशा है कि राजेन्द्रबाबू इस विषयसे सम्बन्धित सभी कागजात इकट्ठा करेंगे और उनके आधारपर ऐसी परिपूर्ण रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिससे कि इस मामलेमें बौद्धोंकी सहा-

Gandhi Heritage Portal

यता करनेके इच्छुक सभी लोगोंको मार्ग-दर्शन और सहायता मिले। मुझे यह भी आशा है कि श्री परेरा भारतमें ही रहकर राजेन्द्रबाबूकी मदद करेंगे।

शिक्षक-सम्मेलन

राष्ट्रीय शिक्षकोंका भी एक अनौपचारिक सम्मेलन हुआ और उसमें वे कुछ निश्चित परिणामोंपर पहुँचे। बहस खासी दिलचस्प रही। सारी बहसका केन्द्र चरखा ही था। अच्छे-अच्छे विद्वान् सम्मेलनमें आये थे। मुझे आशा है, शिक्षक लोग शिक्षकोंके लिए ही पास किये गये उन प्रस्तावोंपर ठीक-ठीक और शब्दशः अमल करेंगे। प्रस्तावोंको पास करके उनपर कभी अमल न करना हमारे राष्ट्रीय जीवनका एक अभिशाप रहा है। यों ही बेमतलब वचन देना शिक्षकोंके लिए तो सबसे ज्यादा अशोभनीय है। देशके युवकोंको एक सही साँचेमें ढालनेका काम उन्हींके हाथोंमें है। उन्हें यह बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि विद्यार्थी लोग इन प्रस्तावों और वचनोंकी पवित्रताके सम्बन्धमें उनके लम्बे-चौड़े प्रवचनोंसे प्रभावित होनेकी बजाय उनके वचन-भंगके बुरे उदाहरणका अनुकरण कहीं अधिक तत्परतासे करेंगे। राष्ट्रके लिए यह साल एक आजमाइशका साल है। कांग्रेसने लगभग एक ही चीजके लिए अपना सर्वस्व दाँवपर लगा दिया है अर्थात् खादी पैदा करने और विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार करनेके लिए। राष्ट्रीय पाठशालाएँ तभी राष्ट्रीय कहलायेंगी जब वे राष्ट्रीय कार्यमें मदद करेंगी। इसके लिए उनके शिक्षकोंको, छात्र-छात्राओंको वे तमाम काम सीखने होंगे जिनकी जरूरत खादी पैदा करनेमें पड़ती है। उन्हें स्वयं खादी पहननी होगी और जितना कात सकें कातना होगा। इसके लिए जरूरी नहीं कि वे अपनी दूसरी पढ़ाईकी उपेक्षा करें, लेकिन उन्हें उन बातोंकी उपेक्षा तो हरगिज नहीं करनी है, जो राष्ट्रके लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। शिक्षकोंने बहुत बड़े बहुमतसे इस बातको स्वीकार किया है। मैं आशा करता हूँ कि वे अपने वचनके अनुसार कार्य करके इसको सफल बनायेंगे।

विद्यार्थी

विद्यार्थियोंका भी एक सम्मेलन हुआ है। उनमें केवल राष्ट्रीय पाठशालाओं और विद्यालयोंके ही विद्यार्थी नहीं, बल्कि अधिकांशतः सरकारी पाठशालाओंके ही विद्यार्थी थे। विद्यार्थियोंके छुट्टीके दिनों और दूसरे खाली समयका उपयोग करनेकी एक योजना सभापति श्री रेड्डीने तैयार की थी। उनकी योजना यह थी कि सभी विद्यार्थी (वे वकीलोंको भी उनमें शामिल करना चाहेंगे) कमसे-कम एक सालमें २८ सायंकाल राष्ट्रको देनेकी प्रतिज्ञा लें। प्रत्येक स्वयंसेवक विद्यार्थी अपने पड़ोसके चार गाँवोंको अपने क्षेत्रीय कार्यके लिए चुन ले। श्री रेड्डीने भिन्न-भिन्न विषयोंपर एक व्याख्यान-माला आयोजित करनेकी सलाह दी। मैं तो अभी इन स्वयंसेवकोंके अवकाशके समयका उपयोग सिर्फ खादीके प्रचारमें ही कराना चाहता हूँ। लेकिन सेवाका यही एक मार्ग तो नहीं है जिसका अनुसरण करके विद्यार्थी और वकील लोग सहायता कर सकते हों। बेशक वे कमसे-कम इतना तो कर ही सकते हैं कि स्वयं खादी पहनें और रोज

Gandhi Heritage Portal

आधा घंटा कातें। वकीलों और इक्कीस सालसे अधिक आयुके विद्यार्थियोंको कांग्रेसके सदस्य बन जाना चाहिए और जिनकी उम्र कम हो उन्हें अपना सूत भेंटके तौरपर अपनी समितिको या अखिल भारतीय खादी बोर्डको भेजना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ८-१-१९२५

४२१. टिप्पणियाँ

प्रान्तीय कमेटियोंके लिए

मैं आशा करता हूँ कि प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ नई शर्तके अनुसार सदस्य बनानेके कार्यमें तत्काल जुट जायेंगी। मैं जानता हूँ कि कुछ कांग्रेस-जन नये सदस्य बनानेका काम शुरू करनेसे पहले कामके तरीकेके बारेमें कार्य समितिकी हिदायतोंकी राह देख रहे हैं। लेकिन इस तरह राह देखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। नई सदस्यता शर्तके अनुसार कार्य समितिको खुद कार्य संगठित करना नहीं है। सारा भार प्रान्तोंपर ही है और वे जितनी जल्दी काम शुरू करेंगे उतना ही अधिक लाभ उस उद्देश्यको पहुँचेगा, जिसको दृष्टिमें रखकर सदस्यताकी यह नई शर्त लागू की गई है। कांग्रेस-जनोंको यह स्मरण रखना चाहिए कि वर्तमान सदस्योंकी सदस्यताकी अवधि फरवरीके अन्तमें पूरी हो जायेगी। यदि प्रान्तीय कमेटियाँ तबतक सदस्य बनानेका काम मुल्तवी रखें, तो वे पायेंगी कि उस वक्त उनके पास काम चलानेके लिए आवश्यक न्यूनतम संख्यामें भी सदस्य नहीं होंगे। इसलिए अभीसे सदस्य बनानेके लिए प्रचारका काम तत्परतासे शुरू कर देना चाहिए। इसका संगठन करनेके तरीकोंके सम्बन्धमें श्री सतीशचन्द्र दास गुप्तने कुछ उपयोगी जानकारी दी है। मुझे उम्मीद थी कि मैं उसको प्रकाशित कर सकूँगा। खादी-कार्यके सम्बन्धमें सतीश बाबू द्वारा लिखित और खादी प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित दो ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी मेरे पास आई हैं। प्रथम खण्डमें कताई और बुनाईके कार्यको संगठित करनेके तरीके बयान किये गये हैं और दूसरेमें रुईसे सम्बन्धित जितनी उपयोगी जानकारी मिल सकती थी, दी गई है। ये दोनों पुस्तकें समयोपयोगी हैं। इनके लेखकने परिश्रमपूर्वक जनताको जानकारी सुलभ कराई है, उसमें से कुछको मैं सार-रूपमें प्रस्तुत करनेकी उम्मीद रखता हूँ।

जो लोग खरीद सकते हैं, उन्हें इन किताबोंको ही खरीद लेना चाहिए। वे इनके लिए खादी प्रतिष्ठान, १५ कॉलेज स्क्वायर, कलकत्ताको लिखें। पहले खण्डकी कीमत दो रुपया और दूसरेकी एक रुपया है।

कतैयोंसे

कई कतैये, जो अबतक अपना सूत अखिल भारतीय खादी बोर्डके या मेरे पास भेजा करते थे, पूछते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। दिसम्बर मासका

Gandhi Heritage Portal

सूत तो उन्हें उसी तरह भेजना चाहिए जिस तरह भेजते आये हैं। सालके शुरू होनेके बाद बालिग लोग जितना भी कातें, अपने ही पास रखें और सदस्यताके माहवारी चन्देके तौरपर अपनी-अपनी प्रान्तीय समितियोंको भेज दें। अबतक कतैये जितना कातते, भेज देते थे; और बहुत-से लोगोंने तो २,००० गजसे भी कम सूत भेजा है। अब अपनी सक्रिय सदस्यता बनाये रखनेके लिए हर महीने कमसे-कम २,००० गज भेजना तो जरूरी है ही। यदि वे चाहें तो ज्यादा भेज सकते हैं। उन्हें इस बातका खयाल रखना चाहिए कि जितना सूत भेजें उतनेकी रसीद ले लें। २,००० गजसे जितना अधिक सूत भेजेंगे उतना दूसरे महीनेके हिसाबमें गिन लिया जायेगा। छोटी उम्रके लड़के-लड़कियाँ सूत दानके तौरपर प्रान्तीय कमेटियोंको भेजें। वे सदस्य नहीं बन सकते। मुझे बताया गया है कि फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो सिर्फ मुझको ही सूत भेजना चाहेंगे। मैं उन्हें अपनी-अपनी कमेटियोंको सूत भेजनेकी सलाह दूंगा, लेकिन यदि वे ऐसा न करें तो मैं खुशीसे उनके सूतको स्वीकार करूँगा और सदाकी तरह उसका अच्छेसे-अच्छा उपयोग करूँगा।

पुरस्कार-निबन्ध

चरखे और खद्दरके सन्देशके सम्बन्धमें पुरस्कार-निबन्धकी[1] शर्तें ये हैं:

१. निबन्ध अंग्रेजीमें और चार भागोंमें विभक्त होना चाहिए; पहले भागमें भारतमें अंग्रेजोंके आनेसे पहले हाथ-कताईका इतिहास और खद्दर (अर्थात् हाथ-कते सूतसे हाथ-बुने कपड़े, जिसमें ढाकाकी प्रसिद्ध 'शबनम' भी शामिल है) के व्यापारकी कहानी दी जाये; दूसरे भागमें हाथ-कताई और खद्दरके व्यापारके विनाशका क्रमबद्ध इतिहास दिया जाये, तीसरेमें हाथ-कताई और खद्दरकी सम्भावनाओंकी जाँच-पड़ताल की जाये और भारतीय मिल उद्योग तथा हाथ-कताई और हाथ-बुनाईकी तुलना की जाये और चौथे भागमें चरखेके जरिये विदेशी कपड़ेका बहिष्कार कहाँतक सम्भव है, इसपर विचार किया जाये। निबन्धकी स्थापनाओंकी पुष्टि प्रामाणिक आँकड़ोंसे की जाये और एक परिशिष्ट भी दिया जाये, जिसमें सभी सन्दर्भ-पुस्तकों और लेखक द्वारा अपने विचारोंके समर्थनमें दिये गये अधिकारी लेखकोंकी सूची दी जाये।

२. प्रतियोगितामें भाग लेनेवाले अपने निबन्धको जितना चाहें उतना संक्षिप्त बना सकते हैं; किन्तु उसमें तथ्यों और आँकड़ोंका पूरा लेखा आ जाना चाहिए।

३. निबन्ध रजिस्टर्ड बुकपोस्ट द्वारा 'यंग इंडिया' के दफ्तरमें भेजा जाये और उसके साथ एक अलग कागजपर लेखकका नाम भी भेजा जाये। निबन्ध अधिकसे-अधिक आगामी १५ मार्चतक 'यंग इंडिया' के दफ्तरमें पहुँच जाना चाहिए। निबन्धके निर्णायकोंमें श्री शंकरलाल बैंकर, श्री मगनलाल गांधी और स्वयं मैं रहूँगा। परिणामकी घोषणा अधिकसे-अधिक ३१ मार्च, १९२५ तक कर दी जायेगी। यदि निबन्ध एक निश्चित स्तरसे नीचेके होंगे तो निर्णायकोंको अधिकार होगा कि वे चाहें तो सभी निबन्धोंको रद कर दें। पुरस्कार परिणामकी घोषणाके बाद विजेताको दिया जायेगा।

१. देखिए "टिप्पणियाँ", १-१-१९२५ का उप-शीर्षक "एक इनाम"।

Gandhi Heritage Portal

निबन्धके प्रकाशनका अधिकार धन-दाताकी इच्छाके अनुसार अखिल भारतीय खादी बोर्डको होगा।

मुझे आशा है कि महान् चरखा आन्दोलनमें जिन-जिन विद्वानोंकी रुचि हो और जिन्होंने इस विषयका अध्ययन किया हो, वे सभी इस प्रतियोगितामें भाग लेना उपयोगी मानेंगे।

गरीबी एक कारण

एक बंगाली मित्रने एकताके सम्बन्धमें लिखा है:

> बंगालमें और कदाचित् दूसरे प्रान्तोंमें भी, शिक्षित मध्य वर्गोंकी आर्थिक कठिनाइयोंसे लोकसेवाकी भावना और देशभक्तिके विकासमें रुकावट पड़ती है। युवक सभाओंमें बड़ी संख्यामें आते हैं और भाषणोंपर तालियाँ बजाते हैं। जब वे स्कूलों और कालेजोंसे निकलते हैं तो उन्हें जीवन-निर्वाहके संघर्षका अनुभव होने लगता है। इससे उनकी युवकोचित स्फूर्ति और उनका उत्साह मन्द पड़ जाता है और राष्ट्रीय कार्यको आगे बढ़ानेमें उनकी कोई वास्तविक रुचि नहीं रह जाती।

लेखकने यह निष्कर्ष ठीक ही निकाला है कि यह बुराई न्यूनाधिक सभी प्रान्तोंमें मिलती है। इसका उपाय स्पष्ट है। कोई भी सरकार छात्रोंकी साल-दर-साल बढ़ती हुई संख्याके लिए रोजगारकी व्यवस्था नहीं कर सकती। इस पेचीदा सवालको हल करनेका केवल एक ही तरीका है; वह यह कि शिक्षाके सम्बन्धमें प्रचलित इस आम धारणाको बदल दिया जाये कि शिक्षा एक अच्छी जीविका पानेका साधन है। शिक्षा मानसिक और नैतिक उन्नतिके लिए प्राप्त की जानी चाहिए। दूसरे, उसका यह फल होना चाहिए कि बेरोजगार युवकोंको श्रम गरिमाकी प्रतीति हो सके और वे अपने अन्दर चरखा-उद्योगका संगठन हाथमें लेनेकी योग्यता विकसित करें। यदि युवक आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने और गाँवमें जाकर साधारण आयपर सन्तोष करनेके लिए तैयार हों तो उनकी बड़ीसे-बड़ी संख्या भी इस कार्यमें खप सकती है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ८-१-१९२५

Gandhi Heritage Portal

४२२. भाषण : विषय समितिकी बैठकमें[1]

८ जनवरी, १९२५

जनताका हृदय जीतनेका एक ही उपाय है — चरखा। जहाँ-तहाँ अधर्मकी पताका फहरा रही है। आज तो 'धर्म-संस्थापन' चरखेके माध्यमसे ही सम्भव है। आज तो हम सबकी दशा त्रिशंकु-जैसी है। चरखेके सिवाय इस भयानक स्थितिसे छुटकारा पानेका और कोई उपाय नहीं है। जनताको इसीके माध्यमसे प्रभावित किया जा सकता है। सरकारमें भी धर्म-भावना इसीके बलपर जगाई जा सकेगी। एक सज्जन पूछते हैं कि "क्या मूँछोंवाले लोग भी सूत कातने बैठेंगे?" उन्हें मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आज तो हमारी मूँछें मुड़वा डालनेकी घड़ी आ गई है। लंकाशायरमें जो लोग मशीनें चला रहे हैं और इस तरह जो लोग साम्राज्य चला रहे हैं, वे मुछाड़िए हैं या मूँछ-विहीन हैं? इस विषयपर जो साहित्य लिखा जा रहा है, वह भी पुरुषोंके द्वारा ही लिखा जा रहा है। परिवारकी रसोई स्त्री बनाती है, किन्तु जब समूची जाति भोजनके लिए बुलाई जाती है, तब रसोई बनाना मुछाड़ियोंके बिना नहीं चलता। कोई-कोई उच्च वर्णवाला होनेका, ब्राह्मण होनेका तर्क उठाते हैं। वर्णाश्रम यानी कार्य-विभाजन — यह बात मैं स्वीकार करता हूँ। किन्तु कार्यका अर्थ यहाँ प्रधान रूपसे करनेका कार्य ही है। उसके बाद करनेके कार्य सभीके लिए समान हो सकते हैं और आज तो वैसा होना ही चाहिए। भाई सतीशचन्द्र दास गुप्तने चरखेकी विद्याको शास्त्रका रूप दिया है। पालितानाके एक तहसीलदारका मुझे एक सुन्दर पत्र मिला है। उसमें वे कहते हैं कि मैं नियमित रूपसे कातता हूँ और दीवान साहब या ठाकुर साहब मुझे कातनेसे रोकते नहीं हैं। मैं जितना ही अधिक कातनेका अभ्यास करता जाता हूँ, उतनी ही मेरी शक्ति बढ़ती जाती है। मुझे तो यहाँतक लगता है कि मैं अपने घोड़ेकी पीठपर भी एक नन्हा-सा चरखा लेकर दौरेपर जा सकता हूँ। यदि ऐसा कोई हाकिम लोकप्रिय हो जाये तो इसमें आश्चर्यकी क्या बात। जनता आपके किस गुणसे आकृष्ट होकर आपके पीछे चले? पहली बार जब किंग जॉर्ज काम सीखनेके लिए जहाजपर भेजे गये, तो उन्हें दूसरे मल्लाहोंकी तरह काली काफी, काली रोटी और पनीर मिलता था। उनके खाने या रहनेकी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई थी — उनके लिए अपने अन्य सहयोगियों जैसी ही व्यवस्था थी। कपड़ेतक जैसे खलासियोंको पहननेके लिए दिये जाते हैं, वैसे ही दिये जाते। इस बातसे आप यह समझ जायेंगे कि अंग्रेजी जनता क्यों अपने राजा जॉर्जके पीछे पागल है। राजा और प्रजा, कार्यकर्त्तागण और जनसाधारण चरखेके तारके द्वारा परस्पर बाँधे जा सकते हैं। मैं मोटी मारड गया था। यद्यपि वह गाँव रेलके स्टेशनसे दूर है, किन्तु मैंने देखा कि मलमलका कपड़ा वहाँ भी पहुँचा हुआ

१. बैठक भावनगरमें हुई थी।

Gandhi Heritage Portal

है। हमारे देशमें सात लाख गाँव हैं, यह बात हमें ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत आ जानेके बाद मालूम पड़ी। इन सात लाख गाँवोंमें इसके पहले किसी सरकारने प्रवेश नहीं किया था, किन्तु आज वहाँ केलिको[1] और मँजलीने[2] प्रवेश कर लिया है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १८-१-१९२५

४२३. अध्यक्षीय भाषण : काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्‌में[3]

८ जनवरी, १९२५

मित्रो,

काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्का अध्यक्ष-पद मुझे अपने जेल जानेसे पहले ही स्वीकार करनेको कहा गया था, लेकिन उस समय मैंने इस सम्मानजनक पदकी जिम्मेदारियाँ लेनेसे इनकार कर दिया था। जिन कारणोंसे इसे मैंने अस्वीकार किया था, चूँकि अब वे नहीं रह गये हैं, इसलिए इस सम्मानको मैंने अब स्वीकार कर लिया है, हालाँकि कुछ झिझकके साथ — झिझक इसलिए कि राजनीतिक सवाल पर मेरे विचारोंमें और अन्य बहुत-से लोगोंके विचारोंमें बहुत गहरा अन्तर है। इसके अलावा, यह तथ्य कि मैं चालू वर्षके लिए कांग्रेसका अध्यक्ष हूँ, मेरी स्थितिको कुछ अटपटी बना देता है। वही एक भार इतना ज्यादा है कि मैं उसका समुचित निर्वाह नहीं कर सकता और उसके साथ इस वर्ष इस परिषद्की गतिविधियोंका भी निर्देशन कर सकना मेरी सामर्थ्यसे लगभग बाहरकी बात होगी। इसलिए यदि आपकी आजकी कार्यवाहीकी अध्यक्षता करनेका मतलब ऐसा कोई दायित्व उठानेसे हो तो मैं कह दूँ कि मैं उसके साथ न्याय करनेकी हालतमें बिलकुल नहीं हूँ। इसके अलावा, मैं यहाँ अध्यक्षकी हैसियतसे जो विचार रखूँ, यदि उन्हें महज इसी कारण कांग्रेसके विचार माना जाये, क्योंकि मैं इस वर्ष कांग्रेसका भी नेतृत्व कर रहा हूँ, तो यह अनुचित होगा।

इसलिए मेरे लिए यह आरम्भमें ही स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि देशी रियासतोंके सम्बन्धमें मेरे विचारोंका कांग्रेसके सदस्योंके विचारोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरे विचार मेरे निजी विचार हैं। इनपर कांग्रेसके विचारोंकी कोई छाप नहीं है।

यदि मुझे इस परिषद्का अध्यक्ष होनेके योग्य समझा गया है तो उसका कारण मैं सोचता हूँ यही है कि मैं काठियावाड़का निवासी हूँ और इस कारण भी कि मेरे इस परिषद्के कार्यकर्त्ताओंसे निकटके सम्बन्ध हैं। यह तो एक संयोगकी ही बात है कि मैं इस समय कांग्रेसका भी नेतृत्व कर रहा हूँ।

१ और २. महीन कपड़ेकी एक किस्म।

३. परिषद् भावनगरमें हुई थी।

Gandhi Heritage Portal

मुख्य विषयपर आनेसे पहले मैं भाई मनसुखलालके निधनका उल्लेख करना चाहता हूँ। आप सब उनके साथ मेरे सम्बन्धोंसे अवगत हैं। आप सबको उनकी अनुपस्थिति आज खटके तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, लेकिन मैं यह बात छिपा नहीं सकता कि मुझे उनकी कमी बहुत ज्यादा खटक रही है। कविश्री मणिशंकर रतनजी भट्टका निधन भी आपके और मेरे लिए वैसा ही दुःखका विषय है। मुझे उन्हें निकटसे जानने-का सौभाग्य नहीं मिला था। अब उनका सहयोग हमें उपलब्ध नहीं होगा, यह कोई मामूली बात नहीं है। ईश्वर दोनों परिवारोंको ये क्षतियाँ सहन करनेकी शक्ति दे। हम उनके दुःखमें दुखी हैं, इस जानकारीसे आशा है उनका दुःख हलका होनेमें सहायता मिलेगी।

महासभा और देशी-राज्य

मैंने अकसर कहा है कि देशी रियासतोंसे सम्बन्धित प्रश्नोंपर कांग्रेसको सामान्यतः अ-हस्तक्षेपकी नीति अपनानी चाहिए। ब्रिटिश भारतकी जनता इस समय स्वयं अपनी आजादीके लिए संघर्ष कर रही है; ऐसे समयमें इसके लिए देशी रियासतोंके मामलोंमें टाँग अड़ाना अपनी शक्ति-हीनताका ही परिचय देना होगा। जिस तरह देशी रियासतों और ब्रिटिश सरकारके सम्बन्धोंमें कांग्रेसकी कोई प्रभावशाली आवाज नहीं हो सकती, उसी प्रकार देशी रियासतों और उनकी अपनी प्रजाके बीचके सम्बन्धोंमें भी कांग्रेसका हस्तक्षेप व्यर्थ सिद्ध होगा।

फिर भी ब्रिटिश भारतकी जनता और देशी रियासतोंकी जनता एक है, क्योंकि भारत एक है। उदाहरणके लिए, बड़ौदाके भारतीयोंकी आवश्यकताएँ और उनके रीति-रिवाज अहमदाबादके भारतीयोंसे भिन्न नहीं हैं। भावनगरके लोगोंका राजकोटके लोगोंसे घनिष्ठ सम्बन्ध है। तथापि कृत्रिम परिस्थितियोंके परिणामस्वरूप राजकोटकी नीति भावनगरकी नीतिसे भिन्न हो सकती है। एक ही प्रकारके लोगोंके सम्बन्धमें विभिन्न नीतियोंका होना एक ऐसी चीज है जो बहुत दिनोंतक नहीं चल सकती। परिणामतः कांग्रेसके हस्तक्षेप किये बिना ही, परिस्थितियोंके अदृश्य दबावसे ही अलग राज्योंके अलग क्षेत्राधिकार होनेके बावजूद नीतियोंमें समानता आयेगी। विविधतामें भी एकता ला सकनेकी हमारी क्षमता ही हमारी सभ्यताकी खूबी और परीक्षा होगी।

लेकिन मेरा दृढ़ मत है कि जबतक ब्रिटिश भारत स्वतन्त्र नहीं होता, जबतक ब्रिटिश भारतके लोग वास्तविक शक्ति नहीं प्राप्त कर लेते अर्थात् जबतक ब्रिटिश भारतमें आत्माभिव्यक्ति करनेकी शक्ति नहीं आती — एक शब्दमें कहें तो जबतक ब्रिटिश भारत स्वराज्य नहीं प्राप्त कर लेता तबतक ब्रिटिश भारत और भारतकी देशी रियासतोंमें विभ्रम और अस्थिरताकी यह दशा बनी ही रहेगी। तीसरी सत्ताका अस्तित्व ही इस दशाके चलते रहनेपर निर्भर है। हम अपने घरको तभी सुव्यवस्थित कर सकते हैं जब ब्रिटिश भारत स्वराज्य प्राप्त कर ले।

स्वराज्यके अन्तर्गत देशी राज्योंकी स्थिति

स्वराज्य मिल जानेपर स्थिति क्या होगी? तब यहाँ पारस्परिक सहायता और सहयोगके सम्बन्ध होंगे और विनाशकारी संघर्ष भूतकालकी चीज बन जायेगी।

Gandhi Heritage Portal

स्वराज्य पा चुकनेपर ब्रिटिश भारत देशी रियासतोंको नष्ट करनेकी इच्छा नहीं करेगा, बल्कि उनका सहायक सिद्ध होगा। और देशी रियासतें भी ब्रिटिश भारतके प्रति ऐसा ही रवैया अपनायेंगी।

देशी रियासतोंकी वर्तमान दशा मेरी रायमें कुछ दयनीय है, क्योंकि देशी नरेशोंको कोई स्वाधीनता नहीं है। प्रजाको मृत्यु-दण्ड दे सकनेकी शक्ति होना, सच्ची शक्ति होनेका द्योतक नहीं है। सच्ची शक्ति तो अपनी प्रजाको सारी दुनियाके मुकाबले भी सुरक्षित रखनेकी इच्छा और सामर्थ्यमें है। आज देशी रियासतोंमें ऐसी क्षमता नहीं है और परिणामतः धीरे-धीरे वैसा करनेकी इच्छा भी समाप्त ही हो गई है। इसके विपरीत, प्रजापर अत्याचार करनेकी उनकी शक्ति, लगता है बढ़ गई है। चूँकि साम्राज्यमें ही अराजकता फैली हुई है इसलिए साम्राज्यके अधीन जो रियासतें हैं उनमें भी अराजकता है। देशी रियासतोंमें अराजकता देशी नरेशोंके कारण उतनी नहीं है जितनी कि भारतकी वर्तमान दशाके कारण है।

भारतकी वर्तमान दशा चूँकि प्राकृतिक नियमों, अर्थात् ईश्वरीय नियमोंके विरुद्ध है, इसलिए हम सारे देशमें अव्यवस्था और असन्तोष देखते हैं। मेरा निश्चित मत है कि यदि भारतका एक अंग स्वशासित हो जाये तो सब-कुछ ठीक हो जायेगा।

आगे कौन बढ़े?

तो फिर पहला कदम कौन उठाये? स्पष्ट है कि भारतको ही पथ-निर्देशन करना होगा। वहाँ लोगोंको अपनी बुरी दशाका भान है और है उससे मुक्ति पानेकी चाह; और चूँकि इच्छासे ही ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए जो लोग अपने संकटसे मुक्ति पाना चाहते हैं, वे ही उसके साधन ढूँढ़ेंगे और उनका प्रयोग करेंगे। इसीलिए मैंने अकसर कहा है कि ब्रिटिश भारतकी मुक्तिका अर्थ देशी रियासतोंकी मुक्ति भी है। जब ब्रिटिश भारतकी स्वतन्त्रताका शुभ दिन आयेगा तब देशी रियासतोंमें शासक और शासितका सम्बन्ध समाप्त नहीं होगा, किन्तु वह शुद्ध हो जायेगा। मेरी स्वराज्यकी जो कल्पना है उसका मतलब राजाशाहीका अन्त नहीं है। न उसका मतलब है पूँजीका अन्त। संचित पूँजीका मतलब है, शासनकी शक्ति। मैं पूँजी और श्रम आदिके बीच सही सम्बन्ध स्थापित करनेके पक्षमें हूँ। मैं एकके ऊपर दूसरेकी प्रभुता स्थापित नहीं करना चाहता। मैं ऐसा नहीं मानता कि इन दोनोंमें कोई स्वाभाविक वैर है। हमारे बीच अमीर और गरीब हमेशा रहेंगे। लेकिन उनके पारस्परिक सम्बन्धोंमें निरन्तर परिवर्तन होते रहेंगे। फ्रान्स एक गणतन्त्र है, लेकिन फ्रान्समें सभी वर्गोंके लोग हैं।

हमें आकर्षक शब्दोंसे भ्रममें नहीं पड़ना चाहिए। भारतमें जो भी भ्रष्टाचार हम देखते हैं वह हर भ्रष्टाचार पश्चिमके तथाकथित सभ्य देशोंमें भी उसी प्रमाणमें मौजूद हैं, भले ही उन्हें तरह-तरहके नामोंसे पुकारा जाता हो। दूरीके कारण ही चीजें आँखोंको मोहक लगती हैं; इसीलिए पश्चिमकी हर चीज हमारी आँखोंमें बड़ी चमक-दमकवाली लगती है। वास्तवमें पश्चिममें भी शासकों और शासितोंके बीच अनवरत संघर्ष चलता रहता है। वहाँ भी लोग सुख और खुशीकी तलाश करते हैं और बदलेमें दुःख भोगते हैं।

Gandhi Heritage Portal

देशी राज्योंके बारेमें

बहुत-से काठियावाड़ी मुझसे इस सुन्दर देशके राजाओं और सामन्तोंके विरुद्ध शिकायत करते हैं और मेरे रवैयेको मेरी उदासीनता समझकर मुझे आड़े हाथों लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं उदासीन नहीं हूँ, बल्कि मैं वर्तमान अव्यवस्थाओंको दूर करनेके उपाय ढूँढ़ता और उन्हें लागू करता रहा हूँ तो मेरे ये अधीर मित्र मेरी यह बात शायद समझ नहीं पायेंगे। मैंने स्वराज्य आन्दोलनमें अपना सब-कुछ दाँवपर लगा दिया है, इस आशामें कि स्वराज्य ही सब रोगोंकी अचूक दवा है। जिस प्रकार सूर्योदय होनेपर तिमिरका लोप हो जाता है उसी प्रकार जब स्वराज्यका सूर्य उदित होगा तब शासकों और प्रजाओंकी अराजकताका अँधेरा भी एक क्षणमें तिरोहित हो जायेगा।

यूरोपके प्रवास

देशी रियासतोंकी शासन-व्यवस्थाकी बराबर आलोचना होती रही है और उससे यह छोटा-सा प्रान्त भी बचा नहीं है। नरेशों और सामन्तोंके विरुद्ध जो एक आम शिकायत है वह यह कि यूरोप-यात्रा करनेका उनका चाव दिनों-दिन बढ़ता जाता है। किसी कामसे या ज्ञानोपार्जनके लिए उनका यूरोप जाना तो समझा जा सकता है, किन्तु महज आनन्दकी खोजमें यूरोप जाना तो असहनीय लगेगा। यदि कोई नरेश अपना ज्यादातर समय अपने राज्यसे बाहर व्यतीत करता है तो उसके राज्यमें गड़बड़ी फैल जाती है। हमने देखा है कि लोकतन्त्र और ज्ञान-प्रसारके इस युगमें कोई ऐसा राज्य या संगठन जो लोकप्रिय या लोकोपकारी न हो, जिन्दा नहीं रह सकता। भारतकी देशी रियासतें इस नियमके प्रभावसे मुक्त नहीं हैं। उनके प्रशासनकी तुलना इस समय ब्रिटिश सरकारके प्रशासनसे और जब स्वराज्य स्थापित हो जायेगा तब स्वराज्य सरकारके प्रशासनसे हमेशा की जायेगी। इंग्लैंडके राजा जॉर्ज अपने मन्त्रियोंकी सहमतिके बिना इंग्लैंडसे बाहर नहीं जा सकते। और इसपर भी उनकी जिम्मेदारियाँ उतनी नहीं हैं जितनी कि भारतीय नरेशोंकी है। भारतीय नरेश सारी ताकत अपने ही हाथोंमें रखते हैं। वे छोटे-छोटे पदोंपर नियुक्तियाँ भी खुद ही करते हैं। एक पुल बनानेके लिए भी उनकी अनुमति लेना जरूरी है। ऐसी हालतमें उनकी यूरोप-यात्राएँ उनकी प्रजाके लिए बहुत अरुचिकर होती हैं।

इन यात्राओंपर होनेवाला खर्च भी असह्य होता है। यदि राजाशाहीका एक नैतिक आधार है तो नरेश लोग स्वतन्त्र मालिक नहीं हैं, बल्कि प्रजासे प्राप्त होनेवाले राजस्वके प्रजाकी ओरसे ट्रस्टी-मात्र हैं। इस धनको वे केवल न्यास-धनके रूपमें ही खर्च कर सकते हैं। कहा जा सकता है कि ब्रिटिश संविधानमें इस सिद्धान्तको लगभग पूर्णतः कार्यान्वित किया गया है। मेरी नम्र रायमें हमारे नरेशों द्वारा यूरोपमें मुक्त-हस्तसे पैसा उड़ाया जाना किसी भी दृष्टिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता।

कभी-कभी यूरोप जाकर इस तरह धन खर्च करनेको इस तर्कके आधारपर उचित ठहराया जाता है कि नरेश लोग वहाँ स्वास्थ्य-लाभके लिए जाते हैं। यह दलील बिलकुल हास्यास्पद है। जिस देशमें पर्वतराज हिमालयका अखण्ड साम्राज्य हो

Gandhi Heritage Portal

और जिस धरतीको गंगा, सिन्धु और ब्रह्मपुत्र-जैसी प्रबल नदियाँ सींचती हों, उस देश-को छोड़कर स्वास्थ्य-लाभके लिए बाहर जानेकी किसीको जरूरत नहीं है। जिस देशमें करोड़ों लोग पूर्ण स्वास्थ्यका सुख भोगते हों, वहाँ नरेशोंके स्वास्थ्यकी आवश्यकताएँ भी पूरी हो सकती हैं।

पश्चिमकी नकल

लेकिन इन विदेश-यात्राओंकी सबसे बड़ी हानि तो नरेशों द्वारा पश्चिमकी नकल करनेमें है। हमें पश्चिमसे बहुत-कुछ सीखना और पाना है, लेकिन वहाँ बहुत-कुछ ऐसा भी है जिसे अस्वीकार ही करना होगा। ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है कि जो चीज यूरोपकी जलवायुके अनुकूल है, वह सभी प्रकारकी जलवायुके अनुकूल पड़ेगी। अनुभव हमें बताता है कि प्रत्येक विशिष्ट प्रकारकी जलवायुके लिए कुछ अलग प्रकारकी ही चीजें अनुकूल पड़ती हैं। पश्चिमके तौर-तरीके और रीति-रिवाज पूर्वको मुआफिक नहीं पड़ेंगे और न पूर्वके पश्चिमको। ऐसा कहा जाता है कि पश्चिमी देशोंमें स्त्री-पुरुष साथ मिलकर संयमके साथ नाचते हैं और जैसा कि बताया जाता है, कि यद्यपि वे नाचके बीच मादक द्रव्योंका भी प्रयोग करते हैं, फिर भी वे शिष्टताकी सीमा नहीं लाँघते। मुझे बतानेकी जरूरत नहीं है कि अगर हम इस प्रथाकी नकल करें तो क्या होगा। उस भारतीय नरेशसे सम्बन्धित घटना हमारे लिए कितनी लज्जाजनक है जिसकी चर्चा आजकल अखबारोंमें पूरे विस्तारके साथ की जा रही है।

अनियंत्रित खर्च

नरेशों और सामन्तोंके विरुद्ध दूसरी शिकायत है, उनके अनियंत्रित खर्च। इसमें बहुत-कुछ ऐसा होता है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। आनन्द और विलासपर एक सीमाके अन्दर खर्च करनेका नरेशोंको अधिकार हो सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि खुद नरेश लोग भी इस मामलेमें अबाध स्वतन्त्रताकी इच्छा नहीं रखते।

राजस्व-प्रणाली

रियासतोंमें राजस्व प्रणाली भी दोष-रहित नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि देशी रियासतों द्वारा ब्रिटिश राजस्व-प्रणालीकी नकलने वहाँकी प्रजाका भारी अहित किया है। अगर हम यह मान लें कि मुट्ठीभर अंग्रेजोंके लिए हर दशामें हमारे देश-पर अपना आधिपत्य बनाये रखना नैतिक दृष्टिसे ठीक है तो ब्रिटिश राजस्व-प्रणाली-का थोड़ा-बहुत औचित्य हो सकता है। लेकिन भारतीय नरेशोंके मामलेमें तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। उनको अपनी प्रजासे डरनेकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनका अस्तित्व कभी खतरेमें नहीं है। उन्हें एक बड़ी सेना रखनेकी जरूरत नहीं है; किसी नरेशके पास है भी नहीं और न अंग्रेज कभी उन्हें ऐसा करने ही देंगे। इसके बावजूद वे इतने भारी कर लगाते हैं, जिसे देना प्रजाकी सामर्थ्यसे बाहर है। मुझे यह देखकर दुःख होता है कि हमारी इस प्राचीन परम्पराका कोई आदर नहीं रह गया है, जिसके अनुसार राजस्वका उद्देश्य केवल जन-कल्याण ही था।

Gandhi Heritage Portal

आबकारी

नरेशोंने राजस्व बढ़ानेके लिए ब्रिटिश आबकारी विभागकी जो नकल की है वह तो विशेषरूपसे क्षोभजनक है। ऐसा कहा जाता है कि आबकारी भारतका एक प्राचीन अभिशाप है। जिस अर्थमें यह बात कही जाती है उस अर्थमें मैं इस कथन-पर विश्वास नहीं करता। प्राचीन कालमें राजा लोग शराबके व्यापारसे शायद कुछ राजस्व प्राप्त करते थे, लेकिन उन्होंने लोगोंको आजकी तरह शराबका गुलाम कभी नहीं बनाया। आबकारी अपने वर्तमान रूपमें बहुत पुराने जमानेसे नहीं चली आ रही है, मेरा यह खयाल गलत हो तो भी, मैं इस अन्धविश्वासको नहीं मानता कि कोई चीज प्राचीन कालसे चली आ रही है, इसलिए अच्छी ही है। मैं तो यह भी नहीं मानता कि कोई चीज भारतीय है इसलिए जरूर अच्छी है। बिना कोशिशके भी यह बात देखी जा सकती है कि अफीम और ऐसी ही मादक वस्तुएँ मनुष्यकी आत्माको मूर्च्छित कर देती हैं और उसे पशुओंसे भी नीचे गिरा देती हैं। उनका व्यापार करना स्पष्ट ही पापपूर्ण है। भारतीय रियासतोंको सभी शराबकी दूकानें बन्द करवा देनी चाहिए और इस प्रकार ब्रिटिश प्रशासकोंके सामने अनुकरणके लिए एक अच्छा उदाहरण रखना चाहिए। काठियावाड़की जिन रियासतोंने यह सुधार लागू करनेकी कोशिश की है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वह दिन दूर नहीं जब हमारे इस प्रायद्वीपमें भी शराबकी दूकान नहीं होगी।

कुछ खास मामले

मुझे कुछ रियासतोंके विरुद्ध 'यंग इंडिया' और 'नवजीवन' में प्रकाशन और आलोचनाके लिए बराबर शिकायतें मिलती रहती हैं। लेकिन मैं उनकी चर्चा इस समय नहीं करना चाहता और न मैंने उनका जिक्र इन पत्रोंमें ही किया है। जबतक मेरे पास सारे तथ्य न आ जायें और जबतक इस बारेमें सम्बन्धित रियासतोंका कथन मुझे नहीं मालूम हो जाता तबतक मैं चुप ही रहना पसन्द करूँगा। इन चीजोंके बारेमें मुझे कुछ कहना या करना उचित होगा तो मैं अवश्य इस विषयमें कदम उठाऊँगा।

खादी और चरखा

दो चीजें हैं जिनमें हम देशी राज्योंसे पूर्ण सहयोगकी अपेक्षा कर सकते हैं। एक जमानेमें हमारी अर्थ-व्यवस्था ऐसी थी कि जिस प्रकार हम अपना अन्न खुद पैदा करते और उसका उपभोग करते थे, उसी प्रकार हम अपने यहाँ रुई पैदा करते, अपने घरोंमें उससे सूत कातते थे और अपने ही सूतसे अपने ही बुनकरों द्वारा बुना गया कपड़ा पहनते थे। इसमें से पहली बात तो आज भी होती है, लेकिन दूसरी बात लगभग समाप्त हो गई है। एक आदमी अपने खानेपर जितना खर्च करता है उसका दसवाँ हिस्सा कपड़ेपर करता है; अतः अपनी आयका दसवाँ हिस्सा अपने ही बीच बाँटनेके बजाय अब हम उसे इंग्लैंड भेज देते हैं या अपनी ही मिलोंको। इसका मतलब यह हुआ कि हम इतना ही श्रम खो देते हैं और बदलेमें हम कपड़ेपर पैसा खर्च करते हैं और परिणामतः दोहरा नुकसान उठाते हैं। इसका नतीजा यह

Gandhi Heritage Portal

है कि हम अपने खानेमें कटौती करते हैं ताकि कपड़ेपर पैसा खर्च कर सकें और इस प्रकार दिनोंदिन ज्यादा दुःखमें डूबते जाते हैं। अगर हमारे घरोंमें या हमारे गाँवोंमें कृषि और कताई-बुनाई, ये दो उद्योग समाप्त हो गये तो हमारा विनाश निश्चित है। अगर भावनगरके अधीन जितने गाँव हैं वे सब अपना खाना और कपड़ा भावनगरसे मँगवाने लगें तो क्या परिणाम होगा, इसकी कल्पना मैं इस परिषद्के सदस्योंपर छोड़ता हूँ। तथापि यही अस्वाभाविक प्रक्रिया हमने अपने कपड़ेकी बाबत अपना ली है। हम अपना कपड़ा या तो विदेशोंसे मँगवाते हैं या मिलोंसे प्राप्त करते हैं। दोनों ही हालतोंमें इसका ग्रामीण जनतापर क्षयकारी प्रभाव पड़ता है।

हमें उन देशोंके उदाहरणसे धोखेमें नहीं पड़ जाना चाहिए जो अपनी जरूरतका कपड़ा बाहरसे आयात करते हैं और फिर भी आर्थिक दृष्टिसे नुकसान नहीं उठाते। अन्य देशोंमें यदि लोग कताई या बुनाईका धन्धा छोड़ते हैं तो वे उसके बदले कोई और अधिक लाभदायक उद्योग अपना लेते हैं। दूसरी ओर हम हैं जिन्होंने कताई और कुछ हदतक बुनाईका धन्धा छोड़ दिया है और इससे बचे फालतू समयका उपयोग करनेके लिए हमारे पास कोई दूसरा उद्योग भी नहीं है।

काठियावाड़के लिए आर्थिक संकटसे बचना बहुत आसान है। हमारे नरेश लोग स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके लोगोंको प्रोत्साहित कर सकते हैं और उन्हें अपने घरोंमें खादीकी पुनः प्रतिष्ठा करनेके लिए प्रेरित कर सकते हैं और इस प्रकार काठियावाड़की दिनोंदिन बढ़ती गरीबीको रोक सकते हैं। मेरे विचारमें काठियावाड़में मिलें और रुई साफ करनेकी मशीनें लगानेसे लोगोंकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी नहीं, बल्कि वह तो एक बड़ी दुर्घटना होगी। मध्यमवर्गीय लोगोंको आजीविकाकी खोजमें यहाँसे बाहर जाना पड़े, यह एक स्वस्थ चिह्न नहीं है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि कुछ उद्यमशील व्यक्ति धनोपार्जनके लिए काठियावाड़से बाहर जायें; लेकिन रियासतोंके लिए यह शर्मकी बात है कि उनकी प्रजा कंगाल होकर लाचारीकी हालतमें बाहर जानेको बाध्य हो। जब भी मैं कुछ दिनों बाहर रहनेके बाद काठियावाड़ वापस लौटा हूँ, मैंने देखा है कि लोगोंकी हिम्मत बढ़नेके बजाय वे और पस्त-हिम्मत हो गये हैं।

सौभाग्यसे कताई और बुनाईकी कला दिनोंदिन फिरसे जीवित होती जा रही है और खादीका महत्त्व समझा जा रहा है। क्या, नरेश और सामन्त लोग इस आन्दोलनकी सहायता नहीं करेंगे? यदि वे किसानोंको काठियावाड़की जरूरत-भरकी रुई जमा करके रखनेकी बात समझायें और स्वयं खादी पहनकर उसका प्रचलन करें तो उनके लिए यह कोई कम श्रेयकी बात नहीं होगी। सभी खादी मोटी हो, यह जरूरी नहीं है। नरेश लोग हाथ-कताई और हाथ बुनाईको प्रोत्साहन देकर बुनाईसे सम्बन्धित कई प्रकारकी कलाओं और शिल्पोंको पुनः जीवित कर सकते हैं। राज महिलाएँ कलात्मक रूपसे रंगे हुए और चाँदीकी घंटियोंसे सजे चरखोंपर महीन सूत कातें, उस सूतसे बारीक कपड़ा बुनवायें और उसे ही धारण करें। मैंने काठियावाड़में बारीक और खूबसूरत किस्मका कपड़ा बुना जाते स्वयं देखा है। यह कला अब लगभग

Gandhi Heritage Portal

मृत हो चुकी है। ऐसी कलाओंको प्रोत्साहित करना क्या नरेशोंका विशेष कर्त्तव्य नहीं है?

अस्पृश्यता

दूसरा बहुत ही महत्त्वपूर्ण सवाल अस्पृश्यताका है। दलितवर्गके लोग बृहत्तर गुजरातमें अन्य किसी भी स्थानकी अपेक्षा शायद काठियावाड़में ज्यादा पीड़ित जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँतक कि रेलगाड़ियोंमें भी उन्हें तंग और परेशान किया जाता है। पीड़ित लोगोंको राहत पहुँचाना नरेशोंका विशेष कर्त्तव्य है। दुर्बलोंके वे स्वाभाविक रक्षक हैं। क्या वे दलित वर्गोंकी सहायताके लिए आगे नहीं आयेंगे? नरेश लोग अपनी प्रजाके आशीर्वादोंसे जीवित रहते हैं। क्या वे दलितोंकी दुआएँ अर्जित करके स्वयं अपना जीवन समृद्ध नहीं करेंगे? शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण और भंगीमें कोई भेद नहीं है। आत्मा दोनोंमें है; दोनोंमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। नरेश लोग यदि चाहें तो इन वर्गोंके लोगोंकी दशा सुधारनेके लिए बहुत-कुछ कर सकते हैं और धार्मिक भावनासे उनके साथ वे मिलें-जुलें तो अस्पृश्यता समाप्त कर सकते हैं। उन्हें चाहिए कि दलित वर्गोंके लिए स्कूल स्थापित करें और कुएँ खुदवायें और इस तरह उनके हृदय-सिंहासनपर आसीन हों।

मैंने आलोचना क्यों की?

मैंने महज आलोचनाकी ही गरजसे रियासतोंकी आलोचना नहीं की है। मैं जानता हूँ कि गांधी-परिवारका रियासतोंसे तीन पीढ़ीका सम्बन्ध रहा है। तीन राज्योंमें दीवानी करते तो मैंने ही देखा है। मुझे याद है कि मेरे पिता और मेरे चाचा-के सम्बन्ध अपने-अपने राजाओंसे बहुत ही सद्भावपूर्ण थे। चूँकि मेरा विश्वास है कि मुझमें अच्छे-बुरेका भेद कर सकनेकी शक्ति है इसलिए मैं उत्सुक हूँ कि रियासतोंकी अच्छी बातें ही मैं देखूँ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मैं उनकी समाप्ति नहीं चाहता। मेरा विश्वास है कि रियासतें लोगोंका बहुत भला कर सकती हैं। और यदि मैं आलोचना करता हूँ तो इसीलिए कि वह राजाओं और उनकी प्रजा, दोनोंके ही हितमें है। मेरा धर्म सत्य और अहिंसापर आधारित है। सत्य ही मेरा ईश्वर है। अहिंसा उसे प्राप्त करनेका साधन है। आलोचना करते समय मैंने सत्य ही बतानेकी कोशिश की है और अहिंसा या प्रेमकी भावनासे प्रेरित होकर ही मैंने वैसा किया है। मैं मानता हूँ कि राजा और सामन्त लोग मेरी बातोंको उसी भावनासे समझें और स्वीकार करें।

रामराज्य

देशी रियासतोंके लिए मेरा आदर्श राम-राज्य है। रामने एक धोबीका उलाहना सुनकर और अपनी प्रजाको सन्तुष्ट करनेके लिए सीताको त्याग दिया था, जो कि उन्हें प्राणोंसे प्यारी थीं और पवित्रताकी साक्षात् अवतार थीं। रामने कुत्तेतक के साथ न्याय किया था। सत्यकी रक्षाके लिए राज्य छोड़ जंगलमें रहकर रामने संसार-भरके राजाओंको शुद्ध आचरणका वस्तु-पाठ पढ़ाया। अपने कठोर और एक-पत्नी-

Gandhi Heritage Portal

व्रतसे उन्होंने दिखा दिया कि एक राज-गृहस्थ भी पूर्ण आत्म-संयमका जीवन बिता सकता है। अपने लोकप्रिय शासनसे उन्होंने अपने सिंहासनकी शोभा बढ़ाई और सिद्ध कर दिया कि राम-राज्य स्वराज्यका चरमोत्कर्ष है। रामको जनमतका निश्चय करनेके लिए मत-गणना-जैसे निहायत अपूर्ण आधुनिक साधनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने जनताके हृदयको वशमें कर लिया था। उन्हें जनताकी रायका जैसे सहज ही ज्ञान हो जाता था। रामकी प्रजा अत्यन्त सुखी थी।

ऐसा राम-राज्य आज भी सम्भव है। रामका वंश अभी समाप्त नहीं हुआ है। आधुनिक युगमें कहा जा सकता है कि आरम्भिक खलीफाओंने राम-राज्यकी स्थापना की थी। अबूबकर और हजरत उमर करोड़ों रुपयेका राजस्व उगाहते थे, लेकिन व्यक्तिगत तौरपर वे फकीरोंसे बेहतर नहीं थे। वे राजकोषसे एक पाई भी नहीं लेते थे। वे हमेशा सतर्क रहते थे कि जनताको न्याय प्राप्त हो। उनका सिद्धान्त था कि शत्रुके साथ भी कोई धोखेबाजी नहीं की जा सकती और उसके साथ भी न्यायपूर्ण बरताव होना चाहिए।

जनतासे

मेरी नम्र रायमें नरेशोंके प्रति कुछ शब्द कहकर मैंने उनके प्रति अपना कर्त्तव्य निबाहा है। अब कुछ शब्द जनतासे कहूँगा। लोकोक्ति है, "यथा राजा तथा प्रजा" यह उक्ति आधी ही सच है। कहनेका मतलब कि जितनी यह उक्ति सही है कि "यथा प्रजा तथा राजा" उतनी ही सही पहली उक्ति है, उससे अधिक नहीं। जहाँ प्रजा सदा सावधान और सजग है वहाँ राजा अपनी गद्दीके लिए हमेशा उसके ऊपर निर्भर रहता है। जहाँकी प्रजा तन्द्रामें पड़कर उदासीन हो जाती है, वहाँ इस बातकी बहुत सम्भावना रहती है कि राजा रक्षककी जगह भक्षक बन जायेगा। जो प्रजा सदैव जागरूक नहीं रहती, उसे अपने राजापर दोष धरनेका कोई अधिकार नहीं है। राजा प्रजा दोनों ही ज्यादातर परिस्थितियोंके दास होते हैं। उद्यमशील राजा और प्रजा परिस्थितियोंको अपने अनुकूल मोड़ लेते हैं। परिस्थितियोंको अपना दास बना लेनेमें ही मर्दानगी है। जो अपनी मदद खुद नहीं करते वे नष्ट हो जायेंगे। इस सिद्धान्तको समझनेका मतलब है कि मनुष्य अधीर न हो, भाग्यको न कोसे और दूसरोंको दोष न दे। जो मनुष्य आत्म-सहायताके सिद्धान्तको समझता है वह अपनी असफलताके लिए स्वयं अपनेको दोष देता है। यही वह सिद्धान्त है जिसके आधारपर मैं हिंसाका विरोध करता हूँ। जहाँ हमें स्वयं अपनेको दोष देना चाहिए, वहाँ यदि हम दूसरोंको दोष दें और उनके नाशकी इच्छा करें या उनका नाश कर दें तो रोगका मूल कारण खतम नहीं हो जाता, उलटे रोगका ज्ञान न होनेके कारण उसकी जड़ और भी गहरी पैठ जाती है।

सत्याग्रह

तो हम देखते हैं कि जिन दोषोंका मैंने उल्लेख किया उनके लिए जनता उतनी ही जिम्मेदार है जितने कि राजा लोग, बल्कि उनसे ज्यादा जिम्मेदार है। यदि जनमत

Gandhi Heritage Portal

किसी नीतिके विरुद्ध हो तो राजाके लिए उस नीतिको अपना सकना असम्भव है। विरोधसे यहाँ मतलब मन-ही-मन बुड़बुड़ानेसे नहीं है। जनमत तभी प्रभावकारी होता है जब उसके पीछे शक्ति हो। जब किसी पुत्रको अपने पिताके किसी कार्यपर आपत्ति होती है तो वह क्या करता है? वह अपने पितासे उस आपत्तिजनक कार्यको न करनेकी प्रार्थना करता है अर्थात् आदरपूर्वक निवेदन करता है। यदि बार-बार प्रार्थना करनेपर भी पिता नहीं मानता तो बेटा उससे असहयोग करके अपने पिताका घर तक छोड़ देता है। यह शुद्ध न्याय है। यदि पिता और पुत्र असभ्य हैं तो वे एक-दूसरेसे झगड़ते हैं, गाली-गलौज करते हैं और कभी-कभी तो मार-पीट भी करते हैं। आज्ञाकारी पुत्र सदा विनम्र-शान्त और पिताके प्रति प्रेमभाव रखनेवाला होता है। यह उसका प्रेम ही है जो उसे अवसर आनेपर असहयोग करनेके लिए बाध्य करता है। स्वयं पिता भी इस प्रेमपूर्ण असहयोगको समझता है। वह अपने पुत्रका इस तरह घर छोड़कर चला जाना या उससे अलग होना सह नहीं सकता, मनमें दुःखी होता है और पश्चात्ताप करता है। हमेशा यही होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन असहयोग करनेका पुत्रका कर्त्तव्य स्पष्ट है।

किसी राजा या उसकी प्रजाके बीच भी ऐसा असहयोग सम्भव है। परिस्थिति विशेषमें ऐसा करना जनताका कर्त्तव्य भी हो सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ वहीं सम्भव हैं जहाँकी प्रजाके लोग स्वभावसे निर्भय और स्वाधीनता-प्रेमी होते हैं। वे राज्यके कानूनोंकी सामान्यतः कद्र करते हैं और दण्ड-भयके बिना ही उसका पालन करते हैं। समझ-बूझकर और इच्छापूर्वक राज्यके कानूनोंका पालन, असहयोगका पहला पाठ है।

दूसरा पाठ है 'सहिष्णुता'। राज्यके बहुत-से कानून हैं जो असुविधाजनक हों तो भी उनका पालन हमें करना चाहिए। पुत्र अपने पिताकी कुछ आज्ञाओंसे सहमत न होनेपर भी उनका पालन करता है। जब पिताकी आज्ञाएँ सहने योग्य न हों और अनैतिक हों तभी वह उनकी अवज्ञा करता है। पिता ऐसी सविनय अवज्ञाको तुरन्त समझ जायेगा। इसी तरह जब किसी राज्यके लोग राज्यके बहुत-से कानूनोंका पालन करके अपनी सक्रिय निष्ठाको सिद्ध कर देते हैं, तभी वे सविनय अवज्ञा करनेके अधिकारी बनते हैं।

तीसरा पाठ कष्ट-सहनका है। जिसमें कष्ट-सहनकी क्षमता नहीं है वह असहयोग नहीं कर सकता। जिसने जरूरत पड़नेपर अपनी सम्पत्ति, यहाँतक कि परिवारका त्याग करना नहीं सीखा है वह असहयोग नहीं कर सकता। ऐसा सम्भव है कि असहयोगसे चिढ़कर कोई राजा तरह-तरहके दण्ड दे। इसीमें प्रेम, धैर्य और शक्तिकी परीक्षा है। जो अग्नि-परीक्षा झेलनेके लिए तैयार नहीं है वह असहयोग नहीं कर सकता। केवल एक या दो व्यक्तियोंने ही यदि ये तीन पाठ हृदयंगम किये हों तो ऐसा नहीं माना जा सकता कि सारी जनता असहयोगके लिए तैयार हो चुकी है। असहयोग कर सकें, इससे पहले काफी बड़ी संख्यामें लोगोंका इन तीन बातोंको सीखना आवश्यक है। जल्दबाजीमें किये गये असहयोगका परिणाम हानिकारक ही होगा। कुछ राष्ट्र-प्रेमी नौजवान मेरे द्वारा बताई गई सीमाओंको न समझ पानेके

Gandhi Heritage Portal

कारण अधीर हो उठते हैं। सभी महत्त्वपूर्ण चीजोंकी तरह असहयोगके लिए भी पहलेसे तैयारी करना जरूरी है। इच्छा करने मात्रसे कोई व्यक्ति असहयोगी नहीं हो जाता। अनुशासन अनिवार्य है। मुझे नहीं मालूम कि काठियावाड़के किसी हिस्सेमें लोगोंने आवश्यक अनुशासनका पाठ पढ़ा है। आवश्यक अनुशासनकी शिक्षा पानेके बाद शायद असहयोग करनेकी जरूरत ही नहीं होगी।

हालत जैसी है, उसमें मैं काठियावाड़में और भारतके अन्य भागोंमें भी इस बातकी जरूरत देखता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनेको तैयार करे। प्रत्येक व्यक्तिको सेवा, त्याग, सत्य, अहिंसा, आत्म-संयम और धैर्य आदिकी भावना अपनेमें पैदा करनी चाहिए। इन गुणोंको विकसित करनेके बाद उन्हें रचनात्मक कार्योंमें लगना जरूरी है। यदि हम जनताके बीच शान्त ढंगसे काम करें तो बहुत-से सुधार अपने आप ही हो जायेंगे।

राजनीतिक वर्ग

काठियावाड़ अपने राजनीतिक वर्गके लिए प्रसिद्ध है। यह वर्ग अतिशय विनम्रताका दिखावा करता है और परिणामस्वरूप इसमें ढोंग, भीरुता और जी-हुजूरीके दुर्गुण आ गये हैं। इस वर्गके लोग शिक्षित हैं और इसलिए उन्हें सुधारोंके मामलेमें सबसे आगे बढ़ना चाहिए। अगर वे चाहें तो जनताके लिए बहुत-कुछ कर सकते हैं। जहाँ-जहाँ ये राजनीतिक अधिकारी चरित्रवान व्यक्ति हैं वहाँ हम लोगोंमें सुख-सन्तोष पाते हैं। यह कहनेकी जरूरत नहीं है कि मेरी यह उक्ति राजनीतिक व्यक्तियोंके पूरे वर्गके लिए है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरा कथन उस वर्गके प्रत्येक सदस्यके बारेमें सच है। बल्कि इसके विपरीत, मैं जानता हूँ कि कुछ अच्छेसे-अच्छे कार्यकर्त्ता इसी वर्गसे आये हैं। अतः इस वर्गके प्रति मैं कभी निराश नहीं हुआ हूँ। यदि यह वर्ग राजस्व बढ़ानेके लिए नहीं बल्कि शुद्ध सेवा-भावसे राज्यकी सेवा करे तो बहुत भला हो सकता है।

अन्य लोग

फिर, जिन लोगोंने राज्यकी नौकरी न करके कोई स्वतन्त्र पेशा अपनाया है उनके लिए रचनात्मक सेवा-कार्य करना बहुत सरल है। मैं उनमें उपयुक्त गुणोंका विकास देखना चाहता हूँ। हमें मौन कार्यकर्त्ताओं और शुद्ध लड़ाकोंकी जरूरत है जो जनताके बीच अपनेको घुला-मिला दें। इस प्रकारके कार्यकर्त्ता अँगुलियोंपर गिने जा सकते हैं। क्या काठियावाड़के प्रत्येक गाँवमें एक-एक भी ऐसा कार्यकर्त्ता है? मैं जानता हूँ कि इसका उत्तर 'नहीं' में है। जिस वर्गके लोग मेरा यह भाषण पढ़ेंगे उन्हें ग्रामीण-जीवनका शायद ही कोई अनुभव हो। जिन्हें कुछ है, वे उसे पसन्द नहीं करेंगे। तथापि भारत और इसीलिए काठियावाड़ भी, गाँवोंमें ही बसता है।

चरखा

यह सेवा किस प्रकार की जा सकती है? यहाँ मैं पहला स्थान चरखेको देता हूँ। मैंने चरखेके विरुद्ध बहुत-कुछ सुना है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस चीजको आज गाली दी जा रही है उसीको सुदर्शन चक्रकी भाँति पूजा जायेगा और वह

Gandhi Heritage Portal

समय करीब ही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम स्वेच्छासे आज उसे स्वीकार नहीं करते तो परिस्थितियाँ हमें उसके लिए मजबूर कर देंगी। भारतीय अर्थशास्त्रका अध्ययन चरखेका अध्ययन है। चरखा हमारे ह्रासोन्मुखी ग्रामोद्योगोंके पुनरुद्धारकी अपरिहार्य शर्त है। मैं हाथ-कताईको कोई धन्धा नहीं मानता, बल्कि सभी धार्मिक सम्प्रदायोंके अनुयायियोंके लिए उसे एक धार्मिक कर्त्तव्य मानता हूँ।

एक अमेरिकी लेखकका कहना है कि भविष्य उन राष्ट्रोंके हाथमें है जो शारीरिक श्रममें विश्वास करते हैं। दुनियाके देश उन निर्जीव मशीनोंकी पूजासे थक गये हैं, जो निरन्तर संख्यामें बढ़ती ही जा रही हैं। हम लोग अप्रतिम सजीव मशीनोंको अर्थात् अपने शरीरको निकम्मा बनाकर और उनकी जगह निर्जीव मशीनोंको देकर शरीरको नष्ट कर रहे हैं। यह एक ईश्वरीय नियम है कि शरीरसे पूरा काम लिया जाये और उसका उपयोग किया जाये। हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। चरखा शरीरका शुभ प्रतीक है। जो मनुष्य बिना श्रमका भोग चढ़ाये भोजन करता है वह चोरी करके खाता है। शरीर-श्रमसे बचना देश-द्रोह करने और ड्योढ़ीपर खड़ी भाग्य-लक्ष्मीको ठुकरानेके समान है। भारतमें जीवित कंकाल-जैसे शरीरवाले असंख्य पुरुष और स्त्री इसके गवाह हैं। मेरे आदरणीय मित्र श्री [श्रीनिवास] शास्त्रियर कहते हैं कि मैं लोगोंके कपड़ेकी पसन्दमें भी हस्तक्षेप करता हूँ। यह बात बिलकुल सही है। देशके प्रत्येक सेवकका यह कर्त्तव्य है कि जब जरूरी हो जाये तो वह वैसा करे। यदि देशमें पतलून अपनाई जाने लगे तो मैं अवश्य उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाऊँगा। पतलून हमारे यहाँकी जलवायुकी दृष्टिसे बिलकुल अनुपयुक्त है। यह प्रत्येक भारतीयका कर्त्तव्य है कि वह अपने देशवासियोंके द्वारा विदेशी कपड़ेका उपयोग किये जानेके खिलाफ अपनी आवाज उठाये। विरोध वस्तुतः कपड़ेके विदेशी होनेसे नहीं है, बल्कि उस गरीबीसे है जो विदेशी कपड़ेके आयातके साथ-साथ इस देशमें आती है। अगर देश अपना ज्वार और बाजरा छोड़कर स्काटलैंडसे ओट या रूससे राईका आयात करने लगे तो मैं निश्चय ही देशकी रसोईके मामलेमें भी हस्तक्षेप करूँगा, उसे जी भरकर फटकारूँगा, यहाँतक कि धरना दूँगा और अपने हृदयकी व्यथाको सुनाकर मानूँगा। ऐसे हस्तक्षेपकी घटनाएँ हालके जमानेमें ही हुई हैं। यूरोपके पिछले नृशंस युद्धके दौरान लोगोंको कुछ खास फसलें उगानेपर मजबूर किया गया था और राज्योंने अपनी प्रजाके खाने-पीनेपर नियंत्रण लगा दिया था।

जो लोग गाँवोंमें सेवा-कार्य करना चाहते हैं उनके लिए चरखेका अध्ययन लाजिमी है। सैकड़ों-हजारों युवक और युवतियाँ चरखेके जरिये अपनी जीविका कमा सकते हैं और दूना लाभ पहुँचा सकते हैं। इस कामके लिए संगठनकी आवश्यकता है और प्रत्येक ग्रामवासीसे परिचय होना जरूरी है, ताकि कार्यकर्त्ता अर्थशास्त्र और राजनीतिकी बुनियादी बातोंका उसे आसानीसे ज्ञान करा सके। इस काममें ग्रामीण बालकोंकी सच्ची शिक्षा भी शामिल हो सकती है और वहाँ काम करनेसे गाँवकी जरूरतों और कमियोंका भी ठीक अन्दाज लगाया जा सकता है।

खादीके काममें राजा और उसकी प्रजाके बीच किसी प्रकारका संघर्ष सम्भव नहीं है। यही नहीं, बल्कि इससे उनके पारस्परिक सम्बन्ध सद्भावनापूर्ण होनेकी

Gandhi Heritage Portal

आशा की जा सकती है। इस आशाकी पूर्ति कार्यकर्त्ताओंकी विनयशीलतापर निर्भर करती है। इसलिए इस राजनीतिक परिषद्से चरखेको प्रमुखता देनेको कहनेमें न मुझे कोई शर्म लग रही है और न कोई संकोच ही है।

दलित वर्ग

दलित वर्गोंके बीच काम करना भी ऐसा ही है। सभी हिन्दुओंका यह परम कर्त्तव्य है कि वे अस्पृश्यताको समाप्त करें। इस काममें भी राजाओंकी ओरसे किसी हस्तक्षेपकी आशंका नहीं है। मेरा पक्का विश्वास है कि दलितोंकी सेवा करते हुए और उनके हृदयसे निकलनेवाला आशीर्वाद पाते हुए हिन्दू लोग यदि आत्म-शुद्धिकी प्रक्रिया जारी रखेंगे तो वे अपना आत्म-बल फिरसे प्राप्त कर लेंगे। अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मपर एक बहुत बड़ा कलंक है। इस कलंकको मिटाना बहुत जरूरी है। दलितोंकी जो सेवा करेगा वह हिन्दू-धर्मका त्राता होगा और वह अपने दलित भाई और बहनोंके हृदयमें स्थान पायेगा।

शक्ति दो प्रकारकी होती है। एक जो दण्डका भय दिखाकर प्राप्त की जाती है और दूसरी वह जो प्रेमके तरीकोंसे प्राप्त की जाती है। प्रेमपर आधारित शक्ति भयके जरिये प्राप्त शक्तिके मुकाबले हजारगुना कारगर और स्थायी होती है। जब इस परिषद्के सदस्य प्रेमपूर्ण सेवाओंके जरिये अपनेको तैयार कर लेंगे तब वे जनताकी ओरसे बोलनेका अधिकार प्राप्त कर लेंगे और उस समय कोई राजा उनका विरोध नहीं कर सकेगा। यदि असहयोग करनेकी कभी जरूरत पड़ी ही तो उसका ठीक वातावरण उसी समय होगा।

लेकिन मुझे राजाओंमें भरोसा है। वे ऐसे प्रबुद्ध और सशक्त जनमतकी शक्ति तत्काल पहचान लेंगे। आखिरकार राजा लोग भी भारतीय हैं। यह देश हमारी ही तरह उनके लिए भी सब-कुछ है। उनके हृदयको छू सकना सम्भव है। कमसे-कम मैं उनकी न्याय-बुद्धिसे अपील करके सही बात मनवा लेना कठिन नहीं मानता। हमने अभीतक कोई सच्चा प्रयास नहीं किया है। हम हड़बड़में हैं। पूरी ईमानदारीसे सेवाके लिए अपनेको तैयार करनेमें ही हमारी विजय निहित है — नरेशोंकी विजय भी और जनताकी विजय भी।

हिन्दू-मुस्लिम एकता

तीसरा सवाल हिन्दू-मुस्लिम एकताका है। मेरे पास काठियावाड़से भेजे गये एक-दो पत्र हैं, जिनसे पता चलता है कि इस सवालपर काठियावाड़में भी कुछ लोग चिन्तित हैं। यह कहनेकी जरूरत नहीं है कि हिन्दू और मुसलमानोंमें एकता होना जरूरी है। कोई भी कार्यकर्त्ता राष्ट्रके किसी भी अंगकी उपेक्षा नहीं कर सकता।

मेरा कार्य-क्षेत्र

मैं जानता हूँ कि बहुतोंको मेरा भाषण अपूर्ण और नीरस लगेगा। लेकिन मैं अपनी परिधिसे बाहर जाकर कोई व्यावहारिक और उपयोगी सलाह नहीं दे सकता। मेरा कार्य-क्षेत्र सुस्पष्ट है और उसमें मुझे सुख मिलता है। मैं तो प्रेमके कानूनपर

Gandhi Heritage Portal

मंत्रमुग्ध हूँ। यह तो मेरे लिए पारसमणिके समान है। मैं जानता हूँ कि हमारी जो खराबियाँ हैं उनका एकमात्र इलाज अहिंसा है। मेरी दृष्टिमें अहिंसाका रास्ता भीरु या नामर्द लोगोंका रास्ता नहीं है। अहिंसा क्षात्र-धर्मका चरमोत्कर्ष है, क्योंकि यह निर्भयताकी पराकाष्ठाका प्रतीक है। इसमें पीठ दिखाकर भागने या पराजयकी कोई गुंजाइश नहीं है। अहिंसा आत्माका गुण है, अतः इसकी सिद्धि कठिन नहीं है। अपने अन्तरमें आत्माका अस्तित्व अनुभव करनेवालेको यह गुण सरलतासे सिद्ध हो जाता है। मेरा विश्वास है कि भारतको अहिंसाके सिवा कोई दूसरा रास्ता अनुकूल नहीं पड़ेगा। भारतके लिए अहिंसा धर्मका प्रतीक चरखा है, क्योंकि चरखा ही दुःखीजनोंका साथी और गरीबोंको समृद्धि प्रदान करनेवाला है। प्रेमका कानून दिशा और कालके बन्धनसे मुक्त है। इसीलिए मेरे स्वराज्यमें भंगियों, ढेढ़ों और दूबलों[1] और दीनसे-दीन व्यक्तिका भी महत्त्व माना गया है और चरखेके सिवा मैं दूसरी किसी चीजको नहीं जानता जो इन सबको अपना मित्र बनाती हो।

मैंने आपकी स्थानीय समस्याओंकी चर्चा नहीं की है, क्योंकि उनका मुझे समुचित ज्ञान नहीं है। देशी रियासतोंके लिए आदर्श संविधानके बारेमें मैंने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि उसकी रचना केवल आप ही कर सकते हैं। मेरा कर्त्तव्य तो उन साधनोंकी खोज करना और उनका उपयोग करना है जिनके जरिये हमारा देश अपनी इच्छाको कार्यान्वित करनेकी शक्ति प्राप्त कर सके। एक बार देशको अपनी शक्तिका ज्ञान हो जाये, फिर तो वह अपना रास्ता स्वयं पा लेगा और रास्ता नहीं होगा तो बना लेगा। मुझे तो वही राजा स्वीकार्य है जो अपनी प्रजाके सेवकोंमें सबसे श्रेष्ठ हो। प्रजा ही वास्तविक स्वामी है। लेकिन यह स्वामी ही सो जाये तो सेवक क्या कर सकता है? इसलिए सच्ची राष्ट्रीय जागृतिमें सभी चीजें शामिल हैं।

मेरा आदर्श यह है और इसीलिए मेरी कल्पनाके स्वराज्यमें भारतीय रियासतोंके लिए स्थान है और उसमें प्रजाको उसके अधिकारोंकी पूरी गारंटी होगी। अधिकारका सच्चा स्रोत कर्त्तव्य है। इसीलिए मैंने केवल राजाओं और प्रजाके कर्त्तव्योंकी ही चर्चा की है। हम सब यदि अपने कर्त्तव्योंको पूरा करें तो अधिकारोंको ढूँढ़ने दूर नहीं जाना होगा। यदि हम अपने कर्त्तव्योंको अधूरा छोड़कर अधिकारोंके पीछे दौड़ेंगे तो वे मृग-मरीचिकाकी तरह हमारे हाथसे निकल जायेंगे। हम जितना ही उनके पीछे दौड़ेंगे वे हमसे उतने ही दूर भागते जायेंगे। यही शिक्षा कृष्णके इन अमर शब्दोंमें निहित है: "कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन।[2]" अर्थात् कर्म करना ही तेरा धर्म है, अतः फलकी आकांक्षा मत कर। कर्म कर्त्तव्य है; अधिकार फल है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, ८-१-१९२५

१. गुजरातकी एक पिछड़ी हुई आदिवासी जाति।

२. **भगवद्गीता** अध्याय २, श्लोक ४७।

Gandhi Heritage Portal

४२४. भाषण: काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्, भावनगरमें

८ जनवरी, १९२५

इस परिषद्के अध्यक्ष-पदका भार ग्रहण करते हुए मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रही थी, यह बात मैंने अपने भाषणमें बताई है। लेकिन मनुष्य सोचता कुछ है तथा ईश्वर करता कुछ और ही है। ऐसे उदाहरण मैंने अपने जीवनमें अनेक बार देखे हैं और एक भी विचारशील स्त्री अथवा पुरुष ऐसा न होगा जिसे इसका अनुभव न हुआ हो।

मैंने यह भी माना था कि इस परिषद्में मुझे केवल एक ही वस्तुको प्रधानता देनी होगी, लेकिन सौभाग्यसे अब मुझे दो वस्तुओंको प्रधानता देनी होगी। पहली तो खादी, जिसके समान मुझे अन्य कोई वस्तु प्रिय नहीं है। कुछ लोग मुझे चरखेका — खादीका — दीवाना कहते हैं और यह बात सच है। कारण, आशिक ही माशूकको समझ सकता है। मुहब्बत, प्रेम, इश्क क्या है सो आशिक ही बता सकता है। मैं आशिक हूँ इसलिए अपने प्रेमकी बात मैं ही समझ सकता हूँ; मैं ही जानता हूँ कि मेरे हृदयमें कौन-सी ज्वाला धधक रही है। लेकिन इस ज्वालाके सम्बन्धमें मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता।

यह राजनीतिक परिषद् है और आप लोग राजनीतिक मामलोंकी चर्चाकी अपेक्षा करते होंगे। मेरा मन तो किसानका है, हालाँकि मैं जन्मसे बनिया हूँ तथा मेरे पिता और उनके भी पिता मुनीमगिरी करते थे। ऐसा होनेपर भी मुझमें मुनीमगिरीपन नहीं है अथवा अगर है तो इसलिए कि मैं लाचार हूँ। लेकिन मुझमें एक अन्य वस्तु भी है — जो विरासतमें नहीं मिली लेकिन, जिसे मैंने प्राप्त किया है — वह है किसानपन, भंगीपन, ढेढ़पन; समाजमें जिसे नीचा माना गया है, ऐसा हर पेशा मैंने अपना माना है। ऐसा मेरा स्वभाव है अतः 'राजनीतिक' का आप लोग जो अर्थ करते हैं, वैसा मैं नहीं करता। आपकी तरह मैं उसे 'मुनीमगिरी' से कूटनीतिसे, नहीं जोड़ता। मेरे जैसे लोग 'राजनीतिक' विषयोंपर विचार करते समय केवल राजकाजकी बातोंका ही विचार नहीं करते, क्योंकि किसान खेतकी देखभाल भाषणोंसे नहीं कर सकता, केवल हलसे ही कर सकता है; चाहे कितनी ही गर्मी और सर्दी क्यों न हो वह हल नहीं छोड़ सकता। बुनाईका धन्धा करनेवाला व्यक्ति भी तभी अपने धन्धेको साध सकेगा, जब वह अपना काम करेगा। 'राजनीतिक' का सामान्य अर्थ भाषण करना, आन्दोलन करना, राजाकी त्रुटियोंको देखना है। लेकिन मैंने उसका इससे उलटा ही अर्थ किया है। हिन्दुस्तानके बाहर अपने २२ वर्षके कार्यकालमें भी मैंने इसका दूसरा ही अर्थ किया है। लेकिन दूरके ढोल सुहावने लगते हैं, उस तरह लोग मुझे भी राजनीतिक अर्थात् मुनीम मानते आये हैं। मुझे राजनीतिक काम

Gandhi Heritage Portal

करना आता है लेकिन मेरी राजनीति दूसरी तरहकी है, उसमें विवेक और प्रेम निहित है। उसमें कूटनीतिको स्थान नहीं है। सच तो यह है कि कूटनीतिसे जितना काम होता है, विवेक और प्रेमसे उससे हजारगुना ज्यादा होता है और इसमें किसानका, भंगीका, ढेढ़का सबके हितका विचार आ जाता है। आप जानते हैं कि कांग्रेसमें भी मैंने 'राजनीति' की यही व्याख्या की थी और ऐसा करते हुए मैंने लज्जाका अनुभव नहीं किया था। इसी बातको ध्यानमें रखकर मैंने खादीको राजनीतिक कार्यक्रममें स्थान दिया है। मेरा दावा है कि मेरी बात समझदारीकी और ज्ञानकी है तथा मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आयेगा जब आप कहेंगे, गांधीने चरखेकी जो बात की थी उसमें अत्यन्त चतुराई, ज्ञान और समझदारी भरी हुई थी। आज जब लोग मुझपर हँसते हैं और कहते हैं कि चरखा गांधीके मनोरंजनकी वस्तु है तब मुझे उनपर दया आती है और वे अपने मनमें जितना चाहें उतना हँसें लेकिन मैं खादीकी बात छोड़नेवाला नहीं हूँ।

अब दूसरी बातपर आता हूँ। जबसे मेरे यहाँ आनेकी बात हुई है और जबसे मैंने 'नवजीवन' में लिखा है कि यदि सभामें ढेढ़ोंको अलग स्थान दिया जायेगा तो मेरे लिए भी उनके बीच बैठनेकी व्यवस्था करनी होगी[1], तबसे भावनगरमें खलबली मच रही है। काठियावाड़में अस्पृश्यताका रूप क्या है, उसे मैंने अपनी आँखोंसे देखा है। मेरी पूजनीय माता भंगीको छूनेमें पाप मानती थीं, लेकिन इसके लिए मेरे मनमें अपनी माँके प्रति घृणाका भाव नहीं है। लेकिन मुझे अपने माँ-बापके कुँएमें डूबकर तो नहीं मरना है। मेरे माँ-बापने तो मुझे स्वतन्त्रताकी विरासत दी है और यद्यपि आज मैं उनके विचारोंसे विपरीत विचार रखता हूँ तथापि मुझे विश्वास है कि मेरी माताकी आत्मा कहेगी, "बेटा, तू धन्य है।" क्योंकि मैंने उससे जो प्रतिज्ञाएँ की थीं, उनमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसीसे छू जानेमें पाप है। मुझे विलायत भेजते समय उसने मुझसे तीन प्रतिज्ञाएँ कराई थीं, लेकिन उसने मुझसे ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं कराई थी कि विलायतमें जाकर अस्पृश्यताको धर्म समझना। मैं देखता हूँ कि इस बातको लेकर आज भावनगरमें थोड़ी (या ज्यादा —— मैं ठीक नहीं जानता) खलबली मची हुई है तथा नागर, बनिये और अन्य लोग व्याकुल हो रहे हैं। उनमें से जो लोग उपस्थित हैं जो ऐसा मानते हैं कि गांधी भ्रष्ट हो गया है और सनातन धर्मकी जड़ काट रहा है उनसे मैं विनयपूर्वक, पर दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूँ कि गांधी सनातन धर्मकी जड़ नहीं काट रहा है, अपितु गांधी जो कहता है उसीमें सनातन धर्मकी जड़ निहित है। आपमें भले ही कोई पण्डित हो, भले ही उन्होंने 'वेद' का हर शब्द-शब्द रटा हो तथापि मैं उनसे कहूँगा कि आपसे भारी भूल हो रही है, सनातन धर्मकी जड़ वे ही उखाड़ रहे हैं जो अस्पृश्यताको हिन्दू-धर्मका मूल मानते हैं। उनसे मैं आदरपूर्वक कहना चाहता हूँ कि इसमें विचार नहीं, विवेक नहीं, विनय नहीं और दया नहीं है। अपने विचारमें यदि मैं अकेला भी रह जाऊँ तो भी अन्ततक मैं यही कहूँगा कि अस्पृश्यताका हम आज जो अर्थ करते हैं उसे यदि हम हिन्दू-धर्ममें

१. देखिए शीर्षक "किस आशासे?", ७-१२-१९२४।

Gandhi Heritage Portal

स्थान दें तो हिन्दू-धर्मको क्षय रोग हो जायेगा और इसके परिणामस्वरूप यह नष्ट हो जायेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र — सबसे मैं कहता हूँ कि हिन्दुस्तानका उद्धार न तो मुसलमानोंपर और न ईसाइयोंपर उतना निर्भर करता है जितना कि इस बातपर कि हिन्दू अपने धर्मका किस तरह पालन करते हैं। क्योंकि मुसलमानोंका काशी-विश्वनाथ यहाँ नहीं बल्कि मक्केमें है और ईसाइयोंका जेरूसलममें है। लेकिन आप तो हिन्दुस्तानमें रहकर ही मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। यह युधिष्ठिरकी भूमि है, रामचन्द्रकी भूमि है, ऋषि-मुनियोंने इस भूमिपर तपश्चर्या की और उन्होंने ही यह सन्देश सुनाया कि यह कर्मभूमि है, भोगभूमि नहीं। इस भूमिके वासियोंसे मैं कहता हूँ कि आज हिन्दू-धर्मकी परीक्षा है और जगतके सब धर्मोंके साथ आज उसकी तुलना हो रही है। तथा जो वस्तु समझके बाहर होगी, दयाधर्मके बाहर होगी उस वस्तुका [यदि] हिन्दू-धर्ममें समावेश होगा तो उसका अवश्य नाश हो जायेगा। दया-धर्मका मुझे भान है और इसीके कारण मैं देख रहा हूँ कि हिन्दू-धर्ममें कितना पाखण्ड, कितना अज्ञान चल रहा है। इस पाखण्ड और अज्ञानके विरुद्ध जरूरत पड़नेपर मैं अकेले ही जूझूँगा, अकेला रहकर तपश्चर्या करूँगा और इसका नाम रटते हुए मरूँगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैं पागल हो जाऊँ और अपने पागलपनमें मैं कहने लगूँ कि अस्पृश्यता सम्बन्धी अपने विचारोंके सम्बन्धमें मैंने भूल की थी, अस्पृश्यताको हिन्दू धर्मका पाप बतानेमें मैंने पाप किया था। जिस दिन ऐसा हो उस दिन आप समझ लेना कि मैं डर गया हूँ, परिणामोंका सामना नहीं कर सका हूँ और घबरा कर खुद ही अपने विचारोंसे पीछे हट रहा हूँ। उस समय आप यही समझना कि मूर्च्छावस्थामें ऐसी बात कर रहा हूँ।

मैं आज जो बात कह रहा हूँ उसमें मेरा स्वार्थ नहीं है। उससे मुझे कोई पदवी प्राप्त नहीं करनी है, पदवी तो मुझे भंगीकी चाहिए। सफाई करनेका काम कितने पुण्यका काम है। यह काम या तो ब्राह्मण कर सकता है या भंगी ही। ब्राह्मण ज्ञानपूर्वक करता है और भंगी अज्ञानपूर्वक। मुझे दोनों पूज्य हैं, आदरणीय हैं। दोनोंमें से यदि एकका भी लोप हो जाये तो हिन्दूधर्म लुप्त हो जायेगा।

और सेवाधर्म मुझे प्रिय है इसीसे भंगी मुझे प्रिय हैं। मैं तो भंगीके साथ खाता भी हूँ लेकिन आप लोगोंसे नहीं कहता कि आप भी उनके साथ खायें और रोटी-बेटीका व्यवहार करें। आपको कैसे कह सकता हूँ? मैं तो फकीरके समान हूँ — सच्चा फकीर हूँ या नहीं, इसकी मुझे खबर नहीं। सच्चा संन्यासी हूँ या नहीं, इसकी भी मुझे खबर नहीं है। लेकिन संन्यास मुझे अच्छा लगता है। मुझे ब्रह्मचर्य प्रिय है लेकिन मैं सच्चा ब्रह्मचारी हूँ अथवा नहीं सो मुझे नहीं मालूम। क्योंकि यदि ब्रह्मचारीके मनमें दूषित विचार आते हों, यदि वह स्वप्नमें भी व्यभिचारका विचार करता है तो मैं मानूँगा कि वह ब्रह्मचारी नहीं है। मैं क्रोधमें एक भी वचन बोलूँ, द्वेषमें कोई भी कार्य करूँ, अपने कट्टरसे-कट्टर दुश्मनके विरुद्ध भी यदि मैं क्रोधमें कुछ कहूँ तो मैं अपने आपको सच्चा ब्रह्मचारी नहीं कह सकता। अतएव मैं सम्पूर्ण ब्रह्मचारी अथवा संन्यासी हूँ अथवा नहीं सो मैं नहीं जानता, तथापि मैं इतना अवश्य कहूँगा कि मेरा जीवन उस दिशाकी ओर बह रहा है और चूँकि मेरी दशा ऐसी है

Gandhi Heritage Portal

अतः कोई भंगीकी लड़की अथवा कोई कोढ़ी यदि मेरी सेवा चाहते हों तो मैं उनसे यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं कर सकता। यदि वे मुझे अपने हाथोंसे खिलाना चाहते हों तो मैं खानेसे इन्कार नहीं कर सकता। फिर भले ईश्वरकी इच्छा हो तो मुझे बचाये अथवा मुझे मारे, लेकिन मुझे तो कोढ़ीकी सेवा करनी ही है। हाँ, ऐसा करते हुए मैं यह दावा भी करूँगा कि ईश्वरको गरज होगी तो वह मुझे बचायेगा, क्योंकि भंगी, कोढ़ी और ढेढ़को खिलाकर खाना ही मैं अपना धर्म समझता हूँ। लेकिन, समाजने खाने-पीनेके सम्बन्धमें जो मर्यादा निश्चित की है, आप उसका उल्लंघन करें सो मैं नहीं कहता। आपसे तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप पाँचवाँ वर्ण न बनायें। ईश्वरने चार वर्ण बनायें हैं और उसका अर्थ मैं समझ सकता हूँ। पर आप अस्पृश्यताका यह पाँचवाँ वर्ण न बनायें। अस्पृश्यता मुझसे सहन ही नहीं होती। यह शब्द सुनकर मुझे आघात पहुँचता है। जो लोग मेरा विरोध करते हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि आप विचार करें, मेरे पास आकर उसकी चर्चा करें तो आप समझ जायेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप विवेक और विचार छोड़कर बात कर रहे हैं; उसका असर नहीं होगा। आज मेरे पास एक तार आया है जिसपर दो पण्डितोंके हस्ताक्षर हैं। इन पण्डितोंको मैं नहीं जानता लेकिन उसमें उन्होंने लिखा है कि हिन्दूधर्मका सहारा लेकर और पण्डितोंके नामपर आपपर जो आक्षेप किये जा रहे हैं, वे झूठे हैं तथा हम आपको अपने वर्गके लोगोंके हस्ताक्षरसे युक्त पत्र भेजेंगे, जिससे आपको विदित होगा कि अनेक शास्त्री आपके साथ हैं। हालांकि आप जितने जोर-शोरसे काम कर रहे हैं, उतने जोर-शोरसे हम नहीं कर सकते; क्योंकि आप निडर हैं और हमें बहुत-सी बातोंका विचार करना पड़ता है। द्रोणाचार्य और भीष्मके पास आकर श्रीकृष्णने पूछा कि क्या आप पाण्डवोंके विरुद्ध लड़ेंगे, तो उन्होंने उत्तर दिया, भाई हमें तो अपनी आजीविकाकी पड़ी है, इसलिए हम क्या करें? हमारे बीच भी अनेक द्रोणाचार्य और भीष्म पड़े हैं, जबतक उन्हें अपने पेटकी पड़ी है तबतक वे बेचारे क्या कर सकते हैं? इनसे कुछ नहीं हो सकता, इसमें उनका दोष नहीं है अपितु विधिका दोष है, परिस्थितियोंका दोष है। लेकिन वे मनमें तो मानते हैं कि गांधी अच्छा काम कर रहा है और उनका हृदय मुझे दुआ दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक दूसरी बात भी कहता हूँ। मैं तो सत्याग्रही हूँ, मारना नहीं बल्कि मरना मेरा धर्म है, इसलिए मुझे तो अपने तरीकेसे ही काम लेना है। अतएव आपसे एक विनती करता हूँ। यदि आपको ऐसा लगे कि अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मकी जड़ है तो आप भले ही वैसा मानें, लेकिन मुझे भी अस्पृश्यताको हिन्दूधर्मका पाप माननेका अधिकार प्रदान करें। आपसे बन सके तो आप हिन्दू समाजके हृदयको जागृत करना और मुझे भी वैसा करनेका अवकाश देना। सत्याग्रही तो एक मार्गी है, उसे दूसरोंके साथ गुप्त मन्त्रणा नहीं करनी है, [सिद्धान्तहीन] समझौते नहीं करने हैं। इसलिए आपके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करनेका मैं वचन दूंगा। यदि मैं अकेला रह जाऊँगा तो दूर रहकर "मुझसे दूर रहो, दूर रहो" की पुकार करूँगा।

अस्पृश्यताके कार्यमें आज जो लोग मेरी मदद कर रहे हैं उनसे मैं कहता हूँ —ढेढ़, भंगीको भी कहता हूँ —कि आपको जो गाली दे उसे सहन करना। तुलसी-

Gandhi Heritage Portal

दास कह गये हैं कि दया धर्मका मूल है, इसलिए प्रेम छोड़ोगे तो बाजी हार जाओगे। आपमें से जो लोग अस्पृश्यताको पाप मानते हैं, वे अपने विरोधियोंका तिरस्कार करनेका पाप न करें। आप गाली देनेवालोंके साथ हँसकर बोलना। आप यदि हृदयसे उनके साथ प्रेम करेंगे और शुद्ध आचार व व्यवहार रखेंगे तो यह अस्पृश्यता-रूपी पाप चला जायेगा।

लेकिन यहाँ, काठियावाड़में, ऐसा विरोध होनेकी बात मेरे गले नहीं उतरती। काठियावाड़ तो सुदामाजीकी, श्रीकृष्णकी वासभूमि है, यहाँ तो अनिरुद्ध रहे थे। जिस भूमिपर योद्धाओंने अपना खून बहाया उस भूमिमें अस्पृश्यताको स्थान मिलेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? भंगी मुझसे कहते हैं यहाँ उनकी दशा इतनी बुरी है कि काठियावाड़से बाहर गुजरातमें भी उतनी बुरी न होगी। यह सुनकर मेरा हृदय रोता है।

नारणदास संघाणी कौन है? वह तो मेरा बच्चा है। एक समय ऐसा था जब वह पूरी तरह मेरी आज्ञाके अधीन था, केवल मेरा सेवक बनकर रहता था। उसने अपनी सारी लाइब्रेरी मुझे दे दी। लेकिन भगवानने अब उसे कुमति दी है (मैं सचमुच मानता हूँ कि भगवानने इसकी मति भ्रष्ट कर दी है) तथापि मेरे लिए तो वह अभी भी बच्चेके समान है। मैं मानता हूँ कि उसका यह तूफान लम्बे समयतक नहीं चलेगा और उसने जो प्रतिज्ञा की है वह फलेगी नहीं। लेकिन यदि ईश्वर चाहे और फले और मेरे ऊपर वह हाथ उठाये तथा आक्रमण करे तो उस समय मैं कहूँगा, "तूने जो किया सो ठीक ही किया", मैं तब भी उसे आशीर्वाद दूँगा। प्रह्लादने अपने पिताका कहना नहीं माना। उसने यही कहा कि मेरे पिता मुझसे अधर्म करवाना चाहते हैं, मुझे कुमार्गपर ले जाना चाहते हैं तब ऐसे समय पिताका अनादर करना धर्म है। नारणदास संघाणी यदि आज ऐसा मानता है कि वह मेरा प्रथम पुत्र है, परन्तु यदि उसे ऐसा लगे कि मैं पथभ्रष्ट हो गया हूँ और मेरा संहार करना चाहिए तो उसे जरूर मेरा संहार करना चाहिए। मेरा संहार करते हुए उसकी आँखोंका पर्दा हट जायेगा और तब वह आप लोगोंके पास आकर क्षमा माँगेगा और प्रायश्चित्त करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वह तो बालक है, जवान है और मैं अब बूढ़ा हो गया। मेरे ऊपर तो अनेक लोगोंने हाथ उठाये हैं तथापि मैं बच गया हूँ। मुझे एपेन्डिसाइटिसका रोग हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करते समय दीपक बुझ गया। उस समय कर्नल मैडॉक भी घबरा गये थे। लेकिन ईश्वरको मुझे बचाना था, इसलिए क्या हो सकता था? उपनिषदोंमें एक कहानी है — उसमें पवनसे कहा जाता है कि तू तिनका उड़ा दे, अग्निसे कहा जाता है कि तिनकेको जला डाल; लेकिन हमसे नहीं होता, यह कहकर अग्नि और वायु भाग खड़े होते हैं। ऐसी कहानी है। यदि ईश्वर नहीं चाहता कि मैं मर जाऊँ तो मुझे कौन मार सकता है? किन्तु मेरे दिन यदि पूरे हो गये होंगे तो भले ही मैं इस तरह बोल रहा होऊँ, चैनसे बैठा हुआ होऊँ, उस समय भी मेरे प्राण ऐसे चुपचाप निकल जायेंगे कि किसीको खबर भी न होगी और कोई उन्हें रोक भी नहीं सकेगा। लेकिन मुझे कुछ व्यावहारिक पक्षका अनुभव है, मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बातको मानना और नारणदासपर दया करना। मैं आपसे

Gandhi Heritage Portal

अपने लिए दयाकी भीख नहीं माँगता, दयाकी भीख तो मैं ईश्वरसे ही माँगता हूँ लेकिन आपसे मैं सच्चे सैनिककी प्रतिज्ञा माँगता हूँ और कहता हूँ कि यदि आप प्रतिज्ञा करेंगे तो आपको उसका पालन करना ही पड़ेगा। बिना विचारे प्रतिज्ञा करेंगे तो मैं आपको बहुत भारी पड़ूँगा, क्योंकि मैं आपसे प्रतिज्ञाका पालन करवा कर रहूँगा। इसलिए कल यहाँ आप बहुत सोच-विचारकर और सावधान होकर आना।

मुझे तीस मिनट लेने थे, लेकिन मैंने ३५ मिनट ले लिये हैं। ये पाँच मिनट लेनेका मुझे अधिकार नहीं था लेकिन भंगीके हितार्थ आपने मुझे यह छूट दी है और मैंने आपसे ली है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, परिशिष्ट, १८-१-१९२५

४२५. समापन भाषण : काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्में

[९ जनवरी, १९२५][1]

मैं जब-जब काठियावाड़ आया हूँ तब-तब मैंने अपने प्रति काठियावाड़के अपूर्व प्रेमका अनुभव किया है। इसी प्रेमका अनुभव मैंने इस बार भी किया है और इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं। हिन्दुस्तानमें मैं जहाँ-जहाँ जाता हूँ वहाँ-वहाँ मुझे काठियावाड़ ही दिखाई देता है—मुझपर प्रेमकी ऐसी ही वर्षा की जाती है। लेकिन मैं तो आपसे [इस प्रेमसे बड़ी] एक दिव्य वस्तु माँगता हूँ। आपके प्रेमसे मैं घबरा जाता हूँ, कारण आप जिस बातको स्वीकार करें उसपर यदि अमल न करें तो मेरे लिए आपका प्रेम पोषक नहीं, वरन् घातक होगा। इस प्रेमसे मेरी उन्नति नहीं हो सकती बल्कि मुझे आलस्य घेरेगा। और यदि मैं जागृत न रहूँ तो मेरी अधोगति हो सकती है। प्रेमसे मैं फूल उठूँ ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन यदि वह प्रेम कार्यरूपमें परिणत न हो तो आपके और मेरे बीचके सम्बन्धका क्या होगा? यह सम्बन्ध सार्वजनिक है, व्यक्तिगत नहीं। आपकी सेवाके लिए आपसे मेरा सम्बन्ध है, आप मुझे निजी रूपसे निमन्त्रण दें तो कदाचित् मैं उसे स्वीकार न कर सकूँ, लेकिन आप मुझे सार्वजनिक सेवाके लिए जब चाहें तब बुला सकते हैं। इसलिए जबतक आपका प्रेम सार्वजनिक कार्यमें परिवर्तित नहीं होता, तबतक इस प्रेमकी कोई कीमत नहीं। इस प्रेमकी ईश्वरके दरबारमें भले ही कीमत हो लेकिन मैं तो कुछ करना चाहता हूँ और हमारी यह मित्रता उसी कार्यके लिए है। अतः मैं आपसे ऐसे प्रेमकी अपेक्षा करता हूँ जो उस कार्यमें सहायक हो। मैं तो प्राकृत मनुष्य ठहरा, मुझमें राग-द्वेष है; भावनाओंको दबाना मेरा धर्म है। हमेशा चित्तवृत्तिके निरोधका प्रयत्न करता रहता हूँ, इसलिए प्रेम भी ऐसा चाहता हूँ, उसे ऐसा रूप देनेका प्रयत्न करता हूँ, जिससे चित्तवृत्ति शान्त हो, जिससे कि मैं जलूँ नहीं। प्रेम अग्निके समान

१. साधन-सूत्रसे।

Gandhi Heritage Portal

है, उसका सदुपयोग हो तो वह पावक अग्निके समान शुद्ध करता है नहीं तो वह सामान्य अग्निकी भाँति जलाता है, मैं जलना नहीं चाहता इसलिए मेरे प्रति आपके प्रेमका उपयोग यदि देश-कार्यमें हो तो ही उसका परिवर्तन, शुद्ध परिवर्तन है। यदि आप इतना सब स्वीकार करनेके बावजूद कुछ काम नहीं करेंगे और मुझे निराश करेंगे तो काठियावाड़का क्या होगा, इसपर खूब विचार करना।

कल रात (विषय समितिमें) अनेक बातें आपने मुझपर छोड़ दीं। आप प्रस्तावोंका एक बड़ा चिट्ठा तैयार करके लाये थे, इस आशासे कि जी-भरके अपने दुःखोंका वर्णन करेंगे और उस वर्णन-मात्रसे अपने दुःखोंको कम करेंगे। लेकिन मैंने आपको सलाह दी कि आप इस दुःखोंके वर्णनकी इच्छा छोड़ दें और उसके बजाय अपनी शक्तिका विकास करें। तथा आपने मेरी सलाह मानी। यह सलाह आपने मानी इसका कारण यह नहीं कि मैं एक बड़ा व्यक्ति हूँ, अपितु उसका कारण यह है कि मैं काम करनेवाला व्यक्ति हूँ, अनुभवकी बात कहनेवाला व्यक्ति हूँ। मैंने आपको दूसरा एक भी प्रस्ताव नहीं रखने दिया, राजाओंके विरुद्ध आपकी शिकायतों-की सार्वजनिक चर्चा नहीं होने दी, बल्कि आपके मुँहको बन्द किया है। इससे आप यह न समझना कि मैंने अपना मुँह भी बन्द किया है और अब मैं सो जाना चाहता हूँ। आपको चुप रखकर मैंने अपने ऊपर भारी बोझ ले लिया है। मैं सोना नहीं चाहता, मैं तो सारे साल काम करना चाहता हूँ। लेकिन मेरा रास्ता भिन्न है। मैंने आपको जो सलाह दी है, उसके मूलमें मनुष्यके सम्बन्धमें और काठियावाड़के राज्यकर्त्ताओंके सम्बन्धमें मेरा विश्वास निहित है; मेरी इस सलाहमें मेरे इस विश्वासका दर्शन है। अमृतसरमें मैंने मॉन्टेग्यु साहबकी निन्दा न करनेकी सलाह दी,[1] उसमें भी उनका और राजा जॉर्जका अविश्वास न करनेकी बात निहित थी। मैंने उस समय कहा था कि आप सुधारोंको स्वीकार कर लें और उन सुधारोंके तहत जितनी शक्ति अर्जित कर सकते हैं, करें। कांग्रेसने मेरी सलाहको कुछ हदतक स्वीकार किया। इसका क्या कारण था? उस समय तो लोकमान्य तिलक महाराज-जैसे योद्धा विद्यमान थे और वे मेरे विरुद्ध लड़नेकी शक्ति रखते थे। उन्होंने मेरे कथनको क्यों स्वीकार किया होगा? केवल इसीलिए कि उन्हें लगा, गांधी जो कहता है, ठीक कहता है, उन्होंने एक शब्दको बदलकर मेरे कथनको स्वीकार कर लिया। मैंने उनसे कहा : आज विश्वास रखकर आप सुधारोंको स्वीकार करें। आप और मैं जिस दिन निराश हो जायेंगे, जिस दिन ये सुधार, सुधार नहीं बल्कि भाररूप जान पड़ेंगे, उस दिन हम इनका त्याग करेंगे और उस समय हमें उनकी निन्दा करनेका अधिकार भी प्राप्त हो जायेगा। आज हमें यह अधिकार नहीं है, कारण आज तो मॉन्टेग्यु कहते हैं कि मैंने आपको जितना दिया जा सकता है उतना देनेका प्रयत्न किया है। लॉर्ड सिन्हा जो कि जानकार व्यक्ति हैं, पराक्रमी हैं और देशप्रेमी हैं, उनका भी कहना है कि सुधारोंको स्वीकार कर लो। इसके अतिरिक्त सम्राट्के सन्देशमें भी माधुर्य था। यह सब सोच-विचारकर मैंने सुधारोंको स्वीकार करनेकी सलाह दी

१. देखिए खण्ड १६, पृष्ठ ३७४-७८।

Gandhi Heritage Portal

थी। इस विश्वासकी स्थितिमें से ही असहयोगकी उत्पत्ति हुई। आज भी मैं आपको विश्वासकी नीतिका प्रयोग करनेकी सलाह दे रहा हूँ। लेकिन आप १९१९ की उपमाको ठीक अन्ततक मत खींचियेगा। उसका आप इतना अर्थ करनेके अधिकारी हैं कि मैं सोनेवाला नहीं हूँ। आपने मेरे आगे जितनी बातें बताई हैं उनसे अधिक दुःखकी पुकार मैंने सुनी है। वे सब सच हैं अथवा झूठ सो मैं नहीं जानता। यदि ये सच साबित होंगी तो मेरे पास जितना समय होगा, मुझमें जितनी चतुराई होगी वह सब मैं खर्च कर डालूँगा। मैं राज्यकर्त्ताओंसे मिलनेका प्रयत्न करूँगा। मुझे वे मिलनेकी अनुमति देंगे तो उनसे मैं एक दीनकी तरह मिलूँगा और यदि उनकी अनुमति मिली तो उनके साथ मेरी क्या बातचीत हुई उसे सार्वजनिक रूपसे प्रकट करूँगा। धोराजीवाले मुसलमान भाई मेरे पास आये थे। उन्होंने मुझसे कहा कि यह काठियावाड़ राजनीतिक परिषद् कहलाती है तो क्या आप हमें धोराजीके सम्बन्धमें एक भी शब्द नहीं कहने देंगे? मैंने कहा, "नहीं"। कारण, उनकी शिकायतमें कितना सच और कितना झूठ है सो मैं जानता हूँ। गोंडलके ठाकुर साहबको मैं जानता हूँ। मैं उनसे परिचित हूँ, उनके प्रति मेरे मनमें आदर है और मैं जानता हूँ कि वे सुयोग्य शासक हैं। उनके हाथों प्रजाका नुकसान हो यह विचार मेरे लिए असह्य है। एक, दो अथवा पचास व्यक्तियोंके कहनेपर मैं उनकी भर्त्सना कैसे कर सकता हूँ? मुझसे उनकी निन्दा कैसे हो सकती है? मैं जबतक उनसे मिल नहीं लेता उनके अधिकारियोंसे बातचीत नहीं कर लेता, तबतक किसी तरहकी सलाह देना मेरे स्वभावके विरुद्ध है। इसलिए मैंने धोराजीवालोंसे कहा कि आप जो कहते हैं, मैं उसकी पूरी-पूरी जाँच करूँगा। अब तो मौलाना शौकत अली आ गये हैं इसलिए मुझमें अधिक बल आ गया है। मेरे लिए हिन्दू और मुसलमानके बीच कोई भेद नहीं लेकिन इन लोगोंको इस बातकी क्या खबर हो सकती है? इसलिए मैंने उनसे कहा कि मौलाना और मैं, दोनों मिलकर आपको सलाह देंगे, और उन्होंने भी कहा कि आप जो सलाह देंगे उसे हम स्वीकार करेंगे।

जो बात गोंडलपर लागू होती है वही जामनगरपर भी लागू होती है। जामनगरके सम्बन्धमें भी मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आई हैं। यदि राजाको कोई प्रजा-जन मित्र कह सकता है तो मैं और जामसाहब बालमित्र थे। जामसाहबके नाम स्वर्गीय केवलराम भावजीका सिफारिशी पत्र लेकर ही मैं विलायत गया था। इस पत्रसे मुझे अपने कार्यमें बहुत सहायता मिली। वहाँ मैं उनसे अनेक बार मिला। उस समय हम सबके मनमें, जो उनके समकालीन थे, यह साध थी कि यदि उन्हें जामनगरकी गद्दी मिले तो कितना अच्छा हो। लेकिन आज तो मैं उनकी बहुत निन्दा सुन रहा हूँ। वह सब सच है अथवा झूठ, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मेरी इच्छा है कि एक भी बात सच न हो। मैं यह भी चाहता हूँ कि जाने-अनजाने, उनके हाथों अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे प्रजापर जो अत्याचार हुआ है, उसे वे अपने हाथोंसे धो डालें। उन्हें चिढ़ाना मेरा काम नहीं है। उन्हें नम्रतापूर्वक कहना मेरा काम है और मेरा काम इसके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। अपने दुश्मनोंको

Gandhi Heritage Portal

भी, यदि कोई दुश्मन हो तो, उदाहरणके रूपमें, सर माइकेल ओ'डायर मुझे दुष्टसे भी दुष्ट मानते हैं, लेकिन यदि वे यहाँ सम्राट्के प्रतिनिधि बनकर आयें तो उनसे भी मैं नंगे पाँवों जाकर मिलूँगा। फिर, जामसाहबके साथ अविनयकी बात तो स्वप्नमें भी नहीं सोच सकता।

इन दोनों राज्योंके सम्बन्धमें मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आई हैं, बहुत सारे कागज पड़े हुए हैं, लेकिन मैं तबतक इस सामग्रीका उपयोग नहीं कर सकता जब तक पूरी जाँच करनेके लिए ठीक-ठीक उपाय नहीं कर लिए जाते। इसलिए मैं प्रकट रूपसे कदापि इनकी निन्दा नहीं कर सकता, लेकिन इन शिकायतोंको मैं भूलनेवाला नहीं हूँ। इस वर्ष इन शिकायतोंको दूर करवानेके लिए मुझसे जो-कुछ हो सकेगा सो मैं करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि वर्षके अन्तमें अपने कामकी दैनन्दिनी आपके सम्मुख रखूँगा।

अब मेरी आपसे एक प्रार्थना है। आप सार्वजनिक अथवा खानगी रूपसे कड़वी टीका करके अपने ही काममें विघ्न न डालना। सार्वजनिक रूपसे टीका करके आप शासकोंको चिढ़ाना नहीं; कारण; वे राजा हैं, अधिकारी हैं और अधिकार अन्धा होता है। रामचन्द्रजी क्या हर युगमें हुए हैं? उमर-जैसे खलीफा क्या हर युगमें होते हैं? इस्लामको वैभवके शिखरपर पहुँचानेवाले चार खलीफाओंका कार्यकाल ३० वर्षमें पूरा हो गया। उसके बाद जितने खलीफा हुए, उनमें से कोई भी उनके समकक्ष नहीं हुआ। यह जगतका न्याय है। रत्न तो दुर्लभ होते हैं। खानको गहरे खोदा जाता है तब कहीं किसी जगह वे मिलते हैं। इसलिए राजा जब चिढ़ उठे, क्रोध करे तब मैं ऐसा नहीं मानता कि वह बेवकूफ है। क्रोध तो मुझमें भी है और आपमें भी है। राजा कोई योगी नहीं है और हम भी योगी नहीं हैं। ऐसे योगीका उदाहरण —— केवल जनक विदेहीका है। मैं कहता हूँ कि उनका ही उदाहरण है, क्योंकि वे प्राकृत मनुष्य होते हुए भी योगी हो गये। रामचन्द्र तो अवतार कहे जाते हैं। इतिहास हमें बताता है कि जनक विदेही-जैसा एक भी अन्य उदाहरण इस पृथ्वीपर नहीं मिलता। राजा अधिकारी तो है ही और चूँकि वह अधिकारी है इसलिए उसकी कोई-न-कोई बात तो सहन करनी ही होगी। हमें जब लोकतान्त्रिक-राज्य मिलेगा तब भी कोई अधिकारी तो होगा ही, जिसकी थोड़ी-बहुत बात हमें सहनी ही पड़ेगी। मेरी ही कितनी बातें आपको सहन करनी पड़ी हैं। क्या मैंने अपने अधिकारका अन्धा उपयोग नहीं किया होगा? एक शास्त्रीने मुझसे भाषण करनेकी अनुमति माँगी, मैंने उन्हें नहीं बोलने दिया। एक [जैन] मुनिकी भी बोलनेकी इच्छा थी, उनसे मैंने कहा कि मैं आपको बोलनेकी होड़में नहीं उतरने दूँगा। आप तो घर-घर जाकर लोगोंसे चरखा कतवायें। ऐसा करनेमें मैंने विनयसे काम लिया कि अविनयसे, यह मैं कहाँ जानता हूँ? लेकिन इन दो दिनोंतक तो, मैं जैसा भी था, था तो राजा। कोई व्यक्ति चाहे कैसा भी क्यों न हो; भले ही चौथे अथवा पाँचवें वर्गका हो तो भी वह राजा तो है और जहाँ पद होगा वहाँ राज्याधिकार होगा ही और जहाँ राज्याधिकार होगा वहाँ क्रोध एवं अन्यायके लिए अवकाश रहता ही है। अतः शासकोंके शासनसे मिलने-वाले कड़वे घूँट हमें पीने ही पड़ेंगे।

Gandhi Heritage Portal

आपके सामने मैंने दो पक्ष रखे हैं — राजपक्ष और प्रजापक्ष। काठियावाड़के राजाओंके हाथों अन्याय हो, यह मेरे लिए असह्य है। मैं उन्हें इतना ही कहूँगा कि आप किस भौतिक लाभके लिए यह अन्याय कर रहे हैं। प्रजासे इतना ही कहूँगा कि वह खामोशीसे सहन करना सीखे। प्रजाके हकोंके सम्बन्धमें मैंने अपने मुद्रित भाषणके अन्तिम अनुच्छेदमें कुछ कहा है। इस अनुच्छेदको आप अनेक बार पढ़िये और याद कर लीजिए। जिसने केवल अधिकारों को चाहा है, ऐसी कोई भी प्रजा उन्नति नहीं कर सकी है, केवल वही प्रजा उन्नति कर सकी है, जिसने कर्त्तव्यका धार्मिक रूपसे पालन किया है। कर्त्तव्योंके पालनसे उन्हें अधिकारकी प्राप्ति हुई ही। कर्त्तव्यका पालन करते-करते ईश्वरसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इन अधिकारोंकी प्राप्ति भी हो। हमारे शास्त्र मातृ-भक्ति और पितृ-भक्ति सिखाते हैं। इसका अर्थ क्या है? मेरे पिता मुझसे रुष्ट हो जायें, मुझे गाली दें, मारें तो भी मैं उनकी सेवा करूँ, ज्यादासे-ज्यादा उनसे इतना ही कहूँ कि, "पिताजी, इतना ज्यादा मत मारो।" इसका क्या कारण है? आपके सम्मुख गर्जना करनेवाले यह शौकत अली — अपनी माँका राक्षस-जैसा विशालकाय बेटा — अपनी माँके धमकानेपर चुपचाप बैठ जाते थे। इसका रहस्य क्या है? इसका कारण यह है कि माता-पिताके बाद उन्हें अधिकार मिलता है — विरासत मिलती है। इस आज्ञा-पालनके पीछे पिताकी विरासत मिलनेकी बात छिपी हुई है। किन्तु यदि इस विरासतकी आशा रखकर मैं आज्ञा-पालन करूँ तब तो मैं मर ही जाऊँ। इसलिए शास्त्र हमें यह भी सिखाते हैं कि ऐसी आशा रखे बिना ही हम आज्ञाका पालन करें। ऐसे कठिन हैं हमारे शास्त्र। हककी आशा न रखनेवाला हक प्राप्त करता है और हककी बात करनेवाला परास्त होता है, यह नियम है। और इसी नियमको मैं आपके सामने रखता हूँ। यदि आप इस नियमका पालन करेंगे तो आप समझना कि आपने काठियावाड़के स्वराज्यकी एक विनयी सेना तैयार की है। इस वर्ष आप ऐसे विनयी कार्यकर्त्ताओंकी सेना तैयार करें तो फिर बादमें कोई राजा आपका तिरस्कार नहीं कर सकता। अभी आपको यह आशंका होती है कि कोई राजा आपको अपने राज्यमें परिषद् बुलाने देगा अथवा नहीं। सोरठवालोंने परिषद् अपने यहाँ करनेका आमंत्रण दिया, सो डरते-डरते दिया। उनके मनमें भय था कि हमने परिषद् अमुक स्थानमें करनेका विचार किया और कहीं राजाने इनकार कर दिया तो क्या होगा? अतएव आप अपना वातावरण इतना स्वच्छ करें, अपने चारित्र्यबलका इतना विकास करें कि कोई राजा आपको इनकार कर ही न सके। मेरी सलाहका अर्थ यह न लगाना कि आपको न करने योग्य काम भी करना है, आपके आत्म-सम्मानको ठेस पहुँचे ऐसा काम करना है। बड़ेसे-बड़ा काम करते हुए भी आप अपने आग्रहको मत छोड़ना, सत्यको न छोड़ना और उसी तरह विनय तथा मृदुताको भी न छोड़ना। मैं स्वयं पत्रकार हूँ और वह भी एक प्रतिष्ठित पत्रकार। मैं १९०४ से यह काम करता आया हूँ तथा मैं मानता हूँ कि यह काम मुझे अच्छी तरहसे आता है। कारण, जब मेरा सौ विषयोंपर लिखनेका इरादा होता है तब मैं एक विषयपर लिखता हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव है। अब यदि मैं 'यंग इंडिया'में परस्पर एक दूसरेकी, एक-दूसरेको दी गई, गालियाँ और जिस-तिसकी शिकायतोंको

Gandhi Heritage Portal

छापने लगूँ तो इस समय उसकी जो प्रतिष्ठा है क्या वह रह सकती है? 'नवजीवन' में मेरे पास जो-कुछ आता है, अगर वह सबका-सब प्रकाशित कर दूँ तो क्या उसका कोई पाठक रह जायेगा? इस नियमको लेकर ही मैंने इन दो पत्रोंके लिए कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इस नियममें भी कभी-कभी भूल हो जाती है। इसलिए राजनीतिज्ञों और लेखकोंसे मैं कहता हूँ कि आप कलमको बसमें रखें और आत्माका विकास करें। शब्दका नियन्त्रण कीजिये, आत्मोन्नतिका नहीं। खुशामद भी न करना और क्रोध भी न करना। संयममें खुशामद नहीं है, जबकि क्रोध — तीखा शब्द — खुशामदसे भी ज्यादा खराब है। खुशामद और क्रोध एक ही वस्तु है — दुर्बलताके दो पक्ष हैं। टेढ़ा पक्ष क्रोध है। दुर्बल व्यक्ति खुशामद करता है अथवा अपनी दुर्बलता ढकनेके लिए क्रोध करता है। कोई भी क्रोधी पुरुष यह न माने कि उसने बल प्रदर्शित किया है। बल तो कर्ममें है और कर्मका अर्थ है धर्म-पालन। जगतके हृदय-साम्राज्यका उपभोग करनेवालोंने अपनी इन्द्रियोंको संयमकी अग्निमें भस्मीभूत किया है। आप भी यदि काठियावाड़का उद्धार करना चाहते हैं तो याद रखिए कि आप शान्ति और संयमसे ही उसे साध सकेंगे। राजा अपना काम दण्डके द्वारा करता है। आप अपना काम सेवा और प्रेमसे करें; राजा तथा प्रजा दोनोंपर अपनी सेवा और प्रेमकी ऐसी वर्षा करें कि उससे उत्पन्न काठियावाड़की सुवर्ण वाटिकाको सब लोग देखनेके लिए आयें। यदि मुझे आशीर्वाद देनेका अधिकार है तो मेरा आशीर्वाद है और नहीं तो मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा [शुभ] दिन तुरन्त आये।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, परिशिष्ट, १८-१-१९२५

४२६. भाषण : शामलदास कालेज, भावनगरमें

९ जनवरी, १९२५

मुझे आज विद्यार्थी-धर्मपर बोलना है। यह आसान भी है और मुश्किल भी। विद्यार्थियोंकी स्थितिको हिन्दू-धर्ममें ब्रह्मचर्यकी स्थिति कहा गया है। ब्रह्मचर्यका सामान्यतः जो अर्थ किया जाता है, शास्त्रोंमें उसका वह अर्थ नहीं है। सामान्य अर्थ संकुचित है। मूल अर्थमें तो ब्रह्मचर्य विद्यार्थीकी स्थितिका ही पर्याय है। ब्रह्मचर्यका अर्थ है हरएक इन्द्रियका संयम। परन्तु उसके द्वारा विद्या प्राप्त करनेके सारे कालका समावेश ब्रह्मचर्य-आश्रममें हो जाता है। ब्रह्मचर्यके इस निर्दोष जीवनमें देनेकी बातें कम और लेनेकी ज्यादा हैं। इस दशामें वह माँ-बापसे, शिक्षकोंसे, समाजसे ग्रहण ही करता है। पर यह किसलिए? इसीलिए कि मौका पड़नेपर वह वापस दिया जाये — चक्रवृद्धि ब्याजके साथ लौटाया जाये। इसीलिए तो समाज ब्रह्मचर्य-आश्रमको पोषण प्रदान करता है।

ब्रह्मचर्याश्रम और संन्यासाश्रम, दोनोंके कार्य हिन्दू-धर्ममें एक-से बताये गये हैं। विद्यार्थीको संन्यासी होनेके लिए इच्छा नहीं करनी पड़ती, बल्कि वह स्वभावतः ही

Gandhi Heritage Portal

संन्यासी है। आज तो विद्यार्थियोंके मन भी खराब हो गये हैं। मेरी मति १२ सालकी उम्रमें ही भ्रष्ट हो गयी थी। मुझे विकारोंका ज्ञान उस छोटी उम्रमें हो गया था। विद्यार्थीका जीवन स्वभावतः निर्विकार होना चाहिए। इतनी कच्ची उम्रमें विकारोंका ज्ञान हो जाये, ऐसे पतनके हजारों उदाहरण मिलते हैं, लेकिन सत्यका दर्शन करानेके लिए मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ। विद्यार्थी-जीवन स्वभावतः ही संन्यासी-जीवन है। पर संन्यासी उस दशाको अपनी इच्छा करके प्राप्त करता है। आज तो तमाम आश्रम छिन्न-भिन्न हो गये हैं, सिर्फ नाम ही बाकी रह गये हैं। आश्रमोंके लिए मेरे मनमें इतना ऊँचा स्थान है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। जो हो, उनका आन्तरिक सत्य तो यही है और उसमें हमें विद्यार्थी-धर्मका दर्शन हो जाता है।

विद्यार्थी-धर्मका ज्ञान आज कैसे हो सकता है? आज तो माता-पिता भी उलटा पाठ पढ़ाते हैं। विद्याकी प्राप्तिके लिए नहीं, बल्कि इस गरजसे कि लड़का पढ़-लिखकर धन कमाये, पद-प्रतिष्ठा प्राप्त करे, इसलिए वे उसे विद्या पढ़ाते हैं। इस तरह हमारी स्थिति जैसी होनी चाहिए उससे उलटी बना दी गई है। जो हमारा धर्म होना चाहिए, उसे छोड़कर हम विद्याका दुरुपयोग कर रहे हैं। फलतः विद्यार्थी-जीवनमें जो परम शान्ति, जो सुख, जो शुद्धता होनी चाहिए वह हमें दिखाई नहीं देती। हमारे विद्यार्थी विद्यार्थी-अवस्थामें ही चिन्ताओंके बोझसे दबे नजर आते हैं। लेकिन इस अवस्थामें देनेकी तो बात ही नहीं है; केवल ग्रहण करना, लेते रहना और लेनेमें विवेक-बुद्धिसे काम लेना इतना ही काम विद्यार्थीका है। अनेक प्रयोगोंके द्वारा शिक्षक हमें इसी विवेक-बुद्धिकी शिक्षा देता है। वह बताता है कि कौन चीज ग्राह्य है, कौन त्याज्य है। यदि हमें यह विद्या ज्ञात न हो तो हम एक यन्त्र बन जाते हैं। लेकिन हम तो सजीव हैं, चेतन हैं और चेतनका स्वभाव है यह समझ लेना कि कौन वस्तु ग्राह्य है और कौन त्याज्य। इस कारण इस अवस्थामें हम सत्यका ग्रहण, असत्यका त्याग, मधुर-वाणीका ग्रहण, कठोर और दुःखकर वाणीका त्याग, आदि बातें सीखते हैं और उसके सीखनेसे जीवन सरल हो जाता है।

तुम्हें लगेगा कि यह तो हिन्दू धर्मपर व्याख्यान सुनाने आया है। लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने अपनी बात रखने आया हूँ — और मेरी बात इसके सिवा क्या हो सकती है? उसीको स्पष्ट करनेके लिए मैंने यह सारा विश्लेषण किया है। मैं कह चुका हूँ कि ब्रह्मचारीको ग्राह्य और त्याज्यका भेद करना सीखना चाहिए। पर आज तो हमने धर्मको संकर कर डाला है और हमें इस संकरके खिलाफ लड़ना है। यदि माता-पिताने दूसरे प्रकारकी शिक्षा दी होती और वायुमण्डल बिगाड़ा न होता तो विद्यार्थियोंको इस वायुमण्डलका मुकाबला करनेकी जरूरत न रहती। प्राचीन कालमें विद्यार्थी-जीवन ऋषियोंके आश्रमोंमें व्यतीत होता था। पर आज हालत उलटी है। जहाँ समुद्रकी स्वच्छ हवा आती हो, वहाँ खूब खुलकर हवा खानी चाहिए। पर जहाँ बदबू आती हो वहाँ मुँह बन्द कर लेना चाहिए। यहाँका वायुमण्डल बदबूसे भरा हुआ है। इसीलिए उसके खिलाफ आवाज उठाये बिना मेरे लिए कोई चारा नहीं। इस कसौटीके अनुसार तुम देखोगे कि आज तुमको बहुतेरी चीजें त्याग देनी पड़ेंगी। बहुत-सी बातें ऐसी होंगी जो महज नुकसानदेह हैं। प्राचीनकालमें मौखिक शिक्षा दी जाती थी। मंत्र

Gandhi Heritage Portal

ही सिखाये जाते थे। मंत्र क्या है? संक्षिप्त भाषामें कहा हुआ सार-तत्त्व। इसके बाद उसपर टीकाएँ हुई। आज तो पुस्तकोंका ढेर लग गया है। मैं यदि अपने ही कालकी बात करूँ तो मुझे ऐसी अनेक चीजें याद आती हैं, जो त्याग करने लायक थीं। छठी-सातवीं श्रेणीके विद्यार्थियोंमें कौन रेनॉल्ड्सके उपन्यास नहीं पढ़ता था, यह कहना कठिन है। पर मैं तो था मन्द-बुद्धि। मैं महज पास होनेका ही खयाल करता था। पिताकी सेवा करना और पास होनेके लायक किताबें पढ़ लेना, यही मेरा काम था। इससे मैं उन उपन्यासोंसे बच गया। औरोंपर ऐसी पुस्तकोंका क्या असर होता है, सो मैं नहीं जानता। पर विलायतमें मैंने देखा कि समाजके शिष्ट वर्गोंमें ये पुस्तकें पढ़ी नहीं जाती थीं। उनका पढ़ना अच्छा नहीं समझा जाता था। सो मैंने देखा कि उनके न पढ़नेसे मेरी कुछ हानि न हुई।

इसी प्रकार आज अनेक चीजें ऐसी हैं जिनसे मुँह मोड़नेकी जरूरत है। हम बड़ी विषम स्थितिमें आ फँसे हैं। आज तो १२ सालकी उम्रमें आजीविकाका विचार करना पड़ता है। यह विद्यार्थी-आश्रमके साथ गृहस्थाश्रमका संकर हुआ। गंगा-जमनाका संगम तो सुन्दर है; पर यह संगम नहीं, संकर है। अतएव विद्यार्थियोंको आज यह जान लेना चाहिए कि देशमें क्या हो रहा है। आज शायद ही कोई विद्यार्थी ऐसा होता है जो अखबार न पढ़ता हो। मैं किस तरह कहूँ कि आपको अखबार न पढ़ना चाहिए? पर विद्यार्थियोंसे मैं इतना तो जरूर कहूँगा कि अखबारोंके क्षणिक साहित्यकी ओर आँख उठाकर न देखना। उसमें सच्चा साहित्य, शिष्ट भाषा नहीं मिलती। उनसे जो बातें मिलती हैं वे क्षणिक होती हैं। हमें जरूरत तो स्थायी भाषा ग्रहण करनेकी है। विद्यार्थी जीवन, जीवनकी बुनियाद है, जीवनकी तैयारी है। इस कालमें हम अपने लिए अखबारोंसे विचार-सामग्री किस तरह ले सकते हैं। यदि तुम कहो कि हम अखबार नहीं पढ़ेंगे तो तुम्हारा यह कहना स्वाभाविक नहीं होगा। क्योंकि तुम तो दास या गांधीका भाषण पढ़कर कहो कि अमुक भाषण बढ़िया था और अमुक यों ही था —— यह स्थिति दयाजनक है, भयंकर है। इससे हमें बाहर निकलना ही होगा। यह बात मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैंने शिक्षाके अनेक प्रयोग किये हैं। अपने लड़के-बच्चे और औरोंके लड़के-लड़की या जवान लड़के-लड़कियोंको साथ रखकर शिक्षा देनेकी भयंकर जोखिम मैंने उठा देखी है। पर मैं पार हो गया; क्योंकि जिस तरह माता-पिताकी आँख जवान लड़कीकी गति-विधिका निरीक्षण करती रहती है उसी तरह मैं भी चारों ओर नजर रखता था। मैंने उन लड़के-लड़कियोंके माँ-बापका स्थान लिया था; उनपर डिटेक्टिवकी तरह नजर रखता था। राजा भी था और गुलाम भी था। इससे मुझे इस बातका अनुभव हुआ कि शिक्षा क्या चीज है? कैसी होनी चाहिए? और इसका विचार करते-करते मैंने सत्याग्रहको पाया, मुझे असहयोगका दर्शन हुआ। और इसलिए मुझे इन प्रयोगोंका साहस हुआ। आप ऐसा न समझना कि मैंने ये प्रयोग केवल स्थूल स्वराज्यके लिए किये हैं। मैंने तो संसारके सामने एक चिरंतन सनातन धार्मिक वस्तु रख दी है। इसकी जड़ें गहरी पहुँच गई हैं, इसलिए लड़कोंके सामने भी इसे पेश करते हुए मुझे संकोच नहीं होता। इसकी निर्दोषताको मैं किस प्रकार प्रकट करूँ? मैंने जब देखा कि मेरे शान्तिके प्रयोगसे अशान्ति फैली तो मैंने

Gandhi Heritage Portal

तुरन्त अपने हथियार वापस खींच लिये और सिर्फ एक ही शान्तिका हथियार — चरखा — देशके सामने रख दिया। इसे देखकर पहले तो लोग हँसे, फिर तिरस्कार प्रकट करने लगे और अब उसका स्वागत करनेका समय आ रहा है। अब मैं विद्यार्थियोंसे कह रहा हूँ कि इसे अपनाओ। कांग्रेसमें भी चरखेका प्रस्ताव हुआ और यदि लॉर्ड रीडिंगसे मिलनेका अवसर आये तो अब मैं उनसे भी यही कहूँगा कि जनाब चरखा कातिए। यह सुनकर आपको हँसी आई, पर मैं गंभीरताके साथ कह रहा हूँ। मैं उन्हें यह कहते हुए जरा भी न हिचकूँगा और यदि वे न माने तो नुकसान उनका है, मेरा बिलकुल नहीं। जो भिक्षा माँगता हो उसका क्या नुकसान होगा? उसका तो वह धर्म ही है, पेशा ही है। मेरा यह धर्म है कि उनके सामने हाथ फैलाकर उन्हें पुण्य करनेका अवसर दूँ। अच्छीसे-अच्छी चीज ग्रहण करनेका मौका उनके सामने उपस्थित करूँ। अगर वे उसे न अपनावें तो हानि उनकी होगी। कलकत्तेके बड़े पादरी साहबसे मैंने अपनी भजन-मण्डलीमें बैठनेका अनुरोध किया। वे बैठे और उन्होंने भजन गाया। इससे उनके और मेरे बीच प्रेमकी गाँठ बँध गई। पर इतनेसे ही मुझे सन्तोष न हुआ। मैंने उनसे चरखेकी बात कही। कर्नल मैडॉकने मेरी जान बचानेके लिए मेरे पेटमें नश्तर लगाया। अनेक औजारोंका प्रयोग किया। मैंने उनके सामने भी चरखेकी बात पेश की। श्रीमती मैडॉक जब विलायत जाने लगीं तो मैंने उन्हें खादीका तौलिया देकर चरखेका संदेश वहाँ भेजा। उन्होंने उसे प्रेमपूर्वक ग्रहण कर लिया और कह गई हैं कि मैं घर-घर इस तौलियेका सन्देश पहुँचाऊँगी।

यह चीज बिलकुल निर्दोष है। इसमें स्वाद नहीं हो सकता। आरोग्यप्रद भोजन चटपटा और तेज नहीं होता। राजकोटमें एक हलवाई था; वह बहुत तेज भजिये बनाता था। उनमें बहुत तरहके मसाले डालता था और इन भजियोंके लिए सैकड़ों लोग उसी दुकानपर दौड़ते थे। लेकिन उनमें ऐसा कोई गुण तो था नहीं कि वे खानेवालेका आरोग्य-वर्धन कर सकें। अनेक चीजें ऐसी होती हैं जो नीरस मालूम होती हैं पर दरअसल होती सरस हैं। इसी कारण 'गीता' का यह महावचन है, 'जो बात आरम्भमें कड़वी परन्तु परिणाममें अमृतमय हो' उसे ग्रहण करो। ऐसी अमृतप्राय वस्तु सूतका तार है। आत्माको शान्ति देनेके लिए, विद्यार्थी-कालमें जीवनको शान्ति देनेके लिए, जीवनमें धर्मको स्थान देनेके लिए, इसके सदृश सामर्थ्यवान् यज्ञ दूसरा नहीं है। हिन्दुस्तानके लिए मैं आज दूसरी चीज नहीं दे सकता — गायत्रीको भी सारे हिन्दुस्तानके सामने पेश नहीं कर सकता। क्योंकि यह युग व्यावहारिक युग है, तत्काल परिणाम देखना चाहता है। मैं गायत्री जरूर उपस्थित कर सकता हूँ, पर तत्काल परिणाम क्या दिखाऊँगा? पर चरखा ऐसी चीज है कि आप सूतका तार निकालते जाइए, रामका नाम लेते जाइए और आपको सब-कुछ मिल जायेगा।

ट्यूडर ओवन साहब यहाँ एक बड़े हाकिम थे। आज वे पंचमहालमें हैं। उन्हें मैंने अपनी पाँतमें मिला लिया। उसका छुपा भेद मैं आज प्रकट करता हूँ। उन्होंने मुझे लिखा है कि चरखा मुझे बड़ा प्रिय हो गया है। मेरी अंग्रेजी 'कॉमनसेंस' (व्यवहार-बुद्धि) कहती है कि वह मेरी बढ़िया 'हॉबी' (शौक) है। मैंने उनसे कहा कि आपके लिए यह 'हॉबी' होगी हमारे लिए तो यह कल्पद्रुम है। अंग्रेजी जीवन

Gandhi Heritage Portal

मुझे पसन्द नहीं। पर उसके कितने ही रसका स्वाद मैं लेता हूँ——क्योंकि मधुमक्खियोंकी तरह मैं तो मधुरताकी खोज करता रहता हूँ। इन लोगोंकी 'हॉबी' में बहुत रहस्य भरा रहता है। कर्नल मैडॉक एक आँखसे अंधे थे। नश्तर लगाते हुए ही एक आँख चली गई। उनकी उम्र भी कोई साठ सालकी होगी, फिर भी वे शल्य-क्रियामें निपुण थे। चाकूसे सीधा नश्तर लगाते, पर खबरतक न होती। वे चौबीसों घंटे नश्तर नहीं लगाया करते थे। परन्तु दो घंटे वे अपनी 'हॉबी' को——बगीचेमें काम करनेके लिए देते थे। और इससे उनका जीवन रसमय बना हुआ था।

मैं तुम्हारे सामने चरखा इसलिए रख रहा हूँ कि तुम्हारा जीवन रसमय हो, तुम्हें धर्म मिले, कर्म मिले, शान्ति मिले, विवेक मिले। विद्यार्थी-जीवनमें श्रद्धा बड़ी जरूरी चीज है। किसी बातको बुद्धि स्वीकार न करती हो तो भी उसे मान लेना पड़ता है——मेरे पारसी मित्र स्वीकार करेंगे, क्योंकि भूमितिमें वे मेरे ही जैसे शून्य होते हैं——कितनी ही बातें मान लेनी पड़ती हैं। भूमितिमें मेरी गति ही रुक जाती थी। २४ वाँ साध्य तो समझमें आता ही न था। पर मैं किसी तरह गाड़ी खींचता। आज वह विषय मुझे बड़ा आनन्दमय मालूम होता है। आज अगर भूमितिकी पुस्तक हाथमें आ जाय तो मैं उसमें डूब सकता हूँ। विद्यार्थी-जीवनमें चित्त श्रद्धामय होनेके कारण ही मैंने यह मान लिया था कि किसी-न-किसी दिन इसका मर्म समझमें आ जायेगा। तुममें भी यदि श्रद्धा होगी तो तुम्हें मालूम हो जायेगा कि एक व्यक्तिने जो बात कही थी, वह सच थी। चरखेपर खूब विचार करके ही एक शास्त्रीने 'गीता' का यह श्लोक चरखेपर घटाया है——

> "नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।
> स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।।"[1]

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १८-१-१९२५

४२७. स्वराज्यके व्यापारी

सदस्यताकी शर्तोंमें जो नवीन परिवर्तन हुए हैं, ऐसा लगता है, वे अब भी बहुतोंको भयानक मालूम होते हैं। इसपर मुझे ताज्जुब नहीं होता। नई चीज बहुतोंको कई बार दुविधामें डाल देती है, कितनी ही बार डर पैदा कर देती है। मुझे आशा है कि वक्तके साथ-साथ डर जाता रहेगा और लोग सदस्यताकी शर्तमें चरखेको स्थान मिलनेका महत्त्व समझ जायेंगे। इसे समझनेमें मदद करनेके लिए इतना आवश्यक है कि जिन लोगोंका चरखेपर विश्वास है, उसपर अटल रहकर अपना विश्वास साबित करें। प्रान्तीय कमेटियोंकी राह न देखकर जो पहलेसे कात रहे हैं वे ज्यादा नियमपूर्वक कातें और जो न कातते हों, वे कातना शुरू कर दें। जैसे-जैसे दो-दो हजार गजकी आँटियाँ तैयार होती जायें, वैसे-वैसे वे उन्हें अपनी-अपनी प्रान्तीय कमेटियोंको

१. **भगवद्गीता**, अध्याय २, श्लोक ४०।

Gandhi Heritage Portal

भेजते जायें और अपने नाम दर्ज कराते जायें। इसके लिए प्रान्तीय कमेटीके नोटिसकी राह देखनेकी जरूरत नहीं।

जो लोग कातते हैं, उन्हें औरोंको समझानेका भी काम शुरू कर देना चाहिए।

और जो बात कताईपर घटती है, वही खादीपर भी घटती है। अभी खादीका काफी प्रचार करनेकी जरूरत है। दाहोद और गोधराके सफरमें मैंने देखा कि अभी बहुत थोड़े लोग खादी पहनते हैं। यह भी सुनता हूँ कि बहुतेरे लोग सिर्फ सभा-सम्मेलनमें ही खादी पहनते हैं। इस तरह कहीं विदेशी कपड़ेका बहिष्कार हो सकता है? स्त्रियोंमें तो मुझे खादीका बहुत कम प्रचलन देखनेको मिला। सो दाहोद और गोधराके स्वयंसेवकोंको मेरी खास सलाह है कि वे इन दोनों शहरोंमें घर-घर जाकर लोगोंको खादीके इस्तेमालकी जरूरत और कताईका कर्त्तव्य समझायें।

व्यापारी जिस तरह रात-दिन अपने व्यापारकी बढ़तीकी योजना ही बनाता रहता है, उसी तरह हमें भी करना चाहिए। हम स्वराज्यके व्यापारी हैं। हम जानते हैं कि विदेशी कपड़ेका बहिष्कार सम्पन्न होनेसे ही स्वराज्यका व्यापार बढ़ सकता है।

हरएक स्वयंसेवकको अपनी जिम्मेवारी समझ लेनी चाहिए। हर व्यक्ति डायरी रखे और रातको अपने मनसे नीचे लिखे सवाल पूछे और उनके जो जवाब मिलें उन्हें उसमें लिख ले।

१. आज मैंने कितना गज सूत काता?
२. आज मैंने कितनोंको सूत कातनेके लिए समझाया?
३. आज मैंने कितनोंको खादी पहननेपर रजामन्द किया?

जो व्यक्ति ईमानदारीके साथ इन सवालोंके जवाब हमेशा अपनी डायरीमें लिखता रहेगा, वह शीघ्र ही यह देखेगा कि उसकी काम करनेकी शक्ति बढ़ रही है। थोड़ा-बहुत पुरुषार्थ तो मनुष्य-मात्रमें है और हमेशा अपनी हारकी बातें लिखना उसे पसन्द नहीं आता। इसलिए ईमानदार आदमी उस हारको हरा देता है और फतह हासिल करता है। अच्छा व्यापारी अपने कामका रोजनामचा रखता है और उसका अमूल्य लाभ जानता है। जहाजके कप्तानके लिए तो रोजनामचा रखना लाजिमी होता है। फिर, स्वराज्यके व्यापारी क्यों न रोजनामचा रखें? हताश जनता यदि आशावान बनना चाहे तो उसके लिए कांग्रेसने प्रशस्त राजमार्ग दिखा दिया है। हम यदि आलस्यको छोड़ देंगे और उद्यम करेंगे तो हमें तुरन्त उसका मीठा फल चखनेको मिलेगा। यह समय न तो टीका-टिप्पणीका है, न शंका-संशयका है। यह मुँह बन्द करके चुपचाप सिर्फ काम करनेका, अर्थात् सूत कातनेका और कतवानेका, खादी पहननेका और दूसरोंको उसे पहननेके लिए राजी करनेका समय है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, ११-१-१९२५

Gandhi Heritage Portal

४२८. पत्र : मथुरादास त्रिकमजीको

पोष बदी २ [१२ जनवरी, १९२५][1]

काठियावाड़की यात्रामें तुम्हारी और आनन्दकी याद आती रही। तुम्हारी उपस्थितिकी और आनन्दके स्वास्थ्यकी कामना की। आश्रम पहुँचकर तुम्हारे पत्रकी बाट जोहूँगा। आनन्दसे कहना कि मैं रोज उसे याद करता हूँ।

[गुजरातीसे]

बापुनी प्रसादी

४२९. पत्र : देवचन्द पारेखको

सोमवार [१२ जनवरी, १९२५][2]

भाईश्री देवचन्द भाई,

मैं वहाँ[3] कल मंगलवारको तीन बजे पहुँचूँगा और सीधे बाबूसाहब यशवन्त प्रसाद सिंहके यहाँ जाऊँगा। वे कल यहाँ मुझसे मिले थे और उन्होंने मुझसे अपने यहाँ ठहरनेका आग्रह किया था। आप वहाँ मिलेंगे न?

क्या आप सोजित्रा आयेंगे? न आनेवाले हों तो कमसे-कम धोलातक अथवा उसके निकटवर्ती किसी स्थानतक जरूर आ जायें, ताकि हम भविष्यके कार्यक्रमके सम्बन्धमें कुछ सलाह-मशविरा करना चाहें तो कर सकें।

जो रुई इकट्ठी की गई है, उसकी क्या व्यवस्था की गई है, सो जानना चाहता हूँ। यदि हम छोटीसे-छोटी बातोंके बारेमें समुचित व्यवस्था करेंगे तो हमें सुपरिणाम प्राप्त होगा। रुई यहाँ भी इकट्ठी की जा रही है।

पट्टणी साहबका कातना जारी है।

मुझे मेरे सौ नाम चाहिए। आपको इस वर्ष और कोई काम नहीं करना है। आप तो अन्त्यजोंके लिए राज्योंसे, जहाँ कहींसे भी ला सकें वहाँसे, यथासम्भव सहायता लाइयेगा।

शेष मिलनेपर।

मोहनदास गांधीके वन्देमातरम्

गुजराती पत्र (जी० एन० ५७१६) की फोटो-नकलसे।

१. साधन-सूत्रके अनुसार।

२. गांधीजी त्रापजसे अहमदाबादके लिए १२ तारीखको रवाना हुए थे और वहाँसे १६ तारीखको सोजित्रा गये; पट्टणीजीके कताईसे सम्बन्धित उल्लेखसे विदित होता है कि यह पत्र त्रापजमें लिखा गया था।

३. भावनगर।

Gandhi Heritage Portal

४३०. भाषण : गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें

अहमदाबाद
१४ जनवरी, १९२५

आज शाम गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी एक बैठक कांग्रेसके नये संविधानके अनुसार एक योजना निर्धारित करनेके लिए हुई। श्री गांधीने, जो बैठकमें उपस्थित थे, सुझाव दिया कि उन्हें कांग्रेसके सदस्य बनानेका काम शुरू कर देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि कौन स्वयं सूत कातेगा और कौन दूसरोंका काता हुआ सूत देगा। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कांग्रेसके लिए वे कितने सदस्य बनायेंगे। श्री गांधीने स्वयं सूत कातने और काठियावाड़से १०० सदस्य बनानेका वादा किया। किसीने कहा कि श्री गांधीको भारत-भरसे कांग्रेसके दो लाख सदस्य बनाने चाहिए। श्री गांधीने उत्तर दिया कि अतिरिक्त सदस्य मैं आपको दे दूँगा। कुल मिलाकर ७४ सदस्योंने स्वयं सूत कातनेका वादा किया, तीनने दूसरोंका काता हुआ सूत देनेका वादा किया और सब मिलाकर १,७०० सदस्य बनानेके वादे किये गये। इसके बाद श्री गांधीने सुझाव दिया कि स्वयं सूत कातनेवालों और दूसरोंका काता सूत देनेवालोंके अलावा ऐसे सदस्य भी होंगे जिन्हें यदि रुई दी जाये तो वे रोजाना आधा घंटा सूत कातेंगे। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, रुई इकट्ठी की जाये। श्री वल्लभभाई पटेलने ५०० मन रुई इकट्ठी करनेका वादा किया और श्री अब्बास तैयबजीने २५ मन रुई।

[अंग्रेजीसे]
बॉम्बे क्रॉनिकल, १५-१-१९२५

४३१. दीक्षान्त भाषण : गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबादमें

१४ जनवरी, १९२५

विद्यार्थीगण, भाइयो और बहनो,

आप विद्यार्थियोंने आज जो उपाधि प्राप्त की है, उसके लिए मैं आप लोगोंको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ली हुई प्रतिज्ञाको आप पूरा करेंगे। ऐसा प्रसंग जब-जब आता है, तब-तब सामान्य संस्थाओंकी रिपोर्टोंमें ऐसा कुछ उल्लेख होता है कि इस वर्ष विद्यार्थियों और शिक्षकोंकी संख्या बढ़ी, और संस्थाकी विविध प्रवृत्तियों-में भी हर तरहसे वृद्धि हुई। आज महामात्र [रजिस्ट्रार]ने जब रिपोर्ट पढ़ी तब हमने देखा कि इस विद्यापीठके चार वर्षके कार्य-कालमें संख्या घटती ही गई है। सामान्य रूपसे इससे निराशा होगी। लेकिन मुझे निराशा नहीं हुई। इतना अवश्य स्वीकार करता हूँ कि अगर हम विद्यार्थियोंकी संख्यामें वृद्धि बता सकते अथवा दुनिया जिसे

Gandhi Heritage Portal

प्रगति कहती है, कोई वैसी बात बता सकते तो मुझे खुशी होती। आजकी स्थितिमें मुझे प्रसन्नता होती है, ऐसा नहीं कह सकता; परन्तु मैं निराश भी नहीं हुआ हूँ। बहुत-से दूसरे लोग और मैं ऐसी उम्मीद रखते ही थे कि यह कार्य हमें एक ही वर्ष चलाना होगा और एक वर्ष (अर्थात् स्वराज्य-प्राप्ति) के बाद तो जिन संस्थाओंमें से आप निकले हैं, उन्हीं संस्थाओंमें आप फिरसे शिक्षा लेने लगेंगे। एकके बदले तो चार वर्ष हो गये, और आगे कितने वर्ष यह देश-निकाला भोगना पड़ेगा, सो नहीं कहा जा सकता। मैं तो अब ऐसा मानने लगा हूँ कि यह देश-निकाला है ही नहीं। कदाचित् स्वराज्य मिलनेपर भी ऐसी कितनी ही संस्थाएँ सरकारसे स्वतन्त्र रहकर चलती रहेंगी। उस समय सिर्फ इतना होगा कि इन संस्थाओंको सरकारी संस्थाओंसे प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ेगी, सरकारी संस्थाएँ विरोधी नहीं मानी जायेंगी, त्याज्य नहीं मानी जायेंगी। तथापि उस समय भी अनेक प्रयोग तो होते ही रहेंगे और उनमें हमारी-जैसी संस्थाओंके लिए स्थान रहेगा। इसलिए जो विद्यार्थी विद्यापीठके आश्रयमें पढ़ते हैं वे किसी तरह निराश न हों और ऐसा न मानें कि हम जितने वर्ष यहाँ पढ़े हैं, वे सब निष्फल गये।

आज सवेरे मैं जब आश्रम पहुँचा[1] तो एक पोस्टकार्ड आया हुआ था। इसमें महाविद्यालयपर आक्षेप किया गया था। पोस्टकार्डपर लिखनेवालेका नाम-पता कुछ नहीं था। मैं 'नवजीवन' में अनेक बार कह चुका हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपना नाम-पता दिये बिना पत्र न लिखे। यह नामूसीकी बात है, इसमें एक प्रकारकी भीरुता है और हमें इसे छोड़ देना चाहिए। जिन विचारोंको दुनियाके सामने रखनेकी हमारी हिम्मत न हो, उन्हें भूल जाना, दफना देना ही अच्छा है। तथापि यह प्रथा इस देशमें कितने ही बरसोंसे चलती आ रही है और कदाचित् आगे भी चलती रहेगी। इसलिए पत्रको मैं पढ़ गया। इसमें लिखा है: "आप महाविद्यालयको बन्द क्यों नहीं करते? आपकी आँखें क्यों नहीं खुलतीं? विद्यार्थी आपको भुलावेमें डालते हैं; यहाँसे निकलनेके बाद बहुत-से विद्यार्थी सरकारी संस्थाओंमें चले जाते हैं। आप चाहे जो मानें, लेकिन छात्रों और छात्राओंको चरखेपर तनिक भी श्रद्धा नहीं है। इसलिए आप विद्यापीठ और उसकी सब संस्थाओंको बन्द कर दीजिए।" मुझे यह सलाह मान्य नहीं है, और मैं चाहता हूँ, आपको भी मान्य न हो। दुनियामें किसी भी कामका महत्त्व इस बातसे नहीं आँका जा सकता कि उसमें कितने लोग लगे हुए हैं और उसपर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। इस तरह हिसाब करने बैठें तो भ्रममें पड़नेका भय रहता है। इस देशमें आत्म-शुद्धिकी प्रवृत्ति चल रही है — हमने असहयोगको दुनियाके सामने आत्म-शुद्धिके प्रयत्नके रूपमें ही पेश किया है — तो ऐसे समय हमारी संस्थाओंमें विद्यार्थियोंकी संख्या बढ़ेगी, यह सोचना ही भूल है। संख्या बढ़े तो अच्छा है, न बढ़े तो भी हमें श्रद्धा रखनी चाहिए और जबतक हममें विश्वास है तबतक हमें इस प्रवृत्तिमें लगे रहना चाहिए।

१. गांधीजी उसी दिन सुबह भावनगरसे साबरमती लौटे थे।

गांधी स्मारक संग्रहालय अहमदाबाद-१३ 6389
Gandhi Heritage Portal

अगर यह सच हो कि विद्यार्थियोंको चरखेपर श्रद्धा नहीं है तो दुःखकी बात है। जिसे चरखेपर श्रद्धा न हो, उसे विद्यापीठका त्याग ही कर देना चाहिए। राष्ट्रीय स्कूलोंके सम्बन्धमें कांग्रेसका प्रस्ताव तो आपको याद ही होगा। उसकी याद मैं यहाँ फिर दिलाता हूँ। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाकी जो व्याख्या की गई है, वहाँ उपस्थित लोगोंको उससे कोई विरोध न था। विरोध मनमें था, परन्तु उन्होंने उसे प्रकट नहीं किया, ऐसा मानना तो मेरे लिए, उनके लिए, उनके देशके लिए अप्रतिष्ठाकी बात है। इतने अधिक बुद्धिमान, स्वतन्त्रचेता और प्रौढ़ व्यक्ति जो सम्मति दें, वह सच्चे मनसे नहीं दी गयी है, हार्दिक नहीं है, ऐसा मैं कैसे मान सकता हूँ? इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस व्याख्यासे हजारों व्यक्ति सहमत थे। अब काठियावाड़ परिषद्ने भी यह व्याख्या स्वीकार कर ली है। यह व्याख्या क्या है? राष्ट्रीय विद्यामन्दिरकी गिनतीमें वही पाठशाला आ सकती है, जिसमें चरखेका काम चलता है, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी आधा घंटा चरखा चलाते हैं और दोनों हाथ-कते सूतसे बनी खादी ही पहनते हैं, जिसमें शिक्षाका माध्यम मातृभाषा अथवा हिन्दुस्तानी है, जिसमें व्यायामको पूरा-पूरा स्थान है, जिसमें आत्म-रक्षाकी भी शिक्षा दी जाती है, जिसमें हिन्दुओं और मुसलमानोंको एक-हृदय बनानेके लिए प्रयत्न किया जाता है और जिसमें अन्त्यजोंका किसी भी तरहसे बहिष्कार नहीं किया जाता है। कांग्रेसने राष्ट्रीय विद्यामन्दिरकी यह व्याख्या की है। इसलिए मैं जब कहता हूँ कि जिन्हें चरखेपर श्रद्धा न हो उन्हें विद्यापीठके अधीन चलनेवाली सभी संस्थाओंका त्याग कर देना चाहिए तो आप यह न मानें कि मैं कुछ बढ़ा-चढ़ाकर कह रहा हूँ। इसीमें प्रगति निहित है। ऐसा करनेसे मालूम हो जायेगा कि हम किस दिशामें जा रहे हैं और कितने स्त्री-पुरुष तथा छात्र-छात्राएँ हमारे साथ हैं।

मेरा ध्यान 'साबरमती' में[1] प्रकाशित एक लेखकी टीकाकी ओर आकर्षित किया गया था। उसमें उठाई गई कुछ शंकाएँ निराधार हैं, क्योंकि उनमें मुझपर जो विचार रखनेका आरोप है, वे मेरे हैं ही नहीं। चरखेको विद्यार्थी अपना सारा समय दें, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं। मेरे विचार ऐसे हैं ही नहीं, सो बात नहीं। मैं यदि विद्यार्थियोंको और देशको समझा सकूँ कि यही बात देशके लिए उत्तम है तो अवश्य कहूँ कि आप सारा समय चरखा चलानेमें लगायें। लेकिन आज मैं यह बात देशको समझा नहीं सकता। आज मैं स्वयं ही यह नहीं कर सकता। मैं स्वयं सारा समय चरखा चलानेमें लगा सकूँ तो देशसे और विद्यार्थियोंसे भी कहूँ। मेरी आकांक्षा यह अवश्य है कि मैं हिन्दुस्तानको बता सकूँ कि चौबीस घंटे चरखा चलानेमें ही शुद्ध विद्या निहित है। वैसे तो यदि हम किसी भी स्वच्छ वस्तुको लेकर बैठ जायें और उसमें एकाग्रता प्राप्त करें तो उसमें भी शुद्ध विद्या है ही। कारण, इस तरह हम योगकी साधना करते हैं। लेकिन अभी मैं यह बात नहीं कहता। अभी तो मैं विद्यार्थियोंसे इतना ही कहता हूँ कि आप श्रद्धापूर्वक, आनन्दसे चरखा चलायें, अच्छी तरह कातें तथा चरखा चलानेकी कला सीख लें एवं जितनी आतुरता व प्रेम आप

१. गुजरात महाविद्यालयका एक गुजराती द्वि मासिक।

Gandhi Heritage Portal

दूसरी किसी विद्याके सम्बन्धमें रखते हैं, उतनी ही इसके सम्बन्धमें भी रखें। बाकीका सारा समय अन्य विषयोंको दें, इसके खिलाफ मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही माँगता हूँ कि जो कीजिए, श्रद्धापूर्वक कीजिए, बेगार न टालिए।

दूसरा आक्षेप यह है कि मैंने एक समय कहा था कि विद्यापीठको ऐसा पाठ्यक्रम गढ़ना चाहिए जिससे आपको आजीविका मिले और यहाँ उसीको चलाना चाहिए। यह बात मैं अभी भी कहता हूँ। लेकिन विद्यापीठके लिए और आपके लिए भी यह मुख्य उद्देश्य नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर विद्याको आप केवल आजीविकाका साधन मानने लगेंगे तो यह किसी समय आपकी अधोगतिका कारण सिद्ध होगा। विद्याकी जो व्याख्या विद्यापीठने स्वीकार की है, वह यह है कि जो मुक्ति दे, वही विद्या है। इसलिए ऐसे आदर्शवाली संस्थामें केवल आजीविकाको ध्यानमें रखकर विद्या ग्रहण करना उचित नहीं। आजीविकाके अनेक साधन हैं। विद्या तो तन, मन और आत्माकी उन्नतिके लिए है। जिसके अंग सुवड़ हैं, शरीर सुव्यवस्थित और मजबूत है, जो सख्त गरमी और सर्दी सहन कर सकता है, जिसमें ऐसी प्रबल संकल्प-शक्ति है कि वह निश्चित किया हुआ काम कर सकता है, जो संयमी है, जिसकी आत्मा स्वच्छ है —— इतनी स्वच्छ कि वह कह सके कि मैं अपने हृदयका सूक्ष्म स्पंदन भी सुन सकता हूँ और चूंकि आत्माका स्थान हृदय है इसलिए उसका हृदय भी स्वच्छ होना चाहिए —— उसीने सच्ची विद्या सीखी है। ये तीन वस्तुएँ जिसने प्राप्त कर ली हैं उसे आजीविकाका पाठ सीखनेकी जरूरत क्यों होनी चाहिए, आजीविकाके लिए चिन्ता क्यों होनी चाहिए? ऐसे लोगोंको तो विश्वास होना चाहिए कि जिसने दाँत दिये हैं, वह चबानेको भी कुछ देगा ही। मुझसे कहा गया है कि विद्यार्थियोंको घर-संसार चलाना होता है, उन्हें दो-दो तीन-तीन जनोंका पोषण करना होता है। पोषण करना होता हो तो हो; पोषण करना भी चाहिए और उसे करनेमें बहादुरी भी है; लेकिन उपर्युक्त वस्तुओंको साधनेसे ही आजीविका मिल जाती है, आजीविका ढूँढ़नेसे नहीं मिलती। आजीविका मिल सके, ऐसी व्यवस्था तो विद्यापीठ आज भी कर रहा है। यदि विद्यापीठ ऐसा आश्वासन दे अथवा यह पत्र लिख दे कि विद्यार्थीको विद्यापीठसे निकलनेपर तुरन्त ही तीन सौ अथवा तीस रुपये वेतन मिलने लगेगा तो यह आपको अपंग बनाना होगा। बादमें आप देश-सेवा नहीं कर सकते, तब आपसे पुरुषार्थ भी नहीं होगा। विद्यापीठ तो आपको केवल मुसीबतके आगे टिके रहनेकी, उससे निकल जानेकी शक्ति देता है। वस्तुतः देखा जाये तो विद्यापीठ आपको कुछ भी नहीं दे सकता; वह तो आपमें जो-कुछ होगा, उसीको विकसित कर सकेगा। इसलिए आप आजसे यह मानें कि विद्यापीठमें आकर आपने कुछ खोया नहीं है, कुछ खोनेवाले भी नहीं है।

विद्यापीठका और महाविद्यालयका भविष्य क्या है और उन्हें किस मार्गपर ले जाया जाये, महामात्रने मुझसे इसके बारेमें सुझाव देनेके लिए कहा है। इसके बारेमें कुछ भी सुझाव देना मेरी शक्तिके बाहर है। इस वर्ष हिन्दुस्तानमें वातावरण क्या स्वरूप धारण करेगा, सो मैं नहीं जानता। मुझे आशाएँ तो बहुत हैं। मैं आशावादी हूँ और मरणपर्यन्त आशावादी रहूँगा। लेकिन इस समय मैं आपके सामने इन

Gandhi Heritage Portal

आशाओंको रखूँ, यह उचित नहीं है। आपसे तो इतना ही कहूँगा कि विद्यापीठका भविष्य क्या होगा, इसके प्रपंचमें आप विद्यार्थी लोग न पड़ें। आप मान लें कि आप जो विद्यापीठमें हैं सो उचित ही है, सरकारी स्कूलोंमें जाना उचित नहीं है और सचमुच जो शिक्षा मिलनी चाहिए वह वर्तमान स्थितिमें वहाँ मिलनेवाली नहीं है। आपके मनमें जबतक यह बात है कि सरकारी स्कूलोंसे हिन्दुस्तानको जो चाहिए वह नहीं मिला है और न आगे मिलनेवाला है, तभीतक आप विद्यापीठमें रहें। यदि आपको लगे कि सरकारी संस्थाओंमें यह सब मिल जाता है तो आपका सरकारी संस्थाओंमें जाना ही ठीक है। उस हालतमें आपको इस झंझटमें पड़नेका कोई कारण नहीं कि विद्यापीठका भविष्य क्या होगा। सरकारी पाठशालाओंके सम्बन्धमें आपके मनमें दृढ़ विराग होना चाहिए। विराग होना अर्थात् उन पाठशालाओंके बारेमें आपमें त्यागवृत्ति हो, राग नहीं। जबतक राग होगा तबतक आप विद्यापीठकी सरकारी स्कूलोंके साथ तुलना करते ही रहेंगे। हर समय मनमें कहेंगे कि वहाँ इतनी सुविधाएँ हैं और यहाँ वे नहीं हैं। विद्यापीठमें सुविधाएँ नहीं हैं, यही इसकी विशेषता है। अगर यहाँ भी सुविधाएँ जुटा देंगे, तो फिर हम मुसीबतोंको लांघना नहीं सीख सकेंगे। अथवा यों कहें कि यहाँ भिन्न प्रकारकी सुविधाएँ हैं अतः यहाँ कुछ विशेषता तो होनी ही चाहिए। सरकारी स्कूलोंके साथ इस विद्यापीठके स्कूलोंकी तुलना तो की ही नहीं जा सकती। इतनी ही बात यदि आपके मनमें घर कर जाये तो फिर विद्यापीठका भविष्य क्या होगा, इसकी आपको क्या चिन्ता? आप अपना कर्त्तव्य-पालन करके इतना कह सकें कि हमने स्वराज्यकी लड़ाईमें पूरी-पूरी मदद की, यही पर्याप्त है। इससे अधिक जाननेका आपको और मुझे अधिकार नहीं है। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जबतक विद्यापीठ स्वराज्यकी लड़ाईमें सहायक होगा — तबतक वह चलेगा, जब स्वराज्यकी लड़ाईमें सहायक नहीं होगा, उसी समय इसका नाश हो जायेगा। और तब अगर उसका नाश हो तो इसमें बुरा क्या है? बल्कि तब उसका नाश इष्ट ही है। हिन्दुस्तानके स्वराज्यका भविष्य ही विद्यापीठका भविष्य है।

हमें जो अच्छा लगता है, वही हमेशा हितकर नहीं होता। मैं बूढ़ा हो गया हूँ फिर भी मुझे लगता है कि मुझे जो अच्छा लगता है, वह सब मेरे लिए हितकर नहीं होता। अतएव, अनेक बातोंमें हमें बड़ोंकी सलाह लेनी पड़ती है। इसीसे हमारे यहाँ यह प्राचीन प्रथा चल रही है कि गुरुकी खोज करके उसकी शरण लो, उसका आधार लो, उसकी गोदमें सिर रखकर कहो कि आप अपनी इच्छानुसार मुझे चलायें, आपको जो अच्छा लगे सो हमारी बुद्धिमें भरें। आजकल तो वैसा गुरु कहीं मिल नहीं सकता, इसलिए आज ऐसे स्वार्पणकी बात नहीं उठती। यहाँ तो मात्र ऐसी श्रद्धाकी ही जरूरत है कि शिक्षक हमें अच्छे मार्गकी ओर प्रेरित करते हैं, बुरे मार्गकी ओर नहीं। अनेक वस्तुएँ आरम्भमें कड़वी होती हैं, लेकिन उनका फल अमृतमय होता है, ऐसी श्रद्धा रखकर आप कड़वे घूँट भी पी जायें। यही मेरी सलाह है और मेरी विनती है।

अब मैं फिर, आपने जो प्रतिज्ञा ली है, उसपर वापस आना चाहता हूँ। भाई आठवलेने[1] जो प्रार्थना पढ़ी है, उसकी ओर भी आपने ध्यान दिया होगा। दोनों

१. आर० बी० आठवले, गुजरात विद्यापीठमें संस्कृतके आचार्य।

Gandhi Heritage Portal

वस्तुएँ बहुत सामान्य थीं। जो वस्तु सामान्य होती है, उसमें कितना जोर होता है, सो हम नहीं देख सकते। किसी चित्रकारने भले ही कोई बहुत मामूली चित्र बनाया हो, उसे देखकर हम वाह-वाह कर उठते हैं। कारण, हमें आदत ही ऐसी पड़ी हुई है। लेकिन हमारे सिरके ऊपर जो भव्य चित्र है, उसकी कोई कद्र नहीं करता। यह विशाल आकाश और उसमें जगमगाते तारे व चन्द्र, सूर्योदय और सूर्यास्तके समय उभरनेवाले अनेक रंग, यह सब कौन चितेरा चित्रित कर सकता है? तथापि हम उस पर ध्यान नहीं देते। कारण, हमारी दृष्टि नीचे ही नीचे रहती है और मामूली चित्रों पर हम मुग्ध हो जाते हैं। यह दयनीय स्थिति है। इसलिए आपने आज जो प्रार्थना सुनी है और जो प्रतिज्ञा महामात्रने आपसे कराई है, सम्भव है, उसके रहस्यको आप समझ सकें हों। उसपर आप बार-बार मनन कीजिएगा, प्रतिज्ञाका पालन कीजिएगा। इस प्रार्थनामें कहे गये भव्य मंत्रोंसे वह पोषण मिलता है, जो भाषणों और लेखोंसे नहीं मिलता। यह माताके दूध-जैसी स्वाभाविक खुराक है। यदि माता बच्चेको अपना दूध न दे और दूसरी स्त्री उसे तरह-तरहकी अन्य खुराकें दे तो उसका क्या परिणाम होगा? कोई बालक जीवित न बचेगा। ये सामान्य वस्तुएँ ही अमृतके समान हैं, और यदि हम अपने पूर्वजोंकी इस विरासतपर मनन करें, उसे हृदयमें उतारें, उसके अनुसार आचरण करें तो हमारा जीवन सार्थक है। आप मेरे भाषणको भूल जायें, और सब-कुछ भूल जायें, परन्तु इस प्रार्थनाके मंत्रोंको तथा अपनी प्रतिज्ञाको न भूलें तो माना जायेगा कि आपका और मेरा समय निरर्थक नहीं गया।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १८-१-१९२५

४३२. तार: सुरेन्द्रनाथ बिश्वासको[1]

[१५ जनवरी, १९२५ या उससे पूर्व]

सम्मेलनमें शामिल होनेको उत्सुक हूँ। कृपया फरवरीके अन्तमें याद दिला दें।

गांधी

[अंग्रेजीसे]

अमृत बाजार पत्रिका १६-१-१९२५

१. बंगाल प्रान्तीय सम्मेलनकी स्वागत समितिके अध्यक्ष। यह सम्मेलन फरीदपुरमें होनेवाला था।

Gandhi Heritage Portal

४३३. मेरी आस्था

राजगोपालाचारीकी ओरसे यह अयाचित घोषणा[1] सुनकर मेरे हृदयको बड़ी राहत मिली है। पाठक जानते हैं कि उनकी विवेकशीलता और परखका मैं कितना सम्मान करता हूँ। उनको सन्देहों और आशंकाओंमें उलझा देखकर मेरा मन बड़ा दुःखी था। चरखा-कार्यक्रममें 'सत्यके साथ खिलवाड़ करन' की कोई बात नहीं है, क्योंकि सत्याग्रह मुख्यतः सविनय अवज्ञा नहीं, बल्कि शान्त मनसे सत्यका अडिग अनुगमन है। सविनय अवज्ञाका रूप तो वह कभी-कभी ही धारण करता है। लेकिन, जहाँ बहुत सारे कार्यकर्त्ताओं द्वारा सविनय अवज्ञा करनेका सवाल हो, वहाँ इस राहपर चलनेसे पूर्व उन्हें जान-बूझकर, अपनी इच्छासे आज्ञा-पालन करना सीखना चाहिए। चरखा स्वेच्छापूर्वक आज्ञापालन और शान्त प्रयत्नशीलताका मूर्त रूप है, इसलिए सविनय अवज्ञासे पहले उसे सफल कर दिखाना नितान्त आवश्यक है। जबतक इस बातका पूरा भरोसा नहीं हो जाता कि सविनय अवज्ञाके लिए उपर्युक्त वातावरण तैयार हो गया है तबतक मनमें उसका कोई खयाल भी लानेमें मुझे ऐसा लगता है कि यह सत्यके साथ खिलवाड़ करना होगा। इसीलिए मुझे चरखेके कार्यक्रमपर और स्वराज्यवादियोंके सामने तो क्या, सभी सम्बन्धित लोगोंके सामने पूर्ण आत्म-समर्पण करनेका आग्रह रखना ही है, भले ही मेरे साथ फिर अँगुलियोंपर गिनने लायक कार्यकर्त्ता ही रह जायें। हमें सविनय अवज्ञाकी आड़में हिंसापूर्ण अवज्ञाको पनपनेका मौका नहीं देना चाहिए। चौरी-चौराकी सीख मेरे मनमें इतनी गहरी उतर चुकी है कि उसे आसानीसे भुलाया नहीं जा सकता। बारडोलीके निर्णयको लेकर मेरे मनमें कोई खेद होना तो दूर, मैं तो उसे देशके प्रति की गई अपनी सबसे बड़ी सेवाओंमें से एक मानता हूँ।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १५-१-१९२५

४३४. नोटिस?

मुझे बेलगाँवमें निम्नलिखित नोटिस दिया गया था:

नीचे हस्ताक्षर करनेवाले हम, महाराष्ट्र प्रान्तकी कोलाबा जिला कांग्रेस कमेटीके प्रतिनिधिगण, अपने जिलेकी विशेष परिस्थितिकी ओर आपका ध्यान दिलानेकी अनुमति चाहते हैं। कोलाबा जिलेमें न तो कपास ही पैदा होती है और न वह कपासके किसी केन्द्रके नजदीक ही है। इसलिए स्वभावतः कताईकी तरफ वहाँके लोगोंका झुकाव नहीं है। यहाँतक कि असहयोगके शुरूके दिनोंमें भी बड़ी मुश्किलसे वहाँ कुछ चरखे चलाये गये थे, सो भी कुछ ही महीने चल पाये।

१. देखिए परिशिष्ट २।

Gandhi Heritage Portal

सो इन सब तथ्योंपर खूब अच्छी तरह विचार करके कोलाबा जिला कांग्रेस कमेटीने पिछले सितम्बर माहमें एक प्रस्ताव पास किया, जिसका आशय यह था कि इस जिलेमें कताई-सदस्यता सफल नहीं हो सकती और कांग्रेसके विधानमें उसका समावेश हो जानेसे जिलेकी प्रायः तमाम समितियोंका अस्तित्व खतरेमें पड़ जायेगा, इसलिए कांग्रेस द्वारा कताई-सदस्यताके स्वीकृत होते ही हम आपको शीघ्रसे-शीघ्र सूचित करते हैं कि हममें से बहुतेरे लोगोंने, उस प्रस्तावके हकमें जो राय दी है या उसके खिलाफ राय देनेसे अपने-आपको रोका है, उसकी वजह यही थी कि एक तो स्वराज्य दलने इसे अपने दलका सवाल बना लिया था और दूसरे, कांग्रेसमें एकता बनाये रखनेके खयालसे ऐसा रुख अपनाना लाजिमी हो गया था। लेकिन इसपर अमल करना हमारे लिए मुश्किल है। हम पहलेसे आपको खबर किये देते हैं, जिससे आपको हताश न होना पड़े।

इसपर २७ दिसम्बरकी तारीख पड़ी है और १२ सदस्योंके दस्तखत हैं, जिनमें सभापति और मंत्री भी शामिल हैं। मुझे आशा है कि ये महाशय अपनी धमकीको कार्यरूपमें परिणत नहीं करना चाहेंगे। अगर इन सज्जनोंने अनुशासन या एकताके खयालसे ही कताईवाले प्रस्तावके पक्षमें राय न दी हो या उसके सम्बन्धमें तटस्थ रहे हों तो मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि खिलाफ राय न देने या तटस्थ रहनेसे ही अनुशासन या एकताकी शर्तें पूरी नहीं हो जातीं। अनुशासनका वास्तविक पालन तो तभी हो सकता है, जब प्रस्तावपर सच्चे सिपाहीकी तरह आज्ञा-पालनकी भावनासे अमल किया जाये, भले ही वह बुद्धिको ठीक न जँचता हो। 'लाइट ब्रिगेड' ने — जिसकी अविस्मरणीय वीरताको टेनीसनने प्रसिद्ध कर दिया है[1] — ऐसी ही भावनासे काम लिया था। बोअर-युद्धमें उन सिपाहियोंने भी इसी भावनाका परिचय दिया था, जो यह जानते हुए भी कि हम मौतके मुँहमें जा रहे हैं, बराबर अपने जनरलके पीछे-पीछे गये और बोअरोंकी गोलियाँ खाते हुए स्पिअनकॉपकी पहाड़ियोंपर खेत रहे। जनरलके इस प्रस्तावपर कि पहाड़ीपर कब्जा कर लिया जाये, यदि वे कठ-पुतलियोंकी तरह 'हाँ' कह देते तो उसका कोई महत्त्व न होता, बल्कि यह चीज उनके लिए अप्रतिष्ठाका कारण बन जाती। वे इसीलिए शूरवीरोंकी श्रेणीमें प्रतिष्ठित हो गये कि उन्होंने मनमें हिचक होते हुए भी ऐसा साहस दिखाया, जो प्रबलतम विश्वाससे ही सम्भव होता है। याद रखनेकी बात यह है कि उन्हें ऐसी लड़ाई लड़नी थी, जिसमें पराजय बिलकुल निश्चित थी। लेकिन शूरवीरोंका उदय तो पराजय सामने दिखने-पर ही होता है। किसीने ठीक ही कहा है: 'गौरवपूर्ण पराजयके क्रमकी परिणति ही सफलता है'। इसलिए अगर सालके अन्तमें सदस्यताकी यह नई शर्त विफल साबित

१. रूस तथा मित्र देश तुर्की, इंग्लैंड, फ्रांस और सार्डिनियाके बीच (१८५३-५६ में) हुई क्रीमियाकी लड़ाईमें लाइट ब्रिगेडने सेनापतिके इशारेपर अपने-आपको आग उगलती तोपोंके मुकाबले झोंक दिया था। इसी घटनाको टेनीसनने अपनी कवितामें प्रसिद्धि प्रदान की।

Gandhi Heritage Portal

हो जाये, तो भी हर्ज क्या? यदि कांग्रेस-जन इस बातका खयाल किये बिना कि वे किस दलके हैं और इस बातसे सहमत हैं अथवा नहीं, इसे सफल बनानेके लिए जुटकर कार्य करें तो वह असफलता भी एक गौरवपूर्ण असफलता होगी।

अगर लोगोंका इरादा प्रस्तावके अनुसार काम करनेका नहीं था तो यह कहना भी, जैसा कि हस्ताक्षर-कर्त्ता सज्जनोंने कहा है, गैरमुनासिब है कि बहुत-से लोगोंने सिर्फ एकताके खयालसे उस प्रस्तावके हकमें राय दी थी। एकता इतनी आसानीसे हासिल नहीं हो सकती। एकता कोई ऐसी चीज नहीं जो मात्र-दिखावेके लिए हो और जिसे कागजपर महज प्रस्तावके रूपमें लिख देनेसे काम चल सकता हो। एकता तो तभी कायम हो सकती है जब प्रस्तावके अनुसार ठोस काम करके दिखाया जाये। विधान सभाओंपर मेरा विश्वास नहीं। पर मेरे दूसरे साथियोंको उनपर विश्वास है, इसलिए मैंने उन्हें कांग्रेसके नामका इस्तेमाल करनेकी इजाजत दे दी है। पर अब अगर मैं दिलमें कुछ महसूस करूँ और मुँहसे कुछ और कहूँ या कलमसे कुछ और लिखूँ तो मैं एकतामें सच्चा विश्वास रखनेवाला नहीं, बल्कि पाखण्डी साबित होऊँगा। कौंसिल-प्रवेशका अधिकार देनेवाले प्रस्तावके हकमें एक बार राय दे चुकनेके बाद मुझे चाहिए कि मैं स्वराज्यवादियोंका भला मनाऊँ। मुझे अपने किसी भी कामसे उनके कार्यक्रमको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। यही नहीं, बल्कि जहाँ-कहीं मुझसे हो सके, अपनी पूरी शक्तिके साथ उन्हें मदद भी पहुँचानी चाहिए, और यदि इतने पर भी उन्हें असफलता मिले तो उन्हें यह कह सकनेका मौका नहीं देना चाहिए कि वे इसलिए नाकामयाब हुए कि हमने पहलेसे परस्पर निर्धारित मर्यादाके अन्दर भी उन्हें मदद नहीं दी। फर्ज कीजिए कि अपरिवर्तनवादी किसी भी तरहसे स्वराज्य-वादियोंका काम न बिगाड़ें तो उस हालतमें यदि वे असफल भी हों तो वह असफलता —एक तरहकी सफलता ही होगी; क्योंकि तब हमें अपने ध्येयतक पहुँचनेका दूसरा रास्ता मिल जायेगा। ठीक इसी तरह, यदि देशके तमाम दल कताईकी शर्तको सफल बनानेमें अपनी पूरी शक्ति लगाकर देखें और फिर भी सफलता न मिले तो हम सब उसे स्पष्ट रूपमें महसूस कर सकेंगे, और अपनी हार कबूल करते हुए सब मिलकर सफलताके लिए कोई और मार्ग निकालनेकी कोशिश करेंगे; क्योंकि यदि हम सचमुच तुले हुए हों तो हम अवश्य ही असफलताओंके बीचसे अपनी मंजिलतक पहुँचनेका मार्ग पा जायेंगे।

कोलाबाके इन सज्जनोंकी कठिनाई है क्या? वह खुद उन्हीं की पैदा की हुई तो है। अगर खुद उनके जिलेमें कपास पैदा नहीं होती तो वे खरीद लें। कोलाबा मैंचेस्टरकी अपेक्षा बम्बईसे कहीं नजदीक है। क्या उन्हें यह जानकर ताज्जुब न होगा कि मैंचेस्टरके आसपास कपासका एक टेंट भी नहीं फलता, पर वहाँके लोगोंको कपास बाहरसे मँगाने, धुनने और कातनेमें जरा भी दिक्कत महसूस नहीं होती? मैं कोलाबाके इन मित्रोंको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा करनेमें उन्हें मैंचेस्टरके लोगोंके मुकाबले आधी परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी। उनका दिल बढ़ानेके लिए मैं यह भी कह देता हूँ कि यदि उन्हें कपास मँगाने और धुनने तथा कातनेकी इच्छा न हो तो

Gandhi Heritage Portal

कांग्रेसके प्रस्तावने उन्हें यह छुट्टी दे रखी है कि वे आवश्यक हाथ-कता सूत खरीद कर कांग्रेसको दे दें। क्या वे सूत खरीदना चाहते हैं? यदि सूत हाथ-कता हो और एक-सा तथा मजबूत हो तो खरीदकर देना भी बुरा नहीं रहेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १५-१-१९२५

४३५. शाबाश !

देशबन्धुने लॉर्ड लिटनके खिलाफ हालमें जो हाथ दिखाया है, वह सचमुच कमालका है। उनकी बीमारी और फिर कौंसिल हॉलतक डोलीपर उनका पहुँचाया जाना — इन बातोंने उनकी शानदार जीतमें एक नाटकीयता पैदा कर दी है। बीमारीकी हालतमें उनकी वहाँ मौजूदगी अपने-आपमें इतना कुछ-कह गई कि प्रभाव शालीसे-प्रभावशाली भाषण भी उतना कारगर नहीं हो सकता था। यदि लॉर्ड लिटनमें काफी सूझबूझ और खिलाड़ियोंके योग्य भावना हो तो उनको इतनी बार मात खानेके बाद अब अध्यादेश वापस ले लेना चाहिए, कैदियोंको रिहा कर देना चाहिए और वे जो ऐसा मानते हैं कि बंगालमें हत्याका षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यन्त्रसे निबटनेकी जिम्मेदारी उन लोगोंपर छोड़ देनी चाहिए जिन्होंने देशबन्धुके पक्षमें मतदान किया है। बंगाल-कौंसिलने उनके विरुद्ध मतदान किया है, इसपर उनको शिकायत नहीं करनी चाहिए। लोक-निर्वाचित विधान सभाओंका सार-तत्त्व यही है कि उनका निर्माण करनेवाली सरकारको अपने अस्तित्वके लिए उनके विवेकशील समर्थनपर ही निर्भर रहना चाहिए। विधान-सभाएँ कभी-कभी हठधर्मी या मूढ़ता कर सकती हैं या कभी-कभी सरकारके प्रति उनका भाव सन्देहका हो सकता है। वैसी हालतमें सरकारको तबतक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए जबतक कि वे उसके दृष्टिकोणकी हामी न हो जायें और इस बीच कुशासन या उससे भी बुरी स्थिति पैदा होनेके खतरे उठा लेने चाहिए। हमें यह उम्मीद क्यों करनी चाहिए कि लोक-निर्वाचित विधान सभाएँ निरंकुश शासनके दोषोंसे मुक्त ही होंगी? लॉर्ड लिटन ऐसा कोई दावा नहीं करते कि उन्होंने जो-कुछ किया है उससे देश राजनीतिक अपराधोंसे सर्वथा मुक्त हो जायेगा। लेकिन मुझे बहुत आशंका है कि भारतीय पत्रकार आदि जो सुन्दर-सटीक तर्क पेश कर रहे हैं, उनसे लोकमतकी अवहेलना करनेकी आदी इस सरकारके कानोंपर जूँ-तक नहीं रेंगेगी, हालाँकि उन सभीने लगभग एक स्वरसे लॉर्ड लिटनकी नीतिकी निन्दा की है। इसीलिए मैं भारतीय लोकसेवी जनोंसे कहता हूँ कि यदि वे अपने तर्कोंमें बल पैदा करना चाहते हैं तो उनको चरखा चलाना चाहिए। राष्ट्रको यही एक रचनात्मक शक्ति सहज-सुलभ है। देशबन्धु दासने बंगाल-कौंसिलमें जो अनुशासन स्थापित कर दिया है, उसका बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा; लेकिन तभी, जब चरखा घर-घरमें प्रतिष्ठापित हो जायेगा और उसके फलस्वरूप, विदेशी वस्त्रोंका

Gandhi Heritage Portal

बहिष्कार एक वास्तविकता बन जायेगा; उससे पहले नहीं। काश समूचा राष्ट्र इस एक रचनात्मक कार्यका श्रेय ले सकता!

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १५-१-१९२५

४३६. काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्

काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्को मैंने यह सलाह यों ही नहीं दे दी थी कि वह ऐसी शिकायतोंको लेकर प्रस्तावपर-प्रस्ताव पास करने न बैठे, जिनको दूर करानेके तरीकेपर अमल करना प्रतिनिधियोंके वशके बाहर हो, भले ही उनके पास ऐसे प्रमाण हों, जिनसे जनताको उन शिकायतोंके सही होनेका विश्वास दिलाया जा सकता हो। मैंने उनसे कहा कि परिषद्में पहले सार्वजनिक सेवा और त्यागकी भावनाका विकास करें और फिर शिकायतोंको दूर करानेके लिए प्रयत्न प्रारम्भ करें। तब आप उन भिन्न-भिन्न मामलोंसे, जो आपको बहुत खटकते हैं और जिनके बारेमें आपको शिकायत है, निबटनेमें कहीं अधिक समर्थ हो पायेंगे। शान्तिपूर्ण प्रतिरोधका यही तरीका है। विषय-समितिने इस सलाहको बिना किसी हिचकिचाहटके स्वीकार कर लिया। परन्तु परिषद्के संचालकों द्वारा तैयार किये गये कताई-सदस्यता सम्बन्धी प्रस्तावपर दिलचस्प बहस हुई। पर वह बहुत भारी बहुमतसे पास हो गया। यह प्रस्ताव कांग्रेसके प्रस्तावसे एक बातमें भिन्न है। इस प्रस्ताव द्वारा हर बुनियादी सदस्यके लिए विशेष राजनीतिक आयोजनोंके समय ही नहीं, बल्कि सदा-सर्वदा खादी पहनना लाजिमी बना दिया गया है। यहाँ संगठनके अनुशासनके खयालसे राय देनेकी कोई बात न थी। हर शख्स अपनी मर्जीके मुताबिक राय देनेके लिए आजाद था।

अब यह देखना है कि इस प्रस्तावपर अमल किस तरह होता है। हर शख्स इस बातको तस्लीम करता हुआ दिखाई देता था कि इसकी सफलता उन मुख्य कार्यकर्त्ताओंके उत्साह, लगन और कार्य-क्षमतापर निर्भर है जो इस प्रस्तावको पास करानेके जिम्मेवार हैं।

सर प्रभाशंकर कातेंगे।

इस परिषद्में सबसे अधिक अद्भुत बात तो सर प्रभाशंकर पट्टणीकी यह प्रतिज्ञा थी कि वे खाना खानेके पहले कमसे-कम आधा घंटा रोजाना कातेंगे — सिवा उस वक्तके जब वे इतने बीमार हों कि चरखा चला ही न सकें। उन्होंने सफरमें भी इससे छूट न लेनेकी ठानी है। उनका कहना है और वह ठीक ही है कि वे पहले दर्जेमें सफर करते हैं और इसलिए सफरमें चरखा साथ ले जानेमें और कातनेमें भी उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। सर प्रभाशंकरके लिए यह एक बड़ा भारी कदम है। मुझे आशा है कि वे अपने निश्चयपर जरूर अमल कर पायेंगे। उनके इस उदाहरणसे काठियावाड़में कताई-आन्दोलनको बड़ा उत्तेजन मिलेगा। यह कहनेकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं कि काठियावाड़-सभामें शामिल होनेकी उनसे कोई आशा

Gandhi Heritage Portal

नहीं करता। मैं यह खुलासा करनेके लिए उत्सुक था कि यद्यपि कातनेका एक राजनीतिक पहलू है तो भी हरएक कातनेवालेको उसके राजनीतिक पहलूसे सम्बन्ध रखनेकी जरूरत नहीं। यदि राजा लोग और उनके मंत्री मिसाल पेश करनेके लिए और प्रजाके साथ अपने तादात्म्यके चिन्ह-स्वरूप कातें तो मैं उसे ही काफी मानूंगा। काठियावाड़के किसानोंको खूब फुरसत रहती है। लोग गरीब हैं। और यदि राजे-रजवाड़ों और उनके प्रतिनिधियोंके द्वारा कातनेका रिवाज चलाया जाये तो आम लोग भी, जिनपर वे शासन करते हैं, उसे अपना लेंगे और इससे राष्ट्रीय सम्पदामें भरपूर वृद्धि होगी। व्यक्तियोंपर चाहे इस वृद्धिका असर स्पष्ट मालूम न हो, लेकिन लोगोंपर समष्टि-रूपसे उसका असर काफी बड़ा होगा।

पाठक यह जानना चाहेंगे कि सर प्रभाशंकरने यह प्रतिज्ञा क्यों और कैसे की थी। वे दर्शककी हैसियतसे विषय समितिमें आमन्त्रित होकर आये थे। कातनेका प्रस्ताव पास हो जानेपर, मैंने सदस्योंको कातनेवालोंमें नाम लिखानेके लिए आमंत्रित किया। मैंने उनसे कहा कि बेलगाँवमें दूसरे लोगोंके साथ मैंने भी अपने सिर यह भार लिया था कि पहली मार्चके पहले-पहले, प्रतिमास २००० गज सूत कातनेवाले १०० सदस्य बनाऊँगा; मैंने यह भी कहा कि "अनिच्छुक" लोगोंमें से दो कातनेवालोंको तैयार करूँगा; मैंने श्रोताओंसे यह भी कहा कि बेलगाँवमें जब मैंने यह बीड़ा उठाया, मुझे आशा थी कि ये १०० सदस्य मुझे काठियावाड़से मिल जायेंगे और इच्छा न होनेपर भी कातनेवाले दो सदस्योंमें एक सर प्रभाशंकर मेरे खयालमें थे। यह सुनते ही सर प्रभाशंकर फौरन खड़े हुए और हर्ष-ध्वनिके बीच बड़े संकल्पके साथ उन्होंने अपना पूर्वोक्त निश्चय प्रकट किया।

सर प्रभाशंकरका शिक्षक मुझे ही बनना था। यह लिखते समयतक उन्हें सिर्फ तीन बार अभ्यास कराया गया है। तीसरे ही दिन वे २ घंटेसे भी कम समयमें ८ नम्बरका एक-सा और अच्छा बटा हुआ ४८ गज सूत कात सके थे। सच बात तो यह है कि पहली बार ही आध घंटेके अभ्याससे वे तार निकालने लगे थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब चरखेके साथ मुझे कुछ देर अकेले ही जूझने दीजिए। मुझे आशा है कि दूसरे राज्याधिकारी और मंत्री भी सर प्रभाशंकरके इस सुन्दर संकल्पका अनुकरण करेंगे, जो खुद उनके लिए भी और उनके अधीनस्थ प्रजाजनोंके लिए भी लाभदायक है।

रुईका संग्रह

रुईका केन्द्र होनेके कारण भावनगरमें उन गरीब कातनेवालोंको, जो आध घंटेकी मजदूरी देनेपर राजी हो सकते हैं, लेकिन जो रुई नहीं दे सकते और न माँग ही सकते हैं, रुई देनेके लिए कपास संग्रह करनेका भी निश्चय हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि २७५ मनसे ज्यादा रुई इकट्ठी हो गई। दो दिनके माँगनेपर इतनी रुई इकट्ठी हो जानेपर कोई बुरा नहीं। यदि जोश ऐसा ही रहा तो काठियावाड़में कताई आन्दोलन खूब चल पड़ेगा।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १५-१-१९२५

Gandhi Heritage Portal

४३७. घूमता चक्र

पाठक जानते ह कि बड़ो दादा द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर मेरे प्रति बहुत स्नेह-भाव रखते हैं। मैं जो भी कहता या करता हूँ, लगभग सभीको वे पसन्द किये बिना नहीं रह पाते। इसलिए पाठकगण मेरे विचारों और मेरी योजनाओंके उनके अनुमोदनको यदि बहुत अधिक महत्त्व न दें तो उनको इसका पूरा-पूरा हक है। लेकिन पाठक देशके प्रति बड़ो दादाके उत्साह और उनकी निष्ठाकी सराहना किये बिना नहीं रह सकते। बड़ो दादा अपने इसी उत्साह और निष्ठाके कारण देशकी राजनीतिमें आनेवाले नये-नये विचारोंसे अपना सम्पर्क बनाये रहते हैं। इधर हालमें उन्होंने चरखेके बारेमें मुझे यह लिखा है:

> सिद्धान्तमें तो नहीं, परन्तु व्यवहारमें अत्यन्त अहंमन्य लोगोंका एक मूढ़ विश्वास बन जाता है कि जो काम उनको असाध्य लगता है वह असम्भव है और जो उनको साध्य लगता है वही सम्भव है। नैपोलियनके शत्रु कभी खयाल करते थे कि किसी भी सेनाके लिए शीत ऋतुमें आल्प्स पर्वत पार करना उतना ही असम्भव है, जितना गुब्बारेके सहारे चन्द्रलोककी यात्रा करना; किन्तु नैपोलियनका खयाल इससे भिन्न था। उसकी पैनी दृष्टि देख रही थी कि आल्प्सको पार करना ही इटलीमें प्रवेशका एकमात्र सम्भव साधन है।
>
> इसी तरह हमारे देशके अधिकांश लोग समझते हैं कि चरखा चलाना एक ऐसा सीधा-सादा काम है जिससे राजनीतिक तो दूर आर्थिक स्वतन्त्रताकी ओर भी हमारा एक कदमतक आगे बढ़ना बिलकुल असम्भव है; जबकि दूसरी ओर महात्माजी खयाल करते हैं कि हम जिस ध्येयकी प्राप्तिका प्रयत्न कर रहे हैं, उसे केवल इसी एक साधनसे प्राप्त करना सम्भव है।

बड़ो दादाने एक पाद-टिप्पणी देते हुए यह भी लिखा है कि शाब्दिक दृष्टिसे चरखा, चक्रका पर्याय है और लाक्षणिक दृष्टिसे घूमते हुए संसार-चक्रका। कबीरके एक भजनमें चरखेका वर्णन उसके इसी लाक्षणिक अर्थमें हुआ है। लेकिन बड़ो दादाके पत्रका सबसे महत्त्वपूर्ण भाग वह है जिसमें इस कठोर सत्यपर जोर दिया गया है कि सांसारिक दृष्टिसे सयाने लोगोंको चरखे द्वारा देशकी वास्तविक प्रगति चाहे जितनी असम्भव जान पड़े, किन्तु उसका केवल यही एक सम्भव उपाय है। देश जो कोई अहम राजनीतिक कदम उठा सकता है, उसको यह चरखा-कार्य ही ठोस आधार प्रदान कर सकता है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १५-१-१९२५

Gandhi Heritage Portal

४३८. अब्राह्मण

'क्रॉनिकल' ने बेलगाँवमें हुए अब्राह्मण सम्मेलनके बारेमें मुझसे अपनी सक्रियता या निष्क्रियताका स्पष्टीकरण करनेको कहा है। इस सम्मेलनके सम्बन्धमें कांग्रेसी नेताओंकी उपेक्षाकी शिकायतें सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ है। अपने सम्बन्धमें तो मैं यही कह सकता हूँ कि मैं बेलगाँवमें जिस कार्यके लिए गया था उसके उचित सम्पादनको ध्यानमें रखते हुए, मुझसे जहाँतक सम्भव था, सभी सम्मेलनोंमें जानेका प्रयत्न कर रहा था। मुझे बताया गया है कि वहाँ जो अब्राह्मण सम्मेलन किया गया, वह मौलाना मुहम्मद अलीके आमंत्रणपर नहीं किया गया था। वह कांग्रेस अधिवेशनकी हदमें भी नहीं हुआ था। जहाँतक मैं जानता हूँ, उसके सम्बन्धमें किसी कांग्रेसीसे सलाह नहीं ली गई थी। सम्मेलनके समय और स्थानकी जानकारी मुझे एक प्रवेश-पत्रसे मिली थी; किन्तु उस तरहके तो, न जाने, कितने प्रवेश-पत्र मेरे पास आते रहते थे। फिर भी मैं उसमें जानेके लिए उत्सुक था और यह प्रयत्न कर रहा था कि अपने दूसरे कार्यक्रमोंको निभाते हुए उसमें जा सकूँ। दुर्भाग्यसे मैं उस समय काममें लगा हुआ था, सो जब सम्मेलन चल रहा था, तब मैं उस कामको छोड़कर उसमें नहीं जा सका। जब मेरा काम खत्म हुआ और मैंने पूछा, तब पता चला कि सम्मेलन तो खत्म हो चुका है। मैं ये बातें केवल यह दिखानेके लिए बतला रहा हूँ कि सम्मेलनके प्रति मैंने कोई अरुचि या अशिष्टता नहीं दिखाई। जो बात मुझपर लागू होती है वही अन्य अधिकांश नेताओंपर भी लागू होती है। मेरी रायमें सम्मेलनके संगठनकर्त्ताओंका यह कर्त्तव्य था कि वे सम्मेलनका समय मुझसे पूछकर ऐसा रखते जिससे मैं उसमें जा सकता। तब मैं दूसरे कांग्रेसी नेताओंका भी वहाँ पहुँचना सम्भव बना देता। मौलाना मुहम्मद अलीके आमंत्रणका प्रयोजन केवल इतना नहीं था कि बिना कुछ सोचे-विचारे सभी अन्य सम्मेलन कांग्रेस सप्ताहके दौरान ही आयोजित किये जायें। उसका उद्देश्य तो सब पक्षोंका हार्दिक सम्मिलन था। मैं अब्राह्मण सम्मेलनके संगठनकर्त्ताओंपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल यह दिखानेका प्रयत्न कर रहा हूँ कि कांग्रेसी नेता यदि सम्मेलनमें जा सकते और उनको उसका मौका दिया जाता तो वे खुशीसे जाते। इन पंक्तियोंको लिखनेके बाद मैंने श्री गंगाधर रावका स्पष्टीकरण देख लिया है, इससे स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १५-१-१९२५

Gandhi Heritage Portal

४३९. सदस्यताकी नई शर्त कार्यान्वित करनेकी विधि

मेरे अनुरोधपर खादी प्रतिष्ठानके श्रीयुत सतीश दासगुप्तने कांग्रेस कमेटियों और कार्यकर्त्ताओंके लाभार्थ कुछ सूचनाएँ तैयार की हैं। मैं नीचे उनका संक्षेप दे रहा हूँ। कांग्रेस कमेटियोंके लिए यह आदर्श नमूनेके तौरपर काम दे सकता है।

सदस्योंसे प्राप्त होनेवाले सूतके कोटेको एक जगह जमा करने और बाहर भेजनेके लिए ताल्लुका कमेटियों या सदस्य बनानेवाली अन्य कमेटियोंको कई किताबें रखनी होंगी: (१) सदस्य सूची; (२) सूत प्राप्तिकी रसीदकी किताब; (३) सदस्योंका सूतका रजिस्टर।

सदस्य सूची : नये सदस्यके लिए जब वह प्रतिज्ञा पत्रपर हस्ताक्षर कर दे, और पुराने सदस्यके लिए, जब उसका सूतका पहला कोटा प्राप्त हो जाये, तब उस सदस्यका नाम सदस्य-सूचीमें दर्ज किया जाना चाहिए।

सदस्य-सूची, १९२५

ताल्लुका — जिला — प्रान्त

प्राप्त सूतका कोटा

क्रम संख्या	नाम व पता	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	नवम्बर	दिसम्बर
१.	जे० एफ० अय्यर	क	क	क									
२.	के० आर० नाथन	ख	ख	ख									

सदस्य-सूचीवाले रजिस्टरमें सदस्यकी क्रम-संख्या और उसका नाम-पता लिखा जाना चाहिए। नामके सामने सदस्यके सूतके कोटेका प्रकार लिखा जायेगा। सदस्योंका वर्गीकरण करना जरूरी है, ताकि पता चल सके कि सदस्यताकी नई शर्तका काम कैसा चलता है।

सदस्योंका वर्गीकरण : वर्ग 'क' — वे लोग जो स्वयं सूत कातते हैं। वर्ग 'ख' — जो दूसरे साधनोंसे सूत प्राप्त करते हैं।

रसीदें : सूत पानेवाला जिस सदस्यसे सूत प्राप्त करेगा, उसे नीचे लिखी रसीद देगा।

सूतकी रसीद

तारीख — रसीद-संख्या — कांग्रेस कमेटी

देनेवालेका नाम :
क्रम संख्या :
वर्ग :
कितने तोला रुई दी गई :
सूतकी गुंडियाँ; सूत . . गज बताया गया है
सूतका नम्बर : — पानेवालेके हस्ताक्षर

Gandhi Heritage Portal

रसीदोंकी तीन-तीन प्रतियाँ छपवानी चाहिए। पहली प्रति सूत इकट्ठा करनेवाले कार्यालयमें रखी जानी चाहिए, दूसरी प्रति ताल्लुका कार्यालयको भेजी जानी चाहिए और तीसरी प्रति सदस्यको दी जानी चाहिए। चाहे सूत सदस्योंके घर जाकर इकट्ठा किया जाये या सदस्य लोग कांग्रेस कार्यालयमें आकर सूत जमा करें, रसीद उसी फार्मपर दी जानी चाहिए। यदि बदलेमें रुई दी जाये तो रुईकी मात्रा रसीद पर दर्ज कर दी जानी चाहिए।

सूत इकट्ठा करनेवालेको प्राप्त होनेवाले सूतपर सदस्यकी सदस्यता-संख्या, और सदस्यका नाम तथा और कुछ अन्य विवरण नीचे बताये गये रूपमें एक पर्चीपर लिखकर लगाना चाहिए। पर्ची मजबूत कागजकी और दोहरी मुड़ी हुई हो जिसके बीचमें एक डोरा पड़ा हो और इस डोरेसे पर्चीको सूतके बण्डलपर बाँध दिया जाये।

पर्ची

सदस्य-संख्या	नाम :		वर्ग :
. . . गज	कां० कमेटीका		
	कोटा	इकट्ठा करनेवालेका नाम :	तारीख

सूत इकट्ठा करनेवाला व्यक्ति सूतको ताल्लुका कांग्रेस कमेटीके कार्यालयमें जमा कर देगा।

यह माना जाता है कि गाँवकी या ताल्लुकाके अधीन आनेवाली अन्य सभी कमेटियाँ रसीदकी किताब केवल ताल्लुका कमेटीसे प्राप्त करेंगी और सभी किताबें ताल्लुका कार्यालयमें रहेंगी। जो अधीनस्थ कमेटियाँ अन्य किताबें अपने पास रखनेको तैयार हों, वे अपना काम और सुचारु रूपसे कर सकनेकी दृष्टिसे उन्हें रख सकती हैं।

रसीदकी किताबें प्रान्तीय कार्यालय छपवायेगा और इनपर एक ही क्रममें नम्बर पड़ेंगे। प्रत्येक सदस्यके लिए प्रतिवर्ष १२ रसीदोंकी आवश्यकता होगी।

रसीदकी किताबें अर्जी देकर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियोंसे प्राप्त की जा सकेंगी। जो रसीदकी किताबें जारी की जायेंगी उन्हें प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ एक रजिस्टर-पर निम्न रूपमें दर्ज करेंगी :

रसीदकी किताबोंका रजिस्टर

तारीख	कांग्रेस कमेटीका नाम और जिला	जिस अधिकारीको भेजी गई उसका नाम	बॉक्स नं.	रसीद नं.	
				इतनेसे	इतनेतक

सूत प्राप्त करनेवाली कमेटी इकट्ठा हुआ सूत सीधे प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीको या प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी जिस कार्यालयको कहे, उस कार्यालयको भेजेगी।

Gandhi Heritage Portal

सदस्यताके कोटेके रूपमें एक बार प्राप्त हुआ सूत दुबारा उसी उद्देश्यसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियाँ एक "दैनिक पुस्तिका" रखेंगी जिसमें वे प्राप्त होनेवाले सूत, बाहर दिये गये सूत और हाथमें बचे सूतका लेखा रखेंगी।

सूत सम्बन्धी दैनिक पुस्तिका

प्रान्त									वर्ष		
तारीख	जिससे सूत प्राप्त हुआ	मात्रा			दिया गया	मात्रा			शेष		
		मन	सेर	तोला		मन	सेर	तोला	मन	सेर	तोला
५-२	हरिपुर ता० कां० क० को मधुबनी ग्राम कां० क० के लिए	....	१०	५							
१५-२					पी० के० बी० को बुननेके लिए	....	८	....	....	२	....

मूल्यांकन

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी हर महीने प्राप्त होनेवाले कुल सूतका मूल्यांकन करेगी और उसका १० प्रतिशत अ० भा० कांग्रेस कमेटीको भेजेगी।

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी सदस्योंकी सूचीका पूरा ब्यौरा निम्नलिखित रूपमें अ० भा० कांग्रेस कमेटीको भेजेगी :

सदस्योंका मासिक ब्यौरा

प्रान्त			माह	
जिला	कांग्रेस कमेटी	रजिस्टरपर सदस्योंकी संख्या	सूतका कोटा भेजनेवाले सदस्योंकी संख्या	
			वर्ग 'क'	वर्ग 'ख'

प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी सूत भेजनेवाली प्रत्येक कांग्रेस कमेटीका हिसाब रखेगी, ताकि किसी भी समय इस बातका निश्चय किया जा सके कि उस कमेटीको दी जाने वाली रुईपर जो खर्च आया उसके मुकाबले सूतकी बिक्रीसे होनेवाली आय कितनी हुई है और अब उस कमेटीको कितना पैसा देना है?

सूत प्राप्त होनेपर उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए और पहली अवस्थामें उसे कांग्रेस कमेटीके ही जमा खातेमें दर्ज किया जाना चाहिए। समय-समयपर सूतके मूल्यमें से अ. भा. कांग्रेस कमेटी, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटीके

Gandhi Heritage Portal

हिस्सोंकी रकम तय करके उतनी रकम सम्बन्धित कांग्रेस कमेटीके जमा खातेसे निकाल कर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके जमा खातेमें डाल दी जानी चाहिए।

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके लिए खातेका फार्म

खाता . . . तालुका कांग्रेस कमेटी वर्ष

तारीख	दी गई रुई	देना			तारीख	प्राप्त किया गया सूत	पावना		
१०-१	½ मन प्रति मन ४०) की दरसे	२०	-	-	५-२	१० सेर ५ तोला २) प्रति सेरकी दरसे	२०	२	-
२०-१	१ मन, प्रति मन ४०) की दरसे	४०	-	-		२० सेर २।) प्रति सेरकी दरसे	४५	-	-
१०-३	जनवरी, फरवरी और मार्चका कोटा	१६	४	६					

यदि ऊपर बताये गये ढंगसे कांग्रेस कमेटियों और अ. भा. कांग्रेस कमेटीके सम्बन्धमें कोई हिसाब रखा जाता है तो सभी पक्षोंको सन्तुष्ट कर सकना सरल होगा। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी रुईका वितरण करती है और सूतकी कीमत वसूल करती है और उस कीमतमें से अ. भा. कांग्रेस कमेटी तथा अन्य कमेटियोंका हिस्सा निकालती है। यह काम बहुत जटिल है, और अगर उचित हिसाब नहीं रखा जाता तो इसमें विफलताकी सम्भावनाएँ बहुत हैं।

कताई-कार्य

जिन प्रान्तोंमें स्वयं कताई करनेवालोंकी संख्या काफी है और खादी सम्बन्धी गतिविधि महत्त्वपूर्ण है, वहाँ सूत-सदस्यताके आधारपर सदस्योंको भरती करना और मौजूदा चरखोंपर कताई कराना कठिन नहीं होगा। लेकिन जिन प्रान्तोंमें कताईका काम बहुत नहीं बढ़ पाया है, वहाँ प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीको सदस्य भरती करनेके लिए विशेष प्रबन्ध करने होंगे।

अभीतक कांग्रेस कमेटियाँ पैसेका ही हिसाब-किताब रखती थीं, लेकिन कताई-सदस्यताकी व्यवस्था लागू होनेके बाद उन्हें सूत और खादीका हिसाब रखना होगा। कांग्रेस कार्यालयमें एक सूत और खादी विभाग होगा। तौलनेके लिए तराजू और बाट तथा सूत और खादीको एक जगह रखने, पैकिंग करने, भेजने और सूत तथा खादीकी बिक्रीका भी प्रबन्ध करना होगा। किताबोंका एक पूरा सेट रखना होगा। प्रत्येक कांग्रेस कार्यालय आवश्यक रूपसे एक खादी-उत्पादन केन्द्र बन जायेगा।

सदस्योंको चरखा आसानीसे उपलब्ध करनेकी भी व्यवस्था करनी होगी।

प्रत्येक कांग्रेस कमेटीसे सम्बद्ध प्रशिक्षण केन्द्र होना भी जरूरी होगा। कताई-विभागकी देखरेख करनेवाले कार्यकर्त्ताको रुई धुनना सीखना जरूरी है और उसे धुनकी-

Gandhi Heritage Portal

का एक कुशल धुनियेकी तरह उपयोग करना आना चाहिए तथा उसे एक अच्छा सूत कातनेवाला भी होना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

यंग इंडिया, १५-१-१९२५

४४०. भाषण: खेडूत परिषद्में[1]

१५ जनवरी, १९२५

अध्यक्ष महोदयने जो भिक्षा[2] माँगी है, वह अगर उन्हें नहीं दी जा सकती तो मैं मानूंगा कि यह परिषद् निरर्थक रही। उनकी माँग यदि बहुत ज्यादा होती और आपके बूतेसे बाहर होती तो कुछ कहनेको नहीं रह जाता। इस परिषद्में से ४० स्वयंसेवक भी न मिलें तो आप सबके लिए यह शर्मकी बात कही जायेगी। और जितनी आपके लिए उतनी ही मेरे लिए भी। कारण, पाटीदारोंके साथ मेरा निकटका सम्बन्ध रहा है —— और सो यहाँ आकर जबसे मैं काममें जुटा हूँ तबसे नहीं, बल्कि दक्षिण आफ्रिकासे ही —— और इस सम्बन्धका खयाल करते हुए मैं आशा रखता हूँ कि इतने लोगोंके समुदायमें से ४० स्वयंसेवक अवश्य मिलने चाहिए; और पुरुष स्वयंसेवक ही नहीं, अपितु स्वयंसेविकाएँ भी मिलनी चाहिए। इस लड़ाईमें यदि महिलाओंका हिस्सा नहीं होगा तो हमसे केवल आधा ही काम होगा। ये स्वयंसेवक वेतन लेनेवाले नहीं हों, एक तरहसे यह बात है। जो वेतनके मोहके कारण ही वेतन लेना चाहते हों, वे स्वयंसेवक नहीं हैं। लेकिन स्वयंसेवककी सेवा स्वीकार करनेवाली जनता उसके निर्वाहकी व्यवस्था करनेके लिए भी बँधी हुई है। ४० स्वयंसेवक हमारे कामके लिए पर्याप्त नहीं हैं। हिन्दुस्तानमें तो ४० लाख स्वयंसेवक चाहिए। हमने आज जो काम हाथमें ले रखा है उसके लिए पाँच-सात हजार स्वयंसेवक तो अवश्य चाहिए और इस गरीब देशमें इतने स्वयंसेवक निर्वाहके लिए कुछ भी लिये बिना काम कर सकें, यह असम्भव है। यूरोप-जैसे देशोंमें भी ऐसे स्वयंसेवक प्राप्त करना असम्भव है। ईश्वरने हमें इसलिए पैदा नहीं किया कि हम खायें और काम न करें। प्रकृतिके सर्वसामान्य नियमको हमने भंग किया है। कुछ लोग हैं जो खाते तो हैं किन्तु उसके लिए काम नहीं करते, इसीका यह परिणाम है कि कुछ तो अपने ऊपर हजारों रुपये खर्च करते हैं और दूसरी ओर हजारों लोग भूखों मरते हैं। हिन्दुस्तानके अंग्रेज इतिहासकार हंटरका कहना है कि यहाँ लगभग दस करोड़ व्यक्तियोंको मुश्किलसे एक जून ही खानेको मिलता है और वह भी रोटी तथा नमक। कांग्रेसने भी इस आशयका प्रस्ताव पास किया है कि सभी स्वसेयंवक बिना पैसेके मिल जायें, ऐसी अपेक्षा न करनी चाहिए।

१. किसानोंका यह सम्मेलन सोजित्रामें हुआ था।

२. परिषद्के अध्यक्ष डा० सुमन्त मेहताने ४० स्वयंसेवकोंकी माँग की थी।

Gandhi Heritage Portal

लोगोंके सामने इसका उदाहरण प्रस्तुत करनेके लिए अग्रगण्य व्यक्तियोंको पहल करनी चाहिए। यदि जरूरत जान पड़े तो मुझे भी गुजारेके लायक पैसा लेना चाहिए। वल्लभभाईको भी लेना चाहिए। वैसे मैं तो मित्रोंसे असंख्य वस्तुएँ प्राप्त करता ही रहता हूँ। आज कदाचित् मुझे और वल्लभभाईको इसकी जरूरत न हो, लेकिन ऐसा समय आयेगा तो वेतन लेनेवाले स्वयंसेवकोंकी भरतीमें वल्लभभाई और मैं, दोनों दाखिल होंगे। तिलक महाराज और गोखलेजीके उदाहरण लें। जब फर्ग्युसन कॉलेज खुला तब दोनोंने उसमें ४० रुपयेके अल्प वेतनसे सन्तोष मानकर शिक्षाके लिए सेवा करनेकी दीक्षा ली थी। तिलक महाराजने बादमें अमुक कारणोंसे कॉलेज छोड़ दिया था, लेकिन वे जबतक वहाँ रहे तबतक उतना वेतन लेनेमें वे अपना मान समझते थे। गोखलेजीने तो २० वर्ष पूरे किये। इस बीच वे विधान परिषद्के सदस्य थे, अनेक समितियोंका कार्य करते थे, और इस सबसे भी उन्हें कुछ पैसा मिलता ही था; लेकिन फर्ग्युसन कॉलेजसे जो वेतन उन्हें मिलता था, उसे लेना उन्होंने बन्द नहीं किया। जब वे स्वयं "महान्" बन गये और जब १०,००० रुपयेका वेतन मिल सके, ऐसी स्थिति थी, तब भी उन्होंने पहलेके ७५ रुपयेके मासिक वेतनको जितना मान प्रदान किया था उतना इन मोटी रकमोंको भी नहीं दिया। अपनी पेन्शनकी छोटी-सी रकम भी उन्होंने बहुत कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार की।

स्वयंसेवकोंको लोकापवादकी परवाह नहीं करनी चाहिए। निठल्ला व्यक्ति घर घालता है, इसलिए निठल्ले लोग स्वयंसेवकोंकी निन्दा करें तो इससे उन्हें घबरानेका कोई कारण नहीं है। स्वयंसेवक निन्दाको अपनी खुराक मानें। जो जगतकी निन्दाको सहन नहीं कर सकता, वह स्वयंसेवक नहीं हो सकता। उसकी चमड़ी तो भैंसेकी होनी चाहिए। नीचा सिर करके काम करता जाये, आगे-पीछे न देखे, केवल अपनेमें और अपने काममें ही ध्यान हो — उसे ऐसा योगी होना चाहिए। जो स्वयंसेवक मानता है कि वह जनताके हाथों बिक चुका है, उसे दिन-रात अपने कामके ही सपने आने चाहिए, लेकिन आजीविका-भरको — अर्थात् खीर-पूरीके लायक नहीं बल्कि ज्वार-बाजराके लायक — लेनेमें उसे संकोच न करना चाहिए। ऐसे कसे हुए स्वयं-सेवकोंको ही इसमें आना चाहिए और अध्यक्ष महोदयको निश्चिन्त कर देना चाहिए। अध्यक्ष महोदयको यहीं इसी काममें बाँध रखना चाहते हों तो सामने आइये! इतने कमसे सन्तोष माननेवाला अध्यक्ष आपको दूसरा शायद ही मिले।

हिन्दुस्तानमें आज जो सबसे बड़ी और प्रौढ़ प्रवृत्ति चल रही है, उसके सम्बन्धमें तो मुझे आपसे कुछ कहना ही होगा। यह प्रवृत्ति है खादीकी, चरखेकी। जैसे-जैसे चरखेका विरोध किया जाता है वैसे-वैसे उसके प्रति मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कीजिएगा कि मैं मूर्ख और जिद्दी हूँ और न समझनेपर भी एक वस्तुके पीछे लगा हुआ हूँ। मैं जिस वस्तुकी बात कर रहा हूँ वह वस्तु तो मैंने हिन्दुस्तानके आगे सिर्फ चार-पाँच वर्ष पहले ही रखी थी, लेकिन

Gandhi Heritage Portal

चरखेके पक्षमें दलील तो मैंने इससे बहुत पहले, जब उसके दर्शन भी न किये थे, तभी 'हिन्द-स्वराज्य' में पेश की थी। और जैसे-जैसे इसका विरोध होता है, वैसे-वैसे मैं देखता हूँ कि इस विरोधके पीछे अनुभव और विचार नहीं है और मेरी दलीलोंमें गहरा विचार और अनुभव है। मैं अपनेको सीधा व्यक्ति मानता हूँ। भूल स्वीकार करना मैं अपना धर्म समझता हूँ, मलिनता मुझे पसन्द नहीं। शरीरमें, मनमें, हृदयमें मैल रखना रोग है, इसलिए भूल स्वीकार न करना भी रोग है। जो मनुष्य ईश्वरके आगे भूल स्वीकार नहीं करता — यद्यपि ईश्वर तो सब-कुछ देखनेवाला है, लेकिन साथ ही वह बड़ा कौतुकी भी है और मनुष्यको भुलावेमें डालनेवाला है — जो व्यक्ति ईश्वरके आगे अर्थात् जगतके आगे अपनी भूल स्वीकार नहीं करता, उसे क्षयरोग हो जाता है, उसका आध्यात्मिक क्षय होता है। यह क्षय शारीरिक क्षयकी अपेक्षा अधिक हानिकारक है। शारीरिक क्षयमें केवल शरीरका नाश है, लेकिन इसमें तो आत्माका नाश है। आत्मा तो अमर है, अक्षय है, इसलिए उसका नाश नहीं होता, पर नाशकी भ्रान्ति होती है। इसलिए अमर आत्माके नाशकी कल्पनामें दुहरा रोग होता है। अतएव मुझसे भूल हो तो उसे स्वीकार करनेमें मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता। बादमें मेरे भूल स्वीकार करनेके फलस्वरूप सारे चरखे बन्द हो जायें और मैं पागल माना जाऊँ तो कोई बात नहीं; लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी ऐसा समय नहीं आया है। मुझे चरखेमें इतना अधिक विश्वास है कि मेरी स्त्री, मेरे लड़के और जो मेरे लिए मेरे लड़कोंसे भी बढ़कर हैं, ऐसे साथी अगर चरखेको छोड़ दें तो भी मैं अकेला इसका मंत्र जपा करूँगा और उसे चलाता चला जाऊँगा। हिन्दुस्तानमें आलस्यका महारोग है। यह स्वाभाविक नहीं है। किसानोंके लिए तो यह स्वाभाविक हो ही नहीं सकता; यदि हो तो उनकी खेती बरबाद हो जाय। हमारे यहाँ चरखेका नाश हुआ, इसीसे आलस्य आया। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गये। अब, कोई छोटी-मोटी चीज करोड़ोंके लिए धन्धा नहीं बन सकती। कोई कहता है, हम टोकरियाँ बनायेंगे; कोई कहता है, ताले बनायेंगे; कोई दियासलाई तो कोई साबुन। इन कामोंमें करोड़ोंका उपयोग नहीं हो सकता और अगर वे सब इनमें भी लग जायें तो इन सारी चीजोंकी खपत नहीं हो सकती। इस तरहसे काम करनेसे सारी जनता एक नहीं हो सकती, वह अलग-अलग व्यक्तियोंके समूहमें बँटकर ही रह जायेगी। ऐसे काममें उद्धार नहीं है। इसीसे मैं कहता हूँ कि हिन्दुस्तानमें सहायक धन्धेकी आवश्यकता है। खेड़ामें बहुत थोड़े-से गाँव होंगे, जहाँ मैं गया न होऊँ और थोड़े ही लोग होंगे जिन्हें मैंने देखा नहीं होगा। इनमें से बहुत-से लोगोंके पास काफी समय रहता है। इस समयका उपयोग करनेका साधन चरखा है, ऐसा कहूँ तो यह बात सबको पसन्द नहीं आती। परिणामतः कुछ लोग चोरी करते हैं, कुछ ऋण लेते हैं, तो कुछ भूखों मरते हैं। ऐसी दयनीय स्थितिमें पड़ी हुई — मजबूरन आलसी हो गई — जनताका नाश ही सम्भव है। यदि वह स्वयं जागृत नहीं होती और दूसरोंको जागृत नहीं

Gandhi Heritage Portal

करती तो नाश ही होगा। यह समाज-शास्त्रका नियम है। व्यक्तिगत शास्त्रका नहीं, यह समाज-शास्त्रका नियम है। करोड़ों इससे आजीविका प्राप्त नहीं कर सकते और न इसे आजीविकाके साधनके रूपमें पेश ही किया गया है। इसका वर्णन तो अन्नपूर्णाके रूपमें किया गया है। अन्नपूर्णा अर्थात् घी-दूध। असंख्य गरीबोंको आज घी-दूध नहीं मिल सकता। गेहूँकी लपसीमें दूधकी बूंद अथवा घीका छींटा भी डालनेको नहीं मिल सकता। यह भयानक स्थिति है। इसका एक ही इलाज है — चरखा। यदि एक-एक व्यक्ति एक-एक रुपयेका काम करे तो वह मालूम नहीं होगा, परन्तु यदि सात हजारकी आबादी वाला गाँव इस तरहसे सात हजार रुपया पैदा करे तो वह देखा जा सकता है। इस चरखेको साधनेसे दूसरे अनेक गुण खुद-ब-खुद आ जाते हैं। इसके साथ सादगी आती है, सरलता आती है, नियमितता आती है और एक बातमें नियमितता आ जानेका मतलब है सारे जीवनमें नियमितता आ जाना — ठीक उसी तरह जिस तरह टेढ़े हो गये चौखटेका जो एक कोना खराब हो गया हो उसे ठीक कर देनेसे बाकीके सारे कोने खुद-ब-खुद ठीक हो जाते हैं। यह भूमितिका नियम है। एक कामके नियमित होनेसे सब काम नियमित हो जाते हैं। आज यदि आप चरखेको स्वीकार न करेंगे तो कल मुझे याद करेंगे। जब पानी थोड़ा बरसता हो, तभी बाँध बाँधकर उसे इकट्ठा कर लीजिए। जब प्रवाह आता है, तब बाँध बाँधनेवाला उसे नहीं रोक सकता तथा बाँध और पानी दोनोंको खो बैठता है। इसलिए आज, जबकि समय है, मैं आपसे कहता हूँ कि आप चेतें, जागें। बनियेका हिसाब न करें; चरखेसे आपमें से एक व्यक्तिको कितनी आमदनी होती है, उसपर विचार न कर राष्ट्रको कितनी आय होगी, इसका विचार करें। त्रापज-जैसे छोटे गाँवमें जब लोगोंको हिसाब करके बताया, तब वे चकित रह गये। काठियावाड़ उपजाऊ नहीं है। उसमें तो लकड़ीकी फसल — पत्थरकी फसल — पकती है, और जमीनके उर्वर न होनेसे लोग छः महीने तो क्या, आठ महीने बरोठेपर बैठकर गप्पें मारते हैं, और न हुआ तो थोड़ी अफीम ही खा लेते हैं। मैंने त्रापजके लोगोंको समझाया कि वे किस तरहसे आसानीसे दो हजार बचा सकते हैं। एक सेर रुईके पीछे ज्यादा खर्च तो कताईका ही है, बुनाईका नहीं। अपने घरकी रुई आप घरमें ही साफ करें और कातें तो केवल बुनाईका ही खर्च पड़े तथा यदि केवल बुनाईका ही खर्च पड़ता हो तो हम दुनियाकी मिलोंके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। कारण कि बुननेका खर्च तो मिलोंको भी लगभग हाथ-करघे-जितना ही पड़ जाता है। इस चाबीका महत्त्व हिन्दुस्तानकी जनता समझती थी, इसलिए उसने चूल्हेकी भाँति चरखेको भी साध रखा था। यह चाबी उसके हाथसे गई, और बस हमारा जीवन अपवित्र हो गया, हम नास्तिक हो गये, हमें ईश्वरका भय नहीं रहा। आप आस्तिक बनना चाहते हों, पवित्र होना चाहते हों, अपनी बहनोंके शीलकी रक्षा करना चाहते हों तो चरखेको अंगीकार करें। चरखेमें ही देशकी जागृति है, हिन्दू-मुस्लिम एकता है,

Gandhi Heritage Portal

देशकी गरीबीका निराकरण है, सारे देशके किसानोंका उद्धार है; और हिन्दू समाज-शास्त्रके पालनका आधार भी इसीपर है।

आप पाटीदार लोग अन्त्यजोंके साथ अच्छी तरहसे व्यवहार नहीं करते, ऐसा मैंने सुना है। आप अपनेको क्षत्रिय मानते हों तो आप अन्त्यजोंके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, उन्हें मार-पीट नहीं सकते, ज्यादा काम लेना और कम दाम देना, ऐसा राक्षसी न्याय नहीं कर सकते। 'गीता' देवताओंको सन्तुष्ट रखनेको कहती है, "देवताओंको सन्तुष्ट रखोगे तो देवता वर्षा देंगे।" देवता आकाशमें नहीं हैं। आपके देवता अन्त्यज हैं, आपके देवता आपके पौनी-पसारी हैं। हिन्दुस्तानका देवता हिन्दुस्तानकी गरीब जनता है। दया-धर्मसे विहीन धर्म पाखण्ड है। दया ही धर्मका मूल है और उसका त्याग करनेवाला ईश्वरका त्याग करता है; रंकका त्याग करनेवाला सबका त्याग करता है। अन्त्यजों और रंकोंको यदि हम स्थान न देंगे तो हमारा नाश निश्चित है।

[गुजरातीसे]

नवजीवन, १-२-१९२५

Gandhi Heritage Portal

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

बोलशेविज्मपर मानवेन्द्रनाथ रायके विचार

महात्मा गांधीके कुछ अमेरिकी मित्रोंने उन्हें लिखा कि धमके नामपर आप भारतमें शायद बोलशेविज्मको दाखिल कर रहे हैं। ये ख्वामखाह "मित्र" बननेवाले लोग, स्पष्ट ही आंग्ल-सैक्सन साम्राज्यवादके पक्षधरोंसे (जो अकसर दुनियाके सामने अपने को शान्तिवादियोंके बानेमें पेश करते हैं) प्रेरणा लेकर, मुसलमान जातियोंके विद्रोहको विश्वके लिए एक भारी खतरा बताते हैं, क्योंकि इस विद्रोहको बोलशेविक रूसका समर्थन प्राप्त है। महात्माजी चाहते तो बड़ी आसानीसे इस उद्धततापूर्ण पत्रका मुनासिब जवाब दे सकते थे। वे अपने "जिम्मेदार (?) विदेशी मित्रों" से कह सकते थे कि मुसलमान जातियोंके पास विद्रोह करनेके उचित कारण हैं, और इस विद्रोहका समर्थन करनेवाला कोई भी राजनीतिक सिद्धान्त या सरकार स्वतन्त्रताके तमाम पक्षधरोंकी दृष्टिमें सम्मानकी पात्र होनी चाहिए। इसके अलावा वे अपने अमेरिकी मित्रोंसे यह भी कह सकते हैं कि अगर सचमुच आपको इस विद्रोहमें विश्वके लिए कोई बहुत बड़ा खतरा दिखाई देता है तो कृपा कर अपने यहाँ उसका कुछ उपाय करिये। दुनियाको आज अमेरिकी साम्राज्यवादसे ज्यादा खतरा और किस चीजसे है? क्या मुसलमान जातियोंका विद्रोह 'कू-क्लक्स-क्लान'[1] और 'अमेरिकन लीजन' से भी ज्यादा खतरनाक है? क्या बोलशेविकोंका अनीश्वरवाद अमेरिकी लोकतन्त्रकी एशिया-विरोधी भावनासे भी अधिक अधर्ममय है?

किन्तु, महात्माजीने ऐसा दो टूक जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने दृष्टिकोणका औचित्य सिद्ध करना उचित समझा। कोई उनपर बोलशेविक प्रवृत्तिका सन्देह न कर सके, उन्होंने इसकी पेशबन्दी कर डाली। किन्तु, विचित्र बात यह है कि यद्यपि स्वयं अपने कथनके अनुसार वे बोलशेविज्मके विषयमें कुछ नहीं जानते, फिर भी वे दुनियाके सामने यह सिद्ध करनेके लिए अत्यन्त उत्सुक थे कि इसके प्रति उनका कोई रुझान नहीं है। उनकी सहज बोलशेविज्म-विरोधी भावना इतनी प्रबल है। 'यंग इंडिया' में अपने एक लेखमें वे कहते हैं कि "सबसे पहले तो मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मुझे पता नहीं, बोलशेविज्मके मानी क्या हैं।" यह तो उनकी प्रतिष्ठाको बहुत आँच पहुँचानेवाली स्वीकारोक्ति है, क्योंकि यह स्वीकारोक्ति उस व्यक्तिकी है जो एक बहुत बड़े जन-आन्दोलनका नेतृत्व कर रहा है। उसी लेखमें महात्माजीने यह भी कहा कि वे जानते हैं कि इस मामलेमें दो परस्पर-विरोधी पक्ष हैं—"एक तो उसका बड़ा भद्दा और

१. गृह-युद्धके बाद स्थापित संयुक्त राज्य अमेरिकाके दक्षिणी राज्योंकी नीग्रो-विरोधी गुप्त समिति।

Gandhi Heritage Portal

काला चित्र खींचा करता है और दूसरा उसे संसारकी तमाम दलित-पतित और पीड़ित जातियोंके उद्धारका आन्दोलन बताता है।" लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे किसकी बातका विश्वास करें। यहाँ भी वे साधारण मानव-बुद्धिसे काम ले सकते थे। वे बड़ी आसानीसे यह बात देख सकते थे कि वे कौन हैं जो उसका काला और भद्दा चित्र खींचते हैं। ये वे ही लोग हैं जो खून और खंजरकी नीतिके बलपर दुनियापर शासन कर रहे हैं। महात्माजीको अपनी निष्पक्षताका बड़ा ध्यान रहता है, सो उसका ध्यान रखते हुए भले ही वे बोलशेविज्मका उज्ज्वल चित्र पेश करनेवालोंपर विश्वास न करें; किन्तु उन्हें इस बातकी प्रतीति करानेकी भी क्या कोई आवश्यकता है कि पहला पक्ष मानव-जातिका मित्र या उद्धारकर्त्ता नहीं है? इसलिए, जब इस पक्षवाले किसी चीजका बहुत काला चित्र पेश करते हैं तो मानव-जातिके दलित-शोषित वर्गको सहज ही उसमें किसी घोर अनिष्टकारी उद्देश्यका आभास मिल जाता है; इस दलित मानव-वर्गको लगता है कि यह कालेपनका मुलम्मा उसे छलनेके लिए लगाया गया है। युद्ध-कालमें जब रायटर मित्र-राष्ट्रोंकी एक विजयकी खबर देता था तब राष्ट्रवादी भारतीय लोग अन्तरकी इसी अचूक सहज प्रेरणाके कारण समझते थे कि जर्मनीने दो लड़ाइयाँ जीती होंगी और इसी सहज बुद्धिकी प्रेरणाका अनुसरण करते हुए एक अदना मैक्सिकन चपरासी अपनेको गर्वके साथ बोलशेविक कहता है, क्योंकि वह देखता है कि अमेरिकी पूँजीपति बोलशेविज्मके इतने ज्यादा विरुद्ध हैं। लेकिन मैं समझता हूँ, महात्माओंकी मनोवृत्ति शायद इतनी जटिल होती है कि उसमें ऐसी किसी सीधी-सादी और सहज मानसिक प्रक्रियाकी गुंजाइश ही नहीं होती।

चूँकि बोलशेविज्मके प्रति इस दुःखद अज्ञानके शिकार सिर्फ महात्माजी ही नहीं, बल्कि और भी बहुतसे भारतीय हैं, और चूँकि इस अज्ञानके बावजूद वे उसके विषयमें कोई राय बनानेसे बाज नहीं आते, इसलिए इस भयंकर सिद्धान्तके बारेमें दो शब्द कह देना अप्रासंगिक नहीं होगा। चूँकि बोलशेविज्म आजकी दुनियाका सबसे प्रमुख राजनीतिक तत्त्व है, इसलिए इसके सम्बन्धमें कुछ कहना और भी जरूरी हो जाता है। यहाँ प्रसंगवश मैं यह बता दूँ कि इस आम धारणाके विपरीत कि वह १९१७ की रूसी क्रान्तिका परिणाम है, वास्तवमें वह उसका बुनियादी सिद्धान्त है। जिस प्रकार १७८९ की महान् फ्रांसीसी क्रान्तिने अपने समयमें यूरोपके राजनीतिक-जीवन और विचारको प्रभावित किया, उसी प्रकार रूसी क्रान्ति भी हमारे युगमें वैसी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि रूसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है और रूसी क्रांतिके सिद्धान्त ऐसे हैं कि उसका प्रभाव-क्षेत्र अधिक व्यापक होगा — उसमें एशिया और आफ्रिका भी आ जायेंगे। वस्तुस्थिति यही है। शान्तिवादी मनोवृत्तिकी जिन स्त्रियों और पुरुषोंकी सदाशयतामें गांधीजी सहज ही विश्वास करके चलते हैं, उसे दुनियाके अधिक व्यावहारिक लोग गम्भीर सन्देहकी दृष्टिसे देखते हैं। इन शान्तिवादियोंकी आशंकासे, जिसका कारण भली-भाँति समझा जा सकता है, और उनकी रोष-भावनासे उपरोक्त वस्तुस्थितिमें कोई अन्तर नहीं पड़ता।

अब, जहाँतक महात्माजीका सम्बन्ध है, बोलशेविज्मके मुख्य सिद्धान्त कुछ नये नहीं होंगे। वे खुद भी ऐसा ही मानेंगे। लेकिन अगर सिद्धान्तोंको कार्यान्वित न किया जाये

Gandhi Heritage Portal

तो वे निष्प्राण शब्द-भर रह जाते हैं। महात्माजीने खुद कहा है कि वे जनसाधारणको पूँजीवादके प्रभुत्वसे मुक्त देखना चाहते हैं। स्वयं बोलशेविज्म इससे कोई अधिक भयंकर लक्ष्य लेकर कहाँ चल रहा है? बोलशेविक लोग भी महात्माजीके इस कथनसे सामान्यतः सहमत हैं कि "दुनियाका सबसे बड़ा संकट तो आज वह साम्राज्यवाद है, जो दिनपर-दिन अपने पैर फैलाता जाता है, दुनियाको लूटता जाता है, जो किसीके प्रति जिम्मेवार नहीं है, और जो . . . तमाम निर्बल जातियोंके स्वतन्त्र अस्तित्व और विकासके लिए खतरा उपस्थित कर रहा है।" लेकिन महात्माजी और बोलशेविकोंके बीच अन्तर यह है कि जहाँ महात्माजी स्वतन्त्रताके इस सिद्धान्तको नैतिकता, धर्म और ईश्वरकी जटिल कल्पनाके सामने गौण बनाकर उसे समस्त व्यावहारिक महत्त्वसे वंचित कर देते हैं, वहाँ बोलशेविक लोग अपनी दृष्टिपर इस प्रकारके भ्रमोंका पर्दा नहीं चढ़ने देते और दुनिया जैसी है, उसके साथ वैसा ही बरतते हैं। नतीजा यह है कि जहाँ बोलशेविज्म इन साम्राज्यवादी शक्तियोंके संयुक्त और दृढ़ विरोधके बावजूद अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है और युगों पुरानी दासताकी फौलादी बेड़ियोंकी कड़ियाँ एकके बाद एक तोड़ता जाता है, वहाँ गांधीवाद अन्धेरेमें हाथ-पाँव मार रहा है और ऐसे नैतिक तथा धार्मिक विधानोंकी सृष्टि करता जा रहा है, जो जन साधारणकी अपनी स्वतन्त्रताके लिए लड़नेकी संकल्प-शक्तिके सिर्फ आड़े ही आते हैं।

इतना तो माना ही जा सकता है कि महात्माजी समाजवादके सामान्य सिद्धान्तोंसे परिचित हैं। यहाँ मेरा मतलब सेंट साइमन, टामस मूर, टाल्स्टाय, आदिके अव्यवहार्य समाजवादके सिद्धान्तोंसे नहीं, बल्कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा वस्तुस्थितिकी वास्तविक जानकारी और आर्थिक तथ्योंके आधारपर रचे समाजवादके सिद्धान्तोंसे है। ये सिद्धान्त इस प्रकार हैं: (१) उत्पादनकी पूँजीवादी प्रणालीका उच्छेद; (२) वैयक्तिक सम्पत्तिकी समाप्ति; (३) सामाजिक स्वामित्वके आधारपर उत्पादन और वितरणके साधनोंका पुनर्गठन; और (४) वर्गोंमें विभाजित समाजका बन्धुत्वकी भावनासे युक्त मानव-परिवारमें रूपान्तर। यही सब सिद्धान्त बोलशेविज्मके भी हैं, क्योंकि समाजवादकी उग्र और विजयगामी प्रारम्भिक अवस्थाका नाम ही बोलशेविज्म है।

'बोलशेविज्म' शब्दको रक्तपात, विनाश, आतंक आदिके साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन उसका असली अर्थ बिलकुल निर्दोष है। बोलशेविज्म रूसी शब्द 'बोलशेविकी' से बना है और बोलशेविकीका अर्थ है बहुसंख्यक पक्षके अनुगामी। इस शब्दका प्रयोग पहले-पहल तब हुआ था, जब सन् १९०३ में कार्यक्रम और कार्य-प्रणालीके सवालपर रूसकी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी दो टुकड़ोंमें बँट गई थी। लेनिन और कुछ दूसरे लोगोंके नेतृत्वमें चलनेवाले बहुसंख्यक दलके कार्यक्रम और कार्य-प्रणालीका नाम बोलशेविज्म पड़ गया। और चूँकि रूसके सर्वहारा वर्गने अक्तूबर, १९१७ में जो विजय प्राप्त की, वह उसी कार्यक्रम और कार्य-प्रणालीके अनुसार लड़कर प्राप्त की जिसकी वकालत बहुसंख्यक दल १९०३ से ही करता आ रहा था, इसलिए अक्तूबर क्रान्तिको बोलशेविस्ट विजय कहा जाता है। यह बोलशेविस्ट विजय समाजवादकी पहली विजय है। अब हम देखें कि रूसी क्रान्तिके ठोस परिणाम क्या हैं: (१) एक भ्रष्ट, गैरजिम्मे-

Gandhi Heritage Portal

दार और निरंकुश शासनका अन्त हो गया। (२) उस बुर्जुआ वर्गका भी सफाया हो गया जो जनतन्त्रकी आड़में, विदेशी सरकारोंकी मददसे, रूसी जनताको क्रान्तिके लाभोंसे वंचित करना चाहता था। (३) जमींदार वर्ग, जो जारकी निरंकुश सत्ताका मूलाधार था, नष्ट कर दिया गया और जमीन पूरे राष्ट्रकी सम्पत्ति घोषित कर दी गई और किसानोंमें बाँट दी गई। (४) बड़े-बड़े उद्योग राष्ट्रकी सम्पत्ति घोषित कर दिये गये। (५) विदेशी व्यापारपर राज्यका एकाधिकार हो गया। (६) विधान बनाने और प्रशासन चलानेकी सारी सत्ता जनताके उस हिस्सेको सौंप दी गई जिसका प्रबल बहुमत था, अर्थात् सत्ता मजदूरों, किसानों और सैनिकोंको सौंप दी गई। वे इस सत्ताका प्रयोग अपनी परिषदों (सोवियतों) द्वारा करते हैं। (७) निजी तौरपर सम्पत्ति रखनेका सारा अधिकार और उसकी रूसे मिलनेवाले सब विशेषाधिकार खत्म कर दिये गये। ये हैं बोलशविज्मके सिद्धान्त, जिन्हें रूसमें क्रान्तिके फलस्वरूप व्यवहारमें उतारा गया है। तो अब चूंकि महात्माजी बोलशेविज्मका अर्थ जान गये इसलिए हम यह जानना चाहेंगे कि उसके प्रति उनका क्या रुख है। इस प्रश्नके उत्तरमें न सिर्फ भारतको बल्कि सारी दुनियाको दिलचस्पी होगी।

अब हम ज्यादा नाजुक सवालपर आते हैं। महात्माजीको शायद इन सिद्धान्तोंके खिलाफ कोई आपत्ति न हो, लेकिन उन्हें कार्यान्वित करनेकी रीतिके बारेमें वे निश्चय ही अनेक शर्तें रखेंगे। उनके लिए तो हर चीजकी एक ही कसौटी है। अगर बोलशेविज्म अनीश्वरवादी है, तो बस, वे उसके खिलाफ हैं। खैर, हमने तो उन्हें संक्षेपमें बोलशेविज्मकी परिभाषा दे दी है। अब वे विचार करें और कहें कि बोलशेविज्म ईश्वरको नकारता है या क्या करता है। जबतक वे वैयक्तिक सम्पत्ति और निहित स्वार्थोंको ईश्वरीय विधान न मान लें, तबतक उनके उन्मूलनको वे ईश्वरको नकारना नहीं कह सकते। कारण, इसमें शक नहीं कि बोलशेविज्म वैयक्तिक सम्पत्ति और स्थापित स्वार्थोंको, जो इतिहासके आदिकालसे ही मनुष्य-समाजके लिए अभिशाप-रूप सिद्ध हुए हैं, अमान्य करता है। बोलशेविज्मके व्यावहारिक कार्यक्रममें ईश्वर या धर्मका कोई सवाल ही नहीं उठता। वह न ईश्वरवादी है और न अनीश्वरवादी है। उसका सम्बन्ध मनुष्यके ऐहिक जीवनसे है। ईश्वर या धर्मके साथ उसका झगड़ा यदि होता है तो तब होता है, जब ईश्वर और धर्म उसके आड़े आते हैं। ऐसी हालतमें, साम्यवाद कल्पित सर्वशक्तिमानसे भी टक्कर लेनेमें नहीं हिचकिचाता और नास्तिक बन जाता है और इस तरह वह महात्मा गांधीके समर्थनको खो बैठनेका खतरा मोल लेता है। लेकिन ऐसा करके वह न केवल जनताके भौतिक अधिकारोंका प्रबलतम समर्थक बन जाता है बल्कि शासित वर्गने सदियोंसे जनताको जिस अज्ञान और अन्धविश्वासके अन्धकारमें रख छोड़ा है, उसे नष्ट करनेके लिए बौद्धिक और आत्मिक मुक्तिकी मशालको भी प्रज्वलित करता है।

महात्माजी यदि खुले तौरपर उच्च वर्गोंका समर्थन नहीं करते हों तो वे इस बातसे इनकार नहीं कर सकते कि बोलशेविज्म एक मानव कल्याणकारी आन्दोलन है। लेकिन हाँ उसे सरलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। रूसमें क्रान्तिके

Gandhi Heritage Portal

बाद निर्विवाद रूपसे जो आतंकका साम्राज्य रहा और विनाशकारी गृहयुद्ध छिड़ा उसका मूल कारण यह था कि इस कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेमें बहुत ज्यादा बाधा उपस्थित की गई थी और हिंसा बरती गई थी। न केवल रूसी अभिजात वर्ग और बुर्जुआ वर्गने, जिन्होंने स्वभावतः अपनी खोई हुई स्थितिको पुनः प्राप्त करनेकी भरसक चेष्टा की, बाधा उपस्थित की वरन् उसे अन्तर्राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्गका समर्थन भी प्राप्त था, जिसे रूसी क्रान्तिके रूपमें अपने गढ़की दीवारोंमें दरार पड़नेके प्रथम चिह्न दिखाई पड़ने लगे थे। इस अनवरत विरोधी कार्रवाई और प्रचारका एक अंग था——बोलशेविज्मको बहुत ही डरावने रूपमें चित्रित करना, और इस चित्रके प्रभावसे महात्माजी भी बिलकुल अछूते नहीं रह पाये। किन्तु सवाल यह है कि उस परिस्थितिमें बोलशेविक लोग करते क्या? दो ही रास्ते थे——या तो रूसी श्रमिकों और किसानोंसे ईश्वरका भय रखते हुए चुपचाप फिर उन्हीं बेड़ियोंमें जकड़ जानेको कहा जाता, जिन्हें उन्होंने इतनी बहादुरीसे तोड़ डाला था, या फिर प्राप्त स्वतन्त्रताकी रक्षा करने और उसे स्थायी बनानेके लिए, ईश्वर और धर्म बाधक बनें तो उनके खिलाफ भी, लड़ाई जारी रखनेको कहा जाता। बोलशेविज्मको दूसरा विकल्प स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि रूसी मजदूरों और किसानोंको फिरसे पूँजीवाद और अत्याचारी जारशाहीके अधीन होनेको मजबूर करनेके लिए न केवल सभी भौतिक शक्तियाँ एकजुट हो गई थीं, बल्कि ईश्वर और धर्मकी भी तमाम ताकतें मोर्चेपर लगा दी गई थीं। बोलशेविज्म कोई ईश्वरसे सम्बन्धित सिद्धान्त नहीं है। बोलशेविक लोग फरिश्ते नहीं हैं। किन्तु साथ ही बोलशेविज्मका मतलब शैतानी प्रवृत्ति भी नहीं है। महात्माजी "जनसाधारणके हृदयको झकझोरकर, उसकी उच्चतर वृत्तियोंको जगाकर उसे अपनी बात समझाना चाहते हैं। यह योजना तो बहुत आकर्षक है और अगर यह जनसाधारणको वर्ग प्रभुत्व और साम्राज्यवादी अत्याचारसे मुक्त करानेमें व्यवहारतः कामके लायक साबित हुई होती तो बोलशेविज्मको इसपर कोई आपत्ति नहीं होती। उनका "संयम-विषयक सिद्धान्त भी बहुत शंकास्पद है। जनसाधारणके आध्यात्मिक विकासके लिए यह अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन निश्चय ही इससे अपनी स्वतन्त्रताके लिए लड़नेका जनताका मनोबल कमजोर होता है। जो लोग (शायद अनजाने ही) वर्ग-प्रभुत्वके साधन सदृश रहे हैं, वे न जाने कबसे "हृदय", "उच्चतर वृत्तियों", "संयम" आदिसे सम्बन्धित इन तमाम सिद्धान्तोंकी चर्चा करते आये हैं। कोई कर्त्तव्य चाहे कितना भी अप्रिय या कठिन हो, बोलशेविज्म उससे जी नहीं चुराता। यह ईश्वरके अस्तित्वको इसलिए अस्वीकार करता है और तज्जनित धार्मिक तथा नैतिक विधानोंकी भर्त्सना इसलिए करता है कि स्वातन्त्र्य संग्राममें ईश्वर, धर्म और नैतिकताके सिद्धान्त निरंकुशता, दमन और अन्यायके दलमें खड़े दिखाई देते हैं।

अगर ईश्वर और धरतीपर ईश्वरकी ध्वजा फहरानेवाले लोग भौतिक मामलोंमें हस्तक्षेप न करनेको राजी हो जायें तो बोलशेविज्म ईश्वरको अपनी जगहपर बने रहने देनेको तैयार है। लेकिन, अगर उन्हें अपनी लोकोत्तर स्थितिसे सन्तुष्ट रहना मंजूर नहीं है और वे दुनियामें संकट और कठिनाई पैदा करना चाहते हैं तो बोलशेविज्म

Gandhi Heritage Portal

जनसाधारणको धर्म द्वारा बुने अज्ञानके जालसे मुक्त करनेके लिए नास्तिकताका प्रचार अवश्य करेगा।

मानवेन्द्रनाथ राय

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १-१-१९२५

परिशिष्ट २

चरखेके सम्बन्धमें च० राजगोपालाचारीकी टिप्पणीका अंश

. . . अपरिवर्तनवादियोंको, जिन्हें लगता है कि देशकी मुक्तिका मार्ग, हमारी आशाका स्थायी आधार, चरखा ही है, इधर-उधरकी कोई चिन्ता किये बिना निष्ठापूर्वक अपना दायित्व निभाते चलना चाहिए। हमारे लिए न विश्रामका अवकाश है और न थककर बैठ जानेकी गुंजाइश। चरखा ही हमारी आशा है, हमारा आनन्द है, हमारा मित्र और नेक रहनुमा है। जागते हुए हमें इसीके लिए काम करते रहना चाहिए, सोते हुए इसीका स्वप्न देखना चाहिए। पहले मुझे इन बातोंका मतलब पूरी तरहसे समझमें नहीं आया था। इसलिए मैं ऐसा समझता था कि महात्माजी ऐसी राह जा रहे हैं, जिसमें मुझे न कोई औचित्य दिखाई पड़ता था, न रोशनी। लेकिन, अब मैं चीजोंको बिलकुल स्पष्ट देख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि जो लोग मेरी ही तरह अबतक शंकाग्रस्त और दिग्भ्रमित रहे हैं वे भी इन चीजोंको साफ-साफ देखेंगे। कातो, कातो, कातो और दूसरोंसे भी कतवाओ — यही हमारा एक-मात्र मंत्र है, यही हमारा गायत्री-जाप है।

किन्तु, जहाँ मुझे वस्तुस्थितिका सही भान हुआ, वहाँ यह भी लगा कि इस सबमें एक प्रकारकी अवास्तविकता भी है, सत्यके साथ किसी प्रकारका कोई राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, जो सत्याग्रहकी योजनापर अपनी अशुभ काली छाया डाल रहा है। लेकिन, यहाँ मैं उस गुरुकी निर्णयबुद्धिपर निर्भर करता हूँ, जिसका सहज सत्यबोध मेरे सत्यबोधसे न जाने कितना बढ़-चढ़कर है। अतः मैं पूर्णतः निश्चिन्त हूँ।

राजगोपालाचारी

[अंग्रेजीसे]
यंग इंडिया, १५-१-१९२५

Gandhi Heritage Portal

सामग्रीके साधन-सूत्र

गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली : गांधी साहित्य और सम्बन्धित कागजातका केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३४९।

साबरमती संग्रहालय : पुस्तकालय तथा आलेख संग्रहालय : जहाँ गांधीजीके दक्षिण आफ्रिकी काल और १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात सुरक्षित हैं; देखिए खण्ड, १, पृष्ठ ३४९।

'अमृतबाजार पत्रिका', कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'आज', बनारससे प्रकाशित हिन्दी दैनिक।

'इंडियन रिव्यू', मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी मासिक।

'गुणसुन्दरी' : गुजराती मासिक।

'ट्रिब्यून', लाहौरसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। १९४८ से यह पत्र अम्बालासे प्रकाशित होने लगा है।

'नवजीवन' (१९१९-१९३२) : गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक।

'न्यू इंडिया,: मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'बॉम्बे क्रॉनिकल' : बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'यंग इंडिया' (१९१९-१९३२) : अहमदाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक।

'हिन्दी नवजीवन' (१९२१-१९३२) : गांधीजी द्वारा सम्पादित और अहमदाबादसे प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक।

'हिन्दुस्तान टाइम्स' : नई दिल्लीसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

'हिन्दू' : मद्राससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक।

बॉम्बे सीक्रेट एब्स्ट्रैक्ट्स, १९२४।

'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके ३९ वें अधिवेशनकी रिपोर्ट', १९२४।

'ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स' : जवाहरलाल नेहरू, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, १९५८।

'द स्टोरी ऑफ माई लाइफ' खण्ड २ : मु० रा० जयकर, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, १९५९।

'बापुना पत्रो २——सरदार वल्लभभाई पटेलने' (गुजराती) : मणिबहेन पटेल द्वारा सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७।

'बापुना पत्रो ४——मणिबहेन पटेलने' (गुजराती) : मणिबहेन पटेल द्वारा सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९५७।

Gandhi Heritage Portal

'बापुना पत्रो ६ -- गंगाबहेनने' (गुजराती) : द० बा० कालेलकर द्वारा सम्पादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९६०।

'बापुनी प्रसादी' -- (गुजराती) : मथुरादास त्रिकमजी, द्वारा अनुवादित, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद, १९४८।

'महात्मा -- लाइफ ऑफ मोहनदास करमचन्द गांधी', खण्ड २ : डी० जी० तेन्दुलकर, विट्ठलभाई के० झवेरी और डी० जी० तेन्दुलकर, बम्बई, १९५१।

'महादेवभाईनी डायरी' खण्ड ७ (गुजराती) : चन्दूलाल भगुभाई दलाल द्वारा सम्पादित, साबरमती आश्रम सुरक्षा और स्मारक ट्रस्ट, अहमदाबाद-१३, १९६५।

'लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण', अद्वैत आश्रम, ४ विलिंग्डन लेन, कलकत्ता, १९५५।

'लेटर्स ऑफ श्रीनिवास शास्त्री' सम्पादक -- टी० एन० जगदीशन, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, १९६३।

Gandhi Heritage Portal

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(१६ अगस्त, १९२४ से १५ जनवरी, १९२५ तक)

१६ अगस्त: साम्प्रदायिक दंगोंको सुलझानेके लिए सम्बन्धित हिन्दू-मुस्लिम समझौतेके लिए गांधीजी अहमदाबादसे दिल्लीके लिए रवाना हुए।

१७ अगस्त: दिल्ली पहुँचे।
'नवजीवन' में मलाबारके बाढ़-पीड़ितोंकी सहायताके लिए चन्देकी अपील।

२२ अगस्त: हिन्दू-मुस्लिम समझौतेके बारेमें एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे भेंट।
बम्बईके रास्ते दिल्लीसे अहमदाबादके लिए रवाना।

२३ अगस्त: अहमदाबादमें मजदूरोंकी सभामें भाषण।

२६ अगस्त: अहमदाबाद नगरपालिकाके अभिनन्दनके उत्तरमें भाषण।

२८ अगस्त: 'यंग इंडिया' में प्रकाशित अपने लेख "गुलबर्गाका पागलपन" में हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए अपील की।

२९ अगस्त: बम्बई पहुँचे।
बम्बई निगमके अभिनन्दनके उत्तरमें भाषण।

३० अगस्त: मोतीलाल नेहरूको लिखे अपने पत्रमें गांधीजीने 'पूर्ण समर्पण' की अपनी शर्तोंका उल्लेख किया तथा कांग्रेस-संगठनके सुधारके लिए सुझाव दिये।
राष्ट्रीय महिला परिषद् द्वारा आयोजित दादाभाई नौरोजीके जयन्ती-समारोहमें भाग लिया।

३१ अगस्त: राष्ट्रीय एकतापर वक्तव्य देते हुए मोतीलाल नेहरूके सम्मुख अपने 'पूर्ण समर्पण' के कारणोंपर प्रकाश डाला।
एक्सेलसियर थियेटरमें मलाबार बाढ़-सहायता कोषके लिए आयोजित पारसी राजकीय मण्डलकी सभामें भाषण।
बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें अहमदाबादमें पास किये गये कताई-प्रस्तावकी आलोचनाका उत्तर दिया।

२ सितम्बर: प्रिंसेस स्ट्रीटपर स्थित खादी भण्डार देखने गये।
शामको नेशनल मैडिकल कालेजमें पारितोषिक वितरण किया।
रातके ९ बजे बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस समितिकी सभामें भाषण

३ सितम्बर: बम्बईसे रातकी गाड़ी द्वारा पूनाके लिए रवाना हुए।

४ सितम्बर: पूनामें सार्वजनिक सभामें भाषण।
भारत सेवक समाज (सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी) गये। तिलक महाविद्यालयके दीक्षांत-समारोहमें भाषण।
कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओंको पद-त्याग करने और कातनेकी सलाह दी।

Gandhi Heritage Portal

५ सितम्बर: अहमदाबादके रास्ते बम्बई वापिस आये।
सूरत पहुँचे और शामको सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

६ सितम्बर: मोतीलाल नेहरूको एक पत्रमें कांग्रेसका विभाजन न होने देनेके निर्णय-पर जोर दिया।
राजगोपालाचारीको लिखे अपने पत्रमें गांधीजीने इस बातपर जोर दिया कि "यदि हमें अपने उद्देश्योंमें आस्था है तो हमें पूर्णरूपसे सत्ताका परित्याग कर देना चाहिए।"

९, १० सितम्बर: कोहाटमें दंगे; हिन्दुओंको निकाला गया।

१३ सितम्बर: हिन्दू-मुस्लिम दंगोंके सम्बन्धमें अहमदाबादसे दिल्लीके लिए रवाना हुए।

१४ सितम्बर: दिल्ली पहुँचे।

१५ सितम्बर: दिल्लीमें 'हिन्दुस्तान टाइम्स' का उद्घाटन किया।

१७ सितम्बर: मुहम्मद अलीके घरपर २१ दिनका उपवास शुरू किया।

१८ सितम्बर: प्रातः २ बजे दिये गये अपने वक्तव्यमें गांधीजीने बताया कि २१ दिनका यह उपवास प्रायश्चित्त और प्रार्थना दोनों ही हैं।

२४ सितम्बर: एकता सम्मेलनके सम्बन्धमें समाचारपत्रोंको दिये एक वक्तव्यमें गांधीजीने 'पैबन्द और थेगलीवाली कृत्रिम शान्ति'की अपेक्षा हृदयकी एकताके बढ़ानेपर जोर दिया।

२६ सितम्बर: दिल्ली एकता सम्मेलनमें एक प्रस्ताव पासकर गांधीजीसे उपवास समाप्त करनेकी प्रार्थना की गई।

२७ सितम्बर: गांधीजीने एकता सम्मेलनकी प्रार्थनाको माननेसे इनकार कर दिया।

१ अक्तूबर: बम्बईकी महिलाओंका एक शिष्ट-मण्डल गांधीजीसे मिला और उनसे उपवास तोड़नेका अनुरोध किया।
बम्बईकी एक सार्वजनिक सभामें एनी बेसेंटकी ७८ वीं वर्षगाँठपर गांधीजी द्वारा भेजा गया संदेश पढ़ा गया।

२ अक्तूबरसे पूर्व: जेनेवा अन्तर्राष्ट्रीय अफीम-सम्मेलनसे रवीन्द्रनाथ ठाकुरके साथ गांधीजीने अपील की कि दवाओंको छोड़कर दूसरे सभी उद्देश्योंके लिए अफीम-व्यापार बन्द किया जाये।

८ अक्तूबर: हिन्दू-मुस्लिम एकतापर वक्तव्य देनेके बाद गांधीजीने १२ बजे दोपहरको अपना २१ दिनका उपवास तोड़ा।
पिंजरापोलको भेजनेके लिए मुहम्मद अलीने कसाईसे एक गाय खरीदकर गांधीजीको भेंट की।

९ अक्तूबर: गांधीजीने अखबारोंको एक संदेशमें कहा कि भारतके सभी भाई-बहन एकताके लिए ईश्वरसे प्रार्थना करें और अपना पूरा सहयोग दें।

१६ अक्तूबर: 'यंग इंडिया' में कताई सदस्यताकी आवश्यकतापर फिर जोर दिया।
एक पत्र लिखकर वाइसरायसे कोहाट जानेकी अनुमति माँगी।

२० अक्तूबर: ट्रान्सवालके भारतीयोंको एक सन्देशमें कहा कि वे अपने सम्मानपूर्ण अस्तित्वके लिए अन्ततक संघर्ष करें।

Gandhi Heritage Portal

२३ अक्तूबर: 'यंग इंडिया' में प्रकाशित 'प्रेमका विधान' में गांधीजीने अपरिवर्तनवादियोंसे कहा कि वे अपने साथी स्वराज्यवादियों एवं लिबरलोंके सामने शोभनीय ढंगसे झुक जायें।

२८ अक्तूबर: वाइसरायने गांधीजीको कोहाट जानेकी अनुमति देनेसे इनकार कर दिया।

३० अक्तूबर: संयुक्त प्रान्त राजनीतिक परिषद्, गोरखपुरके लिए एक सन्देशमें गांधीजीने बंगाल सरकारकी अनियमितताकी निन्दा की और लोगोंसे शान्ति बनाये रखनेकी अपील की।

२ नवम्बर: दिल्लीसे कलकत्ताके लिए रवाना।

६ नवम्बर: स्वराज्य दलके नेताओंके साथ एक संयुक्त वक्तव्यमें संगठित ढंगसे कार्य करनेकी और असहयोग तथा कताई सदस्यताको स्थगित करनेकी घोषणा की।
टाउन हालमें कलकत्ता निगम द्वारा दिये गये मानपत्रके उत्तरमें भाषण।

७ नवम्बर: अपरिवर्तनवादियोंके साथ हुई बातचीतमें स्वराज्य दलके नेताओंके साथ हुए समझौतेकी पेचीदगियोंका खुलासा किया।
हावड़ा टाउन हालमें हावड़ा नगर-पालिका द्वारा दिये गये मानपत्रके उत्तरमें भाषण।
स्वराज्य दलके नेताओंसे हुए समझौतेपर एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे भेंट।
दिल्लीके लिए रवाना हुए।

१० नवम्बर: दिल्लीमें, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे एक भेंटमें बताया कि कलकत्ता समझौतेको अन्तिम निर्णयके लिए बम्बईके सर्वदलीय सम्मेलनमें रखा जायेगा।

१३ नवम्बर: 'यंग इंडिया' में कलकत्ता-समझौतेके बारेमें सविस्तार लिखा।
एक पत्रमें रोमाँ रोलाँको लिखा कि कुमारी मैडिलीन स्लेड (मीराबहन) भारत पहुँच गई हैं और मैं उनके पूर्व और पश्चिमके बीच एक लघु सेतु बन सकनेमें पूरी सहायता करूँगा।
माडर्न स्कूल गये; रामजस कालिजके विद्यार्थियोंके बीच भाषण दिया।
अली भाइयोंकी माता, बी-अम्माँके कफन-दफनमें शामिल हुए।

१४ नवम्बर: न्यूयार्कके 'वर्ल्ड टुमारो' को एक सन्देशमें कहा कि 'अहिंसा संसारकी सबसे बड़ी शक्ति है।'

१६ नवम्बर: कोहाटके प्रश्नपर वक्तव्य।

१७ नवम्बरसे पूर्व: गांधीजीने तिरुवन्नामलईमें हुई तमिलनाड परिषद्को एक संदेशमें बताया कि स्वराज्यवादियोंके साथ हुए समझौतेका आधार अहिंसाकी भावना थी।

१९. नवम्बर: दिल्लीसे बम्बईके लिए रवाना हुए।

२० नवम्बर: बम्बई पहुँचे।

२१. नवम्बर: बम्बईमें कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठकमें भाषण।
बम्बईमें, सर्वदलीय सम्मेलनमें गांधीजीने बंगाल अधिनियमपर पहला प्रस्ताव पेश किया।

Gandhi Heritage Portal

गांधीजीने ऐसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे हुई एक भेंटमें स्थानीय अखबारोंमें प्रकाशित कताई-सदस्यता हटा लेनेकी खबरको गलत बताया।

२२ नवम्बर: सर्वदलीय सम्मेलनमें एकतापर भाषण।

२३ नवम्बर: अखिल भारतीय कांग्रेस समितिकी बैठकमें कलकत्ता समझौतेकी स्वीकृति का प्रस्ताव रखा।
बी० अम्माँकी मृत्युपर शोक प्रकट करते हुए गांधीजीने चौपाटीकी सभामें भाषण दिया।

२५ नवम्बर: बम्बईसे अहमदाबादके लिए रवाना हुए।

२६ नवम्बर: अहमदाबाद पहुँचे।

३० नवम्बर: अहमदाबादमें गुजरात राष्ट्रीय विद्यालयके विद्यार्थियोंके समक्ष भाषण।

४ दिसम्बर: लाहौर पहुँचे; श्री लाजपतरायके घरपर उनसे और पं० मदनमोहन मालवीयसे सलाह-मशविरा किया।

५ दिसम्बर: अमृतसर पहुँचे।
दोपहर बाद स्वर्ण-मन्दिरमें भाषण।
शामको जलियाँवाला बागमें आयोजित एक सार्वजनिक सभामें भाषण।

६ दिसम्बर: पंजाब प्रान्तीय खिलाफत सम्मेलनमें हिन्दू नेताओंपर जफरअली द्वारा लगाये गये आरोपोंका उत्तर।
लाहौरकी पंजाब कौमी विद्यापीठमें दीक्षान्त भाषण दिया।

७ दिसम्बर: पंजाब प्रान्तीय सम्मेलनमें अध्यक्ष पदसे भाषण दिया।

८ दिसम्बर: गांधीजीके अनुरोधपर हिन्दू-मुस्लिम एकताको दृढ़ करनेके उपाय खोजनेके लिए खिलाफत सम्मेलनके प्रतिनिधि लाहौरमें मिले।

९ दिसम्बर: रावलपिंडीमें भाषण करते हुए गांधीजीने हिन्दू शरणार्थियोंको सलाह दी कि वे सरकारके कहनेपर कोहाट वापस न जायें।

११ दिसम्बर: प्रातः रावलपिंडीसे अहमदाबादके लिए रवाना हुए; रास्तेमें लाहौर स्टेशनपर 'ट्रिब्यून' के प्रतिनिधिसे कोहाटके मामलेपर भेंट।

१३ दिसम्बर: अहमदाबाद पहुँचे।

१४ दिसम्बर: समाचारपत्रोंको दिये गये अपने वक्तव्यमें गांधीजीने लोगोंको चेतावनी दी कि मेरे द्वारा प्रमाणित न किये गये पंजाबके मेरे भाषणोंके विवरणोंपर वे विश्वास न करें।

१८ दिसम्बर: अहमदाबादसे बेलगाँवके लिए रवाना।

२० दिसम्बर: गांधीजी बेलगाँव पहुँचे।

२१ दिसम्बर: बेलगाँव नगरपालिका और जिला बोर्ड द्वारा दिये गये मानपत्रके उत्तरमें भाषण।

२३ दिसम्बर: बेलगाँवमें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने कलकत्ताके समझौतेकी पुष्टि करनेके लिए एक प्रस्तावका मसविदा तैयार करनेके उद्देश्यसे गांधीजीकी अध्यक्षतामें सोलह सदस्योंकी एक विषय समितिका गठन किया।

Gandhi Heritage Portal

२४ दिसम्बर: विषय समितिने कलकत्ता समझौता और कताई सदस्यताका समर्थन करनेवाले प्रस्तावको स्वीकृत किया।

कांग्रेस पंडालमें डा० किचलूकी अध्यक्षतामें खिलाफत सम्मेलन हुआ।

२५ दिसम्बर: बेलगाँवमें विषय समितिकी बैठकमें गांधीजीने अपरिवर्तनवादियोंसे अपील की कि वे स्वराज्यवादियोंमें विश्वास रखें।

२६ दिसम्बर: गांधीजीकी अध्यक्षतामें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका ३९ वाँ अधिवेशन शुरू हुआ। गांधीजीने अध्यक्षीय भाषण दिया तथा कलकत्ता समझौतेका समर्थन करनेवाले प्रस्तावपर अपने विचार व्यक्त किए।

२७ दिसम्बर: सुबह पाँचवें अखिल भारतीय छात्र-सम्मेलनमें भाषण।

कांग्रेस अधिवेशनमें विभिन्न प्रस्तावों और एनी बेसेंटके वक्तव्यपर भाषण।

गांधीजी द्वारा पहले हिन्दी तथा बादमें अंग्रेजीमें दिये गये प्रभावशाली भाषणके साथ कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हुआ।

अस्पृश्यता परिषद्में भाषण।

कांग्रेस पंडालमें हुए हिन्दू महासभाके अधिवेशनमें शामिल हुए।

२८ दिसम्बर: गोरक्षा परिषद्में अध्यक्षीय भाषण।

३० दिसम्बर: अखिल भारतीय देशी रियासत-परिषद्में भाषण।

३१ दिसम्बर: बम्बईमें हुए अखिल भारतीय मुस्लिम लीगके अधिवेशनमें गांधीजीने 'नेटाल-बरोज अध्यादेश'की निन्दा की।

१९२५

१ जनवरी: गांधीजीने अपने लेख "बोलशेविज्म या आत्मसंयम" पर श्री एम० एन० रायकी आलोचनाका 'यंग इंडिया' में उत्तर दिया।

२ जनवरी: दाहोद और गोधरामें भाषण।

८ जनवरी: भावनगरमें हुई तीसरी काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्में अध्यक्षीय भाषण।

९ जनवरी: काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्में समापन भाषण दिया।

सामलदास कालेजमें विद्यार्थियोंके कर्त्तव्यपर भाषण।

१४ जनवरी: अहमदाबादमें, गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें भाषण।

गुजरात विद्यापीठमें दीक्षान्त भाषण।

१५ जनवरी: गांधीजीने कताई-सदस्यताको कार्यान्वित करने सम्बन्धी सूचनाएँ 'यंग इंडिया' में संक्षेपमें दी।

सोजित्रामें हुई खेडूत-परिषद्में भाषण।

ગાંધી સ્મારક સંગ્રહ
અમદાવાદ-૧૩

Gandhi Heritage Portal

शीर्षक सांकेतिका

टिप्पणी, १०७-८, १५६-५७, २०१-२, २१६, २३७, ३००-१, ३०४-५; –[णियाँ] ५-११, १४-१९, ३६-३७, ४४-४८, ८०-८४, ११९-२७, १५२-५४, १६१-६३, १७१-७७, १९८-९९, २२५-२७, ३३८-३९, ३५४-५७, ३९१-९३, ३९६-९९, ४०९-१४, ४६६-७०, ४९३-९७, ५६४-६५, ५८१-८३

तार, १८९; –अनन्तरामको, ४९३; –अबुल कलाम आजादको, २६३, २७९, ३२९, ३९६; –अब्दुल बारीको, १३९ १५६, २८४; –'आउट लुक' को, १९८; –एन० एच० बेलगाँववालाको, १४; –एस० श्रीनिवास आय्यंगारको, २१७; –कुम्भकोणम् कांग्रेस कमेटीको, २२१; –कृष्णदासको, १३९; –कोण्डा वैंकटप्पैयाको, २६४; –घनश्यामदास बिड़लाको, २२८, ३०१; –चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको, १८९, २७७; –चित्तरंजन दासको, २५९, ३०१; –जफर अली खाँको, ३०३; –जमनादास द्वारकादासको, १६०; –जवाहरलाल नेहरूको, ३९५; – डॉ० बी० एस० मुंजेको, २५८, २६३; –डॉ० सत्यपालको, ३९५; –पण्डित मदनमोहन मालवीयको, १०२; –पीलीभीत कांग्रेस कमेटीके मन्त्रीको, २६२, २६४; –प्रभाशंकर पट्टणीको, ५७६; –बालमुकुन्द वाजपेयीको, १३९; –बी० सुब्रह्मण्यमको, ३२३; –ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको, ३७९; मथुरादास त्रिकमजीको, २४१; –मु० रा० जयकरको, २२०; –मुहम्मद अलीको, १०२; –मोतीलाल नेहरूको, ७१, २५७, २५९, २६२, २६३; वायसरायके निजी सचिवको, २८२, २८५; –शाहजी अहमद अलीको, २५७; –सुरेन्द्रनाथ बिस्वासको, ६२१; –हिन्दी साहित्य सम्मेलनको, ३०२

पत्र : अजमेरके यातायात अधीक्षकको, १२-१३; –अब्दुल मजीदको, ४३; –अब्बास तैयबजीको, ३२; २१०, ४०८; अमीरचन्द सी० बम्बवालकी, ३५१-५२; –अवन्तिकाबाई गोखलेको, ५७४; –आनन्दानन्दको, ११७, १५५; –आर० शर्माको, ३४४; –इन्द्र विद्यावाचस्पतिको, १३८; –एक मित्रको, ६९, १३७-३८; –एनी बेसेंटको, १५४, १८५, २५८; –ए० वरदन्को, ४६०; –कनिकाके राजा साहबको, ११३, ३५३; –कपिल ठक्करको, ५७५; –कर्नल मेलको, ३४०; ४२३, –काका कालेलकरको, ३४५; –कान्ति गांधीको, ७०; –कुँवरजी विट्ठलभाई मेहताको, ४६२; –कुमारी मैडिलीन स्लेडको, ५५७; –कृष्टोदासको, ३१९; –गंगाबहन वैद्यको, २११, २४६, २९०; –गोपबन्धु दासको, १०३; घनश्यामदास बिड़लाको, २९, ३०, ४१, २४४; –चक्रवर्ती राजगोपालाचारीको, १०५-६, १४०, १५८, ३४५-४६; –छगनलाल गांधीको, ३९४; –जमनालाल बजाजको, ३१,

Gandhi Heritage Portal

१०६-७, ११८; —जमनादास गांधीको, २३८; —जवाहरलाल नेहरूको, १०४-५, १५७, १९३, ३२४-२५, ३४८; —जी० ए० नटेसनको, ४६५; —जीवतराम बी० कृपलानीको, ३४६-४७; —डाह्याभाई एम० पटेलको, २७५, ४६५; —तारामती मथुरादासको, ११९; —तुलसी मेहरको, २११-१२; —देवचन्द पारेखको, ६१५; —देवदास गांधीको, २१०, २८४, २९०; —न० चि० केलकरको, ५६६; —नरहरि परीखको, २३२; —ना० मो० खरेको, २३९-४०, २७६; —प्रभाशंकर पट्टणीको ४०८, ४६०, ४६२-६३, ४७६, ५७५; —फॉरवर्डको, ४६६; —फूलचन्द शाहको, १४०-४१, ३२२, ५७४; —बम्बईके यातायात महाप्रबन्धकको, ६८; —बाबू भगवानदासको, ३८४-८५; —ब्रजकृष्ण चाँदीवालाको, ३८०; —भगवानजी अनूपचन्द मोदीको, ४६३; —भवानी दयालको, ३२; —मगनलाल गांधीको, ३४३, ४०५, ४०६-७; —मणिबहन पटेलको, २२८, २९१; —मथुरादास त्रिकमजीको, ११८-१९, १६८, २७६, ४६१, ६१५; —मुहम्मद अलीको, ११३-१५, १६६, २४२, ३२१; —मोतीलाल नेहरूको, ५६-५८; ६८-६९, १०३- ४, १६८, २३०-३१, २८८-८९; —रमा बाई पट्टणीको, ४०७; —राजगोपालाचारीको, ३७-३९; —राधा गांधीको, १, १४१, १८६; —रुक्मिणी गांधीको १६९; —रेहाना तैयबजीको, ५७३; —रोमाँ रोलाँको, ३४१; —लक्ष्मीको, १९३, ३२२-२३; —लक्ष्मीनिवास बिड़लाको, ५७६; —लाला लाजपतरायको, २८३, २८६, ३२६-२८, ३५१; —वल्लभभाई पटेलको, १६१; —वसुमती पण्डितको, १, ११६, १६९, २००-१, २७४, २८६-८७, ३२८-२९; वाइसरायके निजी सचिवको, २५४-५५, २८०; वाइकोम सत्याग्रह आश्रम के मन्त्रीको, ६७; —वि० ल० फड़केको, ४७५; —वी० एस० श्रीनिवास शास्त्रीको, २००, ३२३-२४; —शरद् कुमार घोषको, १४२; —शान्तिकुमार मोरारजीको, २४३-४४, ३२८; —शुएब कुरैशीको, ६७-६८, ३२५-२६; —श्रीमती हॉजकिन्सनको, २३३; —सतीशचन्द्र मुखर्जीको, ११५-१६, २२१, ३१८, ३५०, ३८३; —सन्तोक गांधीको, ७२; —सन्मुखरायको, १४२; —सरला देवी चौधरानीको, २१७, २२४; —सी० एफ० एन्ड्रयूजको, ३९, ४०, १६७, १७०, १८५-८६, २६१, २८०, ३८३-८४, ४२५, ४७५; —स्वामीजीको, ३४७; —स्वामी श्रद्धानन्दको, २४५; —हरनामसिंहको, २०९; — हिन्दी साहित्य सम्मेलनको, ३०२

प्रस्ताव, कलकत्ता-समझौते तथा कताई-सदस्यताके बारेमें, ५२६-२८; —बेलगाँव कांग्रेसमें, ५३७-३९; —सरोजिनी नायडूकी सराहनामें, ५३३-३४

प्रस्तावना, —'श्री रामकृष्णकी जीवनी'की, ४५८

भाषण, —अ० भा० कांग्रेस कमेटी, बम्बईमें ३७२-७७; —अ० भा० छात्र सम्मेलन, बेलगाँवमें, ५३२; —अ० भा० देशी रियासत-परिषद्में, ५५५-५६; —अ० भा० मुस्लिम लीग अधिवेशनमें, ५५७-

Gandhi Heritage Portal

५८; –अन्त्यज आश्रम गोधरामें, ५६७-६९; –अपरिवर्तनवादियोंके समक्ष, ४७९-८०; –अमृतसरकी सार्वजनिक सभामें, ४२७-२८; –अमृतसरके खिलाफत-सम्मेलनमें, ४२९-३०; –अमृतसरके स्वर्ण मन्दिरमें, ४२६-२७; –अस्पृश्यता सम्बन्धी प्रस्तावपर, ५३५; –अहमदाबाद नगरपालिकाके अभिनन्दनके उत्तरमें, ४१-४३; –एक्सेलिसयर थियेटर, बम्बईमें, ५९-६६; –एनी बेसेंटके वक्तव्यपर, ५३६-३७; –कताई प्रतियोगिताके सम्बन्धमें, ५४०-४१; –कलकत्ताके कताई-प्रदर्शनमें, ३१०; –कलकत्ता नगर निगम द्वारा दिये मानपत्रके उत्तरमें, ३०८-९; –कलकत्ता समझौतेपर, ५२९-३१; –कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें, ७१; –कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठकमें, ३६१; –काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्, भावनगरमें, ५९९-६०४; –कोहाट और गुलबर्गाके दंगोंसे सम्बन्धित प्रस्तावपर, ५३४; –खेड़ूत परिषद्में, ६३४-३८; –गुजरात प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें, ६१६; –गुजरात राष्ट्रीय विद्यापीठ, अहमदाबादमें, ४०४-५; –गोधराकी सार्वजनिक सभामें, ५६९-७०; –गोरक्षा-परिषद्में, ५४९-५५; –तिलक महाविद्यालय पूनाके दीक्षान्त समारोहमें, ९६-९७; –दाहोदकी सार्वजनिक सभामें, ५६६-६७; –नेशनल मैडिकल कॉलेज, बम्बईमें, ७०; –पंजाब प्रान्तीय सम्मेलनमें, ४४१-४२; –पदाधिकारियोंसे सम्बन्धित प्रस्तावपर, ५३९-४०; –पूनाकी सार्वजनिक सभामें, ९४-९५; –बम्बई निगमके अभिनन्दनके उत्तरमें, ५५-५६; –बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकमें, ६६; –बेलगाँव कांग्रेसकी विषय समितिमें, ४८४-८५; ४८६-९२; –बेलगाँव कांग्रेसमें, ५३६; –बेलगाँव कांग्रेसमें शोक प्रस्तावपर, ५२५-२६; ५३२-३३; –बेलगाँवकी अस्पृश्यता परिषद्में, ५४५-४८; –मजदूरोंकी सभा, अहमदाबादमें, ३३; –मानपत्रोंके उत्तरमें, ४८१; –रामजस कालेज दिल्लीमें ३४१-४२; –रावलपिंडीमें, ४४२-४४; –विषय समितिकी बैठकमें, ५८४-८५; –शामलदास, कालेज, भावनगरमें, ६०९-१३; –शोक सभामें, ३७८-७९; –सर्वदलीय सम्मेलन, बम्बईमें, ३६२, ३६४, ३६५-६६; –सूरतकी सार्वजनिक सभामें, ९९-१०१; –सूरतके कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओंके समक्ष, ९९; –हावड़ा नगरपालिका द्वारा दिये मानपत्रके उत्तरमें ३१४-१५; –'हिन्दुस्तान टाइम्स', दिल्लीके उद्घाटन समारोहके अवसरपर, १५९; –[अध्यक्षीय] काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्में, ५८५-९८; –पंजाब प्रान्तीय सम्मेलनमें, ४३८-४१; –बेलगाँव कांग्रेसमें, ५०४-२५; –[उद्घाटन] बेलगाँव कांग्रेसमें, ४९७- ५०४; –[दीक्षान्त] गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबादमें, ६१६-२१; –पंजाब कौमी विद्यापीठमें, ४३०-४३३; –[समापन] काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्में, ६०४-९; –बेलगाँवमें, ५४१-४५

Gandhi Heritage Portal

भेंट, –एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडियाके प्रतिनिधिसे, ३१५-१६, ३१९-२०, ३६४; –'ट्रिब्यून' के प्रतिनिधिसे, ४५५-५७; –हिन्दू-मुस्लिम एकता-पर, ३१

वक्तव्य, –उपवास तोड़नेके पूर्व, २४०-४१; –कोहाटके प्रश्नपर, ३४८-४९; –बेल-गाँवमें कांग्रेसकी फिजूलखर्चीपर, ४८५-८६; –राष्ट्रीय एकताके बारे-में, ५८-५९; –समाचारपत्रोंको, २२४ २५, ४६१-६२

सन्देश, –अन्तर्राष्ट्रीय अफीम-सम्मेलनको, २३६; –अखबारोंको, २४३; –एनी बेसेंटके जन्म-दिवसपर, २३४; –गुज-राती पत्रकारोंको, २९८-९९; –'गुण सुन्दरीको', २३३; –ट्रान्सवालके भारतीयोंको, २६१; –तमिलनाड परि-षद् तिरुवन्नामलईको, ३४९; –देव-चन्द पारेखको, ४६३-६४; –'बंगाली' को, ३०२ ; –'बॉम्बे क्रॉनिकल' को ३६०; –लाहौरके 'हिन्दू' को, १६०; –'वर्ल्ड टुमारो'को, ३४३-४४;–संयुक्त प्रान्त राजनीतिक परिषद्, गोरखपुर-को, २८७-८८; –'सांझ वर्तमान'को, १०१; –'स्टेट्समैन' को, २४२

सम्मति, –मॉडर्न स्कूलकी दर्शक-पुस्तिकामें, ३३९

विविध

अन्तःकरणकी आड़में, २४-२५; अप-रिवर्तनवादियोंकी दशा, ३८९-९१; अपरि-वर्तनवादियोंके साथ बातचीत, ३१०-१४; अब क्या करें?, ४०२-३; अब्राह्मण, ६२९; अविस्मरणीय, ७३-६; असफलताके कारण, १४७-५२; असहयोगीका कर्त्तव्य, २४५-४६; असहयोगी विद्यार्थी, ४७६-७९; अहुरमज्द और अहरमन, ४८२-८३; आँकड़ोंपर विचार, ५१-५२; आधे घंटेका अभ्यास, २०२-३; इलाहाबाद और जबलपुर, २५४; ईश्वर एक है, १९०-९२; ईश्वर हम सबकी सहायता करे, ३८०-८२; उनके प्रति हमारा कर्त्तव्य, २०४-५; उपवास-की कहानी, २१२-१६; एक रास्ता, २५९-६१; एककी सो देशकी, ३६६-६७; एक चेतावनी, ४५१; एन्ड्र्यूजके साथ बातचीत २४७-५२; कताई-सदस्यता, २५३; कपास बचाओ, ४३७-३८; कला और राष्ट्रीय विकास, ४५४; कसौटीपर, ८५-८८, ३५७-६०; काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्, ६२६-२७; काठियावाडियोंसे, ५७१-७२; काम नहीं तो राय नहीं, २१७-२०; कार्य समिति, ५७७-७८; किस आशासे, ४३५-३७; केनियाकी शिकायत, ३०५-६; केनियाके हैरी थुकू, ४२४; कैसे करना चाहिए, ५६२-६३; कोहाटका दुष्काण्ड, ४७०-७२; क्या अस्पृश्यताका बचाव हो सकता है, ४२३-२४; क्या गुज-रात हार जायेगा, २३५; क्या हममें एकता होगी, ३८५-८८; क्षमा प्रार्थना, १२; ख्वाजा हसन निजामीके साथ बातचीत, २५५-५७; गंगाबहन वैद्यके लिए पुस्तकोंके सम्बन्धमें टिप्पणी, २५२-५३; गांधीजी और स्वराज्यवादियोंका संयुक्त वक्तव्य, ३०७-८; गांधीजीका खुलासा, १८४; गांधीजीके लिए या देशके लिए, ११-१२; गुजरातका धर्म, ३६८-६९; गुरुकुल कांगड़ी, २५४; गुलबर्गाका पागलपन, ४८-५१; घूमता चक्र, ६२८; जी० रामचन्द्रन्-के साथ बातचीत, २६४-७४; तपकी महिमा,

Gandhi Heritage Portal

२४१; तेरह आदेश, ४३४; दक्षिण भारतके बाढ़-पीड़ितोंको सहायता, ५५; दादाभाई नौरोजीकी जयन्ती, १०९-११; देश-भक्तिके आवेशमें पागलपन, ४७३-७४; दो दृश्य, २९१-९३; दो पहलू, ५२-५४; दो प्राचीन पुस्तकें, ११२; धर्मके लिए 'अधर्म' २०६; ध्वजको झुकायातक नहीं, ४१४-१८; 'नवजीवन' के पाठकोंसे, २०७; नोटिस?, ६२२-२५, पतितोंके लिए, ७९-८०; पहली परीक्षा, ३३-३६; –प्रेमका नियम, २७७-७९; पाटीदार और अन्त्यज, ४५८-५९; पाठकोंसे, २२२-२३; पूनाके कार्यकर्त्ताओंके साथ चर्चा, ९७-९९; फीजीकी वह रिपोर्ट ४२२; बनारसमें कताई, ७७-७८; बम्बई-का खादी भण्डार, ७७; बम्बईकी उदारता, १११-१२; बम्बईके महिला शिष्टमण्डलको उत्तर, २३५; बेलगाँवके संस्मरण [-१] ५५८-६१; [-२], ५७८-८१; बोल्शेविज्म-का अर्थ, ५६५; बोलशेविज्म या आत्मसंयम १९-२१; भाई परमानन्दके सन्देशका उत्तर २३६; मनसे और बेमनसे, ५७२-७३; मलाबार संकट निवारण, २-४; महादेव देसाईके साथ बातचीत १८७-८८; मार्ग-की काठिनाइयाँ, २६-२८; मेरा अवलम्ब, २३८-३९; मेरा असन्तोष, २९९-३००; मेरा पथ, ४५२-५३; मेरी आस्था, ६२२; मेरी पंजाब यात्रा, ४४४-५१; मौन-दिवस-की टीप, १६६; राजद्रोहात्मक किसे कहें?, ४२०-२१; राष्ट्रवादके सम्बन्धमें सचाई, ३९३-९४; वास्तविकताएँ, १२७-३२; विद्यार्थी क्या करें?, ३७०-७२; विरोधी मित्र, ४००-१; विविध विषय, ४०३-४; शक्तिका अपव्यय, २१-२४; शाबाश!, ६२५-२६; शिक्षक और चरखेकी शिक्षा, ५; शौकत अलीसे बातचीत, १९४-९७; श्रद्धाकी परीक्षा, २०७-९; सदस्यताकी नई शर्त कार्यान्वित करनेकी विधि, ६३०-३४; सफलताकी कुंजी, २९६-९८; सबसे बड़ा प्रश्न, १७७-८१; समझौता, ३२९-३४; समझौतेपर टिप्पणियाँ, ३३४-३८; समयका मूल्य, ३१६-१८; समयकी पाबन्दी, ३०३-४; सूतकी जाँच, १०८-९; स्थगित करें या त्याग दें?, ४१९-२०; स्पष्टीकरण, १८२-८३; स्वराज्यके व्यापारी, ६१३-१४; हब्शियोंकी सहानुभूति, २८; हितोंका संघर्ष, २९३-९६; –हिन्दू और मुसलमान २८१-८२; हिन्दू-मुस्लिम एकता, १४३-४७; हिन्दू-मुस्लिम एकता सम्बन्धी प्रस्तावका मसविदा, २२९-३०; हृदय-परिवर्तन, २३२

Gandhi Heritage Portal

सांकेतिका

अ

अंगद, ११७
अंग्रेज, – और साम्राज्यवाद, १९-२०; –[ों] की सेवावृत्ति, ११२; –के प्रति गांधीजी-के मनमें कोई दुर्भावना नहीं, ६५, ७५-७६, २३१, २७९, ४९२, ५२४
अंग्रेजी, –का स्थान, ५१५
अंग्रेजी शासन, २९४
अकाली, ३८२, ५२३, ५७८
अखबारोंका महत्त्व, ६११
अखा भगत, ५६९
अखिल भारतीय देशी रियासत परिषद्, बेलगाँवमें, ५५५-५६
अजमलखाँ हकीम, ५०, १५६, १६६, १८२, १८८, १९४, १९७, २००, २१४, २४०, ३२५, ३६५, ३८४, ४२९, ४३८-९, ४४७
अडाजानिया, सोराबजी, ३९९
अणे, ५७७
अनन्तराम, ४९३
अनिरुद्ध, ६०३
अन्तरात्माकी आवाज, २४-२५, ३६
अन्ता, लक्ष्मीभाई, ५४१
अन्त्यज, २, ८, ५६७-९, ६१५; –और पाटीदार, ४५८-५९; देखिए अस्पृश्य
अन्सारी, डॉ० मु० अ०, ५०, १६६, २१५, २३१, २५८, ३१८-९, ३२६, ३५४, ३६१, ३८५, ३९७, ४३९, ४४७; –द्वारा कताई, २०३
अपरिवर्तनवादी, –[दियों] का असहयोगके स्थगनके बाद कर्त्तव्य, २७७-७९, ३८९-९०, ४१४-१५, ४६८-६९, ४८०, ४८२-८३, ४८८, ४९०-२
अपर्णादेवी, ८६, ८८
अफीम; –का व्यापार, २५०-५१, ५२०; –पर कांग्रेसका प्रस्ताव, ५३८-३९; –सम्मेलनको सन्देश, २३६
अबूबकर, ५९३
अब्दुल गनी, १३५
अब्राह्मण सम्मेलन, ६२९
अभ्यंकर, एस० बी०, ५२८, ५३०
अमीर अली, ९१, १९२
अमीरचन्द, ३५१
अय्यंगार, एस० श्रीनिवास, २१७, ३६५, ४८५
अय्यर, डॉ० सुब्रह्मण्यम्, ५०४-५२५
अय्यर, सर पी० एस० शिवस्वामी, ३६५
अराजकतावादी, ४५३; –और स्वराज्यवादी ३३१; –[दियों]के बारेमें गांधीजीके विचार, ३०९; –से गांधीजीकी अपील, २९५, ४३२, ५२२
अरुन्लसा, तारामती, ५४०
अर्जुन, ९३-९४, १००
अर्थशास्त्र, –और नैतिक मूल्य, ५०८-९
अर्ली जोरोस्ट्रियनिज्म, ९०
अल-कलाम, शिबली-कृत, ९१, १३५
अल फारूक, ९१
अलीबन्धु, २०, १००, १७४, २८३, ३७८, ४२९, ४३९, ४४७; –द्वारा कताई, १५; देखिए शौकत अली और मुहम्मद अली भी
अली साबरी, ५२९
अंसारी, मंचरशा, १२२
अवेस्ता, देखिए **जेन्द-अवेस्ता**

Gandhi Heritage Portal

अशफाक, ११४

अश्वत्थाचार्युलु, के०, ८५

असहयोग, ५७, ७५, १४७-८, १५१, १७१-२, १८८, १९३, २७७, २९३, २९९, ३४४, ३४९, ३६०, ३८१, ३८६, ४३२, ४३९; –और अहिंसा, १२७-८, २१२-३, २३१, २७८, ३८९, ४०१, ५०५; –और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएँ, ३६८, ३७०-२, ४०४; –और वकील, ३७०; –और विद्यार्थी, ३७०-२, ४६८-७१; –और व्यापारमें मन्दी, ४००; –और सत्याग्रह, ४२७, ५२४; –और सविनय अवज्ञा, ५२४; –का अर्थ, ४६९; –का विवेचन, ३३०-१, ३६८-९, ५२४; –देशी राज्योंमें, ५९४-५; –बुराईसे, ३४२; –व्यक्तिगत, ३११, ३६०; –स्थगित, २४५-६; २७८, ३०७, ३११, ३१३-४, ४१९-२०, ४९६

असहयोगियोंकी सराहना, ३६८-९, ५६०

अस्पृश्य, ५५, २०४, ३३५, ३४४, ३९०, ६१८, ६३८; –[ों] की अमृतलाल ठक्कर द्वारा सेवा, ४३४; –के प्रति व्यवहार, २६-२८; देखिए अन्त्यज भी

अस्पृश्यता, २६, १०५, २२२, २५१, २९९, ५४४; –और हिन्दूधर्म, १२२, ४३६, ५४२, ५४५-८, ५६९, ५९७, ६००-३; –काठियावाड़में, ४३६-३७, ५९२; –का निवारण, २७, ५७, ६३, ७१, ७५, ८१, ९७, १३०, १४९, २७५, २८७-८ , ३०७, ३६७, ३६९, ३८२, ४१७, ४४१, ४७९, ५१३, ५१८; –की परिभाषा, ५४८; –पर कांग्रेस प्रस्ताव, ५३५; –परिषद् बेलगाँवमें, ५४५-८

अहमद अली, शाहजी, २५७

अहरमन, ४८२-८३

अहिंसा, ६३, ७३, १३७, १४३, १४६, १४८, २०८, २११, २२६, २७५, ३१४, ३४५, ३४९, ३८१, ४१७, ४४०, ४५३, ५०८, ५११, ५२२, ५५४; –और असहयोग, १२७-८, २१२-३, २३१, २७७, ३९०; –और गुण्डोंके विरुद्ध शक्ति-प्रयोग, १८०-१; –और धर्म, १८०; –और मोक्ष, २९; –और सत्य, ३४३-४, ५२२, ५५४; –और स्वराज्य, २१; –कायरता नहीं, ४६७-८; –के फलितार्थ, २२३, ४४२, ५९८; –धर्मके बावजूद हत्या कब उचित है, ४६७-८

अहुरमज्द ४८२-८३

आ

आउट लुक, १९८

आजाद, अबुल कलाम, २६३, २७९, २९६, ३२९, ३६५, ३९६, ४४४-४५

आठवले, आर० बी०, ६२०

आतंकवादी, देखिए अराजकतावादी

आनन्द, ११९, २७६, ४६१, ६१५

आनन्दानन्द, स्वामी, ११२, ११७, १५५, ३२१, ३४५, ४०६

आफ्रिकी, ४६

ऑरिजिन ऐंड इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन, ९१

आर्म ऑफ गॉड, ८९

आवरसेल्ज ऐंड द यूनिवर्स, ९०, १६४

आवर हेलेनिक हेरीटेज, ९०

इ

इंजीनियर, जॉर्ज जर्विस, ११२

इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ८९

इंडियन रिव्यू, ४६५

इक्वलिटी, ९०

इर्विन, वाशिंगटन, ९०-९१

Gandhi Heritage Portal

इवोल्यूशन ऑफ मैन, ९१
इवोल्यूशन ऑफ सिटीज, ९०
इस्लाम, १७, १९, ४९, १००, १३३-३६, १४५, १८०, १९२, १९४, १९७, २२५, २९६-७, ३५४, ३६९, ३९६, ५५०, ५५८; —और बोलशेविज्म, १९; —और हिन्दूधर्म, १९०-२, २३७, २४०, २५६, २९८

ई

ईशोपनिषद्, ९०
ईश्वर, —५४१-४२; —और प्रेम, २७९; —और सत्य, २०१, ५२४; —के प्रति विश्वास, १९१, २१२
ईसाई, ५५-५६, ६२, १३५, १४५, १९२, २०२, २४७, २९७, ३९७, ५४९, ६०१; —और सरकारी पद, ५५८
ईसाई-धर्म, ९१-९२, १९२, २३७, ४३४
ईसा मसीह, ९१, १२३, १२३ पा० टि०, १७०, २४७, २४९, २७३
ईस्ट इंडिया कम्पनी, ५२, ४०२

उ

उत्तराध्ययन सूत्र ९०
उदारदलवाले, देखिए नरम दलवाले
उदेराम, १७७
उपनिषद्, ९०-३
उपनिषद्, भाष्य, ९०
उपवास, —और धर्म, १८८-८९, १९४-९७; —गांधीजी द्वारा, १६७-६८, १८४, २००, २०७, २२१-२४, २३३, २३६; —के कारण, १९४-७, २०१-२, २१०—६, २३०; —तोड़ना, २४०
उमर, हजरत, १३५, १९७, २९६, ५९३, ६०७
उर्दू रीडर्स, ९०
उस्ब-ए-सहाबा, १३३-३४

ऋ

ऋतुपर्ण, ७

ए

एकता सम्मेलन, २२४, २५४, २८१, ५१२; —का प्रस्ताव, २२९-३०; —की हसन निजामी द्वारा आलोचना, २५५-७
एथिक्स ऑफ इस्लाम ९०
एन्ड्रूयूज, सी० एफ०, ३९-४०, ४६, ११३, १६७, १७०, १८५, २०४, २१६, २४७, २६१, २६४-५, २७१, २८०, ३३६, ३५३, ३८३, ३९८, ४२४-५, ४७५
एपिक्टेटस, ९१
एबट, ९०
एम्हर्स्ट, १०
एलीमेंट्स आफ सोश्योलॉजी, ९०

ओ

ओ' डायर, सर माइकेल, ६०, ३५८, ६०७
ओरेलियस, मार्कस, ९१
ओल्डहम, ४०

औ

औपनिवेशिक स्वराज्य, —और पूर्ण स्वराज्य, ३६५

क

कंडावेकम्वा, कारु, ५४०
कठवल्ली उपनिषद् ९०, २५३
कताई, ११, ४६, ५७, ७०, ९७, १०९, १११, ११९, १२९-३०, १५३, १६०, १९८, २३५, २९३, २९९-३००, ३०७, ३३४, ४१७, ४४१, ४५१, ४८४, ५६६; —अडचारमें, ४१०; —एक शौक, ६१२; —का गांधीजी द्वारा बचाव, २४७,-५१, २७१-२, ३१०-१,

Gandhi Heritage Portal

३३१-२, ३३७-८, ५०२-३, ६२३-५; —का महत्व, ११, २१-४, ६३-४, ७९-८०, १२१, १५०, २४८, २७२, ३००, ४००-१, ५१०-१, ६११-१३; —काठियावाड़में, ४३५-६; —की कार्यप्रणाली, ५६२-३, ५८१, ६३०-४; —की प्रतियोगिताका परिणाम, ५४०-४१; —के लिए रुई एकत्र करना, ४३७-८, ४५१, ६२७; —गुजरातमें, ३३-६, ५७३; —तकली द्वारा, ६; —पर कांग्रेसका प्रस्ताव, ५२, १०५, १२१, १६२, ३०३; —पर बेलगांव कांग्रेसका प्रस्ताव, ५२७-२८; —पुरीके अनाथालयमें, २९१; —बच्चों द्वारा, ७७-८; —मताधिकार, २५३, ३६४-५, ३७५-६, ३८६-८, ४०२, ४४१, ४८०, ५१०; —महिलाओं द्वारा, २३३; —मुसलमानों द्वारा, १२१, ५६४; —मुहम्मद अली द्वारा, १५६-७, १९९, २०२-३; —विद्यार्थियों द्वारा, ५, ५८०-१, ६१८; —सिर्फ स्त्रियोंका ही काम नहीं, १६३; —स्वराज्य प्राप्तिके लिए, ३१०, ३१७, ४३३

कनकम्मा, पी०, ८५

कनवेन्शनवादी, ६२, ८१

कनिंघम, ९०, १६४

कनिकाके राजा, ११३, ३५३

कन्फ्लुएन्स ऑफ रिलिजन्स, ९१

कन्हैयालाल, ५२५

कबीर, ९०, ६२८

करमचन्द, १६०

करेन्ट थॉट, ३४६

कर्जन, लॉर्ड, १८०

कर्नाटकका इतिहास, ४९७

कला, —के सम्बन्धमें विचार, २६५-६७

कल्याणजी, ४६२

कांग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

काछलिया, अहमद मुहम्मद, ३९९

काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्, ४०७-८, ४३५, ४६३, ६०४, ६२६; —के आयोजकोंको सलाह, ५७१-२; —में अध्यक्षीय भाषण, ५८५-९८

कापड़िया, ९०

कादर, अब्दुल, २५६

काबुली, —[लियों]के आक्रमणके भयकी निन्दा, ४२८

कॉमरेड, ११४, ११७, १४१, २५८, ३५४, ३९७

कायरता, —और अहिंसा, ४६८

कालापानीनो कथा, ९०

कालीचरण, १२२

कालेलकर, द० बा०, ३४५, ५६१

किचलू, डॉ० ३६५, ४२९, ४४२, ४५५, ५३९

किड, ९०

किदवई, एम० एच० ३६५

किर्पालिंग, ९०, ५२३

किशोरलाल, ३४६

कीकीबहन, ३४७

कुरान, ७९, ९०, १७४, १९०-२, २७३, ४१६, ४२८, ४३१-२, ४९९, ५०३; —और गो-रक्षा, ५५२-३

कुरैशी, शुएब, ६७, १०५, ११४-५, २९६, ३२५, ५३९

कृपालानी, जे० बी०, ३

कृष्ण, (वैद्यकी गुजराती कृति), ९०

कृष्ण, भगवान, ८३, ९४-५, ११७, १९०-२, ३४७, ४३६, ५१४, ५४२, ५४६, ५९८, ६०२-३

कृष्णचरित्र, (बंकिमचन्द्रकी कृति), ९०

कृष्णदास (क्रिष्टोदास), ६७, १०५, ११४-५, १३९, १४२, २२१, २८१, ३१९, ३२५, ३५०, ३८३

Gandhi Heritage Portal

केदारनाथ, आर० सी० ३४१
केनिया; —में भारतीय, १८
केलकर, न० चि०, ९५, ३६५, ४४१, ४८८, ४९०, ५००, ५२८, ५३०-१, ५६६, ५७७
केवलरामभाई, १४१
केशू, १
कैथोलिक पंथ, २७१
कैप्टेन, श्रीमती, २३५
कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड, ८९
कैलेनबैक, २६१, २८४
कैसर, २३८
कोहाट, —की समस्याके समाधानके बारेमें वक्तव्य, ३४८-९; —के शरणार्थियोंको सलाह, ४४२-४, ४५५-६, ४७१-२; —पर कांग्रेस प्रस्ताव, ५३४; —पर भारत सरकारका प्रस्ताव, ४५५-६, ४७०-१; —में दंगे, ५११-१३; —में साम्प्रदायिक तनाव, २१३, २५४; —से आये शरणार्थी, २८५, ३५१-५२, ४९३
कौंसिल-प्रवेश, १४८, १५१, ३३०, ३५८, ३७३-४, ४१२, ५०६, ६२४; —और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ५७
कोजलगी, एस० वी०, ५२८
क्रान्तिकारी, देखिए अराजकतावादी
क्रिश्चियनिटी ऐंड द रेस प्रॉब्लेम, ४०
क्रिश्चियनिटी इन प्रैक्टिस, ८९
क्रिस्तान, देखिए ईसाई
क्रूगर, ९७
[द] **क्रूसेड्स**, ९०
क्रेसटिन्स्की, ४५२

ख

खरे, ना० मो०, २३९, ३७६
खाँडवाला, रत्नलाल, १५३
खादी (खद्दर), ३, ११, ३३, ५५-८, ६९-७०, ८१, ८४, ९४-५, ९७, १०१, १०७-८, १३०, १३७, १४९, १५१, २१९, २४९-५३, २७५, २८७, २८९, ३००, ३०८, ३११, ३१४-५, ३३२, ३३५, ३४४, ३४९, ३५४, ३५७, ३८२, ३९०, ३९४, ४००, ४०२-३, ४१७, ४३३, ४४१, ४५०, ५१९, ५२७, ५४४, ५४९, ५५८, ५६७, ५७०, ५८०, ५९६, ५९९-६००, ६१४; —और बहनें, ४०७; —का टिकाऊपन ४९३; —काठियावाड़में, ४३५; —का महत्व, ५०८, ६३४-८; —की शर्तें ५८१-३; —को कांग्रेसियों द्वारा पहनना, ३३२-३, ३७४-५, ३८७, ४८७; —देशी राज्योंमें, ५९५-६; —पर निबन्ध और पुरस्कार, ५६५; —पर बेलगाँव कांग्रेस-प्रस्ताव, ५२७; —बनाम मिल कपड़ा, ४६, ९४; —में कला, ४५४
खिलाफत, १७९, ३५४, ५११; —अमृतसरमें, ४२७ पा० टि० ४२८, ४४७; —और गो-रक्षा ५५१-५२; —परिषद्, ४०९
खीमजी, ४०६
खुशालभाई, २३८
खेडूत परिषद्, पेटलादमें, ३६४

ग

गंगाजी, ५४०
गरोडिया, (गाड़ोदिया), ३१८
गांधी, कस्तूरबा, ११४, २१०
गांधी, कान्ति, ७०
गांधी, छगनलाल, ३१, ३९४, ४०६-७, ५७४
गांधी, जमनादास, ७२, २३८
गांधी, देवदास, १, ३१, ११४, १४१, २१०, २५३, २८४, २९०, ४२५
गांधी, मगनलाल, २९०, ३४३, ४०५-६, ५४८

Gandhi Heritage Portal

गांधी, मणिलाल, २६१, २७४
गांधी, जमनादास, २३८
गांधी, राधा, १, १४१, १८६
गांधी, रामदास, १४१, २१०, २७४, २८७
गांधी, रुक्मिणि, १६९
गांधी, सन्तोक, ७२
[द] **गॉस्पेल ऑफ बुद्ध,** ९१
[द] **गॉस्पेल ऐंड द प्लाउ,** ९०
गिडवानी, आ० टे०, १६, १२४-५, ३४१-२; —के प्रति जेलमें व्यवहार, २२६-७
गिडवानी, गंगाबाई, १६, २२६-२७
गिडवानी, डॉ० चोइथराम, १६, २२६-७
गिबन, ९०, १३६
गिरि, दलबहादुर, ४०४; —की मृत्यु, ३३९, ३४३
गिरधर, ९०
गीजो, ९१
गीत गोविन्द, ९०
गीता, —पर अरविन्दकी टीका ९०; —पर नाथूराम शर्मा कृत गुजराती टीका, ९०; देखिए 'भगवद्गीता' भी
गुजरात विद्यापीठ, —में दीक्षान्त भाषण ६१६-२१
गुणसुन्दरी, २३३
गुलनार, ५०३
गुलबर्गा, —में दंगों पर कांग्रेस-प्रस्ताव, ५३४
गुलाबी अम्बा, माधु, ५४०
गेटे, ८२, १९० पा० टि०
गेडिस, ९०
गैलीलियन, ९०
गोकुलचंन्द, ९०
गोखले, अवन्तिकाबाई, १५५, ३४३, ५४०
गोखले, गोपालकृष्ण, २०४, ३१३, ३४१, ३९८; —के लिए मान, ५९९-६००
गोखले, श्रीमती, २३५
गोपालदास दरबार साहब, १०८
गो-रक्षा, —और मुसलमान, ५५१-४; —और हिन्दू धर्म, १९०, ४६८, ५५०-२; —और हिन्दू-मुस्लिम एकता, १४४-५; —पर गांधीजीके विचार, ५५०-५; —सम्मेलन बेलगाँवमें, ५४९-५५
गोलटगी, जी० शंकर, ८७
गोविन्दानन्द, स्वामी, ५२८
गौड़, प्रोफेसर रामदास, ७७-७८; —की पोथियोंका विवरण, ४२०-२१
ग्रन्थ साहब, १९१, ४९९

घ

घोरखोदू, जेरबाई, रुस्तमजी, ३९८
घोरखोदू, रुस्तमजी जीवनजी, ३७९, ३८३, ५३३; —की मृत्युपर टिप्पणी, ३५५-६, ३९८-९
घोष, अरविन्द, ९०
घोष, शरतकुमार, १४२

च

चक्रवर्ती, कालीशंकर, ४२३
चटर्जी, बंकिमचन्द्र, ९०
चतुर्वेदी, बनारसीदास, ३९, ४२२; —के प्रति कृतज्ञता, ५३३
चन्द्रकान्त, ९०
चरखा, ५, ११, २१, ३२-३, ५३-४, ५६-७, ६१-२, ६६, ६९, ७४-५, ७८, ८१, १०१, १०५, १५१, १७६, १९९, २११, २५३, २६८, २७५, २८७-९, ३४४, ३६९, ३७६, ४१२, ४१७, ४३३-४, ४४१, ४८०, ४८४, ४९०, ४९२, ५०२, ५०९-१०, ५३०, ५३२, ५५७, ५६६, ५७६, ५८३, ५९९, ६०९; —और विद्यार्थी, ४७८; —और स्वराज्य, ३६०, ३६६, ४०२, ४६६, ४९८-९, ५१०-२; —देशी राज्योंमें, ५९०-१; —[खे] का महत्व, २१-४,

Gandhi Heritage Portal

६३-४, ७९-८०, १२१, १५०, २०५, २२२, २९३, ४०१, ५६९-७०, ५९५-८, ६११-३, ६२५, ६३५-८; —की द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा प्रशंसा, ६२८ —पर निबन्धकी शर्तें, ५८२-३; —पर पुरस्कारके लिए निबन्ध, ५६५; —पर राजगोपालाचारीकी घोषणा, ६२२
चाँदीवाला, ब्रजकृष्ण, ३७९
चिकोड़ी, भाई, ५५०
चितालिया, करसनदास, ११२
चिन्तामणि, सी० वाई०, ३६५
चिपलूणकर शास्त्री, १२१
चौधरानी, सरलादेवी, ३८, २१७, २२४
चौधरी, गोपबन्धु, ८८
चौधरी, बुग्गा, ४५०
चौधरी, सर आशुतोष, ५२५
चौरी चौरा, १८७, २१३, ६२२
चौहान, उमरावसिंह, ८६

छ

छोटेलाल, ४०७

ज

जंगल बुक, ९०
जगन्नाथ, २३८
जड़भरत, ११७
जनक, राजा, ६०७
जन्म और मृत्यु, २७६, ३५५, ३८०, ३९७
जफर अली खाँ, मौलाना, ३०३, ४२९, ४४२, ४५५, ५४२, ५६४
जमनादास द्वारकादास, ५९-६०, ६३, ७३, १६०
जमना बहन, २१०
जमींदार, ४६१
जया अने जयन्त, ९०
जयकर, मु० रा०, ५९, ६१, ६२-४, १०४, २२०
जयरामदास दौलतराम, ३२९ पा० टि०
जरबानु प्यारेलाल, बहन, ४०४
जलियाँवाला बाग, ४७३, ५२२
जाम साहब, —के खिलाफ शिकायत, ६०६
जार्ज, किंग, ५५०, ५५४
जिन्ना, मु० अ०, ३६३, ३६५
जिलानी, अब्दुल कादर, २५५
जीवनदास, ४७०
जुगतराम, २३२
जेम्स, ९०
जेन्द अवेस्ता, ९०, १७४, १९१
जेराजाणी, विट्ठलभाई, ७७, १०७
जैन, चम्पकराय, ९१
जोज़ेफ, जॉर्ज, १७५
जोशी, डाह्यालाल हरिवल्लभ, ३
ज्ञानेश्वरी, ९०

झ

झवेरी, रेवाशंकर, जगजीवन, ५६५

ट

टंडन, पुरुषोत्तमदास, ८८, १०८
टर्टुलियन, १६४
टाटा; —की मुलशीपेटाके लिए योजना, ४७३-७४
टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज, ८९-९०, १६४
टॉमस, १८
टॉल्स्टॉय, काउंटेस, ९०
टॉल्स्टॉय, लियो, ४१८, ४३१
टेनीसन, ६२३
ट्राइन, ९०
ट्रिप्स टु द मून, ८९, ९१
ट्रिब्यून, ४५५, ४६१

ठ

ठक्कर, अमृतलाल विट्ठलदास, १०३, २०४, २९२, ४६२; —का भीलोंको उपदेश, ४३४; —की सराहना, ५६९

Gandhi Heritage Portal

ठक्कर, कपिल, ५७४
ठाकुर, द्विजेन्द्रनाथ, ४०; –के विचार चरखेपर, ६२८; –के विचार शिक्षापर, ४१४
ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, ९०, १७०, २०५, २३६, ५००
ठाकुर, श्रीमती, २३५
ठाकोर, ८९

ड

डाइलॉग्ज ऑफ प्लेटो, ९१
डायर, जनरल, ६०, ४७३
डार्विन, १७८
डिफेंस, ९०
डूबतुं वहाण, ९१
डेविस, राइस, ९१
डोंडे, १११
ड्रॉप्ड फ्रॉम द क्लाउड, ९०-९१

त

तंजीम, ४३८
तारामती, मथुरादास, ११८-९, १६८, २७६, ४६१
तालमुद, १७४
तिलक, बालगंगाधर, ९०, ९५, ३९८, ४३५, ५४२, ५७०, ६०५; –का श्लोकार्ध ४९८-९; –के लिए कार्य-शुल्क, ६३५
तुलसीदास, ८९, १९१, २३९, २४७, २५२, २७६, ४३२, ४७९, ५१४, ६०२
तुलसीराम, एल० के०, ५६४
तैयबजी, अब्बास, १४, ३२, ३४, १९५, २१०, ४०८, ६१६
तैयबजी, (श्रीमती) अब्बास, ३२
तैयबजी, रेहाना, २१०, ५७३
त्रावणकोरकी महारानी, १२२
त्रिवेदी, हरिशंकर, ५
त्रिशंकु, ५८४

थ

थुकू, हैरी, ४२५; –का केनियासे निर्वासन, ४२४

द

दक्षिण आफ्रिका, –में भारतीय, १७
दमन, –के विरुद्ध सर्वदलीय सम्मेलनका प्रस्ताव, ३६१-३; –बंगालमें, ३६६; ५२०-३; –यदि गांधीजी वाइसराय होते तो, –के विकल्प-स्वरूप क्या करते, ३९१-२
दमयन्ती, ७
दयाल, ४६२
दलाल, ११९
दवे, केवलराम, मावजी, ६०६
दादा चानजी, ९०
दाभोलकर, ३९४
दास, गोपबन्धु, १०३
दास, चि० रं, –५८, १६८, २५७, २५९, २६२, २८६, २८९, २९५, २९९, ३०१, ३०७, ३०८ पा० टि०, ३१५, ३१९, ३२७, ३३३, ३६५-६, ३९१, ४०९, ४११, ४८४, ४९१, ४९९-५०१, ५१०, ५२६, ५२८, ५३१, ५७७, ६२५; –का बेलगाँवमें प्रस्ताव, ४९८
दासगुप्ता, सतीशचन्द्र, ५८१, ५८४, ६३०
दास्ताने, ८७, १३७
दुर्योधन, ३८३
दूदाभाई, ३२२
देवधर, गो० कृ०, ६१, ७४, १०६, १३७
देवभाभी, २३८
देशपाण्डे, गंगाधरराव, ३२९ पा० टि०, ४०९, ४९७, ५००, ५१९, ५३१, ५५०, ५५८-९, ६२९

Gandhi Heritage Portal

देशी राजा, –[ओं] की स्वराज्यके अन्तर्गत स्थिति, ५८७-८, ५९८; – के विरुद्ध शिकायत, ५८७-९०
देशी राज्य; –[ों] का स्वराज्यमें दर्जा, ५८६-८७; –में कांग्रेसका काम, ५८६
देसाई, गोपालदास, ८६
देसाई, जीवनलाल, ४२
देसाई, प्रागजी, के० ३४०, ४२३; –के प्रति जेलमें व्यवहार, ४१२-३, ४६२
देसाई, भूलाभाई, ३६५
देसाई, महादेव, १, ३१, ३७, ११४-५, १३७, १४१, १६८, १७९, १९५, २१६, २३२, २५०, २७४, ३२१-२, ३२४, ३८३, ४०६, ४२५, ४६१; –की उपवासरत गांधीजीसे बातचीत, १८७-८
देसाई, वा० गो०, ३४६
द्रोणाचार्य, ६०२
द्रौपदी, ६-७, ९४, १००, २०२

ध

धनपतराय, ५५४
धर्म, –और अहिंसा, ९९-१०१, १८०-१; –और उपवास, १८८, १९४-५, २२८; – और जीवन, ५०; –और दया, ६३८; –और राजनीति, ५५-६, ३८१

न

नकुल, ९४
नगरपालिकाओंका कार्य, ४८१
नगावी, भीमराव, ८७
नटराजन, १०४
नटेसन, जी० ए०, ३२३ पा० टि०, ४६५
नन्दा, गुलजारीलाल, ३३
नम्बूद्रीपाद, ४१३
नरमदलवाले (उदारदलवाले या लिबरल दलवाले), ८१, १३७, २७७, ३१३, ३६५, ३८०, ३८५, ३८७-८, ४१९, ४४१, ५०३-४, ५२४, ५७८
नल, ७
नवजीवन, ३-४, ६१, १०७, ११३, ११५, ११७, १५५, १७६, १७९, २०७, २१०, २१६, २२२-३, २७५, ३२१, ३६९, ४०६, ५९०, ६०९, ६१७
नवयुग, ४१२, ४६२
नवाकाल, १५५
नवीन, ३४३
नाग, हरदयाल; –के बलगाँव कांग्रेसमें सम्मिलित न होनेका कारण, ४९६ पा० टि०
नागरिक संस्थाके कर्त्तव्य, ३०९
नायडू, पी० के०, ३९९, ५०४, ५२५; –की मृत्युपर टिप्पणी, २२५-६
नायडू, (श्रीमती), पी० के०, २२६
नायडू, श्रीमती सरोजिनी, १८, २९, ३७, ४६, ५६, ५९, ६४, ६८, २१३, २६१, ३५४, ३६५, ३९७-८, ४८२, ५०२-४, ५५७, ५७७; –की सराहना, ५३३
नारंग, गोकुलचन्द, १६५
नारायण, [भगवान], ३७२
निकलसन, ९०
निजामी, ख्वाजा, हसन, १९७, २५५, ५४७, –द्वारा एकता परिषद्की आलोचनाका खण्डन, २५५-५७
निम्बकर, १३७
निरंजन (बाबू), १०३
निर्वाचक-मण्डल और साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व, ४४७-८
निषादराज, १७७
निष्कुलानन्द, ३७२
नीरो, ४७०
नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स, ८९
नेटाल, –में भारतीय, १७

Gandhi Heritage Portal

नेहरू, कमला, ८८
नेहरू, जवाहरलाल, ६८, ८८, १०४, १०८, ११३, १२४-५, १५७, १९३, २२७, २५७, २५९, ३२४, ३४८, ४४६, ५०७, ५३७, ५३९; –की सराहना, ५४३; –के पुत्रकी मृत्युपर शोक-सन्देश, ३९५
नेहरू, मोतीलाल, १४, ३१, ३८, ५६, ५८, ६२, ६५, ६८, ७१, ७५, ९५, १०३, १४२, १६८, २३०, २५७, २५९, २६२-३, २८६, २८८, ३०७, ३१९, ३२९ पा० टि०, ३३३, ३७८, ३९५, ४०९, ४११, ४३८, ४४४, ४५०, ४८४, ४९१, ४९९, ५००, ५१०, ५२६, ५२८-३१, ५३५, ५७७; –के हिन्दू-मुस्लिम एकताको बढ़ावा देनेके प्रयास, ४४५-६
नेपोलियन, २३८
नैयर, प्यारेलाल, १, ३१, ११५, १४१, ३२४
नौरोजी, दादाभाई, ६४, ३५८; –की यादगार, १०९-११
न्यू इंडिया, ५८ पा० टि०

प

पंजाब प्रान्तीय परिषद्, ४४१, ४५७
पंचीकरण, २५२
पटनायक, निरंजन, ८८
पटेल डाह्याभाई, एम०, २७५, ४६५
पटेल, मणिबहन, १४१, १६१, २२८, २९१
पटेल, वल्लभभाई, ३, १४, ३५, १४१, १६१, ३२२, ३६१, ४०६, ४६२, ५६०, ५६७, ५७०, ५७७, ६१६, ६३५
पटेल, विट्ठलभाई, ४८४
पट्टणी, रमाबहन, ४०७
पट्टणी, सर प्रभाशंकर, ४०८, ४६०, ४६२-६४, ४७६, ५७४, ५७६, ६१५; –द्वारा कताई, ३२६-२७
पणिक्कर, के० एम०, १५९
पण्डित वसुमती, १, ११६, १६९, २००, २७४, २८६, ३२८-२९
पत्रकारिता, –के सिद्धान्त, ६०८; –लोक-सेवा, २९८-९९
परमानन्द भाई, २३६
परांजपे, आर० पी०, ३६५
परीख, नरहरि, २३२, ४०६
परीडा विश्वनाथ, ८८
परेरा, ५७९-८०
पाण्डव, ३८३, ४३९
पातंजल योगसूत्र, ९०, २५३
पादशा, पेस्तनजी, ४९५
पापाराव, एम०, ८५
पारसी, ५६, ६०, ६२, ८५, १०१, १२१, २०२ पा० टि०, २९८, ३९७; –और सरकारी नौकरियाँ, ५५८; –[सियों] की परोपकारिता, १११
पारसी धर्म, १९२
पारेख देवचन्द, ४६३, ५७६, ६१५
पार्वती, १००, १७३, १८८, २४१
पार्वती, टी० वी०, ३६५
पॉल, के० टी०, ४०
पाल, विपिनचन्द्र, ३६५
पावरटी ऐंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ११० पा० टि०
पिक्थॉल, ६३
पिट, १३६
पियर्सन, ; –की सेवाएँ, २०४-५
पिल्ले, षण्मुख सुन्दरम्, ८७
पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, सर, ३६५
पुजारी, एस० जी०, ४९३
पूंजी; –और श्रमके बीच सम्बन्ध ५८७
पूंजीवाद, ५६५
पूअर, ४९५
पूर्व रंग, ९०

Gandhi Heritage Portal

पेटिट, कुमारी, २३५
पेटिट, जे० बी० ३६५
पैगम्बर साहबकी जीवनी, ९१
पैगम्बर साहबकी स्वीकारोक्तियाँ, ९०
प्रसाद, डॉ० राजेन्द्र, ८६, ११३, १७६ ५३९, ५८९-८०
प्रसाद, यशवन्त, २१०, ६१५
प्रह्लाद, ६०३
प्रार्थना; –की प्रभावकारिता, ३४२
प्रीतम, ३७२
प्रेममित्र, ९०
प्रो क्रिस्टो एट एक्शेल्सिया, ९०
प्रोटेस्टैंट पंथ, २७१

फ

फड़के, वी० एल०, ४७५; –की सराहना, ५६७-६८
फाइव एम्पायर्स, ९०
फाइव नेशन्स, ९०
फॉरवर्ड ४६६
फॉस्ट, ८२, ९०, १९० पा० टि०
फिलो क्रिस्ट्स, ९०
फीडियस, २६७
फीनो, एम०, २८
फील्ड, क्लॉड, १६४
फेरर, ८९, ८१
फेरवानी, ९०
फ्रीडम ऐंड ग्रोथ, ९१

ब

बंगाल, –के विरुद्ध सर्वदलीय सम्मेलन का प्रस्ताव, ३६२-६३; –में गिरफ्तारी २८७, २८९, २९३-९४, २९९, ३०७-८ ३१५, ३३१, ३६७, ३९१
बंगाली, ३०२
बकल, ९०
बजाज, जमनालाल, २९-३१, १०१, १०३, १०६, ११८, १२१, १८१, २४४, ३२९ पा० टि०, ४०३
बड़ो दादा; देखिए ठाकुर, द्विजेन्द्रनाथ
बम्बवाल, अमीरचन्द सी०, ३५१
बर्न, जूल, ९०-९१
बर्ना, शिवप्रसाद, ८५
बसु, भूपेन्द्रनाथ, ५०४,५२५
बहिष्कार, –अंग्रेजी मालका, ५७, १२०; –अदालतोंका, ६५; –और कांग्रेस-कोषके गबनपर मुकदमेका दायर किया जाना, १२६; –और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, २०७-९; –को मुल्तवी करना, १२९, १४०, १४९, १७२-७; –के आवश्यक गुण, २०८-९, २५१, ५०७; –पर बेलगाँव कांग्रेसका प्रस्ताव, ५२६-२७; –विदेशी कपड़ेका, १६, ४५, ५३, ९७, १२९-३०, १४९, १५१ ३००-१, ३०७, ३६७, ४८०, ४८६, ५०६-८, ५७०, ५८०, ५९६, ६१४, ६२५-२६
बाइबिल, ८२, ८९, ९२, १७४, १९१, २४७, ३८३, ४९९, ५४९
बाइबिल व्यू ऑफ द वर्ल्ड मारटियर्स, ८९
वापट, १३७
बॉम्बे क्रॉनिकल, १५५, ३६०, ६२९
बारी, अब्दुल, १००, १२१, १३९, १५६, २८४, ५४८
बालकृष्ण, २३९
बिड़ला, घ० दा० २९-३१, ४१, २२८, २४४, ३०१
बिड़ला, लक्ष्मीनिवास, ५७६
बी-अम्माँ, ३४१, ४२९, ५०४, ५२५; –की मृत्युपर टिप्पणी, ३५४-५५, ३९६-९८; –को श्रद्धांजलि, ३७८-७९
बुद्ध, ४७६
बुद्ध और महावीर, ९०

Gandhi Heritage Portal

बुहलर, ९०
बेकन, ९०
बेटी-व्यवहार, –और अस्पृश्यता, ५४६-४७
बेलगाँव, –की कांग्रेसमें गांधीजीके भाषण, ४९७, ५२५
बेलगाँववाला, १४
बेलामी, एडवर्ड, ९०
बेसेंट, डॉ० एनी, ६२, ६४, ६९, ७५, १०४, १५४, १८५, २५८, ३६३, ३६५, ३८५, ४१०, ५१७, ५२९, ५४३; –की बेलगाँव कांग्रेसमें प्रशंसा, ५३६; –के जन्म-दिवसपर सन्देश, २३४; –द्वारा कताई, १७१
बैंकर, शंकरलाल, २०३, ३६१, ५७७, ५८२
बैप्टिस्टा, जोजेफ, ३६५
बैरकरूम बैलेड्स, ९०
बोथा, जनरल, ९६
बोलशेविज्म, –और इस्लाम, १९; –और गांधीवाद, १९–२१, ४५२-५३, ५६५
बोस, सत्यानन्द, ३२०
बोस, सुभाषचन्द्र, ३९१; –की गिरफ्तारी, ३०९
बोहमेन, जेकब, ९०, १६३
बौद्ध; –[ों] का बुद्ध गया-मन्दिरपर दावा, ५७९-८०
ब्रह्मचर्य, ३४२; –और ब्रह्मचर्य-जीवन, ६०९; –के गुण, २७०-७१; –के पालनके लिए आवश्यक बातें, १४२; –के लक्षण, ६०१
ब्रह्मचारी, ३४३
ब्रिअर्ली, जे०, ९०, १६५
ब्रिटिश साम्राज्य, ४७३, ५८५; –और देशी राज्य, ५८६-८७; –के कानून, २९४

भ

भगवती सूत्र, ९१
भगवद्गीता, ६४, ७२, ७४, ९०, १६५, १७४, १९१, २५३, २६०, ४३१, ४६८, ४९१, ५००, ५४६, ५४८, ५५३, ६१२-१३, ६३८; देखिए, 'गीता' भी।
भगवानदास, बाबू, ९०, १३१, ३६५, ३८४, ५१४
भट्ट, मणिशंकर रतनजी, ५८६
भरत, २४१
भरूचा, ७३, ३५१, ३५७, ५३९-४०
भर्गरी, जी० एम०, –की मृत्युपर शोक-प्रस्ताव, ५३२-३३
भवभूति, ७
भवानीदयाल, ३२
भागवत्, ९०, ९३, २४७, २५२, ३४२, ५००, ५५२
भानु, ९०
भारतका इतिहास, ९०
भारतीय प्रवासी, ५२३; –केनियामें, १८, ४६; –ट्रान्सवालमें, २६१; –दक्षिण आफ्रिकामें, १७; –नेटालमें, १७, ४१३; –पूर्वी आफ्रिकामें, ५५८; –फिजीमें, ४२२; –बर्मामें, ४६; –[सियों] द्वारा भारतके लिए दान, ३०५-६
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ११, ३४, ३८, ५७, ६६, ६९, ७५, ८१, ८५, ९७-९८, १४८, १७१-७२, १८५, ३०२, ३३४, ३३५, ३८०, ४५७, ४६९, ४७८; –और गांधीजीका स्वराज्यवादियोंके साथ समझौता, ४०९; –और सोवियत कांग्रेस, २१७-१८; –और स्वराज्यवादी, ५८, १३०-३२, १५७-५८, २७८, २७९, ३५७-६०, ३७२-७७, ३८६, ४८९-९२, ५१६-१८; –का कलकता समझौते और कताई-सदस्यतापर प्रस्ताव, ५२६-२८; –का देशी राज्योंमें काम, ५८६;

Gandhi Heritage Portal

—का बड़ा दायरा, १२८-३२, १४९-५१, ३२४, ३६५, ३७४, ४१९-२०; —का बेलगाँव अधिवेशन, ४०९; —का संविधान, ३०७; —की अखिल भारतीय कमेटी द्वारा पुष्टि, ३७२-७७, ४१०; —की कार्य समितिकी बैठक, ३६१, ५७७; —की फिजूलखर्ची, ५५९-६०; —को एक करनेका प्रयत्न, ३०७-८; —द्वारा असहयोगका स्थगन, २०७-९, ३०७; —पर प्रभाव, ५५८-६२, ५७८-८१; —पर भाषण, ५२९-३२; —महामण्डलके रूपमें, २४८-४९, ३७४, ४१२
भावे, बालकृष्ण, न०, ११८
भाषा, —केन्द्र और राज्योंमें सरकारी भाषा, ५१५; —राष्ट्रीय, १३३
भीकाजी, दिनशा, ११२
भीड़शाही, ५६५
भीम, ९३, १००
भीष्म, ६०२
भोपटकर, ४८७, ५३५, ५४२
भोर, जे० डब्ल्यू० ४२२

म

मंगलदत्त, ३८४
मंजरअली, १, ६९, १३३, ३२४
मजीद अब्दुल, ४३
मणिरत्नमाला, २५२
मणिलाल, विश्वेश्वर, ३
मताधिकार; —स्वराज्यके अन्तर्गत, ५१४
मथुरादास, त्रिकमजी, ११८, १६८, २४१, २७६, ३९४, ४६१, ६१५
मद्यपान; —अमेरिकामें, २४८, २५०; —का निषेध, २५०-५१, २७५, ३३६-३७, ३४४; —पर कांग्रेसका प्रस्ताव, ५३८-३९
मनसुख लाल, ५८६
मनुस्मृति, ९०
मरे, कर्नल, ४२३
मलाबार; —में सहायता कार्य, २-४, ३८, २०६
मवन्त (क्रमवन्त), जगन्नाथ शास्त्री, ११२
मशीन; —और मनुष्य, २६८-६९, २७३
महमूद, डॉ० सैयद, २५७, २६२, २७९
महाभारत, ९०, ९३, १०१, १३३, २६०, २९७; —क्या है, १६-१७, १३६
महाराष्ट्र धर्म, ९१
महावीर, (तीर्थंकर), १७०
महिला; —[एँ] और कताई, २३३; —और खादी, ४०७; —[ओं]के गुण, ७
माई फिलासफी ऐंड रिलीजन, ९०
मॉडर्न प्रॉब्लम्स, ९१
मॉडर्न रिव्यू, ३३६
माधुरी, ३२८
मान्टेग्यू, ई० एस०, ४३५, ६०५
मामूँ, १९२
मार्कण्डेय पुराण, ९०
मार्क्सवाद, देखिए बोलशेविज्म
मार्गरेट, ८२
मालवीय, मदनमोहन, १०२, ३४९, ३५२, ३६५, ४१८, ४५५, ४७०, ४९२, ५००, ५०३, ५२६, ५४६; —के खिलाफ लगाये गये आरोपोंपर क्षोभ, ४२९
मालकम, मेजर जनरल, सर, ११२
मावलंकर, ४०५
[द] **मास्टर ऐंड हिज टीचिंग**, ८९
मिल जान स्टुअर्ट, २७२
मिलाप, २८३
मिल्टन, ४३२
मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम, ९१
मिस्टिक्स ऐंड सेंट्स ऑफ इस्लाम, १६४
मिस्र, कुमारी, ८९
मिस्र, —में दमन, ५२३
मीनाक्षी, सुन्दरम्, श्रीयुत, ८७, ५४०
मीर अली, (श्रीमती), २३५

Gandhi Heritage Portal

मीराबाई, ६४, ३७२
मीराबहन, ३४१, ५५७
मुंजे, डॉ० वी० एस०, ८३, १७७, १८१, २५८, २६३
मुक्तधारा, ९०
मुखर्जी, सर आशुतोष, ५०४, ५२५
मुखर्जी, सतीशचन्द्र, ११५, २२१, ३१८, ३५०, ३८३
मुदवेडकर, के०, ५३३, ५३७
मुदालियर, टी० वी० गोपालस्वामी, ५२५
मुदालियर, रामस्वामी, ३६४
मुन्शीराम, देखिए स्वामी श्रद्धानन्द,
मुबल्लिग, २५५
मुलशीपेटा; —के सत्याग्रहियों द्वारा मारपीट-की भर्त्सना, ४७३-७४
मुसलमान, ५, १६, १९-२०, ५५-५६, ६०, ६२, ८४, ९२, १००-१, १०६, १११, १२५, १४७-४८, १८२, १८३-८४, १८७-८८, २०२, २२५, २३२, २५८, २६३, २६७-६९, ३३५, ३४८, ४९, ३८२, ३९०, ३९६, ४२७, ५४९, ६०१; —और कताई, १५-१६; —और गो-रक्षा, ५५२-५४; —और सरकारी पद, ५५८; —कोहाटमें, ४५५-५६; —[ों] को हिन्दी पढ़नी चाहिए, १३३; —द्वारा गोंडलके शासकके खिलाफ शिकायत, ६०६-७
मुस्लिम लीग; —का वार्षिक अधिवेशन, ५५७-५८
मुस्लिम लीगी, ५२४
मुहम्मद अली, ३१, १०२, १०७, ११३, ११७, १४१, १५३, १६६, १८२, १८७-८८, १९५, २१५, २३८, २४०, २४२, २६२, २७९, २८३, २९८, ३०५, ३२१, ३२३, ३२५, ३५४, ३६१-६२, ३६५, ३६९, ३८२, ३९७, ४२५, ४३९, ४९८, ५००-१, ५२९, ५४१, ५५८, ६२९; —द्वारा कताई, १५, १५६, १९९, २५०
मुहम्मद अली, (बेगम), ४९८
मुहम्मद अली, डा०, ९१
मुहम्मद, पैगम्बर, (हजरत), १९०, १९५-९६, २५६, २७३, २९६-९७, ४१४-१५, ४३२; —का व्यक्तित्व, १३४-३५
मृत्यु और जन्म, २७६, ३५५, ३८०, ३९७; —पर रोना-धोना व्यर्थ, ३९७
मेकॉलिफ, ९०, १६४
मेसेज ऑफ क्राइस्ट, ९०
मेसेज ऑफ मुहम्मद, ९०
मेकाले, लार्ड, ४३१
मेल, कर्नल, ३४०, ४२३
मेहता, कुंवरजी विट्ठलभाई, ४६२
मेहता, जयसुखलाल, ३८५
मेहता, डॉ०, ३४३, ५७४
मेहता, सर फिरोजशाह, ४६६
मेहर, तुलसी, २११, ३४३
मैंजियरली, मैडम डी०,; —द्वारा हाथ कताई, ४१० पा० टि०
मैक्समूलर, ९०
मैडॉक, कर्नल, ९५, ४२३, ४६७, ६०३, ६१२
मैडॉक, श्रीमती, ९५, ६१२
मैन ऐंड सुपरमैन, ९०
मोअज्जम, १०५, ११४
मोक्ष, २६९, ५४८; —और अहिंसा, २९; —और सत्य, २९; —की प्राप्तिके साधन, ५५४
मोटले, ९१, १३६
मोटी बा, १६९
मोदी, भगवानजी अ०, ४६३
मोरारजी, शान्तिकुमार, २४३, ३२८
मोल्टन, ९०

Gandhi Heritage Portal

मोहर्रिर, वामन राव, ५२५
मोहानी, हसरत, १३३, १४४, १५७, २१७, ३८६, ४८६, ४९२, ५२८-२९
म्यूजिंग्स ऑफ सेंट टेरेसा, ९१

य

यंग इंडिया, ९१, १०७, ११७-१८, १२७, १४०, १५४-५५, १५९, १६२, १७६-७९, १८२, २०५, २१६, २४८, २५५, २७५, २८४, २९९, ३१२, ३२३, ३३९, ३४६, ३५३, ३९१, ३९६, ४१४, ४२२, ४२५, ४३१, ४५६, ४७५, ४८८, ४९३, ५३५, ५४९, ५८२, ५९०, ६०८
यंग क्रूसेडर, ८९
यहूदी, ५५-५६, ६२, २०२ पा० टि०, २९८, ३९७
यहूदी-धर्म, २३७
याकूब, मुहम्मद, ३६५
याज्ञिक, इन्दुलाल, ११६; –की सराहना, ५६९
यालगी, गोविन्द वैंकटेश, ५२५
युधिष्ठिर, ७, ९४, १००, ११७, ६०१
यूरोपीयन मॉरल्स, ९१
यूरोपीयन सिविलिजेशन, ९१
यूरोपीय; –[ों] का भारतके प्रति रवैया, ३१६
योगदर्शन, ९०
योग वाशिष्ठ, २५२
योग सूत्र, २५३

र

रंगाचारियर, टी०, ३६५
रतनशी, ६३
रतनचन्द, ४५०
रसिक, ७०, ३४५
रहमान, डाक्टर, अब्दुल, २१५, २३१
राइज ऑफ द डच रिपब्लिक, ९१
राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती, ३७, १०५, १४०, १५८, १८९, २७७, ३२९ पा० टि०, ३३८, ३४५, ३६५, ५२९, ५७७; –का चरखेपर वक्तव्य, ६२२
राजचन्द्र, ९०
राजनीति, –और धर्म, ५५-५६, ३८१; –की परिभाषा, ५९९-६००
राजम् अय्यर, ९१
राजयोग, ९१
रानडे, न्यायमूर्ति, ३५८
राम, ७, ३६, १००, ११७, १९०-९१, १९६, २१५, २४१, ३४२, ३४७, ३७८, ३९७, ४४३, ५४२, ५९२, ६०१, ६०७; –और कृष्ण, ९०; –नाम-जपका प्रभाव, ११९
रामकृष्ण (परमहंस) ४५८
(श्री) **रामकृष्णकी जीवनी (लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण)**, ४५८
रामचन्द्रन, जी०, –के साथ बातचीत, २६४-७४
रामनारायण, ३८४
रामराज्य, ३६, ५९२
रामायण, ८९, ९३, १९२, २५२, २६०, २९७, ५००
राय, डॉ० प्र० चं०, २१, ५२, १२१, ४०१
राय, बाबू सतीश, ५५८
राय, मा० ना० , १९ पा० टि०; –का बोलशेविज्मपर लेख, ५६५; –द्वारा चरखेकी आलोचना, २१-२२
राय, साहब, १३८
रायचन्द भाईना लेखो, २५२
राव, एम० रामचन्द्र, ३६५
राष्ट्र-ऋण, – की देयतापर कांग्रेस प्रस्ताव, ३३८, ३९२-९३

Gandhi Heritage Portal

राष्ट्रभाषा, देखिए भाषा
राष्ट्रवाद, – यूरोपीय, ३९३; –हिंसक और अहिंसक–, ३९४
राष्ट्रीय एकता;––को बढ़ावा देनेकी जरूरत, ३६६-६७
राष्ट्रीय पाठशाला, ६, ५७, ९९, १३०, १४९, ३३६, ३४४, ३६०, ५८०; –[ओं]का असहयोग कार्यक्रम रद्द किये जानेके बाद कार्य, ३६०, ३६८, ३७०-७२, ४०४४ ४७७-७९, ५१८-२०, ५३७-३८; –के लिए शर्तें, ६१८-१९; –पर कांग्रेस प्रस्ताव, ५३७
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन, १२२-२३
राष्ट्रीयकरण, २६९
रीडिंग, लॉर्ड, ३९१, ४३३, ४७३, ५२१, ५५८, ६१२
रुखी, ७२, १८६
रुद्र, ११७
रुस्तमजी, पारसी, देखिए घोरखोद्दू रुस्तमजी जीवनजी
रेड्डी, ५८०
रेनॉल्ड्स, ३४२, ६११
रोजबरी, लॉर्ड, ९०, १३६
रोटी-व्यवहार, –और अस्पृश्यता, ५४६-४७
रोम, ९०
रोलाँ, रोमाँ, ३४१, ३८३
रोसी ऋुसीयन मिस्ट्रीज, ९१

ल

लक्ष्मी, १९३, ३२२, ३४५, ५७५
लक्ष्मी नरसिंह, एम०, ८५
लखनऊ-समझौता, –[ते]में संशोधनकी आवश्यकता, ४४७
लाइफ ऑफ कोलम्बस, ९०
लाइफ ऑफ जान हॉवर्ड, ९०
लाइफ ऑफ पिट, ९०, १३६
लाइफ ऑफ रामानुज, ९०
लाइफ ऑफ श्री रामकृष्ण, ४५८
लॉज, ९१
लाजपतराय, लाला, २८३, २८६, ३२६, ३५१-५२, ३६५, ३८५, ४३१, ४३८, ४४४, ४४७, ४५०, ५०१, ५४२; –के खिलाफ लगाये गये आरोपोंपर क्षोभ, ४३०; –के बारेमें गलत रिपोर्ट, ४६६-६७
लावेल, १६४
लिटन, लॉर्ड, ४४, ३९१, ४७३, ५२१, ६२५
लिबरल दलवाले, देखिए नरम दलवाले
लीलामणि, २६१
लूशियन, ८९, ९१
लेकी, ९१
लेक्चर्स ऑन बुद्धिज्म, ९१
लेज ऑफ एन्शेंट रोम, ९०

व

वझे, एस० ए०, ३९; –की सराहना, ५३३
वरदन, ए०, ४६०
वर्ल्ड टुमारो, ३४३
वाइकोम सत्याग्रह, देखिए सत्याग्रह
वाइल्ड, आस्कर, २६६
वाचस्पति, इन्द्र, १३८
वाचा, सर दिनशा, ४९१
वाजपेयी, बालमुकुन्द, १३९
वाडिया, ९०
वामनराव, ५७०
वाल्मीकि, ९०
विज़डम ऑफ द एन्शेंट्स, ९०
विदुर, ४३६
विदेशी कपड़े, –का बहिष्कार, देखिए बहिष्कार
विद्यार्थी, –और असहयोगका स्थगन, ४७६-७९; –और शारीरिक श्रम, ४
विलबरफोर्स, ९०

Gandhi Heritage Portal

विप्लववादी, देखिए अराजकतावादी
विलिंग्डन लॉर्ड, ५११
विलियम द साइलेंट, १३६
विवाह, –मोक्ष प्राप्तिमें बाधा, २७०-७१
विवेकानन्द, ९१
विश्वभारती, १०
विश्वामित्र, २४१
विश्वास, सुरेन्द्रनाथ, ६२१
विष्णु, ११७
वुडरुफ, ९१
वे टु बिगिन लाइफ, ८९
वेद, ९१
वेदान्त, ९१
वेराइटीज, ऑफ रीलीजियस एक्सपीरियन्स, ९०-९१
वेल्स, एच० जी०, ९०
वेस्टकोट, बिशप, २४९
वैद्य, ९०
वैद्य, गंगाबहन, २११, २४६, २५२, २९०
वैंकटप्पैय्या, कौंड, २६४, ३२९ पा० टि०, ३६१
व्यास, बालकृष्ण, २५२
व्हाट क्रिश्चियनिटी मीन्स टु मी, ९०

श

शंकरलाल, लाला, ४६७
शम्भुनाथ, ८८
शर्मा, आर०, ३४४
शर्मा, नाथूराम, ९०
शांकरभाष्य, 'गीता' ९०, ९३, ५४३
शाक्त ऐंड शक्ति, ९१
शास्त्री, रामकृष्ण, ५४०
शास्त्री, वी० एस० श्रीनिवास, ६२, ६४, २००, ३२३, ३६५, ५९६
शाह, फूलचन्द कस्तूरचन्द, १४०, ३२२, ४६२, ५७४
शाह, शाहमुल्ला, १६४
शाहजहाँ, १६४
शिक्षा, –आधुनिक, ४३१-३२, ५००; –का उद्देश्य, ६०९-११, ६१८-१९; –प्राथमिकमें मौखिक रूपसे सिखानेकी आवश्यकता, २६०-६१, ३४५; –राष्ट्रीय, ४५०
शिन्दे, ३६५
शिबली, ९१, १३४, २९७
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति, १२५
शिव, १७३, १८८, २१३, २४१
शिवम्, सी० वी० पी०, ५२५
शिवलालभाई, ७२, १४०, ३२२
शेक्सपीयर, ४३२
शौकत अली, ५, ४८, १६६, १८० पा० टि०, १८७-८८, १९४, १९६-९७, ३५५, ३६१, ३९७, ३९८, ४३९, ४४१-४३, ४५५-५६, ४७२, ५००, ५०३, ५३०, ५३४, ५४०, ५४२, ५५२, ६०६, ६०८; –के विचार हिन्दू-मुस्लिम एकतापर, ५०३, ५११; –द्वारा कताई, १५, २०२
श्याम बाबू, १४०, ३१२
श्रद्धानन्द, स्वामी, ४, २४५, २५४, ५६०
श्रम; –का मानवीय पक्ष, २६८-६९; –शारीरिक, की महत्ता, ४३१, ५९५-९६
श्रीनिवासचारी, ५४०

स

संगीत; –का महत्व, २३९
संघाणी, नारणदास, ६०३
सतीश बाबू, ५६१
सत्य, २०, ३६, ६३, १०१, १३६, १९१, २११, २३७, ४५२; –और अहिंसा, ३४३, ५२४; –और ईश्वर, २०१, ५२४; –और मोक्ष, २९; –और सत्याग्रह, ६२२; –और सुन्दरता, २६६-६७, २७३-७४
सत्यदेव स्वामी, ५४७
सत्यपाल, डॉ०, ३२६, ३९५
सत्याग्रह, ६२, ६५, ७५-७६, १०६, २७७; –और असहयोग, ८९, ४२७, ५२४;

Gandhi Heritage Portal

–और सत्य, ६२२; –और सविनय अवज्ञा, ५२४, ६२२; –का स्थान, १२२; –राजनीतिक परिणाम, १३७; –देशी राज्योंमें, ५९३-९४; –मुलशी-पेटामें, १३७; –वाइकोममें, ६७ पा० टि०, १६२, १७४-७५, ३८२; –के गुण, १७४-७५; –पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ५२५
सत्यार्थ प्रकाश, ९०
सदस्यता; –के लिए स्वराज्यके अन्दर योग्यता, ५१४
सन्तानम्, के०, १२४, २६३
सन्मुखराय, १४२
सप्रू, डॉ० तेजबहादुर, ३२३ पा० टि०, ३६५
सभ्यता, पाश्चात्य–, ३४२, ४८१, ४९४; –भारतीय, ३४२
समाजवाद, २६९
सर, साहिब मौलाना, ५४१
सरमन ऑन द माउण्ट, ९२
सरस्वतीचन्द्र, ९०
सर्वदलीय परिषद्, ३६५, ३८५, ५१२, ५२१, ५५५; –और स्वराज्यवादियों और गांधीजीमें समझौता, ४१०-११; –का बंगाल-दमनके प्रतिरोधमें प्रस्ताव, ३६२-६३
सविनय अवज्ञा, ६२, ७६, २९९, ३१६, ३७५, ३८१, ५११, ५२२; –और असहयोग, ५२४; –और सत्याग्रह, ५२४, ६२२; –का अर्थ, ३९०, ४००-१
सहदेव, ९४
साँझ वर्तमान, १०१
साइंस ऑफ पीस, ९०
साठे, डा०, ७०
साधन और साध्य, ५१४
साधना, ९०
साबरमती, ६१८
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व; –हिन्दू-मुस्लिम तनावको शान्त करनेके लिए, ४४७-४८
साम्यवाद, देखिए बोलशेविज्म
साम्राज्यवाद, २०, ३९४
सावरकर, वी० डी० १२४
सिंगर, २६९
सिंह, मंगल, १५९, ३६५, ४२६, ४४१, ५७७-७८
सिंह, मनजीत, ३०२
सिंह, माखन, ४५५, ४७०
सिंह, रघुवीर, २८०
[द] सिक्स सिस्टम्स, ९०
सिख, ९०, १२५, १५९, १६५, २०२, ४२७, ४३९, ५७८
सिख-धर्म; –और हिन्दूधर्म, १६५
सिडेनहम, लॉर्ड, ३७९
सिन्धी, १७७
सिन्हा, गया प्रसाद, ४२२
सिन्हा, लॉर्ड, ६०५
सिन्हा, सत्यनारायण, ५४०
सीकर्स आफ्टर गॉड, ८९, ९१
सीता, ७, ५९२
सीताहरण, ९०
सुकरात, २६७
सुकुमार, बाबू, ३४२
सुखदेव, डॉ०, ३८४, ५६७
सुदामा, ११७, ४३६, ५१४, ६०३
सुधन्वा, ३७२
सुन्दरलाल, ३०, ४१, ५३४, ५३७
सुपरसेन्सुअल लाइफ, ९०, १६३
सुब्रह्मण्यम्, ४६०
सुब्रह्मण्यम्, बी०, ३२३
सुभद्रा कुमारी, ८६
सुभान अली, ५४१
सुहरावर्दी, २९
सूरदास, २७६
सूर्य नारायण, के०, ८५
सैन्ट पॉल इन ग्रीस, ९०
सेनेका, ९१
सैन्ट्स ऑफ इस्लाम, ९०

Gandhi Heritage Portal

सैलिसबरी, लॉर्ड, ३३८
सोडम, ३८३
सोबानी, आजाद, ५२८
सोराबजी, ३९८
सोवियत कांग्रेस—का संविधान और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, २१७-१८
सोशल इवोल्यूशन, ९०
सोशल एफिशिएन्शी, ९०
सौन्दर्य; —सत्य, २६६-६७, २७३-७४
स्टेट्समैन, २४२
स्टेड, डब्ल्यू० टी०, ४१८
स्टेप्स टु क्रिश्चियनिटी, ९०
स्टोक्स; —द्वारा अनिवार्य कताईका विरोध, ३३७, ४१७
स्टोरीज फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ रोम, ८९
[द] स्ट्रेंज केस ऑफ डॉ० जेकिल ऐंड मि० हाइड, ९०
स्पिरिट ऑफ इस्लाम, ९१
स्पेन्सर, ९०
स्मट्स, जनरल, १८, ९८, २२६
स्याद्वाद मंजरी, ९१
स्लेड, कुमारी मेडिलिन, देखिए मीराबहन
स्वतन्त्रता, देखिए स्वराज्य
स्वदेशी, ३, ५३२; —की पेचीदगियाँ, ३९४
स्वयंसेवक, —के गुण, ६३४-३५
स्वराज्य, १६, ६०, ६४, ७१, ७९, ९६, ९९, ११७, १४५, १४७, १४९, १६०, २१९, २३३, २५०, २७५, २८१, २९८, ३०७, ३२७, ३३६, ३५४, ३७४, ३८३, ३९६, ४३१, ४३३ ४७२, ४७६-७७, ५४९, ५७१, ६१४; —औपनिवेशिक, ३६४; और अस्पृश्यता, ५१३, ५४८; —और अहिंसा, २१; —और कताई, ३१०, ३१७, ३६०, ४३२; —और चरखा, ३६७, ४०३, ४६६, ४९८; —और रामराज्य, ५९२ और हिन्दू-मुस्लिम, एकता, २२२, ३६७, ३९७; —की गांधीजीकी योजना, ५१४-१५; —की शर्तें, ५४४, ५६९-७०; —के अन्तर्गत देशी रज्योंकी स्थिति, ५८६-८७, ५९८; —के अन्तर्गत सम्भावित बुराइयाँ, ६०७; —के लिए योजना, १३१, १७१, ३६५, ५१४-१६; —संसद, ४१२; —साम्राज्यके अन्तर्गत, ३८६, ५१६; —हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ४९८
स्वराज्यवादी, २९, ६२, ८१, १०४-५, १३७, १४०, १४८-४९, १५४, २७७, २८८, ३१९, ३८०, ३८६-८७, ४०२, ४१८-१९, ४६८, ४८२, ६२४; —और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ५८, १२९-३१, १५७-५८, २७९, ३०७-८, ३१३ ३५८-५९, ३७३-७५, ३८६, ४८९-९२, ५१६-१८; —और हिंसा, ३५८; —[दियों] और गांधीजीके बीच समझौता, ३०७-८, ३१०, ३१५, ३१९-२०, ३३४-३५, ३४९, ३८५, ४८४; —के विरुद्ध बंगालमें दमन, ३०७-८, ३१५, ३३१, ५२०; —पर आक्षेपोंके उत्तर, ३२९-३०, ३५७-६०; —पर बेलगाँव कांग्रेसका प्रस्ताव, ५२६-२८
स्वशासनवादी, ३८०, ३८५, ४१९, ५२४

ह

हजरत उमरकी जीवनी, ९०
हनीफ, मोहम्मद, ८८
हन्टर, ६३४
हब्शी, २८
हमदर्द, ११४, ११७, २९८, ३६९, ३९७
हयात, १०५, ११४
हरकिशनलाल, ३५८, ३६५, ५४०
हरनामसिंह, २०९
हरनामसिंह (श्रीमती) २०९
हरिप्रसाद, डॉ० ४२
हरिश्चन्द्र, ९४, ४९८
हलाज, मन्सूरी, १६४
हसन, ९०
हस्वी, आरिफ, १५

Gandhi Heritage Portal

हाजकिन्सन, श्रीमती, २३३
हार्डिंग, लॉर्ड, ५५८
हार्डिकर, डॉ०, १२२, ५४५, ५५८
हॉपकिन्स, ९१
हारूँ-अल-रशीद, १९२
हिंसा, १८८, २८१, २९४-९५, ३१३, ३३५, ४०३, ४३९; –और बोलशेविज्म, ४५३; –और स्वराज्यवादी, ३५७; –जरूरी है, २०८
हिन्द स्वराज्य, ५५०, ६३६
हिन्दी नवजीवन, १२
हिन्दुस्तान टाइम्स, १५९
हिन्दुस्तानी, –राज्यभाषा, ५१५
हिन्दुस्तानी शिक्षक, २९६
हिन्दू, ५, १६, ५५-५६, ६०, ६२-६३, ७५, ८१, १००, १०५, १११, १४३-४८, १८२-८३, १८७, १९४, २०२ पा० टि०, २२५, २३२, २५५-५६, २५८, २९८, ३३५, ३५५, ३८१, ३९०, ४२७, ५९७, ६००, ६०९; –इलाहाबाद और जबलपुरमें, २५४; –और सरकारी पद, ५५८; –की परिभाषा, ५४९-५०; –कोहाटमें २१३, २५४, ४४२, ४५५-५६, ४७०-७२; –[ओं] और मुसलमानोंके बीच तनाव, ४१, १०१, ११८, १२१, १६०, २०८, २१३, २४५-४६, २८७-८८, २९९, ४३२; –के कारण, ४३८-३९; –के हलके लिए प्रस्ताव, १४३-४६, १९०-९२, २१५, ४४७-४८; –कोहाटमें, २१३, २५४, ४४२, ४७०-७२; ––गुलबर्गामें, ४८-५०; –दिल्लीमें, १८१; –नागपुरमें, ६५, ८३, १७७; –पंजाबमें, ४३८-४१; –लखनऊमें, १३९; –[दुओं]को उर्दू पढ़नी चाहिए, १३३
हिन्दू, (लाहौर), १६०
हिन्दू धर्म, १००, १३५, १४५, १८०, २१५, २२०, ३५४, ३६९, ६०९; –और अस्पृश्यता, १२२, ४३६, ५४२, ५४६-४८, ५६७-६९, ५९७, ६००-३; –और इस्लाम, १९०-९२, २३७, २४०, २९८; –और गोरक्षा, १९०, ४६७, ५४९-५२–और सिख धर्म, १६५; –की परिभाषा, ५४९-५०
हिन्दू-मुस्लिम एकता, १६-१७, २०, ३१, ४९, ५७, ७१, ९७, १००, १०५, ११७, १३०, १४९, १७८, १९७, २२०, २४०, २४२, २५१, २७५, ३०३, ३०७, ३१२, ३४९, ३६९, ३८१, ३९६, ४०५, ४२७-३०, ४३९, ४४१, ४४३, ४५०, ४६७, ४७९, ४८३, ५००, ५१८, ५४४, ५४९, ५५८, ५६९-७०, ५९७, ६१८, ६३७; –और गोरक्षा, १४४-४५; –और स्वराज्य, १४३, २२२, ३६७, ३७८-७९; –का महत्व, ५११-१३; –को उत्तेजन देनेके लिए सम्मेलन, २२४, २८१; –को उत्तेजन देनेके लिए मोतीलाल नेहरूके प्रयत्न, ४४५-४६; –पर एकता सम्मेलनमें प्रस्ताव, २२९-३०; –पर शौकत अलीके विचार, ५०२, ५११
हिमालयनो प्रवास, ९०
हिस्ट्री ऑफ द सैरासिन्स, ९१
हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह इन साउथ आफ्रिका, ३४६
हिस्ट्री ऑफ सिविलिजेशन, ९०
हुलियालकर, डॉ० डी० आर०, ८७
हेली, सर मैलकम, ४२७, ४३३
हैकेल, ९१
होता, बिकनचरन, ८८
होमरूलवादी, देखिए स्वशासनवादी
होम्स, ९१

6369

Gandhi Heritage Portal

Gandhi Heritage Portal

Gandhi Heritage Portal

Gandhi Heritage Portal

26 JUL 1968

Gandhi Heritage Portal